राजस्थान सेवा नियम

(Rajasthan Service Rules)

सम्पूर्ण

(दोनो खण्ड, पैंशन नियमों सहित)

द्वारा

हरीसिंह

बी. ए एल एल. बी आर. एस. एसी. एस.,

सहायक लेखाधिकारी

1980

प्रकाशक :

बाफना बुक डिपो

चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

प्रकाशक :
बाफना बुक डिपो
चौड़ा रास्ता, जयपुर 302003

लेखक की ओर से

यह मेरा अपना अनुवाद है और दृष्टान्त भी अपनी बुद्धि के आधार पर रचित है।

संस्करण 1980

मूल्य : पचास रुपये

मुद्रकः—
एस० एन० प्रिन्टर्स,
जयपुर-1

राजस्थान सेवा नियम

भाग–1 (ए)

विषय–सूची

अध्याय–4

वेतन

अध्याय—5

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते

अध्याय—11
अवकाश-सामान्य

अध्याय—12

कार्य-ग्रहण-काल

अध्याय—13

वैदेशिक-सेवा

पेन्शन-नियम

अध्याय-19

अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियाँ

अध्याय—27

पेन्शन का रूपान्तरण

विनम्र-समर्पण

पाठकों की सेवा में राजस्थान सेवा नियमों का संशोधित-परिशोधित द्वितीय संस्करण प्रस्तुत है । पुस्तक का प्रथम संस्करण अक्टुबर, 1977 में राजस्थान में विधि संबधी पुस्तकों के सुविख्यात प्रकाशक एवं विक्रेता मैसर्स बाफना बुक डिपो द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। इस दो वर्ष के अन्तराल में अनेकों पाठकों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये है। उन सब को दृष्टि में रख कर राजस्थान सेवा नियमो का यह द्वितीय संस्करण सेवार्पित है।

पुस्तक की सबसे बडी विशेषता है कि यह आदिनांक संशोधित है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, जो पुस्तक के मुद्रणाधीन रहने की अवधि में हुए है, वे पुस्तक के अन्त में संलग्न हैं । फलस्वरूप **यह संस्करण आदिनांक संशोधित है ।** पुस्तक की उपयोगिता का निर्णय पाठकगण स्वंय कर अनुगृहीत करें। भविष्य के लिये सुझाव तथा कही रह गई त्रुटियों के लिये कृपा कर अवगत करादें।

प्रकाशक महोदय के सक्रिय सहयोग एवं आदिनांक-संशोधित पुस्तकें प्रकाशित करते रहने की उनकी अभिरूचि के कारण ही पुस्तक का यह द्वितीय संस्करण इतना शीघ्र आपकी सेवा में विनम्र-समर्पित कर पा रहा हूं।

विनीत

हरीसिंह

2155-खजाने वालों का रास्ता,
चांदपोल, जयपुर।

राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन

(1) सेवा नियम–22 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुच्छेद (घ) में संशोधन—

"(घ) त्याग-पत्र वापिसी की अनुमति के लिये सक्षम-प्राधिकारीः—एक त्याग-पत्र उस समय से प्रभावी होता है जब वह स्वीकार कर लिया जाता है तथा राज्य-कर्मचारी को उसके पद के कर्त्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। जब त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है तो एक राज्य-कर्मचारी का राज्य सेवा से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है (अर्थात वह "सेवा में नहीं रहा" माना जाता है) तथा वाद मे त्याग-पत्र वापिस लेने के किसी निवेदन को स्वीकार तथा विचारार्थ नही लिया जावेगा"

[वि. वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (25) वित्त (ग्रुप-2)/79 दिनांक 1-8-79 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित]

(2) नियम 268 (1) (ii) के बाद "जोड़ना नया उप-अनुच्छेद (iii):—वे पुलिस कर्मी, (पर्सोनल) जो राजस्थान सशस्त्र पुलिस सहित, चाहे निमित ईकाइयों मे हों या नही तथा जो कमान्डेन्ट एवं पुलिस अधीक्षक (आई. पी. एस. अधिकारियो को छोडकर) के स्तर तक के है एवं जो अपराधियों के साथ मुठभेड में या उग्र भीड अथवा व्यक्तियो के झुन्ड से किसी आन्दोलन, बलवा या नागरिक अशांती या साम्प्रदायिक दंगों के समय संघर्ष में/मुठभेड करते समय मर जाते है।"

[वि.वि. की अधि. एफ 1 (16) वित्त (ग्रुप-2)78 दि. 28 जून, 1979 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निविष्ट]

(3) पंचायत समिति एव जिला परिषदों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतानः—

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 1 (35) वित्त (आर) 76 दिनांक 23-6-1976 के वर्तमान अनुच्छेद (6) को निम्न-प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेः—

"(6) *अन्तःकालीन पेंशन का भुगतान.—उन मामलों में जहां परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षक* विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा एक कर्मचारी की पेंशन उसके सेवा निवृत्त होने से एक माह पूर्व जारी नही की जाती है अथवा जहां एक कर्मचारी के पेंशन प्रकरण के उसके सेवा निवृत्त होने तक भी तय होने की सम्भावना नही हो, वहां अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम 292 के अनुसार उस कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र पी-6 मे अन्तःकालीन पेंशन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत करदी जावेगी जिसकी सूचना परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर, सम्बधित पेंशन,र कोषाधिकारी तथा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को दी जावेगी। अन्तःकालीन पेंशन का भुगतान अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा आहरित कर उस समय तक चुकाया जाता रहेगा जब तक उस कर्मचारी का पेंनशन प्रकरण अतिम रूप से तय नही कर दिया जाता है।

[वि.वि. ज्ञापन एफ 1(35) वित्त (आर)/76 दि. 20-7-1979 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित]

(4) उपार्जित अवकाश–समर्पण तथा नकद भुगतानः—वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनांक 12-9-1974 मे निम्न-प्रकार संशोधन किये जाते है।

(1) उक्त आदेश के अनुच्छेद 2 (i) को निम्न-प्रकार वदला जावेगा—

"2 (i). राज्य कर्मचारी (राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनो ही) जो 15 दिन से कम की अवधि का उपार्जित अवकाश नहीं लेता है, उसको उक्त अवकाश के आरम्भ होने के दिन उसकी माग पर अवशेष समस्त अथवा उसके किसी भाग को, कर्मचारी के विकल्प पर, 30 दिन की अधिकतम सीमा तक, समर्पण करने की अनुमति दी जावेगी तथा उसके एवज में कर्मचारी को, इस प्रकार समर्पित किये गये अवकाश के एवज में, अवकाश वेतन एवं भत्ते आदि स्वीकार किये जावेंगे।

दिनांक 12-9-1974 के आदेशों के अनुच्छेद 2 (vii) (बी) को निम्न-प्रकार बदला जावेगा:—

"2 (vii) (बी), समर्पित किये गये अवकाश का अवकाश वेतन उस मासिक वेतन की दर के आधार पर फलाया जावेगा जो एक कर्मचारी उपार्जित-अवकाश पर प्रस्थान करने के दिन से तुरन्त पूर्व आहरित (प्राप्त) कर रहा था। समर्पित अवकाश के नकद भुगतान के प्रयोजनार्थ अवकाश वेतन तथा भत्तों की फलावट के लिये एक माह सदैव 30 दिन का माना जावेगा। समर्पित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन तथा भत्तों की फलावट तथा भुगतान सलग्न परिशिष्ट में दिये गये दृष्टान्तो के आधार पर किया जावेगा।

वित विभाग के 12-9-74 के आदेश के अनुच्छेद:—

2 (viii), 2 (xi), 2 (xii) तथा 2 (xiii) में जहा–2 "30 दिन" का उल्लेख है वहां–2 (सब स्थानों पर) "15 दिन" शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा।

[वि. विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (38) वित्त (ग्रुप-2) 65–II दिनांक 25-10-79 द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रति-स्थापित]

दृष्टान्त-1: उपार्जित अवकाश के वास्तविक उपभोग की अवधि 1-3-1980 से 15 मार्च 1980 अर्थात 15 दिन है।

(1)	अवकाश वेतन की दर	450/–मासिक
(2)	30 दिन समर्पित अवकाश के एवज मे अवकाश वेतन की दर	450/–मासिक
(3)	20 दिन के समर्पित किये गये उपार्जित अवकाश का अवकाश वेतन	300/–मासिक

दृष्टान्त 2:—वास्तव में उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की अवधि 1-2-1980 से 15-2-1980 (15 दिवस) है।

(1)	अवकाश वेतन की दर	450/–मासिक
(2)	30 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर उसके एवज मे अवकाश वेतन की दर	450/– ,,
(3)	20 दिवस के समर्पित उपार्जित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन	300/– ,,

दृष्टान्त 3:—उपार्जित अवकाश के उपभोग की वास्तविक अवधि 20-6-1980 से 4-7-1980 (15 दिवस) है।

(1)	अवकाश वेतन की दर	450/–मासिक
(2)	30 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर उसके एवज में अवकाश वेतन की दर	450/–मासिक
(3)	20 दिवस के समर्पित उपार्जित अवकाश पर भुगतान	300/–मासिक

दृष्टान्त 4:—उपार्जित अवकाश के उपभोग की वास्तविक अवधि 5-9-1980 से 19-9-1980 (15 दिवस) है

(1) अवकाश वेतन की दर	450/-मासिक
(2) 30 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण करने पर उसके एवज में अवकाश वेतन की दर	450/-मासिक
(3) 20 दिवस के उपार्जित-अवकाश के समर्पित करने पर अवकाश वेतन	300/-मासिक

अवकाश वेतन के साथ देय भत्ते आदि की फलावट उक्त प्रकार ही की जावेगी।

[आदेश क्रमांक एफ 1 (38) वित्त (ग्रुप-2) 65-II दि. 25-10-1979 के साथ संलग्न परिशिष्ट]

(5) पेंशन कार्य महालेखाकार राजस्थान से लेने के संदर्भ में संशोधन—

(1) निम्न-अंकित समस्त संशोधन दिनांक 1-12-1979 से प्रभावी माने जावेंगे।

(2) राजस्थान सेवा नियम खण्ड–1 भाग–बी मे जिन-2 नियमों के अन्तर्गत टिप्पणियों, ऑडिट निर्देशनों एवं राजकीय निर्णयों मे "महालेखाकार" अथवा "महालेखाकार राजस्थान" शब्द अंकित हैं, उनके स्थान पर "मुख्य पैंशन अधिकारी, राजस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(3) वर्तमान नियम 279 (2) के स्थान पर निम्न-प्रतिस्थापित किया जावेगा।

"(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ग्रेच्युटी का तात्पर्य मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति-उपदान (ग्रेच्युटी) से है जिसमें सेवा उपदान भी, यदि कोई हो, सम्मिलित माना जावेगा तथा मुख्य पैंशन अधिकारी का तात्पर्य मुख्य पैंशन अधिकार राजस्थान से होगा।"

(4) राजस्थान सेवा नियम 278, 280, 281, 283, 286, 286 (ए), 287, 290 से 292, 294, 312 से 314 (क), 320, 321, 322, 326, 329, 330, 331, 333, 335 तथा 336मे "महालेखाकार राजस्थान", "ऑडिट-अधिकारी" तथा "लेखाधिकारी" शब्द जहा-2 प्रयुक्त हुए हैं उन सबके स्थान पर "मुख्य पैंशन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(5) सेवा नियम 295 (2) में उप-अनुच्छेद (iii) के बाद एक नया उप-अनुच्छेद (iv) निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा:—

(iv) महालेखाकार राजस्थान जयपुर:—"कुछ बकाया नही" प्रमाण-पत्र केवल उस राज्य-कर्मचारी के संबध में ही प्राप्त किया जावेगा जिसने सरकार से भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिम प्राप्त किया हो। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को महालेखाकार राजस्थान तथा मुख्य पैंशन अधिकारी राजस्थान को उन राज्य-कर्मचारियों के नाम की एक सूची अनिवार्यतः भेजी जावेगी जिन्होने राज्य सरकार से भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिम प्राप्त किया है तथा जो आगामी एक वर्ष में सेवा-निवृत होने को हों ताकि महालेखाकार उन कर्मचारियों के अग्रिमो के लेखो के लेजर्स समय पर पूर्ण कर लेवें जिनके आधार पर वह "कुछ बकाया नही" प्रमाण-पत्र मुख्य पैंशन अधिकारी राजस्थान को सीधे ही भेज सकें और उसकी सूचना सबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा राज्य-कर्मचारी को भेजी जा सके। ऐसे मामले में जहा दीर्घ अवधि वाले अग्रिमो जैसे भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिमों के सम्बन्ध मे "कुछ बकाया नही" प्रमाण पत्र महालेखाकार राजस्थान द्वारा मुख्य

राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन

दिनांक 12-9-1974 के आदेशों के अनुच्छेद 2 (vii) (बी) को निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा:—

"2 (vii) (बी), समर्पित किये गये अवकाश का अवकाश वेतन उस मासिक वेतन की दर के आधार पर चलाया जायेगा जो एक कर्मचारी उपार्जित-अवकाश पर प्रस्थान करने के दिन से तुरन्त पूर्व आहरित (प्राप्त) कर रहा था। समर्पित अवकाश के बदले भुगतान के प्रयोजनार्थ अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिये एक माह बराबर 30 दिन का माना जायेगा। समर्पित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना एवं भुगतान संलग्न परिशिष्ट में दिये गये दृष्टान्तों के आधार पर किया जायेगा।

वित विभाग के 12-9-74 के आदेश के अनुच्छेद —

2 (viii), 2 (xi), 2 (xii) तथा 2 (xiii) में जहाँ-2 "30 दिन" का उल्लेख है वहाँ-2 (जहाँ जहाँ पर) "15 दिन" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[वि. विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (38) वित्त (ग्रुप-2) 65-II दिनांक 25-10-79 द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रति-स्थापित]

दृष्टान्त-1: उपार्जित अवकाश के वास्तविक उपभोग की अवधि 1-3-1980 से 15 मार्च 1980 अर्थात 15 दिन है।

(1) अवकाश वेतन की दर — 450/–मासिक

(2) 30 दिन समर्पित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन की दर — 450/–मासिक

(3) 20 दिन के समर्पित किये गये उपार्जित अवकाश का अवकाश वेतन — 300/–मासिक

दृष्टान्त 2:—वास्तव में उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की अवधि 1-2-1980 से 15-2-1980 (15 दिवस) है।

(1) अवकाश वेतन की दर — 450/–मासिक

(2) 30 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर उसके एवज में अवकाश वेतन की दर — 450/– ,,

(3) 20 दिवस के समर्पित उपार्जित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन — 300/– ,,

दृष्टान्त 3:—उपार्जित अवकाश के उपभोग की वास्तविक अवधि 20-6-1980 से 4-7-1980 (15 दिवस) है।

(1) अवकाश वेतन की दर — 450/–मासिक

(2) 30 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर उसके एवज में अवकाश वेतन की दर — 450/–मासिक

(3) 20 दिवस के समर्पित उपार्जित अवकाश पर भुगतान — 300/–मासिक

दृष्टान्त 4:—उपार्जित अवकाश के उपभोग की वास्तविक अवधि 5-9-1980 से 19-9-1980 (15 दिवस) है।

(1) अवकाश वेतन की दर 450/—मासिक

(2) 30 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण करने पर उसके एवज मे अवकाश वेतन की दर 450/—मासिक

(3) 20 दिवस के उपार्जित-अवकाश के समर्पित करने पर अवकाश वेतन 300/—मासिक

अवकाश वेतन के साथ देय भत्ते आदि की फलावट उक्त प्रकार ही की जावेगी।

[आदेश क्रमांक एफ 1 (38) वित्त (ग्रुप-2) 65-II दि. 25-10-1979 के साथ संलग्न परिशिष्ट]

(5) पेंशन कार्य महालेखाकार राजस्थान से लेने के संदर्भ में संशोधन—

(1) निम्न-अंकित समस्त संशोधन दिनांक 1-12-1979 से प्रभावी माने जावेगे।

(2) राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I भाग–बी मे जिन-2 नियमों के अन्तर्गत टिप्पणियों, आडिट निर्देशनों एव राजकीय निर्णयों में "महालेखाकार" अथवा "महालेखाकार राजस्थान" शब्द अंकित है, उनके स्थान पर "मुख्य पेंशन अधिकारी, राजस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(3) वर्तमान नियम 279 (2) के स्थान पर निम्न-प्रतिस्थापित किया जावेगा।

"(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ग्रेच्युटी का तात्पर्य मृत्यु-एव-सेवा निवृत्ति-उपदान (ग्रेच्युटी) से है जिसमें सेवा उपदान भी, यदि कोई हो, सम्मिलित माना जावेगा तथा मुख्य पेंशन अधिकारी का तात्पर्य मुख्य पेंशन अधिकार राजस्थान से होगा।"

(4) राजस्थान सेवा नियम 278, 280, 281, 283, 286, 286 (ए), 287, 290 से 292, 294, 312 से 314 (क), 320, 321, 322, 326, 329, 330, 331, 333, 335 तथा 336में "महालेखाकार राजस्थान", "आडिट-अधिकारी" तथा "लेखाधिकारी" शब्द जहा-2 प्रयुक्त हुए है उन सबके स्थान पर "मुख्य पेंशन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(5) सेवा नियम 295 (2) में उप-अनुच्छेद (iii) के बाद एक नया उप-अनुच्छेद (iv) निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा:—

(iv) महालेखाकार राजस्थान जयपुर:—"कुछ बकाया नही" प्रमाण-पत्र केवल उस राज्य-कर्मचारी के संबंध में ही प्राप्त किया जावेगा जिसने सरकार से भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिम प्राप्त किया हो। इन प्रयोजनार्थ प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को महालेखाकार राजस्थान तथा मुख्य पेंशन अधिकारी राजस्थान को उन राज्य-कर्मचारियो के नाम की एक सूची अनिवार्यतः भेजी जावेगी जिन्होंने राज्य सरकार से भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिम प्राप्त किया है तथा जो आगामी एक वर्ष में सेवा-निवृत्त होने को हो ताकि महालेखाकार उन कर्मचारियो के अग्रिमों के लेखो को लेखों समय पर पूर्ण कर लेवें जिनके आधार पर वह "कुछ बकाया नही" प्रमाण-पत्र मुख्य पेंशन अधिकारी राजस्थान को सीधे ही भेज सकें और उसकी सूचना संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा राज्य-कर्मचारी को भेजी जा सके। ऐसे मामले मे जहा दीर्घ अवधि वाले अग्रिमो जैसे भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिमों के सम्बन्ध मे "कुछ बकाया नही" प्रमाण पत्र महालेखाकार राजस्थान द्वारा मुख्य

पैंशन अधिकारी राजस्थान को एक कर्मचारी की सेवा-निवृति की तारीख से न्यूनतम 15 दिन पूर्व तक भी नहीं भेजा जाता है तो वह मुख्य पैंशन अधिकारी यह मानकर पैंशन प्रकरण तय कर देना कि "कर्मचारी ने समस्त अग्रिम तथा उन पर देय ब्याज आदि की सब बकाया तक चुका दी है और उस कर्मचारी के विरुद्ध कुछ भी बकाया नही है।"

(6) वर्तमान सेवा नियम 293 को निम्न-प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा—

पैंशन आवेदन प्रपत्र पर मुखांकन करना

"293 (1) (i) सेवा नियम 290 के प्रावधानों के अनुसार पैंशन-पत्रादि प्राप्त होने पर मुख्य पैंशन अधिकारी उसका नियमानुसार परीक्षण करेंगे और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद पैंशन स्वीकृति का आदेश पैंशन प्रपत्र-पी-2 के भाग III में मुखांकन (एनफोर्समेंट) करेंगे। यदि पैंशन की राशि महालेखाकार राजस्थान के अंकेक्षण क्षेत्र (आडिट सर्किल) में चुकाई जानी हो तो वह (मुख्य पैंशन अधिकारी) पैंशन भुगतान आदेश तैयार कर जारी करेंगे। पैंशन का भुगतान, अन्त:कालीन पैंशन के भुगतान के बन्द होने की तारीख से, प्रभावी होगा। (अर्थात् अन्तःकालीन पैंशन देना बन्द होते ही पैंशन का नियमित भुगतान प्रारम्भ हो जावेगा) पैंशन राशि के बकायात (एरीयर्स) भी, यदि कोई हो, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अन्त:कालीन पैंशन के रूप में आहरित एवं वितरित-भुगतान की अवधि के हों, भी मुख्य पैंशन अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत किये जावेंगे।

(ii) मुख्य पैंशन अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पैंशन भुगतान आदेश, एवं उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान के लिये जारी किये जाने वाले अधिकार पत्र एव जो सेवा नियमों के इस खण्ड में निहित पैंशन नियमों के अन्तर्गत जारी होंगी, की एक प्रति सदैव एव निश्चित रूप से महालेखाकार राजस्थान जयपुर को भेजी जावेगी।

293 (2) यदि उपदान (ग्रेच्युटी) का अवशेष भुगतान उस कोषागार अथवा उप-कोषागार से चाहा जाता है, जहा से पैंशन का अंतिम रूप से भुगतान किया जाना है, तो मुख्य पैंशन अधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान के लिये, सेवा निवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध बकाया भुगतान यदि कोई हो, की राशि का समायोजन कर, यदि राज्य कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी का अवशेष भुगतान अपने कार्यालयाध्यक्ष से ही प्राप्त करने का विकल्प दिया हो, तो भी मुख्य पैंशन अधिकारी ऐसे भुगतान के लिये कार्यालयाध्यक्ष के नाम ऐसा भुगतान करने के लिये अधिकार पत्र जारी करेंगे जिसकी सूचना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी तथा कोषागार को दी जावेगी। ऐसे आदेश में उस बकाया राशि का (यदि कोई हो) उल्लेख किया जावेगा जिसका समायोजन, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी को भुगतान करने से पूर्व, अवश्य कर लिया जावेगा।

(3) पैंशन भुगतान आदेश एवं अवशेष ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश जारी करने की सूचना तुरंत ही सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को भेजी जावेगी तथा वे पैंशन-पत्रादि जो तब आवश्यक नहीं रहे हों, को भी कार्यालयाध्यक्ष को लौटा दिये जावेंगे।

(4) अन्त:कालीन पैंशन एवं अन्त:कालीन उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित कर वितरित किये गये थे, का समायोजन मुख्य पैंशन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(5) मुख्य पैंशन अधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी की अवशेष राशि के भुगतान के लिये, एक कर्मचारी को अन्त:कालीन पैंशन के भुगतान की अवधि मे प्राधिकृत किया जा सकता है बशर्ते कि ग्रेच्युटी की देय राशि का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया हो तथा सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के विरुद्ध सरकार की कोई देय राशि बकाया नही रहती हो।

(6) यदि पेंशन एवं ग्रेच्युटी की बकाया राशि का भुगतान महालेखाकार राजस्थान के अंकेक्षण-क्षेत्र से बाहर अन्य ग्राडिट सर्किल में चाहा गया हो/करना हो तो मुख्य पेंशन अधिकारी द्वारा महालेखाकार राजस्थान जयपुर को, पेंशन भुगतान ग्रादेश/ग्रेच्युटी भुगतान ग्रादेश तथा साथ में प्रपत्र-पी-2 तथा पी-3 की एक-एक प्रति एवं पेंशन ग्रेच्युटी के भुगतान के ग्रादेश (मुलाकन) तथा ग्रंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, यदि प्राप्त हो गया हो, भेज दिये जावेंगे जो उन पर ग्रागे ग्रावश्यक कार्यवाही करके ग्रन्य ग्राडिट-क्षेत्र के लेखाधिकारी के नाम पेंशन भुगतान ग्रादेश/ग्रेच्युटी भुगतान ग्रादेश ग्रादि जारी करेगा।

(7) एक सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी को उसके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ग्राहरित कर वितरित की गई ग्रन्तःकालीन पेंशन का भुगतान, मुख्य पेंशन ग्रधिकारी द्वारा ग्रंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की राशि से ग्रधिक बने (ग्रर्थात् ग्रन्तःकालीन पेंशन ग्रधिक दे दी गई हो) तो यह मुख्य पेंशन ग्रधिकारी के विवेक पर होगा कि वे ऐसी ग्रधिक चुकाई गई पेंशन की राशि की वसूली कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की ग्रवशेष राशि, यदि कोई हो, में से कर लेवें ग्रथवा उसकी वसूली कर्मचारी को भविष्य में चुकाई जाने वाली मासिक पेंशन की राशि में से कम भुगतान (शार्ट-पेमेन्ट) प्राधिकृत करके कर लेवें।

सेवा नियम 314 की वर्तमान उप-धारा (ब) को निम्न-प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा.—"(ब) मुख्य पेंशन ग्रधिकारी तब या तो एक नवीन भुगतान ग्रादेश जारी करेगा या उसी (पूर्व के) पेंशन भुगतान ग्रादेश पर भुगतान के लिये मुलाकन कर उसे नवीन/दूसरे उस कोषाधिकारी को भेज देगा जो भविष्य में पेंशन का भुगतान करेगा तथा यदि वह कोषाधिकारी ग्रन्य प्रदेश में हो तो महालेखाकार राजस्थान के माध्यम से उस प्रदेश के महालेखाकार को ऐसा करने के लिये (मुख्य पेंशन ग्रधिकारी द्वारा) कहा जावेगा।

[वि. वि, की ग्रधिसूचना क्रमांक एफ 1 (40) वित्त (ग्रुप–2)/79 दिनांक 14-11-1979 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये जो 1–12–1979 से प्रभावशील किये गये हैं।]

(6) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 110 को निम्न-प्रकार प्रति-स्थापित कियाजावेगाः—

"110 (1) ग्रध्ययन ग्रवकाश स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को, किसी ऐसे पाठ्यक्रम के ग्रध्ययन के लिये ग्रथवा वैज्ञानिक या तकनिकी प्रकृति के किसी ग्रनुसंधान के लिये स्वीकार किया जा सकता है जो ग्रवकाश स्वीकृत करने की सक्षम प्राधिकारी की सम्मति में, कर्मचारी के उस विभाग के कार्य संचालन के लिये, जनहित में, ग्रावश्यक माना जाता है। सामान्य रूप में ग्रध्ययन ग्रवकाश ऐसे कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसने 20 वर्ष ग्रथवा उससे ग्रधिक सेवा पूर्ण करली हो।

(2) उक्त उप-नियम (1) में किसी प्रावधान के होते हुए भी एक ग्रस्थाई राज्य कर्मचारी जिसने तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को भी ग्रध्ययन ग्रवकाश स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते उस कर्मचारी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा ग्रायोग के माध्यम से (जहां ग्रायोग के ग्रधिकार क्षेत्र का पद हो) की गई हो ग्रथवा जहां नियुक्ति के लिये सक्षम–प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक के ग्रन्तर्गत बनाये गये सेवा नियमों/शर्तों के ग्रनुसरण में की गई है ग्रथवा जहां कोई सेवा नियम नहीं बने हो वहां कर्मचारी कि नियुक्ति सक्षम–प्राधिकारी द्वारा, पद की शैक्षणिक योग्यताए, ग्रनुभव ग्रादि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित ग्रादेशों के ग्रनुसार की गई हो।

(3) उन ग्रस्थाई राज्य-कर्मचारियों को जिन्होने तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो किन्तु जो उक्त उप-नियम (2) की ग्रन्य शर्तें पूर्ण नहीं करते हों, उन्हें राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) के प्रावधानों में शिथिलता करते हुऐ दो वर्ष तक का ग्रसाधारण-ग्रवकाश, ऐसे उच्च शिक्षा/ग्रध्ययन पाठ्यक्रम के ग्रध्ययन के लिये, जिसे जनहित में ग्रावश्यक प्रमाणित कर दिया जावे, स्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या 1:—अभियान्त्रिकी (इंजिनियरिंग) के किसी भी अनुभाग में कार्यरत डिप्लोमा धारक राज्य कर्मचारियों को उक्त नियम के उप-नियम (1) तथा (2) के अन्तर्गत देय एवं स्वीकार्य 24 माह का अध्ययन अवकाश तथा साथ मे एक वर्ष की सीमा तक अन्य प्रकार के देय एवं स्वीकार्य अवकाश, अभियांत्रिकी में डिग्री (सनद्) प्राप्त करने के लिये स्वीकार कर दिये जावें। जहां एक कर्मचारी को अन्य प्रकार के अवकाश देय एवं स्वीकार्य नही हों वहां उक्त प्रयोजन के लिये 24 माह के देय एवं स्वीकार्य अध्ययन अवकाश के साथ एक वर्ष का असाधारण–अवकाश दे दिया जावे।

(2) अभियान्त्रिकी के किसी भी अनुभाग में कार्यरत अस्थाई सेवा के डिप्लोमा-धारक जिन्होंने तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो किन्तु जो उक्त टिप्पणी क्रमांक (1) के प्रावधानों से आवृत्त नहीं होते हों, उन्हे राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) के प्रावधानों को शिथिल करते हुए, किसी विश्व विद्यालय से अभियान्त्रिकी में डिग्री (सनद्) प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष तक का असाधारण–अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे।"

(I) वर्तमान सेवा नियम 110 के अन्तर्गत विद्यमान अपवाद संख्या (1) तथा (2) को लोपित किया जावेगा।

(II) सेवा नियम 111 तथा उसके अन्तर्गत टिप्पणी को लोपित किया जावेगा।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (44) वित्त (ग्रुप-2) I/79 दिनांक 24–12–1979 द्वारा उक्त समस्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से जारी किये गये हैं।]

राजस्थान सेवा नियम

राजस्थान सरकार

(वित्त विभाग)

जयपुर दिनांक 23 मार्च, 1951

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राजप्रमुख सहर्ष राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को शासित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

खण्ड—एक

अध्याय 1

नियम 1:—ये नियम राजस्थान सेवा नियम कहलावेंगे तथा ये नियम 1–4–1951 से प्रभावशील होंगे।

टिप्पणी:–1–4–1951 को अवकाश पर होने वाले कर्मचारी पर ये नियम उसके अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

प्रभावशीलता की सीमा

नियम 2:—ये नियम निम्नअंकितों पर लागू होंगे:—

(i) उन समस्त व्यक्तियों पर जो 7–4–1949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा उसके प्रशासनिक नियंत्रण में अथवा सरकार से सम्बन्धित पदों या सेवाओं में नियुक्त किये गये हों।

(ii) उन समस्त व्यक्तियों पर जो उक्त दिनांक को या उसके बाद राज्य में विलीन हुए देशी राज्यों की सेवाओं से राजस्थान राज्य मे, एकीकरण के फलस्वरुप, ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किये गये हों।

(iii) उन समस्त व्यक्तियों पर जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा या किसी विलीन हुई देशी राज्य की सरकार द्वारा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिनके साथ हुए अनुबन्ध की शर्तों में सेवा सम्बन्धी मामलों का स्पष्ट प्रावधान नही किया गया हो।

परन्तु उक्त-खण्ड (ii) में उल्लखित कर्मचारी इन नियमों के प्रभावशील होने के दो माह में या एकीकरण के फलस्वरूप की गई उसकी नियुक्ति से, इनमें से जो भी शीघ्र हो, अपनी सेवा निवृत्ति के लिये आवेदन कर सकता है। तब उसे पेंशन अथवा ग्रेच्युएटी इन नियमों से पूर्व में प्रभावी नियमों के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

टिप्पणीः—उक्त परन्तुक मे उल्लिखित 2 माह की अवधि कर्मचारी के अभ्यावेदन को अन्तिम रू निपटाने की तारीख से लागू मानी जावेगी ।

यह भी प्रावधान है कि ये नियम निम्न-अंकित पर लागू नहीं होंगेः—

(अ) उन अधिकारियों पर जो केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य प्रादेशिक सरकार से इस रा मे प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हों । उनकी सेवाओं का नियमन उनकी मूल नियुक्ति के समय उनके य प्रभावी सेवा नियमों से होगा ।

(आ) राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर ।

(इ) राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर, जिन सेवाओं का नियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के उपखंड (2) तथा अनुच्छेद 238, दो साथ पठित, के अन्तर्गत बनाये सेवा नियमों से होगा, या

राजकीय निर्णय—न्याय विभाग के आदेश क्रमांक एफ 34 (2) जुडी/51 दिनांक 24-4-1951 द्वा ये नियम 1-4-1951 से ही उक्त पर लागू कर दिये गये हैं ।

(ई) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यो पर जिनकी सेवाओं का नियम संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये नियमों से होगा ।

(उ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर, उन मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार द्वा बनाये नियमो में प्रावधान हो ।

(ऊ) अन्य-प्रभार मद (कन्टिनजेंसी) से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारीगणों पर ।

(ए) कार्य-दत्त (वर्कचार्ज) कर्मचारीगण, अर्थात् वे व्यक्ति जो नियमित संस्थापन पर न है और जिन्हें कार्यो के लिए, कार्यो के संधारण के लिये, राजकीय व्यापार योजनाओं में अथवा ऐ ही अन्य योजनाओं के लिये स्वीकृत प्रावधानों से भुगतान किया जावे । ऐसे व्यक्तियों को वेतन भुगतान "अधिकारियों के वेतन" या "कर्मचारियों के वेतन" नामक विनियोजन की इकाइयों बजाय "अन्य प्रभार" मद में किया जाता है ।

(ऐ) ऐसे व्यक्तियो पर भी ये नियम लागू नही होते जिनकी नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों नियमित करने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक अथवा किसी अन्य कानून नियमो, जो उन पर लागू हो, के अन्तर्गत विशिष्ट या प्रथक से नियम बना दिये गये हों जिनमें इ नियमों जैसी सेवा शर्तो का उल्लेख कर दिया गया हो ।

(ओ) ऐसे व्यक्तियो को जिनका वेतन राज्य की संचित निधि के बजट मद की विनियोग इकाइयों "अधिकारियों का वेतन" एव "कर्मचारियों का वेतन" से चुकारा होता हो किन्तु साथ जिन्हें औद्योगिक परिवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के अनुसार "कामगार" की प भाषा में माना जावे, पर भी ये नियम लागू नहीं होगे । केवल उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों आवृत्त व्यक्तियों के मामलो मे निम्नअंकित नियमों को छोड़करः—

(1) मानदेय की स्वीकृति के संबंध में नियम 43 (सी) एवं (डी)
(2) अध्याय–6–नियुक्तियो का संयोजन
(3) अध्याय–10–एवं 11–अवकाश
(4) अध्याय–13–वैदेशिक सेवा
(5) अध्याय–14–स्थानीय निधि के अन्तर्गत सेवा

निर्देशन:—सरकार के विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें श्रौद्योगिक परिवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (एस) के अनुसार "कामगार" माना जाता है, पर इन नियमो के बहुत से प्रावधान, विशेषकर अवकाश स्वीकृति के मामले, लागू नहीं होते हैं। तदनुसार राज्य कर्मचारी जो इन नियमों के नियम 2 (i) के प्रावधानो से आवृत्त होते है, वे फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के अध्याय–8 के प्रावधानो के अनुसार वेतन सहित अवकाश प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार ने फैक्ट्रीज नियम, 1951 बनाकर उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी कर दिया है और इन नियमों के अध्याय-8 मे वेतन सहित अवकाश स्वीकृत करने तथा उनकी निर्धारित प्रपत्रों में पंजिका आदि रखने का विस्तृत उल्लेख कर दिया है।

विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष जिन्हें किसी राजकीय औद्योगिक संस्थान के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जैसे राजस्थान राज्य कैमिकल वर्क्स डीडवाना, राजकीय ऊन मिल, बीकानेर, राजकीय मुद्रणालय, आयुर्वेदिक रसायन शालाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एव पथ तथा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान भूजल मण्डल, कृषि एवं मोटर गैरेज विभाग, सिचाई परियोजना, चम्बल परियोजनाएं, राजस्थान नहर परियोजना इत्यादि, तथा अन्य इसी प्रकार के राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानो, जिनको राजस्थान फैक्ट्रीज अधिनियम मे "ओकुपायर" अथवा "मैनेजर" परिभाषित किया गया है। ऐसे विभागाध्यक्षो अथवा कार्यालयाध्यक्षो से निवेदन किया जाता है कि वे राजस्थान फैक्ट्रीज नियम, 1951 के "कामगारों" को वेतन सहित अवकाश आदि देने सम्बन्धी प्रावधानो को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करे ताकि ऐसे राजकीय औद्योगिक संस्थानो के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो। जिन राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों को अभी तक फैक्ट्रीज नियमो के अनुसार "ओकुपायर" या "मैनेजर" नियुक्त नही किया गया है, उनको अपने प्रशासनिक विभागों को तुरन्त लिखना चाहिये।

जिन औद्योगिक विभागो में पूर्णकालिक "श्रम कल्याण अधिकारी" या "कार्मिक अधिकारी" हैं वहा यह कार्य उनको सौपा जा सकता है ताकि वे इस नई प्रणाली को तुरन्त लागू कराने में सहायक हों। फैक्ट्रीज अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये नियमो के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यदि कोई कठिनाई अथवा समस्या हो तो, मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स, राजस्थान, जयपुर अथवा फैक्ट्री निरीक्षक अथवा श्रम आयुक्त से, जैसी भी आवश्यकता हो, सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—नियम 2 के उपखण्ड (ii) में सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में या उसके कार्य से संबधित एक पद पर अन्त:कालीन (प्रोविजनल) नियुक्ति (या उस पर निरन्तर रहना) भी सम्मलित हैं। ऐसे पद पर नियुक्ति चाहे राजस्थान के एकीकरण की तारीख के बाद एकीकरण के फलस्वरुप की गई हो अथवा ऐसा पद चाहे एकीकरण के कारण या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व ही किसी विभाग अथवा सेवा में सृजित हुवा हो।

उक्त नियम के परन्तुक में उल्लिखित विकल्प (आप्शन) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका इन सेवा नियमो के अन्य पक्षों से कोई सबध नही है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सरकार के उक्त निर्णय संख्या (1) द्वारा नियम 2 (ii) तथा उसके अधीन परन्तुक की प्रभावी सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है। यह वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-1951 (नियम 2 के अधीन टिप्पणी) को निरस्त नही करता है तथा यह टिप्पणी उन कर्मचारियों से संबंध रखती है जो एकीकृत सेवा मे अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन करते हैं।

[वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 35 (2) आर/52 दिनांक 29–2–1952]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—राजस्थान सेवा नियम 2 (ii) एवं उसके परन्तुक द्वारा दिये गये विकल्प को लागू करने के सबंध मे और सन्देह व्यक्त किये गये है। राज्य सरकार ने इस पर विचार कर लिया है और निर्णय किया है कि इस परन्तुक (प्रोवीजो) को रखने का उद्देश्य राजस्थान सेवा नियमों को उन सब पर अनिवार्य रुप से लागू किया जाना है जो राज्य की सेवाओ मे एकीकरण के फलस्वरुप मूल नियुक्ति स्वीकार करते है। जो कोई इन नियमो को स्वीकार करना नहीं चाहे, वह परन्तुक मे दिये गये विकल्प का उपयोग कर, सेवा निवृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राजस्थान सरकार के निर्णय सख्या-(1) में यह उल्लेख है कि कोई राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमो के नियम 2 (ii) के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता है तो उसे सेवा निवृत्ति, क्षति-पूरक पैंशन के रूप मे, उन नियमो के अनुसार दी जायेगी जो उस पर पूर्व मे लागू होते थे। ऐसी ही परिस्थितियो मे उन राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध मे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो जोधपुर राज्य के अशदायी भविष्यनिधि नियमो से, पैंशन के स्थान पर, नियमित होते है।

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रकरण अंशदायी भविष्यनिधि नियमो के अनुसार तय किये जायेगे तथा यह माना जावेगा कि सस्थापन मे कटौती के कारण इन व्यक्तियो को सेवा-निवृत्ति या सेवा-मुक्ति दी गई है।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—भूतपूर्व जोधपुर राज्य के कुछ कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के प्रकाशित होने की दिनाक 1-4-51 या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की आयु के हो जाने के कारण (राजस्थान सेवा नियमो के नियम 2 के परन्तुक के अनुसार नही) सेवा से निवृत्त हो चुके थे, किन्तु उनके सेवा-निवृत्त होने से पूर्व उनके विभाग का अन्तिम रूप से एकीकरण नही हुआ था। चूकि सबधित राज्य-कर्मचारियो ने भूतपूर्व देशी राज्य के नियमो के अनुसार सेवा-निवृत्त होने के अपने विकल्प का प्रयोग नही किया था। अतः उनके सेवा निवृत्ति के मामले राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार नियमित किये जाने चाहिये।

नियम 3:—वित्त विभाग की सहमति के विना इन नियमों के अन्तर्गत किसी शक्ति/अधिकार का प्रयोग/प्रत्यायोजन नहीं किया जावे। वित्त विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा यह निर्धारित कर दे कि किन-किन मामलों मे उसके द्वारा सहमति दी हुई मानली जावेगी तथा किन किन मामलों मे उसकी सहमति लेने के बाद मामले संबंधित विभाग द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किये जावेगे।

वित्त विभाग की सहमति के लिये प्रेषित किये जाने वाले प्रकरण

यह देखा गया है कि सामान्यतः प्रशासनिक विभाग अपनी ओर से बिना समुचित परीक्षण किये ही मामलों को वित्त विभाग मे भिजवा देते है। साधारणतया केवल निम्नप्रकार के मामले ही वित्त (नियम) विभाग को भेजे जाने चाहियें:—(1) ऐसे मामले जिनमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो अथवा (2) ऐसे मामले जिनमें किन्ही नियमो की व्यवस्था करनी हो।

उपरोक्त वर्णित मामलो के अलावा अन्य मामलों को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा ही जाचा जाना चाहिये तथा उसके द्वारा ही उन पर, नियमो के अनुसार, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये, निर्णय लिये जाने चाहिये। अतः ऐसे मामलो को वित्त विभाग को भेजना आवश्यक नही है। किन्तु इसका पालन नही किया जाता है जिसके फलस्वरूप अनेकों मामले अनावश्यक रूप से वित्त विभाग की सम्मति हेतु भेजे जा रहे है। इतना ही नही मामलों को भेजते समय प्रशासनिक विभाग न तो विस्तृत टिप्पणी देते हैं, जिससे उन विन्दुवो की जानकारी हो जिन पर वित्त विभाग की सम्मति चाही गई है, और न ही ये विभाग

अपनी स्वय की सम्मति व्यक्त करते है। इस प्रकार वित्त विभाग का पर्याप्त समय तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात करने में, अपनी सम्मति देने से पूर्व, लग जाता है।

अब भविष्य मे वित्त विभाग ऐसे किसी मामले पर विचार नही करेगा और न ही सम्मति देगा जिसके साथ प्रशासनिक विभाग स्पष्ट रूप से निम्न-अंकित सूचना नही भेजेगा।

(1) एक स्वयपूरित टिप्पणी, जिसमे सम्पूर्ण तथ्यो का विवरण एव वित्त विभाग की कार्यवाही के लिये बिन्दु बताये हो।

(2) सम्बन्धित नियमो का उल्लेख तथा पूर्व मे निर्णित ऐसे मामलो की जानकारी के साथ प्रशासनिक की सम्मति।

(3) जहा प्रशासनिक विभाग उनको दिये गये अधिकारों के अधीन अपने स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा करने को सक्षम हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजने का औचित्य।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ (1) 48 वि.वि./नियम/72 दिनांक 30-10-1972]

नियम 4:—सरकार इन नियमों के प्रावधानो को, किसी ऐसे नियम या आदेश के द्वारा, अपने अधिकारों की सीमाओ में रहते हुए, जैसा उसे न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत हो, शिथिल (रिलेक्स) कर सकेगी।

भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक (प्रोवीजो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्य प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं:—

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम-4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के है एवं जो 58 के स्थान पर 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किये जाने के परिणाम-स्वरूप 1-7-1967 से सेवा निवृत्त होते हों, उनकी निम्नलिखित रूप मे काल्पनिक (नोशनल) सेवा के अतिरिक्त वर्षों को ध्यान मे रख कर 1-7-67 को प्रभावी नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के लाभो को स्वीकृत किया जायेगा:—

(1) सेवा निवृत्ति लाभों को पैंशन योग्य सेवा में तीन वर्ष काल्पनिक सेवा के रूप में जोड़कर बढ़ाया जाना चाहिये।

(2) काल्पनिक सेवा की उस वृद्धि को जोड़ने पर कर्मचारी की कुल सेवा अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नहीं होगी जिसका सम्बन्धित कर्मचारी 58 वर्ष की आयु मे सेवा निवृत्त होने पर, अधिकारी हो सकता था।

(2) उपरोक्त अनुच्छेद-1 के अनुसार सेवा निवृत्ति लाभो के लिये पैंशन योग्य सेवा जहा बढा दी गई है वहा नियम 250, नियम 250 (क) के साथ पठित में परिभाषित "कुल वेतनादि" (टोटल इमोल्यूमेन्टस) जो राज्य कर्मचारियो को 1 जुलाई, 1967 से तुरन्त पूर्व में प्राप्त हो रहे थे, अतिरिक्त काल्पनिक सेवा (ऐडिशनल नोशनल सर्विस) की अवधि मे उनके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जायेगी (यद्यपि उन्होने वास्तव में वह प्राप्त नही किया) तथा नियम 251 के अनुसार "औसत कुल वेतनादि" की गणना उक्त प्रकार बताई गई काल्पनिक "कुल वेतनादि" की राशि के आधार पर की जायेगी।

(3) उपरोक्त अनुच्छेद–2 में वर्णित किसी प्रावधान के होते हुए राज्य कर्मचारी की पैंशन 1 जुलाई, 1967 के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में उस द्वारा वास्तव मे प्राप्त "वेतनादि" के आधार पर निश्चित की जायेगी यदि वे वेतनादि उपरोक्त अनुच्छेद-2 के अनुसार फलावट की गई वेतनादि की राशि से अधिक लाभप्रद हों।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—राजस्थान सेवा नियम 2 (ii) एवं उसके परन्तुक द्वारा दिये गये विकल्प को लागू करने के संबंध में और सन्देह व्यक्त किये गये है। राज्य सरकार ने इस पर विचार कर लिया है और निर्णय किया है कि इस परन्तुक (प्रोवीजो) को रखने का उद्देश्य राजस्थान सेवा नियमों को उन सब पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है जो राज्य की सेवाओं में एकीकरण के फलस्वरूप मूल नियुक्ति स्वीकार करते है। जो कोई इन नियमों को स्वीकार करता नही चाहे, वह परन्तुक में दिये गये विकल्प का उपयोग कर, सेवा निवृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या-(1) मे यह उल्लेख है कि कोई राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमो के नियम 2 (ii) के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता है तो उसे सेवा निवृत्ति, क्षति-पूरक पेंशन के रूप मे, उन नियमों के अनुसार दी जायेगी जो उस पर पूर्व मे लागू होते थे। ऐसी ही परिस्थितियो मे उन राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध मे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो जोधपुर राज्य के अंशदायी भविष्यनिधि नियमो मे, पेंशन के स्थान पर, नियमित होते हैं।

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रकरण अंशदायी भविष्यनिधि नियमों के अनुसार तय किये जायेंगे तथा यह माना जावेगा कि सस्थापन मे कटौती के कारण इन व्यक्तियो को सेवा-निवृत्ति या सेवा-मुक्ति दी गई है।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—भूतपूर्व जोधपुर राज्य के कुछ कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमो के प्रकाशित होने की दिनाक 1-4-51 या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की आयु के हो जाने के कारण (राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के परन्तुक के अनुसार नही) सेवा से निवृत्त हो चुके थे, किन्तु उनके सेवा-निवृत्त होने से पूर्व उनके विभाग का अन्तिम रूप से एकीकरण नही हुआ था। चूंकि संबधित राज्य-कर्मचारियो ने भूतपूर्व देशी राज्य के नियमो के अनुसार सेवा-निवृत्त होने के अपने विकल्प का प्रयोग नही किया था। अतः उनके सेवा निवृत्ति के मामले राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार नियमित किये जाने चाहिये।

नियम 3:—वित्त विभाग की सहमति के बिना इन नियमों के अन्तर्गत किसी शक्ति/अधिकार का प्रयोग/प्रत्यायोजन नही किया जावे। वित्त विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा यह निर्धारित कर दे कि किन-किन मामलों में उसके द्वारा सहमति दी हुई मानली जावेगी तथा किन किन मामलो में उसकी सहमति लेने के बाद मामले संबंधित विभाग द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किये जावेंगे।

वित्त विभाग की सहमति के लिये प्रेषित किये जाने वाले प्रकरण

यह देखा गया है कि सामान्यतः प्रशासनिक विभाग अपनी ओर से बिना समुचित परीक्षण किये ही मामलों को वित्त विभाग मे भिजवा देते हैं। साधारणतया केवल निम्नप्रकार के मामले ही वित्त (नियम) विभाग को भेजे जाने चाहियें:—(1) ऐसे मामले जिनमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो अथवा (2) ऐसे मामले जिनमें रिन्हीं नियमो की व्यवस्था करनी हो।

उपरोक्त वर्णित मामलों के अलावा अन्य मामलो को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा ही जाचा जाना चाहिये तथा उनके द्वारा ही उन पर, नियमों के अनुसार, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये, निर्णय लिये जाने चाहियें। अतः ऐसे मामलों को वित्त विभाग को भेजना आवश्यक नही है। किन्तु इसका पालन नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप अनेकों मामले अनावश्यक रूप से वित्त विभाग की सम्मति हेतु भेजे जा रहे है। इतना ही नहीं मामलों को भेजते समय प्रशासनिक विभाग न तो विस्तृत टिप्पणी देते है, जिसमें उन बिन्दुओं की जानकारी हो जिन पर वित्त विभाग की सम्मति चाही गई है, और न ही ये विभाग

अपनी स्वय की सम्मति व्यक्त करते है । इस प्रकार वित्त विभाग का पर्याप्त समय तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात करने मे, अपनी सम्मति देने से पूर्व, लग जाता है ।

अब भविष्य में वित्त विभाग ऐसे किसी मामले पर विचार नही करेगा और न ही सम्मति देगा जिसके साथ प्रशासनिक विभाग स्पष्ट रूप से निम्न-अंकित सूचना नही भेजेगा ।

(1) एक स्वयपूरित टिप्पणी, जिसमे सम्पूर्ण तथ्यों का विवरण एवं वित्त विभाग की कार्यवाही के लिये बिन्दु बताये हो ।

(2) सम्बन्धित नियमो का उल्लेख तथा पूर्व मे निर्णित ऐसे मामलो की जानकारी के साथ प्रशासनिक की सम्मति ।

(3) जहा प्रशासनिक विभाग उनको दिये गये अधिकारों के अधीन अपने स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा करने को सक्षम हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजने का औचित्य ।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ (1) 48 वि.वि./नियम/72 दिनांक 30-10-1972]

नियम 4:—सरकार इन नियमों के प्रावधानों को, किसी ऐसे नियम या आदेश के द्वारा, अपने अधिकारो की सीमाओ में रहते हुए, जैसा उसे न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत हो, शिथिल (रिलेक्स) कर सकेगी ।

भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक (प्रोवीजो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्य प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं:—

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम-4 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के है एवं जो 58 के स्थान पर 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किये जाने के परिणाम-स्वरूप 1-7-1967 से सेवा निवृत्त होते हों, उनकी निम्नलिखित रूप मे काल्पनिक (नोशनल) सेवा के अतिरिक्त वर्षों को ध्यान मे रख कर 1-7-67 को प्रभावी नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के लाभो को स्वीकृत किया जायेगा:—

(1) सेवा निवृत्ति लाभों को पैंशन योग्य सेवा मे तीन वर्ष काल्पनिक सेवा के रूप में जोड़कर बढ़ाया जाना चाहिये ।

(2) काल्पनिक सेवा की उस वृद्धि को जोडने पर कर्मचारी की कुल सेवा अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नही होगी जिसका सम्बन्धित कर्मचारी 58 वर्ष की आयु मे सेवा निवृत्त होने पर, अधिकारी हो सकता था ।

(2) उपरोक्त अनुच्छेद-1 के अनुसार सेवा निवृत्ति लाभो के लिये पैंशन योग्य सेवा जहां बढ़ा दी गई है वहा नियम 250, नियम 250 (क) के साथ पठित में परिभाषित "कुल वेतनादि" (टोटल इमोल्यूमेन्टस) जो राज्य कर्मचारियो को 1 जुलाई, 1967 से तुरन्त पूर्व में प्राप्त हो रहे थे, अतिरिक्त काल्पनिक सेवा (ऐडिशनल नोशनल सर्विस) की अवधि मे उनके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जायेगी (यद्यपि उन्होने वास्तव मे वह प्राप्त नही किया) तथा नियम 251 के अनुसार "औसत कुल वेतनादि" की गणना उक्त प्रकार बताई गई काल्पनिक "कुल वेतनादि" की राशि के आधार पर की जायेगी ।

(3) उपरोक्त अनुच्छेद-2 मे वर्णित किसी प्रावधान के होते हुए राज्य कर्मचारी की पैंशन 1 जुलाई, 1967 के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों मे उस द्वारा वास्तव में प्राप्त "वेतनादि" के आधार पर निश्चित की जायेगी यदि वे वेतनादि उपरोक्त अनुच्छेद-2 के अनुसार फलावट की गई वेतनादि की राशि से अधिक लाभप्रद हों ।

(4) यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1967 से प्रभावी होंगे। अन्य प्रकार से निर्णय किये गये मामलों पर भी पुनः विचार किया जायेगा तथा उन्हें इन आदेशों के आधार पर ही तय किये जायेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह आदेश दिया जाता है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई, 1967 को या उसके बाद किन्तु 30 जून, 1970 के पूर्व 55 वर्ष की आयु के हो जाने पर सेवा निवृत्त होते हैं/हो गये हैं, को राजस्थान सेवा नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार भुगतान, यदि पैंशन राशि अथवा ग्रेज्यूटी की राशि, उन पैंशन सम्बन्धी लाभों की राशि से कम आती हो जो यदि वह कर्मचारी दिनांक 1 जुलाई, 1967 को सेवा निवृत्त हो तो उसे उक्त राजकीय निर्णय संख्या–3 के अनुसार स्वीकार होती, तो उसे इन आदेशों के अनुसार पैंशन एवं ग्रेज्यूटी की फलावट का लाभ दिया जाय।

इस आदेश के जारी किये जाने से पूर्व अन्यथा प्रकार से निपटाये गये पैंशन के मामलो पर पुनः विचार किया जायेगा तथा उन्हे इन आदेशों के अनुसार तय किया जायेगा।

[अधिसूचना एफ. 1 (42) (वित्त-व्यय) नियम 67-II दिनांक 30–9–1967 द्वारा जोड़ा गया]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप जो कर्मचारी 1-12-1969 को 58 वर्ष या इससे अधिक की आयु के हो गये है उन्हें उक्त तारीख से सेवा से निवृत्ति दे दी गई। चू कि इन कर्मचारियो को सेवा निवृत्ति से पूर्व देय अवकाश के लिये आवेदन करने का पर्याप्त समय नही मिल पाया जिसके कारण उन्हे अवकाश का उपभोग करने से वचित कर दिया गया था। अतः राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे कर्मचारियो को अवकाश सम्बन्धी निम्न-लिखित सुविधाएं प्रदान की जायें:—

(1) राज्य कर्मचारी जिनके अवकाश लेखों मे 1-12-1969 से तुरन्त पूर्व जितना उपार्जित अवकाश शेष है, वह उस अवकाश के लिये आवेदन करेगा। आवेदित अवकाश को नियम 89 में शिथिलता देते हुए अधिकतम 120 दिन की सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप मे माना जायेगा। अस्वीकृत अवकाश की स्वीकृति इस शर्त पर ही दी जायेगी कि वह उस दिनाक से आगे का नही होगा जिसको सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे।

(2) उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो, जो दिनाक 1-12-69 के बाद 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते हैं/हुए हैं, को बकाया एवं आवेदित अवकाश निम्न-अंकित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है।

(क) दिनाक 1 दिसम्बर, 1969 या उसके बाद 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नही होगा तथा जिसे वह सेवा-निवृत्ति की तारीख तक समान्य रूप में अर्जित कर सकता था, उसमे से उसके द्वारा वास्तव मे उपभोग किये, सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश काल, को काट कर, अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनाक 1 जनवरी, 1970 या उसके आगे किन्तु 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के मामलों मे, सेवा निवृत्ति से पूर्व बकाया उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जावेगा। किन्तु उसमे से 31 दिसम्वर 1969 तक वास्तव मे उपभोग किया गया, सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश काल को तथा 1 जनवरी, 1970 से उसके सेवा निवृत्त होने की तुरन्त पूर्व की दिनांक तक कि अवधि को कम कर दिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त अनुच्छेद (1) व (2) के अनुसार स्वीकार्य अवकाश वेतन नियम 89 के आधार पर किया गया स्पष्टीकरण (जो वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 1 (48) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15 जुलाई, 1967 द्वारा जोडा गया था) के अनुसार निकाला जायेगा तथा प्रत्येक माह के अन्त में ऐसा अवकाश वेतन मुगतान योग्य होगा। जहां पैंशन अथवा ग्रेज्यूटी के समस्त लाभों का ज्ञान नही हो वहा अवकाश वेतन का मुगतान सामान्य रूप से किया जायेगा तथा अधिक मुगतानों को पैंशन अथवा ग्रेज्यूटी अथवा अन्य सेवा निवृत्ति के लाभों मे से, जब वो स्वीकृत किये जाय, उस समय काट लिया जायेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये की अवकाश वेतन का अधिक मुगतान वसूल किया जा सकता है, आहरण एव वितरण अधिकारी पैंशन सम्बन्धी पत्रादि के साथ सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को मुगतान की गई अवकाश वेतन की राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार पर महालेखाकार अधिक राशि को देय पैंशन राशि से वसूल करने के लिये एक टिप्पणी अंकित करेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति लाभ:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा का राज्य कर्मचारी जो दिनाक 1 दिसम्बर, 1969 तक पैंशन योग्य आयु प्राप्त करके सेवा-निवृत्त होता है उसे काल्पनिक सेवा (नोशनल सर्विस) के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने बाद सेवा निवृत्ति के समय प्रभावी नियमो के अनुसार जो लाभ दिया जायेगा वह निम्न-प्रकार होगा:—

1. पशन नियमों द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये:—

(1) सेवा निवृत्ति लाभों के लिये पैंशन योग्य सेवा को दो वर्ष बढाया जाना चाहिये।

(2) उक्त प्रकार काल्पनिक सेवा जोडने पर सेवा की कुल अवधि किसी भी दशा में उस अवधि से अधिक नही होगी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 60 वर्ष की आयु का होने पर सेवा-निवृत्त होने के कारण, गणना करा सकता था।

(3) जहा सेवा निवृत्ति लाभों के लिये पैंशन योग्य सेवा उक्त (1) अथवा (2) के अनुसार बढाई जाय वहा राजस्थान सेवा नियम 250 (ख) मे परिभाषित 'कुल वेतनादि' की राशि जो कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था को उक्त नियमों के नियम 251 के अनुसार अतिरिक्त काल्पनिक सेवा की अवधि में कर्मचारी द्वारा प्राप्त की हुई मानी जायेगी (यद्यपि वास्तव में वह प्राप्त नही की गई) तथा नियम 251 के अनुसार "औसत वेतनादि" की राशि उक्त काल्पनिक वेतनादि की राशि के आधार पर फलाई जावेगी।

(4) उपरोक्त 3 में किसी प्रावधान के होते हुए सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की पैंशन, सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों की अवधि में उस द्वारा वास्तव में प्राप्त 'वेतनादि' की राशि के आधार पर निश्चित की जायेगी यदि वह, उपर्युक्त (3) के अनुसार, स्वीकार्य पैंशन से अधिक होती हो।

2. सामान्य भविष्य निधि योजना द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये:—राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा निवृत्ति के दिन जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान नियमो के अनुसार उससे काल्पनिक सेवा के अतिरिक्त वर्षो को जोड़ने के उपरान्त भविष्य निधि के लाभ निम्न-प्रकार दिये जायेगे;—

(1) राजकीय अशदान (लाभाश एव विशेष अशदान) उस राशि तक बढाया जाना चाहिये जो 5 वर्षों की अतिरिक्त काल्पनिक सेवा जोड़े जाने के बाद बनती।

(2) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार की गई वृद्धि किसी भी दशा में उस अशदान (लाभाश एवं विशेष अंशदान) से अधिक नही होगी जो वह कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने भविष्य निधि लेखे मे जमा करा सकता था।

(3) काल्पनिक अंशदान, सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के अंशदान की राशि के आधार पर, उसकी सेवा निवृत्ति के दिनाक को या उसके बाद तक भविष्य निधि मे अंशदान किये बिना ही बढ़ाया जायेगा ।

[संख्या एफ. 1 (80) वित्त (नियम) 69-I दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 द्वारा निविष्ट]

जहा सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि एक राज्य कर्मचारी या राज्य कर्मचारियो के किसी विशेष वर्ग की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम को लागू करने से किसी मामले मे अनुचित कठिनाईया उत्पन्न होती हो तो सरकार एक विशिष्ट आदेश द्वारा उस नियम को उस सीमा तक एवं ऐसी शर्तों के साथ समाप्त कर सकती है या उसमे शिथिलता कर सकती है जो उस मामले को उचित एवं न्यायोचित ढंग से निर्णित करने के लिये आवश्यक समझा जाय ।

इस नियम मे प्रयुक्त राजस्थान राज्य कर्मचारी शब्दों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी सेवा की शर्तें भारतीय सविधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार राज प्रमुख द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होती है ।

[अधिसूचना संख्या एफ 7 (5) नियम/55 दिनांक 16 जुलाई, 1955 द्वारा निविष्ट]

न्यायोचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से मामलों को निपटाने के लिये कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने वाले किसी नियम को निरस्त करने एवं उसमें शिथिलता करने की सरकार की शक्तियों से संबंधित स्पष्टीकरणः—

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवाओ में नियुक्त एवं राजस्थान राज्य के कार्यो मे लगे व्यक्तियो की नियुक्ति एव सेवा की शर्तो से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या ऐसे अधिकारियो में है जिन्हे राज्यपाल प्राधिकृत करे । यह स्वतः सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम बनाने के लिये सक्षम है वही उनमे सशोधन अथवा शिथिलन करने को सक्षम होता है । अतः उच्चतम राजकीय प्राधिकारी भी व्यक्तिगत मामलों मे कठिनाई उत्पन्न होने पर इन सेवा नियमों के प्रावधानो मे शिथिलता करने मे सक्षम है । वह ऐसे मामलो में भी शिथिलता दे सकता है जिसमें नियमों मे कठोरता के कारण किसी भी प्रकार की शिथिलता दिया जाना सम्भव नही हो ।

भारतीय सविधान मे इस प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित नही किये जाने से सन्देह उत्पन्न हो गये कि इस अन्तर्हित शक्ति (इन्हेरेन्ट-पावर) का प्रयोग राज्यपाल नही कर सकते । अतः किसी भी सन्देह को समाप्त करने के लिये तथा इससे सबधित स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करने के उद्देश्य से वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 7 (5) आर/55/ए दिनाक 16 जुलाई, 1955 द्वारा कुछ नियम बनाये है जिसमे इस बारे मे स्पष्ट प्रावधान किये गये है।

यह नियम किसी ऐसे नवीन सिद्धात का प्रतिपादन नही करता जो पूर्व में प्रचलित नही हो । केवल यह नियम उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जो पूर्व मे प्रचलित मानी जाती रही है । राज्य सरकार को किसी विशेष मामले मे न्यायोचित एवं विवेक पूर्ण ढग से, आवश्यकता होने पर किसी नियम मे शिथिलता करने की शक्ति का प्रयोग पूर्व मे केवल बहुत ही कम मामलो मे, अपवाद स्वरुप ही, किये जाने की मन्शा थी । ऐसे मामलो को निपटाते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी होती है । किसी भी मामले मे शिथिलता सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व सबधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्य विभागो, जैसे नियुक्ति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एव वित्त विभाग से तथ्यों एव परिस्थितियो के अनुसार बातों का उल्लेख करते हुए परामर्श एव सम्मति प्राप्त कर लेनी चाहिये । इसके अतिरिक्त शासन सचिवालय में इस सम्बन्ध में जो भी नियम प्रभावी हो उनकी भी पालना की जानी चाहिये ।

किसी भी मामले मे यदि सम्बन्धित विभाग एक मत हो जायं कि यह एक उचित मामला है जिसमे नियमों मे शिथिलता करने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। तब इस प्रकार की शिथिलता के कारणों को सम्बन्धित पत्रावली पर अंकित किया जाना चाहिये–किन्तु इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जो औपचारिक आज्ञा जारी की जाय उसमे इन कारणों का उल्लेख नहीं किया जाय।

यह भी ध्यान मे रखा जाय कि सरकार का कोई भी आदेश, जो किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम को निरस्त या उसमे शिथिलता देने के लिये प्रसारित किया जाता है, भारतीय सविधान की धारा 238 एवं 166 के प्रावधानो के अनुरूप राज्यपाल की आज्ञा के रूप मे प्रसारित किया जाना चाहिये।

राज्य कर्मचारियो की सेवा की शर्तो से सम्बन्धित भविष्य मे प्रसारित किये जाने वाले नियमों मे समान्य रूप से यह प्रावधान रखा जाय कि "इन नियमो मे किसी विशेष मामले मे नियमो के प्रावधानों में शिथिलता करने की शक्ति राजप्रमुख को है"। किन्तु शर्त यह है कि किसी भी मामले का निर्णय प्रावधान के प्रतिकूल अन्य प्रकार से नही किया जायेगा।

[अधिसूचना एफ. 7 (5) आर/55/ए दिनांक 16-7-1955 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णयः—यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना केवल राजस्थान सेवा नियमों एवं अन्य नियमो जैसे यात्रा भत्ता नियम, एकीकृत वेतन मान नियम, 1951, एवं नवीनीकरण वेतन मान नियम, 1956 आदि पर ही प्रभावी होगी क्योंकि ये नियम भारतीय सविधान की धारा 309 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये हैं एवं यह अधिसूचना भारतीय सविधान की धारा 309 के अन्तर्गत सरकार के नियुक्ति एवं प्रशासनिक विभागो द्वारा प्रसारित विभिन्न सेवा नियमो, जो नियुक्ति, पदोन्नति एव वरिष्ठता आदि से सम्बन्धित हैं, पर लागू नही होगी।

नियम 4-एः—राज्य सरकार वेतन एवं कार्य-भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार अपने में सुरक्षित रखती है। किसी अधिकारी के वेतन एवं कार्य भत्ते का अधिकार वेतन एवं भत्ते अर्जित करते समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। इसी प्रकार अवकाश का अधिकार अवकाश हेतु आवेदन करने एवं उसकी स्वीकृति के समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। पेंशन का अधिकार कर्मचारी/अधिकारी द्वारा त्याग-पत्र प्रस्तुत करने अथवा सेवा से मुक्त होने की दिनांक को प्रभावी नियमों से नियंत्रित होगा।

राजकीय निर्णयः—किसी विशिष्ट वाणिज्यिक विभाग मे की गई सेवा पेंशन के योग्य है अथवा नही, उन्ही नियमो द्वारा तय किया जाता है जो उसमे की गई सेवा के समय प्रभावी थे। बाद मे जिस सेवा को पेंशन के योग्य नही माने जाने के आदेश प्रसारित हुए है वे आदेश उससे पूर्व मे की गई सेवा पर लागू नही होंगे।

राजस्थान में विलीन देशी रियासतो के कर्मचारीगण जो राजस्थान सरकार की सेवा मे एकीकृत हो चुके हैं, उनके द्वारा एकीकरण से पूर्व के देशी राज्य मे स्थाई एव अस्थाई रूप मे की गई सेवा को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थाई/अस्थाई सेवा माना जायेगा। सरकार के पृथक आदेश से सरकार द्वारा जागीर/ठिकानो से लिये गये कर्मचारियो के मामले नियमित होंगे।

[आज्ञा संख्या 468 एफ. 1 (99) आर/56 दिनांक 31-8-1956 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरणः—जहा किसी देशी राज्य के नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी का कोई सेवा काल विशेष रूप से पेंशन योग्य नहीं समझा गया एव वही सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा पेंशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो वह सेवा-निम्न-प्रकार पेंशन के योग्य, समझी जायेगी:—

1. जहा देशी राज्य के नियमो के अनुसार कोई एक पद पेंशन के योग्य नही था किन्तु यदि वही पद

(3) काल्पनिक अंशदान, सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के अंशदान की राशि के आधार पर, उसकी सेवा निवृत्ति के दिनाक को या उसके बाद तक भविष्य निधि में अंशदान किये बिना ही बढ़ाया जायेगा।

[संख्या एफ. 1 (80) वित्त (नियम) 69-I दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 द्वारा निविष्ट]

जहा सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि एक राज्य कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम को लागू करने से किसी मामले में अनुचित कठिनाईया उत्पन्न होती हो तो सरकार एक विशिष्ट आदेश द्वारा उस नियम को उस सीमा तक एव ऐसी शर्तों के साथ समाप्त कर सकती है या उसमें शिथिलता कर सकती है जो उस मामले को उचित एवं न्यायोचित ढग से निर्णित करने के लिये आवश्यक समझा जाय।

इस नियम मे प्रयुक्त राजस्थान राज्य कर्मचारी शब्दो का तात्पर्य उन व्यक्तियो से है जिनकी सेवा की शर्तें भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार राज प्रमुख द्वारा बनाये गये नियमो से शासित होती है।

[अधिसूचना संख्या एफ 7 (5) नियम/55 दिनांक 16 जुलाई, 1955 द्वारा निविष्ट]

न्यायोचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से मामलों को निपटाने के लिये कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने वाले किसी नियम को निरस्त करने एवं उसमें शिथिलता करने की सरकार की शक्तियों से संबंधित स्पष्टीकरणः—

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानो के अनुसार लोक सेवाओ मे नियुक्त एवं राजस्थान राज्य के कार्यो मे लगे व्यक्तियो की नियुक्ति एव सेवा की शर्तो से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या ऐसे अधिकारियों मे है जिन्हे राज्यपाल प्राधिकृत करें। यह स्वतः सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम बनाने के लिये सक्षम है वही उनमे संशोधन अथवा शिथिलन करने को सक्षम होता है। अतः उच्चतम राजकीय प्राधिकारी भी व्यक्तिगत मामलो मे कठिनाई उत्पन्न होने पर इन सेवा नियमों के प्रावधानों में शिथिलता करने मे सक्षम है। वह ऐसे मामलो मे भी शिथिलता दे सकता है जिसमे नियमों मे कठोरता के कारण किसी भी प्रकार की शिथिलता दिया जाना सम्भव नही हो।

भारतीय सविधान मे इस प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किये जाने से सन्देह उत्पन्न हो गये कि इस अन्तर्हित शक्ति (इन्हेरेन्ट-पावर) का प्रयोग राज्यपाल नही कर सकते। अतः किसी भी सन्देह को समाप्त करने के लिये तथा इससे सबधित स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करने के उद्देश्य से वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 7 (5) आर/55/ए दिनाक 16 जुलाई, 1955 द्वारा कुछ नियम बनाये है जिसमे इस बारे मे स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

यह नियम किसी ऐसे नवीन सिद्धात का प्रतिपादन नही करता जो पूर्व मे प्रचलित नहीं हो। केवल यह नियम उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जो पूर्व में प्रचलित मानी जाती रही है। राज्य सरकार को किसी विशेष मामले मे न्यायोचित एव विवेक पूर्ण ढग से, आवश्यकता होने पर किसी नियम में शिथिलता करने की शक्ति का प्रयोग पूर्व मे केवल बहुत ही कम मामलो मे, अपवाद स्वरुप ही, किये जाने की मन्शा थी। ऐसे मामलों को निपटाते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी होती है। किसी भी मामले मे शिथिलता सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व सबधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्य विभागों, जैसे नियुक्ति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एव वित्त विभाग से तथ्यों एव परिस्थितियों के अनुसार बातो का उल्लेख करते हुए परामर्श एवं सम्मति प्राप्त कर लेनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शासन सचिवालय मे इस सम्बन्ध मे जो भी नियम प्रभावी हों उनकी भी पालना की जानी चाहिये।

किसी भी मामले मे यदि सम्बन्धित विभाग एक मत हो जाय कि यह एक उचित मामला है जिसमे नियमों मे शिथिलता करने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। तब इस प्रकार की शिथिलता के कारणो को सम्बन्धित पत्रावली पर अंकित किया जाना चाहिये-किन्तु इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जो औपचारिक आज्ञा जारी की जाय उसमें इन कारणों का उल्लेख नही किया जाय।

यह भी ध्यान मे रखा जाय कि सरकार का कोई भी आदेश, जो किसी विशिष्ट मामले मे किसी नियम को निरस्त या उसमे शिथिलता देने के लिये प्रसारित किया जाता है, भारतीय संविधान की धारा 238 एव 166 के प्रावधानो के अनुरूप राज्यपाल की आज्ञा के रूप मे प्रसारित किया जाना चाहिये।

राज्य कर्मचारियों को सेवा की शर्तों से सम्बन्धित भविष्य मे प्रसारित किये जाने वाले नियमों मे समान्य रूप मे यह प्रावधान रखा जाय कि "इन नियमों में किसी विशेष मामले में नियमो के प्रावधानों मे शिथिलता करने की शक्ति राजप्रमुख को है"। किन्तु शर्त यह है कि किसी भी मामले का निर्णय प्रावधान के प्रतिकूल अन्य प्रकार मे नही किया जायेगा।

[अधिसूचना एफ. 7 (5) आर/55/ए दिनांक 16-7-1955 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णयः—यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना केवल राजस्थान सेवा नियमों एवं अन्य नियमो जैसे यात्रा भत्ता नियम, एकीकृत वेतन मान नियम, 1951, एवं नवीनीकरण वेतन मान नियम, 1956 आदि पर ही प्रभावी होगी क्योकि ये नियम भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये हैं एवं यह अधिसूचना भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत सरकार के नियुक्ति एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रसारित विभिन्न सेवा नियमो, जो नियुक्ति, पदोन्नति एव वरिष्ठता आदि से सम्बन्धित हैं, पर लागू नही होगी।

नियम 4-ए:—राज्य सरकार वेतन एवं कार्य-भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार अपने में सुरक्षित रखती है। किसी अधिकारी के वेतन एवं कार्य भत्ते का अधिकार वेतन एवं भत्ते अर्जित करते समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। इसी प्रकार अवकाश का अधिकार अवकाश हेतु आवेदन करने एवं उसकी स्वीकृति के समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। पेंशन का अधिकार कर्मचारी/अधिकारी द्वारा त्याग-पत्र प्रस्तुत करने अथवा सेवा से मुक्त होने की दिनांक को प्रभावी नियमों से नियंत्रित होगा।

राजकीय निर्णयः—किसी विशिष्ट वाणिज्यिक विभाग में की गई सेवा पेंशन के योग्य है अथवा नही, उन्ही नियमों द्वारा तय किया जाता है जो उसमे की गई सेवा के समय प्रभावी थे। बाद मे जिस सेवा को पेंशन के योग्य नही माने जाने के आदेश प्रसारित हुए है वे आदेश उससे पूर्व मे की गई सेवा पर लागू नही होंगे।

राजस्थान मे विलीन देशी रियासतो के कर्मचारीगण जो राजस्थान सरकार की सेवा में एकीकृत हो चुके हैं, उनके द्वारा एकीकरण से पूर्व के देशी राज्य मे स्थाई एव अस्थाई रूप में की गई सेवा को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थाई/अस्थाई सेवा माना जायेगा। सरकार के पृथक आदेश से सरकार द्वारा जागीर/ठिकानो से लिये गये कर्मचारियो के मामले नियमित होंगे।

[आज्ञा संख्या 468 एफ. 1 (99) आर/56 दिनांक 31-8-1956 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरणः—जहा किसी देशी राज्य के नियमो के अनुसार किसी कर्मचारी का कोई सेवा काल विशेष रूप से पेंशन योग्य नही समझा गया एव वही सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा पेंशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो वह सेवा-निम्न-प्रकार पेंशन के योग्य, समझी जायेगीः—

1. जहा देशी राज्य के नियमों के अनुसार कोई एक पद पेंशन के योग्य नहीं था किन्तु यदि वही पद

राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार पेंशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो दिनांक 1 अप्रेल, 1951 से पूर्व की सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेंशन के योग्य नही समझा जायेगा।

2. जहां देशी राज्य के नियमो के अनुसार कोई सेवा पेंशन योग्य थी किन्तु मतस्य राज्य अथवा पूर्व के राजस्थान के नागरिक सेवा नियमों के अनुसार पेंशन के अयोग्य कर दी गई तथा पुनः राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार पेंशन के योग्य हो गई हो तो पेंशन योग्य सेवाओं के बीच के सेवा काल की पेंशन योग्य ही गिना जाना चाहिये, क्योंकि मध्यवर्ती सरकारों की ऐसी मशा नही हो सकती थी कि उन कर्मचारियों को उनकी पेंशन की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाय।

नियम 5:—शक्तियों/अधिकारों का प्रदत्तिकरणः—सरकार अपने अधिकारियों को ऐसी शर्तो के आधार पर, जिन्हे वह लगाना उचित समझे, इन नियमो के अन्तर्गत, निम्नांकित अपवादों के साथ, अपनी शक्तिया प्रदत्त कर सकती हैः-

(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां।

(ख) अन्य शक्तियां जो नियम 5, 42, 56 (क), 81, 135, 140, 148, 151 एवं 157 (ग) द्वारा प्रदत्त की गई हों।

राजकीय निर्णयः—हाल ही मे सरकार के प्रशासनिक विभागो एवं विभागाध्यक्षों को पदभार-ग्रहण करने (ज्वाईनिंग-टाइम) मे वृद्धि करने, नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा के समय को कर्त्तव्य (ड्यूटी) मानने, पुनः नियुक्ति स्वीकार करने एव आयु सीमा के प्रतिबन्ध को हटाने आदि की, कुछ सेवा नियमो से संबधित इसी प्रकार के मामलो मे, शक्तियां प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्तियों का प्रयोग आदेशो के जारी होने के दिनाक से किया जाना है या विचाराधीन मामलो में भी प्रयोग कर निपटाया जा सकता है ? प्रश्न की जाच कर ली गई है और यह आदेश दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उनके प्रदत्तिकरण से पूर्व मे उत्पन्न हुए मामलो में भी किया जा सकता है किन्तु उन मामलों में उनका प्रयोग नही किया जायेगा जो पूर्व मे ही अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गये हो या जिन्हे सक्षम-अधिकारी को पूर्व में ही विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।

[आज्ञा एफ. 16 (4) वि.वि./क/नियम/61 दिनांक 31-3-61 तथा 18-12-61 द्वारा निविष्ट]

नियम 6:—इन नियमों की व्याख्या (आशय-अभिप्राय स्पष्ट करने) का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है।

अध्याय 2

परिभाषाएँ

नियम 7:—जब तक किसी विषय या प्रसंग में अन्यथा रूप से नहीं दिया गया हो, इस अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न-प्रकार से स्पष्ट किया हुआ माना जावेगा।

नियम 7 (1) आयु:—जब किसी राज्य कर्मचारी को विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति, पदावनत या अवकाश पर रहना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह कर्मचारी उस विशिष्ट आयु को प्राप्त करता है, वह अकार्य-दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा-निवृत्त, पदावनत या अवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 1:—यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म-तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के नियम 63 के अनुसार जन्म-तिथि ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्न-प्रकार अपनाई जानी चाहिये:—

(1) यदि कोई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नही बता सके तथा केवल अपने जन्म का वर्ष या माह ही बता सके तो उसकी जन्म तिथि उस वर्ष की एक जुलाई अथवा उस माह की 16 तारीख समझी जायेगी।

(2) यदि वह केवल अपनी अनुमानित आयु ही बता पाये तो उसकी जन्म-तिथि, उसकी नियुक्ति की तारीख से उसका सेवा-काल, अनुमानित आयु मे से काट कर, निश्चित की जानी चाहिये।

ऐसे मामले जिनमे जन्म की तिथि, नियुक्ति या अन्य प्रकार से प्रमाणित आयु से काटी गई है, पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नही है।

टिप्पणी संख्या 2:—सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म तिथि, जो उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित थी, को सही नही मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टीफिकेट में अंकित जन्म-तिथि को सही मान लिया। इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न है सेवा पुस्तिका में अंकित आयु दिनांक ही मान्य होनी चाहिये। सेवा पुस्तिका में आयु का उल्लेख नहीं होने की दशा में कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध जन्म दिनाक मान्य समझना चाहिये। यदि सेवा पुस्तिका अथवा व्यक्तिगत पत्रावली मे भी जन्म दिनाक की सूचना उपलब्ध न हो तो स्कूल प्रमाण-पत्र मे अंकित जन्म-तिथि को प्रमाणिक एवं सही माना जाना चाहिये। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो नगरपालिका के जन्म-प्रमाण-पत्र मे अंकित जन्म-तिथि मान्य समझी जानी चाहिये। अगर भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी उसका उल्लेख नही मिले तो कर्मचारी की जन्म कुण्डली में अंकित जन्म तिथि पर विश्वास करना चाहिये किन्तु शर्त यह है कि वह जन्म कुण्डली कर्मचारी की जन्म तिथि के शीघ्र बाद में ही तैयार की गई हो।

[नियुक्ति (ए) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8 (33) नियुक्ति/ए/55 दिनांक 28-4-1958 द्वारा निविष्ट]

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (27) वि.वि. (ग्रुप-2) 78 दिनांक 24-1-79 द्वारा यह विलोपित कर दिया गया है।

राजकोष निर्णय संख्या 1:—यह देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी अपना वेतन निर्धारण

राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार पैशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो दिनांक 1 अप्रेल, 1951 से पूर्व की सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार पैशन के योग्य नही समझा जायेगा।

2. जहा देशी राज्य के नियमो के अनुसार कोई सेवा पैशन योग्य थी किन्तु मतस्य राज्य अथवा पूर्व के राजस्थान के नागरिक सेवा नियमो के अनुसार पैशन के अयोग्य कर दी गई तथा पुनः राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पैशन के योग्य हो गई हो तो पैशन योग्य सेवाओं के बीच के सेवा काल को पैशन योग्य ही गिना जाना चाहिये, क्योंकि मध्यवर्ती सरकारो की ऐसी मशा नही हो सकती थी कि उन कर्मचारियो को उनकी पैशन की सुविधाओ से वचित कर दिया जाय।

नियम 5:—शक्तियों/अधिकारों का प्रदत्तिकरणः—सरकार अपने अधिकारियों को ऐसी शर्तो के आधार पर, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, इन नियमो के अन्तर्गत, निम्नांकित अपवादों के साथ, अपनी शक्तिया प्रदत्त कर सकती हैः–

(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां।

(ख) अन्य शक्तिया जो नियम 5, 42, 56 (क), 81, 135, 140, 148, 151 एवं 157 (ग) द्वारा प्रदत्त की गई हों।

राजकीय निर्णयः—हाल ही मे सरकार के प्रशासनिक विभागो एवं विभागाध्यक्षों को पदभार-ग्रहण करने (ज्वाईनिंग-टाइम) मे वृद्धि करने, नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा के समय को कर्त्तव्य (ड्यूटी) मानने, पुनः नियुक्ति स्वीकार करने एव आयु सीमा के प्रतिबन्ध को हटाने आदि की, कुछ सेवा नियमो से संबंधित इसी प्रकार के मामलो मे, शक्तिया प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्तियों का प्रयोग आदेशो के जारी होने के दिनाक से किया जाना है या विचाराधीन मामलों में भी प्रयोग कर निपटाया जा सकता है ? प्रश्न की जाच कर ली गई है और यह आदेश दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियो का उपयोग उनके प्रदत्तिकरण से पूर्व मे उत्पन्न हुए मामलो मे भी किया जा सकता है किन्तु उन मामलों मे उनका प्रयोग नही किया जायेगा जो पूर्व मे ही अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गये हो या जिन्हे सक्षम-प्राधिकारी को पूर्व मे ही विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।

[आज्ञा एफ. 16 (4) वि.वि./क/नियम/61 दिनांक 31-3-61 तथा 18-12-61 द्वारा निविष्ट]

नियम 6:—इन नियमों की व्याख्या (आशय–अभिप्राय स्पष्ट करने) का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है।

———

अध्याय 2

परिभाषाएँ

नियम 7:—जब तक किसी विषय या प्रसंग में अन्यथा रूप से नहीं दिया गया हो, इस अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न-प्रकार से स्पष्ट किया हुआ माना जावेगा।

नियम 7 (1) आयु:—जब किसी राज्य कर्मचारी को विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति, पदावनत या अवकाश पर रहना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह कर्मचारी उस विशिष्ट आयु को प्राप्त करता है, वह अकार्य-दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा-निवृत्त, पदावनत या अवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 1:—यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म-तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य वित्तीय एव लेखा नियमो के नियम 63 के अनुसार जन्म-तिथि ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्न-प्रकार अपनाई जानी चाहिये:—

(1) यदि कोई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नही बता सके तथा केवल अपने जन्म का वर्ष या माह ही बता सके तो उसकी जन्म तिथि उस वर्ष की एक जुलाई अथवा उस माह की 16 तारीख समझी जायेगी।

(2) यदि वह केवल अपनी अनुमानित आयु ही बता पाये तो उसकी जन्म-तिथि, उसकी नियुक्ति की तारीख से उसका सेवा-काल, अनुमानित आयु में से काट कर, निश्चित की जानी चाहिये।

ऐसे मामले जिनमें जन्म की तिथि, नियुक्ति या अन्य प्रकार से प्रमाणित आयु से काटी गई है, पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नही है।

टिप्पणी संख्या 2:—सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म तिथि, जो उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित थी, को सही नही मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टीफिकेट में अंकित जन्म-तिथि को सही मान लिया। इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न है सेवा पुस्तिका में अंकित आयु दिनाक ही मान्य होनी चाहिये। सेवा पुस्तिका मे आयु का उल्लेख नहीं होने की दशा में कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली मे उपलब्ध जन्म दिनाक मान्य समझना चाहिये। यदि सेवा पुस्तिका अथवा व्यक्तिगत पत्रावली मे भी जन्म दिनाक की सूचना उपलब्ध न हो तो स्कूल प्रमाण-पत्र मे अंकित जन्म-तिथि को प्रमाणिक एवं सही माना जाना चाहिये। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो नगरपालिका के जन्म-प्रमाण-पत्र मे अंकित जन्म-तिथि मान्य समझी जानी चाहिये। अगर भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी उसका उल्लेख नही मिले तो कर्मचारी की जन्म कुण्डली मे अंकित जन्म तिथि पर विश्वास करना चाहिये किन्तु शर्त यह है कि वह जन्म कुण्डली कर्मचारी की जन्म तिथि के शीघ्र बाद में ही तैयार की गई हो।

[नियुक्ति (ए) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. *8 (33)* नियुक्ति/ए/*55* दिनांक *28-4-1958* द्वारा निविष्ट]

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (27) वि.वि. (प्र.ु-2) 78 दिनांक 24-1-79 द्वारा यह विलोपित कर दिया गया है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी अपना वेतन निर्धारण

कराने, सेवा की टूट को जुड़ाने, दो पदों पर कार्य करने के भत्ते मांगने, पूर्व प्रभाव से स्थाईकरण कराने इत्यादि की मांग या तो सेवा निवृत्त होने से कुछ समय पूर्व या सेवा निवृत्त होने के बाद करते हैं। ऐसी मांगें प्रायः वे होती है जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय पूर्व में ही कर दिया जाता है और कर्मचारी को सूचना दे दी जाती है।

इस प्रश्न की जाच करली गई है और अब विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13 (10) एफ II/53 दिनांक 23 दिसम्बर, 1953 को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि सेवा की टूट को जोड़ने, वेतन निर्धारण करने, वेतन आदि में परिवर्तन करने, जन्म दिनांक में परिवर्तन करने तथा सेवा-इतिहास में परिवर्तन करने आदि की मांग एवं प्रार्थनाओं पर सरकार द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे मामले सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उसके सेवा-निवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत नहीं किये गये हों। इस अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों को, (सेवा-निवृत्ति के समय या उसके बाद प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों सहित) सरसरी तौर पर ही देख कर अस्वीकार कर दिया जायेगा।

यह आदेश उन कर्मचारियों के लिये प्रभावी नहीं होंगे जो दिनांक 31 मार्च, 1964 तक सेवा-निवृत्त होने वाले हों।

[ज्ञापन एफ 1 (18) एफ.डी. (ए) (नियम)/61 दिनांक 28-4-1961 द्वारा निविष्ट]

टीकाः—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (27) वि.वि. (ग्रुप-2) 78 दिनांक 24-1-79 द्वारा यह तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

नियम 7 (2) : शिक्षार्थी (अप्रेन्टिस):—शिक्षार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यापार-व्यवसाय के कार्य पर राजकीय सेवा में लेने के उद्देश्य से प्रशिक्षणाधीन रखा जाय एवं जो ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से एक निश्चित-राशि प्राप्त करे तथा जो किसी विभाग में किसी पद पर या संवर्ग (केडर) में स्थाई रूप से नियुक्त किया हुआ नहीं हो।

दृष्टान्त :—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम-वाहन चालक, परिचालकों एवं मेकनिकों के पदों पर नियमित रूप से व्यक्तियों को इन पदों के प्रशिक्षण के लिये चयन कर रखता है। ये सब शिक्षार्थी (एपरेन्टिस) कहलाते हैं। प्रत्येक उद्योग में भावी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों को पूर्व में ही छांटकर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब शिक्षार्थी कहलाते हैं।

नियम 7 (3) संविधान:—संविधान का तात्पर्य भारतीय गणराज्य के संविधान से है।

नियम 7 (4) संवर्ग (केडर):—संवर्ग का तात्पर्य किसी सेवा अथवा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से है जो पृथक इकाई के रूप में रखी गई हो।

दृष्टान्त :—राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तीन वेतनमान/श्रेणियां है। पहली साधारण वेतनमान, दूसरी वरिष्ठ वेतनमान एवं तीसरी चयनित वेतनमान एवं प्रत्येक वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले पदों की संख्या निश्चित एवं निर्धारित की गई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक संवर्ग है और इसके अन्तर्गत तीन वेतनमानों के पदों की निर्धारित संख्यायें इस संवर्ग की पृथक-2 इकाई के रूप में, इस संवर्ग की अङ्ग हैं।

नियम 7 (4-ए) चतुर्थ श्रेणी-सेवा:—चतुर्थ श्रेणी सेवा का तात्पर्य राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के परिशिष्ट 4 में वर्णित सेवा अथवा उस सेवा से है जहां उसका वेतन (यदि निश्चित किया गया हो) अथवा अधिकतम-वेतन (यदि वेतनमान हो)

310/- रुपये मासिक है एवं जिसका उल्लेख सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट xii में किया गया है। (55/- रुपये के स्थान पर 310/- मासिक 1-9-76 से किये गये है)

दृष्टान्त :—प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने अपने अधीन समस्त पदों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम श्रेणी में समस्त राज्य सेवायें, दूसरी श्रेणी में अधीनस्थ सेवायें, तीसरी श्रेणी में मंत्रालयिक सेवायें तथा चौथी श्रेणी में वे पद रखे गये हैं जिनका कार्य उक्त समस्त श्रेणियों को शारीरिक सहायता देना होता है अथवा ऐसा कोई काम करना होता है जिसमें शिक्षा-दिक्षा अथवा परिपक्व मस्तिष्क की आवश्यकता न हो जैसे वार्ड-व्याय, कुली, स्वीपर आदि।

नियम 7 (5) : क्षति-पूरक भत्ता:—क्षति-पूरक भत्ते उन भत्तों को कहा जाता है जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किये गये व्यय की पूर्ति के रूप में देती है। इनमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है किन्तु इनमें सम्पच्यूरी-भत्ता अथवा भारत से बाहर जल-मार्ग द्वारा जाने का एवं जल मार्ग से वापिस आने का भत्ता सम्मिलित नहीं है।

दृष्टान्त:—मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय की पुनः पूर्ति की राशि, तदर्थ सहायता की राशि, शहरी भत्ता आदि क्षतिपूरक भत्ते कहलाते हैं कारण कि इन्हें राज्य सरकार विशेष रूप में तथा विशेष उद्देश्य से स्वीकृत करती है।

नियम 7 (6) : सक्षम प्राधिकारी:—किन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध मे सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य राजस्थान के राज्यपाल या ऐसे अन्य प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों द्वारा अथवा इनके अधीन शक्तिया प्रदान की जायं।

दृष्टन्त :—प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग की प्रायः सभी सेवाओं के लिये सक्षम-प्राधिकारी होता है। जिस अधिकारी को किसी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है उसे उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। ऐसे अधिकारी को दोनों ही मामलों में सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है। जो प्राधिकारी विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूचि इन नियमों के परिशिष्ट (9) में दी हुई है।

नियम 7 (7-ए) : रूपान्तरित अवकाश (कम्यूटेड लीव) : रूपान्तरित अवकाश से तात्पर्य इन नियमों के नियम 93 (ग) के प्रावधानों के अधीन देय अवकाश से है।

[आज्ञा क्रमांक एफ 5 (1) वित्त (नियम) 56 दिनांक 11-1-56 द्वारा निविष्ट]

नियम 7 (8) : कर्त्तव्य (ड्यूटी):—

(अ) कर्त्तव्य में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित होती है:—

(क) परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर) अथवा शिक्षार्थी (एपरेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, यदि ऐसी सेवा के तुरन्त बाद नियमित सेवा मे व्यक्ति स्थाई कर दिया जाता है।

(ख) पदभार-ग्रहण-काल।

(ग) अवकाश से लौटने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में, जिस पद से उसने अवकाश पर प्रस्थान किया गया था, उसी पद का पुनः कार्यभार संभालने का दिन।

अपवाद—जयपुर एवं जोधपुर के कोषागारों का कार्यभार संभालने के सम्बन्ध मे उक्त प्रावधानो के

प्रयोजनार्थ अधिकतम 7 दिन तथा अन्य जिला कोषागारों का कार्यभार सम्भालने के सम्बन्ध मे 3 दिन का समय कर्त्तव्य के रूप मे माना जायेगा।

(ब) राज्य सरकार आदेश जारी कर यह घोषणा कर सकती है कि निम्न-अंकित अथवा उनके समान/समकक्ष परिस्थितियों में कर्मचारियों को कर्त्तव्य पर माना जायेगा।

(i) भारत में निर्देशन एवं प्रशिक्षण का समय।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह आदेश दिया जाता है कि राजकीय कर्मचारी जो केन्द्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर में निम्न-अंकित पाठ्यक्रमो मे प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, उन्हे राजस्थान सेवा नियम 7 (8) (ब) (i) के अधीन सेवा पर समझा जायेगा तथा वे वह वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जिन्हे वे यदि प्रशिक्षण पर नही जाते तो प्राप्त करते।

प्रशिक्षण प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने के स्थान पर जाने एवं आने की यात्राओं का भत्ता केवल दौरों पर की गई यात्रा की दर पर देय होगा। प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के परिशिष्ट-2 के आदेश सख्या (3) मे अंकित दरो के अनुसार क्षतिपूरक-भत्ता प्राप्त होगा।

पाठ्यक्रम के नाम:—

(1) नागरिक सुरक्षा का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक सगोष्ठी।

(3) नागरिक सुरक्षा स्टाफ पाठ्यक्रम।

(4) नागरिक सुरक्षा निर्देशक पाठ्यक्रम।

(5) नागरिक सुरक्षा महिला अधिकारी पाठ्यक्रम।

(6) औद्योगिक नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजकीय कर्मचारी जो नागरिक सुरक्षा सम्प्रेषण विधि एवं आपरेशन निर्देशक पाठ्यक्रम के लिये मोबाइल सिविल इमरजेन्सी फोर्स ट्रेनिंग सेन्टर मालवीयनगर, ऐक्सटेन्सन ऐरिया नई-दिल्ली मे प्रति-नियुक्त किया जाता है उसे राजस्थान सेवा नियमो के नियम 7 (8) (ख) (i) के अधीन कर्त्तव्य माना जायेगा और उसे वही वेतन एवं भत्ते मिलेंगे जो वह प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व प्राप्त करता था।

प्रशिक्षण के स्थान पर जाने एवं आने की यात्रा के लिये प्रशिक्षण के प्रारम्भ से अन्त तक केवल दौरों की दरो पर यात्रा-भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में वर्णित दरों के अनुसार उन्हें क्षतिपूरक भत्ता भी दिया जायेगा।

[आज्ञा संख्या एफ 1 (29) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 29-7-74 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—महालेखाकार राजस्थान द्वारा ऐसे कई मामले राज्य सरकार के ध्यान मे लाये गये है जिनमे शासन सचिवो/विभागाध्यक्षों द्वारा व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयो मे ऐसे उच्चतर अध्ययन के लिये अधिकारियो को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है जिससे उन्हे डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त हो सके, जैसे सी.ए.एस. चिकित्सको को विभिन्न विषयो मे विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे प्रतिनियुक्त करने, अभियन्ताओं को एम. ई. के पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त करना तथा राजस्थान सेवा नियम 7 (8) (बी) के अन्तर्गत ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि को कर्त्तव्य मान लेना जबकि ऐसी अवधि अध्ययन-अवकाश के रूप मे मानी जानी चाहिये।

ऐसे मामलो मे सम्बन्धित अधिकारियो का ध्यान राजस्थान सेवा नियम खण्ड-2 के परिशिष्ट (ix) के क्रमाक (i) की ओर दिलाया जाता है जिसके अनुसार यदि निम्न-अंकित शर्ते पूरी हो जाती है जिसमें भारत मे

प्रशिक्षण अथवा निर्देशन प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि को "कर्त्तव्य" माना जा सकता है:—

(1) जब राज्य कर्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण अथवा निर्देशन के लिये भेजना सरकार के लिये अनिवार्य/आवश्यक हो।

(2) प्रशिक्षण व्यवसायिक अथवा तकनीकी विषयों में नहीं होना चाहिये जो साधारणतया अध्ययन-अवकाश के नियमो से नियमित होता है।

(3) प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

अतः संबंधित अधिकारियों को जोर देकर कहा जाता है कि राजकीय कर्मचारियों को डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने को उच्चत्तर-अध्ययन के लिये भेजने पर "कर्त्तव्यरत" नही माना जाना चाहिये।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2) 75 दिनांक 30-10-1975 द्वारा निविष्ट]

उप-नियम 7 (8) (ब) (ii)—कोई विद्यार्थी जो भारतवर्ष के किसी विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय मे, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए या अन्यथा, कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो और जो प्रशिक्षण की समाप्ति पर राजकीय-सेवा पाने का अधिकारी हो, तो उसके द्वारा प्रशिक्षण को सफलता-पूर्वक पूर्ण करने एवं सेवा में नियुक्त होने के बीच की पूर्ण-अवधि को "कर्त्तव्य" समझा जाना चाहियें।

दृष्टान्तः—चिकित्सा विभाग महिला नर्सो के प्रशिक्षण के लिये महिलाओं को एक निश्चित मासिक छात्रवृत्ति पर प्रशिक्षण के लिये नियुक्त करता है। प्रशिक्षण की सफलता-पूर्वक समाप्ति पर इन सबको नियमित पद पर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रायः इन महिलाओं के पाठ्यक्रम के परिणाम 31 जुलाई तक निकाले जाते हैं और उन्हें नियुक्ति एक-डेढ़ माह बाद मिल पाती है। अतः 31 जुलाई से किसी पद पर नियुक्ति के बाद पदभार ग्रहण करने की अवधि को कर्त्तव्य माना जाता है।

उप-नियम 7 (8) (ब) (iii):—कोई व्यक्ति जो राज्य-सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय, निर्धारित स्थान पर, सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, पदभार सम्भालता है तब तक उसे किसी विशिष्ट पद पर नियोजित करने के आदेश नहीं मिल पाते है, तो ऐसे व्यक्ति की निर्धारित स्थान पर आगमन की सूचना देने के दिन से विशिष्ट पद पर नियोजित होने के मध्य की अवधि को कर्त्तव्य समझा जावेगा।

दृष्टान्त:—केन्द्रीय लोक प्रशासन संस्थान मंसूरी में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन सबको प्रायः केन्द्रीय सरकार, अपने मुख्यावास नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) में रिपोर्ट करने को कहती है और कुछ समय उपरान्त उन्हें विशिष्ट पदों पर विभिन्न राज्यों में नियोजित/नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नई दिल्ली में आगमन की सूचना देने की तारीख से किसी विशिष्ट स्थान पर पद-भार ग्रहण करने के बीच की अवधि को कर्त्तव्य समझा जायेगा।

टिप्पणीः—यदि कोई कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार सम्भला-कर अथवा अवकाश से वापिस लौटने पर किसी पद पर नियोजित होने के आदेशों की प्रतीक्षा करता है तो वह प्रतीक्षा का समय भी उक्त उप-नियम 7 (8) (व) (iii) के अन्तर्गत आता है।

स्पष्टीकरणः—वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 1 (18) एफ. डी. (जी. आर.)/74 दिनांक 7 मई, 1974 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा सरकार ने शासन सचिवों को पद-स्थापन हेतु सरकारी आदेशो की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की अवधि को कर्त्तव्य मानने के अधिकार प्रदान किये थे। शर्त यह थी

कि ऐसे पद-स्थापन हेतु राजकीय आदेशों की प्रतीक्षा करने की अवधि 30 दिन से अधिक न हो ।

प्रायः यह देखने मे आया है कि राज्य कर्मचारी को दीर्घ समय तक अपने पद-स्थापन के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेशो की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जब अवधि 30 दिन से अधिक हो जाती है तो ऐसे मामले वित्त विभाग मे नियमित करने हेतु भेजे जाते हैं । यहा यह ध्यान मे लाना आवश्यक है कि कर्मचारियों को पद-स्थापना के लिये आदेशों की प्रतीक्षा मे रखने की अवधि के वेतन एव भत्तो पर जो अप-व्यय होता है उस पर लेखा प्रतिवेदनो मे कटु टिप्पणियां दी जाती है । अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अप-व्यय को रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।

अतः निर्देश दिया जाता है कि भविष्य मे ऐसे मामले नही होने चाहिये जिनमें कर्मचारियों को पद-स्थापन के लिये आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती हो । यदि कभी कोई ऐसे मामले को टाला नहीं जा सके तो ऐसी अवधि को न्यूनतम रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग ऐसे मामले को नियमित करने के लिये सहमत नही होगा जब तक कि कर्मचारी को पद-स्थापन के आदेश नही देने के ठोस औचित्यपूर्ण कारण न हों ।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (18) वि.वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 18-7-75 द्वारा निविष्ट]

उप-नियम 7 (8) (ब) (iv) :—सरकारी कर्मचारी जिसे अनिवार्य-विभागीय-परीक्षा में बैठना हो या जिसे किसी ऐसी परीक्षा मे बैठने की अनुमति दे दी गई हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर कर्मचारी के विभाग या कार्यालय की दृष्टि से उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती हो तो परीक्षा का समय तथा परीक्षा स्थल तक जाने एवं आने का उचित समय कर्त्तव्य के रूप में गिना जावेगा ।

दृष्टान्त :—विभागीय सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों को एक निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होती है तभी उन्हें स्थाई किया जाता है । अतः ऐसी परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा स्थान तक जाने एवं आने की अवधि को कर्त्तव्य माना जाता है ।

उप-नियम 7 (8) (ब) (v) :—किसी ऐच्छिक परीक्षा, जिसमें प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी हो, तो परीक्षा-अवधि तथा परीक्षास्थल तक जाने एवं आने का उचित समय कर्त्तव्य माना जावेगा ।

दृष्टान्त :—एक वरिष्ठ लिपिक को लेखाकारों की योग्यतात्मक परीक्षा में बैठने की विभागीय अनुमति दी जाती है, तो ऐसे कर्मचारी के परीक्षा में बैठने पर परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्थल तक जाने एवं आने के उचित समय को कर्त्तव्य माना जायेगा ।

नियम 7 (9) : शुल्क (फी) :—शुल्क का तात्पर्य राजस्थान सरकार/भारत सरकार तथा किसी अन्य राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत (सोर्स) से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त उस भुगतान से है जो आवर्त्तक अथवा अनावर्त्तक हो तथा जो कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से या किसी सरकारी माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष-रूप से प्राप्त होता है ।

किन्तु शुल्क में निम्नलिखित **सम्मिलित नहीं होंगे:**—

(क) अनुपार्जित आय जैसे सम्पत्ति से प्राप्त आय (मकान, जमीन किराया) लाभांश एवं प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, एवं

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नों से प्राप्त आय, यदि ऐसे कार्यों में कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में अर्जित ज्ञान का उपयोग नही किया गया हो ।

स्पष्टीकरण:—साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नो में यदि सेवा काल में अर्जित ज्ञान की

सहायता रहती है तो उस कर्मचारी को सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी तथा ऐसी प्राप्त आय "शुल्क" के रूप मे मानी जायेगी । किन्तु प्रतिवेदन लिखना जैसे सयुक्त राष्ट्र सघ/यूनेस्को आदि के लिये कुछ विषयो पर अध्ययन करना, भारतीय एव विदेशी पत्रिकाओ मे साहित्यिक लेख आदि दिये जाने से प्राप्त पारिश्रमिक को उक्त (ख) के अनुसार शुल्क नही माना जायेगा । इसमे भी शर्त यही है कि ऐसा प्रतिवेदन/लेख सेवाकाल में अर्जित ज्ञान से सहायता प्राप्त किया हुआ नही हो ।

दृष्टान्त :—आकाशवाणी पर किसी संगोष्ठी में भाग लेना अथवा लेख पढ़ना, कवि-सम्मेलनों में सम्मिलित होने पर प्राप्त पारिश्रमिक "शुल्क" नहीं माना जा सकता है ।

इसके विपरीत सक्षम-प्राधिकारी की अनुमति से किसी कर्मचारी द्वारा किसी नगर परिषद्/पालिका अथवा पंचायत समितियों को दी गई सेवाओं के एवज में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह "शुल्क" की परिभाषा में आता है। चिकित्सा विभाग की जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कार्यरत चिकित्सक, विश्लेषण करने के लिये, निर्धारित राशि लेते हैं जिसे एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकार एवं उनके बीच मे बाट दी जाती है । इस भुगतान को भी "शुल्क" कहा जाता है ।

नियम 7 (9-ए) :—प्रथम 10/20 वर्ष की सेवा, अगले 10 वर्ष की अवधि, पूर्ण वर्षो की अवधि एवं एक वर्ष की निरन्तर सेवा से तात्पर्य राजस्थान सरकार या इसमें विलीन हुए किसी देशी-राज्य के अधीन की गई निरन्तर सेवा से है तथा उसमे "कर्त्तव्य" पर व्यतीत समय एवं असाधारण-अवकाश सहित समस्त अवकाशों की अवधि भी सम्मिलित है ।

राजकीय निर्णय:—राजस्थान सेवा नियमो मे परिभाषित "सेवा के पूर्ण वर्ष" में असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर बिताया गया समय भी सम्मिलित होता है । एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि एक कर्मचारी जो पहिले से ही अवकाश पर है, अपने उस अवकाश की निरन्तरता में क्या वह अर्द्ध-वेतन अवकाश भी ले सकता है यदि वह अर्द्ध-वेतन अवकाश उस अवकाश के बीच मे अपनी सेवा का वर्ष पूर्ण करने के कारण अर्जित करता है ।

राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर निर्णय किया है कि यदि ऐसा अर्द्ध-वेतन अवकाश, अवकाश काल मे सेवा का पूर्ण वर्ष होने के कारण उपार्जित किया हो, तो उसे वह कर्मचारी पुराने अवकाश की निरन्तरता मे प्राप्त कर सकता है या उसे अपने अवकाश की वृद्धि कराने के उपयोग में भी ले सकता है जिसमें उसके सेवा के पूर्ण वर्ष होने की तारीख आती है ।

दृष्टान्त :—एक कर्मचारी 11 माह 20 दिन की सेवा करने के बाद 11 दिन के उपार्जित अवकाश पर जाता है और उस उपार्जित अवकाश की निरन्तरता में वह 3 दिन का उपार्जित अवकाश तथा 20 दिवस का अर्द्ध-वेतन अवकाश और चाहता है ।

चूंकि इस अवधि में उसकी सेवा का प्रथम वर्ष पूर्ण हो जाता है । अतः उस तारीख से उसे 20 दिवस का अर्द्ध-वेतन अवकाश दिया जा सकता है जिस दिन सेवा का एक वर्ष पूर्ण होता है ।

नियम 7 (10) : वैदेशिक सेवा:—वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें राज्य कर्मचारी अपना मूल वेतन तथा भत्ते सरकार की स्वीकृति से राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है ।

दृष्टान्त :—कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को पथ-परिवहन निगम में प्रति-नियुक्त किया जाता है । इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी

को राजस्थान लघु उद्योग निगम मे प्रति-नियुक्त किया जाता है। इन दोनों ही मामलों में प्रति-नियुक्ति की अवधि को "वैदेशिक-सेवा" कहा जायेगा।

इसी प्रकार राजस्थान विश्व-विद्यालय में अथवा सहकारी बैंक अथवा नगरपालिका में सरकारी कर्मचारी को प्रति-नियुक्त करने पर उस अवधि को वैदेशिक सेवा कहा जायेगा।

नियम 7 (10-ए):—एक राजपत्रित-अधिकारी वह है जो:—

(क) अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, अथवा

(ख) राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 की अनुसूचि (1) में राजस्थान की राज्य सेवा में दर्शाये गये पदों में से किसी एक पद पर कार्य करता हो, अथवा

(ग) अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित मानी गई हो, अथवा

(घ) ऐसे पद पर कार्य करने वाला अधिकारी जिसे सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित कर दिया जाय। (राजस्थान सेवा नियम (भाग-2) के परिशिष्ट (12) में राजपत्रित अधिकारियों की सूचि उपलब्ध है)

नियम 7 (10-बी) अर्द्ध-वेतन अवकाशः—अर्द्ध-वेतन अवकाश का तात्पर्य सेवा के पूर्ण वर्षों के आधार पर अर्जित किये गये अवकाश से है। देय अर्द्ध-वेतन अवकाश का तात्पर्य उस अर्द्ध-वेतन अवकाश की सख्या से है जो इन नियमो के नियम-93 में निर्धारित किये गये अनुसार 'पूर्ण-सेवा-काल' की अवधि के आधार पर निजी-कार्यों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया जा सकता है।

नियम 7 (11) विभागाध्यक्षः—विभागाध्यक्ष का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इन नियमों के उद्देश्यों से विभागाध्यक्ष घोषित करे।

नियम 7 (12)–सार्वजनिक अवकाश (होलिडे):—सार्वजनिक अवकाश का तात्पर्यः—

(क) निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट-एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित अवकाश से है, एवं

(ख) किसी विशेष कार्यालय में उस दिवस से है जिसको वह कार्यालय राजकीय कार्य को पूरा करने के लिये, राजपत्र में प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर, बन्द-घोषित कर दिया जाय।

नियम 7 (13)–मानदेयः—मानदेय (आनरेरियम) का तात्पर्य एक राज्य-कर्मचारी को आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक राशि के उस भुगतान से है जो राज्य की संचित निधि या भारत सरकार की या किसी राज्य की संचित निधि से किसी सामयिक कार्य अथवा कभी-कभी उत्पन्न होने वाले कार्यों के लिये स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 1:—यदि कोई कार्य, संबंधित कर्मचारी की सेवाओ का वैधानिक अंग माना जाता है तो उस कार्य के लिये उसे कोई मानदेय नही दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 2:—अपवाद स्वरूप समय एवं परिस्थितियों के कारण कार्यालय समय के उपरान्त भी कार्य करना एक प्रकार से कर्मचारी का उत्तरदायित्व है। इसके लिये साधारणतः कोई मानदेय स्वीकृत नही किया जाना चाहिये। किन्तु निरन्तर कार्यालय समय के बाद भी कार्य करने पर मानदेय अथवा विशेष-वेतन का औचित्य माना जा सकता है।

दृष्टान्त :—विधान सभा सत्र के समय विधान सभा प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित सामग्री जुटाने के कार्य में लगे कर्मचारी को निरन्तर कार्यालय समय के बाद भी कार्य करने के एवज में मानदेय दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार का बजट कार्य करने के लिये वित्त (बजट) विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को, कई माह तक कार्यालय समय के बाद रुक कर कार्य करने के एवज में, प्रतिवर्ष मानदेय स्वीकृत किया जाता है।

नियम 7 (14) पदभार-ग्रहण-काल (ज्वाईनिंग-टाइम):—पदभार-ग्रहण-काल का तात्पर्य किसी कर्मचारी को दिये गये उस समय से है जो उसे अपने नये पद का कार्यभार-ग्रहण करने के लिये, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जहां उसे लगाया जाता है, जाने के लिये स्वीकृत किया गया हो।

नियम 7 (15)–अवकाशः—अवकाश शब्द में उपार्जित अवकाश, अर्द्ध-वेतन अवकाश, रूपान्तरित-अवकाश, विशेष-अयोग्यता अवकाश, अध्ययन-अवकाश, प्रसूति-अवकाश, चिकित्सालय-अवकाश, अदेय-अवकाश एवं असाधारण-अवकाश सम्मिलित माने जाते है।

नियम 7 (16)–अवकाश वेतनः—अवकाश वेतन का तात्पर्य एक राज्य-कर्मचारी को अवकाश की अवधि के लिये दिये जाने वाले मासिक वेतन से है।

नियम 7 (17)–पदाधिकार (लियन):—पदाधिकार का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी के एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करने के उस अधिकार से है जिसे वह उस पद पर अपनी मूल-नियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त करता है। इसमे एक सावधिक (टेन्योर) पद भी सम्मिलित है जिस पर वह स्थाई रूप से नियुक्त किया चुका हो।

दृष्टान्तः—एक वरिष्ठ-लिपिक को, किसी वरिष्ठ लिपिक के स्थाई एवं रिक्त पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करने से, उसे उस पद पर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और तब यह कहा जाता है कि उस कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार हो गया है।

नियम 7 (18)–स्थानीय निधिः—स्थानीय निधि का तात्पर्यः—

(क) निकायों द्वारा प्रशासित उस राजस्व से है जो किसी अधिनियम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कारण सरकार के नियंत्रण में आती है, चाहे वह राजस्व किसी साधारण या विशेष मामले में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ही क्यों न हो–जैसे उन निकायों का बजट स्वीकार करने, विशिष्ट पदों का सृजन करने तथा उन्हें भरने की स्वीकृति देने, अवकाश, पेन्शन आदि के नियम बनाने, एवं

(ख) किसी भी संस्था/निकाय के उस राजस्व से है जिसे राज्यपाल द्वारा विशेष आदेशों से स्थानीय निधि घोषित कर दिया गया हो।

नियम 7 (19)–मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग (मिनिस्टीरियल सर्विस):—मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग (मिनिस्टीरियल-सर्विस) का तात्पर्य किसी सेवा के उस कर्मचारी वर्ग से है जिनका मुख्य कार्य लेखन सम्बन्धी हो एवं ऐसे अन्य कर्मचारियों की श्रेणियों को जिन्हें सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा विशेष-रूप से इस श्रेणी का घोषित कर दिया गया है।

नियम 7 (20)–माहः—माह का तात्पर्य एक कलेन्डर माह से है। महिने एवं दिन के रूप में अवधि की गणना करने के लिये प्रथमतः पूर्ण माह गिने और बाद के माह के शेष दिनों की संख्या जोड़कर गिना जाना चाहिये।

उदाहरणार्थः—25 जनवरी से 3 माह 20 दिन गिनने के लिये निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाये:—

	वर्ष	माह	दिन
25 जनवरी से 31 जनवरी	00	00	7
फरवरी से अप्रेल	00	3	0
1 मई से 13 मई	00	00	13
योग—	00	3	20

(ख) 30 जनवरी से आरम्भ होकर 2 मार्च तक होने वाली अवधि को 1 माह 4 दिन मानना चाहिये जैसा कि नीचे बताया गया है:—

	वर्ष	माह	दिन
30 जनवरी से 31 जनवरी तक	0	0	2
माह फरवरी	0	1	0
1 मार्च से 2 मार्च तक	0	0	2
योग—	0	1	4

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(18) वि. वि./नियम/71 दिनांक 27-3-71 द्वारा निविष्ट]

नियम 7 (21):—यह उप-नियम वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 1 (53) वि. वि./ए/(नियम)/61 दिनांक 1 जनवरी, 1965 द्वारा विलोपित कर दिया गया है।

नियम 7 (22)–स्थाई सेवा के कर्मचारी—स्थाई सेवा के कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे राज्य कर्मचारी से है जो किसी स्थायी पद पर कार्य करता हो और जिसे उस पद पर स्थायी करने के कारण, पदाधिकार (लियन) प्राप्त हो गया हो या यदि उसका पदाधिकार निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह स्थायी पद पर पदाधिकार बनाये रखता।

नियम 7 (23)–स्थानापन्न (ओफिसियेटिंग):—स्थानापन्न का तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो एक ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से उस समय तक कार्य करता है जब तक उस पद पर उसे पदाधिकार न मिल जाय। यदि सरकार उचित समझे तो वह किसी कर्मचारी को ऐसे रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो। (दूसरे शब्दों में जब तक एक कर्मचारी को किसी स्थायी एवं रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति के बाद स्थायी नहीं कर दिया जाय तब तक वह उस पद पर स्थानापन्न ही माना जाता है)

नियम 7 (24)–वेतन:—वेतन का तात्पर्य राज्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निम्न-अंकित मासिक वेतन से है:—

(1) वेतन, विशेष वेतन के अतिरिक्त, या वह वेतन जो उसे उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत किया गया हो अथवा जो कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये गये पद के लिये स्वीकृत किया गया है अथवा जो स्थानापन्न रूप से धारण किये गये पद के लिये स्वीकृत है अथवा जिस पद के लिये वह अपनी स्थिति के कारण ऐसे वेतन का अधिकारी है, एवं

(2) विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन, एवं

(3) अन्य ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

टिप्पणी संख्या 1:—राजकीय मुद्रणालय में आंशिक- समय (पार्ट-टाईम) कार्य करने वालों के सम्बन्ध में जब वे किसी वेतनमान मे किसी पद पर नियुक्त कर दिये जायें तो उनका मासिक वेतन 200 घंटे तक कार्य करने के वेतन के बराबर समझा जावेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—सिपाही एवं अन्य स्टाफ जिसे साक्षरता-भत्ता स्वीकार किया जाता है, उन्हे दिया जाने वाला ऐसा भत्ता "वेतन" में गिना जावेगा।

टिप्पणी संख्या 3:—राजस्थान नागरिक सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 1961 की अनुसूचि-5 (वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 2 (ख) (18) वि. वि./(नियम)/65 दिनांक 28 जुलाई, 1966 द्वारा जोड़ी गई) के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले नान-प्रेक्टिसिंग-अलाउन्स अथवा नान-क्लीनिकल अलाउन्स, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये "वेतन" की श्रेणी मे वर्गीकृत किये हुए माने जायेंगे:—

(1) वेतन एव उपदान (ग्रेच्यूटी),

(2) अवकाश वेतन,

(3) विदेश सेवा मे प्रतिनियुक्ति, यदि विदेश सेवा मे प्रतिनियुक्ति के पद पर प्राईवेट-प्रेक्टिस करने की कोई सम्भावना न हो,

(4) नियम 7 (8) (ब) के अनुसार प्रशिक्षण,

(5) राजस्थान नागरिक सेवा (आवासीय सुविधा के किराये का निर्धारण एवं वसूली) नियम 1958 के नियम 35 में यथा-परिभाषित "वेतनादि" (इमोल्यूमेंट्स),

(6) राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (xvii) मे दर्शाये गये "मकान किराया भत्ता" नियमों के लिये,

(7) मंहगाई भत्ता,

(8) पदभार-ग्रहण-काल,

(9) राजस्थान सेवा नियम 51 के अनुसार विदेशों में प्रशिक्षण के लिये।

[अधि० एफ. 2 (ख) (18) वि.वि./(व्यय-नियम) 65/दि० 28-7-66 द्वारा 1-4-66 से प्रभावशील]

टिप्पणी संख्या 4:—चिकित्सा अधिकारी जिसे समय-समय पर नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स स्वीकृत किया गया है, किसी भी प्रकार से कोई प्राईवेट-प्रेक्टिस नहीं करेगा। वह उस वेतन बिल में निम्न-प्रकार प्रमाण-पत्र अंकित करेगा, जिसमें नान-प्रेक्टिसिंग भत्ते की माग की गई है:—

"यह प्रमाणित किया जाता है कि उस अवधि में जिसके लिये इस बिल में नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स का क्लेम किया गया है प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं की गई है"।

[संख्या एफ 1 (47) वि. वि./(नियम)/68 दिनांक 11-9-1968 द्वारा निविष्ट]

टिप्पणी संख्या 5:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 2 ब (1) (3) वि. वि./(व्यय-नियम)/65 II दिनांक 6 फरवरी, 1965 एवं एफ. 2 (बी) (67) वि. वि. (व्यय-नियम)/67 II दिनांक 29 नवम्बर, 1973 की

शर्त के अनुसार सहायक-शल्य चिकित्सक द्वारा प्राप्त ग्रामीण-भत्ता, टिप्पणी क्रमांक (3) में वर्णित प्रयोजनों के लिये "वेतन" माना जायेगा।

[विज्ञप्ति सं. एफ (2) (बी) (18) वि वि./(व्यय-नियम)/65/1 दि. 29-11-73 द्वारा 1-10-73 से प्रभावी]

नियम 7 (25)–सेवा-वृत्ति पेन्शनः—सेवावृत्ति शब्द का प्रयोग जब उपदान (ग्रेच्यूटी) एवं या डथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्यूटी के लाभों के संदर्भ में किया जाय, तो सेवा-वृत्ति में उपदान अथवा/या मृत्यु एवं सेवावृत्ति उपदान दोनों ही सम्मिलित मानी जावेगी।

नियम 7 (26)–स्थाई पदः—स्थायी पद का तात्पर्य किसी वेतनमान में सृजित ऐसे पद से है जो बिना किसी अवधि के सृजित किया गया हो।

नियम 7 (27) व्यक्तिगत वेतनः—"व्यक्तिगत-वेतन" का तात्पर्य कर्मचारी को स्वीकृत किये गये उस अतिरिक्त वेतन से है जिसकी स्वीकृति निम्नांकित कारणों से दी जाती हैः—

(क) जब कोई राज्य कर्मचारी, सावधिक (टेन्योर) पदो के अतिरिक्त, किसी स्थाई पद पर कार्य करता है, किन्तु वेतन मे सशोधन के कारण या अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप मे उठाये गये कदमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप में ऐसे मूल वेतन में कटौती करने कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये, व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है, या

(ख) अन्य व्यक्तिगत कारणो को ध्यान मे रखते हुए, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, स्वीकृत किया जाता।

दृष्टान्तः—जब किसी कर्मचारी को किसी दोष के कारण, उपर के पद पर स्थाई होने पर भी पदावनत कर दिया जाय और उसका वेतन नीचे के वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो तो उस सीमा तक वेतन तथा स्वयं के मूल वेतन-एवं उस वेतन-मान के अधिकतम के अन्तर को "व्यक्तिगत-वेतन" के रूप में स्वीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति कई बार नये वेतनमानों में पूर्व की श्रृंखला के अधिकतम को घटा देने के कारण भी उत्पन्न हो जाती है।

नियम 7 (28)–उपार्जित अवकाशः—उपार्जित अवकाश का तात्पर्य कर्त्तव्य के रूप में व्यतीत किये गये समय के आधार पर अर्जित अवकाश से है।

"देय-उपार्जित-अवकाश" का तात्पर्य इन नियमों के नियम 91, 92 व 94 द्वारा दर्शाये गये अवकाश के दिनों की संख्या से है। अवकाश की संख्या निकालते समय सेवा मे जितने समय के अवकाश का उपभोग कर लिया जाता है, उतना समय काट दिया जाता है।

नियम 7 (29)–पद का काल्पनिक (प्रिजेम्टिव्) वेतनः—इस शब्द का प्रयोग जब किसी एक कर्मचारी के लिये किया जाता है तो उसका तात्पर्य उस वेतन से होता है जिसे यदि वह उस पद को स्थाई रूप से ग्रहण करता होता एवं अपना कार्य करता रहता तो प्राप्त करने का अधिकारी होता, किन्तु इसमें "विशेष-वेतन" उस समय तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक राज्य कर्मचारी वह कार्य/कर्त्तव्य सम्पादन नही करता या वह उत्तरदायित्व नही वहन करता या उस अस्वास्थ्य-कर परिस्थिति में नहीं पड़ता, जिसको ध्यान में रखकर विशेष-वेतन स्वीकृत किया गया था।

दृष्टान्त :—काल्पनिक वेतन फलाने की आवश्यकता उस कर्मचारी के मामले में पड़ती है जिसे स्वयं के पद के कार्य के अलावा दूसरे पद के कार्य-सम्पादन के लिये भी नियुक्त किया जाता है। ऐसा वेतन फलाते

समय यह कल्पना की जाती है कि यदि [illegible] रे समय
के लिये, स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया [illegible] ।

नियम 7 (30)-परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर):—परिवीक्षाधीन का तात्पर्य उस कर्मचारी से है जिसे किसी सेवा/संवर्ग में स्थाई एवं रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है ।

टिप्पणी संख्या 1:—यह परिभाषा उन कर्मचारियो पर लागू नही होती जो एक संवर्ग में पूर्व से ही स्थाई रूप से कार्य करते हैं एव सिर्फ दूसरे पद पर परिवीक्षा-पर (ग्रॉन-प्रोवेशन) नियुक्त किये जाते है ।

टिप्पणी संख्या 2:—कोई कर्मचारी जब तक किसी संवर्ग मे स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाना तब तक वह परिवीक्षाधीन नहीं माना जा सकता यदि उसकी नियुक्ति के साथ परिवीक्षाधीन रहने की निश्चित शर्तें नहीं अंकित की गई हों । जैसे यह शर्त कि अमुक परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वह "परिवीक्षाधीन" समझा जायेगा ।

टिप्पणी संख्या 3:—जब तक किसी मामले मे नियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया गया हो, एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्तर उसी प्रकार समझा जाता है जैसा मानो उसे उसके स्तर के अन्य स्थायी कर्मचारी के समान सब अधिकार हो ।

आडिट-निर्देशन:—उपरोक्त टिप्पणी संख्या (1) एव (2) में अंकित प्रावधानो को एक दूसरे का पूरक माना जाय न कि भिन्न । दोनों को मिलाकर इन टिप्पणियो मे यह जांच करने की बात है कि किसी समय एक कर्मचारी को, इस बात का ध्यान रखे बिना ही कि वह पूर्व से ही स्थाई कर्मचारी है या बिना किसी स्थाई-पद पर पदाधिकार रखे ही कर्मचारी है, वह "परिवीक्षाधीन" है या केवल "परिवीक्षा-पर" है । **परिवीक्षाधीन व्यक्ति वह होता है जो परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ स्थाई रूप से किसी रिक्त पद पर या उसके विरूद्ध नियुक्त किया गया हो तथा "परिवीक्षा-पर" वह व्यक्ति होता है जिसे किसी पद पर** (यह आवश्यक नही कि वह मूल रूप से रिक्त हो) **भविष्य में नियुक्त किये जाने के लिये उसकी उस पद की पात्रता/योग्यता के परीक्षण के लिये नियुक्त किया है ।** इन आडिट-निर्देशनो मे किसी को एक सवर्ग में स्थाई-रूप से परिवीक्षाधीन के रूप मे किसी एक पद पर या उसके विरूद्ध नियुक्त करने से नही रोका जा सकता जब तक कि उसकी नियुक्ति के साथ निश्चित शर्तें जैसे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आदि निर्धारित नही की गई हों । ऐसे मामले में कर्मचारी को परिवीक्षाधीन समझा जाना चाहिये एवं जब तक इस विषय में कोई पृथक से नियम न हों केवल उसे आरम्भिक एवं आगे वेतन का उस वेतन-दर से स्वीकृत किया जाना चाहिये जो प्रशिक्षण-काल की अवधि के लिये निर्धारित किया जाय । इसमें यह ध्यान नही रखा जाय कि क्या उन दरों को वस्तुतः संबंधित सेवाओ के समय-क्रम में सम्मिलित किया हुआ है या पृथक किया हुआ है अथवा नही । एक ही विभाग के कर्मचारियों की चयन द्वारा पदोन्नति करने का प्रश्न कुछ भिन्न है (उदाहरणार्थ एक भारतीय आडिट विभाग का एस. ए. एस. पदोन्नति या सहायक लेखाधिकारी जो इस प्रकार की पदोन्नति प्रदान किये जाने की पात्रता रखता हो, को पदोन्नत किया जाय । यदि भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग इसे उचित समझें तो इन पदोन्नत व्यक्तियो को किसी एक निश्चित समय के लिये "परिवीक्षा-पर" यह जांचने के लिये रखा जा सकता है कि क्या वे वास्तव मे प्रथम श्रेणी अधिकारी का कार्य भली प्रकार कर सकते है और उनका पदाधिकार उनके पूर्व के पदों पर रखा जाता है । इसी बीच उनके पदावनत होने की सम्भावना हो, चाहे परिवीक्षा के समय में उनकी योग्यता आदि की परीक्षा करने का कुछ भी प्रबन्ध हो किन्तु उनका प्रारम्भिक वेतन उस समय प्रभावी, वेतन-निर्धारण संबंधी सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होना चाहिये ।

टीका:—इस परिभाषा में "परिवीक्षाधीन" (प्रोबेशनर) तथा "परिवीक्षा-पर" (ग्रान-प्रोबेशन) दो शब्दों की व्याख्या की गई है । "परिवीक्षाधीन" वह कर्मचारी होता है जो पूर्व में किसी राज्य सेवा में नहीं होता और नियुक्ति के नियमों के अनुसार स्थाई रूप से रिक्त स्थाई पद पर नियोजित करने के लिये भर्ती

जाता है और उसकी नियुक्ति के आदेश में ही यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ऐसे कर्मचारी को एक वर्ष या दो वर्ष "परिवीक्षाधीन" माना जायेगा और उसे उस अवधि में अमुक-अमुक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होगी।

इसके विपरीत "परिवीक्षा-पर" वह कर्मचारी होता है जो पूर्व में ही किसी सरकारी पद/सेवा में नियुक्त होता है और जिसे ऐसे किसी उच्च पद पर, पदोन्नति की पात्रता के कारण, लगाने का प्रस्ताव हो। उसे भी एक निश्चित अवधि के लिये उच्च-पद पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिये लगाया जाता है कि वह उच्च-पद के कर्त्तव्य/उत्तरदायित्वों को भली प्रकार सम्पादित कर सकता है अथवा नहीं। उच्च पद पर उसकी प्रशासनिक योग्यता की जांच करने के लिये उसे ही "परिवीक्षा-पर" लगाया जाता है।

दृष्टान्तः—राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भर्ती के बाद व्यक्तियों को दो वर्ष तक "परिवीक्षाधीन" रखा जाता है और उस अवधि में उन्हें अध्ययन-प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत आर. ए. एस को चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी को जिलाधीश के पद पर "परिवीक्षा-पर" नियुक्त किया जाता है।

नियम 7 (31)–विशेष वेतनः—'विशेष-वेतन' से तात्पर्य निम्न-तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी पद पर किसी कर्मचारी के वेतन आदि में, उसके वेतन के रूप में की गई उस वृद्धि से है, जो निम्न-कारणों से स्वीकृत की जाती है:—

(क) विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य सम्पादन के लिये, अथवा
(ख) कार्य या उत्तरदायित्व की विशेष रूप से वृद्धि हो जाने पर।

टिप्पणी संख्या 1:—कोई कर्मचारी जो किसी वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया हो और उसके अनुबन्ध मे यह प्रावधान हो कि "उसे वे सारे कार्य करने होंगे जिन्हे उसे करने को कहा जाय"। किन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि यदि उसे दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने को भी कहा जायेगा तो उसे उसका मानदेय/पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—किसी वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने के अनुबन्ध में यह प्रावधान कि उसे वे समस्त कार्य भी करने चाहिये जिन्हे उसे करने के लिये कहा जाय, इस बात पर जोर नही देता है कि उससे अन्य पद के अतिरिक्त भार-स्वरूप कार्य के बारे मे मानदेय दिये बिना कहा जाय।

दृष्टान्तः—राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सचिवालय मे सहायक सचिव अथवा अवर-सचिव के पद पर नियुक्त करने पर उसे अपने वेतन के साथ विशेष-वेतन दिया जाता है जो उत्तरदायित्वों की विशेष-रूप से वृद्धि के कारण स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार सचिवालय के आशुलिपकों को मंत्रियों के निजी-सचिव नियुक्त किये जाने पर "विशेष-वेतन" स्वीकृत किया जाता है जो कार्य की कठिन प्रकृति तथा उत्तरदायित्वों में विशिष्ट वृद्धि के कारण दिया जाता है।

नियम 7 (32)–उच्च सेवाः—उच्च सेवा का तात्पर्य चतुर्थ-श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उन समस्त सेवाओं से है, जिनका वर्गीकरण राजस्थान सेवा नियम भाग-(2) के परिशिष्ट 12 में किया गया है।

नियम 7 (33)–निर्वाह-अनुदान (सब्सिस्टेन्स-ग्रान्ट)ः—निर्वाह-अनुदान का तात्पर्य एक राज्य कर्मचारी को उसके निलम्बित काल में दी जाने वाली उस मासिक अनुदान/सहायता राशि से है जिसे इसके अतिरिक्त कोई वेतन अथवा अवकाश वेतन नही दिया जा रहा हो।

दृष्टान्त :—भ्रष्टाचार अथवा अवज्ञा के मामले में एक कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाता है। राजकोष से निलम्बन काल में उसे जो राशि प्रतिमाह दी जाती है वह यद्यपि वेतन बिल पर ही राजकोष से प्राप्त की जाती है किन्तु उसको निर्वाह-अनुदान कहते हैं कारण कि न तो वह व्यक्ति कर्त्तव्यरत (ग्रान-ड्यूटी) होता है और न ही वह अवकाश पर माना जा सकता है। अतः ऐसे समय उसके तथा उसके परिवार के जीवन-यापन/निर्वाह के लिये जो राजकोष से मासिक सहायता दी जाती है उसे ही निर्वाह-अनुदान कहा जाता है।

नियम 7 (34)–मूल वेतनः—मूल वेतन का तात्पर्य इन नियमों के नियम 7 (24) (3) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष-वेतन, व्यक्तिगत-वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त होता है और जो उसे स्थाई पद पर स्थाई रूप से किसी संवर्ग में नियुक्त कर दिये जाने के कारण प्राप्त होता है।

टिप्पणी संख्या 1:— जब राजकीय मुद्रणालय में आंशिक-समय कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को किसी वेतन-मान वाले पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है तो उसका (मासिक) मूल वेतन उसके प्रति घंटे के हिसाब से 200 घन्टे के कार्य के बराबर निश्चित किया जायेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—"मूल-वेतन" मे परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे पद पर प्राप्त किया गया ऐसा वेतन भी सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है।

टिप्पणी संख्या 3:—किसी कर्मचारी जो सरकार के अधीन किसी स्या ी-पद पर अपना पदाधिकार रखता है, के सम्बन्ध मे "मूल-वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा परिभाषित किया जाय।

नियम 7 (34-ए)–मूल नियुक्ति (सबस्टेन्टिव-अपाइन्टमेंट):—मूल-नियुक्ति से तात्पर्य किसी कर्मचारी की उस स्थायी पद पर मूल नियुक्ति से है, जिसके कारण वह उस स्थायी-पद पर पदाधिकार प्राप्त करता है।

नियम 7 (35)–स्थाई पदः—स्थाई पद का तात्पर्य एक ऐसे पद से है जिसका वेतन निश्चित दरों से किसी समय की अवधि तक स्वीकृत हो अर्थात् किसी निश्चित समय के लियें वेतनमान में अथवा निश्चित-वेतन पर सृजित किये गये पदों को स्थायी पद कहा जाता है।

टिप्पणी संख्या (1) व (2):—वित्त विभाग के आदेश संख्या 5316/56 एफ 8 (47) वि.वि./नियम/55 दिनांक 12 नवम्बर, 1956 द्वारा विलोपित।

टिप्पणी संख्या 3:—एक स्थायी पद की अवधि को उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को स्वीकृत अवकाश की अवधि तक बढ़ाना उस समय आवश्यक है जब उस अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने से सरकार को कोई व्यय नही करना पड़ता है। किन्तु इस प्रकार की अवधि नहीं बढाने पर वह बात अनुचित प्रतीत होती है।

नियम 7 (36)–सावधि (टेन्योर-पोस्ट):—सावधि पद का तात्पर्य एक ऐसे स्थाई पद से है जिसे एक राज्य कर्मचारी स्वयं एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता है।

टिप्पणी संख्या 1:—सन्देह की दशा में सरकार यह निर्णय करेगी कि अमुक पद सावधि-पद है या नही।

दृष्टान्त :—जिलाधीश एवं शासन-सचिवों के पद सावधि पद माने जाते हैं। ऐसे समस्त पद स्थाई हैं किन्तु इन पर अधिकारीगण विशेष निर्धारित अवधि तक ही रह सकते हैं जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा रूप से आदेशित नहीं करे।

नियम 7 (37)–समय-वेतनमानः—समय-वेतन-मान का तात्पर्य उस वेतनमान से है जो इन नियमों मे दी गई शर्तों के आधार पर एक निश्चित-अवधि के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम तक चलती हो ।

एक पद को दूसरे पद के समय-वेतनमान के समकक्ष उसी स्थिति में कहा जाता है जब दोनों पदों का वेतनमान समान हो तथा दोनों पदों के व्यक्ति एक संवर्ग में आते हों या किसी संवर्ग के एक वर्ग में आते हों । ऐसा संवर्ग अथवा वर्ग इस दृष्टि से बनाया जाता है ताकि पदों की प्रकृति तथा उत्तरदायित्व इस प्रकार समान हो कि किसी सेवा मे या संस्थापन में या उसके वर्ग में पदों को भरने के लिये, नियुक्त किया जा सके जिससे किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन उसके संवर्ग अथवा वर्ग में होने के कारण निश्चित किया जा सके, न कि इन तथ्यों के आधार पर कि वह उसी पद को धारण करता है ।

नियम 7 (38)–स्थानान्तरणः—स्थानान्तरण का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का, जहां पर वह नियुक्त है, उस स्थान से अन्य स्थान पर निम्न-अंकित कारणों से प्रस्थान करना (जाना) है:—

(क) नये पद का कार्य-भार सम्भालने के लिये, अथवा

(ख) उसके मुख्यालय के स्थान-परिवर्तन के फलस्वरूप ।

नियम 7 (39)–विश्रामकालीन-विभाग (वेकेशन्-डिपार्टमेन्ट):—विश्राम-कालीन विभाग वह विभाग अथवा विभाग का वह हिस्सा कहलाता है जिसमें प्रतिवर्ष नियमित रूप से अवकाश रखा जाता हो और इन अवकाशों की अवधि में उस विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है ।

दृष्टान्तः—शिक्षा विभाग में अध्यापकों को वर्ष में दो अथवा तीन बार विश्रामकालीन अवकाश मिलता है । इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में माह जून तथा जनवरी में कुछ निश्चित समय का विश्राम-काल रहता है ।

नियम 7 (40)–पेन्शन के अयोग्य संस्थापन (नॉन-पेन्शनेबल-एस्टेबलिशमेन्ट):—पेंशन के अयोग्य-संस्थापन का तात्पर्य एक ऐसे संस्थापन से है, जिसका वेतन, आय-व्ययक (बजट) में "अधिकारियों के वेतन" एवं "संस्थापन के वेतन" के प्रावधानों में से नही चुकाया जाता है वरन् अन्य मदों से चुकाया जाता है ।

खण्ड–दो

अध्याय 3

सेवा की सामान्य शर्तें

नियम 8 (1)–प्रथम नियुक्ति के समय आयुः—जब तक किसी पद या पदों की श्रेणी पर नियुक्ति से संबंधित सेवा नियमों में अथवा आदेशों में अन्यथा कुछ नही दिया हो, राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 16 वर्ष एवं 28 वर्ष होगी ।

नियम 8 (2) (क)ः—उस व्यक्ति के संबंध में जो 1-1-1979 को सरकार की सेवा में था, उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा विवरणिका में अंकित जन्म दिनांक ही उस व्यक्ति के लिये जन्म दिनांक राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की जावेगी चाहे उसका आधार अथवा अधिकार कुछ भी हो । इस प्रकार अंकित एवं स्वीकार जन्म तिथि को बाद में उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र अथवा किसी भी शिक्षा मण्डल–इत्यादि द्वारा जारी किये गये प्रथम प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर परिवर्तित/संशोधित नही किया जावेगा चाहे वह उस व्यक्ति के लिये लाभ-दायक हो अथवा नहीं ।

नियम 8 (2) (ख) (*i*)ः—उस व्यक्ति के संबंध में जो राज्य सरकार की सेवा में 1-1-79 अथवा उसके बाद नियुक्त किया जाता है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी जन्म तिथि का निर्धारण, उस द्वारा प्रस्तुत उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र अथवा किसी भी शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किये गये प्रथम प्रमाण-पत्र मे अंकित जन्म-तिथि के आधार पर, किया जावेगा जहां राजकीय-सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई हो अथवा ऐसा डिप्लोमाप्र/माण-पत्र रखी गई हो जिसे सरकार ने उक्त परीक्षावों के समकक्ष अथवा उनसे उच्च मान लिया हो ।

नियम 8 (2) (ख) (*ii*)ः—उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक प्रमाण-पत्र अथवा किसी शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रथम प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि का उल्लेख व्यक्ति को राज्य सेवा में नियुक्त करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेशों मे किया जावेगा'।

नियम 8 (2) (ख) (*iii*)ः—जहां राज्य सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष से भी कम (नीचे) निर्धारित की हुई हों, वहां संबंधित कर्मचारी (व्यक्ति) की जन्म-दिनांक का निर्धारण, नगरपालिका (परिषद् सहित) अथवा पंचायत अथवा विद्यालय द्वारा उसके अभिलेखों में अंकित तथ्यों के आधार पर जारी किये गये प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-दिनांक के आधार पर किया जावेगा । उक्त संस्थावों द्वारा भी यदि इस बारे में कोई प्रमाणिकरण नही किया जा सके तो एक व्यक्ति के संबंध में जन्म-दिनांक वह स्वीकार की जावेगी जो वह अपनी प्रथम नियुक्ति के समय घोषित करेगा । यदि एक राज्य-कर्मचारी को अपनी जन्म-दिनांक ज्ञात नही हो और वह केवल अपने जन्म का वर्ष ही बता सकता हो तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 63 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर उसकी जन्म तिथि का निर्धारण किया जावेगा ।

नियम 8 (2) (ग):—एक कार्य-दत्त (वर्क-चार्ज्ड) कर्मचारी के, जिसे सरकार के अधीन किसी पद पर, कार्य-दत्त पदों के सरकार के अधीन नियमित पदों में बदल दिये जाने के कारण, नियुक्त किया जावे, उसके संबंध में जन्म-तिथि वह मानी/स्वीकार की जावेगी जो कार्य-दत्त पद पर कार्य करते समय बनाई गई उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा विवरणिका में अंकित होगी तथा इसमें परिवर्तन/संशोधन नही किया जावेगा।

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (27) वि. वि. (ग्रुप-2) 78 दिनांक 27-1-79 द्वारा सेवा नियम 8 (2) तथा उसके उप-नियम नये जोड़े गये हैं। जन्म-तिथि के संबंध में किये गये इन संशोधनों से सेवा नियम 7 (1) के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या 1 तथा 2 प्रभावहीन हो गई हैं।

अपवाद संख्या 1·—अल्प वयस्कों अथवा वे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु के नहीं हों, उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिये जिनके लिये प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) लिया जाना आवश्यक हो।

अपवाद संख्या 2:—किसी विशेष पद या पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी नियमों मे जब तक अन्यथा नही दिया हो, महिलाओ के लिये राजकीय सेवा मे प्रवेश पाने की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को राज्य सरकार के नियंत्रण मे आने वाले विभिन्न पदो पर नियुक्ति के लिये आयु की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता दी जाती है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—दिनांक 31 दिसम्बर, 1963 तक जागीरदारों के मामलों में जो जागीरों के पुनर्ग्रहण के बाद राजकीय सेवा मे लिये गये हैं एवं जो पद की योग्यता रखते हों, उनकी आयु 40 वर्ष तक की मानी जा सकती है। "जागीरदार" शब्द मे जागीर कार्य में लगे कर्मचारियों के अतिरिक्त जागीरदारों के वे पुत्र भी सम्मिलित हैं जिनके पास अपने जीवन-निर्वाह के लिये कोई जागीर नही है।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—अधिक आयु के व्यक्ति की नियुक्ति के अवसरों को न्यूनतम करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि नई नियुक्ति के सभी आदेशों मे उनकी जन्म-तिथि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार के नियंत्रण मे विभिन्न पदो पर, भारतीय सेवाओं के आरक्षित (रिजर्विस्ट) व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये, अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—राज्य कर्मचारी के नाम मे परिवर्तन करने के लिये वर्तमान में कोई निश्चित प्रक्रिया निर्धारित नही है। इस मामले की जाच कर यह निर्णय किया गया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो नया नाम रखना चाहता है अथवा अपने वर्तमान नाम में कोई संशोधन करना चाहता है तो अपने नाम मे परिवर्तन करने का एक बन्ध-पत्र (डीड) भरकर ही उसे औपचारिक रूप से परिवर्तन करना चाहिये। बन्ध-पत्र आदि के भरने मे कोई सन्देह न रहे इसके लिये यह वांछनीय है कि वह साक्षियों द्वारा, विशेष-रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जो उस कार्यालय-अध्यक्ष की जानकारी मे हो, जिसमें वह कर्मचारी सेवा कर रहा है, प्रमाणित होना चाहिये। बन्ध-पत्र के प्रपत्र का एक नमूना नीचे दिया गया है।

बन्ध-पत्र का निष्पादन:—बन्ध-पत्र का प्रकाशन किसी लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्रतथा राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायेगा। दोनो मामलों मे कर्मचारी द्वारा प्रकाशन अपने स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा। राजस्थान राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन के लिये कर्मचारी को केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय जयपुर के अधीक्षक से सम्पर्क करने को कहा जायेगा।

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद तथा कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई गाक्षियों की सन्तोषजनक साक्ष एवं बन्ध-पत्र आदि का निष्पादन होने के बाद ही नया नाम रखा या वर्तमान नाम मे परिवर्तन करने की सरकारी रूप से स्वीकृति दी जावेगी तथा सरकारी अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टियों में आवश्यक सशोधन किया जायेगा। संबंधित बन्ध-पत्र आदि की सही प्रतिलिपियां कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली मे रखी जायेंगी तथा महालेखाकार को भी सूचित कर दिया जायेगा।

(नाम/उपनाम परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र)

इस बन्ध-पत्र द्वारा निम्न-हस्ताक्षर-कर्त्ता.................................(नया नाम.................................. जो अभी इससे पूर्व..........................(पुराना नाम) कहलाता था एव जो.................................. (सवधित कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में.................................. स्थान (जहां सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा:—

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी, बच्चे तथा दूसरे के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हैं, मेरे पूर्व नाम.................... उप नाम ....को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम/नया उपनाम ....ग्रहण करता हूँ एव इसलिये मै, मेरी पत्नी, बच्चे तथा दूसरों के बच्चे इसके पश्चात् मेरे पूर्व के उपनाम............................से नही जाने जायें तथा नही पहिचाने जायें बल्कि ग्रहण किये नये उप-नाम द्वारा जाने जायें।

2. उक्त मेरे निश्चिय की साक्षता के लिये घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात सभी समय निजी अथवा सार्वजनिक सभी अभिलेखों मे, बन्ध-पत्र एवं प्रलेखों एव समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारो एवं लेन-देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम....................तथा उप नाम....................के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में....................नाम के रूप में तथा....................उप नाम के रूप मे प्रयुक्त करूंगा तथा हस्ताक्षर करूंगा।

3. स्पष्टत: एतद्पश्चात् सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तथा दूसरों के बच्चों को तद्नुसार नया रखा गया नाम ....उप नाम....................के नाम से सम्बोधित करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिये निवेदन करता हूँ। इसकी साक्षी में मैंने अपने पूर्व नाम........ ....एव नया नाम ....का वर्णन किया तथा दिनांक....................को अपने हस्ताक्षर किये है।

साक्षी सख्या—1.................................. नाम एवं उपनाम बदलने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
साक्षी संख्या—2.................................. ....

राजकीय निर्णय संख्या 6:—महालेखाकार राजस्थान ने सूचित किया है कि अधिक आयु की नियुक्तियों को नियमित करने के अभाव में सेवा-निवृत्ति के प्रकरणों को अन्तिम रूप से निपटाने में पर्याप्त विलम्ब हो जाता है।

राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी नियम एवं आदेश से परिचित नहीं थे एवं राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सेवाओ के विलीनिकरण की प्रक्रिया मे नियमों की अज्ञानता के कारण उनके द्वारा अधिक-आयु पर नियुक्तिया की गई थी। अत: दिनाक 7 अप्रेल, 1949 से दिनांक 31 मार्च, 1953 तक, जबकि विलीनिकरण का बहुत सा कार्य हो चुका था, की अवधि में अधिक-आयु पर की गई नियुक्तियों को इस आदेश के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त की हुई मानी जायेगी।

दिनाक 31 मार्च, 1953 के बाद मे दिनांक 5 मई, 1961 तक अधिक-आयु पर की गई सभी नियुक्तियों के मामलो में, की गई कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा किये बिना ही सक्षम-प्राधिकारी

द्वारा जाच की जानी चाहिये तथा ऐसे समस्त मामलों को सरकार के पास (प्रशासनिक विभागों को) नियमित करने हेतु, अधिक आयु पर नियुक्ति करने के कारण एव औचित्यों का स्पष्टिकरण करते हुए, भेजे जाने चाहियें। ऐसे मामलों मे जहां प्रशासनिक विभाग इस बात से सन्तुष्ट हो कि अधिक-आयु की नियुक्ति न्यायोचित थी तो वह विभाग ऐसी नियुक्ति को नियमित करने के लिये वित्त-विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 7:—चूंकि अधिक आयु में कुछ नियुक्तिया अविघटित जिला बोर्डों द्वारा की गई थी और अब वे विघटित हो चुके है, अतः ऐसी अधिक आयु की नियुक्तियों के कारण मालूम करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस मामले पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ऐसे समस्त मामलों को, जिनमें जिला बोर्डों के कर्मचारियो की अधिक-आयु मे नियुक्ति हुई और जिन्हें जिला बोर्डों के विघटित हो जाने के कारण राज्य-सेवा मे ले लिया गया, उनकी नियुक्ति नियमित मानी जावेंगी।

राजकीय निर्णय संख्या 8:—प्राय: ऐसा देखने मे आता है कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियमो मे अंकित सीमा से अधिक आयु के व्यक्तियो/महिलाओं की नियुक्ति करली जाती हैं और इसके पश्चात् ऐसी अनियमित नियुक्तियो को नियमित करने के लिये राज्य सरकार को लिखा जाता है।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य मे नये नियुक्त **कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न नियुक्ति-आज्ञा-पत्र को कोषाधिकारी देखेंगे। वे यह ध्यान में रखेंगे कि उस नियुक्ति-आज्ञा-पत्र में कर्मचारी की जन्म-तिथि अंकित है।** यदि जन्म-तिथि के अनुसार उक्त कर्मचारी की नियुक्ति अनियमित है तथा सेवा मे रखने योग्य आयु से बाहर है, तो उसका **वेतन पारित नहीं किया जायेगा।** ऐसे कर्मचारी राज्य सेवा में नही रह सकेंगे तथा उनका चढ़ा हुआ वेतन का भुगतान **नियुक्ति-अधिकारी स्वयं अपने द्वारा करेंगे।** यह निर्देश उन कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे लागू नही होगे जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा या संबंधित सेवा-नियमो के अन्तर्गत अधिक आयु मे की गई हों।

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारियों को कृपया सूचित कर दें कि निर्धारित आयु से अधिक आयु के व्यक्तियो की नियुक्ति भविष्य मे नहीं की जावे। यदि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में नियुक्ति, सम्बन्धित सेवा नियमो के अन्तर्गत, की गई है तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नियुक्ति-आदेश-पत्र में किया जावेगा, ताकि जिला कोषाधिकारी को वेतन बिल पारित करने या न करने में कठिनाई नहीं हो।

राजकीय निर्णय संख्या 9:—ऐसे कर्मचारी जो राज्य-सेवा में रहते हुये मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करे तथा जिनके प्रमाण-पत्र में जन्म-तिथि अंकित होती हैं, उनकी सेवा-पुस्तिका मे **पूर्व अंकित जन्म तिथि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं बदली जावे।**

राजकीय निर्णय संख्या 10:—राजस्थान सेवा नियम 8 के प्रावधानो के अनुसार राजकीय सेवा में प्रविष्टि की न्यूनतम एव अधिकतम आयु 16 वर्ष एवं 28 वर्ष है। कर्मचारियों की कम आयु मे की गई नियुक्तियो को नियमित करने के मामले सरकार के ध्यान मे लाये गये हैं। ये नियुक्तियां राजस्थान मे विलीन हुए देशी-राज्यो की सरकारो अथवा राजस्थान के पुर्नगठन के पूर्व के राज्यो द्वारा की गई थी।

मामले पर विचार कर लिया गया है और यह आदेश दिया जाता है कि राज्य में विलीन हुए देशी-राज्यों अथवा राजस्थान के पुर्ननगठन से पूर्व के राज्यो द्वारा कम-आयु मे की गई नियुक्तियों के मामलों में इस आदेश के अनुसार राजकीय स्वीकृति दी हुई माननी चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 11:—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (78) वि.वि. (व्यय-नियम) 62/1 दिनांक 29 अप्रेल, 1967 द्वारा दिनाक 31 मार्च, 1953 तक की गई अधिक आयु की नियुक्तियों को नियमित किया गया था। वित्त विभाग के ध्यान मे यह आया है कि राजस्थान सेवा नियम-8 मे निर्धारित आयु सीमा का

अतिक्रमण करते हुए नियुक्ति प्राधिकारियों ने दिनांक 1 अप्रैल, 1953 के पश्चात् भी अधिक आयु वालों की नियुक्तियां करना जारी रखा है। सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं को बहुत गंभीर मानती है और निम्न आदेश दिये जाते हैं:—

(2) जो कर्मचारी 1 जुलाई, 1967 को या इससे पूर्व सेवा-निवृत्त हो गया है एवं जिनकी नियुक्ति के लिये आयु का नियमन राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत होता है, इन नियमों में निर्धारित नियुक्तियों की अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए नियुक्ति-प्राधिकारियों को, अधिक आयु वालों की नियुक्तियों को नियमित करने के अधिकार एतद्द्वारा दिये जाते हैं।

(3) (i) सचिवालय के लिपिक वर्ग को छोड़कर वे समस्त अधिक-आयु की नियुक्तियां जो अन्य लिपिक-सेवा अथवा अधिनस्थ सेवा में दिनांक 1 अप्रैल 1953 से 31 अक्टूबर, 1956 तक की गई है, को इन आदेशों के अन्तर्गत नियमित किया समझा जावेगा।

(3) (ii) राज्य कर्मचारी जो उपरोक्त अनुच्छेद 3 (i) की श्रेणी में आते हैं एवं जिनकी अधिक-आयु में नियुक्तियां 1 नवम्बर, 1956 को या इसके पश्चात् की गई हैं को नियमित करने के लिये वित्त (व्यय) विभाग दिनांक 30 जून, 1970 तक विचार करेंगे। ऐसे सभी प्रकरणों को 30 जून, 1970 तक निम्न-अंकित सूचनाओं के साथ संबंधित वित्त (व्यय) विभाग को, नियमित करने के लिये, भिजवा दिये जाने चाहियें:—

(क) नियुक्ति-प्राधिकारी का नाम

(ख) अधिक-आयु में नियुक्ति करने के कारण

(ग) ऐसे नियुक्ति-प्राधिकारी के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसका विस्तृत विवरण।

(4) नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (21) नियुक्ति (क-2) 62 दिनांक 8 जुलाई, 1963 द्वारा चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों के सेवा नियम प्रकाशित किये गये थे। समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों की नियुक्तियां इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहियें। उपरोक्त अनुच्छेद-संख्या (2) में उल्लिखित मामलों को छोड़ते हुए अधिक आयु की नियुक्तियां जो इन आदेशों के प्रसारित होने के पूर्व में की गई है, के बारे में निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं:—

(i) जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 8 जुलाई, 1963 के पूर्व में की गई है एवं जिनकी आयु नियुक्ति के समय 30 वर्ष की थी, कि अधिक-आयु में नियुक्तियों को इन आदेशों के अन्तर्गत नियमित किया हुआ समझा जाय।

(ii) जिन चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 30 वर्ष की आयु के पश्चात् तथा दिनांक 8 जुलाई, 1963 के पूर्व में की गई है और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी अधिक आयु की नियुक्तियों का नियमन, विभागाध्यक्ष द्वारा, जहां आवश्यक हो नियुक्ति-प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् एवं नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए, किया जायेगा।

(iii) चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी जो 30 वर्ष की आयु के पश्चात् 8 जुलाई, 1963 के पूर्व नियुक्त किये गये और राज्य सेवा में 1 दिसम्बर, 1969 के पूर्व सेवा निवृत्त कर दिये गये हो तो उनके प्रकरण वित्त (व्यय) विभाग को अनुच्छेद 3 (ii) द्वारा वांच्छित सूचनाओं के साथ 30 जून, 1970 तक नियमित करने के लिये भेज दिये जाने चाहियें।

(iv) चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी जो 8 जुलाई, 1963 के पूर्व तथा 30 वर्ष की आयु के पश्चात् नियुक्त

किये गये हों एवं राज्य सेवा मे अभी भी कार्यरत है, के मामले वित्त (व्यय) विभाग को उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ii) द्वारा वांछित सूचनाओं के साथ दिनाक 30 जून, 1970 तक नियमित करने के लिये भिजवा दिये जाने चाहिये। इस तारीख के बाद जो मामले वित्त विभाग में भेजे जायेंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(v) दिनाक 8 जुलाई, 1963 के बाद नियुक्त-चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियो की अधिक-आयु की नियुक्तियों के मामले नियुक्ति (क) विभाग को भेजे जायेंगे।

[अधिसूचना एफ 1 (61) वि. वि./नियम 69 दिनांक 30 मार्च, 1970 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 12:—वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प. 1 (16) वित्त (नियम)/68 दिनाक 6 जुलाई, 1968 द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि विभागाध्यक्ष/नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारी राज्य सेवा में नई नियुक्ति करते समय नियुक्ति-आज्ञा-पत्र मे अनिवार्य रूप से कर्मचारी की जन्म-तिथि अंकित करेंगे, तथा जिला कोषाधिकारी सबधित कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि उक्त कर्मचारी के नियुक्ति-पत्र में जन्म तिथि अकित है और वह नियमानुसार है अथवा योग्य आयु के बाहर है। नियमित आयु सीमा मे की गई नियुक्ति का ही वेतन बिल वे पारित करेंगे।

प्राय: ऐसा देखने मे आया है कि नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारी नियुक्ति-आज्ञा-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख नही करते और किन्ही मामलो मे जिला कोपाधिकारियो ने भी प्रथम वेतन बिल, इस तथ्य की जाच किये बिना ही, पारित कर दिए हैं।

निर्धारित आयु से कम आयु में की गई नियुक्तिया अथवा अधिक आयु की नियुक्तियां दोनों ही नियमानुकूल नहीं हैं और उनको नियमित किए जाने के लिए बाद मे विभागाध्यक्ष प्रस्ताव करते है, अथवा कर्मचारी के पेन्शन के कागजात पूरे कराते समय ऐसे तथ्य सामने लाये जाते है जो अनेकों कठिनाइया उत्पन्न करते हैं।

अत: समस्त विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि विभागाध्यक्ष अपने आन्तरिक लेखा जांच दलो तथा अपने विभाग के लेखाधिकारियों को निर्देश दें कि अपने निरीक्षण के समय वे ऐसे मामलों की भी जांच करें और इस सम्बन्ध मे हुई अनियमितताओं को वित्त विभाग के ध्यान में लावें। विभागाध्यक्ष इन निर्देशो को अपने अधीनस्थ कार्यालयों मे भी पहुंचा दे।

जिला कोषाध्यक्ष उक्त निर्देशों का कृपया ठीक ढग से पालन करें। इस सम्बन्ध मे पाई गई अनियमितताओं को राज्य सरकार गम्भीर मानती है।

[क्रमांक एफ 1 (16) वि.वि. (नियम) 68 दिनांक 23-7-76 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 13:—राजस्थान सेवा नियम 8 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय ने देवस्थान विभाग के पुजारियों के पद पर नियुक्ति की अधिकतम आयु 35 वर्ष करने का आदेश दिया है।

[आदेश एफ 1 (42) वि.वि. (नियम) 71 दिनांक 9 जुलाई, 1971 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 14:—वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 1 (61) वि. वि. (नियम) 69 दिनांक 30 मार्च, 1970 के अनुसार अधिक आयु की नियुक्तियों के सभी मामले नियमित करने के उद्देश्य से दिनांक 30 जून, 1970 तक वित्त (व्यय) विभाग को भेजे जाने का निर्देश था। सरकार के ध्यान मे यह आया है कि उपरोक्त आज्ञा के उपरान्त भी नियुक्ति-अधिकारियो ने अधिक आयु की नियुक्तियां करना जारी रखा है। सरकार ने इसे गम्भीरता से देखा है और समस्त नियुक्ति अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है कि इस प्रकार के सभी नियम विपरीत वाले मामले, जिनमे 31 मार्च, 1972 से पूर्व अधिक आयु की नियुक्तिया की गई हों, उन समस्त मामलों को प्रशासनिक विभागों को 30-9-72 तक भिजवा दिये जाने चाहियें, जो ऐसे मामलो को वित्त (व्यय) विभाग/

नियुक्ति विभाग, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति से नियमित करालें । 30 सितम्बर, 1972 के वाद प्रस्तुत होने वाले मामलों पर नियुक्ति/वित्त विभाग विचार नही करेगा ।

जब इस प्रकार की अधिक आयु की नियुक्तियो के मामलों को नियमित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायं तो नियुक्ति प्राधिकारी निश्चित रूप से उसके साथ नियमों का उल्लघन करके की गई नियुक्तियों के मामलों के वारे में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करेंगे ।

[ज्ञापन संख्या एफ. 1 (29) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 20 जून, 1972 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 15:—समस्त नियुक्ति प्राधिकारियो से आग्रह किया जाता है कि अधिक आयु की नियुक्ति वाले मामले जो 31 मार्च, 1972 तक किये गये है, को अपने प्रशासनिक विभागो को 31-3-1973 तक अवश्य प्रस्तुत करें जो इन मामलो को वित्त (व्यय) विभाग अथवा नियुक्ति विभाग, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति लेकर नियमित करा ले । दिनाक 31 मार्च, 1973 के बाद प्राप्त होने वाले मामलो पर वित्त विभाग/नियुक्ति विभाग द्वारा विचार नही किया जायेगा ।

[ज्ञापन संख्या एफ 1 (29) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 5-1-1973 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 16:—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (29) वि. वि. (नियम) 72 दिनाक 5 जनवरी, 1973 द्वारा अधिक आयु की नियुक्तियों के समस्त मामले वित्त विभाग की सहमति से नियमित कराने के लिये 31 मार्च, 1973 तक प्रस्तुत किये जाने थे । सरकार के ध्यान मे पुनः यह आया है कि उक्त आज्ञा के वावजूद भी अधिक आयु मे नियुक्तियों के मामले निर्धारित तारीख के वाद भी वित्त विभाग मे भेजे जा रहे है । सरकार ने इसे अत्यन्त गम्भीरता से देखा है और अब समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियो को चेतावनी दी जाती है कि ऐसे अधिक आयु की नियुक्ति के अनियमित मामले जो 31 मार्च, 1972 तक किये गये है, को अपने प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करदें, जो उनको वित्त (व्यय) विभाग/कार्मिक विभाग से नियमित करालें । दिनाक 31 मार्च, 1972 के बाद अधिक आयु की नियुक्ति के मामलों को वित्त विभाग नियमित नही करेगा और ऐसे मामले, यदि बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे तो उन्हे सरसरी तौर पर ही देख कर, अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

[ज्ञापन संख्या एफ 1 (29) वि. वि. (नियम) 72 दिनांक 25 मई, 1973 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय सख्या 17:—यह निर्णय किया गया है कि अधिक आयु की नियुक्तियों के मामलो को सामान्य-आदेशों द्वारा नियमित करने के आदेश जारी नही होने पर भी विश्राम वृत्ति के मामलो को अन्तिम रूप से निपटा दिया जाय एवं अकेक्षण मे मान लिया जाय । यह आदेश विश्राम-वृत्ति के अन्तिम निपटारे एवं सेवा-निवृत्ति के पश्चात् अधिक आयु की नियुक्तियों के मामलो को नियमित करने की आवश्यकताओं को समाप्त नही करता है ।

सरकार ने इस प्रकार की कमियो तथा नियमों की पालना मे की गई अनियमितताओं को गम्भीरता से लिया है । अतः नियुक्ति प्राधिकारियो को कहा जाता है कि वे प्रथम नियुक्ति की आयु से सबधित नियमो की अवहेलना करके नियुक्तियां नहीं करें । राजकीय आदेशों मे राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति करते समय, उसकी जन्म-तिथि का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिये ।

[संख्या एफ. 1 (77) वि.वि. (ग्रुप-2) 69 दिनांक 15 सितम्बर, 75 द्वारा निविष्ट)

नियम 9:–**नवीन नियुक्तियों के लिये स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना:**—इस नियम के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को राज्य सेवा में, उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना, नियुक्त नही किया जावेगा । व्यक्तिगत मामलों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है अथवा वह कर्मचारियों के किसी विशिष्ट-वर्ग को इन नियमों के प्रावधानों से मुक्त कर सकती है ।

राजकीय निर्णय संख्या 1—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अंशकालीन कर्मचारी को शारीरिक स्वस्थ्यता के लिये एक चिकित्सक से परीक्षा कराना आवश्यक है ? इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे कर्मचारी को अपनी शारीरिक स्वस्थ्यता का उन शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा पूर्णकालीन कर्मचारियो को करना पडता है ।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित नियम-9 के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारियो के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न नहीं किया जाता है । आडिट की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ आडिट प्रयोजनो के लिये एक प्रमाण-पत्र सलग्न करना चाहिये कि "सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है" । राजपत्रित एव अराजपत्रित कर्मचारियो के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्न-प्रकार होगी:—

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में सक्षम-प्राधिकारी, जिसे चिकित्सा-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाण-पत्र प्रथम वेतन बिल में अंकित किया जाना चाहिये ।

(2) अराजपत्रित कर्मचारियो के सम्बन्ध मे आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कर्मचारियो के प्रथम वेतन बिल के साथ ऐसा ही प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर संलग्न करना चाहिये ।

नियम 10:—राज्य सेवा के लिये चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का प्रारूप निम्न-प्रकार होगा:—

स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र

मैं, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैने.......................जो कि.......................विभाग में नियुक्ति के लिये प्रत्याशी है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की है तथा मुझे.......................के सिवाय इनके ऐसी कोई बीमारी (बताने योग्य तथा अन्यथा प्रकार की) शारीरिक दुर्बलता या दोष नहीं मालूम दिया है । मैं.......................विभाग में इन्हें नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं समझता ।

नियम 11:—उपरोक्त नियम 10 द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा के प्रमाण-पत्र पर जिला-चिकित्सा-अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा-अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहियें, किन्तु:—

(क) महिलाओं के विषय में सक्षम-प्राधिकारी किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकेंगा ।

(ख) उम्मीदवार जिन्हें अस्थाई रूप से निरन्तर तीन माह या उससे अधिक समय के लिये नियुक्त किया जाता हो, उन्हे अपनी नियुक्ति के समय किसी चिकित्सा स्नातक अथवा लाइसेनशियेट से एक स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि चिकित्सक यह सन्देह करे कि उम्मीदवार राज्य सेवा के योग्य है अथवा नही तो वह उस मामले को प्रधान-चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करेगा । जब एक राज्य कर्मचारी को प्रारम्भ में किसी कार्यालय में 3 माह से कम अवधि के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाये तथा बाद में उसे उसी कार्यालय में रख लिया जाय अथवा सेवा-काल में किसी प्रकार का व्यवधान हुए बिना दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय और राज्य

सेवा में कुल सेवा-काल 3 माह या उससे अधिक की हो जाने की आशा हो तो उसी कार्यालय में रखने अथवा नये कार्यालय में स्थानान्तरण होने पर, उपस्थित होने के आदेश से एक सप्ताह में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

[अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (58) वि.वि /(नियम) 70 दिनांक 12 जनवरी, 1976 द्वारा पूर्व का उपनियम (ख) विलोपित कर पूर्व के (ग) को (ख) कर दिया गया है]

टिप्पणीः—एक कर्मचारी जिसने उसकी प्रथम अस्थाई रूप से नियुक्ति पर एक चिकित्सा स्नातक अथवा लायसेन्शियेट से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, और बाद मे जिसे उसी कार्यालय मे अथवा सेवा के व्यवधान के बिना अन्य स्थान पर एक स्थाई रिक्त पद पर, जिला चिकित्साधिकारी या उससे उच्च चिकित्साधिकारी द्वारा पुनः स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जब तक कि उसने प्रथम अस्थाई नियुक्ति के समय ऐसे अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो। वह प्रावधान उन कर्मचारियों पर प्रभावी नही होगा जिनका विवरण इस नियम के (क) एवं (ख) में दिया गया है।

[एफ. 1 (58) वि. वि. (ग्रुप-2) 70 दिनांक 12-1-76 द्वारा संशोधित]

नियम 12-स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से विमुक्त किये हुए राज्य कर्मचारीः—निम्नांकित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से विमुक्त किये गये हैंः—

(1) एक कर्मचारी जिसे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया हो एवं जिसे उस सेवा के नियमों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिये जाना पडा हो।

(2) एक कर्मचारी जो 3 माह से कम समय के लिये अस्थाई रूप से उच्च सेवा में रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो।

(3) एक कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी सेवा में अस्थाई रिक्त पद पर 6 माह से कम के लिये नियुक्त किया गया हो।

(4) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसकी चिकित्सा परीक्षा पूर्व में ही किसी कार्यालय में हो चुकी हो और अब सेवा में व्यवधान के बिना उसका दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ हो।

(5) एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी जो सेवा-निवृत्ति के बाद तुरन्त ही पुनःनियुक्त किया गया हो।

(6) शारीरिक दृष्टि से अशक्त एक व्यक्ति जो विशिष्ट नियोजन कार्यालय द्वारा भिजवाने पर नियुक्त किया गया हो और जिसे किसी राजकीय अस्पताल के अधीक्षक, प्रधान चिकित्सक एव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा मंडल के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षा के लिये जाना पड़ा हो।

टिप्पणी संख्या 1:—निम्नांकित परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता हैः—

(क) जब एक कर्मचारी स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली पेंशन के अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उच्च सेवा मे एक पद पर पदोन्नत किया जावे।

(ख) एक व्यक्ति जिसे त्यागपत्र देने के बाद अथवा उसकी पूर्व की सेवाओं को समाप्त करने के बाद पुनः नियुक्त किया जाय।

(ग) जब कोई व्यक्ति उपरोक्त (ख) मे अंकित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में पुनः नियुक्त किया जाय तो नियुक्ति अधिकारी यह निर्णय करेगा कि क्या स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संबधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये अथवा नही ।

टिप्पणी संख्या 2:—जब किसी कर्मचारी को राज्य-सेवा मे प्रवेश पाने के लिये स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाय, चाहे वह नियुक्ति स्थाई अथवा अस्थाई रूप से ही क्यों नही की जा रही हो, किन्तु जब एक बार वह वास्तव मे स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र के लिये जांचा जा चुका है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो नियुक्ति-अधिकारी द्वारा ऐसे (अयोग्य घोषित करने) प्रमाण-पत्र की उपेक्षा नही की जायेगी जो एक बार प्रस्तुत किया जा चुका है ।

नियम 13–राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें:—जब तक किसी मामले में अन्यथा रूप से स्पष्ट प्रावधान नही किया जाय, एक राज्य-कर्मचारी का सम्पूर्ण समय सरकार के विवेक पर रहेगा तथा उसे समुचित प्राधिकारी द्वारा, अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग के बिना, किसी भी प्रकार से नियोजित किया जा सकता है, चाहे उसकी चाही गई सेवायें ऐसी हों जिनका वेतनादि संचित-निधि से अथवा स्थानीय निधि से दिया जाय या किसी ऐसे निकाय की निधि से दिया जाय जो पूर्णतः या मूलतः सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा नियंत्रित हो अथवा जो राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् नियम 1959 के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् निधि से दिया जाय ।

टीका:—यह नियम एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि एक राज्य कर्मचारी, जब तक वह राज्य सेवा में रहता है, सदैव पूरे समय का (मोटे शब्दों में 24 घन्टों का) राज्य-सेवक है । यह इसी कारण बिना सक्षम अनुमति/स्वीकृति के कोई दूसरा अंशकालीन कार्य अथवा व्यवसाय नहीं कर सकता है ।

यह मूलभूत सिद्धांत कर्मचारी को पाबन्द करता है कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त निर्देशित कार्य करेगा किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि एक लिपिक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का कार्य लिया जावे अथवा एक अध्यापक से लिपिक का कार्य लिया जावे । इस नियम का यह भी आशय नहीं है कि किसी राज्य कर्मचारी से अतिरिक्त समय कार्य लेने पर भी उसे कोई मानदेय अथवा विशेष वेतन नहीं दिया जावे । बेगार लेने अथवा बलपूर्वक अनचाहा कार्य कराने का भी इस नियम का कतई आशय नहीं है ।

नियम 14 (क):—एक ही समय एक स्थाई पद पर दो या दो से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थाई रूप से नही की जा सकती है ।

दृष्टान्त:—वरिष्ठ लिपिक (अ) एवं (ब) को (स) नाम के कनिष्ठ लिपिक के पद पर मूल रूप (स्थाई रूप) से एक ही तारीख से स्थाई नहीं किया जा सकता है । यदि (अ) नामक वरिष्ठ लिपिक को (स) नामक कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 1 अप्रेल, 1976 से स्थाई किया गया है तो (ब) नामक वरिष्ठ लिपिक को इसी पद पर दिनांक 1 अप्रेल, 1976 के बाद तब तक स्थाई नहीं किया जा सकता है जब तक (अ) नामक लिपिक का पदाधिकार नियम 17 के अनुसार निलम्बित नहीं कर दिया जाय अथवा नियम 18 के अनुसार समाप्त नहीं कर दिया जाय ।

नियम 14 (ख):—एक कर्मचारी एक ही समय, अस्थाई रूप से नियुक्ति के अलावा, दो या दो से अधिक स्थाई पदों पर स्थाई रूप से नियुक्त नही किया जा सकता है ।

दृष्टांत :—एक लेखालिपिक जिसे 11 जुलाई, 1970 से लेखा-लिपिक के पद पर स्थाई किया है, को मुख्य-लेखाधिकारी द्वारा 3 जुलाई, 1974 से लेखाकार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और 2 मार्च 1978 से लेखाकार के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। यहां लेखाकार के पद पर स्थाई करने पर इस व्यक्ति के लेखालिपिक के पद के पदाधिकार को निलम्बित कर दिया जाना चाहिये, कारण कि वह स्थायी रूप से एक ही समय में दो पदों पर स्थायी नहीं रह सकता है।

नियम 14 (ग)-एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो।

दृष्टांत :—एक कनिष्ठ लिपिक को 11 अगस्त, 1976 से वरिष्ठ लिपिक नियुक्त किया गया तथा 1 सितम्बर, 1978 को उसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थाई कर दिया गया। उसी विभाग में एक वरिष्ठ लिपिक अपने संवर्ग से लगभग तीन वर्ष से एक संस्था में रहकर, बाहर रहता है। कनिष्ठ लिपिक चाहता है कि उसे वरिष्ठ लिपिक के इस रिक्त पद पर स्थाई कर दिया जाय। वर्तमान प्रकरण में यदि संवर्ग से बाहर कार्यरत वरिष्ठलिपिक का उस रिक्त-पद पर निलम्बित पदाधिकार हो, तो उस कनिष्ठ-लिपिक को वरिष्ठ-लिपिक के पद पर केवल अन्तःकालीन (प्रोविजनल) रूप से ही स्थाई किया जा सकता है-मूल रूप से नहीं।

नियम 15–पदाधिकारः—जब तक इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा जाय, एक कर्मचारी किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने पर उस पद पर अपना पदाधिकार प्राप्त कर लेता है तथा बाद में यदि किसी अन्य स्थायी पद पर उसका पदाधिकार बन जाता है (मिल जाता है) तो वह अपने पूर्व के पद का पदाधिकार धारण करना बन्द कर देता है।

दृष्टांत :—एक वरिष्ठ-लिपिक को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक के पद पर चुन लिया जाता है है और उसे प्राध्यापक के पद पर परिवीक्षा की समाप्ति पर, स्थाई कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्राध्यापक के पद पर स्थाई होने के दिनांक से वरिष्ठ-लिपिक के पद से अपना पदाधिकार समाप्त कर देगा।

नियम 16:–जब तक किसी कर्मचारी का पदाधिकार इन नियमों के नियम 17 के अनुसार निलम्बित नही कर दिया जाता अथवा नियम 19 के अनुसार स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता, तब तक स्थायी-पद को धारण करते हुए वह उस पद पर अपना पदाधिकार निम्न-अंकित परिस्थतियों में भी जारी रखेगाः—

(क) जब वह उस पद का कार्य सम्पादित कर रहा हो,

(ख) जब वह विदेश-सेवा में हो अथवा किसी दूसरे पद पर अस्थाई या कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हो,

(ग) दूसरे पद पर कार्य-ग्रहण-काल में, यदि वह पूर्व के निम्न-वेतन वाले पद पर स्थायी रूप से स्थानान्तरित नहीं कर दिया गया हो। ऐसे मामले में जिस दिन वह अपने पुराने पद के कार्यभार से मुक्त हुआ, उसका पदाधिकार नये पद पर स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

(घ) जब वह अवकाश पर रहे, एवं

(ङ.) जब वह निलम्बित रहे।

नियम 17 (क)–पदाधिकार का निलम्बनः—यदि कोई कर्मचारी निम्न-अंकित पदों में से किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है तो सरकार उसका पदाधिकार उस स्थायी पद से अवश्य निलम्बित करेगी जिसे वह पूर्व से मूल रूप में धारण कर रहा है :—

(i) किसी सावधि (टेन्योर) पद पर,

(ii) विलोपित,

(iii) अन्तःकालीन (प्रोविजनल) रूप से किसी एक पद पर, जिस पर अन्य कर्मचारी अपना पदाधिकार रखेगा यदि उसका पदाधिकार इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित नही किया जावे ।

दृष्टांत संख्या 1:—उप निदेशक, कृषि विभाग को सावधि (टेन्योर) पद आचार्य, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसे उस सावधि पद पर एक वर्ष बाद स्थाई कर दिया जाता है तो इस अधिकारी का उपनिदेशक, कृषि विभाग के पद का पदाधिकार आवश्यक रूप से निलम्बित कर दिया जावेगा ।

दृष्टांत संख्या 2:—राजकीय बीमा विभाग के एक स्थायी बीमा सुपरवाईजर को लोक सेवा आयोग द्वारा श्रम-कल्याण अधिकारी के पद पर चुन लिया जाता है और एक वर्ष के उपरान्त उसी पद पर उसे अन्तःकालीन रूप से नियुक्त कर दिया जाता है इस प्रकरण में नियम 17 (क) (iii) के अनुसार इस व्यक्ति का बीमा सुपरवाईजर के पद का पदाधिकार आवश्यक रूप से निलम्बित किया जायेगा ।

दृष्टांत संख्या 3:—एक कनिष्ठ-लिपिक को वरिष्ठ-लिपिक के उस रिक्त पद पर नियोजित किया जाता है जो एक वरिष्ठ-लिपिक के क्षय-रोगी (टी बी) होने के कारण रिक्त रह रहा है । इस रिक्त पद पर कनिष्ठ-लिपिक की पदोन्नति की जा सकती है और उसे अन्तःकालीन रूप से इस पद पर स्थायी भी किया जा सकता है । अतः वरिष्ठ लिपिक के पद पर अन्तःकालीन नियुक्ति के दिनांक से कर्मचारी का कनिष्ठ लिपिक के पद से पदाधिकार आवश्यक रूप से निलम्बित कर दिया जावेगा ।

नियम 17 (ख):—यदि कोई कर्मचारी भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है या वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या इस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाली परिस्थितियों में किसी दूसरे संवर्ग में कार्यवाहक रूप से एक पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं यदि इन मामलों में से किसी मामले में सरकार को यह विश्वास/संतोष हो जाय कि वह कर्मचारी, जिस पद पर वह अपना पदाधिकार रखता है, उस पद से 3 वर्ष की अवधि तक अनुपस्थित रहेगा, तो सरकार उस कर्मचारी का उस पद से पदाधिकार अपनी ओर से, विवेकानुसार, निलम्बित कर सकती है ।

दृष्टांत संख्या 1 :—राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका में राजस्थान में निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के हित को देखने के लिये तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है । इस स्थिति में राज्य-सरकार इस प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी के पदाधिकार को निलंबित कर सकती है । यहां पदाधिकार को निलम्बित करना अथवा नहीं करना प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर स्वेच्छिक है–आवश्यक नहीं ।

दृष्टांत संख्या 2 :—स्थानीय निकाय विभाग के एक वरिष्ठ-लिपिक को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ़ के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और नियुक्ति की शर्तों में यह अवधि तीन वर्ष की रखी जाती है। इस दशा में वरिष्ठलिपिक के पद से उसका पदाधिकार निलम्बित किया जा सकता है।

नियम 17 (ग) :—इस नियम के खण्ड (क) तथा (ख) में कुछ भी उल्लिखित होने पर भी एक कर्मचारी का किसी सावधि (टेन्योर) पद पर से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में निलम्बित नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो सावधि पद से उसका पदाधिकार आवश्यक रूप से समाप्त ही किया जाना चाहिये।

दृष्टांत :—ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में कृषि प्रवक्ता के पद पर, जो सावधि पद है, निदेशक, कृषि विभाग द्वारा एक कृषि-प्रसार-अधिकारी को 11 अगस्त, 1977 से 3 वर्ष के लिये प्रति-नियुक्ति पर भेजा गया। 14 जनवरी, 1978 को उस कृषि-प्रवक्ता को इस सावधि पद पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया गया। 12 अगस्त, 1978 से वह कृषि प्रवक्ता के स्थान से जिला कृषि अधिकारी के पद पर नियोजित कर दिया जाता है और वहां वह 14 सितम्बर, 1978 से स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है।

नियम संख्या 17 (ग) के अनुसार जब उक्त अधिकारी को 14 सितम्बर, 1978 को जिला कृषि अधिकारी के पद पर स्थाई कर दिया गया है, तब 14 सितम्बर, 78 से ही सावधि पद से उसका पदाधिकार आवश्यक रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

नियम 17 (घ) :—यदि किसी कर्मचारी का पदाधिकार इस नियम के उप खण्ड (क) अथवा (ख) के अनुसार निलम्बित कर दिया जाता है तो उस पद को तब स्थाई रूप से भरा जा सकता है, तथा ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया गया कर्मचारी उस पद पर अपना पदाधिकार रख सकेगा, किन्तु जैसे ही निलम्बित पदाधिकार पुनः प्रस्थापित (रिवाईव) कर दिया जाये, वैसे ही उक्त व्यवस्था वापिस बदल दी जायेगी।

टिप्पणीः—उक्त उप-खण्ड के अनुसार ऐसा पद स्थाई रूप से भरा जा सकता है तो भी वह नियुक्ति अंतःकालीन (प्रोविजनल) नियुक्ति कहलायेगी एवं कर्मचारी उस पर अपना अंतःकालीन पदाधिकार ही रखेगा। वह पदाधिकार भी इस नियम के उप-खण्ड (क) या (ख) के अनुसार निलम्बित किया जा सकेगा।

दृष्टांत :—श्री-"क" जो कनिष्ठ लिपिक के (ग) नामक पद पर पदाधिकार रखे हुए था, को (ख) नामक सावधि पद पर 11 अप्रेल, 1978 से मूल रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। श्री "ब" नामक अन्य कर्मचारी यह चाहते हैं कि उन्हें 11 अप्रेल, 78 से ही (ग) नामक पद पर स्थाई कर दिया जाय।

वर्तमान प्रकरण में जब श्री "क" को सावधि पद (ख) पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसका (क) नामक पद से पदाधिकार नियम 17 (क) (1) के अनुसार आवश्यक रूप से निलम्बित किया जायेगा और पदाधिकार निलम्बित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर श्री (ब) को मूलरूप से नियुक्त कर स्थाई किया जा सकता है। किन्तु श्री "ब" इस पद पर केवल अन्तःकालीन पदाधिकार ही प्राप्त कर सकेंगे। किन्हीं कारणों से यदि श्री (ब) को भी अपने संवर्ग से बाहर जाना पड़े तो, उसके इस अन्तःकालीन पदाधिकार को भी नियम 17 (क) के अनुसार निलम्बित किया जा सकता है, तथा अन्य कर्मचारी को अन्तःकालीन रूप से स्थायी किया जा सकता है।

नियम 17 (ङ.) :–निलम्बित पदाधिकार का पुनः प्रस्थापनः—एक कर्मचारी का पदाधिकार जिसे इस नियम के खण्ड (क) के अनुसार निलम्बित किया जा चुका है, जैसे ही वह कर्मचारी इस खण्ड के उप-खण्ड (1) या (2) या (3) में वर्णित प्रक्रिया कारण से उस पद पर अपना पदाधिकार समाप्त कर देता है तो उसका पूर्व में निलम्बित पदाधिकार पुनः प्रस्थापित हो जाता है ।

नियम 17 (च) :—एक कर्मचारी का पदाधिकार, जो इस नियम के खण्ड (ख) के अनुसार निलम्बित किया जा चुका है, उसी समय पुनः प्रस्थापित किया जायेगा जब वह कर्मचारी भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति पर रहना बन्द करदे, या विदेश सेवा में रहना बन्द करदे, या दूसरे संवर्ग में कार्य करना बन्द करदे । किन्तु शर्त यह है कि एक निलम्बित पदाधिकार पुनःप्रस्थापित नहीं किया जावेगा यदि वह कर्मचारी अवकाश ले लेता है और उसके बारे में यह सुनिश्चित हो जाये कि अवकाश से लौट आने पर वह भारत से बाहर या वापिस विदेश-सेवा मे प्रति-नियुक्ति पर चलता रहेगा या अन्य सेवा में कार्य करता रहेगा तथा उसकी सेवा से अनुपस्थिति का कुल समय 3 वर्ष से कम नहीं होगा अथवा वह इस नियम के खण्ड (क) के उप खण्ड (1), (2) या (3) में वर्णित पदों पर स्थाई रूप से कार्य करता रहेगा ।

टिप्पणीः—जब यह बात हो जावे कि कर्मचारी, जो अपने संवर्ग के बाहर किसी पद पर स्थानान्तरित हो गया है, यदि वह अपने स्थानान्तरण से 3 वर्ष की अवधि मे विश्राम-वृत्ति आयु प्राप्त करने के कारण सेवा निवृत्त किया जाना है, तो स्थाई पद से उसका पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

दृष्टांत :—श्री "ब" नामक व्यक्ति 1 जुलाई, 1976 से अपने संवर्ग से बाहर उच्च-पद पर कार्यवाहक रूप से नियुक्त किया जाता है । इस पद पर इनका तीन वर्ष तक रहना निश्चित है और वह 3 फरवरी, 1979 से 4 माह के अवकाश पर चला जाता है । इस स्थिति में नियम 17 (च) के अनुसार इसका, चार माह के अवकाश पर प्रस्थान करने के कारण, पूर्व के पद पर निलम्बित पदाधिकार पुनःप्रस्थापित नहीं किया जावेगा, कारण कि इसका न्यूनतम 3 वर्ष संवर्ग से बाहर उच्च-पद पर रहना निश्चित ही है ।

दृष्टांत :—श्री शर्मा नामक कर्मचारी जो वरिष्ठ लिपिक के पद पर स्थाई होने से उस पद पर पदाधिकार रखता है को 1 अप्रेल, 1978 से अस्थाई रूप से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है । इन्हें 31 अक्टूबर, 1979 से 55 वर्ष की आयु के हो जाने के कारण सेवा निवृत्त किया जाना है । श्री शर्मा लिखित में प्रार्थना करता है कि उसका वरिष्ठ-लिपिक के पद से पदाधिकार समाप्त कर दिया जाय और सहायक के पद पर उन्हें स्थाई कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में यदि श्री शर्मा को सहायक के पद पर स्थायी किया जाना सम्भव नहीं हो तो उनका वरिष्ठलिपिक के पद से पदाधिकार निलम्बित किया जाना अथवा समाप्त किया जाना नियमों के प्रतिकूल होगा । अतः वरिष्ठ लिपिक के पद का पदाधिकार निलम्बित या समाप्त नहीं किया जाना चाहिये ।

नियम 18 (क)–पदाधिकार का समाप्त करनाः—एक कर्मचारी के पदाधिकार को किसी पद से, किसी परिस्थिति में भी, समाप्त नही किया जा सकता । यह पदाधिकार उसकी सहमति से भी समाप्त नही किया जा सकता है यदि उसका परिणाम उसे पदाधिकार अथवा निलम्बित पदाधिकार से वंचित कर देना हो ।

दृष्टांत संख्या 1:—श्री "क" नामक अधिकारी 17 अप्रेल, 1976 से 5 वर्ष के लिये वैदेशिक सेवा (फारेन-सर्विस) पर प्रस्थान करता है । वैदेशिक सेवा में दो वर्ष की अवधि के पश्चात् वह लिखित

कर्मचारियों को स्थाई पदों पर नियुक्त करने के मामलों में पूर्णतया अस्थाई कर्मचारियों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(2) (क):—इस श्रेणी के राज्य कर्मचारी जो पूर्व में अधिक-घोषित कर दिये गये थे किन्तु वास्तव में उन्हें बिना हटाये अस्थाई पदों पर कार्य करने के लिये स्वीकृति देदी गई या उन्हें किसी पद पर अस्थाई रूप से काम करने की स्वीकृति दे दी गई चाहे उस पद पर या उसके समान पद पर वे नियुक्त हो रहे हों या नहीं, उन्हें अन्तिम मूल वेतन तथा वार्षिक-वेतन-वृद्धि प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है। कोई कार्यवाहक/अस्थाई वेतन आरक्षित नहीं किया जावेगा। यदि उनके पूर्व के पद का मूल वेतन नये पद के अधिकतम वेतन से अधिक हो तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन नवीन पद के अधिकतम पर निश्चित किया जायेगा तथा मूल वेतन एवं अधिकतम वेतन के बीच के अन्तर की राशि को "व्यक्तिगत-वेतन" के रूप में स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कर्मचारियों की सेवायें पेंशन योग्य मानने के लिये उसी वेतनमान में अधिसंख्य पद सृजित किये जाने चाहियें जिन्हें वे कर्मचारी विलीन हुए राज्यों में स्थाई रूप से धारण किये हुए थे।

(2) (ख):—जो कर्मचारी अधिक घोषित कर हटा दिये गये थे, उनके मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे। यदि उनमें से किसी व्यक्ति के मामले पर पुनः विचार किया हो या उसे पुनः नियुक्त कर दिया गया हो तो उसको वेतन, उसके पूर्व में अन्तिम रूप से प्राप्त किये गये मूल वेतन से अधिक नहीं दिया जावेगा और उस पद के अधिकतम वेतन से अधिक नही होगा, जिस पर उसे पुनः नियुक्त किया गया हो।

(2) (ग):—यदि उन कर्मचारियों में से जो किसी भी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार नहीं रखते हों, किन्तु जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है अथवा 50 वर्ष के हो गये हैं तो उन कर्मचारियों को अधिक-घोषित (सरप्लस) के रूप में सेवा निवृत्त किया जा सकता है एवं यदि आवश्यक हो तो पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (94) वि. वि./(नियम) 66 दिनांक 11 दिसम्बर, 1969 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 3—अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पदों का सृजनः—इस प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाना चाहिये एवं ऐसे पदों को नियमित करने के क्या सिद्धान्त होने चाहिये। प्रश्न पर सावधानी से विचार किया गया है तथा ऐसे पदों के सृजन को नियमित करने के लिये निम्न-अंकित सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:—

(1) सामान्यतया अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद किसी ऐसे अधिकारी को "पदाधिकार" प्रदान करने के लिये सृजित किये जाते हैं जो, पद सृजित करने में सक्षम प्राधिकारी के विचार में, नियमित स्थाई पद पर पदाधिकार रखने का अधिकारी हो एवं जो नियमित स्थायी पद के अभाव में ऐसे पद पर अपना पदाधिकार नहीं रख सकता है।

(2) ये छाया-पद हैं। अर्थात् ऐसे पदों के साथ कोई कर्त्तव्य लगा नहीं होता। अधिकारी, जिसका पदाधिकार ऐसे पद पर रखा जाता है, सामान्यतया किसी अन्य रिक्त अस्थाई या स्थाई पद पर कर्त्तव्यरत रहकर कार्य निष्पादन करता है।

(3) ऐसे पद केवल उसी स्थिति में सृजित किये जा सकते हैं जब उस कर्मचारी के लिये, जिसका पदाधिकार अधिसंख्य पद का सृजन कर रखा जाता है, अन्य रिक्त एवं स्थाई पद उपलब्ध नहीं हो। दूसरे शब्दों में ये पद ऐसी परिस्थितियों में सृजित नहीं किये जाने चाहियें जो पद के सृजन के समय या उसके बाद विद्यमान नियमित पदों की संख्या से अधिक हो जायं।

(4) ऐसे पद सदैव अस्थाई होते हैं—कारण की इनका सृजन किसी स्थाई अधिकारी द्वारा, जब तक वह किसी नियमित स्थाई पद पर पदाधिकार प्राप्त नहीं करता, तब तक पदाधिकार देने के लिये किया जाता है। अतः ऐसे अधिसंख्य पद अन्य स्थाई पदों की भाँति अनिश्चित काल के लिये सृजित नहीं किये जाने चाहियें–वरन् व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए एक निश्चित अवधि के लिये होने चाहियें।

(5) अधिसंख्य पद एक ऐसे अधिकारी के लिये व्यक्तिगत पद होता है, जिसके लिये वह सृजित किया जाता है तथा ऐसे पद पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वह पद उस समय समाप्त हो जाता है जब संबंधित अधिकारी सेवा-निवृत्ति हो जावे अथवा किसी अन्य नियमित स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया जाय। दूसरे शब्दो में ऐसे पदो पर कोई स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जा सकती। चूंकि अधिसंख्य पद कार्यशील पद नहीं हैं, अतः किसी सवर्ग में कार्यशील पद उसी प्रकार से नियमित होते रहेंगे कि यदि नियमित पदों में से किसी एक पद का स्थाई धारक संवर्ग मे आ जाता है और सभी पदो पर कर्मचारी कार्य करते हो तो उस संवर्ग के किसी एक अधिकारी को उसके लिये स्थान रिक्त करना होगा। तब उसे अधिसंख्य पद पर दिखाया जा सकता है।

(6) स्वीकृत वेतन एवं भत्ते, पेन्शन सम्बन्धी लाभ आदि के संबंध मे ऐसे पदो के सृजन मे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होता है। पूर्व में एक ऐसा मामला हो चुका है जिसमें वरिष्ठता/पात्रता आदि में परिवर्तन के कारण यह अनुभव किया गया कि किसी एक व्यक्ति को पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकी जिसे वह प्राप्त करता यदि बाद में लिये गये निर्णय पूर्व मे ही ले लिये गये होते तथा ऐसे व्यक्ति को अधिसंख्य पद पूर्व-प्रभाव से सृजित कर, उन पर उनकी नियुक्ति कर उच्च वेतन का लाभ दे दिया गया होता। ऐसे प्रयोजनो के लिये अधिसंख्य पदो का सृजन भविष्य में नहीं किया जाय। अधिक से अधिक उस वेतनमान मे जिसके लिये कर्मचारी पात्रता/अधिकार रखता है। उस स्थिति तक उसे अग्रिम वेतन वृद्धि देकर लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे केवल उपरोक्त परिस्थितियों मे ही अधिसंख्य पदो के सृजन के प्रस्ताव भिजवायें। यह आदेश उपरोक्त अंकित प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रकार से निपटाये गये मामलों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (38) वि. वि/ए./नियम/61 दिनांक 26–10–1961 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (34) वि. वि./ए./नियम/66 दिनाक 15 अक्टूबर, 1969 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 26 अक्टूबर, 1961 (उपरोक्त निर्णय संख्या–3) के अनुच्छेद 6 के संशोधन मे यह आदेश दिया जाता है कि उच्चतर अधिसंख्य पदों का सृजन कर र

पदो को उन्नत कर पूर्व-प्रभाव से पदोन्नतियाँ, निम्न अंकित मामलों मे वित्त विभाग की विशेष अनुमति से ही दी जा सकती हैं:—

(क) किसी न्यायालय के निर्णय की अनुपालना मे या उसके फलस्वरूप।

(ख) राज्य-पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशनों की पालना में, यदि राज्य सरकार द्वारा वे निर्देश स्वीकार कर लिये गये हों।

(ग) सरकार या उसके अधीन सक्षम-प्राधिकारी की ओर से पात्रता अथवा वरिष्ठता के निर्धारण की तथ्यात्मक त्रुटि, वहा रही हो जहां वास्तविक आकड़ों के आधार पर अंकों पर निश्चित की जाती हो।

(घ) सेवा के एकीकरण की प्रक्रिया, चयन संबंधी नियमों अथवा आदेशों की त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति अथवा अनुपालना नही करने के कारण।

निम्न प्रकार के मामलो में पूर्व-प्रभाव से पदों को सृजित एवं उन्नत कर पदोन्नति नही करनी चाहिये।

(ङ) जहा प्रथम बार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है।

(च) जहा सिद्धान्तो में परिवर्तन कर वरिष्ठता पुनः निश्चित की जाती है।

(छ) जहां दक्षता (मेरिट) के पुन: निर्धारण द्वारा वरिष्ठता पुनः निश्चित की जाती हो।

(ज) जहां दक्षता के पुनः निर्धारण द्वारा उच्चतर पद पर बाद में चयन किया गया हो।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (101) वि. वि. ए./नियम/66 दिनांक 17-7-1967 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 6:—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17 जुलाई, 1967 (उक्त निर्णय संख्या 5) के अनुसार वित्त विभाग की अनुमति से आदेश के अनुच्छेद 1 में वर्णित मामलों मे अधिसंख्य पदो का सृजन कर या पदो को उन्नत कर पूर्व-प्रभाव से पदोन्नति दी जा सकती है या नही ? इस संबध में यह निर्णय किया गया है कि चूंकि पूर्व-प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय सरकार ने दिनांक 8 जुलाई, 1966 को लिया गया था। (यद्यपि आदेश 17 जुलाई 1967 को जारी हुआ था) अतः सभी कर्मचारियो के मामलें, 8 जुलाई 1966 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो गये है, उक्त आदेश के अनुसार पुनः विचार कर निपटाये जायं। शर्त यह है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा विशेष रूप से लिखित में निवेदन किया जाय।

नियम 19-पदाधिकार का स्थानान्तरण:—नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी के पदाधिकार को दूसरे, समान वर्ग में, स्थाई पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, यदि वह उस पद का कार्य नहीं कर रहा है जिस पर उसका अधिकार है, चाहे वह पदाधिकार निलम्बित ही क्यों न किया हुआ हो।

नियम 20 (क):—सरकार एक पद से दूसरे पद पर, निम्न-अंकित मामलों के अतिरिक्त, कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर सकती है:—

(1) अकार्य-कुशलता के कारण अथवा दुर्व्यवहार के कारण, या

(2) उसके निमित्त रूप में प्रार्थना करने पर।

एक राज्य कर्मचारी, नियम 50 के अनुसार किसी पद पर स्थानापन्न नियुक्त किये जाने के

अतिरिक्त, स्थाई रूप से किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका वेतन उसके स्थाई-पद के वेतन से कम हो, जिस पर उसका पदाधिकार हो या यदि नियम 17 के अन्तर्गत उसका पदाधिकार निलम्बित नहीं किया जाता तो वह उस पद पर पदाधिकार रखता।

टिप्पणी:—नियम 215 (ख) के अनुसार पद की समाप्ति पर किसी निम्न-पद पर नियुक्ति के मामले को छोड़ कर, स्थाई पद जिस पर कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता हो, के वेतन से कम वेतन वाले किसी पद पर स्थानान्तरित किये जाने पर एक प्रकार से उसके अपने पद में कमी किये जाने को "दण्ड-दिया" जाना समझा जाता है एवं इस प्रकार के दण्ड केवल राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिये जाते हैं।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (65) वि. वि. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 23-6-66 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—विषय पर गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया है कि उस सेवा/वेतनमान आदि में स्थाई पदों के अभाव में संबंधित व्यक्तियों को पदाधिकार प्रदान करने के लिये ऐसी पदों का सृजन निम्न (इनफिरियर) सेवा/वेतनमान में करना उचित रहेगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जहां तक निम्न सेवा/वेतनमान आदि में अधिसंख्य पदों पर पदावनत् किये गये अधिकारी का पदाधिकार रखना आवश्यक हो तो उच्च-पद जो उस द्वारा रिक्त किया गया है उसे स्थाई रूप से या अस्थाई रूप में नहीं भरा जाना चाहिये तथा उस उच्च-पद पर नियुक्ति या पदोन्नति तब ही की जा सकेगी जब वह उस निम्न-शृंखला में स्थायी पद पर नियुक्त किया सके, जिस पर वह पदावनत किया गया है।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (55) वि. वि. (ई-आर.) 62 दिनांक 11 सितम्बर, 1962 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 62 (निर्णय संख्या 1) के आंशिक संशोधन में यह निर्णय किया गया है कि जब एक कर्मचारी द्वारा, संस्थापन में कटौती के कारण, एक पद को रिक्त कर दिया जाता है तो उस पद को कम किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिये।

जब एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाय तथा ऐसा पद स्थाई रूप से भर लिया जाय तथा मूल कर्मचारी उसके बाद पुनः राज्य सेवा में ले लिया जाय तो उसे एक ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो उसी वेतन-मान में स्थाई रूप से रिक्त है जिसमें उसका पूर्व का स्थाई पद था। यदि रिक्त स्थान न हो तो उसे एक अधिसंख्य पद सृजित कराकर नियोजित किया जाना चाहिये। ऐसे पद को, उसके समान वेतनमान वाले अन्य स्थाई पद के रिक्त होने पर, समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (65)/वि. वि. (ई-आर) 66 दिनांक 23-9-1966 द्वारा निविष्ट]

नियम 20 (ख):—इस नियम के खण्ड (क) अथवा नियम 7 के उप-नियम (17) में कुछ भी वर्णित होने पर भी किसी एक राज्य कर्मचारी को एक ऐसे पद पर स्थानान्तरित करने से नहीं रोका जा सकेगा जिस पद पर यदि उसका पदाधिकार नियम 17 (क) के अनुसार निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह उस पर अपना पदाधिकार रखता।

नियम 21:—एक राज्य कर्मचारी को ऐसे नियमों के अनुसार, जो सरकार विशिष्ट आदेशों द्वारा निर्धारित करे, आवश्यक रूप से जीवन बीमा योजना में अंशदान (प्रिमियम) देना अनिवार्य होगा। जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित आयु से अधिक आयु के होने के कारण अथवा स्वास्थ्य-परीक्षा के आधार पर अयोग्य होने के कारण कोई प्रथम अथवा अग्रिम बीमा स्वीकृत नहीं किया जा सके तो उसको सामान्य भविष्य निधि में अंशदान जमा कराना

आवश्यक होगा। (इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियम 1953 तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों को देखिये)।

नियम 22:–वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्तें:—इन नियमों के विशिष्ट अपवादों के अतिरिक्त जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार सम्भालता है, वह उसी दिन से नियमानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं को करना बन्द कर दे उसे वह वेतन व भत्ते मिलने बन्द हो जायेंगे।

टिप्पणी:—कार्यालय के कार्यभार एवं अधिकार-क्षेत्र (मुख्यावास) छोडने के सम्बन्ध मे प्रशासनिक निर्देशनों के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें।

जांच निर्देशन:—राज्य कर्मचारी एक पद को धारण करते समय उससे संलग्न वेतन एव भत्तों को उस दिन से प्राप्त करना प्रारम्भ करेगा जिस दिन से वह कार्यभार ग्रहण करता है बशर्ते कि उस दिन कार्यभार मध्यान्ह पूर्व में सम्भाला गया हो। यदि कार्यभार मध्यान्ह बाद सम्भाला गया हो तो वह वेतन एवं भत्ते आगामी दिन से प्राप्त कर सकेगा।

नियम 22-ए (1) प्रशिक्षण-काल में चुकाई गई धन-राशि वापिस करना:—जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति राजपत्रित पद पर की जाय और उसे अपने पद का स्वतन्त्र कार्यभार सम्भालने से पूर्व यदि उसे विशिष्ट रूप से एक निर्धारित समय के लिये प्रशिक्षण में जाना आवश्यक हो और ऐसा व्यक्ति जब प्रशिक्षण के पूर्ण होने से दो वर्ष की अवधि में त्याग-पत्र दे देता है अथवा अन्य जगह नियुक्ति पर चला जाता है तो उस अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण-काल में प्राप्त धन-राशि, जो सरकार ने उस पर प्रशिक्षण के समय में व्यय की थी, सरकार को उसे लौटानी होगी। इस राशि में व्यक्ति को दैनिक एवं यात्रा भत्ते की प्राप्त राशि नही लौटानी होगी।

किन्तु शर्त यह है कि यदि सरकार के विचार में कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नई नियुक्ति के पद पर लाभ-दायक सिद्ध होगा तो पूर्व के पद से संबंधित किये गये प्रशिक्षण-व्यय को लौटाना आवश्यक नहीं होगा।

राजकीय निर्णय:—राजस्थान सेवा नियम 22 (ए) के प्रावधानों के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी, जिसे राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है, को अपने पद के स्वतन्त्र रूप से कार्यभार-ग्रहण करने के पूर्व किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और यदि वह उस अवधि मे अथवा बन्ध-पत्र मे अंकित अवधि मे राज्य सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा दूसरे स्थान पर नियोजन प्राप्त करलेता है तो उसे बन्ध-पत्र में उल्लिखित धन-राशि सरकार को वापिस करनी होती है।

इसी प्रकार सेवा नियम 22 (बी) के अनुसार जब एक राज्य-कर्मचारी भारत वर्ष मे 3 माह से अधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षण में भेजा जाता है और उस प्रशिक्षण की अवधि को नियम 7 (8) (बी) के प्रावधानों के अनुसार "कर्त्तव्य" (ड्यूटी) पर माना जाता है और वह व्यक्ति प्रशिक्षण की अवधि में अथवा बन्ध-पत्र मे अंकित अवधि समाप्ति से पूर्व राज्य-सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा अन्यत्र नियोजन प्राप्त करलेता है तो उसे भी उस अवधि में दिये गये "वेतनादि" तथा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय तथा अन्य राशि वापिस करनी होती है। इसी प्रकार जिन राज्य- कर्मचारियो को कोई वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन-अवकाश स्वीकार किया जाता है, उनसे भी एक बन्ध-पत्र भराया जाता है जिसके अनुसार उस कर्मचारी को ऐसे अध्ययन अथवा प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् एक निश्चित अवधि तक राज्य-सेवा मे रहना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे भी वह सारी राशि जो उसे वेतन के रूप मे तथा प्रशिक्षण व्यय के रूप में दी गई अथवा खर्च

की गई, वसूल की जाती है। बन्ध-पत्रों में अंकित शर्तों के अनुसार धनराशि उन मामलों में भी वसूल की जाती है जिनमें एक राज्य-कर्मचारी राज्य-सेवा छोड़कर सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान अथवा निकाय में नियोजन प्राप्त करता है।

इस प्रश्न पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त अंकित मामलों में भराये जाने वाले बन्ध-पत्र में उक्त शर्तों की पालना अर्थात् दोनों राशियों की वसूली उन मामलों में नही की जावे जिनमे एक राज्य-कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा छोड़कर केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य प्रादेशिक सरकार अथवा सार्वजनिक-क्षेत्रों के निगमों/निकायों, जो पूर्णतया अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अर्द्ध-राजकीय संगठन के अधीन हों, मे सेवा (नियोजन) स्वीकार करता है किन्तु ऐसे सब कर्मचारियों से एक नवीन बन्ध-पत्र भराया जावेगा जिसमे यह शर्त रखी जावेगी कि वह कर्मचारी नये नियोजक (एम्पायर) जो केन्द्रीय सरकार अथवा भारतवर्ष की अन्य प्रादेशिक सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय/संगठन होगा, उस कर्मचारी को उस नये स्थान पर उतनी ही अवधि तक सेवा अवश्य करनी होगी जो पूर्व मे भरे गये बन्ध-पत्र के आधार पर निर्धारित की गई/की जाने वाली सेवा की अवधि के आधार पर फलावट करने पर निकलती हो। ऐसी अवधि के लिए नवीन बन्ध-पत्र राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा भराये जावेंगे और उनमें अवधि निर्धारण के स थ-साथ उस धन-राशि का भी उल्लेख स्पष्ट रूप से होगा जो उस बन्ध-पत्र के प्रावधानो को तोड़ने अथवा पालन नही करने पर वसूल की जावेगी। ऐसे नवीन बन्ध-पत्र उन्हीं राज्य कर्मचारियो से भराये जावेंगे जिनके प्रार्थना-पत्र नये नियोजक को सक्षम-प्राधिकारी के माध्यक से भिजवाये गये हो। ऐसे मामलो में राज्य-कर्मचारियो को सेवा से मुक्त करके नये पद पर कार्य-भार-ग्रहण करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये और ऐसे नये बॉण्ड की एक प्रति नये नियोजक को भिजवादी जानी चाहिये।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (18) वि. वि. (ग्रुप-2) 78 दिनांक 9-3-78 द्वारा जोड़ा गया]

नियम 22-ए (2):—ऐसे प्रत्येक राज्य कर्मचारी को, उसके प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से पूर्व, एक अनुवन्ध परिशिष्ट XVIII-ए-में दिये गये प्रपत्र मे भरना आवश्यक होगा।

नियम 22-बी(1):-एक सरकारी कर्मचारी तीन माह से अधिक के लिए जब भारत में प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किया जाय तो नियम संख्या 7(8)(ख) के अनुसार वह कर्त्तव्य पर माना जायेगा। यदि वह ऐसे प्रशिक्षण की अवधि में या उसके बाद दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्य नौकरी स्वीकार कर लेता है तो उसे सरकार को ऐसे प्रशिक्षण की अवधि में प्राप्त किये "वेतन-आदि" एवं अन्य-व्यय के साथ जो सरकार ने उस पर प्रशिक्षण के लिये किया है, वापिस जमा करायेगा, किन्तु इसमें उसे यात्रा या दैनिक भत्ते के रूप में दी गई राशि सम्मिलित नही होगी। किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के व्यय की धन-राशि वापिस लौटाना कर्मचारी के लिये आवश्यक नहीं होगा यदि उसे पूर्व में दिया गया प्रशिक्षण सरकार के विचार में नये पद पर भी उपयोगी सिद्ध होने वाला हो।

नियम 22-बी (2):—प्रशिक्षण आरम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को परिशिष्ट संख्या XVII-बी में दिये गये प्रपत्र में एक अनुवन्ध-पत्र भरना आवश्यक होगा कि वह प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद निम्नांकित शर्तों के अनुसार सेवा करेगा:—

प्रशिक्षण की अवधि	सरकार की सेवा करने के लिये अनुबन्ध भरना होगा
3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक	एक वर्ष
6 माह से अधिक	दो वर्ष

टिप्पणीः—इस नियम के प्रावधान उस राज्य कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो तीन माह से कम की अवधि के लिये प्रशिक्षण के लिये प्रति-नियुक्ति किया जाय।

नियम 23-(1) (क):—एक राज्य कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक निरन्तर समय का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

नियम 23-(1) (ख):—उस मामले में जहां एक राज्य कर्मचारी निरन्तर पांच वर्ष तक अवकाश पर रहने के उपरान्त भी अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है, तब जब तक राज्यपाल उस मामले की असाधारण परिस्थितियों के कारण अन्यथा निर्णय नहीं करें, उस कर्मचारी को राजस्थान नागरिक सेवाये (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना करके राज्य सेवा से निष्कासित (रिमूव्ड) कर दिया जावेगा।

नियम 23 (2):—जहा एक राज्य कर्मचारी, उसको स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद, अपने "कर्त्तव्य" (डयुटि) से अनुपस्थित रहता है अथवा बिना अवकाश के अथवा चाहे मने गये अवकाश को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व अपने पद से अनुपस्थित रहता है तो ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में इन नियमों के नियम 86 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

[अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (33) वि. वि. (ग्रुप–2) 78 दिनांक 22–2–79 द्वारा प्रतिस्थापित]

टीका:—नियम 23 को उक्त आदेश द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापित (सबसटिट्यूट) कर दिया गया है। इसी अधिसूचना के द्वारा नियम 86 में एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह आदेश दिया गया था कि नियम 23 ऐसे मामले में लागू नही होता है जिसमें एक राज्य-कर्मचारी, निलम्बित किये जाने के कारण अपने पद के कार्य-भार को ग्रहण करने से रोका जा रहा है। अतः ऐसे मामले मे राजस्थान सेवा नियम 23 के प्रावधानो के अनुसार सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नही है। फिर भी राज्य सरकार एव संबधित राज्य कर्मचारी के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले को शीघ्र निपटाया जाना चाहिये तथा यथाशीघ्र अन्तिम रूप से आदेश जारी कर दिया जाना चाहिये,

नियम 23-ए (1) (क):—इस नियम के उप-नियम (2) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़ कर एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाएं, उस द्वारा नियुक्ति अधिकारी को लिखित मे सूचना देने पर अथवा नियुक्ति अधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में सूचना देने पर, किसी भी समय समाप्त किये जाने योग्य होंगी।

नियम 23-ए (1) (ख):—ऐसी लिखित सूचना (नोटिस) देने की अवधि एक माह की होगी।

किन्तु शर्त यह है कि किसी भी अस्थाई कर्मचारी की सेवा तुरन्त ही समाप्त की जा सकती हैं, किन्तु ऐसी सेवा-समाप्ति पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी, सेवा समाप्ति से पूर्व उसे मिल रहे वेतन तथा भत्तों के समान धन-राशि एक माह के नोटिस अथवा उसके अवशेष दिनों के एवज में, माग करने का अधिकारी होगा।

(वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1-ए (7) वि. वि. (ग्रुप-2)/77 दिनांक 14, मार्च 77 द्वारा प्रति-स्थापित)

नियम 23-ए (2):—एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवायें:—

(क) जो निरन्तर 3 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहा हो, एवं

(ख) जो पद की निर्धारित आयु, सेवा एवं योग्यता पूर्ण करता हो तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जहां आवश्यक हो, नियुक्त किया गया हो,

उन्हीं परिस्थितियों एवं तरीकों से समाप्त की जा सकेगी जिस प्रकार एक स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती हैं। जब प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में कटौती की गई हो तो उन राज्य कर्मचारियों को हटाया जाय जो स्थाई सेवा में न हों।

टिप्पणीः—इस नियम के उप-नियम (2) (ख) में प्रयुक्त शब्द "निर्धारित योग्यताओं" से तात्पर्य उन योग्यताओं से हैं जिनको पूरा करने पर ही संबंधित-व्यक्ति पद पर नियुक्त किया जा सकता था तथा पद पर स्थाई नियुक्ति के लिये पात्रता को निर्धारित करने वाले नियमों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसार बनाये गये नियमों की पालना भी सम्मिलित है।

राजकोष निर्णयः—यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ कार्यालयों में अस्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों से एक वचन-पत्र भराने की प्रथा चल रही है कि "यदि वह एक माह का उचित नोटिस दिये बिना ही त्यागपत्र दे देता है तो वह नोटिस के समय का वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार को जमा करायेगा।"

राजस्थान सेवा नियम 23ए—द्वारा सरकार एक अस्थाई राज्य-कर्मचारी की अस्थाई सेवाओं को नोटिस अवधि का वेतन अथवा भत्ता देकर उसी समय समाप्त कर सकती है। किन्तु यह प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि राज्य कर्मचारी निर्धारित समय का नोटिस सरकार को नहीं देता है तो वह रकम सरकार को जमा करायेगा। यह नोटिस की अवधि कर्मचारी एवं नियुक्ति अधिकारी दोनों के कार्य साधती है। जहां तक कर्मचारी का संबंध है उसके लिये इस अवधि का वेतन एवं भत्ता उस नोटिस-अवधि का समुचित पारिश्रमिक है। किन्तु नियुक्ति-अधिकारी के लिये उस पद पर नियुक्ति का प्रबन्ध करने एवं नये कर्मचारी को उसका कार्य-भार सम्भलाने में बड़ी असुविधा होती है, यदि वह उस पद पर नियुक्ति की व्यवस्था के लिये तथा नये व्यक्ति को उसका कार्यभार दिलाने के लिये उचित समय का नोटिस प्राप्त नहीं करता है। दूसरी और यह तर्क भी दिया गया है कि यदि उचित समय पर नोटिस देने की शर्त पर जोर देने का कोई दण्डनीय प्रावधान नहीं होगा तो बिना उचित समय के नोटिस देने की प्रवृत्ति का कोई अन्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में नियुक्ति-प्राधिकारी त्यागपत्र स्वीकृत करने से मना कर सकता है और यदि राज्य कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यालय में आना बन्द कर देता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। विशेष रूप से खराब मामलों में ऐसे अधिकारी के विवेक पर यह निर्भर रहेगा कि वह उस कर्मचारी के उच्च-संबंधित अधिकारियों को कर्मचारी के चरित्र एवं सेवा इतिहास आदि के सम्बन्ध में अपनी सम्मति भिजवा देवे कि मामले से संबंधित कर्मचारी सरकार के अधीन सेवा करने योग्य व्यक्ति नहीं है। उसके लिये यह पर्याप्त दण्डनीय होगा। सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि अस्थाई राज्य कर्मचारियों से नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ते वसूल करने के लिये भराये जा रहे वचन-पत्र प्रथा को, जहां वह समाप्त नहीं की गई है, तत्काल समाप्त कर देना चाहिये। अस्थाई कर्मचारी से नोटिस के एवज में कोई ·दि वसूल नहीं करना चाहिये। जहां उस कर्मचारी के स्थान पर अन्य समुचित प्रबन्ध/नियुक्ति की जा सकती जहां नियुक्ति प्राधिकारी आपसी सहमति के आधार पर नोटिस के समय को कम कर सकता हो अथवा ·वा नियमों के परिशिष्ट (IX) के क्रम-संख्या 4 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नोटिस को कम कर सकता हो। जहां यह सम्भव नहीं हो तथा त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता हो तो ·त्मक कार्यवाही की जा सकती है।

टीका:—अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में यह नियम महत्वपूर्ण है । केवल अस्थाई पदों पर कार्य करने के कारण ही कर्मचारी अस्थाई नहीं होता । अस्थाई कर्मचारी वह होता है जिसे सम्बन्धित नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जा सके । फलस्वरूप उसे एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति किया जाता है ।

राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अस्थाई कर्मचारी को निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा-मुक्त कर देना कोई दण्ड नहीं है । अस्थाई रूप से अर्थात एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त कर्मचारी की सेवायें कभी भी एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं । सेवामुक्त करने के नोटिस में दुराचरण या अयोग्यता का उल्लेख करना कतई आवश्यक नहीं है । यदि नोटिस में ऐसा उल्लेख कर दिया गया तो उस व्यक्ति की सेवाओं की समाप्ति इस नियम के अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील, नियम 1958 के अधीन करना आवश्यक होगा ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अस्थाई कर्मचारी को, प्रशासनिक कारणों के आधार पर, बिना नोटिस दिये ही सेवा से पृथक किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी नोटिस अवधि का अथवा नोटिस की अवधि के अन्तर का, वेतन आदि क्षतिपूर्ति के रूप में मांग करने का अधिकारी होगा ।

खण्ड–तीन

अध्याय 4

वेतन

नियम 24:—राजकीय सेवा में नियुक्त एक व्यक्ति प्रारम्भिक वेतन के रूप में उसे स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम अथवा ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जिसे सरकार द्वारा निर्धारित अथवा स्वीकृत किया जाय। किन्तु शर्त यह है कि ऐसा वेतन उस द्वारा धारित पद के लिये, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत, वेतन से अधिक नही होगा तथा सरकार की स्वीकृति के बिना कोई विशेष या व्यक्तिगत-वेतन कर्मचारी को स्वीकृत नही किया जावेगा।

अपवाद:—विद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे अध्यापन कार्य करने वाले राज्य कर्मचारी जो राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत निर्णय सख्या–1 अनुच्छेद संख्या (1) के अनुसार विश्राम-कालीन अवकाश प्राप्त करते हैं, उनके लिये नये प्रशिक्षण सत्र् मे उस पद पर पुनः नियुक्त किये जाने पर प्रारम्भिक वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा वेतन के रूप में वर्गीकृत लाभो के अतिरिक्त अन्य लाभ उस वेतन से कम नही होगा जो उसने गत अवधि मे प्राप्त किया था तथा गत (पूर्व) ऐसे समय की अवधि को, जिसमे उसने वेतन प्राप्त किया था, उस वेतन के समकक्ष वेतनमान की स्टेज में वेतन वृद्धि दिये जाने में गिना जायेगा यदि वह अपने पद का कार्यभार आगामी शिक्षण सत्र् के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह की अवधि मे ग्रहण कर लेता है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निय-, मित आधार पर चयनित हो जाने पर तदर्थ नियुक्ति के समय, अग्रिम वेतन वृद्धियो के रूप मे स्वीकृत, प्रारम्भिक वेतन को आरक्षित किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक आदेश या अधिसूचना जो नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके नाम से जारी की गई है, उसके अनुसार की गई नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों की दृष्टि से एक वैध नियुक्ति है और वेतन के स्थिरीकरण को शासित करने वाले नियम, तदर्थ नियुक्ति और लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद की गई नियुक्ति में, कोई भेद नही करते। अतः कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होगी जब मूल रूप मेतदर्थ नियुक्तिया करने वाले प्राधिकारी ने अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करते समय अस्थाई नियुक्तियां की होगी जबकि लोक सेवा आयोग नियमित चयन पर ऐसे उच्च-प्रारम्भिक वेतन की सिफारिश करे।

अतः यह निश्चिय किया जाता है कि जब कभी तदर्थ नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती के रूप मे की जाय तो उच्चतर प्रारम्भिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये, कारण कि यह एक निजी अधिकार उत्पन्न करेगा और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयनो में समस्यायें उत्पन्न करेगा।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (1) के अनुसार स्पष्टतः रिक्त स्थानों पर उसमें अंकित शर्तों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर को या पूर्व से महाविद्यालयों में शिक्षण-सत्र् मे अस्थाई नियुक्त व्यक्तियों को अवकाश वेतन भुगतान योग्य है। एक प्रश्न उठाया गया है कि एक मामले मे अवकाश-वेतन का भुगतान किस प्रकार नियमित किया जायेगा, जहां एक वरिष्ठ अध्यापक को अस्थाई रूप मे सत्र के अन्त

तक व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और अगले सत्र में महाविद्यालय खुलने के एक माह के भीतर वह एक व्याख्याता के रूप में पुनः कार्य पर आ जाता है।

इस मामले की जांच कर यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में अवकाश के समय का वेतन व्याख्याता के रूप में देय है, किन्तु राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (1) में वर्णित शर्तों की पालना कर ली गई हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे वरिष्ठ अध्यापक का वेतन उसको व्याख्याता के रूप में नये सत्र में पुनः नियुक्त करने पर, नियम 24 के अन्तर्गत अपवाद के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसे व्याख्याता के पद के संदर्भ में अवकाश वेतन दिया जाना चाहिये।

(वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ. (50) वि. वि (व्यय-नियन) 66 दिनांक 6–1–64 द्वारा निविष्ट)

नियम 25:–प्रशिक्षण-काल में वेतनः–इन नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत "कर्त्तव्य" पर मानी गयी किसी अवधि के बारे में किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार न्यायोचित समझे। किन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसा वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे कर्मचारी यदि नियम (7) (8) (ख) के अनुसार "कर्त्तव्य" पर माने जाने के बजाय, अन्य प्रकार से कर्त्तव्य पर रहता तो प्राप्त करता।

टिप्पणीः—यदि कोई कर्मचारी नियम 7 (8) (ख) (iii) के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार अपनी नियुक्ति के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो तो वह उस पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिस पर वह अन्त में कार्य कर रहा था अथवा उस पद का वेतन प्राप्त करेगा जिस पर वह कार्य-भार सम्भालेगा, किन्तु इन दोनों में से जिसका वेतन कम होगा वही उसे दिया जायेगा।

जांच निर्देशनः—एक कर्मचारी जो निर्देशन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में जाने के कारण कर्त्तव्य पर माना जाता है तथा जो ऐसे कर्त्तव्य पर माने जाने से पूर्व अपनी स्थानापन्न नियुक्ति का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे वही स्थानापन्न वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये जिसे वह वास्तविक कर्त्तव्य पर रहता तो, समय समय पर नियम 7 (8) (ग) के अन्तर्गत माने गये कर्त्तव्य के अतिरिक्त, प्राप्त करता रहता।

स्पष्टीकरण संख्या 1:—एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम में प्रति-नियुक्त एक कर्मचारी के लिये भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विशेष-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये। प्रश्न की जांच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी उन सेवाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिये, जिन पर विशेष-वेतन मिलता हो अथवा जिसकी सेवा शर्तें समान हों, प्रति-नियुक्त किया जाता है तो उसे प्रशिक्षण-काल में विशेष-वेतन उस पद का मिलेगा जिसे वह प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने से पूर्व वाले पद पर कार्य करते हुए प्राप्त कर रहा था।

जो मामले उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं आते, किन्तु यदि प्रशिक्षण किसी एक ऐसे पद के लिये दिया जा रहा है जिस पर कर्मचारी को प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद नियोजित करने के बाद, विशेष वेतन प्राप्त होगा तो कर्मचारी को उस पद का विशेष-वेतन प्रशिक्षण काल में स्वीकृत किया जा सकता है। जो मामले उक्त अनुच्छेद (1) व (2) के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें प्रशिक्षण-काल में सामान्यतया विशेष-वेतन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

प्रशिक्षण काल में विशेष-वेतन प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के विशिष्ट आदेशों की आवश्यकता होगी।

जिन मामलों पर पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2:—राज्य सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें राज्य कर्मचारियों को निम्न-अंकित परिस्थितियों में आदेशों की प्रतीक्षा मे रखा गया है:—

(1) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के मामले के अनुमोदन अथवा नियमित किये जाने की उम्मीद में एक राज्य-कर्मचारी को स्थानापन्न हैसियत से निम्न-पद पर पदावनति (रिवर्सन) से बचाने के लिये, तथा

(2) कर्मचारी द्वारा धारण किये हुए पद की समाप्ति के कारण कर्मचारी को निम्न-पद पर पदावनति से बचाने के उद्देश्य से।

यह नियमों की भावना के विपरीत है कि ऐसे मामलों मे एक कर्मचारी को पुनः समकक्ष अथवा समान वेतनमान में पद रिक्त होने तक पुनः नियुक्त किये जाने के बीच की अवधि को "आदेशों की प्रतीक्षा" के रूप में नहीं माना जाना चाहिये।

इस मामले का परीक्षण किया गया है एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में एक कर्मचारी को आदेशों की प्रतीक्षा मे नहीं माना जावेगा एव वह कर्मचारी सेवा नियम 25 के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा। पदावनत करने को सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों की पालना की जानी चाहिये एव ऐसे मामले में पदावनत किये जाने वाले कर्मचारी को सक्षम-प्राधिकारी के आदेशो की तारीख से "निम्न पद पर पदावनत किया हुआ" माना जावे तथा उसका वेतन एवं भत्ते आदि पदावनत वाले, निम्न पद पर, तब के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(51) वि. वि. (ग्रुप-2)/76 दिनांक 28-11-76 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 1:—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रति-नियुक्त एक कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम 25 के अन्तर्गत किन परिस्थितियो में विशेष-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये। प्रश्न की जाच की गई तथा सरकार ने उक्त स्पष्टीकरण (सख्या-1) के अतिक्रमण में निम्न-अंकित निर्णय लिया है—

(1) निम्न-अंकित स्थितियों में प्रशिक्षण-काल मे विशेष-वेतन प्राप्त किया जा सकेगा:—

(i) यदि अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण मे भेजा जाता है जो उसके उन कर्त्तव्यों से सम्बन्धित है जिन्हें वह विशेष-वेतन प्राप्त करते हुए या समान कर्त्तव्य सम्पादित करते हुए पूरा कर रहा था।

(ii) यदि प्रशिक्षण ऐसे पद के लिये दिया जा रहा है जिस पर उसे, प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अपने पद पर प्राप्त हो रहे विशेष-वेतन के समान या उससे अधिक विशेष वेतन मिलने वाला हो।

(2) उपरोक्त-अंकित मामलों में विशेष-वेतन सम्बन्धी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी:—

(i) यदि वह प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने से पूर्व विशेष-वेतन प्राप्त कर रहा हो, एवं

(ii) यदि वह प्रशिक्षण पर नहीं जाता तो वह उस पद पर कार्य करता रहता जिससे वह प्रशिक्षण के लिये गया अथवा वह एक ऐसे पद को धारण करता जो उसके समान वेतन वाला होता अथवा उससे अधिक होता जिस पर वह प्रशिक्षण से पूर्व कार्य कर रहा था।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था कि क्या प्रशिक्षण काल में नियम 7 (8) (ख) (i) के अनुसार एक कर्मचारी को, जो "कर्त्तव्य" पर माना जाता है, क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है ? प्रश्न की जांच करली गई है और यह आदेश दिया जाता है कि जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ नही कहा गया हो, एक कर्मचारी को, जिसे सेवा नियम 7 (8) (ख) के अनुसार प्रशिक्षण काल मे "कर्त्तव्य"

पर माना जाता है, ऐसी अवधि में ऐसा क्षति-पूरक भत्ता स्वीकार किया जा सकता है, जिसे वह प्राप्त करता, किन्तु प्रशिक्षण पर जाने के कारण प्राप्त नही कर सकता वशर्ते उस प्रशिक्षण की अवधि 120 दिनो से अधिक न हो।

(वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (22) वि वि (व्यय-नियम) 63 दिनांक 27-2-65 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 3:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 27 फरवरी, 1965 (उक्त निर्णय संख्या 2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमे प्रशिक्षण के लिये कर्मचारी की प्रति-नियुक्ति की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र अंकित करने पर विचार किया गया है।

सभी प्रशासनिक विभागो से निवेदन किया जाता है कि जब कोई अधिकारी, जहां नियुक्ति-प्राधिकारी सरकार हो, प्रशिक्षण के लिये प्रति-नियुक्त किया जाता है वहा इस सम्बन्धी एक प्रमाण-पत्र कि *"प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के अतिरिक्त, अधिकारी शहरी क्षति-पूरक भत्ता प्राप्त करता रहता" दिया जा सकता है तथा उसकी* एक प्रति भत्तों को प्राधिकृत करने के लिये महालेखाकार राजस्थान को भी भेजी जा सकती है।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राजस्थान सेवा नियम 25 के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार एक राज्य कर्मचारी, जो आदेशो की प्रतीक्षा (एवेटिंग-पोस्टिंग आर्डर) कर रहा हो, उस पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसे उसने अन्त मे धारण किया था अथवा उसे वह वेतन मिल सकता है जिसे वह नये पद का कार्य-भार सम्भालने पर प्राप्त करेगा। इन दोनो मे से जो भी कम हो, वह उसे मिलेगा। इस प्रावधान को ध्यान मे रखते हुए पद-स्थापन-आदेश की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारी, जब तक वे नये पद का कार्यभार नही सम्भाल लेते हैं, पद-स्थापन-आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि का वेतन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इससे सम्बन्धित अधिकारियों को बहुत आर्थिक कठिनाई होती है।

मामलो की जाच कर यह निर्णय किया गया है कि एक कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के आदेशो की प्रतीक्षा कर रहा हो उसे पद-स्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि मे निम्न-अंकित वेतन, अस्थाई रूप से उस वेतन के समायोजन की शर्त के अनुसार, भुगतान किया जा सकता है, जो उसे बकाया हो तथा जो उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार नये पद का कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करने का अधिकारी हो—

1.	यदि पूर्व का पद स्थाई रूप से धारण किया हो अथवा वह सेवा में कोई ऐसे सवर्ग पद पर हो जिससे उसका सम्बन्ध हो।	पूर्व पद का, विशेष-वेतन रहित (यदि कोई हो) स्थाई वेतन।
2.	यदि पूर्व के पद पर कार्यवाहक अथवा अस्थाई रूप से कार्य कर रहा हो।	विशेष वेतन के बिना, धारण किये गये पद का, वेतन।
3.	यदि अवकाश से लौट रहा हो।	अन्तिम अवकाश वेतन के समान

यह आदेश प्रसारित होने के दिनाक से प्रभावशील होगा किन्तु एक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में जो इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व अपने स्थापना के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, यह आदेश उस तारीख से प्रभावशील होना है जिससे कर्मचारी अपने पद-स्थापना आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था।

(एफ. 1 (93) वि. वि. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 14-12-66 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 5:—प्रशिक्षण काल में क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त करने सम्बन्धी पूर्व के समस्त आदेशों [illegible] मे यह आदेश दिया जाता है कि जब तक अन्यथा प्रावधान नहीं हो, राज्य कर्मचारी जिसे नियम 7 [illegible]) (i) के अनुसार प्रशिक्षण काल मे "कर्तव्य पर" माना जाता है, उसे उस अवधि में कोई भी ऐसा क्षति-[illegible] स्वीकृत किया जा सकता है जिसे वह प्रशिक्षण पर नही जाने पर प्राप्त करता किन्तु शर्त यह है कि

प्रशिक्षण की अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं हो तथा इसके साथ यह भी शर्त है कि जिस सक्षम-प्राधिकारी ने कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजने के आदेश दिये है उसके द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र दिया जाय:—

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती...

विभाग में...पद पर हैं एवं जो आज्ञा संख्या.......................................

दिनांक..के अनुसार प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये गये हैं, वह निम्नअंकित भत्ते प्राप्त करते, यदि वह प्रशिक्षण पर प्रस्थान नहीं करते/करती

1. मकान किराया भत्ता,
2. परियोजना भत्ता,
3. राजस्थान नहर परियोजना भत्ता,
4. विलोपित,
5. विलोपित,
6. शहरी क्षतिपूरक भत्ता,
7. सीमा सडक निर्माण भत्ता,

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अंकित कर्मचारी का परिवार उस स्थान पर ही रह रहा है जहां उक्त-भत्ता स्वीकार्य है।

(वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (22) वि. वि./(व्यय-नियम)/63 दिनांक 6-2-67 द्वारा निविष्ट)

नियम 26 (1):—एक राज्य कर्मचारी जो पूर्व में ही एक सेवा, संवर्ग या विभाग में कार्य कर रहा हो एवं जो सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाकर सीधी भर्ती अथवा विशिष्ट चयन द्वारा एक सेवा, संवर्ग या विभाग से दूसरी सेवा, संवर्ग या विभाग में (प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से, स्थानान्तरण को सम्मिलित करते हुए) नियुक्त किया जाता है तो उसका प्रारम्भिक-वेतन (इनिशियल-पे) निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगा:—

श्रेणी	पूर्व के पद पर अन्तिम वेतन	नये पद पर प्रारम्भिक-वेतन
(क)	किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो एवं किसी उच्च-पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य नहीं कर रहा हो।	श्रेणी (क) में वर्णित कर्मचारियों का प्रारम्भिक वेतन निम्न-प्रकार से निर्धारित किया जावेगा:— (i) यदि नवीन-पद का अधिकतम-वेतन पुराने पद के अधिकतम-वेतन से अधिक हो तो उसे नये पद के वेतनमान में, पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन के आगे के स्तर (स्टेज) पर निर्धारित किया जायेगा। (ii) यदि नवीन पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम के समकक्ष अथवा उससे कम है तो उसका वेतन, नये पद के वेतनमान में उस स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो पुराने पद के अन्तिम मूल-वेतन के समान हो या यदि उस नये पद के वेतनमान में ऐसा कोई

स्तर नहीं हो, तो पुराने पद के अन्तिम मूलवेतन से नीचे के स्तर पर निर्धारित किया जावेगा और वेतन के अन्तर को "व्यक्तिगत-वेतन" के रूप में दिया जायेगा।

(iii) यदि नवीन पद का न्यूनतम, उपरोक्त खण्ड (i) व (ii) में स्वीकार्य वेतन से अधिक हो तो उसे नवीन पद का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

(ख) (i) नीचे के पद पर स्थाई हो किन्तु जो उसी सेवा, संवर्ग या विभाग में किसी उच्च स्थाई या अस्थाई पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो, किन्तु ऐसी स्थानापन्न नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में प्रसारित पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो।

(ii) यदि स्थाई या अस्थाई पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त हो किन्तु उसकी नियुक्ति-सीधी भर्ती, पदोन्नति, विशिष्ट-चयन/आपत्तकालीन भर्ती द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में प्रसारित नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी सेवा या संवर्ग के प्रारम्भिक गठन के रूप में की गई हो।

(ii) स्थाई अथवा अस्थाई पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किन्तु यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में कोई सेवा नियम नही बनाये गये हों किन्तु पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में हो और नियुक्ति आयोग की सहमति से की गई हो।

(iv) स्थाई या अस्थाई पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त हो किन्तु ऐसी नियुक्ति, पद

(ख) श्रेणी (ख) में वर्णित किसी भी अनुच्छेद के प्रावधानों से शासित होने वाले कर्मचारी का वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगा:—

(i) यदि नये पद का न्यूनतम-वेतन स्थाई रूप से धारित पद के अतिरिक्त, अन्य पुराने पद के अन्तिम वेतन के बराबर या उससे अधिक हो तो प्रारम्भिक वेतन नये पद के न्यूनतम पर निश्चित किया जायेगा।

(ii) यदि नये पद का न्यूनतम-वेतन स्थाई रूप से धारित पद के अतिरिक्त, अन्य पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से कम है, तो प्रारम्भिक वेतन, नये पद के वेतनमान में ऐसे "स्तर" पर निश्चित किया जावेगा जो पुराने पद के अन्तिम वेतन से बराबर हो। किन्तु यदि ऐसा कोई स्तर नये वेतनमान में नही हो तो उस वेतन के नीचे के "स्तर" पर निश्चित किया जावेगा तथा वेतन के अन्तर को "व्यक्तिगत-वेतन" मान लिया जायेगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि वेतन निर्धारण उपरोक्त अनुच्छेद क (i) अथवा क (ii) के अनुसार स्थाई पद पर स्वीकार्य वेतन के आधार पर अधिक लाभप्रद हो तो वेतन उक्त-खण्डों के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिये वेतन का तात्पर्य मूल-वेतन अथवा अस्थाई पद के वेतन से है किन्तु इसमे विशेष-वेतन सम्मिलित नही होगा ।

(3) जब नवीन पद पर नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 20 (क) अथवा नियम 215 (ब) के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी की प्रार्थना पर की गई हो तथा नवीन पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम से कम है तो वह नये पद का अधिकतम वेतन, प्रारम्भिक वेतन के रूप मे, प्राप्त करेगा ।

दृष्टांतः—नियम 26 (क) (i)–सचिवालय का एक विधि-सहायक राजस्थान-न्यायिक-सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हो जाता है । विधि-सहायक अपने पद पर स्थाई है और दिनांक 1 सितम्बर, 1976 से 500–890 के वेतनमान मे नई नियुक्ति के समय 865/- रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है । वह राजस्थान-न्यायिक-सेवा में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद पर 1 नवम्बर, 1978 को नियुक्त (पद भार ग्रहण करता) किया जाता है ।

इस प्रकरण में चूंकि विधि-सहायक अपने पद पर स्थाई है और फलस्वरूप 865/- रुपये मूल-वेतन के रूप प्राप्त कर रहा है। राजस्थान-न्यायिक-सेवा में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद का वेतनमान 750–30–1020–40–1300–50–1350 है । चूंकि विधि सहायक के मूल-वेतनमान का अधिकतम 890/- रुपये है और नये पद के वेतनमान का अधिकतम 1350/- है । अतः विधि-सहायक को 1 नवम्बर, 1978 (मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख) को नये वेतन-मान में 870/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त होगा ।

दृष्टान्त :—नियम 26 (क) (ii)–स्थानीय-निकाय विभाग के प्रथम-श्रेणी कार्यालय अधीक्षक, जिसका वेतनमान 550–20–710–25–1010 है, अपने मूल-पद को छोड़कर लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हो जाता है । लेखाकार के पद का वेतनमान 1 सितम्बर, 1976 से 500–20–740–25–940 है । इस नियुक्ति से पूर्व कार्यालय-अधीक्षक मूल-वेतन के रूप में 735/- मासिक प्राप्त कर रहा है । चूंकि लेखाकार के पद का अधिकतम कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पद के अधिकतम से कम है, अतः कर्मचारी को 720/- रुपये वेतन तथा 15/- रुपये व्यक्तिगत-वेतन दिया जावेगा ।

दृष्टान्त :—नियम 26 (क) (iii)–चिकित्सा विभाग का एक लेखाकार जिसका वेतनमान 500–940 है, राजस्थान-न्यायिक सेवा में सीधी-भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त कर लेता है। नियुक्ति के दिन वह 720/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था ।

इस उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार चूंकि नये वेतनमान का न्यूनतम कर्मचारी के मूल-वेतन से अधिक है । अतः लेखाकार को न्यायिक-सेवा के पद का न्यूनतम वेतन अर्थात् 750/- रुपया मासिक मिलेगा क्योंकि इस नये पद का वेतनमान 750–1350 है ।

दृष्टान्त :—नियम 26 (ख) (i)–पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग का स्थाई वरिष्ठलिपिक, जो कार्यालय अधीक्षक के पद पर गत 3 वर्ष से कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा है, को परिवार नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है । वह चूंकि कार्यालय अधीक्षक के पद पर 710/- रुपया प्राप्त कर रहा हैं । अतः उसे "प्रशासनिक अधिकारी" के पद पर वेतनमान 750–1350 में न्यूनतम वेतन रुपये 750/- प्राप्त होगा ।

दृष्टान्त :—नियम 26 (ख) (ii)—बीमा विभाग का एक पर्यवेक्षक उसी विभाग में सहायक-निदेशक के पद पर कार्यवाहक रूप से 750–1350 के वेतनमान में एक वर्ष से न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहा था। इस अधिकारी का चयन "वाणिज्य-कर अधिकारी" के पद पर, जिसका वेतनमान 650–30–1070-40–1270 है पर कर लिया जाता है। अधिकारी इस नये पद पर आने का इच्छुक है। इस परिस्थिति में चूंकि अधिकारी पूर्व मे ही सहायक निदेशक के वेतनमान 750–1350 में न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहा था तो उसे "वाणिज्य-कर-अधिकारी" के पद पर उस वेतनमान में 740/- रुपये वेतन तथा 10/- रुपये मासिक "व्यक्तिगत वेतन" दिया जावेगा। आगामी वेतन वृद्धि पर इसका, वेतन वेतनमान 650-1270 की शृंखला में, 770/- रुपया मासिक पर निर्धारित किया जायेगा और व्यक्तिगत वेतन समाप्त कर दिया जायेगा।

दृष्टान्त :—नियम 26 (ग) (i)—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक स्वास्थ्य निरीक्षक जो 370–590 के वेतनमान में न्यूनतम-वेतन प्राप्त कर रहा है, को तदर्थ-रूप से उसी विभाग में कनिष्ठलिपिक के पद पर चयन कर नियुक्त कर दिया जाता है। नियम 26 (ग) के अन्तर्गत कर्मचारी को कनिष्ठलिपिक के वेतनमान का न्यूनतम अर्थात् 355/- रुपया मासिक वेतन मिलना चाहिये। किन्तु यदि चयन-अधिकारी सिफारिश करे तो कर्मचारी को कनिष्ठ-लिपिक के वेतनमान 355–570 में 365/- रुपये मासिक वेतन तथा 5/-रुपये व्यक्तिगत-वेतन के रूप मे दिया जा सकता है। आगामी वेतन-वृद्धि पर 375/- रुपया दिया जावेगा और व्यक्तिगत-वेतन समाप्त हो जावेगा।

दृष्टान्त :—नियम 26 (3)—जागीर विभाग के प्रथम श्रेणी कार्यालय अधीक्षक (जिसका वेतनमान 550–1010 है) पदोन्नति के अधिक अवसर होने के कारण लेखाकार के पद, (जिसका वेतनमान 500–940 है) पर अपनी नियुक्ति चाहते हैं। अधीक्षक के वेतनमान में वे 960/- रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे। इन उप-नियम 26 (3) के प्रावधानों के अनुसार इन्हें लेखाकार के वेतनमान का अधिकतम अर्थात् 940/- रुपये मासिक वेतन दिया जावेगा यद्यपि वे इससे पूर्व अधिक वेतनमान में 960/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।

टिप्पणी संख्या 1:– इन नियमों के प्रयोजनों के लिये एक विशेष-पद से अथवा उस सवर्ग में सम्मिलित एक सावधि पद से साधारण सवर्ग या सेवा में किसी पद पर प्रत्यावर्तन (रिवर्सन) अथवा एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर प्रत्यावर्तन को मूल नियुक्ति नहीं मानी जावेगी।

टिप्पणी संख्या 2:—जब एक राज्य कर्मचारी उस दिनाक से किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है जिसकी उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि (निम्न-पद-वाली) देय होती है तो उच्च-पद पर उसका प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने के लिये उसके मूल-पद वाले वेतन मे वह वार्षिक वृद्धि भी सम्मिलित मानी जायेगी, जो उस दिन देय हो जाती है।

दृष्टान्तः—जिलाधीश कार्यालय का एक कनिष्ठ-लिपिक, जिसका वेतनमान 355–10–415–15–550–20–570 है, दिनांक 1 सितम्बर, 1977 से 415/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे दिनांक 1 जून, 1978 को, जो उसको कनिष्ठलिपिक के पद की वार्षिक-वेतन वृद्धि की तारीख भी है, को वरिष्ठलिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। वरिष्ठलिपिक के पद का वेतनमान 385–10–415–15–490–20–650 है। नियम 26 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (2) के अन्तर्गत चूंकि कर्मचारी के पदोन्नति के दिन ही उसके मूल वेतनमान में वेतन-वृद्धि देय होती है, अतः वरिष्ठ-

लिपिक के पद पर उसका वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया जायेगा:—

1.	कनिष्ठ-लिपिक के पद का वेतन	= 415 रुपया मासिक
2.	कनिष्ठ-लिपिक के पद पर देय वेतन-वृद्धि के कारण वेतन	= 415 + 15 = 430/- मासिक
3.	नियम 26-ए के कारण कनिष्ठ-लिपिक के पद का वेतन	= 445/- रुपये मासिक
4.	वरिष्ठ-लिपिक के पद पर आगामी स्तर पर वेतन निर्धारण	= 460/- रुपये मासिक

टिप्पणी संख्या 3:—सावधि पद पर नियुक्ति होने पर वेतन का स्थिरीकरण इस नियम के अनुसार नियमित किया जायेगा, नियम 26-ए के अन्तर्गत नहीं।

आडिट निर्देशन:— (1) वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (94) वि. वि. (नियम) 66/I दिनांक 16 अगस्त, 1969 द्वारा 1 जनवरी, 1967 से विलोपित किया गया।

(2) एक वेतनमान हाल में जोडी हुई/प्रभावी की हुई हो सकती है जब कि संवर्ग या श्रेणी, जिसमें वह जोडी गई है नियमित वेतनमान में समय-श्रृंखला के प्रभावी होने के पूर्व ही चली आ रही हो। अथवा यह भी हो सकता है कि एक वेतनमान ने दूसरे वेतनमान का स्थान ले लिया हो। यदि किसी राज्य कर्मचारी ने नये वेतनमान के प्रभावी होने से पूर्व किसी संवर्ग या श्रेणी में एक पद पर स्थाई या स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो तथा उस अवधि में उसने किसी "स्तर" (स्टेज) के समान वेतन प्राप्त किया हो अथवा दो स्तरों के बीच का वेतन प्राप्त किया हो तो उस कर्मचारी का नये-वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, पूर्व के वेतनमान में अन्तिम समय में प्राप्त किये गये वेतन के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये तथा जिस अवधि में वह प्राप्त किया गया था उसे वेतन में वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिये गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा यदि ऐसा वेतन दो स्तरों के बीच का था तो निम्न-स्तर पर उसका प्रारम्भिक वेतन निश्चित किया जाना चाहिए।

(3) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (94) वि. वि /(नियम) 66/I दिनांक 16–8–1969 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1967 से विलोपित।

(4) उक्तानुसार विलोपित।

(5) यदि कोई राज्य-कर्मचारी उक्त नियम के अन्तर्गत कोई व्यक्तिगत-वेतन प्राप्त करता हो तो जब भी कर्मचारी की नवीन अथवा पुराने पद के वेतन-मान में दूसरी वार्षिक-वेतन-वृद्धि देय होती है तो कर्मचारी को नये-पद की दूसरी वार्षिक-वेतन-वृद्धि दी जायेगी एवं उस समय से वह व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करना बन्द कर देगा तथा पुराने-पद की वेतन श्रृंखला से सभी संबंध विच्छेद कर देगा। किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत-वेतन उसे केवल उसका नई-वेतन-श्रृंखला में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने के लिये ही स्वीकृत किया जाता है जिस पर वह अपने पुराने पद के वेतन से कम वेतन प्राप्त करता है। व्यक्तिगत-वेतन नये-वेतनमान में किसी दूसरे "स्तर" पर प्रारम्भिक वेतन-निर्धारण के लिये स्वीकृत नही किया जाता है।

(6) आडिट निर्देशन (3) एवं (4) के साथ यह भी विलोपित किया गया है।

राजकीय निर्णय:—राजस्थान सेवा नियम 261 से 268 के अन्तर्गत पारिवारिक पेन्शन केवल सीमित अवधि के लिये ही स्वीकृत की जाती है। अतः सरकार द्वारा स्वीकृत एक अधिकारी के वेतन को नियमित करते समय उसके पारिवारिक पेन्शन के प्राप्त करने के तथ्यों को इन नियमों के अनुसार ध्यान में नही रखा जायेगा।

स्पष्टीकरणः—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (94) वि. वि./नियम/66/I दिनांक 16 अगस्त, 1969 द्वारा 1 जनवरी, 1967 से विलोपित किया गया।

नियम 26-ए (1):—जब कोई राज्य-कर्मचारी किसी पद पर स्थाई, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तथा उसे उसकी सेवा, संवर्ग या विभाग में 'पदोन्नति की नियमित पंक्ति' में स्थाई, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया हो तो उसका वेतन, उच्च-पद के वेतनमान में, उसके द्वारा पूर्व के पदवाले वेतनमान में प्राप्त वेतन मे एक वार्षिक-वृद्धि की राशि जोड कर जो वेतन आयेगा उसके आधार पर नये वेतनमान मे "आगे के स्तर" (नेकस्ट-एबवस्टेज) पर निर्धारित किया जावेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में निम्न-अंकित शर्ते होंगीः—

दृष्टान्तः—नियम 26-ए-पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग के एक कनिष्ठ-लिपिक को वरिष्ठलिपिक के पद पर, पदोन्नति की नियमित पंक्ति में, दिनांक 1 अप्रेल, 79 से पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति के दिन वह कनिष्ठ-लिपिक के रूप में 550/- रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है।

नियम 26-ए के अनुसार उसका वेतन वरिष्ठ-लिपिक के पद पर निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगा।

(1) कनिष्ठ-लिपिक के पद पर वेतन = 550/- मासिक

(2) कनिष्ठ-लिपिक के पद पर काल्पनिक वेतन = 550 + 20 = 570/- मासिक

(3) वरिष्ठ-लिपिक के पद पर वेतन = 590/- मासिक (570/- से आगे के स्तर पर)

(i) जहा कोई कर्मचारी उच्च-पद पर अपनी पदोन्नति के तुरन्त पूर्व निम्न-पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा है तो उच्च-पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन, निम्न-पद पर अधिकतम पर प्राप्त किये जा रहे वेतन में, निम्न-पद की अन्तिम वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि के समान, सिद्धात रूप से बढ़ाकर जो वेतन बने उसके आधार पर नवीन वेतनमान में "आगे के स्तर" पर वेतन स्थिर किया जायेगा।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या एफ. 1 (40) वि.वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 28-8-74 द्वारा प्रतिस्थापित]

दृष्टांतः—नियम 26-ए (i)–स्थानीय-निधि अंकेक्षण विभाग के एक स्थायी कार्यालय सहायक को उसी विभाग में कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारी, कार्यालय सहायक के वेतनमान 460-770 का अधिकतम अर्थात् 770/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है। कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी का वेतनमान 550–20–710–259–1010 है। कार्यालय सहायक के वेतनमान में वे अधिकतम-वेतन एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे हैं।

कर्मचारी को ऐसी स्थिति में नियम 26-ए (i) के अनुसार निम्न-प्रकार वेतन प्राप्त होगाः—

(1) कार्यालय सहायक के पद पर वेतन = 770/- मासिक

(2) कार्यालय सहायक के पद पर काल्पनिक वेतन = 770 + 20 = 790/- मासिक

(3) कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान में वेतन = 810/- मासिक (790/- से आगामी स्तर पर)

(ii) इस नियम के प्रावधान इसी नियम के अन्तर्गत दी गई अनुसूची मे वर्णित मामलों पर

लागू नही होंगे। उनके सम्बन्ध में सरकार वेतन-निर्धारण का ऐसा अन्य तरीका निर्धारित कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, एवं

(iii) इन नियमो के नियम 35-ए के उप-नियम (2) के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू नही होंगे जहां पर प्रारम्भिक-वेतन इस नियम के अन्तर्गत निश्चित किया गया हो।

नियम 26-ए (2):—इन नियमों के नियम 31 के प्रावधानों के होते हुए भी जहां राज्य-कर्मचारी का वेतन उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार निर्धारित किया जाता है तो उसको दूसरी वेतन-वृद्धि उस दिनांक को स्वीकृत की जावेगी जिसको वह यदि नीचे के पद पर ही कार्य करता रहता तो, वार्षिक-वेतन-वृद्धि प्राप्त करता। किन्तु शर्त यह है कि जहां वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित किया जाता है तथा इस प्रकार निर्धारित किया गया वेतन नीचे के पद के वेतनमान में आगामी वेतन-वृद्धि एवं उच्च-पद की प्रथम वेतन-वृद्धि की राशि के समान अथवा अधिक होता है तो आगामी वेतन-वृद्धि नियम 31 के अनुसार वेतन-वृद्धि के लिये गिने जाने वाली सेवा के पूर्ण होने पर ही दी जा सकेगी।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (8) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21-1-1968 द्वारा प्रतिस्थापित]

स्पष्टीकरण संख्या 1:—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियम 26-ए के प्रावधान एक ऐसे कर्मचारी के मामले मे भी प्रभावी किये जाने चाहियें जिसने किसी पूर्व अवसर/अवसरों पर उच्च-पदों को धारण किया था तथा वह उसकी उच्च-पद पर पदोन्नति होने पर नियम 26 के अनुसार उच्च-वेतन प्राप्त कर रहा था अथवा क्या ऐसे मामले मे वेतन नियम 26 (ख) के परन्तुक के अनुसार निर्धारित किया जावेगा? मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रेल, 1961 से उच्चतर-पद पर पदोन्नति होने पर राज्य कर्मचारियो का वेतन सेवा नियम 26-ए के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है तथा उनका वेतन अब नियम 26 के अनुसार स्थिर नही किया जा सकता है चाहे वह नियम 26-ए के अनुसार निर्धारित किये वेतन से अधिक लाभदायक होता हो। इस आदेश के जारी होने के दिनाक से पूर्व में निर्णित मामलो पर पुन. विचार नही किया जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.1 (20)वि.वि. (क),नियम/61 दिनांक 16-1-62 तथा 7-6-65 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 2—वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी वास्तव में साधारण वेतन-वृद्धि की तारीख पर कोई आगे वेतन वृद्धि प्राप्त नही करता है। किन्तु इसका यह अर्थ नही लिया जा सकता है कि उसके मामले मे वेतन-वृद्धि की साधारण तारीख ही नही है। सेवा नियम 31 के प्रावधानो के अनुसार कर्मचारी के सेवा मे रहते हुए यह समान रूप से जारी रहेगी।

इस प्रकार एक ऐसे मामले मे जहा कर्मचारी की, जब वह अपने पद के वेतनमान का अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहा है, नियमित पंक्ति मे पदोन्नति हो जाती है तब उसका वेतन सेवा नियम 26-ए के अनुसार निर्धारित किया जावेगा एव उसको आगामी वेतन-वृद्धि नियम 26-ए के उप-नियम (2) के अनुसार उस तारीख से प्राप्त होगी जिसको वह नीचे के पद पर ही यदि बना रहता, तो प्राप्त करता।

यह आदेश दिनाक 1 जनवरी, 1967 से प्रभावशील होगा। जो मामले इन आदेशो से पूर्व ही तय किये जा चुके है, वो पुनः खोले जाकर इन आदेशो अनुसार तय किये जा सकेंगे।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (20) वि. वि. (नियम) 72 दिनांक 26-8-1972 द्वारा निविष्ट)

स्पष्टीकरण संख्या 3:—कई मामलों में कर्मचारियों के बारे में, जो अस्थाई आधार पर नियुक्त होकर राज्य-सेवा में सेवारत होते हुए ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा अन्य चयन करने वाले प्राधिकारी अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसी पद पर चयनित होने पर, जैसी भी स्थिति हो, विभागो द्वारा नये नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं। यहा एक प्रश्न उठाया गया है कि नियमित चयन के पश्चात् नियुक्ति-आदेश प्रसारित करने पर क्या ऐसे कर्मचारी का तदर्थ-वेतन आरक्षित (प्रोटेक्ट) माना जायेगा जो उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त किया जा रहा था और क्या ऐसी तदर्थ-सेवा अवधि को सेवा नियम 31 के अनुसार वेतन-वृद्धि के लिये गिना जाय अथवा नही ?

इस प्रश्न पर विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय सहर्ष ने आदेश प्रदान किया है कि जब कभी किसी व्यक्ति की "आवश्यक-अस्थाई आधार पर" (आन-अरजेन्ट-टेम्परेरी-बेसिस) किसी पद पर नियुक्ति की जाती है तो उसके वेतन का निर्धारण सम्बन्धित नियमो के अनुसार किया जावेगा जो उस पर प्रभावी होते है और वह उस पद का वेतन तथा वेतन-वृद्धि तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद पर नियुक्त रहता है। इस तथ्य से कि कर्मचारी आगे चल कर राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा चयन प्राधिकारी द्वारा उस पद पर चयनित हो जाने पर एव इस आशय से नये नियुक्ति-आदेश प्रसारित कर देने से उसकी स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः उसके वेतन का पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता नही है। ऐसे प्रकरण जिनमे कर्मचारी नीचे के पद पर नियमित है और उच्च-पद पर नियमित रूप से कार्यरत है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करने पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित उच्च-पद पर नियमित नियुक्ति की स्थिति भी वही रहेगी। ऐसे मामले में भी वेतन के आरक्षण का वही लाभ स्वीकार्य है जो "अनावश्यक-अस्थाई आधार पर" नियुक्त होने पर लिया गया था और वेतन का पुनःनिर्धारण आवश्यक नही होगा। नियमित वेतनमान मे तदर्थ-पदोन्नति के मामले में वेतन-निर्धारण तथा वेतन-वृद्धि राजस्थान सेवा नियमो के सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा और विभागीय चयन समिति द्वारा उस पद पर चयन कर नियुक्त कर देने पर वेतन के पुनःनिर्धारण की आवश्यकता नही रहेगी।

यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि ऐसे मामले जो उपरोक्त स्पष्टीकरण के विपरीत तय कर दिये गये हो तो उन्हे पुनः खोले जायें और उपरोक्त आदेशो के अनुसार नियमित किया जाय।

[वित्त विभाग के आदेश एफ. 1 (94) वि. वि./नियम/66/II दिनांक 20-11-1975 द्वारा निविष्ठ]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधान सभा एव राज्यपाल सचिवालय में दिनाक 31 अगस्त, 1968 को कार्यरत कनिष्ठ-लिपिको एव आशुलिपिकों, जो चाहे स्थाई हो अथवा स्थानापन्न हों, की यदि इन विभागो/कार्यलयो मे क्रमशः वरिष्ठलिपिक एव वरिष्ठ-आशुलिपिक के पदो पर स्थाई अथवा स्थानापन्न रूप मे पदोन्नति या नियुक्ति की जाय तो उनका वेतन पदोन्नति के दिन उनकी अपनी वेतन-शृंखला मे प्राप्त किये जा रहे वेतन में दो वेतन वृद्धिया जोड़ कर जो काल्पनिक वेतन आये उसके आधार पर पदोन्नति की वेतन-शृंखला में आगामी स्तर (नेक्स्ट-स्टेज) पर वेतन निर्धारण किया जायेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—नियम 26-ए-के अन्तर्गत दिये गये राजकीय निर्णय संख्या (1) के अतिक्रमण मे यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे अधिकारी जो स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर है की यदि मुख्य अभियन्त, भवन एव पथ, मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर योजना अथवा मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के पद पर स्थाई या स्थानापन्न रूप से पदोन्नति की जावे तो उनका वेतन राजस्थान सेवा नियमो के नियम 26 अथवा नियम 35-ए, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—किसी पद पर स्थाई, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप में कार्यरत कर्मचारी को स्थाई, अस्थाई, अथवा स्थानापन्न रूप मे उसके सेवा, सवर्ग या विभाग में पदोन्नति की नियमित पंक्ति में जब पदोन्नत किया जाता है तो उसका वेतन नियम 26–ए के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ पदोन्नति के उन मामलों मे भी लागू होगा जहा विभागों मे सवर्ग अथवा सेवा नियम नही हैं अथवा सेवा नियम तो है किन्तु जिन पदों पर अथवा जिन पदों से पदोन्नति की गई है, वे पद उन सेवा नियमो की अनुसूचि में सम्मिलित नही है।

इस मामले पर विचार किया गया और निश्चित किया गया है कि ऐसे मामले में नियम 26–ए के अनुसार वेतन-निर्धारण का लाभ देय नहीं है। किन्तु फिर भी यदि सेवा नियमों के प्रकाशन के बाद अथवा उनकी अनुसूचि मे पद के सम्मिलित होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित कर सके कि उन नियमों के प्रकाशन अथवा सम्बन्धित पद नियमो की अनुसूचि में सम्मिलित हो जाता, यदि पूर्व में ही नियम प्रकाशित हो जाते, तो नियम 26–ए के अन्तर्गत ऐसे मामले मे वेतन का पुनः निर्धारण पदोन्नति की तारीख से ही (पूर्व-प्रभाव से) कर दिया जावेगा।

उपरोक्त आदेश दिनाक 1 दिसम्बर, 1975 से प्रभावशील होंगे। पूर्व के मामले जिन्हे नियम 26–ए के अनुसार वेतन-निर्धारण का लाभ दे दिया गया हो, को पुनः नहीं खोले जायेंगे किन्तु विचाराधीन मामलों को उपरोक्त आदेशानुसार ही निर्णित किया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (94) वि. वि. (नियम)/66–IIदिनांक 17 दिसम्बर, 1975 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—राजस्थान नागरिक सेवाऐ (सशोधित नवीन वेतनमान) नियम 1976 के नियम 12 (2) तथा 12 (3) के अन्तर्गत वेतन-स्थिरीकरण के सम्बन्ध में एक कर्मचारी को स्वीकृत व्यक्तिगत वेतन को, 1–9–1976 तथा उसके बाद नियमित-पंक्ति मे नियुक्ति अथवा पदोन्नति होने पर, राजस्थान सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत उच्च-पद पर वेतन-स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ क्या माना जाय, यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन कुछ समय से रहा है।

इस मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि उपरोक्त अनुच्छेद मे वर्णित प्रकृति के मामलों में स्वीकृत व्यक्तिगत वेतन को 1–9–76 अथवा उसके बाद मे प्रथम बार नियमित-पंक्ति मे उच्च-पद पर पदोन्नति किये जाने पर व्यक्तिगत-वेतन को स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ गिना जाय तथा उसे वेतन का भाग ही माना जाकर तदनुसार नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण किया जायेगा।

यह आदेश दिनाक 1–9–1976 से प्रभावशील माना जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ. 1 (ए) (11) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दिनांक 16–5–1977 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—निचले पद पर कल्पित-वेतन वृद्धि की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ, जैसा नियम 26–ए मे दिया हुआ है, पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियम 1976 के परिशिष्ट III के रूप में सलग्न वेतन नियमन सारिणियो के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या–1 मे उल्लिखत प्रावधानो के लागू हो सकने सम्बन्धी मामला गत कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल आदेश देते है कि पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियम 1976 के परिशिष्ट III के रूप में वेतन नियमन सारिणियों (टेबिल सख्या 1 से 21 तक) के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या 1 के प्रावधान सेवा नियम 26–ए के अधीन वेतन नियमन के मामलो मे केवल निचले पद पर ही (अर्थात्

उच्चतर पद पर नहीं) देय कल्पित वेतन वृद्धि की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पुनःरीक्षित वेतनमान नियम, 1976 के नियम 5 (2) में परिभाषित "विद्यमान राज्य कर्मचारी" की दिनांक 1–9–76 को या इसके पश्चात् की गई प्रथम पदोन्नति के मामले में लागू होंगे।

उपरोक्त अनुच्छेद 2 के प्रावधान उस कर्मचारी की प्रथम पदोन्नति के मामले मे लागू नही होंगे जो राजकीय सेवा मे दिनाक 1–9–1976 को अथवा इसके पश्चात् नियुक्त किया गया है। यह आदेश दिनाक 1–9–1976 से प्रभावी समझे जावेगे।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (क)(17) वित्त (ग्रुप–2) 77 दिनांक 20–12–77 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 5:—निम्न-हस्ताक्षरकर्त्ता को वित्त विभाग के सम सख्यक ज्ञापन दिनाक 17–12–75 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। उस ज्ञापन के द्वारा सरकार मे राजस्थान सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत उन मामलों मे वेतन स्थिरीकरण का लाभ देना निषेध किया गया है जहां एक राज्य कर्मचारी को किसी एक विभाग में ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाता है जहा सवर्ग (केडर) अथवा सेवा नियम नही है अथवा सवर्ग के सेवा नियम तो विद्यमान है किन्तु उन सेवा नियमो के परिशिष्ट मे वह पद जोड़ा हुआ नही है जिस पर उस एक कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है।

फिर भी उक्त आदेशों द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन-स्थिरीकरण का लाभ ऐसे मामलों मे पूर्व-प्रभाव से अर्थात् पदोन्नति के दिनाक से दिया जा सकता है जहा सबधित सेवा नियम प्रकाशित होने के बाद अथवा विद्यमान सेवा नियमो के परिशिष्ट में उस पद को सम्मिलित किये जाने के बाद नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि यदि सम्बन्धित सेवा नियम पूर्व में प्रकाशित हो गये होते अथवा वह छूटा हुआ पद विद्यमान सेवा नियमो के परिशिष्ट में पूर्व में ही सम्मिलित कर लिया गया होता तो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति पहले ही मिल जाती। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक (क–2) ग्रुप ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) कार्मिक (क–2) 73/II दिनांक 27–9–78 द्वारा यह निर्णय ले लिया है कि किसी पद को किसी सेवा-नियम में अथवा विद्यमान सेवा नियमो के परिशिष्ट में सम्मिलित करने की तारीख से ही ऐसे पद पर कि गई नियुक्ति/पदोन्नति को सेवा की नियमित-पंक्ति मे माना जावेगा। ऐसे पद को सबधित सेवा नियमों के परिशिष्ट मे सम्मिलित करने से पूर्व की गई पदोन्नति/नियुक्ति को नियमित पंक्ति में उच्च-पद पर पदोन्नति नही मानी जावेगी एवं फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन-स्थिरीकरण का लाभ ऐसे कर्मचारी को उस पद के सेवा नियमों के परिशिष्ट में सम्मिलित करने के दिनांक से ही दिया जावेगा।

इस मामले की जांच करली गई है तथा अब यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जिसे एक ऐसे उच्च-पद पर पदोन्नत किया जाता है जो किसी सेवा नियम में वर्गीकृत नहो है अथवा जिसे सम्बन्धित सेवा नियमों के परिशिष्ट मे सम्मिलित नही किया गया है, तब ऐसे कर्मचारी का वेतन, सेवा नियम 26 (I) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जावेगा। किन्तु ऐसे मामलो मे सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन का पुनःस्थिरीकरण उस उच्च-पद से संबंधित सेवा नियमों अथवा सेवा-नियमो के परिशिष्ट मे वर्गीकृत/सम्मिलित किये जाने की तारीख से अथवा सबधित सेवा नियम पुनः प्रकाशित किये जाने की तारीख से दे दिया जावेगा।

यह भी निर्णय किया गया है कि उन मामलों मे जहा सेवा नियम 26–ए के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण कार्मिक विभाग के उक्त अंकित आदेश (एफ. 1 (15) कार्मिक (क–2) 73–II दिनाक 27–9–1978) के जारी होने से पूर्व ही कर दिया हो तो अधिक भुगतान, जो कार्मिक विभाग के उक्त आदेश की पालना मे वेतन-स्थिरीकरण करने के फलस्वरूप बनता हो, (तो अधिक भुगतान की राशि) को 27-9-78 से माफ किया हुआ (के

माना जावेगा। विचाराधीन मामलो का निपटारा कार्मिक विभाग के उक्त आदेश के अनुसरण में किया जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (94) वि. वि (नियम) 66-II दिनांक 14-12-1978 द्वारा निविष्ट]

अनुसूची—(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो इस सेवा की चयन-शृंखला पदों पर पदोन्नत हो गये है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जो सिविल अथवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं अन्य समान पदों से जिला सत्र न्यायाधीश अथवा ऐसे ही समान पदों पर पदोन्नत किये गये हों।

(3) वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(38) वि. वि (नियम) 72 दिनांक 27 सितम्बर, 1972 द्वारा 1-1-1968 से विलोपित।

(4) सेवा में दिनांक 1-9-1961 को नियुक्त कनिष्ठ-लिपिक जो दिनांक 1 सितम्बर, 1961 को या उसके बाद राजस्थान सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल सचिवालय एवं राजस्थान विधान सभा में उच्च-लिपिक के पद पर नियुक्त हो गये हों।

(5) दिनांक 1 सितम्बर, 1961 को सेवा में कार्यरत आशुलिपिक जो दिनांक 1 सितम्बर, 1961 को या बाद में राजस्थान सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्यपाल सचिवालय एवं राजस्थान विधान सभा में वरिष्ठ-आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत हो गया हो।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जो मुख्य अभियन्ता या राजस्थान नहर परियोजना अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हुए हो।

(7) राजस्थान सचिवालय सेवा-संवर्ग के सहायक सचिव से राजस्थान सरकार के उपसचिव के पद पर पदोन्नत हुए हो।

(8) सचिवालय में स्थाई रूप से नियुक्त सहायक या आशुलिपिक जो अनुभागाधिकारी के पद पर पदोन्नत हो।

टिप्पणी:—उक्त अंकित अनुसूची के क्रम संख्या (7) व (8) में वर्णित पदोन्नतियो के सम्बन्ध में नियम 26-ए के प्रावधान दिनांक 1 अप्रेल, 1961 से 31 अगस्त, 1961 तक प्रभावशील समझे जायेंगे। दिनांक 1 सितम्बर, 1961 से उनके वेतन स्थिरीकरण मुख्य नियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जायेंगे। क्रमांक (3) से (6) तक के सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रेल, 61 से 31 अगस्त, 1961 तक पदोन्नति होने पर उनका वेतन मुख्य नियमो के प्रावधानो के अनुसार नियमित हुवा समझा जावेगा एवं इस नियम का प्रोविजो दिनांक 1 सितम्बर, 1961 से प्रभावी माना जायेगा।

नियम 26-बी:—इन नियमों में कुछ भी उल्लेख होते हुए भी जहां ऐक राज्य-कर्मचारी ने नियम 7 (31) (क) के अनुसार उच्चतर दायित्वो अथवा विशेष प्रकृति के कठिन कार्यों को सम्पादित करने के कारण निरन्तर न्यूनतम दो वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह उस द्वारा धारण किये गये पद के दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य एवं दायित्वों वाले पद पर पदोन्नत एवं नियुक्त हो जाता है तथा उसका वेतन एवं उस पद का विशेष-वेतन दोनों मिलाकर इन नियमों के प्रावधानो के अनुसार उसके द्वारा धारित पद के वेतन से कम बनता हो तो वह अन्तर "व्यक्तिगत-वेतन" के रूप में स्वीकृत कर दिया जायेगा, पर भविष्य में उसे देय वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभों में वह अन्तरलीन (एवजार्ब) कर दिया जायेगा। यह संशोधन दिनांक 1 सितम्बर, 1961 से प्रभावी हुवा समझा जायेगा।

दृष्टान्त :—(नियम 26 बी)–सचिवालय के एक कनिष्ठ-ग्राशुलिपिक को स्वास्थ्य मंत्री के निजी सहायक के रूप में नियुक्त करने पर उसके वेतनमान में 510/- रुपया वेतन तथा 50/- रुपया "विशेष-वेतन" प्राप्त हो रहा है। उसे गृह विभाग में वरिष्ठ-ग्राशुलिपिक के पद पर दिनांक 1-8-1979 से पदोन्नत किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के निजी सहायक के पद पर ये गत दो वर्ष से कार्य कर रहे होने के कारण निरन्तर 50/- रुपया मासिक "विशेष-वेतन" प्राप्त कर रहे थे। वरिष्ठ-ग्राशुलिपिक के पद पर पदोन्नति के कारण इन्हें निम्न-प्रकार वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन नियम 26-बी के अनुसार दिया जावेगा:—

1. कनिष्ठ ग्राशुलिपिक के पद पर वेतन = 510/- रुपया तथा विशेष-वेतन रुपया 50/– = 560/- रुपया मासिक
2. कनिष्ठ ग्राशुलिपिक के पद पर काल्पनिक वेतन = 510 + 20 = 530/- मासिक
3. वरिष्ठ ग्राशुलिपिक के पद पर = 550/- मासिक

उपरोक्त दृष्टान्त से स्पष्ट है कि कर्मचारी को 10/- रुपये मासिक की हानि होती है किन्तु यदि यह "विशेष-वेतन" ग्रारक्षित (प्रोटेक्ट) हो जाता है तो कर्मचारी को 550/- रुपये वेतन तथा 10/– मासिक "व्यक्तिगत वेतन" दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 26-बी के अनुसार पदोन्नति या नियुक्ति पर वेतन निर्धारण में उसके विशेष वेतन को भी गिना जायेगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या निरन्तर दो वर्ष की अवधि की गणना में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपभोग किये गये अवकाश की अवधि भी सम्मिलित की जायेगी? मामले की जांच कर ली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 26-बी में वर्णित दो वर्ष की अवधि में अधिकारी द्वारा उपभोग किये गये सभी अवकाशों की अवधि सम्मिलित की जायेगी, यदि नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाय कि वह "अधिकारी निरन्तर विशेष वेतन प्राप्त करता रहता यदि अवकाश पर प्रस्थान नहीं करता"।

स्पष्टीकरण संख्या 2:–इस विभाग के पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक अधिकारी, अपनी पदोन्नति से पूर्व, एक विशेष-वेतन प्राप्त कर रहा था जिसे उसने दो वर्ष की अवधि से कम समय के लिये नहीं उठाया था। किन्तु उक्त अवधि में विशेष वेतन की दरों में परिवर्तन हो गया था। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि कौनसी दर (संशोधित अथवा पुरानी) को नियम 26-बी के प्रयोजनों के लिये वेतन में सम्मिलित की जाय। मामले की जांच कर ली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति से तुरन्त पूर्व प्राप्त विशेष-वेतन वाली दर ही नियम 26-बी के प्रयोजनों के लिये सम्मिलित की जानी चाहिये।

अपवाद संख्या (1):—राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार लेखा-लिपिकों के पदों से लेखाकारों के पदों पर पदोन्नति होने पर उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे 10/– रुपये मासिक विशेष-वेतन को आरक्षित करने सम्बन्धी प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है।

प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन लेखा-लिपिकों द्वारा जो लेखाकार योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त नियमों के अनुसार लेखाकारों के पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, 10/– रुपये मासिक विशेष-वेतन को काल्पनिक रूप से वेतन ही समझा जाय किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार से फलाया गया वेतन (लेखा-लिपिक के वेतन अथवा विशेष-वेतन) पद के वेतनमान में उच्चतर स्तर-पर निर्धारित किया जावेगा।

लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन का निर्धारण उपरोक्त अनुच्छेद में दर्शाये गये तरी-

वेतन को सम्मिलित कर जो वेतन आयेगा उसके आधार पर नियम 26-ए के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा। यह आदेश दिनाक 1 जनवरी, 1966 से प्रभावी होते हैं।

उपरोक्त अनुच्छेद (2) व (3) मे उल्लिखित निर्णय उस लेखा-लिपिक पर लागू नहीं होगा जो लेखाकार प्रतियोगीता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुआ है।

[आज्ञा संख्या एफ 1 (29) वि वि. (व्यय-नियम) 68 दिनांक 18-7-1968 द्वारा निविष्ट]

अपवाद संख्या 2:—उक्त अपवाद के संदर्भ में एक प्रश्न यह उत्पन्न किया गया है कि उन वाणिज्यिक लेखा लिपिको को जो लेखाकारो की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लेखाकारों के पदों पर पदोन्नत हुए हैं उनके विशेष-वेतन को किस तरह समझा जाय। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि यद्यपि वाणिज्यिक लेखालिपिक को 15) रुपये मासिक विशेष-वेतन मिलता है फिर भी उक्त योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लेखाकार के पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनों के लिये केवल 10) रुपये विशेष-वेतन को ही वेतन के रूप मे माना जायेगा तथा तदनुसार उपरोक्त आदेश के प्रावधान वाणिज्यिक लेखा लिपिकों के मामलों मे भी प्रभावी होंगे। यह आदेश दिनाक 1 जनवरी, 1967 से लागू होंगे।

यह आदेश उन वाणिज्यिक लेखा लिपिकों पर लागू नहीं होंगे जो वाणिज्यिक लेखाकारों के रूप मे नियुक्त/पदोन्नत हुए है तथा जो लेखाकार प्रतियोगी हो परीक्षा मे उत्तीर्ण कर लेखाकारों के पदो पर नियुक्त हुए हैं।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (29) वि वि./नियम/68 दिनांक 15 मई, 1969 द्वारा निविष्ट]

अपवाद संख्या 3:—यह निश्चय किया गया है कि ऐसे लेखालिपिकों/वाणिज्य लेखालिपिकों के मामलों मे जिन्होंने लेखाकार योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करली है, और जिन्हे 1 जनवरी, 1967 के पूर्व लेखाकार के पद पर पदोन्नत कर दिया था, राजस्थान सेवा नियम 32 को वहा व्यक्तिगत मामलों मे लागू किया जा सकता है, जहां यह ज्ञात हो कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां लेखाकार द्वारा प्राप्त किये गये वेतन, उस वेतन एवं विशेष-वेतन से कम हो जाता है जो लेखालिपिक एवं वाणिज्यिक लेखालिपिक के रूप में, यदि वह रहता तो, प्राप्त करता।

ऐसे मामले वित्त विभाग को समुचित कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रणाली के माध्यम से भेजे जावें। यह आदेश उस लेखालिपिक एव वाणिज्यिक लेखालिपिक पर लागू नही होगा जो लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेखाकार/वाणिज्य लेखाकार के पद पर नियुक्त/पदोन्नत हुए है।

[आदेश संख्या एफ. 1 (29) वि. वि./नियम/68 दिनांक 24 जुलाई, 1971 द्वारा निविष्ट]

अपवाद संख्या 4:—राज्यपाल महोदय ने मुख्यलेखाअधिकारी, राजस्थान जयपुर को ऐसे समस्त लेखाकारो के वेतन पुन: निर्धारण करने की शक्तिया, सेवा नियम 32 के प्रावधानों को व्यक्तिगत मामले में निम्न-अंकित सीमाओं के अनुसार लागू करने के अधिकार दिये है जो उपरोक्त अपवादो द्वारा आवृत होते है।

जहा लेखालिपिक के रूप मे देय वेतन तथा विशेष वेतन लेखाकार के रूप मे देय वेतन (वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई) से अधिक हो तो लेखाकार का वेतन उसे लेखालिपिक के रूप मे देय वेतन तथा विशेष वेतन की राशि से ऊपर के आगामी स्तर पर पुनः निर्धारित किया जायेगा। समस्त प्रकरणों मे जहां इन आदेशों के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण की अनुमति दी जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को सेवा नियम 31 के अनुसार वेतन के पुन: निर्धारण के दिनाक से, वेतन-वृद्धि की अवधि पूर्ण करने पर ही, आगामी वेतन-वृद्धि देय होगी।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (29) वि. वि. (नियम) 68 दिनांक 5-1-73 द्वारा निविष्ट]

नियम 27:—घटाइ गई (कम की गई) वेतन-श्रृंखला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण—एक राज्य कर्मचारी को जो किसी वेतनमान वाले पद पर स्थाई रूप से नियुक्त है, यदि उसका वेतनमान, उस पद के कार्य एवं उत्तरदायित्वों में कमी किये बिना ही, अन्य कारणों

से, कम कर दिया जाता है और उस कर्मचारी को इस कटौती से पूर्व के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो, तो उसका पुनः वेतन निर्धारण नियम 26 के प्रावधानों द्वारा किया जावेगा। शर्त यह है कि नियम 26 के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तथा खण्ड (ख) के अधीन, सेवा से त्यागपत्र देने, हटाने या निष्कासित करने के अतिरिक्त, अन्य मामलों में यदि उसनेः—

(1) पूर्व में स्थाई रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से निम्न-प्रकार कार्य किया होः—

(i) उसी पद या समान-पद पर वेतन की समय-शृंखला के कम होने से पूर्व, अथवा

(ii) उसी अथवा समान-वेतनमान के स्थाई या अस्थाई पद, वेतन-शृंखला कम होने से पूर्व पर कार्य,

(iii) सावधि पद या अस्थाई पद के अतिरिक्त एक स्थाई पद पर ऐसे वेतनमान में कार्य किया हो जो उस पद के घटे हुए वेतनमान के समान हो। यह अस्थाई पद उसी वेतनमान में हो जिसमें स्थाई पद होता है, या

(2) वह एक ऐसे सावधि पद पर मूल रूप से नियुक्त किया गया है जिसका वेतनमान, पद के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को कम किये बिना ही घटा दीया गया है एवं उसने पूर्व में सावधि पद को बिना घटाये वेतन शृंखला के समान अन्य वेतन-शृंखला वाले किसी सावधि पद पर स्थाई रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन उसके विशेष-वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो वेतन के वर्गीकरण में आती हो, के अतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे वह पूर्व के अवसरों पर नियम 26 के अनुसार प्राप्त करता। यदि कम किया गया वेतनमान प्रारम्भ से ही प्रभावशील होता एवं वह कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये सेवा की उस अवधि को भी, जिसमें वह पूर्व अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त करता, गिनने का अधिकारी होगा।

नियम 27-एः—परिवीक्षा काल में वेतन—जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसार प्रसारित सेवा-नियमों में अथवा राजकीय आदेशों एवं निर्देशनों में "परिवीक्षाधीन" अथवा "परिवीक्षा-पर" कर्मचारी को नियुक्त किये जाने का प्रावधान हो वहां उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि निम्न-प्रकार नियमित की जायेगीः—

(1) परिवीक्षा काल में कोई वेतन-वृद्धि स्वीकृत नही की जावेगी।

(2) यदि सेवा नियमों अथवा नियुक्ति के आदेशों में परिवीक्षा की निश्चित अवधि निर्धारित की गई है एवं विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने के कारण अथवा स्थाईकरण के लिये उपयुक्तता का निर्धारण पूर्ण नही होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से स्थाईकरण एवं परिवीक्षा-काल की अवधि के बारे में कोई विशिष्ट आदेश जारी नही किया गया हो तो, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के बाद वेतनमान की प्रारम्भिक दर पर वेतन उठाये जाने की स्वीकृति दे दी जायेगी, जब तक स्थाईकरण, परिवीक्षा काल की वृद्धि अथवा सेवा समाप्ति का विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(3) परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थाईकरण के आदेशों के जारी किये जाने के कारण जो वार्षिक वेतन-वृद्धि सामान्य रूप से बकाया होंगी वें पूर्व-प्रभाव से स्वीकृत करदी जायेंगी।

(4) परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थाईकरण के आदेशों के जारी किये जाने पर तथा उस आदेश द्वारा परिवीक्षा-काल में यदि वृद्धि की गई हो तो वेतन-वृद्धि जो सामान्य रूप से बकाया होंगी वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेंगी किन्तु प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के उठाये जाने की सामान्य तारीख उतने ही दिनों के बाद निर्धारित की जावेगी जितने समय के परिवीक्षा काल मे वृद्धि की गई हो।

(5) उपरोक्त अनुच्छेद (4) के प्रावधानों के रहते हुए भी व्यक्ति, जिसका प्रारम्भिक वेतन सेवा नियम 26 के उपनियम (1) के अनुच्छेद (क) (ii) एवं (ख) (ii) के अनुसार निश्चित किया गया हो, वह अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से पूर्व के पद पर की गई पुरानी सेवा को नवीन पद पर वेतन वृद्धि के लिये सम्मिलित करेगा।

नियम 28:—एक पद के वेतनमान में परिवर्तन होने पर मूल-वेतन का नियमन–यदि किसी पद का वेतनमान बदल दिया जाय तो उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी का नये वेतनमान के पद पर स्थानान्तरण किया हुआ समझा जावेगा। किन्तु वह कर्मचारी अपनी इच्छानुसार पुराने वेतनमान को आगामी वेतन-वृद्धि के समय तक या अन्य किसी और आगामी वेतन वृद्धि के समय तक धारण रख सकता अथवा वह अपनी इच्छानुसार उस पद को स्वयं द्वारा छोड़ने पर उसके वेतनमान की अधिकतम सीमा का लाभ प्राप्त करने तक रख सकता है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जायेगा।

टिप्पणी:—एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो एक ऐसी दिनांक को उच्च वेतनमान में कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हो, जिसमें एक ही संवर्ग में विभिन्न वेतनमान वाले अनेको पदों को एक कर दिया गया हो, तो उक्त नियम के प्रावधान मे आये हुए उसके "पुराने वेतन" शब्द का तात्पर्य केवल उसमें प्रमाणिक तारीख को प्राप्त कर रहे अपने कार्यवाहक वेतन को ही सम्मिलित नही किया जायेगा बल्कि उसमे वेतन की सम श्रृंखला को सम्मिलित किया जायेगा जिसमे वह कर्मचारी उस वेतन को प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार की अवधि के लिये उतनी पुरानी वेतन श्रृंखला को ही, जिसमे वह अपना स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा था, सम्बन्धित व्यक्तियो के मामले मे, निरन्तर नही समझी जायेगी। और चूंकि वह उस अवधि में अपने वेतनमान को रखने का अधिकारी है, अतः विकल्प के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ वेतन इस पर निर्भर नही करता कि उस तिथि के दिन धारित पद के कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्व के रहते है या नही। फिर भी यह विकल्प उस समय समाप्त हो जाता है जब एक बार सम्बन्धित कर्मचारी उस पद पर कार्य करना बन्द कर देता है अथवा उस श्रृंखला मे वह अपना स्थानापन्न वेतन प्राप्त करना बन्द कर देता है।

इस नियम का मूल भाग एवं उसका परन्तुक दोनो ही एक साथ, एक समय पर, प्रभावशील नही हो सकते है, क्योकि जिस अवधि मे विकल्प दिया जाता है वह अवधि परन्तुक के अनुसार प्रभावशील होती है तथा उस समय नियम का मूल भाग प्रभावशील नही होता है। किसी भी कारण से विकल्प नही देने की स्थिति मे नियम का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

ऑडिट निर्देशन:—(1) यह नियम एक पद पर स्थानापन्न तथा स्थाई रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियो पर भी लागू होता है।

(2) यदि किसी पद का अधिकतम वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं न्यूनतम वेतन के बिना परिवर्तन किये ही, बदल दिया जाता है तो उस पद के धारण करने वाले व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन नियम 26 (ख) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिये, न कि नियम 26 (क) के अन्तर्गत, चाहे वह उस पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो।

(3) इस नियम मे प्रयुक्त "पुराने वेतनमान मे आगे की वार्षिक वेतन वृद्धि" मे उन मामलों की शृंखला-वृद्धि भी सम्मिलित है, जिनमें एक समय वेतन-शृंखला किसी वेतन की श्रेणी बद्ध-शृंखला में परिवर्तित हो गई हो।

(4) नियम 26 के अन्तर्गत ग्राडिट-निर्देशन संख्या (1) भी कृपया देखें।

राजकीय निर्णय संख्या 1:–एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक निलम्बित किये गये कर्मचारी को *नियम 28 के अन्तर्गत निलम्बन काल मे परिवर्तित-वेतनमान को ग्रहण करने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि* उसको निलम्बित किये जाने के पूर्व ही उसके पद का वेतनमान परिवर्तित किया गया हो। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऐसे मामलो को निम्न-अंकित तरीको से निपटाया जाना चाहिये:—

(i) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतनमान निलम्बन की तारीख से पूर्व ही प्रभावशील होता है उनमें एक कर्मचारी को नियम 28 के अन्तर्गत अथवा परिवर्तित वेतनमान के लिये विकल्प देने के संबंध में विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत, विकल्प भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, वह चाहे जिस समय अपना विकल्प भरकर देता है और यह चाहे उसकी निलम्बन अवधि में ही आता हो। इस विकल्प के परिणाम स्वरूप निलम्बन की पूर्व तारीख के लिये यदि उसे कोई लाभ मिलता है तो वह उसे प्राप्त करेगा तथा उस वृद्धि का लाभ उसे निलम्बन काल की अवधि में निर्वाह-भत्ता प्राप्त करने मे भी मिलेगा।

(ii) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतनमान निलम्बन की अवधि मे प्रभावशील होती है।

(क) निलम्बन काल मे एक कर्मचारी अपना पदाधिकार अपने स्थाई पद पर रखता है। चूंकि सेवा नियम 28 मे प्रयुक्त "पद को धारण करने वाला" शब्द मे वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो एक पद पर अपना पदाधिकार अथवा निलम्बित पदाधिकार रखता है, चाहे वह वास्तव मे उस पद पर कार्य कर रहा हो अथवा नही। एक ऐसे कर्मचारी को उसके निलम्बन-काल में भी नियम 28 के अन्तर्गत अथवा परिवर्तित-वेतनमान में विकल्प भरने सम्बन्धी किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत विकल्प भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। फिर भी निलम्बन अवधि के लिये विकल्प भरने का लाभ केवल उसके सेवा मे बहाल होने पर इस तथ्य पर आधारित होगा कि क्या निलम्बन का समय उसके लिये कर्त्तव्य के रूप में समझा गया है अथवा नहीं।

(ख) यदि किसी पद का वेतनमान परिवर्तित हो जाता है तथा उस पर एक कर्मचारी अपना पदाधिकार नही रखता है तो वह नियम 28 अथवा परिवर्तित वेतनमान मे विकल्प देने सम्बन्धी किसी अन्य विशेष नियम के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी यदि वह उस पद पर पुनः प्रस्थापित हो जाता है तथा उसके निलम्बन के समय को "कर्त्तव्य" के रूप मे मान लिया जाता है तो पुनःस्थापित होने के बाद उसे अपने विकल्प भरने की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामले मे जिसमें विकल्प भरकर देने की कोई समय अवधि निर्धारित हो तथा वह अवधि उसके निलम्बन काल मे ही समाप्त

हो जाती है तो सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि को बढा सकती है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राज्य सरकार ने 1-9-1976 से राजकीय महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों में नियुक्त प्राध्यापकों को यू. जी. सी वेतनमान स्वीकृत किये है। दिनाक 1-9-76 से ही सरकार ने संशोधित नवीन वेतनमान नियम, 1976 द्वारा सशोधित नवीन वेतनमान घोषित किये है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन प्राध्यापकों का वेतन सशोधित नवीन वेतनमान नियमों के अनुसार स्थिर कर दिया गया है उनका वेतन यू जी सी. वेतनमानों मे किस प्रकार स्थिर किया जावे–कारण कि सशोधित नवीन वेतनमानो मे 1-9-76 तक देय समस्त महगाई भता अन्तरिम-राहत आदि को वेतन का भाग बना दिया गया था इस प्रश्न पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि जब संशोधित नवीन वेतनमान में वेतन प्राप्त-कर्ता प्राध्यापको का यू जी. सी. वेतनमानो मे स्थिरीकरण किया जावे तो सशोधित नवीन वेतनमान में स्थिर वेतन में से अतिरिक्त महगाई भत्ते की उन 9 किश्तो की राशि कम करदी जावे–अर्थात् घटादी जावें जो 1-1-73 से 1-9-76 के बीच सरकार ने स्वीकृत की थीं। 9 किश्तों की राशि कम करने के बाद जो वेतन शेष रहे–उसके आधार पर यू. जी. सी वेतनमान मे वेतन-निर्धारण किया जावे। इस प्रकार यू. जी. सी. वेतनमान मे निर्धारित वेतन पर वह महगाई भत्ता पृथक से दिया जावेगा जो यू. जी. सी. वेतनमान नियमों के अनुसार देय बताया गया है।

यह आदेश कृषि विभाग के उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो कुछ कृषि योजनाओं के उदयपुर विश्वविद्यालय को हस्तातरित करने के कारण उदयपुर विश्वविद्यालय में एवजावं हो गये है और जिनका वेतन संशोधित नवीन वेतनमानो से यू. जी सी वेतनमानो मे स्थिर किया जाना हो।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (39) वि वि (ग्रुप-2) 78 दिनांक 21-2-79 द्वारा प्रसारित]

नियम 29:—सामान्य वार्षिक-वेतन-वृद्धियों की देयता–नियम 26-ए, 27-ए अथवा 32 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जब तक राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी की सामान्य वार्षिक-वेतन-वद्धि रोकने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाय तब तक एक कर्मचारी को उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वद्धि सदैव मिलती रहेगी। वार्षिक वेतन-वद्धि रोकने के आदेशों में उसको रोके जाने का उल्लेख किया जायेगा तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या उस रोकी गई वार्षिक-वेतन-वद्धि से भावी-वेतन-वद्धि को रोकने में भी प्रभाव पड़ेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—अस्थाई आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियो के लिये वेतन-वृद्धि:—सरकार के प्रशासनिक विभागों के सचिवो को समय-समय पर ऐसे पदों पर, जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जाना चाहिये था किन्तु जो अभी तक नही भरे गये हैं, नियुक्त किये गये राजपत्रित अथवा अराजपत्रित कर्मचारियो के लिये अस्थाई आधार पर मासिक वेतन के भुगतान स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है। एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि उक्त अधिकारियों को अपनी वेतन-वृद्धि उन पदों के वेतनमानों मे दी जानी चाहिये जिनमे वे केवल अस्थाई तौर पर अपना वेतन पा रहे हैं। अब तक वेतन-वृद्धिया नही दी गई हैं। मामले की पुनः जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त अधिकारियों को सेवा नियम 29 के अनुसार अन्य अधिकारियों की भाँति सामान्य वार्षिक-वेतन-वृद्धियाँ प्राप्त करनी चाहियें। अतः उन समस्त अधिकारियो का मासिक वेतन जिसे उन्होंने अस्थाई तौर पर प्राप्त किया है, पुनः निश्चित किया जाना चाहिये तथा वार्षिक-वेतन-वृद्धि के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाय। भविष्य में वेतन-वृद्धि जब भी देय हो स्वीकार कर देनी चाहिये।

टीका:—राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा वेतन-वृद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 162' 196 से 198 द्वारा शासित होती है अतः उन्हें देखा जाय ।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—इस प्रश्न की जाच की गई है कि क्या एक वेतन-वृद्धि वास्तविक दिनांक, जिस दिन से वह अर्जित एवं देय होती है, के बजाय उस माह की प्रथम तारीख़ को स्वीकार करनी चाहिये ?

राज्यपाल महोदय ने आज्ञा प्रदान की है कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि जिस माह में, वह साधारण नियमों एवं वेतन वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशो के अधीन देय/अर्जित होती है, उसे उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार किया जा सकता है । यह आदेश 1 अप्रेल, 1974 से प्रभावी होगे ।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (31) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 23 जुलाई, 1974 द्वारा निविष्ट एवं 1-4-74 से प्रभावशील]

स्पष्टीकरण संख्या 1:—इस विभाग की आज्ञा दिनाक 23 जुलाई, 74 (उपरोक्त राजकीय निर्णय सख्या-2) की ओर इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया जाता है । कुछ स्थानों से इन आदेशो की क्रियान्विति के बारे में सन्देह उत्पन्न किये गये हैं । निम्न-अंकित विवरण, सदेहों के बिन्दुओं और उनके स्पष्टीकरण के लिये व्यक्त किये जाते है:—

(1) यदि कोई कर्मचारी माह की पहली तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन-वृद्धि कैसे नियमित की जायेगी ।	(1) एक कर्मचारी अवकाश की अवधि मे अवकाश-वेतन प्राप्त करता है न कि कर्तव्य-वेतन तथा एक वेतन-वृद्धि जो अवकाश-काल मे देय होती है, वह अवकाश अवधि मे आहरित नही की जा सकती है । अतः ऐसे मामले मे अवकाश से लौटने पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से वेतन-वृद्धि का लाभ दिया जावेगा ।
(2) ऐसे मामले में जहा कर्मचारी के साधारण-अवकाश पर जाने पर, जो वेतन-वृद्धि के लिये नही गिना जाता, वेतन-वृद्धि स्थगन पर कैसे नियमित की जायेगी ।	(2) साधारण वेतन-वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आदेशो के आधार पर गिना जायेगा । यदि स्थगित वेतन-वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती है तो वह महीने की पहली तारीख को स्वीकृत की जावेगी ।
(3) जब एक कर्मचारी की नियुक्ति दिनाक 19-5-1974 को हुई हो तो क्या उसे 12 माह की सेवा पूर्ण करने से पूर्व दिनाक 1-5-75 को वेतन-वृद्धि दी जा सकती है ?	(3) दिनाक 1-4-1974 के बाद की प्रारम्भिक नियुक्ति के मामलों मे यह बात इन आदेशों में ही अन्तर्हित है कि प्रथम वेतन-वृद्धि साधारण वेतन-वृद्धि की अवधि के 12 माह से पूर्व ही आहरित की जावेगी ।
(4) समान वेतन पर की गई सेवा की अवधि वेतन-वृद्धि के लिये गिनी जाती है । यदि इसमें सेवा-भग की अवधि की गणना करने पर आगामी वेतन वृद्धि की तारीख माह की प्रथम तारीख के बाद पड़ती हो तो क्या	(4) वेतन वृद्धि माह की प्रथम तारीख, जिस माह मे आगामी वेतन-वृद्धि देय हो, सेवा भंग की अवधि को एक वर्ष के बराबर गिनने के बाद देय होगी । किन्तु शर्त यह है कि कर्मचारी भी उस पद को माह की प्रथम दिनाक से उसकी देय दिनाक तक धारण करता हो । किसी मामले

वेतन-वृद्धि उस तारीख को स्वीकार करनी चाहिये । जबकि कर्मचारी उस समान-स्तर पर एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है अथवा माह की प्रथम तारीख को यदि सेवा-भग की अवधि एक पूरे वर्ष से कम हो ?	में यदि वह उस पद को महिने की प्रथम तारीख को धारित नही करता हो तो वेतन-वृद्धि उस तारीख से स्वीकृत की जायेगी जिसको वह देय होती है ।
(5) जब साधारण वेतन-वृद्धि किसी विशिष्ट अवधि के लिये रोक दी गई हो और दण्ड की ऐसी कोई अवधि माह की पहली तारीख के बाद समाप्त होती हो तो वेतन-वृद्धि की स्वीकृति कैसे नियमित होगी ?	(5) यह आदेश ऐसे मामलों पर लागू नही होगे जहां वेतन-वृद्धियाँ दण्ड के रूप मे रोकी गई हों । ऐसे मामलों में वेतन-वृद्धि दण्ड की अवधि की समाप्ति की तारीख से स्वीकार/भुगताई जायेगी ।
(6) अग्रिम-वेतन-वृद्धियाँ किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तारीख से दी जाती है तो क्या ऐसी वेतन-वृद्धियाँ भी जिस माह में वह देय होती है उस माह की प्रथम दिनाक से ही दी जायेगी ।	(6) यह आदेश केवल स्वीकृत-वेतनमान में साधारण वेतन-वृद्धि के भुगतान से सम्बन्धित है और अग्रिम वेतन-वृद्धियों पर लागू नही होते जो किसी परीक्षा के उत्तीर्ण करने पर दी जाती है । ऐसी वेतन-वृद्धियाँ यदि स्वीकार करने योग्य हो तो उनसे सम्बन्धित नियमो एवं आदेशो से ही शासित होगी ।
(7) ऐसे मामले मे वेतन-वृद्धि कैसे नियमित होगी जहा पदोन्नति के मामले में आगामी वेतन-वृद्धि उसी माह मे देय होती है ?	(7) यह आदेश ऐसे प्रकरणों मे प्रभावशील नही होगे । अर्थात् ऐसे मामलों मे वेतन-वृद्धि उसी तारीख से स्वीकार की जायेगी जब वह देय होती है ।

[वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 1 (31) वि.वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 28-9-74 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण सख्या 2:—वित्त विभाग के परिपत्र सख्या एफ. 1 (31) वि. वि. (ग्रुप–2) 74 दिनाक 18 सितम्बर, 1974 (स्पष्टीकरण सख्या–1) के क्रम सख्या–2 के अन्तर्गत कर्मचारी के बिना-वेतन-अवकाश पर जाने पर (जो वेतन-वृद्धि के लिये नही गिना जाता है) वेतन-वृद्धि स्थगन किस प्रकार नियमित की जायेगी, के सम्बन्ध मे वित्त विभाग मे सदर्भ प्राप्त हो रहे हैं ।

मामले की जाच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1–4–1974 के बाद वेतन-वृद्धि की तारीख निर्धारित करने के लिये, जिसमे गत वर्ष की वेतन-वृद्धि को तारीख में गणना के अयोग्य सेवा की अवधि जोड़ने पर जो तिथि बनेगी, कर्मचारी को उस माह की पहली तारीख को प्रथम वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जायेगी जिस माह मे उक्त वेतन-वृद्धि देय होती है । आगामी वर्ष में वेतन वृद्धि की तारीख निकालने के लिये गणना में अयोग्य सेवा की अवधि को जोड़ने पर जो दिनाक आती है वह सामान्य वेतन-वृद्धि की तारीख होती है और कर्मचारी को उस माह की पहली तारीख से वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जायेगी जिस माह मे वह देय होती है । निम्नअंकित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है:—

1. वित्त विभाग के आदेश दिनाक 23 जुलाई, 1974 (जो 1 अप्रेल, 1974 से प्रभावी हुए हैं) के पूर्व अन्तिम वेतन-वृद्धि की तारीख 30–8–1973

2.	सामान्य नियमों के अनुसार आगामी वेतन वृद्धि की तारीख (किन्तु 7 जुलाई, 1974 से 19 जुलाई, 1974 की अवधि अयोग्य सेवा के कारण)	30–8–1974
3.	उपरोक्त 13 दिन की अवधि-स्थगन होने के कारण वेतन-वृद्धि की तारीख	12–9–1974
4.	वास्तविक वेतन-वृद्धि की तारीख जो नवीन आदेशो के अनुसार माह की प्रथम तारीख को देय है।	1–9–1974
5.	आगामी वेतन-वृद्धि का दिनाक, (किन्तु 1 जनवरी, 1975 से 25 जनवरी, 1975 की अवधि अयोग्य-सेवा के कारण)	1–9–1975
6.	25 दिन की अवधि को वेतन-वृद्धि की गणना से निकालते हुए वेतन-वृद्धि की तारीख का निर्धारण	26–9–1975
7.	वास्तविक वेतन-वृद्धि की तारीख जो माह की प्रथम तारीख से देय होती है।	1–9–1975
8.	आगामी वेतन-वृद्धि की दिनांक	1–9–1976

वित्त विभाग के उपरोक्त आदेशो के क्रम सख्या (7) के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस माह एवं वर्ष में पदोन्नति दी जाती है वेतन-वृद्धि उस माह की प्रथम तारीख के बजाय उस अन्य दिनाक से देय होगी जिसको पदोन्नति दी गई है। किन्तु आगे के वर्षों मे वेतन-वृद्धि की प्रथम तारीख उस माह की तारीख ही कर दी जायेगी।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ' 1 (31) वि.वि. (प्र.प-2) 74 दिनांक 20-8-75 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 3:—वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (31) वि वि. (प्र.प–2) 74 दिनाक 23 जुलाई, 1974 एव बाद के स्पष्टीकरण दिनाक 18 सितम्बर, 1974 एव 20 अगस्त, 1975 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि एक कर्मचारी को वेतन-वृद्धि का भुगतान उस माह की प्रथम तारीख से कर दिया जाय जिस माह में वह, वेतन-वृद्धि सम्बन्धी सामान्य-नियम एव आदेशो के अनुसार देय/अर्जित होती है।

इस सम्बन्ध में वित्त-विभाग मे लगातार ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते रहते है कि वार्षिक-वेतन-वृद्धि की कौनसी दिनांक का उल्लेख सेवा-पुस्तिका वेतन-वृद्धि-प्रमाण-पत्र, वेतन-स्थिरीकरण-प्रपत्र एव पदोन्नति आदि के मामलों मे किया जायेगा तथा क्या इन मामलो मे वेतन-वृद्धि की तारीख माह की प्रथम तारीख बताई जाय अथवा वेतन-वृद्धि की वास्तविक तारीख अंकित की जाय। महालेखाकार की ओर से भी बिना विशिष्ट सकेत के ऐसी वेतन-वृद्धि की तारीखों के सत्यापन करने मे कठिनाई व्यक्त की गई है।

समस्त सन्देहो के निराकरण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के सम संख्यक आदेश दिनाक 23 जुलाई, 1974 के अनुसार किसी वेतन-वृद्धि की तारीख को देय होने वाले भुगतान को उस माह की प्रथम तारीख को चुका देने का आदेश दिया गया है जबकि वेतन-वृद्धि शासित करने वाले सेवा-नियम/आदेश यथावत रखे गये है। फलस्वरूप वेतन-वृद्धि की वास्तविक तारीख ही उपरोक्त अंकित समस्त प्रकार के सेवा-अभिलेखों में अंकित की जायेगी कारण की वेतन-वृद्धि के कारण केवल देय-भुगतान ही पहली तारीख मे चुकाने की व्यवस्था स्वीकृत की गई है।

वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण दिनाक 20 अगस्त, 1975 द्वारा किसी एक राज्य कर्मचारी के बिना-वेतन-

अवकाश पर रहने के कारण (वह अवधि वेतन वृद्धि में नहीं गिनी जाती है) वेतन-वृद्धि की तारीख की फलावट करने का तरीका बताया गया है। इस आदेश के अनुच्छेद (3) में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखकर इस मामले का परीक्षण किया गया है तथा यह पुनःस्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले, जहा असाधारण-अवकाश की अवधि वेतन-वृद्धि की फलावट मे नहीं गिनी जाती, वेतन-वृद्धि की तारीख निकालने के लिये पूर्व की वेतन-वृद्धि की तारीख में अयोग्य सेवा की अवधि को जोडकर राजस्थान सेवा नियम 31 के अनुसार वेतन-वृद्धि की तारीखनिर्धारित की जायेगी और उस तारीख वाले माह की प्रथम तारीख से वेतन-वृद्धि का भुगतान स्वीकार्य होगा। निम्न अंकित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जावेगी:—

1.	गत वेतन-वृद्धि की तारीख, जो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1974 के जारी होने से पूर्व थी (आदेश दिनांक 1 अप्रेल, 1974 से प्रभावी हुए)	30–8–1973
2.	वेतन-वृद्धि के सामान्य नियमो के अनुसार आगामी वेतन-वृद्धि की तारीख, किन्तु दिनांक 7 जुलाई, 1974 से 19 जुलाई, 1974 की अवधि के (अयोग्य-सेवा) कारण	30–8–1974
3.	उपरोक्त 13 दिन की अवधि को गणना मे नहीं लेने के कारण सामान्य-वेतन-वृद्धि की तारीख का स्थगन होने पर वेतन-वृद्धि का दिनांक	12–9–1974
4.	वास्तविक तारीख जिससे वेतन-वृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा	1–9–1974
5.	सामान्य-वेतन-वृद्धि की आगामी तारीख, किन्तु 1 जनवरी, 1975 से 25 जनवरी, 1675 तक अयोग्य-सेवा के कारण	12–9–1975
6.	उपरोक्त 25 दिन की अवधि को छोड़ने के कारण सामान्य-वेतन-वृद्धि की तारीख	– 7–10–1975
7.	वास्तविक तारीख जिस दिन से वेतन-वृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा	1–10–1976
8.	आगामी-वेतन-वृद्धि की तारीख	7–10–1976

(इसी प्रकार आगे)

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (31) वि. वि. (प्रु-2) 74 दिनांक 23 मई, 1977 द्वारा निविष्ट]

दृष्टांत 1 :—एक लेखाकार जो वेतनमान 200–15–350–20–450–25–525 में 1–7–74 से 370/- मासिक वेतन पर रहा था के बारे में मुख्य-लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा उसके अभद्र व्यवहार तथा राजकार्य में असावधानी के दोष के आधार पर 1–8–1974 को दो वर्ष के लिये असंचित-प्रभाव (विदाउट-क्यूमुलेटिव) से वेतन-वृद्धियां रोकने के आदेश प्रसारित किये। लेखाकार का 1–8–74 से 1–8–1976 तक का वेतन निर्धारण कीजिये।

लेखाकार को निम्न प्रकार वेतन देय होगा:—

दिनांक	वेतन	विवरण
1–7–74	370/-	कर्तव्य वेतन
1–8–74	370/-	"

1-7-75	370/-	असंचित प्रभाव से वेतन वृद्धि रुकी रहने के कारण
1-8-75	370/-	"
1-7-76	370/-	"
1-8-76	410/-	आदेश का प्रभाव समाप्त होने पर।

लेखाकार की आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1-7-77 होगी।

दृष्टांत 2 :—निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने एक सांख्यिकी सहायक, जिसका वेतनमान 180-10-220-15-385-20-425 है के संबंध में सेवा से बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने के कारण, नियमित रूप से जांच कर दो वर्ष के लिये संचित प्रभाव से (विद-क्यूमूलेटिव) दिनांक 1-11-1972 से वेतन वृद्धियां रोक दी। वेतन वृद्धियां रोकने के दिन कर्मचारी 385/- मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा वेतन-वृद्धि की सामान्य तारीख 1-9-72 थी।

इस मामले में कर्मचारी को निम्न प्रकार वेतन प्राप्त होगा:—

दिनांक	वेतन	विवरण
1-9-72	385/-	कर्तव्य वेतन
1-11-72	385/-	"
1-9-73	385/-	वेतन वृद्धि रुकी होने के कारण
1-11-73	385/-	"
1-9-74	385/-	"
1-11-74	385/-	"
1-9-75	405/-	आदेश के समाप्त होने पर

भविष्य में वेतन वृद्धि की वार्षिक तिथि एक सितम्बर ही रहेगी।

नियम 30:—दक्षता-अवरोध (एफिशियेन्सी-बार) पारित करना—जब किसी वेतनमान में आगामी वेतन वृद्धि [illegible] दक्षता-अवरोध पारित करने का प्रावधान हो तो उस स्थिति (स्टेज) में आगामी वेतन वृद्धि [illegible] प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के बिना कर्मचारी को नहीं दी जावेगी। जब किसी ऐसे कर्मचारी को [illegible] दक्षता-अवरोध पारित करने की स्वीकृति दे दी है जिसकी वृद्धि रोकी हुई हो तो वह [illegible] उस वेतनमान में उस स्तर पर प्राप्त करेगा, जिस पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने वाला [illegible] कारी निर्धारित करे। किन्तु इस प्रकार निर्धारित किया गया वेतन उस वेतन से अधिक नहीं [illegible] जो कर्मचारी को दक्षता-अवरोध पर नहीं रोके जाने पर मिलता।

दिनांक	वेतन	विवरण
1-1-1966	150/-	ई. बी. पर रोक के कारण
1-1-1967	150/-	"
1-1-1968	150/-	"
1-6-1968	150/-	"
1-7-1968	158/-	ई. बी. पार करने की स्वीकृति देने पर।

कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1-1-1969 तथा आगे भी 1-1 ही रहेगी।

टिप्पणी संख्या (2):—दक्षता-अवरोध पर रोके हुए सभी कर्मचारियो के मामलों का प्रत्येक वर्ष अवलोकन किया जाना चाहिये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उनकी कार्य-दक्षता मे प्रगति हुई है तथा सामान्यतः यह देखा जाना चाहिये कि क्या जिन कमियों के कारण उनको दक्षता-अवरोध पर रोका गया है, वे कमियाँ दूर हो गई हैं ताकि अवरोध हटाया जा सके। यदि बाद में दक्षता-अवरोध की वास्तविक वृद्धि स्वीकार की जावे तो उसे पूर्व-प्रभाव से स्वीकृत नही की जानी चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—विभागीय जांच पूर्ण होने तक दक्षता-अवरोध के मामलों को विचारार्थ रखते हुए वेतन-वृद्धि रोकना:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के अनुसार दक्षता-अवरोध से आगे वेतन-वृद्धि सक्षम-प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी। दक्षता-अवरोध पर वेतन-वृद्धि रोके जाना राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अनुसार दण्ड नही है। जब किसी राज्य-कर्मचारी का दक्षता-अवरोध पारित करने का समय आये और उस समय उसके विरुद्ध विभागीय जाच का मामला विचाराधीन हो तो इस दशा मे निम्न-अंकित वैकल्पिक कदम उठाये जा सकते हैं:—

यदि विभागीय जाच कर्मचारी की सामान्य योग्यता या सत्यनिष्ठा से बिना सम्बन्ध रखे किसी अन्य आधार पर है अर्थात सेवा-कार्य मे उपेक्षा किये जाने या राजकीय आदेशो की अनुपालना न करने के बारे मे हों, तब उसे दक्षता पारित करने की स्वीकृति दी जा सकती है क्योंकि उसको दण्ड जांच के निर्णयो के अनुसार दिया जा सकता है।

यदि विभागीय जाँच ऐसी सामान्य-अदक्षता अथवा गबन या फौजदारी अपराध से सम्बन्धित हो जो सक्षम-प्राधिकारी के विचार मे गम्भीर प्रकृति के है तब दक्षता-अवरोध पर रोके जाने का दण्ड विशिष्ट आदेशो द्वारा दिया जाना चाहिये। यदि दक्षता-अवरोध पारित करने के शेष समय मे विभागीय जाँच विचाराधीन हो तो उस समय उसे रोकने के आदेश जारी कर देने चाहिये। विभागीय जांच की समाप्ति पर यदि कर्मचारी दोष-मुक्त कर दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध नही होते है तो कर्मचारी के दक्षता-अवरोध पारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है तथा उसे पारित करके वेतन वृद्धि पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जानी चाहिये।

(आदेश संख्या एफ. 1 (98) वि. वि. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 6 फरवरी, 1967 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 2:—जहां कर्मचारियो को अन्तःकालीन आधार (प्रोवीजनल-बेसिस) पर वेतन के भुगतान एव वेतन-वृद्धि के लिये प्राधिकृत किया जाता है वहा उन्हे दक्षता-अवरोध पारित करने की भी अनुमति दी जा सकती है यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दक्षता-अवरोध के स्तर पर पहुंचने तक की गई सेवा सन्तोषप्रद है एव दक्षता-अवरोध पारित करने के प्रतिबन्ध की पालना हो जाती है।

नियम 31 (क) :—समय-वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये सेवा अवधि की गणना—निम्न-अंकित प्रावधान एक समय-वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिये गिने जाने वाले समय की शर्त का निर्धारण करते हैं।

किसी समय-वेतनमान में किसी पद पर की गई समस्त सेवा उस वेतनमान में आगामी वेतन-वृद्धि की तारीख की फलावट के लिये, ऐसी समस्त अवधियों का जोड जो उस वेतनमान में वार्षिक-वृद्धि के लिये नहीं गिना जाता है, वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख में सम्मिलित किया जायेगा। नियम के अधीन वेतन-वृद्धि की दिनांक की गणना की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

उदाहरण

गत-वेतन-वृद्धि की तारीख 23-4-1964

असाधारण-अवकाश जो वेतन-वृद्धि के लिये नहीं गिना जाता है।

दिन	से	तक
3	29-5-64	31-5-64
6	15-7-64	20-7-64
9	7-10-64	15-10-64
4	18-12-64	21-12-64
3	26-1-65	28-1-65
4	16-3-65	19-3-25
29		

पुराने नियमों तथा संशोधित नियमों के अनुसार आगामी वेतन-वृद्धि की तारीख निम्न-प्रकार से निश्चित की जावेगी:—

पुराना नियम

कर्त्तव्य की अवधि

से	तक	माह	दिन
23-4-64	28-5-64	1	6
1-6-64	14-7-64	1	14
21-7-64	6-10-64	2	16
16-10-64	17-12-64	2	2
22-12-64	25-1-65	1	4
29-1-65	15-3-65	1	15
20-3-65	22-5-65	2	3
		10	60

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-5-65

संशोधित नियम

गत-वेतन-वृद्धि की तारीख	23–4–64
आगामी-वेतन-वृद्धि की तारीख	23–4–65
(असाधारण-अवकाश को छोड़कर)	
असाधारण-अवकाश के दिन	29
आगामी वेतन-वृद्धि की तारीख	23–4–65 + 29 दिन = अर्थात् 22–5–65

नियम 31 (ख) (i) राजस्थान सेवा नियम 20 (क) में उल्लिखित कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे वह नियुक्ति स्थाई हो अथवा कार्यवाहक, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर सेवा, बिना-रोगिता प्रमाण-पत्र के अन्य कारणों से लिये गये असाधारण अवकाश को छोड़कर, अन्य समस्त अवकाशों की अवधि उस पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के लिये गिनी जावेगी जिस पर एक कर्मचारी पदाधिकार रखता हो एवं उस पद पर या उन पदों पर प्रभावी वेतनमान में यदि कोई हो, तो वह अवधि वेतन-वृद्धि के लिये गिनी जायेगी जिस पर वह कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता यदि उसे स्थगित नही किया गया होता।

नियम 31 (ख) (ii):–रोगिता-प्रमाण पत्र के आधार पर लिये गये अवकाश के अतिरिक्त अन्य असाधारण अवकाश की अवधि को छोड़कर, अन्य समस्त अवकाशों एवं भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति का समय ऐसे एक पद के लिये प्रभावी वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये गिना जायेगा, जिस पर कर्मचारी, जिस समय उसने अवकाश पर प्रस्थान किया या भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति पर गया या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था एवं उस पद पर वह अपना पदाधिकार रखता किन्तु अवकाश पर चले जाने के कारण अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के कारण नहीं रख सकता। परन्तु यह भी प्रावधान किया जाता है कि एक सक्षम-प्राधिकारी जिसे इस संबंध में शक्तियां प्रदत्त करदी जाती हैं, यह आदेश दे सकता है कि असारण-अवकाश उक्त उप नियम (i) अथवा (ii) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि के लिये सम्मिलित किया/गिना जावेगा।

[अधि. क्रमांक एफ. 1 (14) वि. वि. (ग्रुप–2) 79 दिनांक 27–3–79 द्वारा प्रतिस्थापित]

टीका:—उक्त अधिसूचना द्वारा नियम 31 (ख) के अन्तर्गत प्रोविजो को तुरन्त प्रभाव से प्रति-स्थापित किया गया है जिसके कारण वे समस्त पाठ्यक्रमों के नाम लोपित हो गये हैं जो इन नियमों के पूर्व के संस्करण में पृष्ठ 88 तथा 89 पर थे।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (14) वि. वि. (ग्रुप–2) 79 दिनांक 27–3–1979 द्वारा विलोपित]

नियम 31 (ख) (ख):—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (44) वि. वि./नियम/62 दिनाक 17 जुलाई, 1962 द्वारा विलोपित किया गया।

नियम 31 (ग):—यदि कोई कर्मचारी जब वह समय-वेतनमान वाले एक पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो अथवा एक स्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च-पद पर स्थानापन्न रूप में की गई हो या उस उच्च-स्थाई पद पर नियोजित किया गया हो तथा यदि वह निम्न-पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या अपने वेतनमान में अन्य पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी उच्च-पद की स्थानापन्न या अस्थाई सेवा निम्न-पद वाले वेतनमान में भी वेतन-वृद्धि के लिये गिनी जावेगी। फिर भी उच्च-पद पर कार्यवाहक रूप से की गई सेवा, जो नीचे के पद पर वेतन-वृद्धि के

लिये गिनी जाती है उस अवधि तक सीमित रहेगी जिसमें कर्मचारी नीचे के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता किन्तु उसकी पदोन्नति उच्च-पद पर होने के कारण वह नही कर सका। यह खण्ड एक ऐसे कर्मचारी पर भी प्रभावी होता है जो वास्तव में उच्च-पद पर नियुक्ति के समय नीचे के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य नहीं करता हो किन्तु यदि वह उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तो वह ऐसे निम्न-पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता रहता या उसी के समान-वेतनमान में किसी पद पर कार्य करता रहता।

नियम 31 (घ):—निम्न-लिखित पदों पर प्रभावी वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये वैदेशिक-सेवा की अवधि गिनी जायेगी।

(1) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता हो अथवा ऐसा पद या बहुत से पद, यदि हों तो, जिन पर वह अपना पदाधिकार रखता, यदि निलम्बित नही किया जाता।

(2) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण होने के तुरन्त पूर्व वह कर्मचारी कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा था, कारण कि आगे समय तकवह उस पद पर अथवा उसके समान अन्य पद पर कार्यवाहक रूप मे निरन्तर कार्य करता रहता, किन्तु वैदेशिक सेवा में चला गया।

(3) कोई पद, जिस पर कर्मचारी पदोन्नति की अवधि के लिये सेवा नियम 143 के अनुसार स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त कर सकता हो।

नियम 31 (ङ):—पद-भार-ग्रहण-काल, वेतन-वृद्धि के लिये निम्न-प्रकार गिना जाता है:—

(1) यदि वह ऐसे पद पर एक वेतनमान में नियम 127 (क) के अनुसार आता हो जिस पर एक कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता हो अथवा यदि उसका पदाधिकार निलम्बित नही किया जाता तो वह उस पर अपना पदाधिकार रखता। इसके अतिरिक्त उस पद के प्रभावी वेतनमान में भी वेतन-वृद्धि के लिये गिना जायेगा जिसका वेतन वह कर्मचारी प्राप्त करता हो, एवं

(2) यदि वह उस पद या पदों पर नियम 127 (ख) के अनुसार प्रभावी वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये गिना जाता हो।

स्पष्टीकरण:—वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 वि. वि./नियम/66 दिनांक 16 अगस्त, 1969 द्वारा दिनाक 1 जनवरी, 1967 से विलोपित।

आडिट निर्देशन:—(1) स्वीकृत अवकाश से अधिक दिनों तक ठहरने का समय किसी समय-वेतनमान में वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा जब तक सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों द्वारा वह अवधि असाधारण-अवकाश के रूप मे रूपातरित नही कर दी जाती है एव जब तक नियम 31 (ख) के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि को विशेष रूप में वेतन-वृद्धि मे सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति नही देदी गई हो।

(2) एक कर्मचारी जब वह एक पद पर स्थानापन्न रूप मे कार्य कर रहा हो तथा दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर दिया गया हो तो एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार-ग्रहण-के लिये लगे पद-भार-ग्रहण-काल (जोईनिंग-टाईम) उस पद पर "कर्त्तव्य" के रूप में माना जाना चाहिये जिस पर कर्मचारी उस अवधि का वेतन प्राप्त करता है एवं वह समय (अवधि) नियम 31 (क) के अनुसार गिना जायेगा। फिर भी यदि दोनों पदों की वेतन दरें

मामले पर विचार किया गया है एवं राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये है कि एक बार एक व्यक्ति जब "आवश्यक-अस्थाई-नियुक्ति के आधार पर" एक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन उस पर प्रभावशील नियमों के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित किया जावेगा एव वह उस उच्च-पद पर वेतन एवं वेतन-वृद्धि तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद को धारण किया रहता है। यह तथ्य कि कर्मचारी आगे चलकर उसी पद पर नियुक्ति के लिये चुन लिया जाता है/अनुमोदित कर दिया जाता है एव तब नियुक्ति के लिये नवीन आदेश जारी किये जाते हैं। इन सब के कारण उसकी स्थिति मे कोई अन्तर नहीं पडता है और उसका पुनः वेतन-निर्धारण किया जाना आवश्यक नही है। यह स्थिति ऐसे मामलों मे भी उचित रहेगी जहा एक व्यक्ति, जो नीचे के पद पर नियमित रूप से नियुक्त है और, जिसे अन्य उच्च-पद पर, तदर्थ-पद पर, कार्य करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उसी उच्च-पद/संवर्ग मे सीधी-भर्ती की मात्रा (कोटा) वाले एक पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के लिये योग्य/पात्र मान लिया जाता है। ऐसे मामलों में भी ऐसे व्यक्ति द्वारा "आवश्यक-अस्थाई-नियुक्ति-के-आधार-पर" प्राप्त किया गया वेतन रक्षित माना जावेगा और वही वेतन उसे नवीन नियुक्ति पर दिया जावेगा तथा वेतन का पुनः स्थिरीकरण आवश्यक नहीं होगा। पुनः ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति सेवा की नियमित-पंक्ति में राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण के मामलों में अथवा वेतन स्वीकार किये जाने के मामलों मे भी लागू होगा तथा ऐसे व्यक्ति का विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसी पद पर नियमित रूप से चयन किये जाने पर वेतन का पुनः स्थिरीकरण आवश्यक नही होगा।

यह भी निश्चय किया जाता है कि पूर्व में उक्त सिद्धान्त के विरूद्ध अन्य प्रकार से निर्णित कर दिये गये मामलों को पुनः खोला जावेगा एवं उन्हे इन आदेशों के अन्तर्गत नियमित किया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (94) वि. वि. (नियम) 66 दिनांक 20-11-1975 द्वारा निविष्ट]

नियम 32-असामयिक वेतन-वृद्धियां:—एक प्राधिकारी जो किसी विशिष्ट वेतनमान में एक संवर्ग में पद का सृजन करने की शक्ति रखता है, वही उस वेतनमान में राज्य-कर्मचारी को असामयिक वार्षिक वेतन-वृद्धियां स्वीकृत कर सकता है।

टिप्पणी संख्या (1) :—वार्षिक-वेतन-वृद्धि अग्रिम रूप मे स्वीकार करने के मामले मे मान्यतः यह भावना रहती है कि कर्मचारी उस रूप मे भावी वार्षिक वेतन वृद्धियां प्राप्त करता रहना चाहिये, जैसे मानो वह वेतनमान में उस स्तर तक पहुंच चुका हो। इसके विपरीत अन्यथा प्रकार के आदेशों के अभाव में आगामी वार्षिक वृद्धियों के सम्बन्ध में कर्मचारियो को उसी वेतनमान में उस स्तर पर रखा जाना चाहिये जिसमें वह सामान्य रूप से पहुंचता। दूसरे शब्दों में जैसे दूसरी आगामी वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने से पूर्व उसे एक-वर्ष की सेवा पूर्ण करनी चाहिये। इसी प्रकार असामयिक वार्षिक वृद्धियां स्वीकार करने के एक वर्ष बाद ही उसे आगामी वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये।

(2) सेवा नियम 32, नियम 26 मे वर्णित प्रक्रिया के अलावा वेतन की अन्य प्रारम्भिक दरों के निर्धारण का प्रावधान करता है।

(3) उक्त नियम के अन्तर्गत वार्षिक-वेतन-वृद्धि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करने के लिए वेतनमान के अधिकतम को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

(4) समय से पूर्व (असामयिक) वार्षिक वेतन-वृद्धि स्वीकृत करना वेतनमान के साधारण सिद्धान्तों के विपरीत है। केवल उन्ही विशेष-परिस्थितियों छोड़कर, जिनमे एक अधिकारी को व्यक्तिगत-वेतन की स्वीकृति न्यायोचित प्रतीत हो, ऐसी असामायिक वृद्धि स्वीकार नही करनी चाहिये।

(5) निर्धारित तारीख से पूर्व वार्षिक-वृद्धि स्वीकृत करने के प्रस्ताव की जांच विशेष ध्यान के साथ की जानी चाहिये क्योंकि निश्चित तारीख के पूर्व वार्षिक-वृद्धि स्वीकृत किया जाना वेतनमान के साधारण सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

(6) राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इन सेवा नियमों के किसी भी नियम के अन्तर्गत, जब ये शर्त या बन्धन से मुक्त हो की गई कार्यवाही का कारण सरकार बताने के लिये तत्पर नहीं होगी। अर्थात् सरकार के सम्बन्ध में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:–राजकीय कर्मचारियों के वेतन-स्थिरीकरण से उत्पन्न विषमताओं के राजस्थान सेवा नियम 26-ए-,संशोधित वेतनमान नियम, 1961,नवीन वेतनमान नियम,1969 के लागू होने के फलस्वरूप ऐसे अवसर आये है जिनमें उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम के लागू करने से कर्मचारियों के वेतन उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन की अपेक्षाकृत एक स्तर नीचे निर्धारित किया गया था। वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के फलस्वरूप इस प्रकार की होने वाली विषमताओ के निराकरण के उद्देश्य से यह निश्चित किया गया है कि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के निर्धारित वेतन के समान राशि तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन, यह वृद्धि वरिष्ठ अधिकारी की स्थाई रूप से नियुक्ति करने को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा, उसी दिनांक से की जानी चाहिये जिसको कनिष्ठ-कर्मचारी अधिक वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ करता है :–

(1) वेतन की विषमता प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित नियमों को लागू करने के कारण होनी चाहिये तथा वेतन में वृद्धि केवल उन्ही मामलों मे की जानी चाहिये जिनमें कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति /पदोन्नति नियमित तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में प्रसारित सेवा-नियमों के प्रावधानो के अनुसार हो अथवा तदर्थ आधार पर हो।

(2) वरिष्ठ एव कनिष्ठ अधिकारियो के पद एक ही सवर्ग / श्रेणी से सम्बन्धित होने चाहियें तथा पदोन्नतियो से पूर्व वे एक ही वेतनमान में वेतन प्राप्त करते रहने चाहियें।

(3) दोनों अधिकारियो को एक ही विभागाध्यक्ष / प्रशासनिक विभाग के प्रशासकिय नियंत्रण में कार्यरत होना चाहिये।

(4) इस निर्णय के अधीन वेतन बढ़ाये जाने का लाभ केवल उस ही स्थिति में दिया जायेगा जब यह प्रमाणित कर दिया जाय कि वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारियो की पारस्परिक वरीयता के बारे में कोई विवाद नही है।

(5) जहां कनिष्ठ अधिकारी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के कारण इन आदेशों के अधीन वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाया जाता है तो यह वृद्धि इस शर्त के साथ की जा सकती है कि यदि कनिष्ठ अधिकारी की तदर्थ-पदोन्नति नियमित नहीं की जाती है और वह पदावनत हो जाता है तो कनिष्ठ कर्मचारी के पदावनत होने की तारीख से वरिष्ठ अधिकारी का वेतन भी पुनः उसी स्तर पर निर्धारित किया जा सकेगा जिस स्तर पर वह वेतन बढाये जाने के पूर्व प्राप्त कर रहा था।

इस निर्णय के प्रावधान निम्न-अंकित मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिये लागू नहीं किये जावेंगे :–

(क) जहां कनिष्ठ अधिकारी अवकाश के कारण रिक्त अथवा उच्च-पद के धारक के 120 दिन तक प्रशिक्षण पर जाने के कारण या किसी अन्य परिस्थिति में अपने पद से चले जाने के कारण इस अवधि के लिये रिक्त हुए पद पर कार्य करता हो।

(ख) जहां कनिष्ठ कर्मचारी आगामी (एडवान्स) वेतन-वृद्धि स्वीकृत किये जाने के कारण या उच्चतर योग्यताएं प्राप्त करने के कारण उच्च-प्रारम्भिक-वेतन लेने अथवा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा सेवा नियमों के नियम, 26 या 26-ए या संशोधित वेतनमान नियम,1961 या नवीन वेतनमान नियम, 1969 के अधीन या किन्ही अन्य कारणों से, जो वेतन स्थिरीकरण के रहे हों, वरिष्ठ अधिकारी की अपेक्षाकृत उच्च-दर पर पूर्व से ही अधिक वेतन प्राप्त करता है।

(ग) जहां कनिष्ठ अधिकारी दूसरे संवर्ग में पद धारण करता है तथा उस पद के जिस पर वरिष्ठ अधिकारी पूर्व से ही नियुक्त है संवर्ग/ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सवर्ग/ पदो की श्रेणी मे नियुक्त किया जाता है। दृष्टान्त स्वरूप यदि "क" नामक (वरिष्ठ) कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर दिया जाय एवं बाद मे वह लेखाकार के पद पर उस तारीख से, सिको "ख" नाम का कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जहा वरीयता में कनिष्ठ कर्मचारी "ख" एव वरिष्ठ कर्मचारी "क" के वेतन में, लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पर, कोई तुलना नही की जा सकती है।

(घ) जहां कनिष्ठ कर्मचारी को नवीन वेतनमान 1969 के नियम 12 के अनुसार 10 साल की सेवा पूर्ण करने के कारण एक वेतन-वृद्धि का लाभ दिया गया है। इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को पुन: निर्धारित करने के आदेश सेवा नियमो के नियम 32 के अनुसरण में जारी किये जावेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी की आगामी वेतन वृद्धि नियम 31 के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर दी जायेगी।

[अधिसूचना संख्या एफ. 1(8) वि. वि./ नियम/67 दिनांक 28 अप्रेल, 1969 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह भी निश्चिय किया गया है कि उपरोक्त अंकित राजकीय निर्णय संख्या(1)के प्रावधान वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को ऊपर के स्तर पर बढ़ाने के लिये लागू नही माने जावेंगे यदि कनिष्ठ कर्मचारी को एक अग्रिम वेतन-वृद्धि नवीन वेतनमान नियम, 1969 के नियम 13 के अनुसरण में स्वीकृति की जाती है।

[आदेश संख्या एफ. 1(8) वि./ / नियम/ 67 दिनांक 15 अप्रेल, 1971 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या:–1:—निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (8) वि. वि। (व्यय-नियम) 67 दिनांक 28 अप्रेल, 1969 जो राजस्थान सेवा नियम 32 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के रूप में निविष्ट किया गया है, कि ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। इस आदेश के अनुसार एक वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन दूसरे कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के समान वढाया जा सकता है, यदि वेतन की विसंगति (असमानता) निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थिरीकरण पर राजस्थान सेवा नियम 26-ए-अथवा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 1961 अथवा नवीन वेतनमान 1969 के प्रभावी होने के कारण उनके किन्हीं नियमों के अनुसार वेतन स्थिरीकरण से उत्पन्न हुई है। इस पर यह सन्देह उठाया गया है कि क्या उक्त अंकित आदेश के प्रावधानों का लाभ ऐसे मामलों में भी दिया जा सकता है, जहा कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतनमान नियम 1961 के अनुसार उसको 31 अगस्त, 1961 का देय विशेष-वेतन को मूल-वेतन का एक भाग मान कर वेतन स्थिरीकरण किया गया है क्योकि सशोधित वेतनमान नियम 1961 के परिशिष्ठ (2)के अनुसार विशेष-वेतन को वेतन में अर्न्तलीन/एब्जार्व किया गया था।

इस प्रश्न की जांच कर ली गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में विशेष-वेतन को मूल-वेतन का भाग मानकर वेतन का स्थिरीकरण, सशोधित-वेतनमान-नियम 1961 प्रयवा किसी अन्य नियम या आदेश के अनुसार, किया गया हो तो ऐसे मामले में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28 अप्रेल, 1969 को लागू

नहीं किया जावेगा। इसी प्रकार उक्त आदेश उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (ए) (11) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दिनांक 16, मई 1977 के द्वारा "व्यक्तिगत-वेतन" को भी वेतन स्थिरीकरण के लिये, राजस्थान सेवा नियम 26-ए-के प्रयोजनों के लिये 'मूल-वेतन' का भाग मानकर वेतन का स्थिरीकरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में नियम 32 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय दिनांक 28 अप्रेल, 1969 का प्रयोग वेतन-स्थिरीकरण के उन मामलों में नहीं किया जा सकेगा जहां "विशेष-वेतन" अथवा "व्यक्तिगत-वेतन" को मूल-वेतन का भाग मान कर वेतन-स्थिरीकरण किया गया हो।

[ज्ञापन संख्या एफ. 1 (ए) (13) वि. वि. ग्रुप-2) 77 दिनांक 5-7-77 द्वारा निविष्ट)

स्पष्टीकरण संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (8) वित्त/व्यय/68 दिनांक 28-4-1969 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा राजस्थान सेवा नियम-32 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 26-ए के अधीन वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई विषमताओं को दूर करने के लिए किसी वरीय राज्य कर्मचारी का वेतन बढ़ा कर, कतिपय निर्धारित शर्तों के अधीन, किसी कनिष्ठ राज्य कर्मचारी के वेतन के समान कर दिया जावे। उपरोक्त अंकित मामले में वेतन बढ़ाने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ राज्य कर्मचारी एक ही संवर्ग/पद के वर्ग में होने चाहिए तथा वे एक ही विभाग/सेवा में हों और अपनी-अपनी पदोन्नतियों से पूर्व एक ही वेतन से रहे हों। ऐसे मामले ध्यान में आये हैं कि राजस्थान नागरिक सेवा (नवीन-वेतनमान) नियम 1969 के अधीन वेतन प्राप्त कर रहे वरिष्ठ राज्य कर्मचारी को जिसकी उच्चतर पद पर पदोन्नति 1-9-1976 से पूर्व हो गई थी दिनांक 1-9-1976 से प्रभावी पुनःरक्षित नवीन वेतनमानों में वेतन उस वरिष्ठ राज्य कर्मचारी को कम प्राप्त हो रहा है जिसकी उच्चतर-पद पर पदोन्नति उक्त निर्णायक तारीख से पूर्व हुई थी।

मामले की परीक्षा कर ली गई है तथा राज्यपाल महोदय ने निश्चय किया है कि ऐसे मामले में वरिष्ठ राज्य कर्मचारी का उच्चतर पद पर पुनःरक्षित नवीन वेतनमान में, वेतन बढ़ा कर 1-9-76 को या उसके बाद पदोन्नत कनिष्ठ राज्य कर्मचारी के उस वेतन के समान कर दिया जावे जो उसे उच्चतर पद पर नियुक्ति के कारण दिया गया था। ऐसा वेतन, कनिष्ठ राज्य कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख से, निम्न शर्तों के अधीन बढ़ाया जावे:—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ राज्य कर्मचारी, दोनों, एक ही संवर्ग के होने चाहिऐ तथा वह पद, जिस पर वो पदोन्नत किया गया है, उसी संवर्ग तथा समान-वेतनमान में होना चाहिए।

(ख) दिनांक 1-9-1976 से पूर्व प्रभावी वेतनमान तथा पुनःरक्षित नवीन वेतनमान, नियम 1976 के अन्तर्गत निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वेतनमान जिनमें वे वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं, समान होने चाहियें।

(ग) वेतन की विषमता प्रत्यक्षतः, पुनःरक्षित नवीन वेतनमान, नियम, 1976 में राजस्थान सेवा नियम 26-ए के प्रावधानों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

(घ) उपरोक्त अनुच्छेद-1 में निर्दिष्ट, समय-समय पर यथा-संशोधित वित्त विभाग के 28-4-1969 के आदेशों में अंकित अन्य शर्तें यथा-आवश्यक परिवर्तन सहित, यहां भी लागू होंगी।

इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठ राज्य कर्मचारियों के वेतनों के पुनःनिर्धारण के आदेश राजस्थान सेवा नियम-31 के अधीन प्रसारित किये जावेंगे तथा वरिष्ठ राज्य कर्मचारी की आगामी वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन के

पुनःनिर्धारण की तारीख से, अपेक्षित पूरे एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, सेवा नियम 31 के अधीन, आहरित की जावेगी।

ये नियम 1–9–1976 से प्रभावी होंगे।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प. 1 (क) (13) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 26–11–77]

नियम-33:—निम्न-स्तर अथवा निम्न-पद पर स्थानान्तरण होने पर वेतन निर्धारणः— एक प्राधिकारी एक राज्य कर्मचारी को दण्ड के रूप में जब उस पद या उस वेतनमान के स्तर से निम्न-पद या उस वेतनमान के ही निम्न-स्तर में स्थानान्तरण करता है, तब वह जैसा उचित समझे उस कर्मचारी को कोई भी वेतन स्वीकृत कर सकता है, किन्तु वह वेतन निम्न-पद अथवा श्रेणी के अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होगा।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को जो वेतन स्वीकृत किया जायेगा वह उस वेतन से अधिक नहीं होगा जो वह कर्मचारी सेवा नियम 26 तथा नियम 31 (ख) या 31 (ग), जैसी भी स्थिति हो, के लागू होने पर प्राप्त करता।

नियम-34:—निम्न-श्रेणी अथवा पद पर प्रत्यावर्तन (रिवर्शन) पर वेतनः—

(क) यदि किसी कर्मचारी को दण्ड के रूप में उसके वेतनमान में एक नीचे के स्तर पर प्रत्यावर्तित किया जाता है तो ऐसा दण्ड देने वाला अधिकारी उस आदेश में इसका उल्लेख करेगा कि किस अवधि में वह आदेश प्रभावशील रहेगा। वह यह भी अंकित करेगा कि इससे पूर्व के स्तर पर कर्मचारी को पदावनत् करने पर पदावनति की अवधि में भावी वेतन-वृद्धि बन्द रहेगी या नहीं, एवं यदि हां तो किस सीमा तक।

(ख) यदि एक कर्मचारी दण्ड के रूप में निम्न-सेवा, श्रेणी, पद अथवा एक निम्न-वेतनमान पर पदावनत कर दिया जाता है तो उसके आदेश देने वाला अधिकारी आदेशों में उस समय का उल्लेख कर भी सकता है अथवा नही भी करे, जिसमें वह आदेश प्रभावशील रहेगा। किन्तु जहां आदेशों में ऐसे समय का उल्लेख कर दिया जाय वहां अधिकारी यह भी अंकित करेगा कि क्या कर्मचारी के पुनःस्थापन के बाद पदावनति का समय आगामी-वार्षिक-वृद्धियों को स्थगित रखेगा एवं यदि हां तो किस सीमा तक।

स्पष्टीकरणः—सेवा नियम 34 एक वेतनमान मे नीचे के स्तर पर कर्मचारी को पदावनत किये गये समय के बाद पुनःस्थापन के मामले मे लागू होता है तथा नियम 34 (ख) किसी निम्न-श्रेणी अथवा पद पर पदावनति की निर्धारित तारीख के बाद पुनः स्थापित होने के मामलो में लागू होता है। निम्न-श्रेणी में पदावनति केवल निश्चित सीमा के लिये ही की जा सकती है। अतः इस प्रकार पदावनति के आदेश देने वाले अधिकारी को समय का विशेष रूप से उल्लेख कर देना चाहिये। निम्न-पद या वेतनमान मे पदावनति या तो किसी निश्चित अवधि के लिये की जा सकती है या वह निश्चित सीमा तक होती है। अनिश्चित सीमा वाली पदावनति के मामले मे उच्च-पद अथवा श्रेणी में पुनःस्थापना पर कर्मचारी का वेतन साधारण नियमो के अनुसार नियमित होगा, सेवा नियम 34 के अनुसार नही।

आडिट निर्देशनः—(1) एक वार्षिक वेतन-वृद्धि जो पदावनति के समय देय हो जाती हो, उसे स्वीकृत किया जाना चाहिये अथवा नही यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको दण्ड देने वाले प्राधिकारियों द्वारा आदेशों में स्पष्ट व्याख्या के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। यदि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशो मे निहित किसी मनतव्य पर सन्देह होता हो तो स्पष्टीकरण के लिये सम्बन्धित अधिकारी को ही लिखा जाना चहिये।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 34 (क) की सही व्याख्या के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया है। अत: निम्न-लिखित स्पष्टीकरण किया जाता है:—

(क) किसी भी कर्मचारी को एक वेतनमान में निम्न-स्तर पर दण्ड के रूप में पदावनति के आदेश जारी करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आदेश में निम्न-अंकित तथ्यों का उल्लेख करना चाहिये :—

(1) दिनांक जिससे वह आदेश प्रभावी होंगे एवं समय, (वर्ष एवं माह आदि,) जिसमें वह दण्ड प्रभावी रहेगा।

(2) वेतनमान में उस स्तर पर दिये जाने वाले वेतन का उल्लेख जिस पर कर्मचारी को पदावनति-काल में वेतन दिया जायेगा, एवं

(3) सीमा, वर्ष एवं माह मे यदि कोई हो जिसमें उपरोक्त (1) में अंकित अवधि एवं भावी वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि किसी वेतनमान में नीचे के स्तर पर पदावनत करने का दण्ड अनिश्चितकाल के लिये, उसे स्थाई रूप मे देना नियमों के अनुसार स्वीकार्य नही है और जब तक एक कर्मचारी अपने पद के किसी स्तर पर पदावनत किया जाता है तो उसका भी वेतन पदावनति के पूर्ण समय में उस स्तर पर निरन्तर स्थायी रहेगा। उपरोक्त (3) के अन्तर्गत जो समय-अवधि निश्चित की जाय वह अपने आप में (1) के अधीन निर्धारित अवधि नहीं होनी चाहिये।

(ख) पदावनति की अवधि समाप्त होने पर एक कर्मचारी का वेतन क्या होना चाहिये यह प्रश्न निम्न-प्रकार से तय किया जाना चाहिये।

(1) यदि पदावनति के आदेशों में यह अंकित हो कि पदावनति का समय भावी वार्षिक-वेतन-वृद्धि को नही रोकेगा तो कर्मचारी को वह वेतन दिया जाना चाहिये जिसे वह साधारण रूप में प्राप्त करता किन्तु पदावनति के कारण प्राप्त नही कर सका। फिर भी वह पदावनति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त वेतन तथा दक्षता-अवरोध को पारित करने की स्वीकृति, सेवा नियम 30 के प्रावधानों के अलावा नहीं दी जानी चाहिये।

(2) यदि आदेश मे विशेष रूप से यह अंकित है कि पदावनति का समय किसी निश्चित समय तक भावी-वेतन-वृद्धि का स्थगन रखेगा तो कर्मचारी का वेतन उपरोक्त (1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, किन्तु उसमे वेतन-वृद्धि के लिये स्थगित की गई अवधि को वार्षिक-वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा।

नियम 34-ए:—एक राज्य कर्मचारी की वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकना, निम्न-श्रेणी, सेवा या पद पर उसको पदावनति करना अथवा निम्न-वेतनमान में निम्न-स्तर पर पदावनति करने के दण्ड का आदेश, जब अपील अथवा पुनरावलोकन-प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा, निरस्त कर दिया जाता है अथवा संशोधित कर दिया जाता है तो कर्मचारी का वेतन इन नियमों में कुछ भी दिया हुआ होने पर भी निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेगा:—

(क) यदि उक्त आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो जितने समय तक वह आदेश प्रभावी रहेगा, उतने समय के वेतन का अन्तर वह प्राप्त करेगा जिसे वह आदेश जारी नहीं होने पर प्राप्त करता एवं वह वेतन जो उसने प्राप्त किया।

(ख) यदि वह आदेश संशोधित कर दिया जाता है तो वेतन इस प्रकार नियमित किया जायेगा जैसे मानों संशोधित आदेश ही प्रथम बार उस पर लागू किया गया हो। ऐसी स्थिति में संशोधित आदेश को ही प्रारम्भ से प्रभावशील किया हुआ माना जावेगा।

स्पष्टीकरण:—यदि इस नियम के अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों को प्रसारित करने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध मे एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया वेतन पुनः संशोधित कर दिया जाता है तो अवकाश वेतन एवं भत्ते (आवश्यक भत्तो के अतिरिक्त अन्य यदि कोई हो, जो उस समय मे मिलता हो), सशोधित वेतन के अनुसार ही सशोधित किये जायेंगे।

नियम 35 (1)—कार्यवाहक (स्थानापन्न) नियुक्तियों पर वेतन-निर्धारण:—अध्याय-6 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जिसे एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है, वह सावधि पद के अतिरिक्त स्थाई पद के मूल वेतन से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसकी कार्यवाहक नियुक्ति में सावधि पद के अतिरिक्त उस पद से जोड़े हुए कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व, उसके अपने उस पद मे अधिक नहीं हों, जिस पर वह अपना पदाधिकार रखता है अथवा जिस पर वह पदाधिकार रखता यदि उसे निलम्बित नहीं किया जाता।

टिप्पणी:—राज्य सरकार किसी विशिष्ट आदेश द्वारा उन परिस्थितियो का उल्लेख कर सकती है जिसके अनुसार संवर्ग से बाहर कार्य करने वाले कर्मचारियो की सामान्य रूप से कार्यवाहक पदोन्नति की जा सकती है।

नियम 35 (2):—इस नियम अन्तर्गत के कार्यवाहक नियुक्तियो मे कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अधिक-वहन महत्त्वपूर्ण नही समझा जावेगा, यदि वह पद जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन की समय-श्रृंखला में है, जिस पर, सावधि पद को छोड़कर, उस कर्मचारी का पदाधिकार है अथवा जो अपना पदाधिकार रखता यदि वह निलम्बित नही किया जाता अथवा जो उसी के समान वेतनमान में कार्यरत है।

टिप्पणी संख्या 1:—इस नियम के प्रयोजनो के लिये कार्यवाहक नियुक्तियो में कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का वहन करना अधिक महत्वपूर्ण नही समझा जावेगा यदि वह पद जिस पर कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, उसी वेतनमान में जिसमे सावधि पद के अतिरिक्त, उसका वह स्थाई पद भी है, जिस पर उसका पदाधिकार है अथवा जिस पर वह अपना पदाधिकार रखता यदि वह निलम्बित नही होता या उस ही के समान वेतनमान में है।

2. अधिक कार्यवाहक वेतन वर्तमान में उन कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा जहां पर वेतनमान की दृष्टि से विभिन्न पद, नये व्यक्तियो के लिये, एक वेतनमान में मिला दिये हों।

टिप्पणी संख्या 3–आगामी नीचे का नियम (नैस्ट-बिलो-रूल):—"आगामी नीचे के नियम,, के रूप में सामान्य रूप से विख्यात सिद्धान्त को क्रियान्वित किये जाने के लिये निम्न-अंकित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त अपनाये जायेंगे:—

(1) एक सरकारी कर्मचारी की उसकी नियमित-पंक्ति मे से उसकी उस कार्यवाहक पदोन्नति को जब्त नही किया जाना चाहिये जिसे यदि वह अपनी पंक्ति में रहता तो प्राप्त करता।

(2) किसी भी कर्मचारी, जो नियमित पंक्ति से बाहर है, से कनिष्ठ किसी कर्मचारी की आकस्मिक/कार्यवाहक पदोन्नति स्वयं में "आगामी नीचे के नियम" के अन्तर्गत माग उत्पन्न नही करती।

(3) ऐसी मांग सिद्ध किये जाने से पूर्व यह अनिवार्य होना चाहिये कि उस कर्मचारी से, जो नियमित पंक्ति से बाहर है, उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को कार्यवाहक-पदोन्नति दे दी गई है।

(4) यह भी आवश्यक है कि वरीयता मे उससे नीचे के कर्मचारियों को भी पदोन्नति दे दी जानी चाहिये जब तक किसी मामले में कार्यवाहक पदोन्नति अकुशलता, अनुपयुक्तता अथवा अवकाश के कारण नही दी गई हो।

(5) इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ 120 दिन से अधिक के लिये किसी भी संवर्ग मे रिक्त पद पर ही दिया जाना चाहिये। दूसरे शब्दो मे प्रारम्भिक रिक्त पद तथा बाद में हुए रिक्त पद जिसके आधार पर लाभ दिया जाना है, प्रत्येक दशा मे 120 दिन से अधिक की अवधि के लिये होना चाहिये। यह लाभ क्रमशः रिक्त होने वाले पदों, जिनके रिक्त होने की कुल अवधि मिलाकर 120 दिनों से अधिक हो, पर नही दिया जाना चाहिये।

(6) "आगामी नीचे के नियम" का लाभ एक पद पर एक ही कर्मचारी को दिया जाना चाहिये। दूसरे शब्दो मे यदि वरिष्ठतम कर्मचारी तथा उससे तुरन्त नीचे के कर्मचारी तथा उससे तुरन्त नीचे के कर्मचारी पदोन्नति की अपनी "नियमित-पंक्ति" से बाहर कार्य कर रहे हैं तो कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति पर आगामी नीचे के नियम का लाभ केवल एक ही कर्मचारी को मिलेगा अर्थात् वरिष्ठतम को ही मिलेगा अन्य कर्मचारियो को नहीं, जो चाहे पदोन्नत किये गये कनिष्ठ कर्मचारी से वरिष्ठ ही क्यों न हों।

(7) जहा "नियमित पंक्ति" से बाहर कोई कर्मचारी की पदोन्नति देय है तथा उसे "आगामी नीचे के नियम" के अन्तर्गत उच्च-वेतन का लाभ दे दिया गया है, तथा ऐसा वेतन उसके नियमित पंक्ति से बाहर रहते हुए उसके द्वारा वास्तव में धारित पद के वेतन के अधिकतम से अधिक है, तो उस पद के वेतनमान की अधिकतम दर की अपेक्षा जिस तारीख से उसने उच्चतर वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ किया है उसके 6 माह की अवधि मे सामान्यतः उसकी 'नियमित पंक्ति' में पदावनति कर देनी चाहिये।

(8) "आगामी नीचे के नियम" का लाभ ऐसे कर्मचारी को नही दिया जावेगा जो या तो सरकार के अधीन या अन्यत्र अपनी नियमित पंक्ति से बाहर किसी पद पर सीधी नियुक्ति के रूप मे नियुक्त किया गया हो। केवल मात्र जिस पद पर वह सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया से नियुक्त किया गया है उस पर स्थाई होने तक अपना पदाधिकार रखता हो, इस नियम के अधीन मांग पर विचार करने के औचित्य को प्रदान नही करेगा।

[संख्या एफ. 1 (45) वि. वि./नियम/68 दिनांक 22 अप्रेल, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित]

राजकीय निर्णय:—उच्चतर पदों अथवा अतिरिक्त पदों पर कार्यवाहक पदोन्नति के लिये अतिरिक्त धन-राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त-विभाग मे अनेकों प्रकरण प्राप्त हो रहे है।

2(i) उच्चतर-पदों की कार्यवाहक अवधि के सम्बन्ध में कर्मचारियों का वेतन सेवा-नियम 35 के द्वारा नियमित होना है। इस नियम के खण्ड (1) के अनुसार जब कार्यवाहक नियुक्ति में अपने स्थाई पद से, जिस पर उसका पदाधिकार होता है, कर्त्तव्य एव उत्तरदायित्व अधिक हों तो वह उस पद का परिकल्पित-वेतन (प्रिजेम्पटिव) प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ii) इस नियम के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (2) के अनुसार सामान्य प्रकरणो से भी पूर्णतयाक ार्यवाहक

पदोन्नति दो या दो से कम माह तक रहने वाले रिक्त स्थान पर दी जा सकती है तथा जहां आवश्यक हो, विशेष कारणों से एक माह या उससे अधिक समय के लिये भी दी जा सकती है।

(iii) एक माह से कम समय के लिये औपचारिक रूप से ऐसा प्रबन्ध नही किया जाना चाहिये जिसके कारण उच्च-वेतन की माग उत्पन्न हो जाय। एक माह या उससे अधिक समय के लिये, किन्तु खण्ड (2) मे अंकित सीमा से कम अवधि के लिये, प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि वह उसके प्रति-दिन के कार्य की देखभाल करे न कि उसकी कार्यवाहक-नियुक्ति की जानी चाहिये।

(iv) नियम 36 में प्रावधान है कि कार्यवाहक कर्मचारी का वेतन उस स्तर से कम पर निर्धारित किया जा सकता है जिस पर वह नियम 35 के अनुसार प्राप्त कर सकता है। यह नियम उस कर्मचारी को उस पद का पूर्ण वेतन देने से रोकने के लिये बनाया गया है जिस पर वह साधारणतया पदोन्नत नहीं किया जाता है किन्तु विशेष-परिस्थितियों मे उसकी उस उच्च-पद पर कार्यवाहक-पदोन्नति की गई है। यह आशा की जाती है कि नियुक्ति-प्राधिकारी को, जब वह कार्यवाहक नियुक्ति करता हो, यह विचार करना चाहिये कि क्या किसी सबंधित कर्मचारी को पद का परिकल्पित वेतन दिया जाना चाहिये अथवा नही। यदि किसी कर्मचारी को केवल उच्च-पद के सामान्य कार्य ही निष्पादित करने के लिये नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन सेवा-नियम 26 के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये।

(3) ऐसी व्यवस्था करने के लिये सक्षम-प्राधिकारी को सेवा नियम 35 एवं इसके अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार स्पष्ट आदेश प्रसारित करना चाहिये कि क्या नियुक्ति कार्यवाहक है अथवा केवल सामान्य कार्यो के निष्पादन के लिये नियुक्ति की गई है। यदि कार्यवाहक-नियुक्ति दो माह से कम अवधि के लिये की गई है तो उसके कारणों का उल्लेख नियुक्ति आदेशों मे किया जाना चाहिये तथा/यदि वेतन नियम 35 के अनुसार प्राप्त वेतन से कम स्तर पर निर्धारित किया जाना हो तो अधिकारों की अनुसूची के क्रमांक 7 के अन्तर्गत एक विशेष आदेश जारी किया जाना चाहिये।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 35 एव 50 के प्रावधानो एव उन परिस्थितियो के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया गया है जिनके अनुसार एक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कार्यालय मे कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध मे दोहरा प्रबन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे भी सभी सन्देहों के निराकरण के उद्देश्य से निम्न-प्रकार स्पष्टीकरण एवं निर्देशन किया जाता है:—

जब कही-कोई पद रिक्त हो तो सक्षम-प्राधिकारी के लिये निम्नांकित प्रक्रिया सुलभ होती हैं:—

(1) संस्थापन के अन्य सदस्यों में रिक्त हुए पद के कार्यों का वितरण कर देना तथा पद को रिक्त रखना,

(2) नई नियुक्ति अथवा पदोन्नति देकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना,

(3) किसी राज्य कर्मचारी को अपने पद के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उस रिक्त हुए दुसरे पद का कार्यभार भी सम्भालने के लिये नियुक्त करना।

एक स्थान के-रिक्त होने पर सक्षम-प्राधिकारी को निर्णय करना चाहिये कि उपरोक्त अंकित प्रकिया मे से कौनसी प्रक्रिया उचित एवं सुविधाजनक है। यदि एक माह से अधिक के लिये पद रिक्त रहने वाला नही हो तो जहां तक सम्भव हो उस पद का कार्यभार संस्थापन के अन्य सदस्यों में वितरित कर दिया जाना चाहिये। जब किसी पद के साथ वैधानिक-कार्य या कर्त्तव्य सलग्न हों या जहा अन्य कारणों से पद को रिक्त रखा जाना

सुविधाजनक नहीं हो, चाहे वह स्थान एक माह से अधिक समय के लिये रिक्त रहने वाला नहीं हो, या जहां पद एक माह से अधिक समय के लिये रिक्त रखा जाना सम्भव हो, तो एक व्यक्ति को एक पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किया जा सकता है।

यदि उस रिक्त पद पर बाहर से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसका वेतन, सेवा नियम 35 एवं 26 को देखकर, निर्धारित किया जायेगा।

जब एक कर्मचारी रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन सेवा नियम 26 (क) अथवा 35 (क) के अनुसार इस तथ्य को ध्यान मे रखकर निर्धारित किया जायेगा कि उस नियुक्ति मे कार्यों एवं उत्तरदायित्वों मे विशिष्ट/पर्याप्त वृद्धि होती है अथवा नही।

(1) जहा एक कर्मचारी किसी पद पर अपने स्वयं के पद के कार्यो के अतिरिक्त, दूसरे पद के कार्यों को निष्पादित करने के लिये नियुक्त किया जाता है तो उस दशा मे निम्न-अंकित तीन सम्भावनायें हो सकती है।

(i) वह रिक्त पद उस पद के अधीन हो सकता है जिसे वह धारण कर रहा हो।

(ii) वह पद उसके द्वारा धारित पद के समान या निम्न (किन्तु अधीन नही) हो सकता है।

स्पष्टीकरण:— समान पदों का तात्पर्य उसी संवर्ग में वेतन की अनुरूप समय-श्रेणी मे होने वाले पदों मे से है।

(iii) वह पद कर्मचारी द्वारा धारण किये गये पद से उच्च हो सकता है। इन सभी सम्भावनाओं में नियुक्ति एवं अतिरिक्त-वेतन की स्वीकृति सेवा नियम 50 के अन्तर्गत दी जाती है।

(2) प्रथम मामले मे कर्मचारी जो कुछ प्राप्त कर रहा है उसे उनके अलावा कुछ नही दिया जावेगा।

(3) दूसरे मामले मे कर्मचारी को सेवा नियम 50 (क) के अनुसार अपना स्वयं का वेतन तथा नियम 50 (ख) के अनुसार दूसरे पद पर काल्पनिक वेतन का 10 प्रतिशत तक विशेष-वेतन के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, यदि दोहरी (ड्यूयल) कार्य व्यवस्था 60 दिवस तक या 30 दिवस या उससे अधिक हो। किन्तु यदि दोहरी कार्य व्यवस्था की अवधि 60 दिवस या उससे अधिक हो! तो दूसरे पद के काल्पनिक वेतन का 20 प्रतिशत तक, विशेष वेतन के रूप मे, स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) तीसरे मामले में यदि उच्च-पद का कार्यभार 60 दिवस से कम के लिये सम्भाला है किन्तु 30 दिवस या अधिक समय के लिये हो तथा कर्मचारी उच्च-पद पर कार्य करने की योग्यता रखता हो अथवा वह नियमित या सम्भावित पदोन्नति के लिये पर्याप्त वरिष्ठ हो, तो ऐसे कर्मचारी को विशेष वेतन मिलने पर भी एक पद को उच्च-पद समझा जाना चाहिये) उस पद पर कार्यवाहक रूप से नियुक्त किया जा सकता है एव सेवा नियम 50 (क) के अनुसार उसे उच्च-पद पर वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। फिर यदि निम्न-पद अधीन पद न हो, तो कर्मचारी को सेवा नियम 50 (ख) के अनुसार उस पद के काल्पनिक-वेतन का 10 प्रतिशत तक, विशेष वेतन के रूप से स्वीकृत किया जा सकता है।

फिर भी ऐसे मामले में जिसमें उच्च-पद का कार्यभार 60 दिवस से अधिक के लिये सम्भालना हो तो उसे राजस्थान सेवा नियम 50 (ख) के अनुसार निम्न-पद के काल्पनिक वेतन का 20 प्रतिशत तक विशेष-वेतन के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:—उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार नियम 50 के अन्तर्गत ऐसे मामले में, जहां पर 30 दिनों या उससे अधिक दिनों के लिये दोहरा-प्रबन्ध किया जाता है, अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाता है। एक प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाया गया है कि अवकाशों के पूर्व में एवं बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को, दोहरे प्रबन्ध की अवधि में तथा उस समय का अतिरिक्त वेतन देने के लिये गिना जाना चाहिये अथवा नहीं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों की अवधि को दोहरे प्रबन्ध की अवधि की गणना में नहीं गिना जाता है।

सेवा नियम 66 को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेशों के प्रयोजनार्थ अवकाश के पूर्व एवं बाद के सार्वजनिक अवकाशों की अवधि को दोहरे प्रबन्ध की अवधि में गिना जाना चाहिये एवं तदनुसार अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये।

[आदेश संख्या एफ. 2 (25) वि. वि./(व्यय-नियम) 66 दिनांक 1 जुलाई, 1966 द्वारा निविष्ट]

टिप्पणी:—यदि एक कर्मचारी उच्च-पद का कार्यभार सम्भालने की योग्यता नहीं रखता हो एवं जो नियमित या काल्पनिक पदोन्नति के लिये पर्याप्त वरिष्ठ नहीं हो तो उसे पद के कर्तव्यों के सामान्य-कार्य सम्भालने के लिये नियुक्त किया जा सकता है तथा यदि वह उच्च-पद का कार्यभार 30 दिवस या उससे अधिक के लिये सम्भालता है तो उसे अपने वेतन का 10 प्रतिशत तक विशेष वेतन के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। किसी भी मामले में इस प्रकार का दोहरा प्रबन्ध 6 माह से अधिक के लिये लागू नहीं रखना चाहिये क्योंकि 6 माह से अधिक समय के लिये किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। 6 माह के बाद नियमित नियुक्ति या पदोन्नति कर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देनी चाहिये। ऐसे रिक्त पद को 6 माह बाद भी नहीं भरे जाने पर उसे स्थगित (एबियेन्स) किया हुआ समझा जावेगा।

(2) दूसरे पद के अधीन उस पद को समझा जायेगा जब एक पद वाले कर्मचारी का कार्य दूसरे पद वाले कर्मचारी द्वारा देखा जाता है या निरीक्षण किया जाता है तथा दोनों पद एक ही कार्यालय में हों। यदि एक राजपत्रित अधिकारी अपने पद के कार्यों के अलावा किसी अ-राजपत्रित पद का कार्यभार भी सम्भाले तो उसे अपने पद के अधीन-पद का कार्यभार सम्भाला हुआ समझा जाना चाहिये यदि अ-राजपत्रित पद राजपत्रित पद के सीधे नियंत्रण में हो।

[आदेश संख्या एफ 8 (28) एफ. II/55 दिनांक 9–8–62 द्वारा जोड़ा गया तथा एफ 1 (71) वि. वि./(ई–आर) 65/दिनांक 14, दिसम्बर, 1965 द्वारा संशोधित]

दृष्टान्त संख्या 1:—एक लेखाकार को अपने पद के कर्त्तव्यों के साथ 2 एक दूसरे लेखाकार के पद के कार्यों को भी देखने का आदेश दिया जाता है। वह दूसरे पद का चालू कार्य 3 माह तक देखता है। नियम 35 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार इस लेखाकार को दूसरे लेखाकार के पद का कार्य सम्पादित करने के एवज में स्वयं के पद के वेतन का 20% विशेष वेतन के रूप में प्राप्त होगा।

दृष्टान्त संख्या 2:—सचिवालय के एक अनुभागाधिकारी को 1, दिसम्बर, 78 से 31–12–78 तक अपने पद के कार्यों के अलावा उस विभाग के उप-सचिव पद के चालू कार्य सम्पादित करने का भार भी सौंपा जाता है। अनुभागाधिकारी के वेतनमान में उन्हें अधिकतम 982/– रुपये वेतन मिल रहा था। उप-सचिव के पद का वेतनमान 1100–1500 है। इस व्यवस्था में अनुभागाधिकारी उप-सचिव के पद पर नियमित अथवा काल्पनिक रूप से पदोन्नति की योग्यता भी नहीं रखता है। अतः यह मानकर चला जाता है कि उसको उस पद पर

निकट भविष्य में पदोन्नति नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप अनुभागाधिकारी को अपने पद का वेतन तथा उसी अपने पद के वेतन का 10% 'उपसचिव' के पद पर कार्य करने के पक्ष में "विशेष-वेतन" स्वीकृत किया जा सकता है।

दृष्टान्त संख्या 3:—एक लेखाधिकारी को, जो वेतन-श्रृंखला 750–1350 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 8 जनवरी, 79 से 6 मार्च, 79 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद का कार्य भी, अपने स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त, देखने के लिये नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला 1000–1600 है। लेखाधिकारी अपने संवर्ग में वरिष्ठ नहीं है और न ही वह अभी पदोन्नति का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में लेखाधिकारी को अपने पद के वेतन के साथ वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद का कार्य देखने के एवज में अपने ही वेतन का 10% "विशेष-वेतन" के रूप में प्राप्त होगा क्योंकि समयावधि 58 दिवस की ही है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 35 के अन्तर्गत जोड़े गये स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अनुसार एक रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा बाहर से नई नियुक्ति करने का भी प्रावधान है। वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 12 सितम्बर, 1974 (नियम 91 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय) के अनुसार कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की छूट देने के फलस्वरूप कर्मचारियों को नकद भुगतान का लाभ मिलने के विचार से कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश पर जाने के कारण कार्यालयों में निरन्तर रिक्त स्थान रहेंगे। यदि इन रिक्त स्थानों को सक्षम-प्राधिकारियों द्वारा बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर भरा जायेगा तो इससे अतिरिक्त व्यय होगा।

इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जब कभी कोई पद, कर्मचारी के अवकाश पर जाने से रिक्त होता है तो उसे नई नियुक्ति कर नहीं भरा जाये और सक्षम प्राधिकारी या तो (1) उस पद के कार्य को सस्थापन के अन्य सदस्यो मे बांट कर पद को रिक्त रखें या (2) किसी कर्मचारी को उसके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उस पद के कार्यों के लिये नियुक्त करें अथवा (3) उस पद पर किसी कर्मचारी को पदोन्नत करें। यदि किसी मामले मे अन्तिम उपाय, अर्थात् पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने का अपनाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप निम्न सवर्ग मे हुए रिक्त पद पर नियुक्ति नही की जाय।

[संख्या एफ 1 (38) वि. वि./(व्यय-नियम) 65/II दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (57) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 23-5-79 द्वारा 1–10–1978 से विलोपित।

राजकीय निर्देश:—साधारणतया किसी कर्मचारी को जहां वह कार्यरत है उससे भिन्न किसी अन्य स्थान पर अस्थाई प्रबन्ध के रूप मे दूसरे पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने की अनुमति नही दी जानी चाहिये क्योंकि उस कर्मचारी के लिये अपने पद के कार्यों तथा दूसरे स्थान वाले पद के अतिरिक्त कार्यों को दक्षता तथा सही रूप से निष्पादित करना सम्भव नहीं है और ऐसे प्रबन्ध में अतिरिक्त-व्यय भी होता है।

किन्तु यदि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों मे जनहित के कारण ऐसा प्रबन्ध करना आवश्यक समझा जाय तो अतिरिक्त-पद के कार्यों के एवज में विशेष वेतन और उसके द्वारा की गई यात्राओं के एवज में यात्रा-भत्ते की स्वीकृति निम्न-प्रकार से नियमित होगी:—

(1) अतिरिक्त पद के कार्यों के लिये "विशेष-वेतन" सेवा नियम 35 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जावेगा।

(2) अपने स्वयं के पद के स्थान/मुख्यावास से दूसरे स्थान वाले पद के कार्यों के लिये की गई यात्राओं

के लिये मील-भत्ता (अनुषांगिक-व्यय सहित) ही देय होगा । दूसरे स्थान पर ठहरने के लिये कोई विराम भत्ता नहीं दिया जावेगा ।

(3) पुराने मामले जो इससे अन्यथा प्रकार से तय किये जा चुके हैं पुनः नहीं खोले जायेंगे किन्तु विचाराधीन मामले इन आदेशों के अनुसार तय किये जायेंगे ।

[संख्या एफ. 1 (12) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 24 जून, 1974 द्वारा निविष्ट]

नियम 35-ए (1):—सेवा नियम 35 एवं 36 के प्रावधानों की शर्त पर एक कर्मचारी को जब एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है तब वह उस पद का काल्पनिक (प्रिजेम्पटिव) वेतन प्राप्त करेगा ।

नियम 35-ए-(2):—वेतन-वृद्धि अथवा अन्य कारणों से जब ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन में वृद्धि हो जाय तो कर्मचारी का वेतन उस वृद्धि के दिनाक से उप-नियम 35-ए-(1) के अनुसार, यदि वेतन का इस प्रकार पुनः निर्धारण कर्मचारी के लिये लाभदायक हो, तो इस प्रकार पुनःनिर्धारित किया जावेगा मानों वह कर्मचारी उस पद पर वेतन-वृद्धि की तारीख को ही कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था । किन्तु शर्त यह है कि नियम 26 के प्रावधान इस नियम के उप-नियम (2) के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण करने के मामले में लागू नहीं होंगे ।

टिप्पणी:—यह उप-नियम 35-ए-(2) दिनांक 1 मई, 1958 से प्रभावशील हुआ है ।

नियम 35-ए-(3):—उक्त उप-नियम (2) में किसी बात का उल्लेख होते हुए भी उस दिनांक को जिसको कर्मचारी का कार्यवाहक वेतन मूल-वेतन के समकक्ष अथवा उससे कम होता है तो कार्यवाहक वेतन को मूल-वेतन के आगे के स्तर पर पुनः निर्धारित किया जायेगा । सम्बन्धित कर्मचारी की आगामी वेतन-वृद्धि, वेतन के उक्त प्रकार पुनः निर्धारण किये जाने की तारीख से नियम 31 के अनुसार पुनः पूर्ण-सेवा करने पर ही देय होगी ।

[अधिसूचन संख्या एफ. 1 (21) वि. वि./नियम/69 दिनांक 9 मई, 1969 द्वारा 1-4-66 से प्रभावशील]

नियम 35-बी-:—इन नियमों में किसी प्रावधान के होते हुए भी उस राज्य कर्मचारी का वेतन, जिसकी किसी पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति दोष पूर्ण पाई जावे, सरकार द्वारा इस बारे में प्रसारित सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार नियमित होंगी ।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले आये हैं जिनमें सक्षम-प्राधिकारियों द्वारा अस्थाई या कार्यवाहक कर्मचारियो को स्थाई पदो पर स्थाई करने की आज्ञायें जारी कर दी गई है, यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी वैधानिक सेवा नियम, प्रशासनिक आदेशों, अथवा निर्देशो के अनुसार इस प्रकार स्थाई किये जाने के योग्य नही थे । लगभग ऐसे सभी मामलो में स्थाईकरण इस प्रकार किये गये है जिससे अन्य कर्मचारियों को स्थाईकरण से वचित या प्रतीक्षा मे रहना पडा, जबकि वे स्थाईकरण के लिये सब प्रकार योग्य थे ।

इस प्रकार दोष-पूर्ण आदेशो को निरस्त करने की सम्भावना एवं औचित्य के बाद निम्न-अंकित निर्णय लिये गये है:—

(क) स्थाईकरण की ऐसी आज्ञा जो स्पष्ट रूप से वैधानिक सेवा नियमों के प्रतिकूल है, को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सीधे ही निरस्त कर दिया जाय । जहां स्थाईकरण की आज्ञा प्रारम्भ से ही दोष पूर्ण हो, क्योंकि वह तत्-सम्बन्धी नियमो के प्रतिकुल है एवं यह निरस्त करने की आज्ञा इस आधार पर न्यायोचित है कि स्थाईकरण की आज्ञा कोई वैध अथवा निर्वाह योग्य आज्ञा नही थी ।

अतः निरस्तीकरण की कार्यवाही केवल औपचारिकता मात्र है। इसका प्रभाव यह होगा कि उस कर्मचारी को "कभी स्थाई किया ही नहीं गया,, ऐसा माना जायेगा।

(ख) ऐसी स्थाईकरण की आज्ञा जो प्रशासनिक आदेशों अथवा निर्देशों के प्रतिकूल है, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी यदि ऐसी दोषपूर्ण आज्ञा से ऐसे ज्ञात व्यक्तियों को हानि हुई है जिन्हें अन्यथा स्थाई कर दिया जाता, यदि आदेशों का सही रूप ही प्रयोग किया जाता।

राजकीय निर्णय संख्या 2:— सेवा नियम 35—बी—के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति/नियुक्ति किन्हीं कारणों से, तथ्यों के आधार पर, त्रुटिपूर्ण पाई जाय तो उनके वेतन एवं वेतन-वृद्धि के मामले निम्न-अंकित प्रावधानों से शासित किये जावें।

जब किसी नियुक्ति-प्राधिकारी के ध्यान में यह बात लाई जावे अथवा आजावे कि किसी कर्मचारी को कोई पदोन्नति अथवा नियुक्ति, तथ्यों की त्रुटि के कारण, दे दी गई है तो नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति/पदोन्नति के आदेशों को तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिये एवं तथ्य की त्रुटि के कारण पदोन्नत/नियुक्त कर्मचारी को, आदेशों को निरस्त कर, उसी स्थिति में ला देना चाहिये जिसमें वह त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति/नियुक्ति की आज्ञा से पूर्व था।

जहां ऐसे मामले में कर्मचारी को गलत रूप से किसी पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत अथवा नियुक्त कर दिया गया हो तो उपरोक्त वर्णित सिद्धान्त के अनुसार ही (राजकीय निर्णय संख्या 1 के अनुसार) स्थाईकरण के आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये और इसके बाद ही सम्बन्धित कर्मचारी को, उसकी त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति/नियुक्ति आज्ञा को निरस्त कर, उसे पूर्व की स्थिति में ला दिया जाय जिसमें वह ऐसी त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति/नियुक्ति से तुरन्त पूर्व था। ऐसे कर्मचारी द्वारा त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति/नियुक्ति के कारण उच्च-पद पर की गई सेवा की अवधि को उस पद/वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये नहीं गिना जाना चाहिये क्योंकि वह इसके लिये, नियमानुसार, अधिकारी नहीं था, केवल त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति/नियुक्ति के कारण ऐसा हो गया।

किसी कर्मचारी विशेष की त्रुटि-पूर्ण पदोन्नति के आधार पर एवं उसके फलस्वरूप, दूसरे कर्मचारियों को भी यदि पदोन्नति/नियुक्ति दी गई हों तो उन्हें भी त्रुटि-पूर्ण समझा जावेगा और ऐसा मामला अनुच्छेद एक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नियमित किया जावेगा।

जहां सरकार नियुक्ति-प्राधिकारी हो वहा ऐसे मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यह प्रश्न कि किसी कर्मचारी विशेष की पदोन्नति/नियुक्ति त्रुटिपूर्ण थी या नहीं, इसका निर्णय पदोन्नति अथवा नियुक्ति-सम्बन्धी प्रभावी सिद्धान्तों के आधार पर, नियुक्ति-प्राधिकारी से ऊपर के प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये।

जहां नियुक्ति-प्राधिकारी स्वयं सरकार ही हो तो अन्तिम निर्णय सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग पर निर्भर रहेगा। किसी मामले में सन्देह होने पर प्रशासनिक विभाग, अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, ऐसे मामले में नियुक्ति विभाग से परामर्श करेगा।

[अधिसूचना संख्या एफ. 1 (4) वि. वि/नियम/69 दिनांक 2 फरवरी, 1971 द्वारा नियम 35–बी–तथा उसके अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या 1 एवं 2 जोड़े गये]

नियम 36:—राज्य सरकार एक कार्यवाहक कर्मचारी का वेतन इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन की दर से कम दर पर निश्चित कर सकती है।

टिप्पणी:—इसका एक उदाहरण यह हो सकता है जब एक पद के कर्त्तव्यों को पूर्णतया सम्पादित नहीं कर रहा हो और केवल चालू-कार्य ही देख रहा हो।

नियम 37:—जब एक कर्मचारी एक ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता हो जिसका वेतन किसी अन्य कर्मचारी के वेतन को सामने रख कर स्वीकार किया गया हो तो सरकार उसे इस प्रकार निर्धारित की गई किसी दर पर वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकती है तथा यदि इस प्रकार निर्धारित-दर वेतनमान में हो तो सरकार उसे प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकती है जो उस वेतनमान के निम्नतम-स्तर के वेतन से अधिक नहीं होगा तथा भावी वार्षिक-वेतन-वृद्धि भी स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगी।

नियम 38:—जब अधिकारी किसी प्रशिक्षण या निर्देशन पाठ्यक्रम के सत्र में भाग लेने भेजे जावें तो उस अवधि को सेवा नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत "कर्त्तव्य" माना जावे और उस अवधि में अन्य अधिकारी को कार्यवाहक पदोन्नति, सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा दी जा सकती है।

नियम 39 : व्यक्तिगत वेतन का कम होना:—जब तक स्वीकृति-प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस बारे में अन्यथा रूप से आदेश नहीं दे दे, एक कर्मचारी का व्यक्तिगत-वेतन उतना घटाया जा सकता है जितना उसका वेतन बढ़ता जाय। जैसे ही उस कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत-वेतन के समान बढ़ जायेगा, वैसे ही व्यक्तिगत-वेतन मिलना बंद हो जावेगा।

नियम 40 : अस्थाई पद का वेतन:—जब किसी ऐसे अस्थाई पद का सृजन किया जाता है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना हो जो पूर्व में राज्य सेवा में नहीं हो तो उस पद का वेतन उस आवश्यक न्यूनतम पर निर्धारित किया जावेगा जिससे उस पद पर योग्य व्यक्तियों को उस पद के कर्त्तव्यों को योग्यता एवं निपुणता-पूर्वक सम्पादित करने के लिये, कार्य पर लाने के लिये आवश्यक हो।

नियम 41 :—जब एक अस्थाई-पद सृजित किया जाय जो सम्भवत ऐसे कर्मचारी द्वारा भरा जाय जो पूर्व में ही राज्य सेवा में हो तो उस पद का वेतन, पद के कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा कार्य की प्रक्रियाओं को दृष्टिगत रख कर, निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में निम्न-सिद्धान्त दृष्टिगत रखे जाय:—

(क) सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति एवं उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए,

(ख) एक स्तर के (योग्यता-प्राप्त) कर्मचारी का वर्तमान वेतन उस पद पर चयन के लिये पर्याप्त है अथवा नहीं।

टिप्पणी :—(1) एक कर्मचारी जो विशेष कर्त्तव्य अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाता है, उसे अपने अस्थाई पद का वेतन प्राप्त करना चाहिये, जो उसे समय-समय पर मिलता रहता, यदि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता। यदि स्वीकृति-कर्त्ता प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया कर्मचारी शीघ्र ही अपने उस पद से, जिस पर वह विशेष-कर्त्तव्य अथवा प्रति-नियुक्ति पर भेजा गया है, उच्च-वेतन दर वाले पद पर पदोन्नत हो जाता है तथा ऐसे पद पर अनुमानतः उसी समय तक न्यूनतम कार्य करता रहना जितने समय तक उसके अस्थाई पद के प्रभावी रहने की आशा है, तो वह इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है तथा पूर्ण समय के लिये समान वेतन निश्चित कर सकता है।

(2) ऐसे मामले में अधिक वेतन स्वीकृत करने का मुख्य आधार कार्य की निश्चित वृद्धि या उत्तरदायित्वों को उसके अपने पद के कर्त्तव्यों/उत्तरदायित्वों की तुलना में अधिक सिद्ध करना है। जहां पर उत्तरदायित्वों की जांच व्यवहारिक नहीं हो वहां नियम 40 का अनुसरण किया जाना चाहिये।

(3) कार्य/उत्तरदायित्वों की अधिकता के कारण किन्हीं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया गया वेतन उसके मूल-वेतन के 1/5 भाग अथवा 300 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिये।

(4) कर्मचारियों को जिन्हे अपने पद के समान कार्यों एवं उत्तरदायित्वों वाले पदों पर प्रति-नियुक्त किया हुआ हो उन्हें वेतन में कोई वृद्धि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये, चाहे उन्हें किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कर्त्तव्य-सम्पादन के कारण क्षतिपूरक भत्ता मिल जाना चाहिये। इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण उन लोगों के बारे में मिलेगा जो समितियों या आयोग/निगमों में प्रति-नियुक्ति पर भेजे जाते है। समिति एवं आयोग के सदस्यों के रूप मे प्रति-नियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व उनसे अधिक नहीं हैं, जिन्हे वे अपने नियमित पद पर रहकर सम्पादित करते एवं अपवाद स्वरूप मामलों में ही अतिरिक्त पारिश्रमिक औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। फिर भी अपवाद स्वरूप मामलों में उक्त सिद्धान्तों में वहां शिथिलता करनी पड़ेगी जहां पर कर्त्तव्यों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक हो कि विशेष-योग्यता का अधिकारी विशेष-शर्तों के आधार पर प्रति-नियुक्त किया जाय।

(5) अस्थाई पदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जावेगा :—सामान्य कार्यों को सम्पादित करने के लिए सृजित पद जिनके लिए एक संवर्ग में पूर्व में अस्थाई पद विद्यमान हैं। अन्तर केवल इतना है कि नये पद अस्थाई है एवं दूसरे पद जो सामान्य-कार्यों से असम्बद्ध है, विशेष-कार्यों को सम्पादित करने के लिये, पृथक से सृजित किये जाते है। दूसरे प्रकार के पदों का एक उदाहरण जांच आयोग में एक पद का है। मौलिक परिभाषा मे ऐसे पदों में संवर्ग-भेद किया जाना कठिन है किन्तु व्यवहारिक एवं व्यक्तिगत मामलों में इनको जानने में अधिक कठिनाई नही होती। पदों की प्रथम श्रेणी को, सेवा के सवर्ग मे, एक अस्थाई-वृद्धि (टैम्परेरी-ऐडीशन-इन-केडर) के रूप में समझा जाना चाहिये, चाहे उस पर कोई भी अधिकारी नियुक्त क्यों न हो। अस्थाई पदों की दूसरी श्रेणी को अ-वर्गीकृत एवं पृथक (आईसोलेटेड-एक्स-केडर) पदों के रूप में समझा जाना चाहिये।

अस्थाई पद जिन्हें इस सिद्धान्त के आधार पर सेवा के किसी सवर्ग में अस्थाई-वृद्धि समझी जाय, बिना पारिश्रमिक के सेवा की साधारण श्रेणी मे सृजित किये जाने चाहियें। इन पदों के कर्मचारी, अपनी सामान्य-श्रेणी में वेतन प्राप्त करेंगे। यदि किन्ही पदों पर कार्य/उत्तरदायित्वों का भार सामान्यतः संवर्ग में चालु पदों के कर्त्तव्यों की तुलना मे अधिक हो तो उसके लिए विशेष-वेतन स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो सकता।

संवर्ग से बाहर प्रथम श्रेणी के पदों के लिये कभी-कभी निश्चित वेतन की दर निर्धारित जाती हो तो पद को, ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान मे ही सृजित करना उपयुक्त होगा।

आडिट निर्देशन :—इन नियमों के अन्तर्गत विशेष-कर्त्तव्यों को मान्यता नहीं दी जायेगी। विशेष कार्य सम्पादित करने के लिये विशेष-रूप से अस्थाई पद का सृजन करना होगा। यदि विशेष-कर्त्तव्य एक कर्मचारी के अपने कर्त्तव्यों के साथ में सम्पादित कराये जाने हों तो सेवा नियम 41 व 50 लागू होंगे।

अध्याय 5

वतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते

नियम 42 :—सामान्य नियमों के अनुसार भत्ते, प्राप्त-कर्त्ता के लिये कुल मिला कर, आय का स्रोत नही होता, फिर भी सरकार उसके नियत्रण मे कार्यरत कर्मचारियों को ऐसे भत्ते स्वीकृत कर सकती है एवं उसकी राशि निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने की शर्तो के वारे मे नियम वना सकती है।

(इस नियम के अनुसरण में वनाये गये नियमो के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट XVI, XVII XXX तथा XXXI को देखें)

दृष्टांत :—सरकार ने अपने प्रशासनिक-नियंत्रण में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार क्षतिपूरक भत्ते, शहरी क्षतिपूरक भत्ता, मंहगाई-भत्ता एवं यात्रा भत्ता आदि देने के लिए इसी नियम के अनुसरण में प्रथक 2 नियम बनाये हैं।

नियम 43 (क) निजि कार्य करने एवं उसके एवज में "शुल्क" स्वीकार करने की अनुमति:—सेवा नियम 44 से 46 के अन्तर्गत वनाये गये किन्ही नियमों के अधीन एक राज्य-कर्मचारी द्वारा, अराजकीय व्यक्ति, संस्था अथवा सार्वजनिक-निकायों जिनमें स्थानीय निधि द्वारा प्रशासन किया जाता हो, का कार्य स्वीकार करने एवं उसके एवज में आवर्तक अथवा अनावर्त्तक शुल्क के रूप में "पारिश्रमिक" प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि कर्मचारी की सेवा का ऐसा उपयोग आवश्यक हो और वह उस कार्य को अपने राजकीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों में बिना किसी प्रकार की वाधा पहुंचाये सम्पन्न कर सकता हो।

टिप्पणी :—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (14) वि. वि./(ए) (आर) 61-I दिनांक 23 अक्टूबर, 1964 द्वारा, दिनांक 21 नवम्बर, 1962 से विलोपित।

नियम 43 (ख) : "शुल्क" स्वीकार करने के लिये सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक :—सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के विना कोई कर्मचारी किसी निजि (प्राईवेट) या सार्वजनिक संस्था या निजि-व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता तथा उससे शुल्क नही ले सकता है। वह सक्षम-प्राधिकारी, केवल कर्मचारी के अवकाश पर रहने की स्थिति के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करेगा कि "कार्य सम्पादित करने वाले कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य-सम्पादित करने से उसके राजकीय कार्यो एवं उत्तरदायित्वों में किसी प्रकार की वाधा/व्यवधान नहीं होता है।"

नियम 43 (ग) :—वे परिस्थितियां जिनमें मानदेय (आनरेरियम) स्वीकृत किया जा सकता है :—राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को किसी कार्य के लिये अपनी संचित-निधि से मानदेय प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकती है अथवा स्वीकृत कर सकती है यदि वह कार्य "आकस्मिक" या "कभी-कदार" (इन्टरमिटेन्ट) होने वाला हो अथवा विशेष-परिश्रम का हो या ऐसी विशेष-योग्यता का हो जिसके लिये ऐसा मानदेय देना औचित्यपूर्ण माना जावे। इस प्रावधान का उल्लंघन करके विशेष-कारणों एवं औचित्यों, जिनको आदेशों में अंकित किया जाना चाहिये, के आधार पर

मानदेय को स्वीकार करने अथवा उसको प्राप्त करने की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिये जब तक वह कार्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से प्रारम्भ नही किया जाय तथा उसकी राशि पूर्व में ही तय नही की गई हो।

राजकीय निर्देशन संख्या 1 :—कभी कभी ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं कि क्या सेवा नियम 43 (ग) के अन्तर्गत किसी राज-पत्रित अधिकारी को अधिक समय तक कार्य करने के एवज मे मानदेय स्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि उतने ही अधिक समय तक कार्य करने पर एक अराजपत्रित कर्मचारी को मानदेय स्वीकृत किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में सेवा नियम 7(13) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार मानदेय केवल "आकस्मिक अथवा "कभी-कदार" प्रकृति के विशेष कार्य के लिये स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जब एक कर्मचारी अपने पद के साधारण कर्त्तव्यो का निष्पादन करता है, तो उसे मानदेय स्वीकृत नही किया जाता है चाहे वह कार्यालय के निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य क्यों नही करे। इसी प्रकार जब सेवायें साधारण सेवाओ के समान हों तो भी उसके लिए मानदेय नही दिया जा सकता है।

फिर भी लिपिक-वर्ग से सम्बन्धित कर्मचारियो के मामलों में जब एक कर्मचारी को अपवाद-स्वरूप परिस्थितियो में असाधारण रूप से लम्बे समय तक कार्य करना पडता है तो उसे सरकार प्रचलित पद्धति के अनुसार मानदेय स्वीकृत कर सकती है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी के लिये किसी भी कार्य का मानदेय स्वीकृत नही किया जा सकता है जो उसकी सामान्य सेवाओं का एक भाग हो या उसके समान हो, चाहे वह कार्यालय समय के बाद ही कार्य करता हो। अतः इस प्रकार के मामलों मे राजपत्रित अधिकारियों को मानदेय स्वीकृत करने की सिफारिश सरकार को नही भेजनी चाहिये।

टीका :—उक्त राजकीय निर्देशन के होते हुए भी वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में अनिवार्य बचत योजना के अतिरिक्त कार्य-सम्पादन के लिये, वित्त विभाग के अधिकारियों एवं जिलों के कोषाधिकारियों को मानदेय स्वीकृत किया गया था। किन्तु यह स्वीकृति इस नियम एवं निर्देशन की शिथिलता में प्रचलित की गई थी।

राजकीय निर्देशन संख्या 2:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या नियम 43 (ग) के अनुसार किसी कर्मचारी को जो अपने पद के विभागीय कर्त्तव्यों के साथ में अन्य स्वीकृत पद के कर्त्तव्यों को सम्पन्न करने के एवज में मानदेय स्वीकृत किया जा सकता है।

मानदेय की परिभाषा नियम 7(1) के अनुसार "आकस्मिक" या "कभी-कदार" प्रकृति के विशेष कार्य के लिये भारत की अथवा अन्य प्रादेशिक राज्यो की अथवा इस राज्य की संचित-निधि से मानदेय के रूप मे किसी कर्मचारी को आवर्त्तक अथवा अनावर्त्तक भुगतान होता है। जब एक पद स्वीकृत किया जाता है तो उसकी सेवाओं की प्रकृति (कठिनता) "आकस्मिक या "कभी कदार" प्रकृति की नही मानी जा सकती। अतः जब अपने कार्य के अतिरिक्त एक कर्मचारी से दूसरे स्वीकृत पद के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिए कहा जाय तो उसे अतिरिक्त कार्य समझना चाहिये, जो आकस्मिक या "कभी-कदार" प्रकृति का नही होता है, चाहे उसे ऐसे अतिरिक्त कार्यो को अल्प-समय के लिये ही करने को कहा जाय। अतः एक कर्मचारी को जब भी अपने पद के अतिरिक्त एक अन्य-स्वीकृत पद के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये कहा जाय तो उसे सेवा नियम 43(ग) के अनुसार मानदेय प्राप्त नहीं हो सकेगा।

टीका :—उपरोक्त निर्देशन के अनुसार एक कर्मचारी को दूसरे स्वीकृत पद के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कार्य करने पर मानदेय स्वीकार करने का निषेध है, किन्तु ऐसे मामलों में सेवा नियम 50 तथा नियम 35 के अन्तर्गत दिनांक 9 अगस्त 1962 को जोड़े गये "राजकीय स्पष्टीकरण" के प्रावधानों के अनुसार 30 दिन

गई हो। सक्षम-प्राधिकारी को मानदेय स्वीकृत करते समय इस तथ्य का आदेशों में उल्लेख करना होगा कि नियम 7 (13) मे प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना की गयी है।

यह स्पष्ट है कि कर्मचारी को मानदेय केवल विशेष मामलों मे ऐसे कायर्यो के लिये जो विशेष योग्यता के हों और जो कर्मचारी के साधारण-कर्त्तव्यों की श्रेणी से बाहर हो, के लिये ही स्वीकृत किया जाना चाहिये। सरकार के ध्यान मे कुछ ऐसे मामले आये है जिनमे कर्मचारी के साधारण कर्त्तव्यो की श्रेणी मे आने वाले कार्यो के लिये भी मानदेय स्वीकार कर दिया गया है अथवा स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

ऐसे विशेष प्रकरण जिनमे मानदेय स्वीकृत नही किया जाना चाहिये- को प्रथक से बताना सम्भव नहीं है। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले मे निर्णय लेते समय निम्न-अंकित मार्गदर्शक को सिद्धान्त. ध्यान में रखना चाहिये:—

(i) कार्य में अस्थाई-वृद्धि जो राजकीय–कार्य में साधारणतया हो जाती हैं और जो कर्मचारी के वैधानिक–कर्त्तव्यों का अग होती है, के लिये मानदेय नही दिया जाता है।

(ii) जब एक कर्मचारी अपने पद के कर्त्तव्यो के साथ-साथ अन्य स्वीकृत पद के कर्त्तव्यो को भी सम्पादित करता है तो भी उसे मानदेय नही दिया जाता है।

मानदेय निम्न-अंकित मामलों में स्वीकृत किया जा सकता है :—(i) सरकार के प्रशासनिक विभाग एव विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी जिन्हे विधान-सभा के किसी सत्र में विधान-सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होते हैं।

(ii) वित्त (बजट) विभाग को बजट तैयार करने के लिये। (प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों के कार्यालयों एव विभागीय अधिनस्थ कार्यालयो में बजट तैयार करने के लिये मानदेय नही दिया जाना चाहिये)

(iii) सरकार के स्तर पर तथा राज्य-स्तर पर विभागाध्यक्षों द्वारा आयोजित सगोष्ठियों (सेमीनार्स) का कार्य करने के लिये। किन्तु शर्त यह है कि कर्मचारी को सगोष्ठी का कार्य विशेष-रूप से बहुत पहले सौंप दिया गया हो।

(iv) गणतन्त्र-दिवस एव स्वतत्रता-दिवस समारोहो के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये, जो राज्य-स्तर अथवा जिला स्तरों पर मनाये जाते है।

(v) कोषालयो में माह मार्च के दूसरे पखवाड़े में प्राप्त बिलों का कार्य करने के लिये।

(vi) कोषालयों अथवा लेखाधिकारियो के कार्यालयों का स्टाफ जिन्हें वेतन स्थिरीकरण का कार्य सौपा जाता है, किन्तु शर्त यह है कि वेतन-स्थिरीकरण के मामले वेतनमान नियमो के प्रकाशित होने के 6 माह में निपटाये जायं।

(vii) वित्त (मार्गोपाय) विभाग का स्टाफ जिसे सार्वजनिक ऋण लेने सबंधी कार्य सौंपा गया हो।

(viii) अचानक प्राकृतिक विपदाओ, बाढ़, भूकम्प, भूचाल एवं तूफान आदि के कार्यों पर स्टाफ को नियोजित करने पर।

(ix) राष्ट्रपति अथवा प्रधानमत्री की यात्रा (आगमन) से सम्बन्धित कार्यों के लिये।

(x) राजकीय बकाया वसूली अभियान की अवधि मे सम्पादित कार्य के लिये जिसकी अवधि दो माह से अधिक न हो।

सक्षम-प्राधिकारी को, जो मानदेय की स्वीकृत जारी करता है, उसे मानदेय की स्वीकृति में ही यह प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा कि उस द्वारा व्यक्तिगत-रूप से मानदेय की जाच की गई है और कर्मचारी के उस कार्य से वह सन्तुष्ट है जिसके लिए उसे मानदेय स्वीकृत किया गया है ।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (76) वि वि./(नियम) 70 दिनांक 11–12–1970 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देशन संख्या 6:—वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (76) वि. वि./(नियम) 70 दिनांक 11 दिसम्बर, 1970 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मानदेय की स्वीकृति के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बताये गये है । यह देखा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी कई मामलों में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों द्वारा स्टाफ को मानदेय स्वीकृत किया जा रहा है । उदाहरणार्थ विभागों मे बजट अनुमानो की तैयारी के लिये तथा विधान-सभा की जन लेखा समिति को सूचना उपलब्ध करने के कार्यों में लिये मानदेय स्वीकृत किया गया है ।

सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर समस्त प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों को यह निर्देश देती है कि भविष्य में ऐसे कार्यो के लिये, जो उपरोक्त मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों/निर्देशों की परिधि में नहीं आते है, किसी कर्मचारी को मानदेय स्वीकृत नही किया जाय और सरकार ऐसे भुगतानो को नियमित करने के पक्ष में भी नही है ।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (76) वि. वि /(व्यय-नियम) 70 दिनांक 10–9–1970 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभिन्न प्रशिक्षण-संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के लिये नियुक्त अध्यापक-वर्ग जिसे अध्यापन सेवाओं के लिये वेतन मिलता है, को उक्त संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लिये जाने वाले टेस्टों एव परीक्षाओ से सबंधित प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने अथवा व्यवहारिक परीक्षा लेने आदि का मानदेय, मानदेय के रूप में, नियम 43 (ग) के अनुसार, स्वीकृत किया जा सकता है ।

प्रश्न की जाच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि राजकीय-प्रशिक्षण-सस्थाओं में या प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमो में पूर्ण-समय या आंशिक-समय के लिये नियुक्त अध्यापक-वर्ग के कर्मचारियों को प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर-पुस्तिकाओं को जाचने या व्यवहारिक परीक्षाये लेने आदि के कार्य के लिये कोई मानदेय स्वीकृत नही किया जाय क्योंकि ऐसी सस्थाओं एव पाठ्यक्रमो में नियुक्त अध्यापक-वर्ग के कर्तव्यों मे ही यह सम्मिलित हैं । फिर भी उन कर्मचारियो को मानदेय दिया जाता रहेगा जो इन सस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों मे अध्यापन का कार्य नही कर रहे हैं ।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (33) वि. वि /(नियम) 64 दिनांक 15–9–1964 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:— ऐसे राज्य कर्मचारी जो कवि या कलाकार हैं तथा जो समय-समय पर जन-सम्पर्क-निदेशालय या अन्य विभागों द्वारा आयोजित कवि-सम्मेलनों, मुशायरों या अन्य सास्कृतिक कार्यक्रमो मे भाग लेने के लिए आमन्त्रित किये जाते है तथा उन सेवाओ के एवज में उन्हे सचित-निधि से मानदेय दिया जाता है । सेवा नियम 43 के अनुसार एक कर्मचारी सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना एक कार्यालय में कार्य करते हुए दुसरे कार्यालय का कार्य नही कर सकता है और न ही उसे उस कार्य की एवज मे मानदेय स्वीकार किया जा सकता है ।

मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्हे जन-सम्पर्क-निदेशालय अथवा ऐसे अन्य समारोह आयोजित करने वाले विभागों द्वारा उक्त-प्रकार के सम्मेलनों, मुशायरों एवं कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, उन्हे निम्न-अंकित-शर्तो के आधार पर उनमें भाग लेने की स्वीकृति दी हुई समझी जायेगी:—

(1) किसी एक अवसर पर कर्मचारी को दिये जाने वाला मानदेय 25/–रुपये से अधिक नहीं हो तथा एक माह में 50/– रुपये से अधिक नहीं हो।

(2) जन-सम्पर्क-निदेशालय अथवा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभागो के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने पर इन आदेशों के अनुसार, मानदेय प्राप्त करने के अधिकारी नही होंगे।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (34) वि. वि/(व्यय–नियम) 64 दि. 17–9–64 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि तकनीकी विभागों, जैसे सार्वजनिक-निर्माण-विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत्-विभाग, जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओ आदि में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों तथा चार्टेड-अकाउन्टेन्ट अथवा लागत-लेखाकार आदि की योग्यता वालों को संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा किसी निजि-संस्था या सार्वजनिक निकाय या निजी समिति क नकनीकी-परामर्श सम्बन्धी कार्य स्वीकार करने एवं उससे एवज में "शुल्क" प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है। ऐसी स्वीकृति के आदेशों में सम्बन्धित सक्षम-प्राधिकारी को यह अंकित करना होता है कि "सम्बन्धित कर्मचारी उस कार्य को अपने पद के वैधानिक-कर्त्तव्यो मे बिना बाधा/व्यवधान पहुंचाए सम्पन्न कर सकता है।"

राज्य सरकार का यह विचार है कि उपरोक्त अंकित तकनीकी अधिकारी तथा कर्मचारी इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे किसी निजि-व्यक्ति या सार्वजनिक-निकाय या निजी-संस्था का कोई तकनीकी-कार्य या विशिष्ट-सेवा या तकनीकी-सेवा, अपने पद के कर्त्तव्य एव उत्तरदायित्वों में कोई बाधा डाले सम्पादित कर सकें क्योकि उनके कार्य की प्रकृति तथा कर्त्तव्य इस प्रकार के होते हैं कि वे उनमें बिना कोई बाधा डाले बाहर का कार्य नहीं कर सकते।

अतः सक्षम-प्राधिकारियों को जोर देकर कहा जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 43 के अन्तर्गत ऐसे *तकनीकी अधिकारियों-कर्मचारियों को साधारणतया अनुमति नहीं दी जावे। जहां ऐसी अनुमति का दिया जाना* बहुत ही अनिवार्य समझा जावे तो औपचारिक आदेशों में उन विशिष्ट परिस्थितियों एवं तर्कों का उल्लेख किया जावे जिनके आधार पर ऐसी स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझा गया। विशिष्ट परिस्थितियों एवं तर्कों का उल्लेख सेवा नियम 43 (ब) द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त किया जाना चाहिये।

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (4) वि. वि,/(ग्रुप-2)/77 दिनांक 25–1–1977 द्वारा निविष्ट)

टीका :—राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राजस्थान सेवा नियम, भाग-2 के परिशिष्ट–IX के क्रमांक 14 के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन कार्यरत अराजपत्रित-कर्मचारियों को असाधारण लम्बे समय तक कार्य करने के एवज में निम्न-प्रकार मानदेय की राशि स्वीकार करने के अधिकार प्रदान किये हैं :—

राजस्थान सेवा नियम खण्ड-2 के परिशिष्ट (IX) के क्रमाक 14 के वर्तमान प्रावधान को निम्न-प्रावधान से प्रति-स्थापित (सब्सटिट्यूट) किया जाता है।

क्रमांक	नियम	नियम की प्रकृति	अधिकार	अधिकार प्रयोग की शर्त
14	43 (ग)	मानदेय स्वीकृत करने का अधिकार	प्रशासनिक विभाग	(i) एक माह के वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा तक अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए।

	जिलों के कलेक्टर्स	(ii) जिलाधीश कार्यालय अथवा उससे सबंद्ध कार्यालयो मे कार्यरत अराजपत्रित-कर्मचारियों को, प्राकृतिक-विपदाओ पर, जैसे ब.ढ़, भूचाल, ओलावृष्टि आदि के कारण सहायता कार्यो पर तैनात करने पर मानदेय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है, किन्तु मानदेय की सीमा निम्नांकित सीमा से अधिक नही हो सकेगी।
(1) 24 घंटे से कम के अतिरिक्त कार्य के लिए		कुछ नही
(2) 24 घंटे एवं उससे अधिक किन्तु 60 घटे तक के अतिरिक्त कार्य के लिए—इस शर्त के साथ की प्रत्येक कार्यदिवस को अतिरिक्त कार्य 1 घंटे से अधिक का हो।		एक माह के वेतन का 7 प्रतिशत
(3) 60 घटे अथवा उससे अधिक किन्तु 120 घटे तक के अतिरिक्त कार्य के लिये		एक माह के वेतन का 15 प्रतिशत
(4) 120 घंटे अथवा उससे अधिक किन्तु 180 घटे तक के अतिरिक्त कार्य के लिये		एक माह के वेतन का 30 प्रतिशत
(5) 180 घटे एवं उससे अधिक किन्तु 240 घटे तक के अतिरिक्त कार्य के लिये		एक माह के वेतन का 50 प्रतिशत
(6) 240 घटे अथवा उससे अधिक के अतिरिक्त कार्य के लिए।		एक माह के वेतन का 70 प्रतिशत

यह आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1977 से प्रभावशील माने जावेगे।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (8) वि.वि.(ग्रुप-2) 77 दिनांक 4-11-77 द्वारा प्रतिस्थापित]

नियम 43 (घ):—शुल्क एवं मानदेय दोनों ही मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को आदेशों में यह अंकित करना होगा कि सेवा नियम 13 में वर्णित सामान्य सिद्धान्तों का पूर्णतया ध्यान रखा गया है तथा आदेशों मे उन कारणों का भी उल्लेख किया जावेगा जो प्राधिकारी की सम्मिति में अतिरिक्त-कार्य के लिये मानदेय दिये जाने के लिये औचित्य पूर्ण हों।

मानदेय की स्वीकृति एक कर्मचारी को केवल इसीलिये नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य में अस्थाई-वृद्धि हो गई है। अर्थात् जैसे उसके विभाग के तत्वाधान में विशेष सम्मेलन हो रहा हो। ऐसी अस्थाई कार्य-वृद्धि राजकीय सेवा की सामान्य घटना है तथा उसे पूरा करने का कर्मचारी का वैधानिक कर्त्तव्य है। अतः पारिश्रमिक स्वरूप ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त-कार्य के लिये मानदेय नही दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम, भाग 2 के परिशिष्ट-ix के क्रमांक 9 में अंकित सीमा तक कार्य करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में निम्न-अंकित प्रश्न

उठाये गये है। यथा ऐसे मामलों में जिनमें कार्य लेने की स्वीकृति एवं मानदेय स्वीकार करने की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी अलग और पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी अलग हो तो क्या ऐसे मामले में वित्त-विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, जिसमें परिशिष्ट-ix के क्रमांक-9 में निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय देने का प्रस्ताव हो। ऐसे मामले उदाहरण के रूप में हो सकते हैं जहां एक कर्मचारी किसी विभाग में कार्य करता है और वह अन्य विभाग का कार्य स्वीकार करता है। क्या ऐसे मामले में दो आज्ञायें आवश्यक होंगी जिनमें से एक कार्य-स्वीकार करने तथा उसका मानदेय प्राप्त करने की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी जारी करे तथा दूसरी आज्ञा मानदेय राशि के भुगतान की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी निकाले ?

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में जिस प्राधिकारी के अधीन कर्मचारी कार्य करता है वह यह निर्णय लेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी अपने पद के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों में बिना कोई बाधा पहुंचाये दूसरे विभाग का अतिरिक्त कार्य कर सकता है। इस प्रकार के निर्णय के बाद ही सम्बन्धित कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य स्वीकार्य करने तथा उसके एवज में मानदेय प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती। यह प्राधिकारी अपनी अनुमति दूसरे विभाग के उस प्राधिकारी को भेज देगा जो अतिरिक्त कार्य दे रहा हो। वह तथा नियम 43 (ग) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त होने पर मानदेय की स्वीकृति जारी करेगा जिसमें वह नियम 43 (घ) के अन्तर्गत वांछित प्रमाण-पत्रों के उल्लेख के साथ यह भी उल्लेख करेगा कि वह ऐसी स्वीकृति कर्मचारी को उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से जारी कर रहा है।

जहां एक सक्षम-प्राधिकारी अपने कर्मचारियों में से किसी एक को मानदेय स्वीकृत करता है तो उसकी स्वीकृति में नियम 43 (घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त होगा जो स्वतः ही उस कार्य को लेने तथा मानदेय प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है। अनुच्छेद (2) एवं (3) में वर्णित मामलों में उधार लेने वाले प्राधिकारी को स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी करनी चाहिये, यदि मानदेय की राशि परिशिष्ट-ix में निर्धारित राशि से अधिक हो।

स्पष्टीकरण संख्या 2:—नियम 43 (घ) के अधीन एक निर्णय जोड़ा गया है कि किसी दूसरे विभाग के अतिरिक्त कार्य को स्वीकार करने एवं उसका मानदेय प्राप्त करने में कर्मचारियों द्वारा अपने (उधार देने वाले) विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। इसी प्रकार नियम43 (ग) में उल्लेख है कि सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई कर्मचारी निजी अथवा सार्वजनिक संस्था अथवा निजी व्यक्ति के कार्य को स्वीकार नहीं कर सकता है, और उसके एवज में कोई शुल्क भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इन प्रावधानों से कुछ मामलों में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। सरकार ने इस पर विचार कर निश्चय किया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय एवं राजकीय विभागों द्वारा जो परीक्षायें ली जाती है उनके सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कार्य स्वीकृत करने एवं उसके एवज में मानदेय प्राप्त करने की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अतः सरकार आदेश देती है कि एक अधिकारी/कर्मचारी जोसे निम्न-अंकित परीक्षायें लेने वाले निकायों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये बुलाया जाता है, इस शर्त के साथ वह कार्य एवं उसका मानदेय स्वीकार कर सकता है कि ऐसे कार्य उसके साधारण कर्त्तव्यों में कोई बाधा नहीं डालते:—

(1) राजस्थान के विश्वविद्यालय।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं संघीय लोक सेवा आयोग।

(3) अधिकारी प्रशिक्षणालय, जयपुर।

(4) राज्य सरकार के अन्य विभाग।

स्पष्टीकरण संख्या 3:—उक्त स्पष्टीकरण संख्या (2) में सेवा नियम 43 (घ) के अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग में सम्बन्धित कार्य करने एवं उसका मानदेय प्राप्त करने की कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

चूंकि ऐसी परीक्षायें भारत सरकार के सचिवालय-प्रशिक्षणालय द्वारा भी आयोजित की जारही हैं। अतः यह निश्चय किया गया है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्रावधान उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिनको भारत सरकार के सचिवालय-प्रशिक्षणालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्न-पत्र बनाने, उनमें संशोधन करने और उत्तर-पुस्तिका जाचने परीक्षा-फल तैयार करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

[वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1 (55) वि. वि. (नियम) 71 दिनांक 19-8-1971 द्वारा निविष्ट]

आडिट निर्देशन:—आडिट अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में मानदेय तथा शुल्क स्वीकृत करने के कारण बताये जाये ताकि वे स्वीकृति के औचित्य व कारणों का परीक्षण कर सके।

राजकीय निर्णय:—एक प्रश्न उठाया गया है कि निजी सचिव/निजी सहायक/शीघ्रलिपिक आदि जो ऐसे अधिकारियों के साथ लगे होते हैं जिन्हें कुछ निगमों, कम्पनियों के सचालक-मण्डलों के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के रूप में मनोनीत किये जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को निगमों, कम्पनियों द्वारा शुल्क के रूप में राशि दी जाती है। चूंकि निजी सहायक/निजी सचिव/शीघ्रलिपिकक उन अधिकारियों के साथ कार्य करते हैं (जिनके साथ वह लगे होते हैं) तो क्या उन्हे भी निगमों/कम्पनियों मे शुल्क की राशि दी जा सकती है या नही ?

मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया जाता है कि उक्त अधिकारियों के साथ कार्य करने वाले निजी सचिवों/निजी सहायकों/शीघ्रलिपिकों आदि को उन मण्डलों का कार्य करने के एवज में कोई शुल्क अथवा मानदेय नहीं दिया जा सकेगा।

नियम 44:—उन शर्तों एवं सीमाओं के लिये प्रथक से नियम है जिनके अनुसार चिकित्सकों द्वारा व्यवसायिक-सेवायें उपलब्ध कराने एवं उन सेवाओं के लिये प्राप्त शुल्क राज्य सरकार एवं चिकित्सा-अधिकारी के बीच बांटा जा सकता है।

टिप्पणी:—इस नियम के प्रयोजनों के लिये "चिकित्सा-अधिकारी" (मेडीकल-आफिसर) शब्दों के अन्तर्गत मुख्य/जन-विश्लेषक (चीफ/पब्लिक एनेलिस्ट) भी सम्मिलित है।

नियम 45:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (14) वि. वि./ए/नियम 61-I दिनाक 23 अक्टूबर, 1964 द्वारा विलोपित।

नियम 46:—उक्त आदेशानुसार विलोपित।

नियम 47:—जब तक राज्य-सरकार विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा रूप से आदेशित नही करे 400/- रुपये, अथवा वह शुल्क यदि आवर्त्तक है तो 250/- रुपये, की वार्षिक राशि जो कर्मचारी को प्राप्त होती है, से अधिक राशि के 1/3 भाग को सामान्य राजस्व (सरकार के खातों में) मे जमा कराया जावेगा।

टिप्पणी संख्या 1:—यह नियम विश्व-विद्यालय या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में परीक्षक के रूप मे की गई सेवाओं के एवज में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी संख्या 2:—राज्य कर्मचारी किसी न्यायालय के सम्मुख तकनीकी मामलो मे विशेषज्ञ-परामर्श देने के कारण जो शुल्क प्राप्त करता है, वह उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है।

टिप्पणी संख्या 3:—आवर्त्तक अथवा अन.वर्त्तक शुल्क प्रथक-प्रथक समझा जावेगा एवं इस नियम के अन्तर्गत सामान्य राजस्व मे 1/3 भाग जमा कर ने के लिये (दोनो) सम्मिलित नही किया जायेगा। इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित 400/– रुपरे की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले मे लागू समझी जानी चाहिये तथा आवर्त्तक शुल्क के मामले मे एक वित्तीय वर्ष मे प्राप्त किये आवर्त्तक शुल्क के योग के अनुसार सीमा लागू की जानी चाहिये।

राजकीय निर्णय सख्या 1:—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/सवर्ग के अधिकारियों पर भी नियम 47 तथा उसके अन्तर्गत उक्त अंकित प्रावधान लागू होंगे। म.मले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सवर्ग के अधिकारियों के सबध मे उन्हे फन्ड मेन्टल की बजाय नियमों/राजस्थान सेवा नियमोके प्रावधानो द्वारा नियमित किये जावेंगे जो कि नियम एवं उसकी टिप्पणी के प्रावधान के समान है।

दृष्टान्त संख्या 1:—एक कर्मचारी को एक कलेन्डर वर्ष में निम्न-प्रकार आवर्तक शुल्क प्राप्त होता है:—

क्रमांक	माह	शुल्क राशि
1–	जनवरी, 1978	30–00
2–	फरवरी, 1978	140–00
3–	मार्च, 1978	60–00
		——230 रुपये
4–	अप्रेल, 1979	160–00
5–	जून, 1979	100–00
6–	जौलाई, 1979	150–00
7–	सितम्बर, 1979	140–00
		550–00

सेवा नियम 47 तथा उसके अन्तर्गत टिप्पणी क्रमाक–3 के अनुसार आवर्तक राशि की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जानी चाहिए। अतः जनवरी से मार्च 1978 तक प्राप्त 230/– रुपये में से कोई कटौती नहीं होगी। अप्रेल, 79 से सितम्बर, 79 तक प्राप्त(यदि अक्टूबर, 1979 से मार्च. 80 तक और कोई राशि प्राप्त नहीं हो तो) 550/– रुपये में से 100/– रुपये राजकोष में जमा कराने होंगे।

दृष्टान्त संख्या 2:—एक अधिकारी को एक वर्ष में प्रथक 2 तीन अनावर्तक कार्यों (बुकलेटस् तैयार करने) के लिये तीन निकायो से 300/– रुपये, 640/– रुपये तथा 450/– रुपये प्राप्त होते हैं। उसे राजकोष में क्या जमा कराना पड़ेगा?

नियम 47 के अन्तर्गत टिप्पणी क्रमांक–3 के अनुसार अनावर्त्तक शुल्कों की गणना प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू समझी जावेगी। अतः अधिकारी को निम्न-प्रकार राशि जमा करानी होगी:—

(1) 300/– की राशि से कुछ नहीं (400/– से कम होने के कारण)

(2) 640/– की राशि में से केवल 80/– रुपये (240/– का 1/3 भाग)

(3) 460/– की राशि में से केवल 20/– रुपये (केवल 60/– का 1/3 भाग)

उक्त का कारण यह है कि प्रत्येक मामले में रुपये 400/– तक अपने पास रखने का उसे अधिकार है।

दृष्टान्त संख्या 3:—एक कर्मचारी को एक वित्तिय वर्ष में 6 बार में 370/– आवर्त्तक शुल्क प्राप्त होता है। नियम 47 के अनुसार वह 250/– तक अपने पास रखने का अधिकारी है। अतः उसे केवल 40/– ही (120/– का 1/3 भाग) राजकोष में जमा कराने होंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वैधानिक सगठनो, निगमित निकाय, औद्योगिक एव वाणिज्यिक निगमों (जो विभागीय आधार पर नही चलाये जाते) की बैठको में भाग लेने वाले राजकीय अधिकारियो की शुल्क अथवा पारिश्रमिक की राशि ऐसे निगमों, निकायो से वसूल नही की जायेगी जिनका पूर्ण स्वामित्व सरकार पर है। यह उन निकायों से ही वसूल की जावेगी जिनमें राजकीय कोप का विनियोजन हो अथवा जो आशिक रूप से राजकीय कोषो के आधार पर चलती हों। एक निजी कम्पनी के बारे मे जिसे कोई राजकीय वित्तीय सहायता नहीं मिलती अथवा जहा राजकीय कोषों का विनियोजन नही होता—उनसे राजकीय अधिकारियों द्वारा उनके सचालक मन्डल की बैठको मे भाग लेने पर शुल्क अथवा पारिश्रमिक की राशि वसूल की जावेगी।

अर्द्ध-राजकीय/गैर-राजकीय सस्थाओं, जिन्हे राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है से शुल्क/पारिश्रमिक की राशि वसूल करने के मामलो पर वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जावेगा।

शुल्क अथवा पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एव विराम भत्ते आदि की राशि सम्बन्धित राजकीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त अकित मामलो मे सीधे ही स्वीकार नही की जावेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में यात्रा भत्तो के दावे सरकार के लिए एवं उसकी ओर से सम्बन्धित निगमो/निकायो अथवा कम्पनियो को प्रस्तुत किये जावेंगे।

जो राजकीय अधिकारी संचालक मण्डल की बैठको मे भाग लेने गये हों वे अपने यात्रा-भत्ते एवं विराम भत्ते राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार राजकोष से प्राप्त कर सकते है एव ऐसे दावे उसी बजट स्त्रोत् से उठाये जावेंगे जिससे अधिकारी अपना वेतन उठाते है। ऐसे यात्रा भत्ते आदि के बिल्स के साथ यह प्रमाण-पत्र अकित किया जाना चाहिये कि "सम्बन्धित निकाय/सगठन/निगम से ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में कोई यात्रा भत्ता-शुल्क अथवा अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नही किया गया है।"

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यात्रा करने पर राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के अनुसार यात्रा भत्ता/विराम भत्ता, शुल्क अथवा अन्य पारिश्रमिक आदि का दावा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सगठन को प्रस्तुत किया जावेगा और ऐसी वसूल की गई धन राशि को सम्बन्धित विभाग के आयमद मे जमा की जावेगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प (9) (27) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दि. 1-12-77 द्वारा प्रतिस्थापित]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक कर्मचारी को जिसे अध्ययन-पाठ्यक्रम चालू रखने अथवा किसी व्यवसायात्मक अथवा तकनीकी विषयों मे अध्ययन करने के लिये अध्ययन-अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा जो अपने अवकाश-वेतन के अतिरिक्त छात्रवृत्ति या वृत्तिका (स्टाईपेन्ड) राजकीय अथवा अराजकीय स्त्रोत से प्राप्त करता है, नियम 47 के अनुसार वृत्तिका का 1/3 भाग सरकार को जमा कराना चाहिये ?

इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया जाता है कि केन्द्रीय-निधि या राजकीय-सचित-निधि से छात्रवृत्ति या वृत्तिका के रूप मे प्राप्त भुगतान नियम 7 (13) के अन्तर्गत मानदेय माना जाता है। केवल उसी समय जब कर्मचारी उक्त दोनो स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य मार्ग द्वारा छात्रवृत्ति या वृत्तिका प्राप्त करता है तो उसे शुल्क के रूप में समझा जावेगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अध्ययन-अवकाश या अन्य अवकाशों की अवधि में अध्ययन-पाठ्यक्रम चालू रखने या व्यवसायात्मक या तकनीकी विषयों में अध्ययन के लिये यदि कोई कर्मचारी केन्द्रीय-सचित-

निधी या राजकीय-सचित-निधी के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतो से छात्रवृत्ति अथवा वृत्तिका प्राप्त करे तो नियम 47 के अनुसार उसमें कोई कटौती नही की जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 24 सितम्बर 1969 के अनुसार सेवा नियम (9) के अन्तर्गत साहित्यिक, सास्कृतिक एव कलात्मक कार्यों से अर्जित आय यदि उस कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में अर्जित ज्ञान से समर्थित हो तो वह राशि "शुल्क" होती है। जब ऐसी आय केन्द्रीय-संचित-निधि के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से प्राप्त होती है तो वह नियम 47 के प्रावधान के अन्तर्गत आती है। इस बारे में यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने सेवा-काल मे अर्जित ज्ञान की सहायता से कोई पुस्तक लिखे और वह पुस्तक केवल राजकीय नियमों, उप-नियमों या पद्धतियों का सकलन मात्र नहीं हो अपितु वह लेखक के विषय के गहन अध्ययन एव उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट करे तो ऐसी पुस्तक के बेचने एव उससे प्राप्त रॉयल्टी से होनी वाली आय पर नियम 47 के प्रावधान प्रभावी नहीं किये जाने चाहिये। अतः ऐसे मामले में नियम 47 के अन्तर्गत छूट देने की अनुज्ञा करते समय इस सम्बन्धी एक प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय किया गया है कि नियम 49 के अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किये गये आविष्कार से प्राप्त होने वाली आय को भी नियम 47 के प्रावधानो के अनुसार शुल्क नही माना जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 5·—नियम 47 के अन्तर्गत अधिकारो के प्रयोग मे सरकार ने सभी कर्मचारियों को जो विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा-मडल या अन्य परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के लिये परीक्षक, प्रश्न-पत्र जाचने वाले अधीक्षक, परिवीक्षक अथवा उत्तर-पुस्तिका जाच-कर्त्ता के रूप में सेवाओ के लिये नियुक्त किये जाय और वे वह कार्य अपने वैधानिक कर्त्तव्यो मे बिना किसी बाधा के पूर्ण कर सके तो उन्हें ऐसा कार्य करने एव उसके एवज में शुल्क प्राप्त करने की अनुमति है। इसी प्रकार अपने पद के कर्त्तव्यों मे बिना-बाधा-डाले राज्य-कर्मचारी नगर-पालिकाओं, पचायत-समितियो आदि के कार्य स्वीकार कर सकता है और उनसे शुल्क भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा भुगतान नियम 47 के अन्तर्गत शुल्क नहीं माना जायेगा।

फिर भी सेवा नियम 43 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे एव उसके अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कोई कार्य न तो स्वीकार किया जायेगा और नही उसके एवज में शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 6:–नियम 47 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (2) के अनुसार एक अधिकारी को उसकी राजकीय-हैसियत से किसी कम्पनी, सहकारी समिति, स्वशासित निकाय, औद्योगिक एव वाणिज्यिक निगम अथवा वैधानिक रूप से पंजिकृत सस्था के सचालक-मण्डल के सदस्य के रूप मे भाग लेने पर जो शुल्क अथवा राशि (यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता शुल्क) कम्पनी द्वारा दी जाती है–उसे राजकोष मे जमा कराना होता है और अधिकारी राजस्थान यात्रा-भत्ता नियमों के अनुसार अपना यात्रा-भत्ता एव दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकता है।

इस सम्बन्ध मे यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या जब ऐसा अधिकारी अपने अवकाश का उपभोग, अपने मुख्यावास के बजाय अन्य स्थान पर, चाहे वह उसका घर का स्थान हो या अन्य स्थान हो, कर रहा है और उसे ऐसी किसी कम्पनी अथवा निगम अथवा संस्था के सचालक-मण्डल की बैठक मे भाग लेना हो तो वह राजस्थान यात्रा-भत्ता नियमो के अनुसार इस यात्रा को दौरे के रूप में यात्रा मानकर क्लेम करने का अधिकारी है, किन्तु ऐसा यात्रा-भत्ता उस सीमा तक ही प्राप्त करेगा जो उस सस्था अथवा कम्पनी द्वारा दिया गया है।

इस प्रश्न की जाच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले मे सम्बन्धित अधिकारी राजस्थान यात्रा-भत्ता नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपना यात्रा-भत्ता "दौरे-की-यात्रा" के अनुसार राजकोष से

प्राप्त कर सकता है, किन्तु शर्त यह है कि वह उस समय अवकाश-यात्रा-सुविधा (लीव-ट्रेवल-कन्सेशन) का लाभ नही ले रहा है। यदि लाभ ले रहा है तो उसे वह लाभ नही मिलेगा किन्तु उसके परिवार के सदस्यों को उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (13) वि वि./नियम/71 दिनांक 18 मार्च, 71 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय:—राजकीय अधिकारी जो कम्पनियों के संचालक मण्डलों की बैठकों, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासित निकायों, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक निगमों अथवा नियमित निकायों, विधि निर्मित सगठनों और अन्य प्रतिष्ठान अथवा परामर्शदात्रि सलाहकार समिति जो किसी स्वायत्त-शासित निकाय अथवा विधि-निर्मित अथवा गैर-विधि सम्मत निगमों, कम्पनियों आदि की बैठकों मे राजकीय-प्रतिनिधि के रूप में जब भाग लेने जावें तो वे अधिकारी उन कम्पनियों/निगमों/निकायों से शुल्क अथवा अन्य पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एव विराम भत्ता सहित) प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हे एसे निकाय द्वारा दिया जाय एव उन्हें वह समस्त-राशि संबधित विभाग के आय मद मे जमा करा देनी होगी।

ऐसा अधिकारी राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के सबधित प्रावधानो के अनुसार ऐसी यात्राओं के एवज में यात्रा-भत्ता तथा विराम भत्ता आहरित कर सकता है। ऐसी यात्रा के सम्बन्ध मे प्राप्त यात्रा-भत्ता-बिल में उस अधिकारी को एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करना होगा कि उसे जो शुल्क अथवा पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता सहित) सम्बन्धित निकाय द्वारा दिया गया था उससे सबधित राशि को उसने राजकीय-कोष में जमा करा दी है। उसे ऐसे प्रमाण-पत्र मे नकद जमा कराने की रसीद का क्रमाक तथा दिनाक अथवा कोष चालान का नम्बर व दिनाक तथा बजट-मद आदि की सूचना भी अंकित करनी होगी।

स्थानीय बैठकों के मामलों मे जहा ऐसा अधिकारी राजकीय प्रतिनिधि के रूप में किसी निकाय/निगम की बैठक मे भाग लेने जावे तो वह ऐसी प्रत्येक बैठक के एवज मे 15/- रुपया प्रति बैठक के हिसाब से वाहन-व्यय के रूप मे प्राप्त कर सकता है। यदि वह अधिकारी विभागीय-वाहन अथवा स्वायत्त-शासित निकाय/कम्पनियों/मण्डलो आदि की वाहन उपयोग मे ले तो ऐसी बैठको मे भाग लेने के लिये जाने तथा आने के प्रयोजनार्थ उसे कुछ नही मिलेगा।

[अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (क) (27) वि वि. (ग्रुप–2) 77 दिनांक 7-5-79 द्वारा निविष्ट/इस निर्णय से वर्तमान राजकीय निर्णय संख्या–2 (पृष्ठ 109) दिनांक 7-5-79 से प्रतिस्थापित हो गया है]

राजकीय निर्णय संख्या 7:— एक राजकीय-अधिकारी को, जिसे अपने स्वय के पद के कार्यों के अतिरिक्त वैदेशिक सेवा मे अथवा स्वायत्त-शासित निकाय मे किसी पद के कार्य-सम्पादन (अतिरिक्त रूप से) करने को कहा जावे तो ऐसे अधिकारी को पारिश्रमिक/भुगतान से सबधित प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। इस मामले पर विचार कर लिया गया है एव राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे मामलों में भुगतान योग्य "शुल्क" जो सबधित अधिकारी को भुगतान किया जा सकेगा, वह निम्न प्रकार होगाः—

(i) (क) अखिल भारतीय सेवा/सवर्ग के एक अधिकारी जो अपने स्वय के पद के कार्यों के अतिरिक्त किसी सस्था/स्वायत्त-शासित निकाय/प्राधिकरण आदि के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पद का अतिरिक्त, पूर्ण समय का, कार्य भी करने को कहा जाय, उदाहरणार्थ यदि एक ऐसे अधिकारी को अपेक्स-सहकारी-सस्था या कृषि-विपणन मण्डल अथवा अर्द्ध-सरकारी/स्थानीय स्वायत्त-शासित-निकाय में पूरे समय के लिये अतिरिक्त कार्य सम्पादन के लिये अध्यक्ष/प्रबन्ध-निदेशक के पद पर कार्य करने के लिये कहा जावे तो उन्हे उनके मूल-वेतन का 20%, जो 300/- रुपये प्रति-माह से अधिक नहीं होगा, अपने स्वय के पद के कर्तव्यों के अलावा अतिरिक्त कर्तव्य-सम्पादन के लिए शुल्क (फीस) प्राप्त होगी।

(ख) यदि उपरोक्त-अंकित श्रेणी का एक अधिकारी केवल किसी ऐसी संस्था का अध्यक्ष/प्रबन्ध-निदेशक अथवा किसी अन्य प्रकार की संस्था में मनोनीत किया जाय, किन्तु उसका कार्य मुख्यतया पूर्ण समय का न होकर केवल ऐसी संस्था की बैठक की अध्यक्षता करना ही हो तथा प्रति-दिन के लिये कोई कार्य-उत्तरदायित्व नहीं हो-क्योंकि उस संस्था में पूरे कार्य करने के लिये प्रबन्ध-निदेशक अथवा महा-प्रबन्धक आदि लगा हो, तब ऐसे अधिकारी को उपरोक्त अंकित शुल्क परिश्रमिक के रूप में नहीं मिल पावेगा किन्तु उसे राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 26 के क्रमांक 8 के अनुसार वाहन-व्यय ही प्राप्त होगा।

(ii) जिलाधीश जिन्हें अपने स्वयं के मुख्य कार्यों के अतिरिक्त स्वायत्त-शासित-निकाय जैसे लघु-कृषक-विकास-संगठन/जिला-विकास-संगठन तथा अन्य इसी प्रकार के निकायों के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाय अथवा उन्हें किसी नियम/आदेश के अनुसार ऐसी संस्था के अध्यक्ष पद का कार्य, जिलाधीश के पद पर होने के कारण, सम्पादित करना पड़े तो उन्हें अपने मूल वेतन का 15%जो 250/- रुपये प्रति-माह से अधिक नहीं होगा, शुल्क के रूप में प्राप्त हो सकेगा।

(iii) राजपत्रित राज्य-कर्मचारी जो उपरोक्त उप अनुच्छेद (i) तथा (ii) से आवृत्त नहीं होते हों, उन्हें उनके मूल वेतन का 15% जो अधिकतम 150/- रुपये माह होगा, शुल्क के रूप में दिया जा सकेगा। यदि उसे कृषि उपज मण्डी-समिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंक अथवा नगर विकास न्यास अथवा अन्य स्वायत्त-शासित-निकाय आदि में प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी के रूप में कार्य करने को नियुक्त/मनोनीत किया जाय और वे अपने राजकीय पद के कार्यों के एवज में उक्त अंकित दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य भी सम्पादित करें।

(iv) उपरोक्त उप अनुच्छेद (i) से (iii) में वर्णित मामलों में जब एक राज्य-कर्मचारी उपरोक्त अंकित संस्थाओं में से एक से अधिक संस्था में नियुक्त/मनोनीत किया जाय अर्थात् उसे अपने पद के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त एक से अधिक स्वायत्त-शासित-संस्थाओं/निकायों में कार्य करना पड़े तो ऐसा अधिकारी किसी एक संस्था से ही एक समय में उपरोक्त अंकित दर से शुल्क प्राप्त कर सकेगा। अर्थात् एक से अधिक पदों पर अतिरिक्त कार्य करने पर भी अधिकारी को एक ही अतिरिक्त-पद के एवज में शुल्क देय होगा।

(2) उपरोक्त अनुच्छेद में अंकित "शुल्क" एक राज्य-कर्मचारी को उस अवधि के लिये ही देय होगा जिसमें वह किसी संस्था/निकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य, अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त, करेगा और वह ऐसा शुल्क सेवा नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार राज-कोष में जमा करने से मुक्त होगा। दूसरे शब्दों में ऐसा शुल्क अतिरिक्त कार्य की वास्तविक अवधि में ही दिया जावेगा चाहे उसकी अवधि (सीमा) कुछ भी हो।

(3) एक राज्य-कर्मचारी जो प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-सेवा में किसी स्वायत्त संस्था/निकाय/नियम अथवा सार्वजनिक-संस्थान आदि में कार्य कर रहा हो और उसे किसी राजकीय विभाग/पद पर भी अतिरिक्त कार्य करने के लिये कहा जाय तो उसे भी उप-अनुच्छेद-(i) में अंकित दर से मानदेय दिया जा सकेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के पूर्व के आदेश क्रमांक एफ. 1(57) वि. वि. (व्यय-2) 74

दिनाक 30-12-1974 के अतिक्रमण मे जारी किया जाता है और यह आदेश दिनाक 1-10-1978 से प्रभावशील माना जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (57) वि वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 23-5-79 द्वारा निविष्ट]

टीका:—उक्त निर्णय में 30-12-74 के जिस आदेश का हवाला है वह सेवा नियम 35 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या-2 के रूप में जोड़ा हुवा था। हमारे पूर्व के संस्करण में वह पृष्ठ 103-104 पर था।

टिप्पणी—उपरोक्त निर्णय के प्रावधान विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा लेने वाली अन्य संस्था मे परीक्षक के रूप में कार्य करने पर जो राज्य-कर्मचारी अपनी सेवाओ के एवज मे शुल्क प्राप्त करते है, उन पर प्रभावी नही होते है।

टीका—नियम 7 (8) के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार उन अधिकारियों को जिन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किन्हीं संगोष्ठियों में भाषण देने को आमंत्रित किया जावे और उसकी एवज में वे मानदेय दें तो उन्हें उसे बिना किसी अनुमति एव कटौती के अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है।

नियम 48 :-बिना विशिष्ट आज्ञा के स्वीकार्य भुगतानः—राज्यपाल महोदय के सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशो द्वारा किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी बिना विशिष्ट-स्वीकृति के, निम्न-अंकित मामलों में भुगतान प्राप्त करने एवं उसे अपने पास रखने को अधिकृत किया जाता है:—

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबन्ध अथवा योजना के लिये दी गई राशि,

(ख) न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अपराधी को गिरफ्तार कराने अथवा कोई सूचना देने अथवा विशिष्ट-सेवा के एवज में प्राप्त पारितोषिक।

(ग) किसी अधिनियम अथवा नियमों में या उसके अन्तर्गत बनाये गये उप-नियमों के अनुसार कोई पारितोषिक या पुरस्कार प्राप्त किया हो।

(घ) कस्टम या आबकारी नियमों के अनुसार प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिये स्वीकृत पारितोषिक।

(ड.) किसी विशेष या स्थानीय निगम अथवा सरकार के आदेशो द्वारा सरकारी हैसियत से की गई सेवाओं के लिये कर्मचारी को प्राप्त भुगतान।

(च) राजस्थान नागरिक सेवायें (पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृति) नियम, 1973 के अनुसार कर्मचारियो को सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार द्वारा नकद राशियां।

दृष्टान्त :—जनवरी 1978 में आर. ए. सी. के एक लिपिक ने अपनी जानकारी तथा सतर्कता के कारण राजस्थान-पाकिस्तान की सीमा पर 10 बोरी लौंग की कस्टमस् विभाग के अधिकारियो को बताकर जब्त कराई। इस पर लिपिक को 500/- रुपयों का पुरस्कार कस्टमस् विभाग ने उनके नियमों के अनुसार प्रदान किया जिसे लिपिक ने बिना कमान्डेन्ट को सूचित किये अपने पास रख लिया।

नियम 48 (घ) के अनुसार ऐसा पुरस्कार बिना अनुमति प्राप्त करे ही रखा जा सकता है। अतः लिपिक ने इस मामले में कोई अनियमितता नहीं की है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्य कर्मचारियों द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रमों मे भाग लेने एवं मानदेय स्वीकार करने के आदेश देने से सबंधित प्रश्न की जाच भारत सरकार के गृह-मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर की गई है। यह निर्णय किया गया है कि यदि आकाशवाणी पर प्रस्तावित प्रसारण मूलतः साहित्यिक, कलात्मक एव वैज्ञानिक प्रकृति के हो तो उनके प्रसारण के लिये किसी आदेश की आवश्यकता नही है। ऐसे मामलो मे यह निश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी पर होगा कि वह प्रसारण इस प्रकृति का है अथवा नही।

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उस प्रथा से सहमत हो गई है जिसके अनुसार एक सरकार द्वारा अन्य सरकार के कर्मचारियो को दिये जाने वाले सभी भुगतान मानदेय के रूप में माने जाते हैं एव उनके किसी भी भाग की वसूली उसे "शुल्क" मान कर नही की जा सकेगी। यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले जिनमे प्रसारण के लिये कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है उनमें कर्मचारियो को मानदेय प्राप्त करने के लिये भी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। जिन मामलों मे प्रसारण की स्वीकृति आवश्यक है वहां ऐसी स्वीकृति में, यदि जारी की जा चुकी हो तो मानदेय प्राप्त करने की अनुमति भी सम्मिलित मानी जानी चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह आदेश दिया जाना है कि सरकारी कर्मचारियों को परिवार-नियोजन-कार्यक्रम के प्रसारण के सम्बन्ध मे आकाशवाणी पर प्रसारण के लिये कोई अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नही है।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—यह आदेश दिया जाता है कि सरकार के उन कर्मचारियों को जो आकाशवाणी पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता एव पंचायत तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में प्रसारण करें, उन्हे भी इसके लिये कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के अन्तर्गत निर्णय सख्या (2) के द्वारा कर्मचारियों को स्थाई अनुमति दी गई थी कि वे सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आकाशवाणी पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते है। इस सम्बन्ध मे आशका व्यक्त की गई है कि क्या ऐसे कर्मचारी को इस प्रसारण के लिये देय मानदेय भी बिना सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के स्वीकार किया जा सकता है? यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिये मानदेय प्राप्त करने की प्रथक से स्वीकृति अनिवार्य नही है।

नियम 49:—अनुसंधान कार्यो पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा किसी आविष्कार के स्वाधिकार (पेटेन्ट-राइट) प्राप्त करने का निषेध:—एक कर्मचारी जिसकी सेवायें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने की हो, सरकार की स्वीकृति से तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किये गये आविष्कार का स्वाधिकार प्राप्त करने के लिये निवेदन नही करेगा या उसे प्राप्त नही करेगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में निवेदन करने के लिये अथवा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय 6

नियुक्तियों का संयोजन

नियम 50-नियुक्तियों का संयोजनः—राज्य सरकार किसी कर्मचारी को किसी एक समय में दो स्वतन्त्र पदों पर स्थायी/अस्थाई अथवा कार्यवाहक रूप से एक साथ कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसी अवस्था में कर्मचारी का वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगाः—

(क) वह उन पदों में से किसी एक पद का अधिकतम वेतन, जिसे वह पाने का अधिकारी होता, यदि उसकी नियुक्ति उनमें से किसी एक पद पर स्वतन्त्र रूप से होती और जिसका वेतन वह उस पद पर (अकेले-पद पर) रहने के कारण प्राप्त करता।

(ख) दूसरे पद के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो सरकार निर्धारित करे किन्तु वह किसी परिस्थिति में उस दूसरे पद के काल्पनिक (प्रिजम्पटीव) वेतन के 5 वे भाग से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणीः—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (16) वि. वि./(व्यय-नियम) 65 दिनाक 27 मार्च, 1964 द्वारा विलोपित।

(ग) यदि उसके किसी पद या पदों के साथ क्षतिपूरक अथवा सत्कार (सम्चूरी) भत्ते स्वीकृत हों तो सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे क्षतिपूरक एवं सत्कार भत्ते प्राप्त कर सकता है, जिन्हें सरकार निश्चित करे, किन्तु ऐसे भत्ते उन पदों के साथ देय क्षतिपूरक एवं व्यय-पूरक भत्तों की राशि से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणियांः—टिप्पणी संख्या (1) से (5) तक वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 8 (28) एफ. II/55 दिनांक 9 अगस्त, 1962 द्वारा विलोपित।

नियम 50-एः—वित्त विभाग के आदेश संख्या 9126/57 एफ. 7 ए (16) वि. वि./ए/नियम/57 दिनांक 8 फरवरी, 1958 द्वारा विलोपित एवं दिनाक 1 नवम्बर, 1956 से प्रभावशील।

नियम 50-बीः—वित्त विभाग के उक्त आदेशों द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1956 से विलोपित।

ऑडिट निर्देशनः—नियम 50 (ख) के प्रयोजनों के लिये काल्पनिक वेतन वह समझा जाना चाहिये जिसे कर्मचारी अतिरिक्त पदो के कार्य-सम्पादन के लिये नियम 26 के अनुसार अतिरिक्त पद के वेतनमान मे उसे स्थानान्तरित कर दिये जाने पर प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करे जैसे मानो उस कर्मचारी का उस पद पर अस्थाई रूप से स्थानान्तरण कर दिया गया हो। फिर भी ऐसे मामले में जहा नीचे के पद का अधिकतम वेतन कर्मचारी के स्थाई पद के वेतन से कम हो तो नीचे के पद के अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ काल्पनिक वेतन समझा जाना चाहिये।

दृष्टांत संख्या 1 :—जिला कोषाधिकारी बूंदी, जिसे वेतनमान 750–1350 में 1140/– मासिक वेतन मिल रहा है, को जिलाधीश बूंदी ने अपने आदेशों द्वारा उप-जिलाधीश (जागीर)

बूंदी के पद पर कार्य करने के लिये कहा। यह दूसरा पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा का है जिसका वेतनमान 1150–50–1650 है। कोषाधिकारी ने अपने पद के कार्यों के साथ-साथ इस पद के कार्यों को भी 91 दिन तक, उपजिलाधीश (जागीर) बूंदी के अवकाश पर जाने के कारण, सम्पन्न किया। कोषाधिकारी को इस दूसरे पद के कार्यों के लिये क्या प्राप्त हो सकता है ?

राजस्थान सेवा नियम 35 के अन्तर्गत 9-8-1962 द्वारा जोड़ गये स्पष्टीकरण के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार कोषाधिकारी, बूंदी को केवल अपने ही वेतन का (प्रिजेम्पटीव-पे-आफ-हिज-ओन-पोस्ट) 10% विशेष-वेतन के रूप में मिलेगा क्योंकि वे उपजिलाधीश (जागीर) के पद पर नियुक्ति की योग्यता/पात्रता नहीं रखते हैं।

दृष्टांत संख्या 2 :—सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिशाषी-अभियन्ता 1150–50–1650 के वेतनमान में 1600/- रु. मासिक वेतन तथा 150/- रु. मासिक विशेष-वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें एक दूसरे क्षेत्र के अधीक्षण-अभियन्ता के अवकाश के कारण हुए रिक्त पद पर 120 दिन के लिये अपने स्वयं के पद के साथ-साथ उस दूसरे पद के कार्यों को भी देखने के लिये नियुक्त किया जाता है। दूसरे पद का वेतनमान 1700–60–2000 है तथा अधिशाषी-अभियन्ता इस उच्च पद पर पदोन्नति की योग्यता रखते हैं। अधिशाषी अभियन्ता को इस अवधि में क्या यथावेतन दिया जाना चाहिये ?

सेवा नियम 35 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता को इस 120 दिवस की अवधि के लिये अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यवाहक रूप से पदोन्नत कर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में उन्हें 1700/– रु. मासिक वेतन तथा अपने पद का भी कार्य करने के एवज में अपने ही वेतन का 20% विशेष-वेतनके रूप में मिलेगा। 150/- मासिक विशेष-वेतन इस अवधि में देय नहीं होगा।

दृष्टांत संख्या 3 :—सचिवालय का एक अनुभाग-अधिकारी वहां एक अस्थाई पद पर कार्यरत है। अधिकारी को स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश पर जाना पड़ा। वह 31-1-1979 से अवकाश पर गये। उम्मीद यह थी कि वे लम्बे समय तक अवकाश पर रहेंगे। उनके अवकाश काल में उसी विभाग के सहायक लेखाधिकारी को अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त अनुभाग-अधिकारी के पद का कार्य देखने के लिये भी नियुक्त किया गया। इसी बीच दिनांक 1–3–1979 से अनुभाग अधिकारी का वह अस्थाई पद समाप्त हो गया। बताइये सहायक लेखाधिकारी को इस दूसरे पद के कार्य के एवज में क्या मिलेगा ?

चूंकि सहायक लेखाधिकारी ने केवल 31-1-79 से 28-2-79 तक अर्थात् 29 दिवस ही इस दूसरे पद (अनुभाग अधिकारी) का कार्य किया। अतः उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के एवज में कुछ नहीं मिलेगा।

दृष्टांत संख्या 4:—जिला सीकर की एक राजकीय डिस्पेन्सरी के प्रभारी-चिकित्सक को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के अवकाश पर जाने के कारण हुए रिक्त पद पर 91 दिन के लिये, अपने स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त कार्य करने का आदेश दिया जाता है। चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान 750–1350 में 1220/- वेतन मिल रहा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का वेतनमान 1000–1600 है। चिकित्सा अधिकारी इस

पद पर पदोन्नति की वांछित योग्यता नहीं रखते हैं। चिकित्सा अधिकारी को इस दूसरे पद के कार्यों के लिये क्या प्राप्त होगा? यदि प्रभारी चिकित्सक दूसरे पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता तो उसे क्या मिल पाता?

सेवा नियम 35 के अन्तर्गत दिनांक 9-8-62 के स्पष्टीकरण के अनुसार चिकित्सा अधिकारी को दूसरे पद के कार्य करने के एवज में केवल 10% (अपने वेतन का) विशेष-वेतन के रूप में मिलेगा। यदि प्रभारी चिकित्सक उच्चतर (दूसरे पद पर) पदोन्नति की योग्यता रखता तो उसे इस अवधि के लिये उस पद पर कार्यवाहक रूप से पदोन्नत कर दिया जाता और उसे जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर 1270/- रुपये वेतन दिया जाता तथा अपने स्वयं के पद के कार्यों के लिये अपने वेतन का 20% विशेष वेतन के रूप में मिलता है।

दृष्टान्त संख्या 5:—आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में अतिरिक्त निदेशक का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा मे 1150–50–1650 के वेतनमान मे है। वहां निदेशक का पद राजस्थान आयुर्वेद सेवा में है जिसका वेतनमान 1550–1900 है। पद के साथ 100/- मासिक आने-जाने वालों के स्वागत-सतकार के लिये सत्कार भत्ता भी स्वीकृत है।

निदेशक के पदधारी के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण अतिरिक्त निदेशक को ही उस पद का कार्यभार, अपने पद के अतिरिक्त देखने के, राजकीय आदेश जारी किये गये। अतिरिक्त निदेशक ने निदेशक के पद का कार्य 91 दिवस तक देखा था। उनका वेतन 1350/- है। बताइये अतिरिक्त निदेशक को इस अवधि में क्या वेतन आदि प्राप्त हो सकते है?

राजस्थान सेवा नियम 35 के अन्तर्गत 9-8-62 के स्पष्टीकरण तथा नियम 50 (ग) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक को अपने पद का पूर्ण वेतन तथा निदेशक के पद पर कार्य करने के एवज में अपने ही वेतन का 10% विशेष वेतन के रूप में प्राप्त होगा कारण कि वह निदेशक के पद पर नियुक्ति की योग्यता/पात्रता नहीं रखते हैं। अलबत्ता इनको 100/- मासिक वह सत्कार-भत्ता मिल जावेगा। अतः अतिरिक्त निदेशक को निम्न-प्रकार वेतन आदि प्राप्त होगा:—

1.	स्वयं का वेतन	1350/- मासिक
2.	निदेशक के पद के साथ देय सत्कार भत्ता	100/- मासिक
3.	निदेशक के पद के कार्य सम्पादन के एवज में	135/- मासिक
	रुपये	1585-00 रुपये मासिक

91 दिन तक देय होगा:

राजकीय निर्णय संख्या 1:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 8 (28) एफ/II/55 दिनाक 9 अगस्त, 1962 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 2688/57 एफ. 8 (38) एफ. II/55 दिनाक 22 जुलाई, 1957 द्वारा विलोपित।

अध्याय 7

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

नियम 51:—जब कोई कर्मचारी, सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के आधार पर, अस्थाई रूप से बाहर, भारत में धारित पद के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में या किसी विशेष कार्य के लिये, अस्थाई रूप से प्रति-नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के अधिकारियों पर प्रभावी निम्न-अंकित नियमों के अनुसार नियमित होंगे:—

"भारत सरकार के अधिकारियों के भारत से बाहर सेवा के लिये प्रति-नियुक्त किये जाने पर वेतन एवं भत्ते नियमित करने के निर्देश:—

मौलिक नियम (एफ आर.) 51 (1):—जब कोई अधिकारी सक्षम-स्वीकृति के आधार पर अस्थाई रूप से भारत के बाहर, भारत में धारित अपने पद के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष-कार्य के लिये प्रति-नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसके प्रति-नियुक्ति-काल में उसे वही वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है जिसे वह भारत में सेवा पर रहने पर प्राप्त करता रहता। किन्तु यदि एक अधिकारी औसत-वेतन पर भारत के बाहर पूर्व में ही अवकाश का उपभोग कर रहा हो तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे और अवकाश पर रहने को कहा जाय तो ऐसे मामले में उस अधिकारी को उस दिन से अपने अवकाश-वेतन के अतिरिक्त स्वयं के वेतन का 1/6 भाग अतिरिक्त भुगतान के रूप में मिलेगा जिसे यदि वह भारत में रहता तो प्राप्त करता। भारत से जाने एवं आने का यात्रा-व्यय अधिकारी द्वारा ही वहन किया जायेगा।

टिप्पणी:—वेतन का वह भाग जिसे अधिकारी को भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति के समय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार निश्चित किया जावेगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी को विदेश में क्षतिपूरक-भत्ता उस धन-राशि तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति औचित्यपूर्ण समझें।

उक्त उप नियम (1) तथा (2) के अन्तर्गत वेतन, अतिरिक्त भुगतान या क्षतिपूरक भत्तों के समान विदेशी मुद्रा विनिमय की ऐसी दर से गिनी जायेगी जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करे।

मौलिक नियम 51–ए–:—जब किसी अधिकारी को सक्षम-स्वीकृति द्वारा जिस सेवा के संवर्ग से उसका सम्बन्ध है उसमें नियुक्त पद के अतिरिक्त अन्य नियमित रूप से गठित स्थाई अथवा अर्द्ध–स्थाई पद धारित करते हुए, भारत के बाहर, कर्त्तव्य पर प्रति-नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन भारत सरकार के आदेशों द्वारा नियमित किया जावेगा।

भारत सरकार के अधीन सेवारत असैनिक-अधिकारियों को जो यूरोप, जिसमें नियर-ईस्ट व अमरिका भी सम्मिलित है, में दी गई सुविधाओं को मौलिक नियमों के भाग-2 के परिशिष्ट vii में दर्शाई गई हैं।

स्पष्टीकरण:—जब कोई अधिकारी भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसके लिए एक प्रथक-पद सृजन की आवश्यकता के बारे में तथा वेतन एवं भत्तों को नियमित करने के बारे में बराबर सन्देह व्यक्त किये गये है।

यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 51 के अधीन किसी भी राजकीय कार्य को सम्पन्न करने के लिये बाहर प्रतिनियुक्त अधिकारी को किसी संस्था के प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य के रूप में बैठकों अथवा संगोष्ठियों मे भाग लेने के लिये भेजने पर उसे "कर्त्तव्य पर" समझा जाता है। इसी प्रकार कभी-कभी किसी अधिकारी को प्रशिक्षण मे भेजते हुए "कर्त्तव्य पर" समझा जाता है। दोनो मामलो में उसके भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति पर रहने के कारण रिक्त-पद को भरने के लिये स्थानापन्न व्यवस्था की जा सकती है तथा बाहर प्रतिनियुक्त अधिकारी को वेतनादि देने के लिये किसी नये पद का सृजन आवश्यक नही है। बाहर प्रति-नियुक्त अधिकारी को "विशेष कर्त्तव्य पर" समझा जाता है। यद्यपि किसी भी पद के विरूद्ध वह अपना वेतन प्राप्त नही करता है तो भी उसका वेतन वही समझा जाता है जो वह भारत में कर्त्तव्यरत रह कर प्राप्त करता।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह निर्णय किया गया है कि जब एक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रसंघ, कोलम्बो-योजना, चार-सूत्रीय कार्यक्रम आदि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओ के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है और ऐसी प्रशिक्षण योजना किसी भी संस्था (रॉक-फैलर, फोर्ड-फाउन्डेशन, आदि) द्वारा क्रियान्वित की जाती हो तो उनकी प्रति-नियुक्ति की शर्तो की स्वीकृति निम्न-प्रकार से नियमित की जावेगी:—

(i) **वेतन:**—भारत मे अपने पद से अधिकारी की अनुपस्थिति का समस्त समय उसके पूर्ण-वेतन पर प्रतिनियुक्ति-काल के रूप मे माना जायेगा जिसे वह अधिकारी यदि भारत मे सेवारत रहता तो प्राप्त करता।

(ii) **महंगाई भत्ता:**—अपने प्रशिक्षण के प्रथम 6 माह की अवधि में सबधित अधिकारी को महगाई भत्ता उस दर पर स्वीकृत किया जा सकता है जिस पर यदि वह भारत मे रहता तो प्राप्त करता। 6 माह की प्रशिक्षण-अवधि के लिये कोई महगाई भता देय नही होगा। फिर भी यदि अधिकारी ने सशोधित वेतनमान नियम 1961 के अनुसार वर्तमान (पुराना) वेतनमान ही रखा है या वह महगाई वेतन, वित्त विभाग के आदेशानुसार, प्राप्त करने का अधिकारी हो तो उसे 6 माह के बाद की प्रशिक्षण अवधि मे महगाई भत्ता, बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि के वेतन के अनुपात मे स्वीकार किया जा सकता है।

(iii) **मकान किराया भत्ता या किराये की वसूली:**—उसी समान दर से जिसे वह भारत में सेवारत रहने पर प्राप्त करता। प्रशिक्षण की पूर्ण-अवधि का मकान किराया भत्ता, नियम 6 (ग) के अनुसार मिलेगा। यदि अधिकारी को प्रति-नियुक्तिकाल मे राजकीय निवास की सुविधा की अनुमति दे दी जाती है तो उससे किराया साधारण रूप में उस दर से वसूल किया जाना चाहिये जो उससे भारत में सेवारत रहने पर वसूल किया जाता।

चूंकि इन आदेशो के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की शर्तें वर्तमान शर्तो की तुलना मे किंचित अधिक उदार होंगी, अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रशिक्षण-काल मे विदेशो मे प्रतिनियुक्त-अधिकारियों की प्रति-नियुक्ति-अवधि नितान्त अवश्यक समय से अधिक नही होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओ के अन्तर्गत विदेश मे अधिकारियो का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के चाहने पर ही होना चाहिये। किसी भी स्थिति मे अधिकारियो को स्वयं विदेशी सरकारों अथवा संस्थाओ से छात्रवृत्तिया प्राप्त करने के लिये सीधा प्रयास या सम्पर्क नहीं करना चाहिये। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित शर्तो के अनुसार विदेशों में प्रशिक्षण के लिए कार्यवाही/रिपोर्ट करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारी की सेवायें एक उचित समय के लिये राज्य सरकार को उपलब्ध हो सकेंगी। जैसे अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उसे न्यूनतम 4 वर्ष तक राजकीय-सेवा करनी होगी

एव इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकारी को प्रशिक्षण वाले विषय का पर्याप्त रूप से पूर्व ज्ञान है। अत: प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा भेजे जाने वाले अधिकारियो की प्रतिनियुक्ति की शर्तों को स्वीकृत करने में सामान्यतः निम्न-अंकित बातो से सतुष्ट हो जाना चाहिये —

(क) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जानी चाहिये एव उस अवधि तक उसे सेवा-निवृत्त करने की सम्भावना नही होनी चाहिये ।

(ख) यदि कोई अधिकारी सरकार की अस्थाई सेवा मे नियुक्त हो तो प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद न्यूनतम 4 वर्ष उसके सेवा मे रहने की सम्भावना होनी चाहिये तथा उसे लिखित मे इस बात का एक प्रतीज्ञा-पत्र भरकर देना चाहिये कि वह प्रशिक्षण के बाद न्यूनतम 4 वर्ष तक राजकीय सेवा करने को सहमत है ।

(ग) अधिकारी ने प्रशिक्षण के पूर्व न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है। इस अवधि मे ऐसी स्थिति मे शिथिलता की जा सकती है जहा प्रशिक्षण की प्रकृति इस प्रकार के प्रतिबन्ध पर जोर नही देती हो। दूसरे शब्दो मे जहा व्यक्ति इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया हो कि उसको नियमित कर्त्तव्यों पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण के लिये जाना चाहिये ।

(घ) ऐसे मामले मे प्रतिनियुक्ति का औचित्यपूर्ण एव अधिकतम समय 18 माह समझा जाना चाहिये ।

यदि विदेश में प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना हो तो प्रथम 6 माह की अवधि, उपरोक्त अनुच्छेद (1) में अंकित शर्तों के आधार पर, प्रतिनियुक्ति के रूप मे समझी जावेगी। शेष अवधि निम्न-अंकित शर्तों पर "विशेष-अवकाश" की स्वीकृति द्वारा नियमित की जावेगी:—

(1) विशेष-अवकाश का समय पदोन्नति के लिये सेवा के रूप मे गिना जावेगा :

(2) विशेष-अवकाश, अधिकारी के अवकाश के लेखो मे से नही काटा जायेगा । दूसरे शब्दों मे यह अतिरिक्त अवकाश (एक्सट्रा-क्रेडिट-लीव) होगा ।

(3) विशेष-अवकाश की अवधि में अधिकारी को अर्द्ध-वेतन अवकाश पर देय वेतन, अवकाश-वेतन के रूप मे मिलेगा ।

(4) विशेष-अवकाश अवधि में कोई महगाई-भत्ता नही मिलेगा ।

(5) मकान-किराया-भत्ता उपरोक्त अनुच्छेद 1 (3) के अनुसार नियमित होगा ।

यदि एक अधिकारी जो भारत से बाहर प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रशिक्षण समय का ध्यान न रखते हुए इस अध्याय के अन्त मे सलग्न एक बाध्य-पत्र (बॉन्ड) भरेगा। बाध्य-पत्र मे उस कुल राशि को लौटाने का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अधिकारी को देय वेतन, भत्ते, फीस, यात्रा एव अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय संबधित विदेशी सस्थाओ, ऐजेन्सियो द्वारा वहन किये गये प्रशिक्षण पर व्यय आदि के कुल योग के बराबर होगी। विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा भरे गये बाध्य-पत्र को नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी की अभिरक्षा मे रखा जावेगा ।

जब किसी अधिकारी को प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत देश के बाहर प्रशिक्षण मे भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, तो उसकी जाच एक समिति द्वारा होगी जो मुख्य सचिव, वित्त सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, कार्मिक एव सम्बन्धित विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी। यदि आवश्यक हो तो अधिकारी से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी ऐसी समिति मे सहवरित (काप्ट) किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत मामले में प्रति-नियुक्ति की उपरोक्त शर्तों के आधार पर वास्तविक स्वीकृतियाँ केवल वित्त (व्यय) विभाग की सहमति से ही जारी की जानी चाहियें।

यह आदेश प्रसारित होने के दिनाक से प्रभावशील होगे। इन आदेशों के प्रसारित होने की तारीख से या उसके बाद प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने वाले अधिकारियों के मामले इन प्रावधानों के अनुसार नियमित होंगे। इन आदेशो के विपरीत अन्यथा प्रकार से जो मामले पूर्व मे तय कर दिये गये हो उन्हे पुनः खोलने की आवश्यकता नही है।

परिशिष्ट

प्रारूप (क)

(नियम 51 के नीचे राजकीय निर्णय सख्या (1) के अधीन)

स्थानीय कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने के लिए बाध्य-पत्रः—

समस्त उपस्थित लोगो को ज्ञात हो कि मै.. निवासी....................................जिला....................................जो वर्तमान मे...पद पर....................................कार्यालय मे नियुक्त हूं, एतद्द्वारा स्वय को, अपने उत्तराधिकारियो, अधिशासी एवं प्रशासकों राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जो आगे 'सरकार' कहे जावेंगे) की माग पर रुपये....................................(अक्षरे)....................................) मेरे को प्रशिक्षणार्थ प्रतिनियुक्ति पर....................................(प्रशिक्षण का विवरण)....................................के सम्बन्ध मे दिनाक....................से....................तक....................(देशो के नाम)....................................मे वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (87) वि- वि. (क) नियम/62 दिनाक 14 फरवरी, 1963 की शर्तो के अधीन विदेशी सहायता योजना मे राजस्थान सरकार के व्यय पर भेजा जा रहा हूं, मय उस पर माग के दिन से तत्कालीन प्रचलित सरकारी ऋण पर सरकारी दर से ब्याज के. या यदि भुगतान भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश मे किया गया, तो उस देश व भारत के बीच विनियम की सरकारी दर से परिवर्तित उक्त राशि के बराबर उस देश की मुद्रा मे भुगतान करने को बाध्य करता हूँ।

आज दिनाक....................................माह....................................सन् 19....................

चूंकि उक्त बधकर्त्ता श्री....................................को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।

अतः उक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि....................उक्त बन्धकर्त्ता....................................के प्रशिक्षण काल की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर न आने पर या अपने कर्त्तव्य पर वापसी के चार वर्ष की अवधि मे किसी समय त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त हो जाने पर, वह सरकार के माग करने पर या सरकार द्वारा आदेश देने पर रुपये....................................(अक्षरे....................................) मय ब्याज के जो माग के दिनाक से तत्समय लागू सरकारी ऋण पर सरकारी दर से, अपनी प्रतिनियुक्ति के कारण वापस भुगतान करूंगा।

और उक्त बधकर्त्ता..के द्वारा वापस भुगतान करने पर यह उक्त लिखित बाध्यता शून्य व प्रभावहीन हो जायेगी, अन्यथा यह पूर्णरूप से लागू रहेगी।

राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र का मुद्राक शुल्क वहन करने को सहमत है। उक्त बन्धकर्त्ता द्वारा

हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत

(1) ....साक्षी

(2) ....साक्षी

स्वीकार किया गया

राजस्थान के राज्यपाल के लिए व उनकी ओर से

हस्ताक्षर..

प्रपत्र 'ख'

अस्थाई कर्मचारी के लिये प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने के लिए बाध्य-पत्रः—

समस्त उपस्थित लोगों को ज्ञात हो कि हम........................... .... निवासी..............................जिला.......... ....वर्तमान मे.. .... पद पर.............. ....विभाग/कार्यालय में नियुक्त है जो बाद मे "आभारक" कहलायेगे और श्री..............................पुत्र..............................उसकी ओर से प्रतिभूति है एतद्-द्वारा सयुक्त रूप से एवं प्रथक-2 अपने को तथा अपने उत्तराधिकारी, अभिशासी व प्रशासको को राजस्थान के राज्यपाल की (जो आगे "सरकार" कहलायेगे) माग पर रुपये.............................अक्षरे..............................आभारक को..................... ....(प्रशिक्षण का नाम)..के लिए दिनांक..............................से..............................तक..............................(देशों के नाम) ....के सम्बन्ध में राज्य सरकार के व्यय पर, वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (87) वि. वि. (क) नियम/62 दिनाक दिनाक 14 फरवरी, 63 की शर्तो के अधीन विदेशी सहायक योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए, मय उस पर ब्याज के जो माग के दिनाक से सरकारी ऋणों पर उस समय प्रचलित सरकारी दर से, या यदि भुगतान भारत के अलावा किसी अन्य देश मे किया गया, तो भारत और उस देश के बीच विनिमय की सरकारी दर से उक्त राशि के बराबर उस देश की मुद्रा में भुगतान करने को बाध्य करते है।

दिनाक....... ....माह.......................... ....सन् 19.....................................

और चूंकि उक्त बन्धनकर्त्ता श्री.......... ....को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है।

अत: उक्त लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि—उक्त बन्धनकर्त्ता आभारक श्री............................ के प्रशिक्षणकाल की समाप्ति पर बिना कर्त्तव्य पर आये या अपने कर्त्तव्य पर वापसी आने के चार वर्ष की अवधि मे किसी समय त्यागपत्र देने या सेवा निवृत्त हो जाने की दशा मे वह तथा उसकी प्रतिभूतिया सरकार के माग करने पर या सरकार द्वारा आदेश देने पर रुपये....................................(अक्षरे..............................) मय ब्याज के माग के दिन से उस समय लागू सरकारी ऋणों पर सरकारी दर से, वापस जमा करायेंगे।

और उक्त बन्धनकर्त्ता आभारक श्री.................... ....और या श्री.............................. और/या श्री..प्रतिभूतियो द्वारा उपरोक्त वापसी जमा कराने पर उक्त लिखित बाध्यता शून्य व निष्प्रभाव हो जायेगी अन्यथा यह पूर्णत: प्रभावशील रहेगी।

राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र पर देय मुद्राक–शुल्क का व्यय वहन करने को सहमत है। उक्त बाध्य-कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित।

एवं प्रस्तुत ....

साक्षी ....

उक्त नाम श्री ....

प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित ....

एव प्रस्तुत

साक्षी......................................

उक्त नाम श्री......................................

प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित ....

एव प्रस्तुत

साक्षी......................................

स्वीकार किया गया।

हस्ताक्षर......................................

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से तथा उनके लिए

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियम 51 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उन मामलो में भी बाध्य-पत्र भरने की आवश्यकता है, जिनमें प्रशिक्षण का समय, भारत मे प्रशिक्षण वाले स्थान तक जाने एवं आने के समय को निकाल कर, 6 माह से अधिक का न हो तथा वह समय पूर्ण-वेतन पर प्रतिनियुक्ति का समय समझा जावे। यह निर्णय किया गया है कि विदेश मे प्रशिक्षण के सभी मामलों मे जो इस बात को ध्यान मे रखे बिना की गई प्रतिनियुक्ति के समय को पूर्ण-वेतन पर प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष-अवकाश के रूप मे माना जावे, नियम 51 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुसार नियमित किया जाना चाहिये जिसके अनुसार सम्बन्धित प्रत्येक अधिकारी को बाध्य-पत्र भरने के लिये कहा जाना चाहिये। इसे सभी मामलों में बाध्य-पत्र परिशिष्ट (xviii) मे दिये गये सशोधित प्रपत्र मे भराया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—केन्द्रीय–समुद्रपार (ओवर-सीज) छात्रवृत्ति-योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा जो विश्व-विद्यालयों मे उच्चतर शिक्षा की समान सस्थाओ के लिये हैं ताकि वे अपने प्राध्यापको को भारत के बाहर उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करा सकें तथा इस प्रकार देश मे पाठ्यक्रम एव अनुसधान का स्तर ऊंचा उठ सकें। इस योजना के अन्तर्गत निर्वाह-भत्ता, रेल एवं समुद्र-किराया, शैक्षिक एवं परीक्षा शुल्क, पुस्तको का मूल्य, आदि के व्यय का 50% भारत सरकार अनुदान देती है तथा शेष 50% तक व्यय उत्तरदायी ऐजेन्सी को देना पड़ता है। निर्वाह भत्ता एव अन्य सुविधाओं का पूर्ण व्यय प्रथम बार भारत सरकार के शिक्षा मत्रालय द्वारा योजना के लिये निर्धारित तिथि से वहन किया जाता है तथा भेजे गये उम्मीदवारो के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उसे उपरोक्त आधार पर बाट लिया जाता है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त-अधिकारी के लिये वेतन एव भत्तों की स्वीकृति से सम्बन्धित मामला कुछ समय पूर्व से ही राज्य सरकार के विचाराधीन था एवं यह आदेश दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत भारत से बाहर उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण के लिये चयन किये गये अधिकारियों को निम्न-अंकित

शर्तें स्वीकार करनी होगी :—

(क) विशेष-अवकाश का समय पदोन्नति के लिये गिना जावेगा तथा यदि कर्मचारी पेन्शन योजना सेवा मे हो तो वह अवधि पेन्शन के लिये गिनी जावेगी।

(ख) विशेष-अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में नामे नही लिखा जावेगा। विशेष-अवकाश में अवकाश वेतन, सेवा-नियम 97 (2) के अनुसार, देय होगा।

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत देय अवकाश-वेतन के साथ मंहगाई भत्ता भी, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दिया जावेगा।

(3) उम्मीदवारों के चयन एव बाध्य-पत्र भरने की पद्धति सेवा नियम 51 के अन्तर्गत निर्णय के अनुसार लागू होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अस्थाई कर्मचारियो को भी विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सकता है ? यदि हा तो यह किन परिस्थितियो के अन्तर्गत होगा।

सरकार ने मामले पर विचार किया है। साधारणतया अस्थाई कर्मचारीयों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये नही भेजा जाना चाहिये जब कि आवश्यक योग्यता वाले स्थाई राज्य कर्मचारी उपलब्ध हों। जब एक आवश्यक योग्यता रखने वाला स्थायी अधिकारी उस विभाग में उपलब्ध नही हो तो ही अस्थाई कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि :—

(I) अस्थाई कर्मचारी ने 3 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो,

(II) अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति नियमित हो अर्थात् वह नियुक्ति के लिये आवश्यक शिक्षा, आयु एव योग्यता आदि रखता हो तथा जहां सेवा नियमों मे आवश्यक है लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

राजकीय निर्णय संख्या 5 :—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी, जिसकी विदेश में प्रशिक्षण-अवधि को बढ़ा दिया गया है, से उसकी अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि के लिये पूरक-बाध्य-पत्र भरवाया जाय, जिसमें उसे अतिरिक्त समय में सरकार द्वारा इस पर किये गये व्यय का उल्लेख हो। अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे समस्त मामलो मे पूरक-बाध्य-पत्र भरवाना आवश्यक होगा एव जिन कर्मचारियों की प्रशिक्षण की अवधि बढाई जाती है उनसे ऐसा बाध्य-पत्र भरवा लिया जाना चाहिये। स्थाई एव अस्थाई कर्मचारियो के लिये पूरक-बाध्य-पत्रों के प्रपत्र प्रथक-प्रथक निर्धारित हैं जो सलग्न हैं।

पूरक-बाध्य-पत्र मे अंकित की जाने वाली उस एक-मुश्त राशि जो कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय से पूर्व राज्य सेवा छोड़ने पर उसे लौटानी होगी में उन सभी राशियों का योग होगा जो कर्मचारी पर प्रशिक्षण की अवधि मे वेतन, भत्ते, अवकाश-वेतन, यात्रा एव अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एव विदेशी-सम्बन्धित सरकार, ऐजेन्सी द्वारा वहन किया गया प्रशिक्षण व्यय भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

पूरक-बाध्य-पत्र का भरवाया जाना ऐसे मामलो में भी आवश्यक हो सकता है जो इस निर्णय के पश्चात उत्पन्न हों। ऐसे मामलो में बाध्य-पत्र भरवाये जाने पर जोर देने की आवश्यकता नही है जिनमे प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति की अवधि की वृद्धि की आज्ञा पूर्व मे प्रसारित की जा चुकी हो।

प्रपत्र 'क'

(नियम 51 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या(5) के अधीन)

प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति की वृद्धि स्वीकृत होने पर स्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए पूरक-बाध्य-पत्र–

समस्त उपस्थित लोगो को ज्ञात हो कि मैं.. निवासी.................................. जिला.............................. वर्तमान मे........................(पद)...................... के रूप से ....कार्यालय में नियुक्त हू स्वय को तथा स्वय के उत्तराधिकारियों, अधिशाषी व प्रशासको को एतद्-द्वारा राजस्थान के राज्यपाल (जो आगे 'सरकार' कहलायेंगे) की माग करने पर रुपये........... (अक्षरे)..) मय जिस दिन से मांग की जाय उससे उस समय लागू सरकारी ऋण की दर से ब्याज, यदि भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में भुगतान किया जावे तो उक्त राशि के बराबर उस देश की मुद्रा मे जो उस देश व भारत की सरकारी विनिमय दर द्वारा परिवर्तित होगी भुगतान करने को बाध्य करता हूं।

आज दिनाक...माह...सन् एक हजार नौ सौ.............................. ।

चूंकि उक्त बधकर्त्ता...को सरकार द्वारा दिनांक.. से ....तक की अवधि के लिये प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त किया गया था जिसके सवन्ध मे जो बाध्यपत्र दिनांक ....को वास्ते रु...............................उसके द्वारा सरकार के पक्ष मे भरा गया था।

और चूंकि उक्त बधकर्त्ता...को अब दिनाक.. से..तक के लिए .... (देशों के नाम)................................. राजस्थान सरकार के व्यय पर वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1(87) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 14 फरवरी, 1963 की शर्तो पर विदेशी सहायता योजना के अधीन उस प्रशिक्षण की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा दी गई है।

और चूंकि सरकार के उच्चतर सरक्षण के लिए उक्त बन्धकर्त्ता निम्नलिखित शर्तों पर यह पूरक-बाध्य-पत्र भरने को तैयार है।

अब इस उत्तलिखित बाध्यता की शर्ते इस प्रकार हैं कि उक्त बन्धकर्त्ता .... के प्रशिक्षणकाल की समाप्ति पर कर्तव्य पर न आने पर या अपने कर्त्तव्य पर वापसी के तीन वर्ष की अवधि में किसी समय त्यागपत्र देने, सेवा निवृत हो जाने पर व सरकार द्वारा आदेश देने पर रु...................................... मय ब्याज के जो माग के दिन से तत्समय लागू सरकारी ऋणो पर सरकारी दर से, वापस जमा करायेगा।

यह पूरक-बाध्य-पत्र उस बाध्य-पत्र का अंश व अंग माना जावेगा, जो उक्त बन्धकर्त्ता द्वारा .... दिनाक..................................को राजस्थान सरकार के पक्ष में भरा गया था।

और उक्त बन्धकर्त्ता के उक्त रकम वापस कर देने पर उक्त बाध्यता शून्य व निष्प्रभाव हो जावेगी, अन्यथा यह पूर्णतः प्रभावशील व गुणशील रहेगी।

राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र पर लगने वाले मुद्राक शुल्क को वहन करने के लिए सहमत है।

उक्त बन्धकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत व हस्ताक्षरित..

उपस्थित साक्षी..........

स्वीकार किया गया
राजस्थान के राज्यपाल के लिए उनकी ओर से
हस्ताक्षर..........

प्रपत्र-ख

(सेवा नियम 51 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (5) के अधीन)

अस्थाई राज्य कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति की वृद्धि की स्वीकृति पर पूरक बाध्य-पत्र--

समस्त उपस्थित लोगों को ज्ञात हो कि हम.......... निवासी..........जिला..........वर्तमान में..........पद पर..........कार्यालय में नियुक्त (जो आगे आभारक (ओबलीगर) कहलायेगा) और श्री..........पुत्र..........और श्री..........पुत्र..........उसकी ओर से प्रतिभूतियाँ है एतद्द्वारा संयुक्त रूप से और सगठित रूप से स्वयं को अपने सम्बन्धित उत्तराधिकारियों को अधिशासी व प्रशासकों को राजस्थान के राज्यपाल (जो आगे सरकार कहलायेंगे, की माग पर रुपये..........(अक्षरे..........) मय ब्याज के उस माग के दिन से उस समय लागू सरकारी ऋण पर ब्याज की दर से भुगतान करने को बाधित करते हैं या यदि यह भुगतान भारत के बाहर किसी देश मे किया गया, तो उस देश व भारत के बीच सरकारी विनिमय की दर से उक्त राशि का देश की मुद्रा में भुगतान करेंगे।

आज दिनांक..........माह..........सन् 19..........

चूंकि उक्त बन्धकर्त्ता..........को दिनांक..........से..........तक की अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर नियुक्त किया गया था और दिनाक..........को वास्ते रुपये का एक बाध्य-पत्र राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में लिखा गया था।

और चूंकि उक्त बन्धकर्त्ता..........को दिनांक..........से..........तक..........(देशों के नाम).......... में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान सरकार के व्यय पर वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (77) वि. वि. (क) नियम / 62 दिनाक 14 फरवरी, 1963 की शर्तों पर यह उक्त योजना के अधीन वृद्धि कर दी गई है।

और चूंकि सरकार के उच्चतर सरक्षण के लिए उक्त बन्धकर्त्ता निम्नलिखित शर्तों पर यह पूरक बाध्य-पत्र भरने को तैयार है।

अब इस उक्तलिखित बाध्यता की शर्त इस प्रकार है कि उक्त बन्धकर्त्ता 'आभारक' श्री.......... के प्रशिक्षण काल की समाप्ति पर बिना कर्त्तव्य पर आये या अपने कर्त्तव्य पर वापसी के तीन वर्ष की अवधि में किसी समय त्यागपत्र देने या सेवा निवृत्त हो जाने पर, वह तथा उसकी प्रतिभूतिया सरकार के माग करने पर या सरकार द्वारा आदेश देने पर रुपये..........(अक्षरे..........) मय ब्याज के माग की तारीख से लागू उस सरकारी ऋणों पर सरकारी दर से वापस जमा करायेंगे।

और उक्त बन्धकर्ता आभारक श्री..और या श्री..और/या श्री..प्रतिभूतिया उपरोक्त वापसी जमा कराने पर उक्त-लिखित बाध्यता शून्य एवं निष्प्रभाव हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतः प्रभावशील रहेगी।

बशर्ते कि सदा के लिए यह प्रतिभूतियों का उत्तरदायित्व न समाप्त होगा न छूट सकेगा ऐसे कारणों से कि समय बढ़ा दिया गया या सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भूल या असहनीयता कर देने पर, (चाहे प्रतिभूतियो के सज्ञान या नही) सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पहले उक्त आभारक पर यात्रा करने से पहले प्रतिभूति श्री.................................और श्री.................................. या उनमें से किसी एक पर इसके अधीन देय राशि का दावा न कर सके।

कि यह पूरक-बाध्य-पत्र मूल बाध्यपत्र जो उक्त बन्धकर्ता द्वारा दिनांक.................... को राजस्थान सरकार के पक्ष में भरा गया, का अंश एवं भाग होगा।

राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क का व्यय वहन करने को सहमत है। उक्त बन्धकर्ता द्वारा हस्ताक्षर एव प्रस्तुत

साक्षी...............................

उक्त नाम श्री...............................

प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित एव प्रस्तुत साक्षी

उक्त नाम श्री...............................

प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत साक्षी

स्वीकार किया

राजस्थान सरकार के लिये एव उसकी ओर स

हस्ताक्षर...............................

राजकीय निर्णय संख्या 6:—यह निश्चिय किया गया है कि राज्य कर्मचारियों को, जिन्हें विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत से बाहर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है उन्हे उनकी वापसी यात्रा पर निम्न अनुच्छेद (3) में वर्णित अधिकतम-सीमा तक का "स्टोप-ओवर्स',/"स्टेओवर्स" सम्बन्धी सुविधाओं का उपभोग करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षार्थियों को अवकाश स्वीकृत उनके प्रशासनिक विभागों से तथा प्रयक भेजने वाले अधिकारी, यदि कोई हो, से प्राप्त करनी होगी तथा इसके उपरान्त यात्रा का प्रबन्ध करने वाली ऐजेन्सियो को स्वीकृति के आदेश भिजवाने होगे। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यात्रा के रूप में किया गया व्यय जो 'स्टोप-ओवर्स' पर किया जावे वह स्वयं उन द्वारा वहन किया जावेगा तथा इस प्रयोजनार्थ एव उन द्वारा सहायता ऐजेन्सियों को किसी प्रकार का निवेदन नहीं करना चाहिये।

'स्टोप-ओवर्स'/'स्टे-ओवर्स' के व्यय को पूरा करने के लिये प्रशिक्षणार्थियो को कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी नही दी जावेगी तथा उन्हें पूर्व मे ही दी गई विदेशी मुद्रा की राशि मे ही उसे ('स्टोप-ओवर्स'/'स्टे-ओवर्स') व्यय को वहन करना होगा। विदेशी यात्रा पर 'स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओवर्स' की व्यवस्था निम्न-अंकित सीमा मे की जा सकती है।

(क) जब कोई बाहर प्रशिक्षण का समय तीन माह अथवा उससे कम का हो तो प्रशिक्षणार्थी एक सप्ताह की अवधि का 'स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओवर्स' कर सकता है।

(ख) किन्तु जब वह अवधि तीन माह से अधिक किन्तु 6 माह से कम हो तो 'स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओवर्स 2 सप्ताह का हो सकता है।

(ग) जब प्रशिक्षण अवधि 6 माह से अधिक की हो तो 'स्टोप-ओवर्स/'स्टे-ओवर्स' 3 सप्ताह तक का हो सकता है।

प्रशासनिक विभाग अनुच्छेद (3) द्वारा निर्धारित सीमाओं में "स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओवर्स" स्वीकृत करने हेतु "सक्षम-प्राधिकारी" होगा। इन निर्धारित सीमावों से अधिक के 'स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओवर्स' की कोई आज्ञा नही दी जावेगी। प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे ऐसी सिफारिशे विचार के लिये वित्त विभाग को नही भेजे। यद्यपि अनुच्छेद (3) के अनुसार स्टोप-ओवर्स सामान्यतः विदेशी यात्रा के लिये ही स्वीकृत किया जाता है, किन्तु निर्धारित पूर्ण सीमा एव शर्तें के अन्तर्गत अधिकतम एक सप्ताह तक की, देश से बाहर प्रशिक्षण स्थान तक जाने की यात्रा के साथ भी स्वीकृत करने में कोई हानि नही है यदि प्रशासनिक विभाग इससे सन्तुष्ट हो जाय कि प्रशिक्षणार्थी के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा है।

राजकीय निर्णय संख्या 7:—सेवा नियम 51 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि इस निर्णय में अंकित शर्तों के सम्बन्ध मे एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि इसके अनुसार प्रति-नियुक्ति की शर्तें प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये भेजे जाने वाले अधिकारियों के मामले मे कब स्वीकृत की जानी चाहिये एव कब इन शर्तो को स्वीकृत नही किया जाना चाहिये। मार्गदर्शन के लिये, तदनुसार, निम्न-अंकित स्पष्टीकरण किया जाता है :—

उपरोक्त अंकित निर्णय सख्या (1) मे प्रतिनियुक्ति की उदार शर्तों का उल्लेख है, जिन्हे केवल उन्ही मामलो मे स्वीकृत की जानी चाहियें, जहां कर्मचारी को प्रस्तावित प्रशिक्षण में सरकार द्वारा भेजा जाय। ऐसे प्रस्ताव की कठोरता पूर्वक जाच की जानी चाहिये एवं सामान्यतया केवल उन्ही मामलों मे "भेजा हुआ" (स्पोन्सर्ड) समझा जाना चाहिये जिनमे सरकार की ओर से कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो। दूसरे शब्दो में जहा योजना की शर्तों के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये मनोनयन सरकार द्वारा किया जाना होता है वहा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति का चयन—एक समिति (स्क्रीनिंग-कमेटी) द्वारा किया जाय और ऐसे चयनित व्यक्ति को ही सरकार द्वारा "भेजा-हुवा" समझा जावेगा। इसके विपरीत जहा प्रयास स्वय कर्मचारी की ओर से हो तथा वही आगे होकर ऐसे प्रशिक्षण एव पाठ्यक्रम के लिये आवेदन करे तो वहां ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा भेजा हुआ नही समझा जावेगा चाहे चयन के लिये आवेदन-पत्र सरकार द्वारा ही क्यो न भेजा गया हो। ऐसे मामले में केवल अध्ययन अवकाश ही स्वीकृत किया जाना चाहिये।

(2) दिनाक 14 दिसम्बर, 1963 के उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति की शर्त समान रूप से वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में आर्थिक विकास एव लोक प्रशासन के क्षेत्र मे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर लागू होती है। प्रशिक्षण विशेषीकृत क्षेत्रों मे होना चाहिये तथा इसमें यह ध्यान नहीं रखा जाना चाहिये कि कोई शैक्षणिक उपाधि अथवा प्रमाण-पत्र मिलेगा अथवा नहीं, या प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिये जो नियोजित-कर्त्ता विभाग के लिए लाभप्रद हो न कि केवल व्यक्ति के लिये ही लाभप्रद हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि भी अधिकतम 18 माह की होनी चाहिये। उपरोक्त अंकित सिद्धान्तों का भविष्य मे कठोरता से पालन किया जाय किन्तु जिन मामलो मे अन्यथा प्रकार से निर्णय लिया जा चुका है उन पर पुनः विचार नही किया जाना है।

राजकीय निर्णय संख्या 8 :—वित्त विभाग के ध्यान मे ऐसा मामला आया है जिसमे कर्मचारी के आवेदन पत्र को विकासशील देशों मे विदेशी-नियोजन के लिये भारत सरकार को, नियम के अनुसार कर्मचारी के पदाधिकार को रखने या नही रखने या स्वीकृति की पात्रता का निर्णय किये बिना ही, भिजवा दिया जाता है

बाद में जब प्रार्थी का चयन हो जाता है तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। इस प्रश्न पर सुविचारित यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ऐसे आवेदन पत्र केवल स्थाई राज्य कर्मचारियों के ही भेजे जाने चाहियें जो प्रशासनिक विभागों द्वारा विदेशी नियोजन के लिये स्वीकृत हों।

विदेशी-नियोजन के लिये चयनित राज्य-कर्मचारी निम्न-अंकित शर्तों द्वारा शासित होंगे :—

(1) पदाधिकार :—विदेशी-नियोजन की अवधि मे कर्मचारी का पदाधिकार उसके उस स्थाई पद पर, जो वह स्थाई रूप से धारण करता है तथा यदि वह विदेशी नियोजन मे नही जाता तो स्थाई रूप से धारण करता, रखा जावेगा। प्रशासनिक विभाग उस विशेष अवधि का निर्देश करने को स्वतंत्र होंगे जिसके लिए विदेशी नियोजन मे चयनित कर्मचारी का पदाधिकार रखा जावेगा। किन्तु किसी भी मामले मे 3 वर्ष से अधिक के लिये पदाधिकार नहीं रखा जावेगा।

(2) वेतन एवं भत्ते :—सम्बन्धित कर्मचारी इस नियोजन की अवधि में सरकार से कोई वेतन, भत्ते एव यात्रा-व्यय प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा किन्तु वह विदेशी सरकार से, जो वह स्वीकृत करे, प्राप्त कर सकेगा।

(3) वेतन-वृद्धि :—विदेशी नियोजन पर सेवा की अवधि को वेतन-वृद्धि के लिये उस स्थाई पद पर गिना जावेगा जिस पर कर्मचारी पदाधिकार रखता है। यदि कर्मचारी पेन्शन योग्य सेवा में हो तो यह अवधि पेन्शन के लिये भी गिनी जावेगी।

(4) अवकाश :—नियोजन की अवधि को विभिन्न प्रकार के अवकाशो के अर्जित करने के लिये नही गिना जावेगा।

प्रशासनिक विभाग एक कर्मचारी को उपरोक्त शर्तों पर विदेशी-नियोजन के लिये प्रतिनियुक्त करने के लिये सक्षम हैं।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (57) वि. वि./(ग्रुप–2)73 दिनांक 2 जुलाई, 74 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 9 :—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या उन राज्य कर्मचारियों को जिन्हें भारत से बाहर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिन्हे सेवा नियम 51 के अनुसार "कर्त्तव्य" (ड्यूटी) पर माना जाता है, को विदेश जाने से पूर्व प्रारम्भिक औपचारिकताओं को पूरी करने, जैसे पास-पोर्ट प्राप्त करने, स्वास्थ्य परीक्षा कराने तथा यात्रा-सम्बन्धी व्यवस्था करने इत्यादि, के लिये कोई समय दिया जावे।

प्रश्न पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि एक राज्य कर्मचारी जिसे भारत से बाहर प्रशिक्षण में भेजा जावे और जिसे सेवा नियम 51 के अनुसार "कर्त्तव्य" पर माना जावे, उसे यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व भारत में यात्रा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिये 4 दिन का समय दिया जावे। इस अवधि को यात्रा-पूर्व-अवधि (प्रि-ट्रान्जीटिव-टाइम) माना जावेगा। तद्नुसार ऐसे राज्य कर्मचारी को भारत से बाहर प्रशिक्षण पर भेजने के लिये देश से प्रस्थान करने की तारीख से 4 दिन पूर्व अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया जाना चाहियें।

इस सम्बन्ध में विचाराधीन मामलों को उक्त आदेशों के अनुसार निपटाया जावे।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (10) वि. वि. (ग्रुप-2) /77 दिनांक 1 अप्रेल, 1977 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 10:—सरकार के ध्यान में यह आया है कि सरकारी कर्मचारी कार्य अथवा नियोजन के लिए विदेशी सरकारों अथवा संगठनों को सीधे ही आवेदन करते हैं। विदेशी सरकारों अथवा संगठनों से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वे विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति

हेतु अनुज्ञा के लिए सरकार के पास आते हैं और अनाक्षेप-प्रमाण-पत्र (नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट) की माग करते है ।

2, सरकार की नीति, चाहे वह राज्य सरकारो मे हो अथवा केन्द्र, विदेशी सरकारो/ संगठनो में नौकरी हेतु सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीधे ही आवेदन करने को प्रोत्साहन देने की नही है क्योंकि सरकारी कर्मचारियो द्वारा विदेशों में नियोजन के लिए आवेदन करने सम्बन्धी समुचित प्रक्रिया पहले ही अधिकथित की हुई है । मामले पर विचार कर लिया गया है तथा सरकार यह विनिश्चय करती है कि भविष्य मे राज्य सरकार, विदेशी सरकार अथवा संगठन में प्रति-नियुक्ति की शर्तों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को किसी भी दशा में तब तक नियुक्त नही करेगी जब तक कि विदेश में नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए उसका आवेदन राज्य सरकार द्वारा, उप-सचिव मन्त्रिमण्डल के माध्यम से, भारत सरकार के कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग, को निम्नलिखित पैराग्रो मे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विदेशो मे नियोजन सम्बन्धी पैंनल मे रजिस्ट्रीकरण हेतु अग्रेसित नही कर दिया गया हो ।

3. सरकारी कर्मचारी द्वारा विदेशों मे नियोजन के लिए आवेदन करने के तरीके सम्बन्धी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(i) विदेशो में नियोजन सम्बन्धी पैनल में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सरकारी कर्मचारी द्वारा, उसके विभागाध्यक्ष के माध्यम से, सरकार के प्रशासनिक विभाग को भेजा जायगा;

(ii) प्रशासनिक विभाग उक्त आवेदन को अपनी टिप्पणी के साथ उप सचिव, मंत्रिमंडल के पास भेजेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि आया उसके नियोजन के लिए प्रस्ताव आने की दशा में नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तो पर उसे नियुक्त करना विभाग के लिए सम्भव होगा;

(iii) उप सचिव, मन्त्रिमण्डल आवेदन-पत्र को विहित रजिस्टर मे दर्ज करायेगा तथा इसकी परीक्षा करने के पश्चात्, इसे विदेश मे नियोजन सम्बन्धी पैनल में रजिस्टर (दर्ज) कराने के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा:

(iv) भारत सरकार के माध्यम से विदेशो में नियोजन/नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उप सचिव, मन्त्रिमण्डल सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को सूचित करेगा और प्रशासनिक विभाग प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा ।

4. ऊपर अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विदेशों में नियोजन के लिए चयन किया गया सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनो द्वारा शासित होगा :—

(i) विदेशों मे नियोजन की कालावधि के दौरान, सरकारी का पदाधिकार उस स्थायी पद पर रखा जायगा जिसे वह अधिष्ठायी रूप से धारण करता है या जिसे वह अधिष्ठायी रूप से धारित करता यदि उसका विदेश में नियोजन नहीं हुआ होता । प्रशासनिक विभाग उस कालावधि को विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करने मे स्वतन्त्र होंगे जिसके लिए विदेश मे नियोजन हेतु चयनित सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार रखा जायगा, लेकिन किसी भी दशा में धारणाधिकार तीन वर्ष की कालावधि से आगे के लिए नहीं रखा जायगा ।

(ii) **वेतन एवं भत्ते**—सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी विदेश में अपने नियोजन की कालावधि के लिए, यात्रा के खर्चे सहित कोई भी वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार से प्राप्त करने का हकदार नही होगा लेकिन इन्हे वह विदेशी सरकार से ही, जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तावित हो, प्राप्त करेगा।

(iii) **विदेशों में नियोजन के दौरान सेवा**—विदेशो मे नियोजन के दौरान सेवा की कालावधि उस स्थायी पद पद पर वेतन-वृद्धि के लिए गिनि जायगी जिस पर सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार है। सेवा की कालावधि पेंशन के लिए भी अर्ह होगी बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी राज्य सरकार के नियमो के अनुसार पेंशन अंशदान संदत्त करता हो।

(iv) **छुट्टी**—नियोजन की कालावधि छुट्टी के लिए नही गिनी जायगी।

5, यह वित्त विभाग के आदेश सं. प. 1 (57) वित्त (ग्रुप–2)/73 दिनांक 2–7–1974 को अतिष्ठित करता है (जो उक्त राजकीय निर्णय सख्या–8 के रूप मे जोड़ा हुआ है)

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (55) वित्त (ग्रुप–2)/73 दिनांक 6–1–78]

राजकीय ज्ञापन :—विदेशी सेवा में "कर्त्तव्य-पर" प्रतिनियुक्त कर्मचारी को वेतनादि स्वीकार करने के लिये एक औपचारिक पद के सृजन के सम्बन्ध में बराबर सन्देह उठाये गये है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियम 51 के अनुसार किसी अधिकारी को विदेश मे किसी राजकीय-कार्य, जैसे किसी सम्मेलन मे या बैठक मे भाग लेने के लिये, किसी शासकीय प्रतिनिधि-मण्डल का सदस्य बनाने आदि, के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे "कर्त्तव्य" (ड्यटी) पर माना जाता है। इसी प्रकार किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण-सत्र में भाग लेने के लिये विदेश मे भेजा जाता है। इन दोनो मामलो मे वह वही वेतन प्राप्त करता है जो वह विदेश में प्रतिनियुक्त नही किये जाने पर प्राप्त करता।

ऐसे मामले मे विदेश मे ऐसी प्रतिनियुक्ति के कारण हुए रिक्त पद को भरने के लिए कार्यवाहक व्यवस्था की जा सकती है और विदेश मे प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा वेतन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक नया पद सृजित करना आवश्यक नहीं है। विदेश मे प्रतिनियुक्त वह अधिकारी "विशेष-कर्त्तव्य" (स्पेशल-ड्यूटी) पर होता है। यद्यपि वह किसी पद के विरूद्ध वेतन प्राप्त नही करता, तो भी यदि वह भारत में कर्त्तव्य पर होता है तो जो वेतन वह प्राप्त करता उतना ही वेतन उसे विदेश मे प्रतिनियुक्ति की अवधि मे प्राप्त होगा।

करने की तारीख) से गिनी जानी है अथवा उस तारीख से जिसको सक्षम-प्राधिकारी ने कर्मचारी को निलम्बित किया है। मामले की जाच कर यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त नियम मे अकित "6 माह" की अवधि उस दिन से गिनी जावेगी जिसको कर्मचारी निलम्बित किया गया था।

नियम 53 (2):—नियम 53 (1) मे वर्णित निर्वाह-अनुदान की राशि का भुगतान कर्मचारी को तब तक नहीं दिया जावेगा जब तक वह यह प्रमाण-पत्र नहीं दे दे कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय अथवा धन्धे में लगा हुआ नही है"। किन्तु यदि राजकीय सेवा से वर्खास्त अथवा निष्कासन के मामले में वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 (3) व (4) के अनुसार ऐसी वर्खास्तगी या निष्कासन या अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से निलम्बित किया गया है अथवा किया गया माना गया है या हटाया गया माना गया है या जो ऐसी अवधि के सम्बन्ध में उक्त प्रकार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह उस राशि तक निर्वाह-अनुदान एवं देय भत्ते प्राप्त करेगा, जो उसकी उस अवधि की अर्जित आय, उस निर्वाह अनुदान एवं देय भत्ते की राशि से कम पड़े जिसे वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त करता। जहां देय निर्वाह अनुदान एवं भत्ता निलम्बित कर्मचारी द्वारा प्राप्त (अर्जित) अन्य आय के समान या उससे कम हो तो इस नियम का कोई प्राधवान उस पर लागू नही होगा। अर्थात् ऐसी दशा में उसे कोई निर्वाह-अनुदान तथा भत्ते आदि नही दिये जावेगे।

आडिट निर्देशनः—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ. 1 (87) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 18 दिसम्बर, 1968 द्वारा 22 जनवरी, 1964 से विलोपित।

स्पष्टीकरणः—सरकार के ध्यान मे एक ऐसा मामला आया है जिसमे एक निलम्बित राज्य-कर्मचारी ने सक्षम-प्राधिकारी से पूर्व-अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपना मुख्यावास छोड़ दिया। प्राधिकारी ने इस पर निलम्बित कर्मचारी को निर्वाह-अनुदान रोक दिया।

इस प्रश्न पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि निलबन-कर्त्ता प्राधिकारी को निर्वाह-अनुदान के भुगतान को रोकने का कोई विवेकाधिकार (डिस्क्रीशन) नही है। निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन की अवधि में निर्वाह-अनुदान देना ही होगा। सक्षम-प्राधिकारी फिर भी, उचित समझने पर, निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील, नियम 1958 के अनुसार बिना-अनुमति मुख्यावास छोड़ने के आरोप मे दूसरी जाच प्रारम्भ कर सकता है।

नियम 54 (1)–पुनःप्रस्थापन अथवा बहालगीः—एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से निष्कासित अथवा वर्खास्त कर दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया हो या निलम्बित कर दिया गया हो पर बाद में सेवा में पुनःस्थापित (बहाल) हो गया हो या वह पुःप्रस्थापित हो जाता यदि निलम्बन-काल में ही विश्राम-वृत्ति की आयु पर पहुंच जाने के कारण सेवा-निवृत्त नही कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में पुनःप्रस्थापन के आदेश देने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस पर विचार करेगा तथा निम्न-बिन्दुओं के बारे में विशिष्ट आदेश जारी करेगाः—

(क) कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि अथवा विश्राम-वृत्ति-आयु पर सेवा-निवृत्त होने की तारीख को निलम्बन की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, से कर्मचारी को दिये जाने वाले वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में।

(ख) क्या उक्त अवधि "कर्त्तव्य पर बिताइ गई अवधि" मानी जावेगी अथवा नहीं।

(2) जहां प्राधिकारी को यह ज्ञात हो जाय कि कर्मचारी को पूर्णतया दोष-मुक्त कर

दिया गया है अथवा उसको निलम्बित किया जाना पूर्णतया अनुचित था तो कर्मचारी उस अवधि का अपना पुराना (पूर्व का) वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्ता आदि उसी दर पर प्राप्त करेगा जिसके अनुसार यदि वह सेवा से निलम्बित, निष्कासित, या अनिवार्य सेवा-निवृत्त नही किया जाता तो प्राप्त करने का अधिकारी होता ।

(3) अन्य मामलों में कर्मचारी को वेतन एवं महंगाई भत्ते का ऐसा भाग दिया जावेगा जिसे सक्षम-प्राधिकारी आदेशों द्वारा निर्धारित करे ।

(4) इस नियम के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यों के लिये "कर्त्तव्य पर व्यतीत समय" के रूप में समझा जावेगा ।

(5) उपखण्ड (3) के अन्तर्गत आने वाले मामले में कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति की अवधि को "कर्त्तव्य पर व्यतीत अवधि" के रूप में तब तक नहीं समझा जावेगा जब तक ऐसा, सक्षम-प्राधिकारी विशेष रूप से, निर्देश नही दे दे कि वह अवधि किसी विशेष-कार्य के लिये ही इस प्रकार समझी जावेगी।

टिप्पणी:—इस परन्तुक के अन्तर्गत "सेवा से अनुपस्थिति की अवधि" को किस प्रकार समझा जाय इस सम्बन्ध मे सक्षम-प्राधिकारी का आदेश अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा जहा अस्थाई कर्मचारी का सम्बन्ध है, 3 माह से अधिक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिये भी अन्य सक्षम-स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

किन्तु यदि कर्मचारी ऐसा चाहे तो प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि 'सेवा से अनुपस्थिति की अवधि" कर्मचारी के बकाया एव स्वीकृत किये जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित की जावेगी।

आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाहियों के समय में गिरफ्तारी के लिये, ऋणों के या किसी कानून के अन्तर्गत नजरबन्दी के समय में निरोधात्मक नजरबन्दी के प्रावधानों के लिये सरकार द्वारा प्रसारित प्रशासनिक निर्देशों को राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट–1 (2) में देखा जावे।

टिप्पणी संख्या 1:—पुनरावलोकन अथवा अपील सुनने को सक्षम प्राधिकारी निलम्बन काल में व्यतीत अवधि को अवकाश मे परिवर्तित करने एव उसके एवज मे उचित प्रकार के अवकाश के भुगतान कराने के आदेश देने में सक्षम है ।

टिप्पणी संख्या 2:—यदि एक कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त/निष्कासित कर दिया गया हो तथा अपील करने पर किसी तारीख से पुनः प्रस्थापित कर दिया जाता है तथा बर्खास्तगी/निष्कासन की तारीख तथा बहाल होने की तारीख के बीच के समय को 'कर्त्तव्य-के-रूप-मे-व्यतीत-अवधि" मानने के आदेश दे दिये जाते हैं तथा वह समय अवकाश एव वेतन-वृद्धि के लिये सम्मिलित करने को भी स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस प्रकार के आदेश की पालना की जानी चाहिये चाहे कर्मचारी उस बर्खास्तगी/निष्कासन/निलम्बन की अवधि मे किसी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार नही रखता हो। कर्मचारी द्वारा रिक्त किये गये स्थान को इस शर्त के साथ भरा जा सकता है कि इस प्रकार का प्रबन्ध वापिस (उलट) हो जावेगा यदि सेवा से निष्कासित कर्मचारी अपील करने पर पुनः प्रस्थापित हो जाता है ।

टिप्पणी संख्या 3:—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामले जिनमें निलम्बन–काल को अवधि को "अवकाश-पर-व्यतीत-अवधि" के रूप मे मानने का आदेश दे दिया जाता है तथा परिवर्तन करने पर वह आग

कि उस अवधि के किसी भाग को असाधारण-अवकाश के रूप में समझा जाना है (जिसका कोई अवकाश-वेतन नहीं मिलता है) तो पूर्व में दिये गये निर्वाह-अनुदान के भुगतान की वसूली औचित्यपूर्ण मानी जावेगी ? यह निर्णय किया गया है कि निलम्बन-काल के किसी भी समय को असाधारण-अवकाश के रूप मे परिवर्तित करने पर कोई प्रतिबन्ध नही है। उन व्यक्तियों के मामलों मे जो पूर्णतया दोष-मुक्त नहीं किये गये हैं, निलम्बन की अवधि का वेतन-रहित या सहित अवकाश मे बदलने पर कर्मचारी के निलम्बन के कलंक तथा उसके अनुसरण मे होने वाले समस्त विपरीत परिणामो को समाप्त कर देता है। जिस समय निलम्बन का समय अवकाश मे बदल दिया जाता है तो उसी समय वह निलम्बन आदेश को प्रभावहीन कर देता है तथा वह समय "निलम्बन काल मे विताया हुवा" कतई नही माना जावेगा। अतः जब यह ज्ञात हो कि एक कर्मचारी निलम्बन की अवधि मे निर्वाह-अनुदान एवं क्षतिपूरक भत्ते की जो कुल भुगतान राशि प्राप्त करता है, यदि वह अवकाश-वेतन एवं उस पर देय भत्ते से अधिक होती है तो वह अधिक राशि वापिस जमा करानी पड़ेगी तथा इस परिणाम से बचने का कोई उपाय नही है।

टिप्पणी संख्या 4:—असाधारण-अवकाश की स्वीकृति एवं राज्य-सेवा से निष्कासन दोनों पूर्णतया प्रथक मामले हैं तथा निलम्बन-अवधि को अवकाश-अवधि में बदलने की कार्यवाही का मामला स्वतः ही निष्कासन के मामले पर पूर्व-प्रभाव से लागू नही होता है क्योकि निष्कासन के मामले में कर्मचारी को अपने पद से हटाया जाता है। अतः इस बीच की अवधि मे कर्मचारी को जो निर्वाह के लिये भुगतान स्वीकार किया गया है वह उससे वसूल नही किया जाना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 5:—एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त या निष्कासित किये जाने के कारण रिक्त हुए स्थाई पद को उस समय तक स्थाई रूप से नही भरा जाना चाहिये जब तक इस प्रकार की बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति को 12 माह का समय नही हो गया हो। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस पद को स्थाई रूप से भरा जा सकता है तथा उसके बाद में यदि उस पद का मूल-कर्मचारी सेवा में बहाल कर दिया जाता है तो उसे ऐसे पद के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिये जो उस श्रेणी मे स्थाई रूप से रिक्त हो तथा जिसमे उसका पूर्व का स्थाई पद था। यदि इस प्रकार का कोई पद रिक्त नही हो तो उसी के वेतनमान मे एक अधिसंख्य (सुपरन्यूमेरेरी) पद सृजित कराकर उस व्यक्ति को लगाया जाना चाहिये तथा इस विचार के साथ वह पद सृजित किया जाना चाहिये कि उसके संवर्ग के वेतनमान में स्थान रिक्त होते ही वह पद समाप्त कर दिया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:–एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि एक ऐसे मामले में जहां कर्मचारी की सेवायें दिनाक 6 मार्च, 1957 को समाप्त कर दी गई थी तथा अपील पर वह बहाल कर दिया गया था तथा अपील-प्राधिकारी ने अपने निर्णय मे यह घोषित कर दिया कि उसे 6 मार्च, 1957 से 30 जून, 1957 तक का उसका बकाया अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा दिनाक 1 जुलाई, 1957 के बाद उसे अपने पद का पूर्ण वेतन मिलेगा। कर्मचारी ने अपने पद का कार्यभार दिनाक 16 दिसम्बर, 1957 को सम्भाला था।

चूं कि ऐसा कोई पद रिक्त नही था जिसके विरुद्ध निष्कासन की अवधि में ऐसे कर्मचारी का पदाधिकार बताया जा सके, क्योकि कार्य-सम्पादन के लिये कार्यवाहक प्रबन्ध उस पद पर पूर्व मे ही किया जा चुका था। अतः बहाल किये गये कर्मचारी को पदाधिकार देने तथा उसे उस अवधि का अवकाश वेतन, वेतन एव भत्ते प्राप्त करने के लिये पद सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस मामले की जाच कर ली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियम 54 अपने आप में पूर्ण (एबसोल्यूट) है एव उसकी अपनी अधिकार-शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नही है। यदि पदाधिकार की शर्त पहिले

पूर्ण की जाती है तो यह नियम अपने आप मे पूर्ण नही हो सकता । अतः इन परिस्थितियो में कर्मचारी का वेतन एव भत्ते सेवा नियम 54 के अनुसार किसी अधिसख्य पद सृजित किये बिना ही दिये जा सकते है क्यो कि ऐसी स्थितियो मे वेतन आदि प्राप्त करने को स्वीकार्य अतिरेक (परमीशेबल-ऐक्सिस) माना जाता है ।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ कर्मचारी उस आदेश की प्रति प्रस्तुत कर रहे है जिसे वित्त (नियम) विभाग के पत्र सख्या वित्त/नियम/62 (ग्रुप-2) जी-I/I दिनाक 11 नवम्बर, 1974 का बताया जाता है तथा जिसका विषय "निलम्बित कर्मचारी की बहालगी जिसको निलम्बन की अवधि पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है" और जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया बताया गया है । तथा कथित उक्त आदेश को निम्न प्रकार से उद्धरित किया जाता है :—"राज्य सरकार अपने आदेश सख्या एफ (1) (3) नियुक्ति/ए-ओ/61 श्रेणी-II दिनाक 7 फरवरी, 1962 एवं एफ 2 (10)/24 (18) नियुक्ति (क) 58 दिनाक 25 मार्च, 1967 एव सख्या डी. 9968/एफ 23 (नियुक्ति) (क) 68 दिनाक 21 अगस्त, 1968 के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि निलम्बित कर्मचारियो के विरुद्ध चल रही विभागीय जाचो को 6 माह मे अन्तिम रूप से निपटाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान दिया जाकर प्राथमिकता दी जानी चाहिये । किन्तु वर्ष 1973–74 के निलम्बितों के वार्षिक मानचित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि विभागाध्यक्षों द्वारा निलम्बित कर्मचारियों के बारे में सरकार के उपरोक्त निर्देशो का पालन कड़ाई से नही किया गया है और यह भी देखा गया है कि कुछ मामलो मे जाच अधिकारियो ने जाच पूर्ण करने में बहुत समय लगाया है और कुछ मामलो मे यह भी पाया गया है कि उन द्वारा की गई जाच में प्रक्रिया सम्बन्धी गम्भीर अनियमितता की गई है । उक्त कमियो के कारण विभागीय जाच के समय में और साथ ही निलम्बन-काल मे वृद्धि होती है । अतः राज्य सरकार प्रसन्न होकर आदेश प्रदान करती है कि :—

(1) असाधारण मामले मे यदि कोई दोषी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक की अवधि से निलम्बित रहता है और उसे न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगाकर प्रस्तुत नही किया गया तो ऐसे मामले मे विभागीय जाच पूर्ण होने पर निर्णय लेने मे बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले निलम्बन आदेशों को तुरन्त वापिस ले लिया जावे । ऐसे मामलो मे जिनमें दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दण्ड-सम्बन्धी कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है और जिनमे 5 वर्ष से अधिक की अवधि से विलम्ब हो रहा हैं तो ऐसे निलम्बन आदेश को वापिस ले लिया जावे और कर्मचारी को उस स्थान पर कर्त्तव्य-सम्पादित करने को कहा जाय जहां से जिस दिन कर्मचारी को अनुशासनात्मक-अधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया था । ऐसी कार्यवाही उसको भविष्य में देय, वेतन/पदोन्नति जो भी उसे देय है, को प्रतिकूल प्रभावित नही करेगी । ऐसे मामले में निलम्बन काल की अवधि को क्या/कैसे माना जावे इस बारे मे निर्णय दोषी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाच अथवा न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही अन्तिम रूप से तय हो जाने पर ही किया जाय । यह ध्यान रखा जावे कि दण्ड सम्बन्धी-कार्यवाही की अपील जो उच्च न्यायालय/अपील न्यायालय में अपराधी द्वारा स्वय को अपराध मुक्त होने के लिए प्रस्तुत की है और न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है तो उसे कर्त्तव्य पर नही माना जावे जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे मुक्त (डिसचार्ज) नहीं कर दिया जाता है ।

ऐसे मामलों में जहा पर जाच अधिकारी अथवा अनुशासन-अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही करने पर अपील उच्च-अधिकारी द्वारा अथवा न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप स्वीकार करली जाती है तो जांच अधिकारी/अनुशासन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

यह आदेश समस्त अनुशासन अधिकारियों को तुरन्त पालना के लिये उनके ध्यान में लाया जावें।"

उपरोक्त वर्णित आदेश वित्त विभाग/कार्मिक विभाग द्वारा जारी नही किया गया है। अतः समस्त शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों एवं अनुशासनात्मक अधिकारियों पर जोर डाला जाता है कि उक्त वर्णित आदेश पर कोई कार्यवाही नही की जावे। यदि ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी मामले में पूर्व मे कोई कार्यवाही कर ली गई है तो उस पर पुनः कार्यवाही की जावे एव उसका परिशोधन किया जाकर इस विभाग को पूर्ण विवरण सहित सूचित किया जावे।

इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि आदेश/परिपत्र की प्रतियों के आधार पर कोई कार्यवाही नही की जानी चाहिये जब तक कि वे किसी उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित न हों।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (24) डी (ग्रुप-2) 76 दिनांक 24 मई, 1976 द्वारा प्रसारित]

उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन-नियतन के सम्बन्ध मे कुछ शकायें उठी है जिन्होने 1–9–1976 से पुनरीक्षित नवीन वेतनमान मे आने का विकल्प दिया है किन्तु जो शास्ति की, उदाहरणार्थ असचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना तथा असचयी प्रभाव से वेतनमान मे निचली स्टेज पर लगा देना, कालावधि की समाप्ति पर उनके वेतन के प्रत्यावर्तन के लिए उपबंध के साथ, किसी शास्ति के फलस्वरूप उक्त तारीख को कम वेतन आहरित कर रहे थे। उनके सबन्ध मे यह विनिश्चय किया गया है कि इस प्रकार के मामलों में किसी व्यक्ति का वेतन दोनों ही—

(क) 1–9–1976 को वास्तविक रूप से आहरित वेतन के आधार पर, तथा

(ख) उस वेतन के आधार पर, जिसे वह आहरित करता लेकिन शास्ति के कारण नही कर सका, नियत किया जाना चाहिए।

2. पुनरीक्षित वेतन जैसा कि ऊपर (क) पर नियत हुआ हो 1–9–76 से शास्ति की समाप्ति की तारीख तक तथा पुनरीक्षित वेतन जैसे कि ऊपर (ख) पर नियत हुआ हो, वेतन वृद्धियां, यदि कोई हो, जो 1–9–1976 से शास्ति की समाप्ति की तारीख तक की कालावधि के दौरान पुनरीक्षित वेतनमानो में काल्पनिक रूप से देय हुई हों, अनुज्ञात करने के पश्चात् शास्ति की समाप्ति की तारीख की अगली तारीख से प्रदान किया जाय।

3. 1–9–1976 से पूर्व अन्यथा रूप से निश्चित पहले के मामले भी वापस खोले जायेगे तथा ऊपर उपदर्शित तरीके से नियमित किये जायेंगे, लेकिन उक्त प्रकार के मामलों में, यदि कोई हों, अधिसदायों की वसूली का प्रश्न उठता हो तो वसूली को माफकी हुई समझी जाय।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 1 (क) (25) वित्त (ग्रुप-2)/77 दिनांक 21–12–77]

टीका:—इसे सेवा नियम 29 तथा उसके अन्तर्गत दिये गये दृष्टान्तो के साथ देखना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

नियम 55 :—निलम्बन काल में किसी राज्य-कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय :—राजस्थान सेवा नियम 55 के अन्तर्गत निलम्बन-काल में राज्य-कर्मचारी को किसी प्रकार के अवकाश देने पर प्रतिबन्ध है। फिर भी इस नियम की पालना से निलम्बित कर्मचारी के परिवार आदि में गम्भीर बीमारी होने की दशा में कठिनाई आती है। अतः राज-प्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे मामले में पद को भरने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्यालय

छोड़ने की ऐसी अनुमति अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियो में जाच की स्थिति एवं राज्य-कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण उसकी प्रगति में सम्भावित परिणामो को ध्यान में रखकर उचित समय के लिये दी जावेगी ।

स्पष्टीकरण :—राजस्थान सेवा नियम 55 के अनुसार एक निलम्बित कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता है, फिर भी उसके परिवार के सदस्य आदि की बीमारी की दशा में सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उसे मुख्यावास छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक निलम्बित कर्मचारी को मुख्यावास पर अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिये नियमित रूप से कार्यालय मे आना चाहिये । इस प्रश्न की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एक निलम्बित कर्मचारी को, यदि संबधित सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उससे यह चाहा जाय तो, कर्मचारी को नियमित रूप से कार्यालय मे उपस्थित होना चाहिये (फिर भी उसके द्वारा कार्यालय में उपस्थिति अंकित करना आवश्यक है ।)

[एफ, 1(80)वि.वि /(नियम)71 दिनांक 12 नवम्बर, 1971 द्वारा निविष्ट एवं अंतिम पंक्ति एफ. 1 (35) वित्त (ग्रुप–2) 75 दिनांक 13–4–75 द्वारा विलोपित]

नियम 55 (क) :—ऐसे राज्य कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसे दण्ड देने वाले सक्षम-प्राधिकारी ने राज्य-सेवा से बर्खास्त करने अथवा निष्कासित करने अथवा अनिवार्य-रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय कर लिया हो ।

अध्याय 9

अनिवार्य सेवा निवृत्ति

नियम 56 (क) (i):—जब तक इन नियमों में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त, अन्य राज्य-कर्मचारियों की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख, उस माह के अन्तिम दिन मध्यान्ह-पश्चात् होगी जिस माह में वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते है। उन्हे 'सार्वजनिक-हित' की दृष्टि से, जिसे अभिलिखित किया जावे, सरकार की स्वीकृति द्वारा अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है, किन्तु किन्ही बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

टिप्पणी:—एक राज्य-कर्मचारी को, जिसका जन्म-दिवस माह का प्रथम दिवस है, को राज्य सेवा से 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से पिछले माह के अन्तिम दिन मध्यान्ह-पश्चात् सेवा-निवृत्त कर किया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश एफ. 1 (39) वि, वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 2 अगस्त, 1975 द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 13 सितम्बर, 1974 से प्रभावशील]

किन्तु शर्त यह है कि अन्यथा प्रकार के प्रावधान होने पर भी एक राज्य कर्मचारी जो एक दिसम्बर, 1962 को सेवा-निवृत्त नहीं हुआ है किन्तु जिसकी बाद में 55 वर्ष की आयु हो, तो जितनी अवधि के लिये उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा की है, उसे उक्त नियम के अनुसार अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति के बाद "सेवा में वृद्धि स्वीकृत कर रखा हुआ" माना जावेगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद राज्य सेवा में रोके गये कर्मचारी (सेवा वृद्धि के कारण) की सेवा-अवधि को राज्य सरकार द्वारा लिखित में आदेश देकर किसी भी समय बदला (आलटर) जा सकता है। यह प्रावधान 30–6–77 से लागू होगा।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1 (39) वित्त (ग्रुप-2) 74 दिनांक 20–8–77 जो इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 30–7–77 के अतिक्रमण में जारी की गई है]

नियम 56 (क) (ii):—चतुर्थ-श्रेणी राज्य कर्मचारियों को उस माह के अन्तिम दिवस को मध्यान्ह पश्चात् सेवा-निवृत्त कर दिया जावेगा जिस माह में वे 58 वर्ष की आयु के हो जाते हैं।

टिप्पणी:—चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी जिसका जन्म-दिनाक माह का प्रथम दिन है तो राज्य सेवा से 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख के पिछले माह की अन्तिम तारीख को मध्यान्ह-पश्चात् सेवा-निवृत्त कर दिया जावेगा।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (39) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 2 अगस्त, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 13 सितम्बर, 1974 से प्रभावशील]

नियम 56 (क) (iii):—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (42) वि. वि.। (व्यय-नियम) 67–I दिनाक 27 जुलाई, 1967 द्वारा 1 जुलाई, 1967 द्वारा विलोपित।

टिप्पणी संख्या 1:—विद्यालय, महाविद्यालय एव अन्य शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकगण अथवा उक्त

संस्थाओं के प्रधानों (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) जो शिक्षा सत्र के जनवरी माह से पूर्व ही सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने को हैं तो उन्हें निवृत्ति-पूर्व का अवकाश अवश्य ही, यदि स्वीकार्य है तथा आवेदन किया है, स्वीकार कर दिया जाना चाहिये, किन्तु नियत तारीख को उन्हें सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार वे व्यक्ति जो 1 जनवरी को या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करते है किन्तु जो निवृत्ति पूर्व का अवकाश उस सीमा तक लेने के अधिकारी हैं कि वे 1 जनवरी से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करने के लिये विदा कर सके, तो उन्हें भी यदि उन्होंने आवेदन किया है, अवकाश अवश्य ही स्वीकृत किया जाना चाहिये तथा निर्धारित तारीख को सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये। वे व्यक्ति जो 1 जनवरी को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करते है एव जो न तो अपना ऐसा अवकाश बकाया रखते हैं जिसका वे 1 जनवरी से पूर्व उपभोग कर सकते थे एवं न वे निवृत्ति-पूर्व का अवकाश का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित तारीख को सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये। फिर भी नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी का यह मत हो कि ग्रीष्मावकाश अथवा 30 जून, जो भी पूर्व मे हो, तक शैक्षणिक-वर्ष के अवशेष समय मे उनकी सेवाओं का, अध्ययन के हित की दृष्टि से, चालू रखा रखा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति-कर्ता-प्राधिकारी उन्हें निम्न अंकित-शर्तों पर पुनः नियुक्त कर सकता है:—

सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त वेतन मे से पेन्शन तथा मृत्यु एव विश्रामवृत्ति उपदान (डैथ-कम-रिटायरमेन्ट-ग्रेच्यूटी) के समान विश्रामवृत्ति की राशि को कम करके जो राशि आये उसके समान वेतन निश्चित किया जावेगा।

(2) पेन्शन के मामले को अन्तिम रूप से निपटाने को विचाराधीन रखते हुए उक्त कर्मचारी की पुनः नियुक्ति पर उसे अस्थाई तौर पर वेतन एवं भत्ते उस द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त वेतन की दर से प्राप्त करने की स्वीकृति दी जावेगी। किन्तु ऐसी स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जावेगी कि यदि ऐसा भुगतान उसके पेन्शन के क्लेम का अन्तिम निर्णय होने पर अधिक पाया जावेगा तो पेन्शन एव डी सी. आर. जी. मे से उसका समायोजन कर लिया जावेगा।

ऐसे मामलों में जहा पुनः नियुक्ति पर वेतन उपरोक्त क्रमांक (1) के अनुसार निश्चित किया जावे, वहा सेवा नियम 337 के प्रावधान एवं उसके अन्तर्गत निर्णय ऐसी पुनः नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्रभावी नही होंगे।

टिप्पणी संख्या 2:—एक राज्य कर्मचारी को, जिसकी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर सेवा में वृद्धि की गई है, सेवा-वृद्धि-काल मे दूसरे पद पर पदोन्नत नही किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 56 (क) के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (1) के अनुसार उन अध्यापको की सेवायें जो प्रशिक्षण सत्र मे दिसम्बर के बाद सेवा निवृत्त होते है, उन्हें ग्रीष्मावकाश सहित सत्र के अन्त तक सेवा में रखा जा सकता है।

राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 1959 से पचायत समितियों के गठन के फलस्वरूप प्राथमिक पाठशालायें पंचायत समितियों के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर दी गई है। यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणी में वर्णित शर्तो के अनुसार पचायत समितियो द्वारा ऐसे अध्यापकों को रोका जाना सक्षम प्राधिकारी के आदेश से रोका हुआ समझा जावेगा। यह आदेश दिनाक 2 अक्टूबर, 1959 से प्रभाव में आया हुआ समझा जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वर्तमान प्रावधान, जो सेवा-नियम 56 में वर्णित है, के अनुसार एक कर्मचारी की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख है जिस दिन वह 52 वर्ष या 55 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, कि आयु प्राप्त कर लेता है। इस मामले की परीक्षा की गई है और राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान

की है कि 13 सितम्बर, 1974 से एक कर्मचारी नियम 56 (क) (i) तथा (ii) के अनुसार अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख के माह के अन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चात् से, सेवा-निवृत्त होगा। परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारियों की दिनांक निम्न-प्रकार से प्रभावशील होगी।

जन्म दिनांक	55 या 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति का दिनांक
1. माह की प्रथम तारीख	पिछले माह के अन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चात् से।
2. माह की अन्य कोई तारीख	उस माह के अन्तिम दिवस, मध्यान्ह पश्चात् से।

नियमों मे औपचारिक सशोधन उचित समय पर जारी किये जा रहे हैं।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 1 (39) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 13 सितम्बर, 1974 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 3;—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 1974 (उपरोक्त निर्णय सख्या (2) के प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी सेवा नियम 56 के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख के जिस माह मे वह 55 वर्ष या 58 वर्ष का होता है, उसके अन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चात्, सेवा निवृत्त होगा यह आदेश दिनाक 13 सितम्बर, 1974 अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियो पर प्रभावी होगा। इस पर एक प्रश्न उठा है कि उन कर्मचारियो के मामले मे जो उपरोक्त आदेशों से पूर्व ही सेवा निवृत्ति पूर्व के अवकाश पर जा चुके हो अथवा जो सेवा निवृत्ति अवकाश की समाप्ति पर 13 सितम्बर, 1974 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे हों किस प्रकार नियमित होगे।

इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले सेवा निवृत्ति पूर्व के अवकाश की समाप्ति की तारीख एवं उक्त आज्ञा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सेवा निवृत्ति की तारीख के बीच की अवधि इन प्रयोजनो के लिये कर्त्तव्य मानी जावेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा निवृत्ति से पूर्व के अवकाश की समाप्ति पर वापिस कार्यभार सम्भालना आवश्यक नही होगा और उपरोक्त आदेशों के अधीन निर्धारित तारीख से सेवा-निवृत्त मान लिया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (39) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 15 अक्टूबर, 1974 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देश:—वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 (42) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनाक 13 जून. 1967 के अनुसार 1 जुलाई, 1967 को सेवा-निवृत्त होने वाले राज्य-कर्मचारियो को अवकाश वेतन एव पेन्शन आदि स्वीकृत करने के लिये निम्न-अंकित निर्देशो का अनुसरण किया जावेगा:—

प्रशासनिक विभागो एव विभागाध्यक्षों द्वारा इन निर्देशो की कठोरता से पालना की जानी चाहिये तथा उन कर्मचारियो को निश्चित रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिये जिन्होने 1 जुलाई, 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त करली है। उन्हे अवकाश वेतन, जो भी देय हो, एव पेन्शन आदि स्वीकृत किया जाना चाहिये।

1. सभी कर्मचारी 1 जुलाई, 1967 को सेवा निवृत्त होने से उस दिन मध्यान्ह-पूर्व अपने पद का कार्यभार सम्भला देगें। जहा कार्यभार मे भण्डार आदि का कार्य भी सम्भालना हो वहा यह कार्य 1 जुलाई, 1967 के मध्यान्ह पूर्व तक पूर्ण करा लिया जाना चहिये।

2. पद का कार्यभार ऐसे कर्मचारी को सम्भलाने का प्रबन्ध न हो सके तो कार्यभार चतुर्थ-श्रेणी के अतिरिक्त, विभाग के किसी भी अन्य कर्मचारी को जो सेवा निवृत्त किये जाने वाले कर्मचारी के मुख्यालय पर

उपलब्ध हो, सम्भला दिया जावेगा। कर्मचारी जो राजकीय उपक्रम, स्वशासित-निकायों, निगमों, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायों या अन्य विदेशी सेवा या अन्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार मे प्रतिनियुक्ति पर हो तथा जो भारत में या बाहर राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट कर्त्तव्यों पर है, उन्हे सरकार को 30 जून, 1967 को प्रत्यावर्तित (रिवर्टेड) किये गये तथा 1 जुलाई, 1967 के मध्यान्ह-पूर्व से "सेवा निवृत्त किये गये" समझा जावेगा।

4. कर्मचारी जो 30 जून 1967 को निलम्बित हैं, दिनांक 1 जुलाई, 1967 के मध्यान्ह पूर्व में राजकीय सेवा से निवृत्त हो जावेंगे, किन्तु उनके विरुद्ध चल रही समस्त कार्यवाहियाँ चालू रहेंगी।

5. राज्य कर्मचारी जो सक्षम-प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के स्वीकृत अवकाश पर है वह भी दिनाक 1 जुलाई, 1967 के मध्यान्ह पूर्व से सेवा निवृत हो जावेगा तथा इसके फलस्वरूप जो उपार्जित अवकाश का उसने उपभोग नही किया उसे "अस्वीकृत अवकाश" समझा जावेगा। किन्तु उपार्जित अवकास जिसका उपभोग नहीं किया गया, का अवकाश वेतन 1 जुलाई, 1967 के बाद भुगतान किया जावेगा।

6, एक कर्मचारी जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया है अथवा आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है वह 1 जुलाई, 1967 के मध्यान्ह पूर्व से सेवा निवृत होने की सूचना उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके अधीन वह आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है या अधिक-घोषित हुवा है।

7, राज्य-कर्मचारी जो 1 जुलाई, 1967 से पूर्व पद-भार-ग्रहण-काल का उपभोग कर रहा है वह नये मुख्यावास पर सेवा पर उपस्थित होगा तथा 1 जुलाई, 67 को अपने कार्यभार से मुक्त होगा। किन्तु यदि नये मुख्यालय पर सेवा मे 1 जुलाई, 1967 से पूर्व उपस्थित नही हो सकता हो तो कर्मचारी अपने पुराने मुख्यालय पर ही रुका रहेगा तथा 1 जुलाई, 1967 को अपने सेवा निवृत्त होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसके अधीन वह पदभार-ग्रहण-काल का उपभोग करने से पूर्व सेवा कर रहा था।

8 एक कर्मचारी जिसके अपने खाते मे 1 जुलाई, 1967 से पूर्व बकाया उपार्जित अवकाश है, वह ऐसे अवकाश के लिये निवेदन करेगा तथा उस बकाया अवकाश का, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, भुगतान किया जावेगा। फिर भी यदि उपार्जित अवकाश के एवज मे भुगतान की राशि 30 दिन के अवकाश पर देय राशि से कम है तो उसे सेवा नियम 91, 92, 94 एव 97 मे छूट देते हुए 30 दिवस का अवकाश-वेतन स्वीकृत किया जावेगा।

9. इस प्रकार आवेदित अवकाश को सेवा-नियम 89 में छूट देते हुए दिनांक 1 जुलाई, 1967 से पूर्व "अस्वीकृत-किया-हुआ" समझा जावेगा। अस्वीकृत अवकाश की अवधि मे ऐसे मामले में स्वीकार्य अवकाश-वेतन वही होगा जो वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ, 1 (48) वि. वि. (व्यय-नियम)/67 दिनाक 15 जुलाई, 1967 के अनुसार देय है एवं उसका प्रत्येक माह के अन्त मे भुगतान किया जावेगा।

10. जून माह के बकाया वेतन एवं भत्तो का भुगतान सामान्य रूप से किया जावेगा तथा "कोई-बकाया-नही" प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त एतद्द्वारा समाप्त की जाती है। फिर भी ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा उसे पेन्शन के अन्तिम रूप से तय कराने के पत्रादि के साथ संलग्न किया जा सकता है तथा बकाया राशि को पेन्शन या ग्रेज्यूटी या अशदायी-भविष्य निधि में योगदान-कर्त्ता के राजकीय अशदान की की राशि मय ब्याज या विशिष्ट-योगदान मे से या सेवा-निवृत्त-कर्मचारी को दिनाक 1 जुलाई, 1967 को देय भुगतान की राशि मे से समायोजित कर लिया जावेगा।

11. एक कर्मचारी जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 को सेवा निवृत्त हो रहा है, उसके 10 वर्ष की पेन्शन-योग्य सेवाओं के सत्यापन के आधार पर, जब तक उसका पेन्शन का मामला अन्तिम रूप से तय नही हो

जाय, उसे ऐन्टिसिपेटरी-पेन्शन स्वीकार की जा सकती है । राजपत्रित-अधिकारी शीघ्र ही सेवा नियम भाग-(2) के परिशिष्ट (vii) में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-झ) में पेन्शन-योग-सेवा-का विवरण, पेन्शन स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी की मार्फत "ऐन्टीसिपेटरी" पेन्शन प्राधिकृत करने के लिये महालेखाकार को भेजेगें जो ऐसे पत्रादि पर लाल स्याही से (ऐन्टिसीपेटरी-पेन्शन) लिखकर भेजेंगे । महालेखाकार राजस्थान राजपत्रित अधिकारियों के लिये अगस्त, 1967 के अंत तक ऐसी पेन्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत करेंगे जिससे सितम्बर, 1967 से ऐसे अधिकारी पेन्शन प्राप्त कर सकेंगे । अराजपत्रित-कर्मचारियों के मामलों में कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा नियम भाग-(2) के परिशिष्ट-(vii) में निर्धारित प्रपत्र संख्या (झ) में ऐसी पेन्शन के लिये प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही करेंगे जिस पर वह सम्बन्धित पेन्शन नियमों के अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त करने के लिये 10 वर्षों की पेन्शन-योग्य-सेवा, सेवा-निवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रमाणों के आधार पर लाल स्याही से "ऐन्टीसीपेटरी पेन्शन" लिखेंगे । सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद पेन्शन स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी एन्टिसीपेटरी पेन्शन-स्वीकृत कर सकता है तथा उसे राज्य कर्मचारी को वितरित करने के लिये वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 29–4–1967 तथा वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (52) वि. वि. (व्यय-नियम)/65 दिनांक 14 सितम्बर 1966 के साथ पठित प्रावधान के अनुसार राजकोष से उठा सकता है ।

12. राज्य सेवा से स्वयं सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी तथा पेन्शन स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी पेन्शन सम्बन्धी मामले को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिये दिनांक 31 दिसम्बर, 67 से पूर्व पेन्शन एवं ग्रेज्यूटी अथवा अंशदायी-भविष्य-निधि की राशि का भुगतान कर दिया गया है । पेन्शन के मामले में सभी दृष्टि से अक्टूबर, 1967 की समाप्ति से पूर्व हर प्रकरण को सावधानी से पूर्ण करके महालेखाकार राजस्थान के पास भेज दिया जावेगा ।

13. वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (18) वि. वि. (ए) (नियम)/61 दिनांक 22 अप्रेल, 1961 द्वारा सम्बन्धित सेवा नियम 241 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के आदेश संख्या-(2) के अनुसार वेतन-निर्धारण, व्यवधानों को जोड़ने, "वेतनादि" में परिवर्तन, जन्म-तिथि की शुद्धि, सेवा-वृत्त आदि में परिवर्तन, जिनसे कर्मचारी की पेन्शन में प्रभाव पड़ता है नहीं किया जाना चाहिये जहां उनकी मांग सेवा निवृत्त होने के 3 वर्ष के अन्दर की गई है । तद्नुसार 1 जुलाई, 1967 को सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कोई मांग एवं प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा । फिर भी इन आदेशों के प्रसारित होने की तारीख को जो क्लेमस् अभ्यावेदन विचाराधीन है सक्षम-प्राधिकारी द्वारा 3 माह में निश्चित रूप से निपटा दिये जावेंगे ।

14. दिनांक 1 जुलाई, 1967 को सेवा-निवृत होने वाले कर्मचारियों की जो जोधपुर-अंशदायी भविष्यनिधि के सदस्य है, उन्हें सेवा-निवृत्त होने के बाद शीघ्र ही उनके अंशदान की राशि महालेखाकार राजस्थान द्वारा भुगतान की जावेगी राजकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज एवं विशिष्ट अंशदान का भुगतान सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारी को दिनांक 31 दिसम्बर, 1967 से पूर्व कर दिया जावेगा ।

15. राज्य कर्मचारी जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 को सेवा-निवृत्त होता हो, एवं जिसकी बीमा पालीसी 58 वर्ष की आयु पर परिपक्व होती है वह राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियम, 1953 के नियम 45 एवं 48 के अधीन प्रदत्त लाभ का उपयोग कर सकते है ।

16. किसी भी प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की राशि एवं उस पर देय ब्याज जो सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की ओर बकाया हो तथा किस्तों या एक मुस्त में चुकाये जाने योग्य हो वह उनके द्वारा नक़द में एक मुस्त जमा कराया जा सकता है अथवा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि में से या अंशदायी-भविष्य-निधि में योगदान होने की दशा में राजकीय-अंशदान तथा उस पर ब्याज एवं विशिष्ट अंशदान की राशि में से समायोजित

की जा सकती या सक्षम-प्राधिकारी को लिखित निवेदन करने पर या उस माह तक जिसमें कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है, उपयुक्त मासिक-किस्तों में मुगतान करने योग्य पेन्शन में से काटी जा सकती है।

17. सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारी के वेतन निर्धारण आदि के सहित बकाया मामले इस अधिसूचना के प्रसारित होने से दो माह के भीतर तय कर दिये जावेंगे।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (42) वि. वि. (व्यय-नियम) 67–II दिनांक 13 जून, 1967 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण:—यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या सरकारी कर्मचारी जो विश्रामकालीन (वेकेशन) विभाग मे हैं तथा जो 30 जून, 1967 को अपने खाते मे कोई उपार्जित अवकाश नही रखते हैं क्या उन्हे वित्त विभाग के आदेश दिनाक 13 जून, 1967 (उपरोक्त राजकीय निर्देश) के अनुच्छेद 3 (8) के अनुसार 30 दिनों का अवकाश-वेतन मुगतान किया जा सकता है तथा यह प्रश्न कि कोई कर्मचारी विश्राम-कालीन विभाग का है या नही, प्रासगिक प्रश्न नही है। 30 दिन के अवकाश का मुगतान केवल उन्ही कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिनका 30 जून 1967 को अपने अवकाश के लेखो मे 30 दिन से कम का उपार्जित अवकाश बकाया था। यह अलग बात है कि चाहे वे विश्राम-कालीन विभाग के हो या नही। ऐसे मामले में जहा कर्मचारी का 30 जून, 1967 को कोई उपार्जित अवकाश बकाया नहीं हो वहा पर 30 दिन के अवकाश वेतन का मुगतान प्राप्त करने का वह अधिकारी नही है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान सेवा नियम 92 (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अवकाश की कुल अवधि जो विश्राम काल के साथ उपभोग करने पर एक बार मे कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये। अतः इस मामले में जहा अवकाश विश्राम-काल के साथ उपभोग करने की मनाई नही है वहां उपार्जित अवकाश एव विश्राम काल की अवधि मिलाकर 120 दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके साथ यह शर्त और होगी कि अस्वीकृत अवकाश उस दिन के बाद का नही होगा जिसको कर्मचारी वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (42) वि वि. (व्यय-नियम)/67 दिनाक 18 अगस्त, 1967 के अनुसार 58 वर्ष का हो जाता है।

वर्तमान प्रावधानों के अधीन अवकाश वेतन के मुगतान को केवल तभी फलाया जा सकता है जब पेन्शन एव उसके समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभो की राशि ज्ञात हो जावे। चूंकि पेन्शन के मामलो को अन्तिम रूप से तय करने मे कुछ समय लगेगा, अतः पेन्शन एव उसके समान अन्य सेवा-निवृत्ति-लाभो को राशि ज्ञात करना सम्भव नही होगा एव इससे अवकाश वेतन के मुगतान करने में देरी होगी। अतः यह निर्णय किया गया है कि जहा पेन्शन एवं उसके समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ज्ञात नही हों, अवकाश वेतन का मुगतान उसी प्रकार से किया जाय जैसा विभागीय मामलो मे किया जाता है तथा जो भी अधिक मुगतान किया हुआ पाया जाये उसको पेन्शन एव ग्रेच्यूटी या अन्य सेवा निवृत्ति-लाभ, जब भी स्वीकृत हो, से समायोजित किया जावेगा। अधिक मुगतान की राशि बिना वसूल हुए नही रह जाय उसके लिये निम्न-अंकित प्रक्रिया की पालना की जानी चाहिये:—

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामले मे महालेखाकार राजस्थान को इस प्रकार से किये गये अवकाश वेतन के मुगतान की सुचना दे दी जावे जिन्हे स्वीकृत होने पर पेन्शन, मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति उपदान की देय राशि मे से समायोजित किया जाना है।

(2) अराजपत्रित कर्मचारियों के मामलो मे आहरण एवं वितरण अधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी को मुगताये गये अवकाश वेतन की राशि को पेन्शन के पत्रादि के साथ महालेखाकार को सूचित करेंगे तथा महालेखाकार उक्त सूचना के आधार पर अधिक मुगतान को देय पेन्शन/ग्रेच्यूटी की राशि

वसूली कर्मचारी से उस माह के देय वेतन से हो जावे जिसको वह 58 वर्ष की आयु के होने पर सेवा निवृत्त होते, पूर्व के माह तक की अवधि में औचित्य-पूर्ण मासिक किस्तों में वसूल की जावेगी। यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 1 जुलाई, 67 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के मामले में ऋण/अग्रिम एवं उसके ब्याज की वसूली निम्न-अंकित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिये:—

(क) 30 जून, 1967 तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के मामले में ऋण/अग्रिम एवं उस पर ब्याज की वसूली उनकी पेन्शन राशि से की जानी चाहिये तथा सम्पूर्ण राशि उस माह से पूर्व वसूल कर ली जानी चाहिये जिसमें वह 58 वर्ष का होता है,

(ख) 30 जून, 1967 के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में वसूली की किस्तों की पुनः गणना इस प्रकार की जानी चाहिये की पूर्ण राशि सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले ही वसूल हो जावे।

(ग) अन्य प्रकार से तय किये गये मामलों पर पुनः विचार नहीं किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (71) वि. वि. (नियम) 69/II दिनांक 19 नवम्बर, 1969 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की गई है। उपरोक्त अधिसूचना के फलस्वरूप समस्त चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 को 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के है, 1 दिसम्बर, 1969 से सेवा निवृत्ति किये जाने है।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्षो से निवेदन है कि वे इस बात को पूर्णतया सुनिश्चित करलें कि उनके अधीन ऐसे सभी चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी जो 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के है, दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 को सेवा निवृत्त कर दिये जायें। ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—सरकार ने निर्णय किया है कि निम्न-अंकित श्रेणी के कार्यदत्त (वर्कचार्ज) कर्मचारियो के मामले मे अनिवार्य सेवा-निवृति की तारीख, दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 से, वह तारीख होगी जिसको कर्मचारी 55 वर्ष का होता है। तदनुसार ऐसे सभी कार्य-दत्त कर्मचारी जिनकी आयु 1 दिसम्बर, 1969 को 55 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है सेवा में नही रखे जावेगे। बागवान, माली, खल्लासी, बेलदार, गैंगमैन, सफाई करने वाला, कुली, स्टोनकटर, ड्रेसर, नलसाद, मददगार, हाली, राज :

जहां पर औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अधीन प्रसारित एवं प्रचलित स्थाई आदेश है वहा नियुक्ति-प्राधिकारियो को अपने आदेशो मे संशोधन करने तथा दिनाक 1 दिसम्बर, 1969 को 55 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले कार्य-दत्त व्यक्तियो को सेवा-निवृत्त करने की आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखना चाहिये। इसी प्रकार पंचाट (अवार्ड) द्वारा नियमित होने वाले व्यक्तियों के मामले मे विधि/श्रम विभाग के परामर्श से इसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये।

ऐसे मामले मे जहा स्थाई आदेश न हो तथा सेवा की शर्ते कार्यकारी आदेशों या निर्देशो द्वारा नियमित होती हों, तो वहा 1 दिसम्बर, 1969 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले कार्यदत्त-कर्मचारियो की सेवायें समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहिये। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाये इस आदेश के अनुसार समाप्त होगी सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर प्रभावी नियमों के अनुसार स्थानीय भविष्य निधि लाभ, यदि हों, प्राप्त करने के अधिकारी होगे। फिर भी वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ख) के अनुसार कटौती-लाभ के लिये

अधिकारी नही होगा। उपरोक्त अनुच्छेद (1) में वर्णित श्रेणी के कार्य-दत्त कर्मचारियों की जो सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) एवं उद्यान, सिंचाई, जलदाय एवं आयुर्वेदिक कार्य-दत्त कर्मचारी सेवा नियम 1964 द्वारा शासित होते हैं, उनकी सेवायें उक्त तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक होने पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 से समाप्त की जावेगी। नियमों मे औपचारिक संशोधन उचित समय पर प्रसारित किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 7:—वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ/(71) वि. वि. (नियम) 69 दिनाक 29–11–69 (उक्त राजकीय निर्णय सख्या–6) के अनुच्छेद (1) के आशिक सशोधन मे निम्न-अकित श्रेणी के कार्यदत्त कर्मचारियों के मामले में, दिनाक 1–12–1969 से, अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख वह होगी जिस दिन वह कार्यदत कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करे। फलस्वरूप जिन कार्यदत्त-कर्मचारियों की 1–12–1969 को 55 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो गई है उनको आगे सेवा में नही रखा जावेगा।

(1) फरांस (2) चौकीदार (3) हैल्पर (न्यूनतम ग्रेड) (4) खल्लासी (5) माली/बागवान (6) हरीजन (7) जलधारी (8) बेलदार्स, हैड बेलदार सहित (9) हाली (10) भिस्ती (11) वार्ड-कीपर (12) स्टोर-अटेन्डेन्ट तथा (13) स्टोर-असिसटेन्ट (जो वेतन सख्या 2 में वेतन पा रहा हो (14) क्लीनर्स (15) कुली।

इन आदेशों के कारण जो कार्यदत्त-कर्मचारी अभी तक सेवा मे है किन्तु जिन्हें 1–12–1969 से सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिए था, अब 1–12–69 से ही सेवा-निवृत्त कर दिये जावे। 1–12–69 से वास्तव में सेवा-निवृत्त किये जाने की अवधि को पुनः नियुक्ति की अवधि मानी जावेगी।

इसी प्रकार जो कार्यदत्त-कर्मचारी राजकीय निर्णय सख्या–6 के कारण सेवा निवृत्त कर दिये गये हैं किन्तु जिन्हें इन आदेशो के अनुसार 58 वर्ष की आयु तक कार्य पर रखा जाना है, उन्हें; यदि वे चाहें तो, पुनः कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर आने दिया जावे। सेवा निवृत्ति की तारीख से वापिस कर्त्तव्य पर आने के बीच की अवधि को, नियमित करने की दृष्टि से, देय अवकाश दे दिया जावे। कोई अवकाश बकाया नही हो तो असाधारण-अवकाश दे दिया जावे। कर्त्तव्य पर वापिस आने पर ऐसे कर्मचारी को उसे प्राप्त हुए सेवा-निवृत्ति लाभो को वापिस करना होगा।

उक्त अनुच्छेद सख्या (2) तथा (3) 31–3–70 तक प्रभावीशील रहेगें।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (71) वि. वि. (नियम) 69 दिनाक 29–1–70 तथा 24–7–70 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 8:—वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 19 नवम्बर, 1969 द्वारा चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियो की विश्राम-वृत्ति-आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिये जाने के कारण जो कर्मचारी दिनाक 1 दिसम्बर, 1969 को 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो गये है, उन्हे उक्त तारीख से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है। चूंकि इन कर्मचारियो को सेवा-निवृत्त कर दिया गया है और चूंकि इन कर्मचारियो को सेवा-निवृत्ति से पूर्व के अवकाश के लिए आवेदन करने का पर्याप्त समय नही मिला, फलतः इन्हे अवकाशो के उपभोग करने से वंचित कर दिया गया था। अतः राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे कर्मचारियो को निम्न-अंकित अवकाश सम्बन्धी सुविधाये प्रदान की जावे।

(1) ऐसे कर्मचारी जिनके अवकाश लेखों में 1 दिसम्बर, 1969 को जितना उपार्जित अवकाश बकाया है वह अवकाश के लिये आवेदन करेगा। आवेदन अवकाश को सेवा नियम 89 मे छूट देते हुए, अधिकतम 120 दिवस की सीमा तक "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप मे समझा जावेगा। अस्वीकृत-अवकाश की स्वीकृति आगे भी इस शर्त पर दी जावेगी कि वह अवकाश उस तारीख के बाद का नही होगा जिसको कर्मचारी 60 वर्ष का हो जाता है।

(2) उन चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 के बाद तथा 30 अप्रेल, 1970 से पूर्व सेवा-निवृत्त होते है/हुए हैं, उन्हे बकाया एवं आवेदित अवकाश निम्नलिखित सीमा तक "अस्वीकृत-किया" जा सकता है।

(क) दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपार्जित अवकाश जो 120 दिवस से अधिक का नही होगा, और जिसे वह सेवा निवृत्ति की दिनांक तक सामान्य रूप से उपभोग कर सकता था, उसमे से उसके द्वारा वास्तव में उपभोग किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश को काटकर शेष "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1970 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के मामले में सेवा-निवृत्ति के पूर्व बकाया उपार्जित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक का नही होगा, "अस्वीकृत-अवकाश" समझा जावेगा। किन्तु उसमें से दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 तक वास्तव मे उपयोग किये गये अवकाश को कम करके दिनांक 1 जनवरी, 1970 से उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक की अवधि की सीमा तक अस्वीकृत अवकाश दिया जा सकेगा।

3) उपरोक्त (1) एव (2) के अनुसार स्वीकार्य अवकाश-वेतन सेवा नियम 89 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार फलाया जावेगा तथा उस माह के अन्त में भुगतान योग्य होगा। जहा पेन्शन/ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन या अन्य-सेवा-निवृत्ति-लाभ ज्ञात नही हो वहां अवकाश-वेतन का भुगतान सामान्य रूप मे किया जाना चाहिये तथा अधिक भुगतान को पेन्शन/ग्रेच्यूटी या अन्य-सेवा-निवृत्ति-लाभों में से, जब वे स्वीकृत हों, समायोजित कर लिया जावेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अवकाश-वेतन का कोई अधिक भुगतान वसूल किया सके, आहरण एवं वितरण अधिकारी पेन्शन पत्रादि के साथ सम्बन्धित कर्मचारी को भुगतान किये गये अवकाश-वेतन की राशि की सूचना के आधार पर महालेखाकार अधिक राशि को पेन्शन से वसूल करने के लिए टिप्पणी लिखेगा।

नियम 56 (ख):—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (88) वि. वि. (ए) (आर) 62 दिनांक 6 अगस्त, 1963 द्वारा विलोपित।

स्पष्टीकरण:—कई स्थानो पर यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियम 210 (ग) के प्रावधान सेवा नियम 56 (ख) के प्रावधान से सगत है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि सेवा नियम 56 (ख) यह निर्धारित करता है कि दुराचरण के आरोप मे निलम्बित कर्मचारी को अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत होने के लिये नही कहा जावेगा और न ही उसे आज्ञा दी जावेगी किन्तु उसे सेवा में तब तक रखा जावेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोपो की जॉच पूर्ण न हो जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम निर्णय नही ले लिया जावे। सेवा नियम 210 (ग) उन अधिकारियों का विवरण देता है जिन्हे निलम्बित रहते हुए सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति दी जाती है। सन्देहो के निराकरण के लिए इस सम्बन्ध मे निम्न-प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :—

वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 14 के अनुसार निलम्बित कर्मचारी को भी सेवा-निवृत्त किया जा सकता है या वह सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसे मामलो को नियमित करने के लिये नियम 210 (ग) को सशोधित किया गया है। अतः इस खण्ड के अन्तर्गत जाच कार्यवाही के पूर्ण होने पर जारी किये

गये, सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अधीन एक कर्मचारी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व या बाद में, निलम्बन-काल में ही सेवा-निवृत्त हो सकता है। इसके विपरीत नियम 56 (ख) जांच के बाद अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व निलम्बित कर्मचारी को अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर स्वतः ही सेवा-निवृत्त होने पर प्रतिबन्ध लगाता है। निलम्बित काल मे कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने या उसको सेवा-निवृत्ति की स्वीकृति देने का प्रश्न केवल तब ही उत्पन्न होता है जब जांच कार्यवाही पूर्ण हो गई हो, इससे पूर्व नही। उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि सेवा नियम 210 (ग) एव नियम 56 (ख) के प्रावधानो में कोई विसंगति नही है।

टीका:—जब सेवा नियम 56 (ख) दिनांक 6–8–63 से विलोपित कर दिया गया है तब उक्त स्पष्टीकरण अर्थहीन सा लगता है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—स्वीकृत राज्यों में प्रभावी सेवा-नियमों आदि में कुछ प्रावधान होने पर भी राजप्रमुख महोदय इन आदेशों के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारियों की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध मे नियम बनाते हैं जो राजस्थान सेवा नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं:—

(1) एक राज्य कर्मचारी की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की दिनांक वह है जिसको वह 55 वर्ष का होता है। किन्तु शर्त यह है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से, जिसे अभिलिखित किया जावेगा, सरकार की स्वीकृति से उसे अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है। किन्तु वह किन्हीं आवश्यक-विशेष-परिस्थितियों के अतिरिक्त, 60 वर्ष की आयु के बाद राज्य सेवा में किसी भी प्रकार नही रखा जावेगा।

(2) दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण जो कर्मचारी निलम्बित हो उसे अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख को सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति नही दी जावेगी, किन्तु उसे सेवा में उस समय तक रखा जावेगा, जब तक उसके विरूद्ध जांच पूर्ण नहीं हो जावे तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश नही दिया जावे।

(3) एक कर्मचारी पर उक्त निर्णय के अनुच्छेद (1) व (2) मे दिया हुवा कुछ भी प्रभावी नही होगा यदि उसको, उस राज्य अथवा राजस्थान सरकार के मध्य हुए अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—कर्मचारी जो सेवा नियम 56 (ख) के प्रावधान के अनुसार अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में रखा जाता है, यदि उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित सिद्ध हो जावे तो उसे उतने समय के लिये नियम 54 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अधिकारों से वंचित रखा जावेगा, जितने समय तक वह सेवा मे रखा जाता है। इस प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाना उचित नही होगा क्यो कि वह सरकार की सुविधा के लिये अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति के बाद सेवा मे रखा गया है न कि उनके स्वय के हित के लिये।

जब इसी प्रकार की परिस्थितियों मे एक कर्मचारी का निलम्बन पूर्णतया अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है तो उस समय के लिये उसके वेतन एव भत्ते नियम 54 के अनुसार उसे निलम्बित अवधि का वेतन एवं भत्ते का भाग स्वीकृत करेगा तथा यही यह निर्देश देगा कि क्या उस समय को किसी विशिष्ट कार्य के लिये "सेवा-में-बिताया-समय" माना जावेगा अथवा नहीं।

टिप्पणी संख्या 1:—सेवा नियम 89 के अन्तर्गत उस दिन से आगे की अवकाश की स्वीकृति जिसको कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये था या उस दिन से आगे के अवकाश की

स्वीकृति जिस तक कर्मचारी को सेवा में रखा गया है को जोधपुर-अंशदायी-भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान के लिये अथवा पेन्शन प्रयोजनों के लिये अथवा पदाधिकार रखने के लिये सेवा में वृद्धि के रूप मे स्वीकृत नही माना जावेगा। पेन्शन सम्बन्धी लाभों के लिये कर्मचारी को अपनी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति के दिनांक से सेवा-निवृत्त किया हुआ समझा जावेगा या उसकी यदि सेवा में वृद्धि की गई है तो उस वृद्धि की समाप्ति पर स्वीकृत हुआ समझा जावेगा एवं पेन्शन सम्बन्धी लाभो के लिये, उस तारीख से जिनको वह सेवा निवृत्त होता है या उसकी अवधि समाप्त होती है, पात्र समझा जावेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—यह प्रावधान (नियम) उन सभी कर्मचारियों पर प्रभावी होता है जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं चाहे वे अस्थाई पद पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहे हों।

टिप्पणी संख्या 3:—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (84) वि. वि. (ए)/नियम/62 दिनांक 31 अगस्त, 1963 से विलोपित की गई।

राजकीय निर्णय:—विभिन्न विभागों में नियुक्त चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी सेवा-नियम 56 को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष की आयु के होने से पूर्व ही सेवा-निवृत्त कर दिये गये यद्यपि उन्हे नियम 246 के अनुसार सेवा-निवृत्त किया जाना था। उन सब पुराने मामलों को नियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने आदेश दिया है कि जो चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी 9 अक्टूम्बर, 1953 तक 55 वर्ष व 60 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त हो गया है, उसे सेवा-निवृत्ति-आयु पर पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी पर सेवा-निवृत्त किया हुआ समझा जाना चाहिये।

(2) सेवा नियम 246 वित्त विभाग के आदेश दिनाक 9 अक्टूबर, 1953 द्वारा विलोपित कर दिया गया है तथा उससे सम्बन्धित प्रावधान नियम 56 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (3) मे कर दिया गया है। अतः ऐसे सभी मामले इस नियम की टिप्पणी संख्या (3) के द्वारा नियमित किये जावेगे।

जांच निर्देशन :—जब एक कर्मचारी का किसी विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर, सेवा निवृत्त होना या पदावनत होना या अवकाश पर नही रहना चाहा गया हो तो जिस दिन वह कर्मचारी उस आयु को प्राप्त करता है, वह दिन, जैसी भी स्थिति हो, अकार्य-दिन (नान-वर्किंग-डे) गिना जाता है तथा कर्मचारी को उस दिन से, उस दिन समेत, सेवा से निवृत्त या पदावनत हो जाना चाहिये अथवा अवकाश पर नहीं होना चाहिये।

(2) नियम 346, उस द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं शर्तों के अनुसार, एक कर्मचारी को जो विश्राम-वृत्ति-आयु का हो या विश्राम-वृत्ति पर आ रहा हो, उसे इस नियम से बाहर एवं नियम 346 में वर्णित शर्तों के आधार पर पुन- नियुक्ति का अधिकार देता है जिसकी पालना पुनः नियुक्ति के आदेशों में की जानी चाहिये।

स्पष्टीकरण:—यह सर्व-विदित है कि सन् 1967 से ही राज्य सरकार की यह दृढ़ नीति रही है कि समस्त सेवाओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति की निर्धारित आयु के होने के बाद उनके सेवा काल से वृद्धि अथवा उनकी पुनः नियुक्ति नही की जावेगी जब तक कि सम्बन्धित सेवा नियमों में इसके लिये पूर्व में ही कोई विशिष्ट प्रावधान नही हो। तद्नुसार इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ 8 (33) नियुक्ति/क/75 भाग-6 दिनांक 9 नवम्बर, 1971 द्वारा सभी विभागो को निर्देश दे दिये गये थे कि उस निर्णय की कठोरता से पालना की जावे एवं भविष्य में सेवा-निवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की पुनः नियुक्ति अथवा सेवाकाल में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव इस विभाग को नही भिजवाया जावे।

किन्तु गत माह कुछ समाचार पत्रो मे इस सम्बन्ध में भ्रान्ति-पूर्ण समाचार प्रकाशित हुए थे कि राज्य मंत्रि-मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य-सेवाओं के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु अब सामान्य रूप से 56 वर्ष कर दी गई है। वास्तव मे मंत्रि-मंडल द्वारा उपरोक्त विषय की नीति के सम्बन्ध में आंशिक

निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओ के अधिकारियो के अतिरिक्त, राज्य सेवाओं की समस्त श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के केवल विशिष्ट मामलो मे, उनके सेवा काल में, मंत्रि-मण्डल की स्पष्ट आज्ञा या अनुमति से ही एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है।

अतः समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियो को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके अधीन कार्य कर रहे किसी भी श्रेणी के अधिकारी को उसकी सेवा-निवृत्ति आयु के बाद सेवा में नही रखा जावे। विशिष्ट मामले में सेवा-काल मे वृद्धि किये जाने का आधार एव उसके लिये अपनाई जाने वाली पद्धति निर्धारित कर प्रथक से शीघ्र ही भिजवाई जावेगी।

(कार्मिक विभाग के आदेश सख्या एफ. 15 (1) कार्मिक (क-2) 75 दिनाक 3 जून, 1975 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—इस विभाग के सम-संख्यक परिपत्र दिनांक 3 जून, 1975 के द्वारा राज्य सरकार के पूर्व के निर्णय को दोहराया गया था कि कर्मचारी की विश्राम-वृत्ति-आयु के बाद सेवा मे वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार नही किया जावेगा। किन्तु राज्य सरकार ने असाधारण मामलों मे ही सेवाओं में वृद्धि, एक वर्ष की सीमा तक, स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

इस सम्बन्ध मे कुछ भ्रान्तिया होने के कारण सरकार के निर्णय की अनदेखी करते हुए सेवा मे वृद्धि के प्रस्ताव भेजने की प्रवत्ति हो गई है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को स्पष्ट करने और अनावश्यक प्रस्ताव जो सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की अनावश्यक प्रससा के ऊपर आधारित होता है, से बचने के लिये पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सरकार प्रत्येक गुण-सम्पन्न कर्मचारी की सेवा वृद्धि करने में रुचि नही रखती है। राज्य सरकार केवल अत्यन्त असाधारण मामले में ही कर्मचारी की सेवाओं मे वृद्धि करने के सम्बन्ध मे निम्न-अंकित सिद्धान्त निर्धारित करती है एव सेवाओं मे ऐसी वृद्धि मंत्रि-मण्डल के अनुमोदन एवं कार्मिक विभाग की पूर्व-सहमति से ही की जावेगी।

(1) अन्य अधिकारी कार्य करने में पूर्ण परिपक्व नही हो।

(2) सेवा-निवृत्त अधिकारी गुणावगुण में श्रेष्ठता रखता हो।

सिद्धान्त सख्या: 1—यह तभी पूर्ण माना जावेगा जब किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशिष्ट अधिकारियों की कमी हो अथवा किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश सम्भव नहीं हो। यदि अधिकारियों को ऐसे महत्वपूर्ण आवश्यक परियोजना अथवा कार्य पर नियुक्त किया हुआ है जिसका परिणाम एक अथवा दो वर्षों मे मिलने वाला हो, जिस पद पर सेवा-वृद्धि की सिफारिश की गई है उस पद के विरुद्ध जो अधिकारी पदोन्नति का पात्र है उसे इस आधार पर अनुपयुक्त नही माना जा सकता है कि उसे उतना अनुभव प्राप्त नही है। ऐसे मामले में पदोन्नति के लिये सेवा-नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिये। यदि किसी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान एव अनुभव की आवश्यकता हो तो यह निश्चित रूप से बताया जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति को पदोन्नति देय है उसने अभी तक ऐसा ज्ञान या अनुभव प्राप्त नही किया है और इस प्रकार यदि सेवा-वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार नही किया जाता है तो राज्य कार्य मे हानि होगी।

इस आधार पर सेवा-वृद्धि नही की जावेगी कि उपयुक्त उत्तराधिकारी उपलब्ध नही है जब तक यह निश्चित नही कर लिया जाता है कि उत्तराधिकारी के चयन के लिये समय से पूर्व कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु चयन के कार्य को समय पर एवं निश्चित कारणों से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। सिद्धान्त सख्या-2 केवल इस तथ्य के आधार पर पूर्ण नही माना जावेगा कि विशेषज्ञ-ज्ञान (वैज्ञानिक अथवा तकनीकी) में अधिकारी

सभी प्रकार से उपयुक्त है अथवा वह अपने पद के कर्त्तव्यों को दृढता पूर्ण करने योग्य है। सेवा वृद्धि का प्रस्ताव केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जावेगा कि पूर्व में भी उस पद के अधिकारी की सेवा मे वृद्धि की गई थी।

सेवा में वृद्धि के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने एव उपरोक्त सिद्धान्तों की पालना करने के लिये निम्न-अंकित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

(1) सेवा मे वृद्धि के प्रस्ताव विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से न्यूनतम 6 माह पूर्व सम्बन्धित शासन सचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ऐसी सिफारिशों के साथ गोपनीय प्रतिवेदन की पत्रावली तथा महत्वपूर्ण सेवा सम्बन्धी अभिलेख जो अधिकारी के कार्य एव उसके द्वारा प्रस्तुत सफलता से सम्बन्धित हों। यदि कोई विभागीय जाच से सम्बन्धित पत्रावली भी हो तो वह भी साथ में भेजी जानी चाहिये।

(2) ऐसे प्रस्ताव की सम्बन्धित शासन-सचिव द्वारा विस्तृत जांच की जावेगी तथा उसे सम्बन्धित मत्री के आदेशो के लिये प्रस्तुत किया जावेगा। यदि मत्री महोदय का उस मामले में यह दृढ़ मत है कि सेवा में वृद्धि न्यायोचित है जो जनहित में सेवा वृद्धि की न्यूनतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो, निर्धारित करेंगे। तब ऐसें प्रस्ताव को कार्मिक विभाग में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित अधिकारी की विश्राम-वृत्ति की आयु से तीन माह पूर्व भिजवाया जायेगा। कार्मिक विभाग ऐसे मामले को मुख्य सचिव एवं मुख्य मत्रीजी को इस आशय के आदेश प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव उचित है एव मंत्रि-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य है।

(3) जहा पर कोई विभागाध्यक्ष नहीं है अथवा विभागाध्यक्ष स्वय सम्बन्धित है तो शासन सचिव ही उपरोक्त प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों की पालना करते हुए भेजेगें।

(4) मुख्य मत्री द्वारा ऐसे प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् उसे मन्त्रि-मण्डल के समक्ष अन्तिम अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः सबधित अधिकारियों पर जोर डाला जाता है कि उपरोक्त सिद्धांतो एव प्रक्रिया की कठोरता से पालना की जावे और असाधारण मामलों को छोड़कर राज्य कर्मचारी जो उनके प्रशासनिक नियत्रण में है कि सेवा-निवृत्ति आयु होने पर सेवा मे वृद्धि करने की स्वीकृति के प्रस्ताव नहीं भेजे जाने चाहिये।

[कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 18/76/प० 15 (1) कार्मिक (क-2) दि० 25-2-76 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 56 के उपबन्धो की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है- जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर किसी सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख, उस माह के अन्तिम दिन का अपरान्ह है, जिसमें वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तथा चतुर्थ श्रेणी के मामले में यह उस माह के अन्तिम दिन का अपरान्ह है, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। किन्तु सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले आये है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सेवा-पुस्तिका में अभिलिखित जन्म की तारीख के आधार पर निकाली गई सेवा-निवृत्ति की सम्यक तारीख पर सेवा-निवृत्त नही किए गए हैं तथा उन्हें किसी भी भाति, सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद भी, सेवा में रखा गया है। यह बहुत ही अनियमित है। जब ऐसे मामले अधिवार्षिकी (सुपरएन्यूएशन) की आयु प्राप्त करने के पश्चात् की गई सेवा की अतिरेक (एक्सिस) कालावधि के नियमितिकरण के लिए सरकार को निर्दिष्ट किए जाते हैं, तब सरकार के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं

होता है कि अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख तथा सेवा समाप्ति की वास्तविक तारीख के बीच की गई सेवा की अतिरेक-कालावधि को पुनः नियुक्ति की कालावधि के रूप मे मानकर ऐसे मामलों को नियमित कर दिया जाय। नियमितीकरण की प्रक्रिया से पेन्शन मामलों के निपटारे में काफी विलम्ब होता है।

मामले पर विचार किया गया तथा यह निश्चय किया गया है कि उन सरकारी कर्मचारियों के पेन्शन मामले, जिन्हें अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् किन्ही भी कारणों से सेवा में रखा गया हो, आगे से निपटा दिये जाये चाहे उप-वर्णित सेवा की अतिरेक-कालावधि के नियमितीकरण के औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए हों। यदि किसी मामले मे, ऐसे मामलों के नियमितीकरण के परिणामस्वरूप, यह पाया जाय कि वेतन तथा भत्तों के कारण अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो वह, सरकारी कर्मचारी को देय पेन्शन में से वसूल या समायोजित किया जावेगा। महालेखाकार, ऐसे पेन्शन मामलों का निपटारा करेगा तथा सम्बन्धित विभाग को एवं विशेषाधिकरी पेन्शन को सूचित करते हुए, अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख के बाद की, की गई सेवा की अतिरेक कालावधि के नियमितीकरण हेतु सलाह देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नास्पद सेवा की कालावधि को नियमित करने के आवश्यक आदेश तुरन्त जारी कर दिये गये हैं, विशेषाधिकारी पेन्शन, संबंधित विभाग से मामले के बारे में सम्पर्क करेगा।

[वित्त विभाग का ज्ञापन संख्या एफ. 1 (39) वित्त (ग्रुप-2) 74, दिनांक 17 नवम्बर. 77]

अध्याय 10

अवकाश

अवकाश की सामान्य शर्तें

(खण्ड–1)

नियम 57 :—अवकाश केवल कर्त्तव्य सम्पादन द्वारा ही अर्जित किया जाता है । इस नियम के लिये वैदेशिक-सेवा में व्यतीत अवधि को भी सेवा में गिना जाता है यदि ऐसे समय के लिये अवकाश-वेतन-अंशदान दे दिया जाता है ।

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—सेवाओं के एकीकरण के समय भिन्न-भिन्न समय तक कई विभागों के राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों के बिना रहना पड़ा । एक प्रश्न उठाया गया कि क्या ऐसे समय को अवकाश-उपार्जन के लिये गिना जावेगा । चूंकि अवकाश केवल वास्तविक कर्त्तव्य-सम्पादन पर ही अर्जित किया जाता है तथा ऐसी अवधियों में कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक कर्त्तव्य-सम्पादन नहीं किया है । अतः यह निर्णय किया जाता है कि उक्त विचाराधीन समय अवकाश अर्जित करने के लिये नहीं गिना जावेगा चाहे उसे पेन्शन प्रयोजनों के लिये, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31 मई, 1952 (सेवा नियम 180 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या–1) के अनुसार, गिना जा सकता है ।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7 जनवरी, 1953 (उपरोक्त निर्णय संख्या–1) में वर्णित "अवकाश" शब्द का अभिप्राय क्या केवल उपार्जित अवकाश से है अथवा उसमें अन्य प्रकार के अवकाश भी सम्मिलित हैं जैसे अर्द्ध-वेतन अवकाश तथा क्या यह आदेश भूत-लक्षी (रिट्रोस्पेकटिव) होगा । मामले की जांच कर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश में उल्लिखित "अवकाश" शब्द का तात्पर्य उपार्जित अवकाश एवं उनके समान अवकाश से है न कि अन्य प्रकार के अवकाशों से । यह आदेश भूत-लक्षी प्रभाव से होगा किन्तु जो कर्मचारी 7 जनवरी, 1953 से पूर्व सेवा-निवृ [illegible] किया जा चुका है उससे कोई वसूली नहीं की जानी है ।

जो कर्मचारी विना-पद-स्थापन अथवा अधिक्रय (सरप्लस) घोषित रहे हैं उनका अवकाश-[illegible] उपरोक्त निर्णय के अनुसार, संशोधित किया जाना चाहिये। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यह [illegible]ध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिये । यदि कर्मचारियों के अवकाश के लेखे संशोधित करने पर अधिक [illegible] लिया हुआ प्रकट हो तो इस प्रकार के अधिक अवकाश का समायोजन भविष्य में अर्जित किये जाने [illegible] से किया जाना चाहिये ।

नियम 57-ए :—जब तक किसी मामले में इन नियमों द्वारा या इनके [illegible] से नहीं दिया गया हो, एक कर्मचारी जब ऐसी सेवा या पद पर स्थानान्तरि[illegible] जिस पर ये नियम लागू होते हैं तथा ऐसी सेवा या पद से आता है जिस पर [illegible] होते हैं, तो वह ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश-लाभ [illegible] के अन्तर्गत प्राप्त नहीं कर सकता है ।

नियम 58 (क):—यदि एक राज्य-कर्मचारी जो राज्य-सेवा को क्षतिपूरक अथवा अयोग्यता पेन्शन या ग्रेच्यूटी के आधार पर छोड़ देता है तथा पुनः सेवा में ले लिया जाता है एवं इसके परिणाम-स्वरूप वह ग्रेच्यूटी वापिस लौटा देता है या उसकी पेन्शन पूर्णःरूप से स्थगित रखी जाती है तथा इसके द्वारा उसकी पूर्व की सेवायें, अन्तिम रूप से सेवा निवृति पर, पेन्शन-योग्य हो जाती है तो पुनः नियुक्ति करने वाले सक्षम-प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसकी गत सेवायें उस सीमा तक अवकाश उपार्जन के लिये गिनी जा सकती है, जैसा वह सक्षम-प्राधिकारी निर्धारित करे।

नियम 58 (ख):—एक कर्मचारी जो राज्य-सेवा से निष्कासित किया गया है या हटाया गया है पर जो अपील अथवा पुनरावलोकन पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो वह पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिये गिनाने का अधिकारी होगा।

आडिट निर्देशन संख्या 1 :—एक व्यक्ति जो सेवा-निवृत्त आयु का होने पर या सेवा-निवृत्ति पेन्शन पर सेवा निवृत्त हो गया है, उसकी पुनः नियुक्ति साधारणतः अपवाद स्वरूप एक अस्थाई उपाय है। ऐसे मामले मे पुनः नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं को अस्थाई समझा जाना चाहिये तथा पुनः नियुक्ति की अवधि में उसका अवकाश, अस्थाई राज्य-कर्मचारियो पर लागू नियमो के अनुसार नियमित किया जाना चाहिये।

आडिट निर्देशन संख्या 2:—वित विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (34) वि. वि/63 दिनाक 28 फरवरी, 1963 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णयः—ऐसे प्रकरणो मे जिनमें राजकीय सेवा से त्याग-पत्र को सेवा-नियम 208 (ख) के अनुसार त्याग-पत्र के रूप मे नही समझा जाता है तो अवकाश के मामले में भी उसे सेवा को निरन्तर गिने जाने का लाभ दिया जाना चाहिये।

नियम 59 :—अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी का यह विवेक होगा कि वह जन-सेवाओं के हित में अवकाश स्वीकृत करने से मना कर दे अथवा स्वीकृत अवकाश को किसी भी समय खण्डित कर दे, किन्तु कोई भी ऐसा अवकाश जो सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश के रूप में बकाया हो उसे उक्त- प्राधिकारी स्वीकृत करने से मना नहीं कर सकता है वह या तो सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसको सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार प्रदत्त किया है, लिखित में मना की जावेगी। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधि-कारी के विवेक पर कर्मचारी द्वारा आवेदित एवं देय अवकाश की प्रकृति (नेचर) नही बदली जा सकती है। किन्तु सक्षम-प्राधिकारी को छूट है कि वह इस नियम के अन्तर्गत आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से मना कर सकता है या खण्डित कर सकता है। अतः उस अवकाश की प्रकृति में उसे किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—हाल ही मे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये गये है जिनमे कर्मचारियो द्वारा उपभोग किये गये दो अवकाशों के बीच की सेवा का समय केवल नाम मात्र का था। ऐसे मामले मे अवकाश स्वीकृत करने व ले प्राधिकारी को सेवा नियम 59 के अनुसार अपने विवेक का उपयोग करते हुए अवकाश सम्बन्धी नियमो की अवहेलना करने के प्रयत्न को रोकने मे असफल रहे तथा नियमों की अवहेलना करके अवकाश स्वीकृत कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने अवाछित लाभ प्राप्त किये।

सेवा नियम 59 के अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी को एक कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छानुसार उपार्जित अवकाश तथा अर्द्ध-वेतन, अवकाश के लिये आवेदन किये गये विकल्प मे हस्तक्षेप करने की कोई

अधिकार नहीं है। अतः जब एक बार अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उसकी निरन्तरता को दो प्रकार के अवकाशों के रूप में समझा जाकर एक प्रकार के अवकाश में नहीं बदला जा सकता है तथा कर्मचारी को नियमों द्वारा अवांछित लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकता है। फिर भी सक्षम-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सेवा नियम 59 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत करके नियमों की अवहेलना पर रोक लगा सकता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि यह निश्चित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये कि ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारियों ने सेवा के अल्प-समय में ही किसी नये प्रकार के अवकाश के लिये आवेदन किया हो, तो वह सावधानी पूर्वक इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जांच करे कि नियमों की पालना का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा यदि किन्हीं कारणों से यह विश्वास हो जावे कि अवकाश नियमों का अथवा उनके आशय का गलत ढंग से लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है, तो सक्षम-प्राधिकारी नियम 59 के अन्तर्गत अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर उसके अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग में प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों से यह प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों को एक प्रकार के स्वीकृत अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में बदलने की स्वीकृति दी जाये।

इस प्रश्न पर विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे मामले में जिस अधिकारी ने अवकाश स्वीकृत किया था, अवकाश की पूर्वोक्त प्रभाव से बदल सकता है यदि ऐसा अवकाश उसे अवकाश स्वीकृत करते समय शेष एवं देय था। किन्तु शर्त यह है कि अवकाश बदलने का प्रार्थना-पत्र अवकाश समाप्ति के तीन माह में प्राप्त हो गया हो। यह भी आदेश दिया जाता है कि एक प्रकार के स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में बदलने में यह शर्त रहेगी कि अवकाश-वेतन का समायोजन अन्तिम स्वीकृत अवकाश के वेतन से कर लिया जावेगा। अर्थात् यदि अवकाश-वेतन के रूप में राशि का भुगतान अधिक कर दिया गया है तो वह वसूल की जावेगी अथवा कोई राशि देय बनती है तो उसका भुगतान किया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (25) वि वि. (ग्रुप-2) 76 दि. 14 मई, 1976 द्वारा निविष्ट]

टीका :- (नियम 59 के सम्बन्ध में):—इस नियम के अनुसार अवकाश कोई अधिकार नहीं माना गया है। न्यायालय द्वारा भी अवकाश को अधिकार नहीं माना गया और फलस्वरूप भारतीय संविधान की धारा 226 के अन्तर्गत याचिका स्वीकृत नहीं की जा सकती है। न्यायालयों का यही अभिमत है कि अवकाश को एक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। जब राज्य-हित की आवश्यकताएँ हों तो अवकाश-स्वीकृत कर्त्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश अस्वीकृत, तथा निरस्त करने का अधिकार उसके विवेक पर सुरक्षित रहता है।

नियम 60:—साधारणतः अवकाश उस दिन से प्रारम्भ होता है जिस दिन कार्यभार का स्थानान्तरण होता है तथा कार्यभार-ग्रहण-करने के पूर्व के दिन समाप्त हो जाता है। जब भारत से बाहर विदेश से अवकाश के उपभोग कर लौटकर आने वाले कर्मचारी को पद-भार-ग्रहण स्वीकृत किया जाता है तो उसके अवकाश का अन्तिम दिन वह होगा जिस दिन उसका जहाज, जिसमें वह यात्रा कर रहा है, अपने गन्तव्य स्थान के लंगर पर बन्दरगाह में आजाता है। यदि वह वायुयान द्वारा लौटता है तो वायुयान के भारत में नियमित हवाई अड्डे पर आने का दिन, अन्तिम दिन होगा।

नियम 60-ए:—अवकाश पर प्रस्थान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को अपने अवकाश प्रार्थना-पत्र में अपना वह पता लिखना चाहिये जिस पर उस समय में उसके पास पत्र आदि पहुंच सकें। अवकाश काल में पते में परिवर्तन होने पर, यदि कोई हो, उसकी सूचना विभागाध्यक्ष के पास तुरन्त पहुंच जानी चाहिये।

नियम 61:—जब किसी कर्मचारी के अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन या अवकाश समाप्ति के बाद कोई सार्वजनिक-अवकाश या एक से अधिक सार्वजनिक अवकाश हों तो कर्मचारी पूर्व के दिन की समाप्ति पर अपना कार्यालय छोड़ सकता है या बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों की समाप्ति पर लौट सकता है, किन्तु शर्त यह है कि:—

(क) उसके स्थानान्तरण या कार्यभार-सम्भालने में स्थायी अग्रिम राशि के अतिरिक्त प्रतिभूतियों या धन राशि का सम्भालना अथवा सम्भलाना सम्मिलित नहीं है।

(ख) उसके सार्वजनिक अवकाशों के कारण अवकाश पर शीघ्र प्रस्थान करने से एक कर्मचारी को ऐसे मुख्यावास से अपने कर्त्तव्य को सम्पादित करने के लिये शीघ्र रवाना नहीं होना पड़े।

(ग) उसके अवकाश से लौटने में विलम्ब होने से एक ऐसे कर्मचारी के दूसरे स्थान (स्टेशन) पर वापिस स्थानान्तरण होने में देर नहीं हो रही है (जो कर्मचारी की अवकाश की अनुपस्थिति में कार्य कर रहा था) तथा उस पर अस्थाई रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को राज्य-सेवा से मुक्त करने में विलम्ब नहीं होता हो।

नियम 62:—यदि अवकाश पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी कर्मचारी अपने चार्ज की धन-राशि का स्वयं उत्तरदायी बना रहे तो एक सक्षम-प्राधिकारी यह घोषित कर सकता है कि किसी विशेष मामले में नियम 61 (क) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नियम 63:—जब तक सक्षम-प्राधिकारी किसी एक मामले में अन्यथा प्रकार से निर्देश नहीं करें:—

(क) यदि सार्वजनिक-अवकाश देय अवकाशों से पूर्व-वर्ती (प्रि-फिक्स) हो तो अवकाश व वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था पर कोई प्रभाव अवकाशों के बाद अन्तिम दिन से पड़ेगा।

(ख) यदि सार्वजनिक-अवकाश देय अवकाशों के समय अनुवर्ती (अ-फिक्स) हो तो सार्वजनिक अवकाश का समय उस दिन समाप्त हुआ समझा जाता है। वेतन एवं भत्तों का किसी अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव उस दिन से पड़ता है जिस दिन अवकाश के समय का अन्त हो जाता है यदि उसके आगे कोई सार्वजनिक-अवकाश नही होता।

राजकीय निर्णय:—राजस्थान सेवा नियम 35 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक 9 अगस्त, 1962 द्वारा जोड़े गये स्पष्टीकरण में नियम 50 के अधीन अतिरिक्त वेतन को उन मामले में स्वीकृत किया जाता है जहां 30 दिवस या इससे अधिक की अवधि के लिये दोहरी-व्यवस्था की जाती है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अवकाश से पूर्व एव बाद की अवधि जो सार्वजनिक अवकाशों की अवधि हो, उस दोहरी-व्यवस्था की अवधि के लिये गिना जाना चाहिये और तदनुसार अतिरिक्त-वेतन दिया जाना चाहिये। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक अवकाशो की ऐसी अवधि दोहरी-व्यवस्था की गणना मे सम्मिलित नही की जाती है तथा उसके लिये कोई अतिरिक्त-वेतन स्वीकार नही होता है। इस प्रश्न की सेवा

नियम 63 के प्रावधान को दृष्टिगत रखकर जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेशों के प्रयोजनार्थ अवकाशों के पूर्व-वर्ती तथा बाद वाली अवधि को दोहरी व्यवस्था की अवधि में गिनने में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा तदनुसार अतिरिक्त-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये।

नियम 64 (1):—एक कर्मचारी अवकाश-काल में कोई सेवा या कोई नियुक्ति, जिसमें निजी व्यवसाय की स्थापना, चारटर्ड-अकाउन्टेंट सलाहकार, कानूनी तथा चिकित्सा संबंधी प्रेक्टिस भी सम्मिलित है, सरकार की पूर्व-अनुमति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

टिप्पणी संख्या 1:—इस नियम के अधीन कोई सेवा करने या नियोजन स्वीकार करने की अनुमति किसी सरकारी अधिकारी के सम्बन्ध मे जो अन्तराष्ट्रीय ऐजेन्सी या सार्वजनिक-निकाय या लोकक्षेत्र-संस्थान, जो राजस्थान में तीन वर्ष या एक वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक के लिये, नही दी जावेगी।

नियम 64 (2):—एक कर्मचारी जिसको अवकाश काल में किसी सरकार या निजी-नियोजक के अधीन सेवा करने की अनुमति दे दी गई है, उसका अवकाश वेतन राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित होगा।

टिप्पणी संख्या 1:—यह नियम आकस्मिक-साहित्यिक-कार्य अथवा परीक्षक के रूप में सेवा तथा ऐसी समान सेवा पर प्रभावी नही होगा तथा यह नियम उस विदेशी सेवा के स्वीकृत करने पर भी लागू नहीं होगा, जो नियम 141 के अन्तर्गत आती है।

टिप्पणी संख्या 2:—यह नियम उन पर भी लागू नहीं होगा जहां कर्मचारियों को कुछ सीमा तक निजी प्रेक्टिस करने की एवं उसकी फीस प्राप्त करने की स्वीकृति उनकी सेवा की शर्तों के रूप मे दी गई है। उदाहरणार्थ एक चिकित्सक को निजी-चिकित्सा करने का अधिकार स्वीकृत किया गया है।

स्पष्टीकरण:—संदेह के निवारण के लिये यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियम 64 (2) के द्वारा अवकाश वेतन पर लगाया गया प्रतिबन्ध समान रूप से अस्थाई सेवा में नियुक्त ऐसे कर्मचारी पर भी प्रभावी होगा जो अवकाश काल मे या ऐसे अवकाश में जिसके समाप्त होने पर उसके सेवा पर वापस आने की आशा नही हो, वह किसी राज्य सरकार या निजी-नियोजक के अधीन नौकरी प्राप्त कर लेता है या किसी स्थानीय निधि से दिये जाने वाले वेतन की नौकरी स्वीकार कर लेता है। यह भी निर्णय किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबन्ध अनुबन्धित अधिकारियों पर भी लागू होगा।

राजकीय निर्णय :—एक कर्मचारी जिसे सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश या अस्वीकृत अवकाश की अवधि में किसी अन्य सरकार या गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय किसी सेवा में नौकरी करने की स्वीकृति दे दी गई है तो उसको वेतन, अर्द्ध-वेतन अवकाश पर प्राप्त वेतन की राशि के समान, देय होगा।

नियम 65 (1):—जब कर्मचारी जो अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व निवृत्ति-पूर्व अवकाश पर प्रस्थान कर गया हो तथा उसे ऐसे अवकाश में सरकार के अधीन किसी पद पर पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती हो तथा वह कर्तव्य पर आने के लिये सहमत हो तो उसे सेवा पर वापिस बुला लिया जावेगा तथा सेवा पर उपस्थित होने के दिन से जो भी अवकाश का भाग शेष रहेगा वह निरस्त कर दिया जावेगा। इस प्रकार जो अवकाश निरस्त किया जावेगा वह अस्वीकृत अवकाश के रूप में समझा जावेगा तथा वह अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद से स्वीकृत किया जावेगा यदि कर्मचारी अनिवा...

निवृत्ति के दिन तक या बाद तक, जैसी भी स्थिति हो, सेवा में चलता रहे। एक कर्मचारी जिसे विश्राम-वृत्ति आयु प्राप्त होने से पूर्व निवृत्ति-पूर्व-अवकाश में किसी अन्य सरकार के अधीन या गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से दिये जाने वाले वेतन के अधीन नौकरी करने की स्वीकृति दे दी गई है तो उसको अवकाश वेतन, उसके अर्द्ध-वेतन-अवकाश के वेतन की राशि के समान देय होगा।

नियम 65 (2):—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (एफ.) (16) वि. वि. (ए) (आर.) 57/II दिनांक 20 जून, 1961 द्वारा विलोपित।

टिप्पणी:—वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 35 (30) (आर.) 52 दिनांक 12 जुलाई, 1952 द्वारा नियम 65 का संशोधन दिनांक 1 अप्रेल, 1951 से प्रभावशील हुआ है। (जिससे राजस्थान सेवा नियम प्रभावी हुए हैं)

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—एकीकरण विभाग के आदेश संख्या 401/जी./डी./ग्रुप-2 दिनांक 24 जून, 1949 एवं 14 अगस्त, 1949 के अन्तर्गत बहुत से राज्य-कर्मचारी उनको बकाया अवकाश का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग करने से पूर्व ही अस्थाई रूप से पुनः नियुक्त कर लिये गये थे। उनके बकाया अवकाश के उपभोग तथा उस सेवा को पेन्शन-योग्य-सेवा माने जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा मामले के सभी पक्षों पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को "अवकाश पर उस समय तक रहे गये" समझे जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक उस पद पर कार्य करते हुए उसका अवकाश समाप्त हो जाता है जिस पर वह पुनः नियुक्त हुआ है तथा उस मामले में उन्हें पुनःनियुक्ति पर निर्धारित किये गये वेतन के अतिरिक्त आधा-अवकाश-वेतन प्राप्त करने की तथा अवकाश के समय को पेन्शन में गिने जाने की भी स्वीकृति दी जाती है। यदि इस प्रकार पुनः नियुक्त कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाना नहीं चाहता है तो वह पुनः नियुक्ति की समाप्ति पर अवकाश का उपभोग कर सकता है तथा ऐसे अवकाश के एवज में अवकाश वेतन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में उनकी सेवा-निवृत्ति पुनः नियुक्ति से पूर्व मानी जावेगी तथा वह अवकाश का समय पेन्शन की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। किसी भी मामले में अवकाश उस सीमा या अधिकतम-सीमा से अधिक नहीं होगा जो सम्बन्धित इकाई (भूतपूर्व-देशी-राज्य) के नियम के निवृत्ति-पूर्व अवकाशों में प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त अनुच्छेद (1) के सम्बन्ध में विकल्प, पेन्शन के गिने जाने के पूर्व कार्यालय-अध्यक्षों के माध्यम से महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या नियम 65 (2) के अनुसार किसी कर्मचारी को सेवा नियम 89 के अन्तर्गत स्वीकार किये गये निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर जाने से रोका जा सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो क्या उसकी सेवा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उक्त खण्ड मे दिये गये विकल्प का आशय मामले मे सक्षम-प्राधिकारी के निर्णय में बाधा डालना नहीं है। जब एक कर्मचारी जो नियम 89 के अन्तर्गत निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर जा चुका है, यदि ऐसे अवकाश के बीच में सेवा पर वापिस बुला लिया जाता है तथा उसकी सेवा मे वृद्धि कर दी जाती है तो उसके शेष अवकाश को निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व मे उपभोग किये गये अवकाश को नियम 89 के प्रोवीजो के अन्तर्गत सेवा-वृद्धि के समय में उपभोग किया गया अवकाश माना जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 3 :—राजस्थान सेवा नियम 65 (2) एवं (3) के अनुसार एक कर्मचारी जिसको निवृत्ति-पूर्व अवकाश-काल में अथवा नियम 89 के अन्तर्गत अस्वीकृत-अवकाश काल मे किसी गैर-सरकारी

नियोजक के अधीन अथवा स्थानीय निधि से देय सेवा में अन्य नौकरी करने की अनुमति दे दी गई है तो उसका अवकाश-वेतन निम्न-सीमा तक देय होगा :—

(i) एक कर्मचारी जो पेन्शन प्राप्त करने का पात्र है उसे उस पेन्शन की राशि के समान अवकाश-वेतन दिया जावेगा जो उसे सेवा-निवृत्ति के समय प्राप्त करने की आशा हो।

(ii) यदि एक कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने योग्य नहीं है तो उस अवकाश-वेतन की राशि के समान जो उसे अर्द्ध-वेतन अवकाश पर मिलती है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश वेतन पर प्रतिबन्ध के बारे में दो विभिन्न सिद्धान्तों के लागू किये जाने, जैसे सम्बन्धित अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने के योग्य है अथवा नहीं, कुछ भ्रान्ति उत्पन्न करता है तथा विशेष प्रकार से उन कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करता है जो नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत, साधारणतः अधिकतम देय, पेन्शन पर सेवा-निवृत किये जाते हैं।

चूंकि उक्त तर्क सबल है तथा सभी प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में एकसा व्यवहार किया जाना वाछनीय है। अतः सेवा नियम 65 (2) व (3) में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में (पेन्शन प्राप्त करने योग्य कर्मचारियों समेत) अवकाश-वेतन उनको अर्द्ध-वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा। यह आदेश जारी किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा तथा पुराने मामलों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4 (i):—ऐसे मामले में एक अधिकारी जो सेवा-निवृत्त किये जाने से पूर्व सरकार की सेवा में था तथा जो सेवा-निवृत्ति की आयु के दिन से पूर्व, नियम 89 के अन्तर्गत, सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश-अस्वीकृत किये जाने के कारण, उसके उपभोग करने के अवसर से पूर्व ही सेवा में पुनः नियुक्त कर लिया गया हो तो वह ऐसे बकाया अवकाश का उपभोग पुनः नियुक्ति की समाप्ति के बाद कर सकता है।

(ii) ऐसे अवकाश का वेतन उतना ही होगा जो उसे सामान्य प्रकार से प्राप्त होता, किन्तु पुनः नियुक्ति की जाने के कारण उसमें से पेन्शन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की राशि काटी गई है।

(iii) अ-स्वीकृत अवकाश जिसको पुनः नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर उपभोग करने की स्वीकृति दी गई है उसका अवकाश वेतन उस विभाग द्वारा दिया ज वेगा जिसे उस व्यय को वहन करना पडता यदि सम्बन्धित कर्मचारी उसका उपभोग पुनः नियुक्ति से पूर्व करता तथा उसे रोका नहीं जाता।

(iv) पुनः नियुक्ति काल में जो अवकाश अर्जित किया जावे तथा जिसका उपभोग पुनः नियुक्ति की अवधि में नहीं किया जावे तो उसका उपभोग उस अवधि समाप्ति पर करने की स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि उक्त अनुच्छेद (i) के अन्तर्गत अस्वीकृत किया गया अवकाश तथा इस अवधि में अर्जित अवकाश दोनों मिलाकर नियम 89 के अन्तर्गत एक समय में स्वीकृत किये जाने वाले अवकाश की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(v) यदि एक कर्मचारी पुनः नियुक्ति की तारीख को अस्वीकृत अवकाश के कुछ भाग का उपभोग कर लेता है तो पुनः नियुक्ति के बाद अन्तिम रूप से पद त्यागने पर जो अवकाश देय होगा वह ऐसे अवशेष अवकाश तथा पुनः नियुक्ति काल में अर्जित अवकाश को मिलाकर होगा तथा

उस प्रकार मिलाया जावेगा जैसाकि अधिकारी चाहे तथा एक प्रकार के अवकाश वेतन का भार दोनो प्रकार के अवकाशों को मिलाने के तरीके के अनुसार होगा। ऐसे अवकाश की औपचारिक स्वीकृति ऐसे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये जिसे पुन: नियुक्ति से पूर्व या उसमे अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार हो।

(vi) पुन: नियुक्ति काल मे अर्जित अवकाश को, अन्तिम-अवकाश (टरमीनल-लीव) के रूप मे, उपभोग किये जाने की स्वीकृति दी जावेगी चाहे उसके लिये सार्वजनिक सेवा के समय में औपचारिक रूप से आवेदन नही किया गया तथा अवकाश अस्वीकृत नही किया गया हो।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1760/56 एफ. 1 (एफ.) (16) वि. वि./(क)/57 दिनांक 30 अक्टूबर, 1959 द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 30 जून, 1959 से प्रभावशील]

नियम 66:—किसी राज्य कर्मचारी को, उसके अवकाश के समाप्त होने से पूर्व ही, सेवा में वापिस बुलाने के आदेशों में यह कहा जाना चाहिये कि क्या अवकाश पर से सेवा पर वापिस लौटना ऐच्छिक है अथवा अनिवार्य है। यदि वापिस आना स्वेच्छिक है तो कर्मचारी किसो प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यदि वह अनिवार्य है तो वह उस तारीख से कर्त्तव्य पर उपस्थित माना जाने का अधिकारी है, जिसको वह उस स्थान के लिये प्रस्थान करता है जिस पर पहुंचने के लिये उसे आदेश दिया गया है तथा यात्रा-भत्ता नियमों से अन्तर्गत वह यात्रा-भत्ता प्राप्त करने भी का अधिकारी है। किन्तु जब तक वह अपना पद भार ग्रहण नही करता है तब तक वह अवकाश-वेतन ही प्राप्त करेगा।

टिप्पणी:—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनाक 12 जनवरी, 1976 द्वारा विलोपित।

नियम 67:—अवकाश अथवा अवकाश मे वृद्धि का आवेदन-पत्र उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसे अवकाश या उसकी वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार है।

नियय 68:—विदेश-सेवा में स्थानान्तरित एक कर्मचारी को विदेश-सेवा में अपनी सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से अवगत कराया जाना चाहिये जिनसे ऐसे विदेश-सेवा काल में उसका अवकाश नियमित होगा।

नियम 69:—भारत से बाहर विदेश-सेवा में प्रति-नियुक्त कर्मचारी को 120 दिन तक के उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाशों के सभी आवेदन-पत्र महालेखाकार राजस्थान के सत्यापन के साथ, अपने नियोजकों के माध्यम से, अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी को भेजे जाने चाहियें।

नियम 70:—राजपत्रित-अधिकारियों के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश की वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें निम्न-अंकित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहियेः—

राजपत्रित-अधिकारियों के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र

1. नाम··· ··· ···· ··· ···· ··· ···· ···के मामले का विवरण
(सिविल सर्जन या राजकीय चिकित्सक के समक्ष प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये)
2. नियुक्ति··· ···· ···· · आयु···· ···· ··· ···कुल सेवा···· ····

(अवकाश का पूर्व का समय यदि पूर्व मे भी चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर रहा हो)

3. आदने···· ···· ··· ···· ···रोग···· ··· ···· ····

मैं (चिकित्सालय का नाम) का सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी/मामले को व्यक्तिगत रूप से सावधानी पूर्वक जाच करने के बाद यह प्रमाणित करता हू कि श्री···· ··· ··· ····की स्थिति गम्भीर है तथा मे निष्ठा पूर्वक एव गम्भीरता पूर्वक घोषणा करता हू कि मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार स्वस्थ्य होने के लिये सेवा से इनका अनुपस्थित रहना आवश्यक है तथा यह सिफारिश करता हूँ कि उसे···· ··· ··· माह का अवकाश दिनाक ·· ····से···· ···· स्वीकृत किया जावे। मेरी सम्मति मे रोगी के लिये चिकित्सा-मण्डल के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। आवश्यक नही है।

दिनाक···

सिविल सर्जन या राजकीय चिकित्साधिकारी

टिप्पणी:—यहाँ वाक्य जो असगत हो काटकर सशोधित किया जाना चाहिये या उसे पूर्णतया काट देना चाहिये क्योकि सिफारिश किये गये अवकाश की अवधि दो माह की है या उससे अधिक की है।

टिप्पणी संख्या 1:—उक्त प्रमाण-पत्र मे की गई सिफारिश से किसी ऐसे अवकाश की माग नही की जा सकेगी जो अधिकारी के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार अथवा उस पर प्रभावी नियमो के अनुसार स्वीकार्य नही हो।

टिप्पणी सख्या 2:—इस प्रपत्र को यथा-सम्भव ज्यो का त्यो उपयोग मे लिया जाना चाहिये तथा उसे प्रार्थी के हस्ताक्षर करा लेने के बाद भरा जाना चाहिये। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने की स्वतन्त्रता नही होगी कि प्रार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है या यह कि वह अमुक स्थान पर जाने योग्य नही है। ऐसे प्रमाण पत्र केवल उसी समय दिये जाने चाहिए जब सम्बन्धित विभाग के प्राधिकारी द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से चाहा गया हो। जब प्रार्थी, विभाग के अधिकारी के पास, इस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगे तब उसे यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी कि क्या प्रार्थी को उसकी शारीरिक क्षमता की जाच के लिये चिकित्सक-मण्डल के समक्ष जाना चाहिये अथवा नही।

टिप्पणी संख्या 3:—ऐसे मामले जिनमे प्रारम्भ से सिफारिश की गई अवकाश अवधि, प्रारम्भ मे सिफारिश किये गये तथा उसके बाद मे और सिफारिश की गई अग्रिम अवकाश की अवधि, यदि दो माह से अधिक नही, तो चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक रूप मे यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या उसकी सम्मति मे अधिकारी को चिकित्सक-मण्डल के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है अथवा नही।

नियम 71:—ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को केवल नियम 74 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर चिकित्सक-मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपने कार्यालय अध्यक्ष से अथवा स्वय कार्यालय अध्यक्ष होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष से स्वीकृत प्राप्त करनी चहिये। इसके बाद उसे अपने प्रकरणों की दो प्रतियो के साथ चिकित्सा-समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहिये। समिति का गठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक के आदेशो से किया जावेगा। समिति या तो जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर बुलाई जावेगी जो सरकार निश्चित करे।

नियम 72:—वाञ्छित अवकाश अथवा अवकाश-वृद्धि स्वीकृत किये जाने से पूर्व कर्मचारी को समिति से निम्न-प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये:—

हम यहा यह प्रमाणित करते है कि हमारे सर्वोत्तम व्यवसायात्मक निर्णय के अनुसार मामले. व्यक्तिगत जाच करने के बाद हम श्री ··· के स्वास्थ्य को ऐसा समझते है कि

स्वस्थ्य होने के लिये ··· माह की अवधि तक सेवा से अनुपस्थित रहने के लिये अवकाश स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

नियम 73:—प्रमाण-पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय करने से पूर्व समिति संदिग्ध मामले में 14 दिन तक प्रार्थी को व्यवसायात्मक परीक्षण से रख सकती है। उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न-प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहियेः—

श्री···· ने अवकाश स्वीकृत कराने के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र देने अथवा अस्वीकृत करने से पूर्व हम कुछ दिनो के लिये श्री को व्यवसायात्मक परीक्षण में रखना आवश्यक समझते है।

नियम 74 (1):—यदि प्रार्थी के बारे में राजकीय-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा या जिला-चिकित्सा-अधिकारी के पद से ऊपर वाले चिकित्सा-प्रधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है कि वह समिति के समक्ष किसी भी समय उपस्थित होने में असमर्थ है तो अवकाशःस्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी नियम 72 में निर्धारित प्रमाण-पत्र के एवज में निम्न में से किसी भी एक के प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर सकता हैः—

(क) जिला चिकित्सा-अधिकारी के पद या उससे उच्च पद के दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण-पत्र, अथवा

(ख) यदि अधिकारी दो चिकित्सा-अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नही समझे तो जिला चिकित्सा-अधिकारी के पद अथवा उससे उच्च-पद के चिकित्सा-अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिलाधीश अथवा डिवीजन के आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण-पत्र।

नियम 74 (2):—फिर भी उप-नियम (1) में कुछ भी दिये गये अनुसार अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी नियम 71 व 72 में अंकित प्रक्रिया को समाप्त कर सकता हैः—

(1) जब प्राधिकृत-चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश किया गया अवकाश दो माह से अधिक का नहीं हो, या

(2) जब प्रार्थी की अवकाश में अंतरंग (इनडोर) रोगी के रूप में चिकित्सा चल रही हो तथा उसकी चिकित्सा के समय अवकाश की सिफारिश न्यूनतम जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद के समकक्ष, चिकित्सालय में उस सम्बन्ध में, प्रभारी-चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई हो।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसा चिकित्सा-अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी सम्मति में प्रार्थी को चिकित्सा समिति के समक्ष उपस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है।

नियन 75:—सेवा नियम 72 अथवा नियम 74 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिये जाने से सम्बन्धित कर्मचारी किसी अवकाश का अधिकार स्वतः ही प्राप्त नही करता है। प्रमाण-पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा उस अधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा की जानी चाहिये।

नियम 76 (क):—उच्च सेवा में नियुक्त प्रत्येक अराजपत्रित-कर्मचारी द्वारा आवेदित प्रत्येक अवकाश आवेदन-पत्र के साथ, इस नियम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न

किया जावेगा। यह प्रमाण-पत्र पंजीकृत चिकित्सा-अधिकारी द्वारा दिया जावेगा जिसमें रोग की प्रकृति तथा स्थिति को यथा-सम्भव स्पष्ट रूप से लिखा जावेगा या उस आवेदन-पत्र के साथ अपनी किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी से जांच करवाये जाने की मांग की प्रार्थना संलग्न की जावेगी।

✓नियम 76 (ख):—अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी अपनी इच्छा पर जिला-चिकित्सा-अधिकारी से प्रार्थी के स्वास्थ्य को जांच कराकर दूसरी चिकित्सा सम्मति भी प्राप्त कर सकता है। यह निर्णय लेने पर दूसरी बार जांच कराने का प्रबन्ध प्रथम जांच के बाद यथा-सम्भव शीघ्रता-पूर्वक किया जाना चाहिये।

✓नियम 76 (ग): –जिला चिकित्सा अधिकारी का कर्त्तव्य रोग के तथ्यों तथा उसके उपचार के लिये की गई अवकाश की अवधि की सिफारिश दोनों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त करना होगा तथा इसके लिये वह अवकाश पर से कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये बुला सकता है।

अ-राजपत्रित अधिकारियों के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(अवकाश या अवकाश की वृद्धि या रूपान्तरित अवकाश की सिफारिश के लिये)

मैं.............................. मामले की सावधानी-पूर्वक व्यक्तिगत जाच करने के उपरान्त यहा यह यह प्रमाणित करता हूं कि श्री.............................जिनके हस्ताक्षर ऊपर किये हुए हैं .... से पीडित है तथा मेरे विचार मे इनके स्वस्थ होने के लिये दिनाक......................से .... अवधि तक सेवा से इनका अनुपस्थित रहना नितान्त आवश्यक है।

दिनाक.....................

राजकीय चिकित्सा अधिकारी अथवा पजीकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर।

टिप्पणी:—इस नियम मे निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने से सम्बन्धित कर्मचारी स्वत: ही अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी नही हो जाता है।

राजकीय निर्णय:—कुछ सन्देह व्यक्त किए गए है कि क्या उच्च-सेवा मे नियुक्त अराजपत्रित-कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश के आवेदन-पत्रों के लिए नियम 76 (क) के प्रयोजनों के लिए उसमे प्रयुक्त "पजीकृत-चिकित्सक" शब्द मे केवल पजीकृत ऐलोपेथिक चिकित्सको को ही माना जावेगा या इसमें आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति पर चिकित्सा करने वाले पजीकृत चिकित्सको को भी माना जावेगा।

> मामले की जाच कर ली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि सेवा नियम 76 (क) में प्रयुक्त "पंजीकृत चिकित्सक" शब्द का अर्थ इस प्रकार लगाया जावे कि उसमें चिकित्सा के आधार पर आवेदन पत्रों के साथ आयुर्वेदिक अथवा यूनानी पंजीकृत चिकित्सको के प्रमाण-पत्र भी संलग्न किए जा सकें या होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र किसी ऐसे कार्य के लिए स्वीकृत नही किया जावेगा जिसके लिए नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र पूर्व मे चाहा गया हो।

नियम 77:—एक चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी के संबंध में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश-वृद्धि के प्रार्थना-पत्र के साथ अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता सक्षम-प्राधिकारी, जैसा भी उचित समझे, किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकता है।

नियम 78:—किसी एक ऐसे मामले में जिसमें यह ज्ञात हो कि कर्मचारी के सेवा पर पुनः उपस्थित होने की कोई आशा नहीं है, तो चिकित्सा-प्राधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किए जाने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र में केवल यही सम्मति अंकित की जानी चाहिए कि कर्मचारी राज्य-सेवा करने में स्थाई रूप से अयोग्य है।

नियम 79:—चिकित्सा समिति अथवा चिकित्सा-अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश के प्रत्येक प्रमाण-पत्र में इस बात का प्रावधान किया जावेगा कि इस प्रमाण-पत्र द्वारा की गई सिफारिश किसी भी कर्मचारी के लिये ऐसे अवकाश के अधिकार की साक्षी नहीं होगी जो कर्मचारी को उसकी सेवा की शर्तों के अधीन या उस पर प्रभावी नियमों के अधीन नहीं मिल सकता हो।

खण्ड-2-अवकाशों की स्वीकृति

नियम 80:—अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकतायें:—सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए जब अवकाश के सभी प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हो, तब अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी को, यह निर्णय करने में कि कौन से अवकाश-आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जाना चाहिए, निम्न-अंकित तथ्यों पर विचार करना चाहिए:—

(क) वे कर्मचारी जो तुरन्त ही राजकीय कार्य की सुविधानुसार अवकाश पर जा सकते हैं।

(ख) विभिन्न आवेदकों/कर्मचारियों की अवशेष अवकाश की अवधि।

(ग) गत अवकाश से वापिस आने के बाद प्रत्येक आवेदक द्वारा की गई सेवा की अवधि एवं सेवा की प्रकृति।

(घ) कोई ऐसा तथ्य जिसमें कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत अवकाश की अवधि समाप्ति से पूर्व ही वापिस सेवा पर बुलाया गया है।

(ङ) कोई ऐसा तथ्य जिसके अनुसार पूर्व में किसी कर्मचारी को सार्वजनिक हित की दृष्टि से अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो।

नियम 81 (1):—जब एक चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दे दी हो कि एक राज्य कर्मचारी के सेवा पर वापिस आने की कोई उचित सम्भावना नहीं है तो ऐसे राज-कर्मचारी का अवकाश आवश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए तथा यदि उसको अवकाश देय हों तो सक्षम-प्राधिकारी निम्न-अंकित शर्तों पर उसको अवकाश स्वीकृत कर सकता है:—

(क) यदि चिकित्सा-अधिकारी निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ हो कि कर्मचारी पुनः कभी सेवा में आने के योग्य नहीं हो सकेगा तो कुल अवकाश, अधिकतम 12 माह तक का, स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार का अवकाश बिना चिकित्सा-अधिकारी की सम्मति के आगे नहीं बढाया जा सकता है।

(ख) यदि एक कर्मचारी को एक चिकित्सा-अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अथवा अस्थाई रूप से आगे सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे अवकाश या अवकाश-वृद्धि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत की जा सकती है, बेशर्ते की चिकित्सा अधिकारी को सम्मति प्राप्त होने के दिन के बाद अवकाश की अवधि, जो उसके अवकाश लेखों में बकाया हो वह, सेवा के 6 माह के समय से अधिक नहीं हो।

नियम 81 (2) व (3):—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 7-ए (12)वि.वि. 1 (नियम)/58 दिनाक 30 अक्टूम्बर, 1958 द्वारा विलोपित ।

नियम 82:—निष्कासित किये जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने का निषेध:—एक ऐसे कर्मचारी को अवकाश स्वीकार नही किया जाना चाहिये जो दुर्व्यवहार अथवा सामान्य अयोग्यता के आधार पर राज्य-सेवा से शीघ्र निष्कासित किया जाने वाला हो या हटाया जाने वाला हो ।

नियम 82-ए:-राजपत्रित-अधिकारियों के लिये अवकाश:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (9) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 26-5-78 द्वारा 1-9-76 से मूल नियम, टिप्पणी तथा अपवाद सव लोपित कर दिये गये है ।

नियम 83:—अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना:—एक कर्मचारी जिसने चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश प्राप्त किया हो, उसे सेवा पर उस समय तक नही लिया जा सकता है जव तक वह निम्न-अंकित प्रपत्र में एक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही कर देता है.—

प्रमाण-पत्र

हम चिकित्सा समिति के सदस्य..के सिविल सर्जन/प्राधिकृत-चिकित्सक यहां यह प्रमाणित करते है कि हमने/मैने.................................श्री..विभाग के..................की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है तथा यह पाया है कि वह अब पूर्णतया स्वस्थ्य हो गया है तथा वह राज्य-सेवा मे उपस्थित होने के योग्य है हम/मैं.................................यह निर्णय करते है तथा प्रमाणित करते है/करता हूं कि हमने/मैने मामले का उन्हें पूर्व में मिले प्रमाण-पत्र एव विवरण (अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियो) की जाच की है, जिन पर उसने अवकाश प्राप्त किया है अथवा अवकाश मे वृद्धि कराई है तथा इस निर्णय को देने मे हमने/मैने उक्त वातों को ध्यान में रखा है ।

मामले के मूल अवकाश-प्रमाण-पत्र एव विवरण जिस के आधार पर मूल अवकाश स्वीकृत किया गया था अथवा अवकाश-वृद्धि की गई थी, उन्हें चिकित्सा-प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये । इस कार्य के लिये मामले में मूल व विशेष विवरण दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिये तथा एक प्रति सम्वन्धित कर्मचारी द्वारा अपने पास रखनी चाहिये ।

नियम 84:—राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चिकित्सक-मण्डल से स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र कव प्रस्तुत करना चाहिये:—यदि अवकाश पर रहने वाला कर्मचारी राज-पत्रित-अधिकारी हो तो केवल निम्न-अंकित परिस्थितियों को छोड़कर. चिकित्सक-मण्डल से ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्तकर प्रस्तुत किये जाने चाहिये :—

(क) वे मामले जिनमें अवकाश की अवधि 3 माह से अधिक की नही हो ।

(ख) ऐसे मामले जिनमें अवकाश 3 माह से कम के अवकाश के वाद 3 माह की सीमा तक अवकाश वढाया गया हो तथा मूल प्रमाण-पत्र या वृद्धि के लिये प्रमाण-पत्र जारी करने वाली चिकित्सा-समिति का यह मत हो कि ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के वाद अधिकारी को स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये अन्य चिकित्सा-मण्डल के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नही है ।

अपवाद स्वरूप मामलों में प्रमाण-पत्र जिला-चिकित्सा-अधिकारी अथवा उसके समकक्ष चिकित्सा-अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि अवकाश पर रहने वाला कर्मचारी राज-पत्रित-अधिकारी नही हो तो सक्षम-प्राधिकारी अपने विवेक से किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकता है।

राजकोष निर्णयः—सेवा नियम 83 एवं 84 मे उल्लिखित है कि एक अधिकारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्राप्त किया है, उसे सेवा पर लौटने से पूर्व स्वस्थ्यता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महालेखाकार ने सरकार के ध्यान मे यह बात लाई है कि राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में सेवा पर पुनः उपस्थित होने की जो सूचना प्राप्त होती है उनके बारे मे इस प्रकार की सूचना उनके कार्यालय मे प्राप्त नही होती है कि क्या अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों से उनके अवकाश से सेवा पर उपस्थित होने से पूर्व उचित चिकित्सा-अधिकारियो से स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है अथवा नही एव इसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय को यह ध्यान रखना सम्भव नही हो सकता है कि सम्बन्धित सेवा नियम का पालन किया जा रहा है अथवा नही।

नियमों की उचित पालना किये जाने की दृष्टि से तथा चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर अवकाश लेने वाले अधिकारियों के अवकाश से सेवा पर लौटने पर उनके वेतन-पत्र जारी करने मे विलम्ब को दूर करने के लिये, अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारियो से यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि जब अधिकारी अवकाश से सेवा पर वापिस उपस्थित हो तो उसके सम्बन्ध मे एक सूचना महालेखाकार को भिजवाई जानी चाहिये कि सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी से नियमानुसार स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। चूं कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर ही अवकाश से लौटने पर अधिकारी को वेतन-पत्र महालेखाकार द्वारा जारी किया जावेगा, अतः यह आवश्यक है कि उसे यह सूचना अतिशीघ्र भिजवाई जानी चाहिये।

नियम 85 (क) (i):—एक राज्य-कर्मचारी, उसे स्वीकृत किये गये अवकाश के समाप्त होने से पूर्व सेवा पर उस समय तक पुनः नहीं लौट सकता है जब तक अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधि-कारी उसे सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दे देता है।

(ii) फिर भी उक्त-खण्ड (1) में कुछ भी दिये गये अनुसार एक निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर गये कर्मचारी को उसे सेवा से निवृत्त करने की स्वीकृति के अतिरिक्त वापिस लाने से रोका जा सकेगा।

नियम 85 (ख):—अवकाश से लौटने वाला एक कर्मचारी, उस सम्बन्धी आदेशों के अभाव में उसी पद पर कार्य-भार-ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है जिससे वह अवकाश पर गया था। उसे सेवा पर उपस्थित होने की रिपोर्ट देनी चाहिये तथा नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

स्पष्टीकरण:—नियम 85 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उल्लेख है कि एक कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर वास्तव मे यह आवश्यक नही है कि उसे उसी पद पर कार्यभार सम्भलाया जावे जिसे अवकाश पर जाने से पूर्व वह ग्रहण किये हुए था। इस सम्बन्ध मे सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी राजपत्रित-अधिकारियो के अवकाश से लौटने पर उनके नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है। प्रश्न पर विचार कर निम्न-प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है :—

(1) एक अधिकारी जो अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम है वह एक राजपत्रित-अधिकारी के पुनः नियोजित रि-पोस्टिंग करने का आदेश, उस पद पर नियोजित करने के लिये जारी कर सकता है यदि वह पद अवकाश काल मे रिक्त रखा गया हो।

(2) जहा अवकाश एक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा अन्य अधिकारी के आदेशों से अवकाश काल मे वह रिक्त पद भर दिया गया हो तो बाद वाला अधिकारी ही उस अधिकारी के अवकाश से लौटने पर पुनः पद-स्थापन के आदेश जारी कर सकेगा। चूंकि महालेखाकार राजस्थान अधिकारी के अवकाश से लौटने पर उसके उस पद पर पुनः स्थापित होने के आदेशों के बारे मे वेतन-पत्र जारी नही करेगा। अतः ऐसे आदेश अवकाश की समाप्ति से पूर्व ही आवश्यक रूप से जारी कर दिये जाने चाहिये।

राजकीय निर्णय —सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले लाये गये है कि जब एक अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-अधिकारी किसी कर्मचारी को नियम 83 के अनुसार अवकाश-समाप्त होने से पहले ही सेवा पर वापिस लौटने की आज्ञा देता है तथा महालेखाकार को उन आदेशों की प्रतिलिपि नही भेजता है जिसके कारण जिस अवकाश का उपभोग नही किया है उसका कर्त्तव्य-वेतन प्राप्त करने मे अधिकारी को कठिनाई होती है। यह आवश्यक है कि किसी अवकाश के निरस्त किये जाने के आदेश जारी करने मे किसी प्रकार का विलम्ब नही किया जाना चाहिये। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियो को अवकाश रद्द करने के सभी मामलों मे इस तथ्य को ध्यान मे रखना चाहिये।

✓**नियम 86 (1)**:—एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम-अधिकारी द्वारा उसके आवेदित-अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद/कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे "कर्त्तव्यों से जानबूझ कर अनुपस्थित रहना" माना जावेगा और ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवा-काल को जब्त (फोरफीट) हुआ माना जावेगा जब तक सन्तोषप्रद कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी द्वारा, उसे देय अवकाश स्वीकृत कर, नियमित नही कर दिया जाता है अथवा असाधारण-अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।

नियम 86 (2):—एक कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अथवा अवकाश वृद्धि की मना कर देने पर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो वह उक्त अनुपस्थिति की अवधि के लिये किसी प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा एवं ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण-अवकाश में परिवर्तित कर दी जावेगी जब तक अवकाश स्वीकृति-कर्त्ता-अधिकारी द्वारा उसे सन्तोषप्रद कारण प्रेषित करने पर, अनुपस्थिति की अवधि को देय-अवकाश में स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है।

[आदेश संख्या एफ. 1 (58) वि. वि. (नियम) 70/दिनांक 12 जनवरी, 1976 द्वारा प्रति-स्थापित]

राजकीय निर्णय:—विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ. 1 (58) वि. वि. (नियम) 70 दि. 10-8-1976 द्वारा 12-1-75 से विलोपित कर दिया गया है।

अध्याय 11

अवकाश

सामान्य

खण्ड–1

नियम 87:—राज्य कर्मचारियों को देय अवकाशों की प्रकृति एवं उनकी अवधि के सम्बन्ध में इस अध्याय के नियम, प्रणाली सम्बन्धी नियमों को छोड़कर, उन कर्मचारियों पर प्रभावी होते है जो स्थाई पदों पर कार्य करते है, केवल उसी स्थिति में ये नियम अस्थाई कर्मचारियो पर प्रभावी होगे जहा यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि ये नियम उन पर भी लागू होंगे।

नियम 87–ए:—प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा राजस्थान सेवा नियम भाग–2 के परिशिष्ट–ii (क) मे अंकित प्रपत्र संख्या–1 में रखा जावेगा।

नियम 87–बी–(i):—राजपत्रित अधिकारियों का अवकाश सम्बन्धी लेखा महालेखाकार राजस्थान द्वारा या उसके निर्देशन में रखा जावेगा।

टीका:—**दिनांक 1–1–75 तथा 1–4–76 से अब राज-पत्रित अधिकारियों के अवकाशो के लेखे महालेखाकार के कार्यालय द्वारा नही रखे जाते वरन् विभागाध्यक्षों/कार्यालय अध्यक्षों द्वारा रखे जाते हैं।**

नियम87–बी (ii):—अ-राजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उसी कार्यालय के कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा जिसमें वह नियुक्त है।

राजकीय निर्णय:—एक अ-राजपत्रित कर्मचारी जो एक राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा है, यदि वह अवकाश पर जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिये जैसे अधिसूचना जारी करने, अवकाश वेतन एव भत्ते प्राप्त करने, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त अवकाश की वृद्धि की स्वीकृति आदि के लिये, अवकाश-काल मे उसे राजपत्रित पद को धारित किया हुआ ही माना जाना चाहिये तथा यह ध्यान में नही रखा जाना चाहिये कि वह अवकाश वार्षिक वेतन-वृद्धि मे गिना जावेगा अथवा नही, यदि वह अवकाश पर नही जाता तो राजपत्रित पद पर कार्य करता या नही तथा उसके अवकाश की समाप्ति पर वह अपने राजपत्रित पद पर लौटेगा या नही।

यदि ऐसा कर्मचारी किसी अराजपत्रित पद पर अपना पदाधिकार रखता है जिसमें अवकाश-सुरक्षित (लीव-रिजर्व) कर्मचारी भी सम्मिलित है, तो अवकाश लेने पर अवकाश उस सवर्ग में लिया गया अवकाश गिना जावेगा और इस प्रयोजन के लिये सम्बन्धित कार्यालय की पूर्व मे ही सम्मति ले लेनी चाहिये तथा उसे अवगत करा दिया जाना चाहिये।

यह निर्णय उस कर्मचारी पर भी लागू होगा जो राजस्थान सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय मे या राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार मे या इसके विपरीत स्थानान्तरित किया गया है तथा अपने मूल कार्यालय मे अपना पदाधिकार, सक्रिय अथवा निलम्बित, रखता हो, यदि वह उधार लेने वाले कार्यालय से राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप मे कार्य करते हुए अवकाश पर जाता हो। भविष्य मे ऐसे अधिकारियो के मामले

मे निम्न-अकित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये—

(क) उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा अवकाश एवं उसकी वृद्धि स्वीकृत की जाती चाहिये एव उसे प्रकाशित किया जाना चाहिये, एव

(ख) अवकाश-वेतन प्रारम्भ मे उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा ही दिया जाना चाहिये एवं अवकाश-वेतन को नियमित करने वाले नियमानुसार उसको अन्तिम रूप से समायोजित किया जाना चाहिये।

नियम 88:—किसी भी प्रकार के अवकाश को, किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ में अथवा उसकी निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 89:—उस दिनाक के वाद एक कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा जिस दिन उसे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त होना हो।

किन्तु यदि अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की दिनांक से अ-पर्याप्त समय पूर्व ही कर्मचारी को सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण पूर्ण या आशिक रूप से ऐसे अवकाश के उपभोग करने से मना कर दिया गया है जिसके लिये कर्मचारी द्वारा निवृत्ति-पूर्व-अवकाश-के-रूप में, देय होने पर आवेदन किया गया था, तो उसे अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद उतने ही समय का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जो सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसके नाम बकाया था। सेवा नियम 91 के अनुसार यह अवकाश अधिकतम 120 दिन का एवं जो अवकाश भारत के बाहर उपभोग करना है, वह 180 दिन का स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे स्वीकृत अवकाश में सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के आरम्भ होने के दिन से वास्तव मे सेवा-निवृत्त होने की अवधि मे स्वीकृत अवकाश भी सम्मिलित होगा, किन्तु ऐसे अवकाश वास्तव मे अस्वीकृत किये गये निवृत्ति-पूर्व-अवकाश की सीमा तक दिये जा सकेंगे। वह अर्द्ध-वेतन-अवकाश, यदि कोई हो, जिसके लिये कर्मचारी ने आवेदन किया हो एव सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो, भी इसमें सम्मिलित है तथा वह अर्द्ध-वेतन अवकाश उस सीमा तक उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है जितना उसने निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख एवं अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के मध्य की अवधि में अर्जित किया है।

यह भी शर्त है कि एक अधिकारी जिसकी सेवा में, अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तिथि से आगे, सार्वजनिक-हित में वृद्धि की गई है, उसे उपार्जित-अवकाश निम्नप्रकार स्वीकृत किया जा सकता है:—

(i) सेवा-वृद्धि की अवधि में अर्जित अवकाश तथा इसके अतिरिक्त वह उपार्जित अवकाश जो उसे उक्त प्रावधान के अनुसार अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख को, सेवा-निवृत्त-किये जाने पर, स्वीकृत किया जा सकता था।

(ii) सेवा-वृद्धि की समाप्ति के वाद

(क) उपार्जित अवकाश जो उसे उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अनिवार्य-सेवा निवृत्ति की तारीख को सेवा निवृत्त होने पर स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु इसमें से जो उपार्जित अवकाश सेवा-वृद्धि में लिया जावेगा उसे घटा दिया जावेगा।

(ख) सेवा-वृद्धि-काल में अर्जित अवकाश जिसे कर्मचारी ने सेवा-वृद्धि की समाप्ति से a

पूर्व ही मांगा था किन्तु लोक-हित की आवश्यकता के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो।

(iii) सेवा नियम 91 के संदर्भ में सेवा-वृद्धि-काल में अर्जित अवकाश की मात्रा निश्चित करने के लिये उनमें वह अवकाश भी गिना जावेगा, यदि कोई हो, जो पूर्व के प्रावधान के अनुसार कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी:—वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 (48) वि. वि. (व्यय-नियम)/67 दिनाक 1, अप्रेल, 1969 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय सख्या 1:—सेवा नियम 89 के अन्तर्गत साधारणतः एक कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति-आयु की तारीख के बाद कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा। फिर भी यदि उसने सेवा-निवृत्ति की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व उपार्जित अवकाश के लिये निवेदन किया है, किन्तु लोक सेवा की आवश्यकता के कारण उसे वह अवकाश पूर्ण या आंशिक रूप में "अस्वीकृत" कर दिया गया है तो वह अवकाश, 120 दिन की सीमा तक, स्वीकृत किया जा सकता है।

राजस्थान सेवा नियम, 1 अप्रेल, 1951 से प्रभावशील हुये हैं। वे कर्मचारी जो दिनाक 1 अप्रेल, 1951 के बाद शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने थे, वे इस शर्त के बारे में नहीं जान सके अतएव वे समय पर उपार्जित अवकाश के लिये आवेदन करने का अवसर प्राप्त नही कर सके। यदि नियम 89 का कठोरता से पालन किया जावे तो उनके साथ यह कठोरता का व्यवहार होगा। अतः सरकार ने उन समस्त कर्मचारियों के लिये जो 31 दिसम्बर, 1951 से पूर्व-निवृत्त हो चुके है निम्न-अंकित सुविधा प्रदान की है।

श्रेणी	अवकाश जो स्वीकृत किया जाना है चाहे सेवा नियम 89 की शर्त पूर्ण नहीं हो, किन्तु कर्मचारी का अवकाश बकाया हो।
30-9-1951 को या उससे पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारी को	सेवा-निवृत्ति-आयु की तारीख के बाद 120 दिन तक का देय उपार्जित अवकाश
30-9-51 के बाद किन्तु 31-10-1951 को या उससे पूर्व निवृत्त-कर्मचारी को।	सेवा-निवृत्ति की आयु की तारीख के बाद 90 दिन तक का उपार्जित अवकाश
31-10-51 के बाद किन्तु 30-11-51 या उससे पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारी को	विश्राम-वृत्ति की आयु की तारीख के बाद 60 दिन का उपार्जित अवकाश
30-11-1951 के बाद किन्तु 31-12-51 तक या उससे पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारियो को	सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद उसे दिवस 30 का उपार्जित अवकाश

दिनाक 31 दिसम्बर, 1951 के बाद सेवा-निवृत्त कर्मचारियो को उपार्जित अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब वे नियम 89 की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि इस आदेश को अपने विभाग के सभी कर्मचारियों के ध्यान में ला देवें।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—सेवा नियम 89 के सही रूप से लागू करने के सम्बन्ध मे एक सन्देह व्यक्त किया गया है। मामले की जाच की गई है तथा यह पाया गया है कि नियम 89 के दूसरे परन्तुक (प्रोवीजो) के अनुसार अवकाश, सेवा-वृद्धि-काल की समाप्ति के बाद, केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है

जब नियम के प्रथम परन्तुक की शर्तों का पालन किया जा चुका हो । उदाहरणार्थ अवकाश लोक-सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत किया गया हो । यह शर्त दोनों परन्तुकों पर लागू होती है ।

(क) उपार्जित अवकाश जो प्रथम परन्तुक के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता था, एव

(ख) उपार्जित अवक श जो सेवा-वृद्धि-काल में बकाया हो । सेवा-वृद्धि-काल मे अर्जित अवकाश इस प्रकार सेवा-वृद्धि काल की समाप्ति के पश्चात् स्वतः ही प्राप्त नही होता एवं वह उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब पूर्व मे उसे अस्वीकृत किया गया हो । दोनों मामलों में अर्थात् अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद उपार्जित अवकाश के मामले मे अथवा सेवा-वृद्धि-काल की समाप्ति के बाद अवकाश के मामले मे, अवकाश केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है, यदि कर्मचारी ने अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व अथवा सेवा-वृद्धि-काल की समाप्ति से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, अवकाश के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया हो तथा वह "अस्वीकृत" कर दिया गया हो या, स्वीकृति-कर्त्ता प्राधिकारी से लिखित मे यह निश्चिय करा लिया हो कि यदि अवकाश के लिये आवेदन किया गया तो स्वीकृत नही किया जावेगा । किसी भी मामले मे अवकाश "अस्वीकृत" करने का आधार "लोक-सेवा की आवश्यकता" होनी चाहिये ।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—सरकार को यह बताया गया है कि दिनाक 1 जुलाई, 1967 से अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर दिये जाने के फलस्वरूप बहुत से कर्मचारी, जिन्होने 55 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, शीघ्र ही पूर्ण या आशिक रूप से सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश के लिये आवेदन करने से, नियम 89 के प्रावधानों द्वारा, रोक दिये गये थे । मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर यह आदेश दिया जाता है कि सभी मामलों मे जिनमे कर्मचारी जो 2 जुलाई, 1967 एव 31 दिसम्बर, 1967 के बीच सेवा-निवृत्त होते है या हो चुके है, उन्हें निम्न-अंकित सीमा तक "अस्वीकृत-अवकाश" का लाभ स्वीकार किया जावे ।

(i) उन कर्मचारियों के मामले मे जो 2 जुलाई, 1967 एवं 31 दिसम्बर, 1967 के बीच सेवा-निवृत्त हो गये है, उन्हे 120 दिन की सीमा तक देय उपार्जित अवकाश, जिसे वह अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप से प्राप्त करता, उनमें से उसके द्वारा वास्तव मे उपभोग किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश की अवधि को घटाकर, शेष अवकाश को "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप में समझा जाना चाहिये ।

(ii) दिनाक 1 सितम्बर, 1967 तथा 31–12–67 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के मामलों मे सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश, जो 120 दिन से अधिक नही हो, के रूप मे बकाया अवकाश एव जो 1 सितम्बर, 1967 से सेवा-निवृत्ति की तारीख से तुरन्त पूर्व की तारीख के मध्य की अवधि तथा 31 अगस्त, 1967 तक उपभोग किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश को कम करके अवशेष "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप मे माना जावेगा ।

उदाहरणार्थ-प्रकरण संख्या (1).—जहा कर्मचारी द्वारा दिनाक 1 सितम्बर, 67 से पूर्व किसी प्रकार के सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश का उपभोग नही किया गया हो:—

1.	अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख	1–10–1967
2	सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के रूप मे बकाया उपार्जित अवकाश की सख्या (120 दिन से अधिक नही)	120 दिन

3. घटायें—1-9-67 से 30-9-67 30 दिवस

4. अस्वीकृत-अवकाश जो दिया जा सकता है 90 दिवस

प्रकरण संख्या (2):—जहा कर्मचारी ने दिनाक 1 सितम्बर, 1967 से पूर्व उपार्जित अवकाश का उपभोग किया है.—

1. अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख 15-11-1967

2. सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में बकाया उपार्जित अवकाश की सख्या (120 दिन से अधिक नही) 120 दिन

3. घटाइये-दिनाक 1-9-1967 से पूर्व/बाद मे उपभोग किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश की अवधि अर्थात् 18-8-67 से 14-11-67 89 दिन

4. अस्वीकृत-अवकाश जो स्वीकृत किया जा सकता है 31 दिवस

उपरोक्त अनुच्छेद-1 के फलस्वरूप भुगतान योग्य अवकाश-वेतन वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (48) वि. वि (व्यय-नियम) 67 दिनाक 15 जुलाई, 67 के अनुसार नियमित किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—दिनाक 1 जुलाई, 1967 से सेवा-निवृत्ति-आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के सम्बन्ध मे वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 (42) वि. वि. (व्यय-नियम) 67-I दि . 3 जून, 1967 के परिणाम-स्वरूप कुछ कर्मचारियो को दिनाक 1 जुलाई, 1967 से सेवा मे वृद्धि स्वीकृत की गई थी। यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियो के मामलों में जिन्हे 1 जुलाई, 1967 से सेवा मे वृद्धि स्वीकार की गई है, उपार्जित अवकाश (120 दिन से अधिक का नही) जो उनके अवकाश लेखो मे बकाया था तो क्या उसे वित्त विभाग के आदेश दिनाक 13 जून, 1967 (जो नियम 56 (क) (1) के नीचे जोड़ा गया है) के अनुच्छेद (8) एव (9) के अनुसार स्वतः ही "अस्वीकृत" किया हुआ समझा जावेगा।

मामले पर विचार कर यह निश्चित किया गया है कि उपरोक्त आदेश के प्रावधान ऐसे मामले पर लागू नही होते है। फिर भी ऐसे कर्मचारियो को जिनको उपार्जित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक नही हो, तथा जो दिनाक, 1967 से पूर्व उनके अवकाश लेखों मे जमा था, उसे "आगे-जमा-ले-जाने" की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रकार से आगे "जमा-किया-गया" उपार्जित अवकाश, सेवा के वृद्धि काल मे अर्जित उपार्जित अवकाश के साथ मिलाकर, सेवा-वृद्धि काल मे ही उपभोग किया जावेगा या यदि सेवा नियम 89 के अनुसार अवकाश अस्वीकृत हो जाता है तो वह नियमानुसार सेवा-काल की वृद्धि के बाद उपभोग किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय सख्या 5:—उक्त राजकीय निर्णय सख्या-1 के अनुसार यह माना गया था कि नियम 89 के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत अवकाश, सेवा-वृद्धि की अवधि के बाद केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब वह अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओ के कारण दोनो मामलों मे अर्थात् (i) उपार्जित अवकाश के मामले में जो प्रथम परन्तुक के अनुसार स्वीकार किया जा सकता था तथा (ii) सेवा-वृद्धि के समय में देय उपार्जित अवकाश के मामले मे, अस्वीकार कर दिया गया हो। उपरोक्त दोनो मामलों मे अर्थात् अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद अवकाश के मामले मे तथा सेवा-काल की वृद्धि की समाप्ति के बाद अवकाश के मामले में केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब कर्मचारी ने अवकाश के लिये आवेदन, सेवा-निवृत्ति की तारीख अथवा सेवा-वृद्धि की समाप्ति के पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, औपचारिक रूप से अवकाश के लिये आवेदन किया हो और

उसे "अस्वीकृत" कर दिया गया हो या स्वीकृति-कर्त्ता से यह लिखित मे सुनिश्चित करा लिया गया हो कि यदि अवकाश मागा गया तो वह स्वीकृत नही होगा। दोनों ही मामलों मे ऐसे अवकाश (अस्वीकृत अवकाश) को स्वीकृत करने का आधार "लोक सेवाओ की आवश्यकता" होगी।

उन कर्मचारियों को जिनकी राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट-ix के क्रमाक 19 (क) (i) के अनुसार विश्राम-वृत्ति-आयु प्राप्त करने के वाद दिनाक 28 फरवरी, 1971 या उस तारीख तक जिसको वह 58 वर्ष के होते हैं, जिनमे से जो भी पूर्व मे हो, सेवा-वृद्धि की गई थी, उन्हे अपनी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व औपचारिक आवेदन करना था। मामले की जाच कर यह निश्चिय किया गया है कि चूंकि ऐसे कर्मचारियों के मामलो मे सेवा की वृद्धि स्वतः ही 28 फरवरी, 1971 या उनके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख को, जिसमे जो भी पूर्व मे है, तक ही होती है। अतः विश्राम-वृत्ति की आयु से पूर्व जितना भी उपार्जित अवकाश बकाया है वह उस तारीख के वाद "आगे-जमा नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसकी सेवा-वृद्धि की अवधि में अर्जित उपार्जित अवकाश के साथ राजस्थान सेवा नियम 91 के अनुसार निर्धारित सीमा तक उपभोग किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार "आगे-जमा" किया गया उपार्जित अवकाश एव सेवा-वृद्धि-काल मे अर्जित उपार्जित अवकाश स्वतः ही सेवा-वृद्धि काल की समाप्ति पर स्वीकार्य नही होगा। वह तभी स्वीकृत किया जावेगा जब उनको "लोक-हित की दृष्टि" से पूर्व मे "अस्वीकृत" किया गया हो।

राजकीय निर्णय संख्या-6:—सेवा नियम 89 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या 5 में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मेडीकल-कालेजो के शिक्षकों सहित चिकित्सा अधिकारियो के मामले में, जो सेवा निवृत्ति आयु के होने वाले है अथवा जिन्होंने निवृत्ति-पूर्व के अवकाश के लिए आवेदन किया है और जिसे किसी सक्षम-प्राधिकारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान करने की तारीख से पूर्व "अस्वीकार" कर दिया गया हो तो ऐसे अवकाश को सेवाकाल मे वृद्धि की अवधि मे "आगे जमा" कर दिया जावेगा। किन्तु शर्त यह है कि सेवाकाल की वृद्धि-सेवा-निवृत्ति आयु के होने के तुरन्त बाद प्रारम्भ होती हो। फिर भी यदि आवेदित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो और अधिकारी को उसकी सूचना उसके प्रस्थान करने की प्रस्तावित तारीख से पूर्व नहीं दी हो तो अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की एव सेवा वृद्धि की तारीख के बीच की अवधि को "अस्वीकृत-अवकाश" माना जावेगा। *सेवा-निवृत्ति-आयु प्राप्त करने के वाद यदि सेवाकाल मे वृद्धि के आदेश जारी किए जाते हैं* आवेदित अवकाश को फिर "अस्वीकृत" कर दिया जाता है तो ऐसे मामले मे सेवा-निवृत्ति-आयु की तारीख एवं सेवाकाल में वृद्धि की स्वीकृति के कारण "कर्त्तव्य" पर वापिस आने की तारीख से पूर्व के समय को "अस्वीकृत-अवकाश" द्वारा नियमित किया जावेगा। यदि कोई अवकाश शेष नही है तो विना वेतन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

इन आदेशों के प्रसारित होने से पूर्व जो मामले निपटा दिए गए हैं और जिनमे अवकाश अस्वीकृत करने का लाभ दे दिया गया है, तो उन्हें पुनः नही खोले जावेंगे।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (12) वि वि. (प्रुप–2) 70 दिनांक 13 जनवरी, 1971 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देशनः—(क) राजपत्रित अधिकारियो को बकाया अवकाश का सत्यापन महालेखार द्वारा करना होता है। ऐसे अवकाश का प्रार्थना-पत्र उस तारीख से दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे वह अवकाश पर प्रस्थान करना चाहते हों। ऐसे प्रार्थना-पत्रो को महालेखाकार कार्यालय में बकाया अवकाश की सूचना शीघ्र भेजने तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अधिकतम 15 दिन की अवधि मे लौटाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। इसके वाद सक्षम प्राधिकारी लिखित में आदेश देगा कि उसका अवकाश स्वीकृत किया गया है अथवा नही। इन आदेशों की सूचना लिखित मे महालेखाकार एव सम्बन्धित अधिकारी को दी जावेगी।

(ख) अ-राजपत्रित कर्मचारियों के बारे मे चूंकि महालेखाकार से सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक नही है। अतः निवृत्ति-पूर्व-अवकाश का प्रार्थना पत्र अवकाश पर प्रस्थान करने की प्रस्तावित तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस तारीख से पूर्व ही अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी लिखित में अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना कर्मचारी को देगा।

पूर्व मे जिन मामलों मे कर्मचारियो ने पर्याप्त समय पूर्व ऐसे अवकाश के लिए आवेदन किया था किन्तु उन्हें ऐसा अवकाश-निवृत्ति आयु के होने की तारीख से पूर्व या पुनः नियुक्ति से पूर्व उस समय तक एक या एक से अधिक कारणो से स्वीकृत नही किया गया या जिसमे कर्मचारी की कोई गलती नही थी। उनके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलो को गुणावगुण के आधार पर पृथक-पृथक तय किया जावेगा।

स्पष्टीकरण—सेवा नियम 56 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या-1 की ओर ध्यान आकर्पित किया जाता है जिसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी जिसको अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद अथवा सेवा-वृद्धि समाप्ति के बाद नियम 89 के अन्तर्गत अवकाश अस्वीकृत किया गया है, उसे पेन्शन सम्बन्धी लाभो के लिए अवकाश, सेवा-निवृत्ति की तारीख को या सेवा मे की गई वृद्धि की समाप्ति के दिन, जैसी भी स्थिति हो, सेवा से निवृत्त किया हुआ समझा जाता है तथा वह उक्त तारीख से पेन्शन सम्बन्धी समस्त लाभो को प्राप्त करने का अधिकारी भी हो जाता है। इस प्रावधान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गए है जिनका स्पष्टीकरण निम्न-प्रकार दिया जाता है:—

उठाये गये प्रश्न	स्पष्टीकरण
1. क्या एक कर्मचारी सेवा-निवृत्ति की तारीख या सेवा-काल में की गई वृद्धि की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के तुरन्त बाद अस्वीकृत अवकाश का उपभोग कर सकता है। क्या वह अस्वीकृत अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से सेवा से निवृत्त होगा एव क्या वह इस तिथि से पेन्शन सम्बन्धी समस्त लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जावेगा ?	1. राज्य कर्मचारी जो अपनी विश्राम-वृत्ति आयु की दिनाक या सेवाकाल-वृद्धि की समाप्ति के तुरन्त बाद पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उपार्जित अवकाश का उपभोग करता है, उसको अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से सेवा निवृत्त हुआ समझा जावेगा अथवा जहा सेवा मे वृद्धि स्वीकृत की गई है वहा उसकी समाप्ति की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जावेगा तथा वह उस तारीख से पेन्शन सम्बन्धी समस्त लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. अस्वीकृत अवकाश की अवधि के अवकाश-वेतन का भुगतान किस प्रकार नियमित किया जावेगा:—	
(क) जब उसका विश्राम-वृत्ति की तारीख अथवा सेवाकाल-वृद्धि की समाप्ति की तारीख, के तुरन्त बाद उपभोग किया गया हो।	ऐसे मामलों में देय अवकाश वेतन वही होगा जो कर्मचारी को सामान्य रूप से देय होता है। किन्तु उसमे से पेन्शन एव ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन या अन्य सेवा-निवृत्ति लाभो की राशि कम कर दी जावेगी।
(ख) जब अवकाश उस पद के कर्त्तव्यों को सम्पादित करते हुए अर्जित किया गया	अवकाश वेतन उस राशि तक सीमित होगा जो अर्द्ध-वेतन अवकाश मे कर्मचारी को देय होता

है जिसमे उसको पुनःनियुक्त किया गया हो।	है। किन्तु इसमें से भी पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन आदि की राशि कम की जवेगी।
(ग) जब व्यक्ति ऐसे पद पर हो जिस पर वह पुनः नियुक्त हुआ है, अवकाश पर वहा से प्रस्थान कर देता है तथा जो पुनः नियुक्ति के बीच मे या बाद मे अस्वीकृत अवकाश का उपभोग करता है।	अवकाश वेतन वही होगा जो उसे पुनः नियुक्ति को छोड़कर सामान्यतया देय होता है किन्तु इसमें से भी पेन्शन एव अन्य-निवृत्ति-लाभ कम कर दिया जावेगा।
(घ) अस्वीकृत अवकाश काल मे अवकाश वेतन एव महगाई भत्तो की फलावट किस प्रकार की जानी चाहिये, यदि अवकाश वेतन (महगाई भत्ते को छोडकर) पेन्शन (अस्थाई वृद्धि को छोडकर) एवं सेवा निवृत्ति लाभो के समान पेन्शन से कम हो।	अवकाश वेतन एव महगाई भत्ता जो सामान्यतः देय हो या क्रमशः पेन्शन/ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति-लाभो के समान पेन्शन को सम्मिलित करते हुए तथा पेन्शन की अस्थाई वृद्धि में समायोजित किया जाना चाहिये। दूसरे शब्दो मे अधिकारी पेन्शन, अवकाश-वेतन एवं महगाई भत्तों के रूप मे निम्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगाः— (1) अवकाश वेतन, कुछ नही (2) सामान्य पेन्शन तथा उक्त पेन्शन मे अस्थाई वृद्धि, यदि कोई हो, एव (3) अवकाश वेतन जो अधिकारी को सामान्यतया देय होता है, पर महगाई भत्ते एव पेन्शन की अस्थाई वृद्धि के अन्तर के समान।
(ङ) क्या महंगाई-भत्ता जो अवकाश वेतन पर देय है भी छोड़ दिया जावेगा।	अस्वीकृत-अवकाश की अवधि के अवकाश वेतन पर देय महगाई भत्ता पेन्शन मे अस्थाई-वृद्धि, यदि कोई हो, वो उसके समान कम कर दिया जावेगा।

(उपरोक्त स्पष्टीकरण दिनाक 1 जुलाई, 1967 से प्रभावशील होगे)

राजकीय आदेशः—चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियो को सेवा-निवृत्ति आयु 60 वर्ष की बजाय 58 वर्ष करने के फलस्वरूप जो कर्मचारी दिनाक 1 दिसम्बर, 1969 को 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो गये हो उन्हे उक्त तारीख से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है, क्योकि इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के लिये आवेदन करने हेतु पर्याप्त समय नही मिल सका और उन्हे ऐसे अवकाश के उपभोग से वचित रहना पड़ा। अतः राज्यपाल महोदय ने निम्न-अकित आज्ञा प्रदान की हैः—

(1) जिस चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी के खाते मे 1 दिसम्बर, 1969 के तुरन्त पूर्व जितना उपार्जित अवकाश जमा है वह उस अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र देगा। इस प्रकार आवेदित उपार्जित अवकाश को सेवा नियम 89 के प्रावधानो मे शिथिलता करते हुए दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 से पूर्व "अस्वीकार-किया-हुआ" माना जावेगा। ऐसे अवकाश की सीमा 120 दिन की होगी। इस

अस्वीकृत अवकाश की एक शर्त यह भी होगी कि सम्बन्धित कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु का होने की तारीख से आगे अवकाश की अवधि नही होगी ।

(ii) ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो 2 दिसम्बर, 1969 को अथवा बाद मे किन्तु दिनाक 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा-निवृत्त होता है या हो गया है, निम्न सीमाओ तक बकाया उपार्जित अवकाश, जो मागा गया है, को "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप मे स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(क) ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो 2 दिसम्बर, 1969 को या बाद में किन्तु 31 दिसम्बर, 1969 तक सेवा-निवृत्त हो रहा है, को 120 दिन की सीमा तक सम्पूर्ण उपार्जित अवकाश जो उसे देय था उसे "अस्वीकृत-अवकाश" के रूप मे, वास्तव मे निवृत्ति-पूर्व-अवकाश भुगतानों की अवधि को कम करके, माना जावेगा ।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1970 को या बाद में किन्तु 30 अप्रेल, 1970 तक सेवा-निवृत्त हो रहे है, उन्हे बकाया उपार्जित अवकाश, निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के रूप मे, जो 120 दिन से अधिक का नही हो उसमे निवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप मे उपभोग की गई अवधि या दिनाक 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि या 1 जनवरी, 1970 से निवृत्ति की तारीख से तुरन्त पूर्व की अवधि घटाकर "अस्वीकृत-अवकाश" माना जावेगा ।

(iii) उक्त अनुच्छेद (i) एव (ii) के अनुसार देय अवकाश-वेतन नियम 89 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार फलाया जावेगा और प्रत्येक माह के अन्त में भुगताया जा सकेगा । मामले मे जहां पेन्शन के समान ग्रेच्यूटी या अन्य निवृत्ति-लाभ की सूचना न हो, अवकाश वेतन जो साधारण प्रकार से देय हो, का भुगतान किया जा सकेगा और उसके भुगतान की राशि पेन्शन अथवा अन्य-निवृत्ति लाभो से, जो उसे स्वीकृत किये जाय, समायोजित की जा सकती है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई अवकाश-वेतन का अधिक भुगतान वसूल किया गया है अथवा नही, एक आहरण एव वितरण अधिकारी उस कर्मचारी को देय अवकाश-वेतन की सूचना पेन्शन के पत्रादि के साथ महालेखाकार को देगे, जिसके आधार पर महालेखाकार पेन्शन अथवा अन्य लाभों से समायोजित करेगे ।

अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान देने के सम्बन्ध में

राजकीय निर्णय संख्या 1:—कुछ समय से राज्य सरकार के यह विचाराधीन रहा है कि राज्य कर्मचारियो की साख पर अनुपयोजित (अन-यूटेलाईज्ड) रहे उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान उन कर्मचारियों को किया जावे जो सेवा-निवृत्ति से पूर्व उपार्जित अवकाश मागते है । इस प्रश्न पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आज्ञा प्रदान की है कि उन राज्य कर्मचारियो को जो दिनाक 28 फरवरी, 1978 को अथवा उनके बाद राज्य सेवा से अधिवार्षिकी आयु पर सेवा-निवृत्ति प्राप्त करते है, उन्हे अधिवार्षिकी आयु पर सेवा-निवृत्त होने के दिन उनकी साख पर जो उपार्जित अवकाश शेष हो उनके एवज में अवकाश-वेतन के समान नगद-भुगतान दे दिया जावे ।

2. यह सुविधा निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत दी जावेगी:—

(क) अवकाश वेतन के समान नगद भुगतान योग्य राशि अधिकतम 120 दिन तक के उपार्जित अवकाश की सीमा तक दी जावेगी ।

(ख) इस प्रकार अवकाश वेतन के समान जो भुगतान बनेगा वह सेवा-निवृत्ति के बाद एक-मुश्त एक बार मे निश्चित (सेटिलमेन्ट) भुगतान के रूप मे होगा ।

(ग) निम्न-अंकित उप अनुच्छेद (घ) में वर्णित शर्तों के अनुसार अवकाश वेतन के समान नगद भुगतान की राशि इस आदेश के अनुसार चुका ई जावेगी जिसमे उपार्जित अवकाश देय अवकाश वेतन पर देय महगाई भत्ते की फलावट कर सेवा-निवृत्ति के दिन लागू दर के आधार पर निकाली जावेगी। शहरी क्षतिपूरक भत्ता एव मकान किराया भत्ता इस पर देय नही होगा।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार फलावट किये गये नगद-भुगतान की राशि मे से पेन्शन एवं सेवा-निवृत्ति लाभ के रूप मे पेन्शन के समान लाभ की राशि, नगद भुगतान की राशि मे से, काट ली जावेगी।

(ङ) अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी ही अपने स्तर पर विश्राम-वृत्ति प्राप्त करने वाले राज्य-कर्मचारियो की साख पर विश्राम-वृत्ति के दिन उपलब्ध उपार्जित अवकाश के एवज मे अवकाश वेतन के समान नगद भुगतान के आदेश जारी करने को सक्षम माने जावेगे।

3. यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 244 के अन्तर्गत अपरिपक्व (प्रिमेच्योर्ड) स्वेच्छिक (वालेन्ट्री) रूप मे ली गई सेवा-निवृत्ति के मामलो मे लागू नही होगा। राज्य कर्मचारी जो राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमो के अन्तर्गत शापित (पनिशमेन्ट) के रूप मे राज्य-सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जावेगा, उसे भी इन आदेशो का लाभ देय नही होगा।

4. एक राज्य कर्मचारी जो पूर्व मे ही विश्रामवृत्ति से पूर्व के उपार्जित अवकाश पर हो एव जो एक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम 85 (ii) के अनुसार सेवा पर वापिस लौटने की अनुमति दे दी गई हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी सेवा-निवृत्ति के दिन आदेशो के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस आदेश के द्वारा स्वीकार्य लाभ उन राज्य कर्मचारियो को भी देय होगा जो दिनाक 28 फरवरी, 1978 अथवा उसके बाद अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करते है अथवा जिन्हें अधिवार्षिकी आयु के बाद सेवा मे अभि-वृद्धि स्वीकार कर दी जाती है। ऐसे मामले मे इस आदेश का लाभ को एक राज्य कर्मचारी को सेवा अभि-वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अन्तिम रूप से सेवा निवृत्ति किये जाने पर देय होगा। उन्हे ऐसे लाभ उनकी अधिवार्षिकी आयु के दिन उनकी साख पर उपलब्ध उपार्जित अवकाश की सीमा तक सेवा-अभि-वृद्धि की अवधि मे अर्जित अवकाश की सख्या मिलाकर अधिकतम 120 दिन तक की अवधि के आधार पर अवकाश वेतन के समान नगद-भुगतान किया जावेगा। उक्त अकित लाभ उन व्यक्तियो को उपलब्ध नही होगा जो 28 फरवरी, 1978 से पूर्व ही अधिवार्षिकी आयु के हो गये हो और जो उसके बाद सेवा की अभि-वृद्धि पर चल रहा हो।

5. इन आदेशों के प्रसारित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 89 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति से पूर्व मे चाहे गये उपार्जित अवकाश को अस्वीकृत करने की कार्यवाही करना अब आवश्यक नही रह गया है। एक राज्य कर्मचारी जो 120 दिन तक के उपार्जित अवकाश की सीमा मे रहते हुए सेवा-निवृत्ति से पूर्व अवकाश का उपभोग कर लेता है उसे इन आदेशो के अन्तर्गत अवकाश-वेतन के समान राशि का भुगतान उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसकी साख पर उपलब्ध अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के लिये नही दिया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (ए) (26) वित्त/(ग्रुप-2)/77 दिनांक 11–5–78 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक 11–5–1978 के अनुच्छेद 2 की धारा (घ) के अन्तर्गत अनुपयोजित (अनयूटिलाईजड्) उपार्जित अवकाशो के एवज मे देय नकद-भुगतान की

राशि मे से पेन्शन तथा पेन्शन के समान अन्य विश्रामवृत्ति लाभो के सम्बन्ध मे कटौती नहीं करने का प्रश्न कुछ समय से राज्य-सरकार के विचाराधीन रहा है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने आज्ञा प्रदान की है कि ऐसे राज्य-कर्मचारी जो 28-2-78 अथवा उसके बाद अधिवार्षिकी आयु पर सेवा-निवृत्त होते है उनकी साख (क्रेडिट) पर अनुपयोजित-उपार्जित अवकाशों के एवज मे देय एक-मुश्त नकद-भुगतान की राशि में से पेन्शन अथवा पेन्शन के समान अन्य लाभो के सम्बन्ध मे कोई कटौती नही की जावेगी। तद्नुसार इस विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक 11-5-78 के अनुच्छेद 2 (घ) को प्रारम्भ से ही विलोपित किया हुआ माना जावेगा।

उपरोक्त अनुच्छेद मे अंकित निर्णय के परिणाम स्वरूप पूर्व मे निपटाये गये मामलो में जहा कटौती कर ली गई है वहा ऐसे मामलों का पुनरावलोकन किया जावेगा और पुनः नये सिरे से आवश्यक सशोधित आदेश, नकद-भुगतान के लिये, जारी किये जावेगे।

[आदेश क्रमांक एफ. 1 (क) (26) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दिनांक 30-8-78 द्वारा निर्दिष्ट]

नियम 90:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 6792/57 एफ. 1 (40) वि. वि. (क) नियम 56 दिनाक 28 अक्टूबर, 1957 द्वारा विलोपित।

दृष्टान्त संख्या 1:—एक कृषि-अधिकारी 3 वर्ष तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में प्रति-नियुक्ति पर रहा। राज्य में वापिस आने पर उसने मांग कि की उक्त 3 वर्ष की अवधि में उसने जो अवकाश अर्जित किया है वह उसे स्वीकार कर दिये जावें तथा अवकाश समर्पण का लाभ देकर नकद-भुगतान कर दिया जावे। विभाग इस प्रति-नियुक्ति की अवधि को कर्त्तव्य नहीं मानता है।

उक्त मामले में सेवा नियम 57 प्रभावशील होगा। यह प्रतिनियुक्ति-काल 'वैदेशिक-सेवा' है और वैदेशिक-सेवा की अवधि को अवकाश उपार्जन के लिये कर्त्तव्य माना जा सकता है, यदि उस अवधि का अवकाश वेतन-अंशदान चुका दिया गया है। अतः यदि अंशदान दे दिया गया हो तो इस अवधि में अर्जित अवकाश अधिकारी को स्वीकृत किये जा सकते है तथा सेवा नियम 91 (3) के अधीन राजकीय निर्णय संख्या (1) के अनुसार समर्पण अवकाशों के एवज मे नकद भुगतान भी किया जा सकता है।

दृष्टान्त संख्या 2:—सचिवालय के सहायक सचिव अस्वस्थ्यता के आधार पर 15 दिवस के रूपान्तरित अवकाश, प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर, का उपभोग करना चाहते हैं। चिकित्सक ने पुनः 15 दिवस और अवकाश पर रहने की सलाह दी तथा यह प्रमाणित कर दिया कि अधिकारी को चिकित्सा समिति के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। सहायक सचिव के रूपान्तरित अवकाश तथा उसकी वृद्धि के प्रार्थना पत्र को विभाग के विशिष्ट सचिव ने स्वीकार नहीं किया और सहायक सचिव को चिकित्सा-समिति से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश किया।

इस मामले मे नियम 70 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (3) तथा 74 (2) (i) के प्रावधान लागू होते हैं। चूंकि रूपान्तरित अवकाश की कुल अवधि दो माह से कम है। अतः प्राधिकृत-चिकित्सक का प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त है। विशिष्ट सचिव की यह कार्यवाही कतई उचित नहीं है।

दृष्टान्त संख्या 3:—विकास विभाग का कैशियर दिनांक 16–8–77 से 9–9–77 तक 25 दिवस के उपार्जित अवकाश पर जाता है। दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तथा दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर सार्वजनिक अवकाश थे। अतः कैशियर ने रोकड का चार्ज 12–8–77 के अपरान्ह में विभाग के बिल क्लर्क को सम्भलाया और 12–9–77 को आकर वापिस सम्भाला। बिल क्लर्क 30 दिन के अतिरिक्त कार्य के लिये विशेष वेतन की मांग की जिसे निदेशक ने अस्वीकृत कर दिया कि स्वीकृत अवकाश 25 दिन का ही है।

इस मामले में सेवा नियम 63 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के प्रावधान लागू होंगे और बिल क्लर्क को 30 दिन की दोहरी व्यवस्था की अवधि का अतिरिक्त वेतन (विशेष-वेतन) दिया जाना चाहिए। निदेशक को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए।

दृष्टान्त संख्या 4:—सचिवालय के एक अनुभाग अधिकारी जो निजी सचिव के रूप में गत चार वर्ष से कार्यरत है को 1–7–76 से 30–6–77 तक एक वर्ष की सेवा-वृद्धि स्वीकृत की गई। अधिकारी ने *1–4–76 से 91 दिवस के सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश की मांग* की जिसे स्वीकृत नहीं किया और लिखित में अस्वीकृत भी नहीं किया तथा 1–7–76 से सेवा-वृद्धि स्वीकार की गई। अधिकारी ने इस एक वर्ष की अवधि में भी 32 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित किया। उन्होंने 1–7–77 को प्रार्थना की कि उन्हें देय एवं स्वीकार्य 123 दिन के अवकाश का लाभ दिया जावे।

इस मामले में नियम 8 9 का दूसरा परन्तुक तथा उसी नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या 2 के प्रावधान लागू होंगे। अधिकारी को केवल 91 दिवस के समय पर स्वीकार नहीं किये गये अवकाश का ही लाभ मिल सकता है। 32 दिन का नहीं मिल सकता कारण कि अधिकारी ने समय पर उसकी लिखित में मांग ही नहीं की।

खण्ड 2

उपार्जित अवकाश आदि

नियम 91 (1) (क):—अखिल भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस में नियुक्त तथा नेफा या त्रिपुरा या सीमा-क्षेत्रों, जैसा राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1 (21) जी. ए. ए. (ग्रुप-2) 64 दिनाक 8 मई, 1964 में परिभाषित किया गया है, पर नियोजित स्थाई कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश, उक्त कर्त्तव्य पर व्यतीत समय का 1/8 भाग, उपार्जित अवकाश के रूप में देय होगा। (यह प्रावधान 1 जून, 1964 से प्रभावशील होगा)।

किन्तु एक कर्मचारी उपार्जित अवकाश अर्जित करना उस समय बन्द कर देगा जब उसके अवकाश लेखे में 180 दिन या उसके अधिक का उपार्जित अवकाश जमा हो गया हो। किन्तु यह भी शर्त है कि यदि किसी अधिकारी को सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताओं के कारण उसका अवशेष अवकाश पूर्णतया या आंशिक रूप से औपचारिक आदेशानुसार, उसमें अंकित कारणों से, अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वह ऐसी अवधि को 180 दिन की अधिकतम सीमा से आगे भी जमा रखने का अधिकारी होगा।

नियम 91 (1) (ख):—स्थाई सेवा में नियुक्त कर्मचारी के लिये देय उपार्जित अवकाश "कर्त्तव्य पर व्यतीत" समय का 1/11 भाग होगा किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा अवकाश अर्जित,

करना उस समय वन्द कर देगा जब उसकी संख्या 180 दिन की हो जावेगी।

नियम 91 (2):—सेवा नियम 59 एवं 89 एवं इस नियम के उपनियम (1) व (3) के प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय में अधिकतम स्वीकृत किये जाने वाले उपार्जित-अवकाश की सीमा 120 दिन तक की होगी।

नियम 91 (3):—जब एक कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम या चिकित्सालय में टी. बी. या कुष्ठरोग या केन्सर या मस्तिष्क की विमारी का निदान करा रहा हो तो उसे एक साथ अधिकतम 180 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

अपवाद संख्या (1):—उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा, जो एक बार में किसी अधिकारी को, नियम 59 एव 89 के अधीन, स्वीकृत की जा सकती है, वह 120 दिन की होगी।

(2) उपार्जित अवकाश जो चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किया जा सकता है, वह 120 दिन तक का होगा तथा वह 180 दिन से अधिक का नही होगा यदि इस प्रकार स्वीकृत किया गया सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग भारत से वाहर वर्मा, श्री लका, नेपाल एवं पाकिस्तान मे बिताया गया हो। किन्तु जहा उपार्जित अवकाश 120 दिन की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है वहा भारत में बिताई गई अवधि कुल मिलाकर उक्त सीमा से अधिक नही होगी। (डामन, डिव्यू एव गोवा शब्द 12-1-76 से विलोपित)

(3) अधिकतम उपार्जित अवकाश जो किसी कर्मचारी को एक साथ स्वीकृत किया जा सकता है वह 180 दिन तक का होगा यदि वह किसी मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम या अस्पताल में टी. बी. या कोढ या केंसर, या मानसिक रोग का निदान करा रहा हो।

राजकीय आदेश:—वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1(58) वि. वि./(नियम) 62 दिनाक 21 नवम्बर, 1961 द्वारा 1 अक्टूबर, 1962 से उक्त निर्णय के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या 2, 4 एव 5 विलोपित की गई है एव टिप्पणी सख्या 3 को टिप्पणी सख्या-2 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।

उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद-भुगतान

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्य सरकार ने इस प्रश्न की जाच की है कि क्या सरकारी कर्मचारी जो 30 दिवस से अधिक के लिए उपार्जित अवकाश लेता है तथा प्राप्त उपार्जित-अवकाश के बराबर की अवकाश अवधि, यदि वह देय एव ग्राह्य हो, को समर्पण करने एव इस प्रकार समर्पित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये अथवा नही।

राज्यपाल महोदय ने इस प्रश्न पर विचार कर आदेश प्रदान किया है कि निम्नांकित शर्तों के अनुसार कर्मचारियो को उपार्जित अवकाश के समर्पण के एवज मे नकद-भुगतान की सुविधा दी जा सकती है।

2. (i) राज्य कर्मचारी (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनो) जो 30 दिन का उपार्जित अवकाश लेता है उसकी लिखित प्रार्थना पर अवकाश आरम्भ होने की तारीख को उसके अवकाश लेखे मे अवशेष उपार्जित अवकाश के किसी अंश को, 30 दिवस तक की अधिकतम सीमा मे, समर्पित करने की अनुमति दी जावेगी और उसे ऐसे उपार्जित-अवकाश के एवज मे अवकाश-वेतन एव भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।

(ii) उपार्जित अवकाश के समर्पण के एवज मे नकद-भुगतान की सुविधा दो वित्तीय वर्षों मे एक बार दी जावेगी। इसका प्रथम जोड़ा (ब्लाक-ईयर) दिनाक 1 अप्रेल. 1974 से प्रारम्भ होगा।

(iii) वास्तव मे उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश एवं समर्पित उपार्जित अवकाश का कुल योग 120 दिन से अधिक का नही होगा।

(iv) इन आदेशों के अनुसार उपार्जित अवकाश के दिनों की सख्या किसी अवधि-विशेष से सम्बन्धित नही होगी किन्तु वास्तव मे उपभोग के लिए प्राप्त अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख को शेष उपार्जित-अवकाश के दिनो के हिसाब से कर्मचारी के अवकाश-लेखे मे अंकित कर (प्राप्त एवं-समर्पित अवकाश) बकाया अवकाश कम कर दिया जावेगा।

(v) उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी ही इन आदेशो के अनुसार उपार्जित-अवकाश समर्पण की स्वीकृति के लिये सक्षम होगा। किसी कार्यालय या विभाग में सरकारी कर्मचारियो की सख्या जिनको अवकाश-समर्पण के लिये उपार्जित-अवकाश स्वीकृत किया जाता है, कर्मचारियो की कुल सख्या के 4 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये ताकि कार्यालय मे कार्य-सचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडे। यह सीमा उन कार्यालयो पर प्रभावी नही होगी जिनमे कर्मचारियो की सख्या 25 से कम है। इन आदेशो के अधीन उपार्जित-अवकाश के आवेदनों में प्राथमिकता निश्चित करने के लिये सेवा नियम 80 मे प्रतिपादित सिद्धान्तो को ध्यान मे रखकर उपार्जित-अवकाश एवं समर्पित-अवकाश के प्रार्थना-पत्रो पर निर्णय लिया जाना होगा।

(vi) ऐसे कर्मचारियो के मामले मे हो, सेवा-निवृत्त होने वाले जो समर्पित अवकाश की अवधि वास्तव में उपभोग किये उपार्जित-अवकाश समाप्त होने की तारीख या सेवा-निवृत्ति की तारीख के मध्य की अवधि से अधिक नही होनी चाहिये।

(vii) (क) अवकाश-वेतन की राशि उस अवधि के लिये, जिसमें अवकाश समर्पित किया गया है, सेवा नियम 97 मे उल्लखित प्रावधानों के अनुसार फलाई जावेगी एवं इसके साथ महगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अतिरिक्त महगाई भत्ता, यदि देय बनता है, भी चुकाया जावेगा।

(vii) (ख) समर्पित अवकाश का अवकाश-वेतन एवं भत्ते, उपभोग के किये गये अवकाश के प्रथम 30 दिन के अवकाश-वेतन और भत्तो के समान होगा। इस आदेश के साथ सलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित दृष्टान्तो के अनुसार समर्पित अवकाश के एवज मे अवकाश-वेतन एवं भत्तों की गणना की जावेगी।

(viii) समर्पित-अवकाश की अवधि का अवकाश-वेतन एवं भत्ते, कर्मचारी द्वारा 30 दिन तक वास्तव में उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश के अवकाश-वेतन एवं भत्तों के समान भुगतान किया जावेगा। यदि वास्तव में उपभोग किये गये अवकाश की अवधि के प्रथम 30 दिन का अवकाश-वेतन, आशिक रूप से दो महिनो में पड़ने के कारण दो किस्तो में आहरित किया जावे तो समर्पित किये गये अवकाश के वेतन ऐसे दो माहो के वेतन के साथ पृथक 2 भुगताया जावेगा। यह अवकाश वेतन राजकीय जीवन बीमा के प्रिमियम, भविष्य-निधि के अंश-दान, राजकीय अग्रिम के चुकारे आदि, मकान किराया एवं सहकारी समितियो आदि के बकाया चुकाने के लिये कटौती आदि नही होगी। अतिरिक्त आय होने के कारण आयकर काटा जाना चाहिये।

(ix) यह सुविधा उन कर्मचारियो के भी देय होगी जो बाहर विदेश-सेवा मे, या भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों या गैर-सरकारी निकायों या सस्थानों मे प्रतिनियुक्ति पर हैं, एवं जिन्हे देश या विदेशो में प्रशिक्षण पर भेजा गया है।

(x) उपार्जित-अवकाश के समर्पण के लाभों को सेवा-निवृत्ति पूर्व के अवकाश या राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश को अस्वीकृत करने सम्बन्धी प्रावधान से सम्बन्धित नही किया जावेगा।

(xi) यदि कोई कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त होने वाला है, 30 दिन अथवा अधिक के उपार्जित अवकाश के लिये आवेदन करता है एव अपने बकाया उपार्जित अवकाश के एक भाग को समर्पित कर नकद-भुगतान लेने की लिखित में प्रार्थना करता है और उसे सार्वजनिक हित में अवकाश पर जाने की अनुमति नही दी जाती है तो उसे नगद-भुगतान प्राप्त करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये। तो भी यह माना जाता है कि जब तक सार्वजनिक-हित मे ऐसा अवकाश अस्वीकृत करना अत्यन्त आवश्यक नही हो ऐसे मामलो मे अवकाश तथा अवकाश के सर्मपण के प्रार्थना-पत्र पर उदारता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

(xii) यदि एक कर्मचारी जिसे अवकाश के समर्पण की अनुमति दे दी गई है, स्वेच्छा से 30 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग करने से पूर्व ही कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर वापिस आ जाता है तो उसे साधारणतया कर्त्तव्य पर वापिस आने को अनुमति नही दी जानी चाहिये। किन्तु यदि ऐसे अधिकारी को अपने कर्त्तव्य पर वापिस आने की अनुमति दे दी जाती है तो अवकाश के समर्पण सम्बन्धी आदेशो को निरस्त कर देना चाहिये।

(xiii) यदि कोई कर्मचारी 30 दिन तक के उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान करता है और उसने अपने अवशेष उपार्जित-अवकाश के किसी भाग के नकद-भुगतान प्राप्त करने की लिखित मे सूचना दे दी है तो उसे नकद-भुगतान की अनुमति दे दी जानी चाहिये चाहे उसे 30 दिवस तक वास्तव में अवकाश पर रहने के पूर्व ही अवकाश से वापिस बुला लिया गया है।

(xiv) अनिवार्य रूप से कर्त्तव्य पर वापिस बुलाने के मामले मे एक कर्मचारी को बिना उपभोग किये अवकाश के उपभोग करने की, ज्यों ही वह कार्यमुक्त किया जा सके, अनुमति दी जा सकती है।

(xv) इन आदेशों मे अवकाश के समर्पण के बारे मे प्रयुक्त शब्द "अवकाश" का तात्पर्य केवल उपार्जित अवकाश से है किसी अन्य प्रकार के दूसरे अवकाश से नही।

(xvi) अवकाश समर्पित कर नकद-भुगतान प्राप्त करने की यह सुविधा उन कर्मचारियों को होगी जो 15, सितम्बर, 1974 के बाद अवकाश का उपभोग करते है। कर्मचारी जो 15 सितम्बर, 1974 को उपार्जित अवकाश पर है, इस सुविधा के अधिकारी होगे यदि 15 सितम्बर, 1974 के आगे तक उन्होने न्यूनतम 30 दिवस के उपार्जित-अवकाश का उपभोग किया हो।

(xvii) समर्पित अवकाश के बारे मे अवकाश अवकाश लेखों मे नामें (डेबिट) लिखने की भूल से बचने के लिये राजपत्रित-अधिकारियो के मामले मे जिनका वेतन सस्थापन बिलों पर उठाया जाता है, सम्बन्धित अवकाश के दो वर्षों के जोड़, जिसमे वह अवकाश लिया गया है, का उल्लेख सेवा-पुस्तिका मे तथा अवकाश-लेखो मे लाल-स्याही से उस समय इन्द्राज किया जावेगा जब अवकाश-वेतन उठाया जा रहा हो। इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि "सेवा-पुस्तिका एव अवकाश-लेखों में आवश्यक इन्द्राज कर दिया गया है" आहरण-अधिकारी द्वारा उस बिल पर अंकित किया जाना चाहिये जिसके द्वारा समर्पित-अवकाश का वेतन उठाया जाता है।

(xviii) समर्पित अवकाश के लिये भुगतान प्रथक बिल पर उठाया जावेगा। इस बिल के साथ उपभोग किया गया अवकाश एवं उसके नकद-भुगतान का एक विवरण पर सलग्न किया जावेगा।

[आज्ञा क्रमांक एफ. 1(38) वित्त (ई-आर) 65-II दि. 4-6-75 द्वारा अनुच्छेद 17 तथा 18 जोड़े गये]

परिशिष्ट

उदाहरण संख्या 1:—

वास्तव में लिये गये अवकाश की अवधि = 1-3-74 से 30-3-74 = 30 दिवस
अवकाश वेतन की दर = रुपया 360/- प्रति माह
30 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण के लिए अवकाश-वेतन = 348.40
(30/31 दिन का महीना)

उदाहरण सख्या—(2)

वास्तव मे लिये गये अवकाश की अवधि = 1-2-1974 से 2-3-1974 = 30 दिवस
अवकाश वेतन की दर = 360/– रुपया प्रति माह
30 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण के लिये अवकाश-वेतन
= रुपये 360 + रुपये 53.22 (1 माह + $\frac{2}{31}$ माह)
= रुपया 383 20 (निकटतम विन्दु तक)

उदाहरण संख्या—(3)

वास्तव मे लिये अवकाश की अवधि = 15–6–74 से 14–7–74 = 30 दिवस
अवकाश वेतन की दर = रुपया 360/– रुपया प्रतिमाह
30 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर अवकाश-वेतन का रुपया
= रुपया 192 + 162.98 ($\frac{16}{30}$ + $\frac{14}{31}$) माह) = 354.70 रुपया

उदाहरण संख्या—(4)

वास्तव में लिये गये अवकाश की अवधि = 14–2–75 से 16–3–75 = 30 दिवस
अवकाश वेतन की दर = रुपया 360/– प्रति माह
(30 दिन के उपार्जित अवकाश के समर्पण के लिये)
अवकाश वेतन 170 + 185.81 ($\frac{15}{28}$ + $\frac{16}{31}$ माह) रुपया 365.80 (निकटतम)
अवकाश वेतन के साथ देय भत्तो को भी उक्त-प्रकार से फलाया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (व्यय नियम)/65-II दिनांक 12 सितम्बर, 1974 द्वारा निविष्ट)। अनुच्छेद 16 में संशोधन समसख्यक आदेश दिनांक 4 जून, 1975 द्वारा किया गया है]

राजकीय निर्णय सख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (व्यय नियम) 65/II दिनाक 12 सितम्बर, 1974 के अनुच्छेद 2 (ix) की और ध्यान अर्कापित किया जाता है जिसके अनुसार उपार्जित अवकाश के वजाया नकद-भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उन कर्मचारियो को भी स्वीकार की गई है जो विदेशी सेवा मे प्रतिनियुक्ति पर है। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रतिनियुक्त-कर्मचारियों के सम्बन्ध मे सबंधित अवकाश की अवधि के लिये क्षतिपूरक भत्ते कौन चुकायेगा ?

इस प्रश्न की जाच की गई है। सेवा नियम 146 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (2) मे उल्लिखित मौजूदा निर्देशों के अनुसार अवकाश-वेतन पैतृक (मूल) विभाग जो कर्मचारी का नियुक्ति विभाग, है, द्वारा दिया जाता है एव उसके बदले मे विदेशी नियोजक द्वारा अवकाश-वेतन-अशदान दिया जाता है। फिर भी क्षति-पूरक भत्ते ऐसे मामले मे (अवकाश की अवधि के लिये) विदेशी-नियोजक द्वारा दिये जाते है।

क्योंकि अवकाश के एवज में नकद-भुगतान की सुविधा प्रतिनियुक्त कर्मचारियो को भी सरकार ने दी

है, अतः सरकार क्षतिपूरक भत्तों का भार भी स्वीकार करती है और तद्नुसार उसने निश्चय किया है कि समर्पित-अवकाश की अवधि में कर्मचारी को जो क्षतिपूरक भत्ते देय हों, उनका पैतृक-विभाग द्वारा, अवकाश-वेतन के अतिरिक्त, भुगतान किया जावेगा।

[आदेश संख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (व्यय नियम) 65-II जनवरी 7, 1975 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—प्रतिनियुक्त अथवा विदेश सेवा पर गये राजकीय अधिकारी जो वेतनमान 700–1200 तक (1–9–1976 से 1150–1650 तक) वेतन प्राप्त करते है, को अवकाश-वेतन तथा नकद-भुगतान के लाभो का भुगतान सरकार स्वीकार करती है। वर्तमान नियमों के अनुसार अवकाश-वेतन का अंशदान प्रति-नियुक्ति पर अथवा विदेश-सेवा मे स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्धारित दरों पर विदेशी-नियोजक द्वारा दिया जाता है और ऐसे अंशदान के बदले अवकाश-वेतन का प्रभार सरकार स्वीकार करती है। ऐसे अवकाश-वेतन पर देय क्षतिपूरक भत्तों के बारे में व्यय, विदेशी-नियोजक वहन करता है। वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (38) वि वि (व्यय नियम) 65–II दिनाक 7 जनवरी, 1975 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार अवकाश के एवज में नकद-भुगतान के लाभों, अर्थात् उसे अवकाश के लिए अवकाश-वेतन और क्षतिपूरक भत्तो, का भार पैतृक विभाग उठायेगा। कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम निगम एव मण्डल आदि मे प्रतिनियुक्त हैं अथवा नगर पालिका, विश्वविद्यालय, आदि मे विशेष-सेवा पर भेजे गये है, अवकाश-वेतन तथा अवकाश के नकद-भुगतान के लाभो के भुगतान करने की प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

इस प्रश्न पर विचार कर अवकाश-वेतन तथा अवकाश के नकद-भुगतान चुकाने के सम्बन्ध मे निम्न अंकित प्रणाली तय की गई है:—

1. वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 7 ए. (36) वि. वि. (आर. एण्ड ए. आई.) 59 दिनाक 31 दिसम्बर, 1974 के अनुसार वेतनमान 700–1200 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश सेवा की अवधि में या उनके द्वारा उपभोग किये गये अवकाश के समय के सम्बन्ध में अवकाश-वेतन का भुगतान विभाग द्वारा जो उस संवर्ग अथवा सेवा पर प्रशासनिक नियन्त्रण करता है, राजकोष से उठाकर चुकाया जावेगा। उदाहरणार्थ राजस्थान पुलिस सेवा, पुलिस निरीक्षक आदि के सम्बन्ध में महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान कृषि सेवा अधिकारियों के सम्बन्ध मे कृषि विभाग, राजस्थान सहकारी सेवा के सम्बन्ध मे पंजीयक, सहकारी समितिया।

(2) सामान्य सेवा/संवर्ग, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा एव राजस्थान लेखा सेवा जिनके कोई विभागाध्यक्ष नही है, उनके सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्राधिकारी, आहरण एव वितरण अधिकारी के रूप मे कार्य करेंगे:—

सेवा का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी
(1) राजस्थान लेखा सवा	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान।
(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा	लेखाधिकारी सचिवालय, जयपुर।

3. उपरोक्त अनुच्छेद (2) द्वारा प्राधिकृत आहरण एव वितरण अधिकारियो द्वारा अवकाश-वेतन एव अवकाश के समर्पण पर रोकड़ी-भुगतान देने की व्यवस्था कर सकने के लिए विदेशी-नियोजक निम्नाकित-सूचना उक्त अंकित आहरण एव वितरण अधिकारियो को भिजवायेंगे:—

(1) कार्यभार सम्भलाने एव सम्भालने की सूचना।

(2) अवकाश या अवकाश के नकद भुगतान प्राप्त करने की स्वीकृति की एक प्रति।

(3) एक प्रमाण-पत्र कि सेवा नियम 146 के अनुसार आवश्यक एव निर्धारित दरो पर अवकाश-वेतन-अशदान की राशि सरकार को दे दी गई है तथा अवकाशो से पूर्व की पूर्ण-अवधि के लिए चुकाये गये अवकाश वेतन अशदान के विस्तृत विवरण-पत्र साथ भिजवावे।

(4) अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र।

(5) राजस्थान सेवा नियम 97 के अनुसार औसत-वेतन की गणना का प्रपत्र।

(6) वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 7 ए (36) वि वि. (आर. एण्ड ए. आई) 59 दिनाक 31 दिसम्बर, 1974 के निर्देशो के अनुसार सेवा-पुस्तिका, जो दिनाक 1 जनवरी, 1975 से प्रारम्भ की गई है।

4. उपरोक्त पत्रादि प्राप्त होने पर आहरण एव वितरण अधिकारी नियमानुसार ऐसे कर्मचारी को देय अवकाश-वेतन और क्षतिपूरक भत्तो की गणना करेंगे। इसके बाद वे अवकाश वेतन उठाकर सम्बन्धित कर्मचारी को चुकायेंगे। भुगतान करने के बाद वे प्राप्त-सेवा-पुस्तिका मे आवश्यक प्रविष्टि कर अन्तिम-भुगतान-प्रमाण-पत्र तैयार कर विदेशी-नियोजक को क्षतिपूरक-भत्तों का विवरण भेजेंगे। सामान्य वेतन के मामले मे केवल भुगतान-पत्र और सेवा-पुस्तिका भेजी जावेगी क्योकि अवकाश वेतन के मामले में क्षतिपूरक भत्तो का चुकारा विदेशी-नियोजक द्वारा ही किया जाता है।

5. अवकाश के एवज मे नकद-भुगतान के लाभों के सम्बन्ध मे वितरण प्रक्रिया वित्त विभाग के आदेश दिनाक 12 सितम्बर, 1974 मे दी गई है जिसके अनुसार उपार्जित अवकाश की अवधि का अवकाश-वेतन भी कर्मचारियो को प्राधिकृत आहरण एव वितरण अधिकारियो, जैसा अनुच्छेद (2) मे वर्णन है, द्वारा किया जावेगा एव इस आदेश के अनुच्छेद (4) मे अकित प्रणाली का ऐसे मामलो मे भी पालन किया जावेगा।

6. बाहर के स्थानो को सेवा-पुस्तिकाए जब भेजी जावे तो विदेशी नियोजक द्वारा उन्हे "रजिस्टर्ड-डाक" से भेजी जावे। ऐसे अवसर पर उनकी प्राप्ति की सूचना अवश्य दी जावे।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 7 ए (36) वि वि (आर एण्ड ए. आई.) 69 दिनांक 26 जून, 1975 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 12 सितम्बर, 1974 के अनुच्छेद (2) (ii) के अनुसार उपार्जित अवकाश के समर्पण के एवज मे नकद भुगतान की सुविधा का लाभ दो वर्षो के जोड़े मे एक बार 31 मार्च, 1976 तक लिया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं एव राजस्थान तहसीलदार सेवाओं के अधिकारियो को 20 सूत्री आर्थिक-कार्यक्रम को समय पर क्रियान्वित करने के कार्यो मे लगाया गया है तथा सीलिंग के मामलो को अन्तिम रूप देने हेतु तैनात किये गये है। ऐसे अधिकारियों को दो-वर्षो के जोड़े मे, जो 31 मार्च, 1976 को समाप्त हो रहा है, उक्त लाभ का उपभोग करने से वंचित रखा गया है।

राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध मे यह आदेश प्रदान किया है कि ऐसे अधिकारी (उपरोक्त अनुच्छेद मे वर्णित) जिन्होंने उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश समर्पण के एवज मे नकद-भुगतान प्राप्त करने का आवेदन किया है और उन आवेदनों के अस्वीकृत कर देने से उनके द्वारा उक्त सुविधा का लाभ दिनाक 31 मार्च, 1976 तक नही लिया जा सका, उनको राजहित मे प्रथम "दो-वर्षो-के-जोड़े" की अवधि को 30 जून, 1976 तक बढ़ाई जाती है।

[एफ. 1 (38) (ई-आर) 65-II दि. 18-2-1976 द्वारा जोड़ा गया]

राजकीय निर्णय संख्या 5:—वित्त विभाग के सम सख्यक पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 74 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश समर्पण करने पर नकर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त स्थानो पर नई नियुक्तियां करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। उपरोक्त निदेशो की पालना के सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी किसी का नाम राज्य सेवा मे प्रथम बार वेतन-बिल मे आता है तो उसके वेतन बिल में यह प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये कि "नई नियुक्ति संवर्ग के अथवा उच्च-संवर्ग के किसी कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद-भुगतान के लाभ हेतु स्वीकृत अवकाश के कारण रिक्त हुए पद पर नही की गई है"। ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति मे कोषाधिकारी ऐसे अवकाश वेतन को पारित नही करेगा।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (38) वि वि. (व्यय-नियम) 65-II दि. 14 मई, 1976 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—वित्त विभाग के इसी संख्या के आदेश दिनाक 12-9-1974 के अनुच्छेद 2 (ii) के अनुसार समर्पित उपार्जित अवकाश के भुगतान की सुविधा राज्य कर्मचारियो को दो वर्षों के एक खण्ड (ब्लाक) मे एक बार देय की गइ है। प्रथम खण्ड वर्ष 1974-75 एव 1975-76 से आरम्भ हुआ है। सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि उन राज्य कर्मचारियों में से जो उपार्जित अवकाश के समर्पण पर भुगतान प्राप्त करने की सुविधा का उपभोग करने के उद्देश्य से आवेदन करते है तथा अवकाश स्वीकृत करने को "सक्षम-प्राधिकारी" द्वारा लोकहित मे वह अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाता है, इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्य कर्मचारियों को जो (अवकाश के अस्वीकृत हो जाने के कारण) समर्पित अवकाश का लाभ प्राप्त करने योग्य नही रह जाते, दुविधा मे डाल दिया जाता है।

2. मामले पर विचार कर यह निश्चित किया गया है कि उस राज्य कर्मचारी को जो उपर्युक्त आदेशों के अनुच्छेद-2 (i) के अधीन अवकाश भुगतान के लाभ के निवेदन के साथ 30 दिन के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए आवेदन करता है तथा दो वर्ष के एक-खण्डमे उसे लोकहित में वह अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित शर्तो के अधीन उसे निम्न-प्रकार सुविधा/लाभ दिया जावे :—

(i) आवेदन अवकाश, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा लोकहित मे अस्वीकृत कर दिया गया हो तथा इस आशय का एक आदेश उसके द्वारा जारी कर दिया गया हो।

(ii) सक्षम-प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि उसके आवेदन करने की तिथि पर उसके नाम, देय उपार्जित अवकाश 60 दिन से कम का शेष नही था।

(iii) अवकाश-भुगतान के लाभ की 50 प्रतिशत धनराशि इस आदेश के साथ सलग्न परिशिष्ट मे अंकित की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों मे से किसी एक में नियोजित (इनवेस्ट) की जाय।

टिप्पणी :—यदि अवकाश भुगतान के लाभ का 50 प्रतिशत 10/- रुपये के गुणन से अधिक आता है तो विनियोजित 10/ रुपये के गुणन तक, तथा समयावधि जमा-प्रतिभूति के मामले मे 50/-रुपये के गुणन तक नियोजित होंगे।

3. समर्पित-उपार्जित-अवकाश के भुगतान का लाभ केवल दो-वर्षों के ठीक अगले खण्ड तक देय होगा।

उपरोक्त अनुच्छेद-2 में वर्णित अवकाश-भुगतानो के लाभों की सुविधा केवल 1-4-1976 से प्रारम्भ होने वाले तथा 31-3-1978 को समाप्त, दो वर्षो के चालू खण्ड में भी स्वीकार्य होगी। उपार्जित-अवकाश के समर्पण पर भुगतान का लाभ दो वर्षों के पूर्व खण्ड 1974-75 एव 1975-76 के सम्बन्ध मे 1976-77 एवं

1977–78 के चालू खण्ड के दौरान स्वीकार्य नही होगा। दूसरे शब्दों मे यह नवीन स्वीकृत सुविधा 1–4–1976 के वाद के मामलो पर ही देय होगी।

4. वह राज्य-कर्मचारी जो दो-वर्षो के ग्रागामी-खण्ड में ग्रवकाश-भुगतान के लाभो का उपभोग करता है, अनुमोदित ग्रल्प-बचत-योजना मे ग्रवकाश के भुगतान के लाभो की रकम के 50% प्रतिशत तक को विनियोजित करने के लिए ग्रपने ग्रावेदन-पत्र मे स्पष्ट उल्लेख करेगा। समर्पण ग्रवकाश के सम्बन्ध में ग्रवकाश-के वेतन की राशि का 50 प्रतिशत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा नियोजित किया जावेगा तथा शेष धन-राशि कर्मचारी को उसके उपभोग किये गये उपार्जित ग्रवकाश के वेतन के साथ नकद मे चुका दी जावेगी। बुगतान के लाभो के सम्बन्ध मे तथा ग्रल्प-बचत-योजना मे नियोजित 40 प्रतिशत धन राशि का ग्रावश्यक उल्लेख सेवा-पुस्तिका मे किया जावेगा। पास-बुक ग्रथवा प्रमाण-पत्र ग्रादि कर्मचारी को दे दिये जाने चाहियें तथा उससे उनकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये।

परिशिष्ट

राष्ट्रीय वचत प्रतिभूतियां

क्र. सं.	प्रतिभूतियां	प्रतिवर्ष ब्याज	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	7 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र II तथा III सस्करण	6 प्रतिशत	ब्याज, कर से मुक्त है।
2.	7 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र IV सस्करण	$10\frac{1}{4}$ प्रतिशत	ब्याज, सालाना देय है।
3.	7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र V संस्करण	$10\frac{1}{4}$ प्रतिशत	1. ब्याज सालाना देय है 2. रुपये 100/- 7 वर्ष पश्चात् 200/– हो जाते है।
4.	डाकघर समयावधि निक्षेप (टी टी डी.)		
	2 वर्षीय खाता	$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत	ब्याज, सालाना देय है।
	3 वर्षीय खाता	9 प्रतिशत	,,
	5 वर्षीय खाता	10 प्रतिशत	,,
5.	नव प्रचलित 5 वर्षीय डाकघर ग्रावर्ती निक्षेप खाते :	$9\frac{1}{4}$ प्रतिशत	1. संरक्षित बचत योजना की रियायत खाते में रुपये 20/- के ग्रभिधान तक उपलब्ध है। 2. परिपक्वता की रकम, परि–पक्वता के पश्चात् रु. $9\frac{1}{4}$ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ 5 वर्ष के लिए रखी जा सकती है। 3. खाता $9\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ 5 वर्ष के लिए ग्रौर बढ़ाया जा सकता है

मासिक निक्षेप	5 वर्ष पश्चात् परिपक्वता मूल्य
रु०	रु०
5/–	380/–
10/–	760/–
20/–	1,520/–
50/–	3,800/–
100/–	7,600/–

6. नये 10 वर्षीय डाकघर संचयी समयावधि-निक्षेप-खाते:	$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत	आयकर की छूट उपलब्ध है।

मासिक निक्षेप	10 वर्ष पश्चात् परिपक्वता मूल्य
रु०	रु०
5/–	825/–
10/–	1,650/–
20/–	3,300/–
50/–	8,250/–
100/–	16,500/–

टिप्पणी :—यदि कोई कर्मचारी पहिले से ही संचयी समयावधि जमा/आवर्ती जमा खाता रखता है तो वह इस रकम को उन विद्यमान खातो मे निक्षिप्त नही करेगा। इस प्रयोजनार्थ उससे सचयी समयावधि/आवर्ती जमा खाते नये सिरे से खुलवाने की अपेक्षा की जायेगी तथा नये खाते मे अग्रिम जमा करेगा।

7. 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड — 13 प्रतिशत अर्थात् रु. 100/– 5 वर्ष मे 165/– हो जावेंगे।

8. (i) अन्य निर्दिष्ट योजना पर ब्याज के साथ 7 वर्षीय बचत-प्रमाण-पत्र व सस्करण पर, डाकघर समयावधि जमा पर 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते तथा राष्ट्रीय बचत खाता सर्टिफिकेट एव राष्ट्रीय-विकास-बौण्डों पर प्रतिवर्ष 3000/– तक ब्याज कर मुक्त है।

(ii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण अधिकारी उपर्युक्त अल्प–बचत प्रतिभूतियों में अवकाश-समर्पण के भुगतान के लाभो की 50 प्रतिशत रकम के विनियोजना के लिए जिला बचत अधिकारियो की सेवायें प्राप्त कर सकते है।

(iii) स्वीकृति-कर्ता–प्राधिकारी अवकाश–भुनाने के फायदे की स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रति कलेक्टर तथा जिला–बचत–अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठाकित करेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (38) वित्त/व्यय (नियम) 65–II दिनांक 26–11–77]

स्पष्टीकरण सख्या 1:—सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले आये है जिनमे कर्मचारी को 30 दिन का अवकाश वास्तव मे भुगतने से पूर्व ही अवकाश से अनिवार्य रूप से वापिस बुला लिया गया एव समर्पित अवकाश के नकद भुगतान का लाभ दे दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (38) वि वि. (व्यय-नियम) 65-II दिनाक 12 सितम्बर, 1974 के अनुच्छेद-(xiv) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार एक ऐसे कर्मचारी को जिसे सेवा पर अनिवार्य रूप से वापिस बुलाया गया हो तो ज्यो ही उसे आवश्यक कार्य से मुक्त किया जावे उसे उसके बकाया अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जानी चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि उसको उपार्जित अवकाश के समर्पण का लाभ केवल तभी देय होगा जब अनुच्छेद (xiv) की शर्तों के अनुसार वह बकाया उपार्जित अवकाश का उपभोग कर ले।

इस सम्बन्ध मे सन्देहों के निराकरण के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद-भुगतान का लाभ उन मामलो मे नही दिया जावे जहा एक कर्मचारी को 30 दिन के लिये उपार्जित

अवकाश पर वास्तव में रहने से पूर्व ही अनिवार्य रूप से सेवा पर वापिस बुला लिया गया हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद (xiv) के अनुसार अवशेष उपार्जित अवकाश का उपभोग करने पर ही नकद-भुगतान का लाभ दिया जाना चाहिये।

इस आदेश से पूर्व जो मामले तय किये जा चुके है और जिनमें अवकाश के नकद भुगतान का लाभ अन्य प्रकार से दिया जा चुका है उनको पुनः नही खोले जावे किन्तु विचाराधीन मामलो का निपटारा इस स्पष्टीकरण के अनुसार किया जावे।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (ई–आर) 65–II दि. 3 मई, 1975 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 2 —वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (व्यय-नियम) 65–II दिनांक 7 जनवरी, 1975 (राजकीय निर्णय संख्या-2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कई स्थानों पर "क्षतिपूरक भत्ता" शब्द का प्रयोग हुआ था। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपार्जित अवकाश के समर्पण तथा नकद-भुगतान के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्वक भत्ते का अर्थ केवल महगाई भत्ता, तदर्थ सहायता, तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते से है।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (38) वि वि. (ग्रुप–2) 65–II 23 जून, 1975 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 3:—वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक 12 सितम्बर, 74 (राजकीय निर्णय सख्या-1) के अनुच्छेद 2 (i) के अनुसार एक कर्मचारी जो 30 दिन तक का उपार्जित अवकाश लेता है, उसे अधिकतम 30 दिन तक के उपार्जित अवकाश समर्पण करने की अनुमति दे दी जाती है यदि उसके अवकाश लेखों मे यह बकाया हो। जो अधिकारी उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है वही उपार्जित अवकाश के समर्पण की स्वीकृति भी दे सकता है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि उपार्जित अवकाश एव समर्पित अवकाश की कुल अवधि में जो कर्मचारी के अवकाश के लेखों में नामे (घटाया) लिखा जाता है, सक्षम-प्राधिकारी को अवकाश की कुल अवधि जिसमे समर्पित अवकाश की अवधि भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखकर अवकाश स्वीकृत करना चाहिए न कि वह अवकाश जो वास्तव मे उपभोग किया गया है। उदाहरणार्थ—(अ) नामक अधिकारी 60 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है। यदि एक कर्मचारी 31 दिन का उपार्जित अवकाश लेता है एवं 30 दिन का अवकाश समर्पित करता है तो क्या वह 61 दिवस का अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है? इस मामले मे (अ) नामक अधिकारी यह अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम नही है। अतः सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति उसे प्राप्त करनी होगी।

(वित्त विभाग के पत्र सख्या प. 1(38) वि. वि. (व्यय-नियम)/65-II दिनाक 22 जुलाई, 1975 द्वारा निविष्ट)।

स्पष्टीकरण संख्या 4:—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1(39) वि. वि. (ई. एड. आर.) 65–II दिनाक 12-9-1974 के उप-अनुच्छेद सख्या (xiv) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को उपार्जित अवकाशो के समर्पण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृत कर दिया और जब उसे अनिवार्य रूप से अपने कर्त्तव्यों पर वापिस बुला लिया जाय तो अनुपयोजित उपार्जित-अवकाशो के उपभोग के लिये उसे यथाशीघ्र वापिस कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे मामले मे एक कर्मचारी द्वारा दो भागों मे उपार्जित अवकाश का उपभोग किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामले मे दूसरी बार अवकाशो का उपभोग करने पर एक कर्मचारी को अवकाश-वेतन किस दर से चुकाया जावे क्योकि कभी-कभी ऐसे मामलो मे इस बीच की अवधि में कर्मचारी का वेतन वार्षिक-वेतन वृद्धि/पदोन्नति अथवा पदावनति आदि के कारण, तब तक, बदले (बढ़–घट) जाता है।

6. नये 10 वर्षीय डाकघर संचयी समयावधि-निक्षेप-खाते:	$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत	आयकर की छूट उपलब्ध है।

मासिक निक्षेप	10 वर्ष पश्चात् परिपक्वता मूल्य
रु०	रु०
5/–	825/–
10/–	1,650/–
20/–	3,300/–
50/–	8,250/–
100/–	16,500/–

टिप्पणी :—यदि कोई कर्मचारी पहिले से ही सचयी समयावधि जमा/आवर्ती जमा खाता रखता है तो वह इस रकम को उन विद्यमान खातो मे निक्षिप्त नही करेगा। इस प्रयोजनार्थ उससे सचयी समयावधि/आवर्ती जमा खाते नये सिरे से खुलवाने की अपेक्षा की जायेगी तथा नये खाते में अग्रिम जमा करेगा।

7. 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड	13 प्रतिशत अर्थात् रु. 100/– 5 वर्ष मे 165/– हो जावेंगे।

8. (i) अन्य निर्दिष्ट योजना पर ब्याज के साथ 7 वर्षीय बचत-प्रमाण-पत्र व संस्करण पर, डाकघर समयावधि जमा पर 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते तथा राष्ट्रीय बचत खाता सर्टिफिकेट एव राष्ट्रीय-विकास-बौण्डों पर प्रतिवर्ष 3000/– तक ब्याज कर मुक्त है।

(ii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण अधिकारी उपर्युक्त अल्प-बचत प्रतिभूतियों में अवकाश-समर्पण के भुगतान के लाभों की 50 प्रतिशत रकम के विनियोजना के लिए जिला बचत अधिकारियो की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी अवकाश-भुनाने के फायदे की स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रति कलेक्टर तथा जिला-बचत-अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित करेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (38) वित्त/व्यय (नियम) 65-II दिनांक 26-11-77]

स्पष्टीकरण सख्या 1:—सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमे कर्मचारी को 30 दिन का अवकाश वास्तव में भुगतने से पूर्व ही अवकाश से अनिवार्य रूप से वापिस बुला लिया गया एव समर्पित अवकाश के नकद भुगतान का लाभ दे दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (38) वि वि. (व्यय-नियम) 65-II दिनाक 12 सितम्बर, 1974 के अनुच्छेद-(xiv) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार एक ऐसे कर्मचारी को जिसे सेवा पर अनिवार्य रूप से वापिस बुलाया गया हो तो ज्यों ही उसे आवश्यक कार्य से मुक्त किया जावे उसे उसके बकाया अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जानी चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि उसको उपार्जित अवकाश के समर्पण का लाभ केवल तभी देय होगा जब अनुच्छेद (xiv) की शर्तो के अनुसार वह बकाया उपार्जित अवकाश का उपभोग कर ले।

इस सम्बन्ध मे सन्देहों के निराकरण के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद-भुगतान का लाभ उन मामलो मे नही दिया जावे जहा एक कर्मचारी को 30 दिन के लिये उपार्जित

अवकाश पर वास्तव में रहने से पूर्व ही अनिवार्य रूप से सेवा पर वापिस बुला लिया गया हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद (xiv) के अनुसार अवशेष उपार्जित अवकाश का उपभोग करने पर ही नकद-भुगतान का लाभ दिया जाना चाहिये।

इस आदेश से पूर्व जो मामले तय किये जा चुके है और जिनमें अवकाश के नकद भुगतान का लाभ अन्य प्रकार से दिया जा चुका है उनको पुनः नही खोले जावें किन्तु विचाराधीन मामलों का निपटारा इस स्पष्टीकरण के अनुसार किया जावे।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (ई–आर) 65–II दि. 3 मई, 1975 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 2 —वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (38) वि. वि. (व्यय-नियम) 65–II दिनाक 7 जनवरी, 1975 (राजकीय निर्णय सख्या-2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कई स्थानों पर "क्षतिपूरक भत्ता" शब्द का प्रयोग हुआ था। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपार्जित अवकाश के समर्पण तथा नकद-भुगतान के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्वक भत्ते का अर्थ केवल महगाई भत्ता, तदर्थ सहायता, तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते से है।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (38) वि वि (ग्रुप–2) 65–II 23 जून, 1975 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 3:—वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 74 (राजकीय निर्णय संख्या-1) के अनुच्छेद 2 (i) के अनुसार एक कर्मचारी जो 30 दिन तक का उपार्जित अवकाश लेता है, उसे अधिकतम 30 दिन तक के उपार्जित अवकाश समर्पण करने की अनुमति दे दी जाती है यदि उसके अवकाश लेखों मे यह बकाया हो। जो अधिकारी उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है वही उपार्जित अवकाश के समर्पण की स्वीकृति भी दे सकता है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि उपार्जित अवकाश एव समर्पित अवकाश की कुल अवधि मे जो कर्मचारी के अवकाश के लेखों में नामे (घटाया) लिखा जाता है, सक्षम-प्राधिकारी को अवकाश की कुल अवधि जिसमें समर्पित अवकाश की अवधि भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखकर अवकाश स्वीकृत करना चाहिए न कि वह अवकाश जो वास्तव मे उपभोग किया गया है। उदाहरणार्थ—(अ) नामक अधिकारी 60 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है। यदि एक कर्मचारी 31 दिन का उपार्जित अवकाश लेता है एवं 30 दिन का अवकाश समर्पित करता है तो क्या वह 61 दिवस का अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है? इस मामले में (अ) नामक अधिकारी यह अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम नही है। अतः सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति उसे प्राप्त करनी होगी।

(वित्त विभाग के पत्र सख्या प. 1(38) वि. वि. (व्यय-नियम)/65-II दिनाक 22 जुलाई, 1975 द्वारा निविष्ट)।

स्पष्टीकरण संख्या 4:—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1(39) वि. वि (ई. एड. आर.) 65–II दिनाक 12-9-1974 के उप-अनुच्छेद सख्या (xiv) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को उपार्जित अवकाशों के समर्पण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृत कर दिया और जब उसे अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों पर वापिस बुला लिया जाय तो अनुपयोजित उपार्जित-अवकाशो के उपभोग के लिये उसे यथाशीघ्र वापिस कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे मामले में एक कर्मचारी द्वारा दो भागो मे उपार्जित अवकाश का उपभोग किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामले मे दूसरी बार अवकाशो का उपभोग करने पर एक कर्मचारी को अवकाश-वेतन किस दर से चुकाया जावे क्योंकि कभी-कभी ऐसे मामलो मे इस बीच की अवधि मे कर्मचारी का वेतन वार्षिक-वेतन वृद्धि/पदोन्नति अथवा पदावनति आदि के कारण, तब तक, बदल (बढ–घट) जाता है।

इस मामले का परीक्षण किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रंकित प्रकार के मामलों में दूसरी बार अनुपयोजित अवकाश का उपभोग करके वापिस लौटे तो उसे प्रथम बार उपयोग किये गये अवकाश के समय भुगतान किये गये अवकाश-वेतन की दर से ही भुगतान किया जावेगा।

पूर्व के मामलों में जो इन आदेशों के प्रावधानों के अनुसार न होकर अन्य प्रकार निपटा दिये गये हों उन्हे वापिस नही खोले जावेंगे तथा विचाराधीन मामलों को उक्त आदेशों/स्पष्टीकरण के आधार पर निपटा दिये जावेंगे।

[ज्ञापन संख्या एफ. 1(38) वि. वि. (ग्रुप-2) 65-II दिनांक 1-12-76 द्वारा निविष्ट]

टिप्पणी संख्या 1 :—एक कर्मचारी जो एकीकृत राज्यों मे से किसी एक की सेवा में था तथा उस पर प्रभावी सेवा नियमों के अन्तर्गत वर्णित अवकाश से अधिक दिनों का अवकाश अर्जित करने का अधिकारी था तो उसको इन नियमों के प्रभावी होने की तारीख से ऐसी अवधि मे अधिक अर्जित अवकाश को जमा रखने की स्वीकृति दी जावेगी।

टिप्पणी संख्या 2:—इन नियमो के प्रयोजनों के लिए अन्तःकालीन रूप से स्थाई कर्मचारी को स्थाई सेवा में नियुक्त माना जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (58) वि वि. ए/(नियम) 62 दिनांक 21 नवम्बर, 1962 द्वारा टिप्पणी संख्या 2, 4 व 5 विलोपित की गई हैं तथा टिप्पणी संख्या-3 को 2 के रूप में पुनः क्रमांकित कर दिया है। यह संशोधन दिनांक 1 अक्टूबर, 1962 से प्रभावशील हुए हैं]

नियम 92 (क):—विश्राम-कालीन विभागों में सेवारत स्थाई सेवा में नियुक्त एक अधिकारी को किसी भी स्थिति में उस वर्ष मे की गई सेवा का कोई उपार्जित अवकाश देय नहीं होगा जिसमें उसने विश्राम-काल का पूर्णतया उपभोग कर लिया है। किन्तु यदि :—

(1) राजकोय कला एवं विज्ञान विद्यालय, एवं महाविद्यालयों के अध्यापक वर्ग, एवं
(2) विद्यालयों के अध्यापक वर्ग
(3) पोलोटेक्नीक अध्यापक वर्ग, इस नियम के भाग (ख) के अनुसार देय उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त वर्ष में 3 दिन का उपार्जित अवकाश अतिरिक्त रूप में प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

नियम 92 (ख) :—यदि किसी कर्मचारी को किसी वर्ष में विश्राम-काल को पूर्णतः उपभोग करने से रोक दिया जाता है तो उस वर्ष ऐसे अधिकारी को देय उपार्जित अवकाश विश्राम-काल की पूर्ण सख्या के रूप में 30 दिन का ऐसा भाग होगा जिसका उपभोग नही किया हो। यदि किसी वर्ष अधिकारी विश्राम-काल का उपभोग बिल्कुल नही करता है तो उसे उस वर्ष उपार्जित अवकाश नियम 91 के अनुसार प्राप्त होगा।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 92 (ख) के प्रावधानों के अनुसार विश्राम-कालीन विभाग (वेकेशन-डिपार्टमेन्ट) मे कार्यरत कर्मचारियो को, जिन्हे पूर्णतया विश्रामकालीन अवकाश का उपभोग करने से रोका जाता है, सेवा नियन 91 के प्रावधानो के अनुसार, ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए 30 दिन के अनुपात मे उपार्जित अवकाश अर्जित करने दिया जाता है। यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या उपरोक्त नियम मे प्रयुक्त शब्द "उस वर्ष" का अभिप्राय "शैक्षणिक वर्ष" से है अथवा "कलैन्डर वर्ष" से। मामले पर विचार कर यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 92 (ख) मे प्रयुक्त शब्द "उस वर्ष" से अभिप्राय "कलैन्डर वर्ष" से है शैक्षणिक वर्ष से नहीं।

[वित्त विभाग के स्पष्टीकरण सख्या प 1 (क) (20) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनांक 4-11-1977]

नियम 93 (ग):—निम्न अंकित शर्तों के आधार पर केवल स्थायी-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर ही रूपान्तरित (कम्यूटेड) अवकाश, अवशेष रहे अर्द्ध-वेतन अवकाश की आधी संख्या तक, स्वीकृत किया जा सकता है:—

(1) पूर्ण सेवा-काल में रूपान्तरित-अवकाश अधिकतम 240 दिन तक स्वीकार्य होगा।

(2) जब रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तो उसकी दुगुनी संख्या में अर्द्ध-वेतन अवकाश, अवकाश लेखों से, घटा दिया जावेगा।

(3) उप-खण्ड (4) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश एक साथ लेने पर 240 दिनों से अधिक का नहीं होगा। किन्तु इस नियम के अन्तर्गत कोई रूपान्तरित अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जब तक अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता को यह पूर्ण विश्वास नहीं हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी सेवा पर लौट आवेगा।

(4) एक कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/टी. बी. अस्पताल में टी. बी. का या कुष्ठ या केंसर या मानसिक रोग का निदान किसी अस्पताल में करा रहा हो तो उसे उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित-अवकाश एक साथ मिलाकर कुल 300 दिन तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सेवा नियम 72 के साथ पठनीय नियम 93 (ग) के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर रूपान्तरित अवकाश या उसकी वृद्धि केवल चिकित्सक-मण्डल से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमें ऐसा अवकाश-चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया एव सरकार ऐसे मामले को पूर्व प्रभाव से नियमित करने मे असमजस की स्थिति मे पड गई। अतः विभागाध्यक्षों तथा प्रशासनिक विभागो के सचिवो से निवेदन किया जाता है कि रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत करते समय सबधित नियमों की पालना का पूर्ण ध्यान रखा जावे। सरकार सामान्य रूप से ऐसे मामलों को नियमित करने मे सहायक नही होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक प्रश्न आने पर कि ऐसे कर्मचारी को जो पूर्व मे ही स्वीकृत रूपान्तरित अवकाश पर हो, किस प्रकार समझा जावेगा जो बाद मे ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा-निवृत्त होना चाहता हो। यह निर्णय किया गया है कि जब उपरोक्त नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा वह बाद मे सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो उसका रूपान्तरित-अवकाश अर्द्ध-वेतन अवकाश मे बदल दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित एवं अर्द्ध-वेतन अवकाश के वेतन के अन्तर को उससे वसूल किया जाना चाहिये। अत. जो भी कर्मचारी इस प्रकार का रूपान्तरित-अवकाश प्राप्त करते हैं उनसे इस सम्बन्ध मे एक वचन-पत्र भरा लेना चाहिए। किन्तु अन्य प्रश्न जैसे अवकाश-वेतन के रूप मे प्राप्त की गई राशि को लौटाने आदि के प्रत्येक मामले को उसके गुणाव-गुण को देखकर निपटाया जावेगा।

दूसरे शब्दो मे यदि सेवा-निवृत्ति, कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गयी हो तो उसे अधिक भुगतान की राशि लौटाने को कहा जावेगा। किन्तु यदि बिमारी आदि के कारण सेवा करने मे असमर्थ होने से उसे आवश्यक रूप मे सेवा-निवृत्त होना पडे तो उससे कोई राशि लौटाने को नही कहा जावेगा।

नियम 93 (घ):—निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के मामले के अतिरिक्त, स्थायी-सेवा मे नियुक्त एक अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का "अदेय-अवकाश" (लीव-नाट-ड्यू)

स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु उसमें से एक बार 90 दिन से अधिक का तथा कुल मिलाकर 180 दिन का "अदेय-अवकाश" चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य कारणों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा "अदेय-अवकाश" उस अधिकारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाश में से समायोजित किया जावेगा।

राजकीय निर्णय:—राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या "अदेय-अवकाश" उस कर्मचारी को स्वीकृत किया जाना चाहिये जो टी. बी. रोग का निदान करा रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि "अदेय-अवकाश" टी. बी. रोग से पीड़ित स्थायी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि स्वीकृत-कर्त्ता को इस बात से पूर्णतया सन्तोष हो जावे कि:—

(1) कर्मचारी के, अवकाश की समाप्ति पर, सेवा पर लौटने की पूर्ण सम्भावना है, तथा

(2) उसके बाद सेवा पर रहकर जो अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित करेगा वह उसे स्वीकृत अदेय-अवकाश की संख्या से कम नहीं होगा। अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर लौटने की सम्भावनाओं की चिकित्सा-प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जांच की जावेगी। अदेय-अवकाश की संख्या के समान, बाद में अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित करने की सम्भावनाओं के लिये इस तथ्य को ध्यान में रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप में कर्मचारी के सेवा पर वापिस आने पर उनका सेवा काल इतना शेष होगा कि उसमें वह अदेय-अवकाश की संख्या के समान अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि एक अधिकारी सेवा पर लौट कर आता है एवं साधारण रूप में वह बाद में सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने से पूर्व केवल तीन वर्ष तक सेवा करता है तो अदेय-अवकाश उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये जितना वह इन तीन वर्ष की अवधि में अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर सकता है।

समुचित चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:—

(1) एक राज्य-कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सक।

(2) यदि कर्मचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम में उपचार करा रहा है तो उस मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम का प्रभारी-चिकित्सा-अधिकारी।

(3) यदि कर्मचारी अपने निवास स्थान पर ही उपचार करा रहा है तो सम्बंधित राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा-अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एक टी. बी. विशेषज्ञ, एवं,

(4) यदि कर्मचारी फेफड़ों की टी. बी. के अलावा अन्य प्रकार के टी. बी. रोग से पीड़ित हो रहा हो तो एक टी. बी. विशेषज्ञ अथवा सिविल-सर्जन।

टिप्पणी संख्या 1:—अदेय-अवकाश उस समय स्वीकृत करना चाहिये जब अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता को इस बात से सन्तोष हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी के सेवा पर पुनः लौटने की पर्याप्त एवं उचित सम्भावना है। यह अदेय-अवकाश उनके द्वारा आगे की जाने वाली सेवा अवधि में अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाश की संख्या के बराबर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (58) वि. वि./(नियम) 70 दिनांक 12 जनवरी, 1976 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 93 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूंकि इस नियम के सम्मिलित करने से अर्द्ध-वेतन अवकाश के आधार में परिवर्तन हो गया है। अतएव यह माना जाता है कि कर्मचारियों के पूर्ण-सेवा-काल के सम्बन्ध में पूर्व-प्रभाव से गणना की जावेगी। अतः राजस्थान सेवा

नियम 93 (ग):—निम्न अंकित शर्तों के आधार पर केवल स्थायी-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर ही रूपान्तरित (कम्यूटेड) अवकाश, अवशेष रहे अर्द्ध-वेतन अवकाश की आधी संख्या तक, स्वीकृत किया जा सकता है:—

(1) पूर्ण सेवा-काल में रूपान्तरित-अवकाश अधिकतम 240 दिन तक स्वीकार्य होगा।

(2) जब रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तो उसकी दुगुनी संख्या में अर्द्ध-वेतन अवकाश, अवकाश लेखों से, घटा दिया जावेगा।

(3) उप-खण्ड (4) मे वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश एक साथ लेने पर 240 दिनों से अधिक का नही होगा। किन्तु इस नियम के अन्तर्गत कोई रूपान्तरित अवकाश तब तक स्वीकृत नही किया जाना चाहिये जब तक अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता को यह पूर्ण विश्वास नहीं हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी सेवा पर लौट आवेगा।

(4) एक कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/टी. बी. अस्पताल में टी. बी. का या कुष्ठ या केंसर या मानसिक रोग का निदान किसी अस्पताल में करा रहा हो तो उसे उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित-अवकाश एक साथ मिलाकर कुल 300 दिन तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सेवा नियम 72 के साथ पठनीय नियम 93 (ग) के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर रूपान्तरित अवकाश या उसकी वृद्धि केवल चिकित्सक-मण्डल से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले आये है जिनमे ऐसा अवकाश-चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया एवं सरकार ऐसे मामले को पूर्व प्रभाव से नियमित करने में असमंजस की स्थिति मे पड गई। अतः विभागाध्यक्षों तथा प्रशासनिक विभागो के सचिवो से निवेदन किया जाता है कि रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत करते समय संबंधित नियमों की पालना का पूर्ण ध्यान रखा जावे। सरकार सामान्य रूप से ऐसे मामलो को नियमित करने मे सहायक नही होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक प्रश्न आने पर कि ऐसे कर्मचारी को जो पूर्व में ही स्वीकृत रूपान्तरित अवकाश पर हो, किस प्रकार समझा जावेगा जो बाद मे ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा-निवृत्त होना चाहता हो। यह निर्णय किया गया है कि जब उपरोक्त नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा वह बाद में सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो उसका रूपान्तरित-अवकाश अर्द्ध-वेतन अवकाश मे बदल दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित एवं अर्द्ध-वेतन अवकाश के वेतन के अन्तर को उससे वसूल किया जाना चाहिये। *अतः जो भी कर्मचारी इस प्रकार का रूपान्तरित-अवकाश प्राप्त करते हैं उनसे इस सम्बन्ध* मे एक वचन-पत्र भरा लेना चाहिए। किन्तु अन्य प्रश्न जैसे अवकाश-वेतन के रूप मे प्राप्त की गई राशि को लौटाने आदि के प्रत्येक मामले को उसके गुणाव-गुण को देखकर निपटाया जावेगा।

दूसरे शब्दो मे यदि सेवा-निवृत्ति, कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गयी हो तो उसे अधिक भुगतान की राशि लौटाने को कहा जावेगा। किन्तु यदि बिमारी आदि के कारण सेवा करने में असमर्थ होने से उसे आवश्यक रूप से सेवा-निवृत्त होना पडे तो उससे कोई राशि लौठाने को नही कहा जावेगा।

नियम 93 (घ):—निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के मामले के अतिरिक्त, स्थायी-सेवा में नियुक्त एक अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल मे अधिकतम 360 दिन का "अदेय-अवकाश" (लीव-नाट-ड्यू)

स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु उसमें से एक बार 90 दिन से अधिक का तथा कुल मिलाकर 180 दिन का "अदेय-अवकाश" चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य कारणों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा "अदेय-अवकाश" उस अधिकारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाश में से समायोजित किया जावेगा।

राजकीय निर्णयः—राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या "अदेय-अवकाश" उस कर्मचारी को स्वीकृत किया जाना चाहिये जो टी. बी. रोग का निदान करा रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि "अदेय-अवकाश" टी. बी. रोग से पीडित स्थायी सेवा मे नियुक्त कर्मचारियो को इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि स्वीकृत-कर्त्ता को इस बात से पूर्णतया सन्तोष हो जावे कि:—

(1) कर्मचारी के, अवकाश की समाप्ति पर, सेवा पर लौटने की पूर्ण सभावना है, तथा

(2) उसके बाद सेवा पर रहकर जो अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित करेगा वह उसे स्वीकृत अदेय-अवकाश की संख्या मे कम नही होगा। अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर लौटने की सम्भावनाओं की चिकित्सा-प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जाच की जावेगी। अदेय-अवकाश की सख्या के समान, बाद मे अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित करने की सम्भावनाओ के लिये इस तथ्य को ध्याने मे रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप मे कर्मचारी के सेवा पर वापिस आने पर उनका सेवा काल इतना शेष होगा कि उसमे वह अदेय-अवकाश की सख्या के समान अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि एक अधिकारी सेवा पर लौट कर आता है एव साधारण रूप मे वह बाद मे सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने से पूर्व केवल तीन वर्ष तक सेवा करता है तो अदेय-अवकाश उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये जितना वह इन तीन वर्ष की अवधि मे अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर सकता है।

समुचित चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:—

(1) एक राज्य-कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सक।

(2) यदि कर्मचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम मे उपचार करा रहा है तो उस मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम का प्रभारी-चिकित्सा-अधिकारी।

(3) यदि कर्मचारी अपने निवास स्थान पर ही उपचार करा रहा है तो सबधित राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा-अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एक टी. बी. विशेषज्ञ, एव,

(4) यदि कर्मचारी फेफड़ो की टी. बी. के अलावा अन्य प्रकार के टी. बी. रोग से पीडित हो रहा हो तो एक टी. बी. विशेषज्ञ अथवा सिविल-सर्जन।

टिप्पणी संख्या 1:—अदेय-अवकाश उस समय स्वीकृत करना चाहिये जब अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता को इस बात से सन्तोष हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी के सेवा पर पुनः लौटने की पर्याप्त एव उचित सम्भावना है। यह अदेय-अवकाश उसके द्वारा आगे की जाने वाली सेवा अवधि में अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाश की सख्या के बराबर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

टिप्पणी संख्या 2:—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (58) वि. वि./(नियम) 70 दिनाक 12 जनवरी, 1976 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 93 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूंकि इस नियम के सम्मिलित करने से अर्द्ध-वेतन अवकाश के आधार मे परिवर्तन हो गया है। अतएव यह माना जाता है कि कर्मचारियो के पूर्ण-सेवा-काल के सम्बन्ध मे पूर्व-प्रभाव से गणना की जावेगी। अतः राजस्थान सेवा

नियमो के प्रभावी होने की तारीख को जो अर्द्ध-वेतन अवकाश बकाया निकलेगा वह 1951 तक की सेवा-अवधि को पूर्ण वर्षो के आधार पर फलाया जाकर तथा उस तारीख से जब निजि कार्यो के आधार पर लिये गये अवकाश एव चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश या किसी भी प्रकार के अर्द्ध-वेतन अवकाश या अर्द्ध औसत अवकाश आदि को उसमें से घटाकर जो बच रहेगा वह माना जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यदि इस प्रकार की गणना से उसके द्वारा उपभोग किये गये अर्द्ध-वेतन अवकाश उसके बकाया अर्द्ध-वेतन अवकाश से अधिक हो तो उसका शेप उपभोग किया गया अर्द्ध-वेतन अवकाश दिनाक 1 अप्रेल, 1951 के बाद अर्जित किये गये अर्द्ध-वेतन अवकाशों में से काट लिया जावेगा। इस अधिक उपभोग किये गये अवकाश को नियम 93 (ग) के अन्तर्गत इस कार्य के लिये "अदेय-अवकाश" के रूप मे माना जावेगा।

(2) चूंकि उपरोक्त वर्णित रीति के अनुसार फलाया गया अवकाश सेवा के पूर्ण वर्षों का होगा। अतः 1 अप्रेल, 1951 को जो भी वर्ष का शेष भाग रहेगा उसको आगे के वर्ष की सेवा के अर्द्ध-वेतन अवकाश की गणना मे लिया जावेगा। अर्थात फलावट से प्राप्त अवकाश के बाद का अवकाश 1 अप्रेल, 1951 को बकाया सेवाकाल के अंश को आगे की सेवा में मिलाकर एक वर्ष पूरा होने पर देय होगा। चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य राज्य-कर्मचारियो के मामलों मे इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये यदि एक कर्मचारी 1 सितम्बर, 1949 को सेवा मे प्रविष्ट होता है तथा उसने अर्द्ध-वेतन अवकाश अथवा औसत वेतन अवकाश में से किसी भी प्रकार का अवकाश नही लिया है तो 1 अप्रेल, 1951 को उसके अर्द्ध-वेतन अवकाश खाते मे 20 दिन का अवकाश जमा रहेगा तथा उसे आगे 20 दिन का और अवकाश दिनांक 1 सितम्बर, 1951 को प्राप्त हो सकेगा।

(3) जहा 1 अप्रेल, 1951 के पूर्व प्रचलित नियमों मे उपार्जित अवकाश के साथ चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर रुपान्तरित अवकाश या पूर्ण-वेतन पर या पूर्ण-औसत-वेतन पर किसी प्रकार के अवकाश के स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया हो तो वहा ऐसे रुपान्तरित अवकाश या अतिरिक्त अवकाश, अर्द्ध-वेतन-अवकाश से दुगने के रुप मे गिना जावेगा तथा इस आदेश के अनुसार पूर्व प्रभाव से अर्द्ध-वेतन अवकाश निकाले जाने मे उस द्वारा उपभोग किया गया रुपान्तरित या अतिरिक्त अवकाश का दुगुना उसके अर्द्ध-वेतन मे से घटाया जावेगा।

(4) चूंकि यह पूर्व प्रभाव से बहुत समय पूर्व होगा। अतः अवकाश लेखे तैयार करने वाले अधिकारियो को पूर्व मे उपभोग किये गये अवकाशो के बारे मे निश्चिय कर लेना चाहिए तथा इस आधार पर तैयार किये जाने वाले अवकाश लेखो पर यह प्रमाणित करना चाहिये कि (साधारणतः उपार्जित अवकाश या उसके समान अवकाश के अतिरिक्त अन्य) कोई भी अर्द्ध-वेतन अवकाश अथवा अर्द्ध-औसत-अवकाश या पूर्ण वेतन पर अतिरिक्त अवकाश नही लिया गया है। स्वय कर्मचारियो को यह लिखित मे देना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि यदि बाद में यह पाया गया कि किसी भी प्रकार के अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उसका अवकाश लेखा पुनः इस प्रकार से तैयार किया जावेगा जैसा कि सरकार आदेश दे। इनमें अवकाश-वेतन के समायोजित करने का परिणाम भी सम्मिलित होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—अर्द्ध-वेतन अवकाश की फलावट के सम्बन्ध मे वित्त विभाग के आदेश (उक्त निर्णय सख्या-1) के क्रम मे यह निर्णय किया गया है कि जिन कर्मचारियों का अवकाश अभिलेख उपलब्ध नही है या जिनका अवकाश अभिलेख भलि प्रकार नही रखा गया है, उनका 1 अप्रेल, 1951 को उपार्जित अवकाश तथा अर्द्ध-वेतन अवकाश का बकाया निश्चित करने के लिये निम्न-अंकित तरीका काम मे लिया जा सकता है :—

(1) जिन मामलो मे अवकाश लेखे उपलब्ध नही है या उचित ढग से नही रखे गये है उनमे कर्म-

चारियो द्वारा सेवा-काल मे उपार्जित अवकाश कुल ऐसी अवधि का 1/12 भाग माना जाना चाहिये तथा इस प्रकार से निकाले गये अवकाश मे से आधा अवकाश कर्मचारी द्वारा लिया हुवा माना जाना चाहिये तथा जो अवकाश अवशेष रहे वह सेवा नियम 91 (3) के प्रथम प्रावधान में वर्णित सीमा तक अधिकतम रूप मे हो सकता है।

(2) दिनाक 1 अप्रेल, 1951 को बकाया अर्द्ध-वेतन अवकाश फलाने के लिये उक्त निर्णय सख्या-1 मे अंकित तरीके को काम मे लिया जावेगा। जिन मामलो में अवकाश का अभिलेख उपलब्ध नही हो या अवकाश लेखा भलि प्रकार से तैयार नही किया गया हो, उनके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि कर्मचारी ने कोई अर्द्ध-वेतन अवकाश नही लिया है।

(3) जो कर्मचारी विश्राम-कालीन विभागो मे है, जब तक उनके विरूद्ध विपरीत रूप से कोई प्रमाण उपलब्ध न हों, उनके सम्बन्ध मे यह माना जाना चाहिये कि उन्होने विश्राम-काल का पूर्ण उपभोग किया है।

नियम 94(1) —सेवा नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधान उस अधिकारी/कर्मचारी पर भी प्रभावी होते है जो स्थाई सेवा में नहीं है, केवल इस अपवाद के साथ की सेवा के प्रथम-वर्ष में देय-उपार्जित अवकाश :—

(i) राजस्थान सशस्त्र पुलिस मे नियुक्त तथा सीमा क्षेत्र पर पद-स्थापित अधिकारी को राजकीय आदेश संख्या एफ. 1(21) जी. ए. (ग्रुप-2) 64 दिनाक 8 मई, 1964 में परिभाषित किये गये अनुसार व्यतीत की गई कर्त्तव्य-अवधि का 1/16 भाग होगा।

(ii) उक्त (i) के अन्तर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियो के मामले व्यतीत कर्त्तव्य-अवधि का 1/22 भाग होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में—

(क) कोई अर्द्ध-वेतन अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा जब तक अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता, ऐसे मामले को छोडकर जिसमें एक राज्य कर्मचारी को चिकित्सा-प्राधिकारी ने पूर्णतः या अस्थाई रूप से सेवा करने, असमर्थ घोषित कर दिया हो, यह विश्वास नही कर ले कि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर सेवा पर पुनः उपस्थित हो जावेगा।

(ख) कोई "अदेय-अवकाश" स्वीकृत नही किया जावेगा।

नियम 94 (2) (i) :—एक अधिकारी जो स्थायी सेवा में नही है तथा जो एक विश्राम-कालीन विभाग में सेवा कर रहा है, को सेवा के प्रथम-वर्ष मे जिसमें उसने विश्राम-काल का पूर्ण-उपभोग कर लिया है, कोई उपार्जित अवकाश देय नही होगा।

(वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. नियम/70 दिनांक 15-9-76 द्वारा प्रति-स्थापित)

2. (ii) एक अधिकारी जो स्थाई नियुक्ति में नही है तथा जो किसी विश्राम-कालीन विभाग में सेवा कर रहा है, तो उसे उपार्जित अवकाश उसके प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें उसे पूर्ण विश्राम-काल को प्राप्त करने (उपभोग करने) से रोका गया है, 15 दिनों के अनुपात से उतने दिनों के लिये देय होगा जितने दिनों के विश्राम-काल का उसने उपभोग नही किया है।

नियम 94 (3) (i) :—फिर भी उप-नियम 94 (2)(i) एवं 2 (ii) में कुछ भी दिये हुए होने पर भी दिवानी अदालत के एक अधिकारी, जो स्थाई नहीं है, को सेवाकाल के प्रथम वर्ष में प्राप्त

उपार्जित ग्रवकाश, सेवा में व्यतीत ग्रवधि (विश्राम-काल को छोड़कर) का 1/66 भाग होगा।

3 (ii)–ऐसे ग्रधिकारी को जिसे सेवा काल के प्रथम वर्ष में विश्राम-काल के उपभोग करने से रोक दिया गया हो तो उसके लिए प्राप्त ग्रवकाश, विश्राम-काल की संख्या के ग्रनुपात में 10 दिन का ऐसा भाग होगा जिसका उस द्वारा उपभोग नही किया गया है।

नियम 94 (4) इस नियम के उप-नियम (1), (2) तथा (3) में कुछ भी प्रावधान होते हुए भी एक ग्रस्थाई राज्य-कर्मचारी जिसे भारतीय संविधान के ग्रनुच्छेद 309 के परन्तुक के ग्रनुसरण में प्रसारित, नियुक्ति/सेवा शर्तो के नियमन के लिये प्रसारित, नियमों के ग्रनुसार नियुक्त किया गया हो ग्रथवा जहां ऐसे नियुक्ति सम्बन्धी नियम नहीं बनाये गये हों किन्तु वहां ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये ग्रादेशों, जिनके द्वारा पद की शैक्षणिक-योग्यता, ग्रनुभव ग्रादि निर्धारित किये गये हों, के ग्रनुसरण में नियुक्ति की गई हो तो ऐसे ग्रस्थायी राज्य-कर्मचारी द्वारा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर उसे समस्त प्रकार के ग्रवकाश उसी प्रकार देय/स्वीकार्य होंगे जो एक स्थायी-राज्य-कर्मचारी को देय होते हैं।

[वि. वि. ग्रधिसूचना क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 14-12-78 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निविष्ट]

सेवा-समाप्ति-ग्रवकाश

राजकीय निर्णयः—निम्न-ग्रंकित श्रेणी के राज्य-कर्मचारियों को, उनकी सेवा समाप्ति पर ग्रवकाश स्वीकृत-कर्ता-प्राधिकारी द्वारा ग्रपने निर्णय के ग्रनुसार बकाया तथा देय उपार्जित ग्रवकाश की सीमा तक, "सेवा-समाप्ति-ग्रवकाश" (टरमीनल-लीव) स्वीकृत किया जा सकता है चाहे उसके लिये प्रार्थना ही नही की गई हो तथा वह लोक-हित मे स्वीकृत नही कर दिया गया हो:—

(क) एक ग्रस्थाई कर्मचारी जिसकी सेवायें सरकार द्वारा विश्राम-वृत्ति-ग्रायु प्राप्त करने के पूर्व ही, पदों की कटौती करने के कारण या पदो की समाप्ति के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई है।

(ख) पुनः नियुक्त किया गया सेवा-निवृत्त कर्मचारी ग्रवकाशो के सम्बन्ध में नवीन नियुक्त व्यक्तियों के समान इस शर्त के साथ माना जाता है कि उसे "सेवा-समाप्ति-ग्रवकाश" की ग्रवधि में कोई पेन्शन नही मिलेगी, यदि पुनः नियुक्ति-काल मे उसकी पेन्शन रोक ली गई है।

(ग) वह व्यक्ति जो राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट-(II) मे उल्लिखित ग्राधार पर एक वर्ष से ग्रधिक के लिये ग्रनुबन्ध के ग्राधार पर नियुक्त किया गया हो।

(घ) ग्रयोग्य-व्यक्ति जिसको ग्रपने ग्रस्थाई पद को एक योग्य-उम्मीदवार के लिये रिक्त करना हो, एव

(ङ) वे व्यक्ति जिनकी सेवायें प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर उनके विरूद्ध ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने के विकल्प के रूप मे समाप्त की जानी हो।

उक्त निर्णय निम्न पर लागू नहीं होंगे :—

(1) शिक्षार्थी (ग्रपरेन्टिस) एव वे व्यक्ति जो सरकार की सेवा मे निरन्तर नही है तथा जो उन पर प्रभावी नियमों के ग्रनुसार शासित होंगे, या

(2) सम्बन्धित कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त किया गया है ग्रथवा हटाया गया है, या

(3) जहां कर्मचारी की सेवायें राष्ट्र विरोधी आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई हो।

यदि एक अस्थाई कर्मचारी स्वय की इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र देता है तो अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी अपने विवेक पर उसके नाम बकाया अवकाश के आधे समय का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर सकता है, जिसका वह एक समय मे उपभोग कर सकता है।

किसी अस्थाई पद या पुन: नियुक्ति की अवधि को कर्मचारी को उसकी अस्थाई नियुक्ति के अन्त मे या उनकी पुन: नियुक्ति के अन्त मे स्वीकृत किये गये अवकाश की अवधि तक बढाने की कोई आवश्यकता नही है। सभी मामलो मे जहा सम्बन्धित अस्थाई राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तो के अनुसार सेवा-समाप्ति का नोटिस दिया जाना हो तथा वह कर्मचारी नोटिस की अवधि समाप्ति होने के पूर्व ही सेवा से हटा दिया गया हो तो उस नोटिस की अवधि को अथवा शेष समय को स्वीकृत किये हुए समय के साथ-साथ विताया हुआ समझना चाहिये।

स्पष्टीकरण:—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे कर्मचारियों के मामलों मे जिनकी सेवायें सेवा नियम 23-ए के अधीन नोटिस के एवज मे वेतन एव भत्तो का भुगतान करने पर समाप्त कर दी जाती है, उनके लेखों मे जमा उपार्जित अवकाश को "सेवा-समाप्ति-अवकाश" के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है तथा उनके अवकाश वेतन को किस प्रकार नियमित किया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुसार कर्मचारियो को, जिनकी सेवाये समाप्त की गई है उनके लेखों मे बकाया उपार्जित अवकाश की सीमा तक "सेवा-समाप्ति-अवकाश" स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामले मे नोटिस की अवधि के लिए जिसमे कर्मचारी द्वारा साथ-साथ सेवा-समाप्ति-अवकाश भी लिया जाता है, उन्हे केवल अवकाश-वेतन ही दिया जावेगा। यहां स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलो मे जिनमे नोटिस के बदले वेतन दिया जाता है, सम्बन्धित कर्मचारी को "सेवा-समाप्ति-अवकाश" उसके बकाया होने एव स्वीकार्य होने की सीमा तक, स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उक्त अवकाश काल का अवकाश-वेतन केवल अवकाश की अवधि के लिये ही दिया जाना चाहिये। इसमें वह अवधि सम्मिलित नही की जानी चाहिये जिसके लिये नोटिस के बदले वेतन एव भत्ते दिये गये है।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 12-1-76 से नियम 94 पूर्णतः तथा उसके अन्तर्गत राजकीय निर्णय एवं उक्त स्पष्टीकरण निविष्ट किये गये हैं]

विश्राम-काल

नियम 94-ए :—जब तक इस विषय में अन्यथा रूप से कुछ नहीं कहा गया हो विश्राम-काल को सेवा के रूप में गिना जाता है न कि अवकाश के रूप में। एक सक्षम-प्राधिकारी, विशिष्ट रूप से, उन विभागों को या विभागों के कुछ भागों के बारे मे निर्देश दे सकता है कि उनको विश्राम-कालीन के रूप में माना जाना चाहिये तथा वह उन शर्तो का उल्लेख कर सकता है जिनमें एक कर्मचारी को विभाग विश्राम-काल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा।

राजकीय निर्णय:—राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि राजस्थान मे कृषि एव पशुपालन संस्थाओं को विश्राम-कालीन संस्थाओं के रूप मे माना जावेगा।

परिशिष्ट

(1) एक विश्राम-कालीन विभाग वह विभाग या विभाग का वह भाग होता है जिसमे नियमित रूप मे विश्राम किया जाता है तथा जिसमे उनमे सेवा करने वाले कर्मचारियो को अपनी सेवा मे अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जाती है।

(2) जब उक्त अनुच्छेद की शर्तों की पूर्ण-पालना हो जावे तो निम्न-अंकित श्रेणी के कर्मचारियों को विश्रामकालीन विभागो मे कार्य करने वाला समझा जाना चाहिये।

(क) शिक्षा विभाग के निदेशक, उप-निदेशकों एवं सहायक निदेशकों तथा निरीक्षण अधिकारियों एवं उनके कर्मचारी वर्ग को छोड़कर शिक्षा-अधिकारीगण।

(ख) अन्य श्रेणी के राज्य-कर्मचारी जिन्हे एक सक्षम-प्राधिकारी, विश्राम-कालीन विभाग मे सेवारत घोषित करे।

(ii) सन्देह की स्थिति म एक सक्षम-प्राधिकारी यह निर्णय कर सकता है कि एक अमुक विशिष्ट कर्मचारी एक विश्राम-कालीन विभाग मे सेवा करता है अथवा नही।

(3) जब तक किसी उच्च-प्राधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों के आधार पर कर्मचारी को पूर्ण विश्राम-काल अथवा आंशिक विश्राम-काल का उपभोग करने से मना नही कर दिया जाता है, उसे अपने पूर्ण विश्राम-काल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा।

टिप्पणी संख्या 1—एक राज्य कर्मचारी जिसे विश्राम-काल में अपने दैनिक कर्तव्य का सम्पादन करना होता है तथा जिसके लिये उसे मुख्यावास पर उपस्थित रहना आवश्यक नही होता एव वह कार्य उस द्वारा अन्य स्थान पर किया जा सकता है या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा भी कराया जा सकता है तो ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध मे यह माना जावेगा कि उसने विश्राम-काल का पूर्णतः उपभोग कर लिया है। एक कर्मचारी जो विश्राम-काल के किसी भाग मे मुख्यावास से अनुपस्थित रहता है, उससे बिना राजकीय व्यय के अपना दैनिक कार्य करने या उसका प्रबन्ध करने के बारे मे उत्तरदायी बने रहने की अपेक्षा की जाती है। कर्मचारी जो अपने विश्राम-काल के किसी समय में मुख्यावास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो और उसे वहा (पूर्व-स्थान) पर बुलाया जाता है तो वह यात्रा-भत्ता प्राप्त करने का तब तक अधिकारी नही होगा जब तक वह विश्राम-काल के साथ अवकाश का उपभोग नही कर रहा हो।

टिप्पणी संख्या 2:—उक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त "उच्च-प्राधिकार" शब्दों का तात्पर्य एक कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष के सम्बन्ध मे विभाग के अध्यक्ष से है तथा अन्य मामले मे कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष से है।

अपवाद:—आयुर्वेदिक महा-विद्यालयों की निम्न-अंकित विशिष्ट शाखाओ (स्पेस्लेटीज) को विश्राम-कालीन विभाग के रूप मे नही समझा जावेगा (1) काय-चिकित्सा (2) शल्य चिकित्सा (3) प्रसूती (4) स्त्री रोग (5) कौमार्य रोग (6) अगत-तन्त्र (7) दृष्टिवत्ति विज्ञान (8) शरीर-क्रिया (9) रसभेषज्य

नियम 95 :—एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई सेवा में रहा हो, सेवा में व्यवधान के बिना ही यदि स्थाई पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी पूर्व की सेवा मे अर्जित अवकाशों को, जो उसके सेवा अभिलेख में जमा है, और जो उसे पूर्व सेवा मे रहते प्राप्त होते, को "आगे-जमा" किया जावेगा। इस नियम के अनुसार अवकाश-सेवा में व्यवधान नही डालता है।

नियम 96 (क) असाधारण अवकाश :—विशेष परिस्थितियों में राज्य-कर्मचारी को असाधारण-अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:—

(i) जब नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य प्रकार का अवकाश प्राप्त नही हो सकता हो, अथवा,

(ii) जब अन्य अवकाश प्राप्त किया जा सकता हो किन्तु कर्मचारी स्वयं लिखित में

असाधारण-अवकाश स्वीकृत करने के लिये आवेदन करता हो।

नियम 96 (ख) :—स्थाई सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, असाधारण अवकाश का समय किसी भी प्रकार एक समय पर 3 या 18 माह से अधिक का नहीं होगा। अधिक एवं लम्बे समय का असाधारण-अवकाश सरकार द्वारा सामान्य या विशेष रूप से जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, उस समय स्वीकृत किया जावेगा जब कर्मचारी निम्न में से किसी एक रोग का उपचार करा रहा हो :—

(1) एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम में फेफड़ों की टी वी. का उपचार।

(2) शरीर के किसी अन्य भाग में हुई टी. वी. का उपचार, एक योग्य टी. वी. विशेषज्ञ अथवा एक सिविल-सर्जन से उपचार, या

(3) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ चिकित्सा-संस्था में कुष्ठ रोग का किसी सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग विशेषज्ञ या सिविल-सर्जन से उपचार।

राजकीय आदेशः—सेवा नियम 96 (ख) के अनुसार एक अस्थाई कर्मचारी केवल 3 माह के असाधारण अवकाश का अधिकारी है। तीन महिनों के बाद असाधारण अवकाश केवल इन नियमों को वित्त विभाग की पूर्व सहमति से शिथिल कराने के बाद ही स्वीकृत किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि वित्त-विभाग की पूर्व सहमति अवकाश स्वीकृत करने के लिये पूर्व में ही प्राप्त की जावे। इसी प्रकार स्थाई कर्मचारी के मामले में उसे केवल 24 माह तक की अवधि के लिये (अध्ययन अवकाश सहित) सेवा नियम 112 के अनुसार अवकाश उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता है।

वित्त विभाग के ध्यान में ऐसे मामले आये है, जिनमें प्रशासनिक विभाग। विभागाध्यक्षों के राजस्थान-सेवा नियमों के प्रावधानों की अवहेलना की है एवं नियमों के शिथिलिकरण के लिये वित्त-विभाग की पूर्व-अनुमति प्राप्त किये बिना ही अस्थाई/स्थाई कर्मचारियों को अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति दे दी गई। यह समस्त सम्बन्धितों के ध्यान में लाया जाता है कि अब से भविष्य में वित्त-विभाग ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ऐसे मामले को, कर्मचारी की लम्बी बीमारी के मामले को छोड़कर, नियमित करने के लिये वित्त विभाग की पूर्व-प्रभाव से स्वीकृति चाही गई हो।

नियम 96 (ख) (ए) :—जब एक कर्मचारी टी. वी. रोग का उपचार कराने के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत कराता है एवं वह अपना पद-भार, अवकाश का उपभोग कर, ग्रहण करता है एवं उसके बाद वह अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर लेता है तो उसके द्वारा प्राप्त असाधारण-अवकाश को बाद में अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जावेगा एवं अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाश में समायोजित कर दिया जावेगा।

टिप्पणी संख्या1:—18 माह की अवधि तक के अ-साधारण अवकाश स्वीकृत करने की सुविधा उस कर्मचारी को भी मिल सकेगी जो फेफड़ों की टी. वी. से पीड़ित है तथा जो अपना उपचार अपने निवास पर ही ऐसे टी. वी विशेषज्ञ से कराता है जो राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी से मान्यता प्राप्त है तथा उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह उस उपचार करा रहा है तथा उसके लिये सिफारिश किये गये अवकाश की समाप्ति के बाद उसके (कर्मचारी) स्वस्थ्य होने की पूर्ण सम्भावना है।

टिप्पणी संख्या 2 (i) :—उक्त नियम के अन्तर्गत 18 माह तक के असाधारण अवकाश की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को उपलब्ध की जावेगी जो एक वर्ष से अधिक समय से राजकीय सेवा में कार्यरत है।

(ii) जिस पद से कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करता है वह पद उसके कर्तव्य पर लौट आने तक जारी रखा जाना चाहिये, एवं

(iii) कर्मचारी किसी ऐसे सेनीटोरियम के प्रभारी-चिकित्साधिकारी या टी. बी. विशेषज्ञ या निर्धारित पद के अन्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें वह उपचार करा रहा हो। प्रमाण-पत्र में उस अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिये जिसके लिए अवकाश की सिफारिश की गई है। अवकाश की सिफारिश करने वाले अधिकारी यह ध्यान में रखेंगे कि उन्हें किसी एक ऐसे मामले में अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिये जिसमें कर्मचारी के पुनः सेवा में उपस्थित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती हो। ऐसे मामले में उन्हें चिकित्सा प्रमाण-पत्र में अपनी सहमति अंकित कर देनी चाहिये कि राज्य कर्मचारी सेवा करने में स्थाई रूप से अयोग्य है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—ऐसे मामले ध्यान में आ रहे हैं, जिनमें या तो सम्बन्धित कर्मचारी के दीर्घ समय से बीमार रहने के कारण अथवा अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिये उक्त नियम के प्रावधान में शिथिलता के लिए निवेदन किया जाता है। यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में सेवा नियम 96 (ख) में शिथिलता करते हुए अ-साधारण अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में, प्रशासनिक विभागों द्वारा की गई सिफारिशों पर, केवल उसी समय विचार किया जावेगा जबकि निम्न-अंकित शर्तें पूर्ण करदी जावेंगी :—

(1) तीन माह के अ-साधारण-अवकाश की समाप्ति के दिन सम्बन्धित कर्मचारी ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है (इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश अवधि सहित) जो साधारण रूप में एक अस्थाई कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है।

(2) असाधारण अवकाश का कुल समय (इस नियम के अन्तर्गत प्राप्त तीन माह के अवकाश सहित) निम्न-अंकित से अधिक नहीं हो :—

(क) 6 माह जहां अवकाश कर्मचारी की रोग-ग्रस्तता के कारण चाहा गया हो तथा जहां नियमानुसार अवकाश की स्वीकृति के आवेदन-पत्र के साथ चिकित्सा-अधिकारी का प्रमाण-पत्र सलग्न किया हो।

(ख) दो वर्ष तक अध्ययन चालू रखने के लिये, जहा वह सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया गया हो।

(ग) जहां एक कर्मचारी, जो स्थाई सेवा में नही है वह स्वीकृत किये अधिकतम अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर उपस्थित होने मे असफल रहता है या जहा एक राज्य कर्मचारी जिसको उसे प्राप्त अधिकतम असाधारण अवकाश के स्थान पर कम समय का ऐसे अवकाश स्वीकृत किया गया है, वह किसी ऐसे समय तक सेवा से अनुपस्थित रहता है जो उसे स्वीकृत अवकाश को चालू कर उस अधिकतम सीमा से अधिक होता है जो उसे उपनियम (ख) के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता था, तो उसे जब तक राज्यपाल महोदय उस मामले की अपवाद-स्वरूप परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए अन्य प्रकार से आदेश न दे दे, राजस्थान नागरिक सेवाये (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम 1958 मे वर्णित प्रक्रिया की पालना कर सेवा से हटाया जा सकता है।

[यह संशोधन वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (65) वि. वि./(व्यय नियम) 66 दिनांक 25 जनवरी, 1972 द्वारा किया गया]

(घ) अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-अधिकारी बिना अवकाश की अनुपस्थिति को पूर्व-प्रभाव रूपान्तरित अवकाश में परिवर्तित कर सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—टी बी. रोग से पीड़ित कर्मचारियो के लिये सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व से निम्न-अंकित अधिकारियो से शारीरिक-स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये:—

(1) एक अस्थाई राजपत्रित अधिकारी जो फेफडो की टी बी या शरीर के किसी अन्य भाग की टी. बी से पीडित हो, उसे नियम 84 में वर्णित चिकित्सा-समिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये चाहे उपचार सेनीटोरियम द्वारा कराया गया हो या निवास पर। चिकित्सा-समिति मे एक टी बी. विशेषज्ञ को भी सदस्य के रूप सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(2) फेफडों की टी बी. से पीड़ित एक अस्थाई कर्मचारी द्वारा या तो किसी मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम के प्रभारी-चिकित्सा-अधिकारी से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टी. बी विशेषज्ञ से प्राप्त शारीरिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। जब वह कर्मचारी शरीर के किसी भाग की टी. बी से पीडित हो तो उसे एक मान्यता प्राप्त टी. बी. विशेषज्ञ या सिविल-सहायक सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 3 :—वित्त विभाग के ध्यान मे एक ऐसा मामला आया है जिसमे विश्व स्वास्थ्य सगठन द्वारा दूसरे राज्य में "चेचक-उन्मूलन-अभियान" मे कुछ चिकित्सा-अधिकारियों की सेवाये चाही गई थी। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की प्रथा के अनुसार वे ऐसे अधिकारियों को वेतन एव भत्ते नही देते किन्तु इसके एवज मे यात्रा-व्यय तथा दैनिक भत्ता देते है। प्रश्न उठा कि ऐसे आयोजनों मे भाग लेने वाले सरकार के चिकित्सा-अधिकारियो को क्या सुविधा दी जावे। इस पर विचार कर यह निर्णय किया गया है कि उन अधिकारियो को जो ऐसे आयोजनों में जो अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियो द्वारा आयोजित किये जाते है, भाग लेने के लिये, उस अवधि के लिए असाधारण-अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसमे वे उन संगठनो के साथ रहते है और यह असाधारण अवकाश की अवधि वेतन वृद्धि/विश्राम-वृत्ति आदि के लिये सेवा के रूप में मानी जावेगी।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(25) वि वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 24 जून, 1974 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—निम्न-हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश हुवा है कि अस्थाई महिला राज्य कर्मचारी जो सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियो की पत्नियां है उन्हे जब उनके पतियो को पारिवारिक स्थान (फेमेली स्टेशनस) पर से दूर नियुक्त कर दिया जाता है तब कर्मचारी को अपने परिवार/पति के साथ रहने मे कठिनाई उठानी पड़ती है क्योकि ऐसी महिला राज्य कर्मचारी को 3 माह तक का ही असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे सुरक्षा सेवा कर्मियो के परिवारों को बहुत अतिरिक्त व्यय, दो स्थानों पर परिवार रहने के कारण, करना पडता है तथा ऐसी महिला कर्मचारियो को अधिक समय तक अपने परिवार से दूर रहने का दुख उठाना पड़ता है।

उक्त अंकित ऐसे मामलों मे कठिनाईयो के निस्तारण को दृष्टि मे रखते हुऐ यह निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा सेवा कर्मियों की पत्नियो को जो अस्थायी राज्य महिला कर्मचारी हों तो उन्हे राजस्थान सेवा नियम 96 मे शिथिलता करते हुए 6 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकार कर दिया जाय। यदि उनके पति उस समय पारिवारिक स्थान पर नियोजित हो ताके वो अपने परिवार के साथ अधिक समय तक रह सकें और जब उनके

पति पारिवारिक स्थान से दूर नियोजित कर दिये जाय तो तब वे वापिस अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर सके।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (23) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 26-5-79 द्वारा निविष्ट]

नियम 97 (1) :—प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिये देय अवकाश-वेतन की राशि :— उपार्जित अवकाश पर एक कर्मचारी अवकाश-वेतन प्राप्त करने का निम्न-प्रकार अधिकारी होगा :—

(क) उस वेतन के समान जिसे वह अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व के दिन प्राप्त करने का अधिकारी हो। किन्तु यदि उस दिन वह अतिरिक्त कार्य करने के कारण स्वीकृत विशेष-वेतन पा रहा है या सेवा नियम 50 के अन्तर्गत अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त अन्य पद का कार्यभार सम्भालने के कारण अतिरिक्त-वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो अवकाश-वेतन देने में ऐसा विशेष-वेतन या अतिरिक्त-वेतन सम्मिलित नही किया जावेगा।

नियम 97 (2):—एक अधिकारी जो अर्द्ध-वेतन अवकाश अथवा अदेय-अवकाश पर हो तो उसे अवकाश-वेतन के रूप में उप-नियम (1) में वर्णित राशि की आधी राशि के समान मिलेगा किन्तु वह राशि 1200/- रुपये से अधिक नही होगी। किन्तु यदि अवकाश चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया हो या किसी अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्ययन-अवकाश की शर्तो के अतिरिक्त अन्य प्रकार से लिया गया हो तो उस पर यह अधिकतम राशि की सीमा लागू नही होगी

(3) रूपातरित (कम्यूटेट) अवकाश पर एक अधिकारी को अवकाश-वेतन उसी प्रकार मिलेगा जो उसे उपार्जित अवकाश पर दिया जाता है।

(4) एक राज्य कर्मचारी जो असाधारण-अवकाश पर हो, उसे किसी प्रकार का कोई अवकाश-वेतन नही मिलेगा।

उपरोक्त नियम 1 जून, 1976 से प्रभावशील होगे और उन राज्य कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने 1 जून, 1976 या इसके पश्चात् अवकाश पर प्रस्थान किया है।

[आदेश सख्या एफ 1(27) वि. वि. (ग्रुप-2)/76 दिनांक 4 जून, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित]

टीका :—इस नियम में रु 1200/- तथा रा. निर्णय-3 में 750/- के स्थान पर 1200/- तथा 1500/- के स्थान पर 1900/ वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ 1 (9) वि. वि (ग्रुप-2) 77 दिनांक 26-5-78 द्वारा दिनांक 1-9-76 से प्रति-स्थापित किये गये है।]

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—यह निर्णय किया गया है कि सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से हुए रिक्त पदो पर 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व विद्यालयों एव महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारियो को विश्राम-काल का वेतन दिया जावेगा बशर्ते कि अन्य कोई कर्मचारी उसी पद पर विश्राम-कालीन वेतन प्राप्त नही करता हो तथा ऐसा कर्मचारी अगले शिक्षण-सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख से उस सत्र मे 31 दिसम्बर तक सेवा में रहता है।

ऐसे अस्थाई अध्यापक जो अवकाशकाल मे रिक्त पदों पर 1 जनवरी से पूर्व नियुक्त हुए है या ऐसे प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये है जो ऐसी नियुक्तिया करने में सक्षम नही है तो उन समस्त अस्थाई

अध्यापको की जो 31 दिसम्बर के बाद नियुक्त हुए है, शिक्षण-सत्र के अन्तिम कार्य-दिवस को सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।

[आज्ञा संख्या प 1(50) वि वि (नियम/66 दिनांक 22 अगस्त, 70 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1967 से प्रभावी तथा एफ. 1 (22) (नियम) 75 दिनांक 9–6–75 द्वारा संशोधित]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1(12) वि. वि./ए/नियम/58-1 दिनांक 30 मई, 1961 द्वारा विलोपित।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक सेवा-निवृत्त एव पुनः नियुक्त अधिकारी जो अपनी पुनः नियुक्ति के समय उपार्जित अवकाश, अर्द्ध-वेतन अवकाश, रूपान्तरित-अवकाश एवं असाधारण-अवकाश प्राप्त करता है उसके अवकाश-वेतन एव पेन्शन के सही निर्धारण मे एक सन्देह व्यक्त किया गया है। इस सम्बन्ध मे स्थिति निम्न-प्रकार स्पष्ट की जाती है —

पेन्शन योग्य सेवा से निवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त होने पर एक अधिकारी की पेन्शन या तो स्थगित कर दी जाती है या प्रथक से प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है। जहां आवश्यक हो, पुनःनियुक्ति के वेतन से उचित कटौती की जा सकती है। एक अधिकारी जिसको पुनःनियुक्ति के समय मे पेन्शन प्रथक से दी जाती है तथा जो उपार्जित अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या रूपान्तरित अवकाश पर प्रस्थान करता है तो वह पुनः नियुक्ति के वेतन के आधार पर अवकाश-वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अर्थात् इसमे पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन सम्मिलित नही होगी तथा इसके अतिरिक्त वह प्रथक से पेन्शन प्राप्त करता रहेगा। एक अधिकारी जिसकी पेन्शन स्थगित कर रखी हो वह केवल पुनः नियुक्ति के वेतन पर आधारित अवकाश-वेतन प्राप्त करेगा। अर्थात् अरूपान्तरित पेन्शन या ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन घटाकर वेतन, तथा इसके साथ में स्थगित की गई पेन्शन के समान राशि प्राप्त करेगा। किसी भी मामले मे अवकाश-वेतन (पेन्शन या पेन्शन के समान राशि जो स्थगित कर रखी है, उसे घटाकर एव/या ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन) जो अर्द्ध-वेतन अवकाश या रूपान्तरित अवकाश मे मिल सकेगा, वह क्रमशः 1200/- एव 1900/- रुपये की अधिकतम सीमा तक मिल सकेगा।

(iii) असाधारण-अवकाश की अवधि मे एक अधिकारी जिसकी पेन्शन स्थगित की हुई है, केवल स्थगित पेन्शन की राशि के समान राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अर्थात् जहा पेन्शन, प्रथक से प्राप्त की जा रही है वह असाधारण-अवकाश के समय मे भी प्राप्त की जाती रहेगी।

(iv) जिन अधिकारियो पर सेवा-निवृत्ति से पूर्व अशदायी भविष्यनिधि योजना लागू थी उनको उपार्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश एव रूपान्तरित अवकाश काल का वेतन पुनःनियुक्ति वाले मूल वेतन पर मिलेगा। वह असाधारण-अवकाश की अवधि का कोई अवकाश-वेतन प्राप्त नही करेगा।

(v) पूर्व मे जो मामले अन्य प्रकार से निपटा दिये गये हों उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजकीय निर्णय सख्या 4:—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ. 16 (12) वि. वि. (नियम) 58/II दिनाक 30 मई, 1961 द्वारा विलोपित।

टिप्पणीः— बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश-सेवा में व्यतीत समय के शुद्ध वेतन, जो अधिकारी भारत में सेवा पर रहकर प्राप्त करता, औसत-वेतन गिने जाते समय वास्तविक रूप से प्राप्त वेतन में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

स्पष्टीकरणः—वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (27) वि. वि (ग्रुप-2) 76 दिनाक 4 जून, 1976 द्वारा स्पष्टीकरण सख्या (1) एवं (2) विलोपित किये गये है।

नियम 98:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 16 (12) वि. वि. (नियम) 58/II दि. 30 मई, 1961 द्वारा विलोपित।

नियम 99–विशेष-असमर्थता अवकाशः—(i) इस खण्ड में वर्णित शर्तों के अनुसार सरकार ऐसे कर्मचारी को विशेष-असमर्थता-अवकाश स्वीकृत कर सकती है जिसे अपने कर्त्तव्य को उचित पालना करते हुए अथवा अपनी राजकीय स्थिति के कारण कोई चोट लगी हो या चोट पहुंचाई गई हों तथा जिसके कारण वह असमर्थ हो गया हो।

(ii) ऐसा अवकाश उस समय तक स्वीकृत नही किया जावेगा जब तक घटना के 3 माह के अन्दर असमर्थता के कारण, जिससे वह सम्बन्धित है, प्रकट न किये जावें तथा असमर्थ व्यक्ति इसे यथाशीघ्र सरकार के ध्यान में लाने का प्रयत्न न करे। ऐसे मामले में जहां असमर्थता के कारण एक घटना 3 माह से अधिक समय में ज्ञात हो, तो यदि सरकार असमर्थता के कारणों से सन्तुष्ट हो जावे, तो उसे ऐसा अवकाश स्वीकृत करने की आज्ञा दी जा सकती है।

(iii) **विशेष-असमर्थता-अवकाश की अवधि**—उतने ही समय का विशेष-असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जितना चिकित्सक-मण्डल द्वारा आवश्यक रूप में प्रमाणित किया गया हो।

राजकीय निर्णयः—राजस्थान सेवा नियम 99 (iii) में उल्लेख किया गया है कि विशेष-असमर्थता के लिये स्वीकृत किया गया अवकाश उतना ही होगा जितना चिकित्सक-मण्डल द्वारा प्रमाणित किया जावे। यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस बटालियन के मामले में इस खण्ड के प्रयोजनार्थ चिकित्सा-मण्डल निम्न-अधिकारियों का होगा।

(क) कम्पनी-कमान्डेन्ट तथा अन्य उच्च-पद वालो के लिये	(1) अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी, जहा उपचार चल रहा है, एवं (2) प्रधान चिकित्सा-अधिकारी तथा जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी। जहा वह भी (1) के अनुसार अस्पताल का प्रभारी हो तब प्रधान चिकित्सा अधिकारी तथा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी, एव (3) बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी।
(ख) अन्यो के लिये	(1) अस्पताल का एक चिकित्सक जिसका नाम अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक द्वारा लिया जावे, जहा उसका उपचार चल रहा है, एवं (2) बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी।

राजस्थान के बाहर आर. ए. सी. बटालियन में नियोजित किये जाने के मामले मे निम्न-अंकित के लिये चिकित्सक-मण्डल इस प्रकार रहेगा :—

(क)	प्लाटून कमान्डर एवं उसके अधीन अन्य अधिकारी जिनको दो माह से अधिक का असमर्थता-अवकाश नही चाहिये ।		बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी ही चिकित्सक-मण्डल होगा ।
(ख)	बटालियन के अन्य अधिकारी जो उपर्युक्त (क) द्वारा नियमित नही होते हों	(1)	अस्पताल जहां उपचार चल रहा है का प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी तथा ।
		(2)	बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी ।

यह आदेश दिनाक 5 सितम्बर, 1965 से प्रभावशील होगें ।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (57) वि. वि. (व्यय-नियम) 65-II दि. 2 नवम्बर, 1965 द्वारा निविष्ट]

(iv) विशेष-असमर्थता अवकाश की अवधि चिकित्सक-मण्डल के प्रमाण-पत्र के बिना नही बढ़ाई जावेगी तथा किसी भी दशा में वह 24 माह से अधिक का स्वीकृत नहीं किया जावेगा । ऐसा अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिला कर लिया जा सकता है ।

(v) असमर्थता-अवकाश एक से अधिक अवसरों पर भी स्वीकृत किया जा सकता है । यदि बाद की तारीख में वह असमर्थता पुनः तीव्र हो जाती है अथवा ऐसी ही परिस्थितियों में पुनः उठ खडी होती है तथा किसी एक प्रकार की असमर्थता के लिये 24 माह से अधिक का ऐसा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

(vii) **ऐसे अवकाश काल में अवकाश-वेतनः—**

(क) किसी अवकाश के, जिसमें इस नियम के खण्ड (v) के अनुसार उच्च-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश भी सम्मिलित होगा, प्रथम 120 दिन के लिये नियम 97 (1) के अनुसार देय अवकाश-वेतन के समान होगा, एवं

(ख) उच्च-सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे अवकाश के शेष समय के लिये नियम 97 (2) के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध-वेतन के समान होगा या कर्मचारी के विकल्प पर उपार्जित-अवकाश को अधिकतम अवधि के लिये जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, के औसत वेतन के समान होगा । असमर्थता के मामले में ऐसे अववाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में नामे लिखा जावेगा ।

अपवादः—यदि कोई पुलिस दल का सदस्य जिसे डाकूओं के साथ मुकाबला करते समय चोट लग गई हो तथा वह चोट का इलाज कराने के लिये राजकीय चिकित्सालय मे एडमिट रहता है, तो उसका अवकाश-वेतन ऐसे अवकाश-काल में अनुच्छेद (क) एव (ख) के प्रावधानों के उपरान्त भी, उस वेतन के समान होगा जो वह सेवा पर उपस्थित रह कर प्राप्त करता । ऐसे अवकाश के शेष समय के लिये अवकाश-वेतन इस खण्ड के अनुच्छेद (क) एव (ख) के अनुसार नियमित किया जावेगा ।

(viii) चतुर्थ-श्रेणी-सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों का अवकाश-वेतन निम्न के समान होगा :—

(क) इस नियम के खण्ड (v) के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश को मिलाकर किसी ऐसे अवकाश के प्रथम 60 दिनों के लिये उसे अवकाश-वेतन अपने उस वेतन के समः मिलेगा जो वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन प्राप्त कर रहा था ।

(ख) ऐसे अवकाश के शेष समय के लिये उसे अवकाश-वेतन अर्द्ध-वेतन के समान मिलेगा या कर्मचारी के विकल्प पर उपार्जित-अवकाश की अधिकतम अवधि के लिये जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत किया जा सकता था, उस वेतन के समान प्राप्त होगा जो उसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन मिल रहा हो। बाद के मामले में ऐसे अवकाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में नामे लिखा जावेगा।

अपवादः—पुलिस कर्मचारी चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, वायरलैस एव अन्य विभागीय स्टाफ तथा पुलिस दल के साथ तैनात चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी, (राज-सशस्त्र पुलिस एव एस. ए. एफ. बटालियन सहित) जो किसी विदेशी द्वारा आक्रमण किये जाने के परिणाम स्वरूप घायल हो गये हैं या चोट लग गई है उसे इस नियम के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है एव खण्ड (7) एव (8) के प्रावधानो के होते हुए भी ऐसे अवकाश की सीमा मे वह अपना वेतन उसके समकक्ष उसी प्रकार से प्राप्त कर सकता है जैसे वह सेवा पर रह कर प्राप्त करता।

उक्त प्रकार के अवकाश की अवधि पेन्शन के लिये गिनी जावेगी एवं उसे वेतन-वृद्धि एव अन्य लाभ, राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार प्राप्त होंगे।

नियम 100:—असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौतीः— यदि कोई कर्मचारी जो वर्तमान में प्रभावी किसी अधिनियम के अन्तर्गगत क्षतिपूरक राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसका प्रावधान इस अध्याय में किया गया है, तो उससे नियम 99 के अन्तर्गत दिये जाने वाले अवकाश-वेतन की राशि में से उतनी ही क्षतिपूर्ति की रकम काट ली जावेगी जो उसे उस कानून के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है।

नियम 101:—असैनिक कर्मचारियों पर विशेष-असमर्थता अवकाश नियम का प्रभावी होनाः—इस अध्याय के प्रावधान एक ऐसे असैनिक कर्मचारी पर भी लागू होते हैं जो सैना के साथ सेवा करने के फलस्वरूप असमर्थ हो गया है तथा वह आगे भविष्य में सैनिक सेवा के अयोग्य हो जाने के कारण पद-मुक्त कर दिया जाता है। किन्तु जो यदि असैनिक सेवा के लिये पूर्णतः एवं स्थाई रूप से अयोग्य नहीं है, तो उक्त प्रावधान ऐसे असैनिक कर्मचारी पर भी लागू होते है जो इस तरह पद-मुक्त नहीं किया गया हो किन्तु जो ऐसी असमर्थता से पीड़ित हो जिसके सम्बन्ध में चिकित्सक-मण्डल द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह असमर्थता कर्मचारी को सैनिक सेवा के साथ रहने के कारण हुई है। किन्तु किसी भी मामले मे उस असमर्थता से सम्बधित सैना के नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत किये जा सकने वाले अवकाश की अवधि को, अवकाश की स्वीकृत अवधि गिनने के लिये इस नियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जावेगा।

नियम 102:—सरकार इस खण्ड के प्रावधानों को ऐसे कर्मचारियों के लिये भी प्रभावी कर सकती है जो अपनी सरकारी सेवा में दुर्घटना-ग्रस्त हुए हो या जिन्हें अपने सरकारी कर्त्तव्यों को पूर्ण करते हुऐ चोट लगी है तथा जिन्हें अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी हो या वह ऐसी विशिष्ट सेवा के कारण बीमार हुए हों जिसको पूर्ण करने में उनकी बीमारी बढ़ती हो या किसी ऐसे असैनिक पद पर कार्य करते हुए पीड़ित हुए हों जिन पर साधारण जोखिम से अधिक जोखिम रहती है। इस सुविधा के उपभोग की स्वीकृति निम्न-अंकित शर्तो के आधार पर दी जा सकेगी :—

(1) यदि बिमारी के कारण असमर्थता हुई हो तो एक चिकित्सा-मण्डल द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि वह बिमारी किसी विशिष्ट सेवा करने के फलस्वरूप हुई है।

(ii) यदि कर्मचारी की ऐसी असमर्थता सैना की सेवा के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से हुई है तो सरकार के विचार में ऐसी असमर्थता अपवाद स्वरूप तथा ऐसी परिस्थितियों में होनी चाहिये कि उसके असाधारण उपचार के लिये इस प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत हो, एवं

(iii) चिकित्सा-मण्डल द्वारा जितने समय के लिये सेवा से अनुपस्थित रहने की सिफारिश की गई है उस समय के लिये इस नियम के अन्तर्गत देय अवकाश से तथा अन्य प्रकार के अवकाश से पूरा किया जा सकता है तथा उच्च-सेवा एवं चतुर्थ-सेवा कर्मचारियों के लिये औसत-वेतन पर स्वीकृत किये गये विशेष-असमर्थता अवकाश की संख्या क्रमशः 120 या 60 दिन से कम हो सकती है ।

राजकीय निर्णय :—प्रादेशिक सेवा मे प्रशिक्षण/सेवा की अवधि मे कर्मचारियों की असमर्थता की अवधि को किस प्रकार समझा जावे ? इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि प्रादेशिक सेना के सेवा काल मे बिमारी अथवा चोट से उत्पन्न असमर्थता की अवधि को अस्पताल मे चिकित्सा की अवधि के लिये कर्मचारियों की प्रशिक्षण/सेवा अवधि, उसमे लगे रहने के समये पूर्ण वेतन एव भत्तो पर स्वीकृत की जानी चाहिये । यदि असैनिक वेतन, सेवा के वेतन से अधिक है, तो अन्तर की राशि राज्य सरकार के नामे लिखी जावेगी । 6 माह की अवधि से अधिक अस्पताल मे उपचार हेतु शेष अवधि को विशेष-असमर्थता-अवकाश के रूप मे नियमित किया जाना चाहिये ।

खण्ड-4:-प्रसूती-अवकाश

नियम 103:—सक्षम-प्राधिकारी, महिला-सरकारी-कर्मचारी को उसके पूर्ण सेवा काल मे तीन बार प्रसूती अवकाश, पूरे वेतन पर जो इस अवकाश के प्रारम्भ होने से तीन माह तक के लिये अथवा शिशु जन्म के दिनांक से 6 सप्ताह बाद तक, जो भी पूर्व मे हो, के लिये स्वीकार कर सकेंगे ।

एक महिला-कर्मचारी जो पूर्व मे ही तीन बार या अधिक प्रसूती अवकाश, इस आज्ञा के प्रसारित होने से पूर्व ही ले चुकी हो, वह भविष्य में प्रसूती अवकाश के लिये अधिकारी नही होगी ।

[आज्ञा संख्या एफ. 1 (88) वि. वि., नियम/71 दिनांक 17 दिसम्बर, 1971]

टिप्पणी :—इस नियम के अन्तर्गत प्रसूती अवकाश निम्न-अकित शर्तो पर गर्भपात (एर्बोशन) या गर्भस्राव (मिसकैरेज) के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकता है :—

(1) अवकाश 6 सप्ताह से अधिक का नही हो, तथा

(2) अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ किसी अधिकृत चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—इस नियम के अन्तर्गत प्रसूती अवकाश अस्थाई महिला कर्मचारी को भी मिलेगा ।

(2) प्रसूती अवकाश अधूरे गर्भपात के मामले मे नही मिलेगा ।

नियम 104:—प्रसूती अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है । किन्तु प्रसूती अवकाश के क्रम में लिया गया अवकाश केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब उसके साथ एक चिकित्सा-प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हो ।

टिप्पणी :—नियम 91 में अंकित सीमा तक उपार्जित-अवकाश प्रसूती अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है यदि इस प्रकार के अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण :—महिला-राजपत्रित-अधिकारियो को, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अवकाश लेने वाले अन्य अराजपत्रित अधिकारियो के समान, सेवा नियम 104 के अन्तर्गत अपने अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ, सेवा नियम 71 व 72 के अनुसार एक चिकित्सक-मण्डल का आवश्यक प्रमाण-पत्र सलग्न करना चाहिये जब तक अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-अधिकारी नियम 74 के अन्तर्गत उसमे शिथिलता नही कर देता है।

टिप्पणी संख्या 1: —यदि किसी कर्मचारी पर कर्मकार-क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 लागू होता हो तो इन नियमो के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले अवकाश-वेतन की मात्रा उसकी क्षतिपूर्ति राशि मे से काटी जावेगी जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्राप्त होगी।

टिप्पणी संख्या 2:—ऐसे कर्मकारों के मामले जिन पर राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 प्रभावी होते है, इन नियमों के अन्तर्गत भुगतान योग्य अवकाश-वेतन में से उस अवधि मे उक्त अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य एव देय लाभ की राशि को घटा दिया जावेगा।

नियम 105–चिकित्सालय–अवकाश के स्वीकृत किये जाने की सीमा:—सक्षम-प्राधिकारी एक चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी को तथा ऐसे लिपिक-वर्गीय एव अ।नस्थ सेवा के कर्मचारी को चिकित्सालय-अवकाश स्वीकार कर सकता है जिसका वेतन चिकित्सालय मे प्रवेश के दिन 400/– रुपया मासिक से कम हो एवं जिसका काम भयंकर सयन्त्रों, विस्फोटक सामग्री, जहरीली दवाओं आदि को हाथ से पकड़ने का हो अथवा अन्य जोखिमों का कार्य करते हों और जब वह ऐसी बिमारी या जख्म का उपचार करा रहा हो। ऐसा रोग या जख्म स्पष्टतया उन कर्त्तव्यों तथा जोखिमो के कारण होना चाहिये, जो उसके राजकीय पद के कर्त्तव्यों से सम्बन्धित हो।

टीका :—**अधिसूचना क्रमांक एफ 1(9) वि. वि. (ग्रुप–2) 77 दिनांक 26–5–78 द्वारा 1–9–76 से 100/- के स्थान पर 400/- प्रतिस्थापित तथा प्रोवीजो विलोपित कर दिया जाता हैं।**

नियम 106–चिकित्सालय-अवकाश के समय अवकाश-वेतन:—चिकित्सालय-अवकाश वेतन नियम 97(1) अथवा 97 (2) के अन्तर्गत ऐसी अवधि के लिये जैसा, अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी आवश्यक समझे, स्वीकृत किया जा सकता है।

[एफ 1 (9) वि. वि. (ग्रुप–2) 77 दिनांक 26–5–78 द्वारा दिनाक 1–9–76 से सशोधित]

नियम 107:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (52) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 12 जून, 1968 द्वारा विलोपित।

नियम 108:—चिकित्सालय-अवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश, जो एक कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य एवं देय हो, स्वीकृत किया जा सकता है, कारण कि चिकित्सालय-अवकाश अन्य प्रकार के अवकाशों के अतिरिक्त है।

खण्ड–6 अध्ययन–अवकाश

नियम 109:—निम्न-लिखित नियम केवल अध्ययन-अवकाश से ही सम्बधित है। इनके द्वारा उन राज्य कर्मचारियों को शासित करने की मंशा नही है जो सरकार की प्रेरणा पर या तो उनको सुपुर्द किये गये विशेष कार्य को पूरा करने के लिये या अपनी तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसंधान के लिये अन्य देशों में प्रतिनियुक्त किये गये है। ऐसे मामलों को नियम 51 के अन्तर्गत उनको प्रकृति एवं कारणों पर विचार करते हुए निपटाया जावेगा।

नियम 110–अध्ययन अवकाश किसको स्वीकृत किया जावेगाः—अध्ययन-अवकाश अध्यापन के ऐसे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये एक स्थाई कर्मचारी को स्वीकार किया जावेगा यदि कर्मचारी के पद तथा जिस विभाग में वह कार्य कर रहा है, उसके कार्यकलापो के अनुसार जनहित में वह आवश्यक समझा जावे ।

अपवाद संख्या 1 :—शिक्षा विभाग के अध्यापक चाहे वे अस्थाई/स्थाई/कार्यवाहक रूप से नियुक्त हुए है किन्तु जो 1 जुलाई, 1965 को या उसके बाद व्यवसायात्मक प्रशिक्षण पर जाते हों, इस नियम के अनुसार अध्ययन-अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी होगे । किन्तु शर्त यह होगी कि उनकी नियुक्ति 31 मार्च, 1963 पूर्व हुई हो ।

अपवाद संख्या 2:—अस्थाई राज्य कर्मचारी जो अनुसूचित जाति एव जन जाति के है और जिन्होने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हे इन नियमो के अनुसार अध्ययन-अवकाश स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु शर्त यह है कि ऐसा पद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार मे आता है एव जिसमे प्रारम्भिक नियुक्तिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई है तथा अन्य मामलों मे नियुक्तिया सम्वन्धित सेवा नियमों के अनुसार सीधी भरती के नियमो के अनुसार की गई है ।

[आदेश संख्या एफ 1(23) वि वि (ग्रुप–2) 76 दिनांक 13 मई, 1976 द्वारा तुरंत प्रभाव से निविष्ट]

राजकीय निर्णय :—नियम 110 के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 11 खण्ड-6 मे वर्णित अध्ययन अवकाश सम्वन्धी नियम उच्च-अध्ययन के लिये अनुसूचित जाति एव जन-जाति के कर्मचारियो पर भी लागू होगे ।

नियम 111:—अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तः—अध्ययन अवकाश उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावेगा जब सक्षम-प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि अवकाश सार्वजनिक हित में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रकृति के अध्ययन या अनुसंधान के विशेष पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये आवश्यक है । जो कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकेगे उन्हें अध्ययन-अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

टिप्पणी संख्या 1 :—अधिकारियो के मामले में जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है उनके लिए अध्ययन-अवकाश स्वीकृत करने मे छूट दी जा सकती है यदि ऐसा अधिकारी अवकाश से लौटने के बाद 5 वर्ष तक राज्य सेवा करने का अथवा 5 वर्ष की अवधि तक सेवा करने मे असमर्थ होने पर अध्ययन-अवकाश के समय प्राप्त लाभों को सरकार को वापिस लौटाने का वाध्य-पत्र (वान्ड) भर देता है ।

टिप्पणी संख्या 2:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ 1 (23) वि. वि. (ग्रुप-2) 76 दिनाक 13–5–76 द्वारा विलोपित ।

नियम 112 (1):—एक राज्य कर्मचारी/अधिकारी को अध्ययन-अवकाश की स्वीकृति भारत में अथवा भारत से वाहरः—

(1) एक अध्ययन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के ज्ञान की खोज-वीन (शिक्षा प्राप्त करने) करने के लिये दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी को प्रमाणित करना होगा कि ऐसे कार्यो के लिये उस कर्मचारी को अध्ययन-अवकाश स्वीकृत करना उस विभाग के पद कार्य-संचालन के हित में होगा जिसको वह अधिकारी/कर्मचारी धारण करता है/

कर रहा है। अध्ययन-अवकाश स्वीकार करने को सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऐसा अवकाश इतनी शीघ्रता से (बार-बार) स्वीकार नही किया जावे जिससे उस कर्मचारी का अपने नियमित कार्यों से सम्पर्क ही टूट जावे अथवा उसकी अवकाश की अनुपस्थिति के कारण संवर्ग में कठिनाइयां नही बढ जावे। एक अवसर पर 12 माह के अध्ययन-अवकाश को सामान्यतः एक औचित्य-पूर्ण अधिकतम अवधि मानी जानी चाहिये और असाधारण-परिस्थितियों को छोडकर इसमें वृद्धि नही की जानी चाहिये।

(ii) कुल सेवा-काल में एक व्यक्ति को 24 माह से अधिक की अवधि का अध्ययन-अवकाश नही दिया जावेगा। इस अधिकतम अवधि के अध्ययन अवकाश का उपभोग वह एक बार में अथवा एक से अधिक समयों पर में कर सकता है। अ-साधारण-अवकाश को छोडकर अध्ययन-अवकाश अन्य किसी भी दूसरे प्रकार के अवकाशों के साथ लिया (भोगा) जा सकता है।

[वित्त विभाग की अधि सूचना-क्रमांक एफ 1 (24) वित्त (ग्रुप-2) 79 दिनांक 16-6-79 द्वारा प्रतिस्थापित]

नियम 112 (2):—अध्ययन-अवकाश अर्द्ध-वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश-वेतन का भुगतान सेवा नियम 97 (2) के अनुसार देय होगा। अर्थात् अध्ययन अवकाश की अवधि में कर्मचारी को अवकाश-वेतन के रूप में वह राशि प्राप्त होगी जो उसे अर्द्ध-वेतन अवकाश पर रहने के कारण प्राप्त होती है।

नियम 113—अन्य अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश का सम्बन्धः—एक राज्य कर्मचारी जिसको अध्ययन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय पर प्राप्त करना चाहिये जिसके फलस्वरूप वह पूर्व में स्वीकृत किये गये अवकाश में से उतना बकाया अवकाश अपने साख पर रखे कि उसके सेवा पर लौटने तक के लिये वह पर्याप्त हो।

नियम 114:—जब एक कर्मचारी को किसी निश्चित अवधि तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि उसके अध्ययन का पाठ्यक्रम स्वीकृत अवकाश की अवधि के उपरान्त पर्याप्त समय तक चलेगा एवं उसके कारण वह सेवा से अनुपस्थित रहेगा तो उसे अध्ययन-अवकाश से अधिक समय के अध्ययन की अवधि को कम करना पड़ेगा जब तक वह ऐसे अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की, असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृति की, अनुमति प्राप्त नही कर लेता है।

नियन 115—अध्ययन अवकाशों के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करनाः—नियम 116 के प्रावधान को छोड़कर, अध्ययन अवकाश के सभी प्रार्थना-पत्र महालेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ सक्षम-प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये तथा उसमें, जिस पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमों को वह पूर्ण करना चाहता है तथा जिस परीक्षा में वह प्रवेश चाहता है, उसका, स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिये। भारत से बाहर अध्ययन अवकाश के मामले मे यदि वह कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहे, जिसे सक्षम-प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन की पूर्ण सूचना भिजवानी चाहिये तथा जब तक वह स्वयं उत्तरदायित्व नही ले, उसे उस समय तक अध्ययन/पाठ्यक्रम प्रारम्भ नही करना

चाहिये तथा न उसके सम्बन्ध में कोई व्यय ही करना चाहिये, जब तक वह इस बारे में स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता है।

नियम 116–अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में बदलना:—राज्य कर्मचारी जो यूरोप या अमेरिका में अवकाश का उपभोग कर रहा हो तथा जो अपने ऐसे अवकाश के कुछ भाग को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना चाहते हैं अथवा जो अवकाश-काल में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करना चाहते हों, उन्हें अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व अपने प्रस्तावित अध्ययन अथवा पाठ्यक्रम का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिये। कार्यक्रम के साथ अध्ययन का पाठ्यक्रम भी, यदि उपलब्ध हो तो, संलग्न करना चाहिये, तथा उस प्रस्तावित विशेष पाठ्क्रम के प्रमाण में साक्ष्य भी संलग्न किया जाना चाहिये।

नियम 117–अध्ययन भत्ता:—सरकार किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने अथवा विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिये निश्चित दौरे (ट्यूर्स) में बिताये गये समय तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्त में किसी परीक्षा के समय के लिये अध्ययन भत्ते की दरें निश्चित कर सकती है।

नियम 118 : विश्राम-काल की अवधि का अध्ययन भत्ता:—किसी भी विश्राम-काल की अवधि का अध्ययन भत्ता 14 दिवस तक का स्वीकृत किया जा सकता है तथा उस अवधि के बारे में जिसमें कर्मचारी अपनी सुविधा के लिये पाठ्यक्रम को बन्द करता है, उसे विश्राम-काल नहीं समझा जा सकता है। सरकार अपने विवेक पर कुछ समय के लिये किसी भी 14 दिन तक की ऐसी अवधि का अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर सकती है जिसमें अधिकारी बिमारी के कारण अध्ययन का पाठ्यक्रम चालू नहीं रख सकता है। ऐसी बिमारी की अवधि के लिये चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि कोई कर्मचारी अध्ययन-अवकाश की अवधि के बाद सेवा पर पुनः उपस्थित हुए बिना ही सेवा-निवृत्त किया जा रहा हो तो उसका अध्ययन-भत्ता रोक लिया जावेगा। उसका अध्ययन-अवकाश उसके अपने लेखे में सेवा-निवृत्ति के अन्तिम दिन तक बकाया सामान्य अवकाशों की सीमा तक सामान्य अवकाशों में परिवर्तित किया जावेगा। यदि उपरोक्त वर्णित अध्ययन अवकाश का कुछ भाग ऐसा शेष रह जावे जिसे इस प्रकार बदला नहीं जा सकता हो तो उसे पेन्शन की गणना के लिये सेवा से निकाल दिया जावेगा।

नियम 119–अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क :—जिन कर्मचारियों को अध्ययन-अवकाश स्वीकृत किया जाता है उनको सामान्यतः अध्ययन का पाठ्यकम-शुल्क आदि स्वयं [illegible] कराना या वहन करना होगा। केवल अपवाद-स्वरूप मामलों में ही सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को सहमत होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि [illegible] को जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है- अपने वेतन के अतिरिक्त कोई [illegible] जो उसे राजकीय अथवा गैर राजकीय स्त्रोतों से मिलती है, स्वीकार करने तथा [illegible] दी जा सकती है।

मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निम्न-अंकित [illegible]—

(1) एक कर्मचारी जिसे अध्ययन का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के [illegible] विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन-अवकाश [illegible]

के अतिरिक्त किसी भी ऐसी छात्रवृत्ति अथवा अन्यतम-वृत्ति प्राप्त करने तथा उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती है जो उसे राजकीय अथवा गैर-राजकीय स्त्रोतों से प्राप्त होती है।

(ii) जहा कर्मचारी अध्ययन-अवकाश छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति (किसी भी स्त्रोत से स्वीकृत) प्राप्त करता हो वहा अध्ययन-अवकाश सम्बन्धी नियम 119 के अन्तर्गत अध्ययन-पाठ्यक्रम शुल्क आदि का व्यय नही दिया जाना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 13 जनवरी, 1960 (उक्त अंकित राजकीय निर्णय सख्या 1) के क्रम में यह आदेश दिया जाता है कि एक कर्मचारी को जिसे अध्ययन-अवकाश काल मे छात्र-वृत्ति अथवा अध्ययन-वृत्ति, किसी भी स्त्रोत से, प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, उसे साधारणतया कोई अध्ययन-भत्ता स्वीकृत नही किया जाना चाहिये। किन्तु विशेष परिस्थितियों में जहा पर छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति की मूल राशि (उनकी छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति की राशि मे से शिक्षण शुल्क काटकर) स्वीकृत अध्ययन-भत्ते की उस राशि से कम है जो उसे छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति प्राप्त करने के कारण नही प्राप्त हो सकी, तो उसे छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति की मूल राशि तथा अध्ययन भत्ते की राशि का अन्तर विशेष स्वीकृति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 120–पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्रः—किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर एक प्रमाण-पत्र कर्मचारी द्वारा सरकार को भेजा जावेगा जिसके साथ उत्तीर्ण परीक्षा अथवा विशेष-अध्ययन का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावेगा।

नियम 121–पदोन्नति एवं पेन्शन के लिये अध्ययन-अवकाश अवधि की गणनाः—अध्ययन अवकाश पदोन्नति अथवा पेन्शन के लिए सेवा अवधि के रूप मे समझा जावेगा किन्तु इ का प्रभाव कर्मचारी के नाम अवशेष किसी भी अवकाश पर नही पड़ेगा। यह अर्द्ध-वेतन पर अतिरिक्त अवकाश के रूप में गिना जावेगा तथा खण्ड-दो के नियमो के अधीन स्वीकृत अधिकतम अवधि के अर्द्ध-वेतन अवकाश की फलावट में सम्मिलित नही किया जावेगा,

[एफ. 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दिनाक 26-5-78 द्वारा 1-9-76 से संशोधित]

नियम 121-ए—राजकीय सेवा जिसके लिये बाध्य-पत्र भरना है:—राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य अध्ययन-अवकाश का उपभोग जो कर्मचारी प्रशिक्षण के लिये करते हैं उन्हें प्रशिक्षण समाप्त होने पर निम्न-अंकित अवधि के लिये राज्य सेवा करने का एक बाध्य-पत्र भरना चाहिये।

अध्ययन अवकाश की अवधि	बाध्य-पत्र की अवधि
3 माह	1 वर्ष
6 माह	2 वर्ष
1 वर्ष	3 वर्ष
2 वर्ष	5 वर्ष

बाध्य-पत्र का प्रपत्र राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ठ-XVIII के अनुसार होना चाहिये।

राजकीय निर्णयः—जिन कर्मचारियो को अध्ययन-प्रयोजनों के लिए अध्ययन-अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है तथा जो ऐसे अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही सेवा से त्यागपत्र दे देते है या सेवा मुक्त हो जाते

हैं या अपनी सेवा पर लौटने के बाद निर्धारित समय में ही किसी भी समय त्याग-पत्र दे देते हैं या सेवा-निवृत्त कर दिये जाते है, उनसे दण्ड की राशि वसूल किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले मे वसूल की जाने वाली राशि, अवकाश-वेतन, अध्ययन-भत्ता तथा शुल्क, यात्रा एवं अन्य भत्तों का व्यय जो राज्य कर्मचारी को उसके अध्ययन-अवकाश की अवधि में दिया जावेगा या जो उस पर अन्यथा रूप से व्यय किया जावेगा उससे दुगुनी होगी तथा उससे ब्याज सहित वसूल करनी होगी। इस कार्य के लिये नियम 121-ए के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश के लिये निर्धारित बाध्य-पत्र भरना होगा जो परिशिष्ट xviii में दिया हुआ है। यह बाध्य-पत्र इसके साथ प्रपत्र (क) एव (ख) मे भरवा कर लिया जावेगा।

अध्ययन-अवकाश नियमों मे शिथिलता करते हुए यदि एक अस्थाई कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है जो उससे भी दण्ड की वही राशि वसूल की जावेगी जो उपरोक्त अनुच्छेद-1 मे वर्णित है।

ऐसे प्रकरण भी हो सकते है जिनमे अस्थाई कर्मचारियों को भारत मे या विदेश मे अध्ययन के लिये अन्य नियमित अवकाश के साथ नियमो मे शिथिलता करते हुए विशेष प्रकार के मामलों मे असाधारण अवकाश, उनसे लिखित मे इस प्रकार के बाध्यपत्र भरने पर कि उन्हे उनके अवकाश समाप्त होने के बाद निर्धारित समय तक राज्य सेवा करनी होगी, स्वीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय भी किया गया है कि ऐसे मामले में राज्य कर्मचारियों से लिखित मे एक बाध्य-पत्र (परिशिष्ट-xviii के प्रपत्र (ग) मे) अवकाश स्वीकृत किये जाने से पूर्व भरा लेना चाहिए। ऐसे मामले के बाध्य-पत्र मे प्रपत्र मे भरी जाने वाली दण्ड की राशि उपरोक्त अनुच्छेद मे वर्णित राशि के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण संख्या 1 :—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि एक कर्मचारी जिसे भारत में अथवा विदेश मे अध्ययन के लिये अन्य प्रकार के नियमित अवकाश के साथ-साथ इस नियम मे शिथिलता करते हुए अध्ययन-अवकाश भी, विशेष स्थिति मानकर, स्वीकृत किया जाता है तथा जो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा पर लौटे बिना ही त्याग-पत्र दे देता है या सेवा-निवृत्त हो जाता है या सेवा पर आने के बाद में निर्धारित समय मे कभी भी त्याग-पत्र दे देता है या सेवा-निवृत्त हो जाता है तो उसे दण्ड देने की राशि किस आधार पर निश्चित की जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत मे या विदेशो मे अध्ययन के लिये सेवा नियम 96 (ख) में शिथिलता करते हुए जिन अस्थाई-कर्मचारियो को असाधारण-अवकाश स्वीकृत किया गया है, उनके बाध्य-पत्र मे दण्ड की राशि वही भरी जावेगी जो अस्थाई-कर्मचारी के द्वारा लिये गये अन्य नियमित अवकाशो के अवकाश-वेतन की राशि तथा असाधारण अवकाश पर रहने के कारण उसके अवकाश काल से रिक्त हुए पद पर कार्य करने के लिये अन्य व्यक्ति की नियुक्ति पर हुए व्यय की राशि दोनो को मिलाकर दुगुनी होगी।

स्पष्टीकरण संख्या 2 :—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या नियम 121–ए के अन्तर्गत राजकीय निर्णय तथा उसके अधीन स्पष्टीकरण के अनुसार भारत मे या भारत से बाहर अध्ययन के लिये देय एव स्वीकार्य अन्य नियमित अवकाश, यदि कोई हो, के क्रम में सेवा नियम 96 (ख) में शिथिलता करते हुए दीर्घ अवधि के असाधारण-अवकाश के स्वीकृत करने पर अस्थाई सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बाध्य-पत्र के साथ किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रतिभूति (जमानत) के रूप मे मागे जाय कि यदि कर्मचारी अपनी ओर से दण्ड की राशि चुकाने मे असफल रहा तो वे सरकारी उत्तरदायित्व पूरा करेंगे।

यह निश्चित किया गया है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बाध्य-पत्र के दायित्वो को पूरा करने हेतु निश्चित करने के लिये, बाध्य-पत्र के साथ-साथ दो स्थाई ऐसे कर्मचारियों की जमानत लेनी चाहिये जो उस कर्मचारी, जिसे उक्त नियमों मे छूट देकर असाधारण-अवकाश स्वीकृत किया गया है, के बराबर या उससे

स्तर के हों। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23 अप्रैल, 1961 द्वारा (उपरोक्त अनुच्छेद-1 में) निर्दिष्ट बान्ड-पत्र को निरस्त कर बान्ड-पत्र का एक नया प्रारूप सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट-XVIII में सम्मिलित किया गया है।

स्पष्टीकरण :—राजस्थान सेवा नियम 121-ग के अनुसार सरकारी कर्मचारी जिन्हें भारत में अथवा भारत से बाहर अध्ययन के लिये अध्ययन-अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत हो गया है, उन्हें निर्दिष्ट अवधि तक राजस्थान सरकार की सेवा करने का एक बान्ड-पत्र भरने का कहा जाता है। बान्ड-पत्र का प्रपत्र सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट XVIII एवं XVIII (ए) में सम्मिलित है जो नियम 51 के साथ संलग्न है।

राजस्थान में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों को स्थानान्तरित करने के फलस्वरूप अध्यापक वर्ग की सेवायें, जो महाविद्यालयों में सेवारत थे, विश्वविद्यालय को सौंप दी गई जो तथा अध्यापक वर्ग अभी भी सरकार की सेवा करने के बान्ड-पत्र के अधीन थे। मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित नियमों की शर्तों के अनुसार भरवाये गये बान्ड-पत्र के प्रयोजनार्थ उक्त अध्यापक वर्ग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई सेवायें सरकार के अधीन की गई सेवाओं के रूप में मानी जायेंगी।

उपरोक्त अनुच्छेद-2 में वर्णित निर्णय उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो अपनी इच्छा से भर्ती के लिये आवेदन करते हैं तथा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में अथवा मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त किये जाते हैं।

खण्ड–7 परिवीक्षाधीन एवं शिक्षार्थियों को अवकाश

नियम 122 :—एक परिवीक्षाधीन को उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार देय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह परिवीक्षाधीन होने के अतिरिक्त अन्यथा रूप में अपने स्थाई पद को धारण करता है। यदि किसी कारण से परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव हो तो उसे किसी भी प्रकार का स्वीकृत किया हुआ अवकाश उस तिथि से आगे का नहीं होना चाहिये जिस तक उसके पूर्व में स्वीकृत अथवा बढ़ाये गये परिवीक्षा-काल का समय समाप्त नहीं होता अर्थात स्वीकृत किया हुआ अवकाश उस तारीख से आगे का नहीं होना चाहिये जिसको उस कर्मचारी की सेवा, नियुक्ति करने वाले सक्षम-अधिकारी के आदेशों द्वारा, समाप्त कर दी जाती है।

टिप्पणी :—विश्राम-कालीन विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर इस सम्बन्ध में सेवा-नियम 92 (2) के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या–2 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

नियम 123 शिक्षार्थियों को अवकाश :—एक शिक्षार्थी को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अथवा असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो एक स्थाई सेवा में नियुक्त किये सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है।

खण्ड–8 अंशकालीन सेवारत कर्मचारियों द्वारा उपार्जित अवकाश का उपार्जन

नियम 124 :—शिक्षण संस्थाओं में अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि-अधिकारियों को, जो वेतन की निश्चित दर पर पद धारण किए हुए हैं किन्तु जो पूर्ण-समय के लिये सरकारी सेवा में नहीं रखे जाते हैं, उन्हें अवकाश निम्न-प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा :—

(क) उस संस्था के विश्रामकाल में, जिसमें ऐसे अध्यापक या उस न्यायालय के विश्रामकाल से जिसके नियन्त्रण में विधि-अधिकारी कार्य करते हैं, उन्हें अवकाश पूर्ण-वेतन पर

दिया जावेगा, यदि उसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नही करना पड़ता हो। ऐसा अवकाश कर्त्तव्य के रूप में गिना जावेगा।

(ख) 6 वर्ष की सेवा के बाद उसे सेवा में अधिकतम तीन माह का अर्द्ध-वेतन अवकाश दिया जा सकेगा।

(ग) चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी एक समय में अधिकतम दो माह के अर्द्ध-वेतन पर अवकाश दिया जा सकेगा यदि चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर पूर्व में लिये गये अवकाश तथा बाद में चाहे गये अवकाश के बीच दो वर्ष का समय हो चुका हो।

(घ) नियम 96 में अंकित शर्तों के आधार पर असाधारण-अवकाश।

नियम 125 :—नियम 124 के किसी भी एक खण्ड के अन्तर्गत लिया गया अवकाश किसी दूसरे खण्ड के अन्तर्गत लिये गये अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

नियम 126 :—एक राज्य-कर्मचारी जो मानदेय अथवा दैनिक-पारिश्रमिक (डेली-वेजेज) द्वारा अपना भुगतान प्राप्त करता है, उसे सेवा नियम 124 एवं 125 में अंकित शर्तों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह अपने कार्य को निष्पादित करने का सन्तोषजनक प्रबन्ध कर देवे तथा इसके कारण कोई अतिरिक्त व्यय नही करना पड़े तथा नियम 124 (ख) में उल्लिखित प्रकृति के अवकाश, उसका कुल मानदेय अथवा दैनिक-पारिश्रमिक उस व्यक्ति को दिया जावे जो उसके स्थान पर कार्य करे।

अध्याय 12

कार्य-ग्रहण-काल

नियम 127 : कार्य-ग्रहण-काल कब स्वीकृत होता है:—किसी भी राज्य-कर्मचारी को निम्न-प्रयोजनों के लिये कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया जा सकेगा;

(क) एक ऐसे नये पद पर कार्य-ग्रहण करने के लिए जिस पर वह कर्मचारी अपने पुराने-पद पर कार्य करते हुए नियुक्त किया गया है या अपने उस पद का कार्यभार सम्भला कर सीधे दूसरे पद पर कार्य-ग्रहण के लिए प्रस्थान करता है।

(ख) (i) उपार्जित अवकाश से वापिस लौटने पर नये-पद पर उपस्थिति के लिये, अथवा

(ख) (ii) उप खण्ड (i) में वर्णित अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश से लौटने पर, अपनी नई नियुक्ति की पर्याप्त समय पूर्व सूचना नही होने की स्थिति में, नये पद पर उपस्थिति देने के लिये।

टिप्पणी संख्या 1:—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 8 (17) आर./55 दिनाक 10 अगस्त, 1955 द्वारा विलोपित।

टिप्पणी संख्या 2:—प्रशिक्षण प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने के बाद शीघ्र ही यदि एक कर्मचारी उसी पूर्व के स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से पद-स्थापन तक पहुंचने के लिए जो उचित समय आवश्यक हो, उसे "प्रशिक्षण-काल का अंश" ही समझा जाना चाहिए। यह नियम प्रशिक्षण पदो को धारण करने वाले परिवीक्षाधीनो पर प्रभावी नही होता है। उनको उनके स्थानान्तरण पर "स्थानान्तरित किया" हुआ समझा जायेगा। ऐसे परिवीक्षाधीन को प्रशिक्षण समाप्ति पर पद-स्थापन के लिए स्थानान्तरण पर "कार्य-ग्रहण-काल" की सुविधा मिलेगी।

स्पष्टीकरण:—नियम 127 के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या-2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से एवं समाप्त होने के बाद यदि एक कर्मचारी उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से पद-स्थापन के नये स्थान तक पहूचने के लिये जो उचित समय हो उसे "प्रशिक्षण-की-अवधि-का-एक-भाग" समझा जाना है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या प्रत्येक मामले मे कार्य-ग्रहण-काल के वास्तविक समय को प्रशिक्षण के एक भाग के रूप मे उसे ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है जो कर्मचारी को प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त करने मे सक्षम हो। प्रश्न पर विचार कर लिया गया है। ऐसे कार्य-ग्रहण-काल के समय को प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में समझे जाने के पृथक आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नही है। किन्तु सक्षम-प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त करने की स्वीकृति के आदेशो में ही इस सम्बन्धी एक प्रावधान सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये कि "अधिकारी सेवा-नियम 127 के प्रावधानो के अनुसार यात्रा मे लगने वाले समय के बारे मे कार्य-ग्रहण-काल का उपयोग कर सकता है।" इस प्रकार के प्रावधान करने से कार्य-ग्रहण-काल का समय नियम 127 के अन्तर्गत टिप्पणी के प्रयोजनों के लिये प्रशिक्षण के रूप मे समझा जावेगा।

राजकीय निर्णय:—सेवा नियम 127 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् शीघ्र ही यदि कर्मचारी किसी पद पर नियुक्त हो जाता है तो प्रशिक्षण स्थान से पद-स्थापन के स्थान तक पहूंचने के लिये आवश्यक एवं उचित समय की अवधि को प्रशिक्षण के भाग के रूप मे माना जाता है तथा ऐसे मामले मे कोई भी "कार्य-ग्रहण-काल" नही दिया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त अंकित टिप्पणी उन मामलो मे भी प्रभावी होगी जहा पर कर्मचारी प्रशिक्षण की समाप्ति पर ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाता है जो उसके प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करने वाले स्थान से भिन्न है।

प्रश्न पर विचार कर निर्णय किया गया है कि उक्त टिप्पणी उपरोक्त मामलो पर लागू नही होगी। ऐसे मामलो मे कर्मचारी को पूर्ण "कार्य-ग्रहण-काल", प्रशिक्षण स्थान से उस स्थान के लिये दिया जाना चाहिये जहा पर वह अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है न कि उस स्थान से फलाया जाना चाहिये जिससे वह पूर्व मे प्रशिक्षण के लिये रवाना हुआ था।

दृष्टांत :—एक महिला चिकित्सक जो जोधपुर की जसवंत डिस्पेन्सरी में नियोजित थी, को लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में 13 सप्ताह के प्रशिक्षण पर भेजा गया। महिला चिकित्सक को संस्थान से प्रशिक्षण की समाप्ति पर दिनाक 13-7-1979 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया गया। प्रशिक्षण की समाप्ति के तीन दिन पूर्व उनके भरतपुर राजकीय प्रसूती गृह में नियोजित करने के आदेश प्राप्त हो चुके थे। महिला चिकित्सक को देय एवं स्वीकार्य कार्य-ग्रहण-काल कितना मिलेगा ?

राजस्थान सेवा नियम 127 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुसार महिला चिकित्सक को उतना ही कार्य-ग्रहण-काल मिलेगा जितना राजहित में स्थानान्तरण होने पर एक अधिकारी को देय होता है। अतः वह निम्न-प्रकार कार्य-ग्रहण-काल के उपभोग करने की अधिकारी होगी—

1.	यात्रा की तैयारी के लिये	6 दिवस	नियम 129
2.	रेल मार्ग से यात्रा के लिये (जयपुर से भरतपुर)	1 दिवस	नियम 129 (क)
3.	रविवारों को (14 तथा 22 जुलाई के) छोड़ने पर	2 दिवस	नियम 129 (घ)
		कुल 9 दिवस	

महिला चिकित्सा अधिकारी को 23-7-79 को भरतपुर में नवीन पद पर कार्य-ग्रहण करना होगा।

टिप्पणी संख्या 3:—यदि कोई राज्य-कर्मचारी अपने उपार्जित अवकाश मे एक ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जो अपने अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व वाले पद से भिन्न हो तो वह नियम 129 के अन्तर्गत पूर्ण "कार्य-काल-ग्रहण" प्राप्त करने का अधिकारी होगा चाहे सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरण के आदेश किसी भी तारीख को प्राप्त किये गये हों। यदि कर्मचारी को ऐसे अवकाश की समाप्ति से पूर्व स्वीकार्य पूर्ण "कार्य-ग्रहण-काल" से पूर्व ही अपने नये पद पर उपस्थित होना हो तो जितना भी समय बचेगा उसे "कम अवकाश उपभोग किये गये" समय के रूप में समझा जाना चाहिये तथा उसके समान स्वीकृत अवकाश को कम कर देना चाहिये। यदि किसी मामले में कर्मचारी उसे स्वीकार्य कार्य-ग्रहण-काल का पूर्ण उपभोग नही करना चाहता हो तो ऐसी अवधि का, अवकाश के समय तथा उपस्थिति के समय के रूप मे, समायोजन कर दिया जाना चाहिये।

दृष्टान्त :—श्री गगानगर शुगर मिल के मुख्य-कार्यकारी-अधिकारी जयपुर में 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का उपभोग. दिनाक 13-6-79 से कर रहे थे। उनको 2-7-79 को राज्यादेश प्राप्त होता हे जिसके

द्वारा उनको बांसवाड़ा में जिला निदेशक अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। अधिकारी बांसवाड़ा में 16–7–79 को नये पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है और जिलाधीश, बांसवाड़ा को निवेदन करता है कि उनको स्वीकृत 30 दिवस के उपार्जित अवकाश में से 12 दिवस का अवकाश निरस्त कर दिया जावे और उन्हें 3–7–79 के अपरान्ह से "कार्य-ग्रहण-काल पर" माना जावे। श्री गंगानगर से रतलाम 1055 की. मी. रेल से तथा रतलाम से बांसवाड़ा सड़क से 80 की. मी. है। क्या अधिकारी का निवेदन नियमानुसार उचित है?

राजस्थान सेवा नियम 127 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (3) के अनुसार अधिकारी को 30 दिवस के उपार्जित अवकाश की समाप्ति से पूर्व नियम 129 के अनुसार पूर्ण "कार्य-ग्रहण-काल" प्राप्त हो सकता है। नियमानुसार अधिकारी निम्न-प्रकार कार्य-ग्रहण-काल प्राप्त कर सकता है:—

1.	यात्रा की तैयारी के लिये	6 दिवस (नियम 129)
2.	रेल मार्ग से यात्रा के लिये	3 दिवस (नियम 129 (क) तथा (ख)
3.	सड़क मार्ग से यात्रा के लिये	1 दिवस (नियम 129 (क)
4.	रविवारों की एवज में	2 दिवस (नियम 129 (घ)
		कुल 12 दिवस

इस प्रकार अधिकारी 12 दिवस के "कार्य-ग्रहण-काल" का हकदार है। अत: नियम 127 के राजकीय निर्णय संख्या (3) के अनुसार 30 दिवस के उपार्जित अवकाश मे से 12 दिवस का अवकाश जिलाधीश बांसवाड़ा निरस्त कर सकते हैं।

टिप्पणी संख्या 4:—यदि विश्राम-काल के साथ अवकाश लिया गया हो तथा विश्राम-काल एवं अवकाश का समय दोनों मिलाकर 4 माह से अधिक न हो तो नियम 127 (ख) (i) के अनुसार "कार्य-ग्रहण-काल" नियमित किया जाना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 5:—प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करने से पूर्व या उसके बाद में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नही किया जाना चाहिये क्योंकि इसका अर्थ सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट-1 के आकस्मिक अवकाश के भाग-3 के अनुच्छेद (1) एवं (2) के अभिप्राय के अनुसार नियमों का उल्लंघन होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि राजस्थान सेवा नियम 127 के अन्तर्गत एक अधिकारी को कार्य-ग्रहण-काल क्या नये पद पर उपस्थित होने के लिये मिल सकता है जो अवकाश की समाप्ति पर या अन्यथा रूप से अपनी नियुक्ति के आदेशो की प्रतीक्षा ऐसे स्थान पर करता है जहा पर उस द्वारा अवकाश का उपभोग किया गया था तथा जो सेवा का अन्तिम स्थान था एव जो सेवा नियम 7 (8) (ख) (v) के अन्तर्गत "कर्त्तव्य" के रूप में माना जाता है।

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 127 के अन्तर्गत कार्य-ग्रहण-काल तथा नियम 138 के अन्तर्गत कार्य-ग्रहण-काल-का-वेतन, दोनो ही, ऐसे मामले मे प्राप्त होगे। कार्य-ग्रहण-काल पद स्थापना आदेशो के जारी होने की तारीख से गिना जाना चाहिये। आदेश जारी करते समय सक्षम-प्राधिकारियों को आदेशों मे यह उल्लेख करना चाहिये कि क्या तैयारी के लिये पूर्ण-समय अर्थात् 6 दिन का समय, जो नियम 129 के अन्तर्गत देय है, स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस प्रकार के मामले जिनमें यात्रा-की-तैयारी के लिये कार्य-ग्रहण-काल में कमी करना उचित हो, तो उस अधिकारी को पूर्व मे ही सूचित कर देना चाहिये कि उसकी नियुक्ति दूसरे स्थान पर की जानी है।

राजकीय निर्णय संख्या 2 :—कुछ समय पूर्व से ही सरकार के विचाराधीन यह मामला चल रहा था कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप या साक्षात्कार के फलस्वरूप, जिसमें कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते थे, सरकार के अन्तर्गत पदो पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें कितना "कार्य-ग्रहण-काल" अथवा "कार्य-ग्रहण-काल-वेतन" दिया जाना चाहिये। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में "कार्य-ग्रहण-काल" एव 'कार्य-ग्रहण-काल-वेतन" निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेगा :—

(क) कार्य-ग्रहण-काल सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी कर्मचारियों को साधारण रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिये, एव यह कि,

(ख) जब तक कर्मचारी सरकार के अधीन स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य नही कर रहा हो उसे कोई कार्य-ग्रहण-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

जहा उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत कार्य-ग्रहण-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाता है वहा उन्हें यात्रा-भत्ता नियमो के अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी स्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 3 :—वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 31 जनवरी, 1961 (उक्त निर्णय सख्या-2) के अतिक्रमण मे यह निर्णय किया गया है कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप या साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप जिनमे राज्य कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति भी भाग ले सकते है, जब राज्य सरकार के अन्तर्गत पदो पर नियुक्त किये जाते है तो उन्हे कार्य-ग्रहण-काल तथा उसका वेतन निम्न-प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिये :—

(क) सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी कर्मचारियो के लिये साधारणतया कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय एव अन्य राज्यों के उन कर्मचारियो के लिये भी कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया जाना चाहिये जो वहा स्थाई पदों पर स्थाई रूप से कार्य करते हो, एव

(ख) जब तक एक सरकारी कर्मचारी उस सरकार के अधीन स्थाई रूप से उस पद पर कार्य नही करता हो, उसे कोई कार्य-ग्रहण-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

(ग) "कार्य-ग्रहण-काल-" एव 'कार्य-ग्रहण-काल-वेतन' एक ऐसे कर्मचारी को भी स्वीकार किया जावेगा जो अस्थाई रूप में अथवा तदर्थ रूप मे एक सवर्ग के पद को धारण कर रहा है तथा संबधित सेवा नियमों के अनुसार नियमित चयन के बाद तद्नुसार स्थायी आधार पर राजस्थान सरकार के अधीन, नियुक्ति मे बिना किसी व्यवधान के उसी सवर्ग मे तथा पद पर, नियुक्त किया गया है।

राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार स्थानान्तरण के लिये यात्रा-भत्ता भी ऐसे प्रकरणो मे स्वीकृत किया जाना चाहिये, जब खण्ड (ख) के अनुसार कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया गया है एव खण्ड (ग) के अनुसार कार्य-ग्रहण-काल-वेतन स्वीकृत किया गया है तथा खण्ड (ग) के अनुसार कार्यवाही की गई हो।

उक्त निर्णय दिनाक 1 नवम्बर, 1956 से प्रभावशील समझा जावेगा।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (51) वि. वि. (नियम) 72 दिनांक 17 नवम्बर, 1972 द्वारा खण्ड (ग) का अन्तिम अनुच्छेद प्रति-स्थापित किया गया है।]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—जो अस्थाई कर्मचारी एक विभाग से सस्थापन में कटौती किये जाने के

कारण सेवा-मुक्त कर दिया गया तथा उसे किसी अन्य विभाग मे पुनः नियुक्त कर लिया गया है, तो उसे निम्न-अंकित सुविधाए प्रदान की जा सकती हैं:—

(1) यदि नये पद पर नियुक्ति के आदेश सम्बन्धित कर्मचारी ने उस समय प्राप्त किये हो जब वह पूर्व के पद पर कार्य कर रहा है अथवा "सेवा-समाप्ति-अवकाश (टरमीनल-लीव) पर हो तो । ऐसे कर्मचारी के स्थ नान्तरण पर कार्य-ग्रहण-काल एवं यात्रा-भत्ता स्वीकृत किया जावेगा जहां पर नियुक्ति-प्राधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि कर्मचारी का स्थानान्तरण सार्वजनिक-हित की दृष्टि से किया गया है तथा सरकार के अधीन पूर्व मे की गई सेवाये उसके नये पद की नियुक्ति के लिये आवश्यक है । जहा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र नही दिया जा सकता है वहा कोई कार्य-ग्रहण-काल एव यात्रा-भत्ता आदि स्वीकृत नही किया जावेगा । किन्तु सेवा मे यदि कोई व्यवधान हो गया है तो उस सेवा को निरन्तर बनाने के उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है किन्तु व्यवधान का समय सेवा नियम 12 के अन्तर्गत देय कार्य-ग्रहण-काल की अवधि से अधिक नही होना चाहिये ।

(2) यदि कर्मचारी अपनी नियुक्ति के आदेश अपने पुराने पद से मुक्त किये जाने के पश्चात या सेवा-समाप्ति-अवकाश की समाप्ति के पश्चात शीघ्र ही अन्य ऐसे विभाग/कार्यालय के लिये प्राप्त करता है तथा वह अपने नये पद पर विना किसी विलम्ब के उपस्थित हो जाता है तो उसे कोई कार्य-ग्रहण-काल या यात्रा-भत्ता स्वीकृत नही किया जावेगा । किन्तु उसकी सेवा को निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से सेवा के व्यवधान को जोड़ा जा सकता है यदि व्यवधान की अवधि सेवा नियम 127 के अन्तर्गत देय कार्य-ग्रहण-काल की अवधि से अधिक नही हो ।

(3) उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत करने अथवा उस काल के समान सेवा का व्यवधान जोड़ने के लिये, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम-प्राधिकारी सेवा नियम 135 एव 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए कार्य-ग्रहण-काल को 30 दिन तक बढ़ा सकता है । सभी मामले जिनमे सेवा का व्यवधान 30 दिन से अधिक का हो एव जिनमे व्यवधान का जोड़ा जाना उचित हो अथवा उस समय का कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया जाना हो तो ऐसे मामले वित्त विभाग को, उचित माध्यम द्वारा, निर्णय हेतु भेजे जाने चाहिये ।

(4) ऐसे सभी मामलो में जिनमे सेवा का व्यवधान जोड़ा गया हो तो वहाँ उस सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में व्यवधान को, जोड़ने वाले प्राधिकारी द्वारा इसका उल्लेख करते हुए प्रविष्टी की जानी चाहिये ।

(5) जव संस्थापन में कटौती के कारण सेवा-मुक्त किया गया कर्मचारी पुनः नियुक्त किया जाता है तथा उसके सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, जोड़ दिया जाता है तो उसकी पूर्व की सेवाये (किन्तु इसमे व्यवधान समय सम्मिलित नही होगा) नये कार्यालय मे व ीता के निर्धारण मे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण नियमों या निर्देशों के अनुसार गिनी जावेगी । व्यवधान को जोड़ने से सेवा नियम 188-क की शर्तों के आधार पर कर्मचारी की पूर्व की अस्थाई सेवायें पेन्शन के लिये योग्य मानी जावेगी ।

राजकीय ज्ञापन :—सरकार के ध्यान में यह आया है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कार्य-भार सम्भालने वाला कर्मचारी जिस पद पर स्थानान्तरित हुआ है उस पर कार्यभार-सम्भालने के लिये कर्त्तव्य पर

उपस्थित हो जाता है किन्तु किसी न किसी कारण से कार्यालय-अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष या कार्य सम्भलाने वाला कर्मचारी जानबूझ कर विलम्ब करते है तथा कार्य-भार सम्भलाने से बचना चाहते है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निश्चित किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने पर कार्यभार सम्भाल्ने वाले के आगमन पर वह शीघ्र ही सम्भलाया जाना चाहिये। यदि कार्यभार सम्भलाने मे कोई जानबूझ कर विलम्ब किया जाता है तो कार्य-भार सम्भलाने वाले कर्मचारी को उस समय तक असाधारण-अवकाश पर समझा जावेगा जब तक उस अवकाश की अवधि को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कार्यभार सम्भलाने वाले कर्मचारी द्वारा पदभार-ग्रहण करने की तारीख से स्वीकृत नही कर दिया गया हो।

नियम 128 :—पद-स्थान परिवर्तन नहीं होने पर कार्य-ग्रहण-काल :—जहां एक पद से नये पद पर स्थानान्तरित होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदभार ग्रहण किया जावे और निवास स्थान नही बदला जाना हो वहां पर नये पद पर उपस्थित होने के लिये एक दिन से अधिक का कार्य-ग्रहण-काल नही दिया जाना चाहिये। इस नियम के प्रयोजनों के लिये एक अवकाश का दिन भी एक-दिन के रूप मे गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण संख्या 1:—एक मामला सरकार को ऐसा भेजा गया है जिसमे एक अधिकारी के एक पद के कार्यभार सम्भलाने के बाद राजपत्रित-अवकाश आता है तथा जहा नये पद पर नियुक्ति से निवास स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसका पदभार-ग्रहण-काल किस प्रकार नियमित किया जावेगा अधिकारी ने अपने पद का कार्य-भार मध्यान्ह पश्चात् सौप दिया था।

मामले की जाच की गई तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पद-भार-मुक्त होने के बाद प्रथम दिन के अवकाश को नियम 128 के अनुसार "कार्य-ग्रहण-काल" के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है तथा बाद के शेष अवकाशो की अवधि को नियम 63 के अनुसार कार्य-ग्रहण-काल के बाद आया हुआ अवकाश समझना चाहिये। बाद के अवकाशो का वेतन एवं भत्ते नियम 63 (ख) के अनुसार दिये जाने चाहिये।

जो मामले इससे पूर्व अन्य प्रकार से तय किये जा चुके हे उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता नही है।

दृष्टान्त :—जयपुर में कार्यरत जलदाय विभाग के एक अधिशाशी-अभियन्ता का स्थानान्तरण राज्यहित में मुख्य अभियन्ता कार्यालय से सर्वे एवं निर्माण डिवीजन कार्यालय (जो मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से 6 की. मी. दूर जयपुर में ही स्थित है) में किया गया। अधिकारी ने पुराने पद का कार्यभार 15-9-79 शनिवार को मध्यान्ह पूर्व संभलाया। उसे नये पद पर कब ज्वाईन करना चाहिए था। अधिशाशी-अभियन्ता ने 17-9-79 सोमवार को नये कार्यालय में पदभार ग्रहण किया था।

राजस्थान सेवा नियम 128 के अनुसार अधिशाशी अभियन्ता को 15-9-79 को ही मध्यान्ह पश्चात नये कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लेना चाहिए था। रविवार तो दूसरा दिन होता है जो नियम 128 के अनुसार "एक दिन के पदभार-ग्रहण-काल" में सम्मिलित नहीं होगा। केवल शनिवार का दिन ही "कार्य-ग्रहण-काल" के रूप में उपलब्ध होगा। यह हो सकता है कि सेवा नियम 128-ए के अनुसार रविवार को नियमित कर दिया जावे।

स्पष्टीकरण संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियम 128 मे प्रयुक्त शब्द "नये-पद" के समुचित उपयोग के बारे में सन्देह प्रकट किये गये है। मामले की समीक्षा कर यह स्पष्ट किया जाता है कि शब्द "नये-पद" जो इस नियम मे प्रयुक्त हुआ है कि कोई परिभाषा आवश्यक नही है। यह सक्षम-प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए यह विचार करे कि "कार्य-ग्रहण-काल" दिया जाना चाहिये अथवा

नही और जब कार्य-भार-विवरण उचित माध्यम से प्राप्त होता है तो आडिट विभाग के लिये यह उचित होगा कि वह यह विवेचन करे कि नये पद के लिये "कार्य-ग्रहण-काल" की अवधि के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी सन्तुष्ट है। निम्न-अंकित निर्देशनो/सिद्धान्तों को सक्षम-अधिकारियो को निर्णय में सहायता देने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाता है ताकि वे इस नियम के अन्तर्गत किसी विशेष मामले मे कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय सही रूप से कर सके।

(क) स्थानान्तरण मे औपचारिक कार्यभार लेना/देना एव इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना हो,

(ख) नया पद एक ऐसे कार्यालय मे है जो उससे भिन्न है जिस विभाग से कर्मचारी का स्थानान्तरण किया गया है।

(ग) यद्यपि दोनों पद एक ही कार्यालय की दो विभिन्न शाखाओं में है किन्तु स्थानान्तरण मे जो "परिवर्तत" भावना निहित है वह शाखा पर्याप्त दूरी पर स्थित है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (24) वि. वि (नियम) 72 दि. 27 जून, 1972 द्वारा निविष्ट]

नियम 128-ए :—जब "कार्य-ग्रहण-काल" के पश्चात् अवकाश आते हों तो सामान्तया कार्य-ग्रहण-काल उन अवकाश/अवकाशों की सीमा तक बढ़ाया हुआ समझा जावेगा।

नियम 129—देय (प्राप्य) "कार्य-ग्रहण-काल" को अवधिः—एक स्थान से नये पद का कार्य-भार सम्भालने की तैयारी के लिये 6 दिवस का समय तथा इसके साथ वास्तविक यात्रा का समय स्वीकृत किया जाता है जो निम्न-प्रकार से गिना जावेगा :—

(क) एक राज्य कर्मचारी को निम्न-अंकित दूरी तक यात्रा करने के लिये प्रत्येक प्रकार के मामले में एक-एक दिन का समय दिया जावेगाः—

1. रेल मार्ग द्वारा	500 किलोमीटर	प्रतिदिन	
2. समुद्री मार्ग से जहाज द्वारा	350	„	„
3. नदी मार्ग से जहाज द्वारा	150	„	„
4. सार्वजनिक रूप से किराये पर चलने वाली मोटरकार या बस द्वारा	150	„	„
5. किसी अन्य मार्ग द्वारा	25	„	„

(ख) उक्त खण्ड (क) में वर्णित यात्रा के किसी अंश (फ्रेकशन) की दूरी के लिये भी एक अतिरिक्त दिन स्वीकृत किया जावेगा।

(ग) यात्रा के प्रारम्भ या अन्त में रेल्वे स्टेशन पर या से 8 किलोमीटर तक की यात्रा "कार्यग्रहण-काल" के लिये नही गिनी जावेगी।

(घ) इस सम्बन्ध में गणना के प्रयोजनों के लिये रविवारों को 'एक दिन" के रूप में नही गिना जावेगा किन्तु रविवारों को 30 दिन तक की अधिकतम-सीमा में सम्मिलित किया जावेगा।

अपवाद:—स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, इस नियम के अन्तर्गत देय "कार्य-ग्रहण-काल" को कम कर सकता है।

दृष्टान्त संख्या 1:—एक लेखाकार का राज्य-हित में जयपुर से उदयपुर स्थानान्तरण किया जाता है। रेल-मार्ग से जयपुर से उदयपुर 437 कि.मी. है। लेखाकार जयपुर में अपने पद का कार्यभार गुरुवार दिनांक 23-8-79 को मध्यान्ह-पश्चात संभलाता हैं। 25 तथा 26 अगस्त के सार्वजनिक अवकाश थे। 24-8-79 का एच्छिक अवकाश था जिसके उपभोग करने के लिये लेखाकार ने जनवरी, 79 में ही लिखकर दे दिया था। सड़क-मार्ग से उदयपुर 422 कि. मी. है। लेखाकार को उदयपुर नये पद पर किस तारीख को पदभार-ग्रहण करना चाहिये ?

राजस्थान सेवा नियम 129 के अनुसार लेखाकार को निम्न-प्रकार "पद-भार ग्रहण-काल" प्राप्त होगा :—

1.	यात्रा की तैयारी के लिये	6 दिवस	(नियम 129)
2	रेलमार्ग से यात्रा के लिये	1 दिवस	(नियम 129 (क)
3.	रविवारों को गणना से छोड़ने पर	1 दिवस	(नियम 129 (घ)
	कुल	8 दिवस	

अतः लेखाकार को 1-9-79 को मध्यान्ह-पूर्व उदयपुर में अपने नये पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। 25 अगस्त के सार्वजनिक अवकाश का कार्य-ग्रहण-काल की गणना के लिये कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार एच्छिक अवकाश भी कार्यग्रहण काल की गणना मे आवेगा, पृथक् नहीं छोड़ा जा सकता है। 26-8-79 रविवार था जिसे गणना में छोड़ दिया गया है।

दृष्टान्त संख्या 2:—अजमेर में कार्यरत एक सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक का स्थानान्तरण कर उसे जयपुर में आगामी "नियोजन-आदेशों-की-प्रतीक्षा" करने को कहा गया। उन्होंने 3-7-79 के अपराम्ह मे अजमेर में अपने पद का कार्यभार संभलाया और 4-7-79 को जयपुर आ गये। उन्हें 20-7-79 के आदेशों से बूंदी नियोजित किया गया। अजमेर से जयपुर रेल से 136 कि. मी. है तथा जयपुर से बूंदी सड़क से 217 कि मी तथा रेल से 240 कि. मी. तथा 40 कि. मी सड़क से है।

बताइये अधिकारी को बूंदी कब ज्वाइन करना चाहिये ? क्या इनको देय कार्य-ग्रहण-काल को कम भी किया जा सकता है ?

नियमानुसार अधिकारी को निम्न-प्रकार "कार्य-ग्रहण-काल प्राप्त होगा :—

1.	यात्रा की तैयारी के लिये	6 दिवस	(नियम 129)
2.	जयपुर से बूंदी सड़क द्वारा	2 दिवस	(नियम 129 (क) तथा (ख)
3	रविवारों के एवज में	2 दिवस	
	कुल	10 दिवस	

अधिकारी को 30-7-79 के पूर्वान्ह मे बूंदी ज्वाइन करना चाहिए। स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी नियम 129 के अन्तर्गत "अपवाद" के अनुसार 10 दिवस के कार्य-ग्रहण-काल की बजाद 6 दिवस या 4 दिवस का कार्य-ग्रहण काल ही स्वीकृत कर सकता है।

दृष्टान्त संख्या 3 :—एक अधिकारी का जयपुर से श्री गंगानगर राज्यहित में स्थानान्तरण किया गया। जयपुर से रेलमार्ग से श्रीगंगानगर 525 कि. मी. है और सड़क मार्ग से 494 कि. मी.। अधिकारी जयपुर में अपने पद का कार्यभार दिनांक 28–9–1979 शुक्रवार के अपराह्न में संभलाता है। 29 तथा 30 सितम्बर को अवकाश थे। तथा 1–10–79 एवं 2–10–79 भी अवकाश के दिन थे। बताईये अधिकारी को श्री गंगानगर किस दिन नये पद का कार्यभार ग्रहण करना चाहिये ?

सेवा नियम 129 के अनुसार अधिकारी निम्न-प्रकार "कार्य-ग्रहण-काल" का उपभोग कर सकता है:—

1.	यात्रा की तैयारी के लिये	6 दिवस (नियम 129)
1-	वास्तविक रेल यात्रा के लिये	2 दिवस (नियम 129 (क) तथा (ख)
3.	रविवारों को गणना में छोड़ने पर	2 दिवस (नियम 129 (घ)
		कुल दिनों की संख्या 10 दिवस

इस प्रकार अधिकारी को 9–10–1979 को पूर्वान्ह में श्रीगंगानगर में अपने नये पद पर कार्यभार-ग्रहण कर लेना चाहिये। दिनांक 29 तथा 1 एवं 2–10–79 के सार्वजनिक अवकाशों को रविवारों के समान कार्यग्रहण काल की गणना से छोड़ा नहीं जा सकता है।

नियम 130–कार्य-ग्रहण-काल की गणना के लिये मार्ग :—एक राज्य कर्मचारी वह चाहे किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा करता है, किन्तु उसका कार्य-ग्रहण-काल, जब तक सक्षम-प्राधिकारी विशेष कारणों से अन्यथा रूप मे आदेश नही दे, उसी मार्ग द्वारा गिना जावेगा जिससे वह साधारणतया यात्रा करता है।

नियम 131–मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर "पद-भार-ग्रहण" करने पर कार्य-ग्रहण-काल:—यदि कोई अधिकारी अपने मुख्यावास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पद का कार्यभार सम्भलाने को अधिकृत हो तो उसका "कार्य-ग्रहण-काल" उसी स्थान से गिना जावेगा जहा उसने कार्यभार सम्भलाया है।

नियम 132:—जब एक राज्य कर्मचारी की एक पद से दूसरे नये पद पर, उसके प्रस्थान काल में, नियुक्ति हो जातो है तो उसका "कार्य-ग्रहण-काल" ऐसे नियुक्ति आदेशों के प्राप्त करने की तारीख के आगामी दिन से प्रारम्भ होता है।

आडिट निर्देशन :—जब एक कर्मचारी अपने प्रस्थान-काल में एक पद से दूसरे पद पर, नियुक्त हो जाता है तो उसे तैयारी के लिये पुनः 6 दिन का समय "कार्य-ग्रहण-काल" के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

नियम 133:—यदि एक कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान करते समय अवकाश ले लेता है तो पुराने पद से कार्यभार सम्भलाने के बाद जितना समय व्यतीत होता है वह उसको देय अवकाश के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये

नियम 134:—यदि कोई कर्मचारी जब वह उपार्जित अवकाश में होते हुए एक नये पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका कार्य-ग्रहण-काल उसके पुराने पद स्थान से या उस स्थान से गिना जावेगा जहां वह अपनी नियुक्ति के आदेश प्राप्त करता है। इन दोनो में से जहा से "कार्य-ग्रहण-काल" कम देय हो वही प्राप्त होगा।

नियम 135:—किसी मामले में सक्षम-प्राधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने योग्य कार्य-ग्रहण-काल की अवधि को बढ़ा सकता है–किन्तु नियमों को सामान्य भावना का पालन किया जाना चाहिये।

नियम 136 :—30 दिवस की अधिकतम सीमा तक एक सक्षम-प्राधिकारी ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे एक कर्मचारी को निम्न-अंकित परिस्थितियों में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने योग्य कार्य-ग्रहण-काल से अधिक अवधि का कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत कर सकता है :—

(क) जब कर्मचारी यात्रा में सामान्य साधन का उपयोग करने में असमर्थ रहा हो अथवा उसके द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी यात्रा में नियमो के अनुसार देय समय से अधिक समय लग गया हो, अथवा

(ख) जहा कार्य-ग्रहण-काल में ऐसी वृद्धि राज्य-हित एवं सार्वजनिक सुविधा के आधार पर आवश्यक समझी जाती है अथवा पूर्णतया औपचारिक स्थानान्तरण के कारण राजकीय-व्यय को बचाने के लिये आवश्यक समझी जाती।

(ग) जब किसी विशिष्ट मामले में नियमों का कठोरता से प्रयोग किया गया हो। उदाहरणार्थ– जब एक कर्मचारी यात्रा अवधि में बिना किसी अन्य त्रुटि के रोग-ग्रस्त हो जाता हो।

नियम 137 :—राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नियुक्त एक कर्मचारी जब किसी दूसरी सरकार के नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहाँ कार्य-ग्रहण-काल निश्चित करने के नियम बनाये हुए हैं, तो उस सरकार के अधीन पद पर उपस्थित होने का तथा उससे वापिस लौटने की यात्रा का कार्य-ग्रहण-काल उन्ही नियमों द्वारा नियमित किया जावेगा।

नियम 138 :—कार्य-ग्रहण-काल मे एक राज्य कर्मचारी को "कर्त्तव्यरत" (आनड्यूटी) समझा जावेगा तथा उसका भुगतान वह निम्न-प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी होगा :—

(क) यदि नियम 127 (क) के अनुसार कार्य-ग्रहण-काल देय हो तो कर्मचारी वह वेतन प्राप्त करेगा जो वह स्थानान्तरण नही होने पर प्राप्त करता या वह जो वह नये पद पर कार्य-भार सम्भालने पर प्राप्त करेगा, इनमें से जो भी कम होगा, उसे वही वेतन दिया जायेगा।

(ख) नियम 127 (ख) के अन्तर्गत कार्य-ग्रहण-काल हो तो वह असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों से लौटने पर, ऐसा अवकाश-वेतन प्राप्त करेगा जो वह भारत में अवकाश-वेतन के भुगतान की निर्धारित दर पर अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त करता था। किन्तु यदि वह असाधारण अवकाश से लौटता हो तो उसे कोई भुगतान नही मिलेगा।

टिप्पणी:—एक कर्मचारी को स्थानान्तरण के कारण कार्य-ग्रहण-काल का भुगतान उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक वह 'सार्वजनिक-हित' की दृष्टि से स्थानान्तरित नहीं किया जाता है, किन्तु यदि राज्य कर्मचारी प्रार्थना करे और सक्षम-प्राधिकारी उसे स्वीकृत करने का इच्छुक हो तो उसे अपने पुराने स्थान के पद का कार्यभार सम्भलाने तथा नये स्थान पर एक पद का कार्यभार सम्भालने के मध्य व्यतीत समय के लिये अवकाश नियमो के अनुसार, उसे नियमित अवकाश स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति नही होगी।

दृष्टान्त :—एक अधिकारी का स्थानान्तरण उसकी स्वयं की प्रार्थना पर बूंदी से जयपुर होता है। वह बूंदी में बुधवार तारीख 7-3-79 को मध्याह्न-पूर्व अपने पदभार से मुक्त होता है। 10 मार्च तथा 11 मार्च अवकाश थे। अधिकारी को जयपुर में कब पदभार-ग्रहण करना चाहिये ?

राजस्थान सेवा नियम 138 (ख) के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार अधिकारी को पदभार ग्रहण-काल नहीं मिल सकेगा। उसे गुरुवार 8-3-79 को मध्याह्न-पूर्व में ही जयपुर में अपना पदभार ग्रहण कर लेना चाहिये और 7-3-79 के अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृत करा लेना चाहिये। अच्छी तथा सुविधा की बात यह होती कि अधिकारी 7-3-79 को मध्याह्न-पश्चात् बूंदी के पदभार से मुक्त होकर 8-3-79 को पूर्वाह्न में जयपुर में नये पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता।

आडिट निर्देशन:—(1) जब तक स्थानान्तरण पूर्ण न हो किसी भी दशा में कार्यभार सम्भलाने व ले कर्मचारी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान (जहा स्थानान्तरण मे अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति है) प्राप्त नही किया जा सकेगा। किन्तु जहा साधारण वेतन एव भत्तो का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों मे इसके लिये सामान्य नियम में एक अपवाद माना जा सकता है जिनमे स्थानान्तरण किये जाने वाले कार्यभार मे कई बिखरे हुए पृथक कार्य हो जिन्हे उच्च प्राधिकारियो के आदेशो के अनुसार स्थानान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भलाने वाले तथा सम्भालने वाले अधिकारियो को एक साथ निरीक्षण करना हो तो कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को कर्तव्य पर समझा जावेगा यदि विभागाध्यक्ष इस निरीक्षण के समय को औचित्यपूर्ण समझता है। इस प्रकार कार्यभार सम्भलाते समय एक अधिकारी:—

(क) यदि वह अपने स्थाई रूप से धारित पद से स्थानान्तरित होता है तो वह उस पद पर अपना "काल्पनिक" वेतन प्राप्त करेगा, तथा

(ख) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर वह कार्यवाहक रूप से कार्य करता हो तो उस पद पर प्राप्त "कार्यवाहक-वेतन" प्राप्त करेगा। किन्तु ऐसा वेतन उस वेतन से अधिक नही होगा जिसे वह स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद प्राप्त करता, अन्यथा वह स्थानान्तरण से पूर्व जिस पद पर उसका पदाधिकार था उसका 'काल्पनिक-वेतन' प्राप्त करेगा एव यदि वह अवकाश से लौटता है तो उस पद का 'काल्पनिक-वेतन' प्राप्त करेगा जिस पर वह अवकाश-काल मे अपना पदाधिकार रखता है।

(2) यदि उक्त निर्देशन मे वर्णित कार्यभार सम्भालने एव सम्भलाने वाले दोनों अधिकारी शुल्क सहित आवास (क्वाटर) प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा आवास के अलावा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है तो दोनो अधिकारी ऐसी सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

राजकीय निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि जोधपुर एवं जयपुर कोषागारों के कार्यभारो के स्थानान्तरण एक सप्ताह मे पूर्ण हो जाने चाहिये तथा अन्य कोषागारो के कार्यभारो का स्थानान्तरण 3 दिवस मे पूर्ण हो जाना चाहिये।

उपरोक्त निर्धारित की गई अवधि की सीमा अधिकतम है तथा जितना सम्भव हो सके शीघ्र से शीघ्र अवधि मे कार्य को पूरा किया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि "कार्य-ग्रहण-काल" के दोनो समय अर्थात् नियम 133 के अन्तर्गत चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिकतम 4 माह के औसत-वेतन पर

अवकाश के प्रारम्भ होने से पूर्व स्वीकृत किये गये "कार्य-ग्रहण-काल" तथा ऐसे अवकाश की समाप्ति पर नये पद पर उपस्थित होने के लिये उपयोग किये गये समय के "कार्य-ग्रहण-काल" को कैसे नियमित किया जावेगा। मामले की जाच कर राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि प्रथम प्रकृति के "कार्य-ग्रहण-काल" जो नियम 133 के अनुसार स्वीकार्य है उसका वेतन नियम 138 (क) के अनुसार नियमित किया जा सकता है तथा दूसरी प्रकृति के मामले में 'कार्य-ग्रहण-काल' का वेतन नियम 138 (ख) के अनुसार नियमित किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि:—

(1) कार्यभार सम्भलाने वाले राज्य-अधिकारी द्वारा एक नये पद पर कार्यभार सम्भालने के समय को किस रूप में समझा जायेगा, तथा

(2) उनका वेतन एवं भत्ता आदि ऐसी अवधि का किस प्रकार नियमित किया जाय, जहां स्थानान्तरण/कार्यभार में उनका भण्डार एवं/या बिखरे कार्य सम्मिलित हो, जिनका निरीक्षण, स्थानान्तरण पूर्ण करने से पहले, दोनो अधिकारियो द्वारा किया जाना आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को कर्त्तव्य पर समझा जाना चाहिये तथा ऐसे निरीक्षण में व्यतीत समय को, यदि विभागाध्यक्ष की दृष्टि से अधिक नहीं हो, तो कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी निम्न-प्रकार से वेतन प्राप्त करेगा:—

(क) (i) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर उस द्वारा स्थाई रूप से कार्य किया गया है तो वह उस पद पर अपना 'काल्पनिक-वेतन' प्राप्त करेगा, अथवा

(क) (ii) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर उसने अस्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से कार्य किया है तो वह उस पद पर प्राप्त 'कार्यवाहक-वेतन' प्राप्त करेगा अथवा स्थानान्तरण पूर्ण होने के पश्चात् देय-वेतन प्राप्त करेगा तथा इनमें से जो भी कम होगा, वही अधिकारी को दिया जा सकेगा, एवं

(ख) उपरोक्त (i) अथवा (ii) के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किये गये वेतन के आधार पर नये स्थान पर क्षतिपूरक भत्ता एवं मकान किराया भत्ता वह प्राप्त करेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—अवकाश पर से लौटने पर एक पद पर स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन, कार्यभार-सम्भलाने की अवधि में, निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेका:—

(i) यदि वह किसी पद को स्थाई रूप से धारित करते हुए अवकाश पर गया हो तो उसे उस पद का 'काल्पनिक-वेतन' प्राप्त होगा, एवं

(ii) यदि वह कार्यवाहक रूप से पद को धारण करते हुए अवकाश पर गया हो तो उसे उस पद का 'कार्यवाहक-वेतन' या उस नये पद पर देय वेतन, जिसे वह कार्यभार सम्भालने के बाद प्राप्त करेगा, इनमें जो भी कम होगा, वही उसे मिलेगा।

नियम 139 :— स्वीकार्य "कार्य-ग्रहण-काल" से अधिक समय अनुपस्थित रहने पर दण्ड:— एक कर्मचारी जो अपने स्वीकार्य 'कार्य-ग्रहण-काल' की समाप्ति पर भी अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है तो वह उस 'कार्य-ग्रहण-काल' की समाप्ति के बाद उस अवधि का वेतन या अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इन नियमों के अधीन देय/स्वीकार्य 'कार्य-ग्रहण-काल' की समाप्ति के बाद अपने पद के कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति की अवधि को सेवाकाल में व्यवधान माना जावे। गत सेवाओं को जब्त कर देगा, जब तक नियम 136 में अंकित परिस्थितियों में सन्तोष-जनक

बताने पर कार्य-ग्रहण-काल में वृद्धि, नियम के अधिन स्वीकार कर ऐसी अनुपस्थिति को नियमित कर नहीं कर दिया जाता है अथवा कार्य-ग्रहण-काल की वृद्धि करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा अनुपस्थिति के समय को असाधारण-अवकाश में परिवर्तित नही कर दिया जाता है।

[आदेश संख्या एफ. 1 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 12–1–76 द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रति-स्थापित]

नियम 140 :—राज्य सेवा में नियुक्त होने पर अराजकीय-व्यक्तियों को कार्य-ग्रहण-काल की देवता:—राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नियुक्त व्यक्ति या ऐसी सेवा पर अवकाश स्वीकृत किया हुआ व्यक्ति यदि राजकीय-हित की दृष्टि से सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो जाता है तो सरकार अपने निर्णय पर उस समय को 'कार्य-ग्रहण-काल' के रूप में मान सकती है जब वह सरकार के अधीन पदभार सम्भालने की तैयारी करता है तथा यात्रा करता है एवं जब वह वापिस राजकीय सेवा से अपने मूल नियोजक के पास स्थानान्तरण कर देने पर तैयारी करता एवं यात्रा करता है। ऐसे कार्य-ग्रहण-काल में अथवा वैदेशिक स्वामी द्वारा स्वीकृत आवश्यक अवधि के बाद कार्य-ग्रहण-काल में उसको कार्य-ग्रहण-काल वेतन के रूप में वेतन उतना ही मिलेगा जो वह राजकीय-सेवा में नियुक्त होने पूर्व अपने नियोजक से प्राप्त कर रहा था अथवा राजकीय-पद के वेतन के समान, इनमें से जो भी कम हो, वह प्राप्त करेगा।

अध्याय 13

भाग-5

वैदेशिक-सेवा

नियम 141 ; वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित करने के लिये कर्मचारी की सहमति आवश्यकः- किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरित नही किया जायगा। किन्तु यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नही होगा जिनकी सेवायें किसी ऐसे निगम अथवा निकायों में स्थानान्तरित करनी होती हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियन्त्रण, पूर्ण या आंशिक रूप से, हो तथा जहां एक कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसी सेवा में करना हो जिसका भुगतान राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 (1959 अधिनियम संख्या-7) के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् निधि से किया जाता है।

नियम 142 : वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है :—वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण-उस समय तक नहीं किया जा सकेगा जब तक,

(क) स्थानान्तरण के बाद की जाने वाली सेवायें ऐसी हों जो सार्वजनिक कारणों से कर्मचारी द्वारा की जाती हों।

(ख) स्थानान्तरण के समय कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका भुगतान संचित-निधि से किया जाता है तथा ऐसे पद पर वह अपना पदाधिकार रखता है यदि उसका पदाधिकार निलम्बित नहीं किया जावे।

टिप्पणी संख्या 1·—यदि किसी मामले मे ऐसा प्रस्ताव किया जाता है कि कर्मचारी किसी अराजकीय उपक्रम (अन्डर-टेकिंग) को उधार दिया जाना चाहिये तो यह आवश्यक है कि इन नियमों का पालन पूर्ण कठोरता के साथ किया जावे तथा सामान्य रूप से एक अराजकीय उपक्रम के लिये एक अधिकारी को उधार दिया जाना अपवाद स्वरूप मामले में ही होना चाहिये तथा इसमे उसको भेजने के लिये विशेष कारण/औचित्य होना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 2:—इस नियम के अन्तर्गत 'अस्थाई-सेवा-मे-नियुक्त' कर्मचारी का स्थानान्तरण भी वैदेशिक-सेवा में किया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या 3:—जो सरकार एक कर्मचारी के वैदेशिक-सेवा मे उधार देने के कारण पेन्शन अंशदान वसूल करने की अधिकारी होगी उसी को स्थानान्तरित करने की स्वीकृति के लिये "सक्षम-सरकार" के रूप में समझा जावेगा।

निर्देशन:—एक राज्य कर्मचारी को वैदेशिक-सेवा मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेशों की एक प्रतिलिपि सक्षम-प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार को भिजवाई जानी चाहिये। स्वयं कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के उस कार्यालय को एक प्रति भिजवानी चाहिये तथा अपने अंशदान की राशि के बारे मे निर्देश प्राप्त कर लेने चाहियें। उसे स्वयं के कार्यभार के सभी स्थानान्तरणों के समय एव दिनो की सूचना उस अधिकारी को देनी चाहिए जिसके लिए वह प्रस्थान करते समय तक एक पक्ष के रूप मे होता है। अपने वैदेशिक-सेवा काल में या उससे लौटने पर भी सूचना देनी चाहिये तथा उसे समय-समय पर वैदेशिक-सेवा काल में उठाये अपने वेतन,

उपभोग किये गये अवकाश, पत्र-व्यवहार के पतों के बारे में अन्य ऐसी सूचनाऐं भिजवाते रहना चाहिये जिन्हें वह अधिकारी मागता है।

नियम 143 : अवकाश काल में वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण पर वेतन-आदि का भुगतान:- यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके अवकाश काल में रहते हुए ही वैदेशिक-सेवा में हो जाता है तो वह ऐसे स्थानान्तरण आदेश की तारीख से अवकाश पर रहना अथवा अवकाश-वेतन प्राप्त करना बन्द कर देगा।

वैदेशिक-सेवा में कर्मचारी के मौलिक संवर्ग में स्थाई या कार्यवाहक पदोन्नति वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित एक कर्मचारी उस संवर्ग या संवर्गों में रहेगा जिसमें वह स्थानान्तरण से पूर्व स्थाई या कार्यवाहक रूप में सम्मिलित था तथा उन संवर्गों में स्थाई या स्थानापन्न रूप से ऐसी पदोन्नति दी जा सकती है जो पदोन्नति स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी उचित समझे। ऐसा प्राधिकारी पदोन्नति देते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगा :—

(क) वैदेशिक-सेवा में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, एवं

(ख) जहां पदोन्नति का प्रश्न पैदा होता है वहां उससे संवर्ग में निम्न-व्यक्ति को दी गई पदोन्नति।

इस नियम के अतर्गत अधिनस्थ सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को सेवा में ऐसी अन्य पदोन्नति प्राप्त करने से नही रोका जावेगा जिसके बारे मे पदोन्नति देने वाले सक्षम प्राधिकारी निर्णय करे एवं जो पदोन्नति उसे मिलती यदि वह राजकीय सेवा मे रहता।

नियम 144 : वैदेशिक-सेवा में नियुक्त कर्मचारी द्वारा विदेशी-नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख :— वैदेशिक-सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी उसी तारीख से विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करना आरम्भ कर देगा जिस दिन वह सेवा मे अपने पद का कार्यभार सम्भाल लेगा। किसी भी प्रतिबन्ध की शर्त के अनुसार, जिसे सरकार सामान्य आदेश द्वारा लागू करे, उसका स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी विदेशी-नियोजक के परामर्श से कर्मचारी का वेतन, उस सेवा पर उपस्थित होने के लिये स्वीकृत समय तथा उस कार्य-ग्रहण-काल में वेतनादि का निर्णय कर सकता है।

ऑडिट निर्देशन:—जब कोई कर्मचारी वैदेशिक-सेवा की शर्तो के आधार पर उधार दिया जाता है तथा उस समय विदेशी नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व ही राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाता है तो महालेखाकार साधारण प्रक्रिया द्वारा विदेशी नियोजक के पास एक विवरण भेजेगा जिसमें कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख तथा सरकार से उसके सेवा निवृत्त किये जाने की तारीख तथा प्राप्त वेतन राशि का उल्लेख करेगा ताकि विदेशी-नियोजक के लिए कर्मचारी को सेवा-निवृति के बाद उसकी नियुक्ति की शर्तों को सशोधित करने का, यदि वह इसका इच्छुक हो तो, अवसर मिल सके।

नियम 144-ए-वैदेशिक-सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्त:—एक राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या विदेश-सेवा में भेजने जो केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत संस्थायें, (पंजीकृत है अथवा नही) एवं अन्य संस्थायें जो पूर्णतया अथवा सारभूत रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में है, में स्थानान्तरण करने की शर्ते राज्य-सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियमित होंगी।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (3) वि. वि. (ग्रुप-2) 76-III दिनांक 23-1-1976 द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रति-स्थापित]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—प्रति-नियुक्ति पर अथवा वैदेशिक-सेवा मे जो केन्द्रीय-सरकार अथवा अन्य प्रादेशिक-सरकार, सार्वजनिक-प्रतिष्ठान, स्वायत्त-शासित-निकाय (निगमित अथवा नही) तथा अन्य निकायो इत्यादि जो पूर्णत अथवा मौलिक रूप से राज्य-सरकार की हो अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित हो, उनमें कर्मचारियो की प्रति-नियुक्ति/वैदेशिक-सेवा मे भेजने पर उन्हे क्या प्रति-नियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता स्वीकार्य किया जाय, यह प्रश्न कुछ समय से सरकार के पुनरावलोकन में था। पुनरावलोकन के फलस्वरूप राज्यपाल महोदय ने निर्णय दिया है कि राज्य-सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हे, उक्त-अंकित संस्थाओं मे प्रति-नियुक्ति पर अथवा वैदेशिक-सेवा मे अपने संवर्ग से बाहर नियुक्त किया जाय तो उन्हे उस अवधि मे प्रति-नियुक्ति-(कर्त्तव्य) भत्ता, इस आदेश के निम्न-अंकित अनुच्छेदो मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार दिया जावेगा:—

(2) "प्रति-नियुक्ति" शब्द केवल "वैदेशिक-सेवा" में अथवा प्रति-नियुक्ति पर अस्थाई आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को ही आवृत्त करता है। इसके अन्तर्गत वैदेशिक-सेवा में स्थायी-नियुक्ति अथवा अन्तिम-रूप से एक कर्मचारी को जो सीधी-भर्ती के माध्यम से अन्य-व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता मे बैठकर अन्तिम-रूप से (आन-फाइनल-बैसिस) उस संस्था/निगम मे अन्तरलीन (एबजारब्शन) हो जाता है तो उसका मामला इन आदेशो से नियमित नही होगा।

3. **प्रति-नियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता :—**

(i) प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता एक कर्मचारी को, जिसे वैदेशिक-सेवा/प्रति नियुक्ति पर भेजा जाता है, उसके मूल-वेतन का 14 प्रतिशत अथवा 250/- रु मासिक, जो भी कम हो मिलेगा। दूसरे शब्दो मे 250/- रुपया मासिक अधिकतम सीमा है जिसकी फलावट मूल वेतन के 14 प्रतिशत के आधार पर की जावेगी।

टीका :—यह उप-अनुच्छेद ज्ञापन क्रमांक एफ. 1(3) वि. वि. (ग्रुप–2) 76 दिनांक 1-12-76 द्वारा संशोधित किया गया है

(ii) मूल-वेतन से तात्पर्य यहा एक कर्मचारी द्वारा अपने स्थायी-पद वाले वेतनमान मे मौलिक-वेतन से है। एक ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो विभाग मे कार्यवाहक-रूप से किसी पद पर वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उस कर्मचारी के कार्यवाहक-वेतन को भी मूल-वेतन माना जावेगा यदि नियुक्ति-प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि यदि राज्य-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वैदेशिक सेवा मे नही जाता तो उसे वह कार्यवाहक-वेतन भविष्य मे भी मिलता रहता।

(iii) राजस्थान नागरिक सेवाएं (नवीन वेतनमान नियम 1969 के परिशिष्ट–II मे दर्शाये गये विशेष-वेतन, यदि एक कर्मचारी को वह प्रति-नियुक्ति पर जाने की दिनाक को निरन्तर दो वर्षो से चालू रहा है, तो उसे भी मूल-वेतन का भाग माना जावेगा। व्यक्तिगत-वेतन, यदि कोई हो, जो एक कर्मचारी को उसके पैतृक विभाग मे वेतन के अतिरिक्त मिल रहा है, तो उस व्यक्तिगत-वेतन को उसे पृथक से दिया जाता रहेगा। यह वेतन प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ते की राशि मे अन्तरलीन (एबजोरब्ड) नही किया जावेगा। किन्तु ऐसे व्यक्तिगत-वेतन को वेतन की अन्य वृद्धियां जैसे वेतन वृद्धि के कारण अथवा पदोन्नति के कारण वेतन बढ़ने पर, भावी वेतन मे अन्तरलीन कर दिया जावेगा।

(iv) राज्य-कर्मचारी जिन्हे उसी स्थान पर प्रति-नियुक्ति अथवा वैदेशिक-सेवा मे स्थानान्तरित किया जावे जहा वे उस समय कार्य कर रहे थे, तो उन्हे इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (i) में वर्णित प्रति-नियुक्ति-भत्ता उसके मूल-वेतन का 7 प्रतिशत देय होगा और यह भी 100/- रुपये मासिक

से अधिक नही मिलेगा। एक कर्मचारी को उसी स्थान पर प्रति-नियुक्ति किया गया/वैदेशिक-सेवा मे भेजा गया अथवा नही इसका निर्णय उसके उस स्थान को ध्यान मे रख कर किया जावेगा जहा वह प्रति-नियुक्ति/वैदेशिक-सेवा मे प्रस्थान करने से पूर्व कार्य कर रहा था।

टीका :—यह उप-अनुच्छेद ज्ञापन दिनांक 1–12–76 से संशोधित किया गया है।

4 प्रति-नियुक्ति काल में वेतन :

(i) एक कर्मचारी जिसे प्रति-नियुक्ति पर अथवा वैदेशिक-सेवा से भेजा जाता है तो उसे सुविधा यह है कि या तो वह वैदेशिक-नियोजक अथवा प्रति-नियुक्त पर लेने वाली सस्था के पद का वेतन-मान प्राप्त करने का विकल्प दे। अर्थात् वह जिस पद पर प्रति-नियुक्त/वैदेशिक सेवा मे जा रहा है उस पद का वेतन तथा वेतनमान प्राप्त कर ले, अथवा

(ii) वह अपने पैतृक-विभाग वाले वेतनमान मे मूल-वेतन तथा साथ मे व्यक्तिगत-वेतन, यदि कोई हो, तथा प्रति-नियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता जो अनुच्छेद (iii) मे अंकित किया गया है। प्राप्त करने का विकल्प देवे।

(iii) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि एक राज्य कर्मचारी को प्रति-नियुक्ति पर भेजे जाने पर वेतन का अ-सामान्य लाभ नही मिले, उसके लिये यह निश्चित किया गया है कि जहा प्रति-नियुक्ति वाले पद के वेतनमान का न्यूनतम-वेतन उस कर्मचारी के मूल-वेतन तथा उस पर देय प्रति-नियुक्ति भत्ता राशि (दोनों को मिलाकर) से भी अधिक बनता हो तो ऐसे कर्मचारी का वेतन राजस्थान सेवा नियम 36 के प्रावधानों के अनुसार प्रति-नियुक्ति वाले पद के न्यूनतम वेतन से भी कम स्तर पर निर्धारित किया जावे। ऐसे मामले मे राजस्थान सेवा नियम 36 के अन्तर्गत जो कम-वेतन स्वीकृत किया जावेगा वह एक कर्मचारी के मूल-वेतन तथा निम्न-अकित लाभ की दरों से अधिक नही होगा।

(क) वे कर्मचारी जिन्हें 1200/- रुपये मासिक से अधिक मूल-वेतन मिल रहा है।	उनके मूल-वेतन का 17 प्रतिशत अथवा 250/- रुपये मासिक जो भी अधिक हो।
(ख) उन कर्मचारियों के लिये जो 1200/- रुपया तथा उससे कम मासिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे है।	उनके मूल वेतन का 17 प्रतिशत

उक्त उप-अनुच्छेद (क) तथा (ख) मे सशोधन दिनाक 1-9-1976 से प्रभावशील किया गया है। जो कर्मचारी वर्तमान मे उक्त मापदण्ड से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है उसको 1-9-76 से उक्त-मापदण्ड के आधार पर ही प्रति-नियुक्ति भत्ता दिया जावेगा। अतिरिक्त प्राप्त लाभों की राशि को 31–8–76 तक माफ किया हुवा माना जावेगा।

(यह प्रावधान ज्ञापन क्रमांक एफ 1(3) वि. वि. (ग्रुप–2) 67 दिनाक 1–12–1976 द्वारा किया गया है)

(iv) फिर भी उन कर्मचारियों के मामलो मे जो इस आदेश के प्रसारित होने से पूर्व ही प्रति-नियुक्ति पर हो तथा जो उप-अनुच्छेद (iii) में अकित मापदण्ड से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हो, उन्हें उस अन्तर की राशि को राजकोष मे इस आदेश के जारी होने की तारीख से जमा कराना पडेगा जब तक उनकी प्रति-नियुक्ति काल की अवधि में आगे वृद्धि नहीं कर दी जावे। सेवा-काल

मे वृद्धि किये जाने पर उनके वेतन का नियमन इस आदेश के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।

(5) प्रति-नियुक्ति पर आगे रहने पर प्रतिबन्ध :

जहा एक राज्य-कर्मचारी का मूल-वेतन उसके प्रति-नियुक्ति पर या वैदेशिक-सेवा मे प्रस्थान करने के समय उसके प्रति-नियुक्ति वाले पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो अथवा उसका मूल-वेतन उस नवीन-पद के निश्चित-वेतन ने अधिक हो, तो ऐसे कर्मचारी को प्रति-नियुक्ति पर नही भेजना चाहिये। यदि एक कर्मचारी का मूल-वेतन उसके प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-सेवा मे चले जाने के बाद उस अवधि मे प्रति-नियुक्ति वाले पद के वेतनमान के अधिकतम से अथवा उस पद के निश्चित वेतन से अधिक हो जाय तो उसकी प्रति-नियुक्ति की अवधि 6 माह के लिये, उसका वेतन बढने के दिनाक से, सीमित कर देना चाहिये और उस अवधि में उस कर्मचारी को वापिस उसके पैतृक-विभाग मे बुला लेना चाहिये।

टीका :—वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 1 (3) वि वि. (ग्रु.प-2) 76 दिनांक 1-12-76 द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद–5 के प्रावधानों को राज्य-सरकार ने आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। अर्थात् वर्तमान में इन प्रावधानो के अनुसार विभागों को अभी कार्यवाही नहीं करनी है।

6. क्षत्ति-पूरक भत्ते :

(i) **मंहगाई-भत्ता :**—प्रति-नियुक्ति अथवा वैदेशिक-सेवा मे भेजे गये व्यक्तियो को महगाई भत्ता उसकी पैतृक-सरकार अथवा उधार लेने वाली सरकार/वैदेशिक-नियोजक के नियमो के अनुसार दिया जावेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रति-नियुक्ति/वैदेशिक-सेवा मे कर्मचारी अपना मूल-वेतन तथा प्रति-नियुक्ति-भत्ता ले रहा है अथवा वैदेशिक-सेवा/प्रति-नियुक्ति के पद पर वहा का वेतन प्राप्त कर रहा है।

(ii) **मकान-किराया-भत्ता :**—ऐसे कर्मचारी को मकान-किराया-भत्ता उधार लेने वाली सरकार/वैदेशिक-नियोजक अथवा उसकी पैतृक-सरकार के नियगो के अनुसार दिया जावेगा किन्तु इनमे से जो भी उस कर्मचारी को अधिक लाभदायक हो वह उसके अनुसार मकान-किराया-भत्ता प्राप्त कर सकेगा।

(iii) **यात्रा-भत्ता :**—ऐसे कर्मचारी को यात्रा-भत्ता भी उधार लेने वाली सरकार/वैदेशिक-सरकार अथवा उसकी पैतृक-सरकार के नियमानुसार देय होगा और उनमे से जो उन नियमो के अन्तर्गत उसे अधिक लाभदायक हो, वह उस आधार पर प्राप्त कर सकेगा।

(iv) **क्षतिपूरक (शहरी) भत्ता :**—क्षति-पूरक (शहरी) भत्ता भी ऐसे कर्मचारी को उक्तानुसार सरकारी/सस्थान/पैतृक-विभाग के नियमों मे से अधिक लाभदायक नियमों के अनुसार दिया जावेगा।

(v) **चिकित्सा-सुविधा :**—चिकित्सा सुविधा भी एक कर्मचारी को सारे नियमों में से अधिक लाभदायक नियमो के अनुसार दिया जा सकेगा।

(vi) **परियोजना-भत्ता :**—(प्रोजेक्ट-अलाउन्स) प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-सेवा मे कार्यरत एक-कर्मचारी को परियोजना-भत्ता भी प्रति-नियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ते के अतिरिक्त उस दर से प्राप्त होगा जो उस परियोजना क्षेत्र के लिये प्रभावशील हो।

7. पदाभार-ग्रहण-काल का वेतन तथा उस अवधि का यात्रा-भत्ता :

ऐसा कर्मचारी प्रति-नियुक्ति/वैदेशिक-सेवा में आने तथा अवधि समाप्त होने पर अपने पैतृक-विभाग मे

मूल-पद पर वापिस जाने के समय तक कार्य यात्रा-भत्ता तथा का-ग्रहण-काल वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उसे ऐसा यात्रा-भत्ता तथा वेतन उसकी पैतृक-सरकार/वैदेशिक-नियोजक के नियमों के अनुसार देय होगा। इस पर होने वाला व्यय, उधार लेने वाली संस्था/संगठन/वैदेशिक-नियोजक द्वारा वहन किया जावेगा।

8. अवकाश एवं पेन्शन-अंशदान :

एक कर्मचारी उसकी प्रति-नियुक्ति की अवधि मे अवकाश एव पेन्शन के बारे में, उधार देने वाली सरकार/प्राधिकारी अथवा पैतृक-नियोजक के नियमों के अनुसार शासित होगा। दूसरे शब्दों मे उस पर अवकाश एव पेन्शन सम्बन्धी वे नियम लागू होंगे जो उसके पैतृक-विभाग/सरकार में प्रभावशील हैं। अवकाश-वेतन तथा पेन्शन-अंशदान की राशि अधिकारी/कर्मचारी को उधार लेने वाली सस्था/वैदेशिक नियोजक द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानों के अनुसार चुकायी जावेगी।

9. प्रति-नियुक्ति का प्रारंभ एवं समाप्ति :

एक राज्य-कर्मचारी की प्रति-नियुक्ति उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस दिन वह राज्य-सरकार के अधीन वाले पद से कार्य-मुक्त होता है तथा प्रति-नियुक्ति की अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन वह सरकार मे किसी पद पर पदभार-ग्रहण करता है।

10 बोनस अथवा कृपा-मूलक (एक्स-ग्रेशियां) अनुदान :

(i) एक राज्य-कर्मचारी जो 1600/- रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, उसके किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान अथवा सहकारी समितियो/सस्थान आदि में प्रति-नियुक्ति पर जाने पर उसे यदि सस्था द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस दिया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक हो तो प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को, उस सस्था/सहकारी समिति/सस्थान द्वारा घोषित, बोनस प्राप्त करने की अनुमति होगी।

(ii) जहा एक सार्वजनिक-प्रतिष्ठान अथवा सहकारी समिति/सस्थान द्वारा बोनस दिया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक नही हो और ऐसी सस्था अपने कर्मचारियों को कृपा-मूलक अनुदान देना घोषित करे तो प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत एक कर्मचारी, जो उस समय 1600/- रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त नही कर रहा है, को उस सबधित सस्था से ऐसा कृपा-मूलक-अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दे दी जावे। किन्तु भविष्य में ऐसा सार्वजनिक-प्रतिष्ठान/सहकारी समितिया/सस्थानों जो बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा भुगतान करने के लिये कानूनन पाबन्द नही हो और वे फिर भी अपने कर्मचारियो को ऐसा कृपा-मूलक-अनुदान देना घोषित करे तो प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियो को भी प्राप्त करने की अनुमति दी जावेगी जो उस समय 1600/- रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त नही कर रहा हो तथा जो ऐसा वेतन उस सार्वजनिक-प्रतिष्ठान/सहकारी समिति/सस्थान के पद के वेतनमान मे ही वेतन के रूप मे प्राप्त कर रहा है तथा ऐसा कृपा-मूलक-भुगतान ऐसे राज्य-कर्मचारी को नही दिया जावेगा जो अपने राजकीय-वेतनमान मे वेतन तथा प्रति-नियुक्ति-भत्ता प्राप्त कर रहा हो।

(iii) उक्त अनुच्छेदो मे वेतन शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 2(21) में परिभाषित सवेतन एवं मजदूरी से होगा तथा इसमे विशेष-वेतन, यदि कोई हो, तथा महगाई भत्ता भी सम्मिलित किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता भी विशेष-वेतन के रूप मे ही माना गया है। अतः इसे भी कृपा-मूलक-भुगतान की फलावट के लिये

वेतन ही माना जावेगा। शहरी-क्षति-पूरक भत्ता, मकान-किराया-भत्ता आदि को इस प्रयोजनार्थ नही गिना जावेगा।

(iv) बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान की स्वीकृति, जो उपरोक्त उक्त अनुच्छेद (1) तथा (2) में वर्णित हैं, निम्न-अंकित प्रतिबन्ध के आधार पर नियमित/शासित की जावेगी।

(क) जहा बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान जैसी भी स्थिति हो का भुगतान एक ऐसे प्रति-नियुक्त-कर्मचारी को किया जाना हो जहा उसका मासिक-वेतन रुपये 750/- से अधिक हो तो बोनस अथवा कृपा-मूलक-भुगतान के प्रयोजनार्थ उसका वेतन 750/- रुपये ही माना जावेगा।

(ख) बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान की अधिकतम राशि जो उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा उप अनुच्छेद (4-क) के अनुसार भुगतान योग्य बताये गये है वह उस कर्मचारी के वेतन के 20 प्रतिशत से सीमित होगी और वह भी अधिकतम 750/- रुपये प्रति माह वेतन मानकर फलाया जावेगा।

(v) राज्य-कर्मचारी जो उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानो से प्रभावित होते हों उन्हें यह विकल्प देने की छूट दी जाती है कि वे चाहें तो वैदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्ति भत्ते के साथ निरन्तर प्रति-नियुक्ति पर रह सकता है किन्तु ऐसी स्थिति मे उसे कृपा-मूलक-अनुदान प्राप्त नहीं होगा अथवा वह उस सार्वजनिक प्रतिष्ठान/सहकारी समिति/सस्थान के पद के वेतनमान को ग्रहण कर सकता है और ऐसी स्थिति मे वह कृपा-मूलक-अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी माने जावेगे। ऐसा विकल्प कर्मचारियो को इसी आदेश के जारी किये जाने की तारीख से तीन माह मे देना होगा।

राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मे बोनस का भुगतान कोई कानूनन पाबन्दी नही है। अर्थात इन निगमो के लिये यह कानूनन अनिवार्यतः प्रभावशील नही है कि वो बोनस का भुगतान करें ही।

(vi) वर्तमान वित्तीय वर्ष मे अथवा आने वाले वर्षों मे बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान का भुगतान इन आदेशों के प्रावधानो से शासित होगे। पूर्व के जिन मामलो मे अभी तक भुगतान नही किया गया है उन्हे भी इन आदेशों के आधार पर निपटाया जावेगा। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 वाले वर्षों के पूर्व के किसी समय अवधि काल का किसी प्रति-नियुक्त-कर्मचारी को कोई बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान, इन आदेशो के अन्तर्गत, नही दिया जावेगा।

(vii) अखिल भारतीय सेवा के एक सदस्य को जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान में प्रति-नियुक्ति पर हो एव जिस प्रतिष्ठान की सदाय पूंजी (पेड-अप-शेयर-केपीटल) में से 51 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार द्वारा लिये हुए हो तो ऐसे अधिकारी को उस सस्था द्वारा घोषित बोनस/कृपा-मूलक-अनुदान को प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाय, यदि:—

(क) वह सार्वजनिक-क्षेत्र का प्रतिष्ठान लाभ कमा रहा है,

(ख) बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान, नियोजक के पास उपलब्ध अधिक शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत में से बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार, चुकाया जा रहा हो।

(ग) बोनस (कृपा-मूलक-अनुदान सहित) के भुगतान के लिये फलावट अधिकारी द्वारा वास्तव में

प्राप्त सवेतन (सेलेरी) के आधार पर किया जावेगा। किन्तु जिन मामलों मे एक कर्मचारी को 750/– रुपये अथवा उससे अधिक मासिक-वेतन मिल रहा है तो बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ उसका वेतन 750/– रुपया मासिक ही माना जावेगा।

टीका:—750/– रुपया (1600/– मासिक के स्थान पर) ज्ञापन दिनांक 16–6–76 से किया गया है।

(viii) एक राज्य-कर्मचारी जो प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-नियोजक अथवा उधार-लेने-वाली सस्था के पद का वेतन प्राप्त करने का विकल्प इन आदेशो के अनुच्छेद 4 (i) के अन्तर्गत देता है तो वह बोनस अथवा कृपा-मूलक-भुगतान वैदेशिक-नियोजक अथवा सगठन, जिसमें वह प्रति-नियुक्ति पर है, उसे प्राप्त करने तथा उसे अपने पास रखने का अधिकारी होगा। किन्तु जहा एक राज्य-कर्मचारी जो अपने पैतृक-विभाग के पद का वेतन तथा इन आदेशो के अनुच्छेद 4 (ii) के अन्तर्गत प्रति-नियुक्ति-भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो वह बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत देय-प्रति-नियुक्ति की अवधि मे, बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु उसे बोनस की उक्त-प्रकार प्राप्त की गई सारी राशि को राजकीय-लेखों मे जमा कराना होगा। जो प्राधिकारी बोनस का भुगतान करें उनके लिये भी यह आवश्यक होगा कि वे यह सुनिश्चित करे कि बोनस का जो भुगतान उन्होने ऐसे कर्मचारी को किया है वह राशि सबधित राज्य-कर्मचारी द्वारा राजकीय-लेखों मे ,जमा करा दी जाती है।

11. प्रति-नियुक्ति की अवधि:—एक राज्य-कर्मचारी को एक समय में अधिकतम तीन-वर्ष से अधिक समय/काल के लिये प्रति-नियुक्ति पर नही भेजा जाना चाहिये।

12. यह आदेश निम्न-पर लागू नहीं होंगे:—

(i) राज्य-कर्मचारी जिन्हे पचायत समितियो अथवा जिला परिषदों में प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है।

(ii) एक राज्य-कर्मचारी जिसे सरकार द्वारा किसी नगर परिषद्/नगरपालिका में आयुक्त अथवा किसी अन्य हैसियत से नियुक्त किया जावे अथवा जिसकी सेवायें एक भग की गई (सुपरसीडेड) नगर-परिषद् अथवा नगर-प.लिका/मण्डल मे प्रति-नियुक्ति पर सौप दी जाती है।

(iii) सहकारिता-विभाग के राज्य-कर्मचारी जिन्हे प्रदेश में पजीकृत सहकारी सस्थाओं मे प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है।

(iv) राज्य-कर्मचारी जिन्हे ऐसी सस्थान/निकाय मे प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है जहा प्रति-नियुक्ति की शर्त विशिष्ट कानून अथवा नियम/आदेशो से शासित होती हो।

[ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (3) वि. वि. (ग्रुप–2) 76 दिनांक 9–7–76 द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद में उपधारा (iii) एव (iv) जोड़ी गई हैं]

13. *यह आदेश पूर्व मे इस सम्बन्ध में जारी किये गये समस्त आदेशो/परिपत्रो आदि के अतिक्रमण मे* जारी किया जाता है। यह आदेश दिनाक 1–3–76 से प्रभावशील होंगे और यह उन राज्य-कर्मचारियो पर भी लागू होंगे जो पूर्व मे ही प्रति-नियुक्ति पर है।

14, कुछ मामलो मे राज्य-कर्मचारियो को, राजस्थान सेवा नियम 141 के अन्तर्गत, उनसे प्रति-नियुक्ति के लिये सहमति प्राप्त करने के बाद ही, प्रति-नियुक्ति पर भेजा गया था। इस प्रकार के मामले मे प्रति-नियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारीगण सम्भवतः उनकी प्रति-नियुक्ति की शर्तों मे परिवर्तन कर दिये जाने के

कारण वापिस अपने मूल-पद पर आना चाहें। ऐसे राज्य-कर्मचारियों को प्रति-नियुक्ति पर भेजने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा लिखित में इन आदेशों के प्रभावशील होने से एक माह पहले सूचना दे देनी चाहिये ताकि यदि वे वापिस आना चाहें तो इन आदेशों के प्रभावशील होने की तारीख तक अपने मूल-पद-पर वापिस आने का विकल्प दे सकें।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (3) वि. वि. (ग्रुप–2) 76–I दिनांक 23–1–76 द्वारा प्रसारित]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प. 1 (3) वित्त(ग्रुप–2) 76, दिनांक 23 जनवरी, 1976 में यह प्रावधान किया गया है कि एक कर्मचारी जो प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है उसे महगाई भत्ते के अलावा क्षतिपूर्ति भत्ता या तो उसकी पैतृक सरकार/सगठन में उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार या प्रति-नियुक्ति पर लेने वाली सरकार या प्राधिकारी के नियमों के अनुसार, या जो भी कर्मचारी के लिए लाभकारी हो, लेने का विकल्प दे सकता है।

सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उस कर्मचारी को, जो भारत सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार अथवा अन्य सगठन में प्रति-नियुक्ति पर है तथा जिसने प्रति-नियुक्ति भत्ते के साथ पैतृक-विभाग के वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प दिया है, महगाई भत्ते के समस्त घटको को मिलाते हुए पुनःरक्षित नवीन वेतनमान नियम 1976 के लागू होने पर क्षति-पूरक भत्ते, जैसे यात्रा-भत्ता, मकान किराया-भत्ता, परियोजना भत्ता इत्यादि को शासित करने वाले नियमों में किये गये परिवर्तनो के कारण पुनःरक्षित वेतनमान नियम 1976 में वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, राज्य-सरकार के नियमो के अनुसार क्षतिपूरक भत्तो के अधिकारी होने के मामले में, अलाभकारी स्थिति में रख दिया गया है।

मामले की परीक्षा की गई है और यह निश्चित किया गया है कि राजस्थान नागरिक सेवा (पुन रक्षित नवीन-वेतनमान) नियम 1976 के लागू होने के कारण राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उपरोक्त आदेश (दिनाक 23 जनवरी, 1976 वाला) के अनुच्छेद 6 के अनुसार देय क्षतिपूरक-भत्तो के सबध में विकल्प का प्रयोग करने का पुनः अवसर दिया जावे ताकि वो पैतृक विभाग में उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार या विदेशी-सरकार अथवा सगठन के नियमो के अनुसार जो भी उसे अधिक लाभप्रद हो, शासित होने का विकल्प दे सके। विकल्प का प्रयोग 1 सितम्बर, 1976 से किया जावेगा तथा उनके क्षतिपूरक भत्तो के सम्बन्ध में दावे तद्नुसार नियमित किये जावेंगे।

उपरोक्त अनुच्छेद–3 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में मरू-क्षेत्रिय सहित "परियोजना भत्ता", समय-समय पर प्रसारित राज्य सरकार के नियमो के अनुसार नियमित किये जावेंगे।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या प 1 (3) वित्त (ग्रुप–2) 76, दिनाक 25–5–77 एवं 22–8–77]

राजकीय निर्णय संख्या 3:— राज्य-सरकार के कर्मचारी जिन्हें स्थानान्तरण द्वारा प्रति-नियुक्ति पर अथवा वैदेशिक-सेवा में केन्द्रीय-सरकार, अन्य प्रादेशिक सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, मे एव स्वायत्त-शासित निकायो आदि-आदि मे भेजा जाता है, उन्हें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 1 (3) वि वि (ग्रुप–2) 76–I दिनांक 23–1–1976 के अनुसार यह विकल्प प्राप्त है कि वे चाहें तो प्रति-नियुक्ति वाले पद का वेतन प्राप्त कर सकते है अथवा अपने स्वय के मूल-वेतन तथा उसके साथ प्रति-नियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता प्राप्त कर सकते है।

राजस्थान नागरिक सेवाऐं (सशोधित नवीन वेतनमान) नियम 1976 दिनांक 1–9–1976 से प्रभावशील हो जाने के कारण दिनांक 1–9–76 से पूर्व प्राप्त महंगाई भत्ते की सारी राशि वेतन मे मिला दी गई है। फल-स्वरूप एक प्रश्न उत्पन्न किया गया कि जिन्हे उधार-लेने-वाले-सगठनों में 1–9–1976 के बाद भी वेतन तथा

महंगाई भत्ते पृथक-पृथक कर रखे है उनमें ऐसे राज्य-कर्मचारियो को विकल्प के अनुसार वैदेशिक-नियोजक के पद पर वेतन का निर्धारण किस प्रकार किया जाय।

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त अनुच्छेद–2 में वर्णित विकल्प, जिसकी सुविधा वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक 23–1–1976 के अनुच्छेद–5 मे दी गई थी और जो समय-समय पर सशोधित किया गया है, के अनुसरण मे ऐसे राज्य-कर्मचारी को पुनः विकल्प देने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा ऐसे मामले में एक राज्य-कर्मचारी को उसके पैतृक-विभाग के वेतनमान में अपने वेतन तथा साथ मे प्रति-नियुक्ति-(कर्त्तव्य) भत्ता एव पृथक से महगाई भत्ता राज्य सरकार के नियमो के अनुसार प्राप्त करने की अनुमति दी जावेगी। वित्त विभाग के उक्त अकित ज्ञापन के अनुच्छेद–6 के अनुसार अन्य भत्ते प्रथक से शासित किये जावेगे। उन्हे राज्य-कर्मचारियो का वेतन जो पूर्व मे ही प्रति-नियुक्ति पर है, दिनाक 1–9–1976 से इन आदेशों के प्रावधानो के अनुसार शासित किया जावेगा। वित्त विभाग के आदेश दिनाक 23–1–1976 को उपरोक्त अकित सीमा तक 1–9–1976 से सशोधित किया हुआ माना जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (3) वि वि. (ग्रुप–2) 76 दिनांक 27–5–1977 द्वारा निविष्ट]

नियम 145—अवकाश एवं भत्तों आदि का भार :—

(क) जब तक एक कर्मचारी विदेश-सेवा में है तब तक उसकी पेन्शन राशि का अंशदान, उसके पक्ष में, राजकीय संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिये।

(ख) यदि विदेश-सेवा भारत में हो तो अशदान अवकाश-वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिये।

(ख) (ख) यदि कर्मचारी पंचायत समितियों में प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है तो उसके अवकाश-वेतन अंशदान की वसूली नही की जावेगी तथा प्रतिनियुक्ति काल में प्राप्त अवकाश का अवकाश-वेतन पंचायत समितियों द्वारा ही वहन किया जावेगा।

टिप्पणी:—यह सशोधन 2 अक्टूबर, 1959 से प्रभावशील माना जावेगा।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एव (ख) के अन्तर्गत देय अंशदान राज्य कर्मचारी द्वारा चुकाया जावेगा जब तक वैदेशिक-नियोजक उसका भुगतान करने की सहमति नहीं दे दे। वैदेशिक-सेवा में अवकाश लेने के समय का कोई अंशदान देय नही होगा।

(घ) नियम 153 (ख) के अनुसार विशेष प्रवन्ध द्वारा अवकाश का अंशदान भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा के मामले में भी मांगा जा सकता है जिसमें वैदेशिक-नियोजक द्वारा अंशदान देना होगा।

टिप्पणी:—पेन्शन के साथ राजकीय अशदान, यदि कोई हो तो, सम्मिलित है जो कर्मचारी के भविष्य निधि खाते मे जमा कराना चाहिये।

नियम 145-ए—वेतन एवं भत्तों आदि का भार :—राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब, बिहार, तमिलनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, एव केरल सरकारों एवं राजस्थान सरकार के मध्य कर्मचारियों का एक दूसरे राज्य में स्थानान्तरण होने पर, अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेन्शन, आदि के भार का नियमन राजस्थान सेवा नियम भाग–2 के परिशिष्ट 13 मे उल्लेखित निर्देशों के अनुसार होगा।

नियम 145–बी–भारतीय रजवाड़ों एवं (बी) श्रेणी के राज्यों के बीच आपस में की गई

सेवा की गणनाः—राज्य कर्मचारी जिन्होंने एक भारतीय रजवाड़े में सेवा की है एवं जो अब (बी) श्रेणी राज्य का भाग बन चुका है या (ब) श्रेणी के अन्तर्गत आ चुकी है वह सेवा उसके केन्द्रीय सरकार मे स्थाई रूप से लिए जाने पर केन्द्रीय सरकार के पेन्शन नियमों के अनुसार पेन्शन योग्य गिनी जावेगी। इसी प्रकार का व्यवहार उस केन्द्रीय कर्मचारी के साथ किया जावेगा जो केन्द्रीय सरकार से (बी) श्रेणी के राज्यों के अन्तर्गत सेवा में अन्तिम रूप से ले लिया गया है तथा वहा से सेवा निवृत्त किया जाता है। सम्बन्धित सरकारों के अन्तर्गत की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पेन्शन की राशि के लिए उत्तरदायी वही सरकार बनी रहेगी तथा प्रत्येक सरकार का उत्तरदायित्व परिशिष्ट-13 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

नियम 146-अंशदान की दर :—पेन्शन एवं अवकाश-वेतन के लिये भुगतान किये जाने योग्य अंशदान की दर वह होगी जिसे राज्य सरकार सामान्य आदेशों के द्वारा निर्धारित करे।

आडिट निर्देशनः—(1) वैदेशिक-सेवा से लौटने के पूर्व नियम 127 (ख) के अनुसार लिये गये अवकाश के साथ कर्मचारी द्वारा लिये गये "कार्य-ग्रहण-काल" के समय के लिये अवकाश-वेतन का अंशदान उस वेतन की दर पर फलाया जाना चाहिये जिसे वह अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(2) जब एक कर्मचारी वैदेशिक-सेवा मे स्थानान्तरित हो जाता है या जब कर्मचारी की वैदेशिक-सेवा की अवधि बढ़ा दी जाती है तो यह माना जाना चाहिये कि पेन्शन या अवकाश-वेतन या केवल पेन्शन के लिए जैसी भी स्थिति हो, अंशदान राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार समय-समय पर प्रभावशील दरों के आधार पर वसूल किया जावेगा। इसी प्रकार यदि अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने वाला न हो तथा अंशदायी-भविष्य-निधि में अंशदान जमा करा रहा हो तो यह मानना चाहिये कि भविष्य-निधि मे अंशदान तथा अवधि--बद्ध अंशदान सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वसूल किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या–1 तथा संख्या–2:—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (3) वि वि. (ग्रुप-2) 77 दिनांक 17–1–1977 द्वारा उक्त अंकित राजकीय निर्णय संख्या–1 तथा निर्णय संख्या–2 अतिक्रमित (सुपरसीड) कर दिये गये हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—केन्द्रीय सरकार या अन्य प्रादेशिक सरकारों से जब कर्मचारी राजस्थान सरकार के अधीन पदो पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपनी सरकार के अवकाश नियमों से शासित होते रहते है तथा उनका अवकाश-वेतन अंकेक्षण संहिता भाग-1 के परिशिष्ट-3 मे अंकित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होता है। राज्य सरकारों के अधीन सेवा मे अस्थाई रूप से स्थानान्तरित कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति एवं अवकाश वेतन के वितरण के बारे मे अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया के बारे मे महालेखाकार राजस्थान-जयपुर के परामर्श से जांच की गई है तथा इस सम्बन्ध में निम्न-अंकित निर्देश जारी किये जाते है :—

(1) यदि ऐसा कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन अस्थाई सेवा अवधि मे अवकाश के लिये आवेदन करता है तो उसे अवकाश, सरकार के सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जावेगा। राजपत्रित-अधिकारियों के मामले मे अवकाश उस समय तक स्वीकार नही किया जाना चाहिये जब तक महालेखाकार द्वारा बकाया अवकाशों का सत्यापन नही कर दिया जावे। इस प्रयोजन के लिये कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से अन्त मे महालेखाकार के यहा भेजना चाहिये जो आवेदन-पत्र पर अवशेष अवकाशों के बारे मे प्रमाण-पत्र अंकित करेगा तथा उसकी एक प्रति सीधी सम्बन्धित कर्मचारी को तथा अवकाश स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा दूसरी प्रति वह अपने यहा रखेगा तथा साथ-साथ यदि ऐसे विशेष-विवरण, कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन आदि के बारे में, पूर्व मे प्राप्त नही किये गये हों, तो वह विवरण भी भेजेगा जो उसके कार्यालय मे उपलब्ध रहेगा तथा जो बाद मे आडिट-अधिकारी के लिये अवकाश वेतन फलाने के लिये आवश्यक होगा। अवकाश हेतु आवेदन

की दूसरी प्रति प्राप्त होने पर दूसरा आडिट अधिकारी स्वीकार्य अवकाश वेतन की फलावट करेगा तथा सामान्य रूप में सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश-वेतन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी, जहां कहीं आवश्यक है, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार के अधीन भेजने वाले कार्यालय से केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकारों के अवकाश नियमों के अधीन देयता प्रमाण-पत्र मांग सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश-वेतन का भुगतान राजपत्रित कर्मचारी के सम्बन्ध में कोषागार द्वारा प्राधिकृत किया जावेगा जबकि अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में ऐसा भुगतान सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

(3) यदि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करता है तथा सेवा नियम 89 के अधीन अथवा ऐसे अवकाश के समकक्ष केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लोकहित की आवश्यकता के आधार पर उक्त अवकाश अस्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार से सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश के मना करने से पूर्व उससे अनिवार्य रूप से परामर्श ले लिया गया है। यदि केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार ऐसे अवकाश को मना करने से सहमत नहीं हो अथवा उसके द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त पेन्शन सम्बन्धी देयता के वहन करने से मना करती हो तो उचित यह होगा कि पूर्व में आवेदन किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश को स्वीकृत कर दिया जावे तथा बाद में सम्बन्धित कर्मचारी को उसके वर्तमान पद पर राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्त कर लिया जावे। ऐसे कर्मचारी का अवकाश-वेतन ऐसे प्रबन्ध के अधीन रहेगा जैसा केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार निश्चित करना चाहे।

(4) यदि कर्मचारी अवकाश के लिये आवेदन राज्य सरकार के अधीन अपनी पुनः नियुक्ति के अन्त में किन्तु सम्बन्धित सरकार के अधीन वास्तव में काम पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व करता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करेगी तथा यह निर्णय करेगी कि क्या अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है तो केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार से कर्मचारी के वापिस आने पर वह अवकाश प्रारम्भ होना चाहिये तथा अवकाश स्वीकृति के आदेश की औपचारिक सूचना केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिये। सम्बन्धित सरकार के साथ परामर्श राज्य सरकार के अधीन कर्तव्य की सूचना के तथा अवकाश के प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व किया जाना चाहिये, ताकि केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार यह निर्णय करले कि क्या अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक रहेगा अथवा नहीं।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—सेवा नियम 145 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार विदेश-सेवा में प्रति-नियुक्त एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश-वेतन-अंशदान की राशि विदेशी नियोजक से वसूल की जाती है और इस अंशदान के एवज में राज्य सरकार उस कर्मचारी को उस अवधि का अवकाश-वेतन देती है जिसमें वह विदेशी-नियोजक के अधीन रहते हुए अवकाश का उपभोग करता है। ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी को क्षति-पूरक भत्तों का भुगतान, (अवकाश अवधि का) विदेशी-नियोजक द्वारा ही किया जाता है। विदेशी-नियोजक के अधीन प्रति-नियुक्त राज्य-कर्मचारियों को अवकाश-वेतन के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रश्न कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है।

उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने निर्णय दिया है कि अब से विदेशी-नियोजक द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों का अवकाश-लेखा रखा जावेगा जो उनके अधीन प्रतिनियुक्त है। विदेशी-नियोजक ही ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी को बकाया एव देय अवकाशो का निर्धारण करेगे और कर्मचारी के आवेदन पर अवकाश स्वीकार कर देगे तथा उसकी सूचना कर्मचारी के पैतृक विभाग को देंगे। अवकाश अवधि के अवकाश-वेतन का भुगतान उधार लेने वाले प्राधिकारी को ही सेवा नियम 97 के प्रावधानो के अनुसार करना होगा। इसके बाद विदेशी-नियोजक प्रति अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अवकाश-वेतन के किये गये ऐसे भुगतानों का पुनर्भरण (रिम्बर्समेन्ट) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालय-अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित कर्मचारियो, जैसी भी स्थिति हो, के बारे मे प्राप्त करेगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा/राजस्थान लेखा सेवा से सम्बन्धित अवकाश वेतन के पुनर्भरण के मामले उप सचिव, कार्मिक विभाग तथा मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान को क्रमश: भेजे जावेंगे।

राज्य कर्मचारियो को उधार लेने वाले प्राधिकारी अवकाश वेतन के पुनर्भरण के दावे अर्द्ध-वार्षिक आधार पर दिनाक 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च के आधार पर उक्त प्राधिकारियो को विदेश-सेवा मे प्रतिनियुक्त सम्बन्धित कर्मचारी के सेवा विवरण के साथ भिजवायेंगे। सेवा विवरण मे स्वीकृत किये गये अवकाश की प्रकृति, अवकाश-वेतन की दर एव चुकाये गये अवकाश वेतन की राशि का उल्लेख किया जावेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालय-अध्यक्ष पुनर्भरण के, विदेशी नियोजक द्वारा प्रस्तुत, ऐसे दावो का सत्यापन करेंगे और उनके प्राप्त होने से एक माह मे बैंक-ड्राफ्ट द्वारा राशि का पुनर्भरण कर देगे।

यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 146 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (1) तथा (2) को निरस्त करते हुए जारी किये जाते हैं। यह आदेश दिनाक 1 जनवरी, 1977 से प्रभावशील होंगे।

[ज्ञापन संख्या प 1 (3) वि. वि./(ग्रुप-2) 77 दिनांक 17–1–77 द्वारा निविष्ट]

नियम 147–अंशदान की गणना :—नियम 146 के अनुसार निर्धारित की गई पेन्शन अंशदान की दरे राज्य कर्मचारी के लिये पेंशन (उस अवधि के लिये) प्राप्त कराने के उद्देश्य से ऐसी दरें होगी जो वह सरकार के अन्तर्गत रहकर सेवा करने पर प्राप्त करता यदि वैदेशिक-सेवा में नियुक्त नही किया जाता।

अवकाश वेतन अंशदान की दरें कर्मचारी को उस पर लागू वेतनमान में लागू अन्य शर्तों के साथ अवकाश-वेतन दिलाने के लिये होगी। स्वीकार्य अवकाश-वेतन की फलावट में वैदेशिक-सेवा में प्राप्त किया गया वेतन, नियम 7 (24) के प्रयोजनों के लिये, वेतन के रूप मे गिना जावेगा। इस बाहरी सेवा में देय वेतन से उन कर्मचारियों से जो अंशदान दे रहे है उतनी ही राशि काट ली जावेगी जो उसे अंशदान के रूप मे दी जाती है।

टिप्पणी:—इस नियम के अन्तर्गत अंशदान की दरें तथा उसकी फलावट की प्रक्रिया का उल्लेख राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (5) में किया हुआ है। यह निर्णय किया गया है कि वैदेशिक-सेवा में प्रस्थान करते समय नियम 127 (ख) के अनुसार उपभोग किये गये कार्य-ग्रहण-काल के सम्बन्ध मे अवकाश-वेतन-अंशदान की वसूली उस वेतन के अनुसार की जानी चाहिये जो कर्मचारी वैदेशिक-सेवा मे पदभार-ग्रहण करने पर प्राप्त करता है।

राजकीय निर्णय :—राजस्थान राज्य कर्मचारी जो वैदेशिक-सेवा मे प्रतिनियुक्ति पर हों, उनका अवकाश-वेतन-अंशदान वैदेशिक नियोजक से प्राप्त किये जाने वाले वेतन के आधार पर दिया जावेगा जहा पर वो स्वय अंशदान दे रहे हो। इसमें अंशदान की राशि काटली जावेगी।

नियम 148–प्रंशदान को छोड़ना अथवा छूट देना :—राज्य सरकार वैदेशिक-सेवा मे स्थानान्तरण के समय के :—

(क) किसी विशिष्ट मामले मे या मामलो की श्रेणी में वकाया अंशदान को छोड़ सकती है, एवं

(ख) अविध वकाया अशदान पर, यदि कोई हो, व्याज की दर निर्धारित करने पर नियम वना सकती है।

राजकीय निर्णय:—राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध मे जो भूटान सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त थे, उनके पेन्शन अशदान की वसूली राजस्थान सेवा नियम 148 (क) के अन्तर्गत समाप्त की जाती है।

नियम 149–अवशेष अंशदानों पर ब्याज :—वैदेशिक-सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी के अवकाश अथवा पेन्शन प्रशदान का वकाया वार्षिक भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त मे 15 दिन के अन्दर अथवा यदि वैदेशिक-सेवा की अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो वैदेशिक-सेवा की समाप्ति पर चुकाया जावेगा। भुगतान यदि इस निर्धारित अवधि में नही किया जाता है तो वकाया अशदान पर, जव तक सरकार द्वारा विशेष रूप में उसे माफ नही कर दिया हो उस वकाया राशि पर, 2 पैसा प्रतिदिन प्रति 100/- रुपये के अनुपात मे भुगतान करने की अवधि की समाप्ति से भुगतान करने की वास्तविक तारीख तक व्याज फलाकर पूर्णरूप से अशदान की राशि सहित सरकार को जमा कराया जावेगा। व्याज, राज्य कर्मचारी द्वारा या वैदेशिक-नियोजक द्वारा, इनमें से जो कोई भी प्रशदान जमा कराता है, जमा कराया जावेगा।

[आदेश संख्या एफ 1 (24) वि. वि (ग्रुप–2) 75 दिनांक 16–7–76 द्वारा प्रति-स्थापित]

राजकीय निर्देश:—राजस्थान सेवा नियम 149 के अनुसार यदि वैदेशिक-सेवा मे नियुक्त कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके अवकाश-वेतन या पेन्शन अशदान का भुगतान सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में 15 दिन के अन्दर अथवा वैदेशिक सेवा अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही समाप्त होने पर वैदेशिक-सेवा की समाप्ति पर कर दिये जाने का प्रावधान है। देय राशि नही चुकाई जाने पर वकाया अंशदान पर, जव तक उसे सरकार द्वारा विशेष रूप से माफ नही कर दिया गया हो, सरकारी कोष मे दण्डनीय व्याज देना होता है। वर्तमान नियमो के अन्तर्गत विदेशी सेवा मे प्रतिनियुक्त कर्मचारी के अवकाश-वेतन अथवा पेन्शन-अशदान की दरे महालेखाकार राजस्थान-जयपुर द्वारा उधार लेने वाले प्राधिकारी के पास, भेजदी जाती हैं। यह देखा गया है कि वैदेशिक-सेवा के अ शदान की दरो की सूचना भेजने मे विलम्व होता है क्योंकि महालेखाकार को उक्त सूचनाये नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों से मागनी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सम्बन्धित विदेशी नियोजकों द्वारा निर्धारित समय मे अशदान नही चुकाया जाता है और उन्हे सरकार को ब्याज की रकम माफ करने के लिये लिखना पडता है।

अंशदान वसूल करने मे विलम्व से वचने के लिये भविष्य मे अवकाश-वेतन तथा पेन्शन/अशदायी भविष्य निधि अंशदान की स्वीकृति के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (5) के प्रावधानो के अनुसार वैदेशिक-नियोजक द्वारा फलाकर निकाली जावेगी तथा वह उसके आधार पर अंशदान की राशि महालेखाकार-राजस्थान जयपुर को भेजेगा। वैदेशिक-सेवा मे सम्वन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण (स्वीकृति) के आदेशो मे एक निम्न-अंकित अतिरिक्त शर्त और सम्मिलित करेंगे:—

"वैदेशिक-नियोजक अथवा राज्य कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (5) के प्रावधानों के अनुसार सलग्न प्रपत्र मे अवकाश-वेतन एव/अथवा पेन्शन/अंशदायी भविष्य निधि की उल्लिखित दरों के अनुसार अंशदान की राशि जमा करायेगा तथा उसके द्वारा निश्चित की गई दरों के हिसाब से अंशदायी-राशि का वास्तविक भुगतान सरकार को "प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अथवा यदि वैदेशिक-सेवा की अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो उसकी समाप्ति पर, कर दिया जावेगा।" अस्थाई दरों को निकालने मे सहायता के लिये प्रपत्र सलग्न किया गया है।

टीका:—इस निर्देशन के अनुच्छेद (1) तथा (2) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (24) वि. वि. (ग्रुप-2) 75 दिनांक 16–7–76 द्वारा संशोधित किये गये हैं।

अशदान की राशि राजकीय लेखो मे निम्न-अकित मदो मे जमा करायी जानी चाहिये:—

(1) अवकाश-वेतन अश-दान, आय शीर्षक मे जमा होगा जो लेखो के सेवा शीर्षक (सर्विस हैड आफ अकाउन्ट) के समान होगा जिसमे पैतृत विभाग मे अधिकारी का वेतन नामे लिखा जाता है अथवा जहा उस विभाग का समान मुख्य शीर्षक नही है वहा यह राशि लेखों के 'विविध मद' में जमा होगी।

(2) पेन्शन/अशदायी भविष्य निधि अशदान XLVIII अशदान पेन्शन के लिये एव सेवा-निवृत्ति-लाभ अशदान तथा पेन्शन/अशदायी भविष्य निधि के लिये ग्रेच्यूटी पेन्शन की वसूलिया शीर्षक के अन्तर्गत जमा करायी जावेगी।

वैदेशिक-नियोजक द्वारा निश्चित की गई दरो को अस्थाई समझा जावेगा तथा महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा सही रूप से निश्चित किये जाने के समय तक वह विचाराधीन ही रखी जावेगी एवं वह पूर्व-प्रभाव से समायोजित करने की शर्त पर होगी। यदि वैदेशिक-नियोजक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय मे अवकाश वेतन/पेन्शन/अशदायी भविष्य निधि, अशदान की राशि सरकार को नही चुकाई हो तो वैदेशिक-नियोजक की ओर बकाया राशि, जो 1 अप्रेल 1964 के बाद से बकाया है, वह दण्ड स्वरूप ब्याज की रकम सहित वसूल की जावेगी।

स्पष्टीकरण:—नियम 149 के अन्तर्गत राजकीय निर्देशन के रूप मे प्रविष्टी वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 11 जून. 1964 के अन्तिम अनुच्छेद की सही क्रियान्विति के सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न किया गया है जो वैदेशिक-नियोजक द्वारा भुगतान नही किये गये अशदान पर 1 अप्रेल, 1964 से दण्डनीय ब्याज की दर सहित वसूली का प्रावधान करता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलो मे जहा वैदेशिक-नियोजक निर्धारित अवधि में पैशन-अंशदान का भुगतान नही करना है तो वहा भुगतान नही किये गये अशदान पर दण्ड-ब्याज (पैनल-इन्ट्रेस्ट) की दर, 1 अप्रेल, 1964 से अथवा उस दिन के बाद की तारीख से जिसको अशदान भुगतान किया जावेगा, या किया जाता है, जो भी बाद मे हो, की वसूली की जावेगी।

नियम 150–वैदेशिक-सेवा में अंशदान-कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता :–वैदेशिक-सेवा में नियुक्त राज्य-कर्मचारी उस अवधि के लिए देय अवकाश-वेतन एवं पेन्शन अंशदान को रोकने तथा वैदेशिक-सेवा में व्यतीत समय को राज्य-सेवा के रूप मे नही गिने जाने के लिये नहीं कह सकता है। उसके पक्ष में अंशदान के भुगतान से वह उस पर प्रभावी सेवा नियमो के अनुसार पेन्शन या अवकाश वेतन, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने का अधिकारी होता है। न तो वह और न ही वैदेशिक-

नियोजक भुगतान किये गये अंशदान मे से कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते है और उसके लौटाये जाने की कोई माग स्वीकार नही की जा सकती है।

नियम 151–वैदेशिक-नियोजक से पेन्शन या ग्रेच्यूटी स्वीकार करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक:—एक राज्य-कर्मचारी जो विदेश सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है वह राज्य-सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी सेवा के एवज में वैदेशिक-नियोजक से कोई पेन्शन या ग्रेच्यूटी स्वीकार नही कर सकता है।

नियम 152–वैदेशिक-सेवा में राज्य-कर्मचारियों को अवकाश :—वैदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्त कर्मचारी को उस पर प्रभावी नियमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप से कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा वह सरकार से अवकाश या अवकाश-वेतन प्राप्त नही कर सकता है जब तक वास्तव में वह उस सेवा को नही छोड़ देता है अथवा अवकाश पर नहीं चला जाता है।

नियम 153(क)– भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा में अवकाश को स्वीकृति को नियमित करने का विशेष-प्रावधान :—भारत से बाहर सेवा में नियुक्त अधिकारी को विदेशी-नियोजक द्वारा ऐसी शर्त पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसमें वह निश्चित करने वाला सक्षम-प्राधिकारी वैदेशिक-नियोजक के परामर्श से ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है, जिस पर वैदेशिक-नियोजक द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियोजक द्वारा स्वीकृत किये गये अवकाश के अवकाश-वेतन का भुगतान वैदेशिक-नियोजक द्वारा किया जावेगा तथा वह अवकाश अधिकारी के अवकाश लेखों में दर्ज नहीं लिखा जावेगा।

नियम 153 (ख) :—विशेष परिस्थितियों में भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण करने को सक्षम-प्राधिकारी वैदेशिक-नियोजक के साथ ऐसे प्रबन्ध कर सकता है जिसके कारण किसी भी कर्मचारी को उस पर राज्य कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वैदेशिक-नियोजक सेवा नियम 146 के अन्तर्गत निर्धारित से अवकाश-अंशदान राज्य की सचित निधि मे जमा कराता है।

टिप्पणी:—पेन्शन के प्रयोजनो के लिये भारत से बाहर वैदेशिक-नियोजक द्वारा उसे उधार दिये गये कर्मचारी के लिए उसकी स्वीकृत अवधि को अवकाश के रूप में समझा जाना चाहिये एव कर्त्तव्य के रूप में नही समझा जाना चाहिये। ऐसा कोई अवकाश यदि पूर्ण वेतन या उसके समान अन्य शर्तों पर लिया गया हो तो उसे एक समय मे अधिकतम 4 माह तक, नियम 91 के प्रयोजनों के लिए, उपार्जित अवकाश के रूप में समझा जाना चाहिये तथा उस अवधि के सभी अवकाश एव अन्य अवकाश भत्ते नियम 92 से 98 के अनुसार भुगताये जाने चाहियें।

नियम 154–राजकीय-सेवा में स्थानापन्न-पदोन्नति पर वैदेशिक-सेवा में कर्मचारी के वेतन का नियमन :—वैदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्त-अधिकारी यदि राज्य सेवा में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपना वेतन राज्य सेवा मे उस पद के वेतन के अनुसार प्राप्त करेगा जिस पर वह पदाधिकार रखता है या वह अपना पदाधिकार रखता यदि उसे निलम्बित नहीं किया जाता तथा उस पद का वेतन प्राप्त करता जिस पर स्थानापन्न कार्य करता है। उसका वेतन निर्धारित करने मे वैदेशिक-सेवा में प्राप्त किये गये वेतन को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

नियम 155-वैदेशिक-सेवा से लौटने की तारीख :—एक अधिकारी को वैदेशिक सेवा से राज्य सेवा में उस दिन लौटा हुआ समझा जाता है जिस दिन वह राज्य सेवा में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करता है। किन्तु यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व वैदेशिक-सेवा की समाप्ति पर अवकाश ले लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन उस दिन से प्रभावशील होगा, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

टिप्पणी संख्या 1:—उन मामलों मे जहा कर्मचारी पूर्व मे ही भारत में या भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा मे सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त अथवा नियत्रित एक निगम/निकाय के अन्तर्गत नियुक्त है तथा जब वह निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के लिए प्रार्थना करे तो आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि सरकार उसे निगम/निकाय या अपनी सेवा मे अवकाश का उपभोग करने के लिये कार्यमुक्त करने को सहमत हो। यदि वह इस प्रकार से कार्य-मुक्त नही किया जावे तो अवकाश लोक-हित की दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिये तथा वह अवकाश कर्मचारी को बाद में उसकी सेवा-निवृत्ति पर सेवा नियम 89 के अन्तर्गत देय सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है।

2—वे मामले जहा कर्मचारी सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियत्रित निकाय/निगम के अतिरिक्त भारत मे या भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा मे प्रति-नियुक्त है तथा वह निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के लिए प्रार्थना करे तो ऐसे मामले में अवकाश तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब कर्मचारी वैदेशिक-सेवा छोड देगा। दूसरे शब्दो मे निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के समय मे उसे वैदेशिक-नियोजक के अधीन सेवा पर रहने की आज्ञा नही दी जावेगी। वैदेशिक-नियोजक के अधीन सेवा के फल-स्वरूप निवृत्ति-पूर्व-अवकाश स्वीकृत किये जाने की असमर्थता को सेवा नियम 89 के प्रयोजनों के लिए अस्वीकृत किया हुआ अवकाश नही समझा जावेगा। यदि उसे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तारीख के बाद वैदेशिक प्रबन्ध मे सेवा करने की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह पूर्णतया गैर-सरकारी नियुक्ति मे समझा जावेगा।

उन मामलो में जहा कर्मचारी को अस्वीकृत अवकाश की अवधि मे किसी ऐसे निकाय/निगम के अधीन पुनः नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है या वह प्राप्त करना चाहता है जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियत्रित हो तो जिस अधिकारी ने उसको स्वीकृत किया था उसे उस कर्मचारी द्वारा उपभोग नही किये गये अवकाश को रद्द कर देना चाहिये तथा ऐसे अवशेष रहे अवकाश का उपभोग कर्मचारी पुनःनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद उन शर्तों के आधार पर कर सकता है जिनका उल्लेख सेवा नियम 65 के अधीन राजकीय निर्णय जो वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ डी. 1760/59/एफ (1) (16) एफ. डी आई/नियम/57 दिनाक 30 अक्टूबर, 1959 द्वारा सम्मिलित किया गया है।

फिर भी यदि सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियत्रित निगम/निकाय के अतिरिक्त अन्य वैदेशिक-सगठन मे कर्मचारी को पुनः नियुक्ति की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह पुनः नियुक्ति की शर्तो के आधार पर अपने अस्वीकृत अवकाश का पुन- उपभोग नही कर सकता है। वह या तो सेवा से उसी समय निवृत्त किये जाने का विकल्प दे सकता है या ऐसे सगठन के अधीन अस्वीकृत अवकाश काल मे सेवा मे इस शर्त के साथ बने रहने का विकल्प दे सकता है कि उसे उस काल मे अवकाश वेतन, अर्द्धवेतन अवकाश की सीमा तक मिलेगा।

राजकीय निर्णय:—एक कर्मचारी जो पचायत-समिति की वैदेशिक-सेवा के समाप्त होने पर वापिस राजकीय-पद पर उस दिन से वापिस आया हुआ माना जावेगा जिस दिन से वह पचायत-समिति मे पद का कार्यभार सम्भलाता है।

स्पष्टीकरण:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या केन्द्रीय/अन्य राज्य-सरकार उन्हे प्रति-नियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियो को प्रतिनियुक्ति का समय व्यतीत हो जाने पर अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्वन्धित केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को आवेदित अवकाश-स्वीकृत कर सकती है। उस अधिकारी का राजस्थान-सरकार के पास वापिस आना उसी तारीख से प्रभावी माना जावेगा जिसको वह सरकार के अधीन सेवा मे पुनः उपस्थित होता है।

नियम 156 :—जब राज्य कर्मचारी वैदेशिक-सेवा से राजकीय-सेवा में वापिस लौटकर आता है तो उसका वेतन वैदेशिक-नियोजक द्वारा दिया जाना वन्द कर दिया जावेगा तथा उसका अंशदान वापिस आने की तारीख से वन्द कर दिया जावेगा।

नियम 157 :—जब एक नियमित-संस्थापन में इस शर्त पर अतिरिक्त-वृद्धि की जानी हो कि अतिरिक्त-वृद्धि का पूर्ण या आंशिक-व्यय उनसे वसूल किया जावेगा जिनके हित के लिये अतिरिक्त संस्थापन लगाना पडा है तो उसके सम्वन्ध मे वसूलियां निम्न-अंकित नियमो के अनुसार होंगी :—

(क) वसूल की जाने वाली राशि सेवा के लिये स्वीकृत कुल व्यय की राशि अथवा सेवा के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, होगी तथा किसी माह में वास्तविक व्यय के आधार पर नही वदलेगी।

(ख) सेवा के व्यय में नियम 146 में अंकित दरों के अनुसार अंशदान की राशि भी सम्मिलित होगी एव अंशदान की राशि संस्थापन वर्ग के स्वीकृत वेतन के आधार पर गिनी जावेगी।

(ग) सरकार वसूलियों की राशि में कमी भी कर सकती है अथवा उन्हें छोड़ भी सकती है।

अध्याय 14

विविध

स्थानीय-निधियों के अधीन सेवा

नियम 158:—जिन राज्य-कर्मचारियों को भुगतान सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय-निधि से किया जाता है वे इन के अध्याय 1 से 12 के प्रावधानों से शासित होंगे।

टिप्पणी संख्या 1:—सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय-निधि से वेतन-प्राप्त-कर्मचारी जिन्हे राज्य की संचित-निधि से भुगतान नहीं किया जाता है एवं इस कारण जो राज्य-कर्मचारी नहीं है, उनका नियमन अध्याय 1 से 12 तक दिये गये नियमों के अनुसार होता है।

2—सरकार द्वारा प्रशासित "स्थानीय-निधि" का तात्पर्य उस निधि से है जो स्वशासित निकायों द्वारा शासित होती हैं और जो विधि या कानून का प्रभाव रखने वाले नियमों के अनुसार सामान्य रूप से प्रक्रियाओं के सम्बन्ध मे सरकारी नियंत्रण में आती है, जैसे उनके बजट की स्वीकृति तथा एक विशिष्ट रिक्त स्थान को भरने के लिये पद का सृजन करना या अवकाश या पेंशन या अन्य समान नियमो का वैधिकरण (कोडीफिकेशन) करना आदि मामले मे भी सरकार के नियंत्रण मे आते है। दूसरे शब्दों मे इसका तात्पर्य उन निधियो से है जिनके व्यय पर सरकार का अप्रत्यक्ष रूप मे नियंत्रण रहता है।

राज्य कर्मचारी/अधिकारियो का ऐसी स्थानीय-निधि की सेवा में स्थानान्तरण का नियमन, जो सरकार द्वारा प्रशासित नही है, अध्याय 13 मे वर्णित नियमो के अनुसार होगा।

टीका :—स्थानीय निधियों की परिभाषा में नगरपालिकाओं, नगर-परिषदों, कृषि उपज मंडियों एवं पंचायत समितियों की निधियां आती है। इन निधियो की आय का स्रोत राजकीय अनुदान, स्थानीय कर तथा की गई सेवाओं के एवज मे शुल्क के रूप में प्राप्त राशियां होती हैं। किन्तु इन पर अप्रत्यक्ष रूप से किसी अधिनियम/नियमो के अनुसार (इन निधियो पर) राजकीय नियंत्रण होता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी/अधिकारी इन संस्थाओं में उधार के रूप में भेजा जाता है तो वह वैदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्ति पर माना जाता है और उसका वेतन एवं भत्ते अध्याय 13 के अनुसार नियमित किये जाते हैं। किन्तु यदि कोई कर्मचारी राज्य सेवा छोड़कर ऐसी संस्थाओं में स्थाई रूप से नियुक्ति प्राप्त कर लेता है अथवा अन्तरलीन (एबजारब्ड) हो जाता है तो उसकी सेवा की शर्तें, वेतन आदि, इन निधियों के कानून, नियम एवं उपनियमों के अनुसार नियमित होती हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्य सरकार के पास एक प्रश्न यह विचाराधीन था कि क्या एक राज्य कर्मचारी जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित निगम/निकायो के अधीन सेवा मे स्थानान्तरित या प्रति-नियुक्त किया जाता है या जिसकी सेवायें एक ऐसे निकाय मे स्थानान्तरित कर दी जाती है, उसको उस निकाय के अधीन सेवा मे स्थाई नियुक्त किये जाने की दशा मे उसके द्वारा सरकार के अधीन पूर्व मे की गई पेन्शन-योग्य-सेवा के एवज में कोई निवृत्ति-लाभ दिया जा सकता है एवं यदि दिया जाता है तो कितना तथा वह किस प्रकार मे दिया जा सकता है ? गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले मे निम्न-अनुच्छेद (2) मे अंकित शर्तों के अनुसार एक ऐसी राशि जो राज्य सरकार अंशदान के रूप मे दे सकती थी यदि वह सरकार के अधीन जोधपुर अंशदायी निधि मे योगदान करने वाला कर्मचारी होता, के समान एवं सरकार के अधीन उसके पेन्शन-योग्य सेवा अवधि के लिये 2 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कुल राशि को उस निकाय/निगम

ग्रशदायी भविष्य निधि के खाते मे कर्मचारी के नाम उस तारीख से जमा कराई जा सकती है जिस दिन से कर्मचारी स्थाई रूप से उस निकाय/निगम मे ग्रन्तरलीन हुग्रा है एव राज्य सरकार की ग्रधिकारी द्वारा की गई सेवाग्रों के एवज मे निवृत्ति-लाभ भुगतान की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है।

उपरोक्त निर्णय केवल ऐसे मामलों पर ही प्रभावी होंगे जहा राज्य सेवा से एक ग्रधिकारी एक स्वतन्त्र निकाय मे सार्वजनिक-हित मे स्थाई रूप से स्थानान्तरित हो गया है एवं स्थानान्तरण किसी सरकारी ग्रथवा ग्रर्द्ध-सरकारी निगम में हो न कि किसी निजी सस्था मे। ग्रन्य समस्त मामलो मे ग्रपने स्थानान्तरण से पूर्व ग्रधिकारी द्वारा की गई सेवा की ग्रवधि को सेवा-निवृत्ति के लाभो को चुकाने के लिये राज्य सरकार किसी भी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नही करेगी। यह सुविधा ग्रधिकार के रूप मे नही मानी जा सकेगी तथा सरकार के निर्णय पर व्यक्तिगत मामले में जहा करना न्यायोचित प्रतीत हो, स्वीकृत की जा सकेगी।

राजकीय निर्णय सख्या 2:—वित्त विभाग की ग्राज्ञा दिनाक 19 ग्रप्रेल, 1962 (उपरोक्त निर्णय सख्या–1) के ग्रनुसार ग्रशदान के उस भाग पर 2 प्रतिशत ब्याज की दर से कर्मचारी के पक्ष मे भुगतान करने का प्रावधान है जो लोकहित मे राजकीय स्वामित्व प्राप्त नियन्त्रित निकाय ग्रथवा निगम में स्थायी रूप से ग्रन्तरलीन हो गये है। यह प्रश्न उपस्थित हुग्रा कि उपरोक्त ग्रादेशो के सम्बन्ध मे भुगतान योग्य ग्रशदान पर ब्याज किस प्रकार निकाला जावे। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले मे ग्रशदान की कुल रकम पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज राज्य कर्मचारी को उस निकाय मे स्थाई-रूप से ग्रन्तरलीन हो जाने के पूर्व उसके द्वारा की गई पेन्शन-योग्य सेवा की कुल ग्रवधि के लिये फलावट की जानी चाहिये।

टिप्पणी:—यह विकल्प उन ग्रस्थाई राज्य सेवा के कर्मचारियो पर लागू नही होगा जो विद्युतीकरण एवं मेकनीकल विभाग मे दिनाक 30 जून, 1957 को सेवा में थे एव जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल मे स्थाई होने के बाद वही रह गये है।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—राज्य सरकार कुछ समय पूर्व से उन ग्रधिकारियो के सम्बन्ध मे पेन्शन की शर्तों के निर्णय के प्रश्न पर विचार कर रही है जो राजकीय विभाग के एक निकाय/निगम के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण किसी स्वतन्त्र सगठन के रूप मे बदल गया है।

ऐसे मामले मे जहा स्वतन्त्र निगम मे स्थानान्तरित किया गया कर्मचारी उस निगम/निकाय के नियमो द्वारा शासित होने का विकल्प करता है एव उस निकाय के नियम ग्रशदायी भविष्य-निधि का लाभ प्रदान करते हैं तो राज्य सरकार या ऐसी निकाय के लिये, राजकीय निर्णय सख्या (1) के ग्रनुसार यथा समय संशोधित नियमो के ग्रनुसार उसके ग्रधीन की गई सेवा की ग्रवधि का ग्रंशदायी भविष्य निधि ग्रश-दान एव उस पर ब्यांज प्रदान करना होगा। स्वतन्त्र निकाय होने पर कर्मचारी को पैंशन निकाय द्वारा दी जावेगी। फिर भी पेन्शन सम्बन्धी देनदारी सेवा-ग्रवधि के ग्राधार पर राज्य सरकार एव निकाय के बीच बाटने योग्य होगी। राज्य सरकार ग्रपने पेन्शन के भाग का पूंजीकृत मूल्य उस निकाय को देकर ग्रपने दायित्वो से मुक्त हो जावेगी।

जहा तक ग्रनुच्छेद (2) के प्रावधानों का प्रश्न है, उन्हे इन कर्मचारियो पर प्रभावी करने मे कोई ग्रापत्ति नही होगी जो इन ग्रादेशो के प्रसारित किये जाने से पूर्व स्वायत्त-शासित निकायों में स्थानान्तरित हो चुके हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—ग्रनेकों राजकीय कर्मचारियो एव ग्रधिकारियो की सेवायें समय-समय पर निम्न-ग्रकित स्वायत्त-शासित निकायो/निगमों को स्थानान्तरित की गई हैं—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय

(3) जोधपुर विश्वविद्यालय
(4) मालवीय क्षेत्रिय इंजिनियरिंग महाविद्यालय, जयपुर
(5) उच्चत्तर-माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, अजमेर
(6) राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर
(7) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर
(8) राजस्थान राज्य होटल निगम, जयपुर

इनमे से कुछ निकायो/निगमो मे जब स्थानान्तरित कर्मचारियो के मामलों मे से ऐसे स्थानान्तरण पर उन्हे स्वीकार्य अवकाश तथा पेन्शन सम्बन्धी अन्य लाभो के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश जारी कर दिये गये थे किन्तु अन्य निकायो मे स्थानान्तरित कर्मचारियों के सम्बन्ध मे ऐसे कोई आदेश प्रसारित नही किये गये। जहा ऐसे आदेश जारी किये गये है वहा यह पाया गया है कि इस प्रकार के दिये गये लाभ या तो समान रूप से नही थे या वह आदेश समान रूप से लागू होने वाला नही था। इस प्रकार के मामलो मे एक रूपता लाने के लिये तथा पूर्व मे स्थानान्तरित कर्मचारियो के समस्त मामलो को तथा इस आदेश के बाद भविष्य में और होने वाले मामलो को निपटाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त अंकित किसी भी निकाय/निगमों में जो सरकार द्वारा गठित है, या गठित किये जाय, राज्य कर्मचारियो/अधिकारियों की सेवाओ के स्थायी रूप से स्थानान्तरण के लिये निम्न-अंकित शर्तें समान रूप से निर्धारित की गई है।

(I) **स्थाई राज्य कर्मचारी जिनकी स्थानान्तरण के दिन न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा सरकार के अधीन हो गई है:**—इस श्रेणी के कर्मचारियो की सेवायें जब तक वे स्वय ऐसा नही चाहे, निकायो/निगमो मे स्थानान्तरित नही की जावेगी। किन्तु जब तक वे कर्मचारी सेवा नियमो मे निर्धारित अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त नही कर लेते है, तब तक प्रतिनियुक्ति पर समझे जावेगे। अवकाश तथा पेन्शन आदि के लिए राज्य सरकार को देय समस्त अशदान विदेशी-नियोजक द्वारा वहन किया जावेगा। सेवानिवृत्त होने पर उन्हे पेन्शन सम्बन्धी/भविष्य निधि के वे लाभ प्राप्त होगे जो उन्हे राजस्थान सेवा नियम या जोधपुर अशदायी भविष्य निधि के अधीन देय होगा। फिर भी वे उन्हें सरकार के किसी विशिष्ट आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत लाभों के अतिरिक्त कोई प्रतिनियुक्ति-भत्ता प्राप्त नही होगा।

ऐसे कर्मचारियो के द्वारा स्वायत्त-शासित निकायो/निगमो की सेवा मे स्थाई रूप से स्थानान्तरण के लिए दिये विकल्प पर सेवा का स्थानन्तरण निम्न खण्ड (II) के अनुसार नियमित होगा।

(II) **स्थाई राज्य कर्मचारी जिनकी स्थानान्तरण के दिन 25 वर्ष की राज्य सेवा नहीं हुई है:**—इस श्रेणी के राज्य कर्मचारी की सेवायें उसके द्वारा विकल्प का प्रयोग करने पर स्वीकार कर निकाय/निगम में निम्न-अंकित लाभो सहित स्थाई रूप से स्थानान्तरित की जावेगी:—

(क) **स्वतन्त्र निकाय/निगम मे स्थाई वेतन एवं वेतनमान का संरक्षण:**—स्थाई वेतन एव वेतनमान, जिसमें सेवा के स्थानान्तरण के दिन के तुरन्त पूर्व वेतन प्राप्त किया गया, उसी प्रकार सरक्षित किया जावेगा जैसे मानो कर्मचारी ने सरकार के अधीन सेवा मे रहना जारी रखा हो। किन्तु शर्त यह है कि स्वतन्त्र निकाय/निगम, सरक्षित वेतन एव वेतनमान से अच्छे अर्थात् उच्च स्थाई या कार्यवाहक वेतन तथा वेतनमान स्वीकृत कर सकता है।

(ख) **अवकाश:**—अपनी सेवाओ के स्थानान्तरण के दिन राज्य कर्मचारियों के अवकाश के लेखों मे जमा उपार्जित अवकाश का उपभोग उनके द्वारा स्वतन्त्र निकाय/निगम की सेवाओं में रहते समय भी किया जा सकता है। जब इस प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया जावे तथा वह नये विदेशी-नियोजक के नियमों के

अन्तर्गत स्वीकार्य हो तो सरकार की ओर से कोई अवकाश वेतन का भुगतान नही किया जावेगा। फिर भी जब कभी किसी प्रकार अवकाश के लिए किसी ऐसे विशिष्ट अवसरो पर आवेदन किया जावे जो नये नियोजक के अधीन देय अवकाश से अधिक है तथा ऐसा अधिक अवकाश राजकीय सेवा से स्थानान्तरित होने के समय अवकाश लेखों मे जमा करने के लिये स्वीकृत किया गया हो तो सरकार स्वतन्त्र निकाय/निगम को कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार उपभोग किये गये अधिक अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन की राशि का भुगतान, कर्मचारियो के निकाय/निगम मे स्थानान्तरण के दिन प्रभावी सेवा नियमो के अनुसार करेगी।

(ग) पेन्शन नियम/भविष्य निधि लाभः—(1) जो राज्य कर्मचारी पेन्शन योजना के अधीन है वह निम्न-अंकित मे से किसी भी एक लाभ को प्राप्त करने के लिये विकल्प दे सकता है।

(i) सरकार के अधीन की गई कुल सेवा की नियमानुसार अनुपातिक पेन्शन / ग्रेच्यूटी प्राप्त करना, अथवा

(ii) पेन्शन एव अन्य प्रकार के लाभ/ग्रेच्यूटी उपरोक्त (1) के अधीन स्वीकार्य के एवज मे निकाय/निगम द्वारा प्रभावी भविष्य-निधि मे सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि में समय-समय पर प्राप्त किये गये वेतन के 8 प्रतिशत तथा समय-समय पर निर्धारित साधारण-ब्याज। जोधपुर अशदायी भविष्य निधि नियमो से शासित कर्मचारियो को, विशेष-अशदान-शुल्क यदि स्वीकार्य हो, के समान राशि स्वीकार करना। अशदान की राशि एव उस पर सेवा के स्थानान्तरित होने की तारीख से उसके भुगतान योग्य होने तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज दिया जावेगा।

किन्तु यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त (1) के लिए विकल्प दिया जाता है तो वह स्वतन्त्र निकायो/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमो मे स्थानान्तरित होने की तारीख से राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 23, 23 ए एव 24 के अधीन उसे स्वीकार्य परिवार-पेंशन के लाभों को प्राप्त नही करेगा। उसके मामले में, नियम 268-छ-के अनुसार समर्पित किए जाने हेतु, अपेक्षित ग्रेच्यूटी के किसी भाग की कोई कटौती नही की जाएगी।

(2) ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो जोधपुर-अशदायी-भविष्य निधि योजना के अधीन है तथा जो राशि उसके लेखे मे, सरकारी अशदान सहित, जमा है वह तथा उस पर ब्याज एवं स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि मे उसके स्थानान्तरण की तारीख को विशेष अंशदाय, यदि जोधपुर-अशदायी-भविष्य-निधि नियमो के अधीन देय है, को कर्मचारी के उस निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम आदि मे उसके स्थानान्तरण की तारीख को विशेष अशदान, यदि जोधपुर-अंशदायी-भविष्य-निधि नियमो के अधीन देय है, को कर्मचारी के उस निकाय के भविष्य-निधि-लेखे मे स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। किन्तु यदि कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पर पहुचने के पूर्व ही स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि की सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या किसी अन्य प्रकार से स्वतः सेवा को छोड देता है तो वह राशि जो सरकारी अशदान के समान है तथा उस पर ब्याज एव विशेष-अशदान जो स्थानान्तरित किया गया है, उसका कर्मचारी को भुगतान नही किया जावेगा। सरकारी अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज एव विशेष-अशदान जो सरकार द्वारा भुगतान योग्य है पर, सेवा के स्थानान्तरण की तारीख से कर्मचारी के उस निकाय के भविष्य निधि लेखे मे राशि स्थानान्तरित करने की तारीख तक 2 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज दिया जावेगा।

टिप्पणीः—जहा राजकीय अशदान की राशि तथा उस पर ब्याज एव विशेष-अशदान की राशि इस खण्ड में उल्लेखित परिस्थितियों मे भुगतान-योग्य नही है, वहा इस राशि को मय-ब्याज के, जो निकाय के पास रही अवधि पर उस राशि पर देय है, को निकाय द्वारा पुनःसरकार को स्थानान्तरित करना होगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) व (2) में वर्णित पेन्शन सम्बन्धी एवं भविष्य-निधि लाभ कर्मचारी को निम्न-प्रकार भुगतान योग्य होंगे:—

(अ) जब वह सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम मे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है या 30 वर्ष की पेन्शन योग्य सेवा (जिसमे सरकार के अधीन की गई सेवा भी सम्मिलित है) पूरी करता है, या

(ख) जब वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन समय से पूर्व सेवा-निवृत्त होता है जो यदि वह सेवा में बना रहता तो पेंशन सम्बन्धी लाभो को समाप्त करने वाली नही होती ।

[वित्त विभागके आदेश संख्या एफ 1 (11) वि. वि. (नियम) 66 दिनांक 26-8-71 द्वारा प्रति-स्थापित]

(III) **अस्थाई कर्मचारी:**—अस्थाई कर्मचारियो की सेवायें स्वतत्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में उनकी सेवाओ के स्थानान्तरण की तारीख से समाप्त की हुई समझी जावेगी तथा उन्हे ऐसे उपदान (ग्रेच्यूटी) का भुगतान किया जाएगा जो उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के अधीन स्वीकार्य हो ।

(2) **सरकारी बकायों की वसूली:**—भूतपूर्व कर्मचारी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में उनके स्थानान्तरण के समय सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बने रहेगे तथा ऐसे निकाय/निगम सरकार की ओर से उनकी वसूली करते रहेगे ।

(3) **सरकारी सेवा-मुक्ति:**—यदि स्थाई कर्मचारी जिसकी सेवाये किसी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि द्वारा उसे उस विभाग का, जिसमें वह पदाधिकार रखता था, कार्य सौप दिए जाने के फल-स्वरूप ले ली गई है, तो उक्त निकाय/निगम में सेवा करने हेतु जब वह विकल्प देता है तो वह वहा से मुक्त होने की तारीख से, उसके स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्ति के लिए चयन किये गये कर्मचारी के रूप मे समझा जाएगा :

(4) **कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नही होना:**—ये आदेश निम्न-पर लागू नही होंगे:—

(i) कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सेवा नियमो के अधीन निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तो पर किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए स्वतत्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा मे रहने हेतु विकल्प दिया है ।

(ii) कर्मचारी जिन्होने इस आदेश द्वारा अधिक्रमित शर्तो के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा मे बने रहने के लिए पहिले से ही विकल्प दे रखा है तथा जो इन नियमों द्वारा शासित होने हेतु नया विकल्प देते है ।

(iii) कर्मचारी जो सरकारी विभाग या संस्था के स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में स्थानान्तरित या परिवर्तित होने के फलस्वरूप के अतिरिक्त अन्य प्रकार से, मालवीय क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज को छोड़कर, उपर्युक्त किसी अन्य निकाय द्वारा सीधे भरती किए गए है । ऐसे सीधे भरती किए गए व्यक्तियों के मामले सरकारी आदेश सख्या एफ. 7 ए (43) वित्त वि.(नियम) 70 दिनाक 18-4-62 द्वारा नियमित होगे ।

(iv) राजस्थान राज्य विद्युत-मण्डल एव राजस्थान-राज्य-पथ-परिवहन निगम मे स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी ।

(5) **विकल्प:**—(1) इस आदेश के अधीन उपलब्ध विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित अवधि के भीतर

किया जाना चाहिए—

(क) अनुच्छेद (1) के खण्ड (1) के अधीन विकल्प	स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अधीन सेवाकाल में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।
(ख) अनुच्छेद (1) के मुख्य-खण्ड-(II) के अधीन	स्वतंत्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम मे सेवा के स्थानान्तरण से तीन माह के अन्दर या स्वतन्त्र निकाय/निगम द्वारा उनके अधीन नियोजन की शर्तों को नियमित करने वाले नियमों के प्रभावी होने से तीन माह के अन्दर या इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह में, जो भी बाद में हो।
(ग) अनुच्छेद (1) के खण्ड (II) के उपखण्ड (ग) (i) के अधीन विकल्प	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।
(घ) अनुच्छेद (4) के खण्ड (II) के अधीन विकल्प—	31 दिसम्बर 1968 तक।

(2) सभी विकल्प उस विभागाध्यक्ष को जहा वह अन्त में सेवा कर रहा था, सम्बोधित कर लिखित में, आवेदन पत्र द्वारा, भरे जाने चाहिए, तथा उसकी एक प्रति स्वतंत्र निकाय/निगम जहा कर्मचारी सेवा कर रहा है, के प्रशासनिक अध्यक्ष को भी पृष्ठाकित की जानी चाहिए। जहा विभागाध्यक्ष ने काम करना बन्द कर दिया हो वहा प्रतिलिपि निकाय/निगम को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को भेजी जानी चाहिए। राजपत्रित अधिकारियों के मामले मे प्रतिलिपिया सबधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव तथा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भी पृष्ठाकित की जानी चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 5 (1):—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 23–7–68 (राजकीय निर्णय सख्या 4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो स्वतन्त्र निकायो/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/निकायो मे कर्मचारियो की सेवाओं के स्थानान्तर की शर्तें निर्धारितए करता है। एक प्रश्न उठाया गया है कि उन कर्मचारियों को किस रूप मे समझा जाय जिन्होने अपनी स्वेच्छा से सीधी भरती के लिए आवेदन किया था तथा जो नियुक्त हो चुके थे एवं जो प्रारम्भ मे अपनी स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथाजि न्हें बाद में वहा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई या जो बाद मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतन्त्र निकायो मे सीधी भर्ती या सेवा के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये जावें। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों पर उपर्युक्त आदेश के प्रावधार लागू नही होते।

(2) फिर भी, स्थानान्तरणो या पूर्व मे सीधी भरती द्वारा की गई नियुक्तियों के समस्त मामलों को तथा बाद मे उत्पन्न होने वाले मामलो को निपटाने हेतु राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि उन स्थायी या अस्थाई कर्मचारियो के मामलो मे जिनकी नियुक्तिया भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन सीधी भरती, पदोन्नति आदि से सबधित सेवा नियमो के प्रावधानो के अनुसार या राजस्थान लोक सेवा आयोग या विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी तथा स्वतन्त्र निकायो/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों मे उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण के समय जिनकी सेवा न्यूनतम 5 वर्ष की थी, वहा उनकी सेवाओ के स्थानान्तरण को "राजकीय-हित" में समझा जाना चाहिए तथा ऐसे कर्मचारियो को सेवा-निवृत्ति-लाभ, नीचे दिए गए अनुच्छेद (3) या अनुच्छेद (4) मे दिए गये प्रावधानो के अधीन, स्वीकृत किया जाना चाहिए।

लोक-उद्यम में स्थानान्तरण कर दिया गया है, के मामले में लागू नहीं होंगी । फिर भी वह कर्मचारी स्थायी रूप से अन्तर्लीन (एब्जार्ब) होने पर निम्न-सुविधाओं के लिए अधिकारी होगा:—

(अ) पेंशन :—(क) उसके अन्तर्लीन होने के पांच वर्ष होने की समाप्ति पर पेंशन एवं या ग्रेच्युटी जो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गई सेवाकाल के लिए राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत देय है, किन्तु शर्त यह है कि यदि कर्मचारी उक्त पांच वर्ष की अवधि में ही अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अधिवार्षिकी आयु की तिथि को लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा । किन्तु वह राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 23, 23-ए तथा तथा 24 के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित मासिक पेंशन की एवज में कर्मचारी पेंशन स्वीकार्य और देय होने की तारीख से एक मुश्त राशि, जो रूपान्तरण सूची के आधार पर बनती है, प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है । अन्तर्लीन होने की तारीख से 6 माह में विकल्प देना होगा ।

(ग) कर्मचारी के लोक-उद्यम में स्थाई रूप से अन्तर्लीन हो जाने के पश्चात् पेंशन के नियमों में किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा दी गई उदारता का लाभ उसे नहीं दिया जावेगा ।

(घ) कर्मचारी जिसने अन्तर्लीन होने के समय दस वर्ष से कम की योग्य सेवा पूरी की है वह पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी जो सेवाकाल पर आधारित होती है की एवज में केवल अनुपातिक सेवा ग्रेच्युटी लेने का पात्र है ।

(आ) भविष्य निधि :—कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे में जमा राजकीय अंशदान और या कर्मचारी की जमा राशि तथा उस पर ब्याज को यदि कर्मचारी चाहे तो लोक-उद्यम में अपने नये भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण करा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि संबंधित उद्यम भी ऐसे स्थानान्तरण के लिए सहमत हो । यदि सम्बन्धित-उद्यम में भविष्य-निधि-खाते चालु नहीं हैं तो उक्त राशि का कर्मचारी को भुगतान कर दिया जावे । भविष्य-निधि-खाते की शेष राशि का जब स्थानान्तरण कर दिया जावेगा तब सम्बन्धित उद्यम के भविष्य-निधि-नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी शासित होगा और उस पर सरकार के भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे ।'

(5) इन अधिकारो के लिए मांग अधिकार के रूप मे नहीं की जा सकती है किन्तु इन्हें व्यक्तिगत मामलो में सरकार द्वारा वहां स्वीकृत किया जा सकता है जहां वे लाभदायक हों। वैयक्तिक मामलें वित्त विभाग के परामर्श से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निपटाये जावेगे ।

(6) उपरोक्त अनुच्छेदों में उल्लखित निर्णय केवल वहीं लागू होगे जहा स्वतन्त्र निकाय/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मे सरकारी कर्मचारी की सेवा स्थायी रूप से स्थानानतरित की गई हैं तथा गैर-सरकारी संस्था या सरकारी क्षेत्र के निगम में स्थानान्तरण के मामलो पर लागू नही होंगे ।

राजकीय निर्णय सख्या 6 :—राजस्थान सेवा नियम 158 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (5) के अनुच्छेद 4 (iii) (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (48) वि. वि. (नियम)/68 दिनाक 14–1–1970 द्वारा सशोधित) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार स्वीकार्य पेंशन एव/या ग्रेच्यूटी सम्बन्धित कर्मचारी को भारत सरकार के अधीन लोक-उपक्रम (पब्लिक-एन्टरप्राइजेज) मे उसके विलीनीकरण के पाच वर्ष की अवधि के अन्त में देय होगी ।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों का संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसे कर्मचारी वेतनादि जैसे–पेंशन/ग्रेच्युटी, उनके विलीनीकरण के दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

पुराने प्रकरणों को, जिनमें इन आज्ञाओं के अधीन भुगतान देय हो गया है, भी स्वीकार किया जा सकेगा।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (48) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 2-12-1944 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण :—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (22) वि. वि. (नियम) 61 दिनांक 13 अक्टूबर, 1961 तथा उद्योग (क) विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (91) उद्योग (क) 61 दिनांक 19 जनवरी, 1962 द्वारा :—

(1) राजस्थान हेन्डीक्राफट्स एम्पोरियम, नई दिल्ली
(2) राजस्थान हेन्डीक्राफट्स एम्पोरियम, जयपुर
(3) राजस्थान हेन्डीक्राफट्स एम्पोरियम, आबूपर्वत।
(4) फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर।
(5) बीकानेर ऊन उत्पादन केन्द्र, बीकानेने।
(6) कच्चा माल डिपो, जयपुर

में राज्य कर्मचारियों को नियोजित किये गये थे। उस समय में ये संस्थान उद्योग विभाग के अधीन थे।

उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या प.-1 (51) उद्योग (क) 61 दिनांक 7 अगस्त, 1962 द्वारा निदेशक, उद्योग एवं रसद विभाग को सूचित कर दिया था कि उक्त संस्थानों में नियोजित कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जावेगा कारण की उक्त निगम अथवा कम्पनी पूर्णतया सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा सम्भाली हुई हैं।

सरकार ने इस मामले में पुनः विचार किया है और सन्देह का निराकरण करने के विचार से वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 13 अक्टूबर, 1961 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त अंकित राजकीय संस्थाओं में नियोजित उन कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति-भत्ता नहीं दिया जावेगा जो आगे चलकर राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1(3) वि वि. (ग्रुप-2) 76 दिनांक 19 मार्च, 77 द्वारा निविष्ट]

एक सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) ऐसे प्रपत्र में तैयार की जानी चाहिए जो कि भारत के नियंत्रक एवं महाअंकेक्षक द्वारा निश्चित की जावे—

(क) वे कर्मचारी, जिनकी सेवा का विवरण "सेवा के इतिहास" के रूप में महालेखाकार द्वारा रखे गए रजिस्टर में रखा जाता है।

(ख) पदो पर स्थानापन्न रूप में या अस्थाई पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी जो कि थोड़े समय के लिये शुद्ध अस्थाई या स्थानापन्न स्थानों पर नियुक्त किए गए है तथा जो स्थाई नियुक्ति के योग्य नही है।

(ग) पुलिस कर्मचारी, जिसका पद एक मुख्य आरक्षी (हैड कांस्टेबिल) के पद से उच्च नहीं है।

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

टिप्पणी :—सभी मामलो मे जिनमे नियम 160 के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका रखना आवश्यक है, ऐसी पुस्तिका एक कर्मचारी के लिए उस तारीख से तैयार की जावेगी जिसको राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उस कार्यालय अध्यक्ष की सुरक्षा मे रखी जानी चाहिये जहा पर वह सेवा करता है तथा उसे उसके स्थानान्तरण के साथ साथ हस्तान्तरित कर देना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—राजस्थान सेवा नियम 160 की टिप्पणी के संशोधित प्रथम अनुच्छेद की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस सशोधित टिप्पणी में दिया हुआ है कि सभी मामलो मे, जिनमें नियम 160 के अन्तर्गत सेवा-पुस्तिका रखना आवश्यक है वहा प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका उसी तारीख से तैयार की जावेगी जिसको उसकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उसी कार्यालय अध्यक्ष के नियत्रण में रखी जानी चाहिये जहा पर कर्मचारी सेवा कर रहा है तथा उसके साथ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय मे स्थानातरित कर दिया जाना चाहिए। जबसे उपरोक्त सशोधन हुआ है, निम्नलिखित कुछ प्रश्न उठाए गए है—

(1) क्या यह वाछनीय है कि सर्विस बुक की कीमत अब राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी ?

(2) क्या सेवा-पुस्तिका कर्मचारी को, उसके त्याग पत्र देने पर या बिना गलती के उसे हटाये जाने पर, लौटा दी जावेगी या क्या सेवा-पुस्तिका को सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारी को लौटाई जा सकती है, यदि वह इसके लिए माँग करता हो।

पुराने नियम के साथ परिवर्तित किए हुए नियम की तुलना से स्पष्ट है कि इसमे से 'सेवा पुस्तिका कर्मचारी द्वारा कीमत देने पर दी जावेगी" इस सबध का प्रसग हटा दिया गया है तथा उसमें कर्मचारी को, अपने पद से त्याग पत्र देने तथा सेवा से हटाने पर, सेवा पुस्तिका लौटाने का भी कही वर्णन नही किया हुआ है। केवल वर्णन यह किया हुआ है कि अबसे आगे सुवा पुस्तिका का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जावेगा तथा यह कर्मचारी को उसके त्यागपत्र देने, हटाने या सेवा-निवृत्त होने पर नही लौटाई जावेगी, चाहे उन्होने पहिले सेवा पुस्तिका की कीमत क्यों न चुकायी हो।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह देखा गया है कि कर्मचारियो के वेतन निर्धारण एव पैंशन के मामले, या तो कर्मचारियो के सेवा-अभिलेख नही होने से या उनका सेवा अभिलेख अधूरा होने के कारण, बहुत समय तक तय नही हो पाते हैं। अतः राज्य सरकार ने अब सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रतिलिपि बनाने का निर्णय किया है जो कर्मचारियो के पास रहेगी तथा उसका यह ध्यान रखने का कर्त्तव्य होगा कि विभाग मे तैयार की गई सेवा पुस्तिका

4	5	6
कार्यालयाध्यक्ष या अन्य सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	मूल पद पर वेतन	कार्यवाहक रूप में अतिरिक्त वेतन

7	8	9	10
अन्य पारिश्रमिक जो 'वेतन' की परिभाषा में आते हैं, मय मंहगाई वेतन यदि कोई हो।	प्रभावशील होने का दिनांक	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	(जहा आवश्यक हो) उस अवकाश की अवधि का आकलन जिसका अन्य सरकार के नामे अवकाश वेतन अकित करना है। अवधिया तथा सरकार जिसके नामे लिखना है।

सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 26–28

66 सामान्य वित्तीय नियमो के नियम में वाछित सेवा के सत्यापन का ज्ञापन—

सत्यापन का दिनाक	सत्यापित सेवा का अवधि से/तक	सत्यापन का स्रोत, (वेतन बिल आदि)	सत्यापन करने वाले विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—वर्तमान पृष्ठ 26–28 जो पद-स्थापन के अभिलेख से सबधित है पुलिस या अन्य सामान विभाग के प्रयोग के लिए) और पृष्ठ 32 (केवल विभाग के प्रयोग के लिए) अन्त में रखे जा सकते है।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमाक 1 (17) वि. वि. (नियम)/72 दिनाक 27–6–1972 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 5:—निम्न-हस्ताक्षरकर्त्ता को वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या 1 (17) वि. वि. (नियम) 72 दिनाक 27–6–1972 के प्रसग में यह सूचित करने का निर्देशहुआ है कि सेवा-पुस्तिका का सशोधित प्रपत्र अभी तक मुद्रित नही किया गया है और इसको पुनः सशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है। अतः ज्ञापन दिनाक 27–6–72 तथा उसके साथ सलग्न सशोधित प्रपत्र सेवा-पुस्तिका को निरस्त समझा जावे तथा इस विषय मे अगली आज्ञा तक वर्तमान मुद्रिक सेवा पुस्तिकाओ का उपयोग किया जा सकता है।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या 1 (17) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 2–2–1973 द्वारा निविष्ट]

नियम 161:—सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां (1) सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के सेवाकाल में हुई प्रत्येक घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो उससे उच्च-अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाना चाहिए। कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि सभी इन्द्राज ठीक तरह से किए गए हैं तथा उनको सत्यापित किया जा चुका है तथा पुस्तिका में कोई घिसावट या उपरिलेखन (ओवर-राइटिंग) नही है। सभी शुद्धिया स्पष्ट की जानी चाहिए तथा उचित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए।

टिप्पणी:—एक विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रण के अधीन अधिकारियों के संबंध में इस अधिकार को एक उचित राजपत्रित अधिकारी को सौंप सकता है।

(ii) नियुक्ति से निलम्बित किए जाने के प्रत्येक समय का तथा सेवा के प्रत्येक अन्य व्यवधान का सेवा पुस्तिका में पृष्ठों के आर-पार इन्द्राज किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी अवधि का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए तथा उसको प्रमाणित करने वाले अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। प्रमाणित करने वाले अधिकारी का यह देखने का कर्त्तव्य है कि इन्द्राज ठीक प्रकार से किया गया है।

(iii) सेवा पुस्तिका में, जब तक विभागाध्यक्ष इस प्रकार का आदेश न दे, चरित्र सम्बन्धी व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु एक कर्मचारी एक निम्न अस्थाई पद पर पदावनत कर दिया जाता है तो उसमें अवनति किये जाने के कारणों का संक्षेप मे वर्णन किया जाना चाहिए।

राजकीय निर्देशनः—जब कभी एक अस्थाई पद के मूल रूप मे स्थाई कर दिया जाता है जिससे कर्मचारी की पद पर की गई सेवाऐ पेंशन के योग्य हो जाती है, तो उसके लिए इस संबध का इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका मे अकेक्षण-अधिकारी से करा लेना चाहिए। चूंकि अकेक्षण अधिकारी केवल राजपत्रित अधिकारियो का ही सेवा-इतिहास तैयार करता है, अतः उनके मामले मे उस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। अराजपत्रित कर्मचारियो के सबध मे सेवा पुस्तिकायें तथा सस्थापन वर्ग की विवरणिकायें कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा तैयार की जाती है, अतः इस कार्यालय की उपरोक्त विज्ञप्ति में वर्णित प्रारंभिक इन्द्राज, उनके द्वारा, आवश्यकीय रूप से किए जाने चाहिएं।

राजकीय निर्णय (1).—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक कर्मचारी द्वारा राजकीय सेवा मे प्रविष्ट होने के बाद प्राप्त की गई शिक्षा सबधी योग्यता को उसकी सेवा-पुस्तिका मे लिखा जाना चाहिए या नहीं, चाहे वर्तमान सेवा-पुस्तिकाओं मे इस प्रकार की योग्यताओं को लिखे जाने के लिए कोई स्थान नहीं दिया हो।

(2) सेवा-पुस्तिका का प्रपत्र अभी भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया है तथा उसके पृष्ठ सख्या 1 पर कर्मचारी की शिक्षा सबधी योग्यताओ को लिखे जाने के लिए जगह दी गई है, जहा ऐसा करना चाहा गया हो उसके द्वारा सेवा मे प्रविष्ट होने के बाद मे प्राप्त की गई शिक्षा संबधी योग्यता के सबध में एक टिप्पणी दी जा सकती है। फिर भी, नया फार्म तब तक उपलब्ध नही हो सकेगा जब तक पुराना पड़ा हुआ स्टाक समाप्त न हो जाए। अतः यह निर्णय किया गया है कि इस बीच की अवधि मे कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा सबधी योग्यता जिसका उल्लेख सेवा-पुस्तिका मे किया जाना आवश्यक है, उसे सेवा पुस्तिका मे टिप्पणी के रूप मे लिखा जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—यह निर्णय किया गया हे कि सेवा पुस्तिका/सेवा पजिका में जन्म की तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से शब्दों एव अको दोनो में की जानी चाहिए।

नियम 162:—संबधित कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका का अवलोकनः—यह प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों को प्रति वर्ष सेवा पुस्तिकाएं दिखाएं तथा उन पर उनके हस्ताक्षर इस बात की साक्षी में कराएं कि उन्होने सेवा-पुस्तिकाएं देखली है। इस संबंध का प्रमाण-पत्र पूर्व के वर्ष के संबंध मे उसने उक्त प्रकार से दिया है, हर वर्ष सितम्बर के अंत तक अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। कर्मचारी अन्य बातो के साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सेवाएं उचित

प्रकार से सत्यापित की गई हैं। कर्मचारी यदि बाहरी सेवा में हो तो सेवा-पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर उसी समय कराए जाएगे जबकि बाहरी सेवा के संबंध में अंकेक्षण अधिकारी द्वारा आवश्यक इन्द्राज उसमें कर दिए गए हों।

नियम 162-ए:—ज्योंहि एक कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा पूर्ण करता है, तत्समय प्रभावशील नियमों व विनियमों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष (सबंधित अंकेक्षण अधिकारी से परामर्श करके) ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को सत्यापित करेगा, योग्यता प्राप्त सेवा का निश्चिय करेगा और इस प्रकार निश्चित योग्यता-प्राप्त-सेवा की उसे सूचना देगा,

परन्तु सेवा अवधि का ऐसा सत्यापन योग्यता प्राप्त (क्वालिफाईग) सेवा के अंतिम सत्यापन के अधीन रहेगा, जो कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय किया जावेगा।

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. *1 (90)* वि वि. (नियम) *71* दिनांक *17-5-1972* द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्देशनः—सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद कर्मचारियो के पेशन के दावे निश्चित करने मे देर होने के बड़े कारणों मे से एक कारण यह है कि उनका सेवा:अभिलेख अधूरा रहता है। इसके आधार पर वरिष्ठता आदि के प्रश्न पर भी विचार करना होता है। अतः यह देखा जाना स्वय सरकार के हित मे होगा कि कि उनकी सेवा पुस्तिकाये आदि ठीक प्रकार से तैयार करदी जावे तथा उन्हे आदिनाक तक तैयार रखा जावे। उन्हे समय-समय पर उस कार्यालय से जिसमे उसका सेवा अभिलेख तैयार किया गया है, यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि सेवा-पुस्तिका आदि मे कर्मचारी के सरकारी जीवन सबधी प्रत्येक घटना का उल्लेख कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा अभिलेख तैयार किया जा चुका है तथा वह आदिनाक तक का है।

राजकीय निर्णयः—नियम 160 मे यह दिया हुआ है कि निर्धारित-प्रपत्र मे एक सेवा-पुस्तिका ऐसे प्रत्येक अराजपत्रित-कर्मचारी के लिए तैयार की जानी चाहिए जो एक स्थाई--सथापन पर स्थाई-पद को धारण किये हुए हो या एक पद पर स्थानापन्न रूप मे कार्य कर रहा हो या अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो। इसमे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एव नियमो मे वर्णित अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका तैयार नही की जावेगी। राजस्थान सेवा नियम 161 के अनुसार, सरकारी जीवन की प्रत्येक घटना का सेवा-पुस्तिका मे उल्लेख किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक इन्द्राज का प्रमाणीकरण कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिये या यदि वह स्वय कार्यालय का अध्यक्ष हो तो अपने निकटतम उच्च-अधिकारी से प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा-पुस्तिका मे सभी इन्द्राज ठीक प्रकार से किए गए है तथा उन्हे प्रमाणित कर दिया गया है। इस प्राथमिक आवश्यक कर्त्तव्य का पालन न किए जाने से कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद कठिनाइया उत्पन्न होती है तथा यह पाया जाता है कि पेशन के मामले मे देर होने से उत्तरदायित्व में एक सबसे बड़ा मूल तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख अपूर्ण होते है। नियम 162 प्रत्येक संबधित कर्मचारी के लिए यह देखने का कर्त्तव्य बतलाता है कि उनकी अपनी सेवा-पुस्तिका नियम 161 मे निर्धारित किए गए अनुसार उचित रूप से तैयार करली गई है ताकि पेशन के लिए सेवा के सत्यापन करने में कोई कठिनाई नही पड़े। विज्ञप्ति सख्या एफ. 21 (2) वित्त 2/53 दिनाक 19-2-53 मे वित्त विभाग ने सभी कर्मचारियो को समय-समय पर यह जाच करने की सलाह दी थी कि उनका सेवा अभिलेख पूर्णतः तैयार है तथा यह आदिनाक तक है। फिर भी सरकार के पास कई कारण ऐसे विश्वास करने योग्य है कि नियमो मे स्पष्ट प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप भी तथा उनके द्वारा निर्देशन जारी करने पर भी, नियमो की आवश्यकताओ का ठीक तरह पालन नही किया जा रहा है। अतः यह निर्णय किया गया है कि, नियम 162 की आवश्यकतायें आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी चाहिए। सेवा अभिलेख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक तैयार किया जायेगा तथा 30

जून तक सम्बन्धित कर्मचारी को दिखाया जावेगा। कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा सीधे सरकार के पास एक इस संबंध का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए। यह अधिकतम अगले माह 15 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए तथा एक प्रतिलिपि साथ ही अपने उच्च अधिकारी के पास भिजवाई जानी चाहिए। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए कि कार्यालय में कार्य कर रहे विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें वर्ष के 31 मार्च तक की तैयार की गई हैं तथा प्रत्येक संबंधित कर्मचारी द्वारा उसकी जांच करली गई है। जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा पुस्तिकाओं की जांच करली है उनके नामों तथा सेवा-अभिलेख की पूर्णता के बारे में उनके द्वारा दिए गए विशेष विवरणों के सारांश का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों को किन्हीं कारणों से सेवा पुस्तिका नहीं दिखाई गई हो उनके नामों का उल्लेख अलग से एक विवरण के साथ दिया जाना चाहिए कि उनकी सेवा पुस्तिका किन कारणों से नहीं दिखाई गई।

(2) यदि इन आदेशों के अनुसार कार्य करने में कोई कठिनाई अनुभव हो तथा वह पहिले समझ में नहीं आती हो तो उसका शीघ्र स्पष्टीकरण करा लेना चाहिए।

नियम 163—अंकेक्षण कार्यालय द्वारा वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर प्रविष्टियां:—यदि एक कर्मचारी वैदेशिक सेवा में स्थानातरित कर दिया जाता है तो कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को उसकी सेवा-पुस्तिका अंकेक्षण-अधिकारी के पास भेजनी चाहिए। अंकेक्षण-अधिकारी इसमें अपने हस्ताक्षरों से स्थानांतरण स्वीकृत करने के आदेश का उल्लेख कर उसे लौटा देगा। वह इसमें बाहरी सेवा में प्राप्त अवकाश के संबंध में स्थानांतरण के प्रभाव एवं अन्य ऐसी विशेष बातों का इन्द्राज करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। कर्मचारी के राजकीय-सेवा में वापिस कर दिए जाने पर उसकी सेवा पुस्तिका फिर से अंकेक्षण-अधिकारी के पास भिजवाई जानी चाहिए जो उसमें अपने हस्ताक्षरों के साथ उसकी बाहरी सेवा के संबंध में, जो वह आवश्यक समझे, विवरण लिखेगा। अंकेक्षण अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी अधिकारी बाहरी सेवा में बिताए गए समय के संबंध में इन्द्राज नहीं करेगा।

नियम 164—सेवा विवरण का (सर्विस-रोल):—एक पुलिस कर्मचारी के मामले में जो कि एक हैड-कांस्टेबिल के पद से उच्च न हो, हर एक पुलिस के जिला-अधीक्षक द्वारा एक सेवा-सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेष-बातों का इन्द्राज किया जाना चाहिए जो कि स्थाई पद पर कार्य कर रहे हों एवं कांस्टेब्यूलरी में पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हों या अस्थाई रूप से पद पर कार्य कर रहे हों, किन्तु जो किसी थोड़े समय के लिए शुद्ध अस्थाई रूप में या स्थानापन्न-रूप में रिक्त स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया हो तथा जो स्थाई-सेवा के लिए योग्य हो—

(क) उसके प्रवेश होने की तारीख

(ख) ग्राम, आयु, ऊँचाई तथा पहिचान के चिन्ह

(ग) पद जो उसने समय-समय पर धारण किए है, उनकी उन्नतियां, अवनतियां एवं अन्य दण्ड,

(घ) अवकाश सहित या अवकाश रहित सेवा से उसकी अनुपस्थिति।

(ङ) उसकी सेवा में व्यवधान।

(च) उसकी सेवा में अन्य कोई घटना ऐसी हुई हो जिसमें उसका कुछ अंश समाप्त कर दिया गया हो या जिसका पेंशन पर प्रभाव पड़ता हो।

विवरण (रोल) की जांच आदेश पुस्तिका, दण्ड रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेखों से की जानी चाहिए तथा इनमें प्रत्येक इन्द्राज पर जिला अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

नियम 164-ए:— नियम 164 में उल्लिखित सेवा विवरणिका (सर्विस-रोल) ऐसे अन्य श्रेणी के प्रत्येक स्थाई, अस्थाई या स्थानापन्न अराजपत्रित-कर्मचारियों के लिए भी तैयार की जावेगी जिसके लिए सेवा-पुस्तिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

राजस्थान सरकार

विवरणिका

1 नाम.................................
2. पद.................................
3. विभाग.................................
1. नाम.................................
2. निवास स्थान
3. पिता का नाम
4. जन्म दिनाक
5. पहिचान के चिन्ह
6. प्रथम नियुक्ति की तिथि और विभाग का नाम
7 स्थाई होने की तारीख व पद, आज्ञा की संख्या व दिनाक सहित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मय तिथि व पद — कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगुष्ट

सेवाकाल का विवरण

1. नाम व पद
2. स्थाई या अस्थाई
3. नियुक्ति किये जाने की तारीख
4. नियुक्ति/पद समाप्ति की तारीख
5. समाप्ति का कारण (जैसे स्थानान्तरण तरक्की इत्यादि)
6. वेतन एवं वेतनमान
7. स्थानापन्न-वेतन व वेतनमान
8. अन्य परिलब्धियां जो वेतन में शामिल हों जैसे विशिष्ट वेतन एवं व्यक्तिगत-वेतन
9. अवकाश, प्रकार व अवधि और दर अवकाश वेतन
10. यदि निलम्बित हो तो, क्या वह निलम्बन काल सेवा में गिने जाने योग्य है या नहीं
11. सेवाकाल में अन्य बाधायें, यदि कोई हों
12. आज्ञा की संख्या एवं दिनांक
13. अधिकारी के हस्ताक्षर
14. विशेष विवरण

अध्याय 16

शक्तियों का प्रदत्तिकरण

नियम 165:—सक्षम-प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधीनस्थ अधिकारी:— (क) परिशिष्ट ix में राज्य सरकार के अधीनस्थ उन अधिकारियों की सूची दी गई है, जो विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

(ख) प्रसंग की सुविधा के लिए वे मामले भी शक्तियों के प्रदत्तीकरण के रूप में परिशिष्ट में शामिल कर लिए गए हैं, जिनमें वित्त विभाग द्वारा सेवा नियम 3 के अन्तर्गत यह घोषित कर दिया गया है कि सरकार के एक विभाग द्वारा, उन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने की स्वीकृति में उनकी अनुमति दी हुई मानी जावेगी।

नियम 166:—जिन अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त की गई है उनके प्रयोग करने में वित्त विभाग की अनुमति दी हुई मानी जावेगी:— वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत घोषित किया है कि उन अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग में उसकी सहमति प्राप्त की हुई मानी जावेगी, जिनको कि परिशिष्ट ix में वर्णित शक्तियां प्रदत की गई है।

नियम 167:—प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के नियमन संबंधी सामान्य शर्तें:— परिशिष्ट ix में प्रदत्त शक्तियां निम्न शर्तों के साथ हैं:—

(क) केवल उसके अतिरिक्त जहां सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से निर्देश करे, शक्ति का प्रयोग एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसको वह राशि सौंपी गई है। यह शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में किया जा सकता है जो उस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

(ख) परिशिष्ट के कोष्ठक सं. (3) में प्रत्येक प्रदत्त शक्ति का वर्णन किया गया है। शक्ति का प्रदत्तीकरण, बतलाई गई शक्ति तक ही सिमित है। उसका विस्तार कोष्ठक (2) में वर्णित नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति तक नहीं होगा।

(ग) यदि नियमों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रदत्त कोई शक्ति परिशिष्ट में नहीं दी गई है, तो यह माना जाना चाहिये कि ऐसी शक्ति सरकार के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त नहीं की गई है।

(घ) परिशिष्ट ix में उल्लेख किया गया कुछ भी, संविधान के अनुसार बनाये गये अन्य नियमों द्वारा किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रदत्तीकरण में प्रतिबन्ध नही डालेगा।

अध्याय 17

पेन्शन नियम

खण्ड (1) सामान्य

नियम 168 प्रभावशीलता की सीमाः—इस भाग के नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। केवल सेवा-पेशन (सर्विस-पेशन) की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो पैन्शन के बदले में अंशदायी-भविष्य-निधि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि एक कर्मचारी उन सेवा नियमो के अनुसार सेवा करता हो, जिनके अन्तर्गत पेन्शन के बदले में कर्मचारी द्वारा अंशदान देने पर सरकार द्वारा राजकीय अंशदान भविष्य निधि में देना पड़ता हो, तो उसे इन नियमों के लागू होने की तारीख से 6 माह में या यदि वह उस तारीख को अवकाश पर है तो अवकाश से लौटने की तारीख से 6 माह में इस भाग के नियमों के अनुसार अपना विकल्प भर कर देना चाहिए। उसके द्वारा पेन्शन के लिए विकल्प दिये जाने पर सरकार द्वारा अंशदान की राशि बन्द करदी जावेगी तथा जो अंशदान पहले जमा हो चुका है वह, उसके ब्याज-सहित, सरकार में जमा रह जावेगा।

टिप्पणियां.—(1) विकल्प लिखित मे उपरोक्त निर्धारित अवधि में भर कर दिया जाना चाहिए तथा उसे निम्न के पास भिजवाया जाना चाहिए:—

(i) अराजपत्रित-अधिकारियो के मामले में कार्यालयाध्यक्ष।

(ii) राजपत्रित-अधिकारियो के मामले में महालेखाकार।

(2) अध्याय 24 में दिए गए असाधारण-पेंशन-नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य है।

(यह 1–4–51 से प्रभावशील माना जावेगा)

जब एक अराजपत्रित अधिकारी से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो कार्यालय-अध्यक्ष को उस पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने चाहिए तथा उसे सेवा-पुस्तिका मे रख देना चाहिए। विकल्प भर देने वाले कर्मचारी की यह सुनिश्चित करने की जुम्मेवारी होगी कि उसके विकल्प की प्राप्ति को रसीद कार्यालय-अध्यक्ष या महालेखाकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, भेज दी गई है तथा उसे यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि संबधित अधिकारी द्वारा उसका उचित उल्लेख कर दिया गया है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियमो के प्रसारित होने से पूर्व पेंशन के बदले मे अंशदायी भविष्य निधि प्रदान करने वाले नियमो के अन्तर्गत जो कर्मचारी सेवा कर रहे थे उन्हे राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेंशन नियमों को अपनाने के लिए अपना विकल्प, नियम 168 के अन्तर्गत, लिखित मे दिनाक 30–9–51 तक महालेखाकार के पास, राजपत्रित अधिकारियो के सबंध मे सीधे, तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में उनके कार्यालय-अध्यक्ष के पास भेजा जाना था।

उनमे से कुछ अधिकारियों ने उस विशिष्ट निर्धारित अवधि में अपना विकल्प देने में अपनी असमर्थता प्रकट की क्योकि उस समय तक राजस्थान सेवा नियमो में वर्णित पेन्शन समरण-तालिका (पेन्शन-कम्यूटेशन-टेबल) भी तैयार नही हुई थी।

चू कि पेन्शन कम्यूटेशन टेबल वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या एफ 35 (5) एफ II/53 दिनाक 11-4-53 (परिशिष्ट XI के रूप मे सम्मिलित) द्वारा जारी की गई है, अतः जिन कर्मचारियों ने पेन्शन कम्यूटेशन टेबल के प्रकाशन की अवधि तक निर्धारित तिथि मे अपना विकल्प देने मे असमर्थता प्रकट की है, वे अब अपना विकल्प यथा शीघ्र किन्तु किसी भी मामले मे 15 सितम्बर, 1953 के बाद नही भरे जाने चाहिये। यह विकल्प नियम 168 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार भरा जाना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—क्या भूतपूर्व बासवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ राज्यो के कर्मचारियो की सेवायें, जो वे उन राज्यो के नियमों के अन्तर्गत पेन्शन के बदले में अशदायी भविष्य निधि प्राप्त करने के अधिकारी थे, दिनाक 1–2–49 को जारी किए गए पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रेगूलेशन्स के अनुसार पेन्शन-योग्य-सेवा गिनी जानी चाहिए? इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि ऐसे कर्मचारियो की सेवायें, जो पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत पेन्शन-लाभ के लिए अपना विकल्प भर कर देते हो, उनकी सेवायें इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत पेन्शन योग्य सेवा गिनी जा सकेगी तथा राजकीय अशदायी भविष्य निधि की राशि मय ब्याज के वापिस लौटा दी जाएगी या राज्य की सामान्य भविष्य निधि के स्थापित होने पर उसमें स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

यह विकल्प इस आज्ञा के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर भर कर दिया जाना चाहिए तथा उसे अराजपत्रित कर्मचारियों के संबध में कार्यालय-अध्यक्ष को तथा राजपत्रित अधिकारियो के सबध मे महालेखाकार को भिजवा देना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या3:–वित्त विभाग के आदेश सख्या डी० 4298/11/53 दिनाक 17-3-53 (निर्णय सख्या 1) के अन्तर्गत अशदायी भविष्य निधि एव पेशन के लिए विकल्प भर कर देने की अन्तिम तारीख 28 फरवरी, 1954 तक बढा दी गई।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या डी० 3810/एफII/53 दिनांक 17–7–53 (निर्णय सख्या–2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमे यह दिया हुआ था कि कर्मचारियो के अशदान (मय-ब्याज) उन्हें लौटा दिए जावेगे या स्थापित होने पर राज्य की सामान्य भविष्य निधि मे स्थानान्तरित कर दिए जावेंगे बशर्ते वे पेन्शन लाभ के लिए अपना विकल्प भर कर दे। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या जो कर्मचारी पेन्शन का विकल्प देते है उन्हे अपने अशदान का हिस्सा जब वे चाहे तब लौटाया जा सकता है या वह सेवा के त्यागने के समय पर ही लौटाया जा सकता है।

(2) मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि कर्मचारियो के स्वय के अंशदान का हिस्सा, यदि वह राज्य के सामान्य भविष्य निधि मे स्थानान्तरित नही किया गया है तो कर्मचारियो के सेवा-निवृत्त होने पर ही लौटाया जावेगा, इससे पहिले नहीं।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प के प्रभावशील होने की तारीख के बाद कर्मचारियों के वेतन बिलों मे भविष्य निधि की जो भी कटौती की जावेगी वह उक्त विज्ञप्ति के प्रावधानों द्वारा शासित नही होगी तथा उसे कर्मचारी द्वारा मागी जाने पर लौटा दी जावेगी। जो हिस्सा उसे लौटाया जाता है उसका ब्याज विकल्प देने की तारीख से बन्द कर दिया जाएगा।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—वित्त विभाग (II) के आदेश दिनाक 4-12-53 (निर्णय सख्या 3) के क्रम मे जिससे अशदायी भविष्य निधि एव पेन्शन के लिये विकल्प भरने की तारीख 28 फरवरी, 1954 तक बढ़ाई गई थी वह अब राजप्रमुख द्वारा 30-9-54 तक बढा दी गई है। जिन लोगो ने पहिले पेशन कम्यूटेशन टेबल प्रकाशित होने की तारीख तक निर्धारित तिथि के भीतर विकल्प भर कर देने मे अपनी असमर्थता प्रकट नही की थी, उन्हे भी अपना विकल्प उक्त तिथि तक भर कर देने की आज्ञा दी जाती है।

राजकीय निर्णय सख्या 7—(1):—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 3810/एफ II/52 दिनाक 16-7-53 (निर्णय सख्या-2) मे यह तय किया गया था कि भूतपूर्व बासवाडा, डूगरपुर व प्रतापगढ़ राज्यों के कर्मचारी जो पूर्व-राजस्थान असैनिक सेवा नियम (रेगुलेशन्स) के अन्तर्गत पेन्शन का लाभ उठाने के लिए विकल्प भर कर देते है उनकी सेवायें इन नियमो के अनुसार "पेन्शन-योग्य-सेवा" मानली जाएगी तथा अशदायी भविष्य निधि लेखे मे जो राजकीय अशदान दिया गया है वह ब्याज सहित वापिस ले लिया जावेगा एव उन राज्यो के राज्य कर्मचारियो के अशदान की राशि (मय ब्याज के) उन्हे लौटा दी जावेगी या राज्य की सामान्य भविष्य निधि के स्थापित होने पर उसमे स्थानान्तरित कर दी जावेगी। यह विकल्प इस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर भर कर देना था।

(2) महालेखाकार ने इस सम्बन्ध मे एक स्पष्टीकरण चाहा है कि इन भूतपूर्व राज्यो के उन कर्मचारियो के मामले किस प्रकार नियमित होगे जो दिनाक 1-2-49 से 1-4-51 तथा 1-4-51 से 16-7-53 अर्थात् उस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख तक बीच मे सेवा निवृत्त कर दिए गए है तथा जिन्होने कोई विकल्प नही भरा है। किसी भी निर्णय के अभाव मे वे न तो पेन्शन प्राप्त करने हेतु और न ही अशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प भर सके। अतः राजप्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि किसी भी विपरीतता के अभाव मे सबधित राज्य कर्मचारियो द्वारा पेन्शन प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प उक्त विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार भर कर दिया हुवा समझना चाहिए तथा उनका पूर्ण सेवा काल, मय 1-2-49 से 1-4-51 अर्थात् राजस्थान सेवा नियमो के जारी होने की तारीख तक की सेवा को, पेन्शन योग्य सेवा के लिए मान लिया जावे तथा जो राजकीय अशदान पहले जमा किया जा चुका है, मय ब्याज के रोक लिया जावे।

राजकीय निर्णय संख्या 8:—निर्णय संख्या-2 (उक्त) के अनुच्छेद (2) के अनुसार बासवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ राज्यो के राज्य-कर्मचारियो को पेन्शन के लिए अपना विकल्प उक्त आज्ञा के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर भर कर देना था। बाद मे यह समयावधि सितम्बर 1954 तक बढा दी गई थी।

वित्त विभाग में वस्तु-स्थिति की पुनः जाच की गई तथा सभी सबधितो को मार्ग-दर्शन के लिए सूचित किया जाता है कि इन भूतपूर्व-राज्यो के वे राज्य-कर्मचारी, जिनका प्रश्न विवादग्रस्त है एव जिन्होने भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान देना बन्द कर दिया है, उन्हे पेन्शन के लिए अपना विकल्प दिया हुआ समझा जावेगा जब तक कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर भविष्य निधि योजना को चुनने का लिखित मे विकल्प नही देते है तथा उसी समय अपना बकाया भी नही चुका देते है। इसके बाद विभागाध्यक्ष अपने प्रमाणीकरण सहित उन राज्य कर्मचारियों की सर्विस-बुको मे इस सम्बन्ध की एक टिप्पणी लिखेंगे तथा इसके सम्बन्ध की सूचना साथ मे महालेखाकार को भी देंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 9:—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या भूतपूर्व अजमेर, बम्बई एव मध्य-भारत राज्यो के उन राज्य-कर्मचारियों को उन पर लागू होने वाले पुनर्गठन के पूर्व यूनिट नियमो के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत की जा सकती है जिन्हे राज्य सरकार के आदेश सख्या 11/272 ए० नी०/56 दिनाक 14-1-56 द्वारा उनको मूल (स्थाई) वेतन स्वीकृत कर दिया गया है तथा जो राजस्थान पुनर्गठन के बाद अर्थात् 1-11-56 के

वाद सेवा-निवृत्त कर दिये गये है। इसकी जाच की जा चुकी है। राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि पुनर्गठन की तारीख के पूर्व ऐसे राज्य-कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की रक्षा के सम्वन्ध मे राज्य-सरकार द्वारा लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो गए है, उन्हें अस्थाई आधार पर पुनर्गठन के शीघ्र पूर्व उन पर लागू होने वाले किसी भी नियम को चुनने की आज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जो पेन्शन स्वीकृत की जावेगी वह अस्थाई मानी जावेगी।

(2) इसी प्रकार से ऐसे अधिकारियो के अन्तिम अवकाश वेतन की राशि भी अस्थाई रूप से इस शर्त पर चुकाई जानी चाहिए कि यदि वेतन अधिक लिया गया तो उचित वसूली करली जावेगी तथा सम्वन्धित अधिकारियो से इस सम्वन्ध का लिखित मे एक प्रतिज्ञा-पत्र भरवा लेना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 10:—वित्त विभाग के परिपत्र सख्या एफ. डी. 4202/एफ 21 (82) आर/52 दिनाक 25-10-56 (निर्णय सख्या 8) के स्पष्टीकरण मे संवधितों की सूचना के लिए यह बताया जाता है कि उक्त परिपत्र के प्रावधान (1) उन अंशदान देने वाले लोगो के विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगे जिन्होने उपना भविष्य निधि अशदान 1-2-49 को या उसके वाद से देना वन्द कर दिया है तथा जो भविष्य निधि अशदान के लिए किसी प्रकार का विकल्प भरे विना ही या तो सेवाकाल में या सेवा से निवृत होने के वाद स्वर्गवासी हो गये है, एव (2) उन व्यक्तियो के मामले मे भी लागू होगें जहा राजकीय हिस्से सहित भविष्य निधि अंशदान की राशि वास्तव मे मृत-व्यक्ति के आश्रित लोगो को दी जा चुकी है।

राजकीय निर्णय संख्या 11:—जो राज्य-कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के जारी किए जाने के पूर्व पेशन लाभ के स्थान पर अशदायी भविष्य निधि अशदान सम्वन्धी नियमों के अर्न्तगत सेवा कर रहे थे, उन्हें अपना विकल्प राजस्थान सेवा नियमो मे दिये गये पेन्शन नियमो को चुनने के लिए आदेश दिनाक 16-7-54 (निर्णय सख्या 6) द्वारा 30-9-54 तक लिखित मे भर कर देना था। 30-9-54 के वाद पेन्शन नियमों मे अधिकतम उदारता वरती गई तथा पेन्शन की राशि को भी वढाई (राजस्थान सेवा नियमों के नियम 256 के नीचे सूची को सशोधित कर) जा चुकी है तथा उदारता पूर्ण पेन्शन लाभ मृत राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों के लिए भी प्रदान की गई है। सरकार के समक्ष निवेदन किया गया है कि पेन्शन नियमो से शासित राज्य कर्मचारियों को प्राप्त अधिकतम वेतन लाभो को ध्यान मे रखते हुए, अशदायी भविष्य निधि मे अशदान करने वाले कर्मचारियो को पुन: एक वार पेन्शन नियमो के लिए विकल्प भरने की आज्ञा दी जावे। मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अशदायी भविष्य निधि के सदस्यो को पेन्शन नियमो के लिए अन्य विकल्प भरने की स्वीकृति दी जावे।

पेन्शन नियमो के लिये विकल्प भरने की अन्तिम तारीख 30 मार्च 1960 होगी। एक वार भरा गया विकल्प अन्तिम होगा। विकल्प निर्धारित अवधि मे लिखित मे दिया जाना चाहिए तथा उन्हे अराजपत्रित कर्मचारियो के सवध मे कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से तथा राजपत्रित अधिकारियों के मामले मे सीधे महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिए।

ये नियम केवल उन्ही कर्मचारियो पर लागू होंगे जो इस आदेश के जारी होने को तारीख को राजकीय सेवा मे होंगे।

जो पेन्शन नियमो के लिए विकल्प देंगे उनकी सेवा, नियम 168 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुच्छेद (3) के अनुसार पेन्शन-योग्य मानी जावेगी।

राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेन्शन नियमो को चुनने पर ऐसे राज्य कर्मचारियों की अशदान की जो भी राशि अंशदायी भविष्य निधि मे जमा पाई जावेगी वह मय ब्याज के सामान्य भविष्य निधि मे उसके नाम

जमा करने के लिए हस्तान्तरित करदी जावेगी। राज्य सरकार के हिस्से की राशि जो भी निधि में जमा होगी वह पूर्ण ब्याज के राज्य के सामान्य राजस्व मे जमा करा दी जावेगी।

स्पष्टीकरण:—राज प्रमुख ने वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 3810/एफ II/53 दिनाक 16-7-53 व डी 7803 एफ II/53 दिनाक 23-1-54 (निर्णय सख्या 2 एव 4) के क्रम मे निम्न-लिखित स्पष्टीकरण और किये हैं।

(i) विकल्प देने की तारीख को अंशदायी-भविष्य-निधि में ऐसे राज्य कर्मचारियों के खातों में जो भी अशदान की राशि होगी। वह मय उस पर ब्याज के, कर्मचारी द्वारा, राजस्थान सेवा नियमों के भाग-8 में दिए गये पेन्शन नियमों से शासित होने का विकल्प दिये जाने पर, सामान्य भविष्य निधि मे उसके खाते मे हस्तान्तरित करदी जावेगी।

(ii) उक्त तारीख को राज्य सरकार द्वारा अशदान की राशि जो भी खाते मे जमा होगी वह मय उस पर ब्याज के सरकार के सामान्य राजस्व मद में जमा करादी जावेगी।

(iii) इसके बदले मे, राज्य कर्मचारी की इस तिथि से पूर्व की गई सेवा अवधि को निम्नलिखित सीमा तक पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे शामिल किया जावेगा। उसे इस रूप मे माना जावेगा जैसे मानो वह सेवा सरकार के अधीन पेन्शन-योग्य सस्थापन मे की गई हो। परन्तु शर्त यह है कि जितने समय के लिए राजकीय अशदायी भविष्य निधि मे उसने अशदान किया है, उतने ही समय की सेवा को पेन्शन लाभो के लिए गिना जावेगा।

(क) कुल-स्थायी-सेवा

(ख) सम्पूर्ण कार्यवाहक या अस्थाई सेवा जो पेशन योग्य मानी जाती, यदि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 180 व 188 के प्रावधान लागू किये जावे; एव

(ग) नियम 188-ए मे वर्णित शर्तो के आधार हर शेष बची कार्यवाहक/या अस्थायी सेवा की आधी-सेवा।

राजकीय निर्णय संख्या 12:—वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 23 (5) आर/52 दि. 23-4-1955 जो इस नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के रूप मे जोडा गया था, के सम्बन्ध मे यह सदेह उठाये गये है कि पेन्शन नियमो को उदार बनाने वाले नियमो (नियम 180, 188 तक 188-ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत उन कर्मचारियो के बारे मे क्या किया जावेगा जो जोधपुर अशदायी भविष्य निधि योजना के तहद अस्थाई अथवा स्थायी कर्मचारी थे तथा उनके बारे में जिन्होने जोधपुर-अशदायी-भविष्य-निधि-योजना मे अंशदान ही नही दिया। इस प्रकार के मामलो पर उक्त स्पष्टीकरण के अनुच्छेद (iii) के प्रावधान किस सीमा तक तथा रूप मे प्रभावी होंगे?

इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राज्य कर्मचारियो ने अशदायी-भविष्य-निधि-योजना लाभो के एवज में पेन्शन लाभ ग्रहण करने का विकल्प दे दिया था है, तो उनकी विकल्प देने से पूर्व की समस्त सेवा अवधि को पेन्शन-योग्य-सस्थापन मे की गई सेवाए मानली जावेगी और वह समस्त अवधि राजस्थान सेवा नियमो (समय-2 पर सशोधित) के पेशन सबंधी प्रावधानो के अनुसार पेशन-योग्य-सेवा मानी जावेगी। भूतपूर्व जोधपुर राज्य के जिन कर्मचारियों ने, जो चाहे अस्थाई थे अथवा स्थायी, जोधपुर अशदायी-भविष्य-निधि-योजना मे बिलकुल/कतई अशदान नही दिया, उनके बारे मे यह माना जावेगा कि उन्होने राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेशन-लाभ ग्रहण करने का स्वतः ही विकल्प दे दिया है जो राजस्थान सेवा नियम प्रभावी होने की तारीख से लागू माना जावेगा। अर्थात 1-4-1951 से ही उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेन्शन लाभ ग्रहण कर लेना माना जावेगा।

जो मामले उक्त स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अलावा अन्यथा प्रकार से निपटा दिये गये है उन्हें भी उक्त प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से निपटा दिया जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि (ग्रुप-2)/76 दिनांक 22-11-1976 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 13:—राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर यह निश्चिय किया है कि सरकारी कर्मचारी जिन्होने अंशदायी प्राविधिक निधि परिलाभो को रखा है, उनको राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेशन नियमो के लिये मय नवीन पारिवारिक पेशन के, यथा संशोधित, विकल्प देने का एक और अवसर दिया जा सकता है।

यह विकल्प इस आज्ञा के राजपत्र मे प्रकाशित होने से छः माह की अवधि के भीतर लिखित में नीचे दिए हुए प्रपत्र में देना होगा। एक बार प्रयुक्त किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ 1 (13) वि. वि (श्रे० 2)/74–II दिनांक 22–5–75 के अनुसरण मे, मैं.........................आत्मज.........................पद.........................एवं अशदायी प्राविधिक निधि लेखा स०.........................का अशदाता एतद्द्वारा अभी ग्राह्य अशदायी प्राविधिक निधि के परिलाभो के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमो मे वर्णित पेन्शन नियमों, मय नवीन पारिवारिक पेन्शन नियमों के, समय समय पर यथा सशोधित, का विकल्प दिया घोपित करता हूं।

साक्षी—	राज्य कर्मचारी
हस्ताक्षर.........................	हस्ताक्षर.........................
दिनाक.........................	दिनांक.........................
पूरा नाम (बड़े अक्षरो मे).........................	पूरा नाम (बड़े अक्षरो मे).........................
पद.........................	पद.........................
कार्यालय.........................	कार्यालय.........................

(2) यह विकल्प सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा यदि यह अराजपत्रित अधिकारी है, तो कार्यालयाध्यक्ष को और यदि वह राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, राजस्थान को सम्प्रेपित किया जावेगा। अराजपत्रित अधिकारी से प्राप्त विकल्प पर कार्यालयाध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षर करके सबधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में चिपकवा देवे।

(3) उन व्यक्तियो की सेवा जो पेन्शन नियमो के लिये विकल्प देते है, राजस्थान सेवा नियमो के भाग–8, समय-समय पर सशोधित, मे वर्णित पेन्शन नियमों के अनुसार पेन्शन के लिये योग्यता प्राप्त होगी।

(4) अशदान की राशि मय उस पर ब्याज जो ऐसे सरकारी कर्मचारियो की अशदायी प्राविधिक निधि मे जमा हैं, उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन नियमों से शासित होने का उनके द्वारा चयन करने पर सामान्य प्राविधिक निधि मे जमा कर दी जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये अशदान की राशि मय उस पर ब्याज के जो जमा है वह सरकार के सामान्य राजस्व मद मे जमा करा दी जावेगी।

(5) ये आज्ञाये उन कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो दिनांक 31–10–1974 को सेवा में थे।

(6) ऐसे व्यक्तियो के मामले, जो 31–10–1974 को या उसके बाद में इन आज्ञाओ के जारी होने से पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये है, वापस खोले जाकर इन आज्ञाओ के अनुसार निश्चित किये जा सकेंगे।

उनकी अशदायी प्रावधिक निधि के लेखों(खाते)मे सरकार द्वार अंशदान में दी गई राशि मय ब्याज के जो उसको सरकार द्वारा दी गई। उसे पेन्शन ग्रेच्यूटी जो नियमो के अधीन उसके द्वारा इन आज्ञाओं के अधीन पेन्शन के लिये विकल्प देने पर ग्राह्य है।

राजकीय निर्णय संख्या 14.—राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को 31-10-1977 से विलोपित किये जाने के कारण अब पेन्शन सम्बन्धी नियमों मे और भी उदारता हो गई है जिसके कारण एक राज्य-कर्मचारी को अब पूर्व से अधिक मृत्यु-एव-सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि मिलती है। इस तथ्य को ध्यान मे रखकर राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि वे राज्य कर्मचारी जो अब भी अशदायी-भविष्य-निधि-योजना के लाभ ग्रहण किये हुए है, उन्हे एक और अवसर इस बात के लिए दिया जावे कि वे राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन सहित, के लिए नये सिरे से अपना विकल्प दे देवें।

इसके लिए कर्मचारी को लिखित मे एक विकल्प, निर्धारित प्रपत्र मे, इस आदेश के राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह की अवधि मे देना आवश्यक है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा। जो कर्मचारी इस निर्धारित अवधि मे विकल्प का प्रयोग नही करेगे उनके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि उन्होंने अशदायी भविष्य निधि लाभ को ही ग्रहण करते रहने का विकल्प दिया है। इस बात को ध्यान मे रखा जावे कि एक राज्य कर्मचारी द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में केवल विकल्प देना ही पर्याप्त नही है बल्कि उसे ध्यान मे रखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका वह विकल्प निर्धारित-प्राधिकारी को निर्धारित समय मे पहुच जावे तथा सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी पहुच की सूचना मिल जावे। राज्य कर्मचारी द्वारा दिया गया ऐसा विकल्प उसकी सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा तथा उसकी एक सत्यापित प्रति कर्मचारी की व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी।

(3) दिये जाने वाला विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेगा:—

(अ) यदि कर्मचारी अ-राजपत्रित है अथवा एक ऐसा राजपत्रित अधिकारी है जिसका वेतन एव भत्ते आदि उसके कार्यालयाध्यक्ष (हैड-आफ-आफिस) द्वारा आहरण किये जाते है, तो विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को भेजा जावेगा। यदि अधिकारी स्वय कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष है तो ऐसा विकल्प विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग को, क्रमशः भिजवाया जावेगा।

(ब) कर्मचारी द्वारा प्रेषित विकल्प को प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस पर प्रति-हस्ताक्षर किये जावेगें।

(4) ऐसे राज्य-कर्मचारी की साख पर अशदायी-भविष्य-निधि खाते मे उपलब्ध उसके स्वय के अशदान तथा उस पर देय ब्याज की राशि को, कर्मचारी द्वारा पेन्शन-नियमो के द्वारा शासित होने का विकल्प देने पर, कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि खाते में जमा करा दिया जावेगा। अशदायी-भविष्य-निधि खाते मे राज्य सरकार द्वारा देय अशदान की राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि को राज्य सरकार के सामान्य राजस्व बजट मद में जमा करा दिया जावेगा। इसके बदले मे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा पूर्व मे की गई समस्त सेवा-अवधि, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 1 (52) वित्त (ग्रुप–2) 76 दिनाक 22–11–76 के द्वारा किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पेन्शन-योग्य मानी जावेगी।

(5) राज्य कर्मचारी जो 31–10–1977 अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हो गये हैं और जिन्होने अशदायी-भविष्य-निधि नियमो के अन्तर्गत देय सेवा-निवृत्ति लाभों को प्राप्त कर लिया है, वे भी पेन्शन के लिए विकल्प देने के अधिकारी माने जावेंगे और ऐसे व्यक्तियो द्वारा पेन्शन नियमो के अनुसार शासित होने का विकल्प देने पर उन्हे पूर्व में चुकाये गये सेवा-निवृत्ति-लाभो की धनराशि का, पेन्शन नियमों के अनुसार देय मृत्यु-एव-सेवा-

निवृत्ति-उपदान अथवा देय-पेन्शन की, राशि में से समायोजन कर लिया जावेगा तथा उनसे उन द्वारा प्राप्त कर लिए गए सेवा-निवृत्ति लाभो को वापिस लौटाने अथवा उस राशि पर ब्याज देने के लिए नही कहा जावेगा जो उन्हे धनराशि दिये जाने की तारीख तथा विकल्प के कारण वापिस चुकाये जाने के बीच उनके पास रहने के कारण देय बनता है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप–2) 77–I दिनांक 28–3–1978]

विकल्प का प्रपत्र

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ. 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप–2) 77/I, दिनाक 28 मार्च, 1978 के अनुसरण में...

पुत्र श्री..पद..

जो वर्तमान मे अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होता है अब एतद्द्वारा अंशदायी भविष्य निधि लाभ, जो वर्तमान में देय है, कि बजाय राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेन्शन नियमों, समय-समय पर सशोधित पारिवारिक पेन्शन नियम सहित, से शासित होने के लिए अपना विकल्प देता हूं।

साक्षी के हस्ताक्षर राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर..........................

दिनाक...................................... दिनांक...

बडे शब्दों मे पूरा नाम ".................. बड़े शब्दों मे पूरा नाम"..................................

पद.. पद..

कार्यालय.. कार्यालय...

प्रति-हस्ताक्षर किये गये

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव,

....

(दिनाक सहित हस्ताक्षर)

उपरोक्तानुसार विकल्प का घोषणा-पत्र प्राप्त हो गया है।

स्थान.................. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

....

दिनाक..................

✗ **राजकीय निर्णय संख्या 15:**—राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को विलोपित कर दिये जाने के कारण पेन्शन नियमों मे और अधिक उदारता हो गई है जिसके कारण राज्य कमचारियो को अब अधिक मात्रा मे मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि मिल सकती हैं। इन नियमो को दृष्टिगत रखकर राज्यपाल महोदय ने निश्चिय किया है कि उन राज्य कर्मचारियों को जिन्होंने राजस्थान सेवाये (प्रोटेक्शन आफ सर्विस कन्डीशन) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार दिनाक 1–11–1956 से तुरन्त पूर्व उन पर लागू अवकाश एव पेन्शन सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत ही रहने का विकल्प दिया था, को अब एक और अवसर इस बात का दिया जावे कि वो राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत अवकाश एव पेन्शन नियमों, समय-समय पर संशोधित पारिवारिक पेंशन नियमो सहित, से शासित होने के लिए अपना नये सिरे से विकल्प दे सकें। इस आदेश के अन्तर्गत नया विकल्प, इन आदेशों के राजस्थान राज-पत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से 3 माह की अवधि मे इन आदेशों के साथ सलग्न

निर्धारित प्रपत्र में लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा। राज्य कर्मचारी जो इस निर्धारित अवधि में अपना नया विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा उसके सम्बन्ध में माना जावेगा कि उसने अपना पूर्व का विकल्प ही प्रभावी रखा है और वह दिनाक 1-11-1956 से पूर्व के अवकाश एव पेन्शन नियमों से ही शासित होता रहना चाहता है।

(2) इस बात का ध्यान रखा जावे कि एक राज्य कर्मचारी को इन आदेशो द्वारा निर्धारित अवधि मे अपना विकल्प देना ही पर्याप्त नही है, अपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया विकल्प निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय मे अवश्य पहुच जावे और उसके पहुचने की सूचना उसे समय पर मिल जावे। राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिका में चिपका दिया जावेगा तथा उसकी एक प्रति उनकी व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी।

(3) (अ) कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प निम्न-प्रकार भेजा जावेगाः—

(1) यदि वह अ-राजपत्रित कर्मचारी हो अथवा एक ऐसा राज-पत्रित कर्मचारी हो जिसके वेतन एव भत्ते आदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को भेजा जावेगा।

(2) यदि वह स्वय कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष हो तो वह अपना विकल्प क्रमशः विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा।

(ब) जब एक राज्य कर्मचारी से उस द्वारा दिया गया विकल्प निर्धारित प्राधिकारी को प्राप्त हो जावे तो वह उस पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा।

(4) यह आदेश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो 1-11-1977 को राज्य सेवा मे थे। जो कर्मचारी 31-10-1977 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो चुके है किन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हो, उनके पेन्शन के मामलो को पुनः खोले जा सकेंगे यदि वे इस आदेश के अन्तर्गत अपना विकल्प देते है तथा उनके पेन्शन के मामलों को इन आदेशो के अनुसार निपटा दिया जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77-II, दिनांक 23-3-1978]

विकल्प का प्रपत्र

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77-II, दिनाक 27 मार्च. 1978 के अनुसार मै··· ....
पुत्र श्री···· .... ····पद···· .... ····राजस्थान सेवायें (प्रोटेकशन आफ सर्विस कन्डीशन्स) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसरण मे पूर्व मे दिये गये (दिनाक 1-11-1956 से तुरन्त पूर्व मिलने वाले पेन्शन लाभ सम्बन्धी नियमों को ग्रहण करने के लिए दिए गए) विकल्प के स्थान पर अब एतद्द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत वर्तमान अवकाश एव पेन्शन लाभो (नवीन पारिवारिक पेन्शन नियम 1964 सहित) से शासित होने के लिए अपना विकल्प देता हू।

साक्षी के हस्ताक्षर··· ···········	राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर················
दिनांक················	दिनाक················
बड़े शब्दो मे पूरा नाम················	बड़े अक्षरों मे पूरा नाम················
पद···· ··········	पद················
कार्यालय················	कार्यालय···· ········

प्रति-हस्ताक्षर किये गये

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव,

....

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

उपरोक्त विकल्प प्राप्त हो गया है।

स्थान ....

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

दिनांक..........

४ **राजकीय निर्णय संख्या 16:**—राज्य-सरकार ने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने अंशदायी-भविष्य-निधि योजना का विकल्प दिया हुआ है, को समय-समय पर अनेकों वार यह अवसर दिया है कि वे सरकार की पेन्शन योजना का विकल्प दे। जब भी सरकार ने पेन्शन सम्बन्धी नियम उदार किये हैं तब-तब ऐसा अवसर उन अंशदायी-भविष्य-निधि लाभ प्राप्त राज्य-कर्मचारियों को दिया गया है। सरकार ने दिनांक 25-9-1964 से 27-3-1978 तक 12 ज्ञापन व परिपत्रो द्वारा ऐसे कर्मचारियो को पेन्शन योजना का विकल्प देने की सुविधा दी है। इन सबके उपरान्त भी जो विकल्प देने की सुविधा बार-बार कर्मचारियों को दी गई थी उसका लाभ उन्होंने नही उठाया है। या तो ऐसे कर्मचारियो ने विकल्प ही नही भेजा यदि। भेजा है तो वह निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त हुआ है तथा अनेकों मामलों में प्राप्त हुए विकल्प कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय उनकी सेवा-पुस्तिका अथवा व्यक्तिगत-पत्रावली में उपलब्ध नही मिला जिसके कारण ऐसे राज्य कर्मचारियों को पेन्शन के मामले निपटाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ है। इस प्रश्न का परीक्षण किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने सहर्ष निर्णय किया है कि वे राज्य-कर्मचारी जो राज्य-सेवा में है एव जिन्होंने अंशदायी-भविष्य-निधि-लाभो को धारण किया हुआ है उनको एक और अवसर दिया जावे कि वे यदि अब भी चाहे तो राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन नियम, जिनमें समय-समय पर सशोधित पारिवारिक पेन्शन के नियम भी सम्मिलित हैं, के ग्रहण करने के लिये अपने विकल्प दे सके।

उपरोक्त अनुच्छेद मे उल्लिखित विकल्प लिखित मे इन आदेशों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह की अवधि मे लिखित मे देना होगा। विकल्प इस ज्ञापन के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र मे भेजना होगा। एक बार दिये गये विकल्प को अन्तिम माना जावेगा। जो कर्मचारी उपरोक्त निर्धारित समयावधि मे अपना विकल्प प्रस्तुत नही करेंगे उनके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि उन्होने अंशदायी-भविष्य-निधि-लाभ को ही ग्रहण करते रहना स्वीकार किया है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि एक राज्य-कर्मचारी के लिये यही पर्याप्त नही है कि वह अपना विकल्प निर्धारित समयावधि मे प्रस्तुत कर दे किन्तु उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उस द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, के पास निर्धारित समयावधि मे पहुंच जावे तथा वह राज्य-कर्मचारी अपने विकल्प को पहुंचने की सूचना (ऐकनोलेजमेन्ट) प्राप्त हो जाय। राज्य-कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत ऐसे विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा तथा उसकी सत्य-प्रतिलिपि कराई जाकर व्यक्तिगत-पत्रावली मे लगा दी जावेगी।

अनुच्छेद 3 (क) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प को निम्न-प्रकार-भेजा जावेगा:—

(1) यदि वह कर्मचारी अराजपत्रित है अथवा ऐसा राजपत्रित-कर्मचारी है जिसके वेतन एव भत्ते आदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो उसे अपना विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को भेजना होगा।

(2) यदि वह कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष है तो उसे अपना विकल्प विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग क्रमशः को भेजना होगा ।

अनुच्छेद 3 (ख) :—जब एक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प प्राप्त हो जावे तो सम्बन्धित-प्राधिकारी को उस पर प्रति-हस्ताक्षर करना होगा ।

4 (i) उपरोक्त प्रकार पेन्शन-योजना के लिये विकल्प देने के पश्चात् उस कर्मचारी के अंशदायी-भविष्य-निधि-खाते मे उपलब्ध उसके स्वय के अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि को उस कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि-खाते मे मे जमा कर दी जावेगी । उसके अंशदायी-भविष्य-निधि-खाते मे राज्य सरकार की ओर से दिये गये अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि को सरकार के सामान्य-राजस्व-खातो मे जमा करा दी जावेगी । इस लाभ के बदले मे उस कर्मचारी की सम्पूर्ण-सेवा-अवधि जो उस द्वारा राज्यसरकार के अधीन की गई है, को पेन्शन-प्रयोजनो के लिये पेन्शन-योग्य-अवधि माना जावेगा जैसा कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ. 1 (52) वि वि (ग्रुप-2) 76 दि 22-11-76 द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

4 (ii) विकल्प प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस विकल्प की एक प्रति अपने प्रतिहस्ताक्षर-सहित महालेखाकार राजस्थान को, सबधित कर्मचारी के अंशदायी-भविष्य-निधि-खाते को नम्बर बताते हुए, भेजनी होगी ताकि अंकेक्षण-विभाग द्वारा इस ज्ञापन के अनुच्छेद 4 (i) के अनुसार कार्यवाही की जा सके । महालेखाकार राजस्थान से विकल्प प्राप्त होने की सूचना संबधित प्राधिकारी को भिजानी चाहिये । महालेखाकार कार्यालय द्वारा सबधित प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग) को तथा सबधित कर्मचारी को यह सूचना दी जावेगी कि उसके खाते मे उस द्वारा दिये गये अंशदान की राशि तथा पर अर्जित-ब्याज को कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि-लेखों मे जमा कर दी गई है क्योंकि कर्मचारी ने पेंशन नियमो से शासित होने का विकल्प दे दिया है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा कर्मचारी के सामान्य भविष्य-निधि-खाते का क्रमाक तथा उसमे जमा की गई राशि की सूचना भी उक्त प्रकार देनी होगी ।

5. यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन आदेशो के बारे मे समस्त आदेश भविष्य-निधि योजना के सदस्यों को सूचना मिल जाये, यह निर्णय किया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रत्येक राज्य-कर्मचारी को जो अभी तक अंशदायी-भविष्य-निधि-योजना के सदस्य है, एक औपचारिक-पत्र तथा उसके साथ इन आदेशों से सलग्न् विकल्प के निर्धारित प्रपत्र की प्रति भेजकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सबधित कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत आना चाहता है अथवा नही । यदि वह पेन्शन-नियमों का लाभ लेना चाहे तो उसे यह भी परामर्श दिया जावेगा कि वह निर्धारित-प्रपत्र में अपना विकल्प रजिस्टर्ड-डाक से अथवा व्यक्तिगत-रूप मे निर्धारित-अवधि में कार्यालयाध्यक्ष/विभाग को भिजवा दे और उसके पहुंचने की सूचना लिखित में प्राप्त करले । ऐसे विकल्प के पहुंचने की सूचना सबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभाग को भेजनी होगी तथा विकल्प प्राप्त होने पर इन आदेशों के अनुच्छेद (3) एव (4) में अंकित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।

6. यह आदेश उन राज्य-कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने राजस्थान सेवाएें (सेवा शर्तों का आरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अन्तर्गत विकल्प दे रखा है, कि उन्होंने उन

एवं पेन्शन नियमों का लाभ लेते रहने का विकल्प दिया जो उन पर 1-11-1956 से तुरन्त पूर्व प्रभावशील थे) ऐसे कर्मचारियों को भी इस आदेश के अन्तर्गत एक बार पुनः राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत आकर अवकाश एव पेन्शन लाभो को प्राप्त करने के लिये विकल्प-देने-का-अवसर दिया जावेगा ।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ. 1 (ख) (8) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दि. 1-3-79]

विकल्प प्रपत्र-1

(वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ. 1 (ख) (8) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दि. 1-3-79 की पालना मे मै ....पुत्र श्री..............................—..........अपने पूर्व के विकल्प जिसके द्वारा मैने राजकीय सेवाऐ (सेवा शर्तो का आरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अन्तर्गत 1-11-56 से पूर्व के अवकाश एव पेन्शन लाभो को ग्रहण किया हुआ था, की बजाय अब मे राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत अवकाश एव पेन्शन नियमों (पारिवारिक पेन्शन नियम-1964 सहित) के लाभों को प्राप्त करने का विकल्प देता हू ।

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर
(वड़े अक्षरों मे पूरा नाम)
दिनाक..................
कार्यालय..................

साक्षी के हस्ताक्षर
(वड़े अक्षरों में पुरा नाम)
पद....................
कार्यालय...............

प्रति-हस्ताक्षर किये गये
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव के हस्ताक्षर ।

उपरोक्त विकल्प का घोषणा-पत्र प्राप्त हो गया है ।

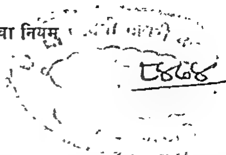
हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/विभाग

स्थान.......................
दिनाक.......................

विकल्प प्रपत्र-2

वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या प.-1 (ख) (8) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दिनाक 1-3-79 की पालना मे मै..पुत्र श्री..पद........................ जो वर्तमान में अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य हूं तथा अंशदायी भविष्य निधि योजना मे मेरा खाता नम्बर...................है, अब में इस विकल्प के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध पेन्शन नियमों, जिनमे नवीन पारिवारिक पेन्शन नियम भी सम्मिलित हैं (जो समय-समय पर सशोधित किये गये हैं) को अपने अंशदायी भविष्य-निधि-लाभ के एवज में ग्रहण करता हू ।

राज्य-कर्मचारी के हस्ताक्षर
(वड़े अक्षरों मे पूरा नाम)
दिनांक..................
कार्यालय...............



साक्षी के हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में पूरा नाम)

पद.................... ......

कार्यालय..........................

प्रति-हस्ताक्षर किये गये
(दिनाक सहित हस्ताक्षर)
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव

उपरोक्त विकल्प का घोषणा-पत्र प्राप्त हो गया है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/विभाग

स्थान......................
दिनांक.......................

हस्ताक्षर
कार्यालय

नियम 168-ए:—इन नियमों के प्रयोजनों में वेतन का तात्पर्य मासिक स्थायी वेतन से है। इसमें सावधिक-पद पर प्राप्त किया गया वेतन सम्मिलित नहीं है।

टिप्पणियां (1)—नियम 250 (1) के खण्ड (ग) मे वर्णित परिस्थितियो मे व्यक्तिगत भत्तों (पर्सनल-अलाउन्स) को पेन्शन की राशि मे सम्मिलित किया जावेगा।

(2) पेन्शन गिनने मे धनराशि के प्रयोजनो के लिए प्रतिनियुक्ति-वेतन या विशेष वेतनो को वेतन के रूप मे माना जाता है। विशेष वेतन (स्पेशल-पे) स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्देश करना चाहिये कि विशेष-वेतन के कौन से भाग को पेन्शन के लिए स्वीकृत किया जावेगा।

(3) जे० डी० सी० भत्ता (विशेष-वेतन) जो जूनियर डिप्लोमा क्लासेज मे अध्यापन के लिए स्वीकृत किया जाता है, को पेन्शन और या ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजन के लिए वेतनादि मे गिना जावेगा।

(4) मंहगाई वेतन को राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 के अन्तर्गत देय असाधारण पेन्शन, ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजनो के लिए वेतन मे गिना जावेगा। (यह 1-12-1968 से प्रभावशील होगा।)

नियम 168-बी:—1-9-1968 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में नियम 168-ए-में किसी बात के होते हुए भी इन नियमो के प्रयोजनार्थ "वेतन" से तात्पर्य उस वेतन से है जो नियम 7 (24) में परिभाषित है।

राजकीय निर्णय:—नियम 168-बी-के प्रावधान (जो वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (40) वित्त वि० (नियम) 67 दिनाक 12-8-69 द्वारा शामिल/सम्मलित किए गए है वो दिनाक 1-9-68 से प्रभाव मे आयेगे। यह वह दिनाक है जिसको नवीन वेतनमान नियम लागू हो गये थे।

इन आदेशो के जारी किये जाने से पूर्व निर्णित मामलो पर पुनर्विचार किया जावेगा तथा उन्हे इन नियमों के अनुसार निर्णित किया जायेगा।

नियम 169 (1):—भावी सदाचरण पेन्शन की प्रत्येक स्वीकृति के लिए एक अभिनिहित शर्त होगी। पेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी, लिखित मे आदेशों द्वारा पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी

रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, स्थगित या प्रत्यावर्तित कर सकता है यदि पेंशनर गम्भीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो जाये या गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया जाये ।

किन्तु सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के ठीक पूर्व पेंशनर द्वारा धारित-पद पर नियुक्ति के संबंध में सक्षम-प्राधिकारी के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस खण्ड के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) जहां पेंशनर किसी विधि-न्यायालय द्वारा गम्भीर अपराध के लिए दोषी पाया जाये वहां ऐसी सजा से संबंधित न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खण्ड (1) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन न आने वाले मामले में यदि खण्ड (1) के अधीन सक्षम-प्राधिकारी यह विचारता है कि पेंशनर प्राथमिक रूप से ही गम्भीर दुराचरण का दोषी है तो वह खण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व—

(क) पेंशनर को एक नोटिस देगा जिसमें उसके विपरित की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का तथा उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिन पर वह कार्यवाही की जानी है तथा उससे नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाये, ऐसा अभ्यावेदन, जिसे वह प्रस्ताव के विरूद्ध रखना चाहे, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन याचिका प्रस्तुतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा ।

(4) जहा खण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करने में सक्षम-प्राधिकारी राज्यपाल हों तो आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त की जायेगी ।

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गए खण्ड (1) के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी एव तब राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श कर अपील पर ऐसे आदेश, जिन्हें वह ठीक समझे; जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इस नियम मे अभिव्यक्ति "गम्भीर अपराध मे ऐसा अपराधी भी सम्मिलित है जिसमें आफिसियल सिक्रेटस एक्ट 23 (अधिनियम सख्या 19 सन् 1923) के अधीन भी अपराध सम्मिलित है और अभिव्यक्ति "गम्भीर-कदाचरण" (ग्रेव-मिसकन्डेक्ट) मे किसी भी ऐसे गोपनीय सरकारी कोड या पास वर्ड या कोई नक्शा, प्लान, माडल, आर्टीकल, नोट, दस्तावेज या सूचना जो उक्त अधिनियम की धारा 5 मे वर्णित है की इस प्रकार से सूचना देना या बतलाना भी सम्मलित है जो सरकार के अधीन पद-धारण करते समय उसने प्राप्त किये हो जिससे जनहित या राज्य की सुरक्षा पर विपरित रूप से प्रभाव पड़ता हो ।

(2) देखिए नियम 248 के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या (3) एव (5) ।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान पेंशन एक्ट 1958 की धारा 9-क के अनुसार किसी राज्य सेवा से निवृत्त राज्य कर्मचारी से सरकारी बकायों को, उसे या उसके परिवार को, जैसी भी स्थिति हो, देय या दी गई ग्रेच्युटी/पेन्शन की राशि में से, बिना उसकी सहमति या उसके परिवार के सदस्यो की सहमति प्राप्त किये ही वसूल किया जाना स्वीकार्य है । इसे ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी की ओर राजकीय बकायों की या ऐसे बकायों जो बाद मे पाए जाए की राशि

रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, स्थगित या प्रत्यावरित
अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो जाये या गम्भीर दुराचरण का

किन्तु सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के ठीक पूर्व पेंशन
संबंध में सक्षम-प्राधिकारी के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्व
नहीं दिया जायेगा।

(2) जहां पेंशनर किसी विधि-न्यायालय द्वारा गम्भ
वहां ऐसी सजा से संबंधित न्यायालय के निर्णय को ध्यान में
की जायेगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन न आने वाले मामले में य
यह विचारता है कि पेंशनर प्राथमिक रूप से ही गम्भीर दुरा
अधीन आदेश जारी करने से पूर्व—

(क) पेंशनर को एक नोटिस देगा जिसमें उसके वि
वाही का तथा उन कारणों का उल्लेख किया ज
है तथा उससे नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के भ
स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाये, ऐसा अ
रखना चाहे, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन याचिका प्रस्तुतकर्त्ता द्वारा प्रस्
हो, पर विचार करेगा।

(4) जहां खण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करने में सक्ष
आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्रा

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दि
किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी एवं तब
सेवा आयोग से परामर्श कर अपील पर ऐसे आदेश, जिन्हें वह ठीक समझे

स्पष्टीकरण:—इस नियम में अभिव्यक्ति "गम्भीर अपराध में ऐसा अपराध
आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट 23 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) के अधीन भी
अभिव्यक्ति "गम्भीर-कदाचरण" (ग्रेव-मिसकन्डक्ट) में किसी भी ऐसे गोपनीय सरक
कोई नक्शा, प्लान, माडल, आर्टीकल, नोट, दस्तावेज या सूचना जो उक्त अधिनियम
को इस प्रकार से सूचना देना या बतलाना भी सम्मलित है जो सरकार के अधीन पद-ध
प्राप्त किये हों जिससे जनहित या राज्य की सुरक्षा पर विपरित रूप से प्रभाव पड़ता हो।

(2) देखिए नियम 248 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (3) एवं (5)।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान पेंशन एक्ट 1958 की धारा 9-क के अनु
सेवा से निवृत्त राज्य कर्मचारी से सरकारी बकायों को, उसे या उसके परिवार को, जैसी भी
या दी गई ग्रेच्युटी/पेन्शन की राशि में से, बिना उसकी सहमति या उसके परिवार के सदस्य
प्राप्त किये ही वसूल किया जाना स्वीकार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निश्चय कि
सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी की ओर राजकीय बकायों को या ऐसे बकायों जो बाद में पाए जा

नियम 171:—निम्न-लिखित मामलों में पेंशन की माग स्वीकार नही की जा सकती है ।

(क) जहां एक राज्य कर्मचारी केवल सीमित-अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है या किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है जिसके पूर्ण हो जाने पर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाता है ।

(ख) जहां एक व्यक्ति मजदूरी के आधार पर अस्थाई रूप से बिना किसी विशिष्ट निर्धारित समय या सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को सेवा-मुक्त करने के लिए एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है तथा जहां दिये गये नोटिस का समय महिने से कम पड़ता है तो उस समय की उसे अपनी मजदूरी दी जानी होती है ।

(ग) जहां किसी व्यक्ति को पूर्ण समय के लिए सार्वजनिक सेवा में नहीं रखा जाना हो किन्तु उसे राजकीय कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता हो ।

टिप्पणी—यह खण्ड अन्यों के साथ-साथ राजकीय सलाहकार एवं अन्य कानून अधिकारियो पर लागू होता है जिन्हे प्राइवेट-प्रेक्टिस से वंचित नही किया गया है ।

(घ) जब सार्वजनिक कर्मचारी किसी अन्य पेंशन वाले पद पर कार्य करता हो तो वह खण्ड (ग) में कहे गये अनुसार किसी भी एक पद पर काम करने पर या क्षतिपूरक या अन्य भत्तों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में कोई पेन्शन प्राप्त नहीं करेगा ।

(ड.) जब कोई राज्य कर्मचारी किसी ऐसे अनुबन्ध पर सेवा करता हो जिसमें पेन्शन के सम्बन्ध में कोई शर्त नही दी हुई हो तो ऐसे मामलों में जब तक सरकार विशेष रूप से राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा पेन्शन-योग्य सेवा गिनने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है ।

टिप्पणी:—अनुबन्ध स्पष्ट शब्दो मे लिखा जाना चाहिए जिससे समय-समय पर नियमो मे सशोधन करने के राज्य सरकार के आवश्यक अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ताकि वह उन नियमों का लाभ उठाने का क्लेम न कर सके जो किसी विशिष्ट अनुबन्ध की तारीख को प्रभावशील थे ।

दुर्व्यहार अथवा अदयक्षता

नियम 172:—करुणता भत्ता—एक राज्य कर्मचारी जो दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उसे अध्याय 22 व 23 के खण्ड (2) के अन्तर्गत कोई ग्रेच्यूटी या पेन्शन स्वीकृत नहीं की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से बर्खास्त किये गये या हटाये गये राज्य कर्मचारियों के लिए, करुणता भत्ता, उसके साथ विशेष विचार किये जाने पर, स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि किसी राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किया गया करुणता भता उस पेन्शन की राशि के दो तिहाई भाग से अधिक नहीं होगा जो कि उसे प्राप्त होता यदि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर सेवा निवृत्त हो गया होता ।

टिप्पणी 1:—इस नियम के अन्तर्गत दयामूलक भत्ते की स्वीकृति दिया जाना पूर्ण रूप मे सरकार के निर्णय पर आश्रित है । इन निर्णय के प्रयोग मे प्रत्येक मामले मे उसके गुणों को ध्यान मे रखते हुए विचार किया जावेगा तथा उसी के आधार पर यह परिणाम निकाला जाएगा कि क्या मामले में कोई ऐसी विशेषतायें अवश्य थी, जिनसे सरकारी हित में दण्ड दिया जाना न्यायोचित था परन्तु इस प्रकार का दण्ड दिया जाना

जिन पर वे आरोप आधारित हैं, या अनुशासनिक कार्यवाही करने का राज्य सरकार का एक प्रस्ताव मय उन अभियोगों के जिन पर उक्त अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, प्राप्त होता है। यदि अधिकारी एक पूर्व तिथि से निलम्बित किया गया हो तो उस तारीख से जांच की हुइ समझी जाएगी।

(ख) एक न्यायिक जांच

(i) फौजदारी के मामलों मे जांच उस तारीख को प्रारम्भ की हुई समझी जाएगी जिसको पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिस पर मेजिस्ट्रेट सज्ञान लेता है, की जाती है; एवं

(ii) दीवानी जाच के मामले में अदालत मे मुकदमे के पेश करने की तारीख से प्रारम्भ की हुई समझी जावेगी।

नियम 170-ए:—(1) जहां नियम 170 के अन्तर्गत कोई विभागीय या न्यायिक जांच प्रारम्भ की गई हो या जहां उस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत एक ऐसे अधिकारी के विपरीत विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई हो जो अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु पर या अन्यथा प्रकार से सेवा-निवृत्त हो चुका हो, तो उसे सेवा-निवृत्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक, जिसको एक ऐसी जाच की समाप्ति पर अन्तिम आदेश जारी कर दिए गए हैं, अस्थाई पेन्शन की राशि दी जावेगी, जो उस अधिकतम पेन्शन की राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक पैंशन योग्य सेवा पर प्राप्त हो सकती हो या यदि वह सेवा निवृत्ति की तारीख को निलम्बित होने की तारीख से पूर्व के दिन से दी जावेगी, किन्तु उसे कोई भी ग्रेच्यूटी या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्यूटी उस समय तक नहीं मिलेगी जब तक ऐसी जाच समाप्त नहीं हो जाती है तथा उस पर अन्तिम आदेश जारी नही कर दिए जाते हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अस्थाई पेन्शन के भुगतान का समायोजन, पूर्वोक्त जांच की समाप्ति पर, ऐसे अधिकारी के लिए स्वीकृत अन्तिम सेवा निवृत्ति लाभों में से कर लिया जावेगा। किन्तु वहां अन्तिम रूप में स्वीकृत पेन्शन की राशि अस्थाई पेंशन की राशि से कम है अथवा जहां पेंशन स्थाई या किसी निर्दिष्ट समय के लिए कम कर दी जाती हो या रोक ली गई हो, वहां कोई वसूली नही की जावेगी।

टिप्पणी:— इस नियम के अन्तर्गत अस्थाई पेशन की स्वीकृति, नियम 248 के लागू करने में उस समय पक्षपातपूर्ण नही होगी जबकि जाच के पूर्ण हो जाने पर, अन्तिम पेशन स्वीकृत करदी गई हो।

स्पष्टीकरण:—यह सदेह प्रकट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 170-ए के अधीन अस्थायी पेन्शन अधिकतम देय पेन्शन हो सकती है या नही ? महालेखाकार राजस्थान, के परामर्श से इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 170-क मे "अधिकतम पेशन से अधिक नही" शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योकि जो पेंशन की राशि अधिकृत की जावेगी वह अपेक्षित पेन्शन होने से और सेवा की कुछ अवधि के सत्यापन न होने आदि के कारण अस्थाई होगी। अधिकतम अधिकृति के नीचे पेंशन की कटौती उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की विषय सामग्री के कारण नही हो सकती, क्योंकि यह अनुचित और अवैध दोनो होगा कि किसी कार्यवाही के परिणाम को पहले ही अपेक्षित मान लिया जाय और पहले ही पेन्शन में कमी करदी जाय।

अतः ऐसे प्रकरण में जांच के कारण अस्थायी पेन्शन देय होगी। खण्ड (3) के वे मामले, जिनमे मांगें स्वीकार नही की जा सकती पेन्शन की माग अस्वीकृत होती है।

नियम 171:—निम्न-लिखित मामलों में पेंशन की माग स्वीकार नही की जा सकती है।

(क) जहां एक राज्य कर्मचारी केवल सीमित-अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है या किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है जिसके पूर्ण हो जाने पर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाता है।

(ख) जहा एक व्यक्ति मजदूरी के आधार पर अस्थाई रूप से विना किसी विशिष्ट निर्धारित समय या सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को सेवा-मुक्त करने के लिए एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है तथा जहां दिये गये नोटिस का समय महिने से कम पड़ता है तो उस समय की उसे अपनी मजदूरी दी जानी होती है।

(ग) जहां किसी व्यक्ति को पूर्ण समय के लिए सार्वजनिक सेवा मे नही रखा जाना हो किन्तु उसे राजकीय कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता हो।

टिप्पणी—यह खण्ड अन्यो के साथ-साथ राजकीय सलाहकार एव अन्य कानून अधिकारियो पर लागू होता है जिन्हे प्राइवेट-प्रेक्टिस से वचित नही किया गया है।

(घ) जव सार्वजनिक कर्मचारी किसी अन्य पेंशन वाले पद पर कार्य करता हो तो वह खण्ड (ग) मे कहे गये अनुसार किसी भी एक पद पर काम करने पर या क्षतिपूरक या अन्य भत्तों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा के सम्वन्ध में कोई पेन्शन प्राप्त नहीं करेगा।

(ङ.) जब कोई राज्य कर्मचारी किसी ऐसे अनुवन्ध पर सेवा करता हो जिसमें पेन्शन के सम्वन्ध में कोई शर्त नही दी हुई हो तो ऐसे मामलो मे जब तक सरकार विशेष रूप से राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा पेन्शन-योग्य सेवा गिनने के लिए प्राधिकृत नही करती है।

टिप्पणी:—अनुबन्ध स्पष्ट शब्दो मे लिखा जाना चाहिए जिससे समय-समय पर नियमो मे सशोधन करने के राज्य सरकार के आवश्यक अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ताकि वह उन नियमों का लाभ उठाने का क्लेम न कर सके जो किसी विशिष्ट अनुबन्ध की तारीख को प्रभावशील थे।

दुर्व्यवहार अथवा अदर्यक्षता

नियम 172:—**करुणाता भत्ता**—एक राज्य कर्मचारी जो दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण सेवा से वर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उसे अध्याय 22 व 23 के खण्ड (2) के अन्तर्गत कोई ग्रेच्यूटी या पेन्शन स्वीकृत नही की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से वर्खास्त किये गये या हटाये गये राज्य कर्मचारियों के लिए, करुणाता भत्ता, उसके साथ विशेष विचार किये जाने पर, स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि किसी राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किया गया करुणाता भता उस पेन्शन की राशि के दो तिहाई भाग से अधिक नही होगा जो कि उसे प्राप्त होता यदि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर सेवा निवृत्त हो गया होता।

टिप्पणी 1:—इस नियम के अन्तर्गत दयामूलक भत्ते की स्वीकृति दिया जाना पूर्ण रूप मे सरकार के निर्णय पर आश्रित है। इन निर्णय के प्रयोग में प्रत्येक मामले में उसके गुणों को ध्यान मे रखते हुए विचार किया जावेगा तथा उसी के आधार पर यह परिणाम निकाला जाएगा कि क्या मामले में कोई ऐसी विशेषतायें अवश्य थी, जिनसे सरकारी हित मे दण्ड दिया जाना न्यायोचित था परन्तु इस प्रकार का दण्ड दिया जाना

सम्बन्धित कर्मचारी को अनुचित नुकसान पहुंचना था। मामले पर विचार करते समय केवल उन वास्तविक दुराचरण के कारणों को ही ध्यान में नहीं रखा जायेगा जिनके कारण वह बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है बल्कि उसके द्वारा की गई सेवा के प्रकार को भी ध्यान में रखा जायेगा। जहां दुराचरण के कारणों में भी यह वैध प्रमाण मिलता हो कि कर्मचारी का आचरण बेईमानी का रहा है तो शायद ही किसी मामले में कठिनता से दयामूलक भत्ते के लिए विचार किया जा सकता है। दयामूलक भत्ते की स्वीकृति देने में गरीबी कोई आवश्यक विचारणीय बात नहीं होगी किन्तु किन्हीं अवसरों पर विशेष ध्यान इस तथ्य पर दिया जा सकता है कि राज्य कर्मचारी पर बहुत से व्यक्ति आश्रित है। केवल बहुत ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, केवल अकेला एक यही तथ्य दयामूलक भत्ता स्वीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा जावेगा।

(2) दुराचरण को ध्यान में रखते हुये जो अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की जावेगी वह इस नियम के प्रयोजन के लिए "दुराचरण के कारण हटाया गया हुआ" समझा जावेगा।

(3) दयामूलक भत्ते में देरी को बचाने के लिए, सेवा से हटाये गए राज्य कर्मचारियों के मामलों में निम्न-लिखित तरीका अपनाया जावेगा।

(i) दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण राज्य कर्मचारी को सेवा से हटाने वाले सक्षम-प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने पर कार्यालय-अध्यक्ष यदि वह दयामूलक भत्ता स्वीकृत करने के लिए सिफारिश का प्रस्ताव करता है तो उसे पेंशन के प्रार्थना-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अपनी सिफारिश लिखनी चाहिए तथा उसे महालेखाकार के पास पेंशन का टाइटिल प्राप्त करने के लिए भिजवा दिया जाना चाहिये। कार्यालय-अध्यक्ष को राज्य कर्मचारी से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

(ii) यदि सक्षम-प्राधिकारी हटाए जाने के आदेशों में यह उल्लेख करता है कि अयोग्यता पेंशन का कुछ भाग दयामूलक भत्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना है तो पेंशन के लिए और अग्रिम स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा बाद में उपरोक्त खण्ड (1) में वर्णन किए अनुसार महालेखाकार को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः भर कर व हस्ताक्षर कर भेजे गए पेंशन के प्रार्थना पत्र पर, पेंशन की स्वीकृति प्रमाणित करनी चाहिए।

(4) जहां सेवा से बर्खास्त किए गए या हटाये गए राज्य कर्मचारियों के लिए नियम 172 के अन्तर्गत दयामूलक भत्ता स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, उन मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को नियम 213 के अनुसार ऐसी पेंशन की राशि निश्चित करने के लिए सेवा की कमियों को "कन्डोन" नहीं करना चाहिए, जो उसे प्राप्त होती यदि वह उस चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवा-निवृत्त होता जिसके आधार पर दयामूलक भत्ता निकाला जाता है।

(5) दयामूलक भत्ते की स्वीकृति वाले सभी मामलों में महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

आडिट निर्देशन:—एक दयामूलक भत्ता ऐसी पेंशन नहीं है जो संबंधित आडिट अधिकारी द्वारा स्पष्ट एवं कठोर रूप में नियमों के अनुसार प्रमाणित की गई हो, एवं फलस्वरूप नियम 293 के प्रावधान ऐसे भत्तों पर लागू नहीं होंगे।

नियम 172-ए—(1) एक राज्य कर्मचारी जिसे दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाता है, उसके लिए ऐसा दण्ड देने वाला सक्षम-अधिकारी पेन्शन या ग्रेच्यूटी या दोनों ही ऐसी दर पर स्वीकृत कर सकता है जो उसकी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसे देय पूर्ण

अयोग्यता पेंशन या ग्रेच्यूटी या दोनों ही की राशि के दो तिहाई भाग से कम नहीं होगी तथा प्राप्य पूर्ण अयोग्यता पेंशन या ग्रेच्यूटी या दोनों की राशि से अधिक नही होगी।

(2) जब कभी राज्य कर्मचारी के मामले में राज्यपाल महोदय द्वारा इन नियमों के अधीन देय पूर्ण अयोग्यता पेंशन की राशि को कम अविनिर्णित (चाहे मूल, अपील में या पुनरावलोकन करने के अधिकार के अन्तर्गत) करदी जाती है तो ऐसे मामलों मे ऐसी आज्ञा जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त करनी होगी।

स्पष्टीकरण:—इस नियम मे उल्लिखित शब्द "पेंशन" मे ग्रेच्यूटी भी सम्मिलित है।

[एफ. 1 (60) वि वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 16-8-75 द्वारा प्रतिस्थापित]

विधवा की मांगें (क्लेम्स)

नियम 173 (क) —विधवा की मांगें प्रत्येक कर्मचारी का स्वयं का कर्त्तव्य है कि वह परिवार की सेवा करना होने से सरकार एक विधवा की मांग को उसके पति द्वारा की गई सेवा के बदले में मानने को तैयार नही है तथा इस नियम के विपरीत उसके लिए जो भी सिफारिश की जावेगी, उसे आवल्यकीय रूप से रद्द कर दिया जायगा।

टिप्पणी:—(1) दिनाक 1-9-69 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उपार्जित अवकाश जो मृत सरकारी कर्मचारी को उसकी मृत्यु की तारीख को उसे देय हो, किन्तु जो 120 दिन के उपार्जित अवकाश से अधिक नही होगा, उसके सम्बन्ध मे स्वीकार्य अवकाश वेतन की राशि के समान एक मुश्त राशि का भुगतान मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बालकों को किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नि/बालक राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानों के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नही हो तो भुगतान योग्य एक मुश्त राशि को ऐसे दिनों, जिसके लिए एक मुश्त भुगतान किया गया है, के लिए भुगतान योग्य परिवार पेंशन की राशि मे से घटा दिया जावेगा। अन्य मामलो मे कोई कटौती नही की जायेगी।

(2) उपर्युक्त अनुच्छेद (1) के प्रावधानो के अधीन रहते हुए एक-मुश्त-भुगतान सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बच्चों को भी दिया जा सकता है यदि उसकी निम्न मे से किसी भी परिस्थिति मे मृत्यु हो जाती है।

(i) अस्वीकृत अवकाश का उपभोग करते समय एक मुश्त-भुगतान, मृत्यु के कारण वास्तव में नही लिए गए अवकाश की अवकाश-वेतन-राशि तक ही सीमित होगा।

टीका:—आज्ञा क्रमांक एफ 1 (12) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 8-2-79 द्वारा देय अवकाश वेतन से पारिवारिक पेंशन की राशि की कटौती समाप्त कर दी गई है।

(ii) सेवा मे वृद्धि के समय

(iii) सेवा-निवृत्ति के ठीक बाद पुनर्नियुक्ति के समय-यदि उसने मृत्यु के समय एक पुनर्नियोजन की अवधि मे अस्वीकृत अवकाश का उपभोग नही किया हो।

(3) इस टिप्पणी के अनुसार भुगतान योग्य एक-मुश्त-राशि मे अवकाश-वेतन तथा उस पर देय महगाई भत्ता सम्मिलित होगा। किन्तु उसमें अन्य क्षति-पूरक भत्ते सम्मिलित नही होंगे।

टीका:—1-9-76 से इस एक मुश्त राशि में अवकाश-वेतन तथा उस पर देय मंहगाई-भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।

(4) मृत सरकारी-कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस टिप्पणी के अधीन भुगतान योग्य एक मुश्त राशि की भी स्वीकृति देगा।

(5) इस टिप्पणी के प्रावधान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियो पर लागू नहीं होंगे। ये दिनाक 1-9-69 से प्रभावी होगे।

(राजस्थान सेवा नियम 173 (क) के अन्तर्गत टिप्पणी के सम्बन्ध में राजकीय निर्णय)

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (6) वि. वि. (ग्रुप-2) 70 दिनाक 29-9-1970 जो राजस्थान सेवा नियम 173 (क) के अन्तर्गत टिप्पणी के रूप मे जोड़ी गयी है, के अनुसार एक राज्य-कर्मचारी जिसकी राज्य-सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा/बच्चों को उस कर्मचारी की मृत्यु के दिन उसके अवकाश-लेखो मे अवशेष 120 दिन के उपार्जित अवकाशो के एवज में उन्हें एक-मुश्त अवकाश-वेतन चुकाने का प्रावधान है किन्तु वर्तमान मे शर्त यह है कि ऐसे बकाया अवकाशों के एवज में दिये जाने वाले एक-मुस्त अवकाश-वेतन में से पारिवारिक-पेन्शन घटा दी जाती है। कुछ समय से राज्य-सरकार के यह विचाराधीन था कि किसी राज्य-कर्मचारी की सेवा मे रहते हुए मृत्यु हो जाने के कारण उसकी विधवा/बच्चों को बकाया उपार्जित अवकाश के एवज मे भुगतान की जाने वाली एक-मुश्त अवकाश-वेतन की राशि में से पारिवारिक-पेन्शन की राशि घटाई जावे अथवा नहीं।

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने आज्ञा प्रदान की है कि ऐसे मामलो मे मृतक-कर्मचारी की विधवा/बच्चों को कर्मचारी के नाम 120 दिन तक के बकाया उपार्जित-अवकाशों के एवज में चुकाई जाने वाली एक-मुश्त अवकाश-वेतन की राशि मे से पारिवारिक-पेन्शन के कारण कोई कटौती नही की जाय।

यह आदेश दिनाक 1 जनवरी, 1979 से प्रभावशील माने जावेंगे।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (12) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 8-2-79 द्वारा निविष्ट]

उप-नियम 173 (ख).—केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इस प्रकार की सिफारिशे करना, अनुमोदित नही किया जा सकता है क्योंकि यह केवल उन आशावों को बढ़ावा देता है जो पूर्ण नहीं की जा सकती।

टिप्पणी:—विशेष रूप से विचार करने योग्य मामलों में, निर्धन स्थिति में छोड़े गए राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दयामूलक निधि में से उसे नियमित करने वाले नियमो के अन्तर्गत, जो परिशिष्ट मे वर्णित हैं, सहायता दी जा सकती है।

यह निधि (फण्ड) नियमो में दिए गए पेन्शनों एवं ग्रेच्यूटी के वर्तमान प्रावधानों के पूरक रूप मे नही रखी गई है। अतः इस निधि से स्वीकृतिया केवल अपवादस्वरूप मामलों मे ही दी जाती है तथा इस निधि से ग्रेच्युटी की स्वीकृति की सिफारिश प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक राज्य कर्मचारी के प्रार्थना पत्र की सावधानी पूर्वक जाच कर लेनी चाहिए तथा अपने आपको इसमे संतुष्ट कर लेना चाहिये कि वास्तव मे उसका मामला विचारणीय है। अन्यथा इस प्रकार की सिफारिशो से प्रार्थी के दिमाग में ऐसी आशायें उत्पन्न होती है जो प्रायः निराशा मे परिणित होती हैं। अतः प्रार्थना पत्रो को उन्हे प्रस्तुत करने से पूर्व, सावधानी पूर्वक जाच की जानी चाहिए तथा उन पर विचार कर लेना चाहिए।

नियम 173 (ग):—यदि राज्य-कर्मचारी की राजकीय वायुयान में ड्युटी पर रहते, यात्रा करते समय अथवा राजकीय ड्युटी पर ऐसे वायुयान, जो निर्धारित-उड़ान पर न हो, से हवाई-यात्रा

करते समय बायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक लाख रूपया अनुग्रह-धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जावेगी।

[अधि. क्रमांक एफ 1 (55) वि. वि. (ग्रुप-2) 75 दि. 5-2-76 द्वारा निविष्ट तथा दि. 1-2-76 से 8-1-79 द्वारा 45 हजार के स्थान पर "एक लाख" शब्दों का प्रति-स्थापन हुवा]

परिशिष्ट

(नियम 173 की टिप्पणी के आधार पर)

1. दयामूलक निधि उन राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को राहत देने के लिए है जिनको भुगतान राज्य के राजस्व से किया जा सकता है, यदि वे असामयिक मृत्यु के कारण अपने परिवार को निर्धनता की स्थिति मे छोड जाते हैं, किन्तु किसी ऐसे प्रार्थना पत्र पर साधारणतया विचार नही किया जायेगा;

(i) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के आश्रितो द्वारा पेश किया जावे जो अंशदायी भविष्य निधि योजना मे अंशदान करते थे, या

(ii) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा पेश किया जावे जो राजस्थान सेवा नियम 257 के अन्तर्गत डैथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए योग्य हो चुके थे, या

(iii) जो सम्बन्धित कार्यालय के अध्यक्ष को राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक वर्ष में प्रस्तुत नहीं की गई हो, जब तक देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से न बतलादि जावे (यह अत्यन्त वाछनीय है कि राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाना चाहिए)।

2 इस निधि से किए गए भुगतान 266-पेन्शन एण्ड अदर रिटायरमेंट बेनीफिट (ध) कम्पेशियोनेट-एलाउन्स" शीर्ष, के अन्तर्गत लिये जायेंगे।

3. निधि से अनुदान निम्न-अंकित सामान्य नियमो द्वारा शासित होंगे—

(i) निधि मे अनुदान केवल अपवाद स्वरूप प्रकृति के मामलो मे ही दिए जायेंगे।

(ii) मृत राज्य कर्मचारी द्वारा लगातार एवं उत्तम सेवा की गई हो। प्रशंसनीय सेवा पर विशेष रूप से विचार किया जाता है।

(iii) सेवा में विशेष-तल्लीनता के कारण मृत्यु होने पर विचार करने के लिए ठोस माग स्थापित होती है।

(iv) अधिक साधारण मामलो मे, उन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने अधिक समय तक सेवायें की हैं किन्तु जो किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी एवं या पेंशन प्राप्त करने मे असफल रहे हैं (किन्तु ऐसे मामलो मे जहां पर मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के लिए स्वीकृत की गई पेन्शन/उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि परिवार की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है, तो वास्तविक विचारणीय मामलों मे निधि मे से उसे अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(v) अन्य सब बातें समान होने पर प्राथमिकता उन लोगो को दी जावेगी जिनकी वेतन दर निम्न रही है।

(vi) सामान्य नियम के रूप में अनुदान नही दिया जाएगा यदि मृत सरकारी कर्मचारी का [illegible] पेन्शन के लिए अधिकृत है तथा मृत सरकारी कर्मचारी का अन्तिम वेतन 1200/-रु प्रति

से अधिक है। यदि परिवार, परिवारिक पेन्शन के लिए अधिकृत नही है तथा मृत सरकारी कर्मचारी का अन्तिम वेतन 1200/-रु. प्रति माह से अधिक है तो निधि में से अनुदान उचित मामलों में ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

टीका:—अनुच्छेद (2) में तथा 3 (vi) में संशोधन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दि. 26-5-78 द्वारा 1-9-76 से किये गये हैं।

4.—(i) निधि से जो अनुदान दिये जाते हैं वे सामान्यतः ग्रेच्युटी के रूप में होंगे। साधारणतया निधि मे से कोई पेन्शन स्वीकृत नही की जावेगी किन्तु कुछ मामलो में बच्चों की शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(ii) किसी भी व्यक्तिगत मामले में अधिकतम दी जा सकने वाले राशि की सीमा 5000) रु० होगी। वास्तविक राशि परिवार के सदस्यो को सख्या के आधार पर तथा मामले की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जायेगी मृत-व्यक्ति के एक वर्ष के वेतन के समान राशि उन मामलों मे अधिकतम उचित राशि मानी जायेगी। जिनमे परिस्थितिया उदारतापूर्वक विचार करने के लिए बाध्य करती हों, किन्तु अधिकतर मामलो मे 6 माह के वेतन के समान राशि को ही पर्याप्त माना जावेगा।

एक वर्ष से अधिक के वेतन के बराबर की राशि का भी निधि मे से अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि समिति इससे सतुष्ट हो जाये कि मामले मे उसके तथ्यों को देखते हुए अधिक उदारता बरती जानी चाहिए तथा इसके लिए कारणों को स्वीकृति में स्पष्ट रूप से अकित किया जाना चाहिए।

5. भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही (दयामूलक निधि से स्वीकृत) यदि ग्रेच्युटी स्वीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान ऐसे व्यक्ति को दिया जावेगा जिसे 34 नियम 6 मे वर्णित समिति द्वारा प्राप्त करने वाला अधिकारी माना जावेगा।

6. निधि से अनुदानों की स्वीकृति वित्त-विभाग द्वारा निम्नलिखित सदस्यो की एक समिति द्वारा सिफारिश करने पर, जारी की जायेगी—

(i) मुख्य सचिव

(ii) वित्त सचिव

(iii) विशिष्ट सचिव (नियुक्ति)

(iv) उप सचिव वित्त/लेखा अधिकारी (नियम) जो सेवाओं सम्बन्धी कार्य कर रहे हों समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।

सम्बन्धित विभाग के सचिवो को विचार विमर्श में भाग लेने के लिए उस समय आमन्त्रित किया जा सकता है जबकि उनके विभागो से सबधित मामलो पर विचार किया जाना हो।

7. दया-मूलक कोष से मृतक राज्य-कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्त (व्यय-नियम) विभाग द्वारा जारी की जावेगी तथा उसके आधार पर राज्य-कोष से भुगतान उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा साधारण प्राप्ति-रसीद-प्रपत्र (रिसीप्ट-फार्म) पर आहरित किया जावेगा जहा कर्मचारी मृत्यु से तुरन्त पूर्व कार्य-रत था तथा ऐसे भुगतान को मृतक राज्य-कर्मचारी के परिवार के सदस्य/सदस्यो को उसके द्वारा ही किये जावेंगे। ऐसे भुगतान आहरित करने लिये महालेखाकार के अधिकार-पत्र की कोई आवश्यकता नही होगी।

8. यह समिति अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के तीसरे सप्ताह में बुलाई जाया करेगी तथा वह पूर्व माह की अन्तिम तारीख तक सदस्य-सचिव द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर सिफारिशें करेगी।

9. अनुदान के आवेदन-पत्र समिति के सचिव के पास प्रपत्र (क) में भर कर संबंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से भिजवाये जाने चाहिए।

प्रपत्र (ख) में वर्णन उस समय भरा जायेगा जब अनुदान स्वीकृत कर दिया गया हो।

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (47) वि. वि (ग्रुप-2)/75 दिनांक 9-11-1976 द्वारा उक्त अनुच्छेद 7 नया जोडा गया तथा पूर्व के 7 तथा 8 को 8 तथा 9 पुनः क्रमांकित किया गया।

प्रपत्र (क)

1. (क) मृत कर्मचारी का नाम
   (ख) अन्तिम पद जो धारण किया
   (ग) जन्म तिथि
   (घ) अन्तिम वेतन जो आहरित किया
   (ङ) मृत्यु की तारीख
2. कुल सेवा (पेंशन योग्य है या पेंशन के अयोग्य)
3. उन व्यक्तियों का विस्तृत विवरण जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे—

नाम	सम्बन्ध	आयु

4. मृत व्यक्ति के (पिता/भाई/पुत्र या कोई पौत्र)

नाम	सम्बन्ध	आयु	वार्षिक आयु	वित्तीय सहायता की राशि जिसे वे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को देने में समर्थ है।

5 क्या परिवार को किन्ही भी सम्बन्धियों के साथ आवासीय सुविधा प्राप्त करने की आज्ञा दे दी गई है।

6. आर्थिक या सम्पत्ति लाभ जो प्राप्त किए गए।

(क) राशि जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रितों को उपलब्ध हुई।
   (i) पारिवारिक पेंशन
   (ii) उपदान या यदि सरकारी कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा के अधीन नही था तो सामान्य भविष्य निधि का योग।
   (iii) सामान्य भविष्य निधि
   (iv) राज्य बीमा विभाग से
   (v) जीवन बीमा निगम/किसी भी अन्य बीमा कम्पनी से
   (vi) बैंक या पोस्ट-आफिस सेविंग बैंक में नकद शेष
   (vii) कम्पनियों, सरकारी समितियो, अल्प-बचतों, प्राइवेट श्रेणियों में लगाई गई निधि
   (viii) अन्य स्रोतों से

(ख) क्या कोई अचल सम्पत्ति पास में है, यदि है तो क्या किराये के रूप मे कुछ राशि प्रति-माह प्राप्त की जाती है। क्या भवन पूर्ण रूपेण या आंशिकरूपेण मृत व्यक्ति के परिवार के रहने के उपभोग मे आता है, यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

7. भवन निर्माण अग्रिम, मध्य-आय-वर्ग भवन या निम्न-आय-वर्ग भवन निर्माण ऋण या वाहन-अग्रिम के लिए सरकार की ऋण ग्रस्तता।

8. कोषागार का नाम जहा भुगतान चाहा गया है।

9 प्रार्थी का पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रपत्र (ख) विवरण-पंजी

फोटो

निम्न-लिखित सूचना देते हुए प्रार्थी की दो प्रतियों में विवरण पंजीः—

(क) ऊंचाई

(ख) आयु

(ग) रग

(घ) व्यक्तिगत चिह्न हाथ मुंह, आदि पर यदि कोई हो।

(ङ) हस्ताक्षर या बाए हाथ के अगूठे या अंगुलियों की निशानी।

तर्जनी अनामिका माध्यमिका सकेतिका अंगूठा

टिप्पणी:—राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित प्रार्थी की पासपोर्ट आकार की दो फोटो उपर्युक्त स्थान पर लगाई जानी चाहिए।

विवरण पंजी को प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

जहां प्रार्थी रहता है उस स्थान के जिलाधीश एवं जिला दण्ड नायक से प्रार्थी की वित्तीय स्थिति के बारे में एक अलग से रिपोर्ट

आगे की जाने वाली टिप्पणी

1–मृत व्यक्ति के कार्य के बारे में वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी

2–क्या मृत्यु सेवा में या सेवा में अधिक लगे रहने के कारण हुई ?

3–अनुदान की राशि के सम्बन्ध में विभाग की सिफारिश

जिलाधीश की रिपोर्ट

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
जिलाधीश के हस्ताक्षर

नियम 174(क):—एक कर्मचारी एक ही पद पर एक ही समय में अथवा निरन्तर की जाने वाली एक ही सेवा के लिये दो पेन्शन प्राप्त नहीं कर सकता है।

(ख) दो राज्य कर्मचारी एक ही पद के विरूद्ध साथ-साथ अपनी सेवाये पेंशन के लिये नहीं गिना सकते हैं।

सैनिक-सेवा

नियम 175 (क)–असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए सैनिक-सेवा की गणनाः— 20 वर्ष की आयु के बाद की गई सेवा जो सैनिक-नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य मानी जाती है, किन्तु

जो इस सम्बन्ध में पेन्शन प्राप्त कर सकने के पूर्व ही समाप्त करदी जाती है, पर जब कर्मचारी उसके बाद असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य सेवा करता है तो उस सैनिक-सेवा को राज्य-सरकार के निर्णय पर ऐसी सेवा के रूप में गिने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि सैनिक-सेवा से कार्य-मुक्त (डिस्चार्ज) होते समय या पहले से पेन्शन के बदले में जो भी बोनस या ग्रेच्यूटी उसे मिलती हो, वह उतनी ही मासिक किश्तों में लौटा दी जावेगी, किन्तु 36 माह से अधिक किश्तों मे नहीं चुकाई जा सकेगी तथा उस तारीख से प्रारम्भ की जावेगी जिसे सरकार तय करे।

(ख) सैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन-योग्य-सेवा यदि उसके एवज में पेंशन प्राप्त करने से पूर्व समाप्त नही की जाती है तो उसे असैनिक-नियमों के अन्तर्गत पेन्शन में सम्मिलित नही किया जावेगा।

(ग) असैनिक-कर्मचारी जो विलीनीकृत-राज्य के अन्तर्गत स्थाई-सेवा में थे, तथा जो ब्रिटिश-सम्राट की सैना के सदस्य के रूप में युद्ध-सेवा में सरकार की आज्ञा से गये तथा उनके लौटने पर सेवा में वापिस लेने की शर्त पर उपस्थित हुए हों, तथा जो युद्ध से लौटने के बाद असै- निक सेवा में उनकी मूल या पेन्शन-योग्य नियुक्ति पर वापिस आ गये हो तो, उनकी पूर्ण-काल की सन्तोषजनक सेवा के पूर्ण समय को सम्राट की सेवा के रूप में गिना जाएगा (इसमें पदभार ग्रहण के समय को भी, यदि कोई हो तो, शामिल किया जाएगा) यह जो सेवाएं सम्राट की सेवा के रूप में शामिल की जावेंगी वह 3 सितम्बर, 1939 अथवा सेवा में प्रविष्ट होने में न्यूनतम अवस्था नही प्राप्त करने की या किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करने की तिथि में, इसमें से जो कोई बाद की हो, तथा 1 अप्रेल, 1946 तक अथवा बाद में सम्राट की सैना में विताए गए तथा उससे विदा होने के समय के पूर्व तक होगी तथा यह सेवा अवधि असैनिक पेन्शन के लिए इस शर्त पर स्वीकृत की जावेगी कि भारत सरकार से सैनिक सेवा के लिए जो कुछ भी सेवा पेन्शन सम्बन्धी लाभ उन्होंने प्राप्त किया होगा, उसे वे राजस्थान सरकार को वापिस कर देंगे तथा उसके लिए निम्नलिखित शर्त का पालन किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा युद्ध-सेवा के पुरुष्कार के रूप में सेवा ग्रेच्यूटी या पेन्शन से भिन्न जो भी युद्ध ग्रेच्यूटी या वोनस स्वीकृत किया जायेगा उसे सरकार ऐसे कर्मचारियों से नहीं मांगेगी।

आडिट निर्देशन:—प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के मामलों मे नियम 175 (ग) मे वर्णन किए अनुसार युद्ध-सेवा के गिने जाने के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश एवं पेन्शन-अंशदान देने का प्रश्न आवश्यक नही होगा क्योंकि इसे माफ किया हुआ समझा जाना चाहिये।

(घ) असैनिक कर्मचारी जिन्होंने असैनिक पद पर अपनी नियुक्ति के पूर्व प्रारम्भ में सम्राट की सेना के सदस्य के रूप में कुछ सेवा की थी तथा जो लौटने पर स्थाई आधार पर असैनिक पदों पर नियुक्त हो गए है तो उनकी पूर्ण समय की सन्तोषजनक सेवा के पूरे वर्ष सम्राट की सेवा के रूप में स्वीकृत किये जावेंगे। सम्राट की सेवा के रूप में जो सेवा मानी जावेगी वह 3 सितम्बर 1939 से अथवा सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम अवस्था प्राप्त करने की या किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्ति प्राप्त करने की तिथि से जो

कोई वाद में हो, एक अप्रेल, 1946 तक अथवा उसके वाद में अधिकतम 5 वर्ष तक की होगी तथा यह इस शर्त के साथ असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य मानी जावेगी कि भारत सरकार या सैनिक सेवा से उनके द्वारा, यदि कोई सेवा लाभ (पेन्शन-संबंधी) मिला होगा उसे वे राजस्थान सरकार को लौटा देंगे तथा इसके लिए निम्न-लिखित शर्तो का पालन किया जावेगा—

(i) सैनिक सेवा का पूर्ण-काल अधिकतम 5 वर्ष तक गिने जाने के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) ऐसी सेवा के मामले में जिसमें नियुक्ति की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है, कोई भी सेवा जो उस अवस्था के प्राप्त करने से पूर्व की गई है, पेन्शन योग्य नही गिनी जावेगी।

(iii) पेन्शन के लिए अवकाश को सेवा के रूप में गिने जाने के लिए युद्ध-सेवा के अतिरिक्त समय को, सेवा नियम 204 के अन्तर्गत कुल सेवाकाल मे सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(iv) भारत सरकार द्वारा युद्ध-सेवा को पुरस्कार के रूप में सेवा ग्रेच्यूटी या पेन्शन से भिन्न जो भी युद्ध-ग्रेच्यूटी या बोनस स्वीकृत किया जावेगा, वह कर्मचारियों से नहीं लिया जावेगा।

आडिट निर्देशन—(1) जब इस नियम के अन्तर्गत पूर्व सैनिक-सेवा को असैनिक पद पर पेन्शन के लिए गिने जाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो इससे यह समझा जावेगा कि इसमे सैनिक सेवाओ के बीच के व्यवधान को, यदि कोई हो, को माफ करना भी सम्मिलित होगा तथा सैनिक-सेवा व असैनिक-सेवाओं के बीच व्यवधान को भी, यदि कोई हो तो, क्षमा करना होगा बशर्ते व्यवधान का समय 2 वर्ष से अधिक का नही हो।

(2) यदि कोई योग्य-सेवा जो इस आदेश के अन्तर्गत मिलाई जाये उसके सम्बन्ध मे पेन्शन दायित्व की राशि का व्यय, एकाउन्ट-कोड-खण्ड (1) के परिशिष्ट (3) के संवशन–ची (4) के अनुच्छेद 14 मे दिये गये सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार राजस्थान सरकार के नाम लिखे जायेंगे।

नियम 176—असैनिक नियमों के अन्तर्गत सैनिक-सेवा को उच्चत्तर या चतुर्थ-श्रेणी सेवा में गिना जाना:—पूर्वोक्त नियम के प्रयोजन के लिए जो सेवाएं सिपाही/जवान या उच्च-योद्धा पद पर की जाती है उन्हें उच्चतर सेवा मे गिना जावेगा यदि असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन वाले उच्च-पद पर उसकी नियुक्ति वाद में हो जाती हो। अन्य मामलों में नियुक्ति की प्रकृति के अनुसार, जिनमें सेवा की जाती है, असैनिक-सेवा को उच्च या चतुर्थ-श्रेणी सेवा मे गिना जावेगा। इसमें असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन-योग्य नियुक्ति में निश्चित किए गए सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा। सन्देहप्रद मामले सरकार के पास भिजवा दिएं जाने चाहिये।

टिप्पणी:—"फोलोअर" के रूप मे की गई सेवा चतुर्थ-श्रेणी-सेवा के रूप में समझी जानी चाहिए।

अध्याय 18

पेन्शन योग्य सेवा की शत

खण्ड-1 पेंशन योग्य-सेवा की परिभाषाएं

सेवा का प्रारम्भ

नियम 177 : पेंशन-योग्य सेवा प्रारम्भ होने की आयु,—(क) उच्च-सेवाः—क्षतिपूरक ग्रेच्यूटी को छोड़कर एक कर्मचारी की सेवा उस समय तक पेंशन-योग्य नहीं होती हैं जब तक उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नही करली हो।

(ख) अन्य मामलों मे (दूसरे मामलों में) जब तक विशेष नियम या शर्त द्वारा अन्यथा प्रकार से प्रावधान न रखा गया हो, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा उस समय से प्रारम्भ होती है, जब वह अपनी प्रथम नियुक्ति पर पद का कार्यभार सम्भालता है।

नियम 178 चतुर्थ-श्रेणी सेवाः—वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ 1 (51) वि. वि./(ए) नियम/61 दिनांक 18-12-61 द्वारा विलोपित।

नियम 179:—एक अधिकारी की सेवा तब तक पेंन्शन-योग्य नही मानी जाती है जब तक वह निम्न-अंकित तीन-शर्तो को पूरा नही करेः—

प्रथमः—वह सेवा राज्य सरकार के अधीन होनी चाहिये।

द्वितीयः—वह सेवा अवधि मूल/स्थायी/अस्थाई अथवा कार्यवाहक हो सकती है।

तृतीयः—उस सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया गया हो।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (9) वि. वि. (प्र.प-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा 31-1-79 से प्रति-स्थापित]

नियम 180:—राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि विशिष्ट-प्रकृति की सेवा अथवा राज्य-कर्मचारी द्वारा की गई किसी सेवा को पेंन्शन के स्वीकार करने के प्रयोजनार्थ पेंन्शन-योग्य-सेवा-मानी जावेगी। ऐसी घोषणा के साथ वह कोई शर्त, जो वह लगाना उचित समझे, भी लगाई जा सकती है।

[अधिसूचना कमांक एफ 1 (9) वि. वि. (प्र.प-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा 31-1-79 से प्रतिस्थापित]

टिप्पणीः—एक कर्मचारी जिसकी पूर्ण सेवा अस्थाई है तथा जो अस्थाई सस्थापन मे कटौती के कारण सेवा मुक्त कर दिया जाता है, उसे नियम 180 के अन्तर्गत पेन्शन की स्वीकृति, इस नियम की भावना से, मना की जा सकती है। यह सुविधा जो इस नियम मे दी गई है, इसका अभिप्राय उन अस्थाई राज्य कर्मचारियो के लिए उनकी वृद्धावस्था में सहायता के साधन प्रदान करना है, जिनकी पेंशन के अयोग्य नियुक्ति मे लम्बे समय तक एव विश्वसनीय सेवा इस प्रकार की है जिस पर विशेष विचार करना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह हुआ

अनुमानित-सेवा की अवधि, यदि वह पेंशन के लिए सेवाकाल के समान सेवा नही करता है, एक आवश्यक शर्त है। अतः यह अपने आप स्वीकृत नही की जा सकती तथा देने की अन्य परिस्थितियो को प्रथक कर देती है। और भी थोड़े समय की स्थाई सेवा के लिए पेन्शन देने से मना करने के लिए शर्त को सीमित किया जाना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट होना चाहिये कि इस प्रकार के मामले बिल्कुल अपवाद स्वरूप है तथा क्षतिपूर्ती, अधिवार्षिकी-आयु-ए-अयोग्यता-पेशन मे साधारण नियमो का प्रयोग विशेष परिस्थितियों द्वारा ही न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—बहुत से कर्मचारियों को सेवा-एकीकरण की अवधि में विभिन्न-समय-तक बिना किसी पद पर अपनी नियुक्ति के रहना पडा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यद्यपि राजस्थान सेवा नियम 179 के अनुसार की गई स्थाई पद पर स्थाई सेवा करने की शर्त पूरी नहीं होती है, फिर भी क्या ऐसी अवधि को पेशन-योग्य माना जावेगा ? इन अवधियो का वेतन कर्मचारियों के लिए राज्य की सचित-निधि से दिया गया था। उन्होने ऐसी अवधियो मे किसी भी पद को धारण नहीं किया जिसका कारण एकीकरण की अवधि मे आवश्यकता थी। अतः नियम 180 के अन्तर्गत शक्तियो का उपयोग करते हुए राज्य सरकार आदेश देती है कि वे विचाराधीन अवधिया पेशन के योग्य मान ली जायेंगी किन्तु इस शर्त के साथ एवं इस सीमा तक कि किसी अन्य नियम के अन्तर्गत यह अवधि अयोग्य-सेवा न करदी गई हो।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—भूतपूर्व कोटा-राज्य के पटवारियो की सेवाओं को पेन्शन-योग्य माना जाये या अन्यथा प्रकार से माना जावे इस सबध मे कुछ बातें महालेखाकार, राजस्थान ने सरकार से पूछी हैं। उनकी जाच की गई तथा यह तय किया गया है कि: —

(i) भूतपूर्व कोटा राज्य के आदेश दिनांक 22-9-25 को उन व्यक्तियों के मामलों में पूर्व प्रभाव से लागू किया हुआ समझा जावेगा जो उन आदेशों के प्रसारित करने की तारीख को पटवारी के रूप में सेवा मे थे एव 22-9-25 से पूर्व उनके द्वारा जो सेवाएं की जावेगी, वह पेशन के लिए गिनी जावेगी।

(ii) भूतपूर्व राजस्थान के आदेश सख्या 4963 दिनांक 9-4-49 उन आदेशों के अतिक्रमण में जारी किया गया समझा जाना चाहिए जो भूतपूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियम 75 (13) में दिए हुए है तथा उन्हे भूतपूर्व राजस्थान के सेवा नियमो के जारी करने की तारीख 1-2-49 से उनकी सेवाओं का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) इस मान्यता की पुष्टि की जाती है कि सरकार का अभिप्राय आदेश दिनाक 9-4-49 के जारी करने की तारीख के बाद सेवा-निवृत्ति के सभी मामलो मे भूतपूर्व राजस्थान सिविल-सेवा नियमों या राजस्थान-सेवा-नियमों मे, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित की गई दरो के अनुसार, प्रत्येक राज्य कर्मचारी द्वारा की गई पेंशन-योग्य सेवा की अवधि के प्रसग मे इस तथ्य को ध्यान मे बिना लिये ही कि उसने 30 वर्ष की पूर्ण पेंशन-योग्य, सेवा की है या नही, उन्हे पेन्शन या ग्रेच्यूटी स्वीकृत करना था, एवं

(iv) ऐसे मामले जिनमे पटवारी ऐसे अन्य पेन्शन-योग्य पद पर स्थानान्तरित हो जिन पर 30 वर्ष की सेवा की शर्त लागू नही होती थी, तो पटवारी के पद पर की गई सेवाओं को दूसरे पेंशन-योग्य पद की सेवाओं के साथ पेंशन/ग्रेच्यूटी प्राप्त करने के प्रयोजन से मिला दिया जावे।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—यह निर्णय किया गया है कि अलवर राज्य के पटवारियो द्वारा 1-3-46 से पूर्व की गई सम्पूर्ण सेवाओ को, कोटा राज्य के पटवारियो एव सिरोही राज्य के कर्मचारियो की सेवाओं

को पेंशन योग्य गिनने के निर्णय लिये गये हैं। उन्ही की समानता पर पेंशन योग्य माना जावेगा। दिनाक 1-4-51 को या इसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले पटवारियों के क्लेम राजस्थान सेवा नियमों के साधारण नियमो के अन्तर्गत पेंशन-योग्य-सेवा के अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी मिल सकेगी तथा राजस्व मंत्री, अलवर की टिप्पणी सख्या 112/आर/8 डी० ग्रो० 46 दिनाक 26-4-46 मे उन पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उन पर लागू नही होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राज प्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि भूतपूर्व (फारमर) राजस्थान सरकार के आदेश दिनाक 9-4-49 के जारी होने से पूर्व टोंक राज्य के पटवारियों द्वारा की गई सेवाये पूर्व-प्रभाव से पेंशन योग्य समझी जावे तथा इसे कोई ध्यान मे न रखा जावे कि टोक राज्य के नियमों के अन्तर्गत उनकी पैशन सेवाये के अयोग्य थी। उनके मामलो मे भूतपूर्व राजस्थान के आदेश दिनाक 9-4-49 को उक्त नियम 75 (13) में दिए गए प्रावधानो के अतिक्रमण में जारी किया गया समझना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—राजस्थान सेवा नियम 180 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज-प्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि सघीय वित्तिय एकीकरण विवाद-ग्रस्त समय की सेवा, पेंशन के योग्य मानी जावे किन्तु इस शर्त व इस सीमा के साथ कि वह सेवा अन्य नियमो के अन्तर्गत पेंशन के अयोग्य न करदी गई हो तथा उनकी अस्थाई या कार्यवाहक-नियुक्तियो के वेतन के अन्तर को प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में माना जावेगा अर्थात् सेवा नियम 250 के प्रयोजनो के लिए वेतन मे से उतनी ही कटौती की जाएगी जितनी राज्य सरकार प्रत्येक मामले पर उसके गुणो को ध्यान मे रखकर या सामान्य आदेशो द्वारा निश्चित करना उचित समझे। अतः ऐसे मामलो मे सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्रत्येक मामले मे "औसत-वेतनादि" के लिए वित विभाग के पूर्व आदेश प्राप्त करने चाहिए जब तक मामला किसी ऐसे सामान्य आदेशो के अन्तर्गत नही आता हो जो उस विषय पर जारी किए जा चुके हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—(1)—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 10-6-54 (उक्त राजकीय निर्णय सख्या–5) के और अधिक स्पष्टीकरण मे राज-प्रमुख ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी विलीनिकृत राज्यों के अन्तर्गत स्थाई पद पर कार्य कर रहे थे, तथा जो अब केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए गए हैं, उनका स्थाई पदों पर पदाधिकार रखने के लिए अधिसख्य-पद (सुपरन्यूमरेरी-पोस्ट) उसी वेतन-दर तथा भत्तो सहित सृजित कर लिए जिन्हे सम्बन्धित कर्मचारी उन राज्यो में प्राप्त कर रहे थे तथा जो बाद मे वेतनमान एकीकरण नियमो द्वारा सशोधित कर दिये गये।

(2) ये अधिसख्य पद केवल अस्थाई आधार पर उन कर्मचारियों के पदाधिकार रखने के लिए सृजित किए गए है जब तक उनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार के अन्तर्गत स्थायी पदो पर न हो जाये। ये पद जैसे जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के अन्तर्गत स्थाई-पदो पर होती जावेगी वैसे वैसे ही कम होते जावेंगे तथा वह किसी भी प्रकार इस आदेश के जारी किए जाने से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 7:—यदि वेतनिक–परिवीक्षक, वेतनिक–शिक्षार्थी या परिवीक्षाधीन की सेवा बाद में स्थाई हो जावे तो वह पेंशन के लिए, उन सभी विलीनीकृत राज्यो के जो राजस्थान में मिल गये हैं, भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलो मे गिनी जानी चाहिए। यह आदेश दिनांक 24-12-55 को या उसके बाद तय किए गए पेंशन मामलो पर लागू होगा तथा जो पेंशन के मामले तय कर दिए गए हैं उन्हे पुनः नही खोला जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 8:—भूतपूर्व मेवाड़ एव भूतपूर्व राजस्थान के सरकारी मोटर गेरेज के ड्राइवर, मैकेनिक, खलासी आदि सहित स्टाफ की पूर्ण सेवायें पेंशन के लिए गिनी जावेंगी।

राजकीय निर्णय संख्या 9:—दिनांक 1-11-38 से पूर्व भरतपुर राज्य के पटवारियों की सेवा पेंशन के योग्य समझी जावेंगी। यह आदेश भरतपुर मंत्री-परिषद् के आदेश सख्या 637 दिनांक 3-10-47 का प्रतिक्रमण करता है।

राजकीय निर्णय संख्या 10:—ठिकाना/जागीर के जो कर्मचारी स्थाई रूप से राजकीय सेवा में लिए गए हैं एवं जो राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सेवा-निवृत्त किये जाते हैं, उनकी सेवा पेंशन-योग्य मानी जावेगा यदि उनकी सेवाये सबधित ठिकानों या जागीरों मे उनके नियमों के अनुसार (या नियमों की शक्ति रखने वाले आदेशों के अनुसार) या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 के नियम 36 (5)(ii) मे वर्णित उन ठिकानो या जागीरो में प्रभावी सुस्थापित-प्रथा-के-अनुसार पेंशन योग्य हों।

(2) जहा एक ठिकाना या जागीर का कर्मचारी अंशदायी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत हो तो उसकी उस अवधि की वे सेवायें पेन्शन के लिए गिनी जायेंगी जिसमें कर्मचारी ने अपने अंशदान का भुगतान ठिकानों की भविष्य निधि मे दिया हो, चाहे वह सरकार ने जागीरदार से जागीर/ठिकाना के पुनर्ग्रहण की तारीख को समाप्त अवधि तक के लिए भुगतान करने योग्य ठिकानों का अशदान वसूल किया हो या नहीं किया हो। कर्मचारी के हिस्से की अशदायी भविष्य निधि का शेष तथा उसका ब्याज, उसके जागीरदार से वसूल हो जाने पर, सामान्य भविष्य निधि लेखो मे, उनके खाते में जमा कर दिया जायेगा तथा कर्मचारी को उसके स्वयं के हिस्से के शेष भुगतान को सामान्य भविष्य निधि नियम, 1954 के अनुसार अतिम रूप से तय किया जायेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 11:—भूतपूर्व करोली राज्य में पटवारियो द्वारा की गई सेवा, पेंशन नियमों मे दी गई साधारण शर्तों के आधार पर, पेशन योग्य सेवा के रूप मे गिनी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 12:—राजस्व विभाग के आदेश संख्या डी. 12872 एफ 40 (582) राज. ए/55 दिनाक 21-12-55 के अन्तर्गत द्वारा भूतपूर्व जयपुर स्टेट-कोर्ट-आफ-वार्डस् विभाग के उन कर्मचारियों की सेवाएं ही पेंशन योग्य समझी जानी हैं जो उच्च-सेवा मे थे तथा जो अशदायी भविष्य निधि में अशदान जमा कराते थे। यह सेवा पेशन-योग्य उस तारीख से समझी जावेगी जिसको उन्होंने अशदायी भविष्य निधि में अशदान करना प्रारम्भ किया है एव यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी कर्मचारी, जो 21-2-55 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पेशन योग्य-सेवा उक्त आदेश के अन्तर्गत गिनी जावेगी।

'(2) उन व्यक्तियों के मामलो मे जो 21 दिसम्बर, 1955 को या उसके बाद सेवा से निवृत हो, तथा जिनके द्वारा अंशदायी भविष्य निधि की बकाया चुकाई जा चुकी हो, उनकी पैशने भी इसी नियम के अन्तर्गत, पूर्व कोर्ट-आफ-वार्डस विभाग द्वारा अंशदान की राशि मय ब्याज के जमा कराने पर गिनी जावेगी।

(3) जिन राज्य कर्मचारियो ने अशदायी भविष्य निधि मे अशदान नही किया है, उनकी सेवाये पेशन के योग्य एकीकरण की तारीख से अर्थात् 24-3-52 से ही गिनी जावेगी।

(4) सभी विभागाध्यक्षो से यह ध्यान देने के लिए निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त अनुच्छेद (2) में वर्णित श्रेणियो के कोर्ट-आफ-वार्डस कर्मचारियो द्वारा पेंशन के लिए अपने विकल्प इस परिपत्र के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर भरकर दे दिए जाने चाहिए तथा वे उचित समय में महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के पास पहुंच जाने चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 13:—टोंक स्टेट पेन्शन एवं ग्रेच्युटी नियमों के नियम 19 के अन्तर्गत जिस किसी पद की सेवाओं का भुगतान शुल्क (फीस) द्वारा ही होता था चाहे वह कानून से ली जाती हो या राज्य के अधिकृत करने पर मलवा, भेंट, दानी आदि के रूप में ली जाती हों, तो वह सेवा पेन्शन के लिए योग्य नही होती है। कुछ सन्देह इस प्रकार के उत्पन्न किए गए हैं कि जब पेन्शन योग्य सेवा के दो समयों के बीच में यह सेवा

आती हो तो क्या इसे पेन्शन के लिए गिना जावेगा ? इस प्रश्न पर विचार किया गया तथा यह आदेश दिया गया था कि टोंक नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में पूर्ण सेवा को पेन्शन योग्य गिना जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 14:—भूतपूर्व जयपुर राज्य की न्यायिक अदालतों के कर्मचारियों द्वारा प्रतिलिपि-कर्त्ताओं के रूप में की गई पूर्ण सेवाओं को पेन्शन के योग्य गिना जाना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 15:—भूतपूर्व भरतपुर राज्य के पटवारी जो राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने से पूर्व किन्तु राजस्थान निर्माण के बाद, अर्थात् 7-4-49 के बाद, राजस्थान की सेवाओं में सम्मिलित किए जाने के बाद सेवा से निवृत्त हो चुके थे, उनकी पटवारी के रूप में की गई स्थाई सेवा को पेन्शन के योग्य सेवा माना जावेगा। फिर भी पेन्शन की प्राप्ति उन विलिनीकृत इकाईयों के पेन्शन-नियमों के अन्तर्गत निर्णीत की जावेगी जिससे उनका सम्बन्ध है।

राजकीय निर्णय संख्या 16—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 100 के अन्तर्गत भूतपूर्व अजमेर सरकार के आदेश संख्या 28/4/54 दिनांक 24-8-54 के अति-क्रमण में भूतपूर्व अजमेर राज्य के पटवारियों के मामलों में, जो 1 जनवरी, 1951 को या उसके बाद सेवा निवृत होते हो, यह आदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि (1 जनवरी 51) के पूर्व उस राज्य में उनके द्वारा की गई सेवा पेन्शन के प्रयोजनों के लिए योग्य सेवा मानी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 17:—भूतपूर्व अजमेर राज्य की न्यायिक अदालतों के कर्मचारियों द्वारा प्रतिलिपि-कर्त्ताओं (सैक्सन-राइटर्स एव हैड-सैक्सन-राइटर्स) के रूप में की गई पूर्व सेवा पेन्शन के लिए गिनी जानी चाहिए। यह आदेश उन समस्त प्रतिलिपिकर्त्ताओं पर लागू होगा जो 1-11-56 को या उसके बाद सेवा से निवृत किए जाते है :

राजकीय निर्णय संख्या 18:—भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के आदेश संख्या 3291 दिनांक 26-6-48 के अन्तर्गत सैन्य-विभाग के कुछ कर्मचारी कम कर दिए गए थे तथा उनकी सेवायें मेवाड असैनिक नियमों के नियम 75 (13) के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार पेन्शन योग्य न होने के कारण उन्ही नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाली आधी दर पर उन्हे पेन्शन स्वीकृत करदी गई थी। कुछ कमी किए गए व्यक्ति बाद मे सरकारी विभागो मे लगा दिये गये थे। अत. ऐसे व्यक्तियों द्वारा सैन्य-विभाग मे की गई सेवा की आधी सेवा को राजस्थान सेवा नियम 180 के अन्तर्गत इस शर्त पर पेन्शन-योग्य गिनी जावेगी कि सैन्य-विभाग में सेवा करने के फलस्वरूप जो भी ग्रेच्यूटी मिली होगी वह सरकार को वापिस लौटा दी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 19:—नियम 180 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या 10 तथा राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण (जागीर कर्मचारियो का विलीनीकरण) नियम, 1954 (दोनों को साथ पढ़ने पर) के अन्तर्गत उन जागीर कर्मचारियो जो राजकीय-सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त हो गए है, उनकी गत सेवायें उनमे दी गई शर्तों के आधार पर पेन्शन के लिए गिनी जाती हैं। यह निर्णय किया गया है कि यदि जागीर में एक राज्य कर्मचारी की सेवायें पेन्शन-योग्य थी तो केवल इस तथ्य से उसकी सेवाओ को पेन्शन के अयोग्य नही किया जाना चाहिए कि वह जागीरों के पुनर्ग्रहण पर सरकार के अधीन अस्थाई पद पर या अस्थाई विभाग मे लगाया गया था क्योंकि यह विलीनीकरण किए जाने के समय की एक घटना के रूप मे है।

अतः सेवा नियम 180 के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि 31 दिसम्बर, 1961 तक सेवा-निवृत्त होने वाले ऐसे कर्मचारियों की सेवायें, योग्य-सेवा के रूप में गिनी जावेगी। प्रशासनिक विभागो से उनके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी भी स्थिति में उक्त तिथि तक स्थायी पदों पर नियोजित के लिए निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया जाता है।

राजकीय निर्णय संख्या 20:—भूतपूर्व जयपुर राज्य में कुछ व्यक्ति राज्य से 'तनखा' (भूमि की स्वीकृति) प्राप्त करते थे। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि 'तनखा-स्वीकृति' की राशि को पेन्शन के लिए नहीं गिना जा सकता है तथा उन व्यक्तियों के मामलों में जो राजस्थान भूमि मुवार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अधीन 'तनखा' के पुनर्ग्रहण के बाद सेवा-निवृत्त होते हैं उनकी "तनखा" की राशि, राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन के लिए गिने जाने वाले वेतन में से काटली जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 21:—वित्त विभाग के आदेश सख्या 9-11-59 (उक्त अंकित निर्णय सख्या 16 के रूप में) के अतिक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के उन पटवारियों द्वारा 1-1-51 से पूर्व की गई सेवायें पेन्शन के प्रयोजनों के लिए गिनी जावेगी जो 1-11-56 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त होते है।

राजकीय निर्णय संख्या 22:—सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों में आयोजना बजट में समान अस्थाई पदों के सृजन के कारण गैर-आयोजना मद बजट में कुछ स्थाई पदों की कमी कर देने से कुछ स्थाई कर्मचारी बिना पदाधिकार के ही रह गए है। इसका परिणाम यह हुवा है कि परिवर्तन के बाद में, उन की सेवाए पैंशन के प्रयोजनो के लिए योग्य नही मानी जाती। इस सम्बन्ध में स्थिति की जाच की गई है तथा निर्णय किया गया है कि भविष्य में जहां ऐसे कर्मचारी का पदाधिकार रखने के लिए दूसरा स्थाई पद मौजूद न हो जो स्थाई रूप से कमी किये गये पद पर कार्य कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में गैर आयोजना बजट में स्थाई पद का परिवर्तन योजना बजट में एक स्थाई पद पर किया जाना चाहिए।

जो व्यक्ति पूर्व में ही सेवा-निवृत्त हो चुके हैं तथा स्थाई पदों को धारण किए थे किन्तु आयोजना बजट में स्थाई पदों पर उनके पद परिवर्तन करने के फलस्वरूप पदाधिकार रहित रह गये थे, उन लोगों द्वारा की गई सेवा नियम 180 के अन्तर्गत पैंशन के योग्य मानी जावेगी। ऐसे अस्थाई पदों पर प्राप्त किया गया वेतन सेवा नियम 250 के प्रयोजनो के लिए "मूल-स्थाई वेतन" के रूप में समझा जावेगा।

आयोजना बजट में स्थाई पद सृजित किये जाने के प्रत्येक आदेश में, पूर्वोक्त आदेश की शर्त के अनुसार इस सम्बन्ध का एक प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए कि "स्थाई पद किसी एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी के लिए व्यक्तिगत है जो गैर-आयोजना के बजट में अपने पद के समाप्त किए जाने के फलस्वरूप बिना पदाधिकार के रह गया है"।

राजकीय निर्णय संख्या 23:—भूतपूर्व अजमेर राज्य के सहकारिता विभाग में कुछ कर्मचारियों को उनका वेतन "वेतन-निधि" में से दिया जाता था जो कि सहकारी समितियों के आडिट व निरीक्षण व्ययों को वहन करने के लिए बनाया गया था। जिन कर्मचारियों का वेतन 20/- से कम नहीं था उन्हे अशदायी भविष्य निधि में अशदान करना पडता था। ये कर्मचारी 1 नवम्बर, 1956 को या उसके बाद राज्य सेवामें ले लिये गए है। जिस समय वे "वेतन निधि" से वेतन प्राप्त करते थे उस समय की सेवा को किस रूप में गिना जावे, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। उचित रूप से विचार करके यह निर्णय किया गया है कि राज्य कर्मचारी को जितने समय तक उसने अशदायी भविष्य निधि मे अशदान किया है, उतने समय तक की सेवा को पैंशन के लिए इस शर्त के साथ योग्य माना जा सकता है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी उसके नियोजक द्वारा उसकी भविष्य निधि में अशदान की गई राशि को मय उसके ब्याज के जो उसे राजकीय सेवामें लेने पर दी गई है, वापिस लौटायेगा।

इस आदेश से शासित होने वाले राज्य कर्मचारियो को नियोजक के हिस्से की राशि एक-मुश्त इस आदेश के जारी होने से तीन माह के भीतर जमा करा देनी चाहिए। यदि फिर भी व्यक्ति निर्धारित समय में

रकम जमा कराने में असफल रहा हो तो उसकी सेवायें पेंशन के योग्य नही मानी जावेगी। वह राशि बजट मद "XLVIII—पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियां" में जमा कराई जावेगी।

यदि कोई राज्य पहिले से ही सेवा से निवृत्त हो चुका हो तो वह राशि उसे नियमो के अन्तर्गत देय पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि से काटकर समायोजित करली जावेगी—

यह निर्णय उन राज्य कर्मचारियो पर लागू होगा जो कि राज्य के पुनर्गठन अर्थात् 1 नवम्बर, 56 से पूर्व अजमेर राज्य मे सरकारी सेवा में लग गये थे तथा जो 1 नवम्बर, 1956 को या उनके बाद सेवा से निवृत्त हो चुके है।

राजकीय निर्णय संख्या 24:—कस्टम ड्यूटीज विभाग की समाप्ति से कस्टम एवं एक्साइज विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकघोषित (सरप्लस) कर दिए गए थे। उनके विलीनीकरण को विचाराधीन करते हुए उन्हें उनका वेतन क्षेत्रिय आयुक्तो के कार्यालयो से दिलाया गया था। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया गया है कि जिस अवधि मे ये कर्मचारी सरप्लस रहे, क्या उसे, उनकी स्थाई नियुक्ति अन्य विभागो में हो जाने पर, पेंशन के लिये गिना जावेगा? मामले पर विचार कर लिया गया है तथा सरकार यह निर्णय करती है कि जितने समय तक राज्य कर्मचारी सरप्लस रहे उसे राजस्थान सेवा नियमों नियम के 180 के अनुसार पेंशन योग्य-सेवा में माना जाना चाहिए बशर्ते कि सरप्लस रहने के समय के बाद वे स्थाई सेवा मे नियुक्त हो जाते है।

राजकीय निर्णय संख्या 25::—ठिकानो के कर्मचारियो का राजस्थान सरकार की सेवा मे एकीकरण तथा उक्त कर्मचारियो को भुगतान योग्य पेन्शन/उपदान/अंशदायी भविष्य निधि सम्बन्धी रियायते।

वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (154) आर-56 दिनांक 2-8-60 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 23 (32) III/पी०एल०ओ०एफ० II/54 दिनांक 28-4-56 के अनुसार पेन्शन के लिए उनकी गत सेवाओ को सम्मिलित किए जाने का लाभ, ऐसे ठिकानो/जागीरो के कर्मचारियो के लिए जो कि (1) जागीर/ठिकानो के पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप या (2) ठिकाना/जागीर के किसी विभाग को राजस्थान राज्य द्वारा (राजस्थान के निर्माण के पूर्व संधि के आधार पर राज्यो को मिलाने के सम्बन्ध मे) अपने हाथ मे लेने के कारण राजकीय सेवा मे स्थाई रूप से एकीकृत हो गये हो, उपर्युक्त आदेशो मे अंकित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकार्य होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 26:—राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 100 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय प्रसन्न होकर आदेश प्रदान करते है कि पूर्व सुनेल टप्पा जो मध्य-भारत राज्य में था और जिसे मध्य-प्रदेश मे सम्मिलित किया गया और अब राजस्थान मे है के पटवारी जो दिनाक 1-11-56 को या इसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए है कि दिनाक 1-4-52 के पहिले की सेवाओ को पेंशन के लिए योग्य-सेवाए मानी जावेंगी।

पटवारियो के ऐसे मामलो मे जहा वे दिनाक 1-11-1956 या इसके पश्चात् परन्तु इन आदेशो के जारी होने से पूर्व सेवा-निवृत्त कर दिये गये है, इन प्रकरणो को पुनः खोला जावे और इन आदेशों के अधीन ऐसे मामले निर्णित किये जावें।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (66) वि. वि. (नियम) 71 दिनांक 28-10-71 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 27:—सेवा नियमो के प्रावधानो के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा कार्यदत्त (वर्क-चार्जड) पद-पर की गई सेवा-अवधि को पेन्शन-योग्य नही माना जाता है। निर्माण विभाग (बागान सहित), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तथा सिंचाई विभाग आदि मे बहुत से कार्यदत्त कर्मचारियो को नियमित पदो पर अन्तरलीन (नियुक्त) किया गया है। ऐसी नियुक्तियां प्रशासनिक विभागो द्वारा समय-समय पर जारी किये

आदेशों के अनुसार की गई है। ऐसे कर्मचारियों द्वारा कार्यदत्त पदों पर की गई सेवाओं को, उनको सरकार के अधीन नियमित पदो पर अन्तरलीन (नियुक्त) करने के पूर्व की अवधि को पेन्शन-योग्य मानने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

(1) राज्यपाल महोदय ने अब आदेश प्रदान किया है कि कार्यदत्त-कर्मचारी, जिन सरकारी विभागों में कार्यदत्त-पदो को नियमित-पदो मे परिवर्तित किये जाने के कारण, अन्तरलीन/नियुक्त किये जाते है उन्हें इस बात का विकल्प देने की अनुमति दी जावे कि वे नियमित पदो पर अन्तरलीन/नियुक्त होने के बाद भी अशदायी भविष्य निधि मे अशदान चालू रखना चाहते हैं अथवा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन सबंधी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों द्वारा पेन्शन लाभो के लिये विकल्प देने पर उन राज्य सरकार के अधीन नियमित पदो पर अन्तरलीन (नियुक्ति) होने से पूर्व के कार्यदत्त पदों पर की गई सेवा की वह अवधि पेशन-योग्य मानी जावेगी जिसमे उन्होने वास्तव मे अशदायी भविष्य निधि मे अंशदान दिया है, चाहे वह अवधि राजकीय सेवा मे अन्तरलीन होने से कितनी ही पूर्व की हो, उसका नियमन निम्न-अकित अनुच्छेदो के प्रतिबन्धों के अनुसार किया जावेगा।

उन राज्य कर्मचारियों के मामले जो पेन्शन लाभो के लिये विकल्प देते है, के बारे मे निम्न-अंकित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।

(2) ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में उस द्वारा दिये गये अंशदान की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि, दोनों मिलाकर विकल्प देने की तारीख से कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते मे स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

(3) सरकार द्वारा विकल्प देने की तारीख तक अंशदायी भविष्य निधि में दिये गये अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज के सरकार के, सामान्य आय मद मे जमा करा दी जावेगी।

(4) सम्बन्धित कर्मचारी को, इसके एवज से, अपनी नियमित पद पर नियुक्ति से पूर्व कार्यदत्त पदो पर की गई उस सेवा को पेन्शन के योग्य मनवाने का अधिकार होगा। वह सेवा अवधि इस प्रकार समझी जावेगी मानों कर्मचारी ने प्रारम्भ से ही पेन्शन-योग्य पद पर कार्य किया है। किन्तु-योग्य सेवाओ का लाभ उसी अवधि या अवधियों की सेवाओ के सम्बन्ध में दिया जावेगा जिसमें कर्मचारी ने वास्तव मे अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान दिया है।

(5) उपरोक्त वर्णित विकल्प ज्ञापन के साथ सलग्न प्रपत्र मे लिखित में इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह की अवधि मे प्रस्तुत करना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जावेगा। जो कर्मचारी इस अवधि में अपना विकल्प प्रस्तुत नही करेंगे उनके बारे में यह समझा जावेगा कि वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत ही रहना चाहते हैं। इस पर ध्यान दिया जावे कि ऐसे कर्मचारी को इन आदेशो के अनुसार केवल अपना विकल्प देना ही पर्याप्त नही है अपितु उसे यह देखना है कि उस द्वारा प्रस्तुत विकल्प निर्धारित प्राधिकारी को मिल जाता है और वह उसकी पावती प्राप्त कर लेता है। ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावे और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली मे नत्थी की जावे। विकल्प कार्यालय-अध्यक्ष को भेजा जावेगा। जब कर्मचारी से विकल्प प्राप्त हो जावे तो उस पर उस अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किये जावेंगे जो उसे प्राप्त करता है।

(6) राज्य कर्मचारी जो नियमित-पदों पर अन्तरलीन-नियुक्त होने की तारीख से तथा इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बीच सेवा-निवृत्त हो गये हैं और जो अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत विश्राम-वृत्ति लाभ प्राप्त कर सकता है तो वह भी पेंशन एवं उसके अन्य लाभो को प्राप्त करने के लिए विकल्प देने का अधिकार रखता है। यदि उसे उसके अंशदायी-भविष्य-निधि नियमो के लाभ का भुगतान हो गया है तो पेंशन लाभ

के लिए विकल्प देने पर उसको दिये गये भुगतान का समायोजन पेन्शन-नियमों के अन्तर्गत देय लाभो से कर लिया जावेगा एव उससे उन्हें वापस करने को नही कहा जावेगा।

(7) ऐसे कर्मचारी जो नियमित पद पर नियुक्त होने से पूर्व अंशदायी-भविष्य-निधि-योजना के सदस्य थे किन्तु किन्ही कारणो से किसी अवधि अथवा अवधियो में उन्होंने अंशदान नहीं दिया, उन्हें भी अब उस अवधि/अवधियो का अंशदान देने की अनुमति दे दी जावे ताकि उन बीच की अवधिहों को भी पेन्शन-योग्य सेवा में सम्मिलित किया जा सके।

(8) राज्य कर्मचारी जिन्होंने उनके प्रशासनिक विभागो द्वारा समय-समय पर अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी आदेशों के अनुसार विकल्प दिया हो तो उन्हें भी इन आदेशो के अनुसार पुनः नये सिरे से विकल्प देने का अधिकार होगा।

(9) कार्यदत्त-कर्मचारी जो नियमित-पदो पर अन्तरलीन हो गये थे किन्तु जिनकी मृत्यु हो गई है वे भी पैंशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी माने जावेगे जब तक कि ऐसे मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य स्पष्ट रूप मे लिखित में यह प्रार्थना नही करे कि उन्हे अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी को देय लाभ का ही भुगतान किया जावे। कार्यालयअध्यक्ष ऐसे मृतक कर्मचारी के पेशन सम्बन्धी पत्रादि तैयार करने से पूर्व मृतक के परिवार के सदस्यो से लिखित मे सूचना प्राप्त कर यह निश्चित करलें कि क्या वे अंशदायी भविष्य निधि नियमो के अन्तर्गत देय लाभ ही चाहते है।

टीकाः—(अनुच्छेद 1 से 8 तक वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (26) वि. वि. (ग्रुप–2) 74 दिनांक 21 जनवरी, 1977 द्वारा एवं अनुच्छेद-9 सम–संख्यक ज्ञापन दिनांक 10 मार्च, 1977 द्वारा निविष्ट किये गये है)

विकल्प प्रपत्र

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (26) वि. वि. (ग्रुप–2)/74 दिनांक 21 जनवरी, 1977 के अनुसरण मे, मैं.......................... पुत्र श्री.... ....पद...............................जो अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या.........................कार्यदत्त/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना का अंशदाता, राजस्थान सेवा नियम, नवीन परिवार पेन्शन नियम सहित, जो समय-समय पर सशोधित हुए है, के अन्तर्गत पेन्शन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिये विकल्प देता हूं। कार्यदत्त कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि लाभ जो वर्तमान में उपलब्ध हैं के एवज मे पेंशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा यह विकल्प दिया जा रहा है।

साक्षी	राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनाक
साफ शब्दो में पूरा नाम	साफ शब्दो मे पूरा नाम
पद	पद
कार्यालय	कार्यालय

....

प्रतिहस्ताक्षर किये गये ....

कार्यालय-अध्यक्ष के दिनाक सहित हस्ताक्षर

....

उपरोक्त विकल्प प्राप्त हो गया है

स्थान.................. कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

दिनाक..................

खण्ड 2-प्रथम शर्त

नियम 181:—सरकार द्वारा नियुक्ति, पेन्शन के लिए आवश्यक शर्त:—एक राज्य कर्मचारी की सेवा उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक वह सरकार द्वारा या उसके द्वारा निश्चित की गई शर्तो के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया हो एवं उसका कर्तव्य एवं वेतन सरकार द्वारा निश्चित की गई शर्तों के अधीन नियमित नहीं किया जाता हो। निम्न-लिखित उदाहरण उन राज्य कर्मचारियों के है जो इस नियम द्वारा पेंशन से वंचित कर दिये गये हैं:—

(1) एक स्थानीय निकाय के कर्मचारी।

(2) अनुदान प्राप्त स्कूलो एवं संस्थाओं के कर्मचारी।

(3) कोषाध्यक्षो द्वारा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारी।

टिप्पणी:—सरकार मामले के गुणो को ध्यान मे रखते हुए पूर्ण समय कार्य करने वाले भंगी, भिश्ती, माली या बागवान, खलासी एवं इस श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के मामलों पर विचार कर सकती है जिनसे नियमित कर्मचारियो के साथ-साथ काम करने की आशा की जाती है अथवा जिनसे उन दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों के साथ-साथ समानग्रेड, वेतनमान मे काम करने की आशा की जाती है एवं जिनको भुगतान "अन्य-प्रभार" मद मे किया जाता है। पेंशन प्रयोजन के लिए उन्हे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में समझा जावेगा।

नियम 182 : अनुबन्ध-भत्तों से भुगतान की जाने वाली सेवा:—अनुबन्ध-संस्थापन भत्तों से भुगतान की जाने वाली एक संस्थापन की सेवा, जिसके वितरण में सरकार कोई बाधा नही डालती है, पेंशन योग्य नहीं होती है चाहे ऐसा अनुबन्ध-भत्ता निश्चित किया हुआ हो या शुल्कों से संबंधित हो।

नियन 183 : राजाओं के निजी कोषों (प्रिवीपर्सो) से भुगतान की जाने वाली सेवा:—राजाओं के निजी कोषों से भुगतान की जाने वाली सेवा "पेंशन-योग्य" नही मानी जावेगी।

राजकीय निर्णय:—सम्बन्धित विलीनीकृत राज्य में वहां के राजा के निजी कोष से भुगतान की जाने वाली सेवा के अलावा उस राज्य की निधि से भुगतान की जाने वाली पेशन योग्य सेवा इन नियमों के अन्तर्गत योग्य-सेवा के रूप मे समझी जावेगी।

नियम 184 : ठिकानों द्वारा भुगतान की गई सेवा:—विभागों में उन ठिकानों जो सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिये गये है द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा को, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार पेंशन-योग्य समझा जावेगा।

खण्ड 3-दूसरी शर्त

नियम 185 : सेवा कब पेंशन-योग्य होती है:—सेवा उस समय तक पेंशन-योग्य नही समझी जाती है, जब तक अधिकारी स्थायी संस्थापन में एक स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त नहीं हुआ हो।

नियम 186:—एक कर्मचारी वर्ग, जिसकी सेवायें निरन्तर नहीं हैं किन्तु प्रति वर्ष निश्चित समय तक सीमित रहती हैं, एक अस्थाई कर्मचारी वर्ग नही होता है। इस प्रकार के एक कर्मचारी वर्ग की सेवा उस समय को मिलाकर पेंशन-योग्य होती है, जिसमें उनकी नियुक्ति नही की जाती है, किन्तु जिस अवधि में कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाती है उसे सेवा के रूप में माने जाने की सुविधा उस राज्य कर्मचारी पर लागू नही होती है जो अपना काम समाप्त होने पर कर्मचारियों को हटाये

जाने के समय वास्तविक रूप से सेवा पर उपस्थित नहीं हो या वह सुविधा उस राज्य कर्मचारी पर लागू नही होती है जो सेवा में वास्तव में उस प्रथम दिन उपस्थित नहीं हो जिसको कर्मचारी वर्ग की पुर्नियुक्ति की गई हो।

नियम 187 : अस्थाई सेवा को पेंशन योग्य गिना जाना:—एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर स्थानान्तरित अधिकारी अपने अस्थाई पद की सेवा को पेंशन के लिए सम्मिलित कर सकता है यदि पहिले वह पद प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सृजित किया गया हो तथा बाद में स्थायी हो गया हो।

टिप्पणियां:—(1) इस नियम के निम्न-लिखित सिद्धांत है:—

(i) जब पद प्रथम बार अस्थाई रूप से स्वीकृत किए जाते हों तथा बार मे स्थाई कर दिए जाते हों तो अधिकारी या अधिकारियो की अस्थाई या प्रयोगात्मक सृजित पदों की पूर्ण अस्थाई सेवा पेंशन के लिए गिनी जावेगी।

(ii) इस नियम के लाभो को प्राप्त करने के लिए एक ही संस्थापन पर एक ही नियुक्ति अस्थाई रूप को स्थाई रूप मे बदला जाना चाहिए। एक अधिकारी अपनी अस्थाई नियुक्ति को केवल उस पद से दूसरे एव स्थाई पद पर स्थानान्तरित हो जाने के कारण ही पेंशन में सम्मिलित नही करा सकता है।

(iii) अस्थाई से स्थाई पद पर स्थानान्तरित एक अधिकारी अपनी अस्थाई पद की सेवा को पेंशन के लिये गिना सकता है यदि वह पद उसके स्थानान्तरण के बाद स्थाई हो जाता है।

(2) एक कर्मचारी के अपने अस्थाई या स्थानापन्न पद से निवृत्त होने के बाद उसे उस पद पर स्थाई किया जाना स्वीकार्य नही है। यह प्रतिबन्ध वहा लागू नही होता है जहा राज्य कर्मचारी स्थाई पद को धारण करता है तथा सेवा-निवृत्ति के पूर्व एक उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप मे कार्य करता है किंतु जिसके मामले मे उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद ही यह ज्ञात हो कि जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप मे कार्य कर रहा था, वह पद स्थाई या अन्तःकालीन स्थाई रूप से भरा जा सकता था।

(3) एक राज्य कर्मचारी एक ऐसे अस्थाई पद से स्थाई पद पर स्थानान्तरित किया जाता है जो बाद मे स्थाई हो जाता है तो वह अपने अस्थाई पद की सेवाओ को पेंशन के लिए गिना सकता है चाहे वह उसके स्थानान्तरण के समय तक स्थाई न हुआ हो।

(4) एक अस्थाई पद जो कई वर्षो मे प्रतिवर्ष लगातार (रिन्यू) नया होता रहता है वह एक प्रकार मे वही पद होता है क्योंकि उसकी स्वीकृति एक बार मे एक वर्ष की ही दी जाती है। यदि सभी व्यवहारिक कार्यो के लिये एक पद का कार्य अस्थाई से स्थाई हो जाता है तो उस पद को धारण करने वाला अधिकारी अपनी सम्पूर्ण प्रथम अस्थाई सेवा को उस सीमा तक पेंशन मे सम्मिलित कराने का अधिकारी है जिस तक उस पद का कार्य उसी प्रकृति का था जो उसके लिए स्थायी किये जाने के बाद किया गया।

(5) यह तथ्य कि एक कर्मचारी का वेतन एक अस्थाई पद से उठाया जाता या तया कार्यो के लिए व्यय किया जाता था ताकि लेखों से कार्यों के व्यय की सही लागत मालूम हो सके, इससे राज्य कर्मचारी के अवकाश एव पेन्शन के लाभो के उन अधिकारो मे कोई बाधा नही पहुंचती है जिनको वह उस अस्थाई पद पर अब या बाद मे प्राप्त करता। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे कर्मचारी अस्थाई पदो पर अपनी नियुक्ति रखते हो तथा वे संस्थापन विवरण पत्र मे दिखाए जाते हो एव उनकी वह सेवाये सत्यापन किये जाने योग्य हों।

(6) नियम 187 का अभिप्राय यह है कि जब एक सवर्ग से असम्बद्ध एक अलग पद प्रथम बार अस्थाई रूप में या प्रयोगात्मक रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा बाद में स्थायी कर दिया जाता है तो उस पद पर उन राज्य कर्मचारियों की पूर्ण अस्थाई सेवा पेन्शन के लिए गिनी जानी चाहिए बशर्ते कि ऐसा राज्य कर्मचारी या ऐसे राज्य कर्मचारी बाद में एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता/जाते है। यह सुविधा केवल उन्ही राज्य कर्मचारियों को दी जाती है जो एक स्थाई पद पर पदाधिकार नहीं रखते हुए अस्थाई सेवा, अस्थाई या कार्यवाहक पद पर, करते हैं तथा यह सुविधा उन राज्य कर्मचारियों के लिए भी है जो एक अस्थाई पद पर अधिक समय तक काम नही करते हैं, जब वह पद स्थायी कर दिया जाता है।

इस प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न-लिखित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये:—

(i) एक ही प्रकार के तथा समान सेवा वाले एक स्थाई सवर्ग वाले पदो के सहायक अस्थाई पद को धारण करने वाले कर्मचारी को, चाहे वह उस सवर्ग मे स्थाई पद के कार्यो के लिये वास्तविक रूप से नियुक्ति किया गया हो, अब भी अस्थाई पद पर सेवा करते हुए समझना चाहिए।

(ii) जब उपरोक्त (i) के रूप मे एक स्थायी सवर्ग के पूरक बहुत से अस्थाई पदों में से कुछ पद स्थायी पदो मे परिवर्तित किए जाते हैं तथा वरिष्ठता या चयन द्वारा इन पदों पर स्थायी नियुक्तिया करदी जाती है तो इस प्रकार वास्तव मे पदोन्नत किए गए राज्य कर्मचारी को उसी अस्थाई पद को धारण किया हुआ समझना चाहिए जो स्थाई पद मे बदला गया है तथा उसे उन पदों पर की गई अपनी सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

आडिट निर्देशन:—एक राज्य कर्मचारी जो एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा किसी एक पद पर अपना लीयन न रखता हो तथा जो उच्च श्रृंखला मे कार्यवाहक रूप मे कार्य करता हो तो वह उसकी अस्थाई सेवा मे व्यवधान है। केवल ऐसी अस्थाई सेवा का समय ही पेंशन के लिए सम्मिलित किया जावेगा जो वास्तव में अस्थाई पद पर बिताया गया है तथा बाद मे जो स्थाई कर दिया गया हो।

राजकीय निर्णय सख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 187–188 के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलो मे एक राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के प्रारम्भ मे स्थाई होने से पूर्व जो अस्थाई या स्थानापन्न सेवा की जावेगी वह पेंशन के लिए इन नियमों में दी गई शर्तो के आधार पर गिनी जायेगी। जिस समय इस प्रकार की सेवा की जाती है उस समय इस स्थिति का पता सबंधित अधिकारी को साधारणतया नहीं लगता है। राज्य कर्मचारी के सेवा से निवृत्त किये जाने के समय इस प्रश्न के सम्बन्ध मे कुछ निश्चित निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़े तथा पृष्ठ भूमि पूर्ण करने मे बड़ी कठिनाई हो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी अस्थाई या स्थानापन्न सेवा को पेंशन के लिए गिना जायेगा अथवा नही। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि जैसे ही एक पद स्थायी किया जावे, उसके बाद शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेना चाहिए तथा कार्यालय के अध्यक्षो को जिनका इन पदों से सम्बन्ध है उन्हे उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये जिन्होने उस पद को धारण किया है तथा इस सूची में पूर्ण विवरण जैसे सेवा का समय आदि दिया जाना चाहिए एव इसे (अराजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध मे उनकी सेवा पुस्तिकाओं के साथ) आडिट-आफीसर के पास सत्यापन व राजस्थान सेवा नियम 188 के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य समय की स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिये। आडिट आफिस सत्यापन के बाद सेवा पुस्तिका में एक उचित प्रमाण-पत्र लिखेगा अथवा हिस्ट्री-ग्राफ सर्विस मे, जैसी भी स्थिति हो, तथ्यों का उल्लेख करेगा। कार्यालय के अध्यक्ष को भी इस तथ्य का उल्लेख आवश्यक रूप में प्रथम वार्षिक विवरणिका मे करना चाहिए। उक्त प्रक्रिया केवल उन्ही पदो के सम्बन्ध मे अपनायी जावेगी जो इसके बाद स्थाई कर दिये जाते हो। पहिले के समय के सम्बन्ध मे कार्यालय के अध्यक्ष को उन व्यक्तियो के सेवा-अभिलेख

प्राप्त नही कर रहा है तथा उस समय को उस पद की सेवा के रूप में नही गिनता है, यदि वह बिना किसी व्यवधान के अपने द्वारा धारण किये गये पद के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर बाद मे स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है ।

(ख) यदि वह इस उपनियम की शर्तो को पूर्ण करते हुए रिक्त पदों पर निरन्तर कार्यवाहक रूप में कार्य करता है, किन्तु ये रिक्त स्थान विभिन्न स्थाई कर्मचारियो की अनुपस्थिति के कारण हुए है, तथा वह व्यक्ति बाद मे उसी के समान श्रेणी के पद पर सेवा मे व्यवधान किये बिना ही स्थाई हो जाता है, यह कोई आवश्यक नही है कि वह अपने द्वारा धारण किये गये पदों मे से किसी एक पद पर स्थाई हो । जब पूर्ण निश्चितता के साथ उन पदो की प्रकृति के बारे में, जिन पर अधिकारी ने कार्यवाहक रूप से कार्य किया है, निश्चित किया जाना असम्भव हो, तो इस नियम का लाभ दिलाने वाले सरकार के किसी ऐसे आदेश को स्वीकार किया जा सकता है । एक अधिकारी की ऐसे पद की कार्यवाहक सेवा, जो रिक्त न हो या जिसका स्थायी कर्मचारी उस पद पर कुछ भाग वेतन के रूप मे प्राप्त करता है तथा उस पद की अवधि को अपनी सेवा मे गिनता है, उन पूर्व की कार्यवाहक सेवाओं को समाप्त नही करता है जो इस नियम की शर्तो को पूरा करती थी ।

(2) जब एक अस्थाई नियुक्ति बाद मे स्थाई हो जाती है तो उस पद को उसी पूर्व तारीख से स्थाई सृजित किया हुआ समझा जावेगा जिसको वह पद का सृजन किया गया था । अतः वह एक अस्थाई पद की अपनी सेवा को पेंशन के प्रयोजन के लिये गिनेगा तथा इस नियम के अन्तर्गत उसकी स्थानापन्न सेवा सक्रिय सेवा के रूप मे मानी जाएगी ।

इन आदेशों मे केवल पेंशन के लिये सेवा को गिने जाने का ही प्रसग है एव किसी भी रूप मे वेतन धनराशि तय किये जाने वाले नियमों से इनका सम्बन्ध नही है । यह धनराशि अधिकारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये गये पद के वेतन के आधार पर तय की जावेगी न कि अधिकारी द्वारा अस्थाई सेवा के सम्बन्ध मे प्राप्त किये गये वेतन के आधार पर गिनी जावेगी ।

(3) वेतन बिलो को नष्ट करने से पूर्व अस्थाई एव स्थानापन्न सेवा का सत्यापन कार्यालयो के अध्यक्षो को नियम 187 व 188 के प्रसग में आवश्यक एव विशेष विवरण आवश्यक रूप से भिजवाये जाने चाहिएं ताकि आडिट कार्यालय बाद में केवल उन विवरण पत्रो से ही यह निर्णय करने मे समर्थ हो सके कि क्या अस्थाई कार्यवाहक सेवा पेंशन के लिये योग्य मानी जावेगी अथवा नही । उदाहरण के लिये कार्यवाहक सेवा के मामले मे रिक्त स्थान की प्रकृति जिस पर राज्य कर्मचारी ने कार्यवाहक रूप मे कार्य किया एवं अस्थाई सेवा के मामले मे क्या अस्थाई पद बाद मे स्थाई कर दिया गया, इनका वर्णन करना चाहिये ।

आडिट निर्देशन 1:—जब एक पद के स्थाई कर्मचारी के स्थाई सेवा से हट जाने के कारण रिक्त हुए पद पर एक अधिकारी कार्यवाहक रूप से कार्य करता है तो वह अपनी कार्यवाहक सेवा को इस नियम के अन्तर्गत पेन्शन के लिए नही गिना सकता है । स्थाई कर्मचारी के बाहरी सेवा में स्थानान्तरण हो जाने के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उस पर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहक एव स्थाई रूप से स्थाई सेवा या तो सीधी इस नियम के अन्तर्गत गिनी जाती है या स्थाई, पद को स्थाई रूप से धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों से सबंधित प्रावधानो के अन्तर्गत गिनी जाती है ।

(2) जब एक नया व्यक्ति किसी संवर्ग में रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तथा वह उस संवर्ग में किसी भी पद के लिए योग्य है, न कि केवल उसी विशिष्ट पद के लिये योग्य है जिस पर

वास्तव मे वह स्थानापन्न रूप मे कार्य करने के लिये लगाया गया है तो उसे उस पद के सम्बन्ध मे नियम 188 का लाभ दिया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत सेवा पेंशन योग्य गिनी जाती है। उदाहरणार्थ जब इसी प्रकार इस तरह के योग्य दो या दो से अधिक नए व्यक्ति सवर्ग के एक स्थाई पद या अवकाश के कारण रिक्त हुये एक या एक से अधिक पदो रर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त कर दिये जाते हैं तो इन अधिकारियों मे से सबसे अधिक वरिष्ठ अधिकारी को स्थाई रिक्त पद के सम्बन्ध मे इस नियम का लाभ दिया जाना चाहिये चाहे वह इस पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त न किया जाकर अन्य अवकाश के कारण एक या दूसरे रिक्त हुए पद पर लगाया गया हो।

टिप्पणी—इस नियम के प्रावधान उन कर्मचारियो पर लागू नही होंगे जो 18 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त होने को हो।

नियम 188-ए—अस्थाई सेवा को स्थाई हो जाने पर गणना:—(1) न्यूनतम पेंशन-योग्य आयु प्राप्त करने के बाद कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई निरन्तर अस्थाई सेवा की आधी सेवा "योग्य-सेवा" के रूप में गिनी जावेगी यदि वह पेंशन योग्य पद पर बाद में स्थाई हो जाता हो। फिर भी असाधारण अवकाश एव किसी अस्थाई सेवा या उसके किसी अश के सम्बन्ध में वह लाभ नहीं दिया जावेगा जो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत "योग्य-सेवा" के लिए पहले से ही पेंशन-योग्य-सेवा में गिनी जाती है।

(2) फिर भी उपरोक्त अनुच्छेद (1) में कुछ भी होने पर भी 18 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियो की सरकार के अधीन निरन्तर अस्थाई या स्थानापन्न सेवा यदि वह बिना किसी व्यवधान के बाद में उसी या अन्य पद पर स्थाई हो जाता है तो निम्नलिखित को छोड़कर पेंशन-योग्य-सेवा के रूप में गिनी जावेगी:—

(i) पेंशन के अयोग्य संस्थापन में अस्थाई या स्थानापन्न सेवा की अवधि।

(ii) दैनिक वेतन पर काम करने वाले व्यक्तियों की सेवा की अवधि।

(iii) "अन्य प्रभार" मद से भुगतान किये जाने वाले पद की सेवा की अवधि।

नियम 188-बी:—इन सेवा नियमों के नियम 185, 187, 188 तथा 188-ए में कुछ प्रावधान होते हुए भी, राज्य कर्मचारी जो 31-1-79 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होता है, कि निरन्तर/अस्थाई अथवा कार्यवाहक (स्थानापन्न) सेवा-अवधि, जो उसने सेवा में प्रवेश के बाद निर्धारित-न्यूनतम-आयु-सीमा के बाद की है, को पूर्ण-रूप से पेन्शन-योग्य-सेवा-अवधि मानी जावेगी। केवल निम्न-प्रकृति की सेवा को पेन्शन-योग्य नहीं माना जावेगा:—

(क) पेन्शन के अयोग्य-संस्थापन (नान-पेंशनेबल-एस्टेबलिशमेन्ट) में की गई अस्थायी अथवा कार्यवाहक-सेवा-अवधि।

(ख) कार्यदत्त (वर्क-चार्जड्) संस्थापन में की गई सेवा-अवधि, एवं

(ग) अन्य-प्रभार/आकस्मिक-व्यय (कन्टीनजेंसीज) मद से भुगतान की जाने वाली सेवा-अवधि।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (9) वि. वि. (प्र.प-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 31-1-79 से जोड़ा गया]

नियम 189:—शिक्षार्थी (एपरेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, जो तुरन्त ही नियमित-नियुक्ति के रूप में बदल गई हो, चाहे वह अस्थाई अथवा मौलिक-रूप से की गई हो, पेन्शन के प्रयोजनार्थ योग्य-सेवा (क्वालिफाईंग) मानी जावेगी।

[अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (9) वि वि. (ग्रुप-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 31-1-79 से प्रति-स्थापित]

नियम 189-ए:--परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर) के रूप में की गई सेवा-अवधि पेन्शन स्वीकृति के योग्य-सेवा (क्वालिफाइंग) मानी जावेगी।

[अधिसूचना क्रमांक 1 (9)/79 वि वि (ग्रुप-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 31-1-79 से प्रति-स्थापित]

टिप्पणियां:—(1) परिवीक्षाधीन सेवा के बाद की सेवा स्थाई न हो तो परिवीक्षाकाल की सेवा पेंशन योग्य नही गिनी जावेगी।

(2) एक कर्मचारी जो एक पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हुआ है तथा दूसरे पद पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप मे स्थानान्तरित हो गया है तो वह अपनी सेवा को परिवीक्षाधीन के रूप मे गिन सकता है। फिर भी यह *आवश्यक है कि कर्मचारी को अपने स्थाई पद पर पदाधिकार रखना चाहिये ताकि वह वहां स्थाई न किये जाने की* स्थिति मे वापिस अपने पद पर आ सके जब तक वह दूसरे पद पर स्थाई न कर दिया जावे तब तक उसके मूल पद पर दूसरे कर्मचारी को स्थाई नही किया जा सकता है।

(3) एक व्यक्ति जिसकी स्थाई नियुक्ति नही हुई है किन्तु जो कुछ समय के लिये किसी पद पर उसके स्थाई कर्मचारी के अनुपस्थित रहने के कारण, स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो वह अपनी कार्यवाहक सेवा को पेन्शन के लिये गिना सकता है, यदि उसकी पूर्व की परिवीक्षाधीन सेवा, जिसमे वह अपनी स्थानापन्न सेवा के साथ नियुक्त हुआ था, नियम 189-ए की शर्तों की पालना नही करती हो और इसलिये पैंशन-योग्य नहीं होती हों।

नियम 190 : अस्थाई सेवा पर प्रतिनियुक्त स्थाई अधिकारी:—एक स्थायी संस्थापन का अधिकारी स्थाई सेवा से इस मान्यता के आधार पर अलग किया जाता है कि जब अस्थाई सेवा समाप्त हो जावेगी तो वह अपने स्थाई संस्थापन मे आजावेगा। ऐसी स्थिति में उसकी अलग की गई सेवा (डिटैच-सर्विस) पेंशन के लिए गिनी जाती है।

टिप्पणियां:—(1) एक स्थाई अधिकारी अस्थाई सेवा करते हुए अपनी अलग की गई सेवा को उस स्थाई पद की सेवा के रूप मे गिनता है न कि अपनी अस्थाई सेवा के सम्बन्ध मे।

(2) इस नियम मे प्रयुक्त "अस्थाई सेवा" का तात्पर्य एक अस्थाई पद की सेवा से है।

(3) यह नियम उन अधिकारियो के मामलो का वर्णन करता है जो अस्थाई पद पर, सेवा से अलग किये जाते है। पेन्शन के लिये अयोग्य-पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने वाले अधिकारी का मामला इसके अन्तर्गत नही आता है।

(4) एक अधिकारी जिसका पदाधिकार नियम 17 (ख) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है, तो वह अपनी सेवा को नियम 190 के अधीन स्थाई पद की सेवा के रूप मे गिनेगा एवं उसकी कार्यवाहक सेवा जो इसके स्थान पर अत:कालीन (प्रोविजनल) रूप से की गई है, पेन्शन के अतिरिक्त सब प्रयोजनो के लिये स्थाई रूप मे समझी जावेगी।

नियम 191: -नियम 190 योग्य-सेवा की दूसरी शर्त को अस्थाई रूप से निलम्बित करने की अनुमति देना है। यह प्रथम शर्त या तीसरी शर्त में किसी प्रकार की रियायत नहीं देता है एवं विशेष रूप से बाहरी सेवा मे नियुक्त एक अधिकारी पर लागू होने वाले नियमों के किसी संशोधन का समर्थन इससे किया हुआ नही समझना चाहिये।

टिप्पणी—राजप्रमुख (अब राज्यपाल) एव सरकार के मत्रियो के निजी सचिव के रूप मे की गई सेवा पेन्शन योग्य मानी जाती है, यदि अधिकारी, निजी सचिव के रूप मे नियुक्त किये जाने से पूर्व, राज्य सरकार की असैनिक सेवा से सम्बन्ध रखता हो या ऐसी नियुक्ति के समय ऐसी सेवा पर नियुक्त किया हुआ समझा गया था।

नियम 192: —यदि एक राज्य कर्मचारी द्वारा धारित स्थाई अथवा अस्थाई-पद अथवा कार्यालय समाप्त कर दिया जाता है किन्तु राज्य-कर्मचारी को अन्य अस्थाई अथवा स्थायी पद-पर राज्य-सरकार के अधीन, उसके पूर्व के पद के समाप्त होने पर बिना किसी व्यवधान अथवा सेवा-में-टूट के अन्य-पद-पर, नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी द्वारा पूर्व के अस्थाई अथवा स्थायी पद-पर की-गई-सेवा-अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ योग्य-अवधि (क्वालिफाइंग-पिरियड) मानी जावेगी।

[अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (9) वि वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 31-1-79 से प्रति-स्थापित]

नियम 193 : फुटकर कार्यो के लिए नियुक्त-मुद्रणालय कर्मचारी:—एक राजकीय मुद्रणालय का कर्मचारी, जिसे फुटकर-कार्य (पीस-वर्क) के लिये वेतन दिया जाता है, उसे स्थाई पद धारण किया हुआ समझा जाता है, यदि

(i) वह आकस्मिक रूप से नियुक्त किया जाता हो तथा एक निश्चित संस्थापन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो, एवं

(ii) अपनी वास्तविक नियुक्ति के गत 72 माह की अवधि में 24 माह तक बिना किसी व्यवधान के एक पद पर कार्य किया हो या अपनी स्वयं की इच्छा द्वारा या दुराचरण के द्वारा ऐसा न किया गया हो कि उसे इस प्रकार से एक पद पर नियुक्त रखा गया।

नियम 194: —एक कर्मचारी की बन्दोबस्त एवं सर्वेक्षण विभाग में अमीन एवं कानूनगो पद की सेवाओं सहित की गई सेवायें पेन्शन के योग्य मानी जावेंगी।

टिप्पणी संख्या 1:—राजस्व विभाग के आदेश संख्या आई० टी० 2736 एफ. 1 (1316) राजस्व 1 (घ) 58 दिनांक 26 अक्टूबर, 1958 के निरस्त किये जाने के परिणाम-स्वरूप कानूनगो एवं अमीनों जिन्होंने अंश-दायी भविष्य निधि योजना मे अंशदान नही दिया, कि उक्त पदों की सेवाओं को वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (52) वि. वि. (ग्रुप-2)/76 दिनाक 22 नवम्बर, 1976 मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पेन्शन-योग्य माना जावेगा।

टिप्पणी संख्या 2: —सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विभाग मे कानूनगो एव अमीनो द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 1951 से पूर्व की गई सेवाओं को पेन्शन-योग्य माना जावेगा तथा विचाराधीन मामले उक्त प्रकार से ही निपटाये जावेगे।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (52) वि वि (ग्रुप-2) 76 दिनांक 15 जून, 1977 द्वारा नियम 194 तथा उक्त टिप्पणी प्रतिस्थापित]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 194 के अधीन गर्व एवं भू-प्रबन्ध विभाग में की गई सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई हैं यदि नियुक्ति स्थाई आधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल अस्थाई आधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो।

(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रबन्ध सगठन, जो

(i) किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये सृजित नहीं किये गये थे,

(ii) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये सृजित किये गये थे तो भी उन्हें बाद में निर्दिष्ट अवधि के बाद अनिश्चित अवधि तक कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी,

इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई आधार पर समझे जाऐंगे।

नियम 195 : वेतन भुगतान का स्रोत पेंशन-योग्य-सेवा का आधार:—खण्ड (2) व खण्ड (3) में निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के अनुसार पेंशन के योग्य या अयोग्य मानी जाती है। इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है।

(क) सचित-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्रस्टी की स्थिति में धारण किये हुये है।

(घ) कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या आयोग द्वारा वसूल किये गये शुल्कों से भुगतान की गई सेवा।

(ङ) कानून या रीति के अनुसार भूमि-धारण करने के या काम के अन्य स्रोतों से या धन-राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा।

नियम 196 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को सम्मिलित किया जाना—

संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एक संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने का प्रवन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नही डालता है, वशर्ते कि संस्थापन या अधिकारी सरकार के नियंत्रण मे है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है।

नियम 197 : स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं गिनी जाती है:—स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार ट्रस्टी के रूप में, जैसे कोर्ट-आफ-वार्डस के अन्तर्गत, या एक कुर्क की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण करती है, उस समय तक पेंशन-योग्य नहीं होती है जव तक अन्यथा प्रकार से सरकार ऐसी शर्तो पर, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, विशेष रूप से उन्हें पेन्शन-योग्य-सेवा में गिनने का आदेश न दे दे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-आफ-वार्डस की प्रशासनिक व्यवस्था की स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रवन्ध मे लगे व्यक्तियों से भिन्न के सम्बन्ध मे) एकीकरण विभाग के आदेश दिनाक 24–3–52 के अनुच्छेद (2) में वर्णित कोर्ट-आफ-वार्डस विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका भुगतान राज्य की सचित निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेन्शन की योग्यता एवं उसकी सेवा को गिनने सबधित अन्य नियमो की शर्तों पर समझी जा सकती हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा जो भूतपूर्व राज्यों के कोर्ट-आफ-वार्डस विभाग द्वारा प्रबन्ध कार्यों के लिये प्रारम्भ में नियुक्त किये गये थे तथा जो ठिकाना/जागीर के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप अन्तिम रूप से सरकारी सेवा में आये थे, उन्हें अस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी अविच्छिन्न अस्थाई सेवा के केवल आधे-भाग को पेंशन के प्रयोजनार्थ योग्य सेवा के रूप में समझा जाएगा।

नियम 198:—शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या कमीशन वेतन के अतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई सेवा पेंशन-योग्य नही होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों।

टिप्पणी:—सामान्य राजस्वो से भुगतान किए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त शुल्कों एवं कमीशन द्वारा भुगतान की गई सेवा इस नियम के अन्तर्गत पेंशन के योग्य मानी जाती है। किन्तु शुल्क एव कमीशन वेतन मे यह निर्णय करने के लिये सम्मिलित नही किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है।

नियम 199:—जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा किसी नियम या परम्परा के अनुसार भूमि के पट्टे या आय के अन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं गिनी जाती है।

नियम 200 से 202 तक:—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 21-11-1962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक 1-10-62 से प्रभावशील।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 194 के अधीन सर्वे एवं भू-प्रबन्ध विभाग में की गई सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई हैं यदि नियुक्ति स्थाई आधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल अस्थाई आधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो।

(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रबन्ध सगठन, जो

(i) किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये गृजित नहो किये गये थे,

(ii) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये गृजित किये गये थे तो भी उन्हें बाद में निर्दिष्ट अवधि के बाद अनिश्चित अवधि तक कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी,

इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई आधार पर समझे जाएँगे।

नियम 195 : वेतन भुगतान का स्रोत पेंशन-योग्य-सेवा का आधार:—खण्ड (2) व खण्ड (3) में निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के अनुसार पेंशन के योग्य या अयोग्य मानी जाती है। इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है।

(क) संचित-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्रस्टी की स्थिति में धारण किये हुये है।

(घ) कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या आयोग द्वारा वसूल किये गये शुल्कों से भुगतान की गई सेवा।

(ङ.) कानून या रीति के अनुसार भूमि-धारण करने के या काम के अन्य स्रोतों से या धन-राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा।

नियम 196 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को सम्मिलित किया जाना—

संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एक संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने का प्रबन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, बशर्ते कि संस्थापन या अधिकारी सरकार के नियंत्रण में है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है।

नियम 197 : स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं गिनी जाती है:—स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार ट्रस्टी के रूप में, जैसे कोर्ट-आफ-वार्डस के अन्तर्गत, या एक कुर्क की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण करती है, उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक अन्यथा प्रकार से सरकार ऐसी शर्तो पर, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, विशेष रूप से उन्हें पेन्शन-योग्य-सेवा में गिनने का आदेश न दे दे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-आफ-वार्डस की प्रशासनिक व्यवस्था की स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रबन्ध मे लगे व्यक्तियों से भिन्न के सम्बन्ध मे) एकीकरण विभाग के आदेश दिनाक 24–3–52 के अनुच्छेद (2) मे वर्णित कोर्ट-आफ-वार्डस विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेन्शन की योग्यता एव उसकी सेवा को गिनने सबंधित अन्य नियमों की शर्तों पर समझी जा सकती हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा जो भूतपूर्व राज्यों के कोर्ट-ग्राफ-वार्डस विभाग द्वारा प्रवन्ध कार्यो के लिये प्रारम्भ मे नियुक्त किये गये थे तथा जो ठिकाना/जागीर के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप अन्तिम रूप से सरकारी सेवा मे आये थे, उन्हें अस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी अविच्छिन्न अस्थाई सेवा के केवल आधे-भाग को पेंशन के प्रयोजनार्थ योग्य सेवा के रूप में समझा जाएगा।

नियम 198:—शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या कमीशन वेतन के अतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई सेवा पेशन-योग्य नहीं होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों।

टिप्पणी:—सामान्य राजस्वो से भुगतान किए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त शुल्कों एवं कमीशन द्वारा भुगतान की गई सेवा इस नियम के अन्तर्गत पेशन के योग्य मानी जाती है। किन्तु शुल्क एवं कमीशन वेतन में यह निर्णय करने के लिये सम्मिलित नही किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है।

नियम 199:—जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा किसी नियम या परम्परा के अनुसार भूमि के पट्टे या आय के अन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा पेशन-योग्य नहीं गिनी जाती है।

नियम 200 से 202 तक:—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 21-11-1962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक 1-10-62 से प्रभावशील।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 194 के अधीन सर्वे एवं भू-प्रबन्ध विभाग में की गई सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई है यदि नियुक्ति स्थाई आधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल अस्थाई आधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो।

(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रबन्ध सगठन, जो

(i) किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये सृजित नही किये गये थे,

(ii) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये सृजित किये गये थे तो भी उन्हें बाद में निर्दिष्ट अवधि के बाद अनिश्चित अवधि तक कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी,

इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई आधार पर समझे जाऐंगे।

नियम 195 : वेतन भुगतान का स्रोत पेंशन-योग्य-सेवा का आधार:—खण्ड (2) व खण्ड (3) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के अनुसार पेंशन के योग्य या अयोग्य मानी जाती है। इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है।

(क) संचित-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा।

(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्रस्टी की स्थिति में धारण किये हुये है।

(घ) कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या आयोग द्वारा वसूल किये गये शुल्कों से भुगतान की गई सेवा।

(ङ.) कानून या रीति के अनुसार भूमि-धारण करने के या काम के अन्य स्रोतों से या धन-राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा।

नियम 196 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को सम्मिलित किया जाना—

संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एक संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने का प्रबन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, बशर्ते कि संस्थापन या अधिकारी सरकार के नियंत्रण में है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है।

नियम 197 : स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं गिनी जाती है:—स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार ट्रस्टी के रूप में, जैसे कोर्ट-आफ-वार्डस के अन्तर्गत, या एक कुर्क की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण करती है, उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक अन्यथा प्रकार मे सरकार ऐसी शर्तो पर, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, विशेष रूप से उन्हे पेन्शन-योग्य-सेवा में गिनने का आदेश न दे दे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—यह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-आफ-वार्डस की प्रशासनिक व्यवस्था की स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रबन्ध मे लगे व्यक्तियो से भिन्न के सम्बन्ध में) एकीकरण विभाग के आदेश दिनाक 24-3-52 के अनुच्छेद (2) मे वर्णित कोर्ट-आफ-वार्डस विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका भुगतान राज्य की सचित निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेन्शन की योग्यता एवं उसकी सेवा को गिनने संबधित अन्य नियमो की शर्तो पर समझी जा सकती हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा जो भूतपूर्व राज्यों के कोर्ट-ग्राफ-वार्डस विभाग द्वारा प्रबन्ध कार्यो के लिये प्रारम्भ मे नियुक्त किये गये थे तथा जो ठिकाना/जागीर के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप ग्रन्तिम रूप से सरकारी सेवा में ग्राये थे, उन्हें ग्रस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी ग्रविच्छिन्न ग्रस्थाई सेवा के केवल ग्राधे-भाग को पेंशन के प्रयोजनार्थ योग्य सेवा के रूप मे समझा जाएगा।

नियम 198:—शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या कमीशन वेतन के ग्रतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई सेवा पेंशन-योग्य नहीं होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की ग्राज्ञा के ग्रधीन या कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों।

टिप्पणी:—सामान्य राजस्वो से भुगतान किए जाने वाले वेतन के ग्रतिरिक्त शुल्कों एवं कमीशन द्वारा भुगतान की गई सेवा इस नियम के ग्रन्तर्गत पेंशन के योग्य मानी जाती है। किन्तु शुल्क एव कमीशन वेतन में यह निर्णय करने के लिये सम्मिलित नही किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है।

नियम 199:—जमीन के पट्टे ग्रादि से भुगतान की गई सेवा किसी नियम या परम्परा के ग्रनुसार भूमि के पट्टे या ग्राय के ग्रन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के ग्रनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा पेशन-योग्य नही गिनी जाती है।

नियम 200 से 202 तक:—वित्त विभाग के ग्रादेश क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 21-11-1962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक 1-10-62 से प्रभावशील।

अध्याय 19

खण्ड 1–अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियां, पेन्शन योग्य सेवा गिनने के नियम

नियम 203:—पेंशन योग्य सेवा में गिनी जाने वाली अवकाश अवधियां:—नियम 204 में दिये हुए के अतिरिक्त उपार्जित अवकाशों के अलावा अन्य अवकाशों पर बिताया गया समय सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है।

[अधि. क्रमांक एफ 1 (13) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 13-2-79 द्वारा 31-1-79 से विलोपित कर दिया गया है]

नियम 204 (1):—दिनाक 31-1-1979 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियो द्वारा भत्तों सहित अवकाशों के रूप में व्यतीत अवधि(सेवा-अवधि) को पेंशन सेवा में गिना जावेगा।

टीका:—इसका तात्पर्य यह है कि भत्तों सहित उपभोग किये गये समस्त प्रकार के अवकाशों की पूर्ण/कुल अवधि पेन्शन-योग्य-सेवा में सम्मिलित की जावेगी अथवा मानी जावेगी।

नियम 204 (2):—असाधारण-अवकाशों (बिना वेतन एवं भत्तों के अवकाश) के रूप में, जो निम्न-अंकित में से किसी एक आधार पर लिये गये हों, व्यतीत अवधि उन राज्य कर्मचारियों के संबंध मे सेवा में गिनी जावेगी जो 31-1-1979 अथवा उसके बाद राज्य-सेवा से निवृत्त (रिटायर) होते हैं:—

(i) यदि वह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है;

(ii) यदि वह उच्चतर वैज्ञानिक अथवा तकनीकि अध्ययन के लिये लिया गया हो;

(iii) यदि वह एक राज्य कर्माचरी द्वारा अपने पद का कार्य-भार-ग्रहण करने अथवा पुनः ग्रहण करने में असमर्थ रहने के कारण लिया गया हो और वह असमर्थता किसी नागरिक अशांति (बलवा) के कारण अथवा प्राकृतिक प्रकोप के कारण होता है और कर्मचारी के अवकाश खाते में अन्य किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं हो।

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (13) वि वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 13-2-79 द्वारा 31-1-1979 से यह नया नियम जोड़ा गया है। नियम 203, 204 तथा 204-ए इसी तारीख से विलोपित कर दिये गये है। इस परिवर्तन से अवकाश-अवधियां पेन्शन-योग्य-सेवा में जोड़ने अथवा सम्मिलित करने की प्रणाली बहुत ही सरल और सुविधाजनक हो गई है।

नियम 204 : भत्तों सहित अवकाश पर बिताया गया समय:—(क) उच्च-सेवा के मामले में, भत्तों सहित अवकाश पर बिताया गया समय कर्त्तव्य के रूप में निम्न-प्रकार से गिना जाता है:—

यदि अधिकारी की कुल सेवा निम्न से कम नहीं हो।	वह अवकाश के समय को सेवा के रूप में गिनता है जो निम्न समय से अधिक नहीं होगा।
15 वर्ष	1 वर्ष

20 वर्ष	1 वर्ष
25 वर्ष	1 वर्ष
30 वर्ष	2 वर्ष
35 वर्ष	2 वर्ष

टिप्पणियां—(1) इस नियम में "कुल-सेवा" का तात्पर्य पेन्शन-योग्य सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख से गिनी जाने वाली सेवा से है तथा इसमें अवकाश का समय भी सम्मिलित है।

(2) जब अस्पताल या प्रसूति अवकाश, चाहे औसत वेतन पर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके साथ में (विशेष अयोग्यता अवकाश को छोड़कर जिसके लिए विशेष प्रावधान रखे गये है) लिया हो तथा 120 दिन से अधिक हो तो पेन्शन के प्रयोजनों के लिये कुल अवकाश के समय में प्रथम 120 दिन के समय को ही उपार्जित अवकाश के रूप मे गिना जाना चाहिये।

(ख) चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियो के सम्बन्ध में, निम्न-सीमा तक अवकाश को सेवा के रूप में गिना जावेगा।

(i) सेवा पर विताये गये समय का 1/12 की दर से उपार्जित अवकाश

(ii) कुल सख्या के 3/80 भाग तक के समय का चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर आधारित अवकाश जिसमें से असाधारण अवकाश पर विताये गये समय को हटा दिया जावेगा।

टिप्पणियां:—(1) पेन्शन के अयोग्य सेवा, जिसे नियम 180 के अन्तर्गत पेन्शन के लिये गिने जाने की स्वीकृति दे दी जाती है तो उसे (अयोग्य सेवा को) नियम 204 के प्रयोजन के लिए उस समय तक नहीं गिना जाना चाहिये जब तक ऐसा अवकाश, अवकाश के प्रयोजनों के लिये भी स्थाई रूप में नहीं गिना जाता हो।

(2) नियम 204 (ख) के अन्तर्गत भत्तों सहित कुल अवकाश को गिनने मे अस्पताल अवकाश को सम्मिलित नही किया जाता है क्योंकि इसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिया हुआ अवकाश नही माना जाता है।

राजकीय निर्णय (1) (i) एकीकरण विभाग के पत्र सख्या एफ 401–जी० डी/खण्ड-II दि. 24-6-49 एवं सख्या 26/खण्ड-II दिनांक 14-8-49 के अन्तर्गत बहुत से कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त कर दिये गये थे वे अपना बकाया अवकाश का पूर्ण या आंशिक उपभोग करने के पूर्व ही अस्थायी रूप से पुनर्नियुक्त हो गये थे। उनके द्वारा उपभोग न किये गये अवकाश का उपभोग करने एवं उसे पेन्शन-योग्य सेवा मे गिने जाने के प्रश्न की सरकार द्वारा जाच करली गई है। मामले पर सभी दृष्टिकोणों से विचार कर यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित कर्मचारियों को उस समय तक अवकाश के रूप मे माने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है, जब तक इस पद पर सेवा करते हुये उनका अवकाश समाप्त नही हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त किये गये है एव इस मामले मे उन्हें अपनी पुनर्निवृत्ति जिन पर निश्चित किये गये वेतन के साथ-साथ देय अर्द्ध-वेतन अवकाश देने की भी स्वीकृति दी जा सकती है तथा उस अवकाश के समय को पेन्शन के लिये गिन सकते हैं। इस प्रकार जो राज्य कर्मचारी इस रियायत का लाभ नही उठाना चाहते वे पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर अपने अवकाश का उपभोग कर सकते हैं तथा ऐसे अवकाश के समय मे उन्हे पूर्ण अवकाश-वेतन दिया जावेगा। उस मामले मे कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति अवकाश के पूर्व से प्रभावशील हुई समझी जावेगी तथा अवकाश का समय पेन्शन के लिये नहीं गिना जावेगा।

(ii) किसी भी मामले में अवकाश उसकी अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा जो सम्बन्धित इकाइयों के नियमों के अनुसार निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के रूप मे उपभोग किया जा सकता है।

(iii) अनुच्छेद (i) के सम्बन्ध का विकल्प पेन्शन गिने जाने के पूर्व कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाना चाहिये।

राजकीय निर्णय सख्या 2:—एकीकरण विभाग के पत्र सख्या 40/जी. डी./खण्ड/II दिनांक 24-6-49 के अन्तर्गत जो कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो गये थे वे अपने बकाया अवकाश का पूर्ण या आंशिक उपयोग करने के पूर्व ही अस्थाई रूप से पुर्ननियुक्त हो गये थे, उन्हे अपने अवकाश के समय को पेन्शन के लिये गिने जाने की स्वीकृति दी जावेगी बशर्ते वे पुर्ननियुक्ति पर निर्धारित वेतन के साथ मैं देय अर्द्ध-वेतन अवकाश प्राप्त करते है। यदि कर्मचारी पुर्ननियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे अवकाश काल मे अपना पूर्ण वेतन प्राप्त करते है तो अवकाश के समय को पेन्शन के लिये गिनने की स्वीकृति नही दी जानी थी तथा सेवा-निवृत्ति पुर्ननियुक्ति के पहिले से प्रभावशील मानी जाने वाली थी। पेंशन के स्थान पर जोधपुर राज्य के अशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित कर्मचारियो को इस प्रकार की समान परिस्थितियो मे किस रूप में समझा जाये, यह एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है।

मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उपभोग नही किये गये अवकाशों के उपभोग करने तथा इसके समय को पेन्शन-योग्य सेवा के रूप मे गिने जाने के सम्बन्ध मे उपरोक्त वर्णित आज्ञा के प्रावधान उन कर्मचारियो पर भी लागू होगे जो जोधपुर राज्य के अंशदायी भविष्य निधि से शासित होते है तथा समान परिस्थितियों में अस्थाई रूप से पुर्ननियुक्त किये जाते है। दूसरे शब्दो मे उनका अवकाश का समय भविष्य-निधि मे नही गिना जायेगा यदि पुर्ननियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्ण अवकाश-वेतन प्राप्त किया गया हो तथा उस मामले मे सेवा, पुर्ननियुक्ति के पूर्व से प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

यदि अवकाश पुर्ननियुक्ति की अवधि के साथ-साथ लिया जाता है तथा उसका अर्द्ध-वेतन-अवकाश प्राप्त किया जाता है तो अवकाश का समय भविष्य-निधि के लाभ के लिये गिना जावेगा तथा अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद से सेवा-निवृत्ति प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—यह आदेश दिया गया था कि अस्थाई सेवा की आधी सेवा को, सेवा नियम 204 मे वर्णित "कुल-सेवा" मे नियम 188-ए मे दी गई शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है तथा नियम 204 के नीचे टिप्पणी के कालम (2) में वर्णित सीमा उस आधार पर लागू की जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये पेंशन-योग्य सेवा के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई पहिले की निरन्तर अस्थाई सेवा की आधी सेवा को "कुल-सेवा" मे सीधी अन्यथा रूप से गिनी हुई के रूप मे शामिल करना चाहिये एवं इस प्रकार दोनो का योग लिये "कुल सेवा" होगी।

(2) यह भी आदेश दिया गया था कि अस्थाई सेवा के लगातार समय में सभी भत्तों सहित प्राप्त किये गये अवकाश को उपरोक्त कहे गये अनुसार अस्थाई सेवा की आधी सेवा के रूप मे गिने जाने मे सम्मिलित किया जाना चाहिये लेकिन उस अवधि मे उपभोग किया गया असाधारण अवकाश का कोई समय, उस प्रयोजन के शामिल नही किया जावेगा।

(3) सिद्धान्त के रूप में तथा नियम 203 की समानता के आधार पर अस्थाई सेवा के भीतर उपार्जित अवकाश पर बिताये गये समय का आधा समय अपने आप स्वतः ही पेन्शन के योग्य गिना जावेगा। अस्थाई सेवा मे उपभोग किये गये भत्तों सहित अन्य अवकाशों का आधा समय भी सेवा नियम 204 मे निर्धारित सीमाओं की शर्त पर, स्थाई या अर्द्ध-स्थाई सेवा मे उपभोग किये गये ऐसे अवकाश के समय के साथ मे पेन्शन के लिये गिना जावेगा। फिर भी, भत्तों रहित उपभोग किये गये असाधारण-अवकाश का कोई हिस्सा किसी भी रूप मे पेन्शन के लिये नही गिना जावेगा।

टीकाः—उक्त नियम तथा उसके अन्तर्गत टिप्पणियां एवं राजकीय निर्णय वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (13) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 13-2-79 द्वारा 31-1-1979 से विलोपित कर दिये गये हैं।

नियम 204-एः – फिर नियम 203 एवं 204 मे कुछ दिये गये अनुसार (असाधारण अवकाश को छोडकर) भत्तो के साथ अवकाश पर बिताया गया समय उन राज्य कर्मचारियो की सेवा के रूप मे गिना जावेगा जो 25 जनवरी 1962 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त किये जावेगे।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि असाधारण-अवकाश भी पेशन-योग्य सेवा के रूप मे, प्राधिकारी के निर्णय पर निम्न-परिस्थितियों मे गिना जा सकता है।

(i) यदि यह चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर लिय गया हो।

(ii) यदि वह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी ने नागरिक-अशाति या प्राकृतिक-प्रकोप के कारण कर्त्तव्य पर उपस्थित होने अथवा पुन: उपस्थित होने मे असमर्थ होने के कारण लिया हो किन्तु उसके लेखे मे किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश बकाया नही होना चाहिए।

(iii) यदि वह उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के लिये लिया गया हो। स्थायी नियुक्ति करने को सक्षम-प्राधिकारी इन आदेशो के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होंगे। ये आदेश इसके जारी किये जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे।

राजस्थान सेवा नियमो मे उपरोक्त परिस्थितियो मे असाधारण-अवकाश पैशन के लिए गिने जाने का औपचारिक सशोधन पृथक से किया जाएगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 29-7-70 (जो सरकारी निर्णय संख्या-1 के) की प्रभावसीमा के बारे में सदेह उत्पन्न किये गये हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि असाधारण-अवकाश की अवधि को पैशन योग्य सेवा के रूप मे गणना की जावे अथवा नही के बारे मे सक्षम-अधिकारी के समक्ष जब कभी ऐसा मामला उत्पन्न होवे तब उसी समय स्पष्ट आदेश प्राप्त कर लेना चाहिये, बाद में नही।

उपरोक्त आदेश के उपबन्ध उन समस्त सरकारी कर्मचारियो पर लागू होंगे जो 29-7-1970 को अथवा उसके बाद राज्य सेवा मे है और उनके द्वारा उनके सेवाकाल मे लिए गये असाधारण-अवकाश को पेशन योग्य-सेवा मे गणना करने के प्रश्न पर समक्ष प्राधिकारी उक्त आदेश मे दिये गये सिद्धान्तो के आधार पर निर्णय करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो अधिकारी स्थाई नियुक्ति करने मे समक्ष है वह पिछले मामलों का पुनरावलोकन करने मे भी सक्षम है। पूर्व मे जिन मामलो पर निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुनः नही खोला जावे।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (48) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 9-3-1973 द्वारा निविष्ट]

टीकाः—यह नियम तथा राजकीय निर्णय संख्या 1 तथा 2 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ. 1 (13) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 13-2-79 द्वारा 31-1-79 से विलोपित कर दिये गये हैं।

नियम 205 : प्रशिक्षण में व्यतीत समयः—(क) एक ऐसे अधिकारी के मामले में जिसमें राजकीय-सेवा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नया व्यक्ति (जो वास्तव में राजकीय-सेवा में नियुक्त नही हुआ था वह भी सम्मिलित है) जिसका प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये चयन कर लिया गया है, सरकार अपनी इच्छानुसार यह तय करेगी कि क्या प्रशिक्षण में विताए गये समय को पैन्शन-योग्य सेवा के रूप में गिना जावेगा ?

(ख) जब एक कर्मचारी कर्त्तव्य पर भारत के बाहर प्रतिनियुक्त हो जाता है तो भारत के बाहर अनुपस्थित रहने का वह सम्पूर्ण-समय पेंशन-योग्य समझा जावेगा। जब एक कर्मचारी भारत के बाहर अवकाश पर जाता है तथा अवकाश के समाप्त होने पर उसे सेवा पर वहीं नियुक्त कर दिया जाता है या रोक लिया जाता है तो इस प्रकार की नियुक्ति या ठहरने का समय भी पेंशन के लिए गिना जाता है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—विचाराधीन पेन्शन के मामलों पर शीघ्रतम निर्णय करने के उद्देश्य से राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि जो अध्यापक पहिले से ही स्थाई हो चुके है तथा 1-12-54 से पूर्व-सेवा-निवृत्त किए जा चुके है उनके द्वारा प्रशिक्षण मे बिताया गया समय उन्हे ऐसी अवधि मे अध्ययन-वृत्ति दिये जाने पर ही, पेशन प्रयोजनो के लिए योग्य-सेवा के रूप में समझा जावेगा किन्तु शर्त यह है कि वह राज्य की स्थाई सेवा में बिना किसी व्यवधान के निरन्तर बना रहे।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राज्यपाल ने उक्त छूट उन अध्यापकों को भी प्रदान की है जो 1-12-54 के बाद सेवा से निवृत्त किए गए है।

खण्ड 2 : सेवा में निलम्बन, त्यागपत्र, सेवा-व्यवधान एवं कमियां

नियम 206 : निलम्बन में बिताया गया समयः—चालू जाच को विचाराधीन रखते हुए निलम्बन में बिताया गया समय पेन्शन के लिए पूरा गिना जावेगा यदि जाच कर चुकने पर राज्य कर्मचारी पूर्णतया निर्दोष साबित हुआ हो या जिसको निलम्बित किया जाना पूर्णतः अनुचित पाया गया हो। अन्य मामलों मे, निलम्बन का समय पेन्शन योग्य सेवा में सम्मिलित नही किया जावेगा जब तक नियम 54 के अन्तर्गत आदेश जारी करने वाला सक्षम-प्राधिकारी यह स्पष्ट रूप से घोषित नहीं कर देता है कि वह समय पेन्शन में गिना जावेगा, और तब ही यह निलम्बन का समय उतनी मात्रा में पेन्शन के योग्य गिना जावेगा जितना सक्षम-प्राधिकारी घोषित करे।

X **नियम 207:**—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (88) वि० वि० (क) (आर) 62 दिनांक 6-8-63 द्वारा विलोपित।

नियम 208:—त्यागपत्र, निष्कासन या दुराचरण के कारण हटाया जानाः—(क) लोक सेवा से त्याग-पत्र देना या दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित करना या सेवा से हटावा, दिवालियापन, कार्य में अदक्षता, जो आयु के कारण न हो, या निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नही कर सकना, आदि पिछली सेवाओं को समाप्त करते हैं।

(ख) स्थाई या अस्थाई रूप में अन्य पद पर नियुक्ति के लिए एक पद से त्याग-पत्र दिया जाना, जिसमें सेवा पूर्ण या आशिक रूप में पेन्शन योग्य गिनी जाती है, लोक-सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ नहीं होता है।

ऐसे मामलों मे जिनमें दोनों नियुक्तियां भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने के कारण सेवा मे व्यवधान होना आवश्यक हो, यदि वह व्यवधान स्थानान्तरण पर नियमानुसार देय कार्य-ग्रहण-काल से अधिक न हो तो उसे उतने समम का अपना बकाया, किसी भी प्रकार का, अवकाश स्वीकृत किया जाकर पूरा किया जावेगा या नियम 212 के अन्तर्गत उस सीमा तक टूट को जोड़ दिया जावेगा जो अवकाश के स्वीकृत समय से नियमित न होता हो।

नियम 209:—(क) एक कर्मचारी जो राजकीय सेवा से निष्कासित किया गया है, हटाया गया है, या अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया है, परन्तु जो अपील या पुनःवीक्षा पर पुनः

नियुक्त हो जाता है, तो वह अपनी पूर्व की सेवाओं को पेन्शन के लिए गिनाने का अधिकारी है।

(ग) राजकीय सेवा से निष्कासित किये जाने या हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त किये जाने, जैसी भी स्थिति हो, एवं राज सेवा में पुनर्नियुक्त होने के बीच का निलम्बन-समय (यदि कोई हो) उस समय तक पेंशन योग्य नहीं समझा जावेगा, जब तक पुनर्नियुक्ति करने वाले सक्षम-प्राधिकारी के विशेष आदेशों द्वारा वह समय सेवा या अवकाश के रूप में नियमित नहीं कर दिया जाता है।

नियम 210 : सेवा में व्यवधान, गत-सेवा को समाप्त करता है, इसके अपवादः—

निम्न-लिखित मामलों को छोड़कर, एक अधिकारी की सेवा में हुवा व्यवधान उसकी पूर्व की सेवाओं को समाप्त करता है—

(क) अनुपस्थिति का अधिकृत अवकाश।

(ख) अनुपस्थिति के अधिकृत अवकाश के क्रम में अनाधिकृत अवकाश जब तक अनुपस्थित रहने वाले का रिक्त स्थान स्थाई रूप से नहीं भर लिया जावे। यदि उसका पद स्थाई रूप से भर लिया गया हो तो अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी की पूर्व की सेवायें पेन्शन के लिए समझी जाती है।

(ग) निलम्बन काल, यदि बाद में शीघ्र ही पुनः प्रस्थान आदेशों द्वारा मिला दिया जावे, चाहे वह उसी पद पर हो या अन्य पद पर, अथवा जहां अधिकारी निलम्बन काल में मर जाता है या उसे सेवा-निवृत्ति की स्वीकृति दे दी जाती है या सेवा निवृत्त कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरणः—कुछ स्थानों पर सन्देह प्रकट किये गये है कि क्या राजस्थान सेवा नियम 210 (ग) के नियम 56 (ख) के साथ सम्बन्ध है ? यह ध्यान मे लाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 56 (ख) मे दिया हुआ है कि एक कर्मचारी जो दुर्व्यवहार के कारण निलम्बित किया गया है, उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु का हो जाने पर भी सेवा-निवृत्त नही होने दिया जावेगा या सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति नही दी जावेगी तथा उसे सेवा मे उस समय तक रखा जावेगा जब तक उस पर लगाये गये आरोपो की जाच पूर्ण न हो जाने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जावे। नियम 210 (ग) मे उन अधिकारियों का वर्णन किया गया है जिन्हें निलम्बन काल मे सेवा से निवृत्त होने की आज्ञा दे दी जाती है या जो सेवा-निवृत्त हो गये है। इस सम्बन्ध मे सन्देह को दूर करने के लिए निम्न-प्रकार स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाता है:—

वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियमो के नियम 14 के अनुसार कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति, निलम्बन काल में भी प्रभावशील हो सकती है। यह उन मामलों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत लेता है जो नियम 210 (ग) संशोधित रूप से प्रस्तुत करता है। अतः यह खण्ड निलम्बन-काल मे सेवा-निवृत्ति के मामलो को अपने क्षेत्राधिकार मे लेता है चाहे वह सेवा-निवृत्ति, जाच पूरी हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति के पूर्व या बाद में की जाती हो। इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियम 56 (ख) का अभिप्राय कर्मचारी को केवल उसके अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख आ जाने के कारण, उसके निलम्बन काल मे उस समय तक सेवा-निवृत्ति से रोकना है जब तक अन्तिम आदेश जारी न कर दिये जायें। निलम्बन काल मे कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने या उसे सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति देने का प्रश्न उसी समय उठता है जब जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो न कि इससे पहले। उक्त स्थिति से स्पष्ट होगा कि रा.से. सेवा नियम 210 (ग) एव 56 (ख) के प्रावधानो मे कोई मतभेद नही है।

(घ) संस्थापन-वर्ग की कमी के कारण पद की समाप्ति या नियुक्ति की हानि।

(ङ) सरकार के नियन्त्रण में एक संस्थापन वर्ग का पेन्शन के अयोग्य-सेवा में स्थानान्तरण एक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि एक अधिकारी इच्छा-पूर्वक पेंशन योग्य सेवा त्यागना चाहे तो वह इस अपवाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा। अनुदान प्राप्त विद्यालय में स्थानान्तरण पूर्व की सेवाओं को जब्त (फोरफीट) करता है।

(च) एक पद से दूसरे पद पर जाने के लिए समय, वशर्ते अधिकारी सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों से स्थानान्तरित किया गया है या यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो अपने पुराने कार्यालय के अध्यक्ष की सहमति से स्थानान्तरित किया जाता है।

टिप्पणी:—(1) एक कर्मचारी जो पद की समाप्ति पर सेवा से हटा दिया जाता है, वह इस नियम के खण्ड (घ) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है चाहे समाप्त किया गया पद वह पद न हो जिसे उसने धारण किया हो या कोई विशिष्ट संस्थापन का न हो जिस पर वह वास्तव में कार्य कर रहा था।

(2) अवकाश के बाद अधिक दिन ठहरने का समय पेंशन के लिये नही गिना जाता है।

(3) एक कर्मचारी की पूर्व सेवा समाप्त कर दी जावेगी यदि नया पद, जिस पर वह स्थानान्तरित हुआ है, उस समय तक सृजित नहीं किया गया था, जिस समय उसने उस पद पर कार्यभार सम्भाला था। उस स्थिति में नियम 212 के अन्तर्गत सेवा को जोड़ना आवश्यक होगा।

(4) कार्य-ग्रहण-काल पेन्शन योग्य नही होता है यदि उस अवधि के कोई भत्ते उसे न मिलते हों।

नियम 211—बिना-अवकाश की अनुपस्थिति के समय का भत्तों-रहित-अवकाश में रूपान्तरण: –पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी पूर्व-प्रभाव से बिना-अवकाश-के-अनुपस्थिति के समय को भत्तों-रहित-अवकाश में रूपान्तरित कर सकता है।

टिप्पणी:- –बिना-अवकाश के अनुपस्थिति के समय को भत्तो रहित अवकाश मे रूपान्तरित करने का अधिकार इस नियम के अन्तर्गत अबाध (सीमारहित) है, नियम का प्रयोजन केवल पेन्शन के प्रयोजन के लिए पूर्व सेवाओं की समाप्ति को बचाना है।

व्यवधानों एवं कमियों को जोडना

नियम 212:—व्यवधानों की टूट को जोड़ना ऐसी शर्तो पर जिन्हें प्रत्येक मामलों में लगाना उचित समझा जावे, सरकार एक राज्य कर्मचारी की सेवा के व्यवधानो को जोड़ सकती है। यह नियम दिनांक 18-12-61 से प्रभाव में आया हुवा समझा जावेगा।

टिप्पणी संख्या 1:—इस नियम के अन्तर्गत टूट के जोडे जाने की शक्तियों के साथ व्यवधानो से पूर्व की गई, किन्तु नियम 208 (क) के अन्तर्गत समाप्त की गई सेवा को, पुनः पेन्शन योग्य सेवा बनाने की शक्तिया भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी संख्या 2:—व्यवधानों को टूट को जोड़ा जाना उस समय तक स्वीकृत नही किया जावेगा जब तक ऐसा करने के लिए पर्याप्त-उचित कारण न हो अर्थात् यदि यह बतलाया जा सके कि कर्मचारी ने प्रथम बार मे कई उचित कारणों से सेवा से त्याग पत्र दिया है/था। यदि उसे अपने नियन्त्रण के बाहर के कारणों की विवशता से (उदाहरणार्थ बीमारी आदि के कारणों) उचित समय से पूर्व सेवा छोडनी पड़ी हो तथा पेंशन के लिये उसकी गत समय की योग्य-सेवा को गिने जाने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझा गया हो।

टिप्पणी संख्या 3:—"क्षतिपूरक भत्तों" की स्वीकृति एक प्रकार से दयामूलक का कार्य होने के कारण सेवा की कमियो को जोडने के रूप मे और भी रियायत देना उचित नही होगा। अतः यह अवाछनीय है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को ऐसे मामलों मे सेवा को जोड़ना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 4.—अस्थायी-सेवा-अवधि एव स्थायी-सेवा-अवधि अथवा अस्थाई-सेवा-अवधि के दो भागो के व्यवधान (टूट) को जोडना इस नियम के अधीन स्वीकार्य है।

टिप्पणी संख्या 5:—उस राज्य-कर्मचारी के मामले मे जो अध्यापन कार्य मे किसी विद्यालय/महाविद्यालय में से राज्य-सरकार की सेवा मे तथा बाद मे पूर्व के पद पर ही पुनः नियुक्ति दे दी जाती है तो ऐसा कर्मचारी विश्रामकालीन-अवधि का अवकाश राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या-1 के अनुसार विश्रामकालीन-अवधि का अवकाश प्राप्त करता है तो ऐसे कर्मचारी की अस्थायी सेवा एवं स्थायी/अस्थायी सेवा के बीच की अवधि मे सेवा के व्यवधानो को जो उसके नियुक्ति-आदेशो के जारी करने में विलम्ब होने के कारण होता है तथा जब सेवा के ऐसे व्यवधान एक माह की अवधि से अधिक के नही हों तो उन्हे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा जाचा जा सकता है तथा कन्डोन किया जा सकता है।

टीका:—[अधिसूचना संख्या एफ 1 (9) वि. वि (ग्रुप-2) 79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 31-1-79 से टिप्पणी क्रमांक 4 प्रति-स्थापित की गई तथा टिप्पणी क्रमांक 5 नई जोड़ी गई है।]

टिप्पणी संख्या 6:—वह प्राधिकारी जो सेवा के व्यवधानो को जोड़ने के लिये सक्षम हो वहीं इस नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी की व्यवधान से पूर्व की पेन्शन-योग्य-सेवा तथा उसके बाद की पेंशन-योग्य-सेवा को राजस्थान सेवा नियम 187, 188, 188-ए तथा 188-बी के अन्तर्गत पेन्शन के लाभों के प्रयोजनार्थ उस सेवा-अवधि के पेंशन-योग्य-व्यवधानों को जोड सकता है।

[अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (9) वि वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 31-1-79 द्वारा निविष्ट]

टीका:—पाठकों की सुविधा के लिये सेवा नियम 212 के अन्तर्गत व्यवधानों (टूट) को जोडने के अधिकारों का उल्लेख यहां निम्न-प्रकार किया जाता है:—

(राजस्थान सेवा नियम-परिशिष्ठ-IX)

क्र	सेवा नियम क्रमांक	कार्य/अधिकार का विवरण	किस प्राधिकारी को प्रदत्त किये गये	प्रदत्त अधिकारों की सीमा/शर्तें
1	2	3	4	5
30	212	सेवा के दो भाग (स्पेल्स) जो स्थायी सेवा अथवा स्थायी/अस्थायी सेवा अथवा अस्थायी सेवा के दो भागों की टूट को जोड़ने के बारे में।	राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग	निम्न-अंकित शर्तों के अधीन पूर्ण शक्ति/अधिकार (i) सेवा की टूट/व्यवधान [illegible] (ii) [illegible]

1	2	3	4	5
				है) 5 वर्ष की अवधि से कम की नहीं होनी चाहिये तथा उन मामलों में जहां सेवा के ऐसे व्यवधान/टूट दो अथवा दो से अधिक हों तो कुल-सेवा संबंधी पेंशनो के लाभ, यदि पूर्व की सेवा नहीं जोड़ी जाय तो 5 वर्ष से कम पेन्शन संबंधी लाभ नही होना चाहिये। दूसरे शब्दों में यदि सेवा के व्यवधान एक से अधिक हों तो उनको तभी जोड़ा जाना चाहिये जब समस्त व्यवधानों को जोड़ने के लिये पेन्शन योग्य सेवा 5 वर्ष से कम की नही बनती हो।
				(iii) सेवा का व्यवधान/टूट कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये। उन मामलो में जहा सेवा के व्यवधान दो अथवा दो से अधिक हो तो उन समस्त व्यवधानों, जिन्हें जोड़ा जाना हो, कि अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिये किन्तु यह भी शर्त है कि इन अधिकारो का प्रयोग उन मामलों में नही किया जावेगा जहां सेवा के व्यवधान/टूट एक राज्य-कर्मचारी के सेवा से बर्खास्त करने, निष्कासित करने,

1	2	3	4	5
				कमी में आ जाने अथवा किसी भूतपूर्व-देशी-राज्य की सेवा में रहते हुए दिये गये त्याग-पत्र के कारण (सेवा में टूट) हुई हो तथा वह राज्य राजस्थान में मिला हो। इसके अतिरिक्त जागीर/ठीकानों की सेवाएँ अथवा भूतपूर्व अजमेर/बम्बई एवं मध्य-भारत के किसी राज्य की सेवा में रहते हुए दिये गये त्याग-पत्र की टूट, जब कि कर्मचारी राजस्थान-राज्य पुनर्गठन के कारण नियुक्त हो गया हो।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 2-4-79 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित-किया गया]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 212 के अधीन सेवा में व्यवधानों पर साधारणतया सेवा-निवृत्ति के समय पर ही विचार किया जाना चाहिये। चूंकि ऐसे मामलों में निर्णय लेने में पेंशन-क्लेमों को अन्तिम रूप से निपटाने में विलम्ब होता है। अतः यह निर्णय किया गया है कि सेवा की टूट को जोड़ने के मामले पर सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में भी विचार किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियम 212 के [illegible] व्यवधानों के अधीन सेवा में व्यवधान को जोड़ने के बाद कर्मचारी सरकार के अधीन परवर्ती सेवा के [illegible] पहिले की सेवा को भी गिन सकता है किन्तु यदि उसने कोई सेवा-निवृत्ति-लाभ प्राप्त किये हों तो उन्हें [illegible] मद में जमा (रिफन्ड) कर दिया जाना चाहिये। यह देखा गया है कि सामान्यतया सरकारी-कर्मचारी [illegible] व्यवधान जुड़ाने के लिये सेवा-निवृत्ति के समय आवेदन करते हैं तथा इस प्रकार वे पर्याप्त [illegible] पूर्व-सेवाओं के सम्बन्ध में [illegible] निवृत्ति लाभों को अपने पास ही रखते है।

अतः यह निश्चय किया गया है कि यदि पूर्व सेवा को [illegible] लिया जाना चाहिए [illegible] को सेवा-निवृत्ति लाभो को, जो उन्होंने प्राप्त किये हैं, [illegible] वापिस करना है, उस समय तक 5% प्रति वर्ष की दर से [illegible] सरकार को [illegible]

ये आदेश इसके जारी होने की तारीख से [illegible]

राजकीय निर्णय संख्या 3:—वित्त विभाग के [illegible] 1 (67) [illegible] 27-10-1970 के अनुसार सरकारी कर्मचारी [illegible] के लिये [illegible]

यह प्रश्न उठाया गया कि यह ब्याज जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से वसूल किया जावेगा, वह साधारण या चक्रवृद्धि दर से होगा। इस मामले मे विचार करने के बाद यह निश्चित किया गया है कि कर्मचारी से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर केवल साधारण होगी।

[विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (67) वि वि. (नियम) 70 दि. 30–12–71 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 4:—राजस्थान सेवा नियम 212 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या चार के अनुसार पेन्शन के प्रयोजनार्थ अस्थायी सेवा को गिने जाने हेतु सेवा में व्यवधान को जोड़ा जाना स्वीकार्य नही है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के एक अस्थाई कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो 1–8–45 के बाद अपनी अस्थाई सेवा की समाप्ति पर सबधित आदेशो के अधीन ग्रेच्यूटी के लिये अधिकृत था किन्तु उसे उसका भुगतान नही किया गया या भुगतान किया गया किन्तु वापिस लौटा दिया क्योंकि उसे उसकी सेवा समाप्ति से एक माह के भीतर समान पद पर नई नियुक्ति प्रदान करदी गई थी। क्या उसके मामले मे अस्थाई सेवा एवं परवर्ती स्थाई सेवा के बीच व्यवधान को जोड़े जाने की अनुमति दी जा सकती है?

मामले की जाच करली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि सेवा में रहते हुए ऐसे मामलों को नियुक्ति-प्राधिकारियो द्वारा जोडा जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि व्यवधान एक माह से अधिक का नहीं हो तथा सबधित कर्मचारी उसकी अस्थाई सेवा समाप्ति पर उसे भुगतान की गई ग्रेच्यूटी की राशि यदि कोई हो, को वापिस लौटा देता है।

[वि. वि. की आज्ञा संख्या एफ. 1 (57) वि वि (नियम)/68 दिनांक 3–8–70 द्वारा निविष्ट]

आडिट निर्देशन:—एक राज्य कर्मचारी को पेन्शन स्वीकार करने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस नियम के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को पेन्शन के अयोग्य सेवा के तथा परवर्ती पेन्शन योग्य सेवा के बीच के समय के व्यवधान को नियम 187, 188, 194 (ख) एवं 194 (ग) के अन्तर्गत पूर्व सेवा को पेन्शन के लिये योग्य बनाने के प्रयोजन से जोड़ सकता है।

नियम 213 : कमियों (डेफिशियेन्सी) को पूर्ण करना:—ऐसी शर्तो पर जिन्हे लगाया जाना उचित समझा जाए, एक सक्षम-प्राधिकारी कम-वेतन-पाने-वाले ऐसे राज्य-कर्मचारी की सेवा की कमियों को जोड़ सकता है, जो असमर्थता या क्षतिपूरक पेन्शन पर जा रहा हो किन्तु वह अवधि 12 माह से अधिक नही होगी।

टिप्पणी:—(1) "कमी" शब्द में केवल उतनी ही अवधि को सम्मिलित नही किया जाता है जो अधिकारी को पेन्शन योग्य सेवा की न्यूनतम आवश्यक अवधि मे कम पड़ती है। किन्तु इसमे पेंशन की न्यूनतम देय राशि प्राप्त करने के लिये आवश्यक सेवा की कुल अवधि के बीच के अन्तर को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(2) इस नियम का अभिप्राय उन राज्य कर्मचारियों को पूर्ण पैंशन पर उनकी स्वेच्छा से समय के पूर्व ही सेवा-निवृत्त करने से नहीं है जो अन्यथा प्रकार से समय पर सेवा से निवृत्त किये जा सकते थे।

(3) इस नियम मे पेंशन शब्द का प्रयोग ग्रेच्यूटी के विरूद्ध मे नही किया गया है वल्कि उसे इसमे सम्मिलित किया गया है।

(4) इस नियम के प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नही होगे जो सेवा से 18–12–61 को या उसके बाद निवृत्त हो रहे हो।

राजकीय निर्णय:— इस नियम के अन्तर्गत सेवा की कमी को जोड़ने मे (क) पैंशन योग्य सेवा के वर्षों मे

किसी वर्ष की पूर्ती करने के लिये कमी का जोड़ना भी सम्मिलित है तथा पैशन के लिये योग्य आवश्यक सेवा की न्यूनतम अवधि को पूरा करने, तथा उपरोक्त टिप्पणी (1) के अन्तर्गत पैंशन की अधिकतम राशि प्राप्त करने के लिये आवश्यक सेवा की अवधि को पूर्ण करने के लिये, कमी को जोड़ने तक सीमित है। महालेखाकार के परामर्श से यह तय किया गया है कि निर्धारित प्रतिबन्धो की शर्त पर बीच की किसी भी स्थिति पर सेवा की कमी को पूरा करने की स्वीकृति मे ये नियम किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगाते है और न कोई बाधा उत्पन्न करते है।

निर्देशन. – राजस्थान सेवा नियम 213 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (2) में यह दिया गया है कि इस नियम का अभिप्राय उन कर्मचारियो को पूर्ण-पेन्शन पर उनकी स्वेच्छा से समय के पूर्व ही सेवा-निवृत्त करने से नही है जो अन्यथा प्रकार से सेवा से निवृत्त किये जा सकते थे। कमियो के क्षमादान (कन्डौन) मे सेवा एवं पैंशन की राशि को जो सेवा की अवधि के आधार पर निश्चित की जा सके, तथा जिसमे वर्ष का भाग पेन्शन की गणना मे सम्मिलित नही किया जा सके, के लिये नियमों के प्रावधानो में शिथिलता करना भी सम्मिलित है।

ऐसे भी मामले हो सकते है जहा राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा मे अधिक उम्र मे प्रविष्ट हुए हों। ऐसे मामलो मे कुछ भी असाधारण बात नही होगी यदि वह थोडे समय की सेवा पूर्ण करने के बाद ही सेवा से निवृत्त किया जा सकता हो (1) ग्रेच्यूटी के विपरीत पेन्शन के लिए न्यूनतम योग्य सेवा को पूर्ण करने के लिये या (2) उसकी पेन्शन योग्य सेवा एव नियमो के अन्तर्गत प्राप्य पेंशन की अधिकतम राशि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कुल सेवा अवधि के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये कमी को पूर्ण किया जाना अनियमितता है।

इस प्रकार के प्रस्ताव नही किये जाने चाहिये जब तक सामान्य नियमो की अवहेलना को उचित ठहराने वाली बहुत ही असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न न हो गई हों।

अध्याय 20

पेन्शन स्वीकृत करने की शर्तें

खण्ड 1:—पेन्शनों का वर्गीकरण

नियम 214 : उच्च सेवा के लिए पेन्शनों का वर्गीकरण:—पेन्शनें चार वर्गों में विभाजित की गई है। उनके लिए नियम इस अध्याय के निम्न-खण्डों में निर्धारित किये गये है:—

(क) क्षतिपूरक पेन्शन—(देखिये खण्ड–2)

(ख) अयोग्यता पेन्शन—(देखिये खण्ड–3)

(ग) अधिवार्षिकी पेन्शन—(देखिये खण्ड–4)

(घ) सेवा निवृत्ति पेन्शन—(देखिये खण्ड–5)

(यह नियम दिनांक 1–10–62 से प्रभावशील किया हुआ समझा जावेगा)

नियम 215 : क्षतिपूरक पेन्शन स्वीकृत करने की शर्तें:—यदि एक कर्मचारी को अपने स्थाई पद के समाप्त कर दिये जाने के कारण हटाये जाने के लिए चुन लिया जाता है तो जब तक वह अन्य ऐसे पद पर नियुक्त नही हो जाता है जिसकी शर्तें सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम उस कर्मचारी के द्वारा धारण किए गये पद के समान मानली गई हों, तो वह—

(क) किसी क्षतिपूरक पेशन या ग्रेच्यूटी के लिए विकल्प भर सकता है जिसको वह अपने द्वारा की गई सेवा के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है, या

(ख) ऐसे वेतन पर अन्य पद की नियुक्ति को स्वीकार करने का, जो उसे प्रदान की जाएं, एवं पेंशन के लिए अपनी पूर्व-सेवा के लिये गिने जाने का विकल्प भरा जा सकता है।

टिप्पणी:—यदि कोई राज्य कर्मचारी सार्वजनिक हित की दृष्टि से एवं सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से पेन्शन-के-लिये अयोग्य-पद पर स्थानान्तरित किया जाता है तो वह क्षतिपूरक पेन्शन के लिये अधिकृत है यदि वह उस पेन्शन के लिये ऐसे पद के समाप्त होने पर सेवा से मुक्त हो जाता हो।

निर्देशन—स्थाई पदों के समाप्त करने पर राज्य कर्मचारियों के अन्तर्लीन (एब्जार्वेशन) करने का तरीका—सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये गये हैं जिनमे राजस्थान सेवा नियम 215 के प्रावधानों का पालन उस स्थिति में नही किया गया है जब एक कर्मचारी, अपने द्वारा धारण किये गये पद के समाप्त होने पर, निम्न पद पर नियुक्त किये जाने के लिये चुन लिया गया हो एव इसमे भी नियम का पालन नही किया जाता है कि कर्मचारी को नये पद पर नियुक्ति के समय उसे दिये गये वेतन से सूचित नहीं किया जाता है जबकि उक्त नियम के खण्ड (ख) के अन्तर्गत ऐसा किया जाना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार के पास उन कर्मचारियों को उस पद के वेतन को सुरक्षित करने के मामले भेजे जा रहे हैं जिन्हें कर्मचारी अपने अन्तिम स्थाई पद पर धारण करते हुए प्राप्त कर रहे थे। यह निर्देश दिया जाता है कि जब एक अस्थाई पद समाप्त कर दिया जावे, तो स्थाई कर्मचारी को, जहां तक सम्भव हो, उसके बराबर के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। एक समान पद पर नियुक्त हो जाने पर उसका वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 (क) (ii) में दिये गये सिद्धान्तो के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये।

जहा एक राज्य कर्मचारी को एक समान पद पर एब्जार्व करना सम्भव न हो तो कर्मचारी द्वारा उक्त नियम मे कहे गये दोनों विकल्प प्रस्तुत किये जाने चाहिये । अर्थात् (1) ऐसी क्षतिपूरक पेन्शन या ग्रेच्युटी को लेने का विकल्प, जिसको वह अपने द्वारा पहिले की गई सेवा के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है, या (2) ऐसे वेतन पर अन्य पद की नियुक्ति को स्वीकार करने का विकल्प, जो उसे प्रदान की जाये । नये पद पर वेतन दिये जाने के सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि स्थाई पद के समाप्त करने पर राज्य कर्मचारी कोई स्थाई वेतन नही रखता है । नये पद पर उसका प्रारम्भिक वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में उसे एक नये कर्मचारी के रूप में समझा जा सकता है । फिर भी सरकार, वेतन शृंखला मे उसी स्टेज पर उसका वेतन निश्चित कर सकती है परन्तु यह वेतन राज्य कर्मचारी द्वारा अन्तिम पद पर प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन से अधिक नही होगा । फिर भी, यह वेतन उस नये पद की वेतन शृंखला की अधिकतम राशि तक सीमित रखा जावेगा, जिस पर वह नियुक्त हुआ हो ।

नियम 216 : सस्थापन की कटौती पर प्रक्रियाः—संस्थापन वर्ग में कमी होने पर राज्य कर्मचारियों को पद से हटाने का चयन प्रथम बार ही ऐसा किया जाना चाहिये कि क्षतिपूर्ती के लिये बहुत कम व्यय करना पड़े ।

नियम 217:—एक कर्मचारी को एक पद से उस पर एक अन्य अच्छे योग्य व्यक्ति के चयन के लिये हटाया जाना नियम 215 के अर्थ से उस पद को समाप्त किया जाना नही होता है । पद को समाप्त करने का तात्पर्य सरकार के व्यय में वास्तविक बचत करना होना चाहिये । क्षतिपूरक पेंशन के प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर, जो उसके पद को समाप्त करने से बचत हुई है उसका पूरा विवरण साफ बताना चाहिये । बचत हमेशा क्षतिपूरक पेन्शन से ज्यादा होनी चाहिये, नहीं हो सम्भवतः अच्छा यही होगा कि संस्थापन वर्ग की कटौती या पद की समाप्ति को स्थगित कर दिया जावे ।

टिप्पणियां—(1) इस नियम मे वर्णन की गई बचत, पद की समाप्ति के समय मे वास्तिविक रूप से प्राप्त की गई धनराशि को रख कर, निकालनी चाहिए ।

(2) सस्थापन वर्ग के पुनर्गठन की किसी योजना मे परिवर्तन करने से पूर्व पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पेंशन की जो माग पैदा हो सकती हो, उन पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए तथा केवल बहुत ही आवश्यकता के मामले को छोडकर, कर्मचारी वर्ग मे ऐसा कोई परिवर्तन नही किया जाना चाहिए जिससे क्षतिपूरक पेशन के दावे उत्पन्न होते हो एवं जिसका व्यय परिवर्तन के द्वारा की गई बचत से अधिक हो ।

नियम 218 : क्षतिपूरक पेन्शन स्वीकृत करने पर प्रतिबन्धः—एक विशिष्ट पद समाप्त होने पर उप जिलाधीश, मुन्सिफ या अन्य समान अधिकारी जो अपने विशिष्ट स्थानीय नियुक्तियों के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रखते है, किसी प्रकार की क्षतिपूरक पेन्शन प्राप्त नही कर सकते ।

नियम 219:—किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी निर्धारित सीमा तक सेवा कर लेने के बाद, पद की समाप्ति के कारण हटाये जाने पर कोई पेंशन नही दी जावेगी ।

X **नियम 220:**—वि.वि. की आज्ञा सं. 286/वि.वि./58/एफ 7 (30) क/आर/57 दि. 11-3-58 द्वारा विलोपित ।

नियम 221:—स्कूल के अध्यापक या अन्य अधिकारी, जो अपनी अन्य सेवाओं के साथ में किसी भी रूप में डाक विभाग मे नियुक्त हैं, ऐसे कार्यो से मुक्त किये जाते समय उन्हें कोई क्षतिपूरक पेशन नही मिलेगी ।

नियम 222 : सेवा की प्रकृति में परिवर्तन करने पर सेवा से हटाने के लिये विशेष मामलाः—यदि एक कर्मचारी को, उसके पद को सेवा की प्रकृति में परिवर्तन के कारण सेवा से हटाना आवश्यक हो तो मामले को सरकार के पास भिजवाया जाना चाहिये। सरकार इस खण्ड मे दिये गये नियमो के अनुसार उसको सेवा-मुक्त करने के लिये नोटिस देने एवं क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में विचार करेगी।

नियम 223:—यदि एक कर्मचारी दो पदों को धारण किये हुए हो और उनमें से एक पद को समाप्त कर दिया गया हो तथा समाप्त किये गये पद के सम्बन्ध के बारे मे उसने शीघ्र ही पेंशन दिये जाने की इच्छा प्रकट की हो तो मामले को सरकार के पास आदेश प्राप्त करने के लिये, विशेष रूप से भेजा जाना चाहिए।

सेवा-मुक्त करने का नोटिस

नियम 224:—स्थायी राज्य-कर्मचारी को, पद के समाप्त किये जाने पर उसकी सेवा समाप्त करने के पूर्व पर्याप्त समय का एक उचित नोटिस दिया जाना चाहिये। यदि किसी मामले में कम से कम तीन माह का नोटिस नही दिया जा सके तथा जिस तारीख को उसकी सेवायें समाप्त की जाये उस तारीख को यदि अधिकारी अन्य पद पर नियुक्त न किया जा सके तो उस अधिकारी की सेवायें समाप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीन माह से जितने समय का कम नोटिस दिया गया हो उतने समय की ग्रेच्युटी उसे दी जा सकती है। यह ग्रेच्युटी उस पेन्शन के अतिरिक्त दी जावेगी जिसको वह पाने के लिये अधिकृत है किन्तु उसे उस समय की पेंशन नही दी जावेगी जिसमें वह नोटिस के बदले में ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा।

टिप्पणी—(1) इस नियम मे निर्धारित ग्रेच्युटी पद की हानि के लिए क्षतिपूरक के रूप में स्वीकृत नही की जाती है, बल्कि कर्मचारी को उसके पद को अचानक समाप्त कर देने के कारण जो उसे आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होती है उसे दूर करने के दृष्टिकोण से, नोटिस के बदले मे दी जाती है। अतः जब एक कर्मचारी बिना नोटिस दिये हुये एक पद से हटा दिया जाता है पर जिस दिन उसकी सेवाये समाप्त की गई है उसी दिन वह अन्य पद पर अन्य नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, चाहे वह नियुक्ति पेंशन के लिए योग्य हो या अयोग्य, तो वह ऐसी कोई ग्रेच्युटी पाने के लिए अधिकृत नही है।

(2) जब तक इसमे अन्यथा प्रकार से कोई स्पष्ट वर्णन न हो, एक पद या नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश उस समय तक प्रभाव में नही लाया जावेगा जब तक उस अधिकारी को जिसकी सेवाये ऐसे पद के समाप्त होने के कारण, समाप्त की जानी है, नोटिस देने के बाद तीन माह की अवधि समाप्त न हो जाये। सम्बन्धित कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कर्मचारी को ऐसा नोटिस देने मे किसी भी प्रकार की देरी नही की जाये। यदि अधिकारी अवकाश पर हो तो आदेश उस समय तक प्रभावशील नही होगा जब तक उसका अवकाश समाप्त नही हो जाता है।

(3) इस नियम मे प्रयुक्त "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्टस) का तात्पर्य धनराशि या अवकाश-भत्तों (तथा आंशिक रूप में एक व आंशिक रूप मे दूसरे) से है जिसे कर्मचारी विवादग्रस्त समय मे प्राप्त करता रहता यदि उसे वह नोटिस नही दिया गया होता।

(4) यदि सेवा से हटाने के बदले मे कोई वेतन नही दिया जावे तो पेंशन, सेवा मुक्त किये जाने की तारीख से, प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

(5) यदि राज्य कर्मचारी सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सक्षम-प्राधिकारी के आदेशो के अधीन एक पेशन के लिये अयोग्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह उस पेंशन के लिए अयोग्य पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्त किये जाने पर क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

(6) एक स्थाई कर्मचारी, जिसे सेवा से हटाये जाने का नोटिस दिया जा चुका है, को नोटिस देने की तारीख से तीन माह तक उसके "वेतनादि" मे कोई कटौती नही की जावेगी।

(7) एक पद के समाप्त करने पर नोटिस के बदले मे भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी उसी विभाग से दी जानी चाहिये जिसमे उसको वेतन, पद के समाप्त करने के पूर्व, दिया जाता था।

राजकीय निर्णय—"वेतनादि" मे महगाई भत्ते का अश भी शामिल है तथा उस महगाई भत्ते को, नियमों के अन्तर्गत नोटिस के बदले मे भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी या नोटिस दिये गये व्यक्ति को कुल देय धनराशि तय करने मे शामिल किया जाना चाहिए।

नियम 225 : अनुबन्ध के समय में सेवा से हटाया जाना:—अपने अनुबन्ध की शर्त पर सेवा करने वाले अधिकारी की सेवा निश्चित किया जाना जब कभी आवश्यक समझा जावे तो अनुबन्ध के निश्चय की विशिष्ट सूचना एवं उसे निश्चित किये जाने के आधार की सूचना अधिकारी को लिखित मे भेज दी जावेगी।

नियम 226 : पुर्ननियुक्ति का अवसर देना :—यदि अधिकारी नोटिस की तारीख से तीन माह की अवधि में स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया हो तो जो ग्रेच्युटी नियम 224 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, वह क्षतिपूरक ग्रेच्युटी पुर्ननियुक्ति पर नियम 341 व 342 के अनुसार वापिस की जानी चाहिए। किन्तु अधिकारी को इस नियम के अन्तर्गत अपनी ग्रेच्युटी के उस भाग को लौटाने की आवश्यकता नही है जो उसके द्वारा नियुक्ति में विताये गये समय के लिए प्राप्त हुई है, जिसकी ग्रेच्युटी दी जाती है। यदि अधिकारी केवल अस्थाई रूप से पुर्ननियुक्त किया गया है तो उसे अपनी ग्रेच्युटी का कोई भाग लौटाने की आवश्यकता नही है, किन्तु ऐसी अस्थाई नियुक्ति की पूर्व सूचना हो तो ग्रेच्युटी अनुपात रूप से कम कर देनी चाहिए।

नियम 227—नये पद की स्वीकृति—एक कर्मचारी जो क्षतिपूरक पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, क्षतिपूरक पेन्शन के बदले मे लोक-सेवा में दूसरे पद पर नियुक्त होना स्वीकार कर लेता है तथा बाद में किसी भी वर्ग की पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है तो ऐसी पेन्शन की धनराशि उस राशि से कम नहीं होगी जो वह इस नियुक्ति को स्वीकार नही करने पर मांग सकता था।

टिप्पणी—इस नियम में प्रयुक्त "पेन्शन" शब्द मे ग्रेच्युटी भी शामिल है तथा यह नियम उच्च श्रेणी पद पर पेन्शन या ग्रेच्युटी के लिए चतुर्थ-श्रेणी-सेवा के लिए पेन्शन या ग्रेच्युटी के लिए नियम 201 के अन्तर्गत आने वाले नियमों पर लागू होता है।

खण्ड–3

अयोग्यता-पेंशन

नियम 228 : अयोग्यता पेंशन स्वीकृत करने की शर्त :—अयोग्यता-पेंशन एक ऐसे कर्मचारी को उसके राज्य-सेवा से निवृत्त करने पर दी जाती है जो शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के

कारण सेवा करने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो गया हो या उस शाखा की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया हो जिस पर वह कार्य करता है।

राजकीय निर्णय—एक मामला सरकार के ध्यान मे लाया गया है जिसमे एक कर्मचारी को उसकी बिगड़ी हुई कार्य-दक्षता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किए जाने का विचार किया गया किन्तु कर्मचारी को चिकित्सा-मण्डल के पास जांच के लिए भेजा गया। चिकित्सा-मण्डल ने उसे आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया तथा विशेष विवरण प्रस्तुत किया कि उसे 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवा से निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। यहां पर राजस्थान सेवा नियम 228 एवं 244(2) के लागू किए जाने में सन्देह उत्पन्न होता है। नियम 228 एक ऐसे कर्मचारी को अयोग्यता पेन्शन दिलवाता है जो शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के कारण सार्वजनिक सेवा करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या उस शाखा की सेवा करने में अयोग्य हो गया हो जिसमें यह कार्य करता है। इस नियम के अन्तर्गत 25 वर्ष तक सेवा करने का कोई प्रतिबन्ध नही है। एक कर्मचारी जो शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के कारण सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसे उसी तारीख से, इस नियम के अन्तर्गत, सेवा से निवृत्त कर देना चाहिये जिससे उसकी अयोग्यता प्रमाणित की गई है।

इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत एक ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जाता है जिसने 25 वर्ष की पेन्शन योग्य सेवा कर ली है तथा जिसकी कार्य कुशलता नष्ट हो गई है किन्तु जिसके विरुद्ध कार्य में अदक्षता के औपचारिक आरोप लगाना उचित नही समझा गया हो या जो पूर्ण रूप से कार्यकुशलता खो बैठा है किन्तु उस सीमा तक नहीं कि उसे इस नियम (नियम 228) के अन्तर्ग सेवा से निवृत किया जावे। इस नियम 244 (2) के अनुसार सेवा-निवृत्ति तभी की जा सकती है जब कर्मचारी ने 25 वर्ष की पेन्शन योग्य सेवा करली हो।

नियम 229 : चिकित्सा-प्रमाण-पत्र की कब तथा किससे आवश्यकता होती है :—(क) निम्न-लिखित द्वारा अभिलिखित अयोग्यता के चिकित्सा-प्रमाण-पत्र को छोड़कर, अयोग्यता पेन्शन के किसी भी क्लेम पर विचार नहीं किया जावेगा।

(1) सभी राजपत्रित-कर्मचारियों के सम्बन्ध मे चिकित्सा-मंडल द्वारा अभिलिखित चिकित्सा-प्रमाण-पत्र एवं,

(2) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या समान स्तर के चिकित्सा-अधिकारी द्वारा अभिलिखित चिकित्सा-प्रमाण-पत्र।

(ख) सेवा की अयोग्यता के लिए कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र उस समय तक स्वीकृत नही किया जा सकता है जब तक प्रार्थी एक ऐसा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें यह स्पष्ट हो कि उसके कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष या कर्मचारी को चिकित्सा-मंडल (मेडिकल-बोर्ड) के सामने उपस्थित होने के विचार से परिचित है। कार्यालय-अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा भी, जिसके अन्तर्गत प्रार्थी नियुक्त है, चिकित्सा-अधिकारी के पास एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें सरकारी अभिलेखों के आधार पर ज्ञात प्रार्थी की आयु का विवरण दिया जावेगा। जहां पर राज्य कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका उपलब्ध हो, वहां अंकित की हुई आय की भी सूचना दी जानी चाहिए।

नियम 230 : रोगी का इतिहास संलग्न किया जाना :—(क) चिकित्सा संबंधी मामले का तथा उसके ईलाज का संक्षिप्त विवरण पत्र, यदि सम्भव हो तो, संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) यदि जांच-कर्त्ता चिकित्सा अधिकारी, चाहे कर्मचारी की साधारण हालत के अनुसार उसे आगे सेवा के लिए सर्वथा अयोग्यता विचारता हो जबकि वह 55 वर्ष से कम का ही क्यों न हो तो उसे अपनी सम्मिति के सम्बन्ध में विशेष-विवरण देना चाहिए तथा यदि सभव हो तो ऐसे मामलों में दूसरे चिकित्सा-अधिकारी की राय भी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(ग) इस किस्म की ,विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष को उसकी विशेष जाच तव ही करानी चाहिए जब कर्मचारी को सेवा के अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव किया हो।

नियम 231 :—एक अधिकारी के मामले मे, जिसकी अभिलिखित आयु 55 वर्ष से कम है, एक साधारण सा यह प्रमाण-पत्र देना कि वृद्धावस्था के कारण या स्वाभाविक जीर्णता के कारण वह पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य है पर्याप्त नहीं होगा, किन्तु एक चिकित्सा अधिकारी जब यह प्रमाणित करे कि कर्मचारी/अधिकारी सामान्य विगडी हालत के कारण अग्रिम सेवा अयोग्य है तो उसे उसकी आयु को कम लिखी जाने के कारणों का वर्णन करने में भी स्वतन्त्रता होगी।

टिप्पणी:—वृद्धावस्था सम्बन्धी मोतिया-विन्द, धमनी सम्बन्धी परिवर्तन जो वृद्धावस्था में शरीर-क्षय के कारण हो, सामान्य शक्ति,-क्षय, विशिष्ट रोगो के समान समझी जावे जो मनुष्य की आयु 55 वर्ष होने के पूर्व भी उत्पन्न हो सकते है।

नियम 232 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र :—(क) जो राज्य कर्मचारी अयोग्यता के लिए प्रार्थना पत्र दें उन्हें निम्न-प्रपत्र में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए "प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने·········क–ख ·········आत्मज (ग–घ)·········जो कि···········में है, की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। उसके स्वय के कहने के आधार पर आयु···········वर्ष है तथा देखने में करीब वर्ष की है। मैं (हम) सोचता/सोचते है कि वह······················(रोग या उसके कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप विभाग में, जिसका उससे सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार को आगे सेवा करने में पूर्णतः एव स्थायी रूप से अयोग्य है। उसकी विमारी मुझे (हमें) उसकी अनियमित एवं असंयमित आदतों के कारण हुई प्रतीत नही होती।"

टिप्पणी:—यदि अयोग्यता असयमित आदतों के कारण है तो अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्न-वाक्य वदल दिया जावेगा। "मेरी राय में उसकी अयोग्यता सीधी उसकी अनियमित या असयमित आदतों के कारण वढ गई है या उत्पन्न हुई है।"

(क) यदि अयोग्यता पूर्ण एवं स्थाई प्रतीत नही होती है तो प्रमाण-पत्र को स्थिति के अनुसार संशोधित कर लिया जावे–'मेरी (हमारी) यह राय है कि "क-ख" अग्रिम सेवा में कम मेहनत की प्रकृति के कार्य के लिये योग्य है जो वह कर रहा है या अमुक अवधि का आराम लेकर उससे और भी कम परिश्रम वाला कार्य लिया जा सकता है।

(ख) अयोग्यता के इस दूसरे प्रमाण-पत्र का उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को यदि सम्भव हो तो निम्न पद/वेतन पर भी नियुक्त किया जा सके ताकि उसे पेन्शन दिये जाने के व्यय से वचा जा सके। यदि उसे निम्न-पद पर भी नियुक्त करने की कोई सम्भावना नही हो, तव उसे पेन्शन स्वीकृत कर देनी चाहिये। किन्तु इस पर विचार कर लेना चाहिये कि क्या उसकी आंशिक-रूप

मे जीविका-कमाने की योग्यता को ध्यान में रखते हुये, यह आवश्यक है कि उसे नियमों के अन्तर्गत देय पूर्ण पेन्शन स्वीकृत की जाये।

राजकीय निर्णय:—वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (24) वि.वि. (श्रे-2)/73 दि. 30-6-1973 द्वारा विलोपित।

नियम 233 :- पुलिस सेवा में विशेष सावधानी :—जो व्यक्ति अधिक समय तक सेवा करने के योग्य है उन कर्मचारियों द्वारा अयोग्यता-पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये जाने के प्रयत्नों के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षकों को ध्यान रखना चाहिए।

नियम 234 :- चिकित्सा-अधिकारियों को निर्देश : चिकित्सा-अधिकारियों को ऐसे पुलिस-मनो को अवकाश की सिफारिश करने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए। जिनको अस्पताल मे अधिक समय तक रोकने से कोई लाभ नही होता हो तब भी उस समय तक यह प्रमाणित नहीं करना चाहिये कि अमुक पुलिस-मैन सेवा के अयोग्य है जब तक उन से सरकारी रूप में अग्रिम सेवा के लिये उसकी अयोग्यता के बारे में रिपोर्ट देने के लिये निवेदन नही किया जावे।

चिकित्सा-अधिकारियों को ऐसी पेंशन के प्रत्येक प्रार्थी की शारीरिक अयोग्यता की जाँच में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए एवं जब कभी पेंशन के लिए प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो, तो वहाँ यदि संभव हो सके तो चिकित्सा-संबंधी जांच दो चिकित्सा-अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

नियम 235:-प्रतिबन्ध:— एक कर्मचारी जो अन्य आधार पर सेवा से हटाया गया है, वह अयोग्यता-पेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है चाहे वह आगे सेवा नही कर सकने की साक्षी में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करे।

यदि अयोग्यता सीधी उसकी अनियमित/असंयमित आदतों के कारण हुई है तो उसे कोई पेशन स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि वह अयोग्यता सीधे उन आदतों के कारण नही है किन्तु उनके द्वारा बढी है या उत्पन्न हुई है तो वह पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा कि वह यह निर्णय करे कि उसकी पेशन की राशि में से क्या कमी की जानी चाहिए।

टिप्पणी—(1) नशे की आदतों से जो दिमाग की गभीरता नष्ट हुई है वह कर्मचारी की अयोग्यता का पर्याप्त कारण है।

(2) इस नियम मे प्रयुक्त 'अनियमित/असयमित" आदतो का अर्थ अनैतिक आदतों से होने वाली बिमारी के कारण अयोग्यता से है। ऐमे मामले जिनमे अयोग्यता अन्य कारणो, जैमे सेवा की आवश्यकताओ के कारण अनियमित घण्टो तक काम करना, जो स्वय की इच्छा से किया गया हो, होती हो, वह इस नियम के अन्तर्गत नही आती है।

नियम 236:-प्रक्रिया :—एक अधिकारी जिसने नियम 229 के अन्तर्गत सेवा करने की अयोग्यता का चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यदि वह सेवा पर है, तो वह सेवा मुक्त करने की तारीख से अयोग्य समझा जावेगा। उसे हटाने का प्रबन्ध चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के प्राप्त करते ही बिना किसी विलम्ब के, किया जाना चाहिए अथवा यदि उसे नियम 81 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो, तो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर उसे सेवा से हटा दिया जावेगा। यदि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय अवकाश पर हो तो उस अवकाश या उसकी वृद्धि, यदि कोई हो, जो उसे नियम 81 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है, के समाप्त होने पर सेवा के लिए अयोग्य समझा जावेगा।

नियम 236:– ए:— जो कर्मचारी इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन 31–10–74 को या इसके पश्चात् अयोग्यता पेंशन पर सेवा-निवृत्त होता है तो अयोग्यता पेंशन की राशि नियम 268(ग) (3) (i) में अंकित पारिवारिक-पेंशन को राशि से कम नहीं होगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(53) वि वि. (श्रे-2)74 दिनांक 2-12-1974 द्वारा निविष्ट एव दिनांक 31–10–1974 से प्रभावशील]

नियम 236:–बी:–इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस सरकारी कर्मचारी के संबंध में जो अयोग्यता पेंशन पर 1–9–76 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होता है तो अयोग्यता पेंशन की राशि नियम 288(ग)(4) में वर्णित पारिवारिक पेंशन की राशि से कम नहीं होगी

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (53) वित्त (ग्रुप-2)/74 दिनांक 1–12–76 द्वारा निविष्ट]

✗ **नियम 237 एवं 238:**– वि. वि की आज्ञा संख्या 2035/58/एफ-7 ए (12) वि.वि. (क) नियम/58 दिनांक 30–10–58 द्वारा विलोपित।

खण्ड–4 : अधिवार्षिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेन्शन

नियम 239 : स्वीकृत करने की शर्तें:—अधिवार्षिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेंशन उन कर्मचारियों को स्वीकृत की जाती है जो सेवा नियम 56 के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किये जाते है। यह आदेश 1–12–62 से प्रभावशील होगा।

टिप्पणियां.—(1) राजकीय वकील इस नियम के अन्तर्गत नही आते है।

(2) एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसका जन्म का वर्ष तो ज्ञात है पर वास्तविक जन्म-दिन ज्ञात नही है तो उस वर्ष की प्रथम जुलाई उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी तथा यदि वर्ष व माह ज्ञात हो तो उस माह की 16 तारीख को उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी एव ऐसे मामले जिनमे सेवा मे प्रविष्ट होते समय केवल अवस्था ही बताई हो तो व्यक्ति की सेवा मे भर्ती की तारीख को उसके द्वारा व्यतीत की गई आयु पूरी किया हुआ समझना चाहिए तथा उसके आधार पर जन्म-तिथि निकालनी चाहिये।

(3) बहुत ही अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर, नीति के रूप मे सरकार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर्मचारियों की सेवा मे वृद्धि स्वीकृत करने के विरुद्ध है। जहा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण लोकहित मे कर्मचारी को, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने वाला है, सेवा मे रखा जाना आवश्यक समझा जाता हो तो इसका उचित तरीका यही है कि पहिले सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा-निवृत्त किया जावे तथा बाद में उसे एक सीमित समय के लिये पुनर्नियुक्त किया जावे। अतः सेवा मे वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव केवल उसी स्थिति मे किया जाना चाहिए जब सेवा-निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति कुछ अपवाद स्वरूप एव आवश्यक-कारणों से जिनका उल्लेख किया जावेगा व्यवहारिक नही पाई जाती हो।

प्रस्तावित वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के सभी मामले कार्मिक विभाग को भेजे जाने चाहिये। निश्चित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व इसका प्रसंग चलाना चाहिए।

(4) एक कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसके लिए एक निश्चित समय की सेवा-वृद्धि या पुनर्नियुक्ति का आदेश वास्तविक रूप मे प्रभाव में लाया गया है तो उसकी सवाये, केवल अनुशासनिक-कार्यवाही के आरोपों को छोड़कर, उस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व-समाप्त नहीं की जा सकती हैं जब तक उसमे स्पष्ट रूप से यह नही कहा जाता है कि उसकी सेवायें सेवाकाल में नोटिस देकर या अन्य प्रकार से कभी भी समाप्त की जा सकती है।

मे जीविका-कमाने की योग्यता को ध्यान में रखते हुये, यह आवश्यक है कि उसे नियमो के अन्तर्गत देय पूर्ण पेन्शन स्वीकृत की जाये।

राजकीय निर्णयः—वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (24) वि वि. (श्रे–2)/73 दि. 30-6-1973 द्वारा विलोपित।

नियम 233 :– पुलिस सेवा में विशेष सावधानी :—जो व्यक्ति अधिक समय तक सेवा करने के योग्य हैं उन कर्मचारियों द्वारा अयोग्यता-पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये जाने के प्रयत्नों के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षको को ध्यान रखना चाहिए।

नियम 234 :– चिकित्सा-अधिकारियों को निर्देश : चिकित्सा-अधिकारियों को ऐसे पुलिस-मनो को अवकाश की सिफारिश करने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए। जिनको अस्पताल में अधिक समय तक रोकने से कोई लाभ नहीं होता हो तब भी उस समय तक यह प्रमाणित नहीं करना चाहिये कि अमुक पुलिस-मैन सेवा के अयोग्य है जब तक उन से सरकारी रूप में अग्रिम सेवा के लिये उसकी अयोग्यता के बारे में रिपोर्ट देने के लिये निवेदन नहीं किया जावे।

चिकित्सा-अधिकारियों को ऐसी पेंशन के प्रत्येक प्रार्थी की शारीरिक अयोग्यता की जाँच में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए एवं जब कभी पेंशन के लिए प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो, तो वहाँ यदि संभव हो सके तो चिकित्सा-संबंधी जाच दो चिकित्सा-अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

नियम 235:–प्रतिबन्धः— एक कर्मचारी जो अन्य आधार पर सेवा से हटाया गया है, वह अयोग्यता-पेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है चाहे वह आगे सेवा नही कर सकनें की साक्षी में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करे।

यदि अयोग्यता सीधी उसकी अनियमित/असंयमित आदतों के कारण हुई है तो उसे कोई पेशन स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि वह अयोग्यता सीधे उन आदतों के कारण नहीं है किन्तु उनके द्वारा बढी है या उत्पन्न हुई है तो वह पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा कि वह यह निर्णय करे कि उसकी पेशन की राशि में से क्या कमी की जानी चाहिए।

टिप्पणी—(1) नशे की आदतो से जो दिमाग की गभीरता नष्ट हुई है वह कर्मचारी की अयोग्यता का पर्याप्त कारण है।

(2) इस नियम में प्रयुक्त 'अनियमित/असयमित" आदतो का अर्थ अनैतिक आदतों से होने वाली बिमारी के कारण अयोग्यता से है। ऐसे मामले जिनमें अयोग्यता अन्य कारणो, जैसे सेवा की आवश्यकताओं के कारण अनियमित घण्टो तक काम करना, जो स्वयं की इच्छा से किया गया हो, होती हो, वह इस नियम के अन्तर्गत नही आती है।

नियम 236:–प्रक्रिया :—एक अधिकारी जिसने नियम 229 के अन्तर्गत सेवा करने की अयोग्यता का चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यदि वह सेवा पर है, तो वह सेवा मुक्त करने की तारीख से अयोग्य समझा जावेगा। उसे हटाने का प्रबन्ध चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के प्राप्त करते ही बिना किसी विलम्ब के, किया जाना चाहिए अथवा यदि उसे नियम 81 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो, तो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर उसे सेवा से हटा दिया जावेगा। यदि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय अवकाश पर हो तो उस अवकाश या उसकी वृद्धि, यदि कोई हो, जो उसे नियम 81 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है, के समाप्त होने पर सेवा के लिए अयोग्य समझा जावेगा।

नियम 236:- ए: — जो कर्मचारी इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन 31-10-74 को या इसके पश्चात् अयोग्यता पेंशन पर सेवा-निवृत्त होता है तो अयोग्यता पेंशन की राशि नियम 268(ग) (3) (i) में अंकित पारिवारिक-पेंशन को राशि से कम नही होगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(53) वि वि (श्रे-2)74 दिनांक 2-12-1974 द्वारा निविष्ट एव दिनांक 31-10-1974 से प्रभावशील]

नियम 236:-बो:-इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस सरकारी कर्मचारी के संबंध में जो अयोग्यता पेंशन पर 1-9-76 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होता है तो अयोग्यता पेंशन की राशि नियम 288(ग)(4) मे वर्णित पारिवारिक पेंशन की राशि से कम नही होगी

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (53) वित (ग्रुप-2)/74 दिनांक 1-12-76 द्वारा निविष्ट]

X **नियम 237 एवं 238:-** वि. वि. की आज्ञा संख्या 2035/58/एफ-7 ए (12) वि वि. (क) नियम/58 दिनाक 30-10-58 द्वारा विलोपित।

खण्ड-4 : अधिवार्षिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेन्शन

नियम 239 : स्वीकृत करने की शर्तः—अधिवार्षिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेंशन उन कर्मचारियों को स्वीकृत की जाती है जो सेवा नियम 56 के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किये जाते है। यह आदेश 1-12-62 से प्रभावशील होगा।

टिप्पणियां.—(1) राजकीय वकील इस नियम के अन्तर्गत नही आते है।

(2) एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसका जन्म का वर्ष तो ज्ञात है पर वास्तविक जन्म-दिन ज्ञात नही है तो उस वर्ष की प्रथम जुलाई उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी तथा यदि वर्ष व माह ज्ञात हो तो उस माह की 16 तारीख को उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी एव ऐसे मामले जिनमे सेवा मे प्रविष्ट होते समय केवल अवस्था ही बताई हो तो व्यक्ति की सेवा मे भर्ती की तारीख को उसके द्वारा व्यतीत की गई आयु पूरी किया हुआ समझना चाहिए तथा उसके आधार पर जन्म-तिथि निकालनी चाहिये।

(3) बहुत ही अपवाद स्वरूप मामलो को छोड़कर, नीति के रूप मे सरकार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि स्वीकृत करने के विरुद्ध है। जहां प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियो की कमी के कारण लोकहित मे कर्मचारी को, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने वाला है, सेवा मे रखा जाना आवश्यक समझा जाता हो तो इसका उचित तरीका यही है कि पहिले सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा-निवृत्त किया जावे तथा बाद मे उसे एक सीमित समय के लिये पुनर्नियुक्त किया जावे। अतः सेवा मे वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब सेवा-निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति कुछ अपवाद स्वरूप एव आवश्यक-कारणों से जिनका उल्लेख किया जावेगा व्यवहारिक नही पाई जाती हो।

प्रस्तावित वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के सभी मामले कार्मिक विभाग को भेजे जाने चाहिये। निश्चित तिथि मे कम से कम तीन माह पूर्व इसका प्रसग चलाना चाहिए।

(4) एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसके लिए एक निश्चित समय की सेवा-वृद्धि या पुनर्नियुक्ति का आदेश वास्तविक रूप मे प्रभाव में लाया गया है तो उसकी सेवायें, केवल अनुशासनिक-कार्यवाही के आरोपो को छोड़कर, उस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व-समाप्त नही की जा सकती है जब तक उसमे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता है कि उसकी सेवायें सेवाकाल में नोटिस देकर या अन्य प्रकार से कभी भी समाप्त की जा सकती है।

ग्राडिट निर्देशन—जब एक कर्मचारी को एक विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त किया जाना हो या पदावनत करना हो या अवकाश पर रहने से बन्द किया जाना हो तो जिस दिन वह उस आयु को प्राप्त करता है, वह अकार्य-दिन (नान-वर्किंग-डे) गिना जाता है तथा राज्य कर्मचारी को उस दिन से, उस रात को मिलाकर, सेवा में निवृत्त, पदावनत या अवकाश पर रहने से बन्द (जैसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिए।

निर्देशन—एक प्रश्न उठाया गया है कि जिस तारीख को कर्मचारी अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता है क्या उसी तारीख को उसकी सेवा निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है या सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उस सम्बन्ध का एक विशिष्ट-आदेश निकालना आवश्यक होता है जिसमे यह उल्लेख किया जावे कि उसे अमुक तारीख से सेवा से निवृत्त हो जाना चाहिए।

अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युऐशन) प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियम एवं सेवा की शर्तें एक कर्मचारी को विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर या विशिष्ट समय तक की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा से अनिवार्य-निवृत्ति का प्रावधान करती है। ऐसे सभी मामलों मे सेवा-निवृत्ति स्वाभाविक है एवं इस सम्बन्ध मे जब तक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा अन्यथा रूप से आदेश न दिये गये हो एक कर्मचारी को अपनी नियत तिथि को सेवा-से-निवृत्त-किया-गया-हुआ समझना चाहिए। फिर भी यह वाञ्छनीय है कि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को यह निश्चित करना चाहिए कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियो को सेवा-निवृत्त किये जाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। एक कर्मचारी की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख कार्यालय में ज्ञात रहती है। अतः उसे अग्रिम रूप में आसानी से निवृत्त करने एवं उस बीच में आवश्यक प्रबन्ध की/कार्यवाही किये जाने में किसी प्रकार की बाधा नही रहनी चाहिये। इस कार्य के लिये सम्बन्धित अधिकारियो को उचित अभिलेख रखना चाहिये जिसमे आगामी 5 वर्ष की अवधि मे सेवा से निवृत्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को दिखाए जावेंगे तथा ऐसी उचित कार्यवाही करेगा जो नियत तिथियों को सेवा निवृत्त करने के साधारण आदेशो के जारी करने के लिए आवश्यक हो। यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि निम्न-वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारी स्वय यह भूल जाते हैं कि उनकी अधिवार्षिकी आयु की तारीख क्या है।

उसी समय एक कर्मचारी अपने कार्य-मुक्त होने के सम्बन्ध में आदेशो के प्राप्त नही करने पर यह कहकर लाभ नही उठा सकता है कि उसे सेवाकाल मे वृद्धि स्वीकृत हो गई है। यदि कर्मचारी कोई निवृत्ति-पूर्व-अवकाश प्राप्त करना चाहे तो वह उसके लिये पर्याप्त समय पूर्व निवेदन करेगा। यदि वह आवेदन नही करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि उसे इस तथ्य को कार्यालय के अध्यक्ष के ध्यान में ला देना चाहिये जिसके अधीन वह काम कर रहा है कि वह सेवा के लिए निर्धारित अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर रहा है जिसके बाद उसे सेवा से निवृत्त किया जाना है। यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष हो तो उसे यह सूचना अपने निकटतम उच्च-अधिकारी को देनी चाहिए। जब तक वह विशिष्ठ-आदेश प्राप्त न करे कि उसे सेवा मे लगे रहना चाहिए, उसे अपने पद का कार्यभार नियत तिथि को कार्यालय के अध्यक्ष को सम्भला देना चाहिये (या ऐसे अधिकारी को संभला देना चाहिये जिसे वह मनोनीत करे) या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो उसके बाद कार्यालय के सबसे वरिष्ठ-अधिकारी को कार्यभार संभलाना चाहिये जो उसकी अनुपस्थिति मे कार्यालय मे कार्यभार को संभाल सके।

यदि कोई कर्मचारी सेवा के लिये अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर उपर्युक्त निर्देशनो के बाद भी सेवा मे बना रहता है तो इस प्रकार के समय के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नही होगी।

नियम 240:—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (58) वि. वि. (क) (नियम) 62 दिनांक 21-11-1962 द्वारा 1-10-1962 से विलोपित।

नियम 241: वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (28) वि.वि. (क) (नियम 62-I दिनांक 31-7-1972 द्वारा विलोपित।

नियम 242 : 55 वर्ष की अवस्था पर एच्छिक सेवा निवृत्तिः—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (84) वि वि (क)(नियम) 62 दिनांक 31–8–1963 द्वारा दिनांक 1–12–1962 से विलोपित।

खण्ड–5 : सेवा निवृत्ति-विश्राम वृत्ति

नियम 243.—एक राज्य कर्मचारी जो नियम 244 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होता है या हो गया है, उसे सेवा-निवृत्ति (रिटायरिंग) पेंशन स्वीकृत की जाती है।

नियम 244 (1)-(क) 20 वर्ष की पेन्शन-योग्य-सेवा पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्तिः—एक राज्य-कर्मचारी न्यूनतम 3 माह-पूर्व लिखित में, अपने निवृत्ति-प्राधिकारी को, नोटिस देकर राज्य-सेवा से विश्राम-वृत्ति प्राप्त कर सकता है यदि उसने न्यूनतम 20 वर्ष का पेन्शन-योग्य-सेवा काल पूर्ण कर लिया है अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त करली है, इनमें से जो भी पूर्व में हो। उक्त दोनों शर्तों में से किसी एक के पूर्ण होने के दिनांक के पश्चात् कभी भी, नोटिस में अंकित दिनांक से, वह सेवा-निवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

नियुक्ति-प्राधिकारी के यह अधिकार-क्षेत्र में होगा कि वह एक ऐसे राज्य-कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने से रोक सकता है:—

(i) जो सेवा से निलम्बित हो, या

(ii) जिसके मामले में अनुशासनात्मक-कार्यवाही विचाराधीन हो अथवा, बडी सजा (मेजर-पेनल्टी) देने के उद्देश्य से अनुशासन-सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ किये जाने का विचार हो तथा अनुशासनात्मक-प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह अनुमान हो कि ऐसी विभागीय अथवा अनुशासन-सम्बन्धी कार्यवाही का परिणाम कर्मचारी को राज्य-सेवा से निष्कासित करना अथवा बर्खास्त करने के रूप में निकलेगा, अथवा

(iii) जिसके मामले में दण्ड-नायक न्यायालय में मुकदमा चलाने का विचार हो अथवा मुकदमा दायर कर दिया गया हो।

नियम 244 (1) (ख):—एक राज्य-कर्मचारी जिसने उपरोक्त उप-नियम 244 (1) (अ) के अनुसार सेवा-निवृत्त होने का नोटिस दे दिया हो, वह उस नोटिस में अंकित सेवा-निवृत्ति की तारीख से स्वतः ही सेवा-निवृत्त हो जावेगा और ऐसे नोटिस को उसी दिन से स्वीकार-किया-हुवा-माना जावेगा जब तक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को स्वयं/इच्छा से सेवा-निवृत्त होने से रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल/अन्यथा आदेश, कर्मचारी द्वारा दिये गये नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, जारी करके कर्मचारी को विधिवत् सूचित नहीं कर दिया गया हो।

(ग) यदि एक कर्मचारी जो अदेय-अवकाश (लीव-नाट-ड्यू) पर रहते हुये सेवा पर वापिस उपस्थित हुये बिना उक्त-अंकित उप-नियम के अन्तर्गत स्वयं की इच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे मामले में कर्मचारी अदेय-अवकाश पर प्रस्थान करने की तारीख से ही सेवा-निवृत्त किया-हुवा माना-जावेगा और ऐसे अवकाश के एवज में इस बीच की अवधि में कर्मचारी ने जो अवकाश-वेतन प्राप्त किया है उसे वापिस वसूल कर लिया जावेगा।

(घ) एक राज्य-कर्मचारी जो उक्त अंकित उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करता है, उसे 5 वर्ष की पेन्शन-योग्य-सेवा का अतिरिक्त रूप में लाभ दिया जावेगा, जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में की गई सेवा-अवधि में जोड़ा जावेगा।

5 वर्ष की पेन्शन-योग्य अतिरिक्त-सेवा का लाभ निम्न-अंकित शर्तों के आधार पर लिया जावेगा:—

पेन्शन-नियमों से शासित होने वाले राज्य-कर्मचारियों के सम्बन्ध में :—

(i) विश्राम-वृत्ति के लिए पेन्शन-योग्य-सेवा-काल में 5 वर्ष तक की पेन्शन-योग्य-सेवा अवधि बढाई जावेगी तथा दोनों को मिलाकर बनने वाली अवधि किसी भी परिस्थिति में 33 वर्ष से अधिक की पेन्शन-योग्य-सेवा से अधिक नहीं होगी अथवा उस कुल अवधि से अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी द्वारा उसकी अधिवार्षिकी आयु के दिन-सेवा-निवृत्त होने पर बन पाती।

(ii) जिन मामलों में पेन्शन-योग्य-सेवा, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार, बढाई जाती है उनमे "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्टस्) वे लिए जावेंगे जिनकी परिभाषा सेवा-नियम 250 (ग) मे दी गई और यह "वेतनादि" उस दिन के आधार पर फलाये जावेंगे जिस दिन वह राज्य कर्मचारी विश्राम-वृत्ति ग्रहण करने की तारीख से पूर्व तुरत प्राप्त कर रहा था। उस दिन के "वेतनादि" ही कर्मचारी की पेन्शन तथा ग्रेज्यूटी की फलावट के लिए दिये जावेंगे।

अंशदायी-भविष्य-निधि योजना से शासित होने वाले राज्य-कर्मचारियों के मामलों में:—

(iii) शासकीय-अंशदान (बोनस एवं विशेष-अंशदान) उतनी सीमा तक बढा दिया जावेगा जिस तक 5 वर्ष के अतिरिक्त सेवा-काल को जोडने पर बन पाता है अथवा देय होता है।

(iv) कल्पित-अंशदान की फलावट राज्य-कर्मचारी द्वारा सेवा-निवृत्ति लेने की तारीख से पूर्व के दिन चुकाये जा रहे अंशदान की राशि के आधार पर की जावेगी चाहे सेवा-निवृत्ति के दिन अथवा उसके बाद कोई अंशदान नहीं दिया गया हो।

(v) उपरोक्त अंकित प्रक्रिया के आधार पर बढ़ाया गया भविष्य-निधि का अंशदान (बोनस एवं विशेष-अंशदान) उस धन-राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगा जो कर्मचारी को 33 वर्ष की सेवा के बाद निवृत्ति लेने के कारण दिया जाता अथवा जो कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु के हो जाने पर सेवा-निवृत किये जाने पर मिलता, इनमें से जो भी कम हो।

(vi) 5 वर्ष के कल्पित पेन्शन-योग्य-सेवा काल का लाभ उस राज्य-कर्मचारी को नहीं दिया जावेगा जो सेवा नियम 244 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

(ङ) एक राज्य-कर्मचारी जो सेवा-नियम 244 (1) (क) के अनुसार स्वयं/इच्छा से सेवा-निवृत्ति के लिये नोटिस देता है, उसे पहले नियुक्ति-प्राधिकारी से, लिखित में निवेदन कर, इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिये कि उसने वास्तव में पेन्शन प्राप्त करने के लिये 20 वर्ष की पेन्शन-योग्य-सेवा पूर्ण कर ली है। ऐसी जानकारी उस सक्षम-प्राधिकारी से की जानी चाहिये जो कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने के लिये सक्षम हो।

(च) एक राज्य-कर्मचारी, नियुक्ति-प्राधिकारी की अनुमति से, उपरोक्त उप-नियम 244 (1) (क) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस को, उस नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, वापिस ले सकता है। अर्थात् 3 माह पूर्व के लिखित-नोटिस को सक्षम-प्राधिकारी की अनुमति से, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, कभी भी वापिस लिया जा सकता है।

(झ) प्राधिकारी जो एक राज्य-कर्मचारी को सेवा-निवृक्त करने के लिये सक्षम हो वह पात्रता रखने वाले औचित्यपूर्ण-मामलों मे 3 माह से कम के नोटिस, जो उपरोक्त उप-नियम मे एक शर्त है, पर भी राज्य कर्मचारी को सेवा-निवृत्त होने की अनुमति, राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति से, दे सकता है।

(ज) एक राज्य कर्मचारी जिसने अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा-निवृत्त होने का नोटिस दे दिया हो, वह नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसको देय-उपार्जित-अवकाश की स्वीकृति के लिये प्रार्थना कर सकता है जिसकी उसे नोटिस अवधि के साथ-साथ उपभोग करने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। यदि अवकाश की अवधि सेवा-निवृत्ति की दिनाक से आगे तक की हो किन्तु वह राज्य कर्मचारी के अधिवार्षिकी आयु के होने पर सेवा-निवृत्त करने की अवधि से कम की हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की साख पर उपलब्ध उपार्जित अवकाश, 120 दिन तक की सीमा तक, सेवा-समाप्ति-अवकाश (टरमीनल-लीव) के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (50) वित्त (ग्रुप-2)/75 दिनांक 16-2-78 द्वारा प्रति-स्थापित]

राजकीय निर्णय सख्या 1—राजस्थान सेवा नियम 244 (1) के अनुसार एक राज्य-कर्मचारी एक विशिष्ट अवधि की पेन्शन-योग्य-सेवा पूर्ण करने पर स्वय की इच्छा से सेवा-निवृत्ति ले सकता है। इस नियम के अनुसार ऐसे राज्य-कर्मचारी को तीन माह पूर्व मे लिखित मे नोटिस देना नियमो के अनुसार अनिवार्य है। इस निर्धारित नोटिस अवधि मे शिथिलता करना अथवा इसे समाप्त करने के अधिकार राज्य सरकार के वित्त विभाग में निहित है, जो किन्ही विशिष्ट-आवश्यक एव तत्काल-महत्व के मामले मे उपयोग किये जाते है किन्तु राज्य सरकार से ऐसी अनुमति प्राप्त करने मे प्रायः समय लग जाता है।

इस प्रश्न पर विचार कर यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 244(1) के अन्तर्गत राज्य-सेवा से स्वय की इच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने वाले राज्य-कर्मचारी जो लोक सभा विधान सभा/नगरपालिकायें/पचायती राज्य संस्थाओ मे से किसी के लिये भी चुनाव लड़ने के विचार से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करना चाहे तो ऐसे मामलो मे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सेवा नियम 244 (1) के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य-कर्मचारी को तुरन्त ही कार्य मुक्त कर दिया जावे। किन्तु ऐसा करने से राज्य सरकार के, सम्बन्धित राज्य-कर्मचारी के मामले के औचित्यपूर्ण कारण एव पेन्शन-योग्य-सेवा निर्धारित करने के अधिकार पर कोई विपरीत कानूनी प्रभाव नही होगा एव सक्षम-प्राधिकारी की कार्यवाही को इस नियम द्वारा निर्धारित नोटिस-अवधि के शिथिलन में की हुई, कार्यवाही मानी जावेगी।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (50) वित्त (ग्रुप-2)/75 दिनांक 13-3-78]

राजकीय निर्णय संख्या 2—राज्य-सरकार की सूचना मे ऐसा मामला आया है जिनमे एक राज्य-कर्मचारी ने संसद/राज्य विधान सभा/नगरपालिका/पचायती-राज-सस्था के चुनाव लडने के उद्देश्य से अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया जबकि सेवा नियम 244 (1) के अन्तर्गत ऐसा कर्मचारी स्वय की इच्छा से विश्राम-वृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। चूंकि सेवा नियम 244 (1) के प्रावधानो के अनुसार एक-कर्मचारी को स्वय की

से विश्रामवृत्ति प्राप्त करने के लिये 3 माह का लिखित मे नोटिस देना आवश्यक है। अतः ऐसा राज्य-कर्मचारी समय की आवश्यकता एवं तथ्यों को देखते हुये अपने त्याग-पत्र स्वीकार होने तक सेवा-मुक्त होने की प्रतीक्षा नही कर सकता है। अतः ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त ही सेवा-मुक्त होने के लिये त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

इस मामले पर विचार कर यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसे राज्य कर्मचारी जिसने 1 मार्च, 1977 से वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (50) वि. वि. (ग्रुप-2) 75 दिनांक 13-3-1978 के जारी होने तक ससद/राज्य विधान-सभा/नगरपालिका अथवा पचायत राज संस्था के चुनाव लडने के लिये सेवा से त्याग-पत्र दिया हो तो ऐसे प्रस्तुत त्यागपत्र को सेवा नियम 244 (1) के अनुसार सेवा से स्वय की इच्छा के रूप मे विश्राम-वृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन-किया-हुआ माना जावेगा और उसे ऐसी स्वयं/ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति का लाभ उस द्वारा त्याग-पत्र प्रस्तुत करने की दिनाक को प्रभावशील नियमों के अनुसार दिया जावेगा यदि ऐसे व्यक्ति ने उस दिन (त्याग-पत्र प्रस्तुत करने के दिन) सेवा नियम 244 (1) द्वारा निर्धारित सेवा के विशिष्ट वर्ष पूर्ण कर लिये हों।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (50) वि. वि. (ग्रुप-2)/75 दि. 4-7-1978 द्वारा निविष्ट]

नियम 244 (1) : पच्चीस वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्तिः—एक राज्य कर्मचारी न्यूनतम 3 माह पूर्व लिखित मे सूचना देकर उस दिन से या उसके बाद सेवा-निवृत्त हो सकता है जिस दिन वह 25 वर्ष की पेन्शन-योग्य सेवा पूर्ण कर ले अथवा जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु का हो जावे इनमें से जो भी पूर्व मे हो, अथवा वह उक्त अकित तारीखों के बाद किसी भी अन्य तारीख को, जिसका उल्लेख तीन-माह वाले नोटिस मे किया जावेगा, कर्मचारी को सेवा-निवृत्त किया जा सकता है।

नियुक्ति-कर्ता-प्राधिकारी के लिये यह छूट होगी कि वह एक ऐसे राज्य कर्मचारी को जो निलम्बित है एव जिसके विरुद्ध विभागीय जाच पूर्व मे ही प्रारम्भ हो चुकी हो, को सेवा-निवृत्ति की अनुमति देने से मना कर सकता है। अर्थात् ऐसे कर्मचारी की स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने की प्रार्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय विवेकानुसार किया जा सकता है।

[वित विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 (50) वि. वि. (ग्रुप-2) 75 दिनांक 31 मई, 1977 द्वारा प्रति-स्थापित]

स्पष्टीकरणः—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे कर्मचारी जिन्होने राजस्थान सेवा नियम 244 (1) के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होना चाहा है के मामलो मे, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस, जिसमे सेवा-निवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की गई है, को सरकार द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता है!

मामले की जाच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति के नोटिस को सरकार द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता नही है और ऐसे सरकारी कर्मचारी नोटिस की समाप्ति की तारीख से सेवा-निवृत्त हुये माने जावेंगे। सक्षम-अधिकारी, सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित, जो भी कार्यवाही आवश्यक है पूरी करेगा-जैसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के राजस्थान सेवा नियम 244 (1) के अधीन लिखित नोटिस दिया है वह नोटिस मे उल्लखित तारीख से सेवा-निवृत्त हो गया माना जावेगा।

फिर भी यह ध्यान रखा जावे कि राजस्थान सेवा नियम 244 (1) के उपबन्धो के अधीन नियुक्ति-प्राधिकारी को दो विशिष्ट कारणों पर सरकारी कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवा-निवृत होने से रोकने का अधिकार दिया गया है। अर्थात् (i) यदि वह निलम्बित है अथवा (ii) उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है।

नियम 244 (2) (i):—सरकार न्यूनतम तीन माह पूर्व का लिखित-नोटिस देकर किसी कर्मचारी को उस दिनांक से सेवा-निवृत्त कर सकती है, जिसको वह 25 वर्ष की पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण कर लेता है या उस तारीख को जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, इसमें जो भी पहले आ जाती है, या उसके बाद अन्य किसी तारीख से।

किन्तु ऐसे कर्मचारी को तुरन्त भी सेवा-निवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारी तीन माह के वेतन और भत्ते, नोटिस के बदले में, क्लेम करने का अधिकारी होगा।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (50) वि. वि (ग्रुप-2) 75 दिनांक 11-3-76 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 23-4-77 द्वारा 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया गया]

(ii) यदि सेवा निवृत्ति आज्ञा की सूचना कर्मचारी पर तामील नहीं होती है तो सरकार राजस्थान राजपत्र में ऐसी सेवा-निवृत्ति आज्ञा को प्रकाशित कर सकती है और सरकारी कर्मचारी ऐसा प्रकाशन होने पर सेवा-निवृत्त किया हुआ समझा जावेगा।

ज्ञापन:—पिछले कुछ समय से राज्य सरकार के, सेवा नियम 244 (2) के अधीन समयापूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनो पर विचार करने हेतु पुनरावलोकन समितिया, गठन करने का, प्रश्न विचाराधीन था। इस सम्बन्ध से विभिन्न सेवाओं के प्रभावी कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रतिवेदनो पर विचार करने के लिये अब राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित पुनरावलोकन समितिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों की सिफारिशे अन्तिम निर्णय हेतु प्रत्येक समिति के समक्ष अंकित अधिकारियो को प्रस्तुत की जावेगी।

क्र. स. 1	सेवा का नाम 2	पुनरावलोकन समितियों का गठन 3	अन्तिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का नाम 4
1–	**राज्य सेवायें**:— (क) रु. 1800/– या उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियो हेतु	(i) मुख्य सचिव (ii) गृह आयुक्त, समस्त सेवाओं के लिये/उन सेवाओं को छोड़कर जिनके वे प्रशासनिक सचिव हैं तथा वित्तआयुक्त उन सेवाओ के लिए जिनके गृह आयुक्त प्रशासनिक सचिव हैं। (iii) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का सचिव, सयोजक,	मुख्य मंत्री (सिफारिशे सबधित मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत की जावेंगी)
	(ख) आर. एस. एस. आर. ए. एस. अधिकारियों के लिये	(i) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत आयुक्त श्रेणी का एक अधिकारी (iii) विशिष्ट सचिव, कार्मिक विभाग, संयोजक	मुख्य मन्त्री (सिफारिशे मुख्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत होगी)

1	2	3	4
	(ग) अन्य सेवाओ के लिये	(I) श्री जी. के. भनोत आयुक्त डेयरी विकास) समस्त सेवाओ हेतु, उन सेवाओ को छोडकर जिनके वे प्रशासनिक सचिव है तथा श्री जे, एस. मेहता, आयुक्त, शिक्षा विभाग, उन राज्य सेवाओं के लिए जिनके लिए श्री जी. के. भनोत प्रशासनिक सचिव हैं।	मुख्य मन्त्री (सिफारिशें मुख्य सचिव तथा संबधित मन्त्री के माध्यम से प्रस्तुत होगी)
2	अधिनस्थ सेवायें	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक सचिव/विशिष्ट सचिव (iii) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, संयोजक	सम्बन्धित मंत्री (सिफारिशें प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रस्तुत होगी)
3	मंत्रालयिक सेवायें	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक सचिव/ विशिष्ट सचिव (iii) सबधित विभागाध्यक्ष, संयोजक	मुख्य सचिव (सिफारिशें संबंधित सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी)
4	चतुर्थ श्रेणी सेवाये (क) उन मामलों मे जहा पूर्व में अन्तिम निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है।	(i) संबधित विभागाध्यक्ष-संयोजक (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत उप-सचिव	सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव
	(ख) उन मामलो मे जहां पूर्व में अन्तिम निर्णय प्रशासनिक सचिव द्वारा लिया गया है।	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक.सचिव/ विशिष्ट सचिव (iii) सबधित विभागाध्यक्ष, सयोजक	मुख्य–सचिव (सिफारिशें सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रस्तुत होगी)

उपरोक्त-गठित-समितिया भविष्य में किये जाने वाले समयापूर्व-सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार के अतिरिक्त उन कर्मचारियो के प्रतिवेदनों पर भी विचार करेगी जिनकी सेवा-निवृत्ति 25-6-1975 या उसके बाद में की गई है। ये समितियां 25-6-1975 से पूर्व अनिवार्य-सेवा-निवृत्त कर्मचारियो के मामलो पर विचार नही करेंगी।

वे कर्मचारी जिन्होने पूर्व मे प्रतिवेदन दिया था और वह अस्वीकार किया जा चुका है, अब पुनरावलोकन समितियों को पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत नही कर सकेंगे। फिर भी ऐसे मामलो को सम्बन्धित समितियों के संयोजक अपनी समिति के समक्ष रख सकेंगे व उस मामले मे पुनः विचार किया जा सकेगा, जिस मामले मे समिति इस प्रकार का निर्णय ले कि यह मामला पुनः विचार योग्य है। सबंधित कर्मचारी जो राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के तहत 25-6-1975 या उसके बाद समयापूर्व-सेवा-निवृत्त किये गये हैं अपना प्रतिवेदन इस ज्ञापन के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर सम्बन्धित पुनरावलोकन समिति के सयोजक को प्रस्तुत कर सकते है।

[कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13 (56) कार्मिक/ए.सी.आर./76 दिनांक 23-3-1976 द्वारा निविष्ट]

कार्यालय ज्ञापनः—कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ 13 (56) कार्मिक/ए-सी-आर/76 दिनांक 23 मार्च 1976 द्वारा सेवा नियम 244 (2) के तहत समयापूर्व-सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु पुनरावलोकन समितियो के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। यहा विशिष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नही है कि समितियो को इस कार्य को सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। फिर भी इन मामलों पर विचार करते समय समितियो को निम्न-अंकित कुछ मार्ग-दर्शक बिन्दुओ को सुझाव के रूप मे ध्यान मे रखना चाहिएः—

(i) जिन निहित सिद्धान्तो से नियम 244 (2) का संशोधन किया गया उसे कायम रखा जाना चाहिये। अर्थात् भ्रष्ट और अक्षम व्यक्तियों को बाहर निकालने की आवश्यकता।

(ii) प्रक्रिया की छोटी-मोटी कमियों के बारे मे कानूनी-पुनर्विचार नही किया जाना चाहिए।

(iii) विशिष्ट कार्यदक्षता निर्धारण रिपोर्ट को विस्तृत मे लिखे जाने की आवश्यकता नही थी और उसमे दिये गये निष्कर्षों को सही महत्व देते समय भरसक सावधानी रखी जानी चाहिए, यदि अधिकारी के पिछले कार्य और अभिलेख से उसमे भिन्न स्थिति अंकित की गई है।

(iv) चयन समितियो से विस्तृत कारण नही मांगे गये थे।

(v) पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, और पीडित करने के बारे मे लगाये गये असंदिग्ध आरोपो को नही मानना चाहिये। जब ऐसे आरोप लगाये जावें तो यदि सभव हो तो लेख्य प्रमाण की प्रतिया-साक्षी के रूप मे साथ मे लगाई जावें।

(vi) पुनरावलोकन का उद्देश्य यह नही है कि चयन-समिति द्वारा किये गये निर्धारण को पलट दिया जावे, वरन ऐसे स्पष्ट मामलो को पकड़ना है जिनमें न्याय को विफल कर दिया गया है।

[कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 13 (56) कार्मिक/ए.सी. आर/76 दि. 5-4-1976 द्वारा निविष्ट]

कार्यालय-ज्ञापनः—इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ. 13 (56) कार्मिक (ए-सी-सी-आर/76 दिनांक 23-3-1976 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुछ सेवाओं के लिए गठित पुनरावलोकन समितियो में मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य का प्रावधान है।

वह माना जाता है कि प्रसासनिक विभागों द्वारा इस बारे मे आवश्यक कार्यवाही करली गई होगी। यदि नही की गई है, तो उन्हें परामर्श दिया जाता है कि जो विभाग/सेवायें उनके अधीन हैं उनके लिए मुख्य सचिव से सदस्यो को मनोनित करवालें, जिससे पुनरावलोकन समितियों की बैठक शीघ्र बुलाई जा सकें।

[संख्या एफ. 13 (56) कार्मिक/ए.सी.आर./दि. 22-4-1976 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय:—इस विभाग के सम सख्यक परिपत्र दिनांक 2–9–1975 की ओर ध्यान आकर्पित किया जाता है। इस सबध मे राज्य सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि सेवा नियम 244 (2) के अधीन कर्मचारियो के मामलों को चयन समिति के सभी सदस्यों को भेज कर विचार कर सकती है, किन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो एक बैठक विचार करने हेतु बुलानी होगी।

[संख्या एफ. 14 (63) कार्मिक/ए. सी. आर./75 दि. 24–5–1976 द्वारा निर्दिष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अधीन कर्मचारियो को नोटिस अवधि के वदले मे वेतन और भत्तों का भुगतान करके सेवा-निवृत्त कर दिये जाने के बारे मे कुछ मुद्दे उठाये जाकर स्पष्टीकरण हेतु पत्र सदर्भित किये गये हैं। उनमे से कई मुद्दे परिपत्र सख्या 8 (5_) कार्मिक/ए-सी-आर/72 दिनांक 17–12–1973 (प्रतिलिपि नीचे) से स्पष्ट हो जाते है।

फिर भी निम्नांकित मुद्दे उपरोक्त परिपत्र मे स्पष्ट नहीं होते है:—

(I) क्या मकान किराया भत्ता और सिटी कम्पेन्सेट्री अलाउन्स तीन महीनों के लिए देय है ?
(II) क्या वेतन और भत्तें जो नोटिस अवधि की वजाय दिये जातें हैं वे सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व जो आहरित किये जाते है उसके आधार पर अथवा वेतन और भत्ते मय वार्षिक वेतन-वृद्धि यदि, कोई हो, जो सरकारी कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह नोटिस अवधि मे सेवा में रहता, के आधार पर गणना की जावे ?

उपरोक्त मुद्दों पर विचार किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(I) सरकारी कर्मचारी जिन्हे नोटिस अवधि की वजाय वेतन और भत्ते दिये जाते है वे मकान किराया भत्ता और शहरी भत्ता उस वेतन पर प्राप्त करने के हकदार हैं जिस दर पर वे सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहे थे।
(II) वेतन और भत्ते जो नोटिस की अवधि के वजाय दिये जाते है वे वेतन और भत्ते वो होंगे, जो वह सेवा निवृत्ति के तुरन्त पा रहा था। चूंकि वेतन और भत्तो का भुगतान होते ही वह तुरन्त सेवा निवृत्त माना जावेगा, अतः वेतन वृद्धि की तारीख के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न की उत्पन्न नही होता है।

[परिपत्र संख्या एफ 8 (52) कार्मिक/ए-सी-आर/72 पी-II दिनांक 17–12–1973]

निर्देशन:—उक्त विषय पर इस विभाग के सम सख्यक परिपत्र दिनाक 3–1–1973 की और ध्यान आकर्पित किया जाता है जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में तीन माह के वेतन और भत्तो की राशि का बैंक ड्राफ्ट सेवा-निवृत्ति आदेश के साथ मे संलग्न किया जाना चाहिये जिनमे उसे तीन माह का नोटिस नही दिया गया है। *राशि की गणना करते समय ऐसे कर्मचारी से वेतन और भत्तों से किसी प्रकार की कटौतियां* नही काटी जावें। ये कटौतियां वाद में कर्मचारी की ग्रेच्युटी या/और पेन्शन मे से काटी जावें।

उपरोक्त प्रावधानों पर भारत सरकार और राज्य के विधि विभाग मे परामर्श करके पुनर्विचार किया गया गया और यह निश्चय किया गया है कि चूंकि सवधित कर्मचारी निर्धारित अवधि के वजाय तीन माह के वेतन और भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के तुरंत वाद सेवा निवृत्त हो जाता है और उसके पश्चात वह सेवा में नही रहेगा, पेन्शन अथवा तीन माह के वेतन और भत्तों के लिये सेवा निवृत्ति के पश्चात की कोई भी अवधि की गणना करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अत: नोटिस अवधि की वजाय तीन माह के वेतन और भत्ते उस दर पर दिये जावेंगे जिस दर से संबंधित कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के तुरंत पूर्व पा रहा था।

चूंकि अनिवार्य सेवा-निवृत्त करने के लिये नोटिस अवधि की वजाय तीन माह के समान जो वेतन और भत्तें दिये जाते हैं वे "वेतन" होते हैं। अतः आय कर की कटौती भुगतान करते समय की जानी चाहिये।

पेन्शन के भुगतान के बारे में-यह सेवा निवृत्ति की तारीख से भुगतान योग्य है-अर्थात् नोटिस अवधि की बजाय वेतन और भत्तों का भुगतान, उस अवधि की पेशन के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सबंधित अधिकारियो द्वारा कठोरता से किया जावे।

[संख्या एफ 1 (37) वि.वि. (नियम)/71 दिनांक 8-7-1976 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण संख्या 2:—एक प्रश्न उठाया गया है कि जब एक निलम्बित राज्य कर्मचारी को सेवा नियम 244 (2) के अधीन सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जावे तो क्या उसे सेवा-निवृत्त करने से पूर्व तीन माह का नोटिस अथवा उस नोटिस की एवज मे तीन माह का वेतन दिया जाना चाहिये तथा वह कानूनन अनिवार्य है अथवा नही।

मामले की जांच की गई है एव यह निर्णय किया गया है कि किसी निलम्बित कर्मचारी को सेवा नियम 244 (2) के अधीन अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये जाने पर उसको, अनिवार्य सेवा-निवृत्त करने से पूर्व, 3 माह की लिखित मे सूचना देने अथवा उसके एवज में तीन माह का नोटिस वेतन एव भत्ते आदि देना पूर्णतया अनिवार्य है।

अतः सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने वाले सक्षम-अधिकारियो पर जोर दिया जाता है कि वो ऐसे कर्मचारियो को 3 माह की पूर्व सूचना अवश्य देवे और उन्हें नोटिस के एवज मे तीन माह के वेतन एव भत्ते देने का मार्ग नही अपनावे।

(वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प. 1 (8) (3) वि.वि./(ग्रुप-2) 77 दिनांक 10 मार्च 1977 द्वारा निविष्ट)

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 244 (1) के प्रावधान सरकारी कर्मचारी को 20 वर्ष (अब 20 वर्ष) की पेशन योग्य सेवा पूरी करने पर अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले आ जाय, स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने हेतु अनुमति प्रदान करता है। पेशन और ग्रेच्युटी की गणना हेतु 5 वर्ष के सेवाकाल को उस कर्मचारी के सेवाकाल मे जोड़ने का प्रश्न राज्य सरकार के पास कुछ समय मे विचाराधीन था जिसका मानपूर्वक सेवाभिलेख है और जिसने समयापूर्व सेवा-निवृत्ति मागी है।

मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया और राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किये है कि राज्य कर्मचारी जिसने स्वेच्छा से सेवा नियम 244 (1) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति मागी है और जिसकी सेवायें, सेवाकाल की सम्पूर्ण अवधि में, सन्तोपद एव अच्छी पाई गई है, को पेशन और ग्रेच्युटी की गणना करने हेतु पांच वर्ष की अवधि पेशन-योग्य सेवा मे जोड़ने का लाभ निम्नांकित अनुच्छेदो मे किये गये उल्लेख के अनुसार दिया जावे:—

1-सरकारी कर्मचारी जो पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं:—

(i) ऐसे मामलो मे सेवा निवृत्ति के लाभ हेतु पेंशन योग्य सेवा में पांच वर्ष की योग्य-सेवा जोड़कर वृद्धि की जावेगी। काल्पनिक सेवा को जोडने के परिणामस्वरूप जो सेवावधि आती है वह किसी भी स्थिति में 33 वर्ष की योग्य-सेवा से अधिक नहीं होगी या संबंधित कर्मचारी की सेवा की जो गणना होती, यदि वह अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त होता, उनमे जो भी सेवा कम हो।

(ii) ऐसे मामले जिनमे उक्त अनुच्छेद संख्या (i) के अन्तर्गत पेंशन-योग्य-सेवा में वृद्धि करदी गई है, सेवा नियम 250 (ग) मे परिभाषित "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्टस) जो कर्मचारी सेवा निवृ

के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था, की पेन्शन और उपदान (ग्रेच्युटी) के प्रयोजनार्थ गणना की जावेगी।

2–सरकारी कर्मचारी जो अंशदायी निधि योजना द्वारा शासित होते हैं:—

(i) सरकारी अशदान (बोनस और विशेष अशदान) में उतनी राशि की वृद्धि करदी जाय, जितनी पाच वर्ष की काल्पनिक सेवा के जोड़ने से बनती।

(ii) सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व जमा किये गये अंशदान की राशि, जो सेवा-निवृत्त होने पर या सेवा-निवृत्त होने की तारीख के पश्चात् खाते मे बिना जमा करवाये, के आधार पर कल्पित अशदान जोड़ दिया जावे।

(iii) उपरोक्त परिणामस्वरूप वृद्धि किसी भी स्थिति में उस अंशदान (बोनस और विशेष अशदान) से अधिक नहीं होगी जो उसके भविष्य निधि खाते मे जमा होती यदि वह 33 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करके अथवा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवा-निवृत्त होता, दोनों मे जो भी कम हो।

3–उक्त अनुच्छेद संख्या (2) मे उल्लिखित पाच वर्ष की काल्पनिक योग्य सेवा का लाभ उन सरकारी कर्मचारियो को नहीं मिलेगा जिन्हे सेवा नियम 244 (2) के अधीन सेवा-निवृत्त कर दिया गया है।

4–ये आदेश दिनांक 1-9-1976 से प्रभावशील माने जावेगें।

[वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (50) वि.वि. (श्रे-2) 75-II दि. 18-9-76 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 2:— कुछ कर्मचारियों को, जिन्हे सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर दिया गया है, सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा उपरोक्त नियम के अधीन सेवा-निवृत्ति के मामलों का पुनरावलोकन करने के फलस्वरूप सेवा मे पुनः प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रश्न उठाया गया है कि सेवा निवृत्ति की तारीख एव सेवा मे पुनः कर्त्तव्य-भार-ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को किस प्रकार नियमित किया जावे।

2—इस विषय पर विचार किया गया है और यह निश्चिय किया गया है कि जिन्हें सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किया गया और सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को सेवा में पुन: प्रस्थापित किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों की मध्यवर्ती अवधि में, जो सेवा-निवृत्ति की तारीख से प्रारम्भ होती है और पुनः कर्त्तव्य-भार-ग्रहण करने की तारीख के तुरन्त पहले समाप्त हो, मे जो वेतन और भत्ते दिये जाने है वे सेवा नियम 54 और इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुसार नियमित किये जावेगे, जैसे नियम 244 (2) के तहत उसकी सेवा-निवृत्ति पूर्णतया न्यायोचित नही थी और ऐसी अवधि को सभी प्रयोजनो हेतु "कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर बिताया गया समय" माना जावेगा।

3—कर्मचारी को उक्त अवधि में वेतन एवं भत्तों का भुगतान उस दर से किया जावेगा जो समय समय पर प्रभावशील थी जैसे यदि वह नियम 244 (2) के अनुसार सेवा-निवृत्त नही होता। सेवा नियम 54 के नीचे टिप्पणी (5) मे अकित प्रक्रिया का यहाँ अनुकरण किया जावे यदि कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से रिक्त स्थाई पद को स्थाई रूप से भर दिया गया हो।

4—कर्मचारी के सेवा मे पुनः प्रस्थापित होने पर, उसे तीन माह का नोटिस वेतन, मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान (डी. सी आर. ग्रेच्युटी) और पेंशन की राशि, यदि उसे भुगतान की गई है, को एक मुश्त मे पुनःकर्त्तव्य (ड्यूटी) भार-ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि मे वापस जमा करानी होगी। यदि निर्धारित अवधि मे उपरोक्त भुगतान की गई राशि वापिस जमा करवा दी जाती है तो किसी प्रकार का व्याज नही लिया जावेगा।

[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (41) वि वि. (श्रे-2)/76 दि 23-9-1976 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण:—नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त कर्मचारी को सेवा में वापस लेने पर वेतन एवं भत्तो का निर्धारण:—

कार्मिक विभाग के आदेश सख्या एफ. 13 (42) कार्मिक (ग्रुप-सी-आर)/77 दिनांक 22 अप्रेल, 1977 जो वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (41) वि.वि (ग्रुप-2) 76 दिनांक 23 सितम्बर, 1976 के साथ पठनीय है, की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेशों की क्रियान्वति के सम्बन्ध मे जो सन्देह व्यक्त किये गये है उनका निम्न-प्रकार स्पष्टीकरण देने को कहा गया है:—

उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी ने सेवा-निवृत्ति के बाद तथा सेवा मे वापिस लेने की तारीख से पूर्व वाले दिन तक यदि निजी नियोजन द्वारा अथवा किसी व्यापार/व्यवसाय कार्य। धन्धे से आय प्राप्त की है तो क्या उसका ऐसे कर्मचारी को उक्त अवधि के लिए देय वेतन एव महगाई भत्ते को राशि से समायोजन किया जावेगा ?	1. उक्त अंकित आदेशों के अनुसरण में सेवा-निवृत्त जिन कर्मचारियो को सेवा पर वापिस लिया गया है उन्हें सेवा-निवृत्ति से वापिस सेवा में आने की बीच की अवधि का वेतन एवं भत्ते आदि के अलावा कुछ नही दिया जावेगा जब तक वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही कर दे कि उसने उस अवधि में किसी नौकरी/व्यापार/व्यवसाय एवं धन्धे से कुछ नही कमाया है। यदि वह किसी नौकरी, व्यापार/व्यवसाय या धन्धे में लगा रहा हो तो उसे इस अवधि का वेतन एवं भत्ते आदि निम्न सिद्धान्तों के अनुसार दिये जावेंगे। यदि उक्त अवधि मे अर्जि। आय इस अवधि के लिये देय वेतन एव मंहगाई भत्ते की राशि से कम बनती हो। — ऐसे कर्मचारी को देय वेतन एवं भत्ते की राशि एवं अर्जित आय की राशि के बीच के अन्तर की राशि का ही भुगतान किया जावेगा। यदि उक्त प्रकार अर्जित आय वेतन एव भत्ते की राशि के समान या अधिक है। — उसे वेतन एवं भत्ते आदि के रूप में कुछ नही दिया जावेगा।
2. क्या ऐसे कर्मचारी को सेवा पर पुनः लिये जाने पर अपने पद के कर्त्तव्य-ग्रहण करने पर उसें यात्रा-भत्ता दिया जावेगा जब कि वह उस स्थान पर पुनः लिया गया है जिससे उसे सेवा निवृत्त किया गया था ?	2. ऐसे कर्मचारी को अपने सामान्य निवास के स्थान से पद स्थापित वाले स्थान पर जाने का कोई यात्रा भत्ता नही मिलेगा यदि उसे उसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है जहा से उसे सेवा निवृत्त

किया गया था। यदि उसे सेवा-निवृत्ति की अवधि वाले निवास स्थान के बजाय अन्य स्थान पर पद-स्थापित किया जावे तो उसे यात्रा-भत्ता नियमों के अनुसार स्थानान्तरण वाली यात्रा मानकर यात्रा भत्ता आदि सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व पद स्थापन वाले स्थान से नये पद-स्थापन वाले स्थान तक का दिया जावेगा।

3. क्या नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से सेवा पर पुनः लिए जाने की तारीख से पूर्व के दिन तक की सेवा से अनुपस्थिति की अवधि को सामान्य वेतन-वृद्धि, अवकाश, वेतन आदि प्रयोजनों के लिये गिना जायेगा ?

3. इस बीच की अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य (ड्यूटी) माना जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प 1 (41) वि. वि. (प्र.प-2)76 दिनांक 8 जून. 1977 द्वारा निविष्ट]

स्पष्टीकरण:—वित्त विभाग के सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 23-9-1976 एवं 8-6-1977, जो उक्त विषय पर जारी किये गये हैं, के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उठाये गये निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है:—

उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये उन कर्मचारियों से जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत थे और जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि योजना के लाभों को चुका दिया गया हो, क्या उनसे अंशदायी भविष्य निधि लाभों को वापिस लौटाने के लिये कहा जावेगा ?	1. सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत-अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये कर्मचारियों के सेवा में वापिस लौटने पर उन्हें 3 माह का चुकाया गया नोटिस-वेतन तथा सेवा-निवृत्ति-लाभ, जो उसने सेवा-निवृत्ति के समय प्राप्त कर लिये थे, को लौटाने होंगे। इस प्रकार एक राज्य कर्मचारी जो अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होता था को, अंशदायी भविष्य निधि लाभों को लौटाने के लिए कहा जावेगा। अर्थात् उसे सारे लाभ वापिस लौटाने होंगे।
2. क्या एक कर्मचारी से, जो सामान्य भविष्य निधि योजना का सदस्य था और जिसे सामान्य भविष्य निधि की राशि, सेवा-निवृत्ति के समय चुकादी गई थी, उस राशि को उसके सेवा में बहाल हो जाने पर वापिस लौटाने के लिये कहा जावेगा अथवा नहीं ?	2. सामान्य भविष्य निधि नियमों के अनुसार यह एक स्वेच्छिक योजना है। कर्मचारी के लिए यह वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है कि वह सामान्य भविष्य निधि के लाभों को वापिस लौटाये। यदि कर्मचारी बहाल होने पर सामान्य-भविष्य-निधि में योगदान करना चाहे तो वह पुनः जी० पी० एफ० नियमों के अनुसार मासिक अंशदान देकर उसका सदस्य हो सकता है।

3. अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये कर्मचारी को बहाल किये जाने पर उसे सेवा निवृत्ति के समय चुकाये गये 3 म ह के नोटिस के वेतन तथा पेन्शन सम्बन्धी लाभो अर्थात् पेन्शन, मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति उपदान की राशि एव अशदायी भविष्य निधि के लाभ, यदि कर्मचारी उसका सदस्य है, को कर्मचारी से नकद मे एक मुश्त जमा कराने के लिए कहा जावेगा अथवा वह राशि, बहाल किये जाने पर, कर्मचारी को देय वेतन एव भत्तो के एरियर की राशि से समायोजित की जावेगी ?

3. नोटिस वेतन आदि, सेवा-निवृत्ति के लाभों की राशि का समायोजन उस राशि से किया जावेगा जो एक कर्मचारी को सेवा में बहाल किये जाने पर वेतन एव भत्तों के एरियर के रूप मे दी जावेगी। जिन मामलो मे वापिस लिये जाने वाली समस्त धनराशि का समायोजन वेतन एव भत्तो के एरियर से नही हो पावे तो अवशेष राशि को एक राज्य कर्मचारी अपने माह के वेतन से 1/3 भाग की सीमा तक कटाकर चुका सकता है। ऐसे मामले मे अवशेष चुकायी जाने वाली राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जावेगा।

4. सेवा-निवृत्ति लाभों को जो एक कर्मचारी एक मुश्त अपनी बहालगी के बाद सेवा पर आने के एक माह के भीतर यदि जमा नही करायें तो उस राशि पर किस दर से ब्याज लिया जावेगा ?

4. ऐसे मामले मे नोटिस-वेतन तथा सेवा-निवृत्ति के लाभों की राशि पर, यदि निर्धारित अवधि मे नही लौटायी जावे तो उस पर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जावे।

5. क्या नोटिस वेतन तथा सेवा-निवृत्ति लाभो के लौटाने के बारे मे कोई उल्लेख, सबधित राज्य कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे किया जावेगा ?

5. कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे नोटिस वेतन तथा सेवा-निवृत्ति के पूरे लाभों को लौटाने सम्बन्धी तथ्यो का उल्लेख किया जावेगा और उसमे वेतन बिल अथवा चालान के नम्बर तथा तारीख आदि का भी उल्लेख किया जावेगा और ऐसे इन्द्राजों को कार्यालय के सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जावेगा।

आडिट विभाग को इस सम्बन्ध में, सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की पालना को देखते रहने के लिये यह आवश्यक है कि समस्त विभागाध्यक्ष महालेखाकार राजस्थान को ऐसे मामलो की विभाग वाइज सूची भिजवावें जिसमें सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये और बाद में बहाल किये गये राज्य कर्मचारियों का पूरा विवरण हो। विवरण में कार्यालय का नाम, जहां से कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया है तथा (2) क्या उसको बहाल किये जाने पर पुनः पद भार ग्रहण कर लिया। यदि हां तो पदभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यालय तथा विभाग का नाम जहां पदभार ग्रहण किया (3) नोटिस वेतन एव सेवा-निवृत्ति लाभों को लौटाने सम्बन्धी विवरण, जिसमें वेतन बिल, चालान के क्रमांक तथा दिनांक आदि बतायें जावेंगे।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (41) वित्त (ग्रुप-2) 76 दिनांक 20-4-1978]

स्पष्टीकरण:—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (41) वित्त (ग्रुप-2)76 दिनांक 20 अप्रैल, 1978 द्वारा जिन-जिन बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया था उसमे अनुच्छेद 1 (5) के बाद निम्न प्रकार एक नया अनुच्छेद 1 (6) जोड़ा जावे।

उठाये गये बिन्दु 1 (6)	स्पष्टीकरण
एक राज्य कर्मचारी सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने से पूर्व यदि अपने स्वय के मकान मे रह रहा हो तो क्या वह भी अपनी सेवा मे बहालगी के बाद दिनाक 1–3–1977 से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा ?	एक राज्य कर्मचारी अपनी सेवा में बहालगी के बाद दिनांक 1–3–1977 से वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 12 (2) (2) वित्त/ग्रु.प–2/77 दिनाक 30–3–77 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1–3–1977 से मकान किराया भत्ता प्राप्त कर सकेगा यदि उसने अपनी बहालगी के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 माह की अवधि मे मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये लिखित में निवेदन कर दिया हो। जिन मामलो में एक राज्य कर्मचारी ने मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये अपनी बहालगी के बाद 3 माह की अवधि मे लिखित में निवेदन नहीं किया हो तो उन्हें ऐसा मकान किराया भत्ता उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के दिनाक से ही दिया जावेगा।

[विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (41)/वित्त (ग्रु.प–2) 77 दिनांक 26–5–78]

टिप्पणियां—(1) नियम 244 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपभोग का अभिप्राय इसे केवल ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध उपयोग किया जाना है जिसकी कार्य-दक्षता बिगड़ गई है, किन्तु जिसके विरुद्ध कार्य अ-दक्षता के आरोप लगाया जाना वाछनीय नही समझा गया हो या जो बिल्कुल कार्य-दक्षता से रहित हो गया हो लेकिन इस स्थिति तक नही कि उसको क्षतिपूरक-पेन्शन पुर सेवा-निवृत्त किया जावे। इस नियम को वित्तीय-अस्त्र के रूप मे प्रयोग मे लाने की इच्छा नही है। अर्थात् इस प्रावधान का उपयोग केवल उसी कर्मचारी के सम्बन्ध मे किया जाना चाहिये जो सेवा मे निजी-कारणों से रखे जाने के लिए अयोग्य है न कि वित्तीय कारणों से अयोग्य है।

(2) इस नियम के अन्तर्गत अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति, भारतीय सविधान की धारा 311 के खण्ड (2) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित नही करती है क्योकि ऐसी सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप मे नही समझी जाती है बल्कि यह एक प्रकार से सरकार के सुरक्षित-अधिकार का प्रयोग है जो एक कर्मचारी को बहुत लम्बे काल तक सेवा करने के बाद सेवा से निवृत्त कर सकती है। इसके अनुसार सेवा से हटाने के पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध औपचारिक कार्यवाही करने के लिए वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील नियमो की प्रक्रिया का प्रयोग ऐसे मामलों मे नही किया जाना चाहिये।

(3) यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हो। उनके मामले मे, 'योग्य सेवा' का तात्पर्य उस सेवा से है जो उस तारीख से प्रारम्भ समझी जावेगी जिससे अंशदायी भविष्य निधि मे उसने अशदान देना प्रारम्भ किया है।

नियम 245:—एक कर्मचारी जो दो से अधिक पदों पर कार्य कर रहा हो, वह सरकार के वित्त विभाग की स्पष्ट स्वीकृति के बिना, एक या एक से अधिक ऐसे पदों से, अपना त्याग-पत्र उस समय तक नही दे सकता जब तक वह साथ-साथ सार्वजनिक सेवा से भी त्याग-पत्र नही देता हो। सेवा को एक साथ छोडने के लिए दबाव डाले बिना ही किसी भी समय उसे एक या एक से अधिक पदों के कार्यभार से मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है। किन्तु ऐसे मामले में जिस पद से वह भार-मुक्त किया गया है उस पद या पदों की सेवा के लिए उसे देय कोई पेंशन उस समय तक रोक ली जावेगी जब तक वह अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त नही कर दिया जाता है।

नियम 246:—चतुथ श्रेणी सेवा के लिए पेंशन:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 35 (48)आर/52 दिनांक 1-10-53 द्वारा निरस्त किया गया।(देखिए नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या-3)

अध्याय 21

पेंशनों की राशि

खण्ड–1 : सामान्य-नियम

नियम 247 : पेंशन राशि किस प्रकार नियमित होती हैः—जो धनराशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जा सकती है वह नियम 256 एवं 257 में वर्णित सेवा-अवधि के आधार पर निश्चित की जाती हैं। वर्ष के किसी भाग को गणना में नहीं लिया जाता है। अन्तिम रूप से संगणित पेंशन की धनराशियां तथा प्रत्याशित पेंशन की राशियां उससे अगले रुपये में परिवर्तित की जानी चाहियें।

जो कर्मचारी 18-12-1961 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक वर्ष के 6 माह तक का हिस्सा या उससे अधिक समय का हिस्सा उसे देय किसी भी पेंशन को गिनने के लिये पूर्ण 6 माह के रूप में समझा जावेगा।

टिप्पणी 1:—पेंशन-योग्य-सेवा गिनने में एक आधे दिन के अंश को पूर्ण कार्य का अगला दिन मान लिया जावे। उदाहरण के लिये किसी राज्य कर्मचारी ने 29 वर्ष 11 मास 29½ दिन सेवा की है तो उसकी योग्य सेवा गिनते समय आधे दिन के हिस्से के लिये एक आगे का पूरा दिन मान लिया जावेगा।

2—ऐसे मामलों में जहां सक्षम-प्राधिकारी नियम 169, 170, 175-ए, या 248 के अधीन पेंशन में कटौती करने के आदेश देता है, तो कटौती सम्पूर्ण रुपयों में ही की जानी चाहिये ताकि परिणाम स्वरुप बनी पेंशन भी कटौती किये जाने के बाद वह उसे सम्पूर्ण रुपयों में चुकाई जा सके।

टीकाः—राजस्थान सरकार का निर्णय व उसके नीचे वाला स्पष्टीकरण 23-8-1966 की अधिसूचना से विलोपित तथा 1-9-1966 से प्रभावी।

नियम 248 (क) अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पेन्शन की स्वीकृतिः—साधारणतया इस नियम के अन्तर्गत देय-पूर्ण-पेंशन नहीं दी जाती है या पूर्ण;पेन्शन उस समय तक नहीं दी जाती जब तक उसके द्वारा की गई सेवाएं वास्तविक रूप से अनुमोदित नहीं हो गई हों।

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा की गई सेवाए उप-नियम (क) के अनुसार संतोषप्रद नहीं है तो पेंशन-स्वीकृत-कर्ता-प्राधिकारी पेंशन अथवा उपदान या दोनों में से ऐसी राशि को कटौती करने का आदेश दे सकता है जिसे वह प्राधिकारी उपयुक्त समझे।

किन्तु पेंशन अथवा उपदान दोनों में से कटौती करने का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कर्मचारी को इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (20) वि. वि. (श्रेणी-2)/75 दि. 5-9-1975 द्वारा प्रति-स्थापित]

टिप्पणी 1:—यदि पेंशन पहले ही स्वीकृत करदी जाती है, तो वह बाद में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने पर नहीं घटाई जा सकती है जो पेंशन-स्वीकृत करते समय नहीं मिला हो पर बाद में मिलता हो एवं जिसमें यह दिया हुआ हो कि पेंशन-प्राप्त-कर्त्ता की सेवायें पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं रही हैं।

2—जब नियमों के अन्तर्गत अधिकतम-देय-राशि से कम-राशि पेंशन के रूप में किसी कर्मचारी को दी जाती हो तो जब कभी इस प्रकार के आदेश जारी करने का प्रस्ताव किया गया हो उसमे लोक-सेवा-आयोग से परामर्श किया जाएगा। यह परामर्श उन सेवाओं के सम्बन्ध में किया जावेगा जिनके लिये वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के नियम 17 (ii) के प्रयोजनो के लिए लोक-सेवा-आयोग का परामर्श आवश्यक है।

3—जब एक कर्मचारी की पेंशन को घटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसे आदेश से प्रभावित होने वाला कर्मचारी उस प्राधिकारी को अपील करने का अधिकारी होता है जिसके पास निष्कासन या हटाये जाने पर अपील की जाती है।

4 (क) दण्डनीय-वसूली लागू करने मे नियम 248 का प्रयोग नही किया जा सकता, परन्तु कर्मचारी द्वारा किए गए किसी जालसाजी या उसके द्वारा उदासीनता बरती जाने का कोई विशिष्ट प्रमाण इस निर्णय का एक आधार बन सकता है कि उसकी सेवाएं पेंशन में कमी करने के लिये पूर्णतया संतोषजनक नहीं रही है।

(ख) नियम के अन्तर्गत पेंशन की राशि में कमी करने का आधार उसी सेवा की सीमा तक होना चाहिये जिस तक कर्मचारी की सेवा पूर्णतया सन्तोषजनक सेवा के स्तर तक नही मानी गई है तथा किसी कटौती की राशि राज्य सरकार को हुई हानि की राशि के समान काटना सही नही है।

(ग) यह नियम पेंशन की राशि मे से साधारण रूप में स्वीकृत करने योग्य स्थाई कटौती का प्रावधान करता है तथा किसी विशिष्ट एक वर्ष की भुगतान करने योग्य पेंशन की कटौती करने के लिये स्वीकृति नही देता है।

5—यह नियम नही के बराबर या एक मामूली सी रकम के बराबर साधारण पेंशन की कटौती करने के लिये अधिकार नही देता है।

आडिट निर्देशन:— टिप्पणी संख्या 4 (क) के अन्तर्गत जब तक एक बार सक्षम-प्राधिकारी यह पाता है कि एक कर्मचारी पूर्णतया सन्तोषजनक सेवा नहीं कर चुका है तथा वह नियम 248 (ख) के अन्तर्गत पेंशन की राशि काटता है तो आडिट के लिये यह पूछना सभव नही होगा कि किस आधार पर कटौती की राशि तय की गई है, क्या कुल कटौती की गई धन-राशि कर्मचारी द्वारा जालसाजी या उदासीनता बरती जाकर जो सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी राशि के बराबर है या उससे अधिक है अथवा कम/यह सारा मामला पूर्णतया प्रशासनिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा एवं इसका सम्बन्ध आडिट से कुछ भी नही होगा।

टिप्पणी संख्या 4 (ग) के सम्बन्ध मे आडिट यह देखेगा कि उसमें दिए गए निर्देशनों का पालन पूर्णतः किया गया है।

राजकीय आदेश:—जहां सेवाऐं पूर्णतया संतोषजनक नही होने के कारण नियम 248 के अन्तर्गत दण्ड के रूप मे पेंशन मे कटौती की गई है, वहा नियम 257 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-उपदान (डैथ-कम-रिटायरमेंट-ग्रैच्युटी) की राशि से भी स्वतः ही कटौती की जानी चाहिये।

नियम 248 के अन्तर्गत पेंशन एवं मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-ग्रैच्युटी दोनों मे से किसी एक मे से कटौती की जा सकती है। यह कटौती करने वाले अधिकारी के निर्णय पर छोड़ा जाता है कि उस द्वारा किसी एक व्यक्तिगत मामले मे पेंशन और ग्रैच्युटी दोनों या किसी एक मे से कटौती की जानी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे अधिकारी को अपनी इच्छा स्पष्टतः एवं सन्देह-रहित भाषा में स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जहा पेंशन तथा ग्रैच्युटी दोनों को ही प्रतिशत के रूप मे या निश्चित राशि के रूप में घटाने की मंशा व्यक्त की गई हो तो ऐसी इच्छा का उल्लेख स्पष्ट रूप से, जारी किये जाने वाले आदेश में, किया जाना चाहिये एवं जहा जारी किये गये आदेश में कटौती केवल पेंशन की राशि से ही किये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो वहा ग्रैच्युटी की राशि स्वतः ही कम नही की जावेगी।

नियम 249—पेंशन का अधिकारी एक राज्य-कर्मचारी पेंशन के बदले ग्रेच्युटी नहीं ले सकता है।

टिप्पणी—आदेश क्रमांक एफ 1 (58) वि. वि. (क) (नियम)/62 दिनांक 8-2-63 द्वारा विलोपित ।

नियम 250—(1) जब शब्द, "वेतनादि-की-राशि" (इमोल्युमेन्टस) सेवा नियमों के इस भाग में प्रयुक्त किया जावे तो इसका तात्पर्य उस "वेतनादि-की-राशि" से है जिसे कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था एवं इसमें निम्न-सम्मिलित होते हैः—

(क) सावधि पद के अतिरिक्त स्थाई रूप से धारण किये गये स्थाई-पद का मूल वेतन।

(ख) विशेष वेतन जो एक कर्मचारी द्वारा सेवा की विशेष-रूप से कठिन प्रकृति को देखते हुए या बढ़े हुए कार्य एव उत्तरदायित्व को देखते हुए या ऐसी सेवा करने के फलस्वरूप जो अपने पद से सम्बन्धित न हो तथा जिसके लिये कोई स्वीकृत पद न हो, प्राप्त किया जाता है।

राजकीय निर्णयः—"साक्षरता-भत्ता" जो पुलिस सिपाहियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा गत तीन वर्ष की अवधि मे प्राप्त किया जाता है। सेवा नियम 250 के अन्तर्गत, चूंकि "साक्षरता-भत्ता" विशेष वेतन के समान होता है, पेन्शन के लिए गिना जाना चाहिये।

(ग) *"व्यक्तिगत-वेतन" जो सावधि पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी-पद के सम्बन्ध में स्थाई-वेतन के बदले में स्वीकृत किया जाता है।*

(घ) (विलोपित)

(ङ) स्थायी-नियुक्ति-रहित एक कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, यदि उस पद की सेवा-अवधि नियम 188 के अन्तर्गत-पेन्शन के लिए गिनी जाती हो एवं जिसका भत्ता एक ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है जो अन्तः कालीन रूप में थोड़े समय के लिये स्थायी-रूप में नियुक्त किया गया है या जो एक ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता है जो स्थाई रूप से रिक्त हो एव जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार नही हो, या जो ऐसे पद पर नियुक्त होता जो उसके स्थाई कर्मचारी के बिना भत्तों के अवकाश पर या वाहरी सेवा में स्थानान्तरण पर चले जाने से उसकी अनुपस्थिति मे अस्थाई रूप से रिक्त हो।

(2) यदि एक कर्मचारी जिसकी स्थाई रूप से नियुक्ति की गई हो एवं जो दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता हो या जो स्थाई पद को धारण करता हो, उसके सम्बन्ध में "वेतनादि-की-राशि" का तात्पर्य—

(क) उस "वेतनादि-की-राशि" से है जो इस नियम के अन्तर्गत उस पद के सम्बन्ध में गिनी जाती है जिस पर वह स्थानापन्न रूप में कार्य करता है या उस "वेतनादि-की-राशि" से है जो उसके स्थाई पद के सम्बन्ध में, जैसी भी स्थिति हो, गिनी जाती है, या

(ख) उस "वेतनादि-की-राशि" से है-जो इस नियम के अन्तर्गत गिनी जा सकती थी यदि वह अपने स्थाई पद पर रहता है, इसमें से जो भी उसे अधिक लाभदायक हो।

टिप्पणियां—(1) निम्नलिखित निर्णय 1 अप्रेल, 1950 से पूर्व की सेवाओं के सम्बन्ध मे लागू होंगे:—

(क) एक कर्मचारी अपने अल्पकालीन भत्ते को "वेतनादि-की-राशि" में नही गिना सकता है यदि वह एक वरिष्ठ अधिकारी के अनिश्चित समय के लिये स्वीकृत पद पर नियुक्त हो जाने पर उसके स्थान पर "अल्प-समय" के लिये लगाया जाता है।

(ख) एक कर्मचारी जो स्थाई रूप से नियुक्त है, उसके अल्प-कालीन भत्ते को पेन्शन के लिये "वेतनादि" के भाग के रूप मे शामिल नही किया जा सकता है यदि वह एक ऐसे अस्थाई पद को धारण किये हुये कर्मचारी के स्थान पर, जो बाद मे स्थायी कर दिया जाता है, अल्पकाल के लिये नियुक्त किया जाता है।

(ग) अस्थाई रूप से स्थानान्तरित एक कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त एक कर्मचारी के अल्पकालीन भत्तों को "वेतनादि-की-राशि" के अश के रूप में नही माना जा सकता है।

(घ) एक कर्मचारी के परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर स्थानान्तरित होने के कारण उसके पद पर अल्प-समय के लिये पदोन्नत कर्मचारी के अल्पकालीन-भत्ते "वेतनादि-की-राशि" के अश के रूप मे समझे जावेंगे क्योकि उस समय के लिये उस स्थानान्तरित कर्मचारी का पदाधिकार उस पद पर निलम्बित किये हुये रूप मे समझा जाता है।

(2) जब एक कर्मचारी, अपने अवकाश काल मे, एक निम्न-पद से उच्च-पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर वह उस समय तक अपने बढ़े हुये वेतन का लाभ प्राप्त नही करसकता है जब तक वह सेवा पर उपस्थित नही होता है। यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित हुये बिना ही ग्रेच्युटी के साथ सेवा निवृत्त हो जाता है, तो वह (जैसा ऊपर कहा गया है) अपने अवकाश-काल मे पदोन्नत होने के कारण जो वेतन-वृद्धि हुई है, उसके आधार पर ग्रेच्युटी के लाभ का क्लेम नही कर सकता है।

(3) नियम 250 (घ) मे प्रयुक्त "वेतनादि-की-राशि" शब्द की परिभाषा केवल ग्रेच्युटी के मामलों मे ही लागू होती है न कि पेन्शन के मामलो पर।

(4) जब एक कर्मचारी उपार्जित-अवकाश के अतिरिक्त अन्य-अवकाश-काल मे आगे सेवा करने के लिये अयोग्य होने का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता हो तो उसके सेवा से हटाने की तारीख तक के अवकाश की अवधि को, जब वह चिकित्सा-प्रमाण पत्र देने की तारीख के बाद तक चलता रहे, "औसत-वेतनादि-की-राशि" गिनने के प्रयोजन के लिये गिना जा सकता है।

(5) एक स्थाई कर्मचारी के विदेशी-सेवा में चले जाने के कारण या भत्ते-रहित-अवकाश पर चले जाने के कारण एक-रिक्त-पद पर थोडे समय के लिये अन्तःकालीन या स्थाई-रूप से नियुक्त-कर्मचारी के लिए इस नियम के खण्ड (2) के द्वारा स्वीकृत की गई रियायत केवल उस कर्मचारी तक सीमित नही है जो प्रतिनियुक्ति या अवकाश पर अनुपस्थित-कर्मचारी के पद पर कार्य करता हो किन्तु इस प्रकार की अनुपस्थिति के कारण रिक्त-पदों पर थोड़े समय के लिये अन्तःकालीन या स्थाई-रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर भी लागू है।

(6) कमीशन प्राप्त करने वाले एक ऐसे कर्मचारी के औसत "वेतनादि" की गणना में, जो अपनी सेवा के अन्तिम 3 वर्षों में कुछ समय के लिये अस्थाई सेवा मे प्रतिनियुक्त किया गया था, एवं जिसने वेतन प्राप्त किया था, उसके द्वारा अर्जित गत 2 वर्ष का कमीशन उस समय से बांटा जाना चाहिये जिस तक उसने उन वर्षों में स्थायी नियुक्ति धारण की। इसमे प्रतिनियुक्ति का समय जोड़ देना चाहिये।

नियम 250 (2) के लाभ के लिए मांग करने के पूर्व उस नियम में वर्णित दोनों शर्तों का पालन करना चाहिये अर्थात्—

(क) सम्बन्धित कर्मचारी को पद से अनुपस्थित रहना चाहिये, एवं

(ख) उसे पेन्शन के प्रयोजन के लिये अपने पद से कोई सम्बन्ध नही रखना चाहिये।

(13) अंशकालिक-सेवा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी के लिये जो विशेष-वेतन दिया जाता है, "वेतनादि-की-राशि" मे गिनने के लिए सम्मिलित नही किया जा सकता।

(क) *यह निर्णय किया गया है कि सेवा नियमों मे वर्तमान पेंशन नियमों की व्याख्या सेवा नियमों के इस भाग में दी गई वेतन या विशेष वेतन की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये न कि नियम 7 (24) एव (31) में दी गई परिभाषाओं को ध्यान में रख कर की जानी चाहिये एवं वे भत्ते जो स्थानीय क्षतिपूरक भत्तों के रूप मे समझे जाते है, एव जो "विशेष-वेतन" के रूप मे घोषित नही किये जाते हैं एव इस प्रकार जो वेतन के रूप में शामिल कर लिये जाते है, सरकार की स्वीकृति के बिना नियम के इस भाग के अन्तर्गत पेंशन के लिये "वेतनादि-की-राशि" के रूप मे नहीं गिने जा सकते है एवं सेवा नियम 168-ए मे वर्णित पेन्शन को "औसत-वेतनादि-की-राशि" निकालने के प्रयोजन में भी सम्मिलित नही किये जा सकते है एव इन्हें नियम 7 (24) मे वर्णन किये गये अनुसार शामिल नही करना चाहिये।*

(14) जब एक कर्मचारी का पदाधिकार उसके पद पर से समाप्त कर दिया जाता है तो सभी ऐसे कर्मचारियों का बढा हुआ वेतन, जिनकी नियुक्तियां रिक्त स्थानो के क्रम पर अन्तः कालीन रूप में हुई हैं इस नियम के अन्तर्गत पेन्शन को गणना के प्रयोजन के लिए "औसत-वेतनादि-की-राशि" के भाग के रूप मे गिना जाना चाहिए।

आडिट निर्देशनः—(1):—विशेष-वेतन च हे स्थाई कर्मचारी द्वारा या एक कार्यवाहक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया हो उसे बिना किसी शर्त के पेन्शन के लिए "औसत-वेतनादि-की-राशि" मे सम्मिलित कर लेना चाहिए।

(2) सभी भत्तो सहित अवकाशों में विशेष-वेतन को पेन्शन के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी के वेतनादि के भाग के रूप मे गिना जाना चाहिये यदि इसमें कोई सन्देह नही हो कि यदि वह ड्युटी पर रहता तो विशेष-वेतन प्राप्त करता एव इस सम्बन्ध की एक घोषणा सक्षम-प्राधिकारी द्वारा की जाती हों।

(3) इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत पेन्शन के प्रयोजनों के लिये "वेतनादि-की-राशि" के रूप मे कार्यवाहक-वेतन को गिने जाने की रियायत केवल उन्ही लोगो को देय है जो ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप मे कार्य करते है, जो स्थाई रूप से रिक्त है एव यह उन लोगों के लिये देय नही है जो रिक्त स्थानों के क्रम मे कार्यवाहक नियुक्त किये जाते हैं जिनके बारे मे यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थाई रूप से रिक्त पदो पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के बारे मे दी गई शर्तें पूरी हो जाती है। यह स्थिति टिप्पणी संख्या (5) से प्रभावित नही हुई है जो पद के स्थाई कर्मचारी के भत्ते रहित अवकाश या विदेशी सेवामें चले जाने से उसकी अनुपस्थिति के कारण रिक्त पद पर थोड़े समय के लिये अन्तःकालीन या स्थाई रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियो को लाभ प्रदान करती है।

(4) यदि एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के समय दो पदों पर कार्य करता है तो उसे जो भी पद ऊंचा हो, उसके "औसत-वेतनादि" का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये।

(5) ऐसे मामले में जहां सवर्गीय पदो (जिनमे से कुछ के साथ विशेष वेतन मिलता है) के बारे मे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे कौन से पद को स्थाई समझा जावे जिस पर कर्मचारी बना रहता यदि वह अन्यत्र

कहीं कार्यवाहक रूप मे नियुक्त नहीं किया जाता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय केवल सक्षम-प्राधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यो को ध्यान मे रखते हुये किया जा सकता है चाहे विशिष्ट पद कार्यवाहक नियुक्ति के ठीक पूर्व ही धारण किया गया हो एव चाहे एक कर्मचारी को एक विशिष्ट पद पर या नियम 250 (3) (ख) के प्रयोजन के लिये सवर्ग (केडर) मे एक पद पर पदाधिकार रखने की वास्तविक स्वीकृति दे दी गई हो।

(6) उन कर्मचारियो के मामले मे जिनको सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है एवं जो चार माह तक के औसत वेतन पर अवकाश के समय में या चार माह से अधिक औसतन वेतन पर अवकाश की प्रथम चार माह की अवधि मे, एक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते है जो रोकी नही जाती है, तो [illegible] इस वेतन को, जिसे वह प्राप्त करता रहता, यदि वह ड्यूटी पर रहता, पेन्शन एव मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-[illegible] के प्रयोजन के लिए "वेतनादि-की-राशि" के रूप मे गिना सकता, यद्यपि वह बढा हुआ वेतन [illegible] काल में प्राप्त न किया गया हो।

(7) भारत सरकार असैनिक सेवा नियमो की धारा 486 के अन्तर्गत महालेखाकार के द्वारा लिये गये निर्णय को नीचे दोहराया जा रहा है—

सकता है, पत्र-व्यवहार की लम्बी दुविधा उत्पन्न करता है। इस संबंध में अनावश्यक देरी से बचने के लिए भविष्य मे विशेष-वेतन की स्वीकृति प्रदान करने मे उन कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये जिनको ध्यान में रखते हुए "विशेष-वेतन" स्वीकृत किया गया है, एवं जब यह हो जाता है तो प्रशासनिक कार्यालय एवं आडिट-आफिस दोनों के लिये निश्चित करना सम्भव हो जाता है कि अमुक "विशेष-वेतन" सेवा भत्ता या प्रति-नियुक्ति-भत्ते की प्रकृति का है या नही।

राजकीय निर्णय संख्या 2—एकीकृत वेतनमान मे अन्तःकालीन रूप में जो वेतन प्राप्त किया गया था वह सेवा के नियम 250 (ग) की समानता पर पेंशन के लिये गिना जा सकता है बशर्ते एवं इस सीमा तक कि उसके द्वारा की गई सेवा किसी नियम के अन्तर्गत अयोग्य सेवा के रूप मे नही मानी गई हो।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—एक सदेह व्यक्त किया गया है कि क्या एक ऐसा अधिकारी जो राजस्थान सेवा नियम 250 (1) (ङ) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसी अवधि के संबंध में जिसमें उसने वास्तव में किसी संवर्ग के बाहर पद पर कार्य किया हो, किसी रिक्त स्थाई पद पर जो किसी अन्य अधिकारी द्वारा वास्तव में धारण किया गया हो। स्थिति यह है कि यदि वह अधिकारी पदेन रूप से वरिष्ठता या चयन, जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर रिक्त पद को धारण करता लेकिन जिस समय पद रिक्त होता है उस समय वह प्रतिनियुक्ति पर या राज्येत्तर सेवा पर होने के कारण चयन या नियुक्ति नही किया जाता है तो उस अधिकारी को "आगामी-नीचे-के-नियम" (नेक्स्ट-बिलो-रूल) के अधीन जारी किये गए प्रमाण-पत्र के आधार पर नियम 250 (1) (ङ) के अधीन लाभ दिया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—कर्मचारी जो संशोधित वेतन-मान मे वेतन उठाते हुए दिनाक 1–9–61 को को या उसके बाद किसी अन्य तारीख को सेवा-निवृत्त होता है, वह वर्तमान आदेशों के अधीन स्वीकार्य पेन्शन में अस्थाई-वृद्धि के लिए किसी भी रूप मे अधिकृत नही होगा। ऐसे कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ता 10/– रु. या 20/– रु. जैसी भी स्थिति हो, जो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (51) वित्त/वि/ए–/नियम/61 दिनाक 18–12–61 के अनुसार उठाया जाता है, पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के प्रयोजनार्थ "वेतनादि-की-राशि" के रूप मे गिना जायेगा। फिर भी, जहां ऐसे कर्मचारी को गत तीन वर्षों की सेवा में ऐसी सेवा सम्मिलित हो जिसमें "वह वर्तमान-वेतनमान" (नियम 5 (9) में परिभाषित) वेतन प्राप्त करता है तो ऐसी अवधि के संबंध में वित्त विभाग के आदेश संख्या 4641/58 एफ 7ए (14) वित्त वि./ए/नियम 58 दिनांक 2–3–59 के अनुच्छेद (4) मे दिये गये महगाई-वेतन को "वेतनादि-की-राशि" के रूप में गिने जाने संबंधी प्रावधान लागू होगे।

उपरोक्त अनुच्छेद (1) मे अन्तर्विष्ट आदेश उन सरकारी कर्मचारियो पर लागू नही होंगे जो वर्तमान में वेतनमान में वेतन उठाते हुए 1 सितम्बर, 1961 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो जाते है। ऐसी पेंशन मे मे अस्थाई-वृद्धि के लिए या वित्त विभाग के आदेश स. 4641/58 एफ 7ए (14) वित्त वि./नियम/58 दिनाक 2–3–59 के अनुच्छेद 4 (ख) के अनुसार पेन्शन एवं उपदान के प्रयोजनार्थ महगाई वेतन को "वेतनादि-की-राशि" के रूप मे गिनने का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

नियम 250–ए:—एक कर्मचारी जो 1–1*[illegible]*–1961 या उसके बाद सेवा-निवृत्त होता है एवं उसने नियम 250 (1) (ङ.) में दी गई परिस्थितियों को छोडकर सेवा-निवृत्ति से पूर्व स्थाई-पद धारण किया है या एक ऐसा स्थाई-पद धारण किया है जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय से विद्यमान है या जो इतने समय के लिए स्वीकृत किया गया है, जब इस पद की वेतन-दर मूल स्थाई वेतन से अधिक हो तो नियम 251 के अन्तर्गत उसकी "औसत-वेतनादि-की-राशि" एवं नियम 250 के अन्तर्गत "वेतनादि-की-राशि" स्थाई वेतन एवं स्थानापन्न वेतन के अन्दर तक बढा दी जावेगी बशर्ते सेवा-निवृत्त होने से पूर्व न्यूनतम उस पद पर एक वर्ष तक लगातार कार्य किया हो।

टीका:—यह सुविधा अवकाश की अवधि में भी प्राप्त होगी बशर्ते कर्मचारी उस पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता रहता यदि यह अवकाश पर प्रस्थान नहीं करता।

टिप्पणियां - (1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए सेवा के गत एक वर्ष मे लिए गये सभी प्रकार के अवकाश एक वर्ष की अवधि में गिने जावेंगे यदि यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि कर्मचारी उच्च-पद-पर-कार्यवाहक-रूप मे कार्य करता रहता यदि वह अवकाश पर प्रस्थान नही करता।

(2) इस नियम के अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन को गिने जाने का लाभ एक ऐसे कर्मचारी के लिए नही दिया जावेगा जब उससे एक वरिष्ठ (सीनियर) व्यक्ति उच्चतर-पद पर नियुक्त किया जा सकता था, जब तक वरिष्ठ व्यक्ति विशेष रूप से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा अधिक्रमित (सुपरसीड़) न किया गया हो।

नियम 250–बी.—दिनांक 1 जून, 1969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबध में नियम 250 तथा 250-ए में किसी बात के होते हुए भी, सेवा नियमों के इस भाग में जब भी तथा जहां भी "वेतनादि-की-राशि" शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका तात्पर्य नियम 7 (24) में यथा परिभाषित "वेतन" से है जिसे अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व पा रहा था।

टिप्पणी संख्या 1—यदि कोई अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु से तुरन्त पूर्व भत्तों सहित अवकाश पर सेवा मे अनुपस्थित रहता है तो उपदान-एवं-मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान की गणना के प्रयोजनार्थ उसकी "वेतनादि-की राशि" वही समझी जानी चाहिए जिसे वह ड्यूटी से अनुपस्थिति नही रहने पर प्राप्त करता।

किन्तु-यदि उपदान की राशि, वेतन मे, जो यथार्थ रूप मे आहरित नही किया गया है, वृद्धि के कारण नही बढ़ाई गई है तथा उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई वेतन का लाभ केवल उसी समय दिया गया है जबकि यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि अवकाश पर प्रस्थान करने के अतिरिक्त वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई पद को धारण करता रहता।

टिप्पणी संख्या 2:—सावधि पद (टेन्योर) पर नियुक्तियो मे आहरित वेतन गिना जाएगा बशर्ते सावधि नियुक्तियों मे सेवा, विशेष अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति के लिए योग्य न हो।

टिप्पणी संख्या 3:— बाहरी सेवा मे रहते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित वेतनादि-की-राशि पेंशन एवं उपदान के लिए गिनी जाएगी। ऐसे मामले मे वही वेतन जिसे कर्मचारी बाहरी सेवामे न भेजे जाने पर प्राप्त करता रहता, इसमें गिना जायेगा।

राजकीय आदेश संख्या 1:—नियम 250–बी के प्रावधान नवीन वेतनमानों के प्रभाव में आने की तारीख दिनांक 1–9–68 से प्रभाव में आवेंगे।

(2) इन आदेशों के जारी किए जाने से पूर्व निर्णय किये गये मामलों पर पुनर्विचार किया जावेगा तथा उन्हें इन आदेशो के अनुसार निर्णित किया जायेगा।

[वि.. वि. की आज्ञा सं. एफ 1 (40) वि वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 10–8–70 द्वारा निविष्ट]

नियम 250–सी–(1) (क)—नियम 250, 250–ए तथा 250–बी में कुछ भी प्रावधान होते हुए भी जो कर्मचारी दिनांक 1–4–70 को या बाद में सेवा-निवृत्त होते है, उनके मामले में पेंशन-उपदान एवं मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान में प्रयुक्त शब्द "कुल-वेतनादि" का अर्थ होगा, नियम 7 (24) में परिभाषित "वेतन" और उस वेतन के अनुसार मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, जो वह अधिकारी अपनी निवृत्ति के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था, भी वेतन माना जावेगा।

(1) चिकित्सा-अधिकारियों द्वारा आहरित "नान-प्रक्टिसिंग-भत्ता" एवं "प्र

वेतन का एक भाग नहीं माना जावेगा जब तक वह सेवा-निवृत्ति के दिनांक के तुरन्त पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक लगातार आहरित नहीं किया गया हो।

(9) विशेष वेतन, यदि कोई हो, जो किसी दूसरे पद के अतिरिक्त कार्य के लिए (अपने पद के कार्य से अतिरिक्त कार्य करने पर) स्वीकृत किया जाता है, इस नियम के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जावेगा।

[संख्या एफ. 1 (19) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 13-8-74 द्वारा निविष्ट एवं 1-10-73 से प्रभावशील]

(3) जो कर्मचारी "एक्स-केडर" पद पर कार्यरत रहते हुए अपने संवर्ग के वेतन के साथ-साथ "एक्स-केडर" पद पर आहरित "विशेष वे न" प्राप्त करते है, उस को इस नियम के अधीन वेतन का भाग गिना जावेगा (यह 1-4-1970 से प्रभावशील है) किन्तु एक्स-केडर पद पर नियुक्ति किसी के अवकाश पर जाने से रिक्त हुए स्थान पर अथवा स्वयं के पद के साथ-साथ दूसरे पद का अस्थाई रूप से कार्यभार नही संभाला गया हो।

[संख्या एफ 1 (19) वि. वि. (नियम)/76 दिनांक *28-6-1976* द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 1-4-70 से प्रभावशील]

250-सी (ख) (1) यदि एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के तुरन्त पूर्व अवकाश के कारण कार्य पर से अनुपस्थित रहता है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसके "वेतनादि" वह होंगे जो वह अनुपस्थित नही होने की दशा में प्राप्त करता।

(2) यदि कोई कर्मचारी, अपनी सेवा-निवृत्ति या अन्यथा रूप मे जब विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हुई हो व अन्तिम आज्ञा नहीं दी गई हो और उसके तुरन्त पूर्व निलम्बित हो, तो उसका वह "वेतनादि" जो निलम्बन के तुरन्त पहले था, उसे इन नियमों के नियम 170-ए के अधीन अतःकालीन पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ गिना जावेगा।

टिप्पणी (1):—एक कर्मचारी द्वारा बाहरी सेवा मे प्राप्त "वेतनादि" को पेंशन और उपदान के लिए नही गिना जावेगा। ऐसे मामले में वह कर्मचारी सरकार के अधीन जो वेतन प्राप्त करता यदि वह प्रतिनियुक्ति पर या बाहरी सेवा मे नही जाता, केवल वही गिना जावेगा।

नियम 250-सी (2)—एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो अपने मूल पद पर पदाधिकार रखते हुए अन्य उच्च पद पर नियुक्ति के कारण कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हो उसके ऐसे स्थानापन्न वेतन जो वह सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त पर रहा था, को पेंशन संबंधी फलावट के प्रयोजनार्थ वेतनादि (एमोल्यूमेन्टस) माना जावेगा यदि वह उस उच्च पद पर स्थानापन्न नियुक्ति, अवकाश के कारण हुए रिक्त स्थान पर अथवा अपने पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य पद के कार्यो को अस्थाई रूप से सम्पादित करने के लिये नियुक्त नहीं किया गया हो। दूसरों शब्दो में स्थानापन्न वेतन को पेन्शन की फलावट के लिये वेतनादि के रूप मे तब ही मानी जावेगा जब कर्मचारी की अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न नियुक्ति नियमित रूप से हो। अर्थात् किसी अन्य कर्मचारी के अवकाश पर चले जाने के कारण रिक्त होने वाले पद पर नहीं लगया गया हो। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की नियुक्तियां की जाती है। किन्तु लम्बे समय तक एक पद के रिक्त रहने/होने की सम्भावना होती है तो उस पद को पूर्ण कालीक रूप से अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के कारण भर लिया जाता है। यदि बहुत अधिक समय के लिये पद रिक्त नही रहना हो तो उसके कार्यो को किसी अन्य कर्मचारी/

अधिकारी को सौंप दिया जाता है जिन्हें वह अपने स्वयं के पद के कर्त्तव्यों के साथ-साथ उस रिक्त पद के महत्वपूर्ण तथा चालू कार्यो को देखता है।

राजकीय निर्देश: —राजस्थान सेवा नियम 250-सी (2) के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, जो वह अपनी सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व अन्य उच्च पद पर कार्य करने के कारण प्राप्त कर रहा था को पेंशन की फलावट के लिये वेतनादि माना जाता है यदि उक्त नियम मे उल्लिखित शर्तें पूर्ण हो जाती है।

अतः इस सम्बन्ध मे समस्त पेन्शन स्वीकृति को सक्षम प्राधिकारियो से जोर देकर कहा जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियो के पेन्शन के मामले मे सेवा नियम 250-सी (2) के प्रावधानो के अनुसार वांछित प्रमाण-पत्र पेन्शन प्रार्थना-पत्र मे ही अंकित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले में संबधित कर्मचारी के मूल वेतन के सम्बन्ध मे भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिये ताकि सेवा नियम 250-सी (2) के प्रावधानो की औपचारिकताऐं पूर्ण नही किये जाने के अभाव में उसके पेन्शन के मामले को उसके मूल वेतन के आधार पर इस शर्त के साथ निपटा दिया जावे। नियमों द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर पेन्शन की फलावट का संशोधन कर दिया जावेगा।

पूर्व मे ही अन्तिम रूप से निपटा दिये गये पेन्शन के मामले को इस आदेश के कारण पुनः नही खोला जावे किन्तु पेन्शन के ऐसे विचाराधीन मामलो को इन आदेशों के अनुसार निपटाकर नियमित किया जावे।

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (53) वित्त (ग्रुप-2) 74 दिनांक 13-6-1978 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रति-स्थापित]

(3) 250 सी–इस नियम के उपनियम (1)के खण्ड (क), (ख) तथा उपनियम (2) के प्रावधानों की सीमा मे रहते हुए, 31–10–1974 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के प्रकरण में, शब्द "कुल-वेतनादि" जो पेंशन, सेवा-उपदान, तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया गया है, से तात्पर्य सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित "वेतन" से होगा तथा इसमें मंहगाई-भत्ता, महगाई-वेतन (जहा ग्राह्य हो) एवं 31–12–72 को ग्राह्य अन्तरिम सहायता (एड-हाक-रिलीफ) भी सम्मिलित है।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (53) वि वि (श्रे-2) नियम/74 दिनांक 2-12-74 द्वारा निविष्ट]

(4) इस नियम के उप-नियम (1) के खण्ड (क),(ख) के परन्तुक तथा उपनियम (2) की सीमा में रहते हुए उन कर्मचारियो के मामलों मे जो 1-9-76 के पश्चात सेवा-निवृत्त होते है, शब्द "कुल-वेतनादि" जो पेंशन, सेवा-ग्रेच्युटी और मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुआ है, में वह "वेतन" अभिप्रेत है नियम 7 (24) में परिभाषित है, और जिसे एक अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था।

राजकीय निर्णयः—राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किया है कि सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत 1-9-1975 से 31 अगस्त, 1976 (दोनों दिन सम्मिलित) तक सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष (चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियो के लिए 58) की आयु 1-9-1976 से 31 अगस्त, 1977 के बीच प्राप्त कर चुके हैं/करते हैं के मामलों मे पेन्शन एवं ग्रेज्युटी की फलावट के लिये निम्न-अंकित प्रकार मे "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्ट) की गणना की जावेः—

(i) नियम 244 (2) अन्तर्गत सेवा-निवृत्त किये जाने की तारीख से तुरन्त पूर्व के दिन प्राप्त हो रहे

वेतन को काल्पनिक-आधार पर प्रारम्भिक-वेतन के निर्धारण, जो सशोधित नवीन वेतनमान के लिये आवश्यक है, के लिए आधार माना जावेगा। संशोधित नवीन वेतनमान नियमों के अनुसार ऐसे मामले मे वेतन के स्तर को ध्यान मे रखकर वेतन-निर्धारण किया जावेगा।

(ii) नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त किये जाने के बाद पडने वाली सामान्य वेतन वृद्धि का लाभ नही दिया जावेगा और संशोधित नवीन वेतनमान के अनुसार काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण के लिए उसको ध्यान में नहीं रखा जावेगा।

(iii) राजस्थान नागरिक सेवायें (सशोधित नवीन वेतनमान) नियम 1976 के नियम 11 (2) व 12 के प्रावधान काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण के मामलों में लागू नही होंगे। उक्त अनुच्छेद के अनुसार "वेतनादि" की गणना (निर्धारण) के आधार पर फलाई गई राशि को सेवा नियम 250-सी (4) के अनुसार पेन्शन एव डी सी आर. ग्रेज्युटी के लिये "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्ट) जावेगा।

(3) वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ I (44) वि. वि./(ग्रुप-2)/76 दिनांक 20 अक्टूबर, 76 द्वारा 1-9-1976 से वर्तमान पेन्शन प्राप्त कर्त्ताओं को स्वीकृत वेतन वृद्धि के लाभ इन मामलों मे नहीं दिये माना जावेगे।

(4) ऐसे कर्मचारी के पेन्शन के मामले यदि पूर्व मे ही अन्य प्रकार से निपटा दिये गये हों तो उन्हें वापिस खोले जावें और उक्त आदेशों के अनुसार सशोधित कर निपटाया जावे। सशोधित पेंशन जो इन आदेशों के अनुसार देय होगी की गणना सशोधित "वेतनादि" के आधार पर निम्न-अंकित दृष्टान्तों के अनुसार फलाई जावेगी:—

क्र.सं.	विवरण	श्री (क) के बारे मे	श्री (ख) के बारे मे
1.	जन्म दिनांक	2–9–1921	1–10–1921
2.	नियम 244 (2) के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख	2–9–1975	1–10–1975
3.	नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति किये जाने की तारीख से तुरन्त पूर्व के दिन प्राप्त किये जाने वाले वेतन, वेतनमान सहित।	रुपये 400/- (275-650 के वेतनमान मे)	रुपये 85/- (60-85 के वेतनमान मे)
4.	उक्त आदेशों के अनुसार सशोधित नवीन वेतनमान नियम 1976 के अनुसार 1–9–76 से वेतन का साधारण निर्धारण	रुपये 850/- (620–1100 के वेतनमान मे)	रुपये 278/- (240–290 के वेतनमान में)
5.	नियम 250-सी (4) के अन्तर्गत पेंशन एव ग्रेच्युटी के लिये वेतनआदि की फलावट	रुपये 850/-	रुपये 278/-
6.	संशोधित पेन्शन चुकाने की तारीख	2–9–1976 (55 वर्ष की आयु के हो जाने के कारण)	1–10–1976 (58 वर्ष की आयु के हो जाने के कारण)

(5) यह आदेश उन राज्य-कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्होंने सेवा नियम 244 (1) के अन्तर्गत 1-9-1975 से 31-8-1976 के बीच में, (दोनों दिनो सहित) सेवा-निवृत्ति प्राप्त करली है तथा जो 55 वर्ष अथवा 58 वर्ष (चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियो के मामले मे) की आयु के 1-9-76 से 31-8-1977 के बीच अधिवार्षिकी-आयु (सुपरएन्यूएशन) प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होते।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दिनांक 18-5-77 द्वारा निविष्ट तथा समसंख्यक ज्ञापन दिनांक *8-12-1978* द्वारा उक्त अनुच्छेद (5) जोड़ा गया है]

राजकीय निर्देशनः—नियम 250-सी-(2) के अनुसार उसमें वर्णित शर्तो को पूरा करने की सीमा के अधीन इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन "वेतनादि" के प्रयोजनो के लिये कार्यवाहक वेतन, जो किसी कर्मचारी द्वारा उसके सेवा-निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व आहरित किया जाता था, को गिना जावेगा।

महालेखाकार यह सरकार के ध्यान मे लाये है कि आडिट को पेंशन के पत्रादि भेजते समय पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी नियम 250-सी-(1) मे वांछित प्रमाण पत्र नही देते हैं जिसके अभाव मे पेंशन के निपटाने में विलम्ब हो जाता है।

क्योंकि सरकार इस बारे मे इच्छुक है कि पेंशन के दावे बिना अधिक समय नष्ट किये अन्तिम रूप से तय किये जावे, अतः समस्त पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारियो को आग्रह किया जाता है कि कथित नियम के अधीन वांछित प्रमाण-पत्र पेंशन के पत्रादि के साथ अवश्य सलग्न किये गये हैं, इसका वे पूर्ण ध्यान रखे।

राजकीय निर्णय.—राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि चिकित्सा-अधिकारी जो दिनांक 2 अक्टूम्बर, 1974 से 31 अगस्त, 1976 के बीच मेडिकल कालेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयो का बीच की अवधि में सेवा-निवृत हो गये हैं और जो सेवा-निवृत्ति के दिन "नॉन-प्रेक्टीसिंग-अलाउन्स" प्राप्त कर रहे थे तो उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे "नॉन-प्रेक्टीसिंग-अलाउन्स" को नियम 250 (सी) के अन्तर्गत पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी के लाभों के निर्धारण के लिये "वेतानदि" (इमोलूमेन्टस) के रूप मे माना जावेगा। ऐसे अधिकारियो के यदि पेन्शन के मामले अन्तिम रूप से निपटा दिये गये हो तो उन्हे पुनः खोल कर इन आदेशों के अनुसार निपटाये जावेंगे।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (53) वि. वि (ग्रुप-2) 74 दिनांक 16 मार्च, 1977 द्वारा निविष्ट]

नियम 250-सी (5):—इस नियम के उप-नियम (2) में कुछ भी प्रावधान होते हुये भी उस राज्य-कर्मचारी के मामले मे जो 31-1-79 अथवा उसके बाद राज्य-सेवा से विश्राम-वृत्ति प्राप्त करता है, उस द्वारा अपनी-सेवा-निवृति के दिन से तुरन्त-पूर्व-प्राप्त कार्यवाहक/स्थानापन्न वेतन को पेंशन-गणना के प्रयोजनार्थ "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्टस) माना जावेगा यदि उस व्यक्ति की नियुक्ति उस उच्च-पद-पर कार्यवाहक-रूप से हो किन्तु वह कार्यवाहक-नियुक्ति उस कर्मचारी द्वारा नीचे के पद पर मौलिक-नियुक्ति के रूप मे हो तथा उच्च-पद पर कार्यवाहक-आधार पर कार्य कर रहा हो। किन्तु ऐसी कार्यवाहक-नियुक्ति, अवकाश के कारण रिक्त हुये पद पर अथवा अपने स्वयं के पद के कर्त्तव्यों के साथ-साथ दूसरे पद के कर्त्तव्यों को अतिरिक्त-रूप से सम्पादित करने के लिये नहीं होनी चाहिये।

[अधिसूचना सख्या एफ. 1 (9) वि. वि (ग्रुप-2)/79 दि 2-4-79 द्वारा दि. 31-1-79 से निविष्ट]

नियम 251-औसत-वेतनादि-की-राशिः—(1) "औसत-वेतनादि" का तात्पर्य उस औसत वेतन से है जो सेवा के अन्तिम वर्षो के आधार पर गिना जाता है।

(2) यदि अपनी सेवा के गत तीन वर्षों में एक कर्मचारी सेवा से भत्तों सहित अवकाश पर अनुपस्थित रहता है या निलम्बित किये जाने पर बाद में बिना सेवा समाप्त किये पुनर्नियुक्त हो जाता है तो "औसत-वेतनादि" निश्चित करने के प्रयोजनों के लिये उसकी "वेतनादि-की-राशि" वह समझनी चाहिये जो उसके अवकाश से अनुपस्थित नहीं रहने पर या निलम्बित नहीं किये जाने पर होती बशर्ते सदैव (क) उसकी पेंशन, वेतन की वृद्धि के फलस्वरूप जो वास्तव में प्राप्त नहीं की गई हो, नही बढानी चाहिये एव (ख) यह है कि एक कर्मचारी अवकाश काल में अपने उन अल्पकालीन भत्तों को "वेतनादि-की-राशि" के रूप में सम्मिलित नहीं करेगा जिन्हें वह नियम 251 के अधीन "कर्त्तव्य" पर रह कर इस प्रकार से सम्मिलित करने के लिये अधिकृत होता, यदि एक अन्य अधिकारी इस अवकाश की अवधि में उसी पद पर अल्प-काल के लिये नियुक्त किया जाता है।

(3) यदि अपने सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में, कोई अधिकारी बिना भत्तों के अवकाश पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा है, या निलम्बित रहा है जिसकी अवधि सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती है, तो उपरोक्त अवकाश या निलम्बन की अवधि को "औसत-वेतनादि" के गिने जाने में सम्मिलित नही किया जाना चाहिये तथा उसके समान अवधि तीन वर्ष से पूर्व की सेवा में से इसमें सम्मिलित की जानी चाहिये।

(4) उक्त अनुच्छेद (2) एवं (3) में दिये हुए के अतिरिक्त वास्तविक रूप में प्राप्त की गई "वेतनादि-की-राशि" ही गणना में सम्मिलित की जा सकती है। उदाहरण के लिये जब एक अधिकारी को किसी वेतन-वृद्धि, पूर्व समय से गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वह उस बीच के समय की सामयिक-वृद्धियां प्राप्त नहीं करता हो तो इस बीच के समय की वृद्धियों को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान असैनिक सेवा (संशोधित-वेतनमान) नियम 1961 के परिणाम-स्वरूप एक संदेह उत्पन्न किया गया है कि क्या उन व्यक्तियों के संबध मे जो निवृत्ति-पूर्व-अवकाश मे हों तथा जिन्होंने संशोधित-वेतन-श्रृंखला के लिए अपना विकल्प दिया हो या जो उसके अन्तर्गत ले लिये गये हों कोई वेतन की वृद्धि, यदि कोई हो, प्राप्त होगी जो ऐसे अवकाश मे अर्जित होती है जो नियम 251 (2) के अन्तर्गत पेन्शन/ग्रेच्युटी आदि के प्रयोजन के लिये ली जाती है। यदि अपनी गत तीन वर्ष की सेवा की अवधि में एक अधिकारी भत्ते सहित अवकाश पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो अवकाश वेतन की राशि "औसत-वेतनादि-की-राशि" के निश्चित करने के प्रयोजन के लिये वही गिनी जानी चाहिये जो उसे मिलती यदि वह सेवा से अनुपस्थित नही रहता। यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन की संशोधित श्रृंखला मे वेतन में रियायत देने के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि पेंशन के लिये नियम 251 के अन्तर्गत "औसत-वेतनादि-की-राशि" गिनने मे स्वीकृत की जा सकती है या ग्रेच्युटी/मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिये "वेतनादि-की-राशि" गिनने मे स्वीकृत की जा सकती है बशर्ते वे व्यक्ति "संशोधित वेतनमान" प्रभावी होने के दिन निवृत्ति-पूर्व अवकाश पर हों एवं जहा यह वेतन-वृद्धि वास्तविक रूप मे उनके उपार्जित अवकाश की तारीख से प्रथम चार माह मे होती हो।

टिप्पणी संख्या (1):—(i) यह नियम एक मुद्रणालय कर्मचारी पर भी लागू होता है जिसे वेतन की निश्चित दर पर भुगतान किया जाता है यदि उसका वेतन फुटकर कार्य के प्रावधान से दिया जाता हो।

(ii) मुद्रणालय के फुटकर काम करने वाले कर्मचारी जो "ओवर-टाइम" कार्य कर आय प्राप्त करते है, उनकी राशि इस नियम के अन्तर्गत "औसत-वेतनादि-की-राशि" गिनने मे सम्मिलित करली जावेगी। किन्तु मुद्रणालय मे जो कर्मचारी नियमित-पदों पर वेतन प्राप्त करते हैं यदि वे

"ओवर-टाइम" कार्य कर ऐसी आय करते है तो उनकी राशि "औसत-वेतनादि-की-राशि" गिनने मे सम्मिलित नही की जावेगी।

(iii) यदि एक मुद्रणालय के कर्मचारी ने अपने गत 72 माह के सेवाकाल मे कुछ समय तक निश्चित-वेतन पर काम किया हो एव शेप अन्य समज मे फुटकर कार्य करने वाले कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो तो "ओवर-टाइम" कार्य करके जो राशि प्राप्त की जाये वह केवल उतने समय की ही पेंशन के गिनने मे सम्मिलित की जानी चाहिए जिसका वह भुगतान फुटकर कार्य की दर पर प्राप्त करता है।

टिप्पणी संख्या 2:—जब एक कर्मचारी की अपने गत तीन वर्ष की सेवा मे अवकाश पर रहने से "औसत-वेतनादि-की-राशि" मे कमी की गई हो तो उसे कमी की गई दर के अनुसार पेंशन के लिए गिनना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 3:—यदि एक कर्मचारी उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश-काल मे आगे सेवा करने का "अयोग्य-होने" का चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी सेवा समाप्त करने के बाद की "अवकाश की अवधि" को जब वह चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी चलती रहे, "औसत-वेतनादि-की-राशि" के प्रयोजन मे सम्मिलित करना चाहिये।

टिप्पणी संख्या 4:—अपनी सेवा के तीन वर्ष की अवधि मे जिस तारीख को अशदान किया जावे उसे "औसत-वेतनादि-की-राशि" निकालने मे सम्मिलित नही किया जाना चाहिये। जिस अवधि के लिए कोई अशदान नही किया गया हो, उसे भी सम्मिलित नही किया जाना चाहिए।

टिप्पणी संख्या 5:—इस नियम मे प्रयुक्त 'सेवा' शब्द का अर्थ 'पेंशन योग्य सेवा" से है।

टिप्पणी संख्या 6 :— यदि एक कर्मचारी अपने अवकाश काल मे पदावनत (रिवर्ट) कर अपने पुराने पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो "औसत-वेतनादि-की-राशि" के लिए उसका वेतन वह होगा जिसे वह प्राप्त करता रहता यदि वह उस तारीख से अवकाश पर नही जाता जिसको उसके नए पद स्थायी प्रबन्ध किए गऐ थे।

टिप्पणी संख्या 7 :— "औसत-वेतनादि-की-राशि" की गणना में कारागार मे बिताए गए समय को निलम्बन के रूप में समझा जावेगा (चाहे वह परिस्थितियो के अनुसार योग्य या अयोग्य सेवा मे हो)

टिप्पणी संख्या 8 :— इस नियम के अनुच्छेद (2) का तात्पर्य यह है कि पेंशन मे वृद्धि एक ऐसे वेतन की वृद्धि के कारण नही की जाएगी जो एक अधिकारी के अवकाश पर चले जाने पर हुई हो किन्तु उसके द्वारा वह उस समय प्राप्त नहीं की गई हो जब तक वह सेवा पर नही लौट आता हो। इस नियम के अनुच्छेद (2) में प्रावधान (क) का तात्पर्य है कि अवकाश मे बढे हुए वेतन का, जो प्राप्त नही किया जाय, कोई लाभ नही दिया जाना चाहिए।

अपवाद :—ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों मे अवकाश लेता है तथा जो उपार्जित अवकाश चार माह से अधिक का नही हो या उपार्जित अवकाश के प्रथम चार माह के अधीन रहते हुए वेतन की उच्चतर दर वाले किसी पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत हो जाता है या ऐसी वेतन वृद्धि अर्जित करता हो जो रोकी नही गई हों तो वह अपने अवकाश की अवधि के सबंध में उस वेतन को जिसे वह सेवा पर रहकर प्राप्त करता, सेवा नियम 251 के प्रयोजनार्थ "वेतनादि" के रूप मे गिनने का अधिकारी है चाहे पदोन्नति या वेतन वृद्धि के कारण वेतन मे वृद्धि वास्तव में अवकाश काल में प्राप्त नही की गई हो।

राजकीय निर्णय :—राजस्थान सेवा नियम 250 के नीचे जाँच निर्देशन संख्या (6) के अन्तर्गत निवृत्ति-पूर्व-अवकाश या अस्वीकृत-अवकाश काल मे यदि एक कर्मचारी की वार्षिक वृद्धि होनी हो, तथा उसे रोका नहीं

हो, तो उसे मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के गिनने में सम्मिलित किया जावेगा चाहे वह वेतन वृद्धि उसके द्वारा अपने अवकाश काल में प्राप्त नहीं की गई हो। इसी प्रकार एक कर्मचारी के मामले में जिसने अपन पुर्नियुक्ति के साथ साथ अस्वीकृत अवकाश का भी उपभोग किया है, किन्तु एक प्रशासनिक आदेश द्वारा उसका अवकाश वेतन राजस्थान सेवा नियम 65 (2) के अन्तर्गत पूर्व-अनुमानित-पेंशन के बराबर की राशि तक सीमित कर दिया गया हो, एव यदि उसके अस्वीकृत-अवकाश काल या निवृत्ति-पूर्व-अवकाश में वेतन-वृद्धि होनी हों तो वह पेंशन-एव-मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्त ग्रेच्युटी के लिए भी वेतन-वृद्धि के रूप में गिना जावेगा।

टिप्पणी संख्या 9 :—कार्यग्रहण-काल की अवधि जो कर्मचारी की गत तीन वर्ष की सेवाओं में पडती हो वह *"औसत-वेतनादि-की-राशि" के प्रयोजनो के लिए तीन वर्ष के भाग के रूप में ही मानी जावेगी।*

यदि कार्य-ग्रहण-काल नियम 138(क) के अन्तर्गत आता हो तथा जहाँ एक विशिष्ट पद का वेतन प्राप्त किया जाता हो तो वास्तविक वेतनादि-की-राशि (न कि वास्तविक कार्यग्रहण-काल-भत्ता) जो प्राप्त किया जाय उसे "औसत-वेतनादि-की-राशि" के प्रयोजन के लिए हिसाब में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ऐसे मामलों मे जहां कार्यग्रहण-काल नियम 138 (ख) के अन्तर्गत आता हो तथा अवकाश वेतन प्राप्त किया गया हो या कोई वेतन या अवकाश प्राप्त नही किया गया हो तो उस वेतन की (वेतनादि-की-राशि) जिसे वह प्राप्त करता (लेकिन जो नियम या आदेश के अनुसार जिसमें यह स्वीकार न किया गया हो) यदि कर्मचारी कार्यग्रहण-काल पर न होता, "औसत-वेतनादि-की-राशि" में गिने जाने के लिए सम्मिलितक रना चाहिए।

टिप्पणी संख्या 10 :—सामयिक कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में पेंशन के लिये औसत वेतनादि-की-राशि गिने जाने के प्रयोजन के लिये, गत तीनवर्षों की कुल-सेवा पेंशन-योग्य सेवा में गिनी जानी चाहिये। इसमें वह समय भी शामिल है जिसके लिए कोई राशि प्राप्त नही की गई हो। केवल वे ही समय शामिल नहीं किए जाने चाहिए, जिनका उसने वेतन आदि प्राप्त नही किया है। इस नियम के अनुच्छेद (4) के अन्तर्गत जो "वेतनादि-की-राशि" गिनी जानी चाहिए वह उस अवधि मे वास्तविक रूप में प्राप्त की गई धनराशि होनी चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 1 :—विस्थापित कर्मचारियो को उनके द्वारा सिन्ध या उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त या खैरपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान मे है, मे की गई पूर्व की पेंशन योग्य सेवाओं पर विचार करने के बाद उन्हे अन्तःकालीन पेंशन (प्राविजनल-पेंशन) देने के सबंध में, अन्तिम आदेश जारी किये जाने के समय तक, यह आदेश दिया जाता है कि विस्थापित कर्मचारी जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व, पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान, राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पदो या सेवाओं पर दिनांक 1-11-56 से पूर्व नियुक्त किये गये थे तथा जो ऐसी नियुक्ति के बाद कम से कम 10 वर्ष की पेंशन योग्य-सेवा पूर्ण करने के बाद इन सेवा नियमों के बाद इन सेवा नियमो के अधीन सेवा निवृत्त हो गये थे, उन्हे अतःकालीन आधार पर दिनांक 1-3-65 से 30/-रु. प्रति-माह (अस्थायी-वृद्धि को सम्मलित करते हुए) न्यूनतम पेंशन दी जाए।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—विस्थापित कर्मचारियों को जो सिन्ध/उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त एव खैरपुर राज्य से आये थे तथा जो दिनांक 1-11-56 से पूर्व (पुनर्गठन से पूर्व) मे राजस्थान राज्य मे सरकारी पदों पर नियुक्त हो गये थे, उनके द्वारा उस समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रदेशो मे की गई सेवा को ध्यान मे रखने के बाद अन्तःकालीन पेंशन देने संबंधी प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है तथा अब ऐसे विस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं—

राजस्थान सरकार के अधीन अस्थाई या स्थायी रूप में की गई सेवा के साथ पाकिस्तान मे की गई पेंशन-योग्य-सेवा के आधार पर संगणित पेंशन उन विस्थापित कर्मचारियों को दी जायेगी जिन्होंने पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान राज्य मे सेवा-ग्रहण की थी तथा जो;

(क) सिन्ध या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त या खैरपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान) की सरकार के अधीन पेंशन-योग्य सेवा मे थे,

(ख) सिन्ध एव खैरपुर राज्य मे 14 अगस्त 1947 के बाद तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त मे 1 मार्च 1947 के बाद उत्पन्न विशेष परिस्थितियो के कारण भारत मे स्थाई रूप मे आ गये थे।

(ग) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन 1-11-56 से पूर्व नियुक्त हो गये थे।

(घ) राजस्थान सेवा नियमो के अधीन पेशन पर निवृत्त होते है।

राजस्थान सेवा नियम 250, 250-ए एव 251 मे वर्णित सामान्य सिद्धान्त विस्थापित कर्मचारियो के पेशन के लिए "वेतनादि-की-राशि" गिनने के प्रयोजनार्थ लागू होंगे। फिर भी, यदि विस्थापित कर्मचारी स्थानान्तरण के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर स्थायी नही हुआ है या इस प्रकार से स्थाई होने के बाद स्थायीकरण किए जाने से तीन वर्ष की उस पर उसने सेवा पूरी नही की है तो उसकी पेशन सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा-प्रान्त/खैरपुर राज्य की सरकारो के अधीन उसके द्वारा धारित स्थायी पद पर स्थायी "वेतनादि-की-राशि" पर पूरी तीन वर्ष की अवधि के लिए या जैसी भी स्थित हो, तीन वर्ष की शेष अवधि के लिये सगणित की जावेगी। सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खैरपुर राज्य के अधीन स्थाई पदो की "वेतनादि-की-राशि" को गिनने में उक्त ऐसी किसी भी वेतन-वृद्धि को गिना जायेगा जो उस वेतनमान में उद्भूत होती यदि कर्मचारी उस पद पर कार्य करता रहता, किन्तु इसमे किसी प्रकार की काल्पनिक-पदोन्नति ही वेतन-वृद्धि को सम्मिलित नही किया जायेगा। जहा एक विस्थापित कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन स्थाई किया गया है एवं जो भारत की अपेक्षा पाकिस्तान मे अधिक "वेतनादि-की-राशि" प्राप्त कर रहा था, वहा औसत "वेतनादि-की-राशि" पाकिस्तान मे स्थाई वेतनादि-की-राशि को ध्यान मे रखते हुए संगणित की जानी चाहिये। जहा औसत-वेतनादि-की-राशि पाकिस्तान मे प्राप्त स्थाई वेतन के आधार पर सगणित की जानी है वहा वित्त विभाग के आदेश सख्या 4641/58 एफ 7 ए (14) वि वि (ए) नियम/58 दिनांक 2-3-59 मे यथा प्रावहित किये गये पेंशन के प्रयोजनार्थ मंहगाई वेतन को गिनने का लाभ केवल उन्ही मामलो मे जहा आंशिक रूप में पाकिस्तान मे उठाये गये वेतन को तथा आंशिक रूप मे राजस्थान मे उठाये गये वेतन को ध्यान मे रखा जाता है, वहा बाद वाले वेतन पर महगाई वेतन का लाभ या अस्थाई वृद्धि, जो भी अधिक लाभप्रद हो, दिया जाना चाहिये।

सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खैरपुर राज्य में लिये गये सभी प्रकार के अवकाश राजस्थान सेवा नियम 203, 204 व 204-'ए' के अधीन स्वीकार्य सीमा तक पेशन के लिये गिने जावेगे, जिसके लिये कर्मचारी को सलग्न "ख" मे सलग्न निर्धारित प्रपत्र मे एक हलफनामा देना होगा जिसमे वह सभी प्रकार के लिये गये अवकाशो का विवरण देगा जो ओथ-कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के दण्डनायक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित होगा एव उस पर पेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किये जावेंगे।

सेवा मे व्यवधान, यदि कोई हो, जो स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न बाधाओ से तथा सरकारी कर्मचारी के राजस्थान सरकार के अधीन उपयुक्त नियोजन प्राप्त करने मे असमर्थता के कारण हुआ हो, पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के ऐसे व्यवधान को क्षमा किया जा सकता है। सेवा व्यवधान की पेंशन-योग्य सेवा की कुल अवधि को निश्चित करने में नही गिना जायेगा। जिन मामलों में सेवा व्यवधान 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो वहां प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार एवं पाकिस्तान सरकार के बीच सतोषजनक समझौता होने पर व्यक्ति जो इन आदेशों के अधीन उसकी पेशनो या बकायों को प्राप्त कर रहे हैं, वे बाद मे स्थानान्तरण से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवाओं

के संबंध में पाकिस्तान की सरकार से पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। इन आदेशों के अधीन किया गया भुगतान संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस शर्त के अधीन होगा कि वे उन पेंशन संबंधी लाभों के लिए आवेदन करें जो भारत सरकार व पाकिस्तान सरकार के बीच किसी समझौते के अधीन उन्हें देय हों तथा वह राशि जो इस प्रकार प्राप्त हो राजस्थान सरकार के पास जमा कराई जावे। एतदनुसार प्रत्येक विस्थापित कर्मचारी जिसे इन आदेशों के अधीन पेन्शन स्वीकृत की जाती है वह संलग्न-प्रपत्र में एक करार-पत्र निष्पादित करेगा। उन पेंशनरों के संबंध में जो मर चुके हैं यदि उन्हें इन आदेशों के अधीन पेंशन स्वीकार्य हो तो वह उनके कानूनी उत्तराधिकारी, या उनके निष्पादकों को संलग्न II में करार-पत्र निष्पादित करने दिया जाएगा। करार-पत्र उपयुक्त मूल्य के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प-पेपर पर निष्पादित किया जाएगा।

विस्थापित कर्मचारी द्वारा पेंशन संबंधी लाभों का दुतरफा लाभ अर्थात् इन आदेशों या भारत सरकार की किसी योजना के अधीन एवं पाकिस्तान से भुगतान प्राप्त करने से रोकने के लिये पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी इस आदेश के अधीन पेन्शन के लिये किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से पूर्व पुनर्वास मंत्रालय के सेन्ट्रल-क्लेम-आर्गेनाइजेशन से सेवा पेन्शन के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा है या उसने कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है की सूचना प्राप्त की जावेगी।

ये आदेश उन विस्थापित कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व पहिले ही सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। सेवा-निवृत्त-कर्मचारियों के पेन्शन क्लेमों का इन आदेशों के अनुसार पुनः निर्धारण किया जाएगा तथा उनके पेन्शन-क्लेम सेवा-निवृत्ति के समय प्रवृत्त पेन्शन नियमों द्वारा नियमित होंगे।

पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुच्छेद 8 में वर्णित पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार के सेन्ट्रल-क्लेम्स-आर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र एवं जिन कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत की गई है, उनके द्वारा या उपर्युक्त अनुच्छेद 7 में वर्णित पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित करार-पत्र के साथ पेंशन संबंधी पत्रादि को अंकेक्षण-अधिकारी को भेजा जावेगा।

पेंशनादि स्वीकृत करने के आदेश की प्रतियां उनके द्वारा जारी किये प्रमाण-पत्र के संदर्भ में सेन्ट्रल-क्लेम्स्-आर्गेनाइजेशन को भी भेजी जाएगी।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—सरकार के एक मामला ध्यान में आया है जिसमें एक कर्मचारी, उसका देरी से निर्णय किये जाने के पूर्व ही, सेवा-निवृत्त (रिटायर) हो गया था। यदि मूल रूप में उसका निर्णय पहले ही कर दिया जाता तो उसे पेंशन लाभ अधिक दर में प्राप्त होता। इससे सेवा-निवृत्त अधिकारी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (38) एफ. डी. ए (नियम) 61 दिनांक 26-10-61 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के मामले में जो सेवा में है, यदि उसके संबंध में निर्णय बहुत देरी से किया गया हो तो उसका वेतन उच्च-पद पर ऐसी स्टेज पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर यदि निर्णय समय पर किया जाता तो वह पहुंच जाता। फिर भी ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो न्याय होने से पूर्व ही सेवा-निवृत्त हो गये हैं, उनका उच्च पद पर वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें उनके अनुरूप वर्धित पेंशन लाभ स्वीकृत किये जा सकते हैं।

अतः मामले पर विचार किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डेथ-कम-रिटायरमेंट-ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए नियम 251 के अधीन "औसत-वेतनादि-की-राशि" एवं नियम 250 के अधीन "वेतनादि-की-राशि" उस काल्पनिक वेतन के आधार पर कलाई जानी चाहिये जिसे वह मूल रूप में समय पर निर्णय होने पर प्राप्त करता।

इस संबंध की आज्ञा का संशोधन सेवा नियमों में उचित समय पर जारी कर दिया जाएगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22-6-65 (उपर्युक्त निर्णय संख्या 2 के रूप में प्रयुक्त) को जिसमे विस्थापित कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ स्वीकृत किया गया है, को भावलपुर राज्य के उन कर्मचारियों पर लागू किया जावे जो विभाजन के फलस्वरूप भारत में मिल गये थे तथा जो दिनाक 1-11-56 से पूर्व (पुनर्गठन के पूर्व) के राजस्थान राज्य में सरकारी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

राजकीय निर्णय संख्या 5: – यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 22-6-65 (समय-समय पर यथा-सशोधित) जो उपर्युक्त निर्णय संख्या 2 के रूप मे प्रयुक्त की गयी है एवं जिसमें विस्थापित सरकारी कर्मचारियो को पेंशन सबधी लाभ स्वीकृत किये गये है, उसे सिन्ध में स्थानीय निकायों के प्राईमरी स्कूलो के उन विस्थापित अध्यापको पर भी लागू किया जाए जो दिनाक 1-7-23 से पूर्व स्थायी एवं पेंशन योग्य पदों को धारण कर रहे थे तथा जिन्होने;

(i) सिन्ध सरकार से दिनाक 1-4-26 से प्राईमरी शिक्षा के नियन्त्रण को स्थानीय निकायो को हस्तान्तरित करने के कारण पेंशन संबधी पद्धति के अधीन रहने का विकल्प दिया था।

(ii) सन् 1926 तक या बाद की तिथि तक की गई सेवाओं के लिये अनुपातिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया था तथा उसके बाद अंशदायी भविष्य निधि मे योगदान किया था तथा जो व्यक्ति विभाजन के फलस्वरूप भारत मे बस गये थे तथा सरकारी पदो पर—

(क) भूतपूर्व अजमेर राज्य में नियुक्त किये गये थे तथा जिन्होंने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 1957 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमो मे निहित पेंशन नियमो के लिये विकल्प दिया था।

(ख) पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य मे दिनाक 1-11-56 से पूर्व नियुक्त किये गये थे।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दिनाक 22-6-65 (समय-समय पर यथा सशोधित-उपर्युक्त निर्णय संख्या-2) को जिसमें उन विस्थापित कर्मचारियों को पेन्शन संबधी लाभ स्वीकृत किया गया है जिन्होने भूतपूर्व अजमेर राज्य में सेवा ज्वाइन की थी, ऐसे कर्मचारियों पर लागू किया जायेगा जिन्होंने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम, 1957 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमों मे निहित पेंशन नियमों के लिए विकल्प दिया था।

नियम 252:—वे भत्ते जो सम्मिलित नहीं किये जाते हैं—एक कर्मचारी पेंशन में निम्न-अंकित भत्तों को सम्मिलित नहीं कर सकता है:—

(1) किसी स्थान की मंहगाई को ध्यान में रखते हुए जो भत्ते-स्वीकृत किये जावें।

(2) सह-भोजन या व्यय-पूरक भत्ते।

(3) मकान किराया भत्ता या निःशुल्क क्वार्टर का अनुमानित मूल्य।

(4) यात्रा भत्ते एवं दौरों के खर्चो की पूर्ति करने के लिए अन्य स्वीकृत भत्ते।

(5) प्रान्तों की मंहगाईके लिए क्षतिपूर्ति भत्ता।

नियम 253-वास्तविक कुल-वेतनादि की गणना:— एक कर्मचारी के वेतन का कोई भी भाग या धनराशि को जो उसकी सेवाओं के आकस्मिक खर्चे को करने के लिये दी जाती है, उसे सम्मिलित नही किया जाना चाहिए।

इस नियम के लागू करने के लिये निम्न-उदाहरण हैं—

(1) एक कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि घोड़ा प्रदान करने या रखने पर खर्च की जाती हो तो उसका उतना ही वेतन सम्मिलित किया जाना चाहिये जो घोड़ा न प्रदान करने अथवा न रखने की मंशा पर उसे मिल सकता हो। जब पानी लाने वाले के वेतन में बैल रखने के प्रावधान की राशि भी सम्मिलित हो तो उसका वेतन उतना ही सम्मिलित किया जाना चाहिये जैसे मानों उसे एक बैल नहीं रखने की आवश्यकता पर मिलता हो।

(2) जब तक निश्चित (कन्सोलीडेटेड) वेतन में विशेष रूप से यात्रा भत्ता या मकान भत्ता भी सम्मिलित हो तो उन्हें "वेतनादि-की-राशि" गिनने से घटा दिया जाना चाहिये।

(3) जब एक कर्मचारी का वेतन दो दरों पर एक स्थान पर नियत कर्त्तव्य के समय में निम्न-दर पर तथा दौरों पर यात्रा पर व्यतीत समय में उच्च दर पर वेतन निश्चित किया जाता है तो पूर्व की दर को ही "वेतनादि-की-राशि" की गणना मे सम्मिलित करना चाहिये।

नियम 254:—जब नियम 190 के अन्तर्गत अस्थाई पद की सेवा पेन्शन के लिये गिनी जाती हो तो पेन्शन की राशि निश्चित करने में उस राज्य कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये गये पद के वेतन को ही सम्मिलित किया जाता है। अस्थाई नियुक्ति के वेतन को उस समय तक सम्मिलित नहीं किया जाता है जब तक कर्मचारी विशेष-वेतन प्राप्त नही करता हो।

आडिट निर्देशन:—जब एक स्थाई कर्मचारी अपनी गत तीन वर्षों की सेवा अवधि मे एक ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है जो यद्यपि प्रथम बार प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सृजित किया गया है पर बाद मे स्थाई हो जाता है तो पेन्शन के प्रयोजन के लिये "औसत-वेतनादि-की-राशि" कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये गये वेतन पर गिनी जानी चाहिये न कि स्थाई-सेवा में प्राप्त किये गये वेतन के आधार पर।

नियम 254-ए:—यदि कर्मचारी ने एक से अधिक ऐसे पदों पर कार्य किया हो जिनको यदि यह अलग-अलग रूप से एवं अकेला धारण करता तो उसे पेन्शन मिल सकती थी। उसे जो पेन्शन स्वीकार्य होगी वह उन कई पेन्शनों की राशि होगी जो उसे प्राप्त होती यदि वह उन पदों को प्रथक-2 रूप से एवं अकेला धारण करता। इस प्रकार जो संचित रूप से पेन्शन उसे स्वीकार्य होगी वह राजस्थान सेवा नियम 256 एवं 257 में निर्धारित राशि तक सीमित होगी।

नियम 255–एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करने से पेंशन में वृद्धि नहीं होती:—एक कर्मचारी एक पद की सेवा अन्य पद के साथ करने पर किसी ऐसी पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी नही है जो उसे प्राप्त नहीं होती यदि वह प्रत्येक पद पर पृथक-पृथक रूप से एवं अकेला कार्य करता।

अध्याय 22

पेन्शन

नियम 256:—इस भाग में दिये गये नियमों के अनुसार एक कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्यूएशन) पर सेवा निवृत्ति, अयोग्यता व क्षतिपूरक ग्रेच्युटी एवं पेन्शन की राशि निम्न-प्रकार से है।

क्र. सं.	पेंशन योग्य सेवा के पूरे किये गये 6 माहों की अवधि	ग्रेच्यूटी/पेन्शन की दर	अधिकतम पेन्शन (रुपयों में प्रति वर्ष)
		(क) ग्रेच्यूटी	
1.		$\frac{1}{2}$ माह के वेतनादि (इमोलूमेन्ट्स)	
2		1 " "	
3.		$1\frac{1}{2}$ " "	
4.		2 " "	
5.		$2\frac{1}{2}$ " "	
6.		3 " "	
7.		$3\frac{1}{2}$ " "	
8.		4 " "	
9.		$4\frac{3}{8}$ " "	
10.		$4\frac{3}{4}$ " "	
11.		$5\frac{1}{8}$ " "	
12.		$5\frac{1}{2}$ " "	
13.		$5\frac{7}{8}$ " "	
14.		$6\frac{1}{4}$ " "	
15.		$6\frac{5}{8}$ " "	
16.		7 " "	
17.		$7\frac{3}{8}$ " "	
18.		$7\frac{3}{4}$ " "	
19.		$8\frac{1}{8}$ " "	
		(ख) पेन्शनें	
20.		10 [illegible]	[illegible]
21.		[illegible] " "	21[illegible]

1	2	3	4
22.		11/80 वा भाग (औसत वेतनादि कोरशिका)	2970
23.		11½/80 "	3105
24.		12/80 "	3240
25.		12½/80 "	3375
26.		13/80 "	3510
27.		13½/80 "	3645
28.		14/80 "	3780
29.		14½/80 "	3915
30.		15/80 "	4050
31.		15½/80 "	4185
32.		16/80 "	4320
33.		16½/80 "	4455
34.		17/80 "	4590
35.		17½/80 "	4725
36.		18/80 "	4860
37.		18½/80 "	4995
38.		19/89 "	5130
39.		19½/80 "	5265
40.		20/80 "	5400
41.		20½/80 "	5535
42.		21/80 "	5670
43.		21½/80 "	5805
44.		22/80 "	5940
45.		22½/80 "	6075
46.		23/80 "	6210
47.		23½/80 "	6345
48.		24/80 "	6480
49.		24½/80 "	6615
50.		25/80 "	6750
51.		25½/80 "	6885
52.		26/80 "	7020
53.		26½/80 "	7155
54.		27/80 "	7290
55.		27½/80 "	7425
56.		28/80 "	7560

1	2	3	5
57.		$28\frac{1}{2}$/80 भाग (औसत वेतनादि की राशिका)	7695
58.		29/80 ,,	7830
59.		$29\frac{1}{2}$/80 ,,	7965
60.		30/80 ,,	8100

टिप्पणी संख्या 1:—वे ग्रेच्युटिया जो नियम 256 (1) व 257 (1) के अधीन स्वीकार की जावें, कर्मचारी की पूंजी होंगी तथा धनराशि प्राप्त करने के पूर्व ही यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वह पूंजी उसके वैध-उत्तराधिकार को, उत्तराधिकार कानूनो के अन्तर्गत दी जावेगी। नियम 257 (2) व नियम 258 कर्मचारी या उसके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति, दोनो को, जैसी भी स्थिति हो, सीधा लाभ प्रदान करते है तथा इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई ग्रेच्युटिया उन व्यक्तियों की पूंजी हो जावेंगी जिनके पक्ष में स्वीकृति प्रदान की गई है एव न कि यह केवल मृत कर्मचारी की पूंजी ही रहेगी।

टिप्पणी संख्या 2:—इस नियम के प्रयोजन के लिए "औसत वेतन" का तात्पर्य औसत मासिक वेतन से है जिसको सबधित कर्मचारी ने प्राप्त किया या जो अपनी सेवाओं के गत तीन वर्ष की अवधि में हटाए जाने या सेवा निवृत्त किये जाने से पूर्व उस द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद या पदो पर प्राप्त करता रहता।

नियम 256-ए-(1):—नियम 256 में कोई भी प्रावधान होते हुए भी दिनांक 1-4-1970 को या बाद में सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी के मामले में अधिवार्षिकी निवृत्ति, अशक्तता एवं क्षतिपूरक उपदान (ग्रेच्यूटी) और पेंशन की राशि निम्न-प्रकार ग्राह्य होगी—

योग्य सेवा की छमाही पूर्ण अवधियां 1	उपदान/पेंशन की दर 2	अधिकतम पेशनें (रुपयों में) वार्षिक 3
	(ए) ग्रेच्युटी	
1.	1/2 माह के वेतनादि	
2.	1 ,, ,,	
3.	$1\frac{1}{2}$,, ,,	
4.	2 ,, ,,	
5.	$2\frac{1}{2}$,, ,,	
6.	3 ,, ,,	
7.	$3\frac{1}{2}$,, ,,	
8.	4 ,, ,,	
9.	$4\frac{3}{8}$,, ,,	
10.	$4\frac{3}{4}$,, ,,	

1	2	3
11.	$5\frac{1}{8}$ माह के वेतनादि	
12.	$5\frac{1}{2}$ " "	
13.	$5\frac{7}{8}$ " "	
14.	$6\frac{1}{4}$ " "	
15.	$6\frac{5}{8}$ " "	
16.	7 " "	
17.	$7\frac{3}{8}$ " "	
18.	$7\frac{3}{4}$ " "	
19.	$8\frac{1}{8}$ " "	
	(बी) पेंशनस्	
20.	वेतनादि का 10/80 वां भाग	2,700
21.	" $10\frac{1}{2}$/80 "	2,835
22.	" 11/80 "	2,970
23.	" $11\frac{1}{2}$/80 "	3,105
24.	" 12/80 "	3,240
25.	" $12\frac{1}{2}$/80 "	3,375
26.	" 13/80 "	3,510
27.	" $13\frac{1}{2}$/80 "	3,645
28.	" 14/80 "	3,780
29.	" $14\frac{1}{2}$/80 "	3,915
30.	" 15/80 "	4,050
31.	" $15\frac{1}{2}$/80 "	4,185
32.	" 16/80 "	4,320
33.	" $16\frac{1}{2}$/80 "	4,455
34.	" 17/80 "	4,590
35.	" $17\frac{1}{2}$/80 "	4,725
36.	" 18/80 "	4,860
37.	" $18\frac{1}{2}$/80 "	4,995
38.	" 19/80 "	5,130
39.	" $19\frac{1}{2}$/80 "	5,265
40.	" 20/80 "	5,400
41.	" $20\frac{1}{2}$/80 "	5,535
42.	" 21/80 "	5,670
43.	" $21\frac{1}{2}$/80 "	5,805
44.	" 22/80 "	6,940

1	2	3
45.	वेतनादि का $22\frac{1}{2}$/80 वां भाग	6,075
46.	,, 23/80 ,,	6,210
47.	,, $23\frac{1}{2}$/80 ,,	6,345
48.	,, 24/80 ,,	6,480
49.	,, $24\frac{1}{2}$/80 ,,	6,615
50.	,, 25/80 ,,	6,750
51.	,, $25\frac{1}{2}$/80 ,,	6,885
52.	,, 26/80 ,,	7,020
53.	,, $26\frac{1}{2}$/80 ,,	7,155
54.	,, 27/80 ,,	7,290
55.	,, $27\frac{1}{2}$/80 ,,	7,425
56.	,, 28/80 ,,	7,560
57.	,, $28\frac{1}{2}$/80 ,,	7,695
58.	,, 29/80 ,,	7,830
59.	,, $29\frac{1}{2}$/80 ,,	7,965
60.	,, 30/80 ,,	8,100

नियम 256-ए-(2):—एक कर्मचारी 1-4-70 को या बाद में परन्तु दिनांक 1-4-73 के पूर्व सेवा-निवृत्त हो रहा हो, वह अपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकार्य दर पर पेंशन प्राप्त करने का चयन कर सकेगा यदि वह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो। ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 281 अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय दिया जावेगा।

[वि. वि. विज्ञप्ति संख्या एफ 1(29) एफ. डी. (रूल्स)/70 दिनांक 18 मार्च, 1971 द्वारा निविष्ट]

नियम 256-बी:—नियम 256-ए में वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-10-1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सम्बन्ध में, अधिवार्षिकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:—

सेवा की पूर्ण छ माही अवधियां	उपदान/पेंशन की दरें	अधिकतम पेंशन (रुपयों में प्रति वर्ष)
1	2	3
	(ए) ग्रेच्युटी	
1.	$\frac{1}{2}$ माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स)	
2.	1 ,, ,,	
3.	$1\frac{1}{2}$,, ,,	
4.	2 ,, ,,	
5.	$2\frac{1}{2}$,, ,,	

1	2	3
11.	5⅛ माह के वेतनादि	
12.	5½ " "	
13.	5⅞ " "	
14.	6¼ " "	
15.	6⅝ " "	
16.	7 " "	
17.	7⅜ " "	
18.	7¾ " "	
19.	8⅛ " "	
	(बी) पेंशनस्	
20.	वेतनादि का 10/80 वां भाग	2,700
21.	" 10½/80 "	2,835
22.	" 11/80 "	2,970
23.	" 11½/80 "	3,105
24.	" 12/80 "	3,240
25.	" 12½/80 "	3,375
26.	" 13/80 "	3,510
27.	" 13½/80 "	3,645
28.	" 14/80 "	3,780
29.	" 14½/80 "	3,915
30.	" 15/80 "	4,050
31.	" 15½/80 "	4,185
32.	" 16/80 "	4,320
33.	" 16½/80 "	4,455
34.	" 17/80 "	4,590
35.	" 17½/80 "	4,725
36.	" 18/80 "	4,860
37.	" 18½/80 "	4,995
38.	" 19/80 "	5,130
39.	" 19½/80 "	5,265
40.	" 20/80 "	5,400
41.	" 20½/80 "	5,535
42.	" 21/80 "	5,670
43.	" 21½/80 "	5,805
44.	" 22/80 "	6,940

1	2	3
45.	वेतनादि का $22\frac{1}{2}$/80 वां भाग	6,075
46.	„ 23/80 „	6,210
47.	„ $23\frac{1}{2}$/80 „	6,345
48.	„ 24/80 „	6,480
49.	„ $24\frac{1}{2}$/80 „	6,615
50.	„ 25/80 „	6,750
51.	„ $25\frac{1}{2}$/80 „	6,885
52.	„ 26/80 „	7,020
53.	„ $26\frac{1}{2}$/80 „	7,155
54.	„ 27/80 „	7,290
55.	„ $27\frac{1}{2}$/80 „	7,425
56.	„ 28/80 „	7,560
57.	„ $28\frac{1}{2}$/80 „	7,695
58.	„ 29/80 „	7,830
59.	„ $29\frac{1}{2}$/80 „	7,965
60.	„ 30/80 „	8,100

नियम 256-ए-(2):—एक कर्मचारी 1-4-70 को या बाद में परन्तु दिनांक 1-4-73 के पूर्व सेवा-निवृत्त हो रहा हो, वह अपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकार्य दर पर पेंशन प्राप्त करने का चयन कर सकेगा यदि वह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो। ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 281 अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय दिया जावेगा।

[वि. वि. विज्ञप्ति संख्या एफ 1(29) एफ. डी. (रूल्स)/70 दिनांक 18 मार्च, 1971द्वारा निविष्ट]

नियम 256-बी:—नियम 256-ए में वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-10-1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सम्बन्ध में, अधिवार्षिकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:—

सेवा की पूर्ण छ माही अवधियां	उपदान/पेंशन की दरें	अधिकतम पेंशन (रुपयों मे प्रति वर्ष)
1	2	3
	(ए) ग्रेच्युटी	
1.	$\frac{1}{2}$ माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स)	
2.	1 „ „	
3.	$1\frac{1}{2}$ „ „	
4.	2 „ „	
5.	$2\frac{1}{2}$ „ „	

1	2	3
11.	$5\frac{1}{8}$ माह के वेतनादि	
12.	$5\frac{1}{2}$,, ,,	
13.	$5\frac{7}{8}$,, ,,	
14.	$6\frac{1}{4}$,, ,,	
15.	$6\frac{5}{8}$,, ,,	
16.	7 ,, ,,	
17.	$7\frac{3}{8}$,, ,,	
18.	$7\frac{3}{4}$,, ,,	
19.	$8\frac{1}{8}$,, ,,	
	(बी) पेंशनें	
20.	वेतनादि का 10/80 वां भाग	2,700
21.	,, $10\frac{1}{2}$/80 ,,	2,835
22.	,, 11/80 ,,	2,970
23.	,, $11\frac{1}{2}$/80 ,,	3,105
24.	,, 12/80 ,,	3,240
25.	,, $12\frac{1}{2}$/80 ,,	3,375
26.	,, 13/80 ,,	3,510
27.	,, $13\frac{1}{2}$/80 ,,	3,645
28.	,, 14/80 ,,	3,780
29.	,, $14\frac{1}{2}$/80 ,,	3,915
30.	,, 15/80 ,,	4,050
31.	,, $15\frac{1}{2}$/80 ,,	4,185
32.	,, 16/80 ,,	4,320
33.	,, $16\frac{1}{2}$/80 ,,	4,455
34.	,, 17/80 ,,	4,590
35.	,, $17\frac{1}{2}$/80 ,,	4,725
36.	,, 18/80 ,,	4,860
37.	,, $18\frac{1}{2}$/80 ,,	4,995
38.	,, 19/80 ,,	5,130
39.	,, $19\frac{1}{2}$/80 ,,	5,265
40.	,, 20/80 ,,	5,400
41.	,, $20\frac{1}{2}$/80 ,,	5,535
42.	,, 21/80 ,,	5,670
43.	,, $21\frac{1}{2}$/80 ,,	5,805
	,, 22/80 ,,	6,940

1	2	3
45.	वेतनादि का $22\frac{1}{2}$/80 वां भाग	6,075
46.	„ 23/80 „	6,210
47.	„ $23\frac{1}{2}$/80 „	6,345
48.	„ 24/80 „	6,480
49.	„ $24\frac{1}{2}$/80 „	6,615
50.	„ 25/80 „	6,750
51.	„ $25\frac{1}{2}$/80 „	6.885
52.	„ 26/80 „	7,020
53.	„ $26\frac{1}{2}$/80 „	7,155
54.	„ 27/80 „	7,290
55.	„ $27\frac{1}{2}$/80 „	7,425
56.	„ 28/80 „	7,560
57.	„ $28\frac{1}{2}$/80 „	7,695
58.	„ 29/80 „	7,830
59.	„ $29\frac{1}{2}$/80 „	7,965
60.	„ 30/80 „	8,100

नियम 256-ए-(2):—एक कर्मचारी 1-4-70 को या बाद में परन्तु दिनांक 1-4-73 के पूर्व सेवा-निवृत्त हो रहा हो, वह अपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकार्य दर पर पेंशन प्राप्त करने का चयन कर सकेगा यदि वह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो। ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 281 अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय दिया जावेगा।

[वि. वि. विज्ञप्ति संख्या एफ 1(29) एफ. डी. (रूल्स)/70 दिनांक 18 मार्च, 1971 द्वारा निविष्ट]

नियम 256-बी:—नियम 256-ए में वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-10-1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सम्बन्ध में, अधिवार्षिकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:—

सेवा की पूर्ण छ माही अवधियां	उपदान/पेंशन की दरें	अधिकतम पेशन (रुपयों मे प्रति वर्ष)
1	2	3
	(ए) ग्रेच्युटी	
1.	$\frac{1}{2}$ माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स)	
2.	1 „ „	
3.	$1\frac{1}{2}$ „ „	
4.	2 „ „	
5.	$2\frac{1}{2}$ „ „	

1	2	3
6.	3 माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स)	
7.	3½ ,, ,,	
8.	4 ,, ,,	
9.	4⅜ ,, ,,	
10.	4¾ ,, ,,	
11.	5⅛ ,, ,,	
12.	5½ ,, ,,	
13.	6 ,, ,,	
14.	6½ ,, ,,	
15.	6⅝ ,, ,,	
16.	7 ,, ,,	
17.	7⅜ ,, ,,	
18.	7¾ ,, ,,	
19.	8⅛ ,, ,,	
	(बी) पेंशन	
20.	वेतनादि का 10/80 वां भाग	3750.00
21.	,, 10½/80 ,,	3937.50
22.	,, 11/80 ,,	4125.00
23.	,, 11½/80 ,,	4312.50
24.	,, 12/80 ,,	4500.00
25.	,, 12½/80 ,,	4687.50
26.	,, 13/80 ,,	4875.00
27.	,, 13½/80 ,,	5062.50
28.	,, 14/80 ,,	5250.00
29.	,, 14½/80 ,,	5437.50
30.	,, 15/80 ,,	5625.00
31.	,, 15½/80 ,,	5812.50
32.	,, 16/80 ,,	6000.00
33.	,, 16½/80 ,,	6187.50
34.	,, 17/80 ,,	6375 00
35.	,, 17½/80 ,,	6560.50
36.	,, 18/80 ,,	6750.00
37.	,, 18½/80 ,,	6937.50
38.	,, 19/80 ,,	7125.00
39.	,, 19½/80 ,,	7312.50

1	2	3
40.	वेतनादि का 20/80माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स)	7500.00
41.	,, 20½/80 ,,	7687.50
42.	,, 21/80 ,,	7875.00
43.	,, 21½/80 ,,	8062.50
44.	,, 22/80 ,,	8250.00
45.	,, 22½/80 ,,	8437.50
46.	,, 23/80 ,,	8625.00
47.	,, 23½/80 ,,	8812.50
48.	,, 24/80 ,,	9000.00
49.	,, 24½/80 ,,	9187.50
50.	,, 25/80 ,,	9375.00
51.	,, 25½/80 ,,	9562.50
52.	,, 26/80 ,,	9750.00
53.	,, 26½/80 ,,	9937.50
54.	,, 27/80 ,,	10125.00
55.	,, 27½/80 ,,	10312.50
56.	,, 28/80 ,,	10500.00
57.	,, 28½/80 ,,	10687.50
58.	,, 29/80 ,,	10875.00
59.	,, 29½/80 ,,	11062.50
60.	,, 30/80 ,,	11250.00
61.	,, 30½/80 ,,	11437.50
62.	,, 31/80 ,,	11625.00
63.	,, 31½/80 ,,	11812.50
64.	,, 32/80 ,,	12000.00
65.	,, 32½/80 ,,	12000.00
66.	,, 33/80 ,, और अधिक	12000.00

[आदेश सख्या एफ 1 (53) वि. वि. (श्रे-2) 74 दिनांक 2-12-74 द्वारा निविष्ट तथा 31-10-74 से प्रभावशील।]

छोटी राशि वाले पेन्शनरों के लिए अस्थाई-वृद्धि

आदेश संख्या 1:—जोधपुर की भूतपूर्व रियासतो के पैंशनरों के लिये मंहगाई भत्ते में अस्थाई वृद्धि स्वीकृत की गई थी। अन्य एकीकृत राज्यों में पैंशनरो को ऐसी सहायता नही दी जाती थी । अतः सरकार सब पैशनरो को एक समान सुविधा देने के प्रश्न पर विचार कर यह निर्देश देती है कि इस सम्बन्ध में अब तक निकाले गए सम्पूर्ण आदेशों का अतिक्रमण करते हुए 1 जनवरी, 1951 से पैंशनरों को स्म्नि-अंकित दर पर अस्थाई

सहायता दी जाती है। जो दरें अब स्वीकृत की गई है वे वर्तमान में प्राप्त सहायताओं के बदले में दी जावेंगी चाहे ये किसी नाम से दी जाती थी जैसे महगाई भत्ता, पैंशन की अस्थाई वृद्धि, क्षतिपूरक-भता एवं आदि आदि।

पेंशन की दर	अस्थाई वृद्धि की दर
(1) पेन्शनें जो 20 रु० प्रति माह से अधिक न हों।	4 रु० प्रति माह परन्तु शर्त यह है कि यदि पेन्शन 4 रु० प्रति माह से अधिक नहीं होगी तो वृद्धि पेंशन की राशि के बराबर तक ही होगी
(2) पेंशनें जो 20 रु० प्रति माह से अधिक हों किन्तु 60 रु० प्रति माह से अधिक न हो।	5 रु० प्रति माह
(3) पेंशनें जो 60 रु० प्रतिमाह से अधिक हों किन्तु 100 रु० प्रतिमाह से अधिक न हो।	6 रु० प्रति माह

टिप्पणियां 1:—100 रु० प्रतिमाह से अधिक किन्तु 106 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं पेंशन प्राप्त करने वाले पेन्शनर ऐसी अस्थाई वृद्धि प्राप्त करेंगे जिससे उनकी पेंशन का योग 106 रु० प्रति माह हो जाए।

2—इस आदेश के प्रयोजनार्थ पेंशनों में उनका रुपान्तरित भाग (कम्यूटेड पोरसन) भी शामिल है।

3—यह आदेश राजनीतिक पेंशनो, खानदानी भत्तों या अन्य समान भुगतानों पर लागू नहीं होगा।

[वि. वि के आदेश एफ 7 (2) आर/51 दिनांक 15-1-1951 द्वारा निविष्ट]

आदेश संख्या 2:—यह आदेश दिया जाता है कि सरकार के आदेश संख्या एफ 7 (2) आर/51 दिनाक 15-1-51 के अधीन स्वीकृत अस्थाई वृद्धि की दरें 1-4-59 से सरकार के पेन्शनरों के सम्बन्ध में निम्न-प्रकार बढाई जाए:—

पेंशन की दर	अस्थाई वृद्धि की दर
(1) 4 रु० तक पेंशन	पेंशन की रकम से दूगनी वृद्धि
(2) 4 रु० से अधिक किन्तु 20 रु० से ज्यादा नही	8 रु० प्रति माह
(3) 20 रु० से अधिक पर 60 रु० से ज्यादा नही	10 रु० प्रति माह
(4) 60 रु० से ज्यादा पर 100 रु० से ज्यादा नहीं	12 रु० प्रति माह

टिप्पणी:—(1) जो पेंशनर 100 रु. से अधिक किन्तु 112) रु० से अधिक माहवारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो तो उसे अस्थाई वृद्धि 112) रु० तक की राशि की स्वीकृत की जावेगी।

[वि वि. क्रमांक डी. 7450/58/एफ 1 (70) आर/56-पार्ट-(ए) दिनांक 21-3-1959]

आदेश संख्या 3:—वित्त विभाग के आदेश स० डी० 7450/58 एफ 1 (70)/56 भाग (क) दिनाक 21 मार्च, 1959 (उपर्युक्त आदेश सं० 2) के आंशिक संशोधन में यह आदेश दिया जाता है कि राज्य पेंशनर्स जो 100) रु० प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हे 1 जनवरी, 1967 से निम्नलिखित दरो पर पेंशन मे अस्थाई वृद्धि स्वीकार की जावेगी:—

पेन्शन की राशि	पेन्शन में अस्थाई वृद्धि की दर
100 रु० से उपर किन्तु 200 रु० प्रति माह तक ।	12 रु० प्रतिमाह
200 रु० प्रतिमाह से अधिक	ऐस अस्थाई वृद्धि जिससे कुल योग 212 रु० हो जाये ।

ये आदेश उस राज्य पेन्शनर पर लागू नहीं होंगे जो वित्त विभाग के आदेश संख्या 4641/58 एफ 7 ए (14) वि./ए/नियम/58 दिनाक 26-3-59 एवं संख्या एफ 1 (73) (वित्त) वि. (ए) नियम/62 दिनांक 28-3-63 एव अन्य किन्ही आदेशों के अनुसार पेंशन में अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नही हैं ।

[एफ 1 (13) वित्त (व्यय-नियम)/65 दिनांक 21-1-1967 द्वारा निविष्ट]

आदेश संख्या 4:—वि. वि. के आदेश स० डी० 7450/58 एफ 1 (70)/56 भाग (क) दि. 21-3-59 एव सं. एफ 1 (13) वि० वि० (व्यय-नियम)/65 दिनाक 21–1–67 (नियम 256 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय स. (2) व (3) के रूप मे निविष्ट) मे स्वीकृत अस्थाई वृद्धि के स्थान पर राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर दिनांक 1-3-1970 से निम्न दरों पर अस्थाई वृद्धि राज्य सरकार के पेंशन-भोगियों के लिए लागू की है, जो पूर्व से ही उक्त आज्ञाओं के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त कर रहे थे:—

पेंशन की दरें	अस्थाई वृद्धि की संशोधित दरें
रु० 30 तक	रु० 25-00
रु० 30 से अधिक पर 50/- से अधिक नही	रु० 27-50
रु० 50 से अधिक पर 75/- से अधिक नही	रु० 30-00
रु० 75 से अधिक पर 100/- से अधिक नही	रु0 32-50
रु० 100 से अधिक पर 112.50 से अधिक नही	रु० 132-50 कुल पेंशन होने तक की अस्थाई वृद्धि ।
रु० 112.50 से अधिक पर 200/- से अधिक नही	रु० 20-00

रु० 200 से अधिक उतनी अस्थाई वृद्धि कि कुल पेशन 220/- हो जावे ।

(2) राज्यपाल महोदय ने आगे फिर आदेश दिया है कि:—

(i) दिनांक 1-3-1970 से अधिवार्षिकी, सेवा-निवृत्ति, क्षतिपूरक, असमर्थता या घायल होने पर पेंशन पर निवृत्त हुए वे कर्मचारी जो 1-12-68 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए हैं तथा जो व्यक्ति इन नियमों के अध्याय (23) व (23-ए) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हों और वर्तमान आज्ञाओ के अधीन पेंशन मे वृद्धि पाने के हकदार न हों, उनको भी निम्न-दरों पर दिनाक 1-3-1970 से अस्थाई वृद्धि पेंशन में दी जावे ।

पेन्शन की दर	अस्थाई वृद्धि की संशोधित दर (रुपयों में)
रु० 30 तक	15–00
रु० 30 से ऊपर पर रु० 75 से अधिक नही	17–50
रु० 75 से अधिक पर 200 से अधिक नही	20–00
रु० 200 से ऊपर	वह राशि जिससे कुल पेंशन [illegible] रु० हो जावे ।

(3) जो कर्मचारी दिनांक 1-3-70 से पहले अधिवार्षिकी, निवृत्ति, क्षतिपूरक, अशक्त या चोट के कारण पेन्शनें, असाधारण पेंशन नियमों के नियम 274 के अधीन सेवा निवृत्त हुये हो, और इन सेवा नियमों के अध्याय 23 व 23-ए तथा 24 के अधीन पारिवारिक पेन्शन पा रहे हों और दिनांक 1-3-1970 को पेन्शन में अस्थाई वृद्धि नही पा रहे हों, उन्हें भी दिनाक 1-3-1970 से उपरोक्त उपखण्ड (i) में वर्णित दरों पर अस्थाई वृद्धि पेन्शन मे दी जावेगी।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (11) वि.वि. (नियम)/70-1 दिनांक 29-4-70 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सैनिक कर्मचारियों पर लागू नही-निम्न दर पेंशनों की अस्थाई वृद्धि के संबंध मे वित्त विभाग के आदेश सं एफ. 7 (2) आर/51 दिनाक 15-1-51 द्वारा जारी किया गया आदेश सैनिक पेंशनरो पर लागू नहीं होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—केवल सेवा पेंशनरों पर लागू-आदेश सं. 1 में स्वीकृत की गई पेंशनों मे अस्थाई वृद्धि केवल सेवा पेंशनों पर ही लागू होती है (अर्थात् सिविल पेंशन जिसमें राजनैतिक एवं अन्य विशेष पेंशनों, भत्ते आदि जैसे रवानगी भत्ते, सरकार द्वारा प्राप्त की गई भूमि या जागीरों के बदले में स्वीकृत भत्ते विधवाओं को एवं मृत व्यक्तियों के आश्रितो को स्वीकृत क्षतिपूरक भत्ते, पालतू, खैरात, स्टाइपेंन्ड आदि शामिल नहीं है)। वित्त विभाग के इस सबध की अधिसूचना जारी होने से पूर्व यदि स्वीकृत किये गये हैं तो बाद की श्रेणी के भुगतान अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ते के साथ निश्चित दरों के अनुसार दिये जाते रहेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—विलीन हुए राज्यों द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता कम नहीं किया जावेगा— आदेश सख्या (1) मे दिये गये आदेश में आंशिक सशोधन करते हुए कहा जाता है कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो अपनी पेंशनों पर अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ता, पूर्व आदेशो के अनुसार उन उच्च दरों पर प्राप्त कर रहे थे जो कि उपरोक्त आदेश मे वर्णित प्राप्त दरों से उच्च थी तो उस आदेश के परिणाम स्वरूप महगाई भत्ते या अस्थाई वृद्धि मे कोई कमी नहीं की जावेगी तथा इस आदेश के जारी करने के पूर्व जिस दर पर वह पेन्शन प्राप्त कर रहा था वह संबधित पेंशनरों द्वारा प्राप्त की जाती रहेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—यदि एक से अधिक पेन्शन प्राप्त की जाती हो तो पेन्शनो की कुल राशि पर महगाई भत्ता निश्चित किया जानाः—यह प्रश्न कि क्या एकीकृत राज्यो मे की गई सेवाओं के सबंध में यदि कोई पेन्शनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा हो तो उसे ऐसी पेंशनों को अलग अलग रूप से प्राप्त करते रहना चाहिये, सरकार द्वारा जाचा गया है।

यह निर्णय किया गया है कि वे पेंशनर जो राजस्थान की विभिन्न एकीकृत रियासतों से एक से अधिक पेन्शनें प्राप्त कर रहे है, वे ऐसी पेन्शनें प्राप्त करते रहेंगे तथा आदेश सख्या (1) के अर्थ में पेन्शन की हर अस्थाई वृद्धि की राशि पेन्शनों की कुल राशि पर दी जावेगी न कि अलग अलग कई पेंशनों पर दी जावेगी।

राजकीय निर्णय सख्या 5:—असाधारण पेन्शनें विशेष पेंशनें नही है—निर्णय संख्या 2 में यह दिया गया है कि आदेश सख्या (1) मे स्वीकृत पेन्शनो मे अस्थाई वृद्धि राजनैतिक एवं अन्य विशेष पेन्शनों पर लागू नहीं होती है। एक प्रश्न उठाया गया है कि सेवा नियमो के अध्याय 24 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेन्शनों को इस प्रयोजन के लिए विशेष पेन्शन माना जावेगा?

मामले पर सरकार द्वारा विचार कर यह निर्णय किया गया है कि इन नियमों के अध्याय 24 में वर्णित असाधारण पेन्शनें उपरोक्त वित्त विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार "विशेष-पेन्शनें" नहीं है एवं उपरोक्त प्रकार से स्वीकृत पेन्शनो मे अस्थाई वृद्धियां तथा आदेश सख्या (1) में वर्णित स्वीकृत पेन्शन मे वृद्धियां, अध्याय 24 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणी की असाधारण पेशनों पर मिलती रहेंगी।

राजकीय निर्णय संख्या 6 — प्रत्याशित (एन्टीसिपेटरी) पेन्शन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता आदेश संख्या 1 में स्वीकृत दरों पर निम्न-दर की पेन्शनों में की गई अस्थाई वृद्धि उन पेन्शनरों को भी दी जावेगी जो अपने पेन्शन मामलों में अन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए "प्रत्याशित पेंशन" प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि प्रत्याशित पेन्शन की राशि समायोजन किये जाने की शर्त पर होती है। अतः जब उसका पेन्शन का मामला अन्तिम रूप से तय हो जायेगा तब उस समय यह 'अस्थाई वृद्धि" भी ऐसी पेन्शन के साथ इसी प्रकार समायोजित करने योग्य होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 7.— गैर आई. एस. एफ. व्यक्तियों की पेन्शनों के लिए स्वीकृत करने योग्य महगाई भत्ता-निर्णय संख्या 1 में निम्न-दर की पेन्शनों में अस्थाई वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश उन गैर आई. एस. एफ. व्यक्तियों (जैसे किलेजात या तोपखाना) आदि पर भी लागू होंगे जो 31–3–50 के बाद सेवा निवृत्त हो गये हैं (जिनकी पेन्शनें राज्य की संचित निधि से वसूल की जाती हैं)

राजकीय निर्णय संख्या 8:—परिवार-पेन्शनों पर महगाई भत्ता–एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या अस्थाई वृद्धि (महगाई-भत्ता), जहा यह परिवार पेंशनों या भत्तों में प्राप्य हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये पेन्शन या भत्ते की राशि पर अलग अलग गिनी जानी चाहिये या परिवार के लिये स्वीकृत कुल राशि पर गिनी जानी चाहिये। मामले पर विचार, कुछ 'ए' श्रेणी के राज्यों में अपनाई गई पद्धति को ध्यान में रखते हुये किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में अस्थाई-वृद्धि परिवार को स्वीकृत की गई पेन्शनों एवं/या भत्तों की कुल राशि पर स्वीकृत की जावेगी तथा उस वृद्धि को सभी प्राप्त-कर्त्ताओं के बीच में अनुपात से बांट दिया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 9:— 1–1–51 के बाद स्वीकृत की गई पेन्शनों पर महगाई भत्ता पूर्व समय से दिया जाना–निर्णय संख्या (3) में यह दिया हुवा था कि उन कर्मचारियों के संबध में जो अपनी पेंशनों पर अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ता पूर्व आदेशों के अनुसार उन उच्च दरों पर प्राप्त कर रहे थे जो आदेश संख्या (1) में वर्णित दरों से ऊंची थी तो उस आदेश के परिणाम-स्वरूप महगाई भत्ते या अस्थाई वृद्धि में कोई कमी नही की जावेगी तथा इस आदेश के पूर्व जिस दर पर वह पेंशन प्राप्त कर रहा हो वह प्राप्त की जाती रहेगी। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया था कि क्या संरक्षण उन मामलों में भी दिया जावेगा जिनमें पेन्शनें पूर्व समय से स्वीकृत की गई हो ? निर्णय संख्या (3) में दिये गये संरक्षण की इच्छा केवल उन मामलों में आर्थिक हानि से बचना था जो वास्तव में की गई राशि में कटौती की जाने के कारण होती थी। अतः जो पेन्शनें 1–1–51 के बाद स्वीकृत की गई है, चाहे वह पूर्व समय से ही क्यों न प्रभावित होती हों, पर उनमें इस प्रकार की कमी किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। अतः यह संरक्षण ऐसे मामलों में नही दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में अस्थाई वृद्धि 1–1–51 से लागू एकीकृत दरों को ध्यान में रखते हुये प्रारम्भ से ही निश्चित की जायेगी। दूसरे शब्दों में अस्थाई-वृद्धि पेंशन की तारीख या उसके प्रभावशील होने के दिन से उन मामलों में एकीकृत दरों पर दी जानी चाहिये जिनमें कि अस्थाई वृद्धि की राशि, यूनिट आदेशों के अनुसार प्राप्य, दिनांक 1–1–51 से स्वीकृत दरों की बजाय अधिक थी। अभिप्राय यह है कि—

(क) जहा पेंशन दिनांक 1–1–51 से या उसके बाद में प्रभावशील हों वहा सभी मामलों में नई स्वीकृत दरें लागू होंगी।

(ख) जहा प्रथम पेंशन का भुगतान 1–1–51 को या उसके बाद करना होता है, लेकिन वह पूर्व समय से हो, तो एकीकृत दरें 1–1–51 से ही लागू होगी। यदि पूर्व यूनिट आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत दर, (यदि कोई हो) एकीकृत दर से ऊंची हो या उसके बराबर हो तो बकाया भुगतानों पर

नई दर लागू होगी। यदि पहिले की दरे कम थी तो बकाया राशि के भुगतान पर निम्न-दर ही लागू होगी एव नई दर लागू नही होगी, एव

(ग) जहा पेन्शन का भुगतान 1-1-51 से पहिले आरम्भ हो चुका हो तथा वह नई एकीकृत दरों पर दी गई अस्थाई वृद्धि से अधिक हो तो उसे 1-1-51 के बाद भी अपनी पुरानी दर पर पेन्शन पाने की स्वीकृति दी जावेगी। यदि पहिले की कोई दर न हो या वह पूर्व दर कम हो तो नई दर 1-1-51 से लागू होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 10:—1-8-54 के बाद स्वीकृत राजनैतिक पेंशनों पर महगाई भत्ता-समय समय पर सशोधित एवं स्पष्टीकरण किये गये आदेश सख्या (1) के अन्तर्गत स्वीकृत अस्थाई वृद्धि, राजनैतिक पेंशनो, निर्वाह भत्तो आदि मे स्वीकृत नही की जा सकती है। देवस्थान विभाग में स्वीकृत किये गये निर्वाह भत्तो के कुछ मामलो मे पूर्व रियासतों मे प्रचलित दरो पर अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। स्थिति पर दुबारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि चूंकि ऐसे भत्तों की स्वीकृतिया दिनाक 1-4-58 से कुल राशियो के रूप मे व्यक्त की जावेगी जिसमें जो भी महगाई भत्ते की राशि आवश्यक समझी जावेगी वह मिलादी जावेगी तथा कोई भी महगाई भत्ता या अस्थाई वृद्धि अतिरिक्त रूप में नही दी जावेगी। अतः दिनाक 31-7-54 या पूर्व की स्वीकृति द्वारा अधिकृत दर के अनुसार प्राप्य महगाई भता पूर्व की रियासतो की दरो के अनुसार (यदि कोई हो) लागू हुवा समझा जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 11:—निर्णय सख्या (5) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमे यह दिया हुआ है कि सेवा-नियमो के अध्याय-24 के अन्तर्गत "असाधारण पेन्शनें" निर्णय सख्या (2) मे वर्णित प्रकार की "विशेष पेन्शनें" नही है, एव आदेश सख्या (1) के अन्तर्गत स्वीकृत पेन्शन मे अस्थाई वृद्धि सेवा नियमो के अध्याय 24 मे स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणियो की साधारण पेन्शनो पर मिलती रहेगी।

मामले पर पुनः विचार किया गया तथा यह निश्चय किया गया है कि अस्थाई वृद्धि का लाभ, एकीकृत रियासतों द्वारा कर्मचारियो या उनके उत्तराधिकारियो के लिये स्वीकृत की गई समान पेन्शनो के मामलो मे भी दिया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 12:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7 (8) आर/51 दिनांक 12-11-51 *की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें दिया हुआ है कि वित्त विभाग की अधिसूचना* सख्या एफ 7 (2) आर/51 दिनांक 15-1-51 द्वारा स्वीकृत पेन्शनो में अस्थाई वृद्धि केवल सेवा (सिविल) पेन्शनों पर ही लागू होगी एव यह कि अस्थाई वृद्धि विधवाओं एव मृत व्यक्तियो के आश्रितो के लिये एकीकृत भत्तों के मामलो पर लागू नहीं होगी।

कुछ सदेह व्यक्त किये गये हैं कि क्या यह अस्थाई वृद्धि उन क्षतिपूरक भत्तों के लिए भी स्वीकृत की जावेगी जो सेवा नियमो के नियम 172 के अन्तर्गत या रियासतो के नियमों के अन्तर्गत सेवा पेन्शनों के स्थान पर कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाते है। मामले की सरकार द्वारा जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7 (8) आर/51 दिनांक 12-11-51 उन क्षतिपूरक भत्तो के मामलो पर लागू होगी जो सेवा पेन्शनो के बदले में स्वय कर्मचारियो को स्वीकृत किये जाते हैं एवं अस्थाई वृद्धि के लाभ, जो एफ 7 (2) आर/51 दिनाक 15-1-51 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये है, उनके मामलो पर भी लागू होंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 13:—जहां पेन्शन वेतन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई हो वहा एक कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति की अवधि में प्राप्त-वेतन की महगाई भत्ते पर पेन्शन की अस्थाई वृद्धि स्वीकृत नही की जावेगी।

स्पष्टीकरण — यह स्पष्ट किया जाता है कि (1) यह आदेश के जारी किये जाने की तारीख से प्रभावी होना चाहिए तथा (2) ये आदेश सरकारी सेवा मे नियोजित व पुर्ननियोजित दोनो प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होते है।

राजकीय निर्णय संख्या 14 —परिवार पेन्शनो के लिए अस्थाई वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध का प्रश्न कुछ समय पूर्व से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह आदेश दिया जाता है कि दिनाक 1–4–61 से वर्तमान दरो पर अस्थाई वृद्धि उन सभी परिवार पेन्शनो के लिए एव परिवार पेन्शनों की प्रकृति के भत्तो के लिए जो पूर्व रियासतो की सरकारो द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, स्वीकृत किए गए है, चाहे जिस नाम से वह कहलाये, स्वीकृत की जा सकती है जो मृत कर्मचारी के परिवारो द्वारा प्राप्त की जाती हैं। फिर भी परिवार पेन्शनो (एवं परिवार पेन्शनो की प्रकृति के भत्तो सहित) पर वहा कोई अस्थाई वृद्धि नही दी जावेगी जहा ऐसी पेन्शनो की राशि महगाई भत्ते की राशि के भाग को मिलाकर निकाली गई है।

राजकीय निर्णय संख्या 15:—राजस्थान सिविल सर्विसेज सशोधित वेतन-मान नियम, 1961 के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए परिवर्तित वेतन श्रृंखला मे महगाई भत्ते के मिला देने के कारण, 1 सितम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियो के लिये पेन्शनो पर अस्थाई वृद्धि को चालू रखने या अन्यथा प्रकार उसे समझने के संबध का प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जब एक कर्मचारी ऐसे समय सेवा से निवृत्त होता है जबकि वह 1 सितम्बर, 1961 से या उसके बाद किसी तिथि से परिवर्तित वेतन श्रृंखला (सशोधित वेतन-मान) मे अपना वेतन प्राप्त कर रहा हो तो वह वर्तमान आदेशो के अनुसार प्राप्य पेन्शन पर किसी भी प्रकार की अस्थाई वृद्धि प्राप्त नही करेगा। ऐसे कर्मचारियो के सबध मे महगाई भत्ता 10 या 20 रु. जैसी भी स्थिति हो पेन्शन एव ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए 'कुल राशि' के रूप मे गिने जावेगे जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ् 1 (51) एफ. डी (ए) आर 61 दिनाक 18–12–61 के अनुसार प्राप्त किया गया है। फिर भी जहा एक ऐसे कर्मचारी को तीन वर्ष की सेवा मे वह समय भी शामिल हो जिसमें उसने वर्तमान वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त किया या करता है, तो ऐसे समय के सबध मे महगाई भत्ते को वेतनादि-की-राशि के रूप मे गिने जाने के प्रावधान वित्त विभाग के आदेश सख्या 4641/58 एफ 7–ए (14) एफ. डी (ए)/नियम/58 दिनाक 2–3–59 के अनुच्छेद 4 मे दिए गए अनुसार प्रभावशील रहेंगे।

उपरोक्त अनुच्छेद 1 में दिये गये आदेश एक ऐसे कर्मचारी पर लागू नही होंगे जो 1 सितम्बर, 1961 को या उसके बाद "वर्तमान श्रृंखला" मे वेतन प्राप्त करते हुए सेवा से निवृत्त होते है। ऐसे कर्मचारी वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 4641/57 एफ 7ए (14) एफ. डी. (ए) नियम/58 दिनाक 2–3–59 के अनुच्छेद 4 (ख) के अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए "महगाई भत्ते" को "वेतनादि-की-राशि" के रूप में गिनने के लिए अस्थाई वृद्धि को पेन्शन मे शामिल करने के लिए प्राधिकृत नही होगा।

टिप्पणी:—उपर्युक्त पैरा (1) एव (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति- "वर्तमान-वेतनमान" मे तात्पर्य राजस्थान असैनिक सेवा (सशोधित वेतनमान) नियम, 1961 के नियम 5 (1) मे यथा परिभाषित "वर्तमान-वेतन" से लगाया जाएगा।

उन व्यक्तियो के पेंशन मामलो पर जो 1–9–61 के बाद किन्तु इस आदेश के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये है तथा जो इस आदेश के पैरा (1) के प्रावधानो द्वारा प्रभावित, हुए हैं, पुर्नविचार किया जावेगा तथा उन्हे एतद्नुसार निपटाया जायेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 16:—इस विभाग के आदेश संख्या डी. 7450/58 एफ 1 (70) आर/56 भाग–1 दिनाक 21–2–59 में आंशिक सशोधन करते हुए यह आदेश दिया गया है कि राज्य पेन्शनर जो 31–3–64 को या उससे पूर्व सेवा निवृत हो गये हैं एवं जो (उक्त आदेश के अधीन स्वीकृत पेन्शन में अस्थाई वृद्धि को मिलाकर) 25/– रु. तक की पेन्शन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे है, उन्हें उनकी पेन्शन में दिनाक 1–4–64 से 5/–रु. की अस्थाई वृद्धि स्वीकार की जाती है। ऐसे मामलो मे जिनमें पेन्शन एवं अस्थायी वृद्धि 25) रु. से अधिक है किन्तु 30) रु. से कम है, तो तदर्थ वृद्धि की राशि ऐसी होगी जो कुल पेन्शन एव अस्थाई वृद्धि 30) रु. तक ही होगी।

और यह भी आदेश दिया जाता है कि एक राज्य पेशनर जो वित्त विभाग के आदेश सख्या 4641/58 एफ 7ए (14) एफ. डी ए/नियम/58 दिनाक 2–3–59 एव एफ. 1 (73) एफ. डी. ए/रूल्स/62 दिनाक 28–3–63 के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नही है निम्नलिखित दर के आधार पर 1–4–64 से तदर्थ अस्थाई वृद्धि स्वीकृत करदी जाए—

पेन्शन की दर	पेन्शन मे तदर्थ अस्थाई-वृद्धि
25/– रु. तक की पेन्शन	5) रु. प्रतिमाह
25/– रु से अधिक किन्तु 30/– रु. से कम प्रति माह की पेन्शन	ऐसी अस्थाई वृद्धि जिससे पेन्शन वृद्धि का कुल योग 30) रु. हो जाए।

4–उपरोक्त तदर्थ वृद्धि 1–4–64 को या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू नही होगी। फिर भी, वे पेन्शन पर अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होगे यदि वह उनके लिए वित्त विभाग के आदेश सख्या 7450/58 एफ 1 (70) आर/56 पी. टी. (क) दिनांक 21–3–59 के अनुसार प्राप्त है।

राजकीय निर्णय संख्या 17:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 14–4–64 उपर्युक्त निर्णय सख्या 16 के रूप मे प्रयुक्त मे कुछ रूपान्तरण करते हुए यह आदेश दिया गया है कि जो कर्मचारी मार्च 1964 के महिने में सेवा से निवृत हो गये हैं एव जिनके मामले में पेंशन की राशि (अस्थाई वृद्धि सहित) 25) रु० तक वित्त विभाग के आदेश दिनांक 8–1–64 से पेंशन मे तदर्थ अस्थाई वृद्धि उस अन्तर की राशि के बराबर 5) रु० एवं उक्त आदेश के अधीन स्वीकृत वृद्धि की राशि के बीच हो, स्वीकृति दी जाती है।

राजकीय निर्णय संख्या 18:—यह आदेश दिया जाता है कि जहा पर पेंशन की राशि, अस्थाई वृद्धि को मिलाकर, 25) रु० तक बढ़ा दी जाय जो अधिवार्षिकी (सुपरएन्युएशन) सेवा-निवृत्ति. क्षतिपूर्ति या अशक्तता पेंशन पर 1–3–64 के बाद सेवा मे निवृत्त किये जा रहे हों।

और भी आदेश दिया जाता है कि जहा पर कोई अन्य पेंशन या क्षतिपूर्ति/अशक्तता/सेवा निवृति/अधि-वार्षिकी/परिवार पेंशन प्राप्त की जा रही हो या जहां पर कर्मचारी सरकार मे कोई वेतन प्राप्त नही करता हो तो सेवा नियमों के अध्याय 24 में अन्तर्विष्ट असाधारण पेंशन नियमों के अधीन घाव (इन्ज्यरी) पेंशन की न्यूनतम दर 25) रु. प्रति माह से कम नही होगी एव इसमे इन्ज्युरी पेंशन प्राप्त करने वाले सभी मामले एव इस तारीख के बाद होने वाले समस्त मामले शामिल होगे।

राजकीय निर्णय संख्या 19:—यह आदेश दिया गया है कि जहां अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए, पेंशन की राशि 30) रु. प्रति माह से कम आती है वहा उन कर्मचारियों के जो अधिवार्षिकी, सेवा निवृत्ति, क्षतिपूर्ति या इनवेलिड या परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों के मामलों मे जो परिवार पेंशन प्राप्त करते हैं, दिनाक 1–3–65 से 30) रु. प्रति माह तक बढ़ा दी जावे।

श्रौर यह श्रादेश दिया जाता है कि जहां कोई श्रन्य पेंशन या क्षति पूर्ति/इनवेलिड/सेवा निवृत्ति/अधिवार्षिकी/परिवार पेंशन प्राप्त नही की जा रही हो या जहा कर्मचारी सरकार से कोइ वेतन प्राप्त नही करता हो वहा राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 के अन्तर्विष्ट असाधारण पेंशन नियमों के अधीन इन्जरी पेंशन की न्यूनतम दर (अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए) 30/– रु. प्रतिमाह से कम नही होगी।

ये आदेश निम्न पर लागू होंगे—

(1) समस्त कर्मचारी जो दिनाक 1–3–65 से पूर्व सेवा-निवृत्त होते है तथा जो अधिवार्षिकी, क्षतिपूर्ति, सेवा निवृत्ति या असाधारण पेंशन प्राप्त करते हैं तथा वे व्यक्ति जिन्हे 1–3–65 से पूर्व परिवार पेंशन स्वीकृत की गई थी।

(2) समस्त कर्मचारी जो दिनाक 1–3–65 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होते हैं तथा समस्त व्यक्ति जो उस तारीख को या उसके बाद परिवार पेन्शन के लिए अधिकृत होते हैं।

स्पष्टीकरण—(1):—वित्त विभाग की आज्ञा दिनाक 15–4–65 (उक्त निर्णय संख्या–19) के अनुसार ऐसे मामलो मे जहा ऐसे कर्मचारी जो दिनाक 1–3–65 से पूर्व सेवा-निवृत्त हो चुके थे तथा जो पेन्शन प्राप्त कर रहा था, भुगतान योग्य पेन्शन की राशि, अस्थाई वृद्धि को सम्मिलित करते हुए 30) रु. से कम आई हो वहां वह पेन्शन राशि दिनाक 1–3–65 से 30) रु प्रति माह तक बढाई जावेगी।

एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त आदेश के प्रावधान उन जागीर पेन्शनरों पर भी प्रयोज्य है जो राजस्व विभाग के आदेश स. एफ 4 (361) राजस्व/ए/54 दिनाक 31–1–55 एवं राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण (जागीर कर्मचारियो का विलीनीकरण) नियम, 1954 के नियम 10 के साथ पठित राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 28 के प्रावधानो के अधीन राज्य की सचित निधि से भुगतान प्राप्त करते है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ज्ञापन दिनाक 15–4–65 के प्रावधान जागीर कर्मचारियो पर लागू नही होंगे।

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 15–4–65 (उक्त निर्णय सख्या 19) के अनुसार पैंशन 30) रु. प्रतिमाह की दर पद स्वीकार्य है। एक सन्देह उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त आदेश के प्रावधान सेवा नियमो के अध्याय 24 मे अन्तर्विष्ट असाधारण पेन्शन नियमो के नियम 275 व 276 के अधीन स्वीकृत असाधारण परिवार पेन्शन पर भी लागू होंगे ?

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान एव ऊपर सदर्भित नियम 275 व 277 के अधीन स्वीकृत असाधारण परिवार पेन्शन पर प्रयोज्य नही है। यह सेवा नियमों के नियम 276 के अधीन घाव (इन्जरी) पेन्शन जो स्वयं कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है, पर प्रयोज्य है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (12) वि. वि. (व्यय-नियम)/65 दिनांक 15-4-1965]

राजकीय निर्णय संख्या 20:—एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या सेवा नियम 255 के नीचे राजकीय निर्णय सख्या 18 के प्रावधान (समय समय पर सशोधनो सहित) उन कर्मचारियो पर भी लागू होंगे जिन्हें शास्ति (दण्ड) के रूप मे सेवा मे अनिवार्य रूप मे निवृत्त कर दिया जाता है एव जिन्हे राजस्थान सेवा नियम 172–ए के अधीन पेन्शन स्वीकृत की जाती है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि पूर्वोक्त निर्णय के प्रावधान उन कर्मचारियो पर लागू नहीं होंगे जिन्हे शास्ति के रूप में सेवा-निवृत्त किया जाता है तथा नियम 172–ए के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत की जाती है।

पूर्व के मामले जिनका अन्यथा प्रकार से निपटारा किया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जाए किन्तु विचाराधीन मामलों का निर्णय इन आदेशों के अधीन किया जाए।

[वि. वि के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (12) वित्त (व्यय-नियम)/64 दिनांक 8-10-1964]

राजकीय निर्णय संख्या 21:—कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के वर्तमान प्रावधानों के पुनरावलोकन के बाद राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर निर्णय लिया है कि जहां-पेन्शन की राशि (मय अस्थाई वृद्धि जो वि. वि. आज्ञा स. एफ 1 (11) वि. वि. (नियम) 70/I दिनांक 29-4-1970 द्वारा स्वीकृत हुई, के 40 रु. प्रतिमाह से कम आती हो, तो उसे दिनाक 1-3-1970 से जो कर्मचारी अधिवार्षिकी, निवृत्ति, क्षतिपूरक या अशक्तता पेन्शनें और सेवा नियमो के अध्याय (23) व (23-ए) के अधीन पारिवारिक पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामलों मे 40/- मासिक कर दिया जावे।

(2) राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर यह भी निर्णय लिया है कि कोई अन्य पेन्शन, जैसे-क्षतिपूरक/अशक्तता/निवृत्ति/अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन सेवा नियमों के अध्याय (23) व (23-ए) के नियम 275/276 अध्याय (24), नही मिल रही है या जहा कर्मचारी सरकार से कोई वेतन नहीं पा रहा है, तो घायल होने की पेन्शन जो असाधारण पेन्शन नियमो के अध्याय (24) व नियम 274 में वर्णित है, 40 रु मासिक (मय अस्थाई वृद्धि के) से कम नहीं होगी।

(3) ये आज्ञायें (निम्न पर) लागू होंगी—

(i) समस्त कर्मचारियो पर जो दिनाक 1-3-70 के पहले सेवा निवृत्त हुए हैं और दिनांक 1-3-70 से पहले अधिवार्षिकी, क्षतिपूरक, अशक्तता, निवृत्ति या घायल और पारिवारिक पेन्शन अध्याय (23) व (23-ए) सेवा नियम के अधीन पा रहे हैं और,

(ii) समस्त कर्मचारियो पर जो दिनाक 1-3-70 को या इसके बाद में सेवा निवृत्त हुए हैं या होंगे।

[वित्त विभाग के ज्ञापन सं. एफ 8 (11) वि. वि (नियम) 70-II दिनांक 29-4-70]

राजकीय निर्णय संख्या 22:—जागीर पैन्शनर्स, जो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत जागीर पैन्शनर्स है, अजमेर भूमि सुधार एवं मध्यस्थ उन्मूलन (मध्यस्थो के कर्मचारियों को पेंशन) नियम, 1962 तथा प्रोटेक्शन-आफ-सर्विस कंडीशन्स् नियम, 1957 के नियम 12 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन-लाभ का विकल्प देने वाले पेंशनर्स को 1-1-1971 से 40/- मासिक से कम होने पर न्यूनतम 40/- मासिक पेंशन स्वीकृत की जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 23:— वर्तमान पेंशनरो को राहत देने का मामला कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्यपाल ने अब प्रसन्न होकर आदेश दिये है कि वर्तमान पेंशनर जो 1-9-76 को अधिवार्षिकी सेवा-निवृत्ति, अयोग्यता या क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को निम्न-दरों पर पेंशन मे वृद्धि की जाती है:—

पेंशन की दर	पेंशन में मासिक वृद्धि की राशि
(1) रु. 100/- प्रतिमाह से कम	रु 20/-
(2) रु. 100/- प्रतिमाह और इससे अधिक किन्तु 120/- प्रतिमाह से कम	रु. 25/-
(3) रु. 120/- प्रतिमाह और इससे अधिक किन्तु 209/- प्रतिमाह से कम	रु. 30/-

(4) रु. 210/– प्रतिमाह और इससे अधिक किन्तु 500/– प्रतिमाह से कम	रु. 40/–
(5) रु. 500/– प्रतिमाह और इससे अधिक	रु. 50/–

(2) उपरोक्त प्रयोजनार्थ शब्द "पेंशन" का अर्थ "मूल-पेन्शन" (रूपान्तरित पेन्शन की राशि सहित) मय "देय अस्थाई वृद्धि" यदि कोई हो जो 1-9-1976 को प्रभावशील थी से है। पेंशन मे "अस्थाई वृद्धि" को दिनांक 1 9-1976 से मूल पेंशन की राशि में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके पश्चात् दिनाक 1–9–1976 से पेंशन मे वृद्धि जो उक्त पैरा सख्या (1) मे अंकित है को पेन्शन मे कुल सगणित किया जावेगा।

(3) उपरोक्त आदेश उन पेंशनरो पर भी लागू होगे जो पारिवारिक पेंशन अध्याय और असाधारण पेंशन अध्याय सेवा नियमो के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं।

(4) ये आदेश निम्न पर लागू नही होंगे—

(i) वृद्धावस्था पेन्शन, राजनैतिक पेंशन या अन्य प्रकार की ऐसी ही पेंशन जो सरकार के अधीन की गई सेवा से सबधित नही है।

(ii) कर्मचारी जो 1–9–1976 के पश्चात् सेवा-निवृत्त हुए है।

[वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (44) वि. वि. (श्रेणी-2) 76 दिनांक 20–10–76 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 24:—राज्यपाल आदेश देते हैं कि उन विद्यमान पेंशनरो को, जो 1–9–1976 को अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, अशक्तता या क्षति पूरक पेंशन प्राप्त कर रहे थे, 1–4–1977 से पेन्शन में निम्न-लिखित दरो पर और वृद्धि स्वीकृत की जायः—

	पेंशन में वृद्धि प्रतिमाह
	रकम
रु 120/– प्रतिमाह से कम	5/–
रु. 120/– प्रतिमाह और उससे अधिक लेकिन रु 500/– प्रतिमाह से कम	10/–
रु. 500/– प्रतिमाह और उससे अधिक	15/–

2. उपर्युक्त आदेश उन पेंशनरो पर भी लागू होगे, जो राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय XXIII, XXIII–ए–के अधीन कोटुम्बिक पेंशन, तथा अध्याय XXIV के अधीन असाधारण-पेंशन प्राप्त कर रहे है।

3. ये आदेश—

(i) वृद्धावस्था पेंशन, राजनैतिक पेंशन या इसी प्रकार की किसी अन्य पेंशन पर, जो सरकार के अधीन की गई सेवा से सबधित न हो;

(ii) 1–9–1976 के पश्चात् सेवा निवृत्त कर्मचारियो पर, लागू नही होंगे।

[संख्या पं. 1 (44) वित्त (ग्रुप-2)/76 दिनांक 9–9–77 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 25:—यह प्रश्न उठाया गया है कि पेन्शन मे अस्थाई-वृद्धि, जो वित्त विभाग के आदेश सख्या प. 1 (11) वित्त (नियम) 70 दिनाक 29-4-1970 के अनुच्छेद-1 के अनुसार स्वीकृत की गई है, उन पेन्शनरो को भी स्वीकार्य है अथवा नहीं जो राजस्थान सेवा नियम 256 के अन्तर्गत राजकीय आदेश

संख्या 2 तथा 3 के रूप मे दिये गये वित्त विभाग के आदेश संख्या डी. 7450/58 एफ 1 (70)/65 पार्ट-I, दिनाक 21-3-1959 तथा सख्या एफ. (13) वित्त/व्यय/नियम/65, दिनाक 21-1-67 के अनुसार अस्थाई-वृद्धि प्राप्त कर रहे है।

मामले पर सावधानी-पूर्वक विचार कर लिया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अनुच्छेद-1 में उल्लिखित अस्थाई-वृद्धि की दरें समस्त विद्यमान पेन्शनरों के लिये लागू होंगी। इनमें पारिवारिक पेशनरो तथा असाधारण-पेन्शन प्राप्त कर रहे वो लोग भी सम्मिलित हैं जिन्हें समय-समय पर सशोधित, वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 7 (2) आर/51 दिनांक 15-1-1951 के अधीन, 1-1-1951 से पेन्शन में अस्थाई-वृद्धि स्वीकृत की गई थी।

अत: उपर्युक्त आदेशों के अनुच्छेद-3 के प्रावधान उक्त प्रकार के पेन्शनरो पर लागू नही होगा। वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (11) वित्त (नियम) 70 दिनाक 29-4-1970 के अनुच्छेद-3 के प्रावधान केवल उन्ही पेन्शनरो पर लागू होंगे जो उसी आदेश के अनुच्छेद-2 में अंकित प्रावधानों के तहत अस्थाई-वृद्धि प्राप्त करने के अधिकारी है। उपर्युक्त आदेशों के अनुच्छेद-3 को, उस तारीख से, जिससे उपरोक्त आदेश लागू किया गया था, उक्त सीमा तक प्रतिक्रमित (सुपर सीड) हुआ समझा जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (11) वित्त (नियम) 70 दिनांक 13-12-1977]

राजकीय निर्णय संख्या 26:—राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान की है कि उन राज्य-कर्मचारियों को जो 1 सितम्बर, 1976 के बाद अधिवार्षिकी विश्रामवृत्ति, क्षतिपूरक, असमर्थता अथवा घायल हो जाने के कारण नियम 274 के अनुसार सेवा-निवृत्त किये गये हों अथवा हो रहे हो तो उनको देय न्यूनतम पेन्शन 40) रुपये मासिक के बजाय 60) रुपये मासिक दी जावेगी।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (44) वित्त (ग्रुप-2) 76-I दिनांक 13-3-78]

वर्तमान पेन्शनरों को देय पेन्शन में वृद्धि

राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक 20-10-1976 एव 9-9-1977 द्वारा पेन्शन राशि मे स्वीकृत वृद्धि का लाभ निम्न-अंकित प्रवर्गों के पेन्शनरों को भी, *दिनाक 1 सितम्बर, 1976 एवं 1 अप्रेल, 1977 से क्रमश: दिया जावे:*—

(1) भूतपूर्व अजमेर राज्य, बम्बई एव मध्य-भारत राज्यों के वे कर्मचारी जो दिनांक 1-11-1956 से राज्यों के पुनंगठन के कारण राजस्थान में आ गये और जिन्होने राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों की सुरक्षा) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार अपने पूर्व के राज्यो के पेन्शन नियमों का विकल्प दिया और जो अब राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अधिवार्षिकी, विश्रामवृत्ति, क्षतिपूरक, असमर्थता, घायल तथा पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं।

(2) अजमेर मध्यस्थों के उन्मूलन एव भूमि सुधार (मध्यस्थों के कर्मचारियों को पेंशन) नियम 1962 के अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं।

(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 28 एव राजस्व विभाग के आदेश क्रमाक एफ. 4 (351) राजस्व/ए/54 दिनांक 31 जनवरी, 1955 एव राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर अधिग्रहण (जागीर कर्मचारियो के ऐवजारब्शन) नियम 1954 के नियम 10 के अनुसार जागीर पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (44) वित्त (ग्रुप-2) 76-I, दिनांक 13-3-78]

(वर्तमान पेन्शनरों को देय पेन्शन में वृद्धि के बारे में)

राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि वर्तमान में अधिवार्षिकी, विश्रामवृत्ति, असमर्थता, क्षतिपूरक इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को वित्त विभाग के सम-संख्यक आदेश दिनांक 20–10–1976 तथा 9–9–1977 द्वारा स्वीकृत पेंशन मे अस्थाई-वृद्धि की दर उन पेंशनरों के लिए दिनाक 1–3–1978 से निम्न प्रकार होगी:—

	मासिक पेन्शन की राशि	पेन्शन में प्रति माह वृद्धि
1	100/- रुपये मासिक से कम	30/- रुपये
2.	100/- रुपये मासिक से अधिक किन्तु 120/- रुपये मासिक से कम	35/- रुपये
3.	120/- रुपये मासिक से अधिक किन्तु 210/- रुपये मासिम से कम	50/- रुपये
4.	210/- रुपये मासिक से अधिक किन्तु 500/- रुपये मासिक से कम	60/- रुपये
5.	500/- रुपये मासिक से अधिक	80/- रुपये

ये आदेश निम्न-अंकित प्रवर्गों के पेंशनरों पर भी लागू होंगे:—

(i) राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 23, 23-ए तथा 24 के अनुसार पारिवारिक, नवीन पारिवारिक पेन्शन एव असाधारण पेन्शन प्राप्त करने वाले पेन्शनर्स।

(ii) वे पेन्शनर्स जो भूतपूर्व अजमेर, राज्य, बम्बई तथा मध्य प्रदेश राज्यो के कर्मचारी थे एवं जिन्होंने 1-11-1956 से तुरन्त पूर्व उन पर प्रभावी पेन्शन नियमो के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कन्डीशन्स नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार अपना विकल्प दिया था और जो अब राजस्थान सेवा नियमों के अर्न्गत अधिवार्षिकी, विश्रामवृत्ति, क्षतिपूरक, असमर्थता, घायल एवं पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर रहे है।

(iii) अजमेर राज्य के मध्यस्थों के उन्मूलन एवं भूमि सुधार (मध्यस्थों के कर्मचारियों को पेन्शन) नियम 1962 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन प्राप्त कर्त्ताओ।

(iv) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 28 तथा राजस्व विभाग के आदेश एफ. 4 (36) राजस्व (ए) 54 दिनाक 31-1-55 तथा राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर अधिग्रहण (जागीर कर्मचारियो के ऐवजारवशन) नियम 1954 के नियम 10 के अनुसार पेंशन स्वीकार की गई है और वे ऐसी पेंशन अब भी प्राप्त कर रहे है।

यह आदेश निम्न-अंकित मामलों में लागू नही होगे:—

(i) वृद्धा अवस्था पेंशन, राजनैतिक पेंशन अथवा किसी अन्य प्रकार की इनके समान पेंशन जो राज्य सरकार के अधीन सेवा नही करने पर भी दी जाती हों।

(ii) दिनाक 1-9-1976 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों पर।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1 (44) वित्त (ग्रुप-2) 76-III दिनांक 13-3-78]

राजकीय निर्णय संख्या 27:—उन राज्य कर्मचारियों/पेन्शनरों की विधवाओं को, जिनके पति नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व अर्थात् 1-3-1964 से पूर्व स्वर्गवासी हो गये हों और जिनकी विधवाएँ नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व ही पेंशन प्राप्त करना बन्द कर चुकी हों, उनको सहायता पहुचाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था। ऐसी विधवाओं को पेंशन राजस्थान सेवा नियम 23 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत की जाती थी।

इस प्रश्न पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान की है कि ऐसे मृतक राज्य कर्मचारी अथवा पेंशनर की पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध मे यह माना जावेगा कि वे दिनांक 28-2-1964 को अध्याय-के अध्याय 23 के अनुसार पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर रहे थे तथा इसके आधार पर उनको वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (48) वित्त(ई-आर) 64 दिनांक 4-1-1965 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाई गई अवधि मे उक्त अंकित ज्ञापन मे अंकित दरो के आधार पर पारिवारिक पेंशन दे दी जावे।

पेन्शन की राशि मे अस्थाई वृद्धि एव पेन्शन मे ही वृद्धि अथवा न्यूनतम पेन्शन की सीमा बढ़ाने इत्यादि के सम्बन्ध मे सरकार द्वारा समय समय पर जो दिनाक 1-3-1978 से पूर्व स्वीकृतियां दी गई हैं उन सब का लाभ उपरोक्त अंकित पारिवारिक पेन्शन के मामलो मे भी इस प्रकार मिलेगा जिस प्रकार उपरोक्त अंकित वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 4-1-1965 के अनुसार अन्य पारिवारिक वेतन के मामलो मे दिया गया है।

पारिवारिक पेन्शन की राशि तथा पेन्शन में वृद्धि इत्यादि जो दिनांक 1-3-1978 को देय थी उसका निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जावेगा और उसके आधार पर भुगतान 1-3-1978 से दिया जावेगा। 1-3-1978 से पूर्व की अवधि के लिये ऐसे किसी भी मामले मे कोई पेन्शन का एरीयर नही चुकाया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (22) वित्त(ग्रुप-2) 78 दिनांक 15-6-1977]

राजकीय निर्णय संख्या 28:—राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व विभिन्न भूतपूर्व-देशी-राज्यों-की-सरकारों द्वारा उनके व्यक्तिओं कर्मचारियों को विभिन्न-प्रकार की पेन्शन स्वीकार की गई थी जो पेन्शन के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप मे अथवा भत्तो के रूप मे दी गई थी। ऐसी पेन्शनों को अनेकों नामो से जैसे सधारण (मिन्टीनेन्स) भत्ता, खान-पान-भत्ता, गुजारा, पालतू, पडतायत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। पेन्शन की राशि मे अस्थाई-वृद्धि तथा न्यूनतम-पैंशन की राशि मे अभीवृद्धि राज्य-सरकार ने समय-समय पर सेवा पेन्शनरो (सिविल) को स्वीकार की है किन्तु उपरोक्त श्रेणियो के पेन्शनरो को ऐसी अस्थायी-वृद्धि का न तो अधिकार था और न ही उनकी स्वीकृत राशि जो न्यूनतम से कम थी, को वे बढ़वाने के लिये नियमानुसार मांग कर सकते थे। इस प्रकार ऐसे समस्त पेन्शनर वही अपनी आरम्भ में स्वीकृत राशि प्राप्त करते आ रहे हैं जो उन्हें भूतपूर्व राज्यों द्वारा स्वीकृत की गई थी। ऐसी उपरोक्त श्रेणी के समस्त पेन्शनरों को कुछ राहत देने का प्रश्न राज्य-सरकार के कुछ समय से, विचाराधीन रहा है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल-महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि उपरोक्त-अंकित-श्रेणियो के पेन्शरों, जो वर्तमान मे भी पेन्शन, छात्रवृत्ति अथवा भत्ते (च हे वह किसी नाम से दिया जाता रहा हो), महालेखाकार राजस्थान द्वारा जारी किये गये पेन्शन-भुगतान-आदेशो के अन्तर्गत 40/- रुपये प्रति माह से कम पर प्राप्त कर रहे हो को अब दिनाक 1-4-79 से न्यूनतम 40/- रुपये मासिका पेन्शन दी जाय।

यह आदेश भूतपूर्व-राज्यों की बैंको जैसे श्री कृष्णा बैंक भरतपुर, श्री रामलखन बैंक डूंगरपुर, बूंदी राज्य बैंक बूंदी, झालावाड, शाहपुरा राज्य-बैंक शाहपुरा, धौलपुर राज्य बैंक धौलपुर आदि जिन्हे राजस्थान राज्य द्वारा उन बैंको के बिलीनीकरण के कारण पेन्शन स्वीकार की गई है, उन पर भी लागू होगा। यह आदेश राज-नैतिक पेन्शनर तथा देवस्थान पेन्शनरो पर प्रभावशील नही होगे।

[वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. 1 (44) वि. वि (ग्रुप-2) 76-II दिनांक 3-4-79 द्वारा निविष्ट]

खण्ड 2 : मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति–उपदान (ग्रेच्यूटी)

नियम 257:—(1) एक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण करली है, उसे एक अतिरिक्त ग्रेच्युटी, अनुच्छेद (3) में वर्णित राशि तक, जब वह सेवा से निवृत्त हो, स्वीकृत की जा सकती है एवं वह खण्ड (1) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए अधिकारी हो जाता है।

(2) यदि एक कर्मचारी ने 5 वर्ष की पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण करली है तथा वह सेवा मे रहते ही मर जाता है तो अनुच्छेद (3) में वर्णित राशि के समान ग्रेच्युटी, नियम 260 के अन्तर्गत उस व्यक्ति/या उन व्यक्तियो को दी जा सकती है जिनको उसने प्राप्त करने का अधिकार दिया हो। यदि ऐसा कोई मनोनयन नहीं हो तो यह निम्न-लिखित रूप में दी जावे:—

(i) यदि परिवार में एक या एक से अधिक जीवित सदस्य हों तो नियम 260 के खण्ड (1) के क्रमाक (1), (2) एवं (3) के रूप में, परिवार के सभी सदस्यों में, सिवाय ऐसे सदस्य के जो विधवा पुत्री हो, बराबर–2 बांट दी जावे।

(ii) यदि उपरोक्त (i) के अनुसार परिवार का कोई ऐसा सदस्य जीवित न हो किन्तु एक या एक से अधिक विधवा पुत्रियां एव/या नियम 260 (1) के क्रमांक (5), (6) व (7) में दिये गये अनुसार परिवार के सदस्य जीवित हों तो ग्रेच्युटी ऐसे सभी सदस्यों में बराबर–2 बाट दी जावेगी।

यदि एक कर्मचारी नियम 257 (1) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति पर ग्रेच्युटी के लिये योग्य हो गया हो किन्तु जो ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व ही मर चुका हो तो ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी निम्न-प्रकार से दी जावेगी।

(क) उस व्यक्ति या व्यक्तियो को जिनको ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार नियम 260 के अन्तर्गत दिया गया हो, या

(ख) यदि कोई ऐसे व्यक्ति नही हैं तो राजस्थान सेवा नियम 257 (2) मे अंकित प्रक्रिया के अनुसार।

राजकीय निर्णय संख्या 1.—राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि 30–12–54 को या इससे पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियो की मृत्यु होने पर उनकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, 5000) रु. की सीमा तक, कर्मचारी को पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। यह स्वीकृति उसी समय दी जाएगी जब वह एक प्रतिज्ञा-पत्र ऐसी जमानतो के साथ भर कर दे जिसे वह हलफनामे के साथ मागे। उसमें यह लिखा होना चाहिये कि मांग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत-व्यक्ति का उत्तराधिकारी है। यदि सक्षम-प्राधिकारी उस व्यक्ति के अधिकार व टाईटिल से सतुष्ट हो जाता है तथा यह सोचता है कि वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने मे उत्तराधिकारी को अनावश्यक देर व कठिनाई उठानी पड़ेगी तो वह उक्त सीमा तक मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकेगा। फिर भी सन्देह की स्थिति में भुगतान केवल वैध-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही सही व्यक्ति को किया जा सकेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—ऐसे सभी मामलो में जिनमे ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है पर उसका भुगतान दिनाक 19 जून, 57 तक नही किया गया है तो उनका भुगतान, आदेश दिनाक 19 जून, 1957 तक करके उन्हे नियमित कर लिया जावे, चाहे दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत-राज्य-कर्मचारी के परिवार का सदस्य हो या नही हो किन्तु जिसने उत्तराधिकारिता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो या प्रतिज्ञा-पत्र भर दिया हो। फिर भी जिन मामलो मे आदेश दिनांक 19 जून, 1957 के जारी होने के बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान पहिले ही

इस आदेश के प्राप्त करने की तारीख से पूर्व, 19 जून, 1957 से पूर्व प्रभावशील नियमों के अनुसार कर दिया गया हो, उन मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नही है। आदेश दिनांक 19 जून, 1957 के अन्तर्गत ग्रेच्युटी स्वीकृत करने में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णय से तय कर सकता है कि क्या क्लेम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत-कर्मचारी के परिवार का सदस्य है और क्या किसी व्यक्तिगत मामले में दावेदार द्वारा जमानत सहित या जमानत रहित एवं/या अन्य जमानतों के साथ एक प्रतिज्ञा-पत्र भराया जाना चाहिये या नही।

राजकीय निर्णय संख्या 3:—विलोपित किया गया।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—सरकार ने निर्णय किया है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी स्थाई रूप से नियुक्त हुए है एवं जिन्होने न्यूनतम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा करली है तथा जो सेवा मे ही मर जाते है (जब वह ड्यूटी पर हो या वेतन सहित या वेतन रहित अवकाश पर हो) तो उनके परिवारो को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओ को पूर्ण करने के लिए पारिवारिक सहायता दी जानी चाहिये। अतः पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियो को उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यो के लिए कर्मचारी के दो माह की राशि के वेतन के समान राशि, जो उसके अन्तिम रूप मे प्राप्त किये गये वेतन पर आधारित होगी, अधिकतम 500) रु. की शर्त तक स्वीकार करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है, यदि पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की सम्मति में कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके ऊपर आश्रित परिवार असहाय अवस्था मे छोड़ दिया गया हो तथा उनके लिए वित्तीय सहायता उस समय देना बहुत आवश्यक हो। इस प्रयोजन के लिए 'वेतन' शब्द का अर्थ 'स्थाई-वेतन' से है।

उन कर्मचारियो के मामले में जिन्होंने अपनी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के लिए मनोनयन नही किया है, पेंशन स्वीकृत-कर्त्ता सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उनसे उस परिवार के सदस्यों के सबंध की घोषणा प्राप्त करनी चाहिये जिनको उपरोक्त अनुच्छेद (I) में वर्णित धनराशि को वितरित किया जाना है। उक्त प्रकार अग्रिम (एडवास) दी गई राशि उस मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति की राशि मे से काटली जावेगी जो बाद में मृत-कर्मचारी के परिवार को स्वीकृत की जाती है।

जिन मामलो मे कर्मचारियों ने मनोनयन भर दिया हो तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि उस व्यक्ति/व्यक्तियो को दी जावेगी जिसे प्राप्त करने के लिए मृत-कर्मचारी ने मनोनयन किया था। उन सब मनोनीत लोगों में उस राशि को उस अनुपात से बांटा जावेगा जैसा मनोनयन-पत्र मे इच्छा प्रकट की है।

इस आदेश के अन्तर्गत भुगतान "एस-डिपाजिट्स एवं एडवांस-भाग 3—ब्याज रहित एडवांस-एडवांस पुर्नभुगतान करने योग्य (ए) सिविल-एडवास आपत्ति-पुस्तिका-एडवास अराजपत्रित-अधिकारीगण (उन अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवारो को वेतन का एडवांस जो सेवा मे रहते मरते हैं)" मद मे नामे लिखा जावेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा जो स्वीकृति दी जावेगी उसमे निम्नलिखित विशेष-विवरण दिया जावेगा।

(1) कर्मचारी का नाम (अ-राजपत्रित)

(2) पद एवं कार्यालय जिसमें व्यक्ति अन्तिम समय काम कर रहा था।

(3) अन्तिम प्राप्त किये गये वेतन का विशेष-विवरण (स्थाई वेतन एवं अन्य वेतन के अन्य मद, यदि कोई हो तो उन्हे पृथक-2 दिखलाया जाना चाहिये)

(4) पेंशन योग्य सेवाकाल।

(5) स्वीकृत एडवास की राशि।

(6) प्राप्त करने वाले का नाम।

स्वीकृति की एक प्रति महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजी जावेगी तथा विभागाध्यक्ष कर्मचारी-वर्ग के वेतन-बिल फार्म पर, स्वीकृति की प्रतिलिपि सलग्न कर, धनराशि प्राप्त करेंगे तथा उसे स्वीकृति-आदेश में वर्णित प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दे दिया जावेगा। इस पक्ष में एडवास की राशि के भुगतान का तथ्य उस अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र मे लिखा जाना चाहिये जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के कागजों के साथ महालेखाकार को भिजवाया जाता है।

पेंशन-स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि मे से एडवास के रूप मे दी गई राशि का समायोजन कर लिया गया है। यदि ग्रेच्युटी की राशि प्रारम्भ में स्वीकृत किये गये एडवान की राशि से कम है तथा यह बकाया-रकम अन्त मे वसूल न करने लायक समझी जावे तो उसे "57-मिसलेनियस मद वसूल न करने योग्य अस्थाई ऋण एवं एडवास जो समाप्त किये गये" मद मे सरकार की विशेष-आज्ञा द्वारा लिखा जाना चाहिये। इन आदेशो के अधीन भुगतान स्वीकृत करने का प्रत्येक आदेश वित्त विभाग एव महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के लिए भी पृष्ठाकित किया जावेगा। महालखाकार सबधित विभागीय-अधिकारियों के लिए इस सबध मे उचित निर्देशन जारी करेंगे।

राजकीय निर्णय संख्या 5:— राजस्थान सेवा नियम 257 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान मृत-राज्य-कर्मचारियो के जीवित सदस्यों को दिया जाता है। जब एक या एक से अधिक सदस्य जीवित हों तथा मृत-कर्मचारी हिन्दू हो तो नाबालिगों के हिस्से की राशि उनकी माता को, स्वभाविक सरक्षिका होने के कारण, दी जावेगी। माता के नही होने पर तथा हिन्दू व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति होने पर सरक्षक का प्रमाण-पत्र पेश करना आवश्यक है।

महालेखाकार ने सरकार के ध्यान मे लाया है कि ऐसे प्रमाण-पत्र प्रथम-श्रेणी के मजिस्ट्रेट एवं सरपंचों द्वारा दिये जाते हैं। सरक्षक एव वार्डस् अधिनियम 1899 के अधीन, जिला अदालतें ही, जिनके न्यायाधिक्षेत्र में नाबालिग निवास करता है, सरक्षकता का प्रमाण-पत्र एक व्यक्ति के या उसकी सम्पत्ति के या दोनो के लिए दे सकती हैं। ऐसे मामलों में जिला अदालतो द्वारा जारी किये गये सरक्षकता-प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण-पत्र को सबधित अधिकारियो द्वारा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए स्वीकार नही किया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 6:— वे अराजपत्रित कर्मचारी जो सेवा मे रहते कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर या भत्ते सहित या भत्ते रहित अवकाश पर रहते हुए मर जाते है उनके परिवार को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा नियम 257 (2) (ii) के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (4) के अतिक्रमण में कार्यालय-अध्यक्ष मृत-कर्मचारियो के परिवारो के लिए "एडवास राशि" देने के लिए अधिकृत है किन्तु यह एडवास की राशि 500) रु. की सीमा तक कर्मचारी द्वारा अन्त में प्राप्त किये गये वेतन के अनुसार उसके दो माह के वेतन के बराबर उस समय दी जावेगी जबकि मृत-कर्मचारी ने कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो तथा जिन कर्मचारियो की सेवा दो वर्ष से कम होगी उन्हें 250) रु की सीमा तक एक माह का वेतन, एडवास के रूप में, दिया जावेगा, यदि कार्यालय-अध्यक्ष इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसी सहायता दिया जाना आवश्यक है।

इस आदेश के प्रयोजन के लिए "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जिसकी परिभाषा 7 (24) मे की गई है।

(i) परिवार के सदस्यों को स्वीकृत की गई अग्रिम (एडवास) की राशि निम्न-अकित में से किसी मे

समायोजन (एडजस्ट) करने योग्य होगी—

(क) राजस्थान सेवा नियमों के अधीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, या

(ख) कर्मचारियों के लिए आवश्यक जीवन-बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान करने योग्य राशि, या

(ग) दया मूलक-निधि (कम्पेश्योनेट) से सबंधित नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकने योग्य धनराशि, या

(ii) यदि उपरोक्त भुगतानों से भी एडवांस या उसके कोई अंश का समायोजन नहीं किया जा सके तो, उसे अन्तिम रूप से "अनुग्रह-भुगतान" के रूप में समझा जावेगा—

अग्रिम भुगतान की राशि निम्न को दी जावेगी:—

(i) राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, या

(ii) राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए मनोनीत किया गया व्यक्ति, या

(iii) जहाँ कर्मचारी का परिवार न हो तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए योग्य हो और न ही बीमा की धनराशि ही लेने के लिए योग्य हो, वहा विधवा को।

भुगतान करने से पूर्व प्राप्त करने वाले से यह प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाया जावेगा कि वह मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि में से या बीमा राशि से या दया-मूलक सहायताओं से या क्षति-पूरक-निधि से जो राशि उसे सरकार द्वारा दी जावेगी, उसमें से एडवांस की राशि कटवाने में अपनी सहमति प्रदान करता है।

इस आदेश के अधीन भुगतानों को "एम-डिपोजिट्स एवं एडवांस-भाग 3 ब्याज रहित एडवांस पुनर्भुगतान योग्य (क) सिविल एडवांस-प्रापत्ति-पुस्तिका-एडवांस-अराजपत्रित अधिकारीगण (उन अराजपत्रित कर्मचारियों की जो सेवा में ही मरते हों, परिवारों को वेतन का एडवांस)" मद के अन्तर्गत लिखा जावेगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा निकाली जाने वाली स्वीकृति में निम्न-लिखित विशेष-विवरण सम्मिलित होंगे—

(1) राज्य कर्मचारी का नाम

(2) पद एवं कार्यालय जहाँ अन्तिम समय वह काम कर रहा हो।

(3) अन्तिम रूप में प्राप्त किये वेतन का विशेष विवरण।

(4) सेवा की अवधि

(5) स्वीकृत किये गये अग्रिम की राशि।

(6) प्राप्त करने वाले का नाम।

(7) साधन अर्थात् मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेज्युटी, राजकीय-जीवन-बीमा-विभाग में वसूल करने योग्य बीमा-राशि या जहाँ इन दोनों में से कोई प्राप्त न हो वहां दयामूलक निधि से मिलने वाली सहायता, जिससे अग्रिम राशि समायोजित की जावेगी।

सभी मामलों में स्वीकृतियों की प्रतिलिपियां, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, वित्त (नियम) विभाग, व राज्य-सरकार के प्रशासनिक-विभाग के पास स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा भिजवाई जानी चाहिये। फिर भी जहाँ बीमा राशि में से एडवांस की रकम का समायोजन करने की इच्छा की गई हो, स्वीकृति की एक प्रति सचालक, राज्य-बीमा-विभाग, जयपुर को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

कार्यालय-अध्यक्ष चाही गई धनराशि कर्मचारी-वर्ग के वेतन बिल के फार्म पर, उसके साथ स्वीकृति की एक प्रतिलिपि संलग्न कर, प्राप्त करेगा। जहां पर मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि में से एडवांस की राशि का समायोजन किया जाना हो तो इस संबध में एडवांस के भुगतान के तथ्यों का उल्लेख उस अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र में किया जाना चाहिए जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से संबधित पत्रादि के साथ महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को भेजा जावेगा। जहां पर एडवांस की राशि, बीमा-राशि में से काटी जानी हो तो इस तथ्य की सूचना संचालय, राज्य बीमा विभाग को दी जाएगी ताकि वह वसूली करने में सावधानी रख सके। जहां पर भुगतान दया-मूलक सहायता निधि की राशि में से काटा जाना हो तो तथ्य की सूचना वित्त (नियम) विभाग को दी जावेगी।

विभाग कार्यालय-अध्यक्ष यह निश्चित करेंगे कि जहां तक शीघ्रता हो सके, एडवांस की राशि का समायोजन किया जाना चाहिए तथा किसी भी मामले में स्वीकृति जारी होने की तारीख से यह 6 माह की अवधि में अवश्य कर लिया जाना चाहिये। जहा पर एडवांस की पूर्ण या आंशिक-राशि या मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी में समायोजित नही की जा सकती हो, या जहा पर दया मूलक निधि से भी परिवार को कोई सहायता स्वीकृत नही की जाती हो, तो वह राशि "57-मिसलेनियस" राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत "वसूल-न-किये-जाने-योग्य-ऋण एवं-अनुदान" मद में नामे लिखी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 7 :—एक कर्मचारी जिसने अपनी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मनोनीत कर दिया हो/या नही कर दिया हो, उसकी मृत्यु होने पर मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान के संबध में वर्तमान स्थिति की पुनः जांच की गई है तथा निम्न-लिखित निर्णय लिये गये हैं:—

(i) वर्तमान में, कर्मचारी पूर्व ही, मनोनयन किये गये व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मनोनयन भरने का प्रावधान नियमों में दिया हुआ है। अब यह निर्णय किया गया है कि वैकल्पिक मनोनयन किये जाने पर राज्य कर्मचारी की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के प्राप्त करने के पूर्व, यदि एक मनोनीत व्यक्ति मर जाता है तो क्रम से दूसरा व्यक्ति उसकी जगह को ले लेगा। इसी तरह इन सेवा नियमों के परिशिष्ट 7 में दिखाये गये फार्म 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में संशोधन किया जावेगा। इनमें उनके नाम, पता एवं संबध आदि का उल्लेख किया जावेगा जिनको कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति के मरने पर, या जब मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु, अधिकारी की मृत्यु के पश्चात किन्तु ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करने के पूर्व हुई हो, को उत्तराधिकार मिलेगा।

(ii) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की पूर्ण या आंशिक राशि प्राप्त करने के लिये एक व्यक्ति की पेंशन-योग्य सेवा कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को विद्यमान तथ्यो के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये एवं इसके बाद की होने वाली घटना (जैसे एक विधवा का पुनः विवाह करना, एक अविवाहित पुत्री, बहिन आदि का विवाह होना) का प्रभाव उसके अधिकार पर नही पडेगा। फिर भी एक व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी पाने के लिये अधिकृत था, यदि रकम प्राप्त करने के पूर्व मर जाता है तो, ग्रेच्युटी की राशि या उसका भाग निम्न-लिखित अनुसार पुनः बांटा जाना चाहिये—

(क) यदि कोई मनोनयन किया हुआ व्यक्ति न हो, तो संबधित/व्यक्ति के लिये प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि या हिस्सा मृत-कर्मचारी के परिवार के योग्य एवं जीवित सदस्यो में बराबर बांट दिया जाना चाहिये।

(ख) यदि संबंधित व्यक्ति मनोनीत किया हुआ था तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की

राशि या हिस्सा पाने का अधिकार उपरोक्त निर्णय (1) की शर्तों पर दूसरे मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपा जावेगा परन्तु यदि कोई दूसरा मनोनीत व्यक्ति न हो, तो ग्रेच्युटी की राशि या भाग सवधित-व्यक्ति के सह-मनोनीत व्यक्तियों मे, यदि कोई हो, समान रूप मे बांट दिया जाना चाहिये, ऐसा न होने पर उपरोक्त (क) के अनुसार मृत कर्मचारी के परिवार के जीवित एव योग्य सदस्यो में समान भागों में बांट देना चाहिये ।

नियम 257 (3) (i) ग्रेच्युटी की राशि प्रत्येक पूर्ण-वर्ष को पेन्शन-योग्य-सेवा की राशि का 9/20 भाग होगा किन्तु "वेतनादि-की-राशि" के पन्द्रह गुणा से किसी भी रूप में अधिक नहीं होगी । एक कर्मचारी की सेवा-काल में मृत्यु होने पर, उसकी ग्रेच्युटी की राशि "वेतनादि-की-राशि" की न्यूनतम 12 गुणा तक होगी किन्तु शर्त यह है कि वह किसी भी रूप में 24000) रु. से अधिक नही होगी ।

(3) (ii) फिर भी उप-अनुच्छेद (3) (i) में कुछ भी दिये होने पर भी 18 दिसम्बर, 1961 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी की राशि पेंशन-योग्य-सेवा से प्रत्येक 6 माह की पूर्ण-अवधि के लिये एक कर्मचारी की "वेतनादि-की-राशि" का 1/4 भाग होगा किन्तु "वेतनादि-की-राशि" के 15 गुणा से अधिक नहीं होगी । जब एक कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवाकाल में ही हो जाती है तो ग्रेच्युटी की राशि, कर्मचारी की मृत्यु पर "वेतनादि-की-राशि" की न्यूनतम 12 गुणा होगी किन्तु किसी भी दशा में यह 24000) रु. से अधिक नहीं होगी ।

(3) (iii) अनुच्छेद 3 (i) एव (ii) मे वर्णित किसी बात के होते हुये भी दिनांक 31-10-74 को या इसके बाद सेवा-निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के संबंध में ग्रेच्युटी की राशि उस कर्मचारी द्वारा की गई पेंशन-योग्य-सेवा की प्रत्येक छः माही अवधि के लिये "वेतनादि" का एक चौथाई होगा, जो वेतनादि के 16 1/2 गुना की अधिकतम सीमा में होगी । किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उपदान की राशि उस कर्मचारी के मृत्यु के समय के "वेतनादि" की बाहर गुनी तक की न्यूनतम सीमा के अधीन होगी । किन्तु इस नियम के अधीन देय मृत्यु-निवृत्ति-उपदान की राशि किसी भी दशा में रु. 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

[वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दिनांक 2-12-74 द्वारा निविष्ट तथा 31-10-1974 से प्रभावशील]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामलो में मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी किस प्रकार फलायी जावेगी जब 30 वर्ष की पूर्ण-सेवा में दो प्रकार की सेवाओं के समय को सेवा का प्रावधान जोड (कन्डोन) कर मिलाया गया हो, जैसे चतुर्थ-श्रेणी-सेवा 17 वर्ष 8 माह 23 दिनों की हो एव उच्च सेवा 12 वर्ष 3 माह 7 दिनो की हो । यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के फलाने के प्रयोजनों के लिए उच्चत्तर-ग्रेड मे सेवा के व्यवधान के समय को निम्नतर-श्रेणी की सेवा के रूप मे सम्मिलित किया जाना चाहिये यदि उसकी मात्रा उससे बढती हो ।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—राजस्थान सेवा नियम 353 व 354 के प्रतिबन्ध मृत्यु-अवशिष्ट-ग्रेच्युटी के भुगतान पर भी उन पुनर्नियुक्त कर्मचारियों के सबंध मे लागू होने चाहिये जिन्होंने अपनी पूर्व की अयोग्य या क्षतिपूरक पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त की हो । दूसरे शब्दो मे यदि पुनर्नियुक्त कर्मचारी 5 वर्ष की पेन्शन-योग्य सेवा करने के बाद में सेवा मे रहते ही मर जाता है तो राजस्थान सेवा नियम 257 (3) के अन्तर्गत उसके परिवार को देय ग्रेच्युटी की राशि उसके द्वारा अपनी सेवा की प्रथम समयावधि में वास्तविक रूप में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी

या पेंशन की राशि के समान सीमित होनी चाहिये। इसी प्रकार यदि एक कर्मचारी सेवा से अन्तिम रूप में निवृत्त हो जाने के बाद मर जाता है तो राजस्थान सेवा नियम 258 के अन्तर्गत यदि कोई ग्रेच्युटी बकाया हो, तो उसे उस सीमा तक जहां सम्भव हो, और घटाया जाना चाहिये जिस तक सेवा की प्रथम-अवधि में वास्तविक रूप में उसने पेन्शन-ग्रेच्युटी प्राप्त की थी।

नियम 257-ए:--अस्थाई कर्मचारी जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है या सेवा-मुक्त (डिस्चार्ज) होता है या भावी सेवा के लिये अयोग्य किया जाता है या यदि वह सेवा में रहते हुए मर जाता है तो उसका परिवार, उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 1/2 माह की दर पर उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का अधिकारी होगा बशर्ते कि उसने सेवा-निवृत्ति, सेवामुक्ति या अयोग्य-घोषित होने या मृत्यु से पूर्व न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करली हो।

(i) इस नियम के अधीन उपदान की स्वीकृति नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवायें सन्तोषजनक समझी जाने की शर्त के अधीन रहेंगी,

(ii) सम्बंधित कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देता है या अनुशासनात्मक कार्यवाही के फल-स्वरूप सेवा से हटाया या निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे कोई उपदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

व्याख्या:—इस नियम के प्रयोजनार्थ 'वेतन" का तात्पर्य सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित वेतन से है जिसे कर्मचारी सेवा के अन्तिम दिन प्राप्त कर रहा था।

ये आदेश इनके जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगे किन्तु इस आदेश के जारी किये जाने से पूर्व के मामले जो अन्यथा निर्णित किये जा चुके हैं, उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। विचाराधीन मामलों को, फिर भी, इन आदेशों के अधीन निर्णित किया जा सकेगा।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (24) वित्त वि. (नियम)/69 दिनांक 29-7-70 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय: - महालेखाकार राजस्थान के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि नियम 257-ए के अधीन भुगतान योग्य उपदान की राशि सम्बंधित कर्मचारी को औपचारिक आवेदन या आडिट से सूचना प्राप्त किए बिना ही उसी प्रकार से आहरित एवं भुगतान की जाए जिस रूप में वेतन के क्लेम आहरित किये जाते हैं तथा यह वेतन बिल के प्रपत्र में आहरित की जानी चाहिये।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 257-ए-में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक अस्थाई कर्मचारी, जो अधिवार्षिकी आयु पर सेवा-निवृत होता है या सेवा से मुक्त कर दिया गया है या आगे सेवा के लिये अशक्त घोषित कर दिया गया है तो उसका परिवार जब वह सेवा में मर जाता है, उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये आधे माह के वेतन की दर पर उपदान (ग्रेच्युटी) का अधिकारी है, किन्तु शर्त यह है कि सेवा-निवृत्ति, सेवा-मुक्ति या अशक्तता या मृत्यु के समय उसने पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करली हो। इस पर एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अस्थाई सेवा की न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि में अवकाश, मय असाधारण अवकाश, की अवधियों को गिना जावेगा ? इस प्रश्न पर परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाता है कि शब्द "अस्थाई-सेवा" में कर्त्तव्य की अवधि और अवकाश, मय असाधारण अवकाश, की अवधियां सम्मिलित हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी के बारे में जो अपनी सेवा-निवृत्ति, सेवा-मुक्ति या अशक्तता या मृत्यु के पूर्व भत्ते सहित या रहित अवकाश पर था, तो उपरोक्त नियम के प्रयोजनार्थ "वेतन" से अभिप्राय राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित "वेतन" से है, जो ऐसे अवकाश के ठीक पूर्व में वह आहरित करता था।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (24) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 11-5-1974 द्वारा ...]

नियम 258:—यदि एक अधिकारी सेवा नियम 257-ए (i) के अन्तर्गत पेन्शन या ग्रेच्युटी के योग्य हो जाता है अथवा सेवा से निवृत्त होने के बाद मर जाता है तथा मृत्यु के समय उसके द्वारा वास्तविक रूप मे प्राप्त की गई 'वेतनादि-की-राशि' ग्रेच्युटी या पेन्शन की राशि तथा नियम 257 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई ग्रेच्युटी की राशि एवं उसके द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेन्शन के किसी भाग की रूपान्तरित राशि कुल मिलाकर यदि उसकी "वेतनादि-की-राशि" के 12 गुणा से कम है तो उपअनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों के लिये उतनी कम राशि तक ग्रेच्युटी स्वीकार की जा सकती है।

टिप्पणी:—इस नियम मे वर्णित ग्रेच्युटी केवल उसी समय स्वीकृत की जाती है जबकि राज्य कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवा-निवृत होने के बाद 5 वर्ष के भीतर होती है।

नियम 259–"कुल-राशि" की परिभाषा:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये "वेतनादि-की-राशि" 1800) रु. प्रति माह तक सीमित होगी। उच्च-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के मामलों में "वेतनादि-की-राशि" नियम 250 के अनुसार गिनी जावेगी। यदि किसी कर्मचारी की "वेतनादि-की-राशि" उसकी गत तीन वर्ष की सेवाओं में शास्ति (दण्ड) के अलावा अन्य रूप से घटा दी गई हो तो "औसत-वेतनादि-की-राशि" नियम 251 मे उल्लेखानुसार, उस अधिकारी के निर्णय के अनुसार, जिसे स्वीकृति-प्रदान-करने के अधिकार है, "वेतनादि-की-राशि" के रूप में समझी जावेगी।

यह संशोधन दिनांक 1-10-1962 से प्रभावशील हुआ समझा जावेगा।

निर्णय:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यदि एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के कुछ समय पूर्व से ही निलम्बित हो जाता हो तथा जिसके निलम्बन-काल को सेवा के रूप में गिने जाने की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी गिनने के प्रयोजन के लिये 'वेतनादि की राशि' क्या होगी?

मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलो में निलम्बित होने की तारीख से पूर्व प्राप्त की जा रही "वेतनादि-की-राशि" को ही इस कार्य के लिए गिना जाना चाहिये।

नियम 259-ए:—नियम 259 में वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 31-10-1974 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सबंध में इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "वेतनादि-की-राशि" की अधिकतम सीमा 2500/- रुपये प्रतिमाह होगी। "वेतनादि-की राशि" की गणना नियम 250-ग (3) के अनुसार की जावेगी।

[सं. एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दिनांक 2-12-74 द्वारा दिनांक 31-10-1974 से प्रभावशील]

नियम 259-बी:—नियम 259 और 259-ए-के प्रावधानों के होते हुए भी उस सरकारी कर्मचारी के बारे में जो 1-9-76 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होता है इस नियम के प्रयोजनार्थ "वेतनादि-की-राशि" अधिकतम 2500/- रु. प्रतिमाह तक सीमित होगी। उक्त "वेतनादि-की-राशि" की गणना नियम 250 (ग) के उपनियम (4) के अनुसार की जायेगी।

[संख्या एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2)-74 दिनांक 1-12-76 द्वारा निविष्ट]

नियम 260:—(1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए—(क) परिवार में अधिकारी के निम्न-लिखित सम्बन्धी सम्मिलित हैं—

(1) पुरुष अधिकारी के संबंध में, पत्नी।

(2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध में पति ।

(3) पुत्र ।

(4) अविवाहित एव विधवा पुत्रिया ।

(5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई एव अविवाहिता तथा विधवा बहिनें ।

(6) पिता, एवं

(7) माता ।

टिप्पणी:—उक्त (3) एव (4) सख्या मे सौतेली सतान भी सम्मिलित है ।

(ख) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "व्यक्ति" में निगमित/अनिगमित, किसी कम्पनी या संगठन या व्यक्तियो के समुदाय भी सम्मिलित होगे ।

(2) मनोनयन कब आवश्यक है—जैसे ही कर्मचारी 5 वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा पूर्ण करता है, वह एक मनोनयन पत्र भरेगा जिसमे वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी एक ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकार देते हुए मनोनीत करेगा जो उसे नियम 257 (2) एवं नियम 258 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सके एव वह ग्रेच्युटी जो उसे नियम 257 (1) एवं नियम 256 के अन्तर्गत प्राप्त हो गई है, किन्तु मृत्यु के पूर्व उसे नही मिल पाई हो ।

किन्तु शर्त यह है कि मनोनयन-पत्र भरने के समय, यदि अधिकारी का परिवार है तो वह अपना मनोनयन परिवार के सदस्यों को छोडकर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में नही भरेगा ।

टिप्पणी संख्या (1) :—एक अधिकारी स्थायी हो जाने के बाद किसी भी समय मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के लिए मनोनयन-पत्र भर सकता है । यह आवश्यक नही कि नियम 260(2) के अनुसार 5 वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा पूर्ण करने पर ही वह मनोनयन-पत्र भरे ।

पाच वर्ष पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण करने से पूर्व दिया गया मनोनयन भी प्रभावशील माना जावेगा बशर्ते वह वैध रूप से किया गया हो तथा अन्यथा रूप मे वह ठीक ढग से भरा गया हो ।

टिप्पणी संख्या (2):—जब एक कर्मचारी द्वारा अपने सेवा-काल मे दिये गये मनोनयन-पत्र मे कोई परिवर्तन, साधारण रूप मे, किया जावेगा तो उसे अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद भी, यदि आवश्यकता पड़ गई हो तो, अपने पूर्व के मनोनयन के स्थान पर नया मनोनयन भरने की स्वीकृति दे दी जावेगी ।

राजकीय निर्देश :—नियम 260 (2) के अनुसार कर्मचारी एक मनोनयन पत्र भरेगा जिसमें वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी, एक ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का अधिकार देते हुए मनोनीत करेगा जो उसे नियम 257(2) एव नियम 258 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सके । संबंधित अधिकारी का उत्तर-दायित्व है कि वह सुनिश्चित करले कि वाछित मनोनयन-पत्र उसके द्वारा भेज दिया गया है । समस्त विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस ज्ञापन को उनके अधीन समस्त अधिकारियो एव कर्मचारियों को जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण मे हैं, को सूचित करने हेतु आवश्यक कदम उठावें ।

[वि. वि. आदेश स एफ 1(50) (श्रेणी 2)/73 दिनांक 29-11-73 द्वारा निविष्ट]

टिप्पणी संख्या :—(3) यदि एक कर्मचारी उप-अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत एक से अधिक [illegible] मनोनीत करता है तो वह मनोनीत व्यक्ति को दी जाने वाली राशि या हिस्सा इस प्रकार उल्लेख [illegible] राशि उनमें बाटी जा सके

(4) एक कर्मचारी मनोनयन में निम्न-प्रकार से प्रावधान कर सकता है :—

(क) किसी एक विशिष्ट मनोनीत व्यक्ति के सम्बन्ध मे, यह प्रावधान कर सकता है कि यदि अधिकारी के स्वयं के मरने के पूर्व ही वह मर गयातो उस मनोनीत व्यक्ति को जो अधिकार दिये है वे दूसरे ऐसे मनोनीत व्यक्तियो को सौप दिए जायेंगे जिनका उल्लेख मनोनयन-पत्र मे किया गया है। यदि मनोनयन भरते समय अधिकारी का स्वय का एक से अधिक व्यक्तियों का कुटुम्ब हुआ तो इस प्रकार उल्लेख किया गया व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के अलावा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नही होगा।

(ख) मनोनयन, उसमे वर्णित आवश्यकताओं के उत्पन्न होने की स्थिति में अवैध हो जावेगा।

राजकीय निर्णय :—यह निश्चिय किया गया है कि मनोनयन-फार्म के अन्तिम कालम में किये गये इन्द्राजों को ध्यान मे रखते हुए "मृत्यु का आकस्मिक घटना के रूप में होना, एवं जिसके होने पर मनोनयन अमान्य हो जावेगा, आदि का वर्णन व्यर्थ एव गलत धारणा पैदा करने वाला है। अतः राज्य-कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उन्हे मनोनयन-पत्रो के प्रश्न के पूर्व के कालम मे मृत्यु को एक आकस्मिक घटना के रूप में नही लिखना चाहिये। फिर भी जिन संबधित अधिकारियों ने मनोनयन-पत्र पूर्व मे ही भर दिये हैं तथा जिनको सक्षम-प्राधिकारी ने स्वीकृत कर लिया है तथा जिनमे "मृत्यु" को आकस्मिक घटना के रूप में लिखा गया है, वे अमान्य नहीं होंगे।

(5) एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया मनोनयन, जिसका मनोनयन भरते समय कोई परिवार न हो, मनोनयन-पत्र भरने की तारीख को जिस अधिकारी का परिवार विद्यमान है उसके द्वारा उप-अनुच्छेद (4) के खण्ड (क) के अन्तर्गत केवल एक ही सदस्य के लिए प्रावधान किया जावे, तो वह अधिकारी के बाद मे परिवार में अतिरिक्त सदस्य होने पर, जैसी भी स्थिति हो,अमान्य हो जावेगा।

(6) :—(क) प्रत्येक मनोनयन, मामले की स्थिति को देखते हुए, परिशिष्ट (VII) में दिए गए 'क' से 'घ' तक के किसी फार्म मे भरा जावेगा।

(ख) एक कर्मचारी किसी भी समय सबधित अधिकारी को एक लिखित नोटिस देकर मनोनयन को रद्द कर सकता है बशर्ते कर्मचारी, ऐसे नोटिस के साथ इस अनुच्छेद के अनुसार एक नया मनोनय पत्र भी भेजे।

(7) एक कर्मचारी जिसके लिए उप-नियम (4) (क) के अन्तर्गत कोई विशेष प्रावधान नही किया गया हो, उसकी मृत्यु होने पर, या कोई एक ऐसी घटना होने पर, जिसके द्वारा उस नियम के खण्ड (ख) या उप-नियम (5) के अनुसरण मे मनोनयन अमान्य हो जाते है, तो अधिकारी इस अनुच्छेद के अनुसरण मे, सबधित अधिकारी के पास उस मनोनयन-पत्र को रद्द करने के लिये औपचारिक नोटिस भेजेगा तथा उसके साथ एक नया मनोनयन-पत्र भर कर भेजेगा।

(8) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक मनोनयन तथा उसे रद्द करने का प्रत्येक नोटिस, उसके राजपत्रित होने पर महालेखाकार राजस्थान के पास भेज दिया जावेगा तथा अराजपत्रित अधिकारियो के सबंध मे कार्यालय के अध्यक्ष को भेजा जायेगा। कार्यालय का अध्यक्ष उसे प्राप्त करने की तारीख लिखते हुए उस पर अपने प्रति-हस्ताक्षर करेगा तथा उसे अपने नियंत्रण मे रखेगा।

(9) एक कर्मचारी द्वारा दिया गया मनोनयन-पत्र तथा उसे रद्द करने के लिए दिया गया प्रत्येक नोटिस, उस सीमा तक, जहा वह मान्य है, उस दिन से लागू होगा जिसको वह उप-अनुच्छेद (8) मे वर्णित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जावेगा।

(10) फार्मों मे केवल एक अन्य व्यक्ति को मनोनीत किये जाने का ही प्रावधान है एवं एक कर्मचारी को मूलतः मनोनीत व्यक्ति के एवज मे एक से अधिक अन्य व्यक्ति मनोनीत करने की स्वीकृति नही दी जा सकती है।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय-अध्यक्षो का ध्यान राजस्थान सेवा नियम 260 (2) एव 266 के प्रावधानो की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमे इन नियमों के परिशिष्ट (VII) के फार्म (क) मे (इ) तक मे मनोनयन-पत्र भरे जाने का उल्लेख है, जो नियम 257 (2) एव 258 के अन्तर्गत जो भी ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाय, उसे तथा नियम 261 मे 269 तक जो पारिवारिक-पेंशन स्वीकृत की जावे, उसे प्राप्त करने के लिये एक या एक से अधिक व्यक्तियो द्वारा प्राप्त करने के अधिकार देते है एव उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने विभाग मे कार्य करने वाले कर्मचारियो से ये सब घोषणा-पत्र भरवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 25 के खण्ड (5) नियम 300-ए-के अनुच्छेद (ख) के अनुसार जिन मामलो में निर्धारित मनोनयन-पत्र नही भरे गये है या जब मनोनीत व्यक्ति जीवित नही है एवं जब ग्रेच्युटी दी जाने योग्य होनी है, तो भुगतान केवल वैध उत्तराधिकारी को ही वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, दिया जावेगा। चूंकि ऐसे मामलो मे साधारणतया वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त करने मे, दावे प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के लिये अनावश्यक असुविधाए उत्पन्न होती है तथा मामलो को निपटाने में अनुचित देर लगती है, अतः सभी विभागाध्यक्षो पर जोर डाला जाता है कि राजस्थान सेवा नियमो के परिशिष्ट (VII) में दिये गये निर्धारित फार्म मे वे उन कर्मचारियों से मनोनयन-पत्र भरवाने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाए, जिन्होने अभी तक मनोनयन-पत्र नही भरा है।

राजकीय निर्णय संख्या 2—कानूनी दुविधाओ को दूर करने के लिये, जो सभावित रूप से उत्पन्न हो सकती हैं, एतद्द्वारा सभी सम्बन्धितो को सूचित किया जाता है कि पेंशन कागजातो के साथ मनोनयन-पत्रो की केवल प्रमाणित प्रतिलिपिया ही भेजी जानी चाहिए तथा मूल मनोनयन-पत्र उनको प्राप्त करने वाले कार्यालय में ही रखे जाने चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 3:— यह स्पष्ट है कि मनोनयन-पत्र, अधिकारी को उस समय भरना चाहिये जब वह किसी पद पर कार्य करता हो। चूंकि पेशनर को सेवा-निवृत्ति के बाद किसी पद पर कार्य करने वाले के रूप मे नही कहा जा सकता है, अतः सेवा-निवृत्ति के बाद यदि कोई मनोनयन-पत्र भरता है तो वह वैध नही होता। ऐसे मामलो मे मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी का भुगतान मृत अधिकारी के परिवार के जीवित सदस्यो के लिये नियम 257 (2) के अनुसार किया जाना चाहिये, न कि मनोनीत व्यक्ति या मनोनीत व्यक्तियो को उसका भुगतान किया जाना चाहिये।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—ऐसे मामलो मे जहा नाबालिगो के हिस्से की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक को दी जानी हो तो उसके पक्ष मे भुगतान का अधिकार-पत्र जारी करने के लिए मह.लेखाकार के लिए इस तथ्य को तथा स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक के नाम को जानना चाहिये। यदि स्वीकृति पत्र मे उपरोक्त सूचना नही दी हुई होती है तो महालेखाकार को इस तथ्य पर स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी से पूछताछ करनी,होती है जिसका परिणाम यह होता है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान में अनिवार्य रूप से देर लगती है। ऐसे विलम्बो को मिटाने के लिये स्वीकृति-प्रदान करने वाले सक्षम-प्राधिकारियो से यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि भविष्य मे इस प्रकार के सभी मामलो मे स्वय स्वीकृति के आदेश-पत्र मे उपरोक्त विशेष-विवरण अवश्य दिया जावे। अल्प-वयस्क के स्वाभाविक वैध-सरक्षक की हैसियत से अल्प-वयस्क के हिस्से किसको दिये जावें इस सम्बन्ध मे कानूनी स्थिति की व्याख्या निम्न-रूप मे की गई है—

(1) जहां मान्य मनोनयन-पत्र उपलब्ध न हो : (क) जहां हिस्से की राशि अल्प-वयस्क पुत्रों या अल्प-वयस्क अविवाहित पुत्रियों को दी जाती हो तो जीवित माता या पिता को दी जानी चाहिये सिवाय इसके जब जीवित माता-पिताओं में मुस्लिम माता जीवित हो। फिर भी जहा कोई जीवित माता पिता न हो या जहां जीवित माता एक मुस्लिम महिला नही हो. तो भुगतान उसी व्यक्ति को दिया जावेगा जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ख) जब हिस्से की राशि एक विधवा अल्प-वयस्क पुत्री (पुत्रियों) को दी जानी हो तो एक सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ग) जहा पत्नी स्वय नाबालिग हो तो उसे भुगतान करने योग्य मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(घ) जहा पर नियम 260 (1) के क्रमाक (1), (2), (3), व (4) में वर्णित परिवार के कोई जीवित सदस्य उपस्थित न हो तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एक अल्प-वयस्क अविवाहित बहिन को दी जानी होती है तो भुगतान पिता को दिया जाना चाहिये या उसकी अनुपस्थिति मे माता को सिवाय ऐसे मामलो मे जहा माता मुस्लिम महिला हो। इस मामले मे भी यदि माता-पिता जीवित नही हों या जीवित माता पिता वे व्यक्ति है जो सरक्षकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हो। यदि हिस्से की राशि विधवा अल्प-वयस्क बहिन को दी जानी हो तो सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा ।

(2) जहां एक मान्य मनोनयन विद्यमान हो:—(क) जहां मनोनयन परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यो के पक्ष मे विद्यमान हो तो अनुच्छेद 3 (1) मे वर्णन की गई स्थिति लागू होगी ।

(ख) जहा परिवार नही हो, तो अवैध पुत्र, एक विवाहिता पुत्री या विवाहिता बहिन के पक्ष में किया मनोनयन भी मान्य होगा । अतः ऐसे मामलो मे स्थिति निम्न-प्रकार होगी:—

(i) यदि मनोनीत व्यक्ति एक अवैध बच्चा है तो हिस्से की राशि माता को दी जावेगी तथा माता की अनुपस्थिति मे संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

(ii) यदि हिस्से की राशि अल्प-वयस्क विवाहिता पुत्री को देनी हो तो वह उसके पति को दी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—सरकार ने निर्णय किया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एवं परिवार पेन्शन, दोनो के संबध मे, मनोनयन सभी स्थाई कर्मचारियो द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने चाहिये। इसी के अनुसार सभी विभागाध्यक्षो को यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि (क) जिन स्थाई कर्मचारियों ने अपने मनोनयन-पत्र नही भरे है उनसे उचित मनोनयन-पत्र भरा लिये जावे तथा (ख) उन अधिकारियो से जो स्थाईकरण के साथ स्थाई हो जाते हैं. मनोनयन-पत्र भराये जावें ।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—एक कर्मचारी के पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए उसके पुत्र को विवाहिता पुत्रियों एवं बच्चों को उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी में से क्या कोई हिस्सा मिलेगा, इसका प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। वर्तमान नियमों में कर्मचारियो के उक्त संबधित लोगो के नाम मनोनयन पत्र मे भरने के लिये कोई प्रावधान नही किया गया है।

सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया जाता है कि एक कर्मचारी से पूर्व ही उसके मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियां एवं बच्चों को भी उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी में से हिस्सा प्राप्त करने के लिये निम्न-प्रकार से योग्य होना चाहिये;

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में मनोनयन-पत्र भरने के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी के परिवार में निम्न-सम्बन्धी सम्मिलित होंगे:—

(1) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध मे, पत्नी, (2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध मे, पति,
(3) पुत्र मय सौतेले बच्चे के, (4) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियों एवं गोद लिए हुए बच्चे,
(5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित एव विधवा बहिनें,
(6) पिता, (7) माता
(8) विवाहित पुत्रियां, एव (9) पूर्व में ही मृत पुत्र के बच्चे।

यदि कर्मचारी उक्त सम्बन्धियो मे से किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के लिये मनोनयन-पत्र भरने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह राशि समान हिस्सो मे कर्मचारी के परिवार के उन समस्त जीवित सदस्यों को बांट दी जावेगी जिनका उल्लेख उपरोक्त श्रेणी (1) से (4) तक मे किया गया है, इसमे विधवा पुत्रियों को छोड़ दिया जावेगा जहा, इन श्रेणियों में कोई जीवित सदस्य न हो तथा यदि विधवा पुत्रियो एवं/या एक या एक से अधिक कर्मचारी के परिवार के वे जीवित सदस्य मौजूद है जिनका उल्लेख उक्त क्रम संख्या (5) से (9) तक में किया गया है, तो ग्रेच्युटी ऐसे सब व्यक्तियो को बराबर बाट दी जावेगी। फिर भी, जहा तक पारिवारिक पेंशन का सम्बन्ध है, मनोनयन-पत्र भरने के वर्तमान तरीके मे उक्त निर्णय द्वारा कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। परिवार पेंशन उक्त क्रमाक (1) से (7) मे वर्णित एक या समस्त सम्बन्धियो के पक्ष मे बाटने के लिये परिवार-पेंशन का मनोनयन पत्र भरा जाना चालू रहेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 7:— नियम 260 के निर्णय सख्या (4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उक्त निर्णय के अनुच्छेद 3 (1) (क) मे वर्णित "जीवित माता-पिता" भी सम्मिलित है ? इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजनो के लिये "सौतेली माता" को अल्प-वयस्क बच्चे के लिए स्वाभाविक सरक्षक नही समझा जाता है। अतः "जीवित माता-पिता" शब्द में उसे सम्मिलित नही किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय सख्या 8:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि जब एक कर्मचारी सेवा में रहते हुए ही मर जाता है तथा जिसके पीछे नियम 260 मे परिभाषित कोई "परिवार" नही है तथा जिसने कोई भी मनोनयन-पत्र नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति मे उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि किसको दी जानी चाहिये ? मामले की जाच की गई तथा एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एक प्रकार का उपदान है। अतः केवल स्वयं कर्मचारी को ही दी जाती है या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को, उक्त नियम 260 के अनुसार दी जाती है। जहा एक कर्मचारी अपने पीछे कोई "परिवार" छोड़े बिना ही मर जाता है तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, मृत-कर्मचारी द्वारा एक वैध मनोनयन-पत्र नही भरे जाने की स्थिति मे अन्य व्यक्तियों के द्वारा अधिकार के रूप में प्राप्त नही की जा सकती है एव सामान्य रूप में इसे किसी को भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। फिर भी सरकार किसी ऐसे एक व्यक्ति को ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकती है जो निर्वाह के लिए मृत-कर्मचारी पर निर्भर था, यदि ऐसा करना दया-मूलक कारणों पर न्यायोचित प्रतीत होता हो।

राजकीय निर्णय संख्या 9:—सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रायः यह नही जानते हैं कि मृत-कर्मचारी ने उनके लिये क्या मनोनयन किया है ? वे उसके बारे मे कुछ नहीं जानते हैं कि उसके द्वारा किया गया मनोनयन सरकारी रिकार्ड मे कहां रखा गया है। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है, कि सबंधित कर्मचारी को, राजपत्रित-अधि-

(1) **जहां मान्य मनोनयन-पत्र उपलब्ध न हो :** (क) जहां हिस्से की राशि अल्प-वयस्क पुत्रों या अल्प-वयस्क अविवाहित पुत्रियों को दी जाती हो तो जीवित माता या पिता को दी जानी चाहिये सिवाय इसके जब जीवित माता-पिताओं मे मुस्लिम माता जीवित हो। फिर भी जहां कोई जीवित माता पिता न हों या जहां जीवित माता एक मुस्लिम महिला नही हो, तो भुगतान उसी व्यक्ति को दिया जावेगा जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ख) जब हिस्से की राशि एक विधवा अल्प-वयस्क पुत्री (पुत्रियों) को दी जानी हो तो एक संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ग) जहा पत्नी स्वय नाबालिग हो तो उसे भुगतान करने योग्य मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) जहा पर नियम 260 (1) के क्रमाक (1), (2), (3), व (4) में वर्णित परिवार के कोई जीवित सदस्य उपस्थित न हों तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एक अल्प-वयस्क अविवाहित वहिन को दी जानी होती है तो भुगतान पिता को दिया जाना चाहिये या उसकी अनुपस्थिति में माता को सिवाय ऐसे मामलों में जहां माता मुस्लिम महिला हो। इस मामले मे भी यदि माता-पिता जीवित नहीं हों या जीवित माता पिता वे व्यक्ति है जो सरक्षकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हो। यदि हिस्से की राशि विधवा अल्प-वयस्क बहिन को दी जानी हो तो सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा।

(2) **जहां एक मान्य मनोनयन विद्यमान हो:—**(क) जहां मनोनयन परिवार के एक या एक मे अधिक सदस्यो के पक्ष मे विद्यमान हो तो अनुच्छेद 3 (i) में वर्णन की गई स्थिति लागू होगी।

(ख) जहा परिवार नहीं हो, तो अवैध पुत्र, एक विवाहिता पुत्री या विवाहिता बहिन के पक्ष मे किया मनोनयन भी मान्य होगा। अतः ऐसे मामलों मे स्थिति निम्न-प्रकार होगी:—

(i) यदि मनोनीत व्यक्ति एक अवैध बच्चा है तो हिस्से की राशि माता को दी जावेगी तथा माता की अनुपस्थिति मे सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) यदि हिस्से की राशि अल्प-वयस्क विवाहिता पुत्री को देनी हो तो वह उसके पति को दी जावेगी।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—सरकार ने निर्णय किया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एवं परिवार पैन्शन, दोनों के सबध मे, मनोनयन सभी स्थाई कर्मचारियो द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने चाहिये। इसी के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि (क) जिन स्थाई कर्मचारियो ने अपने मनोनयन-पत्र नही भरे हैं उनसे उचित मनोनयन-पत्र भरा लिये जावे तथा (ख) उन अधिकारियों से जो स्थाईकरण के साथ स्थाई हो जाते है, मनोनयन-पत्र भराये जावें।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—एक कर्मचारी के पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए उसके पुत्र की विवाहिता पुत्रियों एवं बच्चों को उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी मे से क्या कोई हिस्सा मिलेगा, इसका प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। वर्तमान नियमों में कर्मचारियो के उक्त सबधित लोगो के नाम मनोनयन पत्र मे भरने के लिये कोई प्रावधान नही किया गया है।

सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया जाता है कि एक कर्मचारी से पूर्व ही उसके मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियों एव बच्चो को भी उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी मे से हिस्सा प्राप्त करने के लिये निम्न-प्रकार से योग्य होना चाहिये;

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के सम्बन्ध मे मनोनयन-पत्र भरने के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी के परिवार मे निम्न-सम्बन्धी सम्मिलित होंगे:—

(1) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध मे, पत्नी, (2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध में, पति,
(3) पुत्र मय सौतेले बच्चे के, (4) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियों एवं गोद लिए हुए बच्चे,
(5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित एवं विधवा बहिने,
(6) पिता, (7) माता
(8) विवाहित पुत्रिया, एवं (9) पूर्व मे ही मृत पुत्र के बच्चे।

यदि कर्मचारी उक्त सम्बन्धियो मे से किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियो को अपनी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के लिये मनोनयन-पत्र भरने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह राशि समान हिस्सो मे कर्मचारी के परिवार के उन समस्त जीवित सदस्यों को बाट दी जावेगी जिनका उल्लेख उपरोक्त श्रेणी (1) से (4) तक मे किया गया है, इसमें विधवा पुत्रियो को छोड़ दिया जावेगा जहा, इन श्रेणियो मे कोई जीवित सदस्य न हो तथा यदि विधवा पुत्रियां एव/या एक या एक से अधिक कर्मचारी के परिवार के वे जीवित सदस्य मौजूद है जिनका उल्लेख उक्त क्रम सख्या (5) से (9) तक मे किया गया है, तो ग्रेच्युटी ऐसे सब व्यक्तियों को बराबर बाट दी जावेगी। फिर भी, जहां तक पारिवारिक पेंशन का सम्बन्ध है, मनोनयन-पत्र भरने के वर्तमान तरीके मे उक्त निर्णय द्वारा कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। परिवार पेंशन उक्त क्रमांक (1) से (7) मे वर्णित एक या समस्त सम्बन्धियों के पक्ष मे बाटने के लिये परिवार-पेंशन का मनोनयन पत्र भरा जाना चालू रहेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 7:— नियम 260 के निर्णय संख्या (4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उक्त निर्णय के अनुच्छेद 3 (1) (क) मे वर्णित "जीवित माता-पिता" भी सम्मिलित है ? इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजनो के लिये "सौतेली माता" को अल्प-वयस्क बच्चे के लिए स्वाभाविक सरक्षक नही समझा जाता है। अतः "जीवित माता-पिता" शब्द मे उसे सम्मिलित नही किया जा सकता है।

राजकीय निर्णय संख्या 8:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि जब एक कर्मचारी सेवा में रहते हुए ही मर जाता है तथा जिसके पीछे नियम 260 मे परिभाषित कोई "परिवार" नहीं है तथा जिसने कोई भी मनोनयन-पत्र नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि किसको दी जानी चाहिये ? मामले की जाच की गई तथा एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एक प्रकार का उपदान है। अतः केवल स्वयं कर्मचारी को ही दी जाती है या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को, उक्त नियम 260 के अनुसार दी जाती है। जहा एक कर्मचारी अपने पीछे कोई "परिवार" छोड़े बिना ही मर जाता है तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, मृत-कर्मचारी द्वारा एक वैध मनोनयन-पत्र नही भरे जाने की स्थिति मे अन्य व्यक्तियों के द्वारा अधिकार के रूप मे प्राप्त नही की जा सकती है एवं सामान्य रूप मे इसे किसी को भी स्वीकृत नही किया जा सकता है। फिर भी सरकार किसी ऐसे एक व्यक्ति को ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकती है जो निर्वाह के लिए मृत-कर्मचारी पर निर्भर था, यदि ऐसा करना दया-मूलक कारणों पर न्यायोचित प्रतीत होता हो।

राजकीय निर्णय संख्या 9:—सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रायः यह नही जानते हैं कि मृत-कर्मचारी ने उनके लिये क्या मनोनयन किया है ? वे उसके बारे मे कुछ नहीं जानते हैं कि उसके द्वारा किया गया मनोनयन सरकारी रिकार्ड मे कहा रखा गया है। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि सबंधित कर्मचारी को, राजपत्रित-अधि-

कारियों के संबंध में महालेखाकार को तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध मे कार्यालय के अध्यक्ष को, इस बात को निश्चित करते हुए प्राप्ति-पत्र भेजना चाहिये कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भेजा गया मनोनयन या मनोनयन रद्द करने का नोटिस प्राप्त हो गया है तथा उसे सरकारी रिकार्ड में रख लिया गया है। सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि यह उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के हित मे होगा यदि वे अपने द्वारा किए गए मनोनयन तथा मनोनयन करने के नोटिस की एक प्रतिलिपि अपने पास रखें तथा उसकी प्राप्ति के पत्र को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रमाण-पत्रों के साथ रखें जिससे कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके मनोनीत व्यक्ति उन्हे प्राप्त कर सके।

राजकीय निर्णय संख्या 10:—उक्त अंकित राजकीय निर्णय संख्या–4 के अनुसार अल्प-वयस्क बच्चों के हिस्से की मृत्यु-सह सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि, जब कोई जीवित माता-पिता न हो या जीवित एक मुस्लिम महिला हो, तो वह राशि उसी व्यक्ति को दी जानी है जो सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। यह देखा गया है कि बहुत से मामलो में सरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने मे बड़ी असुविधाए उत्पन्न होती है तथा मामलो के निर्णय करने मे बडी देर लग जाती है।

अतः उपरोक्त आदेश मे सशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि 5000) रु. तक की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी (या जहा रकम 5000/– रु से अधिक हो वहा पहले पहल 5000/– रु तक) की राशि का भुगतान एक स्वाभाविक सरक्षक के अभाव में नाबालिगों के लिये बिना सरक्षकता का प्रमाण-पत्र औपचारिक ढग से लिये हुए किन्तु एक प्रतिज्ञा-पत्र उचित जमानतो के साथ स्वीकृति-प्रदान-करने वाले-अधिकारी की सन्तुष्टि पर भरने पर किया जा सकता है।

फिर भी यह आवश्यक है कि अनुच्छेद (2) मे वर्णित भुगतान करने के लिये माग करने वालों के पास पर्याप्त आधार उसे प्राप्त करने के हों। ऐसे आधार तभी उपस्थित होते हैं जबकि उनके द्वारा एक घोषणा-पत्र द्वारा एक वास्तविक सरक्षक होने की घोषणा की गई हो तथा उसके निवास स्थान के बारे में निश्चय किया जा चुका हो। यदि न्यायालय द्वारा सरक्षक नियुक्त नहीं किया गया हो, यदि अल्प-वयस्क एवं उसकी सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों की सुरक्षा मे हो, तो वह व्यक्ति कानून से एक वास्तविक सरक्षक है। अतः भुगतान करने वाले अधिकारियो उन व्यक्तियो जो अल्प-वयस्क बच्चों की राशि के क्लेम के लिए प्रस्तुत हो, एक हल्फनामा प्राप्त कर अपने को सन्तुष्ट करना चाहिए कि अल्प-वयस्क बच्चे की सम्पत्ति उसकी सरक्षणता मे है तथा वह इसकी या उसकी देखभाल कर रहा है। यदि अल्प-वयस्क के पास ग्रेच्युटी के अलावा कोई सम्पत्ति न हो तथा वह अल्प-वयस्क उसकी सुरक्षा एव देख-भाल में हो, तो इस प्रकार का शपथ-पत्र उचित जमानतों के साथ भरे गए प्रतिज्ञा-पत्र के अतिरिक्त होगा।

राजकीय निर्णय संख्या 11:—उक्त अंकित सख्या (6) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवार की परिभाषा मे 'पिता एव माता' भी सम्मिलित किए गए है। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या परिवार की परिभाषा मे गोद लेने वाली माता भी सम्मिलित की जानी हैं। सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात यह तय किया गया है कि उक्त ज्ञापन के अनुच्छेद (2) के क्रमाक (6) एव (7) मे परिवार की परिभाषा मे प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पिता" एवं "माता" को इस प्रकार से विस्तृत-रूप मे समझा जाना चाहिये कि उसमें उन व्यक्तियों के मामले मे जिनमे इनके निजी कानून "दत्तक" (गोद-लेने) की स्वीकृति देना है, गोद वाले पिता एव माता भी सम्मलित हो जाए। तदनुसार क्रमाक (6) एव (7) के प्रयुक्त शब्द 'व्यक्तिगत-मामलों' मे जिनके वैयक्तिक कानून गोद लेने की स्वीकृति देते है, वहां उनके गोद लेने वाले माता-पिता भी सम्मिलित हैं।

(6) पिता व्यक्तिगत मामलों मे जिनके वैयक्तिक-कानून गोद लेने की स्वीकृति देते हैं।

(7) माता जहां उनके गोद लेने वाले माता-पिता भी शामिल हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 12:—सरकार के ध्यान में एक मामला ऐसा आया है जिसमे मृत अधिकारी ने मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का मनोनयन करने की अपेक्षा अपनी वसीयत किसी एक व्यक्ति, के पक्ष मे भरी है। मामले की जाच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि जहां कर्मचारी द्वारा वसीयत की गई हो तथा वह उसके परिवार के सदस्य नही होने पर, उस व्यक्ति को मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती हो तथा वह वसीयत सबंधित कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल मे भरी हो उक्त वसीयत को मृत्यु-एव-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मनोनयन के रूप में समझा जाएगा तथा मृत्यु एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी का उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

अध्याय 23

पारिवारिक-पेंन्शन

नियम 261–स्वीकृति की शर्त :—नियम262 में वर्णित राशि की अधिकतम सीमा तक पारिवारिक-पेंशन उस कर्मचारी/अधिकारी के परिवार के सदस्यों को 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है जिसकी सेवामे या सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तथा जिसने न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा करली हो ।

किन्तु शर्त यह है कि पारिवारिक-पेंन्शन के भुगतान की अवधि किसी भी स्थिति में उस तारीख से 5 वर्ष से अधिक के लिए स्वीकृत नही की जावेगी जिसको मृत अधिकारी सेवा से निवृत्त हुआ या जिसको वह साधारण रूप मे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता, जैसे ही मृत्यु, सेवा निवृत्ति के बाद या सेवा में हो, उसके अनुसार स्वीकृत की जावेगी ।

टिप्पणी संख्या 1:—यदि एक अधिकारी जिसके सेवाकाल मे वृद्धि हुई है तथा वह उस काल मे मर जाता है तो उक्त प्रावधान मे वर्णित तारीख जिसको वह साधारण रूप मे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता, का तात्पर्य होगा जिस तारीख तक उसकी मृत्यु के पहिले सेवा मे वृद्धि की स्वीकृति दी गई है ।

राजकीय निर्णय: – उपरोक्त नियमों के अधीन 28-2-64 को पारिवारिक-पेन्शन को वास्तविक रूप में प्राप्त करने वाली विधवाओं/अल्प-वयस्क बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी पारिवारिक-पेंशन की पात्रता की अवधि (1) विधवा के संबध मे उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह, इनमे से जो भी पूर्व में हो तक, एवं (2) बालकों के संबध में उनके वयस्कता प्राप्त करने तक या पुत्रियों के सबंध मे उनके विवाह तक बढाई जानी चाहिये । यह लाभ उन कर्मचारियो की विधवाओं/या अल्प-वयस्क बच्चो को भी प्राप्त होगा जो 1-3-64 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे एवं जिनकी इस तारीख के बाद मृत्यु हो गई थी तथा कर्मचारी के सेवा-निवृत होने से 5 वर्ष मे विधवा पत्नी/अल्प-वयस्क बच्चे,उक्त नियमो के अधीन पारिवारिक-पेन्शन के पात्र हो गये थे ।

- (i) उस अवधि जिसके लिए परिवार-पेंशन उक्त नियमों के अधीन वर्तमान मे प्राप्त है, पेंशन का भुगतान वर्तमान दर पर किया जायेगा ।
- (ii) आगे बढी अवधि के लिए पेंशन की दर निम्न-प्रकार से होगी :—
- (क) वही जैसी पारिवारिक-पेंशन इसे पूर्व में प्राप्य थी, यदि वह 20)रु. या इससे कम है, एवं
- (ख) न्यूनतम 20/-रु. प्रति माह की शर्त पर पूर्व मे प्राप्त परिवार-पेन्शन की आधी के बराबर जहा पर परिवार-पेन्शन 20)रु. प्रति माह से अधिक है ।

राजकीय आदेश:—ऐसे राज्य कर्मचारियों की विधवाओं, पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं जो 1-3-1964 (जिस दिन से नवीन पारिवारिक पेंशन नियम प्रभावी हुए है) से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण-पारिवारिक-पेन्शन प्राप्त करना बन्द कर दिया था उनको राहत देने का प्रश्न कुछ समय से राज्य-सरकार के विचाराधीन था ।

मामले पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों कीविधवाओं/सेवा निवृत्त राज्य-कर्मचारियो जिन्हें इन सेवा नियमो के अध्याय-23 के अन्तर्गत 28-2-1964 से पूर्व तत्कालीन नियमों के अनुसार पारिवारिक-पेंशन स्वीकृत की गई थी किन्तु 1-3-1964 से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण वह पेंशन 28-2-1964 से पूर्व ही बन्द हो गई तो ऐसे परिवारों को वह पारिवारिक-पेंशन यह मान कर चालू

करदी जावेगी कि मानो वे 28-2-64 को पारिवारिक-पेंशनें वित्तविभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (48) वि (ई-ग्रार)/64 दिनांक 4 1-1965 के प्रावधानों के अनुसार दी जावेगी।

दिनांक 1-3-1978 से पूर्व समय-समय पर स्वीकृत पेंशन की अस्थाई वृद्धि, पेंशन में अन्तरिम वृद्धि, तथा पेंशन में वृद्धि अथवा न्यूनतम-पेंशन की राशि में वृद्धि का लाभ भी उक्त श्रेणी के पेंशनरों को वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 4-1-1965 के अनुसार ही मिलेगा। पारिवारिक-पेंशन की राशि तथा पेंशन में वृद्धि आदि जो 1-3-1978 को देय बनती थी, की गणना/फलावट काल्पनिक आधार (नोशनल-बेसिस) पर की जावेगी तथा 1-3-78 से देय होगी। 1-3-78 से पूर्व का कोई एरीयर नहीं दिया जावेगा।

[वि. वि. के आदेश क्रमांक एफ 1 (22) वि. वि. (ग्रुप-2)/78 दिनांक 15-6-1978 द्वारा निविष्टों]

नियम 262–परिवार-पेंशन की राशि निम्न होगी:—(क) सेवा में रहते हुये मरने पर, अधिवार्षिकी-आयु प्राप्त पेंशन की अवधि जो उस अधिकारी को प्राप्त होती यदि वह अपनी मृत्यु की तारीख को सेवा-निवृत्त होता, एवं

(ख) सेवा-निवृत्त होने के बाद मृत्यु होने पर, सेवा-निवृत्ति पर स्वीकार की गई पेंशन की आधी राशि।

किन्तु शर्त यह है कि परिवार-पेंशन की अधिकतम राशि 150) रु. व न्यूनतम राशि 30) रु. होगी। इसके साथ यह भी शर्त होगी कि न्यूनतम पेंशन उस राशि से अधिक नहीं होगी जो वह सेवा-निवृत्त होने पर प्राप्त करता या ऐसे मामले में जहां वह सेवा-काल में मर जाता हो, तो उस पेन्शन की राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे प्राप्त होती यदि वह अपनी मृत्यु के बाद की तिथि को सेवा-निवृत्त होता। खण्ड (ख) में वर्णित अनुसार अधिकारी ने जहां अपने पेन्शन के कुछ भाग को रूपान्तरित करा लिया हो तो पेन्शन के उस भाग की अ-रूपान्तरित राशि उपरोक्त प्रकार से गिनी गई परिवार की राशि में से काट ली जावेगी।

टिप्पणी:—नियम 262 के अन्तिम वाक्य के अन्तर्गत यदि एक अधिकारी ने अपने पेन्शन का कुछ भाग पहिले से ही रूपान्तरित करा लिया हो तो पेंशन के उस भाग की अ-रूपान्तरित-राशि, परिवार-पेन्शन की राशि में से काटनी पड़ती है जो उस अनुच्छेद के पूर्व प्रावधानों के अनुसार गिनी जाती है। अभिप्राय यह है कि पारिवारिक-पेन्शन की राशि पहिले इस बात को भूल कर निकालनी चाहिये कि अधिकारी ने अपनी साधारण-पेन्शन का कुछ भाग रूपान्तरित कर रखा है एवं जो इस प्रकार राशि निकले, उसमें से रूपान्तरित पेन्शन की राशि काट लेनी चाहिये। उदाहरण के लिये यदि साधारण पेंशन 90) रु प्रति माह थी तथा अधिकारी ने इसमें से 30) रु. रूपान्तरित करा रखे थे तो परिवार की परिवार-पेंशन (90/2 = 45–30) = 15 रु माहवार होगी।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—उन सभी परिवार-पेन्शनों की देयता की कुल अवधि एवं राशि, जो पहिले ही स्वीकृत की जा चुकी है या जो 1 अप्रेल, 1957 से पूर्व का कोई बकाया देना नहीं पड़े।

उन अधिकारियों के मामलों में जो 1 अप्रेल, 1957 से पूर्व तीन वर्ष की अवधि में मर गये हैं एवं जिनके परिवार पेंशन के लिये योग्य हो गये होते यदि नियम 261 व 262 में वर्तमान नियमों के संशोधन मिला दिये होते तथा संबंधित अधिकारी की मृत्यु की तारीख को लागू होते, तो उनके गुणों को ध्यान में रखते हुये उन पर विचार किया जावेगा। ऐसे मामले सब प्रकार की संबंधित सूचनायें देते हुये उचित अधिकारियों द्वारा वित्त-विभाग के पास भेजे जाने चाहियें।

अपवाद स्वरूप मामलों में सरकार उन अधिकारियों के परिवारों को भी परिवार-पेंशन देवेगी जो 20 वर्ष से कम की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करने के पूर्व किन्तु न्यूनतम 10 वर्ष की योग्य-सेवा पूर्ण करने के बाद मर गये है।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसमें एक कर्मचारी 22-12-53 को सेवा निवृत्त हो गया था तथा जिसने उस समय तक 22 वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा पूर्ण करली थी। वह 1-4-57 को मर गया था। एक संदेह उत्पन्न हुआ कि कर्मचारी 22-12-53 को सेवा-निवृत्त हुआ था। क्या उसका परिवार नियम 262 में परिवर्तन किये गये अनुसार परिवार-पेंशन प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा, क्योंकि यह नियम केवल उन्ही कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1-4-56 को या उसके बाद सेवा में 20 वर्ष की पूर्ण योग्य-सेवा करने के बाद मर गये हैं तथा जो 1-4-57 के बाद मरते हैं। प्रश्न की जांच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि संशोधित नियम 262 के अनुसार परिवार पेंशन की स्वीकृति मृत्यु की तारीख से निश्चित की जानी चाहिये न कि संबंधित कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से। इसके अनुसार वह परिवार-पेंशन प्राप्त करने के लिये अधिकृत है।

राजकीय निर्णय संख्या 3: सेवा नियम 262 के नीचे राजकीय निर्णय संख्या (1) के अनुच्छेद (3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार अपवाद स्वरूप मामलों में उन अधिकारियों के परिवारों को भी परिवार-पेंशन देवेगी जो 20 वर्ष से कम अवधि की पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण करने के पूर्व, किन्तु न्यूनतम 10 वर्ष की पूर्ण योग्य सेवा करने के बाद मरते है। ऐसे मामले इस समय वित्त-विभाग को भेजे जाने चाहिये। ऐसे मामलों में परिवार-पेंशन स्वीकृत करने में देरी नहीं लगाने के दृष्टिकोण से यह आदेश दिया जाता है कि परिवार-पेंशन स्वीकृत करने की ये शक्तियां संबंधित प्रशासनिक विभागों को, निम्न-लिखित सिद्धान्तों का पालन करते हुये, दी जाती है।

परिवार द्वारा मृत-कर्मचारी की बीमा, भविष्य निधि एवं मृत्यु-मह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की सब मिला कर प्राप्त की जाने वाली राशि उस कर्मचारी द्वारा अपने मरने के पूर्व अन्त में प्राप्त किये गये मासिक वेतन के 48 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि "बेनिफिट" का योग उस राशि से अधिक हो तथा मृत कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा 5 वर्षों में पूर्ण होने वाली नहीं हो व ऐसे मामलों में उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता हो, तो परिवार-पेंशन की स्वीकृति केवल 5 वर्ष तक ही दी जानी चाहिये।

स्पष्टीकरण:—एक मामला वित्त-विभाग को भेजा गया जिसमें एक कर्मचारी की मृत्यु 18-12-81 को हो गई थी तथा आदेश सं एफ 1460/58 एफ 7 ए (28) एफ डी ए/नियम/51 दिनांक 28-3-58 के जारी होने के पूर्व नियमों के अन्तर्गत (अर्थात् राजस्थान सेवा नियमों के नियम 261 व 262 के अन्तर्गत) उसके परिवार के लिये परिवार-पेंशन 19-12-51 से 18-12-56 तक 5 वर्ष के लिये स्वीकृत की गई थी। विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या ऐसे मामलों में भी, जहां परिवार पेंशन 1-4-57 के पूर्व बन्द हो गई हो, पेन्शन की देयता की अवधि को पुनः समायोजित करना पड़ेगा?

मामले की जांच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाह से की गई है तथा यह निश्चिय किया गया है कि मामला उपरोक्त वर्णित वित्त विभाग के आदेश द्वारा संबंधित नियम 262 के नीचे राजकीय निर्णय के अन्तर्गत आता है एवं परिवार-पेंशन की देयता की अवधि को समायोजित किया जावेगा किन्तु 1 अप्रेल, 1957 के पूर्व यदि कोई बकाया देना होगा तो वह नहीं दिया जावेगा।

नियम 263-परिभाषा:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परिवार" का अर्थ नियम 260 में वर्णित अर्थ में लिया जावेगा।

नियम 264-प्रतिबन्ध:—निम्न-अंकित को इस खण्ड के अन्तर्गत कोई पेंशन नहीं दी जावेगी:—

(क) नियम 265 (ख) में वर्णित एक व्यक्ति, एक उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना कि

वह व्यक्ति-निर्वाह के लिए मृत-कर्मचारी पर आश्रित था ।

(ख) कर्मचारी के परिवार की एक अविवाहित महिला सदस्य को जब उसका विवाह हो हो गया हो ।

(ग) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में एक विधवा स्त्री को, जब वह पुनःविवाह करले या पुनर्विवाह के समकक्ष परिस्थितियों में रहने लग जावे ।

(घ) एक कर्मचारी के भाई को जब उसकी अवस्था 18 वर्ष की हो जावे ।

(च) उस व्यक्ति को जो कर्मचारी के परिवार का सदस्य नही है ।

नियम 265–वितरण का क्रम:—नियम 266 के अन्तर्गत मनोनयन के प्रावधान किए जाने के अतिरिक्तः—

(क) इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेन्शन निम्न-अंकित को स्वीकृत की जाएगी—

(i) यदि मृत-व्यक्ति एक पुरुष कर्मचारी है तो सबसे बड़ी विधवा को या यदि मृत-व्यक्ति एक महिला कर्मचारी है तो विधुर पति को ।

टिप्पणी:—उपरोक्त खण्ड (क) (i) में प्रयुक्त 'सबसे बडी विधवा' का अर्थ अधिकारी के विवाह की तारीखो के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर लगाना चाहिये एवं जीवित विधवाओं की आयु के आधार पर नहीं लगाना चाहिये ।

(ii) विधवा या पति के न होने की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, सबसे बड़े जीवित पुत्र को ।

(iii) उपरोक्त (i) व (ii) में वर्णित स्थितियों के नहीं होने पर सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को ।

(iv) इन सबके नही होने पर, सबसे बड़ी विधवा पुत्री को, एवं

(ख) यदि खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई पेन्शन लेने योग्य नहीं हो तो परिवार पेंशन निम्न-अंकित को स्वीकृत की जा सकती है—

(i) पिता को,

(ii) पिता के न होने पर माता को,

(iii) पिता व माता के न होने पर 18 वर्ष से कम आयु वाले सबसे बड़े जीवित भाई को,

(iv) इन सबके न होने पर जीवित सबसे बड़ी अविवाहित बहिन को,

(v) उपरोक्त (i) से (iv) तक के नहीं होने पर सबसे बड़ी विधवा जीवित बहिन को ।

राजकीय निर्णय:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पेंशन का भुगतान मृत-कर्मचारी के दूसरे पुत्र को या सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को किया जा सकता है यदि सबसे बड़ा जीवित पुत्र लिखित मे अपनी अनुमति अपने छोटे भाई या बहिन को उसे प्राप्त करने के लिये दे देता हो तथा उसके द्वारा अपनी मांग समाप्त करता हो, तो क्या एक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को देय मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के हिस्से को ऐसे दूसरे सदस्य या सदस्यो को प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जा सकता है जिसके पक्ष मे पहिले वाले अधिकृत

व्यक्ति ने अपना अधिकार उनको दे दिया हो ! मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर यह आदेश दिया जाता है कि चूंकि ऐसे मामलो में सरकार सबसे बड़े पुत्र या परिवार के अन्य सदस्य से, जिनका पेंशन पर पहिला अधिकार है, एक भली प्रकार से भार-मुक्ति प्राप्त नही करेगी। अतः अधिक सुरक्षित एवं उचित यही होगा कि पेंशन केवल नियमो के अन्तर्गत उसे पाने वाले व्यक्ति के पक्ष मे ही स्वीकृत की जावे। इसी प्रकार इस विभाग के आदेश संख्या एफ 3561/57 एफ 7 ए (10) एफ. डी. ए. (नियम)/57 दिनांक 19-6-57 में दिया गया है कि ग्रेच्युटी की राशि परिवार के समस्त सदस्यो मे बराबर में बाट दी जानी चाहिये चाहे उनमे से कोई सदस्य अपने हिस्से की रकम परिवार के दूसरे सदस्यो के पक्ष में देने की इच्छा प्रकट करता हो।

नियम 266–मनोनयन का विकल्पः—एक कर्मचारी जिसने 20 वर्ष की पेंशन-योग्य-सेवा पूर्ण करली हो, यह इच्छा करता हो कि पेंशन, जो इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है उसके परिवार के किन्ही सदस्यों को उसके द्वारा लिखे गये क्रम में मिलनी चाहिये तो वह इस प्रयोजन का मनोनयन फार्म (च) मे भर सकता है जिसमें वह परिवार के जिन सदस्यों को पेशन दिलाना चाहेगा उनके नामों का उल्लेख क्रमवार करेगा, एवं जिस सीमा तक वह मान्य होगी पेशन ऐसे मनोनयन के अनुसार ही दी जावेगी बशर्ते सम्बन्धित व्यक्ति पेंशन की स्वीकृति के समय, नियम 264 की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। यदि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त नियम की आवश्यकताओं को पूर्ण नही करते हों तो पेशन आदेश में उल्लिखित नामों के क्रम में दूसरे नीचे लिखे व्यक्ति को स्वीकृत की जावेगी। नियम 260 (6) (ख) (8) एव (9) के प्रावधान इस अनुच्छेद के अधीन मनोनयन पर भी लागू होंगे।

नियम 267–पेन्शन का भुगतानः—(क) इस नियम के अधीन स्वीकृत की गई पारिवारिक पेन्शन एक समय में अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को नहीं दी जावेगी।

(ख) यदि इस नियम के अन्तर्गत दी जाने वाली पेशन प्राप्त करने वाले की मृत्यु या विवाह या अन्य कारणों के फलस्वरुप नियम 261 (i) में वर्णित समय के समाप्त होने के पूर्व ही किया जाना बन्द कर दिया है तो वह पेशन नियम 265 के अन्तर्गत आदेश में वर्णित नामों के क्रम में दूसरे निचले व्यक्ति या नियम 266 के अन्तर्गत भरे गये मनोनयन-पत्र मे वर्णित नामों के क्रम में दूसरे निचले उस व्यक्ति को, जैसी भी स्थिति हो, दी जावेगी जो इस नियम के अन्य प्रावधानों का पालना करता हो।

नियम 268–परिवार-पेंशन असाधारण पेंशन या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त चालू रहेगीः—इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेशन, किसी भी प्रकार की असाधारण-पेशन या ग्रेच्युटी या क्षतिपूर्ति जो नियमानुसार कर्मचारी के परिवार के सदस्य को स्वीकृत की जा सकती है, के अतिरिक्त चालू रहेगी।

अध्याय 23-ए

नवीन पारिवारिक-पेन्शन

नियम 268-ए (प्रभावी होने की सीमा):—पेंशन-योग्य सेवा के कर्मचारी-वर्ग चाहे स्थाई-रूप से नियुक्त हो या अस्थाई रूप से, जो सेवा से 1-3-64 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हो जाते हों या जो उस तारीख या उसके बाद सेवा में प्रविष्ट होते हों, उन सब पर यह अध्याय प्रभावी होगा किन्तु निम्न-अंकित पर प्रभावी नहीं होगा:-

(क) वे व्यक्ति जो 1 मार्च, 1964 से पूर्व सेवा से निवृत्त हो गए थे किन्तु जो उसी तारीख से या उसके बाद से सेवा में पुनर्नियुक्त हो गए थे।

(ख) आकस्मिक-निधि से भुगतान किये जाने वाले व्यक्ति,

(ग) दैनिक वेतन पर लगाये गये कार्य-दत्त (वर्क-चार्जड) कर्मचारी

(घ) आकस्मिक-रूप में नियुक्त श्रमिक

(च) अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त-अधिकारी

नियम 268-बी-स्वीकृत करने योग्य पेंशनः—नियम 268-सी में वर्णित दरों पर पारिवारिक पेंशन, इस अध्याय के अन्तर्गत एक ऐसे अधिकारी के परिवार को स्वीकृत की जावेगी जिसकी 1 मार्च, 1964 को या उसके बाद मृत्यु हो जाती है:—

(क) जब सेवा में हो, एक वर्ष की सेवा से अनाधिक की पूर्ति के बाद, किन्तु शर्त यह है कि एक वर्ष की शर्त, निम्नांकित प्रकरणों में, प्रभावशील नहीं होगी।

(i) स्थायी पदों के विरुद्ध परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों,

(ii) ऐसे नियुक्त व्यक्तियों, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उसके अधिकार-क्षेत्र में होने के कारण अस्थाई पदों पर सेवा नियमों के अनुसार चयनित व्यक्तियों पर।

(iii) राजस्थान लोक-सेवा-आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर वाले अस्थाई पदों पर विशिष्ट सेवा नियमों अथवा शासकीय आदेशों के अन्तर्गत नियमित रूप से चयनित नियुक्त व्यक्तियों पर।

(ख) सेवा-निवृत्ति के पश्चात्, मृत्यु की तारीख को यदि उसे पेंशन मिलती हो।

[अधि. संख्या 1 (60) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 16-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित]

नियम 268-सी-पारिवारिक पेंशन की राशि:—(1) इस अध्याय के अन्य प्रावधानों की शर्त पर इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त परिवार-पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी—

राज्य कर्मचारी का वेतन	विधवा/विधुर/बच्चों को मासिक परिवार पेंशन।
800 रु. एवं इससे अधिक	वेतन का 12% पर अधिकतम 150/- रु. तक।
200 रु. एवं इससे अधिक किन्तु 800 रु. से तक	वेतन का 15% पर अधिकतम 96/- रु. तथा न्यूनतम 60/- रु. तक
200 रु. से कम	वेतन का 30 प्रतिशत पर न्यूनतम 25 रु. तक

किन्तु उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी मृत्यु के पूर्व न्यूनतम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हो, यदि सेवा-काल मे उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भुगतान की जाने वाली पेन्शन निम्न-प्रकार होगीः-

(क) उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिसको अधिकारी यदि जीवित रहता तो अपनी सामान्य अधिवार्षिकी-आयु प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस तक के लिए पेशन, अंतिम रूप में उठाये गये वेतन की आधी होगी, किन्तु वह नियम 268-सी (1) के अधीन स्वीकार्य पेंशन की अधिकतम सीमा तक होगी।

(ख) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेशन उसी दर पर होगी जो नियम 268-सी (1) में दी हुई है।

टिप्पणीः—एक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध मे, जो अपनी सेवा-वृद्धि-के-काल में मरता है, तो उसकी मृत्यु के पूर्व जिस तारीख तक उसे सेवा-वृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेवा की सामान्य अधिवार्षिकी-आयु समझी जायेगी।

स्पष्टीकरणः—इस नियम के प्रयोजन के लिये "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है, जिसकी परिभाषा सेवा नियम 7 (24) मे दी गई है, एव जिसे मृत कर्मचारी अपनी मृत्यु की तारीख को, जब वह सेवा में रहकर या अपनी सेवा-निवृत्ति से पहले शीघ्र ही प्राप्त कर रहा था। जब सेवा मे या सेवा-निवृत्ति से पहले शीघ्र ही प्राप्त कर रहा था। जब सेवा मे या सेवा-निवृत्ति के कुछ समय पूर्व उसकी मृत्यु की तारीख को यदि कर्मचारी अवकाश पर (असाधारण अवकाश को मिलाकर) या निलम्बित होने के कारण सेवा से अनुपस्थित रहा हो तो "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जिसे वह ऐसे अवकाश या निलम्बन से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

राजकीय निर्णयः—राजस्थान सेवा नियम 268-सी-एवं उसके नीचे स्पष्टीकरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उन कर्मचारियो के मामले मे जिन्होने राजस्थान सिविल सेवा (सशोधन-वेतनमान) नियम, 1961 के प्रावधानो के अधीन "वर्तमान-वेतनमान" को धारण कर रखा है वह अभिव्यक्ति "वेतन" मे उन्हें भुगतान किया गया 'मंहगाई-वेतन' भी सम्मिलित होगा।

(2) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (11) एफ. डी. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 14-4-64 (नियम 256 के निर्णय संख्या-16) द्वारा जो अंतरिम तदर्थ-वृद्धि स्वीकृत की गई है वह इस अध्याय के प्रावधानों पर लागू नही होगी।

(3) (i) उप नियम (1) एव (2) में किसी बात के होते हुए भी, और इस अध्याय के अन्य प्रावधानों की सीमा में रहते हुए दिनांक 31-10-74 को या इसके बाद में मरने वाले अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में पारिवारिक पेशन की ग्राह्य राशि निम्न-प्रकार से होगी—

सरकारी-कर्मचारी के "वेतनादि"	मासिक-पारिवारिक-पेंशन की राशि
(1) रु. 400/- से कम	वेतन का 30% किन्तु न्यूनतम 60/- तथा अधिकतम 100/- की सीमा मे रहते हुये।
(2) रु. 400/- से अधिक, किन्तु रु. 1200/- से कम	वेतन का 15% किन्तु न्यूनतम रु. 100/- तथा अधिकतम रु. 160/- की सीमा मे रहते हुये।

(3) रु. 1200/- और अधिक — वेतन का 12% किन्तु न्यूनतम रु. 160/- तथा अधिकतम रु. 250/- की सीमा में रहते हुए।

(ब) जहां एक राज्य-कर्मचारी जो कामगार क्षतिपूरक अधिनियम 1923 (जो समय-समय पर संशोधित हुआ है) के द्वारा शासित होता हो और जो न्यूनतम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा करने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस राज्य-कर्मचारी के परिवार को, कर्मचारी द्वारा मृत्यु से तुरन्त पूर्व किये जाने वाले वेतन के 50 प्रतिशत के समान अथवा उपरोक्त उपनियम 268 (सी) 3 (i) के अनुसार देय पारिवारिक-पेन्शन की राशि $1\frac{1}{2}$ गुणा राशि पारिवारिक पेन्शन के रूप में दी जावेगी। जहा किसी राज्य कर्मचारी का परिवार उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो अर्थात् जिन मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि देय नही बनती हो तब पेन्शन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आडिट-अधिकारी को एक प्रमाण-पत्र भेजना होगा कि "मृतक राज्य कर्मचारी का परिवार कामगार क्षति-पूर्ति अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी प्रकार की क्षतिपूरक-राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है।" ऐसे मामलो मे मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार को उप-नियम 268 (सी) (3) (ii) (अ) के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेन्शन दी जावेगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 1 (53) वित्त (ग्रुप-2)/74 दिनांक 22-3-1978 द्वारा 31-10-74 से प्रतिस्थापित]

(iii) इस उपनियम के उप-खण्ड (ii) के अधीन पारिवारिक-पेंशन की बढ़ाई हुई दरों पर राशि निम्न-प्रकार से देय होगी—

(क) सेवा करते हुए मरने वाले कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु के दिनांक से अगले सात वर्ष की अवधि के लिये, या उस दिनांक तक जबकि मृतक-कर्मचारी 62 वर्ष की आयु का होता, यदि वह जीवित रहता, इसमें से जो भी कम हो,

(ख) सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु की घटना पर उपरोक्त उपखण्ड (2)में अंकित बढ़ी दरों पर पारिवारिक-पेंशन उस दिनांक तक देय होगी जब वह कर्मचारी जीवित रहता तो 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता या सात वर्ष के लिये, जो भी कम हो, किन्तु किसी भी दशा में सेवा-निवृत्ति के समय कर्मचारी को स्वीकृत पारिवारिक-पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी, फिर भी उस मामले में जहां उक्त नियम (1) के अनुसार देय पारिवारिक-पेंशन की राशि मृतक कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के समय स्वीकृत पेन्शन की राशि से अधिक होती है तो पारिवारिक-पेंशन की राशि जो उक्त नियम (1) के अनुसार स्वीकृत की गई है वह उस पेशन की राशि से कम नहीं होगी। सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन में पेशन का वह अंश भी शामिल है, जिसे उस सेवा-निवृत्त कर्मचारी ने रूपान्तरित (कम्यूट) करा लिया था।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (53) वि. वि./(ग्रुप-2)/74 दिनांक 28 फरवरी, 1977 द्वारा 30-10-1974 से संशोधित]

(ग) उप खण्ड (क) व (ख) उपरोक्त में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद पेंशन इस उप नियम के खण्ड (i) में दी गई दरों पर देय होगी।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनार्थ "वेतनादि" का अर्थ राजस्थान सेवा नियम 250-ग (3) में परिभाषित "वेतनादि" से है, जो वह मृतक-कर्मचारी सेवा की अवधि में अपनी मृत्यु के दिन या अपनी सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के खण्ड (ii) और (iii) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के अन्य उप-बन्धों के अधीन रहते हुए, उस अधिकारी के बारे में जो 1-9-76 के पश्चात मरता है, पारिवारिक-पेंशन की रकम निम्न-प्रकार देय होगी:—

कर्मचारियों के वेतनादि	मासिक पारिवारिक पेंशन की रकम
(1) 630/- रु. से कम	वेतनादि-की-राशि का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 80/- रु. और अधिकतम 150/- रुपये।
(2) 600/- रु. और इनसे अधिक किन्तु 1600/- रु. से कम	वेतनादि-की-राशि का 15 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 150/- रु. और अधिकतम 220/- रुपये।
(3) 1600/- रु. या इनसे अधिक	वेतनादि-की राशि का 12 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 220/- रु. और अधिकतम 300/- रुपये।

[वि. वि. की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (53) वित्त (व्य-2)/74 दिनांक 1-12-1976 द्वारा निविष्ट]

नियम 268-डी—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "परिवार" में अधिकारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित होंगे:—

(क) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध में, पत्नी।

(ख) महिला अधिकारी के संबंध में, पति।

(ग) अल्प-वयस्क पुत्र, एवं

(घ) अविवाहित अल्प-वयस्क पुत्रियां

टिप्पणी:- (1) (ग) व (घ) में सेवा-निवृत्ति के पूर्व वैध रूप से गोद लिये गये बच्चे भी सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा-निवृत्ति के बाद विवाह को इस नियम के प्रयोजन में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

नवीन परिवार-पेंशन नियमों से उत्पन्न मांगों के संबंध में अपनाये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है -

परिवार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना—सभी अराजपत्रित कर्मचारी जो नवीन परिवार-पेंशन के लाभो के लिये अधिकृत है, उन्हे सेवा-नियमो के नियम 268-डी-मे यथा पारिभाषित उनके परिवार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने होगे या उन्हे प्रत्येक सदस्य की जन्म-तिथि तथा उसका कर्मचारी के साथ सम्बन्ध बतलाना होगा। इस अभिकथन पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रति-हस्ताक्षर होगे तथा इसे कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में लगाया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को इस अभिकथन को अद्यावधि सशोधित कर रखना होगा। संबधित कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध मे परिवर्धन एव परिवर्तन इस अभिकथन मे किये जायेंगे।

(ii) सभी राजपत्रित अधिकारी अपने परिवार के विस्तृत विवरण महालेखाकार, राजस्थान को देंगे। इन विशेष-विवरणों को अद्यावधि रखने मे उनकी जिम्मेदारी होगी। महालेखाकार को इन सूचनाओं की प्राप्ति सूचना भिजवानी होगी।

(iii) सेवा मे रहते हुये किसी अधिकारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारी सलग्न (I) मे निर्धारित प्रपत्र को मृत कर्मचारी के परिवार के पास भेजेगे तथा उसमे वर्णित आवश्यक प्रमाण मागेगा।

(iv) (क) उपरोक्त अनुच्छेद (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर राज-पत्रित अधिकारी होने पर विभागाध्यक्ष तथा अ-राजपत्रित कर्मचारी होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सक्षिप्त रूप मे बहुत सावधानी-पूर्वक जांच करने के पश्चात्, मृत-कर्मचारी के परिवार को नियमो के अधीन स्वीकार्य अधिकतम पारिवारिक-पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत तक अन्तःकालीन रूप से पारिवारिक-पेंशन के मुगतान करने को अधिकृत करेगा। अन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन की स्वीकृति परिशिष्ट (III) के फार्म मे जारी की जावेगी जो महालेखाकार द्वारा मृत-कर्मचारी के पेंशन प्रकरण को अन्तिम रूप से तय किये जाने तक मान्य रहेगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष, जहा पर मृत-कर्मचारी मृत्यु के समय सेवारत था वह अन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन की राशि फार्म पी–5 मे प्रत्येक पेंशनर के लिये पृथक-पृथक उस कोषालय से आहरित करेगा जिससे उसने मृत-कर्मचारी के वेतन और भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है और जिस माह मे कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उसके बाद के महिने के प्रथम-दिवस को वितरित करने की व्यवस्था करेगा। यदि पेंशनर अपनी पारिवारिक-पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट से उस स्थान पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहा पर वह निवास कर रहा/रही है तो पेन्शन की राशि का भुगतान पेंशनर के व्यय पर मनी-आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से उसे भेजा जावेगा। पेंशनर को अन्तःकालीन पारिवारिक-पेन्शन का भुगतान जिस तारीख को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगी।

(ग) उप-अनुच्छेद (IV) (क) मे वर्णित प्राधिकारियों द्वारा अन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन की स्वीकृति जारी करने के तुरन्त पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष मृत-कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका सहित समस्त दस्तावेजो को महालेखाकार के पास भेजेगा जो पेन्शनर को पेंशन-भुगतान आदेश जारी करेगा। अन्तः-कालीन पारिवारिक-पेंशन की अन्तिम-भुगतान की राशि में समायोजित किया जावेगा। यदि अन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन की स्वीकृति और भुगतान की गई राशि महालेखाकार द्वारा अंतिम रूप मे निर्धारित की गई पारिवारिक-पेंशन की राशि से अधिक पाई जाती है तो पेंशनर को ऐसे अधिक-भुगतान को वापिस लौटाने हेतु कहा जावेगा चाहे पेन्शनर से सहमति प्राप्त की गई है या नही।

ये आदेश जारी होने की तारीख (1–9–75) से प्रभावशील होगे।

टीका:— वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि. (श्रे–2)/74/II दिनांक 1–9–1975 द्वारा उक्त अनुच्छेद (IV) (क) से (ग) जोड़े गये हैं तथा समसख्यक ज्ञापन दिनांक 20–7–78 द्वारा (क) एवं (ग) संशोधित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण: – वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि. (ग्रुप–2) 74–II दिनांक 1-9-75 द्वारा सेवा मे रहते मर जाने वाले कर्मचारी के परिवार को 75 प्रतिशत तक अन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन चुकाने का प्रावधान रखा गया है। उस आदेश में अन्तःकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान नही है, केवल अन्तःकालीन परिवार-पेन्शन का ही उल्लेख है। वित्त विभाग के ध्यान मे यह आया है कि बहुत से पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी अन्तःकालीन परिवार-पेंशन के भुगतान के साथ-2 कर्मचारियो की विधवाओं को

75% तक अन्तःकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी का भुगतान कर रहे है तथा यह भी नही देखा है कि कर्मचारी ने सेवा में रहते किसके नाम का मनोनयन-पत्र दिया है। इससे अनेको कानूनी उलझने होने की सम्भावना है क्योंकि उक्त प्रकार भुगतान करने से वैधानिक रूप से प्राधिकृत (मनोनीत) व्यक्ति की बजाय अन्यों को भुगतान हो गया है।

अतः समस्त पेन्शन-स्वीकृति-कर्ता-प्राधिकारियों को जुम्मेवारी देकर कहा जाता है कि वे सेवा मे रहते कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को अन्तःकालीन-ग्रेच्युटी स्वीकार नही करें क्योंकि 1-9-75 के आदेशो मे ग्रेच्युटी के भुगतान का अधिकार नही दिया गया है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (52) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दि. 1-10-77 द्वारा निविष्ट]

राजकीय ज्ञापन

ऐसे मामले जहां सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु होती हो:—पेन्शनर की विधवा पत्नी को परिवार-पेन्शन का शीघ्रता पूर्वक भुगनात करने हेतु पेन्शन-पेमेंट-आर्डर को इस प्रकार से संशोधित कर दिया गया है कि जिससे वह उसी पेन्शन-पेमेंट-आर्डर के अधीन परिवार-पेशन प्राप्त कर सके जिसके द्वारा पेंशनर अपनी पेशन प्राप्त कर रहा था। एतद्नुसार यह निश्चय किया गया है कि पेंशन की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ के तीन संयुक्त-फोटो प्रस्तुन करेगा जिसमें से एक को पेंशन स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित करने के बाद पेशन-पेमेंट-आर्डर में पेन्शनर के भाग में लगा दिया जायेगा। स्वीकार्य परिवार-पेन्शन की राशि का उल्लेख पेन्शन-पेमेंट-आर्डर मे किया जायेगा। कोषागार अधिकारी विधवा/विधुर को परिवार पेन्शन का भुगतान करना उस समय प्रारम्भ कर देगा जब वह पेंशनर की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एव उसे परिवार-पेंशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन-पत्र (सलग्नक-II) महालेखाकार को सूचित करते हुए प्राप्त होगा। यदि विधवा/विधुर भी न हो तथा परिवार-पेशन उन वयस्क बच्चो को उनके स्वाभाविक संरक्षकों के माध्यम से दी जानी हो तो सरक्षक, बालक की ओर से, आवेदन करेगा तथा अपनी दो प्रतिया एवं अन्य दस्तावेज प्रथम पेंशन-पेमेंट-आर्डर को समर्पित करते समय प्रशासनिक-अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों मे नया पेशन-पेमेंट-आर्डर जारी करना होगा।

स्पष्टीकरण:—इस विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (12) वि वि. (व्यय-नियम) /64 दि 17-11-64 के सदर्भ में उपरोक्त विषय मे यह आज्ञा देने का निर्देश हुआ है कि—इस कार्यालय के उक्त ज्ञापन के पैरा (iv) मे यह प्रावधान है कि—पैशन की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र देते समय एक कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ एक सयुक्त-फोटोचित्र की तीन कापिया पेश करेगा, जिनमें से एक पेंशन स्वीकारकर्त्ता-प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जाकर पेंशन बुगतान-आदेश (पी. पी. ओ.) पर चिपकाई जावेगी।

तो भी इस विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 15-5-70 द्वारा प्रसारित फार्म सं. पी. 4 मे यह प्रावधान है कि सयुक्त-फोटोचित्र पासपोर्ट-साइज की प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा। समस्त सम्बन्धिनों की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन दिनाक 17-11-64 को संशोधित फार्म पी-4 में दिये गये प्रावधानों के द्वारा सशोधित किया गया माना जावेगा। दूसरे शब्दो मे, यह पर्याप्त होगा यदि संयुक्त-फोटोचित्र की कापियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित की गई हों।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (12) वि. वि. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 3-8-1973 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्य सरकार ने उक्त नियमो द्वारा शासित कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा-निवृत्ति के समय प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित सयुक्त फोटोग्राफ से पर्दानशीन औरतो को मुक्त करने का निश्चय किया है ।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (12) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 64 दिनाक 17–11–64 (नियम 268–डी–के नीचे प्रक्रिया के रूप मे प्रयुक्त) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार पेशनर की मृत्यु होने पर, परिवार को, परिवार-पेंशन भुगतान योग्य हो जाती है तथा कोषागार अधिकारी को इस परिवर्तन की सूचना महालेखाकार को दे देनी होती है । इस प्रक्रिया मे एक रूपता रखने के लिये सलग्न-ए-II निर्धारित किया गया है तथा इस प्रपत्र मे आवश्यक सूचना कोषागार अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

नियम 268-ई-स्वीकृति की शर्तः—परिवार-पेंशन निम्न को स्वीकृत की जावेगीः—

(क) एक विधवा/विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो कोई पूर्व में हो,

(ख) अ-वयस्क पुत्र, जब तक वह 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त न करले या नौकर नही हो जावे,

(ग) अविवाहित पुत्रियां जब तक उनकी आयु 21 वर्ष न हो जाय या विवाह न हो जाये, इनमे से जो पूर्व में हो ।

[उप-नियम (ख) क्रमांक एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 3-8-1978 से बदला गया है]

नियम 268-एफ–वितरण का क्रमः—इस अध्याय के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन निम्न को स्वीकृत की जावेगी—

(क) विधवा को, यदि मृत व्यक्ति पुरुष कर्मचारी हो, किन्तु यह है कि जहां कर्मचारी के बाद एक से अधिक विधवा हों, वहां उन्हें पेशन बराबर हिस्सों में बांटी जायेगी । किसी भी विधवा की मृत्यु होने पर पेन्शन का उसका हिस्सा उसके पात्र अल्प वयस्क बच्चों को भुगतान योग्य होगा । यदि उसकी मृत्यु के समय विधवा के पीछे कोई पेशन प्राप्त करने योग्य अल्प-व्यस्क बच्चा नहीं रहता है तो पेंशन के उसके हिस्से का भुगतान समाप्त हो जायेगा किन्तु जहां कर्मचारी के पीछे विधवा जीवित रहती है तथा साथ ही दूसरी पत्नी से पेन्शन का पात्र अल्प-वयस्क बच्चा भी जीवित रहता है तो अल्प-वयस्क बच्चा वहीं पेंशन प्राप्त करेगा जिसे उसकी मां प्राप्त करती यदि वह कर्मचारी की मृत्यु के समय जीवित रहती, या

(ख) पति को, यदि मृत-कर्मचारी महिला हो ।

टिप्पणी—इस नियम के खण्ड (क) मे किये गये प्रावधान के सिवाय इस अध्याय के अधीन स्वीकृत की गई पेंशन एक समय मे कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को भुगतान योग्य नही होगी । यह पहिले विधवा/विधुर को स्वीकार्य होगी इसके बाद पात्र अल्प-वयस्क बच्चे को स्वीकार्य होगी ।

(ग) यदि कोई विधवा/विधुर न हो, जैसी भी स्थिति हो, या उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह के बाद उसके नाबालिग पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को उनके स्वाभाविक संरक्षकों के द्वारा तथा विवादग्रस्त मामलों में उनके वैध संरक्षक को ।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम 268-ई (ग) के अनुसार पारिवारिक-पेन्शन का अधिकार (टाईटिल), विधवा के पुनः विवाह की दशा में अ-वयस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों में उनके नैसर्गिक अभिभावकों द्वारा और विवादग्रस्त मामलों में उनके वैधानिक अभिभावकों के द्वारा हस्तान्तरित हो जाता है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या पारिवारिक-पेंशन के लिये यह अधिकार किसी मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे को भी प्रदत्त हो सकता है।

इस मामले की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि पारिवारिक-पेंशन मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे को भी उसके नैसर्गिक अभिभावक (विधवा-माता) के द्वारा देय है, चाहे उसने पुनः विवाह कर लिया हो, क्योंकि विधवा का पुन. विवाह करना अपने आप से उसके अल्प-वयस्क बालक के लिये अभिभावकता के अधिकार को कानून के अधीन वंचित नहीं करता है।

टिप्पणी:—वि वि. की 9–6–1967 की अधिसूचना द्वारा विलोपित।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (12) वि. वि. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 15–11–1972 द्वारा निविष्ट]

नियम 268–जी–ग्रेच्युटी के अंश का समर्पण या छोड़ना:—प्रत्येक कर्मचारी जो इस अध्याय के अन्तर्गत पेन्शन के लाभ प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, उसे जहा प्राप्य हो, अपनी ग्रेच्युटी का हिस्सा उसके दो माह की "कुल-वेतनादि" (एमोल्यूमेन्ट्स्) के बराबर या जैसी स्थिति हो जो कर्मचारी 31–10–1974 के पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हों के लिये 3600) रु. की अधिकतम राशि तक, तथा जो 31–10–1974 को या इसके पश्चात् सेवा-निवृत्त हो रहे हों, के लिये 5000/– रु. की अधिकतम राशि तक छोड़ना पड़ेगा।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (53) वि. वि (श्रे–2)/74 दिनांक 2–12–74 द्वारा प्रति-स्थापित एवं 31–10–74 से प्रभावशील]

राजकीय निर्णय:–सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा नवीन पारिवारिक पेन्शन योजना स्वीकार करने पर मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि में से दो माह की राशि के समान राशि की कटौती करने सम्बन्धी विद्यमान नियम 268-जी को, सरकार ने दिनांक 31–10–1977 से विलोपित करने का निर्णय लिया है।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप–2) 77 दिनांक 17–11–1977]

नियम 268-एच–इस अध्याय के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प:—(1) एक कर्मचारी जो 29 फरवरी, 1964 को सेवा मे हो तथा जो इन नियमों के अध्याय-23 के पारिवारिक-पेशन नियमों द्वारा शासित होता है, वह अध्याय-23 के अन्तर्गत प्राप्त वर्तमान परिवार-पेंशन लाभों की वजाय इस अध्याय के लाभों को चुनने के लिए या उनके वर्तमान लाभों को रखने के लिए विकल्प भर सकते हैं। यह विकल्प राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 1964 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित फार्म में भरा जा सकता है। एक बार भरा गया विकल्प अन्तिम होगा। जो व्यक्ति विकल्प नहीं भरेंगे उनके द्वारा इस अध्याय के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए "विकल्प-दिया-हुआ" समझा जाएगा।

(2) उक्त उप-नियम (1) के अन्तर्गत दिया गया विकल्प संबंधित अधिकारी द्वारा, यदि वह राजपत्रित अधिकारी है, तो महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को, एव यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो कार्यालय-अध्यक्ष को भेजा जावेगा तथा उसे संबंधित अधिकारी की सेवा-पु. मे लगा दिया जावेगा।

विकल्प का प्रपत्र:—मेरे मामले में लागू होने वाले नवीन परिवार-पेंशन नियमों के लाभ तथा हानियों के तुलनात्मक विवरण को पूर्णतया समझ कर—

(1) मैं राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत प्राप्य इस समय वर्तमान परिवार-पेन्शन के लाभों के बदले में नवीन परिवार-पेन्शन के लाभों को चुनने के लिये विकल्प भरता हूं जो वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (12) एफ. डी. (व्यय-नियम) 64 दिनांक 25-9-64 द्वारा प्रभावशील किये गये है।

(2) मैं राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत वर्तमान परिवार-पेन्शन लाभो को रखने के पक्ष मे अपना विकल्प देता हूं।

साक्षी..................	प्रार्थी-हस्ताक्षर..........
हस्ताक्षर................	दिनांक..................
पूरा नाम................	पूरा नाम................
(बड़े अक्षरों मे)	(बड़े अक्षरों मे)
पद.....................	पद.....................
कार्यालय...............	कार्यालय...............

जो अपने नाम के हस्ताक्षर नही कर सकते हैं उन अशिक्षित व्यक्तियों के अगूठे की निशानी।

टिप्पणी:—विकल्प के अनुसार विकल्प के क्रम संख्या (1) या (2) में से किसी को काटिये।

प्रमाण-पत्र

(केवल चतुर्थ-श्रेणी-सेवा-कर्मचारियों एवं अशिक्षित-कर्मचारियों पर ही लागू होने तथा सबधित विभाग/कार्यालय के प्रशासन शाखा के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिये।

मेरी उपस्थिति में श्री........................ को इन नियमों के संबध में स्पष्ट कर दिया गया था।

हस्ताक्षर..................
नाम......................
(बड़े अक्षरों में)
पद......................

प्राप्ति-पत्र

श्री................पद..................कार्यालय................से उनका विकल्प दिनांक.............. को निम्न के लिये प्राप्त किया गया।

(1) नवीन परिवार-पेंशन नियम 1964 के लिये,

(2) राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत वर्तमान परिवार-पेन्शन लाभों को ही रखने के लिये।

हस्ताक्षर....................
पद.........................
कार्यालय..................

जो लागू न हो उसे काट दिया जावें।

राजकीय निर्णय संख्या-1-विकल्प की स्वीकृति:—पेन्शन नियमो में की गई उदारता को ध्यान मे रखते हुये जिन कर्मचारियों ने, राजस्थान नागरिक सेवा (सेवा शर्तों की सुरक्षा) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसरण

मे 1-11-56 से शीघ्र पूर्व ही उन पर अवकाश एवं पेन्शन नियमों के लिये विकल्प दिया था, क्या उन्हें राजस्थान सेवा नियमों मे सम्मिलित किये गये अवकाश एवं पेन्शन नियमों को चुनने के लिये दूसरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, यह प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन था।

मामले पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय किया है कि जिन कर्मचारियों ने उक्त नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत केन्द्रीय अवकाश एव पेंशन नियमों के लिये विकल्प दिया था उन्हें राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह की अवधि मे राजस्थान सेवा नियमों मे दिये गये अवकाश एवं पेशन नियमो को चुनने के लिये लिखित मे दूसरा विकल्प देने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर भी वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (12) (व्यय-नियम)/64 दिनांक 25-9-64 द्वारा स्वीकृत नवीन परिवार-पेन्शन लाभों के लिये विकल्प दिये विना राजस्थान सेवा नियमो मे दिये गये पेंशनों के लिये में विकल्प नहीं भर सकेंगे। जो व्यक्ति निर्धारित समयावधि मे विकल्प भर कर नही देगे, उन्हें 1-11-56 से पूर्व उन पर लागू होने वाले परिवार-पेन्शनो के लाभ रखने के लिये "विकल्प-दिया-हुआ" समझा जावेगा।

अराजपत्रित कर्मचारियो के मामलो मे उसके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियो के मामलों मे विकल्प महालेखाकार, राजस्थान को भेजना होगा। विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने होगे और वह संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा।

ये आदेश केवल उन्ही कर्मचारियो पर लागू होगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को सेवा में थे।

विभागो के अध्यक्षों/अधिकारियो से निवेदन किया जाता है कि वे इस नोटिस के विषय में सभी अधिकारियो एवं उनके प्रशासनिक-नियन्त्रण के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी वर्ग जिसमे उन कर्मचारियो को भी सम्मिलित किया जाये जो अवकाश या निलम्बन या विदेशी-सेवा में नियुक्त हैं, को इससे अवगत कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

विकल्प का प्रपत्र

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1 (12) एफ डी. (व्यय-नियम) 64-III दिनांक 26-9-64 के अनुसरण में]

(1) मैं वर्तमान अवकाश एव पेंशन लाभो के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमों मे अन्तर्विष्ट अवकाश एव पेन्शन (नए परिवार पेंशन नियम, 1964 के साथ) के लिये विकल्प देता हू जो अब राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों के संरक्षण) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण में दिये गये विकल्प के अनुसार 1-11-56 से पूर्व शीघ्र ही प्रयोज्य नियमो के अधीन मुझे स्वीकार्य है।

(2) मै वर्तमान अवकाश एवं पेन्शन के रखने का विकल्प देता हूं जो अब राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तो का सरक्षण) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण मे दिये गये विकल्प के अनुसार प्रयोज्य नियमों के अधीन मुझे स्वीकार्य है।

साक्षी.................. तारीख.................
पूरा नाम.............. पूरा नाम.................
(मोटे अक्षरो मे) पद.....................
कार्यालय............... कार्यालय...............

जो साक्षर नही है उनके अगूठे की निशानी ही उनके नाम के हस्ताक्षरो के लिये पर्याप्त है।

टिप्पणी—उपरोक्त विकल्प (1) व (2) मे जो अप्रयोज्य हो, उसे काट दिया जाए।

प्रमाण-पत्र

(निरक्षर चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारियों के मामले में प्रयुक्त है एवं इस पर संबंधित विभाग/कार्यालय की प्रशासन शाखा के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये)

ये नियम श्री..........................को मेरी उपस्थिति में समझा दिए गए हैं।

हस्ताक्षर ....
नाम..........................
(मोटे अक्षरों में)
पद..........................

प्राप्ति-पत्र

श्री.................(पद).................कार्यालय...................से दिनांक..............को निम्न का

(1) अवकाश एव पेन्शन (नये परिवार-पेंशन नियमों के साथ) नियमों के लिये जैसा राजस्थान सेवा नियमो मे अन्तर्विष्ट है।

(2) वर्तमान अवकाश एव पेन्शन लाभों को बनाये रखने के लिये जैसा कि राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों का सरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अधीन उसे दिये गये विकल्प के अनुसार 1-11-56 से पूर्व शीघ्र ही प्रयोज्य नियमो के अधीन उसे स्वीकार्य है।

राजकोष निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश दिनाक 25-9-64 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे कर्मचारियो के लिये नये परिवार-पेन्शन लाभ चालू किये गये है तथा यह कहा जाता है कि पेन्शन नियमो मे और भी अधिक उदारता बरती जाने के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुये राज्यपाल ने निर्णय किया है कि जिन कर्मचारियो ने अशदायी भविष्य निधि को चुना है, उन्हें सरकारी राजपत्र मे, इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर, वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (12) एफ. डी. (व्यय-नियम) दिनाक 25-9-64 द्वारा स्वीकृत पेशन लाभो को चुनने के लिये लिखित में अपना विकल्प देने के लिये पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा। फिर भी उपरोक्त नये परिवार पेंशन लाभों को चुने बिना राजस्थान सेवा नियमों मे दिये गये पेंशन नियमो के लिये विकल्प नही भर सकेंगे।

विकल्प निर्धारित समयावधि के भीतर लिखित में भर कर दिया जाना चाहिए तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के सबंध में कार्यालय-अध्यक्ष के द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये तथा राजपत्रित कर्मचारियों के सबंध मे महालेखाकार के पास सीधा भिजवाया जाना चाहिये।

जो पेंशन नियमो के लिये विकल्प करते हैं उन व्यक्तियों की सेवा समय-समय पर सशोधित राजस्थान सेवा नियमो के भाग-8 में दिये गये पेंशन-नियमो के अनुसार पेशन के योग्य गिनी जावेगी।

अशदान की राशि मय उसकी ब्याज की राशि के जो कर्मचारी की अशदायी-भविष्य-निधि मे उसके पक्ष मे जमा होगी, वह राजस्थान सेवा नियमों मे दिये गये पेंशन-नियमो द्वारा शासित होने का विकल्प देने पर सामान्य भविष्य निधि में उसके पक्ष मे जमा कराने के लिये हस्तान्तरित करदी जावेगी। सरकार द्वारा दिये गये अंशदान की राशि मय ब्याज के सरकार की सामान्य राजस्व मे जमा करादी जावेगी।

यह आदेश उन कर्मचारियो पर लागू होगा जो आदेश के जारी होने की तारीख को सेवा मे हो।

सभी विभागाध्यक्षो एवं अधिकारियो से निवेदन किया जाता है कि वे इस आदेश के विषय मे सभी अधिकारियो एवं उनके प्रशासनिक-नियंत्रण में नियुक्त कर्मचारी वर्ग जिसमे वे भी सम्मिलित हैं जो अवकाश या

विदेशी सेवा मे हों, को इससे अवगत कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करे।

राजकीय निर्णय संख्या 3·—उक्त निर्णय संख्या (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उपरोक्त आदेश के अनुसार एक अधिकारी जो अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने का पात्र है यदि वह निर्धारित तिथि से पूर्व ही अपना विकल्प दिये बिना मर जाता है, तो उसे वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि लाभों को बनाये रखने के अर्थ मे माना जायेगा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे मामलो मे कर्मचारी के परिवार को आवश्यक विकल्प देने का अधिकार दिया जा सकता है!

मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसी आकस्मिकताओं में, प्रशासनिक प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर अंशदायी-भविष्य-निधि लाभो के स्थान पर नये परिवार-पेंशन नियमो का लाभ ऐसे मामलो मे दे सकता है जहा पर अंशदान करने वाले के मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियो द्वारा इसके लिये विशिष्ट रूप से निवेदन किया जाये या उनकी अनुपस्थिति मे परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा, जो अंशदायी भविष्य निधि नियमो में परिभाषित है, निवेदन किया जाये। यदि ये सब व्यक्ति ऐसे निवेदन के लिये एकमत नही होते है तो इस संबध मे नियमो के प्रावधानों के अनुसार उन्हे अंशदायी भविष्य निधि का भुगतान किया जायेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 4:—वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 26-9-64 (उपर्युक्त निर्णय संख्या (1) के रूप में प्रयुक्त) तथा ज्ञापन दिनाक 21-1-65 (इसके नीचे विकल्प के प्रपत्र के रूप मे प्रयुक्त) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार एक अधिकारी जो राजस्थान सेवा (सेवा सरक्षण की शर्तें) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण मे दिये गये विकल्प के अनुसार दिनांक 1-11-56 से ठीक पूर्व उस पर प्रभावी नियमो के अधीन स्वीकार्य पेंशन सबधी लाभो का अधिकारी था एव जो निर्धारित सीमा मे विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व मर जाता है तो उसे वर्तमान पेंशन सबधी लाभो को धारण किया हुआ समझा जायेगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई कर्मचारी जो निर्धारित तिथि से पूर्व वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 1 (12) वित. वि. (व्यय-नियम) 64 दिनाक 25-9-64 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमों मे सम्मिलित किये गये अवकाश एवं पेंशन नियमों को चुनने हेतु विकल्प दिये बिना ही मर जाता है तो उसके परिवार को अपेक्षित विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता है!

मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसी दशा मे, प्रशासनिक प्राधिकारी, अपने स्वविवेक पर दिनांक 1-11-56 से ठीक पूर्व उस पर प्रभावी नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन सबधी लाभो के बदले नवीन परिवार पेंशन नियमों के साथ राजस्थान सेवा नियमो के अधीन पेन्शन नियमो का लाभ वहा दे सकते है जहा इस प्रकार का निवेदन, नियम 268-डी-में यथापरिभाषित मृत-कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा विशिष्ट रूप से किया गया है।

राजकीय निर्णय संख्या 5:—वित्त विभाग की अधिसूचना स एफ 1 (12) वित्त. वि. (व्यय-नियम) /64-1 दिनांक 25-9-64 द्वारा राजस्थान, सेवा नियमो में अध्याय 23-ए के अधीन नये परिवार पेंशन नियम लागू होने के परिणाम स्वरूप कर्मचारी को पूर्वोक्त आदेश के अधीन या किसी अन्य सरकारी आदेशो के अधीन, उनमे दी गयी समयावधि के भीतर पेंशन नियमो के लिये विकल्प भर कर देने का एक अवसर दिया गया था। सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ मामलो मे कर्मचारियो द्वारा भरे गये विकल्प संबंधित कार्यालय-अध्यक्ष/महालेखाकार को निर्धारित समयावधि मे नही पहुंचाये जा सके, अतः उन्हे अवैध समझा गया।

मामले पर विचार कर यह निर्णय किया गया है कि जब किसी अधिकारी ने विकल्प भर दिया हो तथा यह प्रस्तुत करने के समय उस अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो जिसके द्वारा वह विकल्प प्राप्त किया जाता था, तो उस विकल्प को वैध समझा जायेगा।

ये आदेश दिनाक 25-9-64 से प्रभावशील होगे।

राजकीय निर्णय संख्या 6:—राज्यपाल महोदय ने यह निश्चय किया है कि नवीन वेतन-मानों के प्रभावशील होने और महगाई भत्ते के एक-अंश को "महगाई-वेतन" माने जाने के कारण उन कर्मचारियों को, जिन्होने 1-11-56 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण मे विकल्प दिया था, समय-समय पर यथा-संशोधित नवीन पारिवारिक-पेंशन नियमो के लाभों को सम्मिलित करते हुये, सेवा-नियमों में निहित अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाय। यह विकल्प इन आदेशों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की अवधि में लिखित मे देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। विकल्प दिये जाने, भेजे जाने और अभिलिखित किये जाने की क्रियाविधि वही होगी जो नियम 268-एच के नीचे राजकीय निर्णय संख्या (1) के रूप मे दिया गया है।

ये आदेश उन कर्मचारियो पर लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को सेवा में हैं। ये आदेश 9-5-1969 को प्रकाशित किये गये थे।

राजकीय निर्णय संख्या 7:—राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय किया है कि नवीन वेतनमानों के प्रभावशील होने और महगाई भत्ते के एक अंश को महगाई-वेतन माने जाने के कारण उन कर्मचारियों को, जो अंशदायी भविष्य निधि का लाभ उठा रहे है, समय-समय पर यथा संशोधित नवीन पारिवारिक-पेंशन नियमों के लाभो को सम्मिलित करते हुये, सेवा-नियमो मे निहित अवकाश एवं पेंशन नियमो के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाये। यह विकल्प इन आदेशो के राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। विकल्प दिये जाने, भेजे जाने और अभिलिखित किये जाने की क्रियाविधि वही होगी जो नियम 268-एच-के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (2) के रूप में दिया गया है। ये आदेश उन कर्मचारियो पर लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख 9-5-69 को राज्य सेवा में हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 8:— वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (65) वित्त. विभाग(नियम) 68-11 दिनांक 9-5-69 (उक्त रा निर्णय-7) की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि जैसा उसमे अंकित किया गया है, विकल्प देने, भेजने व अभिलिखित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (12) वित्त. विभाग (व्यय-नियम) 64-II दिनांक 26-9-64 मे निर्धारित की गई है। फिर भी, विकल्प का प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अंशदायी-भविष्य-निधि मे योगदान करने वाले सदस्यो द्वारा पेंशन-नियमों के विकल्प देना चाहते है, विकल्प सही रूप से भरा जाये इसके लिये विकल्प का निम्न-लिखित प्रपत्र निर्धारित किया गया है।

सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से इस बात को सुनिश्चित करने के लिये यह निवेदन किया जाता है कि सभी मामलों मे अभिदाता द्वारा भरा गया मूल विकल्प उसको स्वीकार किये जाने हेतु तथा अंशदायी-भविष्य-निधि लेखे को सामान्य भविष्य निधि मे हस्तांतरित करने के लिये महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये। अराजपत्रित अभिदाताओं के मामले मे, एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जा सकता है तथा सेवा-पुस्तिका में चिपकाया जा सकता है। विकल्प की स्वीकृति के सम्बन्ध मे महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज की जा सकेगी।

(संबंधित कर्मचारियो द्वारा निर्धारित समयावधि मे, संशोधित प्रपत्र मे विकल्प भरकर देना चाहिये। (वित्त विभाग का ज्ञापन दिनांक 9-5-69 राजस्थान राजपत्र संख्या 27 दिनांक 20-10-69 मे प्रकाशित किया जा चुका है)

जिन्होंने पहिले से ही विकल्प भरकर दे दिया है, वे उसे निम्न-निर्धारित प्रपत्र में भरकर दे सकते है। कार्यालय अध्यक्ष/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त विकल्प सबधित कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त कर लिये गये है।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा सं एफ 1 (65) वि. वि. (नियम)/68–II दिनाक 9–5–69 के अनुसरण मे मैं ...... नाम पुत्र श्री ...... पद ...... जो जोधपुर अशदायी भविष्य-निधि लेखा सख्या ...... अभिदाता हू, एतद्द्वारा वर्तमान में यथा स्वीकार्य जोधपुर अशदायी भविष्य निधि के लाभो के बदले राजस्थान सेवा नियमों, जिसमे नवीन परिवार-पंशन नियम, 1964 भी सम्मिलित है, समय समय पर यथा सशोधितानुसार मे दिये गये पेंशन नियमो के लिये विकल्प देता हू।

दिनाक ...... माह ...... वर्ष ......

साक्षी

हस्ताक्षर ...... हस्ताक्षर ......

दिनाक ...... दिनाक ......

पूरा नाम (मोटे अक्षरों मे) ......

पूरा नाम (मोटे अक्षरों मे) ......

पद नाम ...... पद नाम ......

कार्यालय ...... कार्यालय ......

सत्यापित

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

राजकीय निर्णय संख्या 9:—पेंशन नियमों को और उदार बनाये जाने के कारण यह निश्चिय किया गया है कि उन कर्मचारियो ने जिन्होने 1-11-1956 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले अवकाश एव पेंशन नियमों के लिये राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण में विकल्प दिया था, समय-समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन-नियमो के लाभों को सम्मिलित करते हुये राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश एव पेंशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाय। यह विकल्प इन आदेशों के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। जो व्यक्ति निर्धारित समयावधि में विकल्प भर कर नही देंगे, 1-11-1956 से पूर्व उन पर लागू होने वाले परिवार-पेन्शनों के लाभ रखने के लिए "विकल्प दिया हुवा" समझा जावेगा।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (65) वि. वि. (नियम)/68 दिनाक 29 जून, 1971 के अनुसरण मे मैं ...... पुत्र श्री ...... वर्तमान अवकाश एव पेंशन लाभ जो 1–11–1956 के तुरन्त पूर्व प्रयोज्य नियमों के अधीन मुझ पर लागू थे के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमो में अन्तर्विष्ट अवकाश एव पेंशन (नये पारिवारिक-पेंशन नियम 1964 सहित) के लिये विकल्प देता हूं जो अब राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों के संरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसरण में दिये गये विकल्प के अनुसार मुझे स्वीकार्य है।

साक्षी.......................... हस्ताक्षर..........................
हस्ताक्षर.......................... दिनांक..........................
दिनाक.......................... पूरा नाम मोटे अक्षरों में.........
पूरा नाम मोटे अक्षरो मे.......... पद..........................
पद.......................... कार्यालय..........................
कार्यालय..........................

अराजपत्रित-कर्मचारियों के मामलो मे उनके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियों के मामलो मे विकल्प महालेखाकार राजस्थान को भेजना होगा। विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त होता हैं तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रति-हस्ताक्षर करने होंगे और संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा।

ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1-9-1968 को राज्य सेवा में थे।

जो कर्मचारी 1-9-1968 को या बाद मे किन्तु इन आदेशों के जारी होने के पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये है, उनके पेंशन के मामलों को पुन: देखा जावे और उनके पेंशन के दावे राजस्थान सेवा नियमो के अधीन निपटाये जाये यदि उन्होने इन आदेशो के अधीन विकल्प भर कर दिये हैं।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (65) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 29-6-71 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 10:—पेंशन नियमो को और अधिक उदार बनाये जाने के कारण यह निश्चय किया गया है कि उन कर्मचारियों को, जो अंशदायी भविष्य-निधि का लाभ उठा रहे है, समय समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के लाभो को सम्मिलित करते हुए, राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जावे। यह विकल्प इन आदेशों के शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर निम्नांकित प्रपत्र मे लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (65) वि. वि. (नियम)/68-II, दिनांक 29 जून, 1971 के अनुसरण में मै.......................पुत्र श्री.......................पद.......................जो कि जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि लेखा....................में अभिदाता हूं, एतद्द्वारा वर्तमान मे यथा स्वीकार्य सेवा नियमों जिसमें नवीन परिवार पेंशन नियम 1964 भी शामिल हैं, समय समय पर यथा संशोधितानुसार में दिये गये पेंशन-नियमों के लिये विकल्प देता हूं।

साक्षी

हस्ताक्षर.......................... हस्ताक्षर..........................
दिनांक.......................... दिनांक..........................
पूरा नाम (मोटे अक्षरो में) पूरा नाम (मोटे अक्षरो मे)
पद.......................... पद..........................
कार्यालय.......................... कार्यालय..........................

अराजपत्रित कर्मचारी के मामलों मे उनके द्वारा दियां गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियो के मामलों मे विकल्प महालेखाकार, राजस्थान को भेजना होगा। विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारियो से प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रति-हस्ताक्षर करने होंगे और संबधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा।

जो पेंशन नियमो के लिये विकल्प देते है उन व्यक्तिओ की सेवाए, समय समय पर सशोधित राजस्थान सेवा नियमों के भाग मे दिये गये पेन्शन नियमो के अनुसार पेन्शन के योग्य गिनी जावेगी।

कर्मचारी द्वारा जमा कराये अशदान की राशि मय उसके व्याज की राशि के जो कर्मचारी की अंशदायी भविष्य निधि मे उसके पक्ष मे जमा होगी, वह राजस्थान सेवा नियमों मे दिये गये पेन्शन नियमो द्वारा शासित होने का विकल्प देने पर, सामान्य भविष्य निधि में उसके पक्ष मे जमा कराने के लिये हस्तान्तरित करदी जावेगी। राज्य सरकार द्वारा जमा अशदान की राशि मय व्याज के राज्य सरकार के सामान्य राजस्व मे जमा करादी जावेगी।

ये आदेश उन कर्मचारियो पर लागू होंगे जो 1–9–1968 को राज्य सेवा मे थे।

जो व्यक्ति 1–9–1968 को या बाद मे किन्तु इन आदेशो के जारी होने के पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये है उनके मामले पुनः देखे जावें और उन्हे इन नियमों के अधीन निपटाये जावे। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के अशदायी भविष्य निधि खाते मे जमा की गई अंशदान की राशि मय व्याज के, जो सरकार द्वारा कर्मचारी को भुगतान कर दी गई है को इन नियमों के अधीन स्वीकार्य पेन्शन/ग्रेच्युटी के एवज मे समायोजित करली जावेगी यदि उसने इन आदेशों के अधीन पेन्शन के लिये विकल्प दे दिया है।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (65) वि. वि./(नियम)/68-II दिनांक 29–6–1971 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 11:—वित्त विभाग की आज्ञा दिनाक 29–9–1971 (उक्त निर्णय सख्या-10) के अनुच्छेद-2 मे दिये गये उपबन्धों के अनुसार जब विकल्प अराजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किये जावेंगे और सबधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अशदायी भविष्य निधि मे योगदान करने वाले सदस्यों द्वारा विकल्प सही रूप से भरा गया है, समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षो से इस बात को सुनिश्चित करने के लिये जोर डाला जाता है कि सभी मामलों मे अभिदाता द्वारा भरा गया मूल विकल्प उसको स्वीकार किये जाने हेतु तथा अंशदायी भविष्य-निधि लेखे को सामान्य भविष्य निधि मे हस्तान्तरित करने के लिए महालेखाकार, राजस्थान को भेज दिया गया है। अराजपत्रित अभिदाताओं के मामलो मे, एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जावे और उसे सेवा पुस्तिका मे चिपका दिया जावे। विकल्प की स्वीकृति के संबंध मे सेवा पुस्तिका मे प्रविष्टिया इस सबंध मे महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज करदी जावे। उपरोक्त आज्ञा में उल्लिखित फार्म मे विकल्प दिया जावे।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (65) वि.वि, (नियम) 68 दिनांक 6-4-1972 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णय संख्या 12:—राजस्थान सेवा नियमो मे पेन्शन-सबधी नियमों को और अधिक उदार बना देने के कारण, उन राज्य-कर्मचारियो को, जिन्होने 1-11-1956 से पूर्व के (प्रोटेकशन-आफ-सर्विस कन्डीशनस नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार) नियमों को ग्रहण किया हुआ है, इन नियमों के अवकाश एव पेंशन नियमो (पारिवारिक-पेंशन सहित) को ग्रहण करने के लिये पुनः विकल्प देने का अवसर दिया जाता है। विकल्प इन आदेशों के राज-पत्र मे प्रकाशित होने के छः माह बाद तक निर्धारित-प्रपत्र मे दिया जा सकता है। यह आदेश उन कर्मचारियो पर लागू होगा जो 30-10-74 को राज्य-सेवा मे थे।

[वि. वि. के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (53) वि. वि. (ग्रुप-2)/74-I दिनांक 22-1-1975]

राजकीय निर्णय संख्या 13:—पेंशन नियमों के और अधिक उदार हो जाने के कारण राज्यपाल महोदय ने उन समस्त राज्य-कर्मचारियों को, जो अभी तक अंशदायी-भविष्य-निधि योजना के सदस्य हैं, इन नियमो के अन्तर्गत पेन्शन संबधी लाभ (नवीन पारिवारिक-पेंशन लाभ सहित) प्राप्त करने के लिये उन्हें विकल्प देने का एक और अवसर दिया है। यह विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार उन कर्मचारियों को दिया गया है जो 31-10-1974 को राज्य-सेवा मे थे। विकल्प इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशित होने के छः माह बाद तक दिया जा सकता है।

विकल्प-का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है।

[वि. वि. ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (53) वि वि (ग्रुप-2)/74-II दिनांक 22-1-1975]

राजकीय निर्णय संख्या 14—दिनाक 1-9 1976 से संशोधित नवीन वेतन मान, नियमों के प्रभावशील होने के कारण राज्यपाल महोदय ने उन समस्त राज्य कर्मचारियों जो को, अभी तक अंशदायी-भविष्य-निधि योजना ग्रहण किये हुये है, इन सेवा नियमो के अन्तर्गत समस्त प्रकार के पेंशन लाभों (नवीन पारिवारिक-पेंशन नियमों सहित) के लिये विकल्प देने का पुनः अवसर दिया है। विकल्प इन आदेशों के जारी होने से तीन माह तक निर्धारित प्रपत्र मे दिये जा सकते हैं।

[ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (55) वि. वि. (ग्रुप-2) /76/I दिनांक 12-1-1977]

राजकीय निर्णय संख्या 15:- दिनाक 1-9-1976 से संशोधित नवीन वेतन मान प्रभावशील होने के कारण-पैंशन नियमों में भी और उदारता हो गई है। अतः राज्यपाल महोदय द्वारा उन समस्त राज्य कर्मचारियों को, जिन्होने प्रोटेक्शन-आफ-सर्विस-कन्डीशन नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार 1-11-1956 से पूर्व के नियमो को ग्रहण करे रहने का विकल्प दिया था, उन्हे राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध अवकाश एवं पेन्शन नियमों को ग्रहण करने के लिये पुनः विकल्प देने का अवसर दिया गया है। अब विकल्प इन आदेशो के राज-पत्र मे प्रकाशित होने के तीन माह तक निर्धारित प्रपत्र मे दिया जा सकता है। विकल्प कहां भेजना है, क्या करना है यह भी निर्धारित किया गया है।

[ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (55) वि वि (ग्रुप-2)/76-II दिनांक 12-1-1977]

राजकीय निर्देशन:—राजकीय निर्णय संख्या 14 तथा 15 के अनुसार कर्मचारियों को उदार पैंशन नियमो का लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से विकल्प देने की सुविधा दी गई है। महालेखाकार ने सरकार को सूचित किया है कि विभागाध्यक्षो/कार्यालय-अध्यक्षों द्वारा विकल्प देने की सूचना उन्हे (महालेखाकार को) नही भेजी जा रही है जिसके कारण पैन्शन के प्रकरणों को तय करने मे विलम्ब हो रहा है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षो को जोर देकर कहा जाता है कि वे उन्हे प्राप्त विकल्पों की उन द्वारा प्रमाणित-प्रति तुरन्त ही महालेखाकार को भिजादेवे।

[एफ 1 (55) वि. वि. (ग्रुप-2)/76-I दिनांक 19-9-1977]

राजकीय निर्णय संख्या 16:—राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को विलोपित कर दिये जाने के कारण पेंशन नियमों मे और अधिक उदारता हो गई है जिसके कारण राज्य कर्मचारियों को अब अधिक मात्रा मे मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि मिल सकती है। इन नियमो को दृष्टिगत रखकर राज्यपाल महोदय ने निश्चय किया है कि उन राज्य कर्मचारियों को जिन्होने राजस्थान सेवायें (प्रोटेक्शन आफ सर्विस कन्डीशन) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसार दिनाक 1-11-1956 से तुरन्त पूर्व उन पर लागू अवकाश एवं पेन्शन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत ही रहने का विकल्प दिया था, को अब एक और अवसर इस बात का दिया जावे कि वो राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश एव पेंशन नियमो, स संशोधित नवीन पारिवारिक

पेंशन नियम सहित, मे शामिल होने के लिये अपना नये सिरे से विकल्प दे सकें। इस आदेश के अन्तर्गत नया विकल्प, इन आदेशो के राजस्थान राज-पत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से 3 माह की अवधि में इन आदेशों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र मे लिखित मे देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा। राज्य कर्मचारी जो इस निर्धारित अवधि मे अपना नया विकल्प प्रस्तुत नही करेगा उसके सम्बन्ध मे यह माना जावेगा कि उसने प्रकार पूर्व का विकल्प ही प्रभावी रखा है और वह दिनांक 1-11-1956 के पूर्व के अवकाश एवं पेन्शन नियमों से ही शासित होना चाहता है।

(2) इस बात का ध्यान रखा जावे कि एक राज्य कर्मचारी को आदेशों द्वारा निर्धारित अवधि में अपना विकल्प देना ही पर्याप्त नही है, अपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके द्वारा दिया गया विकल्प निर्धारित अवधि मे निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय मे अवश्य पहुच जावे और उसके पहुंचने की सूचना उसे समय पर मिल जावे। राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिक मे चिपका दिया जावेगा तथा उसकी एक प्रति उसकी व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी।

(3) (अ) कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेगाः —

(1) यदि वह अ-राजपत्रित कर्मचारी हो अथवा एक ऐसा राजपत्रित कर्मचारी हो जिसके वेतन एव भत्ते आदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को भेजा जावेगा।

(2) यदि वह स्वय कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष हो तो वह अपना विकल्प क्रमशः विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा।

(ब) जब एक राज्य कर्मचारी से उस द्वारा दिया गया विकल्प निर्धारित प्राधिकारी को प्राप्त हो जावे तो वह उस पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा।

(4) यह आदेश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नही होगे जो 1-11-1977 को राज्य सेवा मे थे। जो कर्मचारी 31-10-1977 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो चुके है किन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से पूर्व सेवा निवृत्त हुये हो, उनके पेन्शन के मामलों को पुनः खोला जा सकेगा यदि वे इस आदेश के अन्तर्गत अपना विकल्प देते है, तथा उनके पेन्शन के मामलो को इन आदेशो के अनुसार निपटा दिया जावेगा।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77-II, दि. 27-3-1978]

विकल्प का प्रपत्र

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77/I दिनाक 28 मार्च, 1978 के अनुसरण में..

पुत्र श्री.. पद..

जो वर्तमान मे अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होता है अब एतद्द्वारा अंशदायी भविष्य निधि लाभ, जो वर्तमान में देय है कि बजाय राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेन्शन नियमों, समय-समय पर संशोधित पारिवारिक पेंशन नियम सहित, मे शासित होने के लिये अपना विकल्प देता हू।

साक्षी के हस्ताक्षर	राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर....................
दिनाक....................	दिनाक....................
बड़े शब्दो मे पूरा नाम....................	बडे शब्दो मे पूरा नाम....................
पद....................	पद....................
कार्यालय....................	कार्यालय....................

निर्धारित अवधि में बिना किसी प्रकार का विकल्प भरे ही मर जाते हैं, तो उनके द्वारा नये परिवार पेंशन नियमों के लिये विकल्प भरा हुआ समझा जावेगा।

ज्ञापन:—राजस्थान सेवा नियम 268-एच-के नीचे प्रयुक्त "स्पष्टीकरण" के अनुच्छेद (ii) में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रेच्युटी की राशि से दो माह के वेतन/वेतनादि-की-राशि की कटौती उन कर्मचारियों के मामलों में भी नहीं की जावेगी जो सेवा में रहते हुए अपने पीछे परिवार-पेंशन हेतु कोई प्राप्तकर्त्ता नहीं छोड़ते हुये मरते है।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (66) वि. वि. (नियम)/70 दिनांक 27-10-70 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देश:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (क) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनांक 17-11-1977 के अनुसरण में वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (12) वित्त (व्यय-नियम)/64 दिनांक 17-11-64 (इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या-3-के अनुच्छेद (2) एवं ज्ञापन संख्या प 1 (66) वित्त (नियम) 70 दिनांक 27-10-70 के अनुच्छेद-1 के उप-अनुच्छेद (iii) मे उल्लिखित प्रावधानों को, जो राजस्थान सेवा नियम 268 (एच) के नीचे स्पष्टीकरण के रूप मे आये हैं, अब अनावश्यक हो जाने के कारण, इस ज्ञापन द्वारा दिनांक 30-11-1977 से लोपित किया जाता है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 17-11-77]

संलग्नक-I

परिवार पेंशन का प्रपत्र

राजस्थान सरकार

विभाग..................

संख्या..................

विषय:—स्वर्गीय श्री/श्रीमती..................के संबंध में परिवार-पेंशन का भुगतान।

मुझे बड़े दुःख के साथ श्री/श्रीमती..................जो..................(पद पर) इस कार्यालय/विभाग में कार्य करते थे, दुःखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है तथा मुझे आपके लिये यह निर्देश देने का आदेश हुआ है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (12) एफ. डी. (व्यय-नियम)/64-I दिनांक 25-9-64 के प्रावधानों के अन्तर्गत आप जीवन पर्यन्त/बालिग अवस्था प्राप्त करने की तारीख तक परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हैं।

इसके अनुसार मैं आपको सुझाव देता हूं कि परिवार-पेंशन की स्वीकृति के लिये औपचारिक क्लेम् आप निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ सलग्न प्रपत्र मे भर कर पेश करें।

(1) मृत्यु प्रमाण-पत्र

(2) पासपोर्ट-साइज की दो फोटोग्राफ की प्रतियां जो एक राजपत्रित-अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

(3) जहां पेंशन नाबालिग बच्चों को दी ज

ने
नियम
सम्बन्धी नियमों
यो राजस्थान सेवा नियमों

स्पष्टीकरण:—वित्त विभाग की अधिसूचना 25–9–64 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि नये परिवार-पेन्शन नियमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किये जाते हैं—

(i) परिवार-पेन्शन की मात्रा पर पेंशन के रूपान्तरण का प्रभाव:—पेन्शन का रूपान्तरण परिवार पेंशन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चूंकि परिवार-पेंशन की दर उस वेतन पर आधारित होती है जिसे कर्मचारी सेवा निवृत होने से शीघ्र पूर्व ही प्राप्त कर रहा था न कि स्वीकृत पेंशन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(ii) विधवा-विधुर, जो उत्तराधिकारी-हीन हो, उनकी ग्रेच्युटी से दो माह के वेतन/"वेतनादि"-की-राशि की वसूली:—यदि कर्मचारी बिना पत्नी/पति या गोद लिये बच्चों सहित, बच्चों के बिना ही सेवा से निवृत्त हो जाता है तो अविवाहित कर्मचारियों के समान ही उससे दो माह के वेतन/"वेतनादि"-की-राशि की वसूली नहीं की जावेगी।

(iii) जहां पति एवं पत्नी दोनो ही कर्मचारी हों तो उनकी मृत्यु पर उनके नाबालिग बच्चों के लिये परिवार पेंशन का भुगतान:—परिवार-पेंशन नियम एक कर्मचारी/पेंशनर को अपने वेतन या पेंशन के साथ में परिवार-पेंशन प्राप्त करने से नहीं रोक सकते है। पिता व माता की मृत्यु की घटना मे जो दोनों ही कर्मचारी थे, तो उनके नाबालिग बच्चे दो पेंशनें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो अधिकतम कुल योग 300/- रु. (1–9–1976 से) मासिक तक प्राप्त कर सकेंगे बशर्तें दोनों कर्मचारी नए परिवार-पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हों।

(iv) उन कर्मचारियों पर नये परिवार-पेंशन नियमों का लागू होना जो 29–2–64 को राजकीय सेवा में थे किन्तु 1–3–64 से सेवा निवृत्त हो गये:—जो कर्मचारी 29–2–64 को राजकीय सेवा मे थे किन्तु 1–3–64 से सेवा-निवृत्ति हो गये, वे राजस्थान सेवा नियम 268–एच मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार विकल्प दे सकते हैं।

(v) परिवार-पेंशन की पात्रता (योग्यता) निश्चित करने में सेवा के व्यवधान का समय:—राजस्थान सेवा नियम 268-जी के खण्ड (क) मे प्रयुक्त एक वर्ष की सेवा की शर्त में सेवा के व्यवधान का समय सम्मिलित नही है। इस प्रयोजन के लिये सेवा का निरन्तर होना आवश्यक है।

(vi) उन कर्मचारियों द्वारा नए परिवार-पेंशन नियमों के लिये विकल्प भरना जो 1–3–64 को या उसके बाद किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25–9–64 के जारी होने के पूर्व सेवा निवृत्त होते हैं:—जो कर्मचारी 1–3–64 को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25–9–64 के जारी होने के पूर्व सेवा से निवृत्त होते हैं वे राजस्थान सेवा नियम 268-एच-मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार विकल्प भरने योग्य हैं। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा इन नियमों को सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के भी ध्यान में ला देना चाहिये ताकि यदि वे चाहें तो इन नियमों के लिये अपना विकल्प दे सकें।

(vii) नये पारिवारिक-पेंशन नियमों का उन कर्मचारियों पर लागू होना जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268–एच-के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में बिना विकल्प भरे ही दिनांक 1–3–64 को या उसके बाद से सेवा में रहते या सेवा-निवृत्ति के बाद मर जाते हैं:—वे कर्मचारी जो सेवा में या सेवा-निवृत्ति के बाद दिनांक 1–3–64 को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25–9–64 के जारी होने के पूर्व मर जाते हैं या राजस्थान सेवा नियम 268-एच में वर्णन किये अनुसार, राजस्थान राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, 6 माह की

प्रति-हस्ताक्षर किये गये

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव,

....

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

उपरोक्तानुसार विकल्प का घोषणा-पत्र प्राप्त हो गया।

स्थान ....

कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

....

दिनाक...............................

राजकीय निर्णय संख्या 17:—राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को 31-10-1977 से विलोपित किये जाने के कारण अब पेंशन सम्बन्धी नियमो में और भी उदारता हो गई है जिसके कारण एक राज्य-कर्मचारी को अब पूर्व से अधिक मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि मिलती है। इस तथ्य को ध्यान मे रखकर राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि वे राज्य कर्मचारी जो अब भी अशदायी-भविष्य-निधि योजना के लाभ को ग्रहण किये हुये है, उन्हे एक और अवसर इस बात के लिये दिया जावे कि वे राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन सहित, के लिये नये सिरे से अपना विकल्प दे देवें।

इसके लिये कर्मचारी को लिखित में एक विकल्प, निर्धारित प्रपत्र में, इस आदेश के राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह की अवधि मे देना आवश्यक है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा। जो कर्मचारी इस निर्धारित अवधि मे विकल्प का प्रयोग नही करेंगे उनके सम्बन्ध मे यह माना जावेगा कि उन्होंने अशदायी भविष्य विधि लाभो को ही ग्रहण करते रहने का विकल्प दिया है। इस बात को ध्यान में रखा जावे कि एक राज्य कर्मचारी द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में केवल विकल्प देना ही पर्याप्त नही है बल्कि उसे ध्यान मे रखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका वह विकल्प निर्धारित-प्राधिकारी को निर्धारित समय मे पहुंच जावे तथा सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी पहुंच की सूचना मिल जावे। राज्य कर्मचारी द्वारा दिया गया ऐसा विकल्प उसकी सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा तथा उसकी एक सत्यापित प्रति-कर्मचारी की व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी।

(3) दिये जाने वाला विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेगा:—

राज्य कर्मचारी जो 31-10-1977 अथवा उसके बाद सेवा से निवृत्त हो गये हैं और जिन्होंने अंशदायी-भविष्य-निधि नियमों के अन्तर्गत देय सेवा-निवृत्ति लाभों को प्राप्त कर लिया है, वे भी पेन्शन के लिये विकल्प देने के अधिकारी माने जावेंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा पेन्शन नियमो के अनुसार शासित होने का विकल्प देने पर उन्हें पूर्व में चुकाये गये सेवा-निवृत्ति-लाभों की धनराशि का, पेंशन नियमो के अनुसार देय मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति उपदान अथवा देय पेंशन की, पेंशन की राशि मे से समायोजन कर लिया जावेगा तथा उनसे, उन द्वारा प्राप्त कर लिये गये सेवा-निवृत्ति लाभों को वापिस लौटाने अथवा उस राशि पर ब्याज देने के लिये नहीं कहा जावेगा जो उन्हे धनराशि दिये जाने की तारीख तथा विकल्प के कारण वापिस चुकाये जाने के बीच उनके पास रहने के कारण देय बनता है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (ख) (8) वित्त (प्र.प-2)/77-I दिनांक 28-3-1978]

राजकीय निर्णय संख्या 18:—अब तक विकल्प देने के 12 बार आदेश निकाले गये हैं तब भी कर्मचारी नवीन पेंशन लाभों के लिये विकल्प नही दे रहे हैं। अतः जो कर्मचारी अब भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत हैं उन्हें पुनः एक बार और विकल्प देने का अवसर दिया गया है। विस्तृत विवरण सेवा नियम 168 के नीचे अन्तिम निर्णय में दिया गया है।

[वि. वि. एफ. 1 (ख) (8) वि. वि. (प्र.प-2)/77 दि. 1-3-79]

स्पष्टीकरण:—वित्त विभाग की अधिसूचना 25-9-64 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि नये परिवार-पेन्शन नियमों के सम्बन्ध मे निम्नलिखित स्पष्टीकरण किये जाते है—

(i) **परिवार-पेन्शन की मात्रा पर पेंशन के रूपान्तरण का प्रभाव:**—पेन्शन का रूपान्तरण परिवार पेंशन की मात्रा पर कोई प्रभाव नही डालता है। चूंकि परिवार-पेंशन की दर उस वेतन पर आधारित होती है जिसे कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से शीघ्र पूर्व ही प्राप्त कर रहा था न कि स्वीकृत पेंशन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(ii) **विधवा-विधुर, जो उत्तराधिकारी-हीन हों, उनकी ग्रेच्युटी से दो माह के वेतन/"वेतनादि"-की-राशि की वसूली.**—यदि कर्मचारी बिना पत्नी/पति या गोद लिये बच्चों सहित, बच्चों के बिना ही सेवा से निवृत्त हो जाता है तो अविवाहित कर्मचारियों के समान ही उससे दो माह के वेतन/"वेतनादि"-की-राशि की वसूली नही की जावेगी।

(iii) **जहां पति एवं पत्नी दोनों ही कर्मचारी हों तो उनकी मृत्यु पर उनके नाबालिग बच्चों के लिये परिवार पेंशन का भुगतान:**—परिवार-पेंशन नियम एक कर्मचारी/पेंशनर को अपने वेतन या पेंशन के साथ मे परिवार-पेंशन प्राप्त करने से नही रोक सकते है। पिता व माता की मृत्यु की घटना में जो दोनो ही कर्मचारी थे, तो उनके नाबालिग बच्चे दो पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो अधिकतम कुल योग 300/- रु (1-9-1976 से) मासिक तक प्राप्त कर सकेंगे बशर्तें दोनों कर्मचारी नए परिवार-पेंशन नियमो द्वारा शासित होते हों।

(iv) **उन कर्मचारियों पर नये परिवार-पेंशन नियमों का लागू होना जो 29-2 64 को राजकीय सेवा में थे किन्तु 1-3-64 से सेवा निवृत्त हो गये:**—जो कर्मचारी 29-2-64 को राजकीय सेवा मे थे किन्तु 1-3-64 से सेवा-निवृत्ति हो गये, वे राजस्थान सेवा नियम 268-एच में दिये गये प्रावधानो के अनुसार विकल्प दे सकते हैं।

(v) **परिवार-पेंशन की पात्रता (योग्यता) निश्चित करने में सेवा के व्यवधान का समय:**—राजस्थान सेवा नियम 268-जी के खण्ड (क) मे प्रयुक्त एक वर्ष की सेवा की शर्त मे सेवा के व्यवधान का समय सम्मिलित नही है। इस प्रयोजन के लिये सेवा का निरन्तर होना आवश्यक है।

(vi) **उन कर्मचारियों द्वारा नए परिवार-पेंशन नियमों के लिये विकल्प भरना जो 1-3-64 को या उसके बाद किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व सेवा निवृत्त होते हैं:**—जो कर्मचारी 1-3-64 को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व सेवा से निवृत्त होते है वे राजस्थान सेवा नियम 268-एच-मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार विकल्प भरने योग्य हैं। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा इन नियमो को सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के भी ध्यान मे ला देना चाहिये ताकि यदि वे चाहें तो इन नियमो के लिये अपना विकल्प दे सकें।

(vii) **नये पारिवारिक-पेंशन नियमों का उन कर्मचारियो पर लागू होना जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268-एच-के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में बिना विकल्प भरे ही दिनांक 1-3-64 को या उसके बाद से सेवा में रहते या सेवा-निवृत्ति के बाद मर जाते हैं:**—वे कर्मचारी जो सेवा में या सेवा-निवृत्ति के बाद दिनाक 1-3-64 को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व मर जाते हैं या राजस्थान सेवा निमम 268-एच में वर्णन किये अनुसार, राजस्थान राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख मे, 6 माह की

निर्धारित अवधि में बिना किसी प्रकार का विकल्प भरे ही मर जाते हैं, तो उनके द्वारा नये परिवार पैंशन नियमों के लिये विकल्प भरा हुआ समझा जावेगा।

ज्ञापनः—राजस्थान सेवा नियम 268-एच-के नीचे प्रयुक्त "स्पष्टीकरण" के अनुच्छेद (ii) में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रेच्युटी की राशि मे दो माह के वेतन/वेतनादि-की-राशि की कटौती उन कर्मचारियों के मामलों में भी नही की जावेगी जो सेवा में रहते हुए अपने पीछे परिवार-पैंशन हेतु कोई प्राप्तकर्ता नही छोड़ते हुये मरते है।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (66) वि. वि. (नियम)/70 दिनांक 27-10-70 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देशः—वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (क) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनाक 17-11-1977 के अनुसरण मे वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (12) वित्त (व्यय-नियम)/64 दिनाक 17-11-64 (इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या-3-के अनुच्छेद (2) एव ज्ञापन संख्या प 1 (66) वित्त (नियम) 70 दिनाक 27-10-70 के अनुच्छेद-1 के उप-अनुच्छेद (iii) में उल्लिखित प्रावधानो को, जो राजस्थान सेवा नियम 268 (एच) के नीचे स्पष्टीकरण के रूप में आये हैं, अब अनावश्यक हो जाने के कारण, इस ज्ञापन द्वारा दिनांक 30-11-1977 मे लोपित किया जाता है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 17-11-77]

संलग्नक-I

परिवार पैंशन का प्रपत्र

राजस्थान सरकार

विभाग..................

सख्या ....

विषयः—स्वर्गीय श्री/श्रीमती....................के संबंध मे

परिवार-पैंशन का भुगतान।

मुझे बड़े दुःख के साथ श्री/श्रीमती..................जो...................(पद पर) इस कार्यालय/विभाग मे कार्य करते थे, दुःखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है तथा मुझे आपके लिये यह निर्देश देने का *आदेश हुआ है* कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (12) एफ. डी. (व्यय-नियम)/64-1 दिनांक 25-9-64 के प्रावधानों के अन्तर्गत आप जीवन पर्यन्त/बालिग अवस्था प्राप्त करने की तारीख तक परिवार पैंशन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हैं।

इसके अनुसार मैं आपको सुझाव देता हूं कि परिवार-पैंशन की स्वीकृति के लिये औपचारिक क्लेम् आप निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ सलग्न प्रपत्र मे भर कर पेश करें।

(1) मृत्यु प्रमाण-पत्र

(2) पासपोर्ट-साइज की दो फोटोग्राफ की प्रतियां जो एक राजपत्रित-अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

(3) जहा पैंशन नाबालिग बच्चों को दी जानी है, वहां संरक्षकता का प्रमाण-पत्र।

वास्ते.......................

....

जहां परिवार-पैंशन नाबालिग बच्चो को दी जानी हो

(सेवा पुस्तिका में लगाने के लिये)

पद.................................

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यो के नाम	जन्म की तारीख	राज्य कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

मै एतद्द्वारा राजस्थान सेवा नियम 268-डी-मे वर्णित किये गये अनुसार मेरे परिवार के सदस्यो के बारे मे विशेष विवरण प्रस्तुत करता हू तथा जब कभी अवसर उपस्थित होगा तब परिवर्द्धन एव परिवर्तन की सूचना सूचित करदी जायेगी।

कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

राज्य कर्मचारी के.....................
हस्ताक्षर.....................
पद.....................

(ख)

वाद मे सम्मिलित किये गये परिवार के सदस्यों का विशेष विवरण

क्र संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	राज्य कर्मचारी के साथ सम्वन्ध	व्यक्तिगत पत्रावली की पृष्ठ सख्या जहा वाद की घोषणा को अभिलिखित किया गया।	कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणिकरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

राजकीय निर्देशः—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (12) वि. वि. (ई-आर)/64 दिनाक 17-11-1964 जो पारिवारिक-पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया से सबधित है की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त आज्ञा के अनुच्छेद 1 (iv) में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय कर्मचारी अपना सयुक्त-चित्र, पत्नि-सहित, की तीन प्रतिया प्रस्तुत करेगा जिनमे से एक को पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाकर पेंशन भुगतान आदेश में चिपकाया जावे।

किन्तु, वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 15-5-1970 द्वारा प्रसारित फार्म सख्या पी-4 मे यह प्रावधान किया गया है कि पासपोर्ट साईज के संयुक्त चित्रो को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जावेगा। समस्त सम्बन्धित अधिकारियों की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त-विभाग की आज्ञा दिनाक 17-11-64 मे दिये गये प्रावधानों को इस सम्बन्ध मे परिवर्तित फार्म पी-4 के अनुसार संशोधित समझा जावे। दूसरे शब्दो मे यदि सयुक्त-चित्रों की प्रतियो को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (12) वि. वि. (ई-आर)/64 दिनांक 3-8-1973 द्वारा निविष्ट]

परिशिष्ट–2

प्रार्थना–पत्र

(नवीन परिवार-पेंशन नियम)

स्वर्गीय श्री/श्रीमती....................जो कि....................(पद) पर .... कार्यालय/विभाग मे कार्य करते

थे, उनके परिवार पेंशन का प्रार्थना पत्र—

1. प्रार्थी का नाम
2. मृत राज्य कर्मचारी/पेंशनर के साथ सम्बन्ध
3. सेवा निवृत्ति की तारीख, यदि मृत व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने वाला था।
4. कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की तारीख
5. मृत व्यक्ति के जीवित वंशजों के नाम व उनकी अवस्था (आयु) (ईस्वी सन् के अनुसार जन्म तिथि)
   विधवा/विधुर
   पुत्र
6. ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी का नाम जहा पर भुगतान चाहा गया है।
7. हस्ताक्षर व बाए हाथ के अगूठे की निशानी
   (उनके सबंध में जो अपने नाम लिखने में पर्याप्त रूप से शिक्षित न हो)
8. स्वर्गीय श्री/श्रीमती·····················के/की विधवा/विधुर/नाबालिग बच्चो की सरक्षक श्री/श्रीमती ·····················की विवरणात्मक सूची।
   (1) जन्म तिथि
   (2) ऊंचाई
   (3) हाथ या मुंह पर व्यक्तिगत चिन्ह यदि कोई हो।
   (4) बायें हाथ के अगूठे की निशानी एवं अंगूलियों के चिन्ह।

तर्जनी अगुली	अंगूठा की अंगुली	बिचली अंगुली	निर्देशिका अंगुली	अगूठा

9—प्रार्थी का पूरा पता

साक्षी

(1)·····················

(2)·····················

प्रमाणित किया गया

(1)·····················

टिप्पणी:—विवरणात्मक-सूची (कालम-8) एवं हस्ताक्षर या बायें हाथ का अगूठा एवं अंगुलियों की निशानी परिवार-पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ दो प्रतियो में सलग्न, अलग अलग कागजो पर, की जावेगी तथा दो राजपत्रित अधिकारियो या व्यक्तियों से या जिस कस्बे, गाव या परगने में वह रहता है, वहा के प्रतिष्ठित दो व्यक्तियो द्वारा प्रमाणित की जावेगी।

परिशिष्ट 2–ए

प्रेषक:—कोषागार अधिकारी

दिनाक··············· 19

प्रेषिति:—महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

विषय:—उस पेंशनर की मृत्यु के सबध में सूचना जिसने नवीन परिवार पेंशन योजना को चुना है।

आपको सूचित किया जाता है कि पी. पी ओ. सख्या··········के धारक श्री/श्रीमती····················· जो इस कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे/ रही थी, दिनांक·····················को स्वर्गवासी हो गये/हो गई।

2—परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान·········रु. (रुपये··················मात्र) की प्रतिमाह की दर पर················को दिनांक··········से··············तक की अवधि के लिये ट्रेजरी वाउचर स····················दिनांक···········से किया गया है तथा उसे वर्ष···············197 की पेन्शन भुगतान अनुसूची मे सम्मिलित कर दिया गया है।

उक्त भुगतान करने से पूर्व मृत्यु प्रमाण-पत्र व राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन सं एफ 1 (12) वित्त. विभाग (व्यय-नियम) 64, दिनांक 17-11-64 मे निर्धारित अन्य दस्तावेज दावेदार से प्राप्त कर लिये गये हैं तथा आवश्यक जाच करने के बाद स्वीकार कर लिये गये हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से दावेदार की पहिचान एव अधिकार के बारे में सतुष्ट हू।

भवदीय
(कोषागार अधिकारी)

परिशिष्ट-3

1. कर्मचारी का नाम
2. पिता का नाम (एवं महिला कर्मचारी के संबंध मे पति का नाम)
3. धर्म एव राष्ट्रीयता
4. संस्थापन के नाम के साथ अन्तिम रूप मे धारण किया गया पद।
5. सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख।
6. सेवा समाप्त होने की तारीख।
7. स्थायी नियुक्ति जो भी हो।
8. विकल्प किये गये पेंशन नियम/योग्यता।
9. मृत्यु के पूर्व निरन्तर पेंशन-योग्य-सेवा की अवधि।
10. 'वेतन' जो राजस्थान सेवा नियम 268-सी- में वर्णित किया गया है।
11. प्राप्य परिवार पेशन की राशी।
12. तारीख जिससे पेंशन प्रारम्भ की जानी है।
13. भुगतान का स्थान (राजकीय ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी)

निम्न हस्ताक्षर-कर्त्ता/स्वर्गीय श्री /श्रीमती····················के उक्त विवरण से स्वयं संतुष्ट होकर एतद्द्वारा श्री/श्रीमती····················के लिये··················रु. प्रतिमाह पर परिवार-पेंशन की स्वीकृति के लिये आदेश देता है जो नियमों के अन्तर्गत जांच अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सके।

स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

अध्याय 23-बी

पेंशन संबंधी विशिष्ट पुरस्कार

नियम 268-आई—यह अध्याय पेंशन-योग्य संस्थापन वर्ग (पेंशनेबिल-एस्टेब्लिशमेंट) की निम्नलिखित श्रेणियों पर, चाहे वे अस्थाई या स्थाई रूप से ही नियुक्त क्यों न हो, किन्तु जो 5 अगस्त सन् 1965 से सेवा में हैं या जो सेवा में उस तारीख को या उसके बाद की तारीख को नियुक्त होते हैं, लागू होंगे।

(i) पुलिस कर्मचारी चाहे वे राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सम्मिलित करते हुए कमान्डेंड एवं पुलिस अधीक्षक (आई. पी. एस. अधिकारियों को छोड़कर) के पद तक नियमित या अनियमित यूनिट में हों, किन्तु जो डाकुओं से मुकाबला करते समय मारे जाते हों।

(ii) पुलिस के कर्मचारी चाहे वे; राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सम्मिलित करते हुए पुलिस अधीक्षक (आई. पी. एस. अधिकारी को छोड़कर) के पद पर नियमित यूनिट में हों एवं चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी, एवं पुलिस स्टाफ के साथ संलग्न फालोअर एवं युद्ध न करने वाले कर्मचारी जो दुश्मन की कार्यवाही, जिसमें पाकिस्तान की ओर से छाताधारी एवं घुसपैठियों द्वारा की गई कार्यवाही भी सम्मिलित है के परिणाम स्वरूप मारे गये हैं।

नियम 268-जे—नियम 268-'के'-में निर्दिष्ट दरों पर पुरस्कार इस अध्याय के अन्तर्गत उन पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगा जो सेवा में रहते हुये 5 अगस्त, 1965 को या उसके बाद डाकूओं से मुकाबला करते समय चोट लगने के कारण मारे जाते है या दुश्मन की कार्यवाही के फलस्वरूप मारे जाते है।

नियम 268-के-पुरस्कार की राशि—इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुये पुरस्कार की राशि एवं इस अध्याय के अधीन स्वीकार्य सुविधा निम्न प्रकार से होगी:—

(i) 8 माह की कुल "वेतनादि-की-राशि" के समान ग्रेच्युटी।

(ii) मासिक "वेतनादि" जो मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा था, के समान परिवार पेंशन जो जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने तक की तिथि तक मिलती रहेगी, यदि वह जीवित रहता।

किन्तु यदि मृत व्यक्ति अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य होता है, तो बोनस के समान पेंशन संबंधी एव विशिष्ट अंशदान जो अन्तिम जन्म-तिथि की आयु पर सगणित, किया जायेगा जैसा जोधपुर राज्य सेवा नियमों के अध्याय 2 में दिया गया है, खण्ड (2). के अन्तर्गत देय परिवार-पेंशन की राशि में से काट लिया जायेगा।

(iii) अधिकतम वेतनमान की आधी के बराबर की परिवार-पेशन या जो मृत्यु के समय पर मौजूद थी, एवं जिसमें मृत व्यक्ति द्वारा वेतन, स्थायी, स्थानापन्न या अस्थाई हैसियत से प्राप्त किया जा रहा था, उस तारीख से देय होगी जिससे परिवार-पेंशन उक्त खण्ड (2) के अधीन प्राप्य होने से बन्द हो गई हो।

(iv) मृत व्यक्तियों के बच्चे राजस्थान के भीतर सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा के पात्र, उसी सीमा तक होगे जिस तक उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार अल्प-वेतन-भोगी कर्मचारियों के बच्चों को स्वीकार्य होगी।

(v) मृत व्यक्ति का परिवार 100%-रु. राशि तक, मृत व्यक्ति के दाह संस्कार पर किये गये व्यय, का पात्र होगा।

नियम 268-एल—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये—

(1) 'परिवार' में वंशानुक्रम में निम्नलिखित संबंधी सम्मिलित होंगे—

(i) 'विधवा' एवं यदि एक से अधिक विधवा हों तो सबसे अधिकायु की जीवित विधवा।
(ii) अल्प-व्यस्क बच्चे, गोद लिये गये बच्चों को सम्मिलित करते हुये।
(iii) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियां, गोद ली गई पुत्रियों को सम्मिलित करते हुये।
(iv) गोद लिये गये अल्प-वयस्क बच्चे।
(v) अल्प-वयस्क भाई एवं अविवाहित या विधवा बहिनें।
(vi) पिता
(vii) माता
(viii) भूत पूर्व मृत पुत्र के अल्प-व्यस्क बच्चे

(2) "वेतनादि" का तात्पर्य सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित किये अनुसार "वेतन" एवं मंहगाई-भत्ते" से है (इसमें मंहगाई-वेतन भी सम्मिलित होगा)

नियम 267-एम-स्वीकृत करने की शर्तें:—(1) इस अध्याय के अधीन पुरस्कार की स्वीकृति अध्याय 22,23,23-एवं 24 के अधीन स्वीकार्य समस्त सेवा पेन्शन सम्बन्धी लाभों के बदले में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन पुरस्कार, नियम 268-एल-(1) में दी गई वंशानुक्रम के आधार पर, किसी अधिकारी के परिवार के सदस्यों को देय होगा।

(3) नियम 268-के-के खण्ड (2) व (3) के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के मामले में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एवं परिवार की एक महिला सदस्य के मामले में उसके विवाह, पुनर्विवाह या विवाह होने जैसी समकक्ष परिस्थितियों में रहने पर, बन्द हो जाती है।

(4) इस अध्याय के अधीन स्वीकार्य-पुरस्कार सिवाय पुनर्विवाह या पुनर्विवाह जैसी समकक्ष परिस्थितियों के रहते हुये या विधवा की मृत्यु की घटना को छोड़कर, हस्तान्तरण के योग्य नहीं है। नियम 268-के- के खण्ड (2) या (3) के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार नियम 268-एल-(1) मे दी गई वंशानुक्रम के आधार पर दूसरे नीचे के पुरुष को पुनः स्वीकृत करदी जावेगी।

नियम 268-एन-:—(1) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में इस नियम में किये गये प्रावधान अतिरिक्त इन नियमों के अन्तर्गत पुरस्कार साधारण पेंशनों से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन उस सीमा तक है जहां तक ऐसी प्रक्रिया एवं नियम इस अध्याय में दिये गये नियमों से सम्बद्ध नहीं है।

(2) संलग्न 'क' में दिये गये प्रपत्र में पेंशन/ग्रेच्युटी के लिये आवेदन पत्र मृत कमाण्डेन्ट या पुलिस अधीक्षक की मृत्यु के मामले मे उस कमाण्डेन्ट या पुलिस अधीक्षक या इन्सपैक्टर-जनर

आफ पुलिस को प्रस्तुत किया जायगा जिसके अधीन मृत-अधिकारी मृत्यु के ठीक पूर्व सेवा कर रहा था।

(3) पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अर्थात् कमाण्डेन्ट या पुलिस-अधीक्षक (उप महानिरीक्षक आरक्षी, (मय राजस्थान सशस्त्र पुलिस), जैसी भी स्थिति हो, आवेदन के प्राप्त करने पर शीघ्र ही निर्धारित प्रपत्र को भरेगा तथा आवश्यक पूछताछ करने के बाद पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के लिये आदेश देगा तथा स्वीकृति एव आवेदन को महालेखाकार के पास निम्नलिखित दस्तावेजो के साथ अग्रेषित करेगा—

(i) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र

(ii) किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्यु का प्रमाण-पत्र। किन्तु ऐसे मामलों में जिनमें पुलिस के आदमियों के डाकुओं के साथ मुकाबला करते समय या दुश्मन की कार्यवाही के कारण मारे जाने का विश्वास किया जाता हो, किन्तु निश्चित पता नही किया जा सकता हो, तो कमान्डेट/पुलिस अधीक्षक/महानिरीक्षक, आरक्षी, जैसी भी स्थिति हो, उक्त व्यक्तियों के बारे में निम्न-लिखित प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर सकते हैं—

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री———————पद (रैंक)——————— आत्मज श्री——————नियुक्त——————(स्थान पर) के डाकूओं के साथ मुठभेड़ करते समय या पाकिस्तान से आये हुये छाताधारियों एवं घुसपैठियों की कार्यवाही के फलस्वरूप मेरे सर्वोत्तम-ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर, मारे जाने का विश्वास किया जाता है। श्री——— पाकिस्तान से युद्धबन्दियों को वापिस लौटाने की प्रक्रिया में भारत को वापिस नहीं लौटाये गये हैं।"

(iii) नियम 294 के अधीन अपेक्षित घोषणा-पत्र।

(iv) मृत्यु के कारण एवं परिस्थितियों का विवरण-पत्र।

(v) उचित रूप से अनुप्रमाणित दो प्रतियों में दावेदार की बांये/दांये हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के चिन्ह।

(vi) उचित रूप से अनुप्रमाणित दो प्रतियों में दावेदार के नमूने के हस्ताक्षर।

(vii) मुखांकन पर उचित रूप से अनुप्रमाणित दो प्रतियों में दावेदार के पास-पोर्ट-साइज के दो फोटोग्राफ।

उक्त दस्तावेजों के प्राप्त करने पर महालेखाकार पेंशन-पेमेंट-आर्डर जारी करेगा। (ये संशोधन दिनांक 5 अगस्त 1965 से प्रभावशील होंगे)

राजकीय निर्णय:—पेंशन सबधी पुरस्कार स्वीकृत करने के सबंध मे वर्तमान नियमों और आदेशो में आशिक संशोधन करते हुये 5 अगस्त, 1965 को या बाद में पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण के दौरान दुश्मन की कार्यवाही जिसमे पाकिस्तान की ओर से छाताधारी एवं घुसपैठियो द्वारा की गई कार्यवाही भी सम्मिलित है, के परिणाम-स्वरूप जो कर्मचारी मारे गये या जख्मी हो गये उनको निम्न-अंकित अनुसार पेंशन का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है—

(i) जो दुश्मन की कार्यवाही मे मारे गये।

प्रथम सात वर्ष तक अतिम वेतन का 2/3 भाग (इसमे बच्चों की पेंशन भी सम्मिलित है) और

	तत्पश्चात् विद्यमान अधिकार का 11/2 गुना जो अन्तिम वेतन के 2/3 भाग मे अधिक नही होगा ।
(ii) जो दुश्मन की कार्यवाही में जख्मी हुये ।	बिना माता के शिशुओं के मामलों मे प्रारम्भ से विद्यमान अधिकार की 11/2 गुना राशि स्वीकार्य है जो अतिम-वेतन के 2/3 भाग से अधिक नही होगी ।
(क) जहां अयोग्यता नही हुई है	केवल विद्यमान ।
(ख) जहा अयोग्यता हो गई है	विद्यमान अधिकार से 50 प्रतिशत अधिक (अर्थात् क्षति-पूरक पेंशन और अयोग्यता पेंशन यदि देय है से 50 प्रतिशत अधिक)

(1) जहा पर विद्यमान अधिकार की राशि उपरोक्त राशि से अधिक होती है वहा पर विद्यमान अधिकार की राशि देय होगी।

(2) अन्तिम वेतन के 2/3 भाग की अधिकतम सीमा से अधिक एवं ऊपर कोइ तदर्थ-वृद्धि की राशि नही दी जावेगी ।

(3) जब अंतिम वेतन के 2/3 भाग के बराबर संकलित दर से पेशन संबधी पुरस्कार स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके साथ में अन्य किसी प्रकार की पेंशन स्वीकार्य नही है ।

(4) उपरोक्त पेंशन सबंधी पुरस्कार के साथ विद्यमान नियमों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

ये आदेश उन कर्मचारियो पर लागू नही होंगे जो राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय XXIII–B में मे अन्तर्विष्ट नियमो द्वारा शासित होते है ।

संलग्नक–'क'

श्री····················स्वर्गीय··························विभाग································के परिवार के लिये परिवार-पेंशन के लिये आवेदन-पत्र—

(1) कर्मचारी का नाम
(2) पद-नाम
(3) मृत्यु की तारीख
(4) चोट या मृत्यु की तारीख को "वेतनादि" की राशि ।
 (क) स्थायी वेतन
 (ख) स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,
 (ग) विशेष–वेतन
 (घ) वैयक्तिक-वेतन
(5) पेंशन के लिये प्रार्थियो की तालिका

क्र. सं.	नाम	मृत व्यक्ति के साथ सम्बन्ध	जन्म की तारीख	ऊंचाई	वैयक्तिक चिन्ह

(6) ट्रेजरी/सब ट्रेजरी का नाम जहां से भुगतान चाहा गया है ।

(7) उचित रूप से अभिप्रमाणित हस्ताक्षर एवं बाये अंगूठे व अंगुलियों की निशानियां (दो प्रतियों में संलग्न की जाये)

(8) प्रार्थी/प्रार्थियों का पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री.............................मृत/चोट ग्रस्त के संबंध की एवं उनके आश्रितों की उपरोक्त दी गई सूचना जैसे मैंने सत्यापन किया है, सही है ।

(9) निम्न-लिखित प्रमाण-पत्र संलग्न हैं—

(1) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जिसमे "वेतनादि-की-राशि" का विशिष्ट विवरण दिया गया है ।
(2) मृत्यु की मैडिकल रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र
(3) पुलिस अधीक्षक/इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस द्वारा मृत्यु के कारण स्वरूप परिस्थितियों का एक विवरण-पत्र ।
(4) उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियों मे बांये/दाये हाथ के अंगूठे व अंगुलियों की निशानियां ।
(5) उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियों में नमूने-के-हस्ताक्षर ।
(6) मु'त्ताकन पर उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियों में पासपोर्ट साइज के फोटो ।
(7) राजस्थान सेवा नियम 294 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप में घोषणा ।

(10) "विशिष्ठ-पेंशन" संबंधी पुरस्कार (स्पेशल-पेंशनरी अवार्ड) के लिये पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश ।

स्वर्गीय श्री/श्रीमती...............................के उपर्युक्त विवरण से अपने आपको संतुष्ट करने के पश्चात् निम्न-हस्ताक्षरकर्त्ता एतद्द्वारा परिवार-पेंशन एवं ग्रेच्युटी, जो नियमो के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकृत की जा सके, देने की स्वीकृति का आदेश देता है । परिवार पेंशन एवं/या ग्रेच्युटी की स्वीकृति दिनाक........................ से प्रारम्भ होगी ।

(यह संशोधन 5 अगस्त, 1965 से प्रभावशील होगा)

पुलिस-अधीक्षक/इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस

अध्याय 24

असाधारण पेंशने

नियम 269–प्रभावशीलता:— इस अध्याय के नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो राजस्थान सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक-नियंत्रण के अधीन सेवाओं या पदों पर नियुक्त किये जाते है या राजस्थान के राज्य-कार्य के लिये नियुक्त किये जाते है। इनमें वे व्यक्ति सम्मिलित नही है जिन पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू होता है चाहे ऐसे व्यक्तियो की नियुक्तियां किसी वेतन-शृंखला में या निश्चित (फिक्स्ड) वेतन पर या फुटकर कार्यों की दरों पर स्थाई हो या अस्थाई।

टिप्पणी:— (1) भारतीय सविधान की धारा 320 मे दिया हुआ है कि चोट आदि के कारण पेंशन देने एव ऐसी इनाम की राशि की मात्रा के बारे मे प्रस्तुत किये गये क्लेमों पर लोक सेवा आयोग की सलाह लेनी चाहिये। अतः एक ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किये गये प्रत्येक क्लेम पर आयोग से परामर्श लेना जरूरी है जो अध्याय-24 के नियम 269 से 274 एवं 278 तक के नियमो के अन्तर्गत पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिये, राजस्थान सरकार के नियम बनाने के नियत्रण के अधीन हैं या था, को जब चोट लगने इत्यादि के कारण पेंशन देने का कोई क्लेम प्रस्तुत किया जाय तो उसके सम्बन्ध मे जब राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावे तो निम्न पूरक-निर्देशनों का पालन किया जाना चाहिये—

(i) सम्बन्धित विभाग एव आडिट द्वारा अपने विचार व्यक्त किये जाने के बाद आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिये। पद्धति के लिये देखिये नियम 278।

(ii) आयोग का परामर्श इस प्रसग मे लेना चाहिये कि क्या उसकी राय से कोई पेंशन-ग्रेच्युटी आदि की रकम स्वीकृत की जा सकती है? यदि हा, तो उसकी कितनी धनराशि होगी?

(iii) इस प्रकार आयोग से लिये जाने वाले परामर्श के लिये आयोग को सरकारी पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिये एव उसके साथ सम्बन्धित कागजात सलग्न कर दिये जाने चाहिये।

टिप्पणी सख्या 2:—टिप्पणी सख्या (1) मे किसी बात के होते हुये भी असैनिक हैसियत से राज्य सरकार के पुलिस बल में सेवा करते समय किसी व्यक्ति द्वारा सहन की गई चोट के परिणाम स्वरूप परिवार-पेंशन के प्रदान करने के मामले मे तथा पेंशन की राशि निश्चित करने मे आयोग का परामर्श लेना आवश्यक नही होगा।

नियम–269–ए:—इन नियमों के लिये इस अध्याय में जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल नहीं दिया हो—

1. दुर्घटना का तात्पर्य—
   (i) एक अचानक और अनिवार्य दुर्घटना, या
   (ii) आपातकाल के समय मे एवं सेवा के समय में कर्त्तव्य के पालन में किसी कार्य को करते हुये हुई कोई दुर्घटना जो हिंसा आदि के प्रयोग के अलावा अन्य कारणों से हुई हो।
2. चोट लगने की तारीख का तात्पर्य—
   (i) हिंसा या चोट के मामले में वास्तविक तिथि जिस दिन चोट लगी हो या ऐसी

तारीख, जो चिकित्सा-मण्डल की रिपोर्ट की तारीख के बाद की नहीं होगी, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, एवं

(ii) बिमारी होने पर, वह तारीख जिसको चिकित्सा-मण्डल सूचना देता है या ऐसी इससे पूर्व की तारीख जिसे सरकार चिकित्सा-मण्डल की सलाह को उचित रूप से ध्यान में रखते हुये निश्चित करे।

3 "बिमारी से तात्पर्य"—

(i) मूत्ररोग—चर्मरोग सम्बन्धी बीमारी या सेप्टीकेइमियां जहां पर ऐसी बीमारी या सेप्टीकेइमिया चिकित्सा-अधिकारी द्वारा किसी छूत की बीमारी से ग्रसित रोगी की अपनी सेवा-काल में साल-संभाल करने के कारण या उसने उसे सेवाकाल में किसी पोस्टमार्टम की जांच करने के कारण हुई बतलाई गई हो।

(ii) बीमारी जो एक मात्र और सीधी एक दुर्घटना के कारण हुई हो।

(iii) एक छूत की बीमारी जो एक अधिकारी को ऐसे स्थान पर सेवा में लगाने के कारण हुई है जहां पर वैसी बिमारियां होती रहती है या जहां वह अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहा हो वहां किसी क्षेत्र में ऐसी बीमारी पर परोपकारी भावनाओं के कारण स्वेच्छा से उपस्थित रहने के फलस्वरूप, वह बीमारी हुई हो।

4. "चोट"—का तात्पर्य शारीरिक चोट से है जो बल-प्रयोग, दुर्घटना या बीमारी के कारण हुई हो तथा जो चिकित्सा-मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार से सर्वाधिक चोट से कम न बताई गई हो।

टिप्पणीः—कुछ श्रेणियों की चोटों के उदाहरण परिशिष्ट-6 के भाग-I में दिये गये हैं।

5. "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जिसकी परिभाषा राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में की गई है एवं जिसे एक व्यक्ति मृत्यु या चोट लगने के पूर्व प्राप्त कर रहा था। जहां यदि कर्मचारी को छुट-पुट कार्य पर से वेतन दिया जाता हो, वहां वेतन का तात्पर्य उसी मृत्यु या दुर्घटना की तारीख को समाप्त होने वाली अन्तिम 6 माह की औसत आय से है।

निर्णयः—विभागीय आज्ञा संख्या एफ 1 (7) वि. वि. (नियम) 69 दिनांक 7-4-69 के प्रसंग मे यह आदेश दिया जाता है असाधारण-पेंशन, ग्रेच्युटी जो राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय-24 के अधीन ग्राह्य है, के प्रयोजनार्थ "महगाई-वेतन" को 'वेतन' की तरह गिना जावेगा। यह आज्ञा भूतलक्षी प्रभाव से 1 दिसम्बर, 1968 से लागू होगी।

6. "पद के जोखिम"—का तात्पर्य किसी ऐसे जोखिम से है, जो विशेष जोखिम नहीं होकर, एक दुर्घटना या बीमारी का हो जो एक कर्मचारी अपनी सेवा के काल में एवं सेवा के फलस्वरूप उससे ग्रसित होता है किन्तु उसे कोई भी पद का जोखिम नहीं समझा जावेगा जिसका भारत में वर्तमान अवस्थाओं के कारण सर्वजन को सामान्य जोखिम है जब तक कि ऐसा खतरा निश्चित रूप से किसी किस्म या मात्रा में, राजकीय सेवा की प्रकृति, उसकी स्थितियों, उसके दायित्वों या घटनाओं से नहीं बढ़ जाता हो।

टिप्पणीः—'पद के जोखिम' में एक कर्मचारी की मृत्यु या उसे चोट लगने का खतरा भी सम्मिलित है जो उसे जब वह किसी दंगे या सबंधित गांव, कस्बे या शहर के आन्तरिक झगड़े में अपने पद के कार्यों को पूरा करते हुये कार्य दिन या अवकाश के दिन प्राप्त होता है। इसमें उसके आस-पास के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं एवं जब वह अपने निवास स्थान से नियुक्ति-स्थान को रवाना होता हो या नियुक्ति के स्थान पर रवाना होता हो तथा उक्त दंगे या आन्तरिक झगड़े का शिकार हो जाता है तो भी उसे इसी अर्थ में सम्मिलित किया जावेगा।

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ (1) (7) वि. वि. (व्यय-नियम)/69 दिनांक 12-7-1973 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णयः—'पद के जोखिम' शब्द में जहां एक कर्मचारी उचित अधिकारी की अनुमति द्वारा, जहा आवश्यक हो, वायुयान द्वारा कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहा हो तथा उस समय यदि मृत्यु या चोट सम्बन्धी कोई दुर्घटना हो तो वह सम्मिलित है।

यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

7. "विशेष जोखिम का तात्पर्य"—

(i) हिंसात्मक तरीके द्वारा चोट इत्यादि से पीडित जोखिम से है।

(ii) दुर्घटना द्वारा चोट के एक ऐसे जोखिम से है जो एक कर्मचारी को अपने ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करते समय एवं उनके फलस्वरूप पहुंचाता है तथा जो अपने पद के साधारण जोखिम से बाहर ऐसी चोट को बढ़ाने में उत्तरदायी है।

(iii) छूत की बीमारी जो वेनेरियल या सेप्टीकेइमिक बिमारी से पीड़ित रोगी को अपनी सेवा के समय में संभालते समय या अपने कर्त्तव्य के समय किसी व्यक्ति या पोस्टमार्टम करते समय, एक चिकित्सा-अधिकारी को हो जाती है।

किन्तु यदि एक पुलिस अधिकारी जिसका वेतन 800/- रु. (1-9-1976 से) प्रतिमाह से कम है, अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करते समय या उसके फलस्वरूप मृत्यु या चोट/मृत्यु के मामलों के समान नियमित किये जावेंगे।

8. बल प्रयोग से तात्पर्य एक आदमी के ऐसे कार्य से है जो एक कर्मचारी को निम्न प्रयोजनों द्वारा चोट पहुंचाता है।

(i) कर्मचारी के अपने कर्त्तव्य-पालन करने पर या उसे अपने कर्त्तव्यों के पालन से रोकने या भयभीत करने के लिये उस पर आक्रमण या प्रतिरोध की कार्यवाही द्वारा, या

(ii) ऐसे कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही कर देने पर/या उसे करने के लिये प्रयत्न करने या अन्य कोई कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों या वैध रूप से पालन करने पर बल के प्रयोग द्वारा, या

(iii) उसको सरकारी हैसियत के कारण बल प्रयोग के द्वारा पहुंचाई गई चोट।

नियम 270-पुरस्कार की शर्तेंः—सरकार की स्वीकृति के बिना या एक ऐसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना जिसको राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह निश्चित करे, इन नियमों के अन्तर्गत अपने में निहित शक्ति प्रदान करती है, इन नियमों के अन्तर्गत कोई पुरस्कार नहीं दिया जावेगा। पुरस्कार देने में सक्षम-प्राधिकारी उस कर्मचारी से हुई गलती की सीमा या उसकी उदा

सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आघात प्राप्त करता है या आघात के परिणामस्वरूप मर जाता है या मारा जाता है ।

नियम 271:—इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावधान के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त करने के लिये संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अन्य नियमों के अनुसार अधिकृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाले की राजकीय सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

नियम 272:—निम्न के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेंगे—

1. प्रार्थना-पत्र की तारीख से पूर्व 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व की चोट या,
2. मृत्यु जो, कि—
   (क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या,
   (ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के आधार पर उस बिमारी के लिये अयोग्य घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मरा हो ।

नियम 273-चोटों का वर्गीकरण: —इन नियमों के प्रयोजनों के लिये चोटों (इन्जरीस) का वर्गीकरण निम्न-प्रकार किया गया है:—

(क) **श्रेणी-पद के विशेष जोखिम**—के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना जिसके कारण आंखें पूर्णतया नष्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत अधिक खराब हो गई हो ।

(ख) **श्रेणी-पद के विशेष जोखिम**:—या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटें जो एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती है एवं जिनके कारण अंग की हानि होती हो या जो बहुत तीव्र हो या चोटे जो ऐसे पद के जोखिम के कारण उत्पन्न हुई हों एवं जिसके फलस्वरूप उसकी आंखे या अंग पूर्णतया नष्ट हो चुके है या जो अधिक गम्भीर प्रकृति की है ।

(ग) **श्रेणी-पद के विशेष खतरे**:—के फलस्वरूप लगी चोटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज नही है एवं हमेशा बनी रहने वाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटें जो वैसी ही हैं जैसी अंग हानि होने के कारण अयोग्यता उत्पन्न करती है या जो बहुत तेज है तथा स्थाई रूप से बनी रहने लायक हैं ।

नियम 274–चोटों के लिये पुरस्कार:—(1) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 के अन्तर्गत (क) श्रेणी मे आती है तो उसे:—

(क) उपनियम (5) मे निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी,

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से 1 वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगली तारीख से दिया जावेगा ।

(i) यदि चोट के कारण एक या एक से अधिक अंगों की हानि या आंखों की हानि हुई है तो उसे उच्च-शृंखला पेंशन के लिये उपनियम (5) मे निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं

(ii) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेंशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेंशन के लिए उपनियम (5)मे निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी आधी,रकम से कम नही होगी।

(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में आती हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगा:—

(i) यदि चोट के कारण एक आख या अंग स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है या वह चोट बहुत चिन्ताजनक ढंग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई पेशन जो निम्न-श्रेणी पेशन के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से ज्यादा नही होगी तथा उस राशि के आधे से कम नही होगी।

(ii) अन्य मामलों में—

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये एक अस्थाई पेंशन जिसकी राशि निम्न-श्रेणी के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद।

(ख) उपखण्ड (क) में वर्णित सीमा में पेंशन, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रतिवर्ष प्रमाणित करता है कि चोट निरन्तर तीव्रतर बन रही है।

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी। यदि चिकित्सा-मण्डल यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी एक वर्ष तक सेवा के लिये अयोग्य रहने लायक है अथवा अनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस प्रकार वर्णित राशि की कम से कम चौथाई तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अयोग्य प्रमाणित कर दिया जाता है।

किन्तु शर्त यह है कि जहा चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अंग हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे. ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर सकती है जो इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत प्राप्य राशि से अधिक नही होगी।

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक अस्थाई पेंशन को स्थाई शरीरक्षति पेंशन में बदला जा सकता है—

(i) जब कर्मचारी ऐसी अंग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिये अस्थाई पेशन स्वीकृत की गई थी, या

(ii) जब अस्थाई पेंशन 5 वर्ष से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या

(iii) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रमाणित करता है कि उसकी शारीरिक अयोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नही होगी।

(5) इस नियम मे वर्णित शरीर-क्षति ग्रेच्युटी एवं पेंशन निम्न-प्रकार से होगी—

चोट लगने की तारीख को कर्मचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेन्शन उच्च श्रेणी	मासिक पेंशन निम्न श्रेणी
1	2	3	4
1. 2000) रु. एवं उससे अधिक		300-00	225-00

सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आघात प्राप्त करता है या आघात के परिणामस्वरूप मर जाता है या मारा जाता है।

नियम 271:—इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावधान के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त करने के लिये संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अन्य नियमों के अनुसार अधिकृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाले की राजकीय सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की जावेगी।

नियम 272:—निम्न के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेंगे—

1. प्रार्थना-पत्र की तारीख से पूर्व 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व की चोट या,
2. मृत्यु जो, कि—
   (क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या,
   (ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के आधार पर उस बिमारी के लिये अयोग्य घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मरा हो।

नियम 273-चोटों का वर्गीकरण:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिये चोटों (इन्जरीस) का वर्गीकरण निम्न-प्रकार किया गया है:—

(क) **श्रेणी-पद के विशेष जोखिम**—के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना जिसके कारण आंखें पूर्णतया नष्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत अधिक खराब हो गई हो।

(ख) **श्रेणी-पद के विशेष जोखिम**:—या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटें जो एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती हैं एवं जिनके कारण अंग की हानि होती हो या जो बहुत तीव्र हो या चोटें जो ऐसे पद के जोखिम के कारण उत्पन्न हुई हों एवं जिसके फलस्वरूप उसकी आंखे या अंग पूर्णतया नष्ट हो चुके है या जो अधिक गम्भीर प्रकृति की है।

(ग) **श्रेणी-पद के विशेष खतरे**:—के फलस्वरूप लगी चोटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज नहीं है एवं हमेशा बनी रहने वाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटें जो वैसी हो है जैसी अंग हानि होने के कारण अयोग्यता उत्पन्न करती हैं या जो बहुत तेज हैं तथा स्थाई रूप से बनी रहने लायक है।

नियम 274-चोटों के लिये पुरस्कार:—(1) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 के अन्तर्गत (क) श्रेणी में आती है तो उसेः—

(क) उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी,

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से 1 वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगली तारीख से दिया जावेगा।

(i) यदि चोट के कारण एक या एक से अधिक अंगों की हानि या आंखों की हानि हुई है तो उसे उच्च-शृंखला पेंशन के लिये उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं

(ii) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेंशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेंशन के लिए उपनियम (5)में निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नहीं होगी तथा उसकी आधी,रकम से कम नहीं होगी।

(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में आती हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगा:—

(i) यदि चोट के कारण एक आंख या अंग स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है या वह चोट बहुत चिन्ताजनक ढंग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई पेंशन जो निम्न-श्रेणी पेंशन के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से ज्यादा नहीं होगी तथा उस राशि के आधे से कम नहीं होगी।

(ii) अन्य मामलों में—

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये एक अस्थाई पेंशन जिसकी राशि निम्न-श्रेणी के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद।

(ख) उपखण्ड (क) में वर्णित सीमा में पेंशन, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रतिवर्ष प्रमाणित करता है कि चोट निरन्तर तीव्रतर बन रही है।

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी। यदि चिकित्सा-मण्डल यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी एक वर्ष तक सेवा के लिये अयोग्य रहने लायक है अथवा अनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस प्रकार वर्णित राशि की कम से कम चौथाई तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अयोग्य प्रमाणित कर दिया जाता है।

किन्तु शर्त यह है कि जहां चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अंग हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे. ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर सकती है जो इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक अस्थाई पेंशन को स्थाई शरीरक्षति पेंशन में बदला जा सकता है—

(i) जब कर्मचारी ऐसी अंग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिये अस्थाई पेंशन स्वीकृत की गई थी, या

(ii) जब अस्थाई पेंशन 5 वर्ष से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या

(iii) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रमाणित करता है कि उसकी शारीरिक अयोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नहीं होगी।

(5) इस नियम में वर्णित शरीर-क्षति ग्रेच्युटी एवं पेंशन निम्न-प्रकार से होगी—

चोट लगने की तारीख को कर्मचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेन्शन उच्च श्रेणी	मासिक पेंशन निम्न श्रेणी
1	2	3	4
1. 2000) रु एवं उससे अधिक	.	300-00	225-00

1	2	3	5	4
2.	1500) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 2000) रु. से कम।		275-00	200-00
3.	1000) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 1500) रु. से कम।	3 माह का वेतन किन्तु 800) रु. से कम नहीं हो	200-00	150-00
4.	900) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 1000) रु. से कम।		150-00	125-00
5.	400) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 900) रु. से कम।		100-00	84-00
6.	350) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 400) रु. से कम।		85-00	70-00
7.	200) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 350) रु. से कम।		67-00	50-00
8.	200) रु. से नीचे	4 माह का वेतन	वेतन का 1/3 भाग किन्तु कम से कम 8) रु. प्रतिमाह	वेतन का 1/5 भाग किन्तु कम से कम 4) रु. प्रतिमाह

किन्तु शर्त यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधान द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी।

राजकीय निर्णयः—जहां राज्य सरकार किसी कर्मचारी द्वारा घाव-चोट या असाधारण पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजन से एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करे तथा वह उस साक्ष्य के आधार पर सन्तुष्ट हो जाय कि चिकित्सक-मण्डल ने जो उसे जाचा है उसके निर्णय करने में कुछ गलती भी है तो राज्य सरकार एक दूसरे चिकित्सक-मण्डल को, जो उन चिकित्सकों से भिन्न चिकित्सकों द्वारा बनाया जायेगा, जिन्होने पहिले उसे जाचा है, अधिकारी को जाच करने तथा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने के लिये आदेश दे सकती है। अधिकारी को पेशन दूसरे चिकित्सक-मण्डल के निर्णय के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

नियम 275–कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी एवं बच्चों को पुरस्कारः— नियम 276 के अन्तर्गत टिप्पणी के प्रावधानों को शर्त पर कर्मचारी की विधवा पत्नी एवं बच्चों को पुरस्कार निम्न-प्रकार से दिया जावेगा। किन्तु शर्त यह है कि इसके साथ किन्हीं अन्य नियमों के

अन्तर्गत कोई पेंशन-ग्रेच्युटी नही दी जावेगी—

(i) यदि कोई कर्मचारी पद के विशेष-जोखिम के परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण मारा जाता है तो—

(क) उप नियम (iii) मे वर्णित मिलने वाली राशि की ग्रेच्युटी, एवं

(ख) एक पेंशन जिसकी राशि उपनियम (iii) मे वर्णित मिलने वाली राशि से अधिक नही होगी।

(ii) यदि कर्मचारी पद के जोखिम के परिणामस्वरूप पहुंचाई गई चोट के कारण मारा जाता है तो जिसे वह पेंशन स्वीकृत की जावेगी उसकी राशि उपनियम (iii) में वर्णित राशि से अधिक नही होगी, यदि मृत कर्मचारी का वेतन 800) रु. (1-9-1976 से) से कम हो तो मासिक पेन्शन की राशि, जो इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, उपनियम (iii) मे वर्णित दरों की न्यूनतम सीमा सहित ध्यान में रखते हुये भी, अपने वेतन के आधे-वेतन से अधिक नहीं होगी, एवं यदि किसी मामले में उप-नियम (iii) के अन्तर्गत निकाली गई पेंशन की राशि अपने वेतन की आधी राशि से अधिक होती है तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेन्शन की राशि ऐसे अनुपात में घटाई जावेगी कि उनके घटाने से "वेतनादि-की-राशि" अपने वेतन की आधी राशि तक सीमित हो जावेगी।

(iii) उप खण्ड (i) व (ii) में वर्णित परिवार ग्रेच्युटी एवं पेन्शन निम्न-प्रकार होगी:—

परिवार-ग्रेच्युटी एवं पेंशन

ए–विधवा

	मृत्यु की तारीख को कर्मचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेंशन
1.	800) रु एव उससे अधिक	3 माह का वेतन किन्तु कम से कम 800) रु	वेतन का 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 275) रु. तक।
2.	200) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 800) रु. से कम	"	वेतन का 25 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 150) रु. व न्यूनतम 75) रु. तक।
3.	200) रु. से नीचे	4 माह का वेतन	वेतन का 45 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 75) रु. व न्यूनतम 40) रु. तक।

बी–बच्चे

मृत्यु की तारीख को	प्रत्येक बच्चे की मासिक पेंशन यदि बच्चा मा के बिना हो	यदि बच्चा मा सहित हो
800) रु. एव उससे अधिक	60) रु.	25) रु.
250) रु. एव उससे अधिक किन्तु 800) रु. से कम	37-50 रु.	13) रु
250) रु से कम	वेतन का 15 प्रतिशत	वेतन का 1/20 भाग किन्तु कम से कम 3) रु. तक

(क) किन्तु शर्त यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी।

(ख) माता के रहित बच्चे/बच्चों को भुगतान की जाने वाली पेन्शन किसी भी दशा में उस पेन्शन की राशि से कम नहीं होगी जो अध्याय 23-ए के प्रावधान यदि उस पर लागू किये होते तो उसे स्वीकार्य हो गई होती।

(ग) ऐसे कर्मचारियों के लिये जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हों, यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस खण्ड के अधीन विधवा को भुगतान की जाने वाली पेन्शन निम्न-प्रकार होगी—

(1) उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष के लिये या उस तारीख तक जिसको यदि अधिकारी जीवित रहता तो अपनी सामान्य अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युएशन-एज) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस तक के लिये पेन्शन, अन्तिम रूप से उठाए गए वेतन का 50 प्रतिशत होगी किन्तु वह नियम 268-सी (1) के अधीन स्वीकार्य पेन्शन की दुगनी की अधिकतम सीमा तक होगी।

(2) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेन्शन उसी दर पर होगी जो नियम 268-सी (1) में दी हुई है।

टिप्पणी:—(1) एक ऐसे कर्मचारी के संबध में जो सेवा वृद्धि काल में मरता है तो उसकी मृत्यु से पूर्व, जिस तारीख तक उसे सेवा-वृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेवा की सामान्य अधिवार्षिकी-आयु समझी जाएगी।

यदि एक कर्मचारी अपने पीछे दो या दो से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है तो विधवा के लिये देय इस नियम के अधीन प्राप्य पेंशन या ग्रेच्युटी को, सभी विधवाओं में बराबर 2 बांट दिया जावेगा।

राजकीय निर्णय:— राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 में दिये गये असाधारण पेंशन नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या ऐसे मामले में जिसमे व्यक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (12) वित्त विभाग/व्यय-नियम/64 दिनांक 3-4-67 द्वारा किये गये उक्त नियमों से नियमित होता है, उसके मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से दो माह की कटौती की जानी चाहिये? मामले की जांच की जाकर यह तय किया गया है कि ऐसे मामले में मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि में से दो माह के "वेतनादि" की कटौती की जानी चाहिये। (ये आदेश दिनांक 1-1-67 से प्रभावशील होंगे)

नियम 276-मृत-कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को पुरस्कार:—(1) यदि मृत कर्मचारी के पीछे न तो विधवा न ही कोई बच्चा रहा हो तो पिता एवं उसकी माता को व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है एवं पिता व माता के न होने पर नाबालिग भाईयों एवं बहिनों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है–यदि वे निर्वाह के लिये कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हों एवं उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत हो।

किन्तु शर्त यह है कि पुरस्कार की कुल-राशि उस पेंशन की आधी राशि से अधिक नही होगी जो उसे नियम 275 के अन्तर्गत विधवा के लिये प्राप्य होती।

और यह शर्त भी है कि प्रत्येक नाबालिग भाई व बहिन का हिस्सा, नियम 275 के उप

नियम (ii) में वर्णित एक बच्चे के लिये, जो माता के बिना न हो, स्वीकृत पेंशन की राशि से अधिक नही होगी।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई भी दिया गया पुरस्कार, पेंशनर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर, इस रूप मे पुनर्विचार करने योग्य होगा जैसा कि सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे।

टिप्पणी:—यदि एक मृत कर्मचारी ने अपनी इच्छा विल द्वारा या वसीयतनामा द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी विधवा, बच्चे, पिता, माता या नाबालिग भाई व बहिन को देने से मना किया हो तो ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिये योग्य पात्र नही होगा तथा वह लाभाश दूसरे योग्य व्यक्ति के लिए दे दिया जायेगा।

नियम 277-प्रभावशील होने की तारीख:—(1) परिवार-पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के दूसरे दिन से या अन्य ऐसी तारीख से प्रभावशील होगी जिसे सरकार निर्धारित करे।

(2) परिवार-पेंशन साधारणतया निम्न मामलों में चालू रहेगी—

(i) विधवा या माता के संबंध में उस समय तक जब तक उसकी मृत्यु या उसका पुनः विवाह, जो भी जल्दी हो, नही हो जावे।

(ii) नाबालिग पुत्र या नाबालिग भाई के संबंध में उस समस तक, जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष न हो जाये।

(iii) अविवाहित पुत्री या नाबागि बहिन के संबंध में उस समय तक, जब तक कि उसकी शादी न हो जाय या उनकी अवस्था 21 वर्ष की, जो भी जल्दी हो, न हो जाये।

(iv) पिता के सम्बन्ध में जीवन भर।

नियम 278-प्रक्रिया या विधि :—(1) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में, इन नियमों के अधीन सभी पुरस्कार, वर्तमान में प्रभावशील साधारण पेन्शनों से सम्बन्धित किसी पद्धति/नियमों के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक कि ऐसी पद्धति/नियम इन नियमों पर लागू होंगे तथा इनसे असम्बद्ध नहीं होंगे।

(2) जब शरीर क्षति-पेन्शन या ग्रेच्युटी या परिवार पेन्शन का कोई क्लेम उत्पन्न होता है तो कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसमें कि मृत कर्मचारी नियुक्त था, उस क्लेम को उचित माध्यम द्वारा सरकार के पास निम्न-लिखित प्रमाण-पत्रों के साथ भेजेगा—

(i) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट पहुंची थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु हुई थी।

(ii) फार्म 'क' में शरीर-क्षति पेंशन या ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना-पत्र या जैसी भी स्थिति हो, परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्रों मे 'ख' प्रपत्र में परिवार पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र।

(iii) शरीर क्षति कर्मचारी के सम्बन्ध में या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे एक छूत की बीमारी हो गई, परिशिष्ट-6 में दिये गये फार्मों के फार्म 'ग' में चिकित्सा-प्रतिवेदन मृत-राज्य-कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसने उसकी मृत्यु का एक चिकित्सा-प्रतिवेदन

सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आघात प्राप्त करता है या आघात के परिणामस्वरूप मर जाता है या मारा जाता है।

नियम 271:—इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावधान के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त करने के लिये संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अन्य नियमों के अनुसार अधिकृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाले की राजकीय सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की जावेगी।

नियम 272:—निम्न के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेंगे—

1. प्रार्थना-पत्र की तारीख से पूर्व 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व की चोट या,
2. मृत्यु जो, कि—
   (क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या,
   (ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के आधार पर उस बिमारी के लिये अयोग्य घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मरा हो।

नियम 273-चोटों का वर्गीकरण:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिये चोटों (इन्जरीस) का वर्गीकरण निम्न-प्रकार किया गया है:—

(क) श्रेणी-पद के विशेष जोखिम—के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना जिसके कारण आंखें पूर्णतया नष्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत अधिक खराब हो गई हो।

(ख) श्रेणी-पद के विशेष जोखिम:—या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटें जो एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती हैं एवं जिनके कारण अंग की हानि होती हो या जो बहुत तीव्र हो या चोटें जो ऐसे पद के जोखिम के कारण उत्पन्न हुई हों एवं जिसके फलस्वरूप उसकी आंखें या अंग पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं या जो अधिक गम्भीर प्रकृति की है।

(ग) श्रेणी-पद के विशेष खतरे:—के फलस्वरूप लगी चोटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज नही है एवं हमेशा बनी रहने वाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटें जो वैसी ही है जैसी अंग हानि होने के कारण अयोग्यता उत्पन्न करती हैं या जो बहुत तेज हैं तथा स्थाई रूप से बनी रहने लायक है।

नियम 274-चोटों के लिये पुरस्कार:—(1) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 के अन्तर्गत (क) श्रेणी में आती है तो उसे:—

(क) उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी,

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से 1 वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगली तारीख से दिया जावेगा।

(i) यदि चोट के कारण एक या एक से अधिक अंगों की हानि या आंखों की हानि हुई है तो उसे उच्च-श्रृंखला पेंशन के लिये उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं

(ii) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेंशन के लिए उपनियम (5)में निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी आधी,रकम से कम नही होगी।

(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में आती हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगा:—

(i) यदि चोट के कारण एक आंख या अंग स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है या वह चोट बहुत चिन्ताजनक ढंग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई पेंशन जो निम्न-श्रेणी पेशन के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से ज्यादा नहीं होगी तथा उस राशि के आधे से कम नही होगी।

(ii) अन्य मामलों में—

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये एक अस्थाई पेशन जिसकी राशि निम्न-श्रेणी के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद।

(ख) उपखण्ड (क) में वर्णित सीमा में पेशन, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रतिवर्ष प्रमाणित करता है कि चोट निरन्तर तीव्रतर बन रही है।

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्तगंत आता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी। यदि चिकित्सा-मण्डल यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी एक वर्ष तक सेवा के लिये अयोग्य रहने लायक है अथवा अनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस प्रकार वर्णित राशि की कम से कम चौथाई तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अयोग्य प्रमाणित कर दिया जाता है।

किन्तु शर्त यह है कि जहां चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अंग हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे. ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर सकती है जो इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक अस्थाई पेंशन को स्थाई शरीरक्षति पेंशन में बदला जा सकता है—

(i) जब कर्मचारी ऐसी अग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिये अस्थाई पेशन स्वीकृत की गई थी, या

(ii) जब अस्थाई पेशन 5 वर्ष से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या

(iii) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रमाणित करता है कि उसकी शारीरिक अयोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नही होगी।

(5) इस नियम मे वर्णित शरीर-क्षति ग्रेच्युटी एवं पेंशन निम्न-प्रकार से होगी—

चोट लगने की तारीख को कर्मचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेन्शन उच्च श्रेणी	मासिक पेंशन निम्न श्रेणी
1	2	3	4
1. 2000) रु एवं उससे अधिक	.	300-00	225-00

1	2	3	5	4
2.	1500) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 2000) रु. से कम ।		275-00	200-00
3.	1000) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 1500) रु. से कम ।	3 माह का वेतन किन्तु 800) रु. से कम नहीं हो	200-00	150-00
4.	900) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 1000) रु. से कम ।		150-00	125-00
5.	400) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 900) रु. से कम ।		100-00	84-00
6.	350) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 400) रु. से कम ।		85-00	70-00
7.	200) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 350) रु. से कम ।		67-00	50-00
8.	200) रु. से नीचे	4 माह का वेतन	वेतन का 1/3 भाग किन्तु कम से कम 8) रु. प्रतिमाह	वेतन का 1/5 भाग किन्तु कम से कम 4) रु. प्रतिमाह

किन्तु शर्त यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधान द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी ।

राजकीय निर्णयः—जहां राज्य सरकार किसी कर्मचारी द्वारा घाव-चोट या असाधारण पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजन से एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करे तथा वह उस साक्ष्य के आधार पर सन्तुष्ट हो जाय कि चिकित्सक-मण्डल ने जो उसे जाचा है उसके निर्णय करने में कुछ गलती भी है तो राज्य सरकार एक दूसरे चिकित्सक-मण्डल को, जो उन चिकित्सकों से भिन्न चिकित्सकों द्वारा बनाया जायेगा, जिन्होने पहिले उसे जाचा है, अधिकारी को जाच करने तथा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने के लिये आदेश दे सकती है । अधिकारी को पेंशन दूसरे चिकित्सक-मण्डल के निर्णय के अनुसार स्वीकृत की जावेगी ।

नियम 275–कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी एवं बच्चों को पुरस्कारः– नियम 276 के अन्तर्गत टिप्पणी के प्रावधानों को शर्त पर कर्मचारी की विधवा पत्नी एवं बच्चों को पुरस्कार निम्न-प्रकार से दिया जावेगा । किन्तु शर्त यह है कि इसके साथ किन्हीं अन्य नियमों के

अन्तर्गत कोई पेंशन-ग्रेच्युटी नही दी जावेगी—

(i) यदि कोई कर्मचारी पद के विशेष-जोखिम के परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण मारा जाता है तो—

(क) उप नियम (iii) मे वर्णित मिलने वाली राशि की ग्रेच्युटी, एवं

(ख) एक पेंशन जिसकी राशि उपनियम (iii) मे वर्णित मिलने वाली राशि से अधिक नही होगी।

(ii) यदि कर्मचारी पद के जोखिम के परिणामस्वरूप पहुंचाई गई चोट के कारण मारा जाता है तो जिसे वह पेंशन स्वीकृत की जावेगी उसकी राशि उपनियम (iii) में वर्णित राशि से अधिक नही होगी, यदि मृत कर्मचारी का वेतन 800) रु. (1–9–1976 से) से कम हो तो मासिक पेन्शन की राशि, जो इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, उपनियम (iii) मे वर्णित दरों की न्यूनतम सीमा सहित ध्यान में रखते हुये भी, अपने वेतन के आधे-वेतन से अधिक नहीं होगी, एवं यदि किसी मामले में उप-नियम (iii) के अन्तर्गत निकाली गई पेंशन की राशि अपने वेतन की आधी राशि से अधिक होती है तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेन्शन की राशि ऐसे अनुपात में घटाई जावेगी कि उनके घटाने से "वेतनादि-को-राशि" अपने वेतन की आधी राशि तक सीमित हो जावेगी।

(iii) उप खण्ड (i) व (ii) में वर्णित परिवार ग्रेच्युटी एवं पेन्शन निम्न-प्रकार होगी:—

परिवार-ग्रेच्युटी एवं पेंशन

ए–विधवा

	मृत्यु की तारीख को कर्मचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेंशन
1.	800) रु एव उससे अधिक	3 माह का वेतन किन्तु कम से कम 800) रु	वेतन का 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 275) रु. तक।
2.	200) रु. एवं उससे अधिक किन्तु 800) रु. से कम	"	वेतन का 25 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 150) रु. व न्यूनतम 75) रु. तक।
3.	200) रु. से नीचे	4 माह का वेतन	वेतन का 45 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 75) रु. व न्यूनतम 40) रु. तक।

बी–बच्चे

मृत्यु की तारीख को	प्रत्येक बच्चे की मासिक पेंशन	
	यदि बच्चा मा के बिना हो	यदि बच्चा मा सहित हो
800) रु. एव उससे अधिक	60) रु.	25) रु.
250) रु. एव उससे अधिक किन्तु 800) रु. से कम	37–50 रु.	13) रु
250) रु से कम	वेतन का 15 प्रतिशत	वेतन का 1/20 भाग किन्तु कम से कम 3) रु. तक

(क) किन्तु शर्त यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी।

(ख) माता के रहित बच्चे/बच्चों को भुगतान की जाने वाली पेन्शन किसी भी दशा में उस पेन्शन की राशि से कम नहीं होगी जो अध्याय 23-ए के प्रावधान यदि उस पर लागू किये होते तो उसे स्वीकार्य हो गई होती।

(ग) ऐसे कर्मचारियों के लिये जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हों, यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस खण्ड के अधीन विधवा को भुगतान की जाने वाली पेन्शन निम्न-प्रकार होगी—

(1) उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष के लिये या उस तारीख तक जिसको यदि अधिकारी जीवित रहता तो अपनी सामान्य अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युएशन-एज) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस तक के लिये पेन्शन, अन्तिम रूप से उठाए गए वेतन का 50 प्रतिशत होगी किन्तु वह नियम 268-सी (1) के अधीन स्वीकार्य पेन्शन की दुगनी की अधिकतम सीमा तक होगी।

(2) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेन्शन उसी दर पर होगी जो नियम 268-सी (1) में दी हुई है।

टिप्पणी:—(1) एक ऐसे कर्मचारी के संबध में जो सेवा वृद्धि काल मे मरता है तो उसकी मृत्यु से पूर्व, जिस तारीख तक उसे सेवा-वृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेवा की सामान्य अधिवार्षिकी-आयु समझी जाएगी।

यदि एक कर्मचारी अपने पीछे दो या दो से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है तो विधवा के लिये देय इस नियम के अधीन प्राप्य पेंशन या ग्रेच्युटी को, सभी विधवाओ मे बराबर 2 बांट दिया जावेगा।

राजकीय निर्णय:— राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 में दिये गये असाधारण पेंशन नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या ऐसे मामले में जिसमे व्यक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (12) वित्त विभाग/व्यय-नियम/64 दिनांक 3-4-67 द्वारा किये गये उक्त नियमों से नियमित होता है, उसके मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से दो माह की कटौती की जानी चाहिये ? मामले की जांच की जाकर यह तय किया गया है कि ऐसे मामले में मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि में से दो माह के "वेतनादि" की कटौती की जानी चाहिये। (ये आदेश दिनांक 1-1-67 से प्रभावशील होंगे)

नियम 276–मृत-कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को पुरस्कार:—(1) यदि मृत कर्मचारी के पीछे न तो विधवा न ही कोई बच्चा रहा हो तो पिता एवं उसकी माता को व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है एवं पिता व माता के न होने पर नाबालिग भाईयों एवं बहिनों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है–यदि वे निर्वाह के लिये कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हों एवं उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत हो।

किन्तु शर्त यह है कि पुरस्कार की कुल-राशि उस पेंशन की आधी राशि से अधिक नही होगी जो उसे नियम 275 के अन्तर्गत विधवा के लिये प्राप्य होती।

और यह शर्त भी है कि प्रत्येक नाबालिग भाई व बहिन का हिस्सा, नियम 275 के उप

नियम (ii) में वर्णित एक बच्चे के लिये, जो माता के बिना न हो, स्वीकृत पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई भी दिया गया पुरस्कार, पेंशनर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर, इस रूप में पुनर्विचार करने योग्य होगा जैसा कि सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे।

टिप्पणी:—यदि एक मृत कर्मचारी ने अपनी इच्छा विल द्वारा या वसीयतनामा द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी विधवा, बच्चे, पिता, माता या नाबालिग भाई व बहिन को देने से मना किया हो तो ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिये योग्य पात्र नहीं होगा तथा वह लाभांश दूसरे योग्य व्यक्ति के लिए दे दिया जायेगा।

नियम 277–प्रभावशील होने की तारीख:—(1) परिवार-पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के दूसरे दिन से या अन्य ऐसी तारीख से प्रभावशील होगी जिसे सरकार निर्धारित करे।

(2) परिवार-पेंशन साधारणतया निम्न मामलों में चालू रहेगी—

(i) विधवा या माता के सबंध में उस समय तक जब तक उसकी मृत्यु या उसका पुनः विवाह, जो भी जल्दी हो, नहीं हो जावे।

(ii) नाबालिग पुत्र या नाबालिग भाई के संबंध में उस समस तक, जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष न हो जाये।

(iii) अविवाहित पुत्री या नाबालिग बहिन के संबंध में उस समय तक, जब तक कि उसकी शादी न हो जाय या उनकी अवस्था 21 वर्ष की, जो भी जल्दी हो, न हो जाये।

(iv) पिता के सम्बन्ध में जीवन भर।

नियम 278–प्रक्रिया या विधि :—(1) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में, इन नियमों के अधीन सभी पुरस्कार, वर्तमान में प्रभावशील साधारण पेन्शनों से सम्बन्धित किसी पद्धति/नियमों के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक कि ऐसी पद्धति/नियम इन नियमों पर लागू होंगे तथा इनसे असम्बद्ध नहीं होंगे।

(2) जब शरीर क्षति-पेन्शन या ग्रेच्युटी या परिवार पेन्शन का कोई क्लेम उत्पन्न होता है तो कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसमें कि मृत कर्मचारी नियुक्त था, उस क्लेम को उचित माध्यम द्वारा सरकार के पास निम्न-लिखित प्रमाण-पत्रों के साथ भेजेगा—

(i) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट पहुंची थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु हुई थी।

(ii) फार्म 'क' में शरीर-क्षति पेंशन या ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना-पत्र या जैसी भी स्थिति हो, परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्रों मे 'ख' प्रपत्र में परिवार पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र।

(iii) शरीर क्षति कर्मचारी के सम्बन्ध में या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे एक छूत की बीमारी हो गई, परिशिष्ट-6 में दिये गये फार्मों के फार्म 'ग' में चिकित्सा-प्रतिवेदन मृत-राज्य-कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसने उसकी मृत्यु का एक चिकित्सा-प्रतिवेदन

उसकी वास्तविक मृत्यु का विश्वसनीय प्रमाण, यदि कर्मचारी की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई हो कि उसके लिये चिकित्सा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(iv) सम्बन्धित जांच अधिकारी की इस सम्बन्ध की रिपोर्ट कि क्या इन नियमों के अन्तर्गत उसे पुरस्कार दिया जा सकता है एवं यदि हां, तो किस सीमा तक।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 293 (1) के साथ पठित नियम 278 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार असाधारण पेंशन के अनुदान की स्वीकृति भी महालेखाकार द्वारा पेंशन के प्रमाणित किये जाने पर ही दी जावेगी। महालेखाकार द्वारा यह ध्यान मे लाया गया है कि कभी-कभी असाधारण पेंशनो मे निर्धारित पद्धति का पालन नही किया जाता है एवं इससे पेंशन भुगतान आदेश जारी करते समय उलझने उत्पन्न हो जाती हैं।

अतः पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम सभी निर्धारित प्राधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि असाधारण पेंशन के अनुदान तथा साधारण पेंशन की स्वीकृतियां महालेखाकार द्वारा पेंशन की राशि के प्रमाणित करने के बाद ही जारी की जानी चाहियें तथा सूचित की जानी चाहियें।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—अध्याय 24 के अधीन पेंशन प्रदान करने के तरीके को सरल करने संबंधी प्रश्न की इस बात को सुनिश्चित करने हेतु जाच की गयी कि उक्त पेंशनरों के दावों को शीघ्रता पूर्वक निपटाया जाय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (इ) मे अपेक्षा की गयी है कि किसी व्यक्ति के सिविल कर्मचारी की हैसियत से लगी चोट के सबंध मे पेंशन के (जिसमे ग्रेच्युटी भी सम्मिलित है) स्वीकार करने के किसी क्लेम के बारे मे तथा ऐसी पेंशन की राशि के सबंध में किसी प्रश्न के बारे मे राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा। अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को असाधारण पेंशन नियमो के अन्तर्गत उन समस्त मामलों मे, जिनमें प्रस्तावित पेंशन या ग्रेच्युटी नियमों के द्वारा स्पष्ट रूप से उनके अन्तर्गत आती है सीधा संदर्भ राजस्थान लोक सेवा आयोग से किया जाना चाहिये एव जहा पर आडिट आफिसर, प्रशासनिक विभाग, एव राजस्थान लोक सेवा आयोग के बीच पेंशन प्रदान करने या उसकी मूलराशि के बारे में कोई मतभेद न हो तो पेंशन, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा, स्वीकृत कर देनी चाहियें।

ऐसे मामले जो स्पष्टतः इन नियमो के अन्तर्गत नही आते हैं या जहा पर आडिट-आफिसर एवं प्रशासनिक विभाग या उनमें एव राजस्थान लोक सेवा आयोग में कोई मत-भेद हो या जहां कोई पेंशन की स्वीकृति, नियमों के अन्तर्गत स्पष्टतः नही आती हो, एवं जिसे दया के रूप मे स्वीकृत किया गया हो, उन्हें साधारण रूप में वित्त विभाग को, उसकी अनुमति के लिये, भिजवाया जाता रहेगा।

अध्याय 25

पेन्शन स्वीकार करने हेतु आवेदन-पत्र

अनुभाग–1 सामान्य

नियम 279–प्रभावशीलता:—(1) इस अध्याय के नियम उन समस्त कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदन करते हैं।

(2) इस अध्याय के प्रयोजन हेतु 'ग्रेच्युटी' से तात्पर्य मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से है तथा उसमें सेवा-ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है तथा 'महालेखाकार' से तात्पर्य महालेखाकार, राजस्थान से है।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (77) एफ. डी. (नियम) 69 दिनांक 15-5-70 द्वारा संशोधित एवं 1-6-70 से प्रभावशील]

नियम–280–आगामी बारह माहों के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना:—प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष को प्रथम जनवरी तथा प्रथम जुलाई को, हर छठे माह, उन समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो उस तारीख से दो वर्ष में सेवा-निवृत्त होने है। ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को अधिकतम उस वर्ष की 31 जनवरी या 31 जुलाई तक, जैसी भी स्थिति हो, भेज दी जायेगी। अधिवार्षिकी (सुपरएन्युएशन) के अलावा अन्य कारणों से सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामलों में विभागाध्यक्ष उनकी सूचना जैसे ही उसे होने वाली सेवा-निवृत्ति की तारीख ज्ञात हो जाये, तत्काल महालेखाकार को भेज देगा।

निर्देश:—राजस्थान सेवा नियम 280 के अनुसार जो, वित्त विभाग (व्यय-नियम) की विज्ञप्ति संख्या एफ. 1 (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 15-5-1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक छः माह अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रतिवर्ष उन सब राजपत्रित कर्मचारियो की एक सूची बनानी है, जो उस दिनाक से अगले दो वर्ष मे सेवा-निवृत्त होने वाले है और उसकी एक प्रति उसके द्वारा महालेखाकार राजस्थान जयपुर को 31 जनवरी और जुलाई से पूर्व, यथा स्थिति, प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी है।

महालेखाकार ने इस विभाग के ध्यान में लाते हुये बताया है कि केवल कुछ ही विभागों ने अंकेक्षण को ऐसी सूचियां भेजी हैं।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची जो राजस्थान सेवा नियम 280 के अधीन एक जनवरी को भेजी जानी थी, उसे तुरन्त ही इस विभाग को सूचना देते हुये, महालेखाकार को भेज दिया जावे। जिन विभागों ने पहले ही ऐसी सूची अंकेक्षण विभाग को भेज दी हैं, वे दुबारा नहीं भेजें।

नियम 281—पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:—प्रत्येक कर्मचारी प्रपत्र पी-1 में पेंशन हेतु एक-औपचारिक-आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। राजपत्रित राज्य कर्मचारी (जिनमें वे सम्मिलित नहीं है जिनके वेतन एवं भत्ते सस्थापन बिल पर उठाये जाते है

अपने औपचारिक आवेदन पत्र सीधे-महालेखाकार को तथा अराजपत्रित कर्मचारी अपने नियुक्ति-अधिकारी को अपनी सेवा-निवृत्ति से न्यूनतम दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें सेवा-निवृत्ति की तारीख का अनुमान दो वर्ष पूर्व नहीं लगाया जा सकता है, वहां आवेदन-पत्र सेवा-निवृत्ति की तारीख के तय होने के ठीक बाद प्रस्तुत किया जाएगा तथा दो वर्ष से अधिक सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर रवाना होने से पूर्व आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

टीका:—नियमों में "एक वर्ष', के स्थान पर "दो वर्ष" की अवधि का संशोधन 28-8-74 से किया गया है।

नियम 282—पेंशन स्वीकृत करने को सक्षम-प्राधिकारी:—सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा स्थायी-रूप से धारण किये गये पद पर नियुक्ति करने में सक्षम-प्राधिकारी ही पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकार करने में सक्षम होगा। ऐसा प्राधिकारी नियम 248 के प्रावधानों को उचित प्रकार से ध्यान में रखते हुये प्रपत्र पी-3 में अपने ये आदेश अभिलिखित करेगा कि आया कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा पूर्ण पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की स्वीकृति हेतु अनुमोदित है। यदि की गई सेवा अनुमोदित नहीं है तो उसे उस कारण, इन नियमों के अधीन स्वीकार्य पूर्ण पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों में से ऐसी कटौती करनी चाहिये जिसे वह ठीक समझे।

राजकीय निर्देश संख्या 1:—पेंशन के विचाराधीन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से राज्यपाल महोदय ने नियम 282 के उपबन्धों में आंशिक परिवर्तन करते हुये समस्त कार्यालयाध्यक्षों को समस्त-श्रेणी के अराजपत्रित-कर्मचारियों के बारे में, जो दिनांक 1-4-1970 के पूर्व सेवा-निवृत्त हुये है, पेंशन स्वीकृत करने के अधिकार प्रदान किये हैं।

यह आज्ञा जारी करने के दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

[वि. वि. विज्ञप्ति सं. एफ 1 (27) वि. वि (नियम)/72 दिनांक 7-6-1972 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्देश संख्या 2:—नियम 282 के अनुसार सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा स्थायी-रूप-से-धारित-पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम-प्राधिकारी पेन्शन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। ऐसे प्राधिकारी को प्रपत्र पी-3 के अनुच्छेद (ग) के अधीन यह आज्ञा अभिलिखित करने की आवश्यकता है कि आया उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा, पेन्शन और ग्रेच्युटी की स्वीकृति के लिये अनुमोदित है या नहीं।

एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रपत्र पी-3 मे आज्ञा कैसे अभिलिखित की जायेगी जहा सरकार स्वयं नियुक्ति-प्राधिकारी होने से पेन्शन स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी है। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक सम्बन्धित शासन-सचिव द्वारा आज्ञा अभिलिखित करनी है, वह प्रपत्र पी-3 के अनुच्छेद (ग) के अधीन की जा सकती है किन्तु जहां ऐसी आज्ञा प्रशासनिक विभाग के किसी अन्य अधिकारी, सचिव के अतिरिक्त, द्वारा अभिलिखित की जाये, तो ऐसी आज्ञा को राज्यपाल के नाम से सम्प्रेषित किया जाना चाहिये—अर्थात् उसी तरीके से जैसे वित्तीय-स्वीकृतियां जारी की जाती है।

[विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (31) वि. वि. (श्रेणी-2)/73 दिनांक 13-6-73 द्वारा निविष्ट]

नियम 283-लिपिकीय-त्रुटि का पता लगने के कारण पेंशन का पुनःरीक्षण:—(1) नियम 169 व 170 के प्रावधानों के अधीन रहते हुये अंतिम-निर्धारण के पश्चात् एक बार स्वीकृत की गई पेंशन का पुनःरीक्षण उस समय तक इस आधार पर नहीं किया जायेगा कि वह कर्मचारी के लिये अ-लाभपद हो, जब तक ऐसा पुनःरीक्षण बाद में किसी लिपिकीय त्रुटि का पता लगने के कारण अनिवार्य नहीं हो जाए। पेंशनर को अलाभप्रद होने वाली पेंशन का पुनःरीक्षण किये जाने का आदेश

पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा तब ही दिया जावेगा जब तिथिरीय त्रुटि की जानकारी स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष की अवधि में ज्ञात हो जावे।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ संबंधित-कर्मचारी को पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा एक नोटिस दिया जावेगा जिसमें उससे उक्त-नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो माह की अवधि में उक्त प्रकार से किये गये अधिक-भुगतान की राशि को वापिस करने के लिये कहा जावेगा। नोटिस की अनुपालना करने में असफल रहने पर पेंशन स्वीकृत-करने-वाला-सक्षम-प्राधिकारी यह आदेश देगा कि अधिक भुगतान को भविष्य में एक या एक से अधिक किश्तों में, जैसा उक्त प्राधिकारी आदेश दे, पेंशन से, समायोजित किया जावेगा।

अनुभाग-2:-राजपत्रित-अधिकारी

नियम 284-पेंशन-पत्रादि को तैयारी-प्रारम्भ करना:—महालेखाकार प्रपत्र पी-2 में जिस तिथि को कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है या जिस तिथि को वह सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर जाता है, इनमें से जो भी पूर्व में हो, उससे दो वर्ष पूर्व पेंशन पत्रादि तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इस कार्य में उस समय तक विलम्ब नहीं किया जावेगा जब तक कर्मचारी पेंशन हेतु अपना औपचारिक आवेदन पत्र वास्तव में प्रस्तुत नहीं करेगा।

नियम 285-राजपत्रित-अधिकारियों को पेंशन हेतु औपचारिक आवेदन-पत्र का प्रपत्र भेजा जाना:--(1) महालेखाकार नियुक्ति-प्राधिकारी को या जहां सेवा-निवृत्त होने वाला कर्मचारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो संबंधित प्रशासनिक-विभाग को सूचना देते हुए, जिस तारीख को अधिकारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है उससे या यदि इससे पूर्व संभव हुआ तो उसकी प्रत्याशित-सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व प्रत्येक अधिकारी के पास प्रपत्र पी-1 (पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र) की एक प्रति इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा कि उसे उचित रूप से भरा जाकर यथा-संभव शीघ्र उसके पास वापिस भेज दिया जाय, किन्तु किसी भी दशा में सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि के बाद तक विलम्ब नहीं होना चाहिये। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी का ध्यान नियम 301 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित करेगा।

(2) महालेखाकार से पेंशन के औपचारिक आवेदन-पत्र को प्रति प्राप्त होने पर, सेवा-निवृत्त होने वाला अधिकारी उसे उचित रूप से भरकर महालेखाकार के पास भेजेगा तथा उपनियम के अनुसार उसकी सूचना नियुक्ति-प्राधिकारी को अथवा यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है तो संबंधित प्रशासनिक-विभाग को देगा।

यदि एक राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं का कोई भाग सत्यापित किये जाने योग्य नहीं है तो नियम 288 (सी) में दी गई प्रणाली को अपनाया जावेगा और ऐसी अवधि की सेवाओं का वार्षिक-सत्यापन का प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

[आज्ञा संख्या एफ 1 (52) वि. वि. (श्रेणी-2)/74 दिनांक 1-9-75 द्वारा निविष्ट]

(3) **पेंशन स्वीकृत किए जाने के आदेशों की सूचना:**—(i) महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर, नियुक्ति-प्राधिकारी या सरकार के प्रशासनिक विभाग, सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किन्तु किसी भी दशा में कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख तक, प्रपत्र पी-3 में महालेखाकार को पेंशन-स्वीकृत करने हेतु आदेशों को भेजेगा।

(ii) यदि पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के आदेश खण्ड (1) में वर्णित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुये तो वह सुनिश्चित करेगा कि सेवा-निवृत्त-होने-वाले कर्मचारी को पूर्ण पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों, जो उक्त नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हैं, स्वीकृत की गई है।

(iii) यदि महालेखाकार को स्वीकृति के आदेश की सूचना दिये जाने के बाद, ऐसी कोई घटना होती है जो स्वीकार्य-पेंशन की राशि पर प्रभाव डालती है, तो तथ्यों की सूचना पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा शीघ्र ही महालेखाकार को दी जावेगी। यदि ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो उस संबंध की एक सूचना खण्ड (1) मे वर्णित प्रपत्र पी-3 के प्रेषित किये जाने के बाद अधिकारी द्वारा की गई सेवा को सन्तोषजनक प्रकृति के प्रमाण-पत्र के साथ अधिकारी के सेवा-निवृत्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी।

(4) अधिकारी के विरुद्ध किन्ही सरकारी-बकायों का विवरण तथा इस संबंध में सरकार के हित को सुरक्षित रखने के लिये उठाये गए कदमों का विस्तृत-विवरण भी विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार कार्यालय को कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व भेजा जायेगा।

(5) **पेंशन भुगतान आदेश जारी करने की सूचनाः** - जैसे ही महालेखाकार द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्युटी का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया जाए एवं पेंशन उसके अंकेक्षण-क्षेत्र में भुगतान योग्य है तो वह पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी के आदेशों को तथा प्रपत्र पी-2 के भाग 3 में अंकित आदेशों को ध्यान में रखकर पेंशन-भुगतान-आदेश तैयार करेगा किन्तु जिस तिथि को कर्मचारी सेवा-निवृत्त होना है उससे पन्द्रह दिन से अधिक समय पूर्व उक्त आदेश जो जारी नहीं करेगा। पेंशन-भुगतान-आदेश जारी किये जाने के तथ्यों की सूचना तत्काल ही पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी को दी जायेगी। यदि पेंशन का भुगतान अन्य अंकेक्षण क्षेत्र मे किया जाना चाहा जाए तो महालेखाकार उस क्षेत्र के आडिट-अधिकारी को सम्बन्धित कोषागार में भुगतान की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक भुगतान-अधिकार-पत्र देने की सूचना भेजेगा।

अन्तःकालीन पेन्शन एवं ग्रेच्युटी (प्रोविजनल पेन्शन एण्ड ग्रेच्युटी) का भुगतानः—

✓**नियम 286** (1) एक राज-पत्रित-राज्य-कर्मचारी द्वारा उसके राज्य-सेवा-से-निवृत्त-होने की दिनांक से पेन्शन-प्राप्त करना/आहरित-करना प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये चाहे उसके सम्बन्ध में पेंशन-पत्रादि, महालेखाकार-राजस्थान को, पेंशन-स्वीकार करने के लिये प्रेषित किये गये है अथवा नहीं। जिन मामलों में पेंशन-पत्रादि तैयार नही किये जाकर महालेखाकार-राजस्थान को नही भेजे गये हों, उनमें सम्बन्धित-विभागाध्यक्ष ऐसे राजपत्रित-अधिकारी के पेशन-पत्रादि की बहुत सावधानी/सतर्कता से, सुक्ष्म रूप से जांच-पड़ताल करके उसे देय-अधिकतम पेशन-राशि के 75 प्रतिशत भाग के भुगतान के आदेश जारी कर देगा। यदि ऐसे अधिकारी के पेंशन-पत्रादि तैयार कर लिये गये है तथा उस कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व ही महालेखाकार को पेंशन-स्वीकृति के लिये भिजवा दिये गये हों तो ऐसे राज्य-कर्मचारी को उसे अधिकतम-देय-पेंशन-राशि के आधार पर अंतःकालीन पेंशन स्वीकृत कर दी जावेगी तथा साथ में इन नियमों के अन्तर्गत उसे देय-ग्रेच्युटी की राशि का 75 प्रतिशत भुगतान के लिये प्राधिकृत कर दिया जावेगा। अंतःकालीन-पेंशन को ऐसी स्वीकृति, प्रत्येक मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा इन नियमो के अन्तर्गत एक कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व अथवा

उसकी सेवा-निवृत्ति के दिन अवश्य जारी करदी जावेगी और वह स्वीकृति महालेखाकार राजस्थान द्वारा उस अधिकारी के पेंशन के मामले को अंतिम रूप से निपटाये जाने तक मान्य (वेलिड) मानी जावेगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (52) वि. वि. (ग्रुप-2)/74-I दिनांक 20-7-1978 द्वारा प्रतिस्थापित]

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जहां कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय सेवारत है, अंतःकालीन पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि फार्म पी-5 में प्रत्येक-पेंशनर के लिये पृथक-पृथक उस कोषालय से आहरित करेगा जिससे उसने वेतन और भत्तों का भुगतान प्राप्त किया है और अधिकारी को जिस माह मे सेवा-निवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने की व्यवस्था करेगा। यदि पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान मनिआर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट से उस स्थान पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहा पर वह निवास कर रहा है तो पेन्शन की राशि का भुगतान उसके व्यय पर मनिआर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट से भेजा जायेगा। पेंशनर को अंतःकालीन पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान जिस दिनांक को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार राजस्थान को भेजनी होगी।

(3) अंत:कालीन पेन्शन और ग्रेच्युटी की राशि जो स्वीकृत की गई है और जिसका भुगतान कर्मचारी को किया गया है यदि उस राशि से अधिक पाई जाती है जो अन्तिम-पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित की जानी है तो ऐसे अधिक भुगतान को नियम 283 में वर्णित प्रणाली एवं शर्तो के अधीन उसे लौटाने हेतु कहा जावेगा।

[आज्ञा संख्या एफ 1 (52) वि. वि (श्रेणी-2) 74-I दिनांक 1-9-1975 द्वारा उक्त उप-नियम (2) तथा (3) प्रतिस्थापित]

राजकीय निर्णयः—कुछ प्रकरणों मे कर्मचारियों ने भवन निर्माण अग्रिम लिये है और अग्रिम के एक भाग का भुगतान मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि से समायोजित करने का विकल्प भवन-निर्माण-अग्रिम नियमो के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया है। ऐसे प्रकरण मे भवन निर्माण अग्रिम की राशि का एक भाग जो बारह माह के वेतन के समान होता है को मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि मे से अथवा विशेष-अंशदान की राशि मे से, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होते है, समायोजन करने हेतु रख लिया जाता है। भवन-निर्माण-अग्रिम नियमों के उपरोक्त प्रावधानो को लागू करने मे कठिनाई उत्पन्न होती है यदि पेन्शन-स्वीकृति अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी करदी जाती है। अतः समस्त पेन्शन स्वीकृत-कर्ता-अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है कि ऐसे प्रकरणों मे अन्तःकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान की स्वीकृति नियमों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि के 20 प्रतिशत से अधिक न हो, ही करें।

अन्तःकालीन ग्रेच्युटी जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की स्वीकार्य अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो की राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी करने से पूर्व पेंशन-स्वीकृति-सक्षम-अधिकारी सतर्कता के तौर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से जाँच करने अथवा कर्मचारी से भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की प्रति माग कर स्वयं सन्तुष्टि कर लेवें। पेंशन-स्वीकृति-अधिकारियों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों में एक-रूपता लाने के लिये यह निश्चिय किया गया है कि अन्तःकालीन पेंशन और ग्रेच्युटी की स्वीकृतियां जारी करने हेतु पी-6 निर्धारित फार्म ही उपयोग मे लावें।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (52) वि वि. (श्रे-2) 74 दि. 8-3-76 द्वारा निविष्ट]

नियम 286-ए-(1) नियम 284 से 286 (दोनों सहित) में किसी प्रावधान के होते हुये भी, एक राजपत्रित अधिकारी, जो दिनांक 1-1-1975 को या इसके बाद सेवा-निवृत्त हो रहा है और जिसका वेतन एवं भत्ते संस्थापन-वेतन-बिलों पर आहरित किया जाता है, अपना औपचारिक-प्रार्थना-पत्र (पेंशन की स्वीकृति हेतु) प्रपत्र-1, में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेगा। उसके मामले में नियम 287 से 294 (दोनों सहित) में वर्णित पेंशन के कागजात तैयार करने व पेंशन-स्वीकार करने की प्रक्रिया लागू होगी।

(2) जहाँ राजपत्रित-अधिकारियों के बारे में जो दिनांक 1-1-1975 को या इसके बाद सेवा-निवृत्त हो रहे हैं, महालेखाकार-राजस्थान द्वारा इस आज्ञा के जारी होने से पहिले पेंशन के कागजात बनाने की तैयारी आरंभ करदी गई/हाथ में ले ली गई हो, तो ऐसे मामले महालेखाकार द्वारा ही निपटाये जावेंगे।

[आज्ञा संख्या एफ 1 (14) वि. वि. (श्रे-2) /74 दिनांक 9-6-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-1-1975 से प्रभावशील]

अनुभाग-3: अराजपत्रित-कर्मचारी

अराजपत्रित-कर्मचारियों के लिये पेंशन-पत्रादि तैयार करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व

नियम 287:—(1) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष जिस तारीख को कर्मचारी अधिवार्षिकी-आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है या जिस तारीख को वह सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करता है, उनमें से जो भी पूर्व में पेंशन-पत्रादि तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इस कार्य में उस समय तक विलम्ब नहीं किया जायेगा जब तक कर्मचारी पेंशन हेतु अपना औपचारिक-आवेदन-पत्र वास्तव में प्रस्तुत नहीं करता है।

(2) सेवा-निवृत्ति के समय स्थानापन्न रूप से किसी राजपत्रित-पद को धारण करने वाले अराजपत्रित-कर्मचारी के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को सम्बन्धित-कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका को, उक्त कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व, यह प्रमाणित करने के बाद कि अराजपत्रित-सेवा से सम्बन्धित सत्यापन-प्रमाण-पत्र अंकित कर दिया गया है, तथा सेवा-पुस्तिका सब प्रकार से पूर्ण है, महालेखाकार के पास भेज देनी चाहिये। यदि अराजपत्रित-कर्मचारी उसकी सेवा के अंतिम वर्ष में किसी राजपत्रित-पद पर स्थानापन्न-नियुक्त हो जाये तथा जिसके मामले में पेंशन-पत्रादि तैयार किये जाकर महालेखाकार को नहीं भेजे गये है, ऐसे कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका जो सब प्रकार से सत्यापित एवं पूर्ण है, शीघ्र ही विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत की जावेगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को जिस तारीख से कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है उस तारीख से या यदि इससे पूर्व संभव हुआ तो उसकी प्रत्याशित-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व प्रपत्र पी-1 (पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र) एक प्रति में इस निवेदन के साथ दी जायेगी कि उसे उचित रूप से भरा जाकर यथा-संभव शीघ्र उसके पास भेज दिया जाये किन्तु किसी भी दशा में सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि के बाद तक विलम्ब नहीं होना चाहिये। कार्यालयाध्यक्ष सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी का ध्यान नियम 301 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित करेगा।

आदेशः– नियम 287 के साथ पठित नियम 286-ए के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष से समस्त राजपत्रित अथवा अराजपत्रित-सरकारी-कर्मचारियों के पेन्शन के मामले तैयार करने की अपेक्षा की गई है तथा वह सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मामले, नियमों के अधीन- यथा-अपेक्षित हर प्रकार से सम्यक् रूप से पूर्ण करके, पेंशन और मृत्यु एव सेवा निवृत्ति उपदान रिलीज करने के लिये महालेखाकार को भेजेगा। तथापि, प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 माह पूर्व तक लिखित में औपचारिक निर्देश करते हुये नियुक्ति प्राधिकारी से इस बारे में अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 248 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन से कम पेंशन मंजूर करने का इरादा है। उस दशा में, जब कि नियुक्ति प्राधिकारी नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन से कम पेंशन मंजूर करने के अपने विनिश्चय से सेवा-निवृत्ति की तारीख से कुछ माह पूर्व तक कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को सूचित नही करे तो यह मान लिया जायगा कि सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पेन्शन तथा उपदान की पूरी रकम मंजूर की जायेगी।

अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आगाह किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मामलों का शीघ्र निपटारा करने की दृष्टि से उपर्युक्त प्रक्रिया का सदैव अनुसरण किया जाय।

[संख्या प. 1 (52) वित्त (प्र.प-2)/74/III दिनांक 20-7-1978]

नियम 288-सेवा-सत्यापित करने के बाद सेवा-विवरण तैयार करनाः—प्रथम प्रयास के रूप में कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी-2 के भाग-2 में आवेदन की सेवाओं का एक विवरण तैयार करेगा, तत्पश्चात निम्न-प्रकार से कार्यवाही करेगा—

(क) वह सेवा पुस्तिका को तथा सेवा पंजिका को, यदि कोई हो, देखेगा तथा अपने आपको सन्तुष्ट करेगा कि सम्पूर्ण-सेवा के लिये सत्यापनों के वार्षिक-प्रमाण-पत्र उसमे अंकित है। सेवा के असत्यापित-भागों के सम्बन्ध में वह (उसे या उन्हे जैसी भी स्थिति हो) वेतन बिलो एक्विटेन्स-रोल्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित करने की भी व्यवस्था करेगा तथा सेवा-पुस्तिका या सेवा-पंजिका, जैसी भी स्थिति हो, में आवश्यक-प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा।

(ख) यदि किसी भी अवधि की सेवा खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रकार से सत्यापित हो सकने योग्य नही हो तो सेवा की उस अवधि के बारे में कर्मचारी ने जिस अन्य जिस कार्यालय या विभाग में वह सेवा की है, उसके अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जैसी भी स्थिति हो, सेवा के सत्यापन किए जाने हेतु उस विभाग के संदर्भ का उल्लेख किया जावेगा जिसमें उस अवधि के दौरान उस अधिकारी को सेवा करता हुआ दिखलाया गया है।

(ग) यदि खण्ड (क) एवं (ख) में दर्शाये तरीके से किसी भी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का कोई भाग-सत्यापित किए जाने योग्य नही हैं तो कर्मचारी एक कोरे कागज पर अपना यह लिखित बयान प्रस्तुत करेगा कि वास्तव मे उसने उस अवधि में सेवा की-थी तथा बयान के नीचे उस बयान की सत्यता के बारे मे एक घोषणा करेगा तथा ऐसी घोषणा की पुष्टि मे समस्त दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी समस्त सूचना देगा जिसे प्रस्तुत करना उसकी सामर्थ के अधीन है। उस कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम-प्राधिकारी, लिखित बयान में दिये गये तथ्यों तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं उक्त सेवा-अवधि की पुष्टि में उस कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करने के

वाद यदि संतुष्ट हो जाय तो सेवा की उस अवधि को उस कर्मचारी की पेशन को गिनने के प्रयोजनार्थ की गई सेवा के रूप में समझे जाने की स्वीकृति दे सकता है ।

नियम 289-पेंशन-संबंधी-पत्रादि पूर्ण करना:—नियम 288 में वर्णित सेवा-विवरणों को पूरा करने के वाद कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी-2 के भाग-1 को पूरा करेगा । यह कार्य इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना ही किया जाना चाहिये कि कर्मचारी से पेंशन हेतु औपचारिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं । यदि ऐसे समय उक्त औपचारिक आवेदन-पत्र कर्मचारी से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रपत्र पी-2 के भाग-1 में संबंधित कालम अधूरे छोड़ देने चाहिए । उक्त औपचारिक आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के वाद शीघ्र ही संबंधित प्रविष्टियां करदी जाएगी ।

नियम 290-प्रपत्र पी-3 में पेंशन-स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी के आदेश:— नियम 289 की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के वाद शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष निम्न-कार्यवाही करेगा—

(1) वह प्रपत्र पी-3 में यह प्रमाणित करेगा कि आया आवेदक का चरित्र, आचरण एव गत-सेवा ऐसी रही है जिसमें पेशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके बारे में अनुकूल रूप में विचार किये जाने के लिये वह अधिकृत हो सके। वह उसमें अपनी स्वयं की यह राय भी दर्ज करेगा कि आया पूर्व में की गई सेवा सत्यापित हो गई है या क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिये अथवा नहीं । अवकाश, निलम्बन आदि की सभी अवधिया जो सेवा के रूप में नहीं गिनी गई हैं, प्रपत्र पी-2 के भाग-2 के अनुभाग-3 में सावधानी पूर्वक दर्ज की जानी चाहिए । यदि आवेदन-पत्र-असमर्थता-पेशन (इनवेलिड पेंशन) के लिये है तो वहां आवश्यक चिकित्सा-प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावेगा ।

(2) प्रपत्र पी-3 में पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने के वाद कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी-2 एवं प्रपत्र पी-3 को मूल मे महालेखाकार के पास प्रपत्र पी-4 में एक पत्र के साथ भेजेगा तथा इनके साथ में वह कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका एवं सेवा-पंजिका, यदि कोई हो, अद्यावधि पूर्ण कर तथा अन्य दस्तावेज जिन्हे क्लेम की गई सेवा के सत्यापन के लिए विशवस्त समझा जा सके, भी ऐसे ढंग से भेजेगा कि उन्हे आसानी से देखा जा सके । वह उपरोक्त प्रपत्रों में से हर एक प्रपत्र की एक प्रति अपने पास, अभिलेख के लिए, रखेगा । ऐसे मामलों में जहां भुगतान अन्य आडिट क्षेत्र में चाहा गया हो वहां प्रपत्र पी-2 एवं प्रपत्र पी-3 महालेखाकार राजस्थान को दो प्रतियों में भेजें जायेंगे ।

नियम 291-उन तथ्यों की सूचना जो महालेखाकार को पेंशन पत्रादि के भेजे जाने के बाद पशन की राशि पर प्रभाव डालने वाले पाए जाएं:—

(1) यदि महालेखाकार को पेंशन-कागजातों के भेजे जाने के वाद कोई ऐसी घटना घटती है जो स्वीकार्य-पेंशन की राशि पर प्रभाव डालती है, तो ऐसे तथ्य की सूचना पेशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार को शीघ्र ही दी जाएगी ।

(2) ऐसे मामलों में जहा पेंशन-संबंधी-कागजात कर्मचारी की वास्तविक सेवा-निवृत्ति की तिथि से पूर्व महालेखाकार के पास भेज दिए जाते है वहां पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सेवा को स्वीकार करने की तारीख से सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तारीख तक की अवधि के लिए कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा के सन्तोष-जनक होने के

बारे में एक प्रमाण-पत्र तथा उसकी सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि का उल्लेख करने वाले आदेश की एक प्रति उसके सेवा-निवृत्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर भेजी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी के विरूद्ध बकाया, किसी प्रकार की सरकारी देयताओं का तथा इस संबंध में सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उठाये गये कदमों का एक विस्तृत-विवरण भी महालेखाकार, राजस्थान के पास भेजा जावेगा।

नियम 292-(1) (क) अन्तःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी (प्रोविजनल-पेंशन-एण्ड-ग्रेच्युटी) का भुगतान: —एक अराजपत्रित-कर्मचारी को उसके सेवा-निवृत्त होने की दिनांक से पेन्शन प्राप्त करना प्रारम्भ कर देना चाहिये चाहे उसके पेन्शन-पत्रादि तैयार नही किये गये हों तथा महालेखाकार को पेन्शन-स्वीकृत करने के लिये नही भेजे गये हों। जिन मामलों में पेन्शन-पत्रादि तैयार कर लिये गये हो एवं महालेखाकार के पास भिजवा दिये गये हो, उनमे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेन्शन के मामले की सावधानी-पूर्वक जाच/परीक्षण कर सूक्ष्म रूप से जांच-पड़ताल कर कर्मचारी को देय-अधिकतम-पेंशन-राशि का 75 प्रतिशत अतःकालीन-पेशन के रूप मे भुगतान-प्राधिकृत कर दिया जावेगा तथा 75 प्रतिशत तक, अधिकतम देय/ग्राह्य ग्रेच्युटी प्राप्त करने की स्वीकृति जारी करदी जावेगी। यदि पेन्शन-पत्रादि तैयार कर महालेखाकार राजस्थान को संबंधित कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व अथवा सेवा-निवृत्ति के दिन भिजवा दिये गये हों तो अतःकालीन-पेंशन के भुगतान के लिये स्वीकृति, कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत देय अधिकतम पेशन की सीमा तक जारी कर दी जावेगी। साथ में इन नियमों के अन्तर्गत देय ग्रेच्युटी की राशि में से 75 प्रतिशत तक अंतःकालीन रूप से स्वीकृत कर दी जावेगी। अन्तःकालीन-पेन्शन के लिये स्वीकृतियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सदैव इन नियमों के अन्तर्गत एक कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने के दिन अवश्य जारी कर दी जावेगी जो महालेखाकार द्वारा कर्मचारी के पेन्शन के मामलों को अन्तिम रूप से निपटारे के समय तक वैध (वेलिड) रहेगी।

[वित्त विभाग की अधि. एफ. 1 (52) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दिनांक 20-7-78 द्वारा प्रतिस्थापित]

टीका:—वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि. (ग्रुप-2)/74 दिनांक 20-7-78 द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के नियम 286 (1) को दि. 20-7-78 से प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान किया गया है कि एक कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के दिन से ही पेंशन मिलना आरम्भ हो जाय तथा उसे देय-ग्रेच्युटी की राशि का 75 प्रतिशत भी तुरन्त प्राप्त हो जाय।

इसी प्रकार की व्यवस्था वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना द्वारा सेवा नियम 287 (1) को 20-7-78 से प्रति-स्थापित कर अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में भी जारी कर दी गई है।

इन नियमों के प्रतिस्थापन से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह लागू किया गया है कि जिस अधिकारी/कर्मचारी के पत्रादि-तैयार कर उसके सेवा-निवृत्त होने से पूर्व अथवा सेवा-निवृत्ति के दिन भी महालेखाकार को भिजवा दिये गये हैं तो उसे उन-पत्रादि के आधार पर अधिकतम देय पेंशन की राशि अतःकालीन पेंशन के रूप मे दे दी जावेगी।

(ख) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जहा पर वह कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय सेवारत है, अन्तःकालीन पेंशन और ग्रेच्युटी की राशी फार्म पी-5 में प्रत्येक पेंशनर के लिये पृथक-पृथक उस कोषालय से आहरित करेगा जिससे उसने वेतन और भत्तों का भुगतान प्राप्त किया है और कर्मचारी को जिस माह में सेवा-निवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने की व्यवस्था करेगा। यदि पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान मनि-आर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट से उस

स्थान पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहां पर वह निवास कर रहा है तो पेंशन की राशि का भुगतान उसके व्यय पर मनि-आर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट से भेजा जावेगा। पेंशनर को अन्तःकालीन पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान जिस दिनांक को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगी।

(2) कार्यालयाध्यक्ष, जहा कहीं आवश्यक होगा,

(i) ग्रेच्युटी राशि वसूल करेगा जो कर्मचारी की नवीन-पारिवारिक-पेंशन में अंशदान को व्यक्त करने हेतु दो माह के "वेतनादि" या 'वेतन' के, जैसी भी स्थिति हो, समान होगी।

(ii) भाग-4 के अनुसार सरकारी बकायों की वसूली एवं समायोजन के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

(3) यह कर्मचारी की इच्छा पर है कि वह अपनी ग्रेच्युटी की शेष, चौथाई राशि का, भुगतान या तो उस कोषागार से जिसमें अन्तिम पेंशन का भुगतान चाहा गया है या कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करे। यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी की शेष राशि का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करना चाहता है तो वह सेवा-निवृत्ति पर रवाना होने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को इस संबंध में अपना विकल्प देगा। कार्यालयाध्यक्ष, ऐसे मामले में ग्रेच्युटी की राशि को आहरित एवं वितरित करने की कार्यवाही तब ही प्रारम्भ करेगा जब महालेखाकार ने आवश्यक अधिकार पत्र जारी कर दिया गया हो।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (52) वि. वि. (श्रेणी-2)/74-I दिनांक 1-9-1975 द्वारा प्रतिस्थापित]

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राजस्थान सेवा नियम 286 और 292 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (संख्या एफ 1 (52) वि. वि. श्रे-2)/74-I दिनांक 1-9-1975 द्वारा निविष्ट) जो कर्मचारी को अन्तःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान की व्यवस्था करता है। उपरोक्त नियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार पेंशन-स्वीकृति को सक्षम-अधिकारी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि जो इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिये अधिकृत है। कुछ मामलों में कर्मचारियों ने भवन-निर्माण अग्रिम लिये हैं और अग्रिम का एक भाग का भुगतान मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि से समायोजित करने का विकल्प, भवन निर्माण अग्रिम नियमों के नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया है। ऐसे प्रकरणों में भवन-निर्माण-अग्रिम की राशि में से जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होते है, समायोजन करने हेतु रख लिया जाता है। भवन निर्माण अग्रिम के नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है यदि पेंशन-स्वीकृति को सक्षम-अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी करदी जाती है। अतःसमस्त पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-अधिकारियों पर जोर डाला जाता है कि ऐसे प्रकरण में अन्तकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान की स्वीकृति, नियमों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो, ही करें।

अन्तःकालीन ग्रेच्युटी जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की स्वीकार्य अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो, की राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी करने से पूर्व पेंशन स्वीकृति सक्षम-अधिकारी सतर्कता के तौर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से जाच करके अथवा कर्मचारी से भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की प्रति माग कर स्वयं सन्तुष्टि कर लेवें। पेंशन-स्वीकृति को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियो में एक-रूपता लाने के लिये यह निश्चय किया गया है कि अन्तःकालीन-पेंशन और ग्रेच्युटी की स्वीकृतियां जारी करने हेतु फार्म पी-6 निर्धारित किया जाता है।

राजकीय निर्णय संख्या 2: – वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (52) वित्त (ग्रुप–2) 74/II, दिनांक 1–9–75 के द्वारा सेवारत राज्य-कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में नियमों के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि की 75 प्रतिशत तक की सीमा तक "अन्तरिम-पारिवारिक-पेंशन" स्वीकृत करने की प्रक्रिया बताई गई है। उक्त आदेश में मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान के अन्तरिम भुगतान (प्रोविजनल-पेमेन्ट) के आदेशों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को देय होता है जिन्हें मृतक-राज्य-कर्मचारी द्वारा, उनके सेवा में रहते, उनके नामों के बारे में मनोनयन किया गया हो। सेवा में रहते हुए कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के नामो का मनोनयन नहीं किये जाने की दशा में मृत्यु अथवा सेवा-निवृत्ति उपदान मृत राज्य-कर्मचारी के परिवार के सदस्यो को समान भाग में देय होता है।

सरकार के ध्यान मे ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें कई विभागों ने सेवा में रहते हुये मृतक राज्य कर्मचारी द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों को ध्यान में रखे बिना मृत-कर्मचारी की विधवा को मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान की देय राशि की 75 प्रतिशत की सीमा तक, अन्तरिम भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये/कर रहे हैं जिसका परिणाम यह निकला है कि ऐसे भुगतान का मृतक कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान न होकर अन्य व्यक्तियों को हो गये हैं जिसमे अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जाने की सम्भावना भी है।

अतः यह सुनिश्चित करने के लिये पेन्शन स्वीकृत करने को सक्षम समस्त प्राधिकारियों को स्पष्ट किया जाना है कि सेवा मे रहते हुये मरने वाले कर्मचारी के मामले मे मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदान के अन्तरिम भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि वित्त विभाग के दिनांक 1–9–1975 के आदेशों में केवल देय पारिवारिक-पेन्शन राशि की 75 प्रतिशत तक राशि अन्तरिम पारिवारिक-पेन्शन के रूप में स्वीकृत की जा सकती है। यहां "अन्तरिम मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदान" (प्रोविजनल पेमेन्ट ऑफ डी. सी. आर. जी.) स्वीकृति के अधिकार किसी प्राधिकारी को नहीं दिये गये है।

[वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या प. 1 (52) वित्त (ग्रुप-2)/74 दिनांक 1–10–1977]

टीका:—कृपया इस बारे में नियम 268–डी–के नीचे टिप्पणी संख्या–2 के नीचे अंकित प्रक्रिया भी देखें।

नियम 293-पेंशन-आवेदन-पत्र पर आडिट-पृष्ठांकनः—(1) नियम 290 के प्रावधानों के अधीन उसे भेजे गए पेंशन-संबंधी पत्रादि प्राप्त करने पर, महालेखाकार आवश्यक जांच करेगा तथा प्रपत्र-2 में अपना आडिट-पृष्ठांकन (एनफेसमेंट) अंकित करेगा। यदि पेंशन का भुगतान उसके आडिट-क्षेत्र में किया जाना है तो वह पेंशन-भुगतान-आदेश तैयार करेगा। पेंशन का भुगतान उस तारीख से, जिसको अंतःकालीन पेंशन का भुगतान बन्द होता है, आगामी तारीख से प्रभावी होगा। ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिये कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन आहरित एवं वितरित की गई थी, पेन्शन की कोई हो, भी महालेखाकार द्वारा भुगतान करने हेतु प्राधिकृत की जाएगी।

(2) यदि ग्रेच्युटी की शेष-राशि का भुगतान उस कोषागार या उप-कोषागार से चाहा गया है जिससे अन्तःकालीन-पेंशन आहरित की जानी है तो महालेखाकार सेवा-निवृत्त-कर्मचारी के विरुद्ध बकाया राशि का समायोजन करने के बाद ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने हेतु प्राधिकृत करेगा। यदि कर्मचारी ने कार्यालयाध्यक्ष से ग्रेच्युटी की शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु विकल्प दिया है तो महालेखाकार कर्मचारी एवं कोषागार-अधिकारी को उस राशि की, यदि कोई हो, जिसे कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी को भुगतान करने से पूर्व समायोजित करेगा, सूचना देते हुए इस संबंध में आवश्यक अधिकार-पत्र जारी करेगा।

(3) पेन्शन-भुगतान-आदेश तथा ग्रेच्युटी की शेष राशि का भुगतान करने हेतु आदेश जारी-

करने के तथ्य की सूचना शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष को दी जायेगी तथा पेन्शन-पत्रादि, जिनकी आगे आवश्यकता नहीं है, उसे लौटा दिये जायेंगे।

(4) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित एवं वितरित अन्तःकालीन-पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का समायोजन उस अंकेक्षण-अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्र में अंतिम-भुतान किये गये थे।

(5) यदि महालेखाकार कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति कि तारीख से बारह माह कि अवधि में अन्तिम-पेंशन एवं ग्रेच्युटी कि राशि निर्धारित करने में असमर्थ रहे तो वह इस तथ्य कि सूचना संबंधित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष को देगा तथा सम्बन्धित पेन्शनर को ऐसी अवधि के लिये जो महालेखाकार द्वारा निर्दिष्ट कि जाये, अंतःकालीन-पेन्शन वितरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

टीका:—नियम 292 (1) (क) प्रति-स्थापित हो जाने से यह अनुच्छेद प्रभावहीन हो गया है।

(6) महालेखाकार अंतःकालीन भुगतान किये जाते रहने कि अवधि के दौरान भी ग्रेच्युटी कि शेष-राशि के भुगतान के लिये प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते ग्रेच्युटी कि राशि का अन्तिम रुप से निर्धारण हो चुका हो तो तथा कर्मचारी के विरूद्ध सरकारी बकायों की कोई वसूली शेष नहीं हो।

(7) यदि पेंशन एवं ग्रेच्युटी की शेष राशि दूसरे आडिट-क्षेत्र में भुगतान की जानी हो तो महालेखाकार प्रपत्र पी 2 एवं प्रपत्र पी-3, प्रत्येक की एक प्रति उसके अंकेक्षण-आंकन एवं यदि प्राप्त हो गया हो तो अन्तिम-वेतन-प्रमाण पत्र के साथ उस क्षेत्र के अंकेक्षण-अधिकारी के पास भेजेगा जो पेन्शन भुगतान-आदेश तथा ग्रेच्युटी कि शेष राशि का भुगतान करने के लिये आदेश तैयार करेगा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

(8) यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित एवं वितरित अन्तःकालीन-पेंशन की राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित अन्तिम पेंशन से अधिक पाई जाय तो महालेखाकार के लिए अधिक राशि को ग्रेच्युटी के शेष में से, यदि कोई हो, समायोजित करने या भविष्य में भुगतान योग्य पेंशन से कम भुगतान द्वारा, अधिक राशि की वसूली करने के लिये छूट होगी।

नियम 294:—महालेखाकार प्रपत्र पी-2 के भाग II में क्लेम की गई किसी भी सेवा को अस्वीकार करने के अपने कारणों का संक्षेप में उल्लेख करेगा। अन्य किसी प्रकार की अस्वीकृति को प्रपत्र पी-2 के भाग 3 में उसके कारणों सहित आडिट-मुखांकन अभिलिखित करेगा।

अनुभाग-4:—राजकीय बकाया एवं पेंशन की स्वीकृति—

नियम 295—राजकीय बकायों का भुगतान, कर्मचारी का कर्त्तव्य:—(1) प्रत्येक सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी सेवा-निवृत्ति कि तारीख से पूर्व समस्त सरकारी बकायों का भुगतान करें।

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नांकित विभागों/संगठनों से "बकाया-नहीं-प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के लिये उन कर्मचारियों कि सेवा-निवृत्ति की दिनांक से न्यूनतम-तीन-माह पूर्व पत्र-व्यवहार आरम्भ करेंगे—

(i) लोक-निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग—से "बकाया-नहीं-प्रमाण-पत्र" केवल उसी कर्मचारी के बारे में प्राप्त किया जावेगा जो सेवा-निवृत्ति के समय या सेवा-निवृत्ति

की दिनांक से तुरन्त एक वर्ष पूर्व कि अवधि में सरकारी निवास में रहा हो। इस "अकाया-नहीं-प्रमाण-पत्र" में भवन किराया, बगीचा किराया, और फर्नीचर किराया भी सम्मिलित होगा।

(ii) मोटर-गैरेज, जिला पूल से "बकाया-नहीं-प्रमाण-पत्र" केवल उन्ही कर्मचारियों के बारे में प्राप्त करने होंगे जो मोटर-गैरेज या जिला-पूल के वाहनों की मांग करने के लिए अधिकृत हों।

(iii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष—प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सेवा-निवृत्ति के समय कार्य कर रहे राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये "बकाया नही-प्रमाण-पत्र" क्रमशः जारी करेंगे।

(3) यदि सेवा-निवृत्ति की दिनांक के पूर्व तक "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं होते हैं तो पेंशन चाहे अन्त:कालीन हो चाहे अन्तिम, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक रूप से जारी करनी होगी क्योंकि "बकाया नहीं प्रमाण-पत्र" पेंशन स्वीकृति के विषय में पूर्ववर्ती-शर्त (प्रि-कंडीशन) नहीं होगी। ऐसे मामलों में फिर भी मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी जो महालेखाकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित करदी गई हो, के एक भाग को, जो अन्तिम-पेंशन के निर्धारित करने के पश्चात् बकाया पाई जावे, को सरकारी बकाया की वसूली करने हेतु निम्नांकित-सीमा तक रोक लिया जावेगा:—

(i) राजपत्रित-कर्मचारियों के प्रकरण में　　500/– रु.
(ii) अराजपत्रित-कर्मचारियों के प्रकरण में　　200/– रु.

(4) (क) उपनियम (3) में प्रावधान होते हुए भी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा-निवृत्ति के समय सरकारी बकाया हो अथवा अन्तिम-पेंशन-आदेश जारी होने के पश्चात् बकाया पाई जावे तो पेंशन/ग्रेच्युटी कि राशि अथवा दोनों से जो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को, जैसी भी स्थिति हो, भुगतान योग्य हो या भुगतान कर दी गई हो, से वसूल करली जावे, चाहे सेवा-निवृत्त-कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों से सहमति प्राप्त की गई हो अथवा नहीं। वसूल की गई/वसूली योग्य सरकारी बकाया के विवरण को सूचित किया जावेगा।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(52) वि वि (श्रे-2)/74-I दिनांक 1-9-1975 द्वारा नियम 295 प्रतिस्थापित एव 296 विलोपित]

टिप्पणी:—राजस्थान पेंशन एक्ट की धारा "9-ए-" के अधीन कर्मचारियो की पेंशन/ग्रेच्युटी, अथवा दोनों, की राशि से सरकारी बकाया की वसूली स्वीकार्य है।

(4) (ख) जहां सरकारी बकाया की वसूली पेंशन की राशि से की जाती है वहा वसूली मासिक किस्त, जो पेन्शन की राशि की एक तिहाई से अधिक नही हो, से की जानी चाहिए।

राजकीय निर्णय:—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (59) वि. वि. (व्यय-नियम) दिनांक 3-11-1965 द्वारा यह बताया गया था कि—एक कर्मचारी को ग्राह्य पेंशन/ग्रेच्युटी "बकाया-नही-प्रमाण-पत्र" (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) की कमी के कारण नही रोकी जावे और यदि कोई वसूली जो सेवा-निवृत्ति पर या बाद मे ध्यान मे आवे, तो उसे, सेवा-निवृत्त कर्मचारी को ग्राह्य पेंशन/ग्रेच्युटी से की जा सकती है। महालेखाकार राजस्थान से परामर्श के बाद इस पर आगे विचार किया गया और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे प्रकरणों मे जहा किसी कर्मचारी ने भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि प्राप्त किये है, उसकी ग्रेच्युटी की राशि की जब तक उस कर्मचारी के विरुद्ध बकाया वास्तविक राशि का पता नही चले, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये। ऐसी

बकाया अग्रिम की पूरी राशि, ब्याज-सहित, नियमानुसार देय ग्रेच्युटी के विरुद्ध समायोजित कर ली जावे। यदि ऐसे समायोजन के बाद भी कोई बकाया रह जावे तो उसे पेंशन में से, पेंशन के एक तिहाई मासिक तक, मासिक किस्तों में समायोजित किया जावे। जहां, यह देखा जावे कि बकाया राशि बहुत अधिक है तो महालेखाकार द्वारा पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी से परामर्श के बाद वसूली की दर बढ़ायी जा सकती है। यदि मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी में से भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि की राशि समायोजित करने के बाद भी कोई बकाया रह जाती है, तो उसे एक साथ पेंशन के सकलित-मूल्य (कम्यूटेशन) की सम्पूर्ण राशि में से वसूल किया जावे जब कभी ऐसा सकलन महालेखाकार कार्यालय द्वारा अधिकृत करने के लिये पूर्णतः आवश्यक हो जाय।

यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में जहा "बकाया-नही-प्रमाण-पत्र जारी नही किये गये हों, वहा "बकाया-नही प्रमाण-पत्र" की प्रतीक्षा किये बिना ग्रेच्युटी/पेंशन की राशि दे दी जावे और यदि कोई बकाया राशि कर्मचारी के विरुद्ध पाई जावे, तो उसे उसकी पेंशन में से, पेंशन की एक तिहाई की दर पर, मासिक किश्तों में वसूल किया जावे।

नियम 296:—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि. (श्रे-2) 74-I दिनाक 1-9-1975 द्वारा विलोपित।

पेंशन के दावों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देश

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (77) वि. वि. (नियम) I 69 दि. 14-5-73 द्वारा निविष्ट]

पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र देने तथा पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं उदार कर दिया गया है, जिसके लिये पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (61) वि. वि (नियम)/67 दिनाक 16-2-1971 द्वारा पेंशन के दावो को समय पर तैयार करने के लिये कर्मचारियों, विभाग/कार्यालय के अध्यक्षो के मार्गदर्शनार्थ निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु इन सब प्रयासो के उपरान्त पेंशन के मामले निपटाने में निरन्तर विलम्ब हो रहा है। अतः यह पुनः जोर देकर पेंशन स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारियों को सावचेत किया जाता है कि वे समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो की परिपालना का ध्यान रखें। पेंशन के मामलों के निपटारे की प्रगति को ध्यान में रखने के लिये विभागाध्यक्ष अपने सहायकों (अधिकारियो) में से एक को मनोनीत कर सकते हैं और उनको शीघ्र निपटाने के दृष्टिकोण से विचाराधीन मामलों का मासिक पर्यवेक्षण भी कर सकते है।

पेंशन के प्रकरणों के निपटाने में विलम्ब के मुख्य कारण हैं:—(1) कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने की निश्चित दिनाक से एक वर्ष पूर्व पेंशन-पत्रादि की तैयारी आरम्भ नही करना।

(2) सेवा-पुस्तिकाये और अन्य अभिलेख सही व पूर्ण रूप से नही रखे जाना और वार्षिक-सत्यापन का प्रमाण-पत्र अभिलिखित नही करना।

(3) महालेखाकार द्वारा मंगाये गये दस्तावेज/सूचनायें शीघ्रता से नही भेजना।

वर्तमान निर्देशों को, जो समय-समय पर पूर्व मे जारी किये गये हैं, उनको आगे सविस्तृत करने की दृष्टि से विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो के मार्ग-दर्शन हेतु निम्नाकित और निर्देश जारी किये जाते है:—

(1) (क) पेंशन के प्रकरणों के निपटारे मे देरी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों मे से एक यह है कि विभागीय-प्राधिकारियों से अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण बहुत विलम्ब से प्राप्त होते है। कार्यालयाध्यक्ष किसी कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने के लिये निश्चित दिनांक से एक वर्ष पूर्व नियम 281 के अनुसार, पेंशन के पत्रादि तैयार करने का कार्य हाथ मे नही लेते। वास्तव में, एक वर्ष पूर्व अग्रिम रूप से कार्य आरम्भ कर देना पर्याप्त नही है, वे कागजात अंकेक्षण-कार्यालय मे सेवा-निवृत्ति के कई महिनो पहिले पहुंच जाने चाहिये।

राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरणों में पेंशन सबंधी कागजात महालेखाकार द्वारा राजस्थान सेवा नियम 284 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं, किन्तु महालेखाकार को प्रशासनिक विभाग/कार्यालयो से सूचनायें या अभिलेखो की आवश्यकता हो सकती है जबकि विशेष-रूप से सेवा का कोई अंश अराजपत्रित रहा हो। महालेखाकार द्वारा पेंशन के कागजात तैयार करने के लिये मांगी गई प्रत्येक सूचना या अभिलेख को भिजाने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(ख) प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक छः माह अर्थात एक जनवरी और एक जुलाई को प्रति वर्ष समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की सूची रखनी चाहिये, जो अगले 12 से 18 माह के सेवा-निवृत्त होने वाले हो तथा इस सूची को सम्बन्धित अकेक्षण-अधिकारी को 21 जनवरी या 31 जुलाई यथा-स्थिति, को प्रति-वर्ष भिजा देनी चाहिये। किन्तु ऐसी सूचिया नियमित रूप से अकेक्षण-कार्यालय को नही भेजी जा रही है। परिणामस्वरूप अकेक्षण-अधिकारी पैंशन-प्रकरणो की प्राप्ति का ध्यान रखने की स्थिति मे नही है क्योंकि ऐसे प्रकरणो मे कार्यालयो/विभागो मे ही देरी करदी जाती है।

(ग) पैंशन के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिये जब कर्मचारी वास्तव में सेवा-निवृत्त हो जाते है, या आग्रह किया जाता है कि एक कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है, तो राजपत्रित अधिकारी के प्रकरण मे सम्बन्धित अकेक्षण-अधिकारी या अराजपत्रित कर्मचारियो के प्रकरण मे सम्बन्धित अकेक्षण-अधिकारी के परामर्श से कार्यालयाध्यक्ष, तत्कालीन प्रभावशील नियमों के अनुसार, ऐसे कर्मचारी कि की गई सेवाओं का सत्यापन करेंगे और पैंशन-योग्य सेवा का निर्धारण कर उस निर्धारित पैंशन-योग्य-सेवा की अवधि कर्मचारी को सप्रेषित करेंगे। इस प्रक्रिया का अब निश्चट-पूर्वक पालन किया जाना होगा क्योंकि यह पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिये एक सुविधाजनक व लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है।

(2) इसी प्रकार समान रूप से कठिनाईयो और विलम्ब का मुख्य कारण होता है, सेवा-पुस्तिकाओ और उससे सम्बन्धित अभिलेख की अत्यन्त असनोपजनक दशा। जब तक सेवा पुस्तिकाओ मे प्रविश्टिया सही और पूरी नही की जाती और प्रत्येक अवस्था में उचित सत्यापन और सत्यापन के प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष, बिना-भूल अभिलिखित नही किये जायेंगे, तब तक सेवा-निवृत होने के समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं व्यवहारिक रूप मे ठीक करना असम्भव ही रहेगा। सेवा-पुस्तिकाओ को सतोपजनक रूप से तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिये और वार्षिक-सत्यापन प्रमाण-पत्र अभिलिखित करने के लिये उचित आतरिक प्रशासनिक कदम लागू करने होंगे।

पहले अकेक्षण-अधिकारी पैंशन की अधिकारिता की रिपोर्ट किया करते थे और उसके बाद प्रशासनिक-स्वीकृति दी जाया करती थी। वर्तमान प्रणाली मे अराजपत्रित कर्मचारियो के पैंशन के कागजात अकेक्षण-कार्यालय को पैंशन प्रपत्र (3) मे प्रशासनिक-स्वीकृति सहित, भेजे जाने चाहिये। यह भी ध्यान मे लाया गया है कि बहुत अधिक सख्या मे ऐसे प्रकरणो में प्रशासनिक-स्वीकृति, पैंशन के कागजात अकेक्षण-कार्यालय को भेजने से पूर्व, अभिलिखित नहीं की जाती है। परिणाम-स्वरूप अकेक्षण-कार्यालय को पैंशन के अधिकार की रिपोर्ट करने के बाद प्रशासनिक-स्वीकृति के लिये प्रतीक्षा करनी पडती है। पेंशन के लिये प्रशासनिक-स्वीकृति केवल सेवा की सामान्य अभिस्वीकृति है और अकेक्षण-कार्यालय द्वारा पेंशन के वास्तविक-अधिभार की रिपोर्ट पर निर्भर नही है। अतः प्रशासनिक-स्वीकृति प्रदान करने में होने वाली देरी ऐसी है जिसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।

(2) राजपत्रित-अधिकारियों के प्रकरण मे, नियमों के अनुसार, प्रक्रिया यह है कि अकेक्षण-कार्यालय प्रशासनिक प्राधिकारियो को एक सूचना भेजता है कि पैंशन के कागजात हाथ में ले लिये गये हैं। इस प्रकार पैंशन के कागजातों को हाथ में लेने के बाद तीन माह मे प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सकेत करें कि क्या उसकी सेवाओं को पूर्णत अनुमोदित मान लिया जावे या कोई कटौती पैंशन के अधिभार में अपेक्षित है। इस सबध मे पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-अधिकारियों का ध्यान राजस्थान सेवा नियम 285 (8) मे वर्णित उपबन्धो की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उन पर यह दायित्व डालता है कि महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर राजपत्रित अधिकारी की पेंशन स्वीकृति की आज्ञा वे भिजवा देवें।

(4) ऐसे प्रकरणों में, जिनमें विभागीय जांच या सतर्कता के प्रकरण विचाराधीन हों या विभागीय जाच या कार्यवाही आरम्भ की जाने ही वाली हो, नियमो मे अन्तःकालीन पेंशन स्वीकार करने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान सेवा नियम 170 में वर्णित अस्थाई-पैंशन की स्वीकृति के प्रावधानों को प्रभावी किया जा सकता है यह पेन्शन स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी के लिये है कि वह पैंशन के लिये प्रशासनिक-स्वीकृति देते समय ऐसी जांचो, यदि कोई हों, को ध्यान मे रखे और उपरोक्त नियम के प्रावधानों को प्रभावी करें। समस्त विभागाध्यक्षों पर यह दायित्व है कि वे अपने विभाग में ऐसे विशेष कदम उठावें ताकि कर्मचारियो के पैंशन के प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत करने और निपटाने मे शीघ्रता हो सके. और सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियो की कठिनाई

अमुविधा को दूर किया जा सके। पेन्शन के प्रकरणो मे देरी के लिये उत्तरदायी/दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागाध्यक्ष को कार्यवाही करनी चाहिये।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (77) वि. वि. नियम/69 दि 14-5-1975 द्वारा निविष्ट]

सरकार यह देखने की इच्छुक है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके सेवा-निवृत्त होने के दिनांक से ही पेन्शन मिल जावे। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये प्रार्थना-पत्र तथा पेन्शन की स्वीकृति के तरीके को समय पर उदार बना दिया गया है और वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों के पेन्शन के दावों को तुरन्त निपटाने के लिये विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो द्वारा किये जाने वाले उपायों को बताते हुये अनेक निर्देश जारी किये गये है। इस विषय मे अंतिम निर्देश वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (77) वि. वि (नियम) 69 दिनाक 14-5-1973 मे दिये गये है। इन सब निर्देशो के उपरान्त भी पेन्शन के दावों के निपटारे के मामलों मे सन्तोषजनक प्रगति नही हुई है।

पेन्शन के दावो के तुरन्त निपटारे को सुनिश्चित करने के विचार के साथ निम्नांकित निर्देश, मार्ग-दर्शन तथा कठोरता से अनुपालन के लिये, जारी किये जाते है—

(1) सेवा-पुस्तिका की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट-कापी)

नियम 160 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या (2) व (3) मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को उसकी सेवा-पुस्तिका की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट कापी) दी जानी चाहिये। इस प्रणाली को मुख्य रूप से इस उद्देश्य मे आरम्भ किया था कि सेवा-निवृत्ति के समय यदि किसी कर्मचारी का सेवाभिलेख उपलब्ध न हो तो ऐसे प्रकरण मे उसकी सेवा का सत्यापन सेवा-पुस्तिका की दूसरी प्रति की सहायता से किया जा सके। अत: विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षो से निवेदन है कि वे उपरोक्त प्रावधानों को समस्त अराजपत्रित-कर्मचारियो के ध्यान मे लावे ताकि वे अपने स्वयं के लाभ के लिये सेवा-पुस्तिका की दूसरी-प्रति रखने में रुचि लें। सेवा-पुस्तिका की दूसरी-प्रति मे समस्त प्रविष्टिया अंकित करने के बाद वह प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को इन निर्देशो के साथ दे दी जावे कि उनको आगे की प्रविष्टिया इस सेवा-पुस्तिका की दूसरी-प्रति मे उचित सत्यापन के साथ वर्ष में एक बार करवा लेनी चाहिये।

(ii) एक विभाग/कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तरण के मामलो में सेवाभिलेख की सम्पूर्ती:—

एक कर्मचारी के स्थानान्तरण के मामले मे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह यह देखे कि कार्य-मुक्ति के दिनाक तक उसके विभाग/कार्यालय मे कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बारे में प्रविष्टिया उसकी सेवा-पुस्तिका मे, उसे नये कार्यालय प्रेषित करने से पूर्व सही-सही करदी गई है।

(iii) सेवा-पुस्तिकाओं को पूरा करने का सामयिक पुनरावलोकन या प्रगति:—

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त हो रहे ऐसे कर्मचारियो के सेवाभिलेख के पूरे न होने के प्रकरणो की प्रगति का अर्द्ध-वार्षिक पुनरावलोकन किया जाना चाहिये।

(iv) पेन्शन-पत्रादि तैयार करने के लिये कार्यालयाध्यक्षों का दायित्व:—

नियम 187 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (14) वि. वि, (श्रे-2)/74 दि. 23-4-1974 द्वारा संशोधित किया गया है। यह नियम प्रावधान करता है कि जिस दिनांक को कोई कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पर सेवा-निवृत्त होने वाला हो या जिस दिनाक को वह सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश पर जाता है, इनमे से जो भी पूर्व मे हो, उस दिनाक से दो वर्ष पूर्व ही पेन्शन के कागजात तैयार करने का कार्य आरम्भ कर देंगे। यदि इन प्रावधानो का कठोरता से पालन किया जावे तो ऐसा कोई कारण नही कि एक कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने के दिनाक को पेन्शन प्राप्त नही कर सके।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इन प्रावधानों की पालना में असफलता को "कर्त्तव्य-की-अवहेलना" मानी जावेगी और परिणामस्वरूप वह राजस्थान सिविल सेवाये (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमो के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये अपने आपको उत्तरदायी बनायेगा।

(v) अग्रिमों के लेखों का सत्यापन:—

वर्तमान प्रणाली के अनुसार महालेखाकार, राजस्थान संबधित कर्मचारी को गृहनिर्माण अग्रिम तथा

वाहन-अग्रिम की 31 मार्च को जो बकाया है, उसका एक विवरण-पत्र भेजकर उस पर उस कर्मचारी की अभिस्वीकृति प्राप्त करता है। यह इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि उनके वेतन बिलो द्वारा की गई वसूलिया उसके सबंधित खातो मे जमा करा दी गई है और जमा नही होने के मामले में आडिट-विभाग उस जमा को ढू ढने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर सके। अतः समस्त सबंधित कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे निश्चित रूप से उस बकाया को स्वीकार करें या महालेखाकार को उस बकाया राशि मे कोई कमी या त्रुटी हो तो, तुरन्त सूचित करें। यह और भी अधिक आवश्यक है कि उनको अंकेक्षण-विभाग द्वारा सम ग्ति अपने ऋण के खातो की, सेवा-निवृत्ति से बहुत पूर्व ही, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये ताकि इस कारण मे पेन्शन के दावे मे विलम्ब नही हो।

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (77) वि वि. (नियम) 69-III दि. 28 अगस्त 1974 द्वारा निविष्ट]

यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के माह के पश्चात आने वाले महिने से पेशन प्राप्त करना प्रारम्भ करदे, राज्य सरकार ने पेशन नियमो को समय पर सरल बना दिया है और अन्तःकालीन पेशन और ग्रेच्युटी के भुगतान करने के प्रावधानो को, अधिसूचना संख्या एफ 1 (52) वि. वि. (श्रे-2)/74-I दिनाक 1-9-1975 द्वारा, और उदार बना दिया गया है।

वर्तमान नियमो के अनुसार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को जिस दिनांक से कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने वाला हो अथवा जिस दिनाक को वह सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश पर जाता है, इनमें से जो भी पूर्व मे हो, उस दिनाक से दो वर्ष पूर्व ही पैंशन के पत्रादि तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये। इस कार्य मे विलम्ब नही करना चाहिये जब तक वास्तव मे इस विषयक आवेदन-पत्र प्रेषित नही करदे। कर्मचारियो/विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षों को पेन्शन पत्रादि तैयार करने सम्बन्धी निर्देश वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (61) वि वि (नियम)/67 दिनाक 16-2-1971 द्वारा जारी किये गये है और जो पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित किये गये हैं। तत्पश्चात् पूरक निर्देश वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 1 (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 14-5-1973 द्वारा और जारी किये गये जिनमे यह विशेष-रूप से जोर डाला गया था कि विभागाध्यक्ष पेशन के मामलो के निपटारे की प्रगति को ध्यान मे रखने के लिये अपने सहायको मे से एक को मनोनित करेंगे और उनको शीघ्र निपटारे के दृष्टिकोण से विचाराधीन मामलों का मासिक-पर्यवेक्षण भी करेंगे। पेशन के नियमों को उदार बनाने और समय समय पर विभिन्न निर्देश/परिपत्र जारी करने के उपरान्त भी पेन्शन के दावे निपटाने में सारभूत प्रगति नही पाई गई है और पेन्शन के दावों को निपटाने में विलम्ब होने की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है।

राज्य सरकार इस प्रकार के कार्य को गम्भीर रूप से देखती है और यह निश्चय किया गया है कि भविष्य मे उन अधिकारियो के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमो के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे जो अन्तःकालीन पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान की राशि को अधिकृत करने और पेन्शन के दावो का निपटारा करने मे उपेक्षा करते हों। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 1 (9) वि. वि. (श्रे-2) /74 दिनाक 25-2-1974 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को दोषी अधिकारियों के नाम सूचित करने का काम सौपा गया जो पेन्शन के दावो का निपटारा विलम्ब से करने के मामलो मे उत्तरदायी पाये गये हों ताके प्रारम्भिक जाच करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके कार्मिक एव वित्त विभाग को भी सूचित करेंगे।

अतः समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षों पर जोर डाला जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से यह देखें कि कर्मचारियो के पेशन के दावो को समय पर तैयार कर लिया जाता है और उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण कर सेवा-निवृत्ति की दिनाक से बहुत समय पूर्व ही महालेखाकार को भेज दिये जाते हैं। वे यह भी निश्चित करें कि पेशन के दावे जो अंकेक्षण-विभाग को भेजे गये है को बाद मे भी पूरे ध्यान से देखते रहे जिससे कर्मचारियों को हर स्थिति मे कठिनाई में पडने से बचाया जा सके और पेशन के स्वीकृत होने मे विलम्ब को रोका जा सके।

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (52) वि. वि. (श्रे-2)/74 दि. 23-9-1975 द्वारा निविष्ट]

पंचायत समिति और जिला परिषद् के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन और ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की प्रक्रिया

राजस्थान पंचायत समितिया और जिला परिषद् अधिनियम की धारा 87 और राजस्थान

समितियां और जिला परिषद् नियमों के नियम 35 में यह उल्लेख किया गया है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन और मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी उसी प्रकार स्वीकृत की जावेगी जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियो को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार की जाती है। राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 36 (62) पी. डी/ए. डी. एफ/61/40 दिनांक 2-1-1976 द्वारा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा राज्य सरकार को भुगतान योग्य पेंशन अंशदान की वसूली पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक छोड़ देने का आदेश दिया है। चू कि इन संस्थाओं के कर्मचारियो के वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य की संचित निधि से नही किया जाता है, जिससे सरकार के समक्ष इन कर्मचारियो के पेन्शन के दावों को निपटाने सम्बन्धी प्रक्रिया का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था। राज्यपाल ने प्रसन्न होकर उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी के दावो के दस्तावेजो को तैयार करना, उनको अन्तिम रूप देकर भुगतान करने सम्बन्धी निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की है—

(1) **आवेदन की प्रक्रिया:**—पेंशन के आवेदन-पत्र और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया अध्याय XXV के अनुसार, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, विकास अधिकारी, सचिव, जिला परिषद् और अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियो द्वारा अनुसरण किया जावेगा।

(2) **पत्रादि की तैयारी एवं प्रारम्भ:**—(i) विकास अधिकारी और सचिव, जिला परिषद् उपरोक्त अध्याय के अधीन पेन्शन के पत्रादि तैयार करने हेतु क्रमशः पचायत समितियां, और जिला परिषदो के कर्मचारियो के लिए कार्यालयाध्यक्ष का कार्य करेंगे। तदनुसार यह उनकी जिम्मेदारी है वे सेवा-निवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व ही पेंशन के पत्रादि तैयार करने का काम हाथ में लेवें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे अध्याय XXV के अनुभाग I, III और IV में दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे।

(ii) पेंशन के पत्रादि तैयार करने के पश्चात् वह फार्म पी–2 और पी–3, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को मय सेवा-पुस्तिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ पेंशन की स्वीकृति फार्म पी-3 में करने हेतु भेजेगा।

(3) **पेंशन-स्वीकृति हेतु सक्षम-प्राधिकारी:**—(i) राजस्थान सेवा नियम 282 के लिए पचायत समितियों और जिला परिषदों के समस्त कर्मचारियो की पेंशन स्वीकृत करने हेतु, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगे।

(ii) विकास अधिकारी से पेंशन पत्रादि प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेंशन पत्रादियों की जाच करने के पश्चात् नियम 248 का पूर्ण ध्यान रखते हुए फार्म पी-3 मे पेंशन स्वीकृत करेगा। इसके पश्चात् वह पेंशन के पत्रादि, जो सभी प्रकार मे पूर्ण हों, को मय सेवा-पुस्तिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित फार्म पी 4 पत्र के साथ, परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को पेंशन-भुगतान-आदेश और ग्रेच्युटी-भुगतान-आदेश जारी करने हेतु भेजेगा।

(4) **परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कार्य और कर्त्तव्य:**—(i) परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर का कार्य और कर्त्तव्य वही होगा जो कर्मचारियों के मामलों में पेंशन केसेज पेंशन नियमो के अधीन स्वीकार करने और पेंशन-भुगतान-आदेश और ग्रेच्युटी-भुगतान आदेश जारी करने हेतु वर्तमान मे महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाता है।

(ii) पेंशन स्वीकृति को सक्षम-अधिकारी पेंशन के पत्रादि प्राप्त होने के पश्चात्. परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानो के अन्तर्गत वांछित जांच और परीक्षा करेगा और आवेदन-पत्र फार्म पी-2 के भाग-III पर अंकेक्षण-मुल्यांकन अभिलिखित करेगा। इस कार्य हेतु वह राजस्थान सेवा नियम 293 मे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

(iii) पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि-निर्धारित-करने के पश्चात्, वह सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक माह पूर्व पेंशन-भुगतान-आदेश और ग्रेच्युटी-भुगतान-आदेश जारी करेगा, जिसकी सूचना पेंशनर, संबंधित कोषाधिकारी और महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भेजेगा।

(4) पेंशन-भुगतान-आदेश के दोनो भाग और ग्रेच्युटी-भुगतान-आदेश की प्रति कोषाधिकारी को रजिस्टर्ड-पत्र द्वारा भेजी जावेगी और उसकी सूचना पेंशनर, महालेखाकार, राजस्थान जयपुर और सबंधित अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को भेजी जावेगी।

(5) पेन्शन का भुगतानः—ट्रेजरी मैन्युवल के अध्याय VI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोषाधिकारी इन कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(6) अन्तःकालीन पेन्शन का भुगतानः—जहां पर सेवा-निवृत्ति की दिनांक से एक माह पूर्व परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पेंशन निर्धारित नहीं की जाती है अथवा कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति की दिनाक तक पेंशन केस का निपटारा होने की सभावना नहीं हो, तो अतिरिक्त-जिला-विकास-अधिकारी राजस्थान सेवा नियम 292 के अनुसार निर्धारित पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृत करेगा और उसकी सूचना परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर, पेंशनर, कोषाधिकारी और महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजेगा। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा अन्तःकालीन-पेंशन की राशि उपरोक्त नियमों के प्रावधानो के अनुसार आहरित कर एक वर्ष की अवधि तक भुगतान की जावेगी।

(7) पेन्शन केस की रिपोर्ट और निर्देश करनाः— वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (2) वि. वि. (पेंशन)/76 दिनाक 16-4-1976 द्वारा निर्धारित फार्म 'बी' और 'सी' मे प्रत्येक अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा पंजिका खोली जावेगी और निदेशक, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को त्रैमासिक रिटर्न प्रेषित किया जावेगा जो उपरोक्त आदेशो मे उल्लिखित विभागाध्यक्ष होने के कारण वित्त विभाग /पेंशन सैल को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

उपरोक्त आदेश दिनाक 1-7-1976 से प्रभावशील होगे और विचाराधीन पेंशन प्रकरणो पर भी लागू होंगे। ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते है जो पचायत समितियो और जिला परिषदों मे प्रति-नियुक्ति पर है। ऐसे मामलो में उनके पेंशन के पत्रादियों का बनाना और उनका निपटारा उनके पैतृक विभाग द्वारा ही किया जावेगा।

पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र

पी—1

सेवामें,

....

... .

विषयः—पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं दिनांक ... .से सेवा-निवृत्त होने जा रहा हूं/कर दिया गया हूं। मेरी जन्म तिथि दिनाक .. ..है अतएव मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे स्वीकार्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी मेरी सेवा-निवृत्ति तक स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का प्रयत्न करे। मै अपनी पेंशन........ ....कोषालय से प्राप्त करना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करता हू कि यदि मेरी अन्तिम पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की स्वीकृति उक्त तिथि तक संभव नही हो तो मुझे 75% अन्तःकालीन पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी स्वीकृत करने का श्रम करें।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने इससे पूर्व, न तो पेंशन तथा न ही मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा न ही प्राप्त की है और न ही भविष्य मे करूंगा :

मै इसके साथ निम्नांकित पत्रादि प्रस्तुत कर रहा हूं,—

1. मेरे प्रमाणित नमूनो के दो हस्ताक्षर।

2. मेरे पासपोर्ट साईज के दो फोटों ।
3. मेरी पत्नि के संयुक्त दो फोटों ।
4. मेरे अंगूठे तथा अंगूलियों के निशानो की दो पर्चिया ।
5. मेरी ऊँचाई तथा पहिचान के चिन्हों के विवरण की पर्चियां ।
6. मेरा वर्तमान पता ··· ···· ···· ····है तथा सेवा-निवृत्ति के पश्चात् निम्नांकित होगा··· ···· ···· ।

दिनांक···· ··· ····

भवदीय,
हस्ताक्षर
पद विभाग

पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु प्रपत्र

प्रपत्र संख्या पी–2

(देखिये नियम 284, 285, (5), 288, 289, 292 एवं 293)

भाग— I

(यदि भुगतान विभिन्न आडिट-क्षेत्रों मे चाहा गया हो तो दो प्रतियां भेजी जाएं)

1. सरकारी कर्मचारी का नाम
2. पिता का नाम (महिला कर्मचारी हो तो पति का भी नाम)
3. धर्म एव राष्ट्रीयता
4. स्थायी आवासीय गांव/कस्बे, जिला एवं राज्य का उल्लेख करते हुए
5. वर्तमान या गत नियुक्ति स्थापना के नाम सहित
   (i) स्थायी
   (ii) स्थानापन्न, यदि कोई हो ।
6. आवेदन की गई पेंशन या सेवा-ग्रेच्युटी की श्रेणी तथा आवेदन पत्र का कारण ।
7. पेशन नियम जिनके लिए विकल्प दिया गया/वह पात्र है ।
8. सरकारें जिनके अधीन सेवाएं की गई है (नियोजन के क्रम में)
9. पेंशन के लिए योग्य-सेवा-की अवधि—
   (क) असैनिक-सेवा की अवधि
   (ख) युद्ध/मिलिट्री सेवा की अवधि
   (ग) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेशन/ग्रेच्युटी की राशि एवं स्वरूप
   (घ) असैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेशन/ग्रेच्युटी की राशि एव स्वरूप
10. (क) औसत "वेतनादि"-की-राशि (ख) ग्रेच्युटी के लिए "वेतनादि"
11. राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में यथा-परिभाषित वेतन
12. प्रस्तावित पेंशन
13. प्रस्तावित ग्रेच्युटी
14. क्या नये परिवार-पेशन नियम प्रयोज्य है ? यदि हां, तो उसकी मृत्यु की दशा मे कर्मचारी के परिवार के अधिकृत सदस्यों को भुगतान योग्य होने वाली जीवन पर्यन्त परिवार-पेशन की राशि ।
15. दिनांक जिससे पेशन प्रारम्भ होनी है।
16. (क) पेंशन के भुगतान का स्थान (कोषागार/उपकोषागार)
    (ख) ग्रेच्युटी के भुगतान का स्थान (कोषागार/उपकोषागार कार्यालयाध्यक्ष)

टिप्पणी:—सेवा-निवृत्त होने वाले अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष की मारफत ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने हेतु विकल्प दे सकते हैं।

17 क्या मनोनयन निम्न के लिए किया गया है –

(क) परिवार-पेंशन

(ख) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी

18 क्या कर्मचारी ने समस्त सरकारी बकायों का भुगतान कर दिया है ? (देखिये अध्याय 25 का अनुभाग 4)

19. (i) कर्मचारी (ii) कर्मचारी की पत्नी/पति की ईस्वी सन् में जन्म तारीख।

20. ऊँचाई

21. पहिचान के चिन्ह

22 (i) कर्मचारी की (ii) कर्मचारी की पत्नी/पति के अंगूठे एवं अंगुलियों की निशानी।

अंगूठा

संकेतिका (फोरफिंगर)

माध्यमिका (मिडिल फिंगर)

अनामिका (रिंग फिंगर)

तर्जनी (लिटिल फिंगर)

23 दिनांक जिसको कर्मचारी ने प्रपत्र पी-1 में पेंशन हेतु आवेदन किया है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
(महालेखाकार राजस्थान)

भाग–II

श्री/श्रीमती/कुमारी.....................की सेवा का विस्तृत विवरण
जन्म की तारीख.....................

अनुभाग–I

संस्थापन	नियुक्ति	स्थायी अस्थाई	प्रारम्भ करने की तारीख	समाप्ति की तारीख	सेवा के रूप में गिने जाने की अवधि वर्ष माह दिन	सेवा के रूप में नहीं गिने जाने की अवधि वर्ष माह दिन	महालेखाकार द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

सेवा की कुल अवधि

टिप्पणी.—इस अनुभाग में मिलिट्री सेवा, यदि कोई हो, की प्रत्येक अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख व समाप्त होने की तारीख भी बतलाई जानी चाहिए।

अनुभाग–II (ए)

अन्तिम तीन वर्षों के दौरान आहरित "वेतनादि"

धारित पद.... ....से.... ....तक.... ....वेतन.... ....वैयक्तिक/विशेष वेतन।

औसत वेतनादि की राशि

अनुभाग–II (बी)

सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व आहरित वेतनादि (दिनांक 1–4–1970 को या इसके बाद निवृत्त होने .

कर्मचारियों के प्रकरण में)

पद धारित किया	वेतन	मंहगाई वेतन, जो वेतन के साथ विनियोजित किया गया, यदि कोई हो।
नान-प्रेक्टिसिंग-भत्ता	योग	
		वेतनादि...............

(2) प्रपत्र पेंशन (2) के अनुभाग-III में वर्तमान शब्द "मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की गणना" के बाद निम्नांकित और जोड़ा जावेगा—(पृ. 374 पर) नियम 250 (ग) एव 257 के अधीन पेशन एव मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति-वेतन की सगणना का ज्ञापन (दिनांक 1-4-70 को या बाद मे सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए)

पेंशन की राशि

अन्तिम वेतनादि × योग्य सेवा को पूरी की गई छमाही अवधियों की सख्या
―――――――――――――――――――――――――――――
160 = रुपये (पेंशन की राशि)

मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की राशि

(2) अन्तिम वेतनादि × योग्य सेवा की पूरी की गई छमाही अवधियों की सख्या × 1/4 = रु.

अथवा (मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की राशि)

सेवा निवृत्ति के समय आहरित "वेतनादि" का 15 गुणा, जो भी कम हो। रु.................

घटाइए:—

दो माह के वेतनादि पारिवारिक-पेंशन के बदले मे शुद्ध मृत्यु-सह-निवृत्ति वेतन की देय राशि रु.................

टिप्पणी:—(1) सेवा की अवधि मे एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के समय के 'वेतन-आदि" से 12 गुणा की न्यूनतम सीमा मे रहते हुए ग्रेच्युटी मिलेगी।

टिप्पणी:—(2) शब्द "वेतनादि" (इमोल्यूमेन्ट्स) का प्रयोग जहां पेंशन, सेवा-ग्रेच्युटी एव मृत्यु-सह-निवृत्ति-वेतन के लिए किया गया है, उसके अर्थ में राजस्थान सेवा नियम 7 (24) मे परिभाषित "वेतन" तथा उस वेतन के अनुपात मे मंहगाई-वेतन, यदि कोई हो, जो सेवा-निवृत्ति के तत्काल पूर्व वह अधिकारी प्राप्त कर रहा था, सम्मिलित होंगे।

किन्तु शर्त यह है कि—

(1) नान-प्रेक्टिसिंग-भत्ता जो चिकित्सा-अधिकारियों द्वारा आहरित किया गया, इस नियम के अधीन वेतन का अंग नहीं माना जावेगा जब तक कि यह सेवा-निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व निरन्तर यथा न्यूनतम तीन वर्ष के लिए आहरित नहीं किया हो।

(2) विशेष-वेतन, यदि कोई हो, जो किसी पद के अतिरिक्त कर्तव्यों जो अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त पालन हेतु स्वीकृत किया गया हो, इस नियम के प्रयोजनार्थ गणना मे नहीं लिया जावेगा।

अनुभाग–III

पेंशन के अयोग्य सेवा की अवधि/अवधियां

1. व्यवधान.............................से.......................तक.............................

2 असाधारण अवकाश जो पेंशन के योग्य न हो।

3 निलम्बन की अवधि जो पेन्शन-योग्य नहीं मानी गई हो।

4. अन्य कोई सेवा जो पेंशन-योग्य नहीं मानी गई हो।

अनुभाग–IV

वर्तीते (एक्विटेंन्स रोल्स) के संदर्भ में सत्यापित नहीं की गई सेवा अवधि।

क्या उक्त अवधि नियम 288 (ग) के प्रावधानों के अनुसार सत्यापित की गई है।

एवं यदि नहीं तो क्या सेवा की उक्त अवधि के सत्यापन की आवश्यकता सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों के अधीन समाप्त की गई है?

भाग–3

आडिट-मूल्यांकन.—(1) पेंशन-योग्य सेवा की कुल अवधि जो अधिवार्षिकी-सेवा-निवृत्ति/अयोग्यता/क्षतिपूर्ति पेन्शन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के लिए स्वीकार की गई है तथा यदि कोई स्वीकृति नहीं की गई हो तो अस्वीकृति के कारण (भाग-2 में निर्दिष्ट अस्वीकृति के अतिरिक्त)

टिप्पणी:—प्रारम्भ से सेवा-निवृत्ति तक की अवधि के बीच............की सेवा अभी तक सत्यापित नहीं की गई है। पेंशन-आर्डर जारी किये जाने से पूर्व इसे कर देना चाहिये।

2. अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि जो स्वीकार की गई है।

3. पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई पेंशन एवं ग्रेच्युटी में कटौती, यदि कोई हो, को गिने जाने के बाद स्वीकार्य अधिवार्षिकी/सेवा-निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि।

4. दिनांक जिससे अधिवार्षिकी/सेवा-निवृत्ति/अयोग्यता/क्षतिपूर्ति-पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार्य है।

5. लेखा शीर्ष जिसमें अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/अयोग्यता/क्षतिपूर्ति पेंशन/ग्रेच्युटी नामे लिखी जानी है।

6. सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के अधिकृत सदस्यों को भुगतान योग्य होने वाली जीवन-पर्यन्त परिवार पेंशन की राशि।

सेवाधिकारी

....

सहायक महालेखाकार

(भाग-3 के पीछे की ओर)

1. कर्मचारी द्वारा पेंशन आवेदन-पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख।

2. कर्मचारी का नाम।

3. पेंशन या ग्रेच्युटी की श्रेणी

4. स्वीकृति प्राधिकारी।

5. स्वीकृत पेंशन की राशि।

6. स्वीकृत ग्रेच्युटी की राशि।

7. पेंशन के प्रारम्भ होने की तारीख ।

8. स्वीकृति की तारीख ।

9. पेंशनर की मृत्यु की दशा में स्वीकार्य परिवार-पेंशन की राशि ।

10. नवीन-परिवार-पेंशन नियमों के नियम 268 (एच) के अधीन ग्रेच्युटी से वसूल किये जाने वाली राशि ।

11-ग्रेच्युटी के विरुद्ध धारित किये गये सरकारी-ऋण ।

(राजस्थान सेवा नियम 255, 256, 257)

पेंशन एवं मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिये औसत वेतनादि की गणना करने संबंधी ज्ञापन ।

(क) अन्तिम तीन वर्षों के लिये पेंशन हेतु औसत वेतनादि ।

	से	तक	अवधि	वेतन की दर	रु.	पै.
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						

कुल अवधि

36 माहों की कुल वेतनादि

एक माह की औसत वेतनादि

दिनांक 18-12-61 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिये)

(ख) $\frac{\text{एक माह की औसत वेतनादि} \times \text{पेंशन-योग्य सेवा की पूर्ण छमाही अवधियों की संख्या}}{160}$

(ग) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना

अन्तिम वेतनादि या वेतन रु.............

अन्तिम "वेतनादि" या वेतन × पेन्शन-योग्य सेवा की छमाही अवधियों की संख्या × 1/4 = मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, या

सेवा निवृत्ति के समय आहरित वेतनादि या वेतन का 15 गुणा, जो भी कम हो ।

घटाये परिवार-पेंशन के बदले में 2 माह के वेतनादि या वेतन, जैसी भी स्थिति हो, घटाइए..............

स्वीकार्य शुद्ध-मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि.....................

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

---

1. ऐसे मामले में अन्तिम तीन वर्षों में ऐसी अवधि सम्मिलित है जो "औसत-वेतनादि" संगणित करने के लिये नहीं गिनी गई हो वहां "औसत-वेतनादि" गिनने हेतु उसके बराबर की अवधि पीछे की अवधि में से ली जानी चाहिये ।

टिप्पणी:—सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी उसकी मृत्यु के समय उसके वेतनादि" के न्यूनतम 12 गुणा तक की शर्त के अधीन रहेगी ।

पेंशन के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु

विविध प्रमाण पत्र

पेंशनर का नाम ....

अन्तिम पद जिसे धारण किया..................

कार्यालय/विभाग........ ....

1. कोई बकाया नहीं —प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनर के खिलाफ कोई बकाया नहीं है।

2 किसी राजकीय-अंशदायी-भविष्य-निधि की सदस्यता—प्रमाणित किया जाता है कि वह किसी राजकीय अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है।

3 स्थायी एवं पेंशन योग्य नियुक्ति—प्रमाणित किया जाता है कि वह अपनी सेवा की अवधि पूर्णकालिक, स्थायी एवं पेंशन योग्य नियुक्ति या नियुक्तियों को धारण कर रहा था/रही थी।

4 स्थानापन्न रूप में नियुक्ति—प्रमाणित किया जाता है कि अपनी सेवा-निवृत्ति के समय वह निम्नलिखित पदों पर स्थानापन्न कार्य कर रहा था/रही थी।

(1) ....

5. परिवीक्षाधीन सेवा के गिने जाने का प्रमाण पत्र-प्रमाणित किया जाता है कि श्री............ ... .. को परिवीक्षा पर्यन्त उसके लिये आरक्षित स्पष्ट स्थाई रिक्त पद पर........ .को समाप्त.. ....वर्ष/माहों के लिये परिवीक्षा पर दिनाक ... . . .से प्रथम बार नियुक्त किये गये थे तथा यह कि किसी भी अन्य कर्मचारी ने उसके साथ उस अवधि के दौरान उस पद पर अपनी सेवा को नहीं गिना है।

6 गत तीन वर्षों में *स्थानापन्न कार्य करने के मामले में राजस्थान सेवा नियम 250 (ड) के अधीन* प्रमाण पत्र—प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... ....ने दिनाक.............. से... .... तक जिस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है वह स्थायी रूप से रिक्त है तथा उस पर (पदनाम) कोई अन्य कर्मचारी ने पदाधिकार धारण नहीं किया है या भत्ते रहित अवकाश पर होने के कारण या राज्येत्तर सेवा पर होने के कारण स्थायी धारक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप, पद अस्थाई रूप से रिक्त है।

7 राजस्थान सेवा नियम 250-ए-के अधीन प्रमाण-पत्र-प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ने दिनाक........ ......से...... .... *तक*........... ....के जिस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है वह पांच या इससे अधिक वर्षों से पदनाम अस्तित्व में है/स्वीकृत है तथा कर्मचारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति से तुरन्त एक वर्ष तक उस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है। उससे वरिष्ठ कोई भी व्यक्ति उच्चतर पद पर पदस्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं था जब तक वह वरिष्ठ व्यक्ति सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी से विशिष्ट-रूप से अधिक्रमित (सुपरसीड) नहीं कर दिया गया था। और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह अवकाश पर रवाना न होने पर दिनाक.... ....*से* .. .. *तक अस्थाई पद पर स्थानापन्न कार्य करता रहता।*

8. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .. .. जिसको रु .. .. का वाहन भत्ता, कार/स्कूटर की खरीद के लिये..... ....बैंक के द्वारा (बैंक का नाम) कर्मचारियों को वाहन-अग्रिम स्वीकार करने के नियमों के अन्तर्गत, बैंक ऋण योजना के तहत स्वीकार किया था, को उसने (कर्मचारी) ब्याज सहित लौटा दिया है, और उस पर इस सदर्भ में कोई बकाया नहीं है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

टिप्पणी—(1) जो प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो उसे/उन्हें काट दिया जाय।

भाग 4: अनुदेश

1. औसत-वेतनादि की गणना—भाग I के क्रमाक म 10 मे वर्णित "औसत-वेतनादि" की गणना प्रत्येक माह के दिनों की *वास्तविक संख्या पर आधारित होनी चाहिये।*

2. क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेच्युटी—(क) यदि आवेदन पत्र क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेच्युटी के लिये है तो की गई सेवा के विशेष विवरणों को भाग–I के क्रमांक 6 के सामने विधिवत रूप से वर्णित करना चाहिये।

(ख) वर्णन कीजिये कि अन्यत्र नौकरी क्यों नहीं की गई।

3. अयोग्यता (इनवेलिड) पेंशन—चिकित्सीय प्रमाण-पत्रों पर सेवा-निवृत्ति के मामले में सेवा पेंशनर को अयोग्य करने में सक्षम-प्राधिकारी के मूल प्रमाण-पत्र को पेंशन कागजातों के साथ संलग्न करना चाहिये।

4. सेवा-वृत्त (क)—विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों एवं सेवा-समाप्तियों की तारीख माह व वर्ष दीजिये। अपूर्ण अवधियों को गिनने के लिये 30 दिवस का एक माह गिना जाना चाहिये।

(ख) सभी अवधियां जो सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती हैं उन्हें अलग किया जाना चाहिये तथा अभ्युक्ति के स्तम्भ में उन्हें हटाये जाने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

(ग) यदि सेवा के किसी भी भाग के सत्यापन के लिये नियम 288 (ग) में दी गई प्रक्रिया अपनाई गयी है वहां कर्मचारी निम्नलिखित प्रपत्र में सादा कागज पर एक लिखित प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत करेगा।

मैं दिनांक.....................से ....तक भूतपूर्व.....................राज्य में सेवा में था और उक्त अवधि में विभाग/कार्यालय में.....................के पद पर कार्य कर रहा था और उक्त अवधि में मुझ पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत मैं पेंशन का अधिकारी था और उक्त अवधि में मेरी सेवा में कोई टूट नहीं थी।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार करता हूं एवं घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं।

दिनांक हस्ताक्षर पदनाम विभाग

इस प्रकार बयान देने के बाद पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र लिखना चाहिये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....................पुत्र.....................पद.....................(भूतपूर्व ....) पर भार की पार्श्व में वर्णित अवधियों की सेवायें राजस्थान सेवा नियम 288 (ग) के अनुसार निरन्तर एवं पेंशन-योग्य स्वीकार की गई है। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त वर्णित अवधि में सेवा व्यवधान तथा पेंशन योग्य अवधियां, निम्न को छोड़ कर और कोई नहीं थी।

(i).....................से.....................तक
(ii).....................से.....................तक
(iii).....................से.....................तक

हस्ताक्षर

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का पदनाम

5. सेवा-पुस्तिका—(क) सेवा निवृत्ति की तारीख तक विधिवत भरी हुई तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सेवा-पुस्तिका तथा पंजिका पेंशन-कागजातों के साथ संलग्न की जानी चाहिये।

(ख) उन व्यक्तियों के मामले में जो भूतपूर्व राज्यों से [illegible] तिथि से पहिले से तथा जिन्होंने अब राजस्थान सेवा नियमों के लिये पेंशन नियमों द्वारा नियमित होने के लिये विकल्प दिया है, उन ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई पूर्व घोषणा को उनकी सेवा-पुस्तिका में लगाया जाना चाहिये।

8. सेवा-निवृत्ति की तारीख—सेवा पुस्तिका तथा अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र में दिखाई जाये।

9 पुनर्नियुक्ति—ऐसे अधिकारी के मामले मे जो निलम्बित किये जाने, अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये जाने, निष्कासित किये जाने या बर्खास्त किये जाने के बाद पुनर्नियुक्त किया गया है वहा उसकी पुनर्नियुक्ति के संक्षिप्त विवरणों को साथ मे सलग्न किया जाना चाहिये। साथ मे पुनर्नियुक्ति के आदेश की एक प्रति भी संलग्न कीजिये।

10. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र—निर्धारित प्रपत्र में एक अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र पेंशन कागजातो के साथ सलग्न किया जाना चाहिये जिसमें अन्तिम भुगतान की तारीख का तथा पेंशनर के प्रति बकाया सरकारी ऋणों का, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

11 वैदेशिक सेवा—ऐसे मामले मे जहा पेंशनर कुछ समय से वैदेशिक-सेवा में रह रहा हो वहा ऐसे स्थानान्तरण करने के आदेश की एक प्रति व उन चालान या पत्रो की सख्या एवं तारीख का पूर्ण विवरण जिसके अधीन अवकाश व पेंशन की राशि जमा कराई गई थी, तथा चालानों की विधिवत प्रमाणित प्रतिया, यदि उपलब्ध हो, सलग्न की जानी चाहिये।

12. विविध प्रमाण-पत्र—किसी नियम या आदेशों के अधीन अपेक्षित विविध प्रमाण-पत्रो या कोई अन्य प्रमाण पत्र भी प्रपत्र पी-2 के साथ सलग्न किया जाना चाहिये।

13. कलेण्डर माह—निम्नलिखित उदाहरण यह बतलाते है कि कलेण्डर माहो में वर्णित अवधि किस प्रकार सगणित की जानी चाहिये—

उदाहरण—6 कलेण्डर माहो की अवधि—

जो दिनाक से प्रारम्भ होती है	जो दिनांक को समाप्त होती है
28 फरवरी	27 अगस्त
31 मार्च या 1 अप्रेल	30 सितम्बर
29 अगस्त	28 फरवरी
30 अगस्त या 1 सितम्बर	फरवरी का अन्तिम दिन

तीन कलेण्डर माहो की अवधि—

प्रारम्भ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख
29 नवम्बर	28 फरवरी
30 नवम्बर या 1 दिसम्बर	फरवरी का अन्तिम दिन

14. परिवर्तन—राजपत्रित अधिकारियो के दिनांकित लघु-हस्ताक्षर लाल-स्याही से कीजिये।

(नियम 282, 285 (3), 290, 293 (7)) प्रपत्र पी-3

पेंशन-स्वीकृत-करने-हेतु-प्रपत्र

(यदि भुगतान विभिन्न आडिट-क्षेत्रो मे चाहा गया हो तो उसे दो प्रतियों मे भर कर भेजा जाय)

1. कर्मचारी का नाम
2. पिता का नाम (यदि महिला कर्मचारी हो तो पति का नाम भी लिखिये)।
3. (क) वर्तमान या गत-नियुक्ति, सस्थापन के नाम सहित (i) स्थाई (ii) स्थानापन्न, यदि कोई हो।

   (ख) स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियाँ—

(1) कर्मचारी के चरित्र व गत-आचरण के बारे मे अच्छा/ठीक उदासीन/बुरा
(2) निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण
(3) अन्य कोई टिप्पणी

(4) स्वीकृति-प्राधिकारी का विशिष्ट परामर्श कि आया क्लेम की गई सेवा सिद्ध होती है एवं क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं।

(ग) पेंशन स्वीकृति-प्राधिकारी के आदेश—

निम्न-हस्ताक्षरकर्त्ता स्वयं इस बात से सतुष्ट होकर कि श्री/श्रीमती/कुमारी······ ·············की सेवा पूर्णतया सतोषजनक रही है, एतद्द्वारा पूर्ण पेंशन, मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, सेवा-ग्रेच्युटी, जो नियमों के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकार्य हो, की स्वीकृति के लिये एतद्द्वारा आदेश देता है।

या

निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता स्वयं इस बात से सतुष्ट होकर कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................. ......की सेवा पूर्णतया सतोषजनक नहीं रही है, एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि पूर्ण पेंशन एवं/या ग्रेच्युटी जो नियमों के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकार्य हो, में से निम्न निर्दिष्ट राशि या नीचे दिखाई गई प्रतिशत की कटौती की जावेगी—

पेंशन में कमी की राशि का प्रतिशत ················
ग्रेच्युटी में कमी की राशि या प्रतिशत ················
पेंशन एवं/या उपदान की स्वीकृति दिनाक ....में प्रभावी होगी।

(घ) श्री/श्रीमती..............की मृत्यु की दशा में............ ...रु० की परिवार-पेंशन जो नवीन-परिवार-पेंशन-नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य है, श्रीमती/श्री————————को स्वीकार्य होगी।

(ङ) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268-एच के अर्थानुसार उसे दो माह का वेतनादि या वेतन, जैसी भी स्थिति हो, के बराबर ग्रेच्युटी के भाग का अंशदान करना होगा। श्री/श्रीमती———— को भुगतान योग्य ग्रेच्युटी में से आवश्यक वसूली करली है/की जायेगी।

(च) जब तक सरकारी-बकायों का निर्धारण एवं समायोजन नहीं हो जाता है तब तक———————— के कारण————————रु० की राशि ग्रेच्युटी में से रोकी जाती है।

टीका :—ग्रेच्युटी की कोई राशि रोके जाने की आवश्यकता नहीं है यदि कर्मचारी ने नकद राशि जमा करादी हो या नियम 296 के अनुसार स्थायी कर्मचारी की जमानत दे दी हो।

यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि यदि यथा-प्राधिकृत पेंशन एवं/या ग्रेच्युटी की राशि बाद में उस राशि से अधिक पाई जाये जिसके लिये नियमों के अधीन पेंशनर हकदार है, तो उस अधिक राशि को वापिस करने के लिये कहा जायेगा।

तारीख———————— पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम

(उन कर्मचारियों के मामले में भरा जाये जिन पर अध्याय 25 का अनुभाग-3 लागू होता है)

नियम 292 में दी गई नई प्रक्रिया के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाने वाली अन्तःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी का विस्तृत विवरण:—

अन्तःकालीन पेंशन	रु.	प्रति माह
ग्रेच्युटी (प्रपत्र पी-2 के आइटम स. 16 के सामने वर्णित पूर्ण उपदान का 3/4 भाग)	रु.	,,
घटाईये—(i) नवीन-परिवार-पेंशन-योजना में अंशदान रु. (प्रपत्र का आइटम -ङ-देखिये)		,,
(ii) सरकारी बकायों के समायोजन के लिये रोकी गई राशि (देखिये आइटम-च)		,,

अन्त:कालीन रूप मे भुगतान की जाने वाली
ग्रेच्युटी की शुद्ध राशि रु.

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष
(देखिये नियम 290 (2)) प्रपत्र पी-4

कर्मचारी के पेशन पत्रादि को महालेखाकार के पास भेजने का प्रपत्र संख्या......................राजस्थान सरकार

———————विभाग, कार्यालय

दिनाक

प्रेपिती—

महालेखाकार, राजस्थान

महोदय,

मैं इस कार्यालय/विभाग के श्री/श्रीमती/कुमारी————के पैशन-पत्रादि को इस सूची के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु एतदद्वारा भेज रहा हू ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री————(नाम व पद) जो स्थाई राज्य कर्मचारी है, के द्वारा जमानत फार्म पी-6 में, राजस्थान सेवा नियम 296 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हो गई है और विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष————(अधिकारी का पद व नाम) के पास सुरक्षित है।

(यदि अवांछित हो तो, पैरा 2 काट दीजिये ।)

भवदीय हस्ताक्षर
पद-नाम

संलग्नकों की सूची:—1. प्रपत्र पी-2 सेवा आदि के विशेष विवरणों के साथ तथा प्रपत्र पी-3 जो पैशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेशों से सबंधित है ।

2. यदि क्लेम इनवेलिड-पेंशन के लिये हो तो इनवेलिडेशन के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र ।

3. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत् पूर्ण एवं प्रमाणित सेवा-पुस्तिका ।

4. पैंशन के लिये "औसत-वेतनादि" गिने जाने का ज्ञापन ।

5. अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र ।

6. (क) दो नमूने के हस्ताक्षर जो राजपत्रित कर्मचारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो या यदि कर्मचारी अपने नाम के हस्ताक्षर करने मे पर्याप्त रूप से साक्षर नही है तो दो पर्चिया जिन पर उसके अंगूठे एव अगुलियों की निशानी हों जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, तथा

(ख) पति/पत्नी के साथ की पासपोर्ट साइज के फोटो की तीन प्रतिया जो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित हों ।

7. प्रपत्र पी-1 में पैंशन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र ।

8. प्रपत्र पी-2 व प्रपत्र पी-3 के भेजने में कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने की तारीख से एक माह से अधिक का विलम्ब, यदि कोई हो या स्पष्टीकरण ।

9. जब सेवा-पुस्तिका मे अन्य कार्यालय में की गई सेवा का तथ्य सन्तोषजनक ढंग से ज्ञात न हो तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित साराश प्रपत्र ।

10. आवेदन का विवरण तथा नियम 288 (ग) मे यथा-प्रेपित सहवर्ती मासा जो पेंशन-स्वीकृत करने को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई हो ।

11. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अवकाश प्रमाण-पत्र तथा साथ मे अन्य विभागो से प्राप्त अवकाश प्रमाण-पत्र ।

प्रपत्र पी-5

(राजस्थान सेवा नियम 292 (1))

राजस्थान सरकार

अन्तःकालीन पैंशन एवं ग्रेच्युटी के आहरण के लिये बिल

बिल संख्या

वाऊचर संख्या——————
सूची सख्या——-———

मुख्य शीर्ष——————
लघु शीर्ष———-—-——
विस्तृत शीर्ष—————

निम्न नामांकित व्यक्तियों को अन्तःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी के विवरण के लिये——————रु. की राशि सरकारी कोषागार से प्राप्त हुई।

स्वीकृति सख्या एव दिनाक	पेंशनरो के नाम	अवधि	पैशन की दर	पेशन/ग्रेच्युटी की राशि

राशि (शब्दो एवं अंको में)——————
हस्ताक्षर——————
पद——————

दिनांक——————

आहरण-कर्ता द्वारा पृष्ठाकन

कृपया श्री——————को भुगतान करें। इनके नमूने के हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं—

हस्ताक्षर
पद————
तारीख——————

नमूने के हस्ताक्षर
प्रमाणित

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

कोषागार में उपयोग के लिये

बैंक/कोषाध्यक्ष
रु.——————(शब्दों में)——————का भुगतान करें।
जांच की एवं दर्ज किया
लेखाकार

कोषागार अधिकारी
दिनांक
जिला

कोषागार के लिये
——————रु. का भुगतान किया
भुगतान किया
दिनांक——————को
कोषाध्यक्ष

प्राप्तकर्त्ता के लिये
भुगतान प्राप्त किया
दिनाक————
हस्ताक्षर

बैंक के लिये
रु. का
दिनांक——————
बैंक की मोहर
प्रबन्धक

महालेखाकार के कार्यालय में उपयोग हेतु

वर्गीकरण————————
स्वीकार किया————————
आपत्ति की————————

अंकेक्षक	अधीक्षक	ब्रान्च आफीसर
————	————	————

निर्देशक:—1 यह प्रपत्र अन्तःकालीन पैंशन/ग्रेच्युटी की राशि बारह माह तक की अवधि के लिये या महालेखाकार द्वारा अन्त-कालीन पैंशन के लिये अधिकृत किये जाने की तारीख तक, जो भी पूर्व मे हो, पैंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर राशि प्राप्त करने के काम मे लिया जावेगा।

2. बिल अराजपत्रित कर्मचारियों (और नियम 286-ए-के अधीन निहित राजपत्रित-अधिकारियो) को अन्तःकालीन ग्रेच्युटी के मुगतान की व्यवस्था करने हेतु कार्यालयाध्यक्षद्वारा आहरित किया जायेगा।

3. पैंशन की प्राप्ति रसीद, बिल की कार्यालय प्रति पर भुगतान करते समय कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ली जायेगी।

4. पैंशनर को किये गये भुगतानो के विस्तृत विवरण की सूचना हर माह की 7 तारीख तक महा-लेखाकार, राजस्थान, जयपुर को पृथक से भेजी जायेगी।

प्रपत्र संख्या पी-6

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (52) वि. वि. (श्रे-2) 74-I दि. 1-9-1975 द्वारा अनुदेश 1 मे 6 के स्थान पर "बारह" प्रतिस्थापित तथा अनुदेश-2 में अराजपत्रित कर्मचारियों के आगे "और नियम——— राजपत्रित अधिकारियों" जोड़ा गया]

(नियम 296)

जमानत-पत्र का प्रपत्र

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) से 'बकाया नही प्रमाण पत्र' के प्रस्तुत किये बिना ही श्री/श्रीमती————————के अन्तिम लेखों को तय करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल के (जिसे एतद्पश्चात सरकार कहा जायेगा तथा जिस अभिव्यक्ति मे उसके उत्तराधिकारी या अभिहस्ताकिती भी सम्मिलित हैं) सहमत होने के फलस्वरूप उक्त श्री————द्वारा किराये के तथा सरकार द्वारा उसे इस समय आवटित आवास-भवन के सबध मे अन्य बकायो के तथा सरकार द्वारा समय पर उक्त श्री————————को आवंटित की जाने वाली या की गई किसी आवास-सुविधा के सम्बन्ध मे बकायों के भुगतान के लिये, मैं एतद्द्वारा जामिन (जिस व्यक्ति मे मेरे उत्तराधिकारी, निष्पादक एव प्रशासक सम्मिलित होंगे) उपस्थित होता हूं। मैं, जामिन उक्त आवास सुविधा के रिक्त अधिकार जो सरकार को सौंपे जाने तक होने वाले समस्त नुकसानों एवं हानियों के लिये सरकार की क्षतिपूर्ति करने के लिये सहमत हूं तथा उसके लिये प्रति-वचन देता हूं।

मैं एतद्द्वारा वाहन, भवन निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिये वेतन, भत्तों, अवकाश-वेतन के अधिभुगतान के रूप मे सरकार के उक्त पर बकाया होने वाली किसी भी राशि या अन्य ऋणों को भुगतान के लिये जामिन उपस्थित होता हूं।

मेरे द्वारा किया गया यह बन्धक उक्त श्री को समय मे वृद्धि स्वीकार करने — अन्य कोई उदासीनता बरते जाने के कारण समाप्त नही होगा या किसी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

यह जमानत नामा निम्न समय तक प्रभावशील रहेगा—

(i) उक्त————के, पक्ष मे अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा "बकाया नही प्रमाण पत्र" जारी नही किया जाए।

(ii) कार्यालयाध्यक्ष से जिसके पास उक्त श्री अन्तिम समय नियोजित थे तथा यदि वह वेतन एवं भत्ते राजपत्रित कर्मचारियो के बिल (प्रपत्र) पर उठा रहे थे तो संबंधित अकेक्षण अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि उक्त श्री से सरकार की कोई बकाया नही है।

इस विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

जामिन के हस्ताक्षर

उक्त जामिन द्वारा निम्न की साक्षी में आज दिनांक माह वर्ष को पर हस्ताक्षर किये गये एव सोपा।

1. साक्षी के हस्ताक्षर
   पता एव व्यवसाय

2. साक्षी के हस्ताक्षर
   पता एव व्यवसाय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती एक स्थाई कर्मचारी है।

कार्यालय/विभाग के, जिसमें जामिन नियुक्त है,
अध्यक्ष के हस्ताक्षर

यह बन्धपत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(हस्ताक्षर एवं पद नाम)
राज्यपाल के लिये एवं उनकी ओर से

नियमः—297 से 300 तक वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (77) वि. वि. (नियम) 69 दिनांक 14-5-1970 द्वारा विलोपित।

अध्याय 26

पेंशनों का भुगतान

नियम 301–साधारण-मामलों में भुगतान की तारीखः—विशेष आदेशों को छोड़कर अध्याय 24 के अन्तर्गत असाधारण-पेंशन के अतिरिक्त अन्य पेन्शनों का भुगतान उस तारीख से किया जाना है जिसको कर्मचारी सस्थापन वर्ग में कार्य करना बन्द करता है या जिस तारीख को वह प्रार्थना-पत्र देता है, इनमें से जो भी बाद में हो। इस दूसरे प्रावधान का उद्देश्य प्रार्थना-पत्रों को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी को रोकना है। जब देर करने के कारणों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है तो पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस संबंध में नियमों में शिथिलता भी कर सकता है।

नियम 302–विशेष-मामलों में भुगतान की तारीखः–पूर्वोक्त नियम साधारण-पेंशन के मामलों पर प्रभावी होता है, न कि विशेष मामलों में। यदि, किन्हीं विशेष-परिस्थितियों में, कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने के पर्याप्त समय बाद उसे पेन्शन स्वीकृत की जाती है तो उसे स्वीकृत करने वाली सरकार के आदेशों के बिना, पूर्व प्रभाव से नहीं दिया जाना चाहिये। विशेष आदेशों के अभाव में ऐसी पेंशन उसको स्वीकार करने की तारीख से प्रभावशील होती है।

नियम 303–असाधारण-पेंशन के भुगतान की तारीखः—यदि किसी मामले में असाधारण-पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र देने मे पर्याप्त रूप से विलम्ब किया गया हो तो वह चिकित्सा-मण्डल द्वारा दी गई रिपोर्ट की तारीख से स्वीकृत की जावेगी तथा ग्रेच्युटी या पेंशन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा यदि वह घाव या चोट लगने से पांच वर्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

नियम 304:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 7 ए (41) एफ. डी. ए. (नियम) 59 दिनांक 31-3-1961 द्वारा विलोपित।

नियम 305–एक-मुश्त-भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटीः—महालेखाकार की आज्ञा से अधिकार-पत्र प्राप्त होने पर ग्रेच्युटी एक मुश्त दी जाती है न कि किश्तों में।

नियम 306–पेंशन के भुगतान की प्रक्रियाः– ट्रेजरी नियमों में दिये गये नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान आगामी माह की सदैव पहली तारीख को या उसके बाद किया जावेगा।

टिप्पणियां—(1) पेंशन भुगतान-आदेश (पेंशन-पेमेन्ट-आर्डर) प्राप्त करने पर वितरण-अधिकारी उसका आधा भाग पेंशनर को दे देगा तथा अन्य आधे भाग को इस प्रकार सावधानी पूर्वक अपने पास रखेगा कि पेंशनर उसे प्राप्त न कर सके।

(2) प्रत्येक भुगतान का इन्द्राज पेंशनर के आधे व वितरण-अधिकारी के आधे पेमेन्ट-आर्डर पर पीछे की ओर किया जावेगा।

(3) विशेष-राजकीय-आदेशों के बिना किसी भी रूप में एक वर्ष से अधिक समय की बकायों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में प्रथम-बार नहीं किया जाना चाहिये।

(4) पेंशन उस दिनकी भी दी जावेगी जिसको कर्मचारी की मृत्यु होती है।

नियम 307-पहिचान के लिये व्यक्तिगत-रूप से उपस्थितिः— नियम के रूप में एक पेंशनर को पेंशन-भुगतान-आदेश से तुलना करने/पहिचान कराने के बाद व्यक्तिगत रूप से पेंशन की रकम प्राप्त करनी चाहिये।

टिप्पणीः— वितरण-अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित पेंशनर को निजी रूप मे पहिचाना जा सकता है तथा उसे कार्यालय मे उपस्थित होने की आवश्यकता नही होती है।

नियम 308-व्यक्तिगत-उपस्थिति से छूटः— एक पेंशनर जो सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से मुक्त कर दिया हो, एक महिला-पेंशनर जो जनता में आने की अभ्यस्त न हो, या एक पेन्शनर जो शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो, वह अपनी पेन्शन, अपने जीवित होने के प्रमाण-पत्र पर किसी उत्तरदायी सरकारी-अधिकारी द्वारा या अन्य प्रसिद्ध तथा विश्वास-योग्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने पर, प्राप्त कर सकता/सकती है।

टिप्पणीः— इस नियम के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के अधिकार सरकार द्वारा एक ऐसे अधिकारी को दिये जा सकते है जो एक जिले के जिलाधीश के पद से कम पद का नही हो।

नियम 309-जीवन-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर-कर्त्ता-प्राधिकारीः— किसी भी प्रकार का एक पेन्शनर जो क्रिमिनल-प्रोसीजर-कोड के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अन्तर्गत नियुक्त किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित या किसी पेन्शन-प्राप्तकर्त्ता-अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, जो सेवा-निवृत्ति के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करता था या किसी मुंसिफ द्वारा या किसी राज-पत्रित-अधिकारी द्वारा या कम से कम एक पुलिस-स्टेशन के सब-इन्सपेक्टर इन्चार्ज के पद के पुलिस-अधिकारी द्वारा या विभागीय उप-पोस्ट-मास्टर या पोस्ट-आफिस के एक इन्सपेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया जा सकता है।

राजकीय-निर्णयः— यह निर्णय किया गया है कि भविष्य मे, नियम 212 के अधीन प्राधिकृत-ऐजेन्टों के जरिये पेशन के भुगतान के मामले को छोडकर, जीवन प्रमाण-पत्र छः-माह में एक बार ऐसे मामलों में एक बार प्राप्त किया जायेगा जहां भुगतान किसी ऐजेन्ट को या पेंशनर के प्रतिनिधि को किया जाना चाहा गया हो तथा वह नियम 309 की शर्त के अनुसार उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्राप्त नही की जाती हो।

नियम 309-ए-ऐजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करनाः— जब एक पेंशनर अपनी पेंशन एक ऐजेन्ट या प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त करता है तो क्लेम के साथ पेशनर की एक लिखित-आज्ञा उसके द्वारा मनोनीत-ऐजेन्ट या प्रतिनिधि को उसके पक्ष में पेंशन देने के संबंध में प्रस्तुत की जानी चाहिये। ऐसे मामलों में पेन्शनर द्वारा "भुगतान-प्राप्त-किया-गया" प्रष्ठांकन स्वयं किया जाना चाहिये एवं एक प्रथक रसीद जिस पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐजेन्ट या मनोनीत व्यक्ति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वास्तव में प्राप्त किये भुगतान की साक्षी में हस्ताक्षर कर, दी जावेगी।

टिप्पणीः—(1) प्रत्येक भुगतान के संबंध में जीवन-प्रमाण-पत्र एवं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षरित एक रसीद प्रस्तुत करने पर इस नियम के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले एक एजेन्ट या प्रतिनिधि के लिये नियम 312 (ख) के अर्थों मे सरकार की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यदि पेंशनर राजपत्रित-अधिकारी की स्थिति मे पुर्ननियुक्त हुआ हो तो किसी एक कोषालय से, जहां से पेंशन प्राप्त की जाती है, किसी माह के वेतन के वास्तविक भुगतान के तथ्यो को उस कोषालय से उस माह के लिये पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये उचित जीवन-प्रमाण-पत्र के रूप में समझा जावेगा।

नियम 310-(क) वर्ष में एक बार पेंशनर के जीवित रहने का सत्यापन करना:—नियम 308 व 309 में वर्णित सभी मामलों में धोखे से बचने के लिये वितरण अधिकारी को सावधानी बरतनी चाहिये तथा वर्ष में न्यूनतम एक बार जीवन-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाण-पत्र पेशनर के जीवित रहने के बारे में प्राप्त करना चाहिये।

(ख) इस कार्य के लिये उसे (केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये कहा जाना चाहिये तथा उन सभी पेंशनरों की पहिचान करनी चाहिये (उन महिलाओं के अतिरिक्त जो जनता में आने की अभ्यस्त नहीं हैं) जो इस प्रकार की उपस्थिति में शारीरिक बीमारी या दोष के कारण असमर्थ न हों, एवं सभी मामलों में जहां इस प्रकार की असमर्थता व्यक्त की गई हो, उनसे पेंशनर के जीवित होने के प्रमाण के प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अन्य प्रमाण और प्रस्तुत किये जाने के लिये कहा जाना चाहिये।

टिप्पणी:—किसी प्रकार के गलत भुगतान के लिये वितरण-अधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। सन्देह के मामले मे उसे महालेखाकार से परामर्श कर लेना चाहिये।

नियम 311-पुलिस पेंशनर की पहिचान:—पुलिस पेशनरों को पेंशन का भुगतान इस खण्ड के नियमों के अनुसार किया जाता है किन्तु यदि वितरण-अधिकारी पेशनर के पहिचानने में किसी प्रकार का सन्देह करता है तो वह पुलिस के स्थानीय इन्सपेक्टर से उसके पहिचान के बारे में पूछ सकता है। इन्सपेक्टर तब पेशनर की सही पहिचान के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम 312-(क)-एक प्राधिकृत-एजेन्ट द्वारा पेंशन-प्राप्त-करना:—एक पेंशनर जो भारत में नहीं रहता हो वह अपने उचित प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा भारत में किसी भी कोषालय द्वारा अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता हैं जिसे प्रत्येक अवसर पर मजिस्ट्रेट, एक नोटेरी, एक बैंकर या एक भारत के राजनैतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया गया एक प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध का प्रस्तुत करना चाहिये कि जिस तारीख को उसकी पेंशन क्लेम की गई है उसको पेशनर जीवित था या उसे अधिक किये जाने वाले भुगतान को लौटाने का बाण्ड भरना चाहिये तथा न्यूनतम वर्ष में एक बार उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

(ख) किसी भी प्रकार का पेन्शनर जो भारत में रहता हो तथा व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर दिया गया हो, यदि वह सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत-एजेन्ट द्वारा या एक ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे सरकार द्वारा शक्ति-प्रदान करदी गई है, अपनी पेंशन प्राप्त करता है तो उसे अधिक-भुगतान की रकम-लौटाने के लिये बाण्ड भरना पडेगा एवं न्यूनतम वर्ष में एक बार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जो ऐसे प्रमाण-पत्र पर नियम 309 के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत है।

राजकीय निर्णय:—राजस्थान सेवा नियम 312 (ख) मे प्रस्तुत "सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा" वाक्य की व्याख्या के सबंध मे सन्देह उत्पन्न किया गया है। मामले पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि "सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित, प्राधिकृत अधिकारी" वह व्यक्ति होगा जो पेशनर का प्रतिनिधित्व करने के लिये उचित कानूनी आज्ञा (एटोर्नी पावर)

करने तथा सरकार द्वारा इस रूप में मान लिये जाने के बाद राजस्थान सेवा नियम 312 (ग) के प्रयोजनों के लिये एजेन्ट के रूप में कार्य करता है।

टिप्पणी:—किसी भी शर्तों के आधार पर जिन्हें वह लगाना उचित समझे, सरकार जिले के जिलाधीशों को इस नियम के अन्तर्गत एजेन्ट अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

(ग) एक अधिकारी की पेन्शन, जो अपने एक ऐसे एजेन्ट द्वारा प्राप्त करता है जिसको अधिक-भुगतान की रकम को लौटाने का बाध्य-पत्र भरना पड़ता है, अन्त में प्राप्त किये गये जीवन प्रमाण-पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं दी जानी चाहिये एवं महालेखाकार तथा वितरण-अधिकारियों को एक पेन्शनर की मृत्यु की प्रमाणिक-सूचना प्राप्त करने के लिये सचेत रहना चाहिये एवं उसके प्राप्त होने पर अग्रिम भुगतान उसी समय एकदम बन्द कर देना चाहिये।

राजकीय निर्णय:—यदि पेंशनर राजपत्रित-अधिकारी की हैसियत से सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाता है तो किसी एक ट्रेजरी से जहां से वह वेतन प्राप्त करता है किसी माह के वास्तविक भुगतान के तथ्य को उस ट्रेजरी के उस माह के लिये पेन्शन देने के प्रयोजन के लिये उचित जीवन-प्रमाण पत्र के रूप में समझा जावेगा।

नियम 313–भारत में एक कोषागार से दूसरे कोषागार में भुगतान का हस्तान्तरण:— सरकार या महालेखाकार, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने तथा पर्याप्त कारण स्पष्ट करने पर भारत में एक कोषागार से दूसरे कोषागार में भुगतान के स्थानान्तरित करने की आज्ञा दे सकता है। सरकार अपने इस अधिकार को किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को सौंप सकती है जो किसी जिलाधीश या अन्य जिला अधिकारी से निम्न-पद का नहीं हो।

राजकीय निर्णय:—महालेखाकार राजस्थान ने सुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार के बैंक सबंधी लेन-देन का कार्य रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ले लेने के परिणाम स्वरूप अब उनके लिये राजस्थान सरकार के पेंशनरों को जो राजस्थान के बाहर रहते हैं, इस सरकार के नामे लिखे जाने वाली पेंशनों के भुगतान संबंधित महालेखाकार द्वारा किया जाना सुविधाजनक हो गया है एवं ऐसे पेंशन सबंधी व्ययों का आडिट बाद के महालेखाकार द्वारा किया जावेगा और नामे की रकमों का इन्द्राज बिना वाउचरों एवं विशेष-विवरणों के ही "रेमिटेन्श-एकाउन्ट" में कर दिया जावेगा। इसलिये मामलों को, राजस्थान सरकार से आपसी समझौते में सम्मिलित होने के लिये, अन्य सरकारों के पास भेजा गया था एवं इसके फलस्वरूप आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, तामिल-नाडू, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, आसाम, पश्चिम-बंगाल एवं कर्नाटक की सरकारें उक्त तरीके को पूर्व-प्रभाव में अपनाने के लिये सहमत हो गई है।

अतः राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाहर रज्य पेंशनरों के भुगतान के बारे में उक्त अनुच्छेद में दिये गये तरीकों को अपनाने में अपनी स्वीकृति दे दी है।

टिप्पणी:—जब कोई पेंशनर भारत में एक कोषागार से दूसरे कोषागार में अपनी पेंशन के भुगतान का स्थानान्तरण करने हेतु महालेखाकार को या कोषागार-अधिकारी को आवेदन करता है तो कोषागार-अधिकारी नियम 175-ए-में प्रावहित किये गये को छोड़कर तथा ऐसे मामलों में जहां पेंशनर ने उससे ओथोरिटी प्राप्त करने पर महालेखाकार को इस प्रकार से आवेदन किया है, पेंशन-भुगतान-आदेश के दोनों भाग (हाल्वस) को महालेखाकार के पास भेजेगा। जहां भुगतान राज्य के बाहर कोषागार से चाहा गया हो वहां दो पर्चियां जिनमें पेंशनर के नमूने के हस्ताक्षर या अंगूठे व अंगुलियों की निशानी होगी, भुगतान-आदेश के साथ महालेखाकार को भेजी जावेगी।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 14 (3) वित्त/वि. लेखा/68 दिनांक 26-2-70 द्वारा निविष्ट]

नियम 314:—(क) पूर्वोक्त नियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा या अन्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार को भेजनी चाहिए एवं उस जिले के जिलाधीश को, जहा से भुगतान का स्थानान्तरण किया जाना है, पेंशन भुगतान आदेश को लौटाने के लिए निर्देश देना चाहिए।

(ख) महालेखाकार इसके बाद या तो नया भुगतान-आदेश जारी करेगा या उस भुगतान-आदेश को नये कोषागार मे भुगतान करने के लिए पृष्ठांकित करेगा तथा उसे उस कोषाधिकारी के पास भेजेगा जो भविष्य मे पेन्शन का भुगतान करेगा या यदि कोषागार अन्य प्रान्त में हो, तो उस प्रदेश के महालेखाकार को ऐसा करने के लिए लिखेगा।

नियम 315-एक जिला कोषागार के अधीन एक कोषागार से दूसरे कोषागार में भुगतान का स्थानान्तरण:—एक कोषाध्यक्ष अपने मुख्यालय पर यथोचित आज्ञा के अनुसार भुगतान करने योग्य पेन्शन का, अपने जिला-कोषालय के अधीनस्थ किसी भी कोषालय को, भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है एवं ऐसे अधीनस्थ कोषालय से जिला कोषालय में या उसी जिले में एक अधीनस्थ कोषालय से दूसरे अधीनस्थ कोषालय में पेंशन के भुगतान को स्थानान्तरित कर सकता है।

नियम 316-सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र:—(क) भारत मे पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर के लिए अपने बिल के साथ निम्नलिखित एक प्रमाण पत्र संलग्न करना पडता है:—

"मैं घोषणा करता हूं कि मैने किसी सरकार या स्थानीय निधि के अधीन या उस समय में जिसके लिए इस बिल के पेन्शन की बकाया राशि क्लेम की गई है, किसी भी रूप में सेवा का कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।"

(ख) यदि अध्याय-28 के अन्तर्गत एक पेन्शनर को पुनर्नियुक्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने की आज्ञा दे दी जाती है तो इस प्रमाण-पत्र को तथ्यों के अनुसार संशोधित कर लेना चाहिए।

(ग) यदि एक पेन्शनर एक एजेन्ट की मार्फत अपनी पेन्शन प्राप्त कर रहा हो, जिसने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों द्वारा चाहे गए अनुसार वचन-पत्र (बाण्ड) भर दिया है, वहां उक्त प्रमाण-पत्र को संशोधित कर उस पर एजेन्ट के हस्ताक्षर करने चाहिए। किन्तु शर्त यह है कि पेंशनर स्वयं वर्ष में एक बार प्रमाण-पत्र पेश करेगा जो उस समय के लिए होगा जिसमें एजेन्ट के प्रमाण-पत्रों के आधार पर पेंशन प्राप्त की गई थी।

नियम 317-पेंशन-भुगतान आदेश का नवीनिकरण:—जब पेन्शन-भुगतान आदेश का पिछला भाग पूर्ण भर जाता है तथा जब पेंशनर का आधा भाग जीर्ण-क्षीण अवस्था में हो जाता है तो दोनों भाग कोषाधिकारी द्वारा नए जारी किये जा सकते हैं।

नियम 318-खो जाने पर नया पेंशन-भुगतान आदेश जारी करना:—यदि पेन्शनर का अपना, पेन्शन-भुगतान-आदेश का आधा-भाग, खो जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा एक नया आदेश जारी किया जा सकता है। उसे यह देखना चाहिये कि नियम 306 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (2) का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए उसके खोये हुए आधे भाग पर कोई भुगतान नहीं किया गया है। कोषागार में संधारित रजिस्टर के "विशेष-टिप्पणी" कालम में इस संबंध की आवश्यक टिप्पणी लिख देनी चाहिए।

समयातीत होना एवं समाप्त किया जाना

नियम 319 भुगतान कब बन्द किया जावेः—यदि भारत में प्राप्त की जाने वाली पेन्शन एक वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त नही की जावे तो पेन्शन का देना बन्द कर दिया जावे।

नियम 320-पेंशन के बकायों का भुगतानः—यदि पेन्शनर इसके बाद उपस्थित होता है तो वितरण-अधिकारी उसके भुगतान को पुनः चालू कर सकता है। किन्तु बकायों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यदि पेन्शन की बकाया प्रथम बार ही चुकानी हो या बकायों की राशि 2000) रु (1-9-1976 से) से अधिक हो तो उसके लिये उस अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी जिसके द्वारा पेन्शन की स्वीकृति महालेखाकार द्वारा प्राप्त करने के लिये दी गई थी।

नियम 321:—यदि भुगतान का निलम्बन किसी सरकारी अधिकारी की गलती या उदासीनता के कारण हो तो महालेखाकार, सरकार के आदेश प्राप्त किये (बिना बकायों के भुगतान के आदेश प्राप्त किये बिना) बकायों के भुगतान के लिये निर्देश दे सकता है।

मृत-पेंशन-प्राप्तकर्त्ता

नियम 322-मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को पेन्शन का भुगतानः—(क) पेन्शनर की मृत्यु हो जाने पर वास्तविक रूप से बकायों का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को किया जा सकता है बशर्ते वे इसके लिये उसकी मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद यह उस अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया जावेगा जिसके द्वारा पेंशन महालेखाकार के जरिये प्राप्त करने हेतु स्वीकृत की गई थी।

टिप्पणीः—सरकार द्वारा स्वीकृत की गई पेन्शनो के मामलों में इस नियम के अन्तर्गत शक्तियां विभागों के अध्यक्षों एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है।

(ख) किन्तु यदि बकाया राशि 500) रु० (1-9-1976 से) से अधिक न हो तथा मामले मे कोई विशेष बात नही दी हुई हो तो महालेखाकार स्वयं की आज्ञा से उसके बकायों को देने में सक्षम है।

(ग) पेन्शन के बकायों के भुगतानों को चुकाने के बाद पेन्शन-भुगतान आदेश महालेखाकार के पास पेन्शन की मृत्यु की तारीख की सूचना के साथ भिजवा दिया जाना चाहिये।

नियम 323-मृत-पेंशनर की बकायों का उसके उत्तराधिकारियों को भुगतानः—पूर्व के नियम के प्रावधानों की शर्त पर मृत पेंशनर के पेंशन की बकाया जिलाधीश या भुगतान के लिए उत्तरदायी अन्य अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत 2000) रु० की सीमा तक बिना किसी वैध-प्रमाणिकता के प्रस्तुत किए, मृत-पेंशनर के उत्तराधिकारियों को, उनके दावों के अधिकार एवं टाइटिल को पर्याप्त समझते हुए जांच करने के बाद, चुकाई जा सकती है। 2000/- रु० से अधिक की राशि के किसी भी भुगतान के लिए, सरकार के आदेशो के अधीन समान रूप से एक प्रतिज्ञा-पत्र ऐसी जमानतों के के साथ, जो चाही गई हों, भरा जाकर, किया जावेगा। यदि क्लेम करने वाले के अधिकार एवं टाइटिल से सतुष्टि हो जाती हो तथा यह समझा जाता हो कि उत्तराधिकार के पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करने पर अनुचित रूप से देरी हो जावेगी तथा आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होगी। सन्देह के किसी भी मामले में भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो वैध उत्तराधिकार-पत्र प्रस्तुत करे।

[500/- रु० के स्थान पर 2000/- रु० दिनांक 1-9-76 से किये गये हैं]

राजकीय निर्णय:—पेंशन के मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए राजप्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि उन व्यक्तियों के मामलों में जो 31–12–54 को या उसके पूर्व सेवा-निवृत्त हो रहे है उनके लिए राजस्थान सेवा नियम 323 मे प्रयुक्त धनराशि की सीमा 2000/- रु. तक बढाई जा सकती है।

नियम 324–जब सेवा-निवृत्ति या सेवा-मुक्ति (डिस्चार्ज) किये जाने से पूर्व ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाये:—यदि एक कर्मचारी सेवा से वास्तविक रूप से निवृत्त हुए बिना ही या हटा दिये जाने पर मर जाता है तो उसके उतराधिकारियों का, उसकी पेशन के संबंध में सिवाय उस सीमा तक एव उन शर्तो तक जिनका उल्लेख इन नियमों के अध्याय 22 व 23 में किया गया है, कोई क्लेम नही होगा।

टिप्पणी:—उन मामलों मे जहा सम्बन्धित अधिकारी की मृत्यु के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाती है, वहा मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियो के लिए भुगतान करने से पूर्व पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक है।

(राज्य कर्मचारियों के पेन्शन सम्बन्धी मामलों का निपटारा—विशेषाधिकारी पेन्शन को केन्द्रीय-ऐजेन्सी बनाने के बारे में)

राज्य सरकार के यह ध्यान मे आया है कि राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन नियमो तथा पेन्शन के प्रार्थना-पत्र एव पेन्शन स्वीकार करने सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार एवं सरल बना दिये जाने के उपरान्त भी पेन्शन के विचाराधीन मामलो मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर आदेश एवं परिपत्र जारी किये गये हैं जिनके द्वारा विभागाध्यक्षों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया ताकि पेन्शन के मामलों का द्रुतगति से निपटारा हो जावे। किन्तु पेन्शन सम्बन्धी मामले निपटाये जाने की स्थिति मे कोई प्रशसनीय सुधार नही हुआ है।

पेन्शन के मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में निरन्तर तथा नियमित रूप से नियन्त्रण रखने की दृष्टि से राज्य सरकार ने विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग, जयपुर को निम्न-अंकित कार्यवाही करने के लिए "उत्तरदायी अधिकारी" बनाने का निर्णय किया है:—

(1) समस्त विभागाध्यक्षों से विशेषाधिकारी द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया एव प्रपत्र मे नियमित आधार पर विचाराधीन पेन्शन के मामलो की सूचना मगवाना।

(2) विचाराधीन पेंशन के मामलों का विश्लेषण करना तथा उनका पुनरावलोकन करना एवं उसके आधार पर मामलों में होने वाली देरी के बिन्दुओं को स्पष्ट करना तथा उसके निराकरण के लिए सुझाव देना एव सम्बन्धित विभागों को वर्तमान पेन्शन नियमों/आदेशों तथा परिपत्रो के प्रावधानों की सीमा में निर्देश जारी करना ताकि विचाराधीन मामले त्वरित गति से निपटाये जा सके।

(3) विभागीय आन्तरिक जांच दलो को, विभागों/कार्यालयो में समय-समय पर, पेन्शन के मामले तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के कार्यो में सहायता करने के लिए निर्देश जारी करना।

(4) विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से पेन्शन के मामलो मे होने वाले विलम्ब तथा उनके निपटारे मे शिथिलता करने वालो के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करना।

(5) दोषी अधिकारियों के नाम सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को, समुचित कार्यवाही करने के लिए भेजना जिसकी सूचना कार्मिक विभाग को भी दी जावेगी।

(6) इस बात को सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा उनके अधीन अधिकारियों में से किसी एक को विभाग के पेन्शन सम्बन्धी मामलों को तैयार कराने और उनको निपटाने के सम्बन्ध में, जिम्मेदारी दे दी जाती है।

(7) महालेखाकार राजस्थान एवं विभागाध्यक्ष के मध्य सम्पर्क-अधिकारी के रूप में कार्य करना ताकि पेन्शन के मामले तीव्र गति से निपटाये जा सकें।

अत: समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को कहा जाता है कि वे विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग को उक्त सम्बन्ध में मामलों में अधिकतम यथासम्भव सहयोग देवें।

[वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1 (ख) (9) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनांक 12-4-1978]

(पेन्शन के मामलों में अविलम्ब स्वीकृति के बारे में)

वित्त आयुक्त ने इस पत्र द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सरकार का यह निश्चय है कि राज्य कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद आने वाले माह से पेन्शन मिलनी प्रारम्भ हो जानी चाहिये। सरकार ने इसके लिये नियमों का सरलीकरण भी किया है और पेन्शन के पत्रादि समय पर तैयार कराने हेतु समय-समय पर नियम एवं आदेश प्रसारित किये हैं। किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय पर पर्याप्त रुचि नहीं लेने के कारण यह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुवा है।

हाल ही में मुख्य मंत्री महोदय ने फिर जोर देकर कहा है कि पेन्शन सम्बन्धी पत्रादि तैयार करने सम्बन्धी नियमों की कठोरता से पालना होनी चाहिए और जो अधिकारी इस सम्बन्ध में शिथिलता का दोषी पाया जावे उसके विरुद्ध अविलम्ब समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह विदित है कि यह उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक एक जुलाई को अगले 12 महीनो एवं 18 महिनो में सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों की सेवा नियम 280 के अनुसार सूची बनाई जावे ताकि समय पर उनके पेन्शन के कागजात पूरे कर लिए जावें। इससे पेन्शन के कागजात तैयार करने सम्बन्धी मामलों में निगरानी रखी जा सकेगी। यह भी नियम है कि सेवा-निवृत्ति से 6 माह पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी के पेन्शन के कागजात पूर्णतः तैयार कर लिये जाय और उन्हें पूर्ण करके महालेखाकार कार्यालय में भिजवा दिये जावे। किन्तु अभी हाल ही में महालेखाकार कार्यालय ने पिछले वर्ष में वहां प्राप्त हुए पेन्शन के मामलों का जो विश्लेषण किया है उससे यह स्पष्ट है कि लगभग 66 प्रतिशत मामलों में राज्य कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद, पेन्शन के पत्रादि महालेखाकार कार्यालय में पहुंचाये गये है। यह एक दुखद स्थिति है जिसका तुरन्त निराकरण आवश्यक है।

अत: समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को यह निवेदन किया जाता है कि सन् 1977-78 में जिन राज्य कर्मचारियों को पेन्शन देय है उनके पत्रादि सेवा-निवृत्ति से 6 माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय में अवश्य पहुंचा दिये जाय। उनकी सूची मय उन कारणों सहित, जिनसे समय पर कार्यवाही नहीं हो सकी, विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग को एक माह में भिजवा दें जिससे यह विचार किया जा सके कि उस विभाग में शिथिलता बरतने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जावे।

राजस्थान सेवा नियम 286 एवं 292 के अनुसार पेन्शन के पत्रादि तैयार करने में किन्हीं अनिवार्य कारणों की वजह से विलम्ब हो तो सेवा-निवृत्ति पर जाने वाले राज्य कर्मचारियों को अन्तःकालीन (प्रोवीजनल) पेन्शन तुरन्त स्वीकृत की जावे। महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार की आज्ञा जारी करने में भी विभागों में शिथिलता बरती गई है। अतः अनुरोध किया जाता है कि सन् 1977-78 में जिन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के साथ अन्तःकालीन पेन्शन स्वीकृत नहीं हुई है, उनकी सूची भी विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त

विभाग को एक माह में भिजवा दी जावें। इस सम्बन्ध में भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जावेगा।

भविष्य के लिए निवेदन किया जाता है कि समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दिये जावें कि वे यह सुनिश्चित करें कि:—

(1) जिन राज्य-कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति हो चुकी है और जिनके पेन्शन-पत्रादि महालेखाकार कार्यालय को नहीं भेजे गये है, उनके पेन्शन-पत्रादि तैयार कर इस पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि में अवश्य भिजवा दिये जावे।

(2) जो राज्य-कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो चुके है किन्तु जिन्हें पेन्शन स्वीकृत नहीं हुई है उनको अन्तःकालीन पेन्शन एवं ग्रेच्युटी देने की आज्ञा तुरन्त जारी की जावे।

(3) जो राज्य-कर्मचारी इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में सेवा-निवृत्त होने वाले है उनके पेन्शन सम्बन्धी पत्रादि दो माह के अन्दर पूर्णतया तैयार कर महालेखाकार के पास भिजवा दिये जावें।

(4) एक जनवरी और एक जुलाई को सेवा-निवृत्त होने वालों की सूची नियमित रूप से तैयार कराई जावे।

भविष्य में जब कभी भी इन नियमों का उल्लंघन होता हो तो आप सदैव सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें और शिथिलता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करके उचित दण्ड दें।

दिनांक 23-11-1977 को पुनः सम्बन्धित अधिकारियों की सूचनार्थ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (26) वित्त (ग्रुप-2) 76 दिनांक 23-11-1977 द्वारा पेन्शन सम्बन्धी मुख्य निर्देश स्पष्ट किये है। इन निर्देशों को मुद्रित कर दिया गया है जो राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में उपलब्ध है और वहां से प्राप्त किये जा सकते है।

सरकार ने यह निश्चित किया है कि पेन्शन सम्बन्धी कार्य में शिथिलता बरतने एवं इस कार्य में दोषी पाये जाने पर विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग के ध्यान में मामला लायेंगे। इस सम्बन्ध में आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। सरकार का निर्देश है कि मानवीय एवं प्रशासनिक आधार पर पेन्शन सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कठोरता से पालन किया जावे।

[वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1 (ख) (9) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 12-4-1978]

राजकीय निर्णयः— पेन्शन के मामलों को तैयार करने में एक सबसे बड़ी बाधा राज्य-कर्मचारी के सेवा-अभिलेख का उपलब्ध नहीं होना है। इसलिए इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि एक राज्य-कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त हो चुका है और जिसका सेवा-अभिलेख उपलब्ध नहीं होता है, के मामले में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारी से एक सादे कागज पर सामान्य विवरण प्राप्त कर लेना चाहिये कि वह कर्मचारी किस तारीख से राज्य सेवा में आया अर्थात् पद-भार-ग्रहण किया एवं किस से सेवा-निवृत्त हुआ, किस पद पर उसे कब स्थाई किया गया, सेवा में कब-कब व्यवधान हुआ, निलम्बन एवं असाधारण अवकाश की क्या कोई घटनायें हुई हों एवं सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व उसे क्या वेतन आदि प्राप्त हो रहे थे। सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे विवरण पत्र में नीचे की ओर यह प्रमाणित करेगा कि "उसने इस पत्र में जो उपरोक्त विवरण दिया है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। तथा इसके बाद वह अपने ऐसे घोषणा पत्र के समर्थन में वे सारे दस्तावेज अर्थात् साक्ष्य तथा सूचना प्रस्तुत करेगा जो उसके अधिकार-क्षेत्र तथा उसके कब्जे में उपलब्ध हो, अथवा जिसे वह प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। इस कार्यवाही के आगे सम्बन्धित सेवा-निवृत्त-राज्य-कर्मचारी से एक घोषणा पत्र इस बात का भी प्राप्त किया जावेगा कि यदि

उस द्वारा प्रस्तुत सूचना, सरकार द्वारा छानबीन करने तथा सेवा अभिलेख प्राप्त हो जाने पर पूर्णतया सही नहीं सिद्ध हो और जिसके कारण कर्मचारी को चुकाई गई अन्तःकालीन/अन्तिम पेन्शन तथा उपदान की राशि अधिक चुकाई गई पाई जावे तो कर्मचारी उसे लौटाने को बाध्य होगा। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण के आधार पर पेन्शन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा सूक्ष्म रूप से की गई जाँच के आधार पर पेन्शन के मामले निपटाये जावेंगे और इस प्रक्रिया के अनुसार उन समस्त कर्मचारियों को अन्तःकालीन पेन्शन तथा अन्तिम रूप से पेन्शन एवं मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया अपनायी जायेगी जहां कर्मचारी का सेवा:-अभिलेख बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा है अथवा जहां कर्मचारी का सेवा-अभिलेख उपलब्ध हो किन्तु उसकी सेवा अवधि के एक भाग का सत्यापन नहीं हो पाता हो। पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा-विवरण के आधार पर पेन्शन के मामलों को निपटाने तथा पेन्शन की गणना कर स्वीकृति देने के लिये सक्षम अधिकारी होगा। अर्थात् पेन्शन स्वीकृत करने वाले अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विवरण को स्वीकार कर पेन्शन स्वीकृत करने के लिये सक्षम माना जावेगा।

4. (2) जिन मामलों में एक राज्य कर्मचारी ने मकान निर्माण के लिये ऋण लिया है, उनमें अन्तःकालीन पेन्शन के भुगतान करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि क्या राज्य कर्मचारी ने मकान निर्माण ऋण की किसी राशि के भाग को मृत्यु अथवा सेवा-निवृत्ति उपादान के रूप में देय राशि से समायोजित कराने का विकल्प दिया है। सम्बन्धित कर्मचारी को वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (52) वित्त (ग्रुप-2) 74 दिनांक 8-3-1976 के अनुसार अधिकतम देय अन्तःकालीन उपदान की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(3) किसी राज्य कर्मचारी का पेन्शन का मामला किसी भी स्तर पर "कोई बकाया-नहीं" प्रमाण-पत्र (नो-ड्यूज-सर्टीफिकेट) के कारण नहीं रोका जावे। इस सम्बन्ध में नियमों में पूर्व में ही यह प्रावधान है कि अन्तः-कालीन अथवा अन्तिम रूप से दी जाने वाली पेन्शन के दिए जाने के लिए "कोई-बकाया-नहीं" प्रमाण-पत्र की कोई पूर्व की शर्त नहीं है। दूसरे शब्दों में नो-ड्यूज-सर्टीफिकेट नहीं होने के कारण पेन्शन के मामलों को कभी भी नहीं रोका जाना चाहिए।

(4) दीर्घकालीन अग्रिम अर्थात् मकान निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, सी पी. एफ अथवा जी.पी एफ से लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में यदि किसी माह में राशि जमा कराने के लेखे गुम हों तो ऐसे गुमशुदा लेखे (मिसिंग क्रेडिट) के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे अग्रिम ऋण की किस्त की किसी माह में वसूली के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र को अन्तिम रूप से प्रमाण मानकर यह स्वीकार कर लिया जावे कि कर्मचारी ने भुगतान कर दिया है। वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 81 (ए) में इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान कर दिया है और ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पूर्णतया जिम्मेदारी से मुक्त माना जावेगा।

(5) उन राज्य कर्मचारियों के पेन्शन के मामले जिन्हें अनियमित रूप से सेवा में रोक लिया गया हो अथवा अधिवार्षिकी आयु के बाद वे सेवा करते रहे हैं तो भी औपचारिक स्वीकृति के अभाव में उन्हें नहीं रोका जाना चाहिये और उन्हें तैयार करके अन्तिम रूप से पेन्शन स्वीकार कर देनी चाहिये। अधिक-आयु में नियुक्ति के मामले वाले पेन्शन प्रकरण के मामलों को भी नहीं रोका जाना चाहिये। दोनों ही स्थितियों में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (39) वित्त (ग्रुप-2) 74 दिनांक 17-11-1977 तथा ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (37) वित्त (ग्रुप-2) 69 दिनांक 15-3-1975 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जावे और ऐसे मामलों को नियमित करा लिया जाय किन्तु मामले को नियमित किये जाने के औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा में पेन्शन के प्रकरण नहीं रोके जाने चाहिये। अर्थात् उन्हें तुरन्त ही तैयार कर पेन्शन की स्वीकृति जारी कर देनी चाहिये।

(6) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 10 (24) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 17-11-1977 द्वारा विशेषाधिकारी पेन्शन एवं उसके अधीन सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग को वेतन स्थिरीकरण के मानचित्रों की जांच कर उन्हें सही करने का अधिकार उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये हैं जो सेवा-निवृत्त हो चुके हों अथवा जो आगामी दो वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले हों। इस सुविधा का लाभ उठाया जावे और सेवा-निवृत्त हुए अथवा होने वाले कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के मामलों को जिलों में ही उक्त कर्मचारियों के जाने पर अनुमोदित करा लिये जावें।

(7) वर्तमान नियमों के अनुसार अन्तःकालीन पेन्शन का भुगतान सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है तथा जिन स्थितियों में पेन्शन के मामलों को इस अवधि में अन्तिम रूप से नहीं निपटाया जा सके। अतः यह निश्चय किया गया है कि विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक सूची महालेखाकार राजस्थान को भिजवावें जिसमें ऐसे मामलों का उल्लेख हो जो इस एक वर्ष की अवधि में नहीं निपटाये जा सके और जिनको अन्तिम रूप से निपटाने में और अधिक समय लगने की सम्भावना हो। इस सूची के आधार पर महालेखाकार राजस्थान यह निश्चित करेगा कि अन्तःकालीन पेन्शन की अवधि कब तक और बढ़ाई जावे। इस सूची में यह भी अंकित किया जावे कि किस पेन्शन के मामले की क्या स्थिति है और उसको अन्तिम रूप से निपटाने में कितना समय और लगने की सम्भावना है। इसे देखकर महालेखाकार अन्तःकालीन पेन्शन की अवधि को अनुमोदित करेगा। ऐसी सूची की एक प्रति विशेषाधिकारी, पेन्शन, वित्त विभाग को भी भेजी जावेगी ताकि वह ऐसे विचाराधीन मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में सतत् निगरानी रख सके।

(8) विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन ऋण/अग्रिमों जैसे भवन निर्माण/वाहन अग्रिम आदि के मामले में बकाया राशियों की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण पेन्शन के मामलों में होने वाले विलम्बों को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष महालेखाकार राजस्थान को उन सभी कर्मचारियों के मामलों में सूचना भिजवायें जिन्होंने इस प्रकार का कोई ऋण लिया हो और जो एक वर्ष की अवधि में सेवा-निवृत्त होने वाले हों ताकि महालेखाकार इस अवधि में इन कर्मचारियों को तथा सबंधित विभाग/कार्यालय को समय पर ऐसे ऋण/अग्रिम के बकाया आदि की सूचना भिजवा सके और यदि उस सूचना के आधार पर कोई वसूलियां गुम (मिसिंग) पाई जावें तो उन पर भी समय रहते, सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्व उपरोक्त अनुसार कार्यवाही की जा सके।

(9) जो प्राधिकारी भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम स्वीकृत करने को सक्षम हो वही यह निर्णय करने को सक्षम होता है कि किसी राज्य कर्मचारी पर किन ऋण सम्बन्धी औपचारिकताओं को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने के कारण दण्ड स्वरूप ब्याज (पेनल-इन्टरेस्ट) लगाया जावे अथवा नहीं। इस संबंध में यह निश्चित किया गया है कि जिन मामलों में एक राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी विश्राम-वृत्ति की तारीख तक उस द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम तथा उन पर ब्याज की राशि चुका दी है तो ऐसे मामलों में यह मान लिया जावेगा कि कर्मचारी जो भवन अग्रिम अथवा वाहन अग्रिम सबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात् ऐसे मामलों में नियमों को शिथिल किया हुआ माना जावेगा।

(10) अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को जोर देकर कहा जाता है कि वे कार्यालय/विभाग के पेन्शन के मामलों को तैयार कराने तथा अन्तिम रूप से निपटाने में व्यक्तिगत रुचि लें और दिनांक 31-8-1978 तक वित्त आयुक्त के नाम व्यक्तिगत पत्र लिखें जिसमें निपटाये गये पेन्शन के मामलों की सूचना आदि अवश्य भिजवावें। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से निष्ठापूर्वक यह आशा की जाती है कि वे पेन्शन के मामलों को निपटाने के लिये चलाये गये विशेष अभियान में महालेखाकार राजस्थान के जांच दलों तथा विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग के जांच दलों को पूरा सहयोग और सहायता देंगे ताकि राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ किया गया "पेन्शन निपटाओ अभियान" सही रूप में सफल हो सके।

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (ख) (9) वित्त (ग्रुप-2) 77 दिनांक 24-4-1978]

अध्याय 27

पैन्शन का रूपान्तरण

नियम 325–पैन्शन के रूपान्तरण की आज्ञा:—कर्मचारी की प्रार्थना पर स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस शर्त के अधार पर कि पेंशन को रूपान्तरित बकाया राशि 720/– रु. प्रति वर्ष से कम नहो होगी, एक हिस्से के एक-मुश्त-भुगतान के लिये रूपान्तरण स्वीकृत कर सकता है जो उसे नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली/या की गई किसी भी पेंशन के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगा। किन्तु शर्त यह है कि रूपान्तरित अवशिष्ट रकम को गिनने में इसके साथ प्रार्थी को भगतान करने योग्य किसी अन्य स्थाई पेंशन या पेंशनों के रूपान्तरित भाग को भी सम्मिलित किया जावेगा।

टीका:—240/– रुपयों के स्थान पर 720/– 1–9–1976 से किया गया है।

टिप्पणी:—उन पैंशनरो के रूपान्तरण के प्रार्थना पत्र, जो उन भूतभूर्व-राज्यों के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त हो गये थे, जिनके अन्तर्गत यह रूपान्तरण स्वीकार्य था, उन रूपान्तरण सूचियों के अनुसार निपटाए जावेंगे जो राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती हैं। उन पेंशनरों के विषय मे जो जयपुर सिविल-सेवा-नियमों एव भूतपूर्व राजस्थाक सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त हुए हैं एव जिन्होने पहिले से ही अपनी पैंशन का कुछ भाग रूपान्तरित करा लिया है तो पहिले से रूपान्तरित की गई राशि को राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत रूपांतरित किये जाने के लिये देय राशि के निश्चित करने में सम्मिलित किया जावेगा।

राजकीय आदेश संख्या–(1) राज्यो के पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्थान के कोटा जिले का सिरोज सब-डिवीजन मध्य-प्रदेश मे मिला दिया गया था। इसी प्रकार पूर्व मध्य-भारत का सुनेलटप्पा क्षेत्र एव बम्बई राज्य का आबू:रोड तालुका राजस्थान को दिये गये थे।

अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि इन क्षेत्रो मे सेवा करने वाले जो कर्मचारी 1 नवम्बर 1956 के पूर्व सेवा से निवृत्त हुए हैं, उन पेशनरों से प्राप्त पेशनों के रूपान्तरण के प्रार्थना-पत्रो को कौनसी सरकार निपटाने के लिये सक्षम होगी। मामले की जाच बम्बई व मध्य-प्रदेश की सरकारो की सलाह से की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि पेशन का रूपान्तरण पुनर्गठित राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह कोषालय है तथा जहा पर उनकी पेशनो का भुगतान 1-11-56 के शीघ्र पूर्व किया जाता था। किन्तु राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की पाचवी अनुसूची के अनुसार लेखो में आवश्यक समाधान किये जाने की इसमें शर्त रहेगी। बम्बई व मध्य-प्रदेश की सरकारे उक्त तरीके को अपनाने को सहमत हो गई से।

अत: राज्यपाल ने आदेश दिया है कि अनुच्छेद (1) में वर्णित क्षेत्रो मे सेवा निवृत्त होने वाले पैंशनरो से पेंशन के रूपातरण के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रो को उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार निपटाया जाना चाहिये।

राजकीय आदेश संख्या (2):—और यह भी आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त मामलों मे पेंशन का रूपान्तरण मुख्य-उत्तराधिकारी राज्य में प्रभावशील नियमो व रूपान्तरण सूची के अनुसार स्वीकृत किया जावेगा। किन्तु कर्मचारी जिसके विरुद्ध न्यायिक या विभागीय-जाच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है या एक पेंशनर जिसके विरुद्ध कोई ऐसी जाच कार्यवाही के दौरान उसकी पेंशन के किसी भाग को रूपान्तरित करने की आज्ञा नहीं दी जावेगी।

नियम 326 .—(1) रूपान्तरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, स्वीकृति-कर्ता-प्राधिकारी प्रार्थी के पास उसे रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि के लिये लेखाधिकारी के प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि भेजेगा यदि वह ऐसे चिकित्सा-मण्डल/अधिकारी द्वारा जिसे स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी निर्धारित करे, रूपातरण के योग्य पाया जावे एवं इसी के साथ अपने आदेश के जारी करने की तारीख से तीन माह की अवधि में उक्त अंकित मण्डल-अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिये निर्देश देगा या यदि उसने अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व ही रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो वह अधिकारी उसे उस तारीख से तीन माह की अवधि मे उपस्थिति के निर्देश देगा। किसी भी दशा में वह सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि से पूर्व उपस्थित होने के लिये निर्देश देगा। यह सूचना, रूपान्तरण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी किन्तु यदि स्वीकृति के आदेशो मे निर्धारित अवधि में चिकित्सा संबंधी जाँच नही की जाती है तो वह रूपान्तरण समाप्त हुआ समझा जावेगा। यदि प्रार्थी निर्धारित समय में उक्त चिकित्सा-मण्डल के समक्ष जाच के लिये उपस्थित नही होता है तो स्वीकृति-कर्ता-प्राधिकारी अपने निर्णयनुसार पेंशन के रूपातरण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति को पुनः जारी कर सकता है। प्रार्थी चिकित्सा-संबंधी परीक्षा होने के पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र किसी भी समय एक लिखित नोटिस भेजकर वापिस ले सकता है किन्तु उसका यह विकल्प चिकित्सा-अधिकारी के सामने प्रस्तुत हो जाने पर समाप्त हो जावेगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि चिकित्सा-मण्डल सूचित करता है कि रूपातरण के प्रयोजन के लिये उसकी अवस्था उसकी वास्तविक आयु से अधिक समझी जावेगी तो प्रार्थी उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर लिखित नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस प्राप्त कर सकता है, जिसको वह रूपांतरण पर परिवर्तित राशि की सूचना प्राप्त करता है या यदि यह राशि स्वीकृति के आदेशो मे पहिले से ही वर्णित हो जिस दिन चिकित्सा-मण्डल या अधिकारी के निर्णय की सूची वह प्राप्त करता है, उससे दो सप्ताह मे लिखित नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस प्राप्त कर सकता है।

(राजस्थान सेवा नियम 326 (2) में संशोधन)

"(2) इस नियम के उपनियम (3) के प्रावधानों तथा उपनियम (1) के परन्तुक (प्रोवीजो) के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानो के अधीन पेन्शन का रूपान्तरण पूर्ण माना जावेगा अर्थात् पेन्शन-प्राप्तकर्त्ता, पेन्शन के रूपान्तरित मूल्य को, चिकित्सा-मण्डल अथवा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के तारीख से, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। पेन्शन के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान यथा-सम्भव शीघ्र किया जावेगा किन्तु किसी संदेहास्पद जीवन के सम्बन्ध में ऐसा भुगतान उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक या तो रूपान्तरित राशि प्राप्त करने की लिखित स्वीकारोक्ति प्राप्त नहीं हो जावे अथवा रूपान्तरित-राशि प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र को वापिस लेने की अवधि समाप्त नही हो जावे। रूपान्तरण के कारण पेन्शन की राशि में कमी का प्रभाव उस दिन से आरम्भ हो जावेगा जिस दिन पेन्शनर द्वारा रूपान्तरित राशि प्राप्त कर ली गई हो अथवा महालेखाकार द्वारा पेन्शन के रूपान्तरित मूल्य के भुगतान के अधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से तीन माह पूर्ण नहीं हो जाये। यह दिनांक पेन्शन-भुगतान-आदेश के दोनों भागों में सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा अंकित की जावेगी जिसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगी।

[अधिसूचना संख्या प. 1 (9) वित्त (ग्रुप-2)/78 दिनांक 16-1-1978 द्वारा प्रतिस्थापित].

राजकीय निर्णय संख्या 1:—राज्य सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभों के भुगतान की स्वीकृति शीघ्र हो सके इस दृष्टि से नियमों एवं प्रक्रिया को सरल एवं गतिशील बनाने के लिए राज्यपाल निर्णय करते हैं कि किसी भी सरकारी-कर्मचारी के लिए, जो अधिवार्षिकी (सुपर-एन्यूएशन) आयु पर उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष में पेन्शन के सराशीकरण (कम्यूटेशन) के लिए आवेदन करता है, उसे राजस्थान सेवा नियम 326 के अधीन यथा-अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षा कराना आवश्यक नहीं होगा।

2. इन आदेशों के अधीन पेन्शन के सराशीकरण के लिए आवेदन सेवा-निवृत्ति की तारीख के पश्चात् किया जायेगा तथा जिस दिन आवेदन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथा स्थिति, को प्राप्त हो उस दिन सराशीकरण अन्तिम हो जायेगा अर्थात् सेवा-निवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी पेन्शन का सराशीकृत मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3. किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसने इन आदेशों के अधीन पेन्शन के सराशीकरण के लिए आवेदन किया है, अपना आवेदन वापिस प्राप्त करने का विकल्प नहीं होगा।

4. *ये आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:—*

(i) अधिवार्षिकी से भिन्न रूप में सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्ति;

(ii) अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे व्यक्ति जो सेवा निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पश्चात् पेन्शन के सराशीकरण के लिए आवेदन करते है।

5. ये आदेश प्रसारित होने की तारीख से प्रभावी होंगे किन्तु उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पूर्व सेवा-निवृत्त तो हो गये हैं लेकिन अधिवार्षिकी के पश्चात् जिन्होंने ठीक आगामी जन्म तारीख पार नहीं की है तथा जो मेडिकल बोर्ड के समक्ष नहीं गये हैं।

[वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (9) वित्त (ग्रुप-2)/78 दिनांक 9-2-78]

राजकीय निर्णय संख्या 2:—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2)/78 दिनांक 9-2-1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्य-कर्मचारी जो अपने सेवा-निवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि से पेन्शन के एक भाग को रूपान्तरित कराने के लिये प्रार्थना कर-देता है और ऐसा पेशनर अधिवार्षिकी-आयु के कारण सेवा-निवृत्त हुआ है तो उसे अपनी पेन्शन के भाग को रूपान्तरित कराने के लिये स्वास्थ्य-परीक्षा-कराना आवश्यक नहीं होगा। पेशन-रूपान्तरण की प्रक्रिया को और अधिक-उदार तथा न्यायोचित बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल-महोदय ने निर्णय किया है कि एक राज्य-कर्मचारी जिसे:—

(क) सेवा नियम 244 (1) अथवा 244 (2) के अन्तर्गत विश्रामवृत्ति दी गई, अथवा

(ख) सेवा नियम 215 के अन्तर्गत जिसे स्थायी-पद की समाप्ति के कारण क्षति-पूरक-पेंशन पर सेवा-निवृत्त किया गया,

(1) को भी राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 27 के अन्तर्गत पेन्शन रूपान्तरण के प्रयोजनों के लिये स्वास्थ्य-परीक्षा-कराना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसा सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारी पेंशन रूपान्तरण (कम्यूटेशन) के लिये निर्धारित-प्रपत्र में अपनी सेवा-निवृत्ति से एक वर्ष की अवधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देता है।

(2) पेंशन के एक-भाग के रूपान्तरण की सुविधा/लाभ प्राप्त करने के लिये एक राज्य-कर्मचारी जिसे उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार सेवा-निवृत्त किया गया है, को निर्धारित-प्रपत्र में अपनी सेवा-निवृत्ति से एक वर्ष में पेंशन रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से

ही उसे पेंशन के एक भाग को रूपान्तरण कराना पूर्ण-रूप से आवश्यक होगा। अर्थात् ऐसा कर्मचारी निर्धारित-प्रपत्र मे पेन्शन-रूपान्तरण के लिये कार्यालय-अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को आवेदन प्रस्तुत करते ही उसी दिनाक से पेंशन के रूपान्तरण-मूल्य को प्राप्त करने का कानूनन-अधिकारी हो जावेगा।

(3) इस आदेश के अनुच्छेद–1 के प्रावधान निम्न-अकित राज्य-कर्मचारियों पर लागू नही होगे जो:—

(i) जो राजस्थान सेवा नियम 228 के अन्तर्गत इनवेलिड पेशन पर सेवा-निवृत्त किया जाता है।

(ii) जो अपने सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष बाद पेन्शन–रूपान्तरण के लिये आवेदन करता है।

(4) यह आदेश उन राज्य-कर्मचारियो पर लागू होगे जो इस आदेश के जारी किये जाने की तारीख को राज्य-सेवा मे है तथा जो विश्रामवृत्ति (रिटायरिंग) प्राप्त करने अथवा अधिवार्षिकी-आयु के होने के पूर्व ही इस आदेश के जारी होने के बाद सेवा-निवृत्त किये जाते है।

[वित्त विभाग के ज्ञापन एफ 1 (9) वि वि (ग्रुप-2)/78 दिनांक 1–3–1979]

टिप्पणी: – प्रार्थी जिसने पेंशन की अधिकतम राशि रूपान्तरित की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से सूचित की है या जिसने अधिकतम प्राप्य सीमा मे पूर्ण एव अन्तिम पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत को रूपातरित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है एव जिसे पूर्व मे स्वीकृत पूर्वानुमति या अन्तःकालीन पेशन की आशिक या कुछ प्रतिशत राशि को रूपातरित करने की आज्ञा दे दी गई है तो उसे अन्तिम पेशन मे भाग या प्रतिशत एव प्रत्याशित या अन्तः कालीन पेंशन के अन्तर की राशि के रूपातरण के लिए फिर से चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र देने या नया चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी। चूंकि ऐसे मामलों मे रूपातरण की राशि का भुगतान दो किश्तो मे किया जाना है, पहिला प्रत्याशित या अन्त.कालीन पेशन मे से तथा दूसरा पेशन के अन्तिम निर्धारण के बाद। अत. असैनिक-पेंशन को दुबारा रूपातरित करने के लिये फार्म (क) के भाग-2 में सूचना महालेखाकार से प्राप्त करनी होगी। रूपातरित राशि अर्थात् अधिकतम राशि जो प्राप्त की गई है और अन्तः कालीन रूपांतरित मूल्य के अन्तर के लिए प्रशासनिक अधिकारी की एक नई स्वीकृति आवश्यक होगी फिर भी टिप्पणी सख्या (2) के अनुसार पुनः चिकित्सा सबधी जाच पर ध्यान दिया जावेगा।

(3) यदि प्रार्थी से अपनी चिकित्सा-जाच के सम्बन्ध मे मौखिक या लिखित में कोई प्रश्न पूछा जावे तथा वह उत्तर में ऐसा बयान दे जो उसकी जानकारी में झूठा है या किसी तथ्य को जान-बूझ कर छिपाता है तो स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी वास्तविक भुगतान करने के पहले स्वीकृति को किसी भी समय रद्द कर सकता है एवं इस प्रकार के तथ्य को छिपाकर दिये जाने वाले बयान को राजस्थान सेवा नियम 169 के प्रयोजनों के लिये गंभीर दुर्व्यवहार के रूप मे समझा जावेगा।

टिप्पणी सख्या (1):—रूपातरण की प्रार्थना करने वाला पेशनर जो एक बार चिकित्सा-अधिकारी की सिफारिश पर रूपातरण के लिए योग्य व्यक्ति नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है या उन अधिकारी की सिफारिश पर उसकी वास्तविक आयु में कुछ वर्षो की वृद्धि किए जाने के कारण, जिसने रूपातरण को स्वीकृत करने से मना कर दिया है, उसे फिर एक बार अपने खर्चो पर चिकित्सा सबधी जाच के लिए, मूल निर्णय का पुनःअवलोकन करने के दृष्टिकोण से, स्वीकृति दी जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि—

(i) प्रथम एवं द्वितीय चिकित्सा-जाच की तारीखों के बीच का समय एक वर्ष से कम का नहीं होगा, एव

(ii) दूसरी चिकित्सा संबंधी जाच आवश्यकीय रूप से एक चिकित्सा-मण्डल द्वारा की जावेगी।

वह तारीख जिसे चिकित्सा-मण्डल, चिकित्सा-जाच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, रूपांतरित की जाने वाली उस पेंशन के भाग की राशि के अन्तर के लिए प्रभावशील होने की तारीख समझी जावेगी, जिसके लिए चिकित्सा जाच की गई है।

पेन्शनर की जाच करने वाले चिकित्सा-प्राधिकारी को रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने उसकी पहिले जाच की थी।

(2) यदि एक पेन्शनर, जिसकी अवस्था, पेन्शन के रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा-अधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक आयु से अधिक बतलाई गई है, नियम 326 (1) के प्रावधानों में निर्धारित अवधि में यह प्रार्थना करता है कि रूपान्तरण की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना-पत्र को अस्थाई रूप से वापिस करने के रूप में समझा जावेगा तथा उसे रूपान्तरण के लिए एक नये प्रार्थना-पत्र के रूप में समझा जावेगा।

(3) नियम 326 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों में चिकित्सा-अधिकारी की चिकित्सा-रिपोर्ट की प्रतिलिपि, या रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की अंकेक्षण-अधिकारी द्वारा सूचना (उस मामले में जहां पेंशनर की अवस्था रूपांतरण के प्रयोजन के लिये 5 वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई हो) यदि डाक द्वारा भेजी जावे तो आवश्यकीय रूप से रजिस्टर्ड-डाक द्वारा भेजी जानी चाहिये तथा उसके साथ महालेखाकार को प्राप्त होने वाली प्राप्ति-रसीद सलग्न की जानी चाहिये।

(4) व्यक्ति जिसे इस पेंशन के किसी भाग को जो 60/रु से अधिक नहीं होगा रूपांतरित करने के लिये अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी जाती है तथा जो यह अनुमान करता है कि पेंशन की अन्तिम राशि जिसे वह रूपांतरित करने के लिये अधिकृत होगा, 60/रु से अधिक हो सकती है तो वह इस तथ्य का उल्लेख अपने आवेदन में उस समय करेगा यदि वह 60/रु से अधिक राशि को रूपांतरित कराना चाहता हो। ऐसे मामलों में स्वीकृति-प्राधिकारी, चिकित्सा-जांच के लिये उसी प्रकार व्यवस्था करेगा, जैसे मानो रूपांतरित की जाने वाली राशि 60/रु. प्रतिमाह से अधिक हो। ऐसे मामलों में जहा इस तथ्य की ओर निर्देश नहीं हो, कर्मचारी को उसके पेन्शन की राशि के अन्तिम रूप में तय होने पर, मूल रूप से रूपांतरित की गई राशि तथा 60/रु. के बीच की अन्तर की राशि को रूपान्तरित करने की आज्ञा दी जाएगी तथा उसमे अंतिम चिकित्सा-जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यदि रूपांतरित कराई गई मूल राशि उक्त अंकित अन्तर की राशि के साथ 60/रु. से अधिक नहीं हो। यदि यह राशि 60/रु से अधिक होती है तो आगे जो भी राशि रूपांतरित कराई जावेगी, उसे नवीन रूपान्तरण के रूप में समझा जायेगा तथा चिकित्सा जाच कराये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा।

जिस तिथि को चिकित्सा-मण्डल, मैडिकल-रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वही तारीख रूपांतरित की जाने वाली पेंशन के भाग की राशि के अन्तर के लिये, जिसके लिये डाक्टरी-जाच कराई गई है, प्रभावी होगी।

[25/– के स्थान पर 60/– दिनांक 1–9–76 से किया गया है]

नियम 327–रूपांतरण पर भुगतान करने योग्य एक-मुश्त-राशिः—रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य-एक-मुश्त-राशि परिशिष्ट–II के अनुसार गिनी जावेगी। इस नियम के प्रयोजनों के लिये अस्वस्थ-व्यक्तियों के जीवन के लिये ऐसी आयु मानी जावेगी जो चिकित्सा-अधिकारी द्वारा बतलाई जाने पर उसकी वास्तविक आयु से कम नहीं होगी। यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वर्तमान राशियों की सूची, रूपांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख एवं अन्तिम रूप में होने वाले रूपान्तरण की तारीख के बीच में संशोधित हो गई हो तो भुगतान संशोधित सूची के अनुसार किया जावेगा

परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि यदि उसे संशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची ही अधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी संशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से 14 दिन में लिखित में नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस ले सकता है।

नियम 328–मृत पेंशनरों के उत्तराधिकारियों के लिये रूपान्तरित-राशि का भुगतानः— यदि पेंशनर की मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद होती है जिसको रूपान्तरण अन्तिम रूप में हो जाता है किन्तु वह रूपान्तरित-राशि को प्राप्त नहीं कर सका हो तो यह उसके उत्तराधिकारियों को दी जा सकेगी।

खण्ड–2

नियम 329–पेन्शन के रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र—पेंशन के रूपान्तरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र परिशिष्ट–II के फार्म (क) के भाग–I में किया जाना चाहिये एवं निम्न को दिया जाना चाहिये: –

(1) यदि प्रार्थी अब भी सेवा मे हो या सेवा-निवृत्त हो गया हो किन्तु उसकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नही की गई हो, तो उसे अपना प्रार्थना-पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के जरिए जिसमे वह नियुक्त है या नियुक्त था या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है या था तो अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसके पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी को दिया जावेगा।

(2) अन्यथा उस अधिकारी को महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रपत्र (ग)　　जी०ए० 148–ए

राजस्थान सरकार　　आर०एस०आर–329

विना-चिकित्सा-परीक्षण, पेन्शन के रूपान्तरण के लिये आवेदन का प्रपत्र

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (9) वि. वि. (ग्रुप–2)/78 दिनांक 9–2–78 के अनुसार)

फोटो के लिये स्थान

सेवा मे,

श्रीमान्..................

(कार्यालयाध्यक्ष)

विषयः—चिकित्सा-परीक्षण के बिना, पेन्शन के रूपान्तरण कराने के बारे में।

महोदय,

मैं निम्न-अंकित संबधित सेवा का विवरण प्रस्तुत कर निवेदन करता हूं कि मुझे निम्न-प्रकार-अंकित पेन्शन का रूपान्तरण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जावे:—

1. मोटे अक्षरो मे नाम　　..............................
2. जन्म दिनांक　　..............................
3. अधिवार्षिकी–आयु, (55 वर्ष का होने पर अथवा चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी के मामले मे 58 वर्ष का होने की दिनांक)　　..............................

(ii) दूसरी चिकित्सा संबंधी जाच आवश्यकीय रूप से एक चिकित्सा-मण्डल द्वारा की जावेगी।

वह तारीख जिसे चिकित्सा-मण्डल, चिकित्सा-जाच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, रूपांतरित की जाने वाली उस पेंशन के भाग की राशि के अन्तर के लिए प्रभावशील होने की तारीख समझी जावेगी, जिसके लिए चिकित्सा जाच की गई है।

पेन्शनर की जाच करने वाले चिकित्सा-प्राधिकारी को रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने उसकी पहिले जाच की थी।

(2) यदि एक पेन्शनर, जिसकी अवस्था, पेन्शन के रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा-अधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक आयु से अधिक बतलाई गई है, नियम 326 (1) के प्रावधानों में निर्धारित अवधि में यह प्रार्थना करता है कि रूपान्तरण की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना-पत्र को अस्थाई रूप से वापिस करने के रूप मे समझा जावेगा तथा उसे रूपान्तरण के लिए एक नये प्रार्थना-पत्र के रूप मे समझा जावेगा।

(3) नियम 326 (1) के प्रावधानो के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों में चिकित्सा-अधिकारी की चिकित्सा-रिपोर्ट की प्रतिलिपि, या रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की अंकेक्षण-अधिकारी द्वारा सूचना (उस मामले मे जहा पेंशनर की अवस्था रूपांतरण के प्रयोजन के लिये 5 वर्ष से अधिक बढा दी गई हो) यदि डाक द्वारा भेजी जावे तो आवश्यकीय रूप से रजिस्टर्ड-डाक द्वारा भेजी जानी चाहिये तथा उसके साथ महालेखाकार को प्राप्त होने वाली प्राप्ति-रसीद संलग्न की जानी चाहिये।

(4) व्यक्ति जिसे इस पैंशन के किसी भाग को जो 60/रु से अधिक नहीं होगा रूपांतरित करने के लिये अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी जाती है तथा जो यह अनुमान करता है कि पैंशन की अन्तिम राशि जिसे वह रूपातरित करने के लिये अधिकृत होगा, 60/रु से अधिक हो सकती है तो वह इस तथ्य का उल्लेख अपने आवेदन में उस समय करेगा यदि वह 60/रु से अधिक राशि को रूपातरित कराना चाहता हो। ऐसे मामलों मे स्वीकृति-प्राधिकारी, चिकित्सा-जाच के लिये उसी प्रकार व्यवस्था करेगा, जैसे मानो रूपातरित की जाने वाली राशि 60/रु. प्रतिमाह से अधिक हो। ऐसे मामलो मे जहा इस तथ्य की ओर निर्देश नही हो, कर्मचारी को उसके पेन्शन की राशि के अन्तिम रूप मे तय होने पर, मूल रूप से रूपातरित की गई राशि तथा 60/रु. के बीच की अन्तर की राशि को रूपान्तरित करने की आज्ञा दी जाएगी तथा उसमे अतिम चिकित्सा-जाच की आवश्यकता नही होगी। यदि रूपातरित कराई गई मूल राशि उक्त अंकित अन्तर की राशि के साथ 60/रु. से अधिक नही हो। यदि वह राशि 60/रु. से अधिक होती है तो आगे जो भी राशि रूपातरित कराई जावेगी, उसे नवीन रूपान्तरण के रूप में समझा जायेगा तथा चिकित्सा जाच कराये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा।

जिस तिथि को चिकित्सा-मण्डल, मैडिकल-रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वही तारीख रूपांतरित की जाने वाली पैंशन के भाग की राशि के अन्तर के लिये, जिसके लिये डाक्टरी-जाच कराई गई है, प्रभावी होगी।

[25/– के स्थान पर 60/– दिनांक 1–9–76 से किया गया है]

नियम 327–रूपांतरण पर भुगतान करने योग्य एक-मुश्त-राशिः—रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य-एक-मुश्त-राशि परिशिष्ट–11 के अनुसार गिनी जावेगी। इस नियम के प्रयोजनों के लिये अस्वस्थ-व्यक्तियों के जीवन के लिये ऐसी आयु मानी जावेगी जो चिकित्सा-अधिकारी द्वारा बतलाई जाने पर उसकी वास्तविक आयु से कम नही होगी। यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वर्तमान राशियों की सूची, रूपांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख एवं अन्तिम रूप में होने वाले रूपान्तरण की तारीख के बीच में संशोधित हो गई हो तो भुगतान संशोधित सूची के अनुसार किया जावेगा

परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि यदि उसे संशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची ही अधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी संशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से 14 दिन में लिखित में नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस ले सकता है।

नियम 328–मृत पेंशनरों के उत्तराधिकारियों के लिये रूपान्तरित-राशि का भुगतानः— यदि पेंशनर की मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद होती है जिसको रूपान्तरण अन्तिम रूप में हो जाता है किन्तु वह रूपांतरित-राशि को प्राप्त नही कर सका हो तो यह उसके उत्तराधिकारियों को दी जा सकेगी।

खण्ड–2

नियम 329–पेन्शन के रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र—पेंशन के रूपान्तरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र परिशिष्ट–II के फार्म (क) के भाग–I में किया जाना चाहिये एव निम्न को दिया जाना चाहियेः—

(1) यदि प्रार्थी अब भी सेवा मे हो या सेवा-निवृत्त हो गया हो किन्तु उसकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं की गई हो, तो उसे अपना प्रार्थना-पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के जरिए जिसमे वह नियुक्त है या नियुक्त था या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है या था तो अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसके पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी को दिया जावेगा।

(2) अन्यथा उस अधिकारी को महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रपत्र (ग)　　जी०ए० 148–ए

राजस्थान सरकार　　आर०एस०आर–329

बिना-चिकित्सा-परीक्षण, पेन्शन के रूपान्तरण के लिये आवेदन का प्रपत्र

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (9) वि. वि. (ग्रुप–2)/78 दिनाक 9–2–78 के अनुसार)

फोटों के
लिये स्थान

सेवा म,

श्रीमान्.....................

(कार्यालयाध्यक्ष)

विषयः—चिकित्सा-परीक्षण के बिना, पेन्शन के रूपान्तरण कराने के बारे में।

महोदय,

मैं निम्न-अंकित संबधित सेवा का विवरण प्रस्तुत कर निवेदन करता हूं कि मुझे निम्न-प्रकार-अंकित पेन्शन का रूपान्तरण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जावेः—

1. मोटे अक्षरों में नाम ....
2. जन्म दिनाक ....
3. अधिवार्षिकी–आयु, (55 वर्ष का होने पर अथवा चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी के मामले में 58 वर्ष का होने की दिनाक) ....

4. अधिवार्षिकी-आयु प्राप्त करते समय जिस विभाग/कार्यालय में कार्यरत थे, उसका नाम तथा धारित-पद का नाम । ....

5. स्वीकृत पेन्शन राशि तथा अन्तःकालीन (प्रोविजनल) अथवा अन्तिम (फाइनल) होने का विवरण ....

6. राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय-20 में परिभाषित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी की पेन्शन कर्मचारी को स्वीकार की गई है। ....

7. कोषागार अथवा बैंक तथा लेखा क्रमांक जिसके आधार पर पेन्शन प्राप्त की जा रही है । ....

8. कोषागार अथवा उस बैंक का नाम जिसके माध्यम से पेन्शन के रूपान्तरण की राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहा जाता है । ....

9. पेन्शन भुगतान आदेश का नम्बर तथा दिनांक (यदि जारी हुआ हो) ....

10. पेन्शन राशि पुरे रूपयों में अथवा पेंशन का वह अनुपात जिसे रूपान्तरित कराने का प्रस्ताव हो । ....

11. पूर्व में पेंशन के रूपान्तरण के लिये प्रस्तुत किसी आवेदन का विवरण तथा यह भी बताया जावे कि कर्मचारी पूर्व में किसी चिकित्सा मण्डल के समक्ष परीक्षण के लिये उपस्थित हुआ या नहीं । ....

दिनांक.................. ....

हस्ताक्षर..........................

(डाक का पुरा पता)

भाग-II

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर/लेखाधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पेंशन की चाही गयी राशि का रूपान्तरण-उक्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त करने के लिये उसे प्राधिकृत किया जावे ।

दिनांक...............

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष (नाम, दिनांक तथा मुहर)

नोट.—रूपान्तरण के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आवर्ती पर उसी दिन हस्ताक्षर कर पद की मुहर लगाकर प्रेषित कर देना चाहिये । ऐसा प्रार्थना-पत्र यदि डाक से प्राप्त हुआ हो, तो शीघ्र उसकी पावती की सूचना रजिस्टर्ड डाक से, सबंधित कर्मचारी/पेंशनरो को भिजवा देनी चाहिये । जब पेंशनर आवेदन स्वय (व्यक्तिगत रूप से) प्रस्तुत करता है तो उसकी पावती, हाथों-हाथ दी जानी चाहिये) ।

[वित्त विभाग के आदेश एफ. 1 (9) वि. वि. (ग्रुप-2)/79 दिनांक 8-5-79 द्वारा निविष्ट]

नियम 330:-प्रार्थना-पत्र यदि नियम 329 में वर्णित अधिकारी को दिया जाना हो तो उसे शीघ्र ही महालेखाकार के पास भेजा जाना चाहिये जो पेन्शन की देयता (टाईटल) की रिपोर्ट करेगा ।

नियम 331-महालेखाकार के कार्यालय की प्रक्रिया:-महालेखाकार को बिना किसी प्रकार की देरी किये फार्म 'क' के भाग-2 को पूर्ण करना चाहिये एवं इसे नियम 333 (2) के अंत में वर्णित चिकित्सा-रिपोर्ट की प्रतिलिपियों के साथ, यदि वे उसके कार्यालय के रिकार्ड में हो, रूपान्तरण की स्वीकृति देने वाले सक्षम-प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये चाहे उस अधिकारी का नाम भाग-I में सही रूप में लिखा हुआ हो या नहीं ।

ग्रॉडिट निर्देशन:—ग्रनावश्यक देरी से बचने के लिये तथा पेंशनर को नुकसान से बचाने के लिये महा-लेखाकार को, पेंशन की देयता पर ग्रौपचारिक-रिपोर्ट करने से पूर्व पेंशन के रूपांतरण की रिपोर्ट जारी करनी चाहिये यदि इस ग्रौपचारिक-रिपोर्ट को प्रार्थी के जन्म दिवस की ग्रगली तारीख के पूर्व पर्याप्त रूप से पहिले ही व्यवस्था करने हेतु जारी किया जाना संभव नही हो । किन्तु शर्त यह है कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन का भाग स्वीकृत की जाने वाली सम्भावित कुल-पैंशन की ग्रनुमानित-राशि के 1/3 भाग से स्पष्ट रूप से कम होनी चाहिये एवं सभावित पैंशन की ग्र-रूपान्तरित बकाया नियम 325 मे निर्धारित सीमा से पर्याप्त रूप से ग्रधिक होनी चाहिये । यदि ऐसे मामले मे पैंशन के ग्रौपचारिक रूप से स्वीकृत होने के पहले रूपान्तरण ग्रन्तिम हो जाता है तो रूपान्तरित राशि का भुगतान उस समय तक ग्रधिकृत नही किया जाना चाहिये जब तक पैंशन की ग्रौपचारिक-स्वीकृति प्राप्त नही हो जाय । किन्तु जब रूपान्तरण क्लेम की सूचना पेंशनर को जानी हो तो उसके साथ पैंशन की स्वीकृति मे देरी होने के कारणो से नुकसान होने की सभावना की सूचना उसे भिजवा दी जानी चाहिये ।

टिप्पणी:—ऐसे मामलो में, जिनमे प्रत्याशित-पेन्शन का कुछ भाग रूपान्तरित हो जाता है तो जैसे ही रूपान्तरण ग्रन्तिम हो जावे रूपान्तरण की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिये । एक प्रत्याशित-पेन्शन के भाग के रूपान्तरण की सूचना सबधित प्रशासनिक-विभाग को भेजनी चाहिये जिसको वित्त विभाग की ग्रनुमति की ग्रावश्यकता पड़ेगी । प्रशासनिक विभागो को प्रत्याशित पैंशन के भाग के रूपान्तरण के टाईटिल की सूचना भेजते समय ग्रन्तिम-पेशन की स्वीकृति मे होने वाली देरी के कारणों का उल्लेख करना चाहिये जिससे वे यह निर्णय कर सके कि क्या उन्हे किसी विशेष मामले मे रूपान्तरण स्वीकृत करना चाहिये या नही । ग्रधिक भुगतान की गई एक प्रत्याशित-पैंशन के भाग की रूपान्तरित-राशि के पुर्नभुगतान को प्राप्त करने के लिये संकेक्षण-ग्रधिकारी को रूपान्तरण की रिपोर्ट करते समय सभी मामलो मे उसके रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न-लिखित फार्म मे एक घोषणा-पत्र संबधित कर्मचारी से प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

घोषणा का प्रपत्र

"चूं कि ....(यहा रूपान्तरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम लिखें) ने मेरी पैंशन की राशि सरकार द्वारा निश्चित करने हेतु ग्रावश्यक जांच पूरी होने के पूर्वानुमान में तथा रूपान्तरित की जाने वाले उस पैंशन के हिस्से के पूर्वानुमान मे मुझे ग्रस्थाई रूप से ... .रु. की राशि ग्रग्रिम रूप में देने में ग्रपनी सहमति प्रकट की है, मै एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि इस ग्रग्रिम राशि स्वीकृत करने मे मुझे [illegible] कि जब भुगतान की गई रूपान्तरित राशि ग्रावश्यक ग्रौपचारिक-जाच पूर्ण होने की शर्त के ग्राधार पर है, एवं वचन देता हू कि मै इस ग्राधार पर परिवर्तन में कोई ऐतराज नही करूंगा कि प्रत्याशित-[illegible] रूपान्तरित राशि के रूप मे मुझे भुगतान की जाने वाली ग्रन्तःकालीन राशि उससे ग्रधिक है [illegible] लिये ग्रधिकृत होऊंगा एव भविष्य मे जो राशि मुझे ग्रधिकृत की जावेगी उसमे यदि [illegible] ग्रधिक भुगतान की गई होगी तो मै या तो नकद मे या बाद मे किये जाने वाले पेंशन [illegible] करवाने के लिये ग्रपने ग्रापको वचन-बद्ध करता हूं ।"

नियम 332-रूपांतरण के लिये प्रशासनिक-स्वीकृति:—रूपान्तरण [illegible] ग्रधिकारी को फार्म (क) के भाग–3 में ग्रपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान [illegible] ।

टिप्पणी:—रूपान्तरण स्वीकृत करने में सक्षम-प्राधिकारी किसी [illegible] ग्रपने स्थान पर फार्म (क) के भाग–3 में ग्रपनी प्रशासनिक-स्वीकृति पर [illegible] सकता है ।

नियम 333--इसके बाद स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी के लियेः—(1) फार्म (क) के भाग-2 में दिये लेखाधिकारी के प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित-प्रतिलिपि फार्म (ख) पर तथा एक प्रतिलिपि फार्म (ग) की जिसका भाग-1 प्रार्थी द्वारा अपनी डाक्टरी-जाच के पूर्व भरा जाना है तथा चिकित्सा-अधिकारी को सौंपा जाना है, प्रार्थी को भेज दी जानी चाहिये, एवं

(2) पूर्ण भरे गए फार्म (क) को मूल रूप में फार्म (ग) की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस फार्म के भाग-3 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि राज्य के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा-अधिकारी के पास भेजनी चाहिये एवं यदि प्रार्थी को अयोग्यता-पेन्शन स्वीकृत करदी गई है या पूर्व में अपनी पेंशन का कोई भाग उसकी वास्तविक आयु वर्षों में बढाने के आधार पर रूपान्तरित करा लिया है (या रूपान्तरण स्वीकार करने से मना कर दिया है) या उसे चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया है) तो पहले की डाक्टरी-जाच को या उसके मामले के विवरणों की प्रतिलिपियां संलग्न की जानी चाहिये।

नियम 334--स्वास्थ्य-परीक्षा—नियम 333 के भाग (2) में वर्णित मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा-अधिकारी के लिये, जैसी भी स्थिति हो नियम 335 में निर्धारित-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा प्रार्थी की चिकित्सा जांच के लिये प्रार्थी के द्वारा फार्म (क) के भाग-1 में वर्णित स्थान से निकटतम स्थान पर प्रबन्ध करना चाहिये एवं निर्धारित समय में यथा संभव शीघ्रतः ही यह जांच की जानी चाहिये तथा प्रार्थी को इसके लिये सीधी सूचना दी जानी चाहिये तथा मुख्य-प्रशासनिक-चिकित्सा-भी साथ में अधिकारी के पास भेज देनी चाहिये।

नियम 335:—(1) प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत रूपांतरण जब अंतिम रूप में हो जावे तो प्रार्थी की जांच इसके बाद निर्धारित तरीके के अनुसार उचित चिकित्सा-अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये।

(2) निम्न मामलों में चिकित्सा-अधिकारी इस प्रकार होंगेः—

(क) यदि प्रार्थी नियम 325 द्वारा शासित होता है और जिसे अयोग्यता-पेंशन स्वीकृत करदी गई है या की जानी है, तो उसके लिये चिकित्सा-अधिकारी ही एक चिकित्सा-मण्डल होगा जिसके समक्ष प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप मे उपस्थित होना है।

(ख) अन्य प्रार्थी के मामले में जब तक रूपांतरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि पूर्व में रूपांतरित की गई राशि या राशियों को, यदि कोई हो, मिलाकर 60) रु. हो या उससे कम हो तो उसके लिये चिकित्सा-अधिकारीः—

(i) या तो एक चिकित्सा-मण्डल होगा जिसके सम्मुख प्रार्थी को उपस्थित होना चाहिये यदि ऐसा मण्डल स्वीकृति-अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी के निवास स्थान के निकटतम स्थान पर जाच करने के लिये नियुक्त किया गया हो।

(ii) ऐसे मण्डल के न होने पर एक पुर्नजाच-मण्डल होगा जो या तो प्रशासन के मुख्यालय पर स्थाई चिकित्सा मण्डल होगा या प्रशासन का वरिष्ठ चिकित्सा-अधिकारी एवं सिविल-सर्जन के पद के बराबर के स्तर का या उसके द्वारा मनोनित किया गया एक चिकित्सा-अधिकारी होगा।

यह अधिकारी/कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं जीवन की आशा पर सिविल-सर्जन द्वारा या उस क्षेत्र के जिला-चिकित्सा-अधिकारी जिसमें वह रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के समय

अध्याय 28

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति

खण्ड–1: सामान्य

नियम 337–पुनर्नियुक्त पेंशनरों का वेतनः—नागरिक या सैनिक सेवा से संबंधित किसी भी कर्मचारी को पुनर्नियुक्त किये जाने तथा वेतन के साथ पेंशन पाने के दृष्टिकोण से सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा में हो या किसी स्थानीय निधि की सेवा में।

टिप्पणीः—(i) वित्त विभाग की आज्ञा संख्या डी. 1750/59 एफ. 1 दिनांक 29-10-59 द्वारा विलोपित।

(ii) जहां तक अपवाद स्वरूप मामलों में खण्ड (i) का प्रश्न है, एक अधिकारी वित्त विभाग की सहमति से, किसी वर्तमान वेतन शृंखला की न्यूनतम से अधिक दर पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी भी मामले में वह उस वेतन शृंखला की उच्चतम दर से अधिक पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिये, एक व्यक्ति को, एक ही समय में प्रभावशील व प्रभावहीन, दोनों ही वेतनों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह संभव है कि एक पुनर्नियुक्त-अधिकारी का वेतन निर्धारण उस वेतन दर पर किया जावे जिस दर पर वह पदच्युत होता है या जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त करते हों। इस स्थिति में कुछ भी अस्वाभाविक व आपत्तिजनक नहीं है। एक पुनर्नियुक्त पेंशनर आवश्यक रूप से एक नये कर्मचारी के समकक्ष माना जाना चाहिये और उसका वेतन निर्धारण वर्तमान वेतन शृंखलाओं पर किया जाना चाहे वह पदच्युत होने के पूर्व इससे अधिक प्राप्त कर रहा था।

राजकीय निर्णयः—पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन उस पद की निर्धारित वेतन-शृंखला के न्यूनतम पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त हो गया हो।

(क) किसी मामले में जहा यह अनुभव किया जावे कि पुनर्नियुक्त-अधिकारी का प्रारम्भिक वेतन निर्धारित वेतन-शृंखला की न्यूनतम दर पर निश्चित करने से उसे अकारण आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, तो उसका वेतन उच्चतर स्तरों (स्टेज) पर उस सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक वार्षिक वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित किया जा सकता है जिसे कर्मचारी ने सेवा-निवृति के पूर्व ऐसे पद पर सेवा की है जिसका उस पद से नीचे नहीं है, जिस पर वह नियुक्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त कर्मचारी को उसे स्वीकृत कोई पेन्शन एवं मृत्यु-सह-सेवा-निवृति-ग्रेच्युटी को अलग से प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति-लाभो को जिनको पाने के लिये वह प्राधिकृत है, प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ये अन्य लाभ जैसे एक अशदायी भविष्य निधि में सरकार का अंशदान एवं विशेष अनुदान, ग्रेच्युटी. पेंशन की रूपांतरित राशि आदि हो सकते है। किन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त (क) के अनुसार प्रारम्भिक वेतन एवं पेंशन की कुल राशि एवं/या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्त लाभो के समान पेंशन।

(1) उस वेतन से अधिक नहीं होनी हो जिसे उसने सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया हो, या

(2) 3000) रु से अधिक न हो, इनमे से जो कम हो वह स्वीकार्य होगी।

टिप्पणी संख्या 1: –सभी मामलो मे जिनमे इनमे से कोई भी भी सीमा अधिक हो, पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति-लाभ पूर्ण चुकाये जा सकते हैं तथा वेतन मे से आवश्यक समायोजन किया जा सकता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वेतन एव पेंशन सबंधी लाभ की कुल राशि निर्धारित सीमा मे ही है।

उन मामलो मे जहा वेतन न्यूनतम या उच्चतर स्तर (स्टेज) पर निश्चित करने के बाद उक्त समायोजन के कारण न्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गया हो देय वार्षिक वृद्धि के आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये वार्षिकी वृद्धियाँ दी जा सकती है जैसे कि मानो, वेतन न्यूनतम या उच्चतम स्टेज पर, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 2:—सेवा-निवृत्ति के पूर्व अंतिम प्राप्त किये गये वेतन, मय विशेष-वेतन के, यदि कोई हो, मूल वेतन के रूप मे समझा जावेगा, कार्यवाहक पद पर प्राप्त वेतन को सम्मिलित किया जा सकता है यदि वह सेव-निवृत्ति के न्यूनतम एक वर्ष पूर्व तक निरन्तर प्राप्त किया जा रहा हो।

(ग) ऐसे मामलो मे जहा उस पद का न्यूनतम वेतन जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त हुआ है, अन्तिम प्राप्त किये वेतन से अधिक हो तो राज्याधिकारी को उस पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है जिसमें से पेंशन एव अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के समान पेंशन कम कर दी जावेगी।

(घ) जहा पर इस प्रतिबन्ध में कि पुनर्नियुक्त पर वेतन, मय कुल पेंशन/अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के समान पेंशन के अंतिम रूप मे प्राप्त किये वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिये, ऐसी परिस्थितियों मे शिथिलता किया जाना हो जो उपरोक्त अनुच्छेद (ग) में वर्णित परिस्थितियों से भिन्न हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

टिप्पणी:—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (43) वित्त वि. (नियम) 65 दिनांक 13-8-65 द्वारा 1-9-65 से विलोपित)

(ङ) जब उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार पुनर्नियुक्त-पेंशनर का प्रारम्भिक-वेतन निश्चित कर दिया जाता है तो उसे अपने नये पद पर साधारण रूप मे वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि कुल पेंशन/अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के समान पेंशन के सब मिलाकर किसी भी समय मे 3000/रु. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

जिन समर्थ-प्राधिकारियों को, व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, वे उपरोक्त (क) एव (ग) अनुच्छेदों मे वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार उनके अधीन पुनर्नियुक्त सेवा-निवृत्त राज्याधिकारियों के वेतन निर्धारित करने के लिये सक्षम होंगे किन्तु शर्त यह है कि उस पद जिस पर राज्याधिकारी पुनर्नियुक्त हुआ है की वेतन शृंखला पहले से ही स्वीकृत हो। वे मामले जहा पदों की वेतन-शृंखलाऐं स्वीकृत नहीं की गई हो वित्त विभाग के पास भेजे जावेंगे।

ये आदेश अब से आगे पुनर्नियुक्त होने के मामलों पर लागू होंगे तथा पूर्व के मामलों पर पुनः विचार नहीं करना होगा। ये अधिकारी जो पूर्व में ही पुनर्नियुक्त हो चुके है उन पर ये आदेश उनकी पुनर्नियुक्ति की अतिरिक्त अवधि के लिये लागू होंगे यदि पुनर्नियुक्ति का वर्तमान समय बढ़ा दिया जाता है।

अध्याय 28

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति

खण्ड–1: सामान्य

नियम 337–पुनर्नियुक्त पेंशनरों का वेतनः—नागरिक या सैनिक सेवा से संबंधित किसी भी कर्मचारी को पुनर्नियुक्त किये जाने तथा वेतन के साथ पेंशन पाने के दृष्टिकोण से सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा में हो या किसी स्थानीय निधि की सेवा में।

टिप्पणी:—(i) वित्त विभाग की आज्ञा संख्या डी. 1750/59 एफ. 1 दिनांक 29-10-59 द्वारा विलोपित।

(ii) जहां तक अपवाद स्वरूप मामलो मे खण्ड (i) का प्रश्न है, एक अधिकारी वित्त विभाग की सहमति से, किसी वर्तमान वेतन श्रृखला की न्यूनतम से अधिक दर पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी भी मामले मे वह उस वेतन श्रृंखला की उच्चतम दर से अधिक पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिये, एक व्यक्ति को, एक ही समय में प्रभावशील व प्रभावहीन, दोनों ही वेतनो पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सभव है कि एक पुनर्नियुक्त-अधिकारी का वेतन निर्धारण उस वेतन दर पर किया जावे जिस दर पर वह पदच्युत होता है या जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त करते हों। इस स्थिति मे कुछ भी अस्वाभाविक व आपत्तिजनक नही है। एक पुनर्नियुक्त पेंशनर आवश्यक रूप से एक नये कर्मचारी के समकक्ष माना जाना चाहिये और उसका वेतन निर्धारण वर्तमान वेतन शृखलाओं पर किया जाना चाहे वह पदच्युत होने के पूर्व इससे अधिक प्राप्त कर रहा था।

राजकीय निर्णय:—पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन उस पद की निर्धारित वेतन-श्रृंखला के न्यूनतम पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त हो गया हो।

(क) किसी मामले मे जहां यह अनुभव किया जावे कि पुनर्नियुक्त-अधिकारी का प्रारम्भिक वेतन निर्धारित वेतन-श्रृंखला की न्यूनतम दर पर निश्चित करने से उसे अकारण आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, तो उसका वेतन उच्चतर स्तरो (स्टेज) पर उस सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक वार्षिक वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित किया जा सकता है जिसे कर्मचारी ने सेवा-निवृत्ति के पूर्व ऐसे पद पर सेवा की है जिसका उस पद से नीचे नही है, जिस पर वह नियुक्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त कर्मचारी को उसे स्वीकृत कोई पेन्शन एव मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी को अलग से प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति-लाभो को जिनको पाने के लिये वह प्राधिकृत है, प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ये अन्य लाभ जैसे एक अशदायी भविष्य निधि में सरकार का अंशदान एव विशेष अनुदान, ग्रेच्युटी. पेंशन की रूपातरित राशि आदि हो सकते है। किन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त (क) के अनुसार प्रारम्भिक वेतन एवं पेंशन की कुल राशि एवं/या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्त लाभो के समान पेंशन।

(1) उस वेतन से अधिक नहीं होनी हो जिसे उसने सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया हो, या

(2) 3000) रु से अधिक न हो, इनमें से जो कम हो वह स्वीकार्य होगी।

टिप्पणी संख्या 1: –सभी मामलो मे जिनमें इनमें से कोई भी भी सीमा अधिक हो, पेंशन एव अन्य सेवा-निवृत्ति-लाभ पूर्ण चुकाये जा सकते हैं तथा वेतन मे से आवश्यक समायोजन किया जा सकता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वेतन एव पेंशन सबधी लाभ की कुल राशि निर्धारित सीमा मे ही है।

उन मामलो मे जहा वेतन न्यूनतम या उच्चतर स्तर (स्टेज) पर निश्चित करने के बाद उक्त समायोजन के कारण न्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गया हो देय वार्षिक वृद्धि के आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये वार्षिकी वृद्धियाँ दी जा सकती हैं जैसे कि मानो, वेतन न्यूनतम या उच्चतम स्टेज पर, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित किया गया है।

टिप्पणी सख्या 2: —सेवा-निवृत्ति के पूर्व अंतिम प्राप्त किये गये वेतन, मय विशेष-वेतन के, यदि कोई हो, मूल वेतन के रूप मे समझा जावेगा, कार्यवाहक पद पर प्राप्त वेतन को सम्मिलित किया जा सकता है यदि वह सेवा-निवृत्ति के न्यूनतम एक वर्ष पूर्व तक निरन्तर प्राप्त किया जा रहा हो।

(ग) ऐसे मामलो मे जहा उस पद का न्यूनतम वेतन जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त हुआ है, अन्तिम प्राप्त किये वेतन से अधिक हो तो राज्याधिकारी को उस पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है जिसमें से पेंशन एव अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के समान पेंशन कम कर दी जावेगी।

(घ) जहां पर इस प्रतिबन्ध मे कि पुनर्नियुक्त पर वेतन, मय कुल पेंशन/अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के समान पेंशन के अंतिम रूप में प्राप्त किये वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिये, ऐसी परिस्थितियों मे शिथिलता किया जाना हो जो उपरोक्त अनुच्छेद (ग) मे वर्णित परिस्थितियों से भिन्न हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

टिप्पणी:—वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ. 1 (43) वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 13-8-65 द्वारा 1-9-65 से विलोपित)

(ङ) जब उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार पुनर्नियुक्त-पेंशनर का प्रारम्भिक-वेतन निश्चित कर दिया जाता है तो उसे अपने नये पद पर साधारण रूप में वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि कुल पेंशन/अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के समान पेंशन के सब मिलाकर किसी भी समय मे 3000/रु. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

जिन समर्थ-प्राधिकारियों को व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, वे उपरोक्त (ख) एवं (ग) अनुच्छेदों मे वर्णित सिद्धान्तो के अनुसार उनके अधीन पुनर्नियुक्त सेवा-निवृत्त राज्याधिकारियों के वेतन निर्धारित करने के लिये सक्षम होंगे किन्तु शर्त यह है कि उस पद जिस पर राज्याधिकारी पुनर्नियुक्त हुआ है की वेतन शृंखला पहले से ही स्वीकृत हो। वे मामले जहा पदों की वेतन-शृंखलाये स्वीकृत नहीं की गई हों वित्त विभाग के पास भेजे जावेंगे।

ये आदेश अब से आगे पुनर्नियुक्त होने के मामलों पर लागू होंगे एव पूर्व के मामलो पर पुनः विचार नहीं करना होगा। वे अधिकारी जो पूर्व में ही पुनर्नियुक्त हो चुके हैं उस पर ये आदेश उनकी पुनर्नियुक्ति की अंतिम अवधि के लिये लागू होंगे यदि पुनर्नियुक्ति का वर्तमान समय बढ़ा दिया गया हो।

(न) ये आदेश ऐसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष/सदस्य के रूप मे पुनर्नियुक्त किया जाये। इन पदों पर सेवा निवृत्त कर्मचारी पुनर्नियुक्ति पर वेतन राजस्थान लोक सेवा आयोग, (सेवा की शर्तें) नियम 1951 व राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् (चयन आयोग की सेवा की शर्तें) नियम, 1960 जैसी भी स्थिति हो, के प्रावधानों के अनुसार स्थिर किया जायेगा।

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (43) वित्त. वि. (नियम) 65 दि. 13-8-64 द्वारा निविष्ट]

राजकीय निर्णयः—यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि मे किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप मे 'अस्वीकृत अवकाश" के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है चाहे पुनर्नियुक्ति की अवधि में ही वह अवकाश क्यो न उपार्जित किया गया हो, यदि इस प्रकार का कदम उसके लिये हितकर हो। अवकाश वेतन वही होगा जो नियम 65 के नीचे राजकीय निर्णय संख्या (6) के अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत प्राप्त होगा। किन्तु वह इस प्रकार से अस्वीकृत अवकाश के उपभोग के समय में अवकाश वेतन के साथ मे पुनर्नियुक्ति वेतन प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही होगा। फिर भी पुनर्नियुक्ति की अवधि मे ऐसे अवकाश की स्वीकृति-पुनर्नियुक्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा पुनर्नियुक्ति की अवधि में किसी भी सीमा तक अस्वीकृत अवकाश को स्वीकृत करने की शर्त पर आधारित होगी।

टीकाः—अब 1-3-1978 से बकाया अवकाशों के एवज में एक-मुश्त भुगतान के प्रावधान से यह निर्णय प्रभाव हीन हो गया है।

राजकीय निर्णय संख्या 3ः—यह निर्णय किया गया है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते (या प्रतिनियुक्ति वेतन) का सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन के निर्धारण मे सम्मिलित नही किया जावेगा सिवाय उन व्यक्तियों के मामलों को छोड़कर जो अन्य राज्य सरकार/इस सरकार/इस सरकार मे प्रतिनियुक्ति पर हों एवं जो इस प्रकार से प्रतिनियुक्ति भत्ता (या प्रतिनियुक्ति वेतन) प्राप्त कर रहे है एव सेवा निवृत्ति के बाद शीघ्र ही पुनर्नियुक्त कर लिये गये है। बाद के मामलो मे प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल राशि सेवा-निवृत्ति से पूर्व प्राप्त किये गये वेतन के रूप में गिनी जावेगी, उपरोक्त पद्धति के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से निपटाये गये मामलो पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नही है।

राजकीय निर्णय संख्या 4ः—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी निम्न-प्रकार के मामलों के अल्पकालिक आधार (पार्ट-टाइम-बेसिस) पर पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उसे क्या वेतन मिलना चाहिये. (1) जहा पद के वेतन की पद निश्चित की हुई हो तथा (2) जहा पद एक समय-श्रृंखला (टाइम-स्केल) वाला हो।

प्रथम प्रकार के मामले मे यह निर्णय किया गया है कि अल्पकालिक आधार पर पुनर्नियुक्त व्यक्ति का वेतन इस प्रकार सीमित होना चाहिये कि पुनर्नियुक्ति-काल मे वेतन एवं पेंशन एव मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के समान पेंशन मिलाकर या तो प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन मे या उस पद के लिये स्वीकृत वेतन की निश्चित दर से अधिक नही होना चाहिये।

दूसरे प्रकार के मामलो के संबंध मे यह निर्णय किया गया है कि एक व्यक्ति का उसकी पुनर्नियुक्ति पर वेतन राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या (1) के रूप मे सम्मलित किये गये, समय 2 पर संशोधित किये-किये अनुसार. वित्त विभाग के आदेश दिनाक 20-10-59 के प्रावधानो के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये।

नियम 338-पेंशनर द्वारा नियुक्ति-कर्त्ता-प्राधिकारी को पेंशन राशि की घोषणा करनाः—यदि कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत में किसी सरकार की नागरिक या सैनिक सेवा में था, जब वह राजकीय सेवा में या स्थानीय निधि की सेवा में पुनःनियुक्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने पुनःनियुक्ति-प्रदान-करने वाले प्राधिकारी को, जो भी वह अपनी पूर्व सेवा के संबंध में उसे स्वीकृत की गई किसी ग्रेच्युटी, बोनस या पेंशन को राशि प्राप्त कर रहा होगा —उसकी घोषणा करनी होगी। उसे पुनर्नियुक्त करने वाला अधिकारी पुनर्नियुक्ति के आदेश में उल्लेख करेगा कि क्या उसकी पेंशन या मासिक वेतन में से कोई कटौती की जावेगी जो इस अध्याय के नियमों के अनुसार काटी जानी आवश्यक हो तथा वह उस आदेश की एक प्रतिलिपि अंकेक्षण-अधिकारी के पास भेजेगा।

टिप्पणी संख्या 1:—इस नियम के सिद्धांत, राजकीय-सेवा से निवृत्त होने पर लगातार नियुक्ति के मामलों में लागू होते हैं। घोषित की जाने वाली पेंशन की राशि वह जो मूल रूप में स्वीकृत की गई हो-अर्थात् इसमें वह राशि भी सम्मिलित होगी जो रूपान्तरित की जा सकती है।

(2) पुनर्नियुक्ति के प्रयोजनों के लिये एक क्षतिपूरक-भत्ता, एक क्षतिपूरक या अयोग्यता-पेंशन के जैसा होता है। अतः पेंशनरों के पुनर्नियुक्ति संबंधी नियम उन व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होते हैं जो इस प्रकार का भत्ता प्राप्त करते हैं तथा जो क्षतिपूरक-भत्ता प्राप्त करते हो, यदि वे अपनी पुनर्नियुक्ति में अपना भत्ता प्राप्त करने के लिये उसी स्थिति में पुनर्नियुक्त होते हो जिसमें क्षतिपूरक या अयोग्यता-पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनर्नियुक्त होता है।

नियम 339:—प्रत्येक कर्मचारी, जो पुनर्नियुक्त किया जाता है, का ध्यान उसे पुनर्नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा एवं, जब कभी उसे इस प्रकार की नियुक्ति का पता चले तो अंकेक्षण अधिकारी द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों की ओर दिलाना चाहिये। किन्तु यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के कर्त्तव्य में असफल रह जाता है तो उसे किसी अर्थ में इस अध्याय में दिये गये नियमों के उल्लंघन के रूप में नहीं समझा जावेगा।

नियम 340-पुनर्नियुक्ति के समय असाधारण-पेंशन स्वीकार्य है.—इस अध्याय के नियमों में कुछ दिए होने पर भी एक जख्म या अन्य कारण से असाधारण-पेंशन जो सेवा नियमों के अध्याय-23 अन्तर्गत स्वीकृत की गई है या एक घाव या चोट या अयोग्यता-पेंशन या मिलेट्री नियमों के अन्तर्गत के पुरस्कृत-पेंशन के अतिरिक्त अयोग्यता-पेंशन एक सेवा-निवृत्त नागरिक या सैनिक कर्मचारी द्वारा अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि में या नियमित अवधि में प्राप्त की जाती रहेगी एवं केवल वह अपने पुरस्कार तक की शर्त पर ही सीमित होगी। ऐसी पेंशन की वृद्धि की रकम पुनर्नियुक्ति की अवधि में वेतन-निर्धारित करते समय नहीं गिनी जावेगी।

टिप्पणी:—जहां मिलेट्री पेन्शन मिला दी गई हो एवं सेवा तथा अयोग्यता की राशियों में स्पष्ट रूप से अन्तर न किया जा सकता हो तो कुल पेंशन को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पेंशन का सेवा भाग अर्जित सेवा-पेन्शन द्वारा दिखलाया जावेगा या यदि कोई सेवा अर्जित नहीं की गई है तो की गई सेवा की वास्तविक अवधि के लिये प्राप्य न्यूनतम साधारण पेन्शन के प्रसंग से गिनी गई अनुपातिक सेवा-पेंशन द्वारा दिखलाई जावेगी। इस सेवा पेन्शन की राशि को गिनने में 50 नये पैसे या इससे अधिक की राशि को पूर्ण रूप में सम्मिलित किया जावेगा तथा 50 नये पैसे से कम राशि होने पर उसे छोड़ दिया जावेगा। जो बचेगा वह पेंशन की अयोग्यता का हिस्सा होगा।

खण्ड-3:—असैनिक (सिविल) पेंशनर

क्षतिपूरक-ग्रेच्युटी के बाद पुनर्नियुक्ति

नियम 341-पुनर्नियुक्ति पर ग्रेच्युटी की वापिसी:—एक कर्मचारी जिसने क्षतिपूरक ग्रेच्युटी प्राप्त करली है, यदि वह पेंशन-योग्य सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है तो या तो वह अपनी ग्रेच्युटी को रख सकता है, किन्तु इसके रखने पर उसको पूर्व की सेवाएं भावी पेंशन के लिए नहीं गिनी जावेगी या वह ग्रेच्युटी की राशि लौटाकर अपनी पूर्व की सेवाओं को पेंशन के लिए गिना सकता है।

टिप्पणी:—एक कर्मचारी आगे सेवा के लिये असमर्थ होने के कारण ग्रेच्युटी पर सेवा से कार्यमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया जाता है एव पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उस दिन के बाद वह उसकी दूसरी सेवा के लिये कुछ भी पाने का अधिकारी नही है। क्योंकि यह मामला नियम 236 के अन्तर्गत आता है। यदि पूर्ण सेवा को एक निरन्तर सेवा के रूप मे माना जाता है तो पहिले की ग्रेच्युटी सयुक्त-सेवा के लिये प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम से वसूल की जावेगी।

नियम 342-ग्रेच्युटी लौटाने के लिए मासिक किस्तें:—ग्रेच्युटी की रकम लौटाने की इच्छा को पुनर्नियुक्ति के बाद शीघ्र ही स्पष्ट कर देना चाहिए किन्तु रकम का वापिसी भुगतान मासिक किश्तों में किया जा सकता है जो कर्मचारी के मासिक वेतन के 1/3 भाग से कम नही होगी एवं सेवा की समाप्ति के बाद से जितने माह पूर्व ग्रेच्युटी दी गई है, उतने माह का भाग देने पर जो ग्रेच्युटी की रकम आयेगी उससे भी यह राशि कम नहीं होगी। जब तक पूर्ण रकम का वापिसी भुगतान नहीं किया जाता है उसकी पूर्व की सेवायें पुनः पेंशन योग्य नहीं होती है।

टिप्पणी:— इस नियम का औचित्य इस विचार पर निर्भर करता है कि जब तक ग्रेच्युटी का वापिसी भुगतान स्थगित कर दिया जाता है तब तक कर्मचारी खतरों को टालता है एवं राज्य सरकार को इस प्रकार से अधिकारी की मृत्यु या बर्खास्तगी के कारण राज्य कोष में जमा न होने वाली राशि की वसूली का खतरा बना रहता है। यदि यह ग्रेच्युटी की राशि मय चक्रवर्ती ब्याज के बाद मे चुका दी जावे तब भी इस प्रकार की हानियों की संभावनाये समाप्त नही होती।

नियम 343-क्षतिपूर्ति-पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति:-(क) एक कर्मचारी, जिसने क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त करली है, यदि पुनर्नियुक्त हो जाता है तो वह अपनी पेंशन को वेतन के साथ प्राप्त कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि यदि उसकी पुनर्नियुक्ति एक ऐसे पद पर होती है जिसका भुगतान "संचित-निधि" मे किया जाता है तो उसकी पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप मे स्थगित कर दी जावेगी यदि उसकी पेंशन की राशि व पुनर्नियुक्ति के पद का प्रारम्भिक वेतन उसके कार्यमुक्त किए जाने के समय के स्थाई वेतन से ज्यादा हो। दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी केवल उतनी ही पेंशन प्राप्त कर सकता है जिसमे उसका प्रारम्भिक वेतन व पेंशन की राशि दोनों मिलाकर उसके डिस्चार्ज किए जाने के समय के स्थाई-वेतन के समान हो जावे। जब उपरोक्त शर्त के आधार पर पेंशन की राशि एक बार निश्चित कर दी जाती है तो अधिकारी अपनी नये वेतनमान में वार्षिक-वेतन-वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा, या इस प्रकार की और आगे कोई कटौती कराए बिना किसी अन्य शृंखला या पद की उन्नति के लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, एवं इस प्रकार निश्चित की गई पेंशन की राशि सेवाकाल-काल में भिन्न नहीं होगी। फिर भी यदि स्थाई या अस्थाई पद पर पुनर्नियुक्त पेंशनर के मामले में जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए अस्थाई रूप मे नियुक्त नही किया गया हो, तो राज्य सरकार या जहां 60/- रु. माह से पेंशन अधिक न हो, वह अधिकारी जो उस कर्मचारी-वर्ग पर

नियंत्रण रखता है जिसमें पेंशनर नियुक्त किया जाता है, पेंशन को पूर्ण या आंशिक-रूप में प्राप्त करते रहने की स्वीकृति दे सकता है चाहे वेतन एवं पेंशन की कुल-राशि उसे हटाये जाने के समय प्राप्त होने वाले स्थायी वेतन से अधिक ही क्यों न हो।

टिप्पणी संख्या :—(1) यह नियम उन सब संस्थापन-वर्ग की नियुक्तियों पर लागू होता है जिनका वेतन संचित-निधि से दिया जाता है चाहे वह उसके निश्चित-वेतन द्वारा दिया जाता हो या परिवर्तनशील मासिक भत्तों से दी जाती हो। किन्तु यह नियम उन पेंशनरो पर लागू नहीं होता है जो "कुली" के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किये जाते है तथा जिन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती है।

(2) स्थानीय-निधि के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति के मामले में क्षतिपूर्ती-पेंशन से कोई कटौती नहीं की जावेगी।

(3) एक कर्मचारी जिसने क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त की है एव जो वाद मे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से स्वीकृत एक स्थाई या अस्थाई पद पर पुनर्नियुक्त हो जाता है तो राज्य-सरकार उसे अपने पद के वेतन एवं भत्तो के अतिरिक्त पूर्ण पेन्शन को प्राप्त करने की भी स्वीकृति दे सकती है चाहे ऐसी पुनर्नियुक्ति का समय कितना ही क्यों न हो।

(4) इस नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपनी शक्ति उन पेंशनरो के संबंध मे विभागाध्यक्षों को सौंप सकती है जिनकी पुनर्नियुक्ति करने के लिये उन्हे आदेश देने का अधिकार है।

(5) इस नियम के प्रतिबन्ध उन भूतपूर्व पुलिसमैनो पर लागू नहीं होते हैं जिनकी पेंशन 60/-रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं हो।

(ख) यदि उसकी पुनर्नियुक्ति पेन्शन-योग्य सेवा में हुई हो तो वह या तो अपनी पेन्शन को (उपरोक्त वर्णित प्रावधान की शर्त पर) प्राप्त कर सकता है जिसके पाने पर उसकी पूर्व सेवायें भावी-पेंशन के लिये नहीं गिनी जावेगी, या वह अपनी पेंशन का कोई भाग लेना बन्द कर सकता है एवं अपनी पूर्व की सेवाओं को गिना सकता है। इसके पूर्व बीच में जो पेंशन प्राप्त करली जावे उसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी संख्या (1):—एक कर्मचारी खण्ड (ख) के अनुसार अपनी पूर्व-सेवाओं को पेन्शन के लिये गिना सकता है यदि पुनर्नियुक्ति होने पर उसकी पूर्ण पेन्शन खण्ड (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित कर दी जाती है।

(2) इस नियम में दिये गये प्रतिबन्ध उन राजकीय-पेंशनरो पर लागू होते है जो एक ऐसे अस्थाई-संस्थापन वर्ग में पुनर्नियुक्त होते है जिसका भुगतान "संचित-निधि" से किया जाता है चाहे वह निश्चित मासिक-वेतन दर पर चुकाया जाता है या परिवर्तनशील मासिक-भत्तों द्वारा चुकाया जाता है।

(3) ये प्रतिबन्ध उस राजकीय-पेंशनर पर भी लागू होते है जो एक ऐसे पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है जिसका "अन्य-प्रभार-मद से भुगतान किया जाता है।

(4) पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के संबंध में दो सीमित शर्ते ये हैं:—

(क) पद का वेतन जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त किया जाता है, एवं

(ख) सेवा-निवृत्ति के समय कर्मचारी का स्थाई-वेतन

जहां एक पुनर्नियुक्त कर्मचारी को उसकी सेवा-निवृत्ति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किये गये स्थाई-वेतन के समान (पेंशन-सहित) वेतन नहीं दिया जा रहा हो तो इन नियमों के अनुसार इतनी पेंशन उसे स्वीकृत की जा

सकती हैं जो प्रारम्भिक-वेतन सहित मौलिक-वेतन के समान हो। वेतन के निर्धारण का मामला सक्षम-प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगा।

नियम 344–तीन माह में विकल्प दिया जाना:— यदि एक कर्मचारी अपनी पुनर्नियुक्ति के तीन माह की अवधि के भीतर नियम 343 द्वारा चाहे अनुसार पेंशन को बन्द करने के लिये तथा अपनी पूर्व-सेवा को पेंशन योग्य गिने जाने के लिये अपना विकल्प नहीं देता है तो वह उसके बाद में इसके लिये अपना विकल्प, राज्य-सरकार की आज्ञा बिना, नहीं दे सकता है।

अयोग्यता-पेन्शन के बाद में पुनर्नियुक्ति

नियम 345–अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्तिः— ऐसे कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसने अयोग्यता-पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद पुनः स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त कर लिया हो या यदि एक कर्मचारी सेवा की किसी एक विशिष्ट-शाखा में कार्य करने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य कर दिया जाता है तो उसे सेवा की अन्य अतिरिक्त शाखा में पुनर्नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे एक मामले में नियम ग्रेच्युटी लौटाने, पेन्शन प्राप्त करने एवं सेवा गिनने के संबंध में उसी प्रकार से लागू है जैसे क्षतिपूर्ति-पेन्शन के बाद पुनर्नियुक्ति के मामलों में हैं।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—(i) ऐसे भूतपूर्व टी. बी. से बीमार कर्मचारी जो एक टी. बी. विशेषज्ञ या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किये गये चिकित्सा-अधिकारी द्वारा राजकीय-सेवा के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर टी. बी. बीमारी से प्रभावरहित एवं सेवा के लिये योग्य घोषित कर दिये जाते हैं वे उनके द्वारा पूर्व में रिक्त किये गये पद पर कार्य करने के लिये योग्य समझे जावेंगे, यदि वह स्थान रिक्त हो अथवा स्वयं के विभाग में उसके समान पदों पर कार्य करने योग्य समझा जावे। उनके मामले में आयु सीमा के संबंध की साधारण शर्त लागू नहीं होगी।

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति अपने संबंधित विभाग में पदों के स्थान न होने के कारण पुनर्नियुक्त नहीं किये जा सकते हों तो उनके अन्य विभागों में लगाये जाने के मामलों पर विचार किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिये एवं आयु में रियायत बरतने के लिये भी उन्हें 'कमी-किये-गये-कर्मचारी" के रूप में समझा जावेगा।

(iii) ऐसे व्यक्तियों की उसी पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर, जिसमें वे सेवा से हटाये गये थे, उनके द्वारा पूर्व में की गई वास्तविक-सेवा के समय को पेंशन के प्रयोजन के लिये योग्य-सेवा के रूप में समझा जाना चाहिये। जिस दिन वे सेवा से हटाये गये थे एवं जिस दिन वे सेवा में पुनर्नियुक्त हुये, इन दोनों के बीच के समय को "सेवा-का-व्यवधान" किसी भी प्रयोजन के लिये सम्मिलित नहीं किया जावेगा किन्तु सेवा अन्यथा प्रकार से निरन्तर-सेवा मानी जावेगी। अन्य पदों पर नियुक्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता, नियुक्ति विभाग के परामर्श से, निश्चित की जावेगी एवं उनका वेतन वित्त-विभाग की सहमति से तय किया जावेगा।

(iv) पुनर्नियुक्त होने पर ऐसे व्यक्तियों को पुनः चिकित्सा संबंधी जाँच कराने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि प्रथम नियुक्ति के समय उनकी चिकित्सा-परीक्षा की जा चुकी हो। फिर भी उनका स्थाईकरण करने के पूर्व उन्हें सामान्य चिकित्सा-परीक्षा के लिये जाना पड़ेगा यदि इसे अन्यथा रूप से आवश्यक समझा जाये।

(v) ऐसे मामलों में जिनमें ऐसे व्यक्ति उन सीधी नियुक्ति वाले पदों पर पुनः नियुक्त हुये हैं जिन पर नियुक्ति केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जा सकती है, तो इस संबंध में आयोग की, साधारण रूप से, सलाह ली जावेगी। इस प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्तियों के सभी उपलब्ध

रिकार्ड आयोग के पास भेजे जावेंगे। आयोग यदि उचित समझें, तो ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार भी कर सकता है एव ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक नियुक्ति केवल उसी समय की जावेगी जब वे उन पदों पर चुने जाने के लिये आयोग द्वारा योग्य प्रमाणित कर दिये गये हो।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—पूर्व की "लिप्रोसी" एव "प्लुरीसी" बीमारी से पीडित व्यक्ति जो पूर्व में राजकीय सेवा में थे और इस प्रकार की बीमारी होने पर सेवा मे हटा दिये थे, उनको राजकीय-सेवा में पुनः नियुक्त करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि नियम 345 के अन्तर्गत निर्णय संख्या (1) के द्वारा टी. बी से पीडित व्यक्तियो को दी गई रियायतें इन व्यक्तियों को भी दी जावेगी।

अधिवार्षिकी आयु या सेवा-निवृत्ति-पेंशन के बाद में

नियम 346-अधिवार्षिकी-आयु या सेवा-निवृत्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्तिः—एक कर्मचारी जो अधिवार्षिकी-आयु या सेवा-निवृत्ति-पेंशन प्राप्त करता है, केवल सार्वजनिक कारणों को छोड़कर "संचित-निधि" से या "स्थानीय-निधि" से भुगतान की जाने वाली सेवा में पुनर्नियुक्त नही होगा या उस सेवा में उसकी नियुक्ति जारी नही रखी जावेगी। पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति या नियुक्ति की अवधि में वृद्धि निम्न-प्रकार से की जा सकती है:—

(1) जब एक कर्मचारी ने, पेंशन पर सेवा-निवृत्ति से पूर्व, एक राजकीय पद पर कार्य किया हो तो सरकार द्वारा यह अवधि बढाई जावेगी।

(2) उन पेंशनरों के संबंध में जो ऐसे अधिकारियों के अधीनस्थ स्थानापन्न वर्ग में नियुक्त होते हैं जिन्हें सरकार इस नियम के अन्तर्गत अपनी शक्ति प्रदान करती है तो यह अवधि उन सरकार के अधीनस्थ-अधिकारियो द्वारा बढाई जा सकती है।

टिप्पणी 1:—सरकार यह घोषणा कर सकती है कि इस नियम मे दिये गये प्रतिबन्ध अपने क्षेत्र में किसी विशिष्ट-श्रेणी की स्थानीय निधि या स्थानीय-निधियों पर लागू नहीं होंगे या यह कि वे इस संशोधन के साथ लागू होंगे जैसे सरकार निर्देश दे।

(2) जब एक विशेष या अपवाद स्वरूप परिस्थितियो मे एक ऐसे कर्मचारी को पुनर्नियुक्त किया जाना वाछनीय समझा गया हो जिसे सरकार के अधीन एक पद पर आनुपातिक-पेंशन पर सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति दे दी गई हो तो पद के वेतन में से उसकी पेंशन की पूर्ण राशि कम कर देनी चाहिये।

टिप्पणी संख्या 3 व 4:—विलोपित।

(5) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के समान पेंशन को केवल वेतन स्थिरीकरण के प्रयोजनों के लिए पुनर्नियुक्ति एवं "निरन्तर-सेवा" के सभी मामलो मे दिनांक 1–9–55 से विचारार्थ सम्मिलित किया जा सकता है। किसी भी दशा में 31–8–55 तक की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन के कारण कोई वसूलियां नही की जावेंगी।

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के समान पेंशन को गिने जाने का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

उदाहरणः—एक व्यक्ति की सेवाओं का विवरण इस प्रकार है जिसको सेवा-निवृत्ति के समय 1755/- रु. मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के रूप में मिलते हैं।

जन्म तिथि········ ······· 1–10–1898

सेवा-निवृत्ति की तारीख··········· 1–10–1953

आगामी जन्म दिवस पर आयु, सेवा-निवृत्ति के समय 56 वर्ष की होगी।

राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 11 (सी. एम. नं. 51) मे कालम "रूपान्तरित किए वर्षों की सख्या के रूप में व्यक्त रूपान्तरण" मे 56 वर्ष की आयु के विपरीत 11.55 दिया हुआ है।

इस प्रकार पेंशन निम्न के बराबर होगी—

$$\frac{\text{ग्रेच्युटी की राशि}}{12 \times 11,55} = \frac{1755}{12 \times 11.55} \text{ रु. } 12/11$$

(6) *उपरोक्त निर्णय सख्या (5) उन व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति के मामलो मे लागू नही होगा जो अशदायी* भविष्य निधि द्वारा शासित होगे एव जहा पर अशदायी भविष्य निधि (राजकीय अनुदान) का प्रश्न उठता है। ऐसे प्रश्नों का नियमन उपरोक्त टिप्पणी (3) द्वारा किया जावेगा।

राजकीय निर्णय संख्या 1:—सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 28 मे प्रयुक्त "वेतन" शब्द को जो पुनर्नियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन को नियमित करने के प्रावधानों से सबधित है, केवल स्थाई तक ही सीमित रखा जायेगा एव क्या सेवा-निवृत्ति के समय एक पुनर्नियुक्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए कार्यव हक एव विशेष वेतन को पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण में गिना जाना चाहिये। अब यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सरकार एवं अन्य राज्यों या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलो मे उस राशि को, *जिस तक पुनर्नियुक्ति पर वेतन निश्चित किया जा सके, पुनर्नियुक्ति के समय कार्यवाहक-*वेतन को मिलाकर कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये वेतन के रूप मे समझा जाना चाहिये। फिर भी पुनर्नियुक्ति के पूर्व यदि किसी पद पर विशेष-वेतन या व्यक्तिगत-वेतन प्राप्त किया जा रहा हो तो उसे सम्मिलित नही किया जावेगा।

जिस पद पर पुनर्नियुक्ति की जाती है उसके कर्त्तव्यों के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर विशेष-वेतन निर्धारित करना चाहिए। यदि जिस पद पर वह पुनर्नियुक्त हुआ है, उस पर विशेष-वेतन मिलता हो एव एक अधिकारी साधारणतया उस पद पर नियुक्त होता हो जो उस विशेष-वेतन पाने के लिए अधिकृत होता हो तो पुनर्नियुक्त राज्याधिकारी को भी विशेष-वेतन स्वीकृत किये जाने योग्य समझा जाना चाहिए अन्यथा नही। (शर्त यह होनी चाहिए कि पुनर्नियुक्ति पर कुल-वेतन उसे पूर्व सेवा-निवृत्ति के वेतन से अधिक नही होना चाहिए।

जो अधिकारी अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त होते हो उनके सम्बन्ध मे शर्तें आपसी समझौते के आधार पर तय करनी चाहिए तथा इसके लिए नियमों का कठोरता से पालन नही किया जाना चाहिए।

राजकीय निर्णय संख्या 2:—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक कर्मचारी को वेतन-वृद्धि, अधि-*वार्षिकी-आयु प्राप्ति पर, सेवा-निवृत्त होने के बाद, पुनर्नियुक्त होने पर स्वीकृत की जा सकती है या नियम 346* के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के साथ पठित राजस्थान सेवा नियम 347 के अन्तर्गत उसके वेतन को निश्चित किए जाने के बाद सेवा-निवृत्ति पर पुनर्नियुक्त होने पर वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए चाहे वह उसके उस स्थाई वेतन से अधिक होती हो जो उसने *सेवा-निवृत्ति के समय प्राप्त किया था।*

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसे पेंशनर जो उसी पद पर नियुक्त हो गया हो या एक ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसकी वेतन-शृंखला वही हो जो उस पर थी जिस पर से वह सेवा-निवृत्त हुआ था तथा जो एक उच्चतर पद पर पुनर्नियुक्त होता हो, तो उस समय-वेतनमान मे से उसे साधारण वेतन-वृद्धि दी जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि उसके वेतन व पेंशन या अशदायी-भविष्य-निधि के समान पेंशन कुल मिलाकर उस पद के अधिकतम वेतन से अधिक नही होवे जिस पर वह पुनःनियुक्त किया गया है।

नियम 347-पेंशन स्थगित करने की शक्ति:—जिस पद पर पेंशनर नियुक्त होता है उस पद के लिए वेतन एव भत्ते निश्चित करने को सक्षम-प्राधिकारी हो यह निश्चित करेगा कि क्या उसकी पेंशन को पूर्ण या आशिक-रूप में स्थापित रखा जावेगा। यदि पेंशन पूर्ण या आशिक रूप मे प्राप्त की जाती है तो ऐसा अधिकारी उसे स्वीकृत किये जाने वाले वेतन के निर्धारण में उक्त तथ्य को ध्यान में रखेगा, किन्तु शर्त यह है कि (1) जहा सरकार ने अपनी शक्ति नियम 346 (ii) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को सौप दी हो, तो विभागाध्यक्ष, पद के पूर्ण-वेतन के साथ पूर्ण-पेन्शन प्राप्त करने के लिए, आज्ञा नहीं देगा सिवाय इसके जब पुनर्नियुक्ति निश्चित अस्थाई अवधि के लिये हो। यह अस्थाई अवधि एक वर्ष से अधिक नही हो या जब उसकी पेंशन 200 रु. प्रतिमाह से अधिक नही, हो एवं (2) जहां राज्य-सरकार ने अपनी शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौप दी हो तो ऐसा अधिकारी पद के पूर्ण-वेतन के साथ 200 रु. प्रति माह से अधिक की पूर्ण-पेंशन पाने के लिये स्वीकृति नही दे सकता है।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (9) वि. वि (ग्रुप-2)/77 दिनांक 26-5-78 द्वारा 50/- रु के स्थान पर 200/- रु 1-9-76 से प्रतिस्थापित]

टिप्पणियां—(1) जब नियुक्ति स्थानीय निधि से भुगतान की गई सेवा मे हो, तो पेंशन को पूर्ण या आशिक रूप से स्थगित रखने वाला अधिकारी या तो,

(i) स्थानीय-निधि को शासित करने वाला अधिकारी होगा जिसे इस संबंध मे समान्य या विशेष आदेशो द्वारा सरकार से शक्ति प्रदत्त की हुई होगी, या

(ii) किसी अन्य मामले मे सरकार या ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य-सरकार निर्धारित करे।

(2) ऐसे कर्मचारियों के मामलो मे जो सेवा-निवृत्त हो चुके है या एतद्पश्चात 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होगे तथा पुनर्नियोजित होंगे, उन्हें निम्न-लिखित सीमा तक पेंशन की राशि को पुनर्नियुक्ति पर उनके वेतन को स्थिर करने मे नही गिना जायेगा:—

(i) यदि पेंशन की राशि 20/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नही हो तो वास्तविक पेंशन।

(ii) अन्य मामलों मे, पेंशन के प्रथम 20/- रुपये, जो व्यक्ति 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा-निवृत्त होता है, उस पुनर्नियोजित व्यक्ति की पेंशन स्थिर करने मे पेंशन की किसी भी राशि को नही छोड़ा जावेगा।

(3) उन व्यक्तियो का वेतन जो 8-4-68 को पुनर्नियोजन पर है, उन्हें इस तारीख से टिप्पणी संख्या-2 के आधार पर पुनः स्थिर किया जा सकता है बशर्ते वे उससे 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे पुनः स्थिर किये जाने हेतु लिखित मे विकल्प दें। ऐसे पुन-स्थिरीकरण के मामलों में उनकी शर्तों को नवीन-रूप मे उसी रूप में निश्चित करना चाहिये जैसे मानो वे उक्त तारीख से पुनर्नियोजित हुये हों। एक बार दिया गया यह विकल्प अन्तिम होगा।

(4) मंत्री के रूप मे नियुक्त एक पेंशनर अपने मंत्री-पद के वेतन के अतिरिक्त अपनी पेंशन पाने के लिये प्राधिकृत है।

(5) पूर्वोक्त नियम उन पेंशनरो पर लागू नहीं होते हैं जो कोर्ट-आफ-वार्डस के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त होते हैं।

[वित विभाग की अधिसूचना संख्या एफ/(80) वित्त-विभाग (व्यय-नियम)/65 दि. 8-4-68 द्वारा टि. सं. 2 प्रतिस्थापित की गई व टि. सं 3 निविष्ट की गई तथा शेष को पुनंसंख्यांकित किया गया]

पेंशन के रूपान्तरण के मामलों में

नियम 348-पेन्शन रूपान्तरित होने पर पुनर्नियुक्ति पर वेतनः—यदि एक पेशनर जो राजकीय-सेवा में या स्थानीय-निधि की सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है एवं जो ऐसी पुनर्नियुक्ति के बाद अपनी पेशन का कुछ भाग रूपान्तरित करता है तो इस खण्ड के अन्तर्गत नियमों के द्वारा पेंशन जितनी पेशन की राशि प्राप्त कर सकता है वह, वह राशि होगी जिसे पेंशनर प्राप्त करने का अधिकारी होता यदि उसका कोई रूपान्तरण नही किया जाता। इसमें से रूपान्तरित-राशि कम करदी जावेगी।

नियम 349-पेन्शन रुपान्तरित कब की जातो है:—यदि एक पेंशनर जिसकी पेशन का एक भाग पुनर्नियुक्ति से पूर्व रूपान्तरित किया जा चुका है तो पेन्शन की मूल राशि पुनर्नियुक्ति या निरन्तर-सेवा मे कुल प्राप्ति की रकम के निर्धारण में पेशन की मूल-राशि सम्मिलित की जानी चाहिए न कि सिर्फ अ-रूपान्तरित राशि को।

नियम 349-ए—पेशन के एक भाग के रूपान्तरण की स्वीकृति सीमा के अन्तर्गत दी जा सकती है चाहे पेशन पूर्ण-में स्थगित करदी गई हो, एव यदि किसी मामले में यह आंशिक रूप में-स्थगित करदी गई हो, पर वह अपनी पेशन को रूपान्तरित कराता हो तो उसका वेतन पुनर्नियुक्ति-काल में उसी दिन से जिसको उसका रूपान्तरण प्रभावशील होता है, रूपान्तरित पेशन की राशि को काटकर दिया जावेगा। फिर भी यदि रूपान्तरण आंशिक-रूप में स्थगित की गई पेन्शन के बारे में किया जाता है तो सबसे पहले वह रूपान्तरण से हटा दिया जाता है एवं तब यदि प्राप्त किया गया वेतन रूपान्तरित की जाने वाली राशि को नियमित करने के लिये पूर्ण नही हो, तो अन्तर की राशि को, स्थगित रखे गए भाग में से निकाल दिया जावेगा एवं उसके समान कटौती, पुनर्नियुक्ति की अवधि में रूपान्तरण के प्रभावशील होने की तारीख से वेतन में से की जावेगी।

खण्ड-3:—सैनिक-पेन्शन

नियम 350-सैनिक-पेन्शनरों की पुनर्नियुक्तिः—जहां यह अन्यथा प्रकार से स्पष्ट प्रावधान नही किया गया हो, इस अध्याय के खण्ड-2 में दिये गये प्रावधान एक सैनिक अधिकारी, आफीसर वारेन्ट या नान-कमीशन्ड आफीसर या सिपाही पर लागू नहीं होते हैं जो सैनिक-नियमों के अनुसार पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद असैनिक-सेवा में ले लिये जाते है। जिसे असैनिक सेवा मे बने रहने की स्वीकृति दे दी जाती है ऐसे अधिकारी के. असैनिक सेवा-विभाग में वेतन की मांग नियम 351 द्वारा शासित की जाती है। असैनिक विभाग में सेवा के लिए उसको पेंशन,सैनिक-पेशन नियमों द्वारा शासित नहीं होगी।

नियम 351:—(क) जब एक व्यक्ति जो पहिले सैनिक-सेवा में हो किन्तु जो सैनिक-पेंशन स्वीकृत कराने के बाद असैनिक-विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी सैनिक-पेंशन प्राप्त करता रहेगा। किन्तु जिस पद पर वह पुनर्नियुक्त हुआ है उस पद का वेतन एवं भत्ता निर्धारित करने में सक्षम-प्राधिकारी उसके पुनर्नियुक्ति के पद पर उसका वेतन निर्धारित करने में उस पेन्शन की राशि को सम्मिलित कर सकेगा जिसमें उसका रूपान्तरित किया जा सकने वाला भाग भी सम्मिलित होगा।

(ख) एक सैनिक-अधिकारी, विभागीय-अधिकारी, वारंट या नान-कमीशन्ड अधिकारी या एक सिपाही जिसे सैनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत कर दी गई है, जब वह असैनिक-सेवा में

होगा तो ऐसी पेन्शन प्राप्त करेगा। किन्तु असैनिक-सेवा में पद के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण में सक्षम-प्राधिकारी, पेंशन की स्वीकृति की तारीख से ऐसे अधिकारी या सिपाही के वेतन एवं भत्तों में से ऐसी राशि काट सकता है जो ऐसी पेंशन की राशि से अधिक होगी।

टिप्पणी:- (1) ऐसे कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त हो चुके है या एतद्पश्चात 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होंगे तथा पुनर्नियोजित होंगे, उन्हें निम्नलिखित सीमा तक, पेंशन की राशि को, पुनर्नियुक्ति पर, उनके वेतन को स्थिर करने में नहीं गिना जायेगा।

(i) यदि पेंशन 200) रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं हो तो वास्तविक पेंशन।

(ii) अन्य मामलों में पेंशन के प्रथम 200) रु. जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा-निवृत्त होता है, उस पुनर्नियोजित व्यक्ति का वेतन स्थिर करने में पेंशन की किसी भी राशि को नहीं छोड़ा जावेगा।

[वि. वि. की अधि. एफ 1 (9) वि वि (ग्रुप-2)/77 दि. 26-5-78 द्वारा 50/- के स्थान पर 200/- रु. 1-9-76 से किये गये]

(2) उन व्यक्तियों का वेतन जो 8-4-68 को पुनर्नियोजन पर हैं, उनका वेतन इस तारीख से टिप्पणी संख्या (2) के आधार पर पुनः स्थिर किया जा सकता है बशर्ते वे उससे 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे पुनः स्थिरीकरण किये जाने हेतु लिखित में विकल्प दे। ऐसे पुनः स्थिरीकरण के मामले में उनकी शर्तों को उसी रूप में निश्चित करनी चाहिये जैसे मानों वे उक्त तारीख से ही पुनर्नियोजित हुये हों। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) क्षति-पूर्ती या असाधारण-पेंशन, सिर्फ पेंशन के निर्णय के स्वरूप की दृष्टि से, कम या समाप्त की जानी चाहिये, और पेंशन, पेंशनर की राज्य-सेवा में पुनर्नियुक्ति से प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

(4) जब कभी एक सैनिक-पेंशन, स्वीकृत किये जाने के बाद कर्मचारी भविष्य में सुरक्षा सेवा में नागरिक कर्मचारी के रूप में पुनर्नियुक्त हो जाता है या सेवा में बना रहता है तो उसके वेतन बिल के साथ इस संबंध का एक प्रमाण-पत्र सलग्न किया जावेगा कि उसका वेतन नियम 351 के प्रावधानों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुये निश्चित कर दिया गया है।

(5) एक भारतीय मिलेट्री अधिकारी या नान-कमीशन्ड अधिकारी या सिपाही के उत्तराधिकारी की पेंशन या चिकित्सा-अधिकारी के उत्तराधिकारी की पेंशन किसी सिविल-सेवा में नियुक्त होने पर उसके वेतन में मिला दी जावेगी।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ/(80) वित्त-विभाग (व्यय-नियम) 65 दिनांक 8-4-68 द्वारा टिप्पणी संख्या (2) प्रतिस्थापित तथा टिप्पणी संख्या (3) निविष्ट, शेष को पुनर्संख्यांकित किया गया]

आडिट निर्देशन:—(1) इस नियम के खण्ड (ख) के लिये प्रार्थना-पत्र के लिये निश्चित की गई घटना वह तारीख मानी जाती है जिसको एक व्यक्ति के लिये मिलेट्री-पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है एव वह तारीख नहीं मानी जाती है जब वह सिविल-विभाग में अपनी नियुक्ति मूलतः प्राप्त करता है।

(2) सिविल-विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले पेंशनर मिलेट्री से पूर्णतया हटाये जाने को विचाराधीन रखते हुये अवकाश पर हों तो उनके मामलों को नियम 351 (ख) के अनुसार निपटाया जाना चाहिये।

खण्ड-4:—नवीन सेवा के लिये पेन्शन

नियम 352—नवीन-सेवा के लिये पेन्शन प्राप्त नहीं करेगा:—नियम 350 एवं 351 में दिये

गये प्रावधानों के अतिरिक्त एक कर्मचारी जो पेन्शन सहित सेवा मुक्त किया गया हो एवं जो बाद में पुनर्नियुक्त हो गया हो तो वह अपनी पुनः नवीन सेवा को एक पृथक पेंशन के लिये नहीं गिना सकता है। पेंशन (यदि कोई हो) केवल पुरानी सेवा के साथ नई सेवा को मिलाकर ही दी जावेगी तथा सम्पूर्ण सेवा केवल एक पूर्ण-सेवा के रुप में गिनी जावेगी।

नियम 353–बाद की सेवाओं के लिये पेन्शन या ग्रेच्युटी की सीमाः—एक कर्मचारी जिसने क्षतिपूर्ती या अयोग्यता-पेन्शन प्राप्त की है यदि वह पेन्शन-योग्य सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है तथा पेन्शन अलग से प्राप्त करता है (देखिये नियम 341) तो उसकी पेन्शन या ग्रेच्युटी, जो उसको बाद की सेवा के लिये देय है, वह निम्न-प्रतिबन्धों तक सीमित हैं अर्थात् पेन्शन की पूंजीगत राशि उस अन्तर से अधिक नहीं होगी जो अधिकारी के अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त होने के समय दोनों सेवाओं की अवधि को मिलाकर प्राप्त होने वाली है एव जो पूर्ण-सेवाओं के लिये पहले से ही स्वीकृत पेन्शन की राशि के बीच में है।

टिप्पणीः—पूर्व सेवा के लिये स्वीकृत पेंशन की पूंजीगत राशि कर्मचारी की अन्तिम-सेवा-निवृत्ति की तारीख से आयु के आधार पर गिनी जानी चाहिये।

नियम 354:—(क) यदि पूर्व-सेवा के लिये प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाया नहीं जाता है तो ग्रेच्युटी या पेन्शन, जैसी भी स्थिति हो, बाद की सेवाओं के लिये स्वीकृत की जा सकती है। किन्तु इसके साथ शर्त यह होगी कि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेन्शन की राशि एवं पूर्व-ग्रेच्युटी की राशि या पेन्शन की उस वर्तमान राशि से अधिक नही होगी जो उसे प्राप्य होगी यदि उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम को लौटा दिया जाता है।

(ख) यदि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेन्शन का वर्तमान मूल्य व पूर्व-ग्रेच्युटी की राशि पेन्शन की वर्तमान राशि से अधिक हो जो पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाने पर उसे प्राप्य होती, तो उस अधिक राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिये।

नियम 355:–नियम 353 के प्रयोजनों के लिए पेन्शन की राशि या वर्तमान मूल्य, राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय XXVII के प्रयोजनों के लिए निर्धारित तालिका के अनुसार निकाली जावेगी।

खण्ड-5:—सेवा-निवृत्ति के बाद व्यवसायिक सेवा

नियम 356:—यदि एक पेन्शनर, जो सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व राजपत्रित-अधिकारी था, अपनी सेवा-निवृत्ति की दिनाक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व भारत में कोई व्यवसायिक सेवा स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी सेवा स्वीकार कर सकता है किन्तु शर्त यह है किः—

(i) उसे ऐसी सेवा को स्वीकार करने से पूर्व पेशन-स्वीकृत करने को सक्षम-अधिकारी को, नियोजन का विवरण, सेवा का स्वरुप, और पारिश्रमिक जो प्रस्तावित एवं स्वीकार किया गया, उसका विवरण सूचित करेगा, और

(ii) वह यह भी प्रमाणित करे कि सेवा-निवृति के तुरन्त पूर्व दो-वर्ष की अवधि में जहां वह सेवारत था, उसने उस संस्थान के साथ कोई राजकीय-व्यवहार (डीलिंग) नहीं किया है।

(2) उस पेंशनर को कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसने व्यापारिक-सेवा को, इस नियम के उपनियम (1) में वर्णित शर्तों की पालना किए बिना, स्वीकार करली है।

(3) इस नियम में "व्यावसायिक नियुक्ति' अभिव्यक्ति से तात्पर्य (i) ऐसे किसी भी रूप में होने वाली नियुक्ति से है जिसमें किसी कम्पनी, फर्म के एजेण्ट या ट्रेडिंग, व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायात्मक-व्यापार आदि मे नियुक्ति भी सम्मिलित है तथा जिसमें ऐसी कम्पनियों का निदेशक पद एवं ऐसी फर्मों की पार्टनरशिप भी सम्मिलित है किन्तु इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः या सारभूत स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित, निगमित/निकाय के अधीन सेवा सम्मिलित नहीं है।

(क) 'सलाहकार" अथवा "परामर्शदाता" के रूप में स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार की हैसियत से व्यवसाय स्थापित करना जिसके लिए पेंशनर-(क) कोई व्यवसाय संबंधी योग्यता नही रखता है और जिस विषय में व्यवसाय स्थापित करना है अथवा किया जा रहा है वह उसके ज्ञान अथवा अनुभव से संबंधित है, अथवा

(ख) व्यवसाय-संबंधी-योग्यता रखता है किन्तु जिस विषय में व्यवसाय स्थापित करता है वह ऐसा है जो उसके मुवक्किल को उसकी भूतपूर्व शासकीय स्थिति (पद) से अनुचित रूप से लाभान्वित करता है अथवा

(ग) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेना है जो कार्यालयों अथवा सरकारी-अधिकारियों से सम्पर्क या संसर्ग में होता है।

स्पष्टीकरणः—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "सहकारी-समिति के अधीन सेवा" में ऐसे किसी पद का धारण करना चाहे वह चयनित हो या अन्यथा जैसे अध्यक्ष, मैनेजर, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसी समितियों में वे जिस किसी भी नाम से पुकारे जाते है सम्मिलित है।

(घ) "सेवा-निवृत्ति" अभिव्यक्ति से तात्पर्य है—ऐसे कर्मचारी जिसकी सेवा निवृत्ति के पश्चात सरकार के अधीन उसी पद पर अथवा उसके समकक्ष पद पर बिना किसी अवरोध के पुनर्नियुक्ति की गई, वह दिनांक जब कर्मचारी की सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति के बाद अन्तिम रूप से सेवा समाप्त करदी जाती है।

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (50) वि. वि. (श्रे-2)/75-I दिनांक 18-9-1976 जो 1-9-76 से प्रभावी है, द्वारा नियम 356 प्रतिस्थापित एवं समस्त टिप्पणियां लोपित की गई है]

खण्ड-6:—पुनर्नियुक्ति के बाद भारत के बाहर-सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति

नियम 357 (क):-एक पेंशनर जिस पर यह नियम लागू होते है यदि वह भारत के बाहर किसी सरकार की कोई सेवा करता है तो उसे ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। एक पेंशनर को उस अवधि की कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसके अन्दर वह बिना सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये ऐसी नौकरी को स्वीकार करता है या इससे अधिक समय के लिये भी, यदि सरकार निश्चित करे, तो उसे कोई पेंशन नहीं दी जावेगी।

किन्तु शर्त यह है कि जब एक कर्मचारी को अपने निवृत्ति-पूर्व-अवकाश में भारत के बाहर की सरकार के अधीन किसी विशिष्ट-प्रकार की सेवा करने के लिये उचित अधिकारी द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो उसे सेवा-निवृत्ति के बाद ऐसी सेवा में बने रहने के लिये और अग्रिम स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी।

(ख) यह नियम उस प्रत्येक पेंशनर पर लागू होता है जो अपनी सेवा-निवृत्ति के पूर्व राजस्थान सरकार का राजपत्रित अधिकारी था किन्तु उपरोक्त खण्ड (1) में वर्णित किसी नियुक्ति के संबंध में उन राज्य पेशनरों पर लागू नही होगा जिन्होंने 1-4-51 से पूर्व ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की है ।

(ग) इस नियम के प्रयोजन के लिये "भारत के वाहर सरकार के अधीन नियुक्ति" में एक स्थानीय-अधिकारी या निगम या किसी अन्य संस्था या संगठन के अधीन-सेवा सम्मिलित है जो भारत सरकार के निरीक्षण या नियंत्रण में कार्य करती है ।
